

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीः ॥

चौखम्बा राष्ट्रभारती ग्रन्थमाला


६

ॐ

ॐ
भारतीय धर्म-शास्त्राँ
और
उनका इतिहास

लेखक .

वाचस्पति गैरोला



चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

वा रा ण सी

प्रकाशक

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(भारतीय सस्कृति एव साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

के० ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन

पो० बा० न० ११२९, वाराणसी २२१००१

दूरभाष ५५३५७

©

प्रथम संस्करण

सन् १९८८

मूल्य १५०-००

अय प्रतिष्ठान

चौखम्बा सस्कृत प्रतिष्ठान

३८-ए, जवाहरनगर, बगलो रोड

पो० बा० न० २११३

दिल्ली ११०००७

दूरभाष २३६३९१

प्रधान वितरक

चौखम्बा विद्याभवन

ब्लॉक (वनात्म स्टेट बैंक भवन के पीछे)

पो० बा० न० १०६९, वाराणसी २२१००१

दूरभाष ६३०७६

मुद्रक

धीजी मुद्रणालय

वाराणसी



100312

अपनी साध्वी सहधर्मिणी

शान्ति को

जिसकी अन्तःप्रेरणा

एवं

जिसके अयाचित अध्यवसाय

मेरी बौद्धिक जीवन-यात्रा को

सतत सम्बल प्रदान किया ।



पुस्तक के सम्बन्ध में

प्रस्तुत पुस्तक 'भारतीय धर्म-शाखाएँ और उनका इतिहास' विगत अनेक वर्षों के निरन्तर प्रयास से पूरी हो सकी है। किन्तु उससे अधिक उसके प्रकाशन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। लगभग दो वर्षों तक एक प्रकाशक मित्र के यहाँ पुस्तक की पाण्डुलिपि पड़ी रही। अन्ततः चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी से इसका प्रकाशन सम्भव हो सका।

स्वर्गीय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जिम दिनों उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में धर्म-विषयक पुस्तक लिखने के लिए मुझे आदिष्ट किया था। इस पुस्तक के लेखन की मूल प्रेरणा वारतव मे यही थी। आचार्य द्विवेदी के पश्चात् उत्तर-प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी में अनेक प्रकार के फेर-बदल होते गये, और मैंने यही उचित समझा कि अकादमी की अपेक्षा इसका प्रकाशन किसी स्वतंत्र प्रकाशक से कराना ही समीचीन होगा।

मेरे अनुरोध पर उत्तर प्रदेश शिक्षा-विभाग ने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए पाँच हजार रुपये का अनुदान देना भी स्वीकार किया था, किन्तु नियत अवधि पर प्रकाशित न होने के कारण अनुदान को लाभ प्राप्त न हो सका।

पुस्तक भले ही जिस रूप में सही, जितना भी विलम्ब वहन करना पड़ा, पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत, हिन्दी, इतिहास और समाजशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम में धर्म-विषयक सम्पूर्ण अध्ययन के लिए अब तक कोई पुस्तक नहीं लिखी गई थी। भारतीय धर्म-शाखाओं के अध्ययन तथा अनुशीलन के लिए इस पुस्तक का लाभ अध्येताओं को अवश्य प्राप्त होगा, ऐसी आशा है।

पुस्तक को लिखते समय यह प्रयत्न किया गया है कि प्रत्येक धर्मशाखा के ऐतिहासिक परिचय के पश्चात् उसकी मूल प्रवृत्तियों, प्रवर्तक और प्रवर्तन-परम्परा, सिद्धान्त निरूपण, आचार-पद्धति और साहित्य आदि अपेक्षित विषयों का सर्वांगीण समावेश किया जाय। इस प्रकार प्रत्येक धर्मशाखा के सर्वांगीण अध्ययन के लिए सूक्ष्म रूप में सभी अंगों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। अध्येता तथा गोधार्थी अपने विस्तृत अध्ययन के लिए इन मूल सूत्रों की व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं।

भारतीय धर्मशाखाओं के विवेचन के साथ ही, भारत में विलयित भारते-तर धर्मशाखाओं पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। भारत में स्थायी रूप से निवसित भारतीयता का वरण करने वाले फारसी, यहूदी, ईसाई और इस्लामी आदि विभिन्न धर्मानुयायियों की धार्मिक परम्पराओं एवं मान्यताओं को भी इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। इन सभी भारतेतर धर्म-शाखाओं की जानकारी प्राप्त किये बिना, वस्तुतः इस महान् राष्ट्र की धर्म-प्रवृत्तियों का इतिहास-ज्ञान अधूरा ही कहा जायेगा। भारत के बाहर विभिन्न देशों में इन धर्म-शाखाओं का आज भी अपना स्वतन्त्र एवं व्यापक अस्तित्व है, और उनको मानने वाले बहुसंख्यक समुदाय भी सम्प्रति विद्यमान हैं। किन्तु इस भारत राष्ट्र के धार्मिक समुदाय में वर्यो पूर्व से उनका जो तादात्म्य तथा योगदान रहता आया है, उसने इन भारतेतर धर्म-शाखाओं को भारतीयता में समन्वित करने का आधार सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है।

मुझे विश्वास है कि बहु-भाषाभाषियों, विभिन्न धर्मानुयायियों और अनेक संस्कृतियों को वरण करने वाले इस देश में धर्म के सार्वभौम, सर्व-मंगलकारी स्वरूप को प्रस्तुत करने में इस पुस्तक का विशेष महत्त्व सिद्ध होगा।

इस पुस्तक के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्व मैं अपनी दोनों विदुषी पुत्रियों श्रीमती प्रभा बहुगुणा और डॉक्टर मञ्जु गैरोला के योगदान का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ।

साप्ताहिक गढ़वाल मण्डल }
 पौड़ी (गढ़वाल) }
 १५ मार्च, १९८८ }

— वाचस्पति गैरोला

विषयानुक्रम

(एक) धर्मशास्त्रीय साहित्य	१-१६
धर्मशास्त्र साहित्य	३
स्मृतियाँ और उनका निर्माणकाल	१०
रामायण और महाभारत	१३
(दो) धर्म का सामान्य परिचय	१७-७९
धर्म का स्वरूप	१९
भक्ति का स्वरूप और विकास	५४
धार्मिक सम्प्रदाय	६९
पुरातन भारतीय शासकों की धर्मानुरागिता	७६
(तीन) महाभारतकालीन धर्म शाखाएँ	८१-१२५
सात्वत धर्म	८३
पाचरात्र मत	८५
भागवत धर्म	८८
पुराणों में वेदविहित धर्म की पुनः स्थापना	९३
सौर सम्प्रदाय	१०७
स्कन्द सम्प्रदाय	११५
गणपत्य मत	११८
दत्तात्रेय मत	१२२
(चार) अवैदिक धर्मशाखाएँ	१२७-१८४
लोकायतिक मत	१२९
आजीविक सम्प्रदाय	१३५
जैन धर्म और उसके तीर्थंकर	१४०
बौद्ध धर्म और उसके प्रवर्तक	१६१
(पाँच) शैव सम्प्रदाय और शाक्त सम्प्रदाय	१८५-२३२
शैव मत	१८७
शाक्त मत	२१३
(छः) अद्वैत मत, योग मत और नाथ सम्प्रदाय	२३३-२५२
शांकर मत	२३५
योगी मार्ग	२३९
नाथ सम्प्रदाय	२४४

(मात) निर्गुणोपासक सुधारवादी धर्म शाखाएँ	२५३-३१८
मन्त मत	२५५
दारवरी सम्प्रदाय	२५७
निरजनी सम्प्रदाय	२६४
इमामशाही पीराना पन्थ	२७०
बबीर पन्थ और उसकी परम्परा	२७३
नानक पन्थ या निवख्त पन्थ	२९५
दादू पन्थ	३०३
प्रथामी पन्थ	३०७
राधास्वामी मत	३१६
(आठ) रामोपासक धर्म शाखाएँ	३१९-३४८
रामानन्दी रामावल सम्प्रदाय	३२१
रामदामी सम्प्रदाय	३३५
सहजिया नारायण सम्प्रदाय	३४०
रामशक्ति रमिक सम्प्रदाय	३४६
(नौ) वैष्णव धर्म-शाखाएँ	३४९-४४४
वैष्णव धर्म	३५१
आलवार वैष्णव सम्प्रदाय	३५९
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय	३६३
महानुभाव पन्थ	३७६
निम्बार्क मत या सनक सम्प्रदाय	३८१
विष्णुस्वामी सम्प्रदाय	३९१
माध्वमत या ब्रह्म सम्प्रदाय	३९६
महापुरुषिया सम्प्रदाय	४०३
वल्लभ सम्प्रदाय या पुष्टिमाणं	४०९
चैतन्य मत या गौडीय सम्प्रदाय	४२२
राधा-वल्लभ सम्प्रदाय	४३७
मौरावाई	४४२
(दस) आधुनिक नवोत्थान युग	४४५-४८०
ब्राह्म समाज	४५०
आर्य समाज	४५६

ब्रह्मविद्या समाज	४६३
रामकृष्ण मिशन	४६९
सत्यगोधक समाज	४८०
(ग्यारह) गांधी युग का सर्व-धर्म-समभाव	४८१-५०३
महात्मा गांधी	४८३
लोकमान्य बालगंगाधर तिलक	४९१
महामना मदनमोहन मालवीय	४९३
योगिराज अरविन्द	४९४
डॉक्टर भगवानदास	४९७
महर्षि रामण	४९८
स्वामी शिवानन्द	५००
डॉक्टर राधाकृष्णन्	५०२
(बारह) भारत में विलयित भारतेतर धर्म-शाखाएँ	५०५-५८४
जरायुश्च (पारसी) धर्म	५०७
यहूदी धर्म	५२०
ईसाई धर्म	५३१
इस्लाम धर्म	५५०
सर्व-धर्म-ममन्दय के संस्थापक	५८१

(एक)

धर्मशास्त्रीय साहित्य

१. धर्मशास्त्र साहित्य
२. स्मृतियाँ और उनका निर्माण काल
३. रामायण और महाभारत

धर्मशास्त्र साहित्य

धर्मशास्त्र विषयक साहित्य को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—सूत्र, स्मृति और निबन्ध। सूत्रग्रन्थ ही धर्मशास्त्र के स्रोत एवं आधार हैं। जिन सूत्रग्रन्थों को विशेष महत्व दिया गया है, और जिनका व्यापक प्रभाव रहा है, उनमें गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब और वसिष्ठ का नाम प्रमुख है। इनके अतिरिक्त विष्णु, हारीत, वैखानस तथा हिरण्यकेशी आदि का स्थान है। सूत्रग्रन्थों में प्रायः वे सब विषय सन्निविष्ट हैं, जिनका विकसित रूप स्मृतियों तथा निबन्धों में देखने को मिलता है। उनमें समाज के प्रमुख चार वर्गों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, और चार आश्रमों—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास के नियमों, उनके स्वतंत्र और पारस्परिक कर्तव्यों तथा आचारों का व्यापक प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि सामाजिक जीवन की सम्पूर्णता के लिए अनुशासन की आवश्यकता अनिवार्य है, अतः धर्मसूत्रों में राजा, व्यवहार, अपराध, उत्तराधिकार तथा विवाह आदि के नियमों का भी निरूपण किया गया है। इस दृष्टि से वे अर्थशास्त्र के भी पूरक सिद्ध होते हैं।

यद्यपि आरम्भ में धर्मसूत्रों की अपनी अलग-अलग शाखाएँ थी, और उन्हीं शाखाओं द्वारा उनका अध्ययन, अध्यापन तथा अनुपालन होता था, किन्तु बाद में वे समस्त समाज के लिए ग्रहण किये गये और उनके द्वारा द्विजमात्र का अनुशासन होने लगा।

सूत्रग्रन्थों के पश्चात् धर्मशास्त्रीय साहित्य का दूसरा भाग स्मृतियाँ हैं। किन्तु उपयोगिता की दृष्टि से सूत्रग्रन्थों की अपेक्षा स्मृतियों का स्थान महत्वपूर्ण है। आधुनिक लोक मान्यता की दृष्टि से 'मनुस्मृति' तथा 'याज्ञवल्क्यस्मृति' का स्थान सर्वोपरि है। उनके अतिरिक्त उपलब्ध स्मृतियों में—पराशर, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, अगिरा, दक्ष, पितामह, पुलस्त्य, प्रचेत्सु, प्रजापति, नरीचि, धर्म, विश्वामित्र, व्यास और हारीत आदि ऋषि-महर्षियों द्वारा विरचित स्मृतियों का स्थान है।

धर्मशास्त्र साहित्य का तीसरा विभाजन अधिक महत्वपूर्ण है। इस तीसरे भाग में मूल धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों पर टीका, भाष्य तथा निबन्ध लिखे गये। इन टीका भाष्य निबन्ध ग्रन्थों में किसी प्रकार का विभाजन करना संभव नहीं है। जिन अधिकतर धर्मशास्त्रकारों ने भाष्यों की रचना की, उन्होंने ही प्रायः निबन्ध भी लिखे। प्रमुख भाष्य-ग्रन्थों में 'अपराक' और 'निताशर

का नाम उल्लेखनीय है। इसी प्रकार निबन्ध-ग्रन्थों में 'कल्पतरु', 'स्मृति-चन्द्रिका', 'चतुर्वर्गचिन्तामणि' और 'राजनीतिरत्नाकर' का नाम प्रमुख हैं।

निर्माण काल

तीन विभागों में विभक्त उक्त धर्मशास्त्रीय साहित्य के निर्माण-काल के सम्बन्ध में विद्वानों के अलग-अलग अभिमत हैं। सामान्यतः उनकी काल-मर्यादा ७०० ई० पूर्व से लेकर १९वीं शती ई० के बीच निर्धारित की जा सकती है। इन पच्चीस-छब्बीस सौ वर्षों की समयावधि को इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है—

सूत्रग्रन्थों के निर्माण काल का प्रथम युग ७००-१०० ई० पूर्व।

स्मृतिग्रन्थों के निर्माण काल का द्वितीय युग १००-१०० ई० तक।

भाष्यग्रन्थों के निर्माण काल का तृतीय युग १००-१९०० ई० तक।

उक्त काल सीमाएँ किञ्चित् पूर्वापर भी हो सकती हैं, किन्तु उनकी जो समृद्धि तथा व्यापकता प्रकाश में आई है, उनकी मुख्य सीमाएँ उक्त कालावधि में ही निर्धारित की जा सकती हैं। प्रथम युग में मुख्यतः सूत्रग्रन्थों का निर्माण हुआ। ये सूत्रग्रन्थ ही स्मृतियों के उद्गम स्रोत हैं। द्वितीय युग में सूत्रों के व्याख्यान-ग्रन्थ लिखे गये, जिन्हें स्मृतियाँ कहा जाता है। सूत्रग्रन्थों में साररूप में या सकेतात्मक ढंग पर जिन नीति नियमों का उल्लेख किया गया है, उनको विस्तार से स्मृतियों में कहा गया है। किन्तु सूत्रग्रन्थों में निर्दिष्ट नीति-नियमों के अतिरिक्त नई बातों का भी स्मृतियों में समावेश देखने को मिलता है। ये स्मृतियाँ दलोकबद्ध हैं और यद्यपि उनके निर्माण काल की मर्यादा सामान्य रूप से प्रथम शती ई० से निर्धारित की गई है, तथापि उनकी रचना इससे पूर्व दुग काल (२०० ई० पूर्व) से ही होने लगी थी।

धर्मशास्त्रीय साहित्य का तीसरा युग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस युग की ऐतिहासिक सीमाएँ यद्यपि ९वीं शती ई० से निर्धारित की गई हैं, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृतियों पर भाष्यों टीकाओं निबन्धों का निर्माण गुप्त-युग के अन्तिम चरण (५वीं शती ई०) से होने लग गया था। स्मृतियों पर व्याख्यान ग्रन्थों का यह निर्माण-कार्य निरन्तर होता गया और १९वीं शती तक होता रहा। धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों, विशेष रूप से स्मृतियों की यह व्याख्यात्मक सामग्री अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण एवं मान्य है, जितने कि मूल स्मृतिग्रन्थ हैं। जिस प्रकार स्मृति-वचनों को, उसी प्रकार उनकी व्याख्यात्मक सामग्री को प्रामाणिक माना गया है।

यह तीसरा युग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय धर्मशास्त्र विषयक विपुल साहित्य प्रकाश में आया। प्रायः समस्त अगो पर विस्तार

से लिखा गया और साथ ही युगनिष्ठा के अनुरूप उनमें कुछ नया भी जोड़ा गया ।

कल्पसूत्र साहित्य

वेद-सहिताओं का विभाजन हो जाने के अनन्तर ऋषियों के विभिन्न ज्ञानकुलों द्वारा जो साहित्य रचा गया, उसमें पङ्क्तियों का नाम उल्लेखनीय है । उनके नाम हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । दूसरे वेदांग 'कल्प' के अन्तर्गत धर्मसूत्रों का स्थान है । इतिहासकारों की दृष्टि में 'कल्प' वेदांग साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ है ।

विषय और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से कल्पग्रन्थ अपना विशेष महत्व रखते हैं । सस्कृत साहित्य में उनके द्वारा नये युग की स्थापना हुई । कल्पसूत्रों के अनन्तर लौकिक सस्कृत का अभ्युदय हुआ । उत्तर वैदिक युग में अनेक विषयों का जो विपुल साहित्य रचा गया, उसको प्रेरणा देने और उसकी प्रगति में वेदांग के इस 'कल्प' भाग का अपना विशिष्ट स्थान है ।

कल्पसूत्रों के निर्माण का एक विशेष प्रयोजन था । वैदिक-साहित्य विपुल, दुर्गम, कठिन और रहस्यमय होने के कारण उसको बोधगम्य करना दुष्कर होता जा रहा था । इस समस्या के समाधान के लिए वैदिक विधियों को सूत्रों की सक्षिप्त एवं सकेतात्मक भाषा में समायोजित किया गया । 'गागर में सागर' की भाँति सूत्रों की सक्षिप्त शब्दावली के द्वारा वेदोक्त विधियों को कण्ठस्थ करने में सुगमता हुई । कम से कम शब्दों वाक्यों में अधिक से अधिक भावों को अभिव्यक्त करना सूत्रग्रन्थों की विशेषता है ।

भाषा, भाव, विचार शैली और रचना-विधान की तकनीकियों की दृष्टि से भी सूत्रयुग में अनेक परिवर्तन प्रकाश में आये । जिस भाषा का रूप वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है, रचना-प्रक्रिया और अभिव्यजन की दृष्टि से जिस भाषा का प्रयोग वेदों से लेकर उपनिषदों तक होता रहा, सूत्रग्रन्थों की रचना के बाद उसमें सर्वप्रथम परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है ।

कल्पसूत्रों का प्रमुख विषय कर्मों का प्रतिपादन, शस्त्रों की व्याख्या और यज्ञों के विधि-विधान का वर्णन करना है । यज्ञों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन वेदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों द्वारा होता रहा है । अथर्ववेद (१०।१०।८) में यज्ञों को जगत् का उत्पत्ति स्थान कहा गया है । 'यज्ञपरिभाषासूत्र' में दो प्रकार के वैदिक यज्ञों का विधान वर्णित है—श्रौत और गृह्य । इन दोनों यज्ञों की सम्यक् व्याख्या व्यवस्था क्रमशः श्रौतसूत्रों और गृह्यसूत्रों में निरूपित है ।

कल्पसूत्रों के तीन प्रमुख विभाग हैं—श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र । प्राचीन ग्रन्थों के उल्लेखानुसार वेदों की ११३० मंत्र संहिताओं की भाँति कल्पसूत्रों की भी उतनी सख्या थी, किन्तु सम्प्रति न तो उतनी मंत्र संहिताएँ उपलब्ध हैं और न उतने कल्पसूत्र ही ।

कल्पसूत्रों के इन तीनों विभागों का विषय की दृष्टि से विभाजन करना सम्भव नहीं है । क्योंकि विषय की दृष्टि से वे अन्योन्याश्रित हैं । तथापि कतिपय विशिष्ट विधाओं की दृष्टि से उनमें विभाजन किया जा सकता है । महिताओं का जो यज्ञ-यागादि विधान भाग है, श्रौतसूत्रों में उसका सार सकलित है । श्रौतसूत्रों में वैदिक हवि तथा सोमयज्ञ सम्बन्धी धार्मिक अनुष्ठानों का विशेषरूप से प्रतिपादन है । उनमें प्रमुखतया श्रुतिविहित चतुर्दश यज्ञ का निरूपण है । कल्पग्रन्थों के दूसरे विभाग गृह्यसूत्रों में गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित गर्भोद्धान से लेकर मृत्युपर्यन्त जितने भी क्रिया-कलाप हैं, उनकी अनुष्ठान विधियों का विस्तार से वर्णन है । 'कौशिकगृह्यसूत्र' में विकित्सा और दैविक विपत्तियों के निवारित करने के मंत्र भी उल्लिखित हैं । गृह्यसूत्रों द्वारा हिन्दू धर्म की कर्मनिष्ठा तथा पवित्रता का प्रतिपादन हुआ है ।

तीसरे विभाग धर्मसूत्रों का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि कल्पग्रन्थों और गृह्यग्रन्थों में जो अनुष्ठान वर्णित हैं, वे विशेषरूप से वैयक्तिक तथा पारिवारिक जीवन तक ही सीमित हैं । धर्मसूत्रों में व्यापक मानवता को दृष्टि में रखकर विचार किया गया है । क्योंकि धर्म की भारतीय दृष्टि कभी भी एकाकी नहीं रही है । अतः धर्म का स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले धर्मसूत्रों की विचार दृष्टि स्वभावतः व्यापक रही है । उनमें मानव के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर समाज के पारस्परिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है । उनमें सामाजिक जीवन के रीति रिवाजों, प्रथाओं और नियमों को व्यापक मीमांसा की गई है । 'गौतम धर्मसूत्र' जैसे ग्रन्थों में अत्यन्त उदार दृष्टि के दर्शन होते हैं । उनमें द्विजातियों (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यो) में पारस्परिक खान पान की समानता का समर्थन किया गया है ।

धर्मसूत्रों में राज्य व्यवस्था और कर-कानूनों की भी व्याख्या की गई है । इन धर्म निर्देशों में यह व्यवस्था दी गई है कि राजा को प्रजावत्सल होना चाहिए और चतुर्धनों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए । राजा-प्रजा में तब अन्तर की खाई उतनी गहरी नहीं थी । राजा का एकमात्र लक्ष्य प्रजा का हित-साधन था । नारी-समाज के प्रति व्यवहृत आचारों में उदारता थी । दण्ड-व्यवस्था में सम्बन्ध में धर्मसूत्रों के नीति नियम असमानता तथा वर्ग स्वार्थ के द्योतक प्रतीत होते हैं, क्योंकि जहाँ एक ओर अन्याय वर्गों के

लिए भग भग जैसे कठोर दण्डों की व्यवस्था की गई, वही दूसरी ओर ब्राह्मण को केवल अर्ध-दण्ड दे कर छोड़ दिया गया है, और कभी कभी उससे भी मुक्त कर दिया गया है। यह असमानता परवर्ती धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थों में देखने को नहीं मिलती।

धर्मसूत्र साहित्य

धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थों की प्रणयन-परम्परा अतिप्राचीन और व्यापक है। विद्वानों का अभिमत है कि यास्क (७०० ई० पूर्व) के 'निरुक्त' में एक स्थल (३।४।५) पर 'रिक्वप्रतिषेध' का उल्लेख हुआ है (अर्थता जाम्या रिक्वप्रतिषेध उदाहरन्ति ज्येष्ठ पुत्रिकामा, इत्येके)। इस सम्बन्ध में यास्क ने एक पद्य उद्धृत किया है, जो इस प्रकार है—

अविशेषेण पुत्राणा दायो भवति धर्मतः ।

निधुनाना विसर्गादौ मनु स्वापम्भुवोज्ज्वीत् ॥

इस पद्योच्चारण से विदित होता है कि श्लोकबद्ध धर्मग्रन्थों का निर्माण यास्क से पहले होने लगा था। इस सम्बन्ध में विद्वानों का कहना है कि श्लोकबद्ध धर्मग्रन्थों की निर्माण परम्परा सूत्रग्रन्थों से भी पहले की है। गौतम, बौधायन और आपस्तम्ब आदि धर्मसूत्रों में पूर्ववर्ती धर्मग्रन्थों का उल्लेख हुआ है। गौतम ने पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रों की चर्चा की है और उनके मतों को 'इत्येके' (२।५।२।५८, ३।१।४।२१ आदि) कहकर उद्धृत किया है। अनेक स्थलों पर उन्होंने मनु तथा धर्म-प्रवर्तक अन्यान्य आचार्यों का उल्लेख किया है (३।३६, ४।१८ आदि)। बौधायन ने औपजपनि, कात्य, काश्यप, गौतम, भौद्गल्य और हारीत आदि पुरातन धर्मशास्त्रकारों का स्पष्ट निर्देश किया है। इसी प्रकार आपस्तम्ब ने भी एक, कण्व, कौत्स तथा हारीत आदि को उद्धृत किया है (२।१।७)। मीमांसाकार जैमिनि ने धर्मशास्त्र में उल्लिखित सूत्र के कर्तव्य की ओर निर्देश किया है (मीमांसा-सूत्र ६।७।६)। भाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है कि धर्मसूत्रों तथा उनके नीति-निर्देशों को ईश्वर की आज्ञाओं की तरह माना जाता था।

इन आधारों पर यह मानना सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है कि धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थों की परम्परा अतिसमृद्ध तथा पुरातन है। लगभग २०० ई० पूर्व तक मानव समाज में उनके नीति नियम तथा आचार-व्यवहार पूर्ण रूप से व्यवहृत होने लग गये थे और उत्तरोत्तर उनका अध्ययन प्रणयन होता गया।

अपनी आरम्भावस्था में धर्मसूत्र, कल्पसूत्रों के अंग थे। उनका अध्ययन-प्रणयन स्वतंत्र रूप से न होकर चरणों या शाखाओं के रूप में हुआ करता

था। सभी चरणों के धर्मसूत्र सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं। आश्वलायन, मानव और शाखायन के श्रौतसूत्रों तथा गृह्यसूत्रों के धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होते। कुछ चरणों के सभी सूत्र उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी और चौधायन के श्रौत, गृह्य तथा धर्म, तीनों सूत्रग्रन्थ सुलभ हैं। इस प्रकार यद्यपि सभी चरणों के धर्मसूत्र सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं, तथापि समस्त आर्यजाति के सस्कारों, आचारों, नियमों और व्यवहारों की स्थापना उन्हीं के द्वारा होती थी और परम्परागत सभी वैदिक शाखाओं में उन्हें प्रामाणिकता से स्वीकार कर लिया गया था।

धर्मसूत्र और गृह्यसूत्र

धर्मसूत्रों और गृह्यसूत्रों में परस्पर समानता देखने को मिलती है। उनके विषय और प्रकरण प्रायः समान हैं। गृह्यसूत्रों का विशेष सम्बन्ध गृहस्थ-जीवन से सम्बद्ध यज्ञ, पूजन, विवाहादि सस्कार, श्राद्ध और मधुपर्क आदि विषयों का विधान करना है। उनमें मानव-जीवन के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तराधिकारों के प्रति कम निर्देश देखने को मिलते हैं। धर्मसूत्रों में विशेष रूप से आचारों, विधियों, नियमों और उत्तराधिकारों का विवेचन हुआ है। दोनों में इस विभिन्नता के होते हुए भी समानता है। कहीं-कहीं गृह्यसूत्र, धर्मसूत्रों की ओर संकेत करते हैं और उनकी मान्यताओं का व्याख्यान करते हैं। गृह्यसूत्रों के प्रत्येक चरण के कल्प भाग से धर्मसूत्रों का घनिष्ट सम्बन्ध है।

धर्मसूत्र और स्मृतियाँ

गृह्यसूत्रों की भाँति स्मृतियों से भी धर्मसूत्रों की कहीं-कहीं भिन्नता देखने को मिलती है। प्राचीन धर्मसूत्रों और स्मृतियों में पारस्परिक विभेद देखने को मिलता है। दोनों में स्पष्ट अन्तर यह है कि, धर्मसूत्र मुख्यतया गद्य या गद्य-पद्य मिश्रित है, किन्तु स्मृतियाँ एकमात्र पद्यबद्ध हैं। भाषा की दृष्टि से धर्मसूत्रों की भाषा प्राचीन है। धर्मसूत्रों की विषय-वस्तु में एकरूपता, और कहीं-कहीं तारतम्य की उपेक्षा देखने को मिलती है। इसके विपरीत स्मृतियों में इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए सभी स्मृतियों की विषय-वस्तु प्रायः तीन विभागों में विभक्त हुई देखने को मिलती है—आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त। दोनों की विभिन्नता के अन्य भी अनेक कारण हैं।

सूत्रग्रन्थों का निर्माण काल

वेदा से लेकर ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों पर्यन्त जितना भी विपुल साहित्य है, आरम्भ में परम्परा से वह मौखिक रूप में वर्तमान था।

समस्त वैदिक ज्ञान का संरक्षण एवं प्रवर्तन श्रुति-परम्परागत था। वैदिक युग की जिन विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं का अनेक ग्रन्थों में उल्लेख देखने को मिलते हैं, ज्ञान की सारी विरासत उन्हीं के कण्ठ में सुरक्षित थी। ज्ञान की अलग-अलग विधाएँ उन्हीं शाखाओं में विभक्त थी। ये शाखाएँ या चरण ही वस्तुतः तत्कालीन ग्रन्थ-सम्पदा भी थी और उन शाखाओं की उजागर करने वाले बहुसंख्यक प्रतिभावान् शिष्य-प्रशिष्य ही उस ग्रन्थ सम्पदा के उत्तराधिकारी थे। उन्हीं की वाणी में परम्परागत समस्त ज्ञान सुरक्षित था।

सामाजिक परिस्थितियों में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया और कण्ठस्य ज्ञान को अधिक समय तक सुरक्षित न रख सकने के कारण तत्कालीन विचारकों को परम्परा की विरामत को अक्षुण्ण बनाये रखने और उसे प्रकाश में लाने के उद्देश्य से उपायों पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 'नारदपुराण' के एक प्रसंग से विदित होता है कि छ मास के बाद ही कण्ठस्य ज्ञान विस्मृत होने लगा था। जिन उत्तराधिकारियों के पास ज्ञान मौखिक रूप में सुरक्षित था, उसके लिपिवद्ध होने के अभाव में उसकी मृत्यु के बाद समग्र ज्ञान उसी के साथ अन्तर्ध्वान्त होता गया। इतिहासकार वेन्सेट स्मिथ ने 'नारदपुराण' के इस उल्लेख का सम्यक् विश्लेषण किया है (इंडियाज पास्ट, प्र० ५०)। इन परिस्थितियों में ज्ञान की सुरक्षा के लिए जिन विचारकों ने प्रयास किया, वे अधिकतर सूत्रग्रन्थों के रचयिता थे। कागज अथवा मुद्रिधाजनक लेखन-सामग्री के अभाव में भारत में भोजपत्रों तथा तालपत्रों पर ज्ञान को लिपिवद्ध करने का नया प्रयास हुआ। कालान्तर में बौद्ध-धर्मानुयायियों के प्रत्याघातों की आशंका से वैदिक-धर्मानुयायियों ने परम्परागत साहित्य की सुरक्षा के लिए उसे लिपिवद्ध करना आवश्यक समझा। ऐतिहासिक दृष्टि से सामान्यतः इस सूत्रकाल की मर्यादा ७००-६०० ई० पूर्व में निर्धारित किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सूत्रग्रन्थों के निर्माण की पूर्व सीमा लगभग ७०० ई० पूर्व और उत्तर सीमा २००-१०० ई० पूर्व के बीच रखी जा सकती है। इस बीच उनका सम्पादन, संशोधन तथा पुनः संस्करण होता गया।

स्मृतियाँ और उनका निर्माण काल

स्मृतियों की सख्या

स्मृतियों की सख्या के सम्बन्ध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि आरम्भ में कुछ ही स्मृतियाँ विद्यमान थी और उत्तरोत्तर उनकी सख्या में वृद्धि होती गई। 'गौतम धर्मसूत्र' (११।१९) में केवल मनु का नाम उल्लिखित है। वसिष्ठ ने पाँच और वीधायन ने सात स्मृतियों का उल्लेख किया है। मनु ने स्वयं को छोड़कर ६ स्मृतिकारों के नाम गिनाये हैं। अत्रि, उत्तम्यपुत्र, भृगु, वसिष्ठ, वैश्वानस और शौनक। याज्ञवल्क्य ने बीस धर्मशास्त्रकारों का उल्लेख किया है। परवर्ती भाष्य, टीका तथा निबन्ध ग्रन्थों में यह सख्या तो तक पहुँच गई है।

सामान्यतः पुराणों की भाँति स्मृतियों की भी अष्टादश सख्या परम्परा से मान्य रही है। इन अठारह स्मृतियों के नाम हैं—१ मनु, २ याज्ञवल्क्य, ३ अत्रि, ४ विष्णु, ५ हारीत, ६ जसन्त, ७ शल, ८ यम, ९ कात्यायन, १० बृहस्पति, ११ पराशर, १२ व्यास, १३ दक्ष, १४ गौतम, १५ वसिष्ठ, १६ नारद, १७ भृगु और १८ अगिरा। इसी प्रकार अठारह उपस्मृतियाँ थी, जो कि अपने मूलरूप में उपलब्ध नहीं हैं। जीवानन्द द्वारा अठारह स्मृतियों का सग्रह प्रकाशित है, जो कि नामान्तर तथा प्रकारान्तर से है।

स्मृतियों में धर्म की पूर्ण परिणति हुई है। सहस्राब्दियों के अन्वेषण-परीक्षण के फलस्वरूप समाज की सुव्यवस्था के लिए जो नियम बने, स्मृतियों में उन्हें क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया गया। स्मृतियों की रचना सूत्रग्रन्थों के बाद हुई। 'विष्णुस्मृति' को छोड़कर शेष सभी उपलब्ध स्मृतियाँ श्लोकबद्ध हैं। उनमें व्यापक रूप में सामाजिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक विषयों की सीमाता की गई है। परम्परा से अब तक उन्हें धर्मसहिताओं की मान्यता प्राप्त है।

धर्म के सम्बन्ध में भारत की अपनी दृष्टि रही है। जैसे ईसाइयत को हजरत ईसा ने और इस्लाम को हजरत मुहम्मद ने जन्म दिया, किन्तु भारत में धर्म को जन्म देनेवाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं हुआ। वह किसी एक पुरुष या एक वर्ग अथवा एक सम्प्रदाय द्वारा प्रसूत तथा प्रवर्तित नहीं हुआ है। इसलिए यदि किसी हिन्दू या भारतीय से यह पूछा जाये कि उसका धर्मग्रन्थ कौन है, तो वह किसी एक का नाम नहीं बता पायेगा। धर्म को भारत में व्यापक स्वरूप दिया गया है। विश्व के इतिहास में धर्म-स्वातन्त्र्य की

द्वितीय उदात्त भावना भारत में रही है, उसनी किसी अन्य देश में नहीं। सभ ही धर्म के सम्बन्ध में जो गभीर विन्तन भारत में हुआ, उसकी तुलना विश्व के किसी भी देश से नहीं की जा सकती।

स्मृतिर्षा की परम्परा और रचना

परम्परा से धर्म, न्याय और व्यवहार के क्षेत्र में धर्मवेत्ता आचार्यों द्वारा जो विभिन्न विचार अभिव्यक्त किये गये, उनका परिपूर्ण विकास और उनकी सार्वभौम मान्यता स्मृतिर्षा के रूप में प्रकाश में आई। सुदूर अतीत से इस महान् राष्ट्र के निर्माण में जिन विभिन्न जाति-वर्गों तथा सम्प्रदायों, मत-वल्म्बियों का समन्वित समान योगदान रहा, उनके पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के निर्धारण के लिए जिन मानव-सहन व्यापक नियमों का निर्धारण हुआ, उनको सर्वप्रथम स्मृतिर्षा में लिपिबद्ध किया गया। स्मृतिर्षा वस्तुतः भारत के धार्मिक इतिहास की ऐसी शान सम्पदा है, जिनके द्वारा इस राष्ट्र की राष्ट्रियता अक्षुण्ण एवं सुरक्षित है।

स्मृतिर्षा का आधार श्रुति है। 'श्रुति' के अन्तर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् आदि व्यापक वाङ्मय समाविष्ट है। इसी प्रकार 'स्मृति' के अन्तर्गत षड्वेदांग, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र आदि अनेक विषयों का समावेश है। परवर्ती ग्रन्थकारों ने 'स्मृति' को धर्मशास्त्र का पर्याय माना है।

स्मृतिर्षा के व्यापक स्वल्प का सर्वप्रथम प्रतिपादन 'महाभारत' में हुआ है। 'महाभारत' के 'शान्तिपर्व' में धर्मशास्त्र के अन्तर्गत अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, शिल्पशास्त्र और रसायनशास्त्र आदि ऐसे भी विषयों का समावेश किया गया है, जिनका सम्बन्ध आज धर्मशास्त्र से विच्छिन्न हो गया है। इस सन्दर्भ में पितृमह ब्रह्मा द्वारा प्रणीत एक ऐसे 'नीतिशास्त्र' का उल्लेख हुआ है, जिसमें एक लाख अध्याय थे। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चतुर्वर्ग की व्याख्या की गई थी। महाभारतकार का कथन है कि युग-परिवर्तन और आनु-शीलता के कारण कालान्तर में शकल ने उक्त 'नीतिशास्त्र' को दस हजार अध्यायों में सक्षिप्त किया, जिसे कि 'बैशालाक्ष' नाम से कहा गया। तदनन्तर देवराज इन्द्र ने उस दस सहस्र अध्यायात्मक शास्त्र को पुनः पाँच हजार अध्यायों में सक्षिप्त किया, जो कि 'बाहुदन्तवशास्त्र' के नाम से प्रचलित हुआ। इसी शास्त्र को विद्यावारिधि आचार्य बृहस्पति ने सक्षिप्त किया और उस 'बाहुदन्तवशास्त्र' को पुनः शुक्राचार्य ने एक हजार अध्यायों में निबद्ध कर श्रुति-मुनियों को दिया। उन्होंने भूलोक निवासी मनुष्यों की आनु-सीमा को दृष्टि में रखकर उसे और भी सक्षिप्त किया। शुक्राचार्य द्वारा सशोधित 'औशनसी-नीति' ही सम्भवतः वर्तमान 'शुक्रनीति' का आधार है।

'महाभारत' (शा० प० ३४३।२८-३०।४०) से विदित होता है कि मारीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और चित्रशिखण्डी, इन सात ऋषियों ने एक 'चित्रशिखण्डिशास्त्र' की रचना की थी, जो कि एक लाख श्लोक परिमाण का था और जिसमें सम्पूर्ण श्रौततंत्र को धर्म में प्रवृत्त करने का उपदेश था। गौतम, बोधायन, आपस्तम्ब और वसिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने-अपने जिन धर्मसूत्र-ग्रन्थों का निर्माण किया था, वे पितामह ब्रह्मा के उक्त 'दण्डनीतिशास्त्र' की परम्परा के ही ग्रन्थ थे। उनके पश्चात् विभिन्न ऋषि-कुलों द्वारा अपनी-अपनी शाखाओं के लिए अलग अलग धर्मसूत्रों की रचना हुई।

'महाभारत' के उक्त विवरण को दृष्टि में रखते हुए ही प्रसिद्ध यूनानी विद्वान् एव पर्यंटक अल्बेरूनी ने सभ्यत स्मृतियों को धेदों से प्रभूत बताया और उनके रचयिता ब्रह्मा के इन बीस मानस पुत्रों का उल्लेख किया है— १ आपस्तम्ब, २ पाराशर, ३ शतपथ (शातातप), ४ सामवर्त, ५ दक्ष, ६ वसिष्ठ, ७ अगिरम, ८ यम, ९. विष्णु, १० मनु, ११ याज्ञवल्क्य, १२ अत्रि, १३ हारीत, १४ लिखित, १५ शास्त्र, १६ गौतम, १७ बृहस्पति, १८ कात्यायन, १९ व्यास और २० उशनस्। देवल, घुक्र, भार्गव, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य और मनु को अल्बेरूनी ने व्यास के छ स्मृतिकार शिष्य माने हैं (अल्बेरूनी का भारत, पृ० ३५-३६)।

स्मृतियों का विषय

आधुनिक विद्वान् धर्मशास्त्र के अन्तर्गत केवल स्मृतियों की गणना करते हैं। स्मृतियों में मुख्य रूप से तीन विषयों का विवेचन किया गया है— आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार विभाग के अन्तर्गत चारों वर्णों— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों आश्रम—ब्रह्मचर्य, गृह्य, वानप्रस्थ और सन्यास के कर्तव्यों और नियमों का निरूपण किया गया है। इनके अतिरिक्त राजाओं के कर्तव्य और प्रजा के प्रति उसका व्यवहार तथा दण्ड-विधान आदि विषयों का भी प्रतिपादन है। व्यवहार विभाग के अन्तर्गत न्याय तथा शासन के निरूपण किया गया है। उसमें दण्डविधान, साक्षी, शपथ, न्यायविधान तथा निर्णय के प्रकार, सम्पत्ति का विभाजन, उत्तराधिकार, सीमा का निर्णय और कर ग्रहण आदि विषयों का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार प्रायश्चित्त विभाग के अन्तर्गत नियमित धार्मिक कृत्यों को न करने तथा उनके विशुद्ध आचरण करने से जो पाप होता है, उसकी निवृत्ति के उपाय वर्णित हैं।

रामायण और महाभारत

साहित्य में 'रामायण' और 'महाभारत' की ख्याति महाकाव्यों के रूप में है, तथापि वे संस्कृत के काव्यों, महाकाव्यों, कथाओं तथा नाटक आदि विभिन्न विषयों के उपजीव्य भी रहे हैं। इनके अतिरिक्त उनमें भारत की पुरातन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक परम्पराओं का भी समन्वय देखने को मिलता है। वे यद्यपि स्मृतियों एवं धर्मसूत्रों में परिगणित नहीं होते हैं, तथापि परम्परा से वेदों तथा धर्मग्रन्थों की भाँति उनकी भी मान्यता है। यही कारण है कि धर्मशास्त्रकारों ने उनके मन्तव्यों को प्रमाण रूप में उद्धृत कर, धर्म के क्षेत्र में उनकी उपादेयता की स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। 'रामायण' को कम, किन्तु 'महाभारत' को धर्मसूत्रकारों तथा स्मृतिकारों ने अनेक बार प्रामाणिकता से उद्धृत किया है। इन दोनों ग्रन्थों का धर्मशास्त्रकारों पर अत्यधिक प्रभाव रहा है।

'रामायण' के 'युद्धकाण्ड' (सर्ग १२८।१५०) में 'सहिता' नाम से कहा गया है। इस ग्रन्थ के अनेक काण्डों में धर्मविषय का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसके 'अयोध्या काण्ड' (सर्ग १००) तथा 'अरण्यकाण्ड' (सर्ग ३३) में राजनीति तथा विधि-सम्बन्धी स्थवस्थाओं का उल्लेख हुआ है। 'रामायण' का धर्मविषयक ग्रन्थों की कोटि में परिगणित होने का इससे अधिक प्रमाण दूसरा क्या हो सकता है कि स्वयं निबन्धकारों ने उनकी मान्यताओं की स्मृतियों की मान्यताओं की भाँति वरण किया है।

समस्त संस्कृत साहित्य में और भारतीय भाषाओं के वाङ्मय में जहाँ भी रामचरित का वर्णन हुआ है, उन सबका मूलस्रोत महामुनि वाल्मीकि की 'रामायण' ही रही है। विसं प्रकार पुराणकारों ने वैदिक-धर्म का सामाजिककरण करके उसे सर्वसामान्य के लिए सुलभ बनाया, उसी प्रकार महामुनि वाल्मीकि ने भी वैदिक भाषा का लौकिक भाषा में रूपान्तरण करके उसे जन मानस के लिए ग्राह्य बनाया। 'रामायण' लौकिक संस्कृत की प्रथम महान् कृति है और इसीलिए महामुनि को 'आदिकवि' का गौरव प्राप्त है। 'रामायण' के रूप में लौकिक संस्कृत प्रथम बार छन्दोमयी वाणी में अभिव्यक्त हुई। उसमें न केवल भावगाम्भीर्य की महनीयता है, अपितु तत्कालीन लोक-जीवन की धार्मिक निष्ठाओं की भी अभिव्यक्ति हुई है।

अयोध्या के रघुवंशीय राजाओं के शासन की परमोच्च स्थिति श्रीराम के राज्यकाल में प्रकाश में आई। वे एक आदर्श पुरुष थे। उनके जीवन में

आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा के तीनों गुण समन्वित थे। उनका 'एकपत्नीव्रत' भी महनीय आदर्श था। पुरातन भारतीय क्षत्रिय शासकों में बहुपत्नीत्व की परम्परा प्रचलित थी। स्वयं महाराजा दशरथ की तीन पत्नियाँ थी, किन्तु राम ने 'एकपत्नीव्रत' का पालन किया।

श्रीराम ने रावण तथा रावणी प्रवृत्तियों का ध्वंस कर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आर्य-संस्कृति और वैदिक-धर्म की पुनः स्थापना की। ये विष्णु के सातवें अवतार थे, जिसके सम्बन्ध में 'रामतापनीयोपनिषद्' से लेकर 'अध्यात्मरामायण' तक अनेक ग्रन्थों में व्यापक चर्चाएँ हुई हैं। उनके जीवन में ज्ञान कर्म, दोनों का समन्वय था। केवल ज्ञान और केवल कर्म अपूर्ण है। जीवन की सफलता के लिए कर्तव्य-निर्वाह की उत्तनी ही आवश्यकता है, जितनी कि आत्मज्ञान की। उन दोनों के समन्वय से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है (ज्ञानकर्माप्या जायते परमं पदम्)।

राम-राज्य अपने-आप में धर्म का अनुपम उज्ज्वल उदाहरण था। 'रामायण' में धर्मराज्य का साकार रूप देखने को मिलता है। रामायणकालीन समाज में धर्म की परिपूर्णता का दिग्दर्शन हुआ है। इसलिए 'सहिता' के रूप में प्रतिष्ठित 'रामायण' को एक धर्मग्रन्थ की मान्यता महामुनि वाल्मीकि स्वयं दे चुके थे।

'रामायण' की भाँति 'महाभारत' भी 'धर्मसहिता' के रूप में प्रसिद्ध है। 'महाभारत' के 'आदिपर्व' (२।८२) में उसे 'धर्मशास्त्र' कहा गया है (धर्मशास्त्रमिदं परम्)। उसके विभिन्न पर्वों में धर्म तथा व्यवहार-सम्बन्धी निर्देशों का उल्लेख हुआ है। इसी कारण उसे 'सहिता' भी कहा गया है। 'महाभारत' अपने मूलरूप में एक 'धर्मसहिता' है। परम्परा से धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में निरूपित लोक-नियमन (अनुशासन), लोकाचार और लोक व्यवहार का प्रवर्तन 'महाभारत' से ही हुआ है। 'अनुशासन पर्व' में विधि (कानून) का विस्तार से निरूपण किया गया है। परवर्ती धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में 'महाभारत' के इसी विधि भाग का विस्तार से अनुपमन किया गया।

'महाभारत' में धर्म-व्यवस्था के नीति-नियमों के अतिरिक्त पुरातन धार्मिक सम्प्रदायों का भी विवेचन देखने को मिलता है। इस महान् ग्रन्थ के निर्माण की मूल भावना वैदिक-धर्म का पुनर्दृष्टान करना था। ई० पू० ६००-५०० की अवधि में भारत में जिस नानाविध धर्मों का उदय हो चुका था, उनमें पाचरात्र, शैव, साह्य, वेदान्त, योग, लोकायत तथा जैन-बौद्ध धर्मों का नाम प्रमुख है। वैदिक परम्परा के विरोध में जिस लोकायत धर्म का उदय हुआ और जिसके प्रमुख प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति तथा महामुनि जाबालि

हुए, उसका पक्षपात जैन तथा बौद्ध धर्मों ने किया। यद्यपि जैन बौद्ध धर्मों की लोकायत मत ने कुछ अंशों में भिन्नता है, तथापि वैदिक धर्म के विरोध में वे सभी एकमत रहे। चार्वाक, महावीर तथा बुद्ध के विचारों का प्रभाव समाज में बढ़ता जा रहा था। वेदों एवं वैदिक यज्ञों का विरोध करना उन सभी धर्म-शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य बन गया था। जैन-बौद्ध धर्म, लोकायत मत से इस अर्थ में भिन्नता रखते थे कि वे वैदिक परम्परा के चातुर्वर्ण्य सत्त्वा के विरोधी नहीं थे, अपितु उनके नैतिक नियमों के परिपालन के समर्थक थे।

‘महाभारत’ से ज्ञात होता है कि वैदिक परम्परा के धर्मों या मतों की भी दो शाखाएँ थी—निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी। वेदान्त तथा सांख्य निरीश्वरवादी थे और पाचरात्र तथा पाशुपत ईश्वरवादी थे। निरीश्वरवादी होने पर भी वेदान्त तथा सांख्य मत नास्तिक नहीं थे, अपितु वेदसम्मत थे। विष्णु की आराधना करनेवाले पाचरात्र और शिव की आराधना करनेवाले पाशुपत थे। लोकायतों और जैन-बौद्धों वैदिक मत की पुनः स्थापना में मूतवश का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने पाचरात्र तथा पाशुपत मतों में सामंजस्य स्थापित कर उनके उपादेय सिद्धान्तों को जन-मानस में प्रचारित किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की उपासना को सहज एवं श्रेयस्कर बताते हुए उनका ऐनय स्थापित किया। मूतवशीय विचारक वेदान्त तथा सांख्य को पाशुपत मत के निकट लाये। इस प्रकार ‘महाभारत’ की महानता इसमें भी है कि वह महज ही में तत्कालीन वैदिक मतों का एकमात्र सहिता ग्रन्थ बन गया। महाभारत-कार की यह घोषणा कि ‘जहाँ धर्म है, वही जय है’ (मतों धर्मस्ततो जय), वैदिक धर्म के विजय की सूचक है।

‘महाभारत’ में अध्यात्म-लाभ के लिए शरीर शुद्धि आवश्यक बतलाई है। विभिन्न पुण्यदाईं तथियों पर व्रत तथा उपवास करने पर शरीर शुद्धि होती है। निष्काम भाव से प्रणव (ओंकार) के जप-ध्यान में सर्वोत्तम फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने के लिए आचार या सदाचार का आचरण करना बताया गया है। आचार, धर्म का एक अभिन्न अंग है। सत्य, सरलता, परोपकार, अहिंसा और इन्द्रिय निग्रह का परिपालन करना ही ‘सदाचार’ है।

‘महाभारत’ की अपनी एक अनन्य विशेषता है। भारत का वह प्रथम राष्ट्रकाव्य है। उसमें इस विशाल एवं पुरातन देश की परम्परागत गौरवगाथा का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। महाभारतकार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने इस महान् देश ‘भारत’ की गरिमा का ध्यास्थान करते हुए अर्जुन से कहा है—

हे भारत, अब मैं तुम्हें इस महान् भारत राष्ट्र का यशोगान सूनाता हूँ । वह देश देवराज इन्द्र को प्रिय है । वैवस्वत मनु पृथु तथा इक्ष्वाकु आदि कीर्तिशाली महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया । ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुष, मुचकुन्द, उदीनरपुत्र, सिदि, ऋषभ, ऐल, वृग, कुशिक, गाधि, सोमक और दिलीप आदि रघुवंशीय यशस्वी राजाओं ने इस पर शासन किया—

‘अत्र ते कीर्तयिष्यामि वर्षं भारत भारतम् ।

सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रिय भारत भारतम्’ ॥

इस प्रकार भारत में धर्म-स्थापना और धर्म के आचरण एवं परिपालन में ‘रामायण’ तथा ‘महाभारत’ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । धर्म, न्याय, सदाचार तथा नैतिक उत्थान की भारतीय परम्परा का आधार भी ये दोनों ग्रन्थ रहे हैं । भारत की जो सार्वभौम उदात्त परम्पराएँ थी, मानव-समाज में उनकी स्थापना का कार्य भी इन्हीं दोनों ग्रन्थों ने किया । इस महान् राष्ट्र के अस्तित्व की पाती को उन्होंने सदा ही उज्ज्वलित तथा प्राणवान् बनाये रखा । राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आज भी ये दोनों महान् एवं विशाल ग्रन्थ भारत के ज्ञान-गीरव को अक्षुण्ण बनाये हुये हैं । धर्मसहिताओं के रूप में आज भी वे सम्मान्य एवं प्रतिष्ठित हैं ।

(दो)

धर्म का सामान्य परिचय

१. धर्म का स्वरूप
२. भक्ति का स्वरूप और विकास
३. धार्मिक सम्प्रदाय
४. पुरातन भारतीय शासकों की धर्मानुरागिता

धर्म का रूप

धर्म मनुष्य की एक सार्वभौम अपरिहार्य भावना है। उसने मनुष्य को हित कल्याण एवं श्रेय की जोर अप्रसर किया है। भारतीय दृष्टिकोण से धर्म का अपना अलग महत्त्व है। भारत को धर्मप्राण देश कहा जाता है। उसका सारा अस्तित्व धर्म के अस्तित्व पर आधारित है। इस दृष्टि से भारत में धर्म की अपनी विशेष परिकल्पना एवं परम्परा है। भारतीय धर्म चिन्तकों ने समस्त चराचर चेतन तथा जड़ जितने भी पदार्थ हैं, उन सबका अस्तित्व धर्म के अस्तित्व पर आधारित माना है। ससार में प्रत्येक पदार्थ को जो आन्तरिक विधायक वृत्ति है, वही उसका धर्म है। प्रत्येक पदार्थ जिस वृत्ति पर आधारित होता है, वही उस पदार्थ का धर्म है। धर्म की वृद्धि से प्रत्येक पदार्थ का सबद्धन होता है और धर्म की न्यूनता से प्रत्येक पदार्थ का ह्रास होता है।

वेदों से लेकर, वैदिक साहित्य, महाभारत, पुराणों और स्मृतियों के धर्मचिन्तकों ने 'धर्म' के स्वरूप का किस रूप में प्रतिपादन किया है, वह विचारणीय है। ऋग्वेद में अनेक ऐसे स्थल हैं, जिनमें धर्म का उल्लेख हुआ है, किन्तु उनका आशय असन्दिग्ध रूप से ज्ञात नहीं होता है। कहीं तो 'धर्म' शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में और कहीं नपुंसकलिंग में हुआ है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं (यथा, १।२२।१८, ५।२६।६ और ७।४३।२४ आदि) में 'धर्म' शब्द स्पष्टतः धार्मिक क्रिया-कलापों या धार्मिक विधियों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कुछ ऋचाएँ ऐसी हैं (यथा—४।५२।३, ५।६३।७ ६।७०।१ तथा ३।३।१ आदि), जिनमें धर्म का नियम, सिद्धान्त व्यवस्था प्रचलन आदि का अर्थ ध्वनित होता है। इस रूप में यह शब्द 'धृ' धातु के मूल अर्थ 'धारण करना', 'अवलम्ब देना' या 'पालन करना' अर्थ को प्रकट करता है (यथा— 'द्याद्यावृषिधी चरणस्य धर्मणा विस्क्रभिते अङ्गे भूरिरेतसा')। ऋग्वेद के ये मंत्र अथर्ववेद में भी प्रयुक्त हुए हैं, जहाँ 'धर्म' के साथ 'धर्मन्' का भी प्रयोग हुआ मिलता है। वहाँ उसे धार्मिक क्रिया कलापों के रूप में ग्रहण किया गया है। (यथा—'ऋत सत्य तपो राष्ट्र धर्मो धर्मस्य कर्म च'), 'वाजसनेय संहिता' (१०।२९ आदि) में 'धर्म' शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है।

संहिताशास्त्र के पश्चात् ब्राह्मण ग्रन्थों में 'धर्म' शब्द का प्रयोग बहुलता से

हुआ है, जो कि अधिक स्पष्ट एव उपादेय है। 'ऐतरेयब्राह्मण' (७।१७) में उते समस्त धार्मिक विषयो का पर्याय माना गया है ; 'शतपथब्राह्मण' (१४।४।२।२६) में कहा गया है कि 'धर्मं भगवान् की देन है। वह राजाओ का राजा है। उससे अधिक शक्तिशाली दूसरा नहीं है। उसके आश्रय एव बल से अशक्त भी शक्तिशाली से अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है' ।

उपनिषद् यद्यपि मूलतः तत्त्वविद्या के ग्रन्थ हैं, तथापि उनमें भी तत्त्वज्ञान के लिए धर्म की अपेक्षा स्वीकार की गई है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' (२।२३) में धर्म को त्रिस्कन्धात्मक कहा गया है (त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽप्ययन दान-मिति प्रथम, तप एवेति द्वितीय, ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीय)। प्रथम स्कन्ध के अन्तर्गत गृहस्थ धर्म, द्वितीय के अन्तर्गत तपस धर्म (वानप्रस्थाश्रम) और तृतीय के अन्तर्गत ब्रह्मचर्य धर्म (ब्रह्मचर्याश्रम) का समावेश किया गया है, 'तैत्तिरीय उपनिषद्' (१।११) में स्नातक ब्रह्मचारी को धर्मानुचरण (धर्मं चर) का उपदेश दिया गया है।

धर्मसूत्रों, उनके व्याख्यान ग्रन्थों और स्मृतियों में 'धर्म' का प्रयोग अधिक व्यापक तथा स्पष्ट अर्थ में किया गया है। वहाँ उसे न्यायिक व्यवस्था या विधान अथवा संहिता के रूप में ग्रहण किया गया है। धर्मसूत्रों और स्मृतियों में ही धर्म की विस्तार से व्याख्या की गई और आज के भारतीय समाज में धर्मानुशासन के जो विधि-विधान हैं, उनका दिग्दर्शन किया गया है। 'मनु-स्मृति' (१।२) में कहा गया है कि 'मुनियों के आग्रह पर मनु ने उन्हें समस्त वर्ण धर्मों का उपदेश दिया' 'याज्ञवल्क्य स्मृति' (१।१) में धर्म के मनु प्रोक्त धर्म-स्वरूप का यथावत् वर्णन किया है, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में ये दोनों स्मृतियाँ ऐसी हैं, जो आज भी लोकप्रचलित हैं और जिनमें प्रथम बार मानव समाज को धर्म की विधि-व्यवस्था में आबद्ध किया गया है।

धर्मसूत्र तथा स्मृतियों के टीकाकारों एव निबन्धकारों ने धर्म के उत्तरोत्तर विकसित एव लोकव्याप्त स्वरूप को अपने-अपने ढंग से प्रतिपादित किया है। 'मनुस्मृति' के टीकाकार भेष्ठातिथि तथा गोविन्दराज और 'गौतम धर्मसूत्र' के व्याख्याता हरिदत्त ने स्मृतिकारों द्वारा प्रतिपादित धर्म के विभिन्न रूपों को उपनिबद्ध करके उसके पाँच प्रमुख विभाग किये हैं—१ वर्णधर्म, २ आश्रमधर्म, ३ वर्णाश्रमधर्म, ४ नैमित्तिकधर्म और ५ गुणधर्म। धर्म के इन विभागों की सूक्ष्म विवेचना भी उक्त टीकाकारों ने की है। इस प्रकार परम्परा से प्रवर्तित धर्म की प्रास्थापना मानव के विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, नियमों और आचार-नूतियों के रूप में हुई और उनको आज भी समाज में मान्य समझा जाता है।

धर्म का लक्षण

धर्म के परम्परागत स्वरूप का उत्तरोत्तर ज्यो-ज्यो विकास होता गया, उसकी सीमा और उसके विधि-विधान उतने ही व्यापक होते गये। उसके परवर्ती व्याख्याताओं ने धर्म को प्रजाहित में सन्निवेशित करके मत-मतान्तर से उसका व्याख्यान किया। 'गृह्यसूत्र' में धर्म के मूलस्वरूप के सम्बन्ध में मौलिक विचार किया गया है। वहाँ (कण्वपर्व) धर्म की व्युत्पत्ति धारणाार्थक 'धृ' धातु से मानी गई है। उसका लक्षण निश्चित करते हुए कहा गया है कि 'जिसको प्रजा धारण करती है और जिसके द्वारा समस्त प्रजा का धारण होता है, वही धर्म है'—

धारणाद्धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा ।

यस्माद्धारणसयुक्त स धर्म इति निश्चय ॥

'मनुस्मृति' (२।१२) में चार लक्षण बताये गये हैं, जिनके द्वारा धर्म की पहचान होती है, अथवा जिन पर धर्म आधारित है। ये चार लक्षण हैं—
श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपनी आत्मा का सन्तोष—

वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ।

एतच्चतुर्विध प्राहु साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥

वेद और स्मृति, दोनों धर्मनिष्ठ भारतीय समाज की आस्थाओं एवं विश्वासों के मूल आधार हैं, असन्दिग्ध, अपरिहार्य प्रमाण हैं। किन्तु सदाचार और आत्मतुष्टि अर्थात् परम्पराएँ और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मचेतना, आत्मसाक्ष्य या नैतिकता और आत्मनिष्ठा समस्त विश्व के मानव-समाज के धार्मिक पाथेय हैं। श्रुति तथा स्मृतियों की मान्यताओं से असहमत एवं विगुस्त चार्वाक, जैन और बौद्ध आदि धर्मों में भी सदाचार और आत्मतुष्टि या आत्मसाक्ष्य अथवा आत्मसन्तोष दोनों को स्वीकार किया है। इन अवेदिक धर्मों की संहिताओं में भी 'मनुस्मृति' के उक्त सदाचार तथा आत्मचेतना पर बल दिया गया है।

धर्म के चतुर्विध लक्षणों या आधारों में वेद अर्थात् श्रुति का प्रथम स्थान है। श्रुति में किसी वंश विशेष, जाति विशेष तथा देशकाल विशेष के नीति-नियमों का निरूपण न होकर, वे एक ऐसे आत्मचेता, प्रबुद्ध एवं तप-सेज-सम्पन्न मनस्वियों के अनुभव, साक्षात्कृत विचारों का सकलन है, जो अनादि हैं और जिसमें मानवमगल तथा आत्महित का सार निहित है। स्मृतियों में श्रुतियों की व्याख्या है और मानव-समाज की रक्षा-व्यवस्था तथा उसके उत्थान के लिए नीति-नियम बर्णित हैं। यह व्यापक मानव-समाज परस्पर अविरोधी एवं अबाधक होकर अपनी-अपनी आस्थाओं तथा विश्वासों का,

अपनी नैतिक तथा आध्यात्मिक निष्ठाओं का परिपालन करता हुआ अभ्युदय की ओर अग्रसर है। उसको परम्परा से यह मान्यता प्राप्त है कि जहाँ श्रुति तथा स्मृति में विरोध दिखाई दे, श्रुति निर्देश मान्य है।

समाज के बृहत्तम स्वरूप को उसकी विभिन्न मान्यताओं को दृष्टि में रखकर अनेक वर्णों तथा आश्रमों में प्रवेश करने और उनको स्थायित्व प्रदान करने वाले विधि तथा निषेध के नियम जिन ग्रन्थों में वर्णित हैं, उन्हें स्मृतियाँ कहा गया है। ये नियम जिनको 'संस्कार' कहा जाता है, मनुष्य के जन्म धारण करने से लेकर मृत्युपर्यन्त हैं। इन संस्कारों का, साधारण मतान्तर या प्रकारान्तर से, समस्त भारत के जाति धर्मों के लोग पालन करते हैं। संस्कार मनुष्य मात्र को समय तथा सत्यवृत्ति की ओर प्रवृत्त करते हैं। वर्णाश्रम धर्म शरीर तथा जीवात्मा को उत्तरोत्तर उन्नयन की ओर अग्रसर करता है। धर्मानुकूल कर्तव्यों में निहित रहकर वर्णों तथा आश्रमों का मूल-ध्येय प्रशस्त होता है। धर्मानुकूल आचार ही 'संस्कार' है। संस्कारों के प्रतिपालन से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। संस्कार ही समाज के उन्नयन का मूल कारण हैं। अज्ञान, पाप, अन्याय तथा दुष्कृत आदि प्रवृत्तियाँ व्यक्ति तथा समाज के उन्नयन, उत्थान तथा विकास में बाधक हैं। इसीलिए उन्हें 'अधर्म' कहा गया है और उनसे असपृक्त रहने का निर्देश किया गया है। इन अज्ञानादि दुष्ट प्रवृत्तियों का उन्मूलन शिक्षादि संस्कारों से होता है। उनका निर्देश एव नियमन स्मृतियाँ करती हैं।

स्मृतिकारों ने कर्तव्यों के अनुसार धर्म के अनेक विभागों का उल्लेख किया है, जिनमें मुख्य हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य और आपद्धर्म। जिनके न करने से पाप होता है। ऐसे अनिवार्य कर्तव्यों का सम्पादन ही 'नित्यधर्म' है। विशेष परिस्थितियों या अवसरों पर जिस धर्ममार्ग का अनुसरण किया जाता है, उसे 'नैमित्तिक धर्म' कहते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए जिन कर्तव्यों का पालन किया जाता है, किन्तु जिनके न करने से कोई दोष नहीं होता है, उन्हें 'काम्यकर्म' कहा गया है। इसी प्रकार 'आपद्धर्म' उसे कहते हैं, जिसका अनुसरण सकटापन्न समय में विवेकानुसार किया जाता है। किन्तु नियमानुकूलता उसमें भी अपेक्षित है।

कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब अपने धर्म तथा आश्रम के विहित कर्तव्यों का पालन नहीं हो सकता है, उस परिस्थिति में धर्मशास्त्र में उसने विकल्प बताये गये हैं, जो कि शास्त्र विहित होने के कारण धर्मानुकूल है, उसे 'आपद्धर्म' कहा गया है। उदाहरण के लिए यदि ब्राह्मण पठन-पाठन-भजन आदि अपने नियमित कर्तव्यों का, विशेष परिस्थितियों के कारण निर्वाह

नहीं कर सकता है, तब वह क्षत्रिय के कर्तव्यों को अपना सकता है। किन्तु परिस्विति विशेष के समाप्त हो जाने पर उसे 'आण्डर्म' त्याग कर अपने नियमित वर्णाश्रम धर्म को अपना लेना चाहिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर को आत्मीयों के सहार से वैराग्य उत्पन्न हो गया था, तब झर-शय्या पर पड़े भीष्म वित्तामह ने राजधर्म की व्याख्या करते हुए उन्हें 'आण्डर्म' का उपदेश दिया था (शांति० ६८।३०, ६९।६)।

विश्व के सभी धर्मों और दर्शनों का एक ही अन्तिम लक्ष्य रहा है— निश्चयस् की प्राप्ति। निश्चयस्, अर्थात् अपवर्ग, मोक्ष अथवा सब प्रकार के निविध दुःखो-साधो की आरम्भिक निवृत्ति। ऐसी निवृत्ति, जिसके बाद कभी भी किसी भी प्रकार के दुःखानुभव की आशंका नहीं रह जाती है। महर्षि कणाद ने धर्म के इसी धर्म लक्ष्य को 'बैशेषिकसूत्र' के प्रथम अध्याय में निरूपित करते हुए लिखा है—'जो सबको समान रूप से अभ्युदय की ओर ले जाये और सब को बल्याण का मार्ग दिखाये, वही धर्म है' (यतोऽभ्युदयानि - श्रेयसांसिद्धि स धर्म)। रहन-सहन तथा आचार-विचार की परिशुद्धता ही अभ्युदय है और सासारिक सुखों से जुड़े हुए दुःखों के बन्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही निश्चयस् है। महर्षि कणाद का अभिमत है कि धर्माचरण से उत्पन्न द्रव्यादि पदार्थों के साधर्म्य-वैधर्म्य द्वारा निष्पन्न जो तत्त्वज्ञान है, वही धर्म है और उसके आचरण से ही मोक्ष की उपलब्धि होती है।

मीमांसादर्शन का मुख्य विषय धर्म का प्रतिपादन करना है। विभिन्न दर्शनों में धर्म की जो परिभाषाएँ निरूपित हैं और उनके सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये हैं, मीमांसाकार जैमिनि ने उनका खण्डन कर धर्म की उस सार्वभौम सत्ता का निरूपण किया है, जो लोकातीत भी है और लोकगोचर भी। उन्होंने धर्म का लक्षण करते हुए लिखा है 'वेद के बोधित होने पर साक्षात् या फलोपलब्धि के द्वारा, जो अनर्थ से रहित और दृष्ट की सिद्धि करने वाला है, वही धर्म है'। मीमांसाकार की दृष्टि से विविधार्थ रूप धर्म का प्रयोजन अनर्थ निवृत्ति और दृष्टसिद्धि है। वह बलौकिक, अदृष्ट होता हुआ भी लोकानुभव से लौकिक एक दृष्ट भी है। उन्होंने वेद-विहित श्रेयसा के धर्म से धर्म का घातन करते हुए उसकी परिभाषा देते हुए लिखा है 'वेद-विहित अनुशासनो वा पालन करना ही धर्म है' (चौदनालक्षणोऽर्थो धर्म)।

मीमांसादर्शन में धर्म के तीन विशेषण बताये गये हैं—प्रयोजन, वेद-बोधिता और अर्थता। धर्म का प्रयोजन है अभ्युदय और निश्चयस् की सिद्धि। वेदबोधिता, अर्थात् विधि अर्थवाद तथा नामधेय उसके बोधक है। इसी प्रकार अर्थता, अर्थात् वह अनर्थरहित है। अनर्थता, अर्थात् हिंसा का प्रतिषेध ही

अर्थता है। इस अर्थता को स्पष्ट करने के लिए मीमांसाकार का अभिमत है कि कितनी वा अपघात करने के बाद धर्म का यह विधान नहीं है कि अमुक अनुष्ठान से उसकी दोष निवृत्ति या शुद्धि हो जाती है।

धर्म का प्रमाण

धर्म, क्योंकि अदृष्ट है, इन्द्रिय ग्राह्य विषय नहीं है। अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसे न तो सिद्ध किया जा सकता है और न जाना जा सकता है। जिन प्रमाणों से उसका प्रत्यक्ष किया जा सकता है, मीमांसादर्शन में उनकी संख्या आठ बताई गई है, जिनके नाम हैं—१. विधि, २. अर्थवाद, ३. मन्त्र, ५. आचार, ६. नभिधेय, ७. वाक्यशेष और ८. सामर्थ्य। ये आठो प्रमाण वेद पर आधारित हैं। अतः मीमांसादर्शन में धर्म की सिद्धि, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद को एक मात्र प्रामाण्य माना गया है।

धर्मज्ञान के लिए विधिज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए वैदिक विधि-वाक्यों को धर्म का मूल बताया गया है। मीमांसा की दृष्टि से वेद नित्य, शाश्वत एवं अन्तिम प्रमाण है, और वैदिक विधियाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक जीवन के उत्थान के साधन हैं। उनके निर्देशानुसार आचरण करना ही 'कर्तव्यता' है। कर्तव्यता के आचरण से हमें अकर्तव्यता का बोध स्वतः ही हो जाता है। कर्तव्यता का अनुसरण-पालन और अकर्तव्यता का परित्याग-अनासक्ति ही आर्यजीवन का सर्वोच्च लक्ष्य रहा है। इन दोनों का ज्ञान वैदिक विधि-वाक्यों में निहित है। वैदिक विधि-वाक्य समस्त मानव जगत् के कर्तव्यों और अनुशासनों के निरूपक हैं। किसके लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, क्या ज्ञातव्य है, क्या अज्ञातव्य है, इनके मूलस्वरूप का बोध ही कर्तव्यता है।

मीमांसा में वेद के इसी कर्मभाग का विवेचन किया गया है। इन कर्मों का पालन-अनुसरण करना ही धर्माचरण है। कर्म तीन प्रकार के बताये गये हैं—काम्य, प्रतिपिद्ध और नैमित्तिक। स्वर्ग-प्राप्ति की कामना से किये गये कर्म 'काम्य', अनर्थकारी कर्मों का सर्वथा परित्याग 'प्रतिपिद्ध' और सन्ध्या-वन्दनादि, हवन श्रद्धादि अहेतुक कर्मों को नियमित रूप से करते रहना ही 'नैमित्तिक' है।

इन त्रिविध कर्मों का निष्ठापूर्वक परिपालन करने से स्वर्ग प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्ति होती है। निरतिशय सुख की अपरावस्था ही स्वर्ग है और परम निःश्रेयस् की स्थिति ही मोक्ष है। इनका अर्थ एवं परमार्थ, लौकिक एवं अलौकिक दोनों दृष्टियों से महत्त्व है। समस्त जागतिक प्रपञ्चों से आत्मा का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना ही 'मोक्ष' है।

धर्म की अनन्त शाखाएँ

मूल मानव सभ्यता के विकास के साथ धार्मिक विश्वासों की विभिन्न शाखाओं का उदय हुआ। इस पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति काल से अब तक धर्म के जिन विभिन्न रूपों का विकास हुआ, उनकी ठीक सख्या का निर्धारण करना कठिन है। फिर भी इस विषय पर विद्वानों ने जो अभिमत प्रकट किये हैं, तमस्त विश्व में समय-समय पर जितने धार्मिक ग्रन्थों का उदय हुआ, उनकी अद्यावधि सख्या लगभग दस हजार से कम नहीं है। उनमें से लगभग एक हजार शाखाओं का अकेले भारत में सम्बन्ध रहा है। ये धर्म शाखाएँ अपने विभिन्न परिवेशों में उदय और अस्त होती गईं और इसलिए अधिकतर ऐसी हैं, जिनके जन्म तथा विकास का कोई इतिहास नहीं है। किन्तु सभ्यता के मूल स्रोतों से उनके अस्तित्व का पता चलता है।

भारत में परम्परा से जिन धर्मों का उदय हुआ और उनमें से जितने धार्मिक मत मतान्तर विद्यमान हैं, उन सबकी मूल प्रवृत्तियों का आधार वेद रहा है। यहाँ तक कि स्वयं की वेद भिन्न कहने वाले, लोकायतिक, जैन-बौद्ध आदि धर्मों की मूल विचारधाराओं का मूलस्रोत वेद ही रहे हैं। वैचारिक भिन्नता के कारण आस्तिक और नास्तिक के जो मतभेद हुए, वे बहुत बाद के हैं। जिस रूप में उनकी मूल प्रवृत्तियाँ वेदों में देखने को मिलती हैं, उस रूप में वे इतनी विरोधी नहीं रही।

भारत में जितने धर्मों का उदय हुआ, उन सबका विश्लेषण करना संभव नहीं है। किन्तु भारत के जन-मानस में अपनी प्रौढ़ परम्परा को अक्षुण्ण बनाये हुए जो धर्म शाखाएँ आज विद्यमान हैं, अथवा जो आज वर्तमान नहीं भी हैं, किन्तु जो अपने अस्तित्व के प्रमाण छोड़ गये हैं, उन सबका यथा-समय सर्वांगीण परिचय देने का इस पुस्तक में प्रयास किया गया है।

धर्म और कर्तव्यता

इस नाना नामरूपात्मक समष्टि का आधार धर्म है। समष्टि में संचालित समस्त धर्म व्यापारों की शृंखला धर्म से आवद्ध है। जितनी भी लौकिक धारणाएँ हैं, उन सबका सम्बन्ध धर्म से है, किन्तु धर्म का यह आशिक परिचय है। वास्तव में धर्म लौकिक कर्तव्य शाखा मात्र नहीं है, यद्यपि उसमें कर्तव्य का भाव भी परिनिष्ठित है। यह सार्वभौमिक एवं अविभाज्य है। हिन्दुओं, बौद्धों, वैष्णवों, शैवों तथा जैनों आदि सभी धर्मावलम्बियों के लिए यह समान है। भारत के सभी सार्वभौमिक मत तथा सम्प्रदाय धर्म के इसी स्वरूप को स्वीकार एवं प्रतिपादित करते हैं।

धर्म एक सर्वोपरि निर्देश है, जो मनुष्य को कर्तव्य-पालन की ओर प्रवृत्त करता है। धर्म एव ऐसी कर्तव्य-भावना है, जो हमें ईश्वर के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, माता पिता, स्त्री-बच्चों, सामाजिकों, राष्ट्र के प्रति और वस्तुतः समस्त प्राणि-जगत् के प्रति कर्तव्य-निर्वाह के लिए प्रेरित एव उन्मुख करती है। धर्म मनुष्य को ऐसे कर्मों के सम्पादन के लिए प्रवृत्त करता है, जिनमें स्वार्थभावना नहीं, अपितु परमार्थ-भावना निहित होती है। 'गीता' तथा उपनिषदों में कहा गया है कि 'जो व्यक्ति नि स्वार्थ भाव से परम तत्त्व के निमित्त अपने समस्त कार्य अर्पित करके कर्तव्य-निष्ठ बना रहता है, वह अमृत नहीं होता, स्थिर बना रहता है।

उपनिषदों में कहा गया है कि जो अन्य व्यक्ति को अपने भीतर और स्वयं को दूसरे के भीतर समाहित कर देखता है वह शुद्ध अन्तःकरण वाला, राग द्वेष रहित, मोह-शोक रहित और विवेकी है। कुछ लोगों का मत है कि भाग्यवादी होने के कारण हिन्दू समाज मानवीय पुरुषार्थ के महत्त्व को स्वीकार नहीं करता है, किन्तु हिन्दुत्व की धारणा में पुरुषार्थ को धर्म पर आधारित माना गया है। हिन्दू दर्शन में मनुष्य को अपने विहित कर्म को करने की पूरी स्वतन्त्रता है। इसलिए वह भाग्यवादी होता हुआ भी कर्तव्य-परायण होने के कारण अपने भाग्य का विधापक स्वयं ही है। उसके भाग्यवाद में कर्मवाद सहज रूप में अनुस्यूत है। इस प्रकार कर्मानुस्यूत भाग्यवाद उसे उत्तरदायित्व के महान् आदर्श से सन्निहित किये हुए है। इसलिए धर्म तथा कर्तव्य में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, अपितु धर्म मनुष्य को कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है।

धर्म की सनातनता

धर्म को इतिहास की काल मर्यादा में बाधना न तो संभव है और न उचित। वह अनादि और सनातन है। जैसे-जैसे मानव-सम्प्रदाय-संस्कृति का उदय तथा विकास हुआ, और मनुष्य का धरती के विभिन्न अंचलों में प्रसार होता गया, उसके मन में धर्मभावना का स्वतः उदय हुआ। उसने अपने विश्वासों तथा परिस्थितियों के अनुसार धर्म की मर्यादाओं को स्वीकार किया।

अनादि काल से चले आ रहे धर्म को ही 'सनातन धर्म' कहा गया है। धर्म सदाभव, नित्य और निश्चल (अचल) है। वह अनादि काल से मानवता द्वारा वरण किया जाता रहा है। 'भगवद्गीता' में उसे नित्य और अचल कहा गया है—'नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातन'। ये दोनों विशेषण आत्मा (स्थाणु) के हैं, जिसका स्वभाव, प्रभाव और गुण-कर्म सनातन अविचल

और नित्य हैं। यही उसकी सनातनता है। जो धर्म और दर्शन आत्मा में सन्निहित होकर चलते हैं, जिनमें आत्मा का स्वभाव तथा आत्मा की प्रकृति समन्वित होती है, उसी के द्वारा व्यक्ति और समाज का कल्याण तथा हित होता है। समस्त पुरातन वाङ्मय में धर्म के महत्व पर विस्तार से विचार किया गया है। वेदों पुराणों और धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में धर्म को मानव के हित और कल्याण का साधन कहा गया है। उसका आदि, मध्य और अन्त सभी कुछ कल्याणमय एवं श्रेयस्कर है।

वर्तमान विश्व की जितनी भी अतन्त धर्म शाखाएँ हैं, उनका मूल स्रोत एक ही है और उसे ही 'सनातन' कहा गया है। बाद में कुछ लोगों ने 'सनातन' को एक वर्ग विशेष में सीमित करके प्रचारित किया। किन्तु धर्म की सनातनता का उसे पर्याय तथा आशय नहीं माना जा सकता है।

धर्म की अलौकिकता

अलौकिक उसे कहते हैं, जो लौकिक नहीं है। लौकिक वस्तु वह है, जो सर्वसाधारण द्वारा देली जा सकती है, अथवा जिसका अनुमान लगा कर पता किया जा सके। अपने अनुभव, प्रयोग तथा आँसु जादि इन्द्रियों से जिस वस्तु के अच्छे-बुरे गुणों और छोटे-बड़े आदि धर्मों को जाना जा सके, वे वस्तुएँ लौकिक हैं। इसके विपरीत अनुभव-प्रयोग तथा इन्द्रिय आदि के द्वारा जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, वे अलौकिक हैं। आत्मा, ईश्वर, पूर्वजन्म, स्वर्ग, अपवर्ग और मोक्ष आदि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित विषय अनुभव-प्रयोग-ग्राह्य न होने के कारण अलौकिक हैं। जिनकी दृष्टि दिव्य हो चुकी है और जो त्रिकालज्ञ श्रुति, महात्मा, योगी, पैगम्बर और अवतार आदि हुए हैं, उन्होंने अलौकिक वस्तुओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वही सत्य है और उसी को 'धर्म' कहा गया है। धर्म की यही अलौकिकता है। सर्वतोभावेन श्रेयस्कर होने के कारण मानवता के लिए धर्माचरण आवश्यक बताया गया है।

धर्म का निर्धारण

शिष्टों के विचार ही धर्म के मूल हैं। यदि धर्म के सम्बन्ध में कोई संशय उत्पन्न हो, अर्थात् यदि देश, काल, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाये कि जिसके समाधान या निर्णय के लिए प्राचीन धर्मग्रन्थों, या श्रुतियों तथा स्मृतियों की व्यवस्था चरितार्थ न हो, तो शिष्ट ब्राह्मण मन्त्र्य विचार करके जो निर्णय दें, उसे ही निरतिशय रूप में, आशय रहित होकर धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए—

'यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्याददावित' ।

शिष्ट ब्राह्मण के सम्बन्ध में मनु ने कहा है—जो इतिहास पुराणों के सहित धर्ममूलक वेदों के ज्ञाता हो और जिन्होंने वेदोक्त धर्म-कर्म ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ या प्रत्यक्ष किया हो, उन्हें शिष्ट समझना चाहिए—

धर्मोणाधिपतो यैस्तु वेद सपरिवृहण ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुतिप्रत्यक्षहेतव ॥

इतिहास पुराणों का ज्ञाता इसलिए कहा गया है कि वे ही वेद के चक्षु हैं। उनको जाने बिना वेदार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' में उन्हें पञ्चम वेद कहा गया है, ऐसा बहुश्रुत ही शिष्ट है। बहुश्रुत इसलिए कहा गया है कि जो केवल एक शास्त्र को जानता है, वह अल्पज्ञ या अल्पश्रुत है (नह्येकमेव शास्त्र जानान किञ्चिदपि शास्त्र जानाति)। इसलिए जो समस्त विद्याओं तथा शास्त्रों का ज्ञाता है, वही बहुश्रुत, अथवा शिष्ट है। विश्व का कोई भी राष्ट्र इसी प्रकार के शिष्टों द्वारा चरण किये गये धर्म, अर्थात् कायदे-कानून, नीति नियम (आम्नाय) पर जीवित होता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की स्थिरता के लिए कानूनो या नियमों की व्यवस्था आवश्यक है। विश्व के पुरातन धार्मिक इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि धर्म की स्थापना का कार्य राजपुरुष (शासक) के हाथों न होकर शिष्ट जनों के द्वारा होती आयी है। 'शारीरकभाष्य' (१।३।२५) में लिखा है—'अधिकारी भेद से धर्मभेद होता है। देश, काल और निमित्त के भेद से धर्मभेद होता है। जिस स्थान पर खड़े होकर हम देखते हैं, उस स्थान के बदल जाने से हमारी दृश्या दृष्टि (दृश्यरूप) परिवर्तित हो जाती है। एक देश, काल, पात्र, निमित्त और कर्म के विशेष से एक व्यक्ति के लिए जो धर्म है, दूसरे व्यक्ति के लिए देश, काल, पात्र, निमित्त और कर्म के विशेष से वह अधर्म है' (यस्मिन् देशे काले निमित्ते च यो धर्मोऽनुष्ठीयते स एव देशकालनिमित्तान्तरेऽप्यधर्मो भवति)।

इसी प्रकार की विशेष परिस्थितियों में धर्म की अवधारणा के लिए धर्मार्थियों ने समयानुक्रम नयी व्यवस्था दी है। 'याज्ञवल्क्यस्मृति' में कहा गया है कि देश, काल आदि की दृष्टि से मनुष्य आवश्यकतानुसार धर्म का निर्धारण कर सकता है। वेद पर प्रतिष्ठित जो धर्म है, उसके ज्ञाता चार व्यक्तियों या संगोपाय तीनों वेदों के ज्ञाता जनों की परिषद्, अथवा एक ही अध्यात्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ जो भी निर्णय कर दे, उसी को धर्म मानना चाहिए—

चत्वारो वेदधर्मज्ञा पर्यद् त्रैविध्यमेव च ।

सा ब्रूते य स धर्म स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तम ॥

‘सिष्ट’ की दृग् अवधारणा के अनुरार यदि आज के समाज में धर्म-व्यवस्था या धर्म निर्णय का आचरण किया जाये, तो अनेक समस्याएँ स्वयमेव सुलभ सकती हैं। आज के समाज में धर्माचरण तथा धर्म-निर्धारण की दृष्टि में भले ही परिवर्तन अवलक्षित हो, किन्तु मूल धर्म-समन्वय की शाश्वत स्थिति तभी टाई जा सकती है, जब धर्म के निर्धारण करने वाले सिष्टों का आदर-सन्मान हो।

धर्म के उपादान

सामारिक वस्तुओं की उनकी आकृति या स्वरूप से पहचाना जाता है। उसकी आकृति या स्वरूप के निर्धारक उसके अंग-उपाय हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी वस्तु के परिचयात्मक ज्ञान के साधन, चिह्न या लक्षण ही उनके उपादान हैं। ‘मनुस्मृति’ और ‘याज्ञवल्क्यस्मृति’ में धर्म के परिचयाक दस लक्षणों या उपादानों के नाम हैं—१ धैर्य, २ क्षमा, ३ दम, ४ अस्तेय, ५ शौच, ६ इन्द्रिय निग्रह, ७ धी (शास्त्रज्ञान), ८ विद्या, ९ सत्य और १० अक्रोध।

(१) धैर्य—अनेक प्रकार की बाधाओं के उपस्थित होने पर भी आरम्भ किये गये किसी कार्य को अटल विश्वास के साथ पूरा करना ही ‘धैर्य’ है। धैर्य मनुष्य के साहस, उत्साह और सफलता का कारण है। ऐसे धैर्यवान् पुरुषों को ‘श्रेष्ठ पुरुष’ या ‘पुरुषसिंह’ कहा गया है। वे न तो निन्दा से ध्वरते हैं, न प्रशंसा से विचलित होते हैं और सम्पत्ति तथा विपत्ति में समुद्र की भाँति गभीर तथा पर्वत की भाँति अचल बने रहते हैं। धर्म जिस मार्ग का निर्देश करता है, उस पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति ही धैर्यवान् है।

(२) क्षमा—सुख-दुःख, हर्ष-विषाद और मानापमान को समरस होकर अमृत के घूँट की भाँति पी जाना ही ‘क्षमा’ है। क्षमा, विषयता नहीं है। किसी बन्धवान् के मग्गुल निर्बलता के कारण अपमान सहकर चुप हो जाना क्षमा नहीं है। क्षमा में उदारता का भी भाव निहित है। बलवान् निर्बल के प्रति, विद्वान् मूर्ख के प्रति और धनवान् निर्धन के प्रति उदारता का आचरण करते उनके अपराधों को महन कर लेते हैं, वे क्षमाशील हैं। क्षमा, सत्पुरुषों का धामूपण है। क्षमाशील लोगों के शत्रु भी एक बार मित्र बने जाते हैं। महापुरुषों के महान् गुण ‘क्षमा’ को इसीलिए धर्म का एक उपादान कहा गया है।

(३) दम—मन, इन्द्रियों का स्वामी है और इन्द्रियों तथा आत्मा के शीष का माध्यम है। उस पर नियंत्रण रखना ही ‘दम’ है। दम का आश्रय

लेकर ही योगी योगाभ्यास कर सकता है, कवि काव्यमृष्टि कर सकता है, चित्रकार चित्र बना सकता है और विद्यार्थी विद्या की प्राप्ति कर सकता है।

शरीर के भीतर विद्यमान यह मन जीवों का परम शत्रु है। उस पर नियंत्रण रखना अमहज है। वह इतना चंचल, हठी और बलवान् है कि वायु को भी बस में किया जा सकता है, किन्तु मन को नहीं, इस मन की चंचलता से अदिवेक की सृष्टि होती है। उस पर निग्रह करने के लिए श्रीकृष्ण ने 'गीता' (६।३४) में अर्जुन को अनेक उपाय बताये थे। निग्रही पुरुष को शान्ति, सुख, आनन्द और अम्युदय की उपलब्धि होती है। इसी हेतु 'दम' को धर्म का उपादान कहा गया है।

(४) अस्तेय—धर्म में एकनिष्ठ होकर अपनी जीविका को चलाते हुए प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से किसी की भी कोई वस्तु को न चुराना ही 'अस्तेय' है। चोरी मनुष्य तब करता है, जब वह निर्धारित कर्तव्यों के प्रति विमुख हो जाता है। चारों वर्णों और आश्रमों के लिए जो कर्तव्य निश्चित किये गये हैं, जब कोई उनका उल्लंघन करता है, तो वह चोरी करता है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दोनों अवस्थाओं में निर्धारित कर्तव्यों की अवहेलना स्पष्ट चोरी है। जो वस्तु अपनी नहीं है, उस पर अपना अधिकार स्थापित करना भी चोरी है। जो जिस योग्य नहीं है, अनुचित साधनों द्वारा अपने को उस योग्य बताना भी चोरी के अन्तर्गत है।

धर्म तथा न्याय से अर्जित वस्तु ही अपनी है। वह भले ही अपर्याप्त हो, किन्तु उसी से सन्तोष करना चाहिए। चोरी से ली गयी अधिक वस्तु बुरी है। वह अनिष्टों तथा कष्टों की जननी और प्राणों की घातक है। धर्म की दृष्टि से चोरी स्पष्ट अन्याय है और अन्याय से उपार्जित वस्तु वस्तुतः अन्याय का ही कारण होती है। इसलिए मनुष्य न्याय, सच्चाई तथा निष्ठा से धर्म पूर्वक अर्जित वस्तु का ही उपयोग करे।

(५) शौच—सर्वतोभावेन विशुद्धावस्था का नाम 'शौच' है। वह दो प्रकार की है—बाह्य और आभ्यन्तर। शरीर वस्त्र, निवास, भोजन तथा श्रेष्ठहार का सम्बन्ध बाह्य शौच से है। इन्द्रिय, मन, अन्तःकरण और बुद्धि की पवित्रता आभ्यन्तर शुद्धि है। बाह्य शुद्धि जल, मृत्तिका, साबुन, गोबर, गोमूत्र तथा नगाजल आदि के तेज से होती है और आभ्यन्तर शुद्धि के साधन हैं अध्ययन, तप और ज्ञान।

नित्य के व्यावहारिक जीवन में भी यह देखने तथा अनुभव करने को मिलता है कि स्नान तथा व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग पुष्ट एवं स्वस्थ रहते हैं, सत्साहित्य का अध्ययन, सत्पुरुषों का ससर्ग और तपश्चरण

शरीरेन्द्रिय, मन आदि की मन्दीनता को क्षीण कर देते हैं। इसलिए धर्माचरण के लिए जीवन में शौच का व्यवहार करना आवश्यक है।

(६) इन्द्रिय-निग्रह—इन्द्रियों को विचलित न होने देना, स्ववश में रखना ही 'इन्द्रिय-निग्रह' है। ये इन्द्रियाँ सख्या में दस हैं पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रिय। पाँच कर्मेन्द्रियाँ के नाम हैं—मुख, हस्त, पाद, मलद्वार और जननेन्द्रिय। इन्हीं प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रियों के नाम हैं—आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा।

पाँच कर्मेन्द्रियों के क्रमशः कार्य हैं—मुख से चोखना, हाथ से किसी वस्तु को लेना या कोई कार्य करना, पैर से चलना, मलद्वार से मलत्याग करना और जननेन्द्रिय से कुलरक्षा के लिए सन्तान को उत्पन्न करना। इन कर्मेन्द्रियों के निग्रह का लक्ष्य यह है कि मुख से ऐसी वाणी का प्रयोग किया जाये, जो सुनने वाले को अच्छी लगे। हाथों द्वारा ऐसे कार्य किये जाने चाहिए, जो स्वयं और अन्य के लिए हितकर हों, पैरों में ऐसे स्थानों का गमन करना चाहिए, जो श्रेय-धर्म के निधायक हों, मलद्वार में नित्यप्रति नियमित रूप से मलत्याग करने से पाचन-क्रिया ठीक रहे तथा स्वास्थ्यलाभ हो, और जननेन्द्रिय से उतनी ही सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए, जो कुलरक्षा के लिए यथेष्ट हों और जिनका पालन-पोषण किया जा सके तथा जिनको शिक्षा दी जा सके।

पाँच ज्ञानेन्द्रियों—आँख, जीभ, कान, त्वचा और कान में क्रमशः रूप, रंग, गन्ध, स्पर्श और शब्द का ज्ञान होता है। ये पाँचों ज्ञान क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में रहते हैं। इन ज्ञानेन्द्रियों के बिना मनुष्य को ज्ञान-प्राप्ति नहीं हो सकती है। आँखा से भन्नी बुरी वस्तुओं को देखना, जिह्वा में कड़वे-मीठे पदार्थों का स्वाद लेना, नासिका से मुगन्ध-दुर्गन्ध का अनुभव करना, त्वचा से कोमल-कठोर वस्तुओं का स्पर्श करना और कान से कोमल-कठोर शब्दों को सुनना—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। ज्ञानेन्द्रियों को इन विषयों में लिप्त होने से रोकना और उन्हें ईश्वरोग्मुख्य करना ही 'इन्द्रिय निग्रह' है। इन्द्रियों की यह वदयता इस प्रकार हो कि जिसमें वे यथा-मुमुक्षु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अर्जन में लगे रहें।

(७) धी—बुद्धि, विवेक का शास्त्रज्ञान ही 'धी' है। जीवों में मनुष्य की वरिष्ठता का कारण यह है कि उसमें बुद्धि या विवेक रहता है, वह कर्तव्या-वर्तव्य का निश्चय कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान है, जो स्वयं मुली रहकर दूसरों के मुल का ध्यान रखता है। जो बात अपने लिए हितकर तथा कल्याणकर है, वही दूसरों के सम्बन्ध में भी चरितार्थ हो सकती है। 'अपने लोभा के माय उदारता, दूसरों पर दया, बुरों के माय शठता, सज्जनों के

साथ प्रेम, दुष्टों के साथ अभिमान, विद्वानों के साथ विनयशीलता, शत्रुओं के साथ धूरता, बड़ों के साथ धमा और स्त्रियों के साथ चातुर्य—इस प्रकार के व्यवहार कुदाल लोग ही वास्तव में बुद्धिमान हैं।

एक अन्य नीतिश्लोक में कहा गया है कि 'परिपक्व अन्न, बुद्धिमान बालक, भली भाँति सिखायी गयी स्त्री, अच्छी तरह प्रसन्न किया हुआ राजा, सोच विचार से की गई बात और ठोक पीट कर किया गया कार्य—ये सभी चिरकाल तक स्थिर रहते हैं'। अतएव बुद्धिबल के लिए धर्म के इस उपादान का सम्यक् आचरण करना चाहिए।

(८) विद्या—ज्ञान ही 'विद्या' है। ससार की जितनी भी प्रत्यक्ष परोक्ष वस्तुएँ हैं, उनको ज्ञानोपलब्धि विद्या से ही संभव है। विद्या, मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा गया है, जिसका आधय गुरु है। भारतीय सस्कृति में गुरुजनों को सभी इतना आदर दिया गया है। वस्तुतः गुरु ही दूसरे जन्म के प्रदाता हैं। इसलिए विद्योपाजर्न के लिए माता पिता-गुरु, इस त्रयी की आज्ञाओं का परिपालन अनिवार्य बताया गया है।

हमारे नीतिकारों ने सांसारिक धर्म का प्रतीक मानकर उसकी सदाशयता तथा मानवोपदेयता के सम्बन्ध में भी ललित बातें कही हैं। कहा गया है कि विद्या ही माता की तरह हमारी रक्षा करती है, पिता की तरह हित में योजित करती है पत्नी की तरह छेद को दूर कर मनोरंजन करती है और धन सम्पत्ति प्रदान कर लोक में यस बढ़ाती है। इसीलिए विद्या को धर्म का एक उपादान माना गया है।

(९) सत्य—जिस बात को जैसे पढ़ा जाये, देखा जाये या सुना जाये, उसका ठीक वैसा ही आचरण करना 'सत्य' है। भारतीय धर्म सत्य पर अधिष्ठित रहा है। ऋग्वेद के एक मंत्र (१०।८५) में कहा गया है कि 'जिस प्रकार तु लोक को सूर्य ने धारण किया हुआ है, उसी प्रकार इस पृथ्वी लोक को सत्य ने धारण किया हुआ है (सत्येनोत्तमिता भूमि सूर्येणोत्तमिता धी)। वेदों में सत्य का संरक्षण करना आवश्यक बताया गया है। 'असत्य वा परित्याग और सत्य का आचरण करने वाले पुरुष ही सन्धे अर्थों में ज्ञानी तथा विद्वान् हैं'।

सत्य ही श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ ज्ञान है। वह आत्मा और बुद्धि का प्रकाशक है। जो सत्यवादी है। उसी के अन्तःकरण में ईश्वर का निवास है, क्योंकि ईश्वर सत्यस्वरूप है।

सत्य धर्ममूलक है। 'रामायण' (अयोध्याकाण्ड, सर्ग ११२, ११८) में महामुनि जाबालि ने राम को जो भौतिकवादी उपदेश दिया था, उसको

अस्वीकार करते हुए राम ने सत्य की महिमा को सर्वोपरि स्थापित करते हुए कहा है—'हे महामुनि, सच्चरित्र ही मनुष्य की कुलीनता-अकुलीनता, पवित्रता-अपवित्रता और धीरता-कायरता का मूल है। प्राणिमात्र पर दया करने वाला सनातन राजधर्म ही सत्य है। राज्य और लोक दोगो सत्य पर आधारित हैं। ऋषियां तथा देवताओं ने सत्य को ही कल्याणप्रद माना है। सत्य ही इस लोक में अक्षय ब्रह्मलोक को देने वाला है। लोक में धर्म की पूति सत्य से ही होती है। अतः सत्य ही धर्म का मूल है। वही ईश्वर है। इस समस्त ससार का मूल सत्य (ईश्वर) ही है। अतः सत्य से बढ़कर दूसरा पद नहीं है। मैं सत्य-प्रतिज्ञा हूँ और अविचल भाव से पिता के सत्य वचन का पालन करूँगा। जो मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, वह धर्मच्युत है और ऐसा बचल मनुष्य यदि देवता और पिता को द्रव्य दान करता है, तो वह व्यर्थ जाता है'।

अपनी सत्य-प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में राम ने इसी सन्दर्भ में कहा है— 'लक्ष्मी चन्द्रमा को भले ही छोड़ दे, हिमालय अपनी शीतलता का परित्याग कर दे और समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे, किन्तु मैं अपने पिता के वचन पालन की प्रतिज्ञा को नहीं त्याग सकता हूँ'—

लक्ष्मीचन्द्रादयेयाद्वा हिमवान्वा हिम त्यजेत् ।

अतीयात्सागरो वेला न प्रतिज्ञामह विवु ॥

(१०) अक्रोध—क्रोध का अविनाभाव से परित्याग ही 'अक्रोध' है। जैनधर्म में क्रोध को गणना 'वपायो' में की गयी है और उसके द्वारा उत्पन्न दुष्परिणामों पर गभीरता से विचार किया गया है। 'गीता' में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छह मानसिक विकारों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, उसने वस्तुतः स्वयं को और सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है। किन्तु जो मनुष्य इन छह विकारों में से किसी एक के भी बन्ध में है, निश्चित ही वह सक्त में है।

क्रोध एक ऐसा अभिशाप है, जिसके बन्ध में होकर मनुष्य सर्वस्व भूल बैठता है। उसके विचारविचार की सारी शक्ति एव समस्त विवेक क्षीण हो जाता है। विवेक या विचारशक्ति के क्षीण हो जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस अवस्था में मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए क्रोध पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसा तभी संभव है, जब मनुष्य धर्ममय जीवन की अंगीकार कर ले।

धर्म की आवश्यकता

इस ससार में प्रत्येक रूप से यह देखा गया है कि प्रत्येक विवेक बुद्धि-

सम्पन्न मनुष्य के जीवन का एक मात्र लक्ष्य होता है—उत्तम सुख की प्राप्ति । ससार का यह सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की इच्छा करता है और दुःख की अनिच्छा । समस्त इच्छा-अनिच्छादि कार्य व्यापारों का केन्द्र हमारा मन या चित्त है । इस ससार में हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त या मनोन्द्रिय पर पड़ता है । जो बात चित्तवृत्ति के अनुकूल होती है उससे सुख और उससे विपरीत होने पर दुःख की अनुभूति होती है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मन की अनुकूलता-प्रतिकूलता ही सुख-दुःख के कारण हैं ।

मनुष्य सुखोपलब्धि के लिए धन, भोजन, यौवन, पुत्र, कला आदि की अभिलाषा करता है, किन्तु ये सभी सुखोपलब्धि के साधन क्षणिक होने के कारण अन्ततः दुःखकारक हैं । वे सुखाभास मात्र हैं सुखसत्य नहीं । वस्तुतः सुख भी दुःख की भाँति चित्त का एक विकार है । विकाररहित चित्त में जिस प्रकार दुःख का, उसी प्रकार सुख का भी कोई महत्त्व नहीं है । किन्तु इतनी परमोच्चावस्था प्राप्त करने के लिए, चित्त की सर्वथा निर्मलता के लिए, सुख-दुःख के कारणों का विश्लेषण करना आवश्यक है । जिन उपायों से सुख-दुःख के हेतुओं का विश्लेषण तथा अभिज्ञान होता है, उन उपायों की समष्टि का नाम ही 'धर्म' है ।

अतएव चित्त की निवृत्तावस्था को स्वाध्याय, आचार, अनुशासन, अम्प्रास द्वारा दूर करने के उद्योग से मानव जाति में धर्म की आवश्यकता हुई । सुख-दुःखातीत चित्त की परमोच्च अवस्था ही मोक्ष है । जिसे प्राप्त करने के लिए बासों या सिद्धों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है ।

धर्म के शास्त्रीय निर्देशों एवं उसकी अनुज्ञाओं की प्रयोजनीयता आज के वैज्ञानिक युग में सकटापन्न मानव जीवन की सुरक्षा के लिए और भी अधिक आवश्यक हो गई है । सुविदित है कि इस समय हम परिवर्तन एवं राक्षस के युग से गुजर रहे हैं । मानवीय एकता की एक नई धारणा के युग में जी रहे हैं । हमारे जीवन में, व्यवहार में और दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन की स्थिति व्याप्त है । विश्व मानवता का बड़ता हुआ सताप, असन्तोष विश्व को राजनीतिक रूप में तो छिन्न-भिन्न कर ही रहा है, भाषानात्मक रूप में भी विविधता के द्विखराव को जन्म दे रहा है । इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अज्ञान जीवन्त भावना को प्राप्त कर युग की विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगायें । हमें अपने मृतरूपों को छोड़ने और नये जीवन्त आदर्शों की रचना करने के लिए उद्यत होना चाहिए, यह तभी संभव है, जब हम धर्म को अहमियत को जाने, स्वीकार करें ।

यद्यपि विज्ञान और धर्म, दोनों मानवीय प्रतिष्ठा के बोध को बढ़ावा देने वाले साधन हैं, तथापि हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हमें प्रतिष्ठा की जगह अस्थिरता एवं सुरक्षा की अपेक्षा विनाश की ओर ले जा रही हैं। यदि हमें आत्मा की भूमि का निर्णय करना है, तो हमें अपने वर्तमान भौतिक प्रयत्नों को विनाशोन्मुखता को जान लेना आवश्यक है। यह वैज्ञानिक प्रगति हमें अगुरक्षा के अविश्वास के एक भयावह युग में ढकेल रही है। यदि हमें दम भयावह विनाशकारी निरर्थकता से मानवता को प्राण दिलाना है, तो विश्व में सार्वभौम, दान्तिपूर्ण राह अस्तित्व की पुनः स्थापना करने के लिए धर्म की उस शक्ति को उजागर करना होगा, जिसके द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति को अनुशासित किया जा सकता है।

यह धार्मिक आस्था एवं विश्वास ही मानवता को बढ़ते हुए भौतिक सकट से बचा सकते हैं। विश्व में जितने भी हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, जरायुश्च, यहूदी आदि धर्म हैं, वे आज इस केन्द्रविन्दु पर एकमत हैं कि यदि उनको विरोध, वैमनस्य, आलोचना और तर्कों का रास्ता छोड़कर विश्व की सामाजिक प्रगति का सशक्त आधार बनना है, तो मानव समाज में आस्था तथा विश्वास का वातावरण उजागर करना होगा। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विचरण करें, तो बीते हुए युग-युगान्तरो में धर्म की इस प्रयोजनीयता का प्रमाण हम स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे।

विश्व की समस्त मानवता एक है और यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि उसका उत्स भी अभिन्न है तथा उसकी नियति में भी कोई अन्तर नहीं है। उसकी नैतिकता, आध्यात्मिक आकाशाएँ समान हैं। पूर्व-पश्चिम शब्द तो आपेक्षिक हैं, भौगोलिक हैं, वे परम्परागत सांस्कृतिक मान-मूल्यों के बाहक अथवा पर्याय नहीं हैं। किसी भी देश की भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रगतिमाँ तो काल-सापेक्ष्य कही जा सकती हैं, किन्तु सभी युगों तथा कालों में मानव-अन्तस् में एकरस होकर बहने वाली अजलधारा तो धर्म की ही रही है। यद्यपि उसका ठीक यही रूप नहीं रहा जो कि आज है, और इसलिए अपने परिवर्तित रूप में, समस्त मानवता के निर्माण, रचना, विकास और उत्थान के लिए धर्म ही एक मात्र आधार बन सकता है। सम्पूर्ण विश्व में सार्वभौम दान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थापना धर्म के द्वारा ही सभव हो सकती है। विस्तारव की घुंघ में भटकती हुई मानवता और अस्तित्व एवं वचंस्व के अभिमान में तथा विनाश की होड़ में बड़ते हुए उन्मत्त विश्व को अनुशासनबद्ध करने का, स्वर्णिम भविष्य की आभा से प्रदीप्त करने का एकमात्र आधार या साधन 'धर्म' ही है।

इसलिए अतीत के सभी युगों में, वर्तमान में और कालान्तर में भी मानव सभ्यता की सुन्दरतम उपलब्धियों, धातियों की पहचान और उनकी सुरक्षा धर्मानुशासन से ही सम्भव है। अतीत की भाँति आज भी हमें धर्म की आवश्यकता है।

धर्म का लक्ष्य

विश्व में जितने भी धर्म-प्रवर्तक आचार्य तथा महापुरुष हुए हैं, उन्होंने लोकहित के लिए अपने-अपने दृष्टिकोण से धर्म-सहिता का निर्धारण किया है। मानव समाज को धर्माचरण कर्म करना चाहिए और धर्माचरण के प्रति पालन का लक्ष्य क्या है, इस सम्बन्ध में विभिन्न धर्मवेत्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

'महाभारत' के 'शान्तिपर्व' में देव-स्थान मुनि द्वारा महाराज युधिष्ठिर को जिस उत्तम धर्म का उपदेश दिया गया था और धर्म का लक्ष्य समझाया गया था, उसका सारांश इस प्रकार है—'किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जिस धर्म का पालन होता है, वही साधु पुरुषों के मत से उत्तम धर्म है। किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, समस्त प्राणियों को उनका यथायोग्य भाग देना, सभी के लिए हृदय में दया-भाव रखना, मन तथा इन्द्रियों का समन्वय बनाये रखना, चारित्रिक शुद्धता पर ध्यान रखना और लज्जा, मर्यादा एवं गम्भीरता आदि गुणों को ग्रहण करना—यही 'श्रेष्ठ धर्म' है। इस श्रेष्ठ धर्म का प्रतिपादन स्वयम्भुव मनु ने 'मनुस्मृति' में किया है और उसी का व्याख्यान धर्मराज युधिष्ठिर ने 'महाभारत' में किया है।

जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी और तथागत बुद्ध ने धर्म के उक्त लक्ष्य को अपने जीवन में उतारा और साथ ही उसे जन जीवन में भी चरितार्थ किया। महावीर स्वामी ने धर्म के परम लक्ष्य के सम्बन्ध में लोगों से कहा—'हे मनुष्यों, किसी भी प्राणी, किसी भी जीव और किसी भी सत्त्व को न तो मारना चाहिए, न किसी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए, और न किसी का भी अनिष्ट करना चाहिए। यही बुद्ध, सत्य और शाश्वत धर्म है'।

इसी प्रकार जैन-आचार्य गुणभद्र ने कहा—'धर्म सुख और कल्याण का हेतु है। कारण कभी भी कार्य का विनाशक नहीं होता है। इसलिए धर्म के परिपालन से आनन्द में बाधा उत्पन्न होगी, ऐसा तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए'।

धर्म के इसी मानव मंगलकारी लक्ष्य की ओर निर्देश करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा है—'हे भिक्षुओं, तुम लोक में ऐसे धर्म का उपदेश करो, जिसके आदि, मध्य और अन्त में कल्याण ही कल्याण निहित हो'।

धर्म के अन्य भी लक्ष्य या उद्देश्य हैं, आधुनिक विश्व में बढ़ती हुई वैज्ञानिक होड़ को कम करने में जिनकी उपादेयता और भी बढ़ जाती है। प्रभुत्व की स्थापना के लिए घृणा तथा हिंसा का जो वातावरण व्याप्त है, उसका प्रतिरोध प्रेम, अहिंसा तथा शान्ति से ही किया जा सकता है। जातीय हठधर्मिता, अधिकारों की भूख और अहं का अभिमान—इन दुःसाध्य समस्याओं को धर्म की सार्वभौम भावना ही मिटा सकती है। डाक्टर राधा-कृष्णन् का अभिमत है कि 'धर्म का उद्देश्य इस विश्व की विभाजित चेतना, कलहों और द्वन्द्वों से हमें उपर उठाकर सामरस्य, स्वतंत्रता और प्रेम की दुनिया विकसित करने में हमारी मदद करता है'।

धर्म को निजी वस्तु मानकर तथा दलगत या वर्गगत समस्याओं को उससे जोड़ कर जो धर्मनेता अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वस्तुतः वे धर्म को घोसा देने के कारणस्वरूप हैं। धार्मिक उपद्रवों, हस्तक्षेपों, अत्याचारों, कट्टरताओं और दलबन्धियों ने धर्म के इतिहास के पृष्ठों को कलंकित किया है। जमीन और अन्न के लिए लड़ना, विभाजन, निष्कासन तथा राष्ट्रीय विसण्डन के लिए हिंसा का आश्रय लेना, बल का प्रयोग करना धर्म की सार्वभौमिकता पर कालिख पोतना है। स्वयं को श्रेष्ठ मानकर धर्म के नाम पर दूसरों की आस्थाओं को नकार देना, धर्म के उच्चादर्शों, उसकी सनातन सत्ता को मिटा देना है। नैतिक आचरणों का त्याग कर धर्म के नाम पर समाज के बिसरारब या अलगाव की कुचेष्टाओं का एक दिन ऐसा परिणाम होना भी संभव है कि कदाचित् धर्म ही न रहे। उस अधार्मिक, अनैतिक मानव समाज की क्या मान्यताएँ होंगी, इस भयावहता का अनुमान लगाना कठिन न होगा।

इसलिए यदि संसार को बचाना है, मानवता की रक्षा करनी है, मानव निर्माण घात-गहस्वों पूर्व की धरोहर की रक्षा करनी है, तो धर्म की चेतना को उजागर करना होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं है।

धर्म की दुनिया में आस्था का बहुत बड़ा महत्त्व है। आस्था स्वयंनिष्ठ होती है। ऐसी वस्तु जो न कभी देखी गई है और न जानी गई है, उसके प्रति विश्वास करना ही आस्था है। हम आस्थाओं के सहारे जीते हैं। आस्था जितनी घक्तिशाली और गहरी होती जाती है, मनुष्य में उतनी ही वितर्कता आती रहती है और अज्ञानजनित अस्थिरताएँ क्षीण होती रहती हैं तथा मृत्यु उतना ही स्पष्ट होता जाता है। आस्था मनुष्य को विवेक तथा तत्त्वज्ञान की ओर अप्रमत्त करती है।

धर्म का लक्ष्य सुख की प्राप्ति नहीं है, अपितु परिपूर्णता का विकास करना है। धर्म का लक्ष्य सत्तार को विकसित करना है और विकास के मार्ग में सघर्षों, कष्टों तथा पीड़ाओं का होना स्वाभाविक है। सघर्ष हमें अपनी अज्ञानताओं तथा अन्तर्विरोधों की समझ देते हैं और उस स्थिति में हम निर्माण की ओर बढ़ते हैं। अतः धर्म का लक्ष्य या उद्देश्य मानवता का निर्माण करना है।

धर्म का महत्त्व

समस्त पुरातन वाङ्मय में धर्म के महत्त्व पर विस्तार से विचार किया गया है। वेदों, पुराणों और धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में धर्म को मानव के हित और कल्याण का साधन बताया गया है। उसका आदि, मध्य और अन्त सभी कुछ कल्याणमय एवं श्रेयस्कर है। सत्तार में जितने भी सुख-दुःख, उत्थान-पतन और राग द्वेष हैं, सभी क्षणिक एवं अस्थिर हैं। यहाँ तक कि यह शरीर भी, जिसके लिए मनुष्य को सभी कुछ करना पड़ता है, वास्तव में विनाशशील है। यदि मनुष्य के साथ सतत स्थिर रहने वाली कोई वस्तु है, तो वह धर्म ही है। इसलिए शास्त्रकारों ने मानव मंगलकारी धर्म का परिपालन और उसका संरक्षण आवश्यक बताया है। धर्म ही मानव जगत् का रक्षक एवं पोषक है। उसके बिना प्रत्येक व्यक्ति असुरक्षित और अमहाय है। मनु ने कहा है—'यदि हम धर्म को ही मार डालेंगे, तो धर्म भी हमें मार डालेगा, और यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, तो वह भी हमारी रक्षा करेगा। अतः धर्म की अपने प्राणा से बढ़ कर रक्षा करनी चाहिए—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ मनु० ८।१५।

कौरव-पाण्डवों के सम्राट् को शास्त्रों में धर्मयुद्ध कहा गया है, और धर्म-ममन्वित होने के कारण 'महाभारत' को वीर या रौद्र रम का ग्रन्थ न मानकर शान्तिरस का ग्रन्थ माना गया है। 'महाभारत' को 'धर्मसहिता' की मान्यता प्राप्त है। 'भगवद्गीता' (३।३५) में कहा गया है कि 'अपने धर्म पर अडिग बने रहकर उसके परिपालन एवं आचरण में यदि निघन भी हो जाये, तो वह श्रेयस्कर है—'स्वधर्मो निघन श्रेय'।

सभी युगों और ममरत देशों के जन जीवन में धर्म का महत्त्व इसलिए भी है कि वह नियम और अनुशासन है। इस अनुशासन से ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। सूर्य चन्द्र और दिन-रात को अखण्डता एवं निरन्तरता का आधार वही है। प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा-व्यवस्था नियमों के परिपालन से ही बनी रह सकती है। धर्म ही एक ऐसी सर्वहितकारी व्यवस्था है,

जिसके आदर्शों पर चलकर मनुष्य अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का परिपालन करता हुआ अपना तथा मानवता का कल्याण करता है। धर्मानुष्ठान से ही जीवन में सदाचार का उदय होता है, और तब मनुष्य अपने से बड़ों का सम्मान तथा अपने से छोटों को स्नेह करना सीखता है। धर्म ही हमें निर्देश करता है कि परोपकार, ईश्वरभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गुरुभक्ति और आत्मिय क्या है और उसके शुभकर परिणाम क्या हैं।

धर्म की हमारे जीवन में व्यावहारिक उपादेयता है। वह शारीरिक उन्नति और उत्तम स्वास्थ्य का भी कारण है। उसकी आश्रम-व्यवस्था का एक प्रयोजन यह भी है। धर्म ही हमें समय और आत्म-निग्रह की ओर प्रवृत्त करता है। वही हमारे मन, बुद्धि का परिष्कारक तथा आत्मतत्त्व का बोध कराने वाला है।

इस प्रकार धर्म मनुष्य की भौतिक तथा आध्यात्मिक, दोनों प्रकार की उन्नतियों का कारण है।

युगानुरूप परमधर्म आचार की स्थापना

भारतीय धर्म-संहिता में आचारों की श्रेष्ठता को बड़ा महत्त्व दिया गया है। पुराणकारों और धर्मशास्त्रकारों ने विशेष प्रयोजनवश आचारशास्त्र की स्वतंत्र रूप से व्याख्या की है। आर्यावर्त में प्रविष्ट आर्येतर जातियों को आर्य-संस्कृति में विलय करने के उद्देश्य से पुराणकारों ने 'युगधर्म' की नयी प्रस्थापना की। 'नारदपुराण' (२४।११) में स्पष्ट निर्देश किया गया है कि 'समस्त वर्णों को विचारपूर्वक युगधर्म का ग्रहण करना चाहिए और त्रिनका स्मृति धर्म से विरोध न हो, उन देशाचारों को भी अपनाना चाहिए'—

युगधर्मं परिग्राह्यो वर्णैरैतैर्यथोचितम् ।

देशाचारस्तथा ग्राह्य स्मृतिधर्माविरोधत ॥

देशाचाररहित लोकविद्विष्ट युगधर्म का आचरण करना नियम है। जो अपने आचार से हीन है, वह सागवेद और वेदांग में पारंगत होने पर भी पतित है, क्योंकि वह कर्म से हीन है—

य स्वाचारपरिप्रष्टः साङ्गवेदाङ्गोऽपि वा ।

स एव पतितो ज्ञेयो यतः कर्मबहिष्कृत ॥ ना० पु०, २४।१२

आचारहीन व्यक्ति को हरि या हरिभक्ति अथवा वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। जो अपने आश्रम तथा आचार से हीन है, वह नियम एवं पतित है। इस दृष्टि से आचारशास्त्र अपने-आप में एक स्वतंत्र शास्त्र है और स्मृति-कारों ने इसी रूप में उसकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। उसे व्यवहार-दर्शन, नीतिदर्शन तथा नीतिविज्ञान (एथिक्स) आदि नामों से भी कहा

गया है। इस शास्त्र में मानव जीवन के परम ध्येय पर विचार किया गया है, जिसकी प्राप्ति के लिए शुभ कर्मों का सम्पादन और अशुभ कर्मों का परित्याग बताया गया है। आचारशास्त्र यह भी बताता है कि अनुष्ठानयोग्य शुभ कर्मों के सम्पादन का विधान क्या है। उसमें नैतिक आचरण की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया है। नैतिकता का नियामक धर्म रहा है। नैतिक नियमों का पालन इसलिए किया जाता है कि वह धर्म को या ईश्वर को अभीष्ट है। कर्त्तव्यपालन ही इष्ट तथा साध्य वस्तु की प्राप्ति का उपाय है। इन दृष्टि से उसका सम्बन्ध आत्मोन्नति से है।

‘आचार’ लोक-संग्राहक धर्म का एक अंग है। प्राचीन धर्मविज्ञ आचार्यों द्वारा लोक संग्राहक धर्म को तीन भागों में विभक्त किया गया है—आचार, व्यवहार और प्रामश्रित्त। इसी रूप में स्मृतियों का विषय-विभाजन किया गया है। धर्म ग्रन्थों में इसलिए आचार को बड़ा महत्त्व दिया गया है। श्रुति तथा स्मृति के अनन्तर आचार को तीसरा स्थान दिया गया है। ‘मनुस्मृति’ (१।१०९) में कहा गया है कि ‘आत्मानुभूतिजन्य विधि ‘आचार’ का द्विजों द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए।

स्मृतिकारों ने आचार के तीन विभाग किये हैं—‘देशाचार, जात्याचार और कुलाचार। देश विशेष को दृष्टि में रखकर जो आचार परम्परा से प्रचलित हैं, उन्हें ‘देशाचार’ कहा जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में ‘मातुल’ कन्या से विवाह का प्रचलन है। जाति विशेष में जो आचार प्रचलित हैं उन्हें ‘जात्याचार’ कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ जातियों में सगे-ज विवाह विहित होते आ रहे हैं। इसी प्रकार कुलविशेष में प्रचलित आचार ‘कुलाचार’ के नाम से कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ आदिवासी कबीलों में कतिपय धार्मिक क्रियाओं की विशेष प्रथाएँ प्रचलित हैं।

‘याज्ञवल्क्यस्मृति’ में आचार के अन्तर्गत लगभग १२ विषयों का समावेश किया गया है—१ सस्कार, २ वेदपाठी ब्रह्मचारियों के चारित्रिक नियम, ३ विवाह एवं पत्नी के नियम, ४ चार वर्ष एवं वर्षसंकर, ५ ब्राह्मण गृहपति के कर्त्तव्य, ६ ब्रह्मचारी जीवन के उपरान्त करणीय कर्त्तव्य, ७ विधिसम्मत भोजन एवं निषिद्ध भोजन, ८ धार्मिक पवित्रता, ९ थाड, १० गणपति पूजा, ११ गृहशान्ति और १२ राजा के कर्त्तव्य।

स्मृति ग्रन्थों में प्रचलित आचार के तीन विभागों के तत्र ग्रन्थों में सात विभाग किये हैं, ये सात आचार हैं—१ वेद, २ वैष्णव, ३ शैव, ४ दक्षिण, ५ वाम, ६ सिद्धान्त और ७ कुल। महाराष्ट्र में वैदिकों के वेदाचार, रामानुज तथा अन्यान्य वैष्णवों में वैष्णवाचार, शंकराचार्यों के अनुयायी शक्तिपात्य

शैवों में दक्षिणाचार, वीरशैवों में शैवाचार एवं वीराचार और केरल के शाक्तों में वीराचार, गौड देश के शाक्तों में वामाचार, नेपाल के शाक्तों में सिद्धान्ताचार और कामरूप के शाक्तों में कौलाचार प्रचलित हैं। इन सात आचारों में से अन्तिम चार आचारों को निन्दनीय कहा गया है। ये सप्तविध आचार दैवयान, पितृयान और महायान के तीन कुलों के अन्तर्गत माने जाते हैं। शिष्ट या आप्त अथवा बहुमान्य व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित विचारों को ही 'आचार' कहा गया है।

इस प्रकार परम धर्म आचार (आचार परमो धर्म) की विशेष रूप से व्यवस्था कर उदारवृत्ति धर्माचारियों ने आर्योत्तर जातियों को आर्यसंघ में सम्मिलित करके और उराके लिए गुगानुरूप धर्म की संस्थापना करके सार्वभौम भावना का परिचय दिया है। धर्म को वर्ग विशेष एवं जाति विशेष की परिधि तथा सीमा से उन्मुक्त कर परम धर्म आचार को सर्व सामान्य के लिए वरणीय बनाया गया है।

जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है

पाण्डवों के वनवास काल की 'महाभारत' (वन० ३१२-३१४) में एक कथा आयी है। एक बार द्वैतवन में पाण्डवों को बड़ी प्यास लगी। बहुत भटकने पर भी उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। अन्त में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक स्थान पर हरियाली देख कर नकुल को वहाँ पानी छाने के लिए भेजा। नकुल वहाँ गये और उन्होंने पानी से भरा हुआ एक तालाब देखा। उस तालाब में ज्यों ही वे पानी पीने के लिए उद्यत हुए, कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी—'इस तालाब के पानी पर मेरा अधिकार है। पहले मेरे प्रदनों का उत्तर दो, तब पानी पीओ।

किन्तु प्यास के कारण नकुल इतने व्याकुल थे कि आकाशवाणी पर ध्यान न देकर वे पानी पीने लगे। पानी का स्पर्श करते ही वे मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब नकुल को गये बहुत विलम्ब हो गया, तो धर्मराज ने सहदेव को वहाँ भेजा, वे भी नकुल की भाँति मूर्च्छित होकर धरती पर गिरे। यही दशा क्रमशः अर्जुन और भीम की हुई। अन्त में धर्मराज स्वयं वहाँ गये। चारों भाइयों को मृत पाया देखकर उन्होंने बड़ा विलाप किया। परीक्षा हेतु जब वे पानी पीने के लिए तालाब में गये, तो उन्हें भी वही वाणी सुनायी दी। उनके सम्मुख एक यज्ञ खड़ा था।

धर्मराज ने यज्ञ से प्रश्न करने के लिए कहा। यज्ञ ने अनेक प्रश्न किये और धर्मराज ने उनका उत्तर दिया। जिज्ञासा की पूर्ति होने पर सन्तुष्ट होकर यज्ञ ने कहा—'हे राजन्, आपने मेरे प्रदनों का सही और सन्तोषजनक उत्तर

दिया है। इसलिए अपने मृत भाइयो में जिस एक को आप चाहे, उसे मैं जीवित कर सकता हूँ।' इस पर युधिष्ठिर ने कहा—'कृपया मेरे कनिष्ठ भाई नकुल को जीवित कर दें।' यह सुनकर यक्ष ने आश्चर्यमिश्रित धाणी में कहा—'राजन्, आप राज्यहीन होकर वन में भटक रहे हैं। आपको शत्रुओं के साथ सग्राम करना है। अतः आप अपने पराक्रमी भाई भीम या अर्जुन को जीवित करने की इच्छा प्रकट करें।'।

इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा—'हे यक्ष, वनवास का कष्ट और शत्रुओं के साथ सग्राम का विधान तो लगा ही हुआ है। किन्तु मनुष्य को धर्म से व्युत्त नहीं होना चाहिए। 'जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है' (धर्मो रक्षति रक्षितः), कुन्ती और माद्री, दोनों मेरी माताएँ हैं, कुन्ती का पुत्र मैं जीवित हूँ। मेरी दूसरी माता माद्री का पुत्र भी जीवित रहे, इसलिए आप नकुल को ही जीवन-दान दीजिए।' यक्ष ने कहा—'धर्मराज, आप बड़े उदार हैं। अतः आपके चारों भाई जीवित हो जायें। मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ। तुम्हें देखने तथा तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही आया था।'

अन्त में धर्म ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। चारो मृत भाई जीवित हो गये।

धार्मिक स्वतंत्रता का मूल मानवाधिकार

आधुनिक विश्व ने प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। धर्म के इस सुरक्षित अधिकार का सदुपयोग हम मानव चेतना के विकास के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन् ने लिखा है—'धर्म चरम सत्ता की प्रत्यक्ष समझ (बुद्धि) है। यह प्रकाशोद्भव की अवस्था की प्राप्ति है।' प्रकाशोद्भव की यह अवस्था ही 'भगवद्गीता' की 'समदृष्टि' है और इस प्रकार का समदृष्टि-सम्पन्न मानव ही ब्यष्टि तथा समष्टि को नया आलोक दे सकता है। मानवता को नया आलोक देने वाले अनेक महापुरुष समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने द्रव्यो तथा विपमताओं का निवारण कर इतिहास के पृष्ठों को उजागर किया है।

इतिहास के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक परम्परा का अनुशीलन करने पर प्रतीत होता है कि सगर के हर हिस्से में धार्मिक सधर्मों ने मनुष्यों के आपसी द्रव्यो को बढ़ाया और असद्भाव के वातावरण को फैलाया। किन्तु आधुनिक विश्व पुरानी धार्मिक संकीर्णताओं की पुनरावृत्ति के पक्ष में नहीं है। विश्व की सर्वोच्च सस्था संयुक्त राष्ट्रसभ ने १९४८ में मानवाधिकारों के अपने घोषणा-पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

दिया है। वह अपनी आस्था तथा धर्म को बदलने का अधिकारी है और उसके इस मौलिक अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसकी यह धार्मिक स्वतन्त्रता सविधान तथा कानून की दृष्टि में सुरक्षित है। इस घोषणा-पत्र का यह सुप्रभाव अब अधिक दृढ़तर होता जा रहा है कि अलगाव की भावना शिथिल पड़ती जा रही है और आपसी आदर-भाव तथा सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। इस आपसी मिलन से धर्मों की जीवनी शक्ति को अधिक बल मिला है। इस धार्मिक एकता ने विश्व में प्रेम, करुणा तथा सहानुभूति के सम्बन्धों को बढ़ाया है।

मानवता के मंगल में धर्म का योगदान

प्रत्येक मनुष्य में आज इस समझ की आवश्यकता तथा अपेक्षा है कि वह यह अवधारण करे कि धर्म आस्था की एक लीक मात्र नहीं है, एक ऐसी उद्देश्य रहित, अनपेक्ष्य प्रक्रिया नहीं है, जिसको हम आँख मूँद कर, मन-मस्तिष्क के कपाट बन्द कर, निर्वाह मात्र के लिए अपना कर चलें। बल्कि वह एक ऐसा अनुशासन है, जिसके सुनहरे तन्तुओं से विश्व समुदाय आबद्ध है। सेवा, त्याग, परोपकार, सहानुभूति और प्रेम—धर्मानुशासन के ये ऐसे आदर्श हैं, जो धर्म की उपज हैं तथा जिनको अपनाने से, शरितार्थ करने से, फैलाने से समस्त मानवता को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। मानव-मंगल के लिए, विश्व-कल्याण के लिए धर्म ही एकमात्र ऐसी अनन्य शक्ति है, जिसके द्वारा आसकाओं, द्वन्द्वों, भयों, अविश्वासों तथा सकटों से मानवता को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

धर्म और अन्धविश्वास

इस पृथ्वी पर आदिम मानव-जीवन के विकास-क्रम का इतिहास विश्वासों एवं अन्धविश्वासों से आरम्भ होता है। जब कि आदिमानव दर्शन तथा चिन्तन की दुरापदाओं से अपरिचित था, प्राकृतिक रहस्यों के प्रति उसकी उत्सुकता तब भी विद्यमान थी। ये उत्सुकताएँ ही उसके विश्वास थे। कुछ विश्वास तो उसमें परम्परा से थे और कुछ का प्रादुर्भाव उसने स्वयं किया। उसने अपने मन में एक ऐसी अदृष्ट शक्ति को स्वीकार कर लिया था, जो कि इस दुश्मन् जगत् के मूल में निहित है। जब ऋषिकुलो का उदय हुआ तो उन ज्ञानवान् महापुरुषों ने मानव के परम्परागत विश्वासों का सजोकर उन्हें कयाबद्ध किया और उनके द्वारा व्याप्त कोतूहलों का निवारण किया। ये पौराणिक भाषाएँ ही वस्तुतः मानव-साहित्य की आदिम कृतियाँ हैं। इन भाषाओं में ईश्वर, ससार, जीव, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक और लौकिक-पारलौकिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। भारत में ही नहीं, अपितु ससार

के सभी धर्मों के इतिहास में इस प्रकार की पौराणिक गाथाएँ मनुष्य की आदिम विश्वासों की सम्पदा हैं।

धर्म के अस्तित्व को लोकगोचर करने में इन विश्वासों तथा अन्ध-विश्वासों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। तात्त्विक विश्लेषण की दृष्टि से विश्वासों तथा अन्धविश्वासों में मौलिक अन्तर है। विश्वास हमें एक नियत अवधि या परिधि का अभिज्ञान कराके अभिज्ञात वस्तु में हमारे मन को स्थिर कर देता है, जब कि अन्धविश्वास उस भावना-लोक के बाहक है, जो बुद्धि से अगोचर और अवधि परिधि रहित एवं अनन्त है। मानव इतिहास में इन अन्धविश्वासों ने ही विश्वासों की आधार-भूमि को प्रतिष्ठित किया है।

सृष्टि के उस काल में जब मनुष्य इस धरती पर आया, तब उसके समक्ष एक माय अनेक परिस्थितियाँ तथा समस्याएँ उत्पन्न हुईं। उसके जीवन क्रम को आगे बढ़ाने में वे परिस्थितियाँ तथा समस्याएँ जिस रूप में अनुकूल एवं उपयोगी सिद्ध हुईं, उनका उसने उसी रूप में चरण या ग्रहण किया और उसके साथ अपने अनुभवों को जोड़ कर उसकी याती आगे की पीढ़ी को प्रदान की। प्रकृति के सहज धर्मों को, जिनसे वह सर्वथा अपरिचित था, उसने उन्हें असहज चमत्कारों तथा रहस्यों के रूप में ग्रहण किया और उनके प्रति अपने मन में एक दृढ़ धारणा बना ली। उसने वर्षा, तूफान, आँधी, रोग, व्याधि, उत्कापात आदि प्राकृतिक उद्भवों को अज्ञात एवं आकस्मिक घटनाओं का रूप दिया। दिन तथा रात और सूर्योदय तथा चन्द्रोदय की सहज नियति को भी उसने एक अदृष्ट विधान के रूप में अपनाया। देवता, भूत प्रेत तथा तन्त्र मन्त्र आदि के प्रति उसके विश्वास सर्वथा बलिप्त थे।

परम्परा से संचित अदृष्ट शक्तियों के प्रति उसके मन में जो अज्ञात रूप तथा रहस्यों एवं चमत्कारों का आतङ्क था, उसके कारण उसने यह कल्पित किया कि वर्षा, उत्कापात, आँधी और तूफान आदि इंद्र देवता के द्वारा सृष्ट है। इसी प्रकार समस्त रोगों तथा व्याधियों के कारण भूत प्रेत हैं। उनके उपशमन के लिए उसने तन्त्र मन्त्रों को अपनाया। मारण, मोहन, उच्चाटन तथा वशीकरण के प्रयोगों द्वारा मनुष्य ने अपने अनिष्टों तथा अपकारों का समाधान खोज निकाला। इस तरह मनुष्य के मन में यह आस्था सुदृढ़ हुई कि तन्त्र मन्त्र, टोना टोटका के प्रयोग के बिना अनिष्टों तथा आपदाओं को दूर नहीं किया जा सकता। यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि कृषि-कर्म रोग निदान, सन्तति-लाभ, आयु-वृद्धि और शत्रु-पराजय आदि अनेक कार्यों की सिद्धि-उपलब्धि के लिए तन्त्र मन्त्रों को एकमात्र हेतु या उपाय माना जाने लगा।

मानव ने अपनी आदिम अवस्था में उक्त प्रकार के जिन चमत्कारों, रहस्यों, आतकों और भयों को एक सर्वोपरि अदृष्ट नियति के रूप में स्वीकार किया, वे ही कालान्तर में अन्धविश्वासों की कोटि में रक्षे गये। इन अन्ध विश्वासों का उदय मनुष्य के जन्म के साथ ही हुआ। ये अन्धविश्वास मनुष्य के कल्पित एव स्वयं-कृत ऐसे अनुभव हैं जो अलिखित रूप में ही आगे की परम्परा को प्राप्त होते रहे। परम्परा के द्वारा वे ऐसे भौतिक मान्य विधान हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भी कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं है। वे देवताओं से भी पूर्व के और धर्म से भी पुरातन हैं।

अन्धविश्वासों की यह परम्परा सभी युगों में एक जैसी नहीं रही। परिस्थितियों के अध्ययन-अनुभव द्वारा जैसे-जैसे मनुष्य के ज्ञान-तन्तुओं का विकास होता गया, वैसे-वैसे वह अनेक स्वकल्पित आशंकाओं तथा अज्ञात भयों की वास्तविकता को समझता गया और इस रूप में बहुत काल से सजोये हुए अपने काल्पनिक बौद्धिक भार से हल्का होता गया। इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान और सभ्यता के विकास के साथ-साथ यद्यपि परम्परागत अन्धविश्वासों में भी कमी होती गई, तथापि आज के जन जीवन में उसका प्रचलन एव प्रसार यथावत् देखने को मिलता है।

इन अन्धविश्वासों का अस्तित्व आज के समाज में रहस्यमयी दैवी शक्तियों, शकुन-अपराकुन, जादू-टोना और झाड़ फूँक आदि विभिन्न रूपों में विद्यमान है। समाज में उनको बनाये रखने, फैलाने, उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए कुछ नीहित स्वार्थी लोग उत्तरदायी हैं। उनमें जादूगर, ओझस और पुरोहित प्रमुख हैं। अपने हितों एव स्वार्थों की सिद्ध के लिए उन्होंने राक्षसी शक्तियों की अपराजेयता को, प्रेतात्माओं के अस्तित्व को और दैवी प्रकोपों को सृष्टि का अनिवार्य विधान बताकर परोक्ष रूप से उन्हें अपने व्यवसाय का साधन बना लिया। इस प्रकार परम्परागत अज्ञानजनित भयों एव सर्वथा कल्पित घटना-कर्मों के आतकों को नये-नये कारणों से परिच्छिन्न करके समाज को भ्रमित किया हुआ है। इन्हीं अन्धविश्वासों के कारण आज भी समाज के अनेक वर्गों में देवों को नया अन्न भेंट चढ़ाये बिना नयी फसल के अन्न को ग्रहण करना निषिद्ध माना जाता है। उसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अनिष्टों के भय की पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। आज भी यह देखा जाता है कि जंगल को प्रेतात्माओं की अनिष्ट निवृत्ति और मृत पुरखों की इष्ट मिट्टि के लिए मुर्गियों, बबूतरो और बकरो आदि पशु-पक्षियों को बलि चढ़ाई जाती है। इन रहस्यमयी दैवी शक्तियों के प्रकोप-शान्ति के लिए अनेक तांत्रिक उपाय किये जाते हैं। समस्त प्रकार की रोग-व्याधियों का

उपाय झाड़ फूँक है। इसी प्रकार जादू टोना, मारण मोहन उच्चाटन का भय दिखा कर समाज को आतंकित करने के लिए अफवाहों का वातावरण बना दिया गया है।

इन अन्धविश्वासों के कारण समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाओं का उदय हुआ। पौराणिक युग ने उनको प्रोत्साहित कर उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप आज के जन-जीवन में उनके प्रभाव की रेखाएँ इतनी गहरी हैं कि उन्हें सहज ही मिटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भील जाति के लोग आज भी अपनी निर्धनता तथा भुखमरी को एक पुराण-कथा में कहे गये अभिशाप को स्वाभाविक नियति के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार के अन्धविश्वासों से अधिकतर ऐसा समाज ग्रसित है जो निम्न तथा अनुत्तम है। उन्होंने परम्परागत कल्पित विश्वासों को नियति-प्रदत्त अनिवार्य सामाजिक विधानों के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिनके उल्लंघन के लिए पचायत द्वारा नियत किये गये दण्ड को भुगतना पड़ता है।

अन्धविश्वासों के इन परम्परागत अलिखित, किन्तु भौतिक रूप से स्वीकृत विधानों ने समाज में एक ओर जहाँ रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं का प्रसार किया है, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा सामाजिक नियन्त्रण और नैतिकता की स्थापना को भी बल मिला है। उनके द्वारा अनेक पारिवारिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठा एवं रक्षा हुई। उदाहरण के लिए बगाल की कुछ उच्च जातियों में भानजी की छाया से दूर रहने के परम्परागत विश्वास का आज भी परिपालन होता है। इसी कल्पित विश्वास का परिणाम है कि जहाँ एक ओर देवर भाभी के सम्बन्ध सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जेठ के प्रति बहू के सदा ही श्रद्धेय एवं सम्मानजनक सम्बन्ध बने रहते हैं।

ये अन्धविश्वास समाज के कुछ वर्गों में अपनी विचित्रता के कारण विनोद एवं मनोरजन के साधन भी बने हुए हैं। उदाहरण के लिए राँची (बिहार) के ओराँवा किसानों में यह प्रथा है कि उनकी स्त्रियाँ हल को हाथ नहीं लगाती। यदि भूल से कदाचित्त ऐसा हो जाये, तो उन्हें उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसके ठीक विपरीत खडिया जाति की स्त्रियाँ कन्धे पर हल रखकर उसे खेत पर ले जाती हैं और खेतों को जोतती हैं।

इसी प्रकार की एक अन्धविश्वास-जनित प्रथा दक्षिण भारत में मिवाकुर के अस्पृश्य होलिया जाति के लोगों में प्रचलित है। वे स्वयं अस्पृश्य होते हुए भी किसी ब्राह्मण का स्पर्श अपने लिए अहितकर एवं अनिष्टसूचक मानते हैं। जब कोई ब्राह्मण उनकी बस्ती में प्रवेश करता है तो वे झाड़, जूतों तथा गोबर मिले पानी से उसका स्वागत करते हैं, जिससे कि उसके आगमन के

अनिष्टो से बचा जा सके। इससे अधिक आश्चर्य तब होता है, जब आगन्तुक द्राह्मण भी इस स्वागत सत्कार को सहज विधान के रूप में स्वीकार करता है।

इस प्रकार इन अन्धविश्वास-जनित परम्पराओं का प्रभाव न केवल मानसिक आस्थाओं के रूप में, अपितु व्यावहारिक क्षेत्र में भी परिलक्षित हुआ। इसका इतिहास अत्यन्त पुरातन है। उदाहरण के तौर पर प्रागैतिहासिक (Pre-historic) और पुरैतिहासिक (Proto-historic) महत्त्व के स्थानों के उत्खननों से ऐसी विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है, जिसके आधार पर विद्वानों ने सहज ही यह निष्कर्ष निकाला कि आदिम मानव समाज अन्धविश्वासों के माया-जाल से कितना अधिक घिरा हुआ था।

अन्धविश्वासों का यह मायाजाल, शूँकि मनुष्य जन्म के साथ ही उदित हुआ, अतः उसका प्रभाव न केवल भारत में अपितु विश्व के सभी देशों में अपने-अपने ढंग से प्रचलित है। यद्यपि उसका प्रभाव अनुन्नत, अविकसित राष्ट्रों तथा आदिम जातियों में ही विशेष रूप से व्याप्त है, फिर भी विश्व के प्रबुद्ध, सुविकसित एवं उन्नत समाज में भी उसका प्रत्यक्ष-परोक्ष अस्तित्व देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए एक अंग्रेज अपनी प्रातःकालीन चाय की प्याली में उठे हुए बुलबुलों के आधार पर अपने दिन भरके शकुन-अपशकुनों की भौमासा करता हुआ पाया जाता है। सीढ़ी के नीचे चलने से बचता है। इसी प्रकार कार्य सिद्धि के लिए घर से बाहर निकलते हुए अपने मन में किसी प्रतीक को कल्पित कर लेता है। अतः अशिक्षितों ने ही नहीं, शिक्षितों ने भी उन्हें किसी-न-किसी रूप में अपनाया हुआ है।

इन अन्धविश्वासों ने भाग्यवाद को जन्म दिया। जो जितना अधिक महत्वाकांक्षी तथा प्रबुद्ध है, वह अपनी भाग्योपलब्धि के लिए उतने ही अधिक क्रिया-कलापों तथा उपायों की चिन्ता में व्यस्त दिखायी देता है। भाग्यवाद के रूप में अन्धविश्वास आज के वैज्ञानिक युग में सर्वथा सत्य का आवरण धारण किये हुए है और कभी-कभी उसने कर्तव्यता के सिद्धान्त को भी पीछे कर दिया है।

इन अन्धविश्वासों को आज के सामाजिक जीवन में जिस रूप में ग्रहण किया जाता हो तथा उनका जो भी महत्त्व हो—इतना तो निश्चित है कि उनके द्वारा मानव-सङ्घर्ष की विरासत को आगे बढ़ने में मदद मिली। इन अन्धविश्वासों ने आदिमानव को मर्यादाओं में आवद्ध किया और उनके भय, आतंक तथा अवश्यम्भाविता ने मनुष्य को एक ओर तो आत्मरक्षा के साधनों को जुटाने में प्रवृत्त किया और दूसरी ओर उनमें विभिन्न उल्लासमय सामूहिक आयोजनों की सृष्टि की। आदिमानव समाज के भीतर प्रसुप्त सत्कार अन्य

विश्वासों के रूप में प्रकाश में आये और इसलिए मानव-संस्कृति की रचना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये संस्कार-जनित कृत्रिम विश्वास आदिम समाज के बौद्धिक विकास के कारण भी सिद्ध हुए।

अन्धविश्वासों की परम्परा के इस विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि सृष्टि की उदय-वेला में मनुष्य ने सर्वप्रथम अन्धविश्वासों का वर्ण किया और तब उनके आलोक में देवताओं तथा धर्म के रहस्य को जाना। उत्तरोत्तर सामाजिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का हेतु बनकर उन्होंने मानव सभ्यता के विकास को प्रशस्त किया। उनके द्वारा दृष्ट और अनिष्ट, दोनों हुए, किन्तु यह मत स्थिर करने में किसी प्रकार का सदेह नहीं है कि मनुष्य को धर्म की ओर प्रवृत्त करने में वे ही सर्वप्रथम साधन और कारण रहे। उन्होंने मनुष्य में धर्मबुद्धि का स्फुरण किया। उन्होंने भाग्यवाद, जन्मान्तरवाद, अदृष्ट कर्मफलों के प्रति निष्ठा और एक ऐसी सार्वभौम सत्ता की परिकल्पना को जन्म दिया, जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। आदिम मनुष्य को इन अज्ञानजनित कल्पनाओं एवं सभावनाओं ने जानियों एवं विवेकशील पुरुषों को उस सर्वव्याप्त परम सत्ता की खोज के लिए प्रेरित एवं उत्कण्ठित किया, जिसे ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा या कोटि-कोटि देवताओं के रूप में जाना तथा व्याख्यान किया गया। इस प्रकार आदिम मनुष्य के परम्परागत अन्ध-विश्वासों ने आधुनिक मानव जगत् के लिए विश्वासों की ऐसी मुद्द आधारभूमि का निर्माण किया, जिस पर उसके वैचारिक अस्तित्व की नींव खड़ी है।

धर्म और न्याय

धर्म और न्याय के सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों के मतों में एकता नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि धर्म ईश्वर प्रदत्त है। इस मान्यता के प्रवर्तकों में हजरत मूसा, ईसा, मुहम्मद, कन्फूसियस और मनु आदि को रखा जा सकता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि धर्म परम्परागत है और उन परम्पराओं की रक्षा का दायित्व अभिजात्यवर्ग पर या पुरोहित वर्ग पर रहता आया है। एवेन्स के डेमोस्यनीज जैसे धर्मवक्ता का अभिमत है कि धर्म की स्थापना विवेक पर हुई है। कुछ धर्माचार्यों का मत है कि धर्म प्राकृतिक नियमों पर आधारित है और उसका विकास विवेक तथा दार्शनिक सिद्धान्तों के योग से हुआ। कुछ के मत से नीति-अनीति सम्बन्धी शाश्वत नियमों पर धर्म आधारित है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि सगठित समाज के राजनीतिक अधिकारों और नियमों की पारस्परिक स्वीकृति ही धर्म है। अन्य का मत है कि ईश्वरीय तर्कों और विवेक का नाम ही धर्म है।

भारत में धर्म और न्याय का मूल स्रोत 'ऋत्' माना गया है। वही समस्त चराचर का नियामक है। उसी से धर्म का उदय हुआ। जिसके आदेशों पर राजा और प्रजा दोनों प्रतिबद्ध हैं। सपत्न-वैदिक युगीन धर्म-व्यवस्था ऋत् पर आधारित थी और वही धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों के विधि विधानों का आधार बना।

धर्म की समदृष्टि

100372

वैदिक ऋषियों ने जिस जगत्पावनी धर्मगंगा को बहाया है, वह मानव मात्र के लिए समान रूप से सेव्य है। धर्म की इस व्यापक भारतीय दृष्टि में विरोध, वैमनस्य तथा द्वेष की भावना नहीं है। उसकी वर्गगत तथा जातिगत सीमाएँ नहीं हैं। सबके लिए वह समान रूप से बाह्य एव उपादेय है। धर्म की इसी व्यापक लोकदृष्टि को 'महाभारत' (वन० ११०-१११) में कहा गया है—'जो धर्म दूसरे धर्म के लिए बाधक हो, वह धर्म नहीं, धर्मिक धर्म है। धर्म तो वास्तव में यह है, जो किसी अन्य धर्म का विरोध नहीं करता। ऐसे धर्म का आचरण एव प्रतिपालन करना अस्मत्त है'—

धर्मो यो बाधते धर्मो न स धर्मः
अविरोद्धात्तु यो धर्मो स धर्मः
विरोधिषु महीपाल निश्चित्य कुर्वन्
न बाधा विधत्ते स न धर्मः समुपाधरेण

धर्म भारत की प्राणशक्ति है। यह एक ऐसी आत्मज्योति है, जो प्रत्येक भारतीय के अन्तस् में, आत्मा में व्याप्त है। यही कारण है कि धर्म के प्रति इतनी उदारता एव उदार धारणा विश्व के किसी भी राष्ट्र की धर्म-परम्परा में देखने को नहीं मिलती। दुःख से सतत प्राणि-जगत् का दुःख दूर करने के उद्देश्य, स्वयं दुःख को धरण करने की ऐसी दिव्य धारणा सत्कार के किशो भी धर्मनिष्ठाओं समाज में देखने को नहीं मिलती है—'मुझे राज्योपभोग को धरना नहीं है। मैं तो दुःखों से सतत प्राणियों को दुःख से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। इसका उपाय क्या है, कि जिससे मैं दुःखियों के अन्त करण में प्रवेश कर अजीवन दुःख का उपयोग कर सकूँ—

न त्वहं कामये राज्यं न स्वयं न पुनर्भवम् ।
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामतिनाशनम् ॥
काम्नास्य स्यादुपायोऽत्र येनाहं दुःखितात्मनाम् ।
अन्तःप्रविश्य भूतानां भवेम दुःखभाहू सदा

धर्म-समन्वय

धर्म की सनातनता और उसके परम्परागत इतिहास की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तो लगता है कि बर्गों, शाखाओं, सम्प्रदायों तथा पन्थों के रूप में उसका जो विभाजन या रूपान्तरण तथा नामान्तरण किया गया है उससे उसके मूल उपादानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्य, सनातन, वैदिक, हिन्दू, शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध आदि उसके रूपान्तर हैं। वे उसके इतिहास के विभिन्न अध्याय हैं, किन्तु उनसे उसकी अखण्डता में कोई अन्तर नहीं आने पाता। इस दृष्टि से यदि भारत के धार्मिक विकास का अध्ययन किया जाये, तो सभी धर्मों का मूल स्रोत एक ही दिखायी देता है। बहुधा यह कहा जाता है कि वैदिक धर्म से जैन-बौद्ध-धर्मों का विरोध है। किन्तु वास्तविकता यह है कि जैन स्वयं को 'हिन्दू' कहते हैं। हिन्दुत्व अथवा हिन्दू धर्म वैदिक धर्म का ही रूपान्तर है। जैनमत में 'हिन्दू' शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। वहाँ 'हिं' से 'हिंसा' और 'दू' से 'दूरीकरण' का अर्थ किया गया है। अर्थात् जैनमत में हिन्दू उसे कहा गया है, जो हिंसा से दूर है। अतः अहिंसा जिसका मुख्य लक्ष्य है, ऐसा जैन धर्म ही वास्तव में यथार्थ हिन्दू धर्म अथवा वैदिक धर्म है।

इसके अतिरिक्त वेदों तथा स्मृतियों में धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित है, जैनधर्म में भी उसी को स्वीकार किया गया है। स्मृति-प्रतिपादित वैदिक तथा हिन्दू धर्म में धर्म, क्षमा तथा तप आदि धर्म के जो दस उपादान बताये गये हैं, आशिक परिवर्तन के साथ जैन धर्म में भी उसी को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म के शान्ति, भादँव तथा आर्जव आदि दस उपादानों में ठीक यही बात कही गई है।

धर्मनिरपेक्षता

वर्तमान भारतीय सविधान में भारत को 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' (सेक्यूलर स्टेट) घोषित किया गया है। यही धर्मनिरपेक्षता ही वस्तुतः आज के समाजवाद की आधारशिला है। 'सेक्यूलर' के लिए विद्वानों ने 'लौकिक' पर्याय दिया है। इस दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष उसे कहा गया है, जिसमें समस्त धर्मों तथा सम्प्रदायों का समान आदर है, और सबको अपनी उन्नति करने का समान अधिकार है। वही किसी धर्म-विशेष या सम्प्रदाय विशेष के प्रति कोई पक्षपात नहीं है। 'धर्मनिरपेक्षता' से धर्महीनता या धर्म की उपेक्षा नहीं है। प्रायः प्रत्येक देश या राज्य में किसी धर्म विशेष को मानने वालों की सहाय्य अधिक होती है। उदाहरण के लिए भारत में हिन्दू, पाकिस्तान में मुसलमान, इजरा-

इल मे यहूदी, योरप-अमरीका-आस्ट्रेलिया मे ईसाई और श्रीलका, बरमा आदि मे बौद्ध बहुसंख्यक हैं। इन देशों मे बहुसंख्यक धर्मानुयायियों के कारण किसी धर्मविशेष का अधिक प्रभाव होना स्वाभाविक है। भारत को छोड़कर प्रायः सभी देशों के संविधान मे किसी धर्मविशेष का सम्बन्ध है। किन्तु भारत मे संविधान किसी धर्मविशेष को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद ५ और तृतीय भाग के अनुच्छेद १५, १६, २१, २५, २८ और ३० मे धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या की गई है और भारत को लोकतंत्र पर आधारित यहाँ के विभिन्न धर्मानुयायी निवासियों के धर्मों को समान मान्यता एवं स्वतन्त्रता दी गयी है।

धर्मनिरपेक्षता का आधार सहिष्णुता है। अर्थात् जितने भी धर्म तथा धर्मानुयायी यहाँ निवास करते हैं उनके प्रति सहनशीलता, उदारता और समानभाव के व्यवहार की व्यवस्था की गई है।

यह धर्मनिरपेक्षता ही यहाँ की राष्ट्रीयता है। इसी राष्ट्रीयता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना हुई है। वास्तव मे राष्ट्रीयता की स्थिरता ही अन्तर्राष्ट्रीयता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

धर्मनिरपेक्षता का आशय धर्महीनता, धर्म के प्रति उदासीनता या अधार्मिकता नहीं है। यहाँ के लोकजीवन के सामाजिक, राजनीतिक तथा शासकीय जितने भी कार्यकलाप हैं, उनसे किसी धर्म विशेष को योजित या सम्बन्धित न करना ही धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का आशय धर्म-शास्त्र की उपेक्षा करना भी नहीं है। उसका सम्बन्ध ईश्वर या परमेश्वर का विरोध करना भी नहीं है। १९वीं शती के प्रसिद्ध विद्वान् होलीजोक ने लिखा है कि 'मानव की भलाई के लिए मानव प्रयोग द्वारा, मानव बुद्धि द्वारा जो भी बातें समझ हो, जिन्हें इस जीवन मे किया जा सकता है, जिनका सम्बन्ध इस जीवन से है, वही लोकिकता या धर्मनिरपेक्षता है। उसके विचार-स्वातन्त्र्य तथा धर्मानुचरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। समस्त नागरिकों को धार्मिक प्रचार की स्वतन्त्रता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने धर्म तथा राजनीति को सर्वथा पृथक् रखकर भारत की धर्मनीति को स्थिर किया, जब कि पाकिस्तान ने जाति, धर्म, संस्कृति और राजनीति को एक साथ मिलाकर धर्मराज्य घोषित किया। ५० नेहरू ने १९४५ ई० मे घोषणा की थी कि आजाद हिन्दुस्तान की भावी सरकार धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। अर्थात् वह किसी धर्म विशेष से सम्बन्धित नहीं रहेगी, अपितु सभी धर्मों के अनुयायियों के प्रति समान सहिष्णुता बरती जायेगी। नेहरू जी ने जेठे धार्मिक स्वतन्त्रता तथा अपनी अन्तरात्मा के

अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता कहा है। इसमें उन लोगों की स्वतंत्रता भी सन्निहित है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। उससे धर्मपालन को निरूत्साहित किया जाता है। किन्तु किसी के धर्मपालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यदि वह किसी दूसरे धर्म को क्षति नहीं पहुँचाता।

भारतीय संविधान की तत्सम्बन्धी धारणा की व्याख्या करते हुए लोक-मभा के अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् आयगर ने अपने भाषण में कहा था— 'हम वचनबद्ध हैं कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द से हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि हम किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते और हमारे दैनिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि राज्य सरकार किसी मजहब को दूसरे की तुलना में न तो सहायता दे सकती है और न प्राथमिकता। इसलिए राज्य अपनी पूर्ण निरपेक्ष स्थिति रखने को विवश है'।

भारतीय लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्षता प्रदान करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी थे। उसका सफल संचालन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारत में जिस समाजवाद की लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी आधारशिला वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता ही है। इस रूप में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को चरितार्थ किया।

हिन्दू और हिन्दुत्व का प्रचलन

आज के भारत में हिन्दू तथा हिन्दुत्व का प्रचलन त्रिम रूप में देखने को मिलता है, अपने पुरातन स्वरूप में वह सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। अत्यन्त पुरातन काल में ही 'हिन्दु' शब्द का अस्तित्व प्रकाश में आ गया था। ऋग्वेद (८।२४।२७ आदि) में सात नदियों के अर्थ में 'सप्तसिन्धु' का अनेक बार उल्लेख हुआ है, जिसे फारसियों के धर्म ग्रन्थ 'जेद अवेस्ता' में 'हप्तहिन्द' कहा गया है। न केवल इस धर्मग्रन्थ में, अपितु वैदिक वाङ्मय में भी 'स' के स्थान पर 'ह' का प्रयोग देखने को मिलता है। उदाहरणस्वरूप अथर्ववेद (२०।३०।४) में 'हरितो न रहया' का निर्वचन करते हुए निरुक्तकार यास्क (७०० ई० पूर्व) ने लिखा है—'सरितो हरितो भवन्ति, सरस्वत्यो हरस्वत्य'। अर्थात् नदीवाचक 'हरित्' शब्द को उच्चारण भेद के कारण 'सरित्' शब्द समझना चाहिए।

सकार और हकार में इस परिवर्तन या ध्वनि भेद अथवा उच्चारण भेद की चर्चाएँ भारतीय साहित्य में, अपितु पश्चिमो के पुरातन धर्मग्रन्थ 'अवेस्ता' में भी देखने को मिलती हैं। वहाँ 'सिन्धु' के स्थान पर 'हिन्दु' का प्रयोग हुआ है। वहाँ 'ह' तथा 'स' का इसी रूप में उल्लेख हुआ है और उसे

देशवाची अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। कालान्तर में जिस प्रकार 'सिन्धु' को 'सिन्ध' और 'हिन्दु' को 'हिन्द' कहा जाने लगा, उसी प्रकार उनके अर्थ प्रचलन में भी भिन्नता आती गई। कालान्तर में 'हिन्दु' शब्द को धर्म का पर्याय माना जाने लगा और उसे भारतीय समाज के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा, जिसके आचार विचार-ब्राह्मण कर्मकाण्ड से सम्बन्धित थे। इस सङ्कुचित अर्थ में भारत ने मूल निवासी जैन-बौद्ध भी उससे स्वयं को अलग निर्धारित करने लगे। 'हिन्दु' तथा 'हिन्दुत्व' को मुसलमान तथा 'इस्लाम' का प्रतियोगी मानकर पारस्परिक विरोध भावना का, धार्मिक अलगाव का भी उसके द्वारा प्रचलन हुआ। धार्मिक अलगाव की इस भावना के ऐतिहासिक प्रमाण हैं और उसके लिए स्वयं को 'हिन्दु' कहने वाले समाज को एक मात्र दोषी समझना न्यायोचित नहीं है।

अपने प्राचीन स्वरूप एवं अर्थाशय में 'हिन्दु' शब्द का प्रयोग न तो किसी जाति विशेष के लिए हुआ है और न वह किसी धार्मिक पन्थ या मत का बोधक रहा है। हिन्दू या हिन्दू भारत की सजा थी, उसका अभिधान था और उस देश के निवासियों को, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या सम्प्रदाय का रहा हो, 'हिन्दू' कहा जाता था। आज जिसको 'हिन्द महासागर' कहा जाता है, और उसका सम्बन्ध भारत में स्थापित किया जाता है, वस्तुतः वह हिन्दू और हिन्दुत्व की व्यापकता का ही ऐतिहासिक साक्षी है। 'हिन्द महासागर' के रूप में भारत के परम्परागत हितों की रक्षा हिन्दू या हिन्दुत्व की उपेक्षा कर देने से सुरक्षित नहीं है। आज का भारत राष्ट्र ही हिन्दू राष्ट्र है और हिन्दुत्व की परम्पराओं तथा गरिमाओं के आधार पर ही उसका अपना अस्तित्व एवं महत्त्व बना हुआ है।

इस प्रकार 'हिन्दु' या 'हिन्दुत्व' के प्रश्न को लेकर जो लोग साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते और अलगाव का आचरण प्रकट करते हैं, वे अपनी सकीर्ण मनोवृत्ति का ही परिचय देते हैं। अपने मूल आशय तथा उद्देश्य में वह वर्ण-वर्ग-धर्म के समन्वय का परिचायक है।

भक्ति का स्वरूप और विकास

भारतीय जन मानस में भक्ति-भावना का उदय आदिकाल में ही हो चुका था। अनेक सम्प्रदाय प्रवर्तक या धर्म-प्रवर्तक आचार्यों, तत्त्ववेत्ताओं, महात्माओं, सन्तों और कवियों ने अपने-अपने मतानुसार भक्ति की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएँ एवं व्याख्याएँ की हैं। उन सबका एक ही अन्तिम सार, निष्कर्ष या उद्देश्य रहा है—भगवान् के प्रति भक्त या उपासक की आत्यन्तिकी भावना।

भगवान् के प्रति भक्त की यह आत्यन्तिकी भावना या सेवावृत्ति मानव-सृष्टि के आदि काल से ही दिखलाई देती है। मानव-मन में भक्ति-भाव का उदय सनातन, प्राकृत एवं स्वाभाविक प्रतीत होता है; विश्वास, पूजा और प्रीति भक्ति भाव के मूलाधार हैं। उसमें तर्क को, विश्लेषणात्मक बुद्धि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस रूप में भक्ति का अस्तित्व सार्वभौमिक एवं सार्वभौमिक है।

अतीत काल से अब तक भक्ति की परम्परा भारतीय समाज में किम रूप में प्रवर्तित होती रही, इस जिज्ञासा के समाधान के लिए वैदिक ऋषियों के विचारों का विश्लेषण करना आवश्यक है। वेदमंत्रों में यद्यपि 'भक्ति' शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ, तथापि वैदिक उपासना और स्तोत्र वास्तव में भक्ति के आदि स्रोत कहे जा सकते हैं। उनमें सर्वात्मभाव शुद्ध बुद्धि से परम कृपालु परमेश्वर की उपासना एवं स्तुति का वर्णन प्रचुर रूप में हुआ है। ऋग्वेद के 'विष्णुसूक्त' तथा 'वरुणसूक्त' में स्पष्टतः विष्णु की विभूतियों का स्तवन किया गया है। उनमें उनके उद्गाता ऋषियों को भगवान् के प्रति भक्ति एवं आसक्ति के भाव अभिव्यजित हुए हैं।

भक्ति का उदय श्रद्धा से हुआ है। श्रद्धा ही वैदिक यज्ञों की अधिष्ठात्री देवी रही है। वैदिक आर्यों ने प्रत्येक घटना के मूल में किसी-न किसी देवता की कल्पना की है और उसे प्रसन्न करने के लिए वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का आयोजन किया। उनका यह बहुदेवतावादी विश्वास ही उनकी श्रद्धा का सूचक था। वैदिक आर्य ऋषियों का एक वर्ग ऐसा था, जिसने बहुदेवतावाद को एकदेवतावाद में परिणत किया। इस वर्ग ने विभिन्न नाम-रूप देवताओं को एक ही देवता में सन्निहित एवं आधृत किया। उदाहरण के लिए ऋग्वेद (१।१६।४३) में एक मंत्र में इसी एकरव को लक्ष्य करके कहा गया है—

‘विद्वान् लोग उसी (सत्) को इन्द्र, मित्र, वरुण या अग्नि के नाम से पुकारते हैं और वही विद्याल पखो वाला विष्य गरुड भी है । वही अग्नि, यम और मातरिश्वान् भी है’ ।

वैदिक ऋषियों का यह एकेश्वरवाद और अनेक देवतावाद क्रमशः उपनिषदों और पुराणों में अधिक विस्तार से कहा गया है । उपनिषत्कालीन एकेश्वरवादी आर्य ऋषियों ने जीवात्मा के कर्मों और जन्मान्तर की कल्पना के अनवरत चक्कर से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसी साधना को खोज निकाला, जिसमें निष्ठित होकर एकदेव अन्तिम परमात्म तत्त्व को प्राप्त किया जा सकता है । इन आत्मवादी चिन्तकों ने परम उपास्य को पाने के लिए साधना तथा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया । ऋषियों की यह ज्ञानमार्गी निर्गुण शाखा उतनी ही आस्तिक थी, जितनी कि पुराणकालीन बहुदेवतावादी आर्य ऋषियों की सगुण शाखा । पुराणों की बहुदेवतावादी ऋषि शाखा ने अपने आराध्य एव उपास्य को अवतारी बताया और उसे मानव धरती पर उतार कर मानवीय आकाशाओं के अनुरूप सख्य, दाम्पत्य तथा प्रेम के आत्मीय सम्बन्धों से प्रसन्न किया ।

इस प्रकार भक्ति की दोनों सगुण-निर्गुण धाराएँ वैदिक युग में ही स्थिर हो चुकी थी और उन्हीं को लक्ष्य बनाकर परावर्ती सन्तों, भक्तों एव महात्माओं ने अपने-अपने ढंग से भक्ति का विकास किया । भेद केवल साधना-असाधना का था, किन्तु लक्ष्य दोनों का एक ही था ।

भक्ति-भाव से ओत-प्रोत वैदिक ऋषियों ने अपने अनेक प्रकार के उद्गार प्रकट किये हैं । यजुर्वेद (३।३५) में एक प्रार्थना परक मन्त्र में कहा गया है—‘जगत् को प्रकाशित करने वाले अत्यन्त बलवान्, शक्तिशाली, न्यायकारी, समस्त जगत् का जीवन, सबको नियमित रखने वाले परमेश्वर को हृदय में धारण कर हम उसका ध्यान करते हैं । वह परमेश्वर हमारी बुद्धि को सदा उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करे’ (ॐ भूर्भुव स्व ॐ तत्स-धितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न प्रचोदयात्) । आत्मा के वर्जस्व को प्रदीप्त करने वाले इस मापत्री मन्त्र में शुद्ध बुद्धि प्रदान करने की याचना की गई है । इस प्रकार वे स्तुतिपरक मन्त्र वेदों में बार-बार प्रयुक्त हुए हैं । ज्ञानी ऋषियों के ये भावोद्गार ही भक्ति ने उद्गम स्रोत हैं ।

वेदों के पश्चात् ब्राह्मणग्रन्थों के युग में कर्मकाण्ड की प्रमुखता के कारण भक्ति की धारा कुछ मन्द पट गई थी । किन्तु उपनिषदों की ज्ञानधारा ने उसको अधिक बेगवान् एव व्यापक बनाया । उपनिषदों में यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है, तथापि ‘छान्दोग्य’, ‘श्वेताश्वतर’

और 'मुण्डक' आदि उपनिषदों में विष्णु, शिव, रुद्र, अच्युत, नारायण और सूर्य आदि के उपासनापरक प्रसंगों में भक्ति की व्यापकता को ही प्रस्फुरित किया गया है। निराकार और साकार, दोनों की उपासना-आराधना का भाव ही भक्ति का रूपान्तर है।

उपनिषद् विद्या के व्याख्यान दर्शनों में भी निर्विकार निष्काम, स्वाभाविक शुद्ध चित्तवृत्तियों द्वारा वेदानुरूप आचरण करने का निर्देश किया गया है। योगदर्शन में शुद्ध-बुद्धि को प्राप्त करने के लिए साधनों या उपायों का निर्देश किया गया है, वे हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठ साधन, अहिंसा, सत्य, अशौच, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच यम, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान—ये पाँच नियम, स्थिर एव सुखानुरूप पद्मासनादि आसन और इन्द्रियनिग्रहरूप प्राणायाम—ये उपाय हैं जिनको अपना कर, जीवन में चरितार्थ कर उपासक या भक्त का उच्चासन प्राप्त किया जा सकता है।

भक्ति के व्यापक स्वरूप और भक्त की परम निष्ठा का प्रथम वर्णन 'भगवद्गीता' के 'भक्तियोग' नामक द्वादश अध्याय में देखने को मिलता है। वहाँ कहा गया है—'जो अविनाशी, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य अविकारी और नित्य उत परम कृपालु परमात्मा को भजते हैं, और इन्द्रियों का निग्रह करके सर्वत्र, समान बुद्धि से सबके साथ मित्रता और करुणा भाव का व्यवहार करते हैं, जिसके द्वारा कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो निष्काम, पवित्र और कर्तव्यविरत रहते हैं, जो शत्रु मित्र के साथ मानापमान, शीत, उताप और सुख-दुःख में समरस हैं, जो निन्दा और स्तुति में समान बुद्धि रखते हैं और शान्ति तथा सन्तोष को धारण करते हैं, वे ही वास्तविक भक्त हैं'।

'भगवद्गीता' (७।१६) में भक्तों के चार प्रकार बताये गये हैं—
 १ अर्थायी, अर्थात् अर्थ अथवा लाभ की दृष्टि से भजन करने वाले,
 २ आर्त, अर्थात् दुःख निवारण के लिए भजन करने वाले, ३ जिज्ञासु, अर्थात् भगवान् के स्वरूप को जानने की इच्छा से भजन करने वाले, और
 ४ ज्ञानी अर्थात् भगवान् के स्वरूप से साक्षात्कार कर उनका चिंतन करने वाले। 'भगवद्गीता' में कही गई भक्तों की ये चार कोटियाँ भक्ति के विकास की परम्परा को सूचित करते हैं।

उपनिषदों की उपासना पद्धति को 'महाभारत' में अधिक विस्तार से कहा गया है। इस महाग्रन्थ के द्वारा सर्वप्रथम भारत की मानस भूमि में भक्ति की गंगा को बहाया गया है। महाभारत-युगीन सात्वतो ने भागवत

धर्म की पवित्र धारा को उत्तर भारत में मथुरा, वृन्दावन सहित समस्त व्रज क्षेत्र में, मध्य भारत, राजस्थान, सुदूर पश्चिम गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणांचल में कर्णाटक तथा तमिल (द्रविड प्रदेश) तक फैलाया । धर्मप्राण सात्वतो के उदय से पूर्व विष्णु तथा रुद्र आदि महाधिदेवों की उपासना का क्षेत्र सीमित था । महाभारत युग में वैदिक तथा औपनिषदिक समस्त आदिदेवों एवं सर्वसत्तावान् परब्रह्म की सम्पूर्ण शक्तियों, उपमानों तथा लक्षणों को वासुदेव श्रीकृष्ण में समन्वित एवं अधिष्ठित कर दिया गया । एक ओर तो श्रीकृष्ण को असण्ड आदिसत्ता के रूप में प्रतिपादित किया गया और दूसरी ओर उन्हें विष्णु का अवतार (आदित्यानामह विष्णु) मानकर ध्याया गया । इस प्रकार 'गीता' के श्रीकृष्ण ज्ञानियों और भक्तों की उपासना-अर्चना के आधार बने । 'महाभारत' का एकान्तिक नारायणीय या भागवत धर्म नरदेहधारी वासुदेव श्रीकृष्ण में केन्द्रित होकर भक्ति की पर्यस्विनी बनकर भागवत धर्म से रूप में भक्तप्रवण भारतीय जनमानस में व्याप्त हुआ ।

भक्ति की परम्परागत भावधारा को पुराणकार मुनि-महात्माओं और सूत शौनकादि ऋषियों ने पूर्णता प्रदान की । आराध्य की विभिन्न कोटियों को लक्ष्य बनाकर भक्ति के अनेक रूपों की धाराएँ पुराणों से ही प्रवाहित हुईं । इस दृष्टि से 'भागवत' का नाम उल्लेखनीय है । उसमें भागवत धर्म को पूर्ण प्रौढता प्राप्त हुई । भक्ति का लक्षण देते हुए 'भागवत' (१।२।६) में कहा गया है—'भक्त की भगवान् में अहेतुक, निष्काम और निष्ठायुक्त अनवरत प्रेमभावना ही 'भक्ति' है ।' 'भागवत' (७।५।२३-२४) में भक्ति का नवधा निरूपण किया गया है, जिसके नाम हैं—१ श्रवण, २ कीर्तन, ३ स्मरण, ४ पादसेवन, ५ अर्चन, ६ वन्दन, ७ दास्य, ८ सख्य और ९ आत्मनिवेदन । यह ग्रन्थ भागवत धर्म का एकमात्र प्रामाणिक एवं मान्य ग्रन्थ है । जिस प्रकार वेदान्त दर्शन के आचार्यों ने 'भगवद्गीता' को प्रमुख प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य लिखे और उससे अपने सिद्धान्तों को प्रमाणित किया है, उसी प्रकार वैष्णवाचार्यों ने 'भागवत' को वैष्णव धर्म का मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य लिखे और उससे अपने सिद्धान्तों को प्रमाणित किया है, उसी प्रकार वैष्णवाचार्यों ने 'भागवत' को वैष्णव धर्म का मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य, व्याख्यान एवं टीकाएँ लिख कर अपने-अपने मतों को प्रामाणिकता से सम्पुष्ट किया ।

भक्ति का उदय किस प्रकार हुआ और भारत के विभिन्न अंचलों में प्रवेश कर अन्त में वह व्रज-भण्डल में कैसे व्याप्त हुई, इस सम्बन्ध में 'भागवत' (१।४८-५०) में एक रोचक वर्णन आया है । भक्ति स्वयं कहती है—'मैं

वही (जो मूलतः मादवा की एक शाखा के वंशज सत्त्वतो द्वारा खार्ड गई थी) श्रविड देश में (रागात्मिका भक्ति के रूप में) उत्पन्न हुई। वर्णाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में भी कुछ-कुछ पोषित हुई और गुजरात में जाकर वृहत् हो गई। वहाँ घोर कठिन्युग (म्लेच्छवादा) के मध्य में पाण्डित्यों द्वारा खण्डित अग वाली में दुर्बल होकर बहुत दिनों तक अपने पुत्रों (ज्ञान-वैराग्य) के माय मन्दता को प्राप्त हुई। तदुपरान्त वृन्दावन (ब्रज-मण्डल) में पहुँचकर नर्तना, स्वरूपिणी, युवावस्थामध्यम एक सुन्दर बन गई। भक्ति के विकास का यह इतिहास बताता है कि ब्रज-मण्डल में श्रीकृष्ण के स्वल्प में उसकी अन्तिम परिणति हुई।

ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता

'भागवत' के उक्त प्रमग में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पुत्र बनाये गये हैं। किन्तु उनके कारण भक्ति का विकास न होकर मन्दता व क्षीणता को ही प्राप्त हुई। इन हेतु भगवद् भक्तों में ज्ञान-वैराग्य को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। भक्तिमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय में भक्ति को मुक्ति से श्रेष्ठ माना गया है। भक्तजन मुक्ति को प्राप्त कर उस आनन्दमयी स्थिति को नहीं चाहता है, जिसमें कि उसे श्रीकृष्ण के सात्त्विक से बचित होता पड़े। भक्त तो श्रीकृष्ण के पादमूत्र में ही सेवारत रहना चाहता है। यहाँ तक कि भगवान् अपने भक्तों को मुक्ति देना चाहते हैं, किन्तु वे उसे वरण नहीं करना चाहते (भागवत, ११।२०।३४)—

न किञ्चिन् साधवो धीरा मता ह्येकान्तिको मय ।

वाञ्छन्त्यपि मया दत्त वैवल्यमपुनर्भवंम् ॥

ज्ञान की पूर्णावस्था में मुक्ति की उपलब्धि स्वतः हो जाती है। उसे भगवान् अपने भक्त को बिना ज्ञान प्राप्ति के सहज ही देना चाहते हैं। किन्तु भक्ति की प्राप्ति तो अमहज है। भक्ति की प्राप्ति तो भगवान् की कृपा पर निर्भर है। वह मक्को मुक्त नहीं होती। ज्ञान के द्वारा भक्तियोग प्राप्त कर ब्रह्मानन्द की अनुभूति की जा सकती है, किन्तु भक्ति द्वारा जिस अलौकिक रमानन्द की उपलब्धि होती है, वह नीरम ब्रह्मानन्द की अपेक्षा श्रेष्ठ है। 'भागवत' की यह भक्ति साधनरूपा वैधीभक्ति नहीं है, अपितु मिथ्या रागानुगा प्रेमभक्ति है।

भक्ति को भगवत्प्राप्ति का साध्य और साधन, दोनों माना गया है। भक्ति वास्तव में एक भाव है, एक धारणा एव निष्ठा है। उसमें ज्ञान और कर्म दोनों का पर्यवमान है। कर्म और ज्ञान दोनों ही भक्ति की उपलब्धि के साधन हैं और भक्ति भगवान् की प्राप्ति का साधन है।

भक्ति की परम्परा और ग्रन्थ-निर्माण

वैष्णवधर्म या भागवतधर्म में भक्ति की यह परम्परा निरन्तर समृद्ध होती गई। भक्ति के व्यापक महत्त्व को दृष्टि में रखकर उस पर अनेक स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना हुई और उनके द्वारा भक्ति के व्यापक स्वरूप एवं महत्त्व को प्रतिपादित किया गया। भक्तिविषयक प्राचीन ग्रन्थों में 'नारद-भक्तिसूत्र' और 'शाण्डिल्यभक्तिसूत्र' का नाम प्रमुख है। उनके आरम्भ में भक्ति का लक्षण देते हुए कहा गया है—'प्रभु में अनुरक्ति की पराकाष्ठा ही 'भक्ति' है। 'नारदभक्तिसूत्र' में भक्ति के ग्यारह भेदों का निरूपण किया गया है, जो कि प्रभु के प्रति भक्त की अनुरक्ति के ग्यारह मार्ग या माध्यम हैं।

'भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्ति के गौणी और परा से दो प्रमुख भेद किये गये हैं। भक्त के साधनावस्था की भक्ति 'गौणी' और सिद्धावस्था की भक्ति को 'परा' कहा गया है। गौणी भक्ति के पुनर्बन्धी (शास्त्रानुमोदित) और रागानुगा (प्रेमानुगा) दो उपभेद किये गये हैं। 'ज्ञानामृतसागर' में भक्ति के छ प्रकार बताये गये हैं, जिनके नाम हैं—१ स्मरण, २ कीर्तन, ३. वन्दन, ४. पाद-सेवन, ५ अर्चन, और ६ आत्मनिवेदन।

वैष्णवधर्म की परम्परा में लगभग ७वीं-८वीं शती तक भक्ति का निरन्तर विकास होता गया। किन्तु ८वीं शती में शंकराचार्य के उदय के बाद अद्वैतवेदान्त तथा संन्यास और साक्तो के प्रभाव के कारण, भागवतधर्म की परम्परा में कुछ गतिरोध या विरोध-बाधाएँ उपस्थित हुईं। इन विरोधों से भक्ति मार्ग की परम्परा सर्वथा अवरुद्ध तथा विखण्डित नहीं हुई। शैव-शाक्तों पर भी भागवतों की भक्ति भाव का प्रभाव पडा। यहाँ तक कि अद्वैतवादी शंकराचार्य ने भी अद्वैतब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपासना का आधार बताया। परब्रह्म परमेश्वर में आत्मा के ऐक्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने उपासना के पाँच प्रकार बताये। 'ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य' (२।४२) में उनके नाम हैं—१ अभिगमन, २ उपादान, ३ इज्या, ४ स्वाध्याय और ५. योग। उपासना के ये पाँच प्रकार वस्तुतः भक्ति के ही अन्तर्गत रूप हैं। उनमें एहनित्य रहता हुआ उपासक या भक्त भगवान् (निराकार ब्रह्म) से साक्षात्कार कर सकता है।

शंकराचार्य के अद्वैतमत के विरोध में अनेक वैष्णवाचार्यों का उदय हुआ, जिन्होंने भागवत धर्मनिरूप वेदान्त-मत का बहुमुखी विकास किया। भागवतधर्म का यह पुनरुत्थान पूर्व मध्य युग १०वीं शती से उत्तर मध्य युग १६वीं शती तक अबाध गति से निरन्तर होता गया। इस अवधि में अनेक आचार्यों तथा भक्त कवियों ने परम्परागत भागवतधर्म के उपादानों

को ग्रहण कर उनका विकास अपने-अपने सम्प्रदायों के रूप में किया। श्रीनारायण और जगज्जननी महालक्ष्मी की भक्ति परम्परा दक्षिण में शठकोप स्वामी, नाथमुनि, पुण्डरीकाक्ष स्वामी और राममिश्र स्वामी से प्रवर्तित होती हुई यामुनाचार्य तक पहुँची। ये सभी तमिल आलवार वैष्णव भक्त थे। 'भागवत' (एकादश स्कन्ध, ५।३८-४०) में तमिल देशवासी द्रविड़ों को भगवान् वामुदेव का परम भक्त बताया गया है। अनेक विद्वानों का मत है कि 'भागवत' के वर्तमान स्वरूप की रचना तमिल देश में हुई। तमिल आलवार भक्तों ने समस्त दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया।

आलवार, नाथमुनि और यामुनाचार्य समसामयिक थे, जो कि १०वीं शती ई० में हुए। श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के संस्थापक ये दोनों आचार्य दक्षिण भारत में हुए और उत्तर भारत में आकर उन्होंने भागवतधर्म के पुनरुत्थान का सूत्रपात किया। शांकरमत के बढ़ते हुए प्रभाव को उन्होंने कम किया। नाथमुनि ने वृन्दावन में निवास कर अपने 'आगमप्रमाण' नामक गभीर ग्रन्थ की रचना कर शंकराचार्य के मायावाद का सण्डन किया।

नाथमुनि के बाद यामुनाचार्य ने भक्ति की परम्परा को अधिक सशक्त ढंग से आगे बढ़ाया। भक्ति द्वारा भगवद् अनुग्रह प्राप्त करने के नये मार्ग की स्थापना कर यामुनाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ईप्सु परिवर्तन कर उसे महाभारतकालीन भागवतधर्म के साथ संयुक्त किया और 'विशिष्टाद्वैत' नाम से सरल एवं सुगम दार्शनिक मत का प्रवर्तन किया। उन्होंने ज्ञान और कर्म दोनों को भक्ति का उपादान सिद्ध किया और भक्ति को ही ईश्वर-प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। यामुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य (११वीं शती) ने भक्ति का अपना नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने आद्य विष्णु के राम तथा कृष्ण अवतारों का महत्त्व निरूपित कर भक्ति की भावधारा को आगे बढ़ाया। उनके मत से राम और कृष्ण दोनों अवतार हैं और वे कर्णामय तथा भक्तवत्सल होने के कारण भक्तों के उद्धार हेतु अवतार धारण करते हैं। भक्त को चाहिए कि वह समस्त नियमों का परित्याग कर भगवान् के प्रति सर्वस्व समर्पण कर दें। यही 'शरणागति' है।

रामानुजाचार्य के अतिरिक्त भक्ति को भगवत्प्राप्ति का आधार मानने वाले वैष्णवाचार्यों में निम्बार्काचार्य (१२वीं शती), विष्णुस्वामी (१३वीं शती), मध्वाचार्य (१३वीं शती), रामानन्द (१३वीं शती), वल्लभाचार्य (१५वीं शती) और चैतन्य महाप्रभु (१५वीं शती) का नाम उल्लेखनीय है। इनमें से रामानन्द और चैतन्य के अतिरिक्त सभी आचार्य दक्षिण भारत के थे।

सनक सम्प्रदाय के सस्थापक निम्बार्काचार्य ने अपने दार्शनिक मत 'द्वैताद्वैत' की प्रतिष्ठा की। उनके मतानुसार श्रीकृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं, जिन्हें उपासना तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के उन्होंने दो रूप बताये हैं—साधनरूपा और सिद्धिरूपा। इस मत में राधा-कृष्ण के युगल भाव की भक्ति को प्रमुखता दी गई है।

विष्णुस्वामी के समय जैन, बौद्ध, शैव और शाक्त धर्मों का प्रभाव था। उन्होंने सर्वव्यापी भक्तवत्सल एव कृपालु भगवान् विष्णु की सगुण भक्ति को प्रचारित किया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि त्रिलोकव्यापी भगवान् विष्णु आदिदेव हैं और वे विद्व के लिए कल्याणकारी तथा जीवों के प्रति करुणामय हैं। वे अपने भक्तों के उद्धार के लिए समय समय पर विभिन्न नाम रूपों से अवतार धारण करते हैं। निष्ठापूर्वक उनका नाम स्मरण मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है।

मध्वाचार्य ने 'ब्रह्मसम्प्रदाय' की स्थापना की और अपने द्वैताद्वैत को प्रतिष्ठित किया। उनके मत से जीव तथा ब्रह्म दोनों नित्य हैं और दोनों का अस्तित्व स्वतन्त्र है। भगवान का भजन तथा नाम-कीर्तन के द्वारा जीव को पुरुषार्थ प्राप्त होता है। उन्होंने भक्ति के दो प्रकार बताये हैं—शास्त्राभ्यास और ध्यान। शास्त्रानुशीलन से अज्ञान तथा भ्रमादि की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा ध्यान से ईश्वरानुग्रह का लाभ होता है।

वैष्णवाचार्य रामानन्द ने 'रामानन्द-सम्प्रदाय' की प्रतिष्ठा कर राम-सीता की सगुण भक्ति का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वे विशिष्टाद्वैतवादी थे, जिसमें सगुण निर्गुण भक्ति का समन्वय किया गया है। उनके मत में सीता की उपासना की प्रमुखता है। सीता यद्यपि राम की पत्नी हैं, किन्तु वे आद्या शक्ति हैं। वे दिव्यश्री तथा स्वर्गश्री हैं। उनकी निहंतुक कृपा प्राप्त करना ही भक्त का अन्तिम लक्ष्य है। स्वामी रामानन्द ने जिस भक्ति मार्ग का प्रचलन किया, यह पहले उत्तर भारत में और उसके पश्चात् दक्षिण महाराष्ट्र तथा गुजरात तक व्याप्त हुआ।

वैष्णवभक्ति के अभ्युत्थान और उसके प्रचार-प्रसार की जो स्थिति उत्तर भारत की रही है, उसकी अपेक्षा दक्षिण भारत और गुजरात में उसका महत्त्व तथा प्रभाव कम रहा। मत यदि कहा जाये कि उत्तर को दक्षिण तथा पश्चिम से ही प्रेरणा मिली तो अनुचित न होगा। महाभारतकालीन सात्वत धर्म या भागवतधर्म में वासुदेव भक्ति का जो उदय हुआ, उसका प्रभाव उत्तरोत्तर ममस्त भारत में व्याप्त हुआ। संस्कृत के सहित अन्यान्य भारतीय भाषाओं के साहित्य भी इन भक्ति रचनाओं में समृद्ध हुए। भारतीय भाषाओं

के साहित्य में भक्तियुगीन वैष्णवाचार्यों, सन्तो एवं भक्त कवियों ने जिन रचनाओं का सृजन किया, उनके कारण इस भक्ति युग को इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया।

देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा महाराष्ट्र में भागवतधर्म के अनुयायी ऐसे बहुसंख्यक भक्त कवि तथा आचार्य हुए, जिन्होंने बहुमूल्य रचनाओं का सृजन कर उसकी परम्परा को उजागर किया। भागवतो को यह महाराष्ट्रीय परम्परा तमिल तथा कन्नड की परम्पराओं से कुछ भिन्न है। यह भिन्नता उपासना-पद्धति की दृष्टि से ही नहीं, आचार की दृष्टि से भी है।

महाराष्ट्र में भागवत वैष्णव धर्म के प्रथम सन्त कवि ज्ञानेश्वर (१४वीं शती वि० के मध्य) हुए। उन्होंने १३४७ वि० में 'भगवद्गीता' पर मराठी में १०,००० पद्यों का एक बृहद् ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 'ज्ञानेश्वरी' है। इस कृति की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अनेक भारतीय भाषाओं में उसके अनुवाद हुए। सन्त ज्ञानेश्वर ने १८ अभंगों की एक कृति 'हरिपाठ' और अद्वैत शैव दर्शन पर 'अमृतानुभव' नामक ग्रन्थ का भी प्रणयन किया। सन्त ज्ञानेश्वर ने स्वयं को गोरक्षपन्थी परम्परा के योगी निवृत्तिनाथ का शिष्य बताया है। वे मूलतः भागवतधर्म के अनुयायी होते हुए भी शिव तथा विष्णु दोनों के परम भक्त थे।

महाराष्ट्रीय सन्तो में ज्ञानेश्वर के पश्चात् नामदेव का स्थान है। नाभादास के 'भक्तमाल' के अनुसार नामदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य थे, किन्तु आधुनिक इतिहासकार इन दोनों सन्तों के स्थितिकाल में लगभग १०० वर्षों का अन्तर बताते हैं। इस दृष्टि से नामदेव १५वीं शती वि० के मध्य में वर्तमान थे। नामदेव के अभंगों ने महाराष्ट्र को भक्तिरसामृत में डुबो दिया था। उसका प्रभाव उत्तर भारत और पश्चिम भारत के सन्तों में भी लोकप्रिय हो चुका था। सिक्ख गुरुओं ने अपने पवित्र ग्रन्थ 'गुरुग्रन्थसाहिब' में उनकी स्तुति दी। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम भारत में नामदेव के मतानुयायियों का एक सगटन बन गया था। गुहदासपुर (पंजाब) में घुमन नामक स्थान पर आज भी वर्तमान नामदेव का मन्दिर इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है।

मराठी भक्त कवियों की इस परम्परा में तीमरा नाम सन्त त्रिलोचन (निघन १६०८ ई०) का नाम उल्लेखनीय है। वे पैठण निवासी थे। बड़े उदार विचारों के सन्त थे। जात-पात की सक्तीयताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने भागवत का मराठी अनुवाद किया, जिसका नाम 'एकनाथी भागवत' है। महाराष्ट्र के भक्तों में उसका प्रभाव 'ज्ञानेश्वरी' की ही भाँति व्याप्त है।

इसके अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएँ हैं—३६ अभंगों की कृति 'हरिपाठ' और 'चतुदशोकी भागवत' आदि। मराठी अभंगों के रचयिता भक्त कवि तुकाराम (१६०८-१६४९ ई०, रचनाकाल) का नाम मध्यकालीन धार्मिक इतिहास में बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाता है। वे भगवान विठोबा (पडरी-नाथ) के परम भक्त थे। उन्हीं के समकालीन महान्मा नारायण, जिनका प्रसिद्ध नाम समर्थ रामदास (१६०८-१६८९ ई०) था। वे महाराज शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने अपना एक विशेष धार्मिक चिह्न प्रचलित कर 'रामदासी पन्थ' के नाम से अलग सम्प्रदाय स्थापित किया। सत्तारा के निकट सज्जन-गड में आज भी उनका स्मारक भक्तों की श्रद्धा-भूजा का पवित्र स्थल बना हुआ है। समर्थ रामदास ने 'दासबोध' के नाम से एक दर्शन विषयक कृति का निर्माण किया था, जो कि साधु-वैरागी समाज में अपनी सरलता के कारण बहुप्रचलित है।

महाराष्ट्रीय सन्तो एव भक्त कवियों की यह परम्परा निरन्तर आगे बढ़ती गई। १८वीं शती ई० के आरम्भ में सन्त श्रीधर पण्डित हुए, जिन्होंने मराठी में 'रामायण' और 'महाभारत' को पद्यबद्ध करके मराठी साहित्य को समृद्ध किया और मराठी जनमानस को उक्त महान् ग्रन्थों से परिचित कराया। इसी शती में सन्त महीदास हुए। उन्होंने अष्टछाप के कवियों के अनुकरण पर महाराष्ट्रीय सन्तो एव भक्तों की जीवनी पर एक उपयोगी ग्रन्थ की रचना की। इसके अतिरिक्त 'मन्तलीलामृत', 'भक्त-विजय', 'कथामारामृत', 'भक्तलीलामृत' तथा 'सन्तविजय' आदि भी उनकी रचनाएँ हैं।

महाराष्ट्र में सन्तों एव भक्तों की परम्परा आज तक बनी हुई है। महाराष्ट्र में आज भी वर्तमान भगवान विठोबा (विट्टलनाथ या विष्णु) की भक्ति-सेवा में परायण भक्तजनों और वहाँ के मन्दिरों की महिमा को देखकर सहज ही यह विद्वान होता है कि वहाँ के जन-मानस में भक्ति की ज्योतिर्लला प्रचलित है। ये मन्दिर पण्डरपुर, आनन्द और देह में विशेष रूप से विद्यमान हैं। विट्टलनाथ भगवान् की अनेक पत्नियों, यथा स्वमाबाई (रुक्मिणी), राधा, सत्वभामा तथा लक्ष्मी आदि के भी अनेक मन्दिर दर्शनीय हैं।

महाराष्ट्र के मन्दिरों की दक्षिण के मन्दिरों से भिन्न आज भी अपनी नैष्ठिक परम्परा बनी हुई है। यद्यपि वहाँ मन्दिरों में भगवान् विठोबा के अतिरिक्त शिव, गणपति, सूर्य तथा लक्ष्मी आदि अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं और उनकी भी विधिवत् पूजा होती है, तथापि

वहाँ आज भी इस नियम का बट्टरता से पालन किया जाता है कि जाति-च्युत उनमें प्रवेश नहीं कर सकता है।

महाराष्ट्र के समान उड़ीसा में भी विष्णु-भक्ति की परम्परा अब तक बतमान है। यद्यपि धार्मिक परिस्थितियों की दृष्टि से उड़ीसा की अपनी स्थिति भिन्न रही है। उड़ीसा में यद्यपि सम्राट अशोक के समय में ही बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार रहा और बाद में सौवमत तथा तान्त्रिक शाक्त-मत का भी प्रभाव रहा। किन्तु वहाँ वैष्णवधर्म की ज्योति कभी भी मन्द नहीं पड़ी। बौद्धधर्म का यह प्रभाव ८वीं शती तक बना रहा। ८वीं शती के बौद्धानुरागी उड़ीसा के शासकों के समय बौद्धधर्म की इस शाखा में पर्याप्त उदारता आयी। उनके समय भगवान् जगन्नाथ को बौद्धावतार कहा जाने लगा। इसी ८वीं शती में शंकराचार्य के प्रभाव के कारण उड़ीसा में सौवधर्म का प्रवेश हुआ और उसी के फलस्वरूप ९वीं शती में भुवनेश्वर में लिंगराज की स्थापना हुई।

भारत में भागवतधर्म के अनुयायी गुप्तशासकों के समय उड़ीसा में वैष्णवधर्म का पुनरुत्थान हुआ। सत्पश्चात् ११वीं शती में भगवान् जगन्नाथ के विशाल मन्दिर की स्थापना हुई। १३वीं शती में रामानुजाचार्य के प्रभाव के कारण उड़ीसा में वैष्णवधर्म का पुनर्जागरण हुआ। १५वीं शती तक वहाँ विभिन्न मन्दिरों की स्थापना होकर विष्णु भक्ति का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इसी समय उड़ीसा में 'पंचसखा' कहे जाने वाले पाँच प्रसिद्ध वैष्णव कविभक्तों का एक साथ उदय हुआ। उनके नाम थे—बलरामदास (ज० १४७३ ई०), अनन्त (ज० १४७५ ई०), यशोवन्त तथा जगन्नाथ (ज० १४७७ ई०) और अनुत्तानन्द (ज० १४८९ ई०)। इन पाँच पंचसखा या पंचशिखा भक्तों की रचनाओं के कारण एक ओर तो उड़ीसा में वैष्णवधर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ और दूसरी ओर उड़िया साहित्य का सवर्द्धन हुआ। इन उड़िया वैष्णव कवियों की रचनाओं में जो विशेष बात देखने को मिलती है, वह है बौद्धधर्म के शून्यवादी विचारों का समन्वय। भगवान् जगन्नाथ को बौद्धावतार मानकर उनकी आराधना-उपासना का नया दृष्टिकोण स्थापित कर इन भक्त कवियों की वाणियों ने वैष्णवधर्म और भक्ति के पथ को प्रशस्त किया। (परशुराम चतुर्वेदी, वैष्णवधर्म पृ०-१७)।

स्वामी रामानन्द ने उत्तर भारत में जिस भक्तिधारा को बहाया, उसको बल्लभाचार्य ने लोकव्यापी स्वरूप दिया। उन्होंने 'पुष्टिमार्ग' की स्थापना कर 'भागवत' के निर्देशानुसार भगवान् के अनुग्रह को ही 'पुष्टि'

नाम दिया। जीव द्वारा सर्वतोभावेन समस्त विषयो का परित्याग और सर्वस्व समर्पण की भावना ही 'पुष्टिभाग' है। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया और ईश्वर के प्रति जीव का सेव्य सेवक-भाव-सम्बन्ध या पति-पत्नी-भावसम्बन्ध स्थापित कर अनन्य आसक्तिरूपा भक्ति का निरूपण किया।

श्रीबल्लभाचार्य के बाद उत्तरभारत में भक्ति के प्रसार का श्रेय गो० तुलसीदास (१६वीं शती) को है। उन्होंने 'रामचरितमानस' लिखकर रामानन्द की रामभक्ति-परम्परा को प्रशस्त किया। श्रीराम को विष्णु का साक्षात् अवतार मानकर गो० तुलसीदास ने उनका सम्बन्ध जन-सामान्य की पारिवारिक परम्पराओं से जोड़ा। श्रीराम के पूर्ण परब्रह्म स्वरूप की अगम्यता को इतने सरल, सहज ढंग से व्याख्यायित किया कि वे सर्वसुगम्य हो गये। मर्यादा पुष्टपोत्तम श्रीराम के आदर्शमय जीवन-चरित ने उत्तर भारत के जन-मन को भक्ति की रसमयता में डुबो दिया। 'रामचरितमानस' की रचना से पूर्व रामभक्ति का इतना अधिक प्रचार-प्रसार कभी नहीं हुआ। 'रामचरितमानस' भारत के घर-घर की धर्मगीता बन गया।

वैष्णवभक्ति को यह परम्परा मध्ययुग में सारे देश में व्याप्त हुई और मूरदास, मीराबाई, कबीर, नाटक तथा दादू आदि भक्त कवियों एवं सन्तों ने उनको सुगुण और निर्गुण दो धाराओं में प्रवर्तित किया।

उत्तर भारत की भांति पूरे भारत में भी भक्ति की पुण्य-सलिका परम्परा से प्रवाहित होती रही और उसको पूर्णता प्रदान की चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने 'भीडोय सम्प्रदाय' की स्थापना की और पूर्णावतार श्रीकृष्ण के गुण-कीर्तन पर अधिक बल दिया। उनका मत था—'भक्ति की विशुद्ध दीपाग्नि में पड़ कर जिसके दुर्जातिजन्य दोष भस्म हो गये, वह चाण्डाल होने पर भी उस वेदना से कहीं अधिक स्वामी है, जो भक्तिशून्य और नास्तिक है।' पूर्ण भारत में भक्ति की इस परम्परा के प्रवर्तक जयदेव, लीलाशुक, विद्यापति और चण्डीदास आदि भक्त कवियों की रचनाएँ न केवल बंगाल साहित्य की, अपितु समस्त भारतीय साहित्य की निधि हैं।

विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों द्वारा भक्ति के विकास के जो स्थिर एवं दायमत्त आधार तैयार हुए, उनकी भारतीय जनता के हृदय पर इतनी स्थायी एवं चिरन्तन छाप है कि प्रत्येक भारतीय के मन में, चाहे वह कितना ही धर्म-अविश्वासी हो, धर्म का अकुर कहीं-न-कहीं विद्यमान रहता है। भारत की भूमि में जन्म लेकर वहाँ की परम्पराओं में पला हुआ प्रत्येक व्यक्ति धर्म के प्राकृत एवं जन्मना सम्बन्ध का परित्याग नहीं कर सकता।

‘भक्ति’ एक प्रकार की श्रद्धा निष्ठा है। वैदिक यज्ञों की अधिष्ठातृ देवी श्रद्धा से ही भक्ति का उदय हुआ है। समस्त मानव समुदाय में, चाहे वह आस्तिक हो, चाहे नास्तिक, अपने उपास्य, ध्येय, आराध्य के प्रति किसी भी धर्मानुयायी की श्रद्धा निष्ठा होनी स्वाभाविक है। इस दृष्टि से वैष्णव भक्तों की अपेक्षा शिव भक्तों तथा शक्ति-भक्तों की भक्ति भावना कम नहीं है। शैवमत तथा शाक्तमत के उपासकों ने भी भक्ति का आश्रय लेकर अपने आराध्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे भाव-मधुर साहित्य की रचना की है, जिसका प्रचलन आज समस्त भक्त समाज में है।

सर्वशक्तिमान् शिव भारतीय गृहस्थ जीवन के प्रतीक हैं। उनका जीवन एक साधारण गृहस्थ के जीवन की भाँति सतत सघर्षों, विषमताओं और विपदाओं में बीता। इसलिए भारतीय धर्म प्राण जनता का शिव के प्रति श्रद्धा-पूजा-आराधना का भाव सनातन है। दक्षिण भारत में जिस प्रकार तमिल वैष्णव आलवारों ने विष्णु तथा कृष्ण की भक्ति की, उसी प्रकार तमिल शैव नयनारों, सम्बन्धर, अम्बर और सुन्दरमूर्ति भक्त कवियों ने समाज में अपने भक्तों को गा गाकर जन-सामान्य में अपने भक्तिमार्ग को प्रचलित किया। नयनार भक्त कवि अपने अनुयायियों के साथ मन्दिर मन्दिर में जाया करते थे और नटराज तथा उमा की मूर्तियों के चारों ओर बैठकर अपने भक्तों को गाते हुए भाव विह्वल होकर नाचते थे। उनके पीछे भक्त जनता का ताँता लगा रहता था। चैतन्यमत के भक्तों की भाँति ये नयनार शिव भक्त टोली बाँधकर नगर कीर्तन करते थे।

आज भी भारत की समस्त जनता समान श्रद्धा निष्ठा से शिव को अपना आराध्य देव मानती है और उमाकी पूजा में विश्वास रखती है। अन्य देवी देवताओं का प्रभाव क्षेत्रीय या आचलिक है। दक्षिण भारत में विष्णु की पूजा की प्रधानता है, पश्चिम में श्रीकृष्ण भक्ति प्रमुख है। उत्तर में राम-नाम की महिमा व्याप्त है और पूर्व में शक्ति की उपासना का प्रचार है, किन्तु शक्ति के प्रतीक लिंग की पूजा भक्ति का प्रचलन समस्त भारत में है।

शिव की ही भाँति शक्ति का अस्तित्व भी सनातन तथा सर्वव्यापी है। शक्ति, वस्तुतः अपररूप ‘भक्ति’ ही है। बिना भक्ति के उसे प्राप्त करना असम्भव बताया गया है। प्राचीन धार्मिक सम्प्रदाय के उपासकों की एक आराध्या शक्ति रही है और इसलिए प्रत्येक सम्प्रदाय किसी न किसी रूप में शक्ति का उपासक रहा है। वेदों की वाक्, सरस्वती, श्रद्धा, महालक्ष्मी, महाशक्ति, पृथ्वी और अदिति आदि स्त्री शक्तियाँ आज के भारतीय जन

मानस में आराधना, श्रद्धा, पूजा, अर्चना और सर्वपापविनाशिनो के रूप में ध्यायी जाती हैं। वे आज भी विभिन्न धार्मिक कार्यों की अग्रिष्ठात्री मानी जाती हैं। आदिकवि वाल्मीकि और पुराणकार व्यास ने 'रामायण' तथा 'महाभारत' में सृष्टि-समोहिनी जगद्धात्री की स्तुति की है। 'रामायण' की सीता और 'महाभारत' की द्रौपदी देहधारी मानव जगत् की ऐसी महा-पत्नियाँ हैं, जिनके दिव्य चरितों एवं आदर्शों की पूजा आज भी प्रत्येक भारतीय करते हैं। रुक्मी, दुर्गा, पार्वती और राधा भक्त-प्रवण भारतीय समाज की आराध्या पूज्या हैं। 'दुर्गासप्तशती' का पाठ आज स्मार्तों, वैष्णवों शैवों और शाक्तों, सभी धर्मानुयायियों में प्रचलित है।

धर्म-प्रवर्तक पूर्वाचार्यों के मतों का अनुशीलन करने पर ज्ञान होता है कि मूल सौन्दर्य की शाश्वत सुन्दरता, जो कि विश्व को समोहित किये हुए है, उसकी प्राप्ति करने का साधन भक्ति ही है। भगवान् के पास पहुँचने का वह एक मार्ग है। पूर्वाचार्यों ने कहा है—'जिस प्रकार अग्नि के निकट पहुँचने पर नीत की निवृत्ति या उष्णता का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रभु के निकट पहुँच कर दुःख-ताप की निवृत्ति और आनन्द की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में पहुँचकर भक्त समस्त दोषों, दुःखों तथा मलिनताओं से छुटकारा पा जाता है। उसके समस्त गुण-कर्म-स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। भगवान् की स्तुति, प्रार्थना, आराधना से पुष्ट्यार्थ प्राप्त होता है। आत्मा का बल प्राप्त होता है। ऐसा भक्त अपार दुःख को वर्जित करता हुआ अन्त में सायुज्य गति को, भगवान् के सात्त्विक को, निरतिशय परमानन्द गोलोक को प्राप्त करता है।'

इन प्रकार भारत के जन-मानस ने भक्ति को वरण कर युग-युगों में आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक उद्देश्यों की पूर्ति कर आत्मसकट और राष्ट्रसकट को दुर्दमनीय परिस्थितियों में आभरण तथा राष्ट्ररक्षा की। भक्ति की मंगलमय साधा में विश्व का जनमानस आज भी अदृष्ट मूल में बँध कर अलग-एक एक कर रहा है।

मुद्गर अर्थात् से अब तक भक्ति भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बनी हुई है। उसने न केवल धर्म के अस्तित्व की रक्षा की, बल्कि भारतीय सस्कृति को भी अपने मंगलमय बरदान दिये। उसमें समय-समय पर जो भारतेतर धर्म, विश्वास, आस्थाएँ, मान्यताएँ, मत-मतान्तर प्रविष्ट हुए उन सबको अपने अचल में समेट कर उसने उन्हें संरक्षण दिया। यह सनातन भक्ति-भावना भारत की ऐसी उदात्त एवं अक्षय शक्ति रही है, जिसने भारतीय सस्कृति को विश्वजनीन स्वरूप प्रदान किया।

भक्ति साहित्य

भक्ति के विभिन्न पक्षों को लेकर धर्म प्रवर्तक आचार्यों ने समय-समय पर विपुल साहित्य की रचना की, जिसका अधिकतर भाग आज भी विभिन्न हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रहों में हस्तलेखों के रूप में अप्रकाशितावस्था में है। 'भगवद्-गीता', 'महाभारत' और 'भागवत' भक्ति साहित्य के सर्वस्व एवं मूलस्रोत हैं। उनके अतिरिक्त सूत्र-शैली में विरचित 'नारदभक्ति सूत्र' 'शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र' भक्ति-विषयक प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इसी प्रकार यामुनाचार्य की 'चतु शती', रामानुजाचार्य के तीन स्तुति-काव्यों में 'शरणागतिसूत्र', कृष्ण-लीलाशुक्र का 'कृष्णकर्णामृत', माधवाचार्य का 'द्वादशस्तोम' और बल्लभाचार्य का 'भागवतलीला-रहस्य' आदि भक्ति विषयक उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। मध्ययुगीन अन्य भक्ति रचनाओं में रूपगोस्वामी का 'भक्तिरसामृतसिन्धु', 'उज्ज्वलनीलमणि', मधुसूदन सरस्वती का 'भक्तिरसामयन' और नारायण की 'भक्तिचन्द्रिका' का नाम प्रमुख है।

भक्ति साहित्य का समृद्ध स्वरूप स्तोत्र-ग्रन्थों के रूप में प्रकाश में आया। ये स्तोत्र सैकड़ों की संख्या में लिखे गये और उनके रचयिता भी विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों से सम्बन्धित थे। इन स्तोत्र-काव्यों में भक्त हृदय की ऐसी तन्मयता, आतुरता एवं विह्वलता प्रकट हुई, जिसको भक्ति की चरम परिणति कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रमुख स्तोत्रों में जैन कवि सिद्धसेन दिवाकर का 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र', मानतुगाचार्य का 'भक्तामरस्तोत्र' और शंकराचार्य की लगभग दस स्तोत्र रचनाओं में 'शिवानन्दलहरी' और 'सौन्दर्यलहरी' प्रमुख हैं। इसी प्रकार कवि पुष्पदन्त का 'महिम्नस्तोत्र', वेदान्तदेशिक के लगभग २५ स्तोत्र-काव्यों में 'अच्युत शतक' (प्राकृत), मधुसूदन सरस्वती की 'आनन्दमन्दाकिनी' और पण्डितराज जगन्नाथ की 'श्यामलहरी' भक्ति साहित्य की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

धार्मिक सम्प्रदाय

वैदिक युग से लेकर परवर्ती पुराण युग और उत्तरमध्य युग तक अनेक धार्मिक सम्प्रदायों का उदय हुआ। पुराणों तथा तान्त्रिक ग्रन्थों में कतिपय प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख हुआ है। किन्तु जिनका नामोल्लेख नहीं हुआ है, उनमें कतिपय ऐसे भी थे, जो अल्प समय में ही काल-कवलित हो गये, अथवा ऐसे भी रहे, जिन्हें न तो शास्त्रीय मान्यता प्राप्त हुई और न सामाजिक सम्मान ही। 'पञ्चपुराण' में चार वैष्णव सम्प्रदायों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मता ।
जत कलौ कविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिन ॥
श्रीमध्व रुद्र-सनका वैष्णवा सिद्धिपावना ।

इस प्रकार उक्त पुराण में वैष्णवधर्म के केवल चार सम्प्रदाय बताये गये हैं—मध्व, रुद्र, सनक और शैव। इस गणना में शैव सम्प्रदाय को भी वैष्णवमत के अन्तर्गत रखा गया है।

पुराणों के ही समय और उनके बाद धार्मिक सम्प्रदायों की इस सख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई। 'शक्तिसगमतंत्र' के समय तक इन सम्प्रदायों की सख्या अधिक हो गई थी। उनको दो प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है—पाशुपत और वैष्णव। उनमें पाशुपत की सात शाखाएँ और वैष्णव की दस शाखाओं का उल्लेख हुआ है—

वैखान सामपेदादौ श्रीराधावल्लभी तथा ।
गोकुलेशो महेशानि तथा वृन्दावनी भवेत् ॥
पाञ्चरात्र पञ्चम स्यात् पशु श्रीवीरवैष्णव ।
रामानन्दो हविष्याशी निम्वाकंश्च महेश्वरि ॥
ततो भागवतो देवी दस भेदा प्रकीर्तिता ।
शिखी मुण्डी जटी शैव द्विनिदण्डी ब्रमेण च ॥
एकदण्डी महेशानि वीरशैवस्तथैव च ।
सप्त पाशुपता प्रोक्ता दशधा वैष्णवा मता ॥

उक्त तन्त्र-ग्रन्थ की इस गणना में सम्प्रदायों के उदय का ऐतिहासिक क्रम नहीं है। किन्तु जिन नामों का उल्लेख किया गया है, उन सभी का अस्तित्व था। उनमें से कुछ सम्प्रदाय तो अपनी उपशाखाओं में भी पल्लवित हुए और

सम्प्रति उनके उपलब्ध बृहत् साहित्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापक भारतीय जन-मानस पर उनका अत्यधिक प्रभाव बना रहा ।

इन विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने अलग-अलग रूप में अपना विकास किया । सम्प्रति उनकी जो स्थिति है, उसके आधार पर उन्हें तीन प्रमुख वर्गों में अलग कर के देखा जा सकता है । वे हैं—१ शैव सम्प्रदाय, २ शक्त सम्प्रदाय और ३ वैष्णव सम्प्रदाय । साधना और आचार की भिन्नता के कारण इन तीनों शाखाओं का विकास अलग-अलग रूप में हुआ ।

शैव सम्प्रदाय

परमशिव या रुद्र की साधना को लेकर जिस धर्मशाखा का उदय हुआ, उसे शैवमत या शैव सम्प्रदाय कहा गया है । शैवमत के धर्म-दर्शन में शिव को सृष्टि, स्थिति और लय तीनों का कर्त्ता बनाया गया । सृष्टिकर्त्ता के रूप में वे ब्रह्मस्वरूप, हरिहर के रूप में विष्णुस्वरूप और महासंहारक के रूप में रौद्ररूप हैं । वे समस्त सृष्टि के सार्वभौम क्रिया-कलापों के अधिष्ठान और जीव-जगत् के अधिपति हैं ।

शिवोपासना का आरम्भ लिंगपूजा से हुआ, जो कि वैदिक आर्यों और आर्योत्तर जातियों में प्रचलित थी । पुराणकाल में आदिशङ्कर को शिव के रूप में पूजा गया । पुराणों में ही शिव के स्वरूप का दिग्दर्शन हुआ और शिवोपासना की परम्परा प्रवर्तित हुई । शंकराचार्य (८वीं शती) से पूर्व ही समस्त भारत में शिव के प्रति जगन्निष्ठा व्याप्त हो चुकी थी । काशी, काशी, मालावर और गान्धार तक शिव-मन्दिरो की स्थापना हो चुकी थी । शंकराचार्य की धार्मिक दिग्विजय में शिव की शक्ती को सर्वोपरि महत्त्व प्राप्त हुआ ।

आरम्भ में शैवमत पाशुपत तथा आगमिक दो शाखाओं में विभाजित हुआ । कालान्तर में आगमिक शैवों की अनेक उपशाखाएँ बनीं, जिनके नाम थे—१ सामान्य शैव, २ मिश्र शैव, ३ वापालिक शैव, ४ बीर शैव, ५ तामिल शैव, ६ काश्मीर शैव, ७ लकुलीश शैव और ८ रतेश्वर शैव । इन शाखाओं में बीर शैवों, तमिल शैवों, नन्दगीर शैवों और रतेश्वर शैवों का अधिक प्रचार-प्रसार हुआ ।

वैष्णवमत की भाँति शैवमत आज भी भारत के सभी अंचलों में प्रचलित है । शिव की पूजा उपासना का जो रूप आज जगन्निष्ठा का विषय बना हुआ है, वह वैष्णवमत से अभिन्नता रखता है । वस्तुतः जनसामान्य में विष्णु तथा शिव दोनों की आराधना-पूजा में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं है । विष्णु-भक्त शिव-भक्त भी हैं, और इसी प्रकार शिव-भक्त विष्णु के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा-निष्ठा रखते हैं ।

शाक्त सम्प्रदाय

शैवमत की ही भाँति शाक्तमत भी अत्यन्त पुरातन है। शक्ति की उपासना आर्य तथा आर्योत्तर जातियों में समान रूप से प्रचलित थी। सृष्टि की आद्याशक्ति का अस्तित्व भारत के सभी धर्मानुयायियों ने वरण किया। पुराण काल में महाशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की कल्पना की गई और उनकी अनेक उपासना-विधियों का प्रचलन हुआ। परमेश्वर की इच्छारूप बीजशक्ति से ही सृष्टि का उदय माना गया है।

शाक्तमत की आरम्भ में दो प्रमुख शाखाएँ प्रचलित हुईं, जिनके नाम थे—पश्वाचारी और वीराचारी। पश्वाचारी शाखा के अनुयायी शाक्त मद्य-मासादि का सेवन वर्जित मानते हैं, जब कि वीराचारी शाखा के अनुयायी उनका अनिवार्य सेवन करते हैं। इन दोनों शाखाओं के अनुयायी शक्ति उपासकों के लिए सात प्रकार के आचारों का विधान किया गया है। ये सात आचार हैं—१. वेदाचार, २. वैष्णवाचार, ३. शैवाचार, ४. दक्षिणाचार, ५. वामाचार, ६. सिद्धान्ताचार और ७. कौलाचार। यद्यपि इन सप्तविध आचारों का शास्त्र-दृष्टि से पालन करने का निर्देश समस्त शाक्त-मतानुयायियों के लिए किया गया है, किन्तु वस्तुतः कालान्तर में बहुधा एक-एक आचार को लेकर शाक्तों की अनेक शाखाएँ बन गईं, जिनमें पारस्परिक आचार-भिन्नता देखने को मिलती है। वामाचार या कौलाचार उपासना-पद्धति के कारण शाक्तमत की उदात्त धारणा लोकनिन्दा का विषय बनी और उसके फलस्वरूप शाक्तमत का विकास अवरुद्ध हो गया।

आज के भारतीय जनमानस में शिव और विष्णु की पूजा-प्रतिष्ठा की भाँति शक्ति की पूजा-प्रतिष्ठा का भी देशव्यापी प्रचलन है। शक्ति के तांत्रिक उपासकों की संख्या आज भले ही कम हो, किन्तु लोक-विमोहिनी, ताप-पाप-विमोचिनी भगवती दुर्गा की पूजा-प्रतिष्ठा-आराधना का प्रचलन आज भी भारत के घर-घर में है। मुद्गर अज्ञात अतीत से अब तक शिव और शक्ति के प्रति नगरो से लेकर गाँवों की धर्मप्राण जनता में अपार भक्ति-भावना विद्यमान है। 'भगवद्गीता' की ही भाँति 'दुर्गासप्तशती' प्रत्येक धर्म-निष्ठ परिवार की पवित्र पुस्तक है।

वैष्णव सम्प्रदाय

वैष्णव सम्प्रदाय को रूढार्थ में ग्रहण करनेवाले कुछ विद्वान् स्मार्तों (स्मृति धर्मानुयायी) और श्रौतों (वेद धर्मानुयायी) भेद से वैष्णवों तथा वैष्णवैतरो की भिन्नता स्थापित करते हैं। उनकी दृष्टि से श्रौत ही

वास्तविक वैष्णव हैं और स्मार्तों से अलग हैं। किन्तु यदि देखा जाये तो श्रौत भी बहुत कुछ आचारिक दृष्टि से यज्ञोपवीत, उपनयन तथा विवाह आदि सस्कारों को गृह्यसूत्रों में प्रोक्त कर्मकाण्डीय विधियों के अनुसार सम्पन्न करते हैं। इन सस्कारों के बिना श्रौतों का 'श्रौतत्व' सिद्ध नहीं होता है। इसलिए श्रुति-आधारित स्मार्त-कर्मों के अनुयायी होने के कारण वैष्णवों तथा वैष्णवतरो में विशेष भिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है।

पुराणों में विष्णु और शिव की उपासना का विशेष उल्लेख किया गया है। किन्तु उन दोनों को वैष्णव नहीं माना गया है, क्योंकि विष्णु और शिव, दोनों की भक्ति तथा उपासना में अविरोध है। 'नारदपुराण' के आरम्भिक उपक्रम में कहा गया है कि 'जो शिवाचंनाना में निरत है, त्रिपुण्ड्र धारण करते हैं, शिव या विष्णु का नाम जपते हैं, रुद्राक्ष से अलङ्कृत होते हैं, शिव या विष्णु में जिनकी समान बुद्धि है, वे सब 'भागवत' हैं'—

शिवेन परमेशे च विष्णौ च परमात्मनि ।

समबुद्ध्या प्रवर्तन्ते तै वै भागवता स्मृता ॥

इस प्रकार विष्णु और शिव में समान निष्ठा रखनेवाले दोनों प्रकार के भक्त तथा उपासक भागवत या वैष्णव हैं। जैसे विष्णुनिष्ठ वैष्णव हैं, वैसे ही शिवनिष्ठ भी वैष्णव ही हैं। इस दृष्टि से जितने भी धार्मिक सम्प्रदाय वेदानुगत धर्म को मानने वाले हैं, वे सभी भागवत या वैष्णव हैं।

'वैष्णवत्व' का अधिकार प्राप्त करना असहज है। वास्तविक वैष्णव वह है, जो समस्त इच्छाओं से निर्मुक्त हो चुका है। समस्त सासारिक कर्मों से जो सन्यास ले चुका है, ऐसा परिव्राजक ही वास्तविक वैष्णव है।

धार्मिक सम्प्रदायों की परम्परा में शैव तथा शाक्त मतों की अपेक्षा वैष्णवमत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार एवं प्रभाव रहा है। यह प्रभाव गुरुर अतीत से लेकर आज तक एक जैसे रूप में बना हुआ है। उसका कारण विष्णु का दशावतारी स्वरूप है। विष्णु के इन दस रूपों में राम और कृष्ण के दिव्य, लोकरक्षक एवं लोकमंगलकारी स्वरूपों को विभिन्न भावों में भजा गया। राम और कृष्ण, दो ही एकमात्र ऐसे उपास्य देव रहे हैं, जिनके अलौकिक चरितों को लोकनिष्ठाओं के अनुरूप प्रस्थापित करके जन-मानस की सवेदनाओं को समरस किया गया।

विष्णु की उपासना को, उनके विभिन्न नाम रूपों, अवतारों को लेकर जिन धार्मिक सम्प्रदायों का उदय हुआ, उनकी सख्या अनन्त है। उनमें जो प्रमुख हैं और जिनकी परम्परा समृद्ध रूप में आगे बढ़ती रही, उनके नाम हैं—रामानुज सम्प्रदाय (११वीं शती), माधव सम्प्रदाय (१२वीं शती),

निम्बार्क सम्प्रदाय (१२वीं शती), विष्णुस्वामी सम्प्रदाय (१३वीं शती), नामदेव-नुकाराम सम्प्रदाय (१३वीं शती), चैतन्य सम्प्रदाय (१५वीं शती), बल्लभ सम्प्रदाय (१५वीं शती), कबीर सम्प्रदाय (१५वीं शती) और तुलसी सम्प्रदाय (१६वीं शती) ।

इनके अतिरिक्त सनक सम्प्रदाय, रामाबल्लभ सम्प्रदाय, नारायण सम्प्रदाय, रामदासी सम्प्रदाय, दत्तानेय सम्प्रदाय, महापुरुषिया सम्प्रदाय, बारकरी सम्प्रदाय, स्कन्ध सम्प्रदाय, माणपत्य सम्प्रदाय और सौर सम्प्रदाय आदि अनेक शाखा-उपशाखाओं के रूप में वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ ।

वैष्णवधर्म की इन शाखा-उपशाखाओं पर सस्कृत, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में जितना साहित्य लिखा गया, उसका भण्डार अनन्त है । यह अपार साहित्य भारत के औरवमय बौद्धिक चिन्तन का साक्षी है, और आज भी भारत के अस्तित्व का सवाहक है । उसकी गरिमामयी, कीर्तिशाली परम्परा का शाश्वत प्रतीक है ।

योग सम्प्रदाय

वैदिक धर्मानुयायी आस्तिक समाज में शैव, शाक्त तथा वैष्णव शाखाओं के अतिरिक्त यौगविद्या पर आधारित योगमत या योग सम्प्रदाय की अपनी अलग उपासना-पद्धति रही है । शाक्तमत में वामाचारी उपासना ने और बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य की सामन्तकारिक सिद्धियों ने उनके महत्त्व को कम कर दिया था । इन वामाचारी सिद्धों तथा वामाचारी तांत्रिकों ने परम्परागत योग साधना को विस्मृत कर दिया ।

इन परिस्थितियों में योग-साधना की भारतीय परम्परा को पुनरुज्जीवित करने में जिन धार्मिक ग्रन्थों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें 'नाथ सम्प्रदाय' का नाम उल्लेखनीय है । महाभारत काल में योग-साधना का जो स्वरूप प्रचलित था, उसी को नाथपन्थी सिद्धों ने उजागर किया । यद्यपि नाथों ने भी शिव और शक्ति को ही अपनी उपासना का आधार बनाया, किन्तु शैवों और शाक्तों से वह भिन्न है । इस सम्प्रदाय के महा-योगियों में जालन्धरनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, वृष्णपाद और गोरक्षनाथ का नाम अग्रणी है । इन चार महायोगियों में भी मत्स्येन्द्रनाथ (९ वीं शती) और उनके शिष्य गोरक्षनाथ (१० वीं शती) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । उन्होंने अद्वैत शिव की साधना पर बल दिया और महाभारत तथा ऋग्वेद की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया ।

प्राचीन योग-मार्ग या योगमत की चार प्रमुख शाखाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनके नाम हैं—मन्त्रयोग, हठयोग, तपयोग और राजयोग। इन चारों शाखाओं की साधना के लिए आठ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं—यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मन्त्रयोग की साधना को 'महाभाव समाधि' हठयोग की साधना को 'महायोग समाधि' लययोग की समाधि को 'महालय समाधि' और राजयोग की समाधि को 'निर्विकल्प समाधि' कहा गया है।

इसी योगी मार्ग के उद्धारक गोरखनाथ हुए। उन्होंने योगी मार्ग को स्वतंत्र सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसको इतना व्यापक बनाया कि उनके समय में ही उसकी वारह उप शाखाएँ बन चुकी थी। इस योगी मार्ग के अनुयायी कानकडा सिद्ध हैं। इन वारह पन्थों के सिद्ध, साधक, फकीर, वैरागी आदि बाना धारण करने वाले अनेक अनुयायी हुए, जिनके कारण यह धर्म पन्थ त्वरित गति में लोक-प्रचारित हुआ।

इस योगी मार्ग में आने चलकर अनेक प्रसिद्ध सिद्ध एक सन्त हुए, जो कि हिन्दू भी थे और मुसलमान भी। मुसलमान फकीरों में सन्त इमामशाह (१५ वीं शती) का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने अपना स्वतंत्र 'पीराना पन्थ' प्रचलित किया। अपने धर्म मार्ग में उन्होंने गुरु के महत्त्व को प्रतिपादित किया। और सत्यधर्म का प्रचार-प्रसार किया। इस मत के गुरुओं को 'काका' कहा जाता है। वे हिन्दू और मुसलमान, दोनों हैं। वे मंदिरा आदि दुर्भसनों से अलग रहकर सादा तथा पवित्र जीवन चिताने में विश्वास करते हैं।

योग मार्ग की साधना पद्धति को कबीर, नानक, दादू, और प्राणनाथ आदि सन्तों एवं समाज सुधारक भावना से अत्यंत-प्रोत्त जीवनमुक्त महात्माओं ने प्रशस्त किया। उन्होंने एक ओर तो मूर्तिपूजा का खण्डन कर निर्गुण, निराकाकार, अद्वैत परमेश्वर की उपासना पर बल दिया और दूसरी ओर जात पाँत तथा कर्मकाण्ड के पालण्डों का खण्डन किया। सन्तों एवं साधकों की यह परम्परा बहुत लम्बी है और उसका प्रचार-प्रसार सारे भारत में हुआ।

योगमत की एक प्राचीन शाखा 'दत्तात्रेय मत' के नाम से भी प्रचलित है। भगवान् दत्तात्रेय एक ऋषिकुलीन ब्रह्मज्ञानी थे। किन्तु इस मत का प्रचलन कालान्तर में किसी अज्ञात नाम योगी ने किया। इस मत में ब्रह्मचर्य, वान-प्रस्थ और सन्यास को ही स्थान है, गृहस्थ को कोई स्थान नहीं दिया गया है। गृहस्थांगी एवं उदासीन योगियों के लिए ही इस मत में प्रवेश करने की अनुज्ञा है। यह पन्थ ज्ञानमार्गी है।

इसी प्रकार महाभारतकालीन धर्म शाखा 'स्कन्द सम्प्रदाय' को लोक-प्रचलित होने का समय १० वीं शती के लगभग है। स्कन्द सनातन ब्रह्म-चारी थे, जिन्हें कुमार भी कहा गया है। योग-मार्ग की राधना में स्कन्द को पवित्र शक्ति का प्रतीक माना गया है। तपस्या तथा योग-साधना द्वारा अर्जित ब्रह्मचर्य का प्रतीक ही स्कन्द है।

सम्प्रदाय शब्द का वर्तमान स्वरूप

सम्प्रदाय शब्द अपने वर्तमान स्वरूप में कुछ भिन्नार्थक प्रयुक्त होता है और विकृत रूप में ग्रहण किया जाता है। उसको कौमी प्रतिद्वन्द्विता एवं धार्मिक द्रोह का रूप दिया गया है। सम्प्रदाय को कौम का पर्याय मानकर आज साम्प्रदायिक सघर्ष एवं साम्प्रदायिक दये आदि का प्रयोग किया जाता है, जो कि धर्मान्धता का परिचायक है और कतिपय समाजद्रोही लोगों की देन है। 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भी इसी प्रकार की भ्रान्ति फैलाने वाला राजनीतिज्ञों का एक अविचारित, निरर्थक, अदुर्द्धमता का परिचायक है। निरपेक्षता का अर्थ अपेक्षाहीन, सिद्धान्तहीन, अतिरिक्तहीन हो सकता है। निरपेक्ष व्यक्ति न तो अपने प्रति और न देश के प्रति प्रियिष्ठावान् हो सकता है। अतएव 'सम्प्रदाय' और 'निरपेक्ष' इनके प्रचलन से भारत की गरिमा, उसकी उन्नत परम्परा का अपहनन हुआ है।

भारत की उन्नत धर्म-परम्परा में 'सम्प्रदाय' शब्द को एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता रहा है। सम्प्रदाय वस्तुतः एक ऐसी सस्था है, ऐसा समाज है, जो गुरु-परम्परागत या आचार्य-परम्परागत है। गुरु-परम्परा से जिसके आचार-विचार परिशुद्ध हैं, ऐसे सद्गुणविष्ट व्यक्तियों का विशिष्ट समाज ही 'सम्प्रदाय' है। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय का उद्देश्य जन कल्याण का रहा है। जितनी भी अनन्त दुराइयाँ और पापाचार हैं, उनसे विरत रहना और व्यापक मानव-समाज में सद्भाव, सदाचार और सद्विचार स्थापित करना ही प्रत्येक धार्मिक पन्थ, मत या सम्प्रदाय का लक्ष्य रहा है। सम्प्रदाय का जातीय सघर्षों तथा कौमी दगों से कभी भी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। धर्मान्धता तथा हिंसा का सम्बन्ध सम्प्रदाय से जोड़ना न केवल देशभक्ति के प्रति अवमानना है, अपितु परम्परा के प्रति भी विद्वेषासथात है।

पुरातन भारतीय शासकों की धर्मानुरागिता

धर्म भारतीयता का प्रतीक या पर्याय रहा है। इसलिए प्राचीन भारत में जितने भी शासक, सम्राट् या राजा महाराजा हुए, उन्होंने धर्म का वरण किया और उसके प्रति निष्ठावान् रहकर अपने शासन का संचालन किया। प्राचीन भारत के शासकों की धर्मानुरागिता उनकी प्रशस्तियों तथा उनके अभिलेखों में सुरक्षित है।

सम्राट् अशोक भारत का प्रथम सम्प्रभुतासम्पन्न सम्राट् हुआ, जिसके शासन काल से भारतीय इतिहास की गौरवशाली परम्परा स्थापित हुई। लोक को धर्म भावना की जानकारी देने और समाज को धर्ममार्ग का अनुसरण करने के उद्देश्य से उसने लेख खुदवाये और अपने साम्राज्य के विभिन्न अंगों में उन्हें प्रतिष्ठित किया। उसने अपने शासन को धर्मराज्य घोषित किया। उसके चौथे, आठवें तथा नवें अभिलेख में उसकी धर्म-यात्रा, धर्म-संगत तथा धर्म शासन का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। उसने अपने ग्यारहवें अभिलेख में स्पष्ट कहा है कि 'धर्मदान के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य बढकर नहीं है'। इस अभिलेख में उसने यह राजाशा उत्कीर्णित करवाई कि समस्त प्रजाजनो से उचित व्यवहार किया जाये। दास से समुचित आचरण किया जाये। माता पिता की सेवा की जाये। साधु ब्राह्मण का दर्शन कर उन्हें दान दिया जाये। प्राणिहित किया जाये। ऐसा आचरण करने पर इस लोक में सुखोपलब्धि होगी और परलोक में भी पुण्य प्राप्त होगा। अशोक ने अपने अभिलेखों को धर्मलिपि (अथ धर्म-लिपि) नाम से कहा है।

अशोक की उक्त आज्ञाओं का अनुशीलन करने पर प्रतीत होता है कि उसने किसी विशिष्ट धर्मानुयायी के नाते अपने धर्म प्रचार के लिए राजाशाएँ उत्कीर्णित नहीं करवाईं। यद्यपि वह बौद्धधर्मानुयायी था, किन्तु धर्मस्वातन्त्र्य उसके शासन की विशिष्टता रही है। कलिंग के नर सहार में उसको आत्मानुशीलन के लिए बाध्य किया और युद्धोन्माद के उद्देश्य का सर्वथा परित्याग कर उसने धर्म द्वारा विश्व विजय का सवल्प कर लिया था। उसने मानव-मंगलकारी बौद्धधर्म की सार्वभौम भावना में स्वयं को समर्पित कर दिया और उसके प्रचार-प्रसार को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। शान्ति, सद्भाव और मानव-कल्याण की स्थापना के लिए उसने देश-विदेश में अपने विद्वान् धर्मदूतों को भेजा। उसने कई हजार स्तूपों का निर्माण करवाया, मठ बनवाये

और विशेष रूप से निपुक्त धर्ममहापात्रों द्वारा अहिंसा का पाठ प्रचारित किया। उसने मानव मंगल के लिए धर्म को ही एकमात्र आधार स्वीकार कर लिया था।

सम्राट् अशोक की धर्म-सहिष्णुता एक धार्मिक उदारता का अनुसरण दक्षिण के शुंगों ने भी किया। जिस प्रकार अशोक ने बौद्धधर्म के प्रति अनुराग रखते हुए भी समस्त धर्मों का सम्मान किया, उसी प्रकार शुंगों ने भी परम्परागत बौद्धधर्म के उच्चादेशों का अनुसरण-पालन करते हुए ब्राह्मण धर्म को उजागर किया। उन्होंने एक ओर तो भरहुत वेदिका पर अभिलेख खुदवा कर बौद्धधर्म के प्रति अपनी निष्ठा अभिव्यक्त की और दूसरी ओर वैदिक यज्ञों की परम्परा को स्थापित कर ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। ई० पूर्व प्रथम शती में वर्तमान पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख से विदित होता है कि उसने दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था (द्विरश्वमेधयाजिन सेनापते पुष्यमित्रस्य)।

सातवाहन शासकों ने भी धर्म के प्रति 'धर्माय नमः' कह कर अपनी निष्ठा व्यक्त की। ई० पूर्व प्रथम शती में उत्कीर्ण नागाघाट के अभिलेखों से विदित होता है कि सातवाहनो ने अग्न्याघेय, अनारम्भणीय, राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ किये थे। इस प्रकार सातवाहन शासक भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। किन्तु बौद्धधर्म के प्रति भी उनकी निष्ठा का परिचायक साँची स्तम्भ का अभिलेख है।

धार्मिक अभिरुचि से प्रेरित होकर नहपान के जामाता श्रयभद्र या उपपदस (प्रथम शती) ने प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्या के विवाह के लिए दान दिया था। उसके नासिक अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है उसने बौद्ध धर्म को भी गुप्त-दान दिया था। प्रथम शती ई० में वर्तमान महाधन्य रुद्र-दामन ने प्रचुर धन दान करके लोकरहित के लिए विशाल बाँध बनवाया था। उसके पुत्र रुद्रसिंह प्रथम के गुफालेख से उसकी धार्मिक उदारता प्रकट होती है।

भारतीय शासकों में धर्म की ज्योति को उजागर करने और उसके प्रकाश में राष्ट्र को समार्ण पर ले जाने में कनिष्ठ का नाम उल्लेखनीय है। प्रथम शती ई० में मौर्य अशोक की शक्ति कुषाण सम्राट् कनिष्क का सुत समृद्धि-पूर्ण शासन विन्दुद्ध रूप से धर्म पर आधारित था। उसने अपने पूर्ववर्ती गुप्त-सातवाहनो के वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म को गौण और बौद्धधर्म को प्रमुखता दी थी। उसने पूर्णरूप से बौद्धधर्म का धरण कर लिया था और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। उसने चौबी बौद्ध-संगीत

(बौद्ध विद्वत्सभा) का आयोजन कर बौद्धधर्म की भावी उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित कीं। उनके प्रयास से मथुरा, काशी तथा सारनाथ में बौद्धारामों का निर्माण हुआ और बुद्ध प्रतिमाएँ स्थापित की गईं। उसने अनेक धर्म-लेख उत्कीर्णित करवाये। उसके इन धर्मलेखों के आधार पर ही आधुनिक इतिहासकारों ने उसके साम्राज्य की सीमाओं को खोज निकाला था। अपने सिक्कों पर उसने बुद्धावृत्ति उत्कीर्णित कर अपने अगाध धर्म विश्वास को अभिव्यक्त किया।

शुंगों तथा सातवाहनों का ब्राह्मण धर्म के प्रति अनुराग का प्रभाव परवर्ती शासकों पर भी परिलक्षित हुआ। उदाहरणस्वरूप तीसरी शती ई० में वर्तमान नागवशीय राजाओं में काशीनरेश पारशिव ने दश अश्वमेध यज्ञ करके काशी में दशअश्वमेध घाट का निर्माण एवं नामकरण किया था। इसी शती में वर्तमान दक्षिण भारत के शासक वीर पुरुषदत्त के नागाजुंजी पर्वत के पास के भग्नावशेषों के स्तूप-लेख में अग्निष्टोम, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है।

भारतीय शासकों में धार्मिक अभिवृत्ति की भावना आगे भी निरन्तर प्रवर्धित होती रही। गुप्त सम्राट् विमुक्त रूप से परम भागवत थे। उनके समय ब्राह्मण धर्म उत्कर्ष पर था। सम्राट् समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञों का पुनरुद्धारक (चिरोत्सनाश्वमेधकर्तुं) कहा गया है। गुप्तों के समय की विशेष बात यह है कि उनके सरक्षण में बौद्धधर्म भी परम्परानुरूप में आगे बढ़ता गया। उनके शासन काल में सारनाथ में अनेक भव्य बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख मनकुवाँ (इलाहाबाद) की बुद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्णित है। उसी प्रकार कुमारगुप्त द्वितीय तथा बुधगुप्त ने भी बौद्ध प्रतिमाओं पर अपने लेख खुदवा कर बौद्धधर्म के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की।

पाचवीं शती ई० में वर्तमान दक्षिण के वाकाटकवशीय शासक ब्राह्मण-धर्मानुयायी थे। रानी प्रभावती के अभिलेख में अनेक अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार राजा प्रवरमेन द्वितीय के ताम्र-पत्र में उसे चार अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया गया है।

बौद्धधर्म की परम्परा के अन्तिम सरक्षक एवं अनुरागी बंगाल के पाल-वशीय शासक थे। बंगाल के धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और सूरपाल सभी परम बौद्ध थे। पाल शासकों ने अशोक तथा कनिष्क की भाँति बौद्ध धर्म को राजधर्म का सम्मान दिया, जिनके प्रमाण उनके अनेक अभिलेख हैं। पाल शासकों के बौद्धधर्मानुराग के कारण बौद्ध कला में पाल शैली के नाम

से एक नई बला सौली वा प्रचलन हुआ। कुन्निहार (विहार) में उपलब्ध कास्य प्रतिमाओं पर देवपाल के शासन काल के लेख उत्कीर्णित हैं। इसी प्रकार खालिमपुर, मुगेर, भागलपुर, बोधगया और वानगढ़ आदि विभिन्न स्थानों पर उकीर्णित प्रशस्तियाँ उनके बौद्धानुराग के पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हैं।

मध्ययुगीन भारत के कुछ शासकों में बौद्ध धर्म का प्रभाव बना रहा। महदवाल राजा गोविन्दचन्द की रानी कुमारी देवी का बौद्धानुराग सारनाथ के एक प्रस्तर लेख में विदिन होता है। उसमें कहा गया है कि उसने विहार के भिक्षुमय को दान दिया था।

इसी प्रकार परवर्ती मध्ययुगीन शासकों ने भी धर्म को अपने शासन का अभिन्न अंग बना कर अपनी प्रजा की सुख समृद्धि को बढ़ाया। किन्तु यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किसी भी शासक ने कभी भी अन्य धर्मानुरागियों के प्रति कोई द्वेष-वैमनस्य प्रकट तथा आचरित नहीं किया, अपितु अन्य धर्मानुरागियों की उच्च भावनाओं को स्वयं में समाहित किया।



(तीन)

महाभारतकालीन धर्मशाखाएँ

- १ सात्वत मत
- २ पाश्वरान्न मत
- ३ भागवत धर्म
- ४ पुराणों में वेदविहित धर्म की पुनः स्थापना
- ५ सौर सम्प्रदाय
- ६ स्कन्द सम्प्रदाय
- ७ गाणपत्य मत
- ८ दत्तात्रेय मत

सात्वत मत

भारत की पुरातन धर्म-परम्परा में भागवत, सात्वत और पांचरात्र, तीन मतों का उल्लेख देखने को मिलता है। यदुवश में सात्वत नाम का एक राजा हुआ, जिसको कि 'वशकर' कहा गया है और जिसने सात्वतवश का प्रवर्तन किया। उसके पिता का नाम अशु और पुत्र का नाम सात्वत था। इसी यदुवशीय राजा सात्वत ने सात्वत मत का प्रवर्तन एवं सबर्द्धन किया।

इस मत की परम्परा राजा सात्वत को कहीं से प्राप्त हुई और उसका आगे क्या स्वरूप रहा, इसका उल्लेख 'महाभारत' (शा० ३३६।३१-४९) में हुआ है। सात्वत मत की परम्परा में सनत्कुमार को एक श्रेष्ठ आचार्य माना गया है। इस मत का ज्ञान उपदेश सर्व प्रथम ब्रह्मा ने सनत्कुमार को दिया, जिसे उन्होंने धीरण प्रजापति को प्रदान किया (शा० ३३६।३७)। उपदेश की यह परम्परा धीरण प्रजापति से नारद मुनि को प्राप्त हुई और नारद मुनि ने उसे शुक्र को प्रदान किया। शुक्रदेव से उसका उपदेश राजा सात्वत को मिला। इस मत का सार 'महाभारत' (शा० ३१६।६) में इस प्रकार उल्लिखित है— विद्या के समान श्रेष्ठ नेत्र इस ससार में नहीं हैं, साथ ही सत्य के समान श्रेष्ठ तप, राग के समान घोर दुःख और त्याग के समान श्रेष्ठ सुख भी इस ससार में दूसरा नहीं है—

नास्ति विद्यासम चक्षुर्नास्ति सत्यसम तप ।

नास्ति रागसम दुःख नास्ति त्यागसम सुखम् ॥

इस प्रकार सात्वतमत परम्परा द्वारा लोकविश्रुत हुआ। 'कूर्मपुराण' में यादववशीय लोगों को सात्वत कहा गया है और 'पद्मपुराण' में सात्वतों को विष्णुभक्त के रूप में अभिहित किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि आरम्भ में सात्वत मत की भागवत मत से एकता थी। किन्तु 'मनुस्मृति' में सात्वतों को शकर जातिविशेष के रूप में परिगणित किया गया है। सात्वतों के सम्बन्ध में इस विविधता का कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि महाभारत काल में भागवतों तथा सात्वतों में भक्ति तथा उपासना के क्षेत्र में जो एकरूपता थी, कालान्तर में दोनों मतों के अनुयायियों में परस्पर विरोध उत्पन्न हो गया था। इसलिए मनु ने सात्वतों के प्रति हीनता का भाव प्रकट किया है।

परवर्ती पुराणों में भागवत धर्म का अधिक प्रचार-प्रसार हुआ और सात्वत मत की सगुण विष्णु या केशव भक्ति को उसने अपने अन्दर समा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कि भागवत मत में पाचरात्र मत का समावेश हुआ।

‘भगवद्गीता’ में प्रतिपादित निष्काम कर्म और बाभुदेव की उपासना सात्वत मत का मुख्य उद्देश्य था। सात्वतो ने निष्काम कर्म के अतिरिक्त ज्ञान तथा भक्ति को भी आत्मोद्धार का साधन बनाया। ‘पद्मपुराण’ में कहा गया है कि ‘जो सभी कर्मों को त्याग कर अनन्य चित्त से श्रीकृष्ण, केशव या हरि की उपासना करता है, वही सात्वत भक्त कहलाता है।’ ‘हरिगीता’ में भी सात्वतो का उल्लेख हुआ है।

इसी प्रकार सात्वत भक्तों के उपास्य श्रीकृष्ण या विष्णु बन गये और भागवत मत के व्यापक प्रचलन के उपरान्त लगभग ७वीं शती ई० के बाद न तो सात्वत मत का और न पाचरात्र मत का उल्लेख देखने को मिलता है।

पांचरात्र मत

प्राचीन धार्मिक मतों में पांचरात्र मत का भी एक नाम है। पाँच प्रकार की ज्ञान-भूमियों पर आधारित एवं विचारित होने के कारण इस धार्मिक मत का ऐसा नामकरण हुआ—

रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम् ।

‘महाभारत’ में ‘शान्तिपर्व’ (अध्याय ३४९) में पितृमह भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर से प्रचलित पाँच ज्ञानों की चर्चा करते हुए उन पाँच ज्ञानों के समन्वित स्वरूप को ‘मत’ की संज्ञा दी थी। इन पाँच मतों या ज्ञानों में उन्होंने पांचरात्र का भी उल्लेख किया—

साख्यं योगं पाञ्चरात्रं वेदा पाशुपतं तथा ।

ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि वै ॥

पांचरात्र मत के सम्बन्ध में उक्त उल्लेख यह सिद्ध करता है कि उसका इतिहास बहुत प्राचीन है। ईश्वर की समुण उपासना के रूप में शिव तथा विष्णु, दोनों का देवत्व वैदिक युग में ही स्वीकार किया जा चुका था। महाभारत-युग में शिव की अपेक्षा विष्णु की समुण उपासना-आराधना का बहु-प्रचलन हुआ और श्रीकृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में माना जाने लगा था। ‘महाभारत’ के युग में ही परम्परागत विष्णु की उपासना को पांचरात्र के नाम से कहा जाने लगा था। पुराणों में इस विष्णु उपासनापरक पांचरात्र मत को अधिक व्यापकता तथा लोकमान्यता प्राप्त हुई। पुराणकार ऋषियों ने धर्म का सामान्यीकरण किया और उसे समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सहज तथा श्रेयस्कर बनाया।

पांचरात्र मत का प्रथम अनुयायी राजा उपरिचर वसु हुआ। उसने ही पांचरात्र विधि से नारायण की पूजा का प्रचलन किया। इसकी कथा ‘नारायणीय उपाख्यान’ (महाभारत, शा० ३१४।३५) में वर्णित है। इस मत के आधार मूलरूप में नारायण रहे हैं। उक्त उपाख्यान में कहा गया है कि रत्नायम्भुव मन्वन्तर में सनातन विस्वात्मना नारायण से नर, नारायण, हरि और कृष्ण चार मूर्तियाँ उत्पन्न हुईं। उनमें नर-नारायण ऋषियों ने उत्तराखण्ड बदरिकाश्रम में जाकर तप किया। एक बार जिज्ञासु नारद मुनि ने नर-नारायण ऋषियों से धर्म विषय पर प्रश्न किये। नर-नारायण ऋषियों ने अपने उत्तर में महर्षि को पांचरात्र मत का व्याख्यान किया।

नर-नारायण द्वारा नारद को प्राप्त धर्म का उपदेश दिया। इस उपदेश में कहा गया है कि 'जो नित्य अजन्मा और शाश्वत है, जो चौबीस तत्त्वों से परे पञ्चीसवाँ पुरुष है, उसे सनातन पुरुष वासुदेव कहते हैं। वही सर्व-व्यापक है। प्रलय काल में उसके अतिरिक्त कोई नहीं बचता। पंच महा-भूतों का जो शरीर बनता है, उसमें अदृश्य सूक्ष्म रूप में वासुदेव प्रवेश करते हैं। इस रूप में उसे शेष तथा सकर्षण कहा जाता है।

धर्म का उक्त उपदेश स्वायम्भुव मन्वन्तर में मरीचि, अगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ आदि सप्तपियों को प्राप्त हुआ। उन्होंने परम्परागत मत को धर्म, अर्थ काम और मोक्ष—इन चतुर्विध पुरुषार्थ से समन्वित कर 'पाचरात्र-शास्त्र' का प्रणयन किया। उस शास्त्र में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों, अहिंसा तथा अहिंसामय वैदिक यज्ञों एक श्रद्धादि क्रियाओं का निरूपण किया गया है। यह शास्त्र अपने मूल रूप में एक लाख श्लोक परिमाण का था। उसमें पाचरात्र के विस्तृत स्वरूप का वर्णन किया गया था।

पाचरात्र मत को यह परम्परा किस रूप में आगे बढ़ी तथा जन-विश्रुत हुई, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की प्रमाण सामग्री उपलब्ध नहीं है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पाचरात्र मत भी सात्वत मत की भाँति भागवत मत में पर्यवसित हो गया। महाभारत काल से लेकर शंकराचार्य के समय ८ वीं शती ई० तक, पहले बौद्धों ने और उनके बाद शंकराचार्य ने पाचरात्र मत को प्रभावहीन कर दिया था। आगे न तो सात्वत मत और न पाचरात्र मत का अस्तित्व देखने को मिलता है। भागवत मत ने एक स्वतंत्र सम्प्रदाय का स्वरूप धारण कर वैष्णव भक्ति के रूप में पहले तो द्रविड, तैलंग, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में अपना प्रसार किया और तत्पश्चात् वह उत्तरी भारत तथा भारत के अन्य अंचलों में फैला।

पांचरात्र साहित्य

पुराणोक्त १०८ संहिताओं में से 'लक्ष्मीसंहिता' प्राचीनतम संहिताओं में से एक थी, जिसका सम्बन्ध पाचरात्र मत से था। किन्तु वह सम्प्रति वह उपलब्ध नहीं है। पाचरात्र मत पर उपलब्ध प्रमुख ग्रन्थ 'पाचरात्र संहिता' है, जो कि एक आगमिक ग्रन्थ है। उसमें वैष्णव आचारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस संहिता-ग्रन्थ के दो विभाग हैं—पाचरात्र और वैखानस। किसी मन्दिर में पाचरात्र और किसी मन्दिर में वैखानस संहिता के अनुसार आचारों का सम्पादन होता है। 'नारद पाचरात्र' में भागवत

सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इस सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थों में 'हरिवंश', 'स्कन्द उपनिषद्', 'भागवत', 'नारदभक्ति-सूत्र', 'शाण्डिल्यभक्तिसूत्र', 'वासुदेव गोपीचन्दन उपनिषद्', 'मुक्ताफल', 'हरिलीला' और 'भागवत तत्त्वार्थदीपिका' के अतिरिक्त 'महानारायण उपनिषद्', 'महाभारत', 'रामायण' तथा 'भगवद्गीता' का नाम उल्लेखनीय है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त 'ज्ञानामृतसार' का इस दृष्टि से उल्लेखनीय स्थान है कि उसके कारण बौद्धधर्म तथा शंकराचार्य के विरोध के फलस्वरूप भी भागवत धर्म की लोकप्रियता कम नहीं हुई।

इस प्रकार पाचरात्र मत के सम्बन्ध में जो ज्ञान-सामग्री उपलब्ध होती है, उससे यह ज्ञात होता है कि कालान्तर में वह भागवत धर्म में विलयित होकर उसका स्वतंत्र अस्तित्व प्रायः समाप्त हो गया और भारतीय धर्म की व्यापकता को भागवत धर्म ने बरण कर अपना अस्तित्व चिरस्थायी बनाया।

भागवत धर्म

भारत की पुरातन धर्म-शाखाओं में 'भागवत मत' या 'भागवत धर्म' का भी एक नाम है। यद्यपि कालान्तर में भागवत धर्म का विकास वैष्णव धर्म के रूप में हुआ, किन्तु अपने मूलरूप में वह स्वतंत्र धर्मशाखा के रूप में प्रचलित था। उसका स्वतंत्र अस्तित्व उसके महामन्त्र 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' से भी स्पष्ट होता है। यद्यपि इस द्वादशाक्षरी महामन्त्र का प्रयोग वैष्णवधर्मानुयायी, विशेषरूप से बल्लभ-सम्प्रदाय के अनुयायी भी करने लगे थे, किन्तु आरम्भ में भागवत धर्म सर्वथा स्वतंत्र था और उक्त महामन्त्र का प्रयोग उसके अनुयायी ही करते थे।

भागवत धर्म पुरातन पांचरात्र या सात्वत अथवा वैखानस मतों से भिन्न था। पांचरात्र या वैखानस आदि मतों में नारायण को परमतत्त्व तथा उपास्य-आराध्य के रूप में माना गया है, जब कि भागवत धर्म के आधार वासुदेव श्रीकृष्ण रहे हैं। भागवत धर्म में नारायण तथा विष्णु की अपेक्षा श्रीकृष्ण को एकमात्र स्थान दिया गया है।

इन महत्त्वपूर्ण देवताओं की शास्त्रमान्यता तथा लोकमान्यता परम्परा से भिन्न रही है। ब्राह्मण ग्रन्थों तथा आरण्यक-ग्रन्थों के समय तक विष्णु, नारायण या हरि आदि देवताओं को आधुनिक भक्ति-भावना के अनुरूप कल्पानिधान भगवान् के रूप में नहीं माना गया है। अपने उपास्यदेव के प्रति उपासक की भक्ति-भावपूर्ण निष्ठा सात्वत धर्म या भागवत धर्म के उदय के अनन्तर ही हुई। इस धर्म के उपास्य-आराध्य वासुदेव श्रीकृष्ण थे। यद्यपि विष्णु तथा नारायण या हरि की भाँति वासुदेव या कृष्ण, इन दो नामों का प्रयोग आरम्भ में अलग-अलग होता रहा, किन्तु बाद में उनको वासुदेव कृष्ण एक मानकर कहा गया।

यद्यपि वासुदेव नाम का उल्लेख प्राचीनता की दृष्टि से केवल 'तैत्तिरीय आरण्यक' में हुआ है, तथापि 'महाभारत' में अनन्तर उनके स्वरूप तथा महत्त्व में परिवर्तन हुआ। 'महाभारत' (५।७०।३०) के एक स्थल पर कहा गया है—'मैं वासुदेव इसलिए कहलाता हूँ कि मैं सभी प्राणियों को अपनी माया या अलौकिक ज्योति द्वारा आच्छादित किये रहता हूँ।' 'भगवद्गीता' में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है—'वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ।' (वृष्णीना वासुदेवोऽहम्)। इस कथन से यह भी ज्ञात होता है कि वासुदेव वृष्णिबुल में उत्पन्न हुए थे। अन्याय इतिहास ग्रन्थों से स्पष्ट है कि वृष्णियों

का मूल निवास मयुरा के उत्तर में था। बगुदेव-देवकी इसी कुल के थे। देवकीपुत्र कृष्ण और वासुदेव कृष्ण एक ही थे। 'भगवद्गीता' में अर्जुन को कर्त्तव्यबोध का उपदेश देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है—'सब कुछ सच्चा सीधा कर्त्तव्य समझ कर उसके फल को भगवान् के हाथ में निहित मानना चाहिए।' अर्थात् एकमात्र भगवान् पर भरोसा करना चाहिए। एकनिष्ठ भक्त ही भगवान् को प्रिय है। भागवतो ने इसी एवनिष्ठा को 'एकान्तिक धर्म' कहा है और वही भगवान् नारायण को प्रिय है (महाभारत १२।३४८।४)। 'भगवद्गीता' में कहा गया है—'मुझ में ही मन लगाकर मुझ में ही बुद्धि को स्थिर कर। इससे तू निःसन्देह मुझ में ही निवास करेगा। ...में तुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। इसके द्वारा तू मुझ में जा मिलेगा।' आत्मसमर्पण की यह एकनिष्ठ भावना ही एकान्तिक धर्म है। इस एकान्तिक धर्म का विकास पाचरात्र धर्म में हुआ है। पाचरात्र धर्म की पूर्णता वैष्णव धर्म के रूप में परलब्ध हुई। प्राचीन पाचरात्र धर्म या भागवत धर्म का ही वैष्णव धर्म में रूपान्तर हुआ।

विकास की इस स्थिति तक पहुँचने से पूर्व भागवत धर्म स्वतंत्र रूप से विकसित होता रहा। अपने मूल रूप में यह उदार, सहिष्णु और मानवमान के लिए ग्राह्य रहा है। उसमें असमानता का कोई भाव नहीं था। किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुलकस, आभीर, कक, यवन और खस आदि जो भी तत्कालीन विभिन्न भारतेतर जातियाँ तथा निम्न वर्गों का समाज था, उसको भी भागवत धर्म को बरण करने की स्वतन्त्रता थी।

भागवत धर्म यद्यपि वेदानुमत धर्म है, तथापि उसमें वेदमत के विपरीत हिंसा का निषेध है। वैदिक यज्ञों में परम्परा से पशुबध का प्रचलन था। किन्तु भागवत धर्मानुयायी राजा उपरिचर वसु ने अपने अश्वमेध में पशु बलि नहीं दी थी (महाभारत, पा० ३३६।१०)। क्रुश्वशीय सुधन्वा की ताखा में यह राजा कृतिका का पुत्र था और श्रुतपुत्र में हुआ था। एक समय इन्द्र तथा महर्षियों का पशुबध के विहित-अविहित पक्ष पर विवाद हो गया था। उसमें निर्णायक के रूप में राजा उपरिचर वसु ने महर्षियों का पक्ष लेकर पशुबध को अविहित ठहराया। अपने गुरु बृहस्पति ने होतृत्व में उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें पशु-बध नहीं किया गया। इस यज्ञ में राजा ने नारायण के साक्षात् दर्शन किये थे।

भागवत धर्म की प्राचीनता तथा लोकप्रियता में कुछ ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। भारत के अनेक पुरातन राजवंशों ने भागवत धर्म को राजधर्म के रूप में प्रचलित किया था। इस प्रकार के राज-वंशों में गुप्त साम्राज्य का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने अभिलेखों तथा

सिक्को पर स्वयं को 'परम भागवत' अंकित किया है। इस सामग्री का समय २०० ई० पूर्व है। इसी शती में वर्तमान तक्षशिला के राजा भागभद्र के दरबार में निवास करने वाला यूनान के ग्रीक शासक अन्तियोकिदसु का राजदूत हेलिमादोरसु भागवत धर्म का अनुयायी था। उसने वेस नगर (मिलसा, म० प्र०) में देवाधिदेव की पुण्य-स्मृति में एक गहड स्तम्भ (विष्णुध्वजस्तम्भ) का निर्माण कराया था। इस स्तम्भ में उत्कीर्णित शिलालेख में उसने स्वयं को 'परम भागवत' कहा है। इससे यह भी समावना की जा सकती है कि पश्चिमी यवन देशों में दीव्य सम्बन्ध होने के कारण वहाँ भागवत धर्म का प्रसार हुआ होगा। यूनानी राजदूत का भागवत धर्म बरण करने से यह भी सिद्ध होता है कि उस समय धर्म को, आज की भाँति सीमा-रेखाओं में बाँधने और उसको सर्वोपेक्ष्य दायरे में बाँधने की प्रवृत्ति नहीं थी। लगभग २५० ई० पूर्व में उत्कीर्णित धुमुण्डी शिलालेख में भी वामुदेव-पूजा का उल्लेख हुआ है।

भागवत धर्म के अनुयायी राजवसों में गुप्तों के बाद आन्ध्र सातवाहनो का नाम उल्लेखनीय है। सातवाहन सम्राट् द्वारा उत्कीर्णित नागरघाट शिलालेख (२०० ई० पूर्व) में अन्य देवों के साथ भगवान् सकर्षण (बलराम) तथा वामुदेव का भी उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार ई० पूर्व प्रथम शती में मथुरा मण्डल के अधिपति के समय वर्तमान बसु नामक एक धर्म-प्राण व्यक्ति ने मथुरा में भगवान् वामुदेव का एक मन्दिर बनवाया था। मथुरा में भागवतों का यह प्रथम मन्दिर था। इस मन्दिर के अस्तित्व का पता एक उपलब्ध शिलालेख में चला है।

भागवत धर्म के प्रवर्तन की यह परम्परा साहित्य के क्षेत्र में भी प्रतिफलित हुई। वैयाकरण पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' में वामुदेव शब्द की सिद्धि के लिए एक स्वतंत्र सूत्र (४।३।८९) की रचना की और उसका अर्थ किया— 'वामुदेव भक्त'। पाणिनि स्वयं पश्चिमोत्तर भारत के निवासी थे। वे पारसियों के सेवक यवनो या ग्रीको से सुपरिचित थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत धर्म का प्रचार पाणिनि के समय (५०० ई० पूर्व) में बृहत्तर भारत में हो चुका था।

शाक्य धर्म ने श्रीकृष्ण को एकमेव अद्वितीय परमोच्च सत्तासम्पन्न माना गया है। ज्ञानियों ने उन्हें ब्रह्म के रूप में, योगियों ने परमात्मा के रूप में और भक्तों ने भगवान् के रूप में ध्याया है। वे अगुण, अचिन्त्य होते हुए भी रूपवान् मृष्टि की संरचना करने के कारण सगुण और साकार

भी है। वे गुणवान् और अनन्त विभूतियों से सम्पन्न हैं और उनकी गुणवत्ता तथा विभूतिगता उनके चार गुणों से सिद्ध होती है। वे लीलामय हैं, प्रेममय हैं, विमुग्धकारी हैं और मुरलीमनोहर हैं। उस लीलामय सगुण ब्रह्म को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति है, जो कि मुक्ति तथा ज्ञान से भी उत्तम है। किसी भी भक्ता में इस भक्ति का उदय भगवान् की कृपा से ही होती है।

इस प्रकार भागवत धर्म का परमोच्च विकास वामुदेव श्रीकृष्ण की भक्ति में प्रतिफलित हुआ और उस लीलामय के विभिन्न रूपों की आराधना में भक्ति की अनेक कोटियाँ प्रचलित हुईं। उनका अलग-अलग स्वरूप वैष्णवाचार्यों के विभिन्न सम्प्रदायों में देखने को मिलता है। वस्तुतः भागवत धर्म वैष्णव धर्म का ही उपजीव्य रहा है। उसने वैष्णव धर्म के अनेक मतों को जन्म दिया और वैष्णव धर्म में ही समाप्त हो गया।

भागवत धर्म का आधारभूत ग्रन्थ 'भागवत'

'भागवत' भागवत धर्म का आधारभूत ग्रन्थ है। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन सात्वत मत एवं पाचराज मत का विकास भागवत धर्म के रूप में हुआ और भागवत धर्म ने वैष्णव मत की अनेक शाखा-प्रशाखाओं को जन्म दिया। इस दृष्टि से वैष्णव धर्म का आधार भागवत धर्म ही रहा है। भागवत धर्म की व्यापकता 'महाभारत' तथा समस्त पुराणों, उपपुराणों में देखने को मिलती है। किन्तु 'भागवत' में उसको पूर्णता प्राप्त हुई। यही कारण है कि जितने भी धर्मप्रवर्तक वैष्णवाचार्य हुए उन्होंने 'भागवत' को इतनी अधिक मान्यता दी कि उसे 'प्रस्थानत्रयी' (उपनिषद्, गीता, ब्रह्मसूत्र) के समकक्ष स्थापित कर 'प्रस्थानचतुष्टय' को प्रमाण माना और उस पर भाष्य लिखे। सभी वैष्णवाचार्यों ने अपने मत की पुष्टि के लिए 'भागवत' को प्रमाण माना है।

'भागवत' मुख्यतः भक्तिरस का ग्रन्थ है। उसका कथन ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुकदेव ने किया था। उसमें मुख्यरूप से विष्णु अवतार भगवान् कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। उसका दशमस्कन्ध इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में धर्म के साथ दर्शन का भी विवेचन हुआ है। श्रीकृष्ण के लीलामय स्वरूप का निरूपण द्वैतवादी आचार्यों ने और उनके परब्रह्म स्वरूप का वर्णन अद्वैतवादी आचार्यों ने किया है। 'भागवत' के वर्तमान स्वरूप की रचना ७वीं शती ई० मानी जाती है।

भक्ति के क्षेत्र में इस ग्रन्थ का जितना सम्मान हुआ, उसके साथ ही उसका महत्त्व इस रूप में भी है कि परवर्ती आचार्य-परम्परा और भक्त-

परम्परा के ग्रन्थकारों का वह उपजीव्य भी रहा है। इस दृष्टि से 'महा-भारत' और 'रामायण' के बाद उसका तीसरा स्थान है। तमिल, अण्ड्र, कन्नड, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के वैष्णव कवियों ने 'भागवत' के विभिन्न सन्दर्भों पर अनेक रचनाओं का निर्माण किया। ब्रजभाषा का प्रायः सारा भक्ति साहित्य इसी ग्रन्थ पर आधारित है।

'भागवत' के प्रवास में आ जाने से पुरातन सात्वत मत और पांचरात्र मत, दोनों का उत्तम समावेश हो गया और कालान्तर में भागवत मत की धर्मगंगा से जो अनेकानेक धर्मधाराएँ प्रवाहित हुईं, वे वैष्णव धर्म की विभिन्न शाखा-उपशाखाओं के रूप में प्रवर्तित एवं विकसित हुईं।

पुराणों में वेदविहित धर्म की पुनः स्थापना

भारतीय साहित्य में पुराणों का अपना विशेष स्थान है। पुराणों का मुख्य विषय परम्परागत वैदिक धर्म का व्याख्यान एवं प्रतिपादन करना है। युग की परिस्थितियों के अनेक रूप ऐसे धर्म की स्थापना करना है, जो सर्वग्राह्य, सर्वहितकारी एवं सर्वोपयोगी हो। पुराणों से पूर्व सूत्रग्रन्थों द्वारा स्थापित धर्म व्यवस्था ने सनातन वैदिक धर्म की उदार निष्ठाओं को कर्मकाण्ड की जटिल क्रिया पद्धतियों से एकागी एवं दुर्गम बना दिया था। जन-सामान्य की धर्म जाकाशाओं को सर्वथा उपेक्षित कर दिया गया था। सूत्रग्रन्थों की वर्ग-वर्ण विभेद की पृथक्तावादी प्रवृत्तियों ने वैदिक धर्म की सार्वभौम उदारता को सकुचित रूप देकर उसे पुरोहितों और कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की घरोहर का रूप दे दिया था। ब्राह्मण ग्रन्थों तथा सूत्रग्रन्थों के विधिवाद यज्ञ, कर्मफल तथा पुनर्जन्म की मान्यताओं ने एक ऐसे कट्टरपन्थी धर्म की स्थापना पर बल दिया, जिसका वरण जन सामान्य करने में असमर्थ था।

यद्यपि ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहकर समाज के कल्याणार्थ उसके सम्पादन पर विशेष बल दिया गया है। कहा गया है कि उसके अनुष्ठान से मेघों की प्रसन्नता और उनके द्वारा मुदृष्टि से पृथ्वी की धन-धान्य-सम्पन्नता एवं प्रजा का कल्याण होता है। किन्तु यज्ञों को विशेषाधिकारों में परिनिष्ठित करके उन्हें असामान्य बना दिया था। यद्यपि श्रौत-मूत्रा तथा गृह्यमूत्रों की कर्म-पद्धति ने पारिवारिक जीवन की पवित्रता और आध्यात्मिक अभ्युत्थति का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, किन्तु उसके विधि, नियम, आदेश इतने जटिल बना दिये कि उनका निर्वाह करना सर्वसामान्य के लिए मुकर नहीं था।

श्रौतमूत्रा और कल्पमूत्रों की जटिल कर्म-पद्धति को धर्ममूत्रों ने अपेक्षा-तर सरल एवं उदार बनाया। धर्ममूत्रों में सामाजिक जीवन के प्रचलित रीति रिवाजों, नियमों तथा प्रथाओं को ग्रहण कर उन्हें पारस्परिक कर्तव्यों का स्वरूप दिया। उनमें पारलौकिक अभ्युदय के साथ-साथ नैतिक उत्थान पर भी बल दिया गया और सामाजिक आचार विचारों तथा वर्णाश्रमधर्म की नई व्याख्या की गई। चारों वर्णों के कर्तव्यों तथा नियमों का निर्धारण कर उनके पारस्परिक सम्बन्धों को स्थिर किया गया। किन्तु उनकी कठोर दण्ड-स्यक्तता तथा खान-पान, विवाह-सम्बन्ध और छूआ छूत सम्बन्धी निर्दोशों ने सामाजिक सामंजस्य को और भी उलझा दिया।

एक ओर इन धार्मिक क्रिया विधियों ने सनातन वैदिक धारा से समाज को विच्छिन्न कर दिया था, और दूसरी ओर महावीर स्वामी तथा बुद्ध की धर्मनीतियों ने समाज पर अपना वर्षेस्व स्थापित किया। जैनधर्म और बौद्धधर्म के अहिंसा, जीवदया तथा समान सामाजिक अधिकार-कर्तव्यों की व्यवस्था से बहुसंख्यक समाज, जो कि कठिन क्रिया विधियों के परिपालन में असमर्थ था, उनका अनुयायी हो गया। जैनधर्म की अपेक्षा बौद्धधर्म को राज्याध्यक्ष मिलने के कारण उसके प्रचार-प्रसार को बहुत बल मिला। प्रतापी सम्राट् अशोक और कनिष्क जैसे प्रभावशाली शासकों ने बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उनके प्रयास से बौद्धधर्म न केवल बृहत्तर भारत में, अपितु एशिया के विभिन्न देशों में अपनी लोकप्रियता को प्राप्त हुआ। इन दोनों धर्मों ने वैदिक धर्म की परम्परा को सर्वथा विच्छिन्न कर दिया।

वैदिक धर्म की इस ह्रासोन्मुख स्थिति को पुराणकारों ने पुनरुत्थापित किया। उन्होंने वैदिक धर्म को कर्मवाण्ड की सकीर्णताओं से एव वर्ग वर्ण की सीमाओं से उभार कर उसको लोकमान्य बनाने के लिए उदार एव सार्वभौम स्वरूप दिया। आचार-पद्धति को सर्वमुलभ बनाया और उसमें समानाधिकारों की स्थापना की। पुराणकार व्यासों तथा सूतों ने वैदिक धर्म को लोकव्यापी देशधर्म बनाने के लिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, भारत के विभिन्न अंचलों का भ्रमण किया और सारे देश में धर्म स्थानों, देवालयों तथा तीर्थों की स्थापना कर जन-मानस की उनके प्रति क्षीण हुई श्रद्धा निष्ठा को जगाया। उन्होंने बृहत् पुराणसंहिताओं का निर्माण कर विष्णु के नर रूप नारायण और कृष्ण तथा राम जैसे दयामय, अनुग्रही, हितकारी एव उदारक आदर्शमय अनुकरणीय चरितों की स्थापना की और जनमानस के सम्मुख भक्ति, आराधना, उपासना का नया आधार प्रस्तुत किया। शिव और शक्ति, जो कि जनसामान्य के उपास्य रहे हैं उनके परम कारुणिक भक्तवात्सल्यमय स्वरूपों के सरल उपाख्यान एव माहात्म्य प्रचारित किये। उनकी भाषा सरल थी और भाव बोधगम्य। अपनी इन दो विशेषताओं के कारण वे छोटे छोटे उपाख्यान व्यापक रूप में प्रचारित हुए।

पुराणकारों ने एक ओर तो बौद्धों के अनात्मवाद तथा जैनों के अणुवाद का खण्डन कर वैदिक धर्म की प्रस्थापना की, और दूसरी ओर इन दोनों धर्मों के उच्चादर्शों को अपना कर महावीर तथा बुद्ध का देवतुल्य संपूजित स्थान दिया। पौराणिक धर्म की अवतार-परम्परा में बुद्धावतार की स्थापना धार्मिक गमन्य का एक अपूर्व उदाहरण था, जिसके कारण पौराणिक धर्म की लोकव्यापी निष्ठा निरन्तर उजागर होती रही।

इस प्रकार पुराणों में क्षीणोन्मुख वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होकर सारे भारत में विष्णु, शिव, शक्ति और उनके विभिन्न नाम-रूपों की भक्ति-उपासना के नये धार्मिक आन्दोलन ने समस्त भारत की जनता को विमोहित कर लिया। पौराणिक धर्म के उदय के रूप में, वैदिक धर्म का यह नवोत्थान युग था। पुराणों में वेदविहित धर्म की पुनः स्थापना होने के कारण भारत के परम्परागत धार्मिक इतिहास को नया आलोक मिला।

पुराणों की उबार धार्मिक मान्यताएँ

भारत की धार्मिक परम्परा के इतिहास में पौराणिक धर्म का उदय एक नये युग का सूचक था। भारत ने अनेक जातियों तथा मतों के समागम ने यहाँ के धर्म तथा सस्कृति को प्रभावित किया और उनमें नई मान्यताओं की स्थापना हुई। पुराणों की धर्म-व्यवस्था में इन नई मान्यताओं को दिग्दर्शित किया गया। वेदों की धर्म-नीति को पुराणों में अधिक व्यापक रूप से प्रस्थापित किया गया। वेदों में जिन अग्नि, इन्द्र, वरुण, पूषण, सोम, उषा और पर्जन्य आदि तीस दैवताओं का प्राधान्य था, पुराणों में उनका स्थान विष्णु तथा शिव ने लिया और कालान्तर में विष्णु तथा शिव के प्रतीक तीस कोटि देवताओं की अवधारणा हुई। यह बहु-देवतावाद पौराणिक धर्म की विशेष देन थी। पुराणकारों की यह एक ऐसी सभ्यता थी, जिन्होंने समस्त मानव जाति को प्रभावित किया।

वेदों की अपेक्षा पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति की भक्ति-उपासना का विशेष वर्णन देखने को मिलता है। अन्य पाँच देवताओं की अपेक्षा ब्रह्मा के महत्त्व की गौरवता पाई जाती है। यही बात सूर्योपासना के सम्बन्ध में भी चरितार्थ होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा तथा सूर्य की उपासना धीरे धीरे क्षीण पड़ती गई और संभवतः यही कारण है कि सम्प्रति इन दोनों देवताओं की उपासना का प्रचलन सर्वथा ही नहीं रहा। सारे देश में केवल पुष्कर (अजमेर) को छोड़कर ब्रह्मा का मन्दिर अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार सूर्य-मन्दिर भी शिव-शक्ति के मन्दिरों की अपेक्षा इन्हीं दिनों ही हैं। किन्तु जहाँ तक अन्य देवताओं के मन्दिरों का प्रश्न है, पुराणकारों ने विष्णु, शिव, शक्ति और गणेश को अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। उनकी पूजा-प्रतिष्ठा आज के समाज में भी व्यापक रूप से प्रचलित है।

पुराणों की नई अवधारणा ने धर्म, कर्म, साधना, आराधना और रीति-रिवाजों, आचार-अनुष्ठानों के क्षेत्र में भी परिवर्तन किया। वर्ण-सकीर्णता

और जातिगत भेद-भावों को मिटा कर उदार एव सहिष्णु आचार-सहिता की प्रस्थापना की। पुराणकारों ने सरल एव रोचक शैली में वैदिक धर्म की महनीयताओं का सर्वजनोपयोगी दृष्टि से व्याख्यान किया। श्रौतसूत्रों तथा गृहसूत्रों में प्रतिपादित कर्मकाण्ड की रुढ़ियों को पुराणों में अधिक उदार बनाया गया। पुराणों की धर्म-प्रवृत्ति में जो सबसे बड़ी एव अपूर्व बात देखने को मिलती है, वह है स्त्रियों तथा दूत्रों के विशिष्ट अधिकारों की व्यवस्था।

कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत-युद्ध के उपरान्त देश की, समस्त सामाजिक जीवन की, तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यालोचन करके इतिहास-पुराण-समन्वित एव ऐसे धर्म का प्रवर्तन किया, जो सर्वसामान्य के लिए उपादेय था। उन्होंने द्विजों के लिए सामान्य रूप से, किन्तु स्त्रियों तथा दूत्रों के लिए विशेष रूप से कर्तव्यों तथा अधिकारों का नियमन किया। उससे पूर्व वेदोक्त कर्मों के सम्पादन का अधिकार स्त्रियों तथा दूत्रों को प्राप्त नहीं था, जो कि उन्हें सुलभ किया। वेदव्यास ने युगानुरूप धर्म-प्रवर्तन का कार्य अपने विद्वान् एव विलक्षण बुद्धि के शिष्य लोमहर्षण को सौंपा, जो कि अवर जातीय सूत थे। इस सम्बन्ध में अनेक पुराणों में उल्लेख हुआ है। 'मविष्य' (ब्राह्मण, अध्याय १) तथा 'भागवत' (स्कन्ध १, अध्याय २) में कहा गया है कि जिनको वेदों में वर्णित बड़े-बड़े यज्ञ-यागादि कर्म करने का अधिकार तथा सामर्थ्य नहीं है, ऐसे स्त्रियों, दूत्रों तथा नाममात्र के ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों (द्विजबन्धु) के हितार्थ उनकी मोक्ष-प्राप्ति के लिए व्यासदेव ने पुराणधर्म का कथन किया है। ये द्विजबन्धु वे थे, जो वैदिक धर्म को छोड़कर जैन-बौद्ध धर्मों के अनुयायी हो गये थे।

महाज्ञानी लोमहर्षण सूत ने भारत की चारों दिशाओं का भ्रमण किया। नई परिवर्तित परिस्थितियों का अन्वयन किया और विभिन्न वर्णों तथा वर्गों की अभिरुचियों तथा मान्यताओं का पर्यवेक्षण किया। देश में धर्म की मान्यताओं के क्षेत्र में जो द्विविधा तथा अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी, उसमें समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने नैमिषारण्य में आकर सहस्रो सनकादि ऋषियों के समक्ष नई धर्म-सहिता का व्याख्यान किया। धर्म के इस नये स्वरूप को उनके तीन शिष्यों—काश्यप, शाशपायन और सावर्णि ऋषियों ने तीन अलग-अलग सहिताओं में निबद्ध किया।

पौराणिक युग के इन धर्म-व्यवस्थापक व्यासों तथा सूतों ने वृहत्तर भारत में धार्मिक एकता स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्रीय समन्वय का भी महान् कार्य सम्पन्न किया। उन्होंने पशुपतिनाथ, ब्रह्मिनाथ, केदारनाथ, काशी,

वैद्यनाथ तथा जगन्नाथ आदि उत्तर-पूर्वी भारत में स्थित पुरातन तीर्थों के प्रति दक्षिण-पश्चिम वासियों की श्रद्धा निष्ठा को जागरित किया। इसी प्रकार काची, रामेश्वरम्, सोमनाथ तथा प्रभास आदि दक्षिण पश्चिम के तीर्थों के प्रति उत्तर-पूर्व के निवासियों का धर्मानुराग स्थापित किया। उन्होंने सारे राष्ट्र में धार्मिक अन्तस्चेतना को जगाया और धर्म के अभियान से भावात्मक एकता स्थापित की।

इस प्रकार पुराण-साहित्य का अध्ययन, सार्वभौम पुरातन परम्पराओं की पुनः स्थापना की दृष्टि से जितना उपयोगी एवं आवश्यक है, राष्ट्रीय अखण्डता और भावात्मक एकता को स्थापित करने की दृष्टि से भी उतना ही उपादेय एवं प्रयोज्य है। पुराणकालीन बृहत् भारत में अनेकानेक जाति, धर्मों, वर्गों, सम्प्रदायों, मत-मतान्तरों के वैभिन्न्यपूर्ण समाज में राष्ट्रीय एकता एवं सर्व धर्म-समन्वय के लिए पुराणकार ऋषियों ने जो व्यापक दूर-दृष्टि अपनाई वर्तमान सन्दर्भ में उसको उजागर करना, उसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करना, देशहित की दृष्टि से ही नहीं, अपितु व्यापक मानवता के कल्याण की दृष्टि से भी आवश्यक है।

पुराणों की विशेषता इसमें है कि उनमें धर्म को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया है। उसे अति सहज बनाया गया और सार्वभौम मानवीय आदर्शों के रूप में परिणत किया गया। गृहस्थ धर्म, जो कि आज के मानव समाज का भी मुख्य अंग है, पुराणों में उसके परिपालन पर विशेष बल दिया गया है। इस गृहस्थ धर्म को दान, दया, परोपकार, सहानुभूति, कल्याण, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ईश्वरनिष्ठा, सहिष्णुता, शिष्टता, अनुशासन और प्रेम जैसे सद्गुणों से सम्पन्न होना चाहिए। पुराणकारों ने धर्म को इतना व्यापक एवं उदार बनाया कि उनमें 'सामान्य' तथा 'आपद्' की कल्पना कर उसे अधिकाधिक उपयोगी तथा ग्राह्य बनाया गया है।

पुराणों में कर्मकाण्ड का विरोध नहीं किया गया है, अपितु उसे रूढ़ियों से मुक्त कर जन-मुलभ बनाया गया है। पुराणकारों ने स्मृतिकारों की भाँति धर्माचरण के लिए कर्म-सम्पादन की नई प्रवृत्ति को प्रतिष्ठा की। उन्होंने दम्भ, हिंसा, क्रोध, अभिमान और अमत्य आदि दुष्कर्मों का निषेध किया और दान, व्रत, तीर्थाटन तथा ईश्वराराधन आदि सत्कर्मों के सम्पादन करने के लिए बल दिया। पुराणों की कथाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अहितकारी कर्मों से विरत रहने का निर्देश किया। जीवन में सदाचार तथा नैतिकता को स्थापना और उत्तरावस्था में आध्यात्मिक चिन्तन की श्रेष्ठता को वरणीय माना। पुराणकारों ने उच्च आदर्शमय जीवन विनानेवाले

ऋषियों तथा राजर्षियों की कथाएँ देकर समाज को उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया।

पुराणों की उदार धर्म-नीति का ही परिणाम था कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और बुद्ध जैसे वैदिक धर्म के विरोधी महात्माओं को भी अवतारों की कोटि में परिगणित कर उनको देवतुल्य स्थान दिया। पुराणकारों की इस उदार धर्म दृष्टि के कारण वैदिक धर्म के आलोचक अवैदिक धर्मानुयायियों ने भी पौराणिक धर्म को वरण किया। पौराणिक धर्म की यह बहुत बड़ी सफलता थी।

इस प्रकार पुराणों की धर्म-स्थापना ने इस देश के परम्परागत गौरव को, उसकी सार्वभौम मान्यताओं को सुरक्षित बनाये रखा। मानवमात्र में सद्विचार, समन्वय और सत्प्रेरणा को उजागर किया। पौराणिक धर्म के रूप में भारत की सस्कृति-सम्पत्ता के उदात्त ध्येयों ने विश्व सस्कृति तथा सम्पत्ता को प्रभावित किया और आज भी मानव जीवन के लिए उसकी उपा देयता यथावत् बनी हुई है।

पुराणों में परिवर्तन-परिवर्द्धन

पुराणों के अनुशीलनकर्ता विद्वानों का अभिमत है कि उनकी विषय-सामग्री में समय-समय पर परिवर्तन परिवर्द्धन होता गया और स्थान-स्थान पर प्रक्षेपों को जोड़ा गया तथा साथ ही कतिपय मौलिक अंशों को छोड़ दिया गया। पुराणों के वक्ता प्रवक्ता व्यासों तथा सूत शौनकादि द्वारा परम्परा से जो परिवर्तन परिवर्द्धन होता गया, उसकी अपेक्षा परवर्ती युगों के राजा महाराजाओं के आश्रय में रहने वाले पण्डितों एवं विद्वानों ने अपने-अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमों, विजयों और उनके वंशों से सम्बन्धित सामग्री को भी योजित किया। विभिन्न पुराणों की वशावृत्तियों में जो विभिन्नता तथा अनेकरूपता देखने को मिलती है, उससे भी परिवर्तन-परिवर्द्धन की आशंकाओं की पुष्टि होती है।

पुराणों के इन परिवर्तनों, परिवर्द्धनों तथा प्रक्षेपों के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। पहला कारण तो यह है कि अपने-अपने आश्रयदाताओं की प्रामाणिक मान्यताओं को प्रदान करने की इच्छा से उनके आश्रयदाता विद्वानों ने पुराणों की मौलिकता को भंग किया। ऋषियों-महर्षियों की जो वशावृत्तियाँ या परम्पराएँ विभिन्न पुराणों में देखने को मिलती हैं, उनमें समिश्रण तथा परिवर्तन की न्यूनता है, किन्तु राजवंशों के वर्णनों में तो नितान्त नवीनता का समावेश देखने को मिलता है। पुराणों की मूल हस्तलिखित प्रतियों में

लिपिकारो तथा प्रतिलिपिकारो द्वारा जोड़-तोड़ की प्रक्रिया को अपनाया जाना भी संभव हो सकता है, नयोंकि पाठान्तरो की यह मिस्रता व्यापक रूप से प्राचीन पाण्डुलिपियों के पाठ-भेदों में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए 'भविष्यपुराण' में मुगलयुग तथा आंग्लयुग तक के परवर्ती वर्णन निश्चित ही बाद में जोड़े गये।

पुराणों में ऐसी अतिशयोक्तियों, अत्युक्तियों एवं कल्पनाओं का समावेश स्थान-स्थान पर हुआ है कि उनकी ऐतिहासिकता ही नहीं, वास्तविकता में भी सन्देह होता है। इस प्रकार के प्रसंगों में मौलिक विषय-वस्तु की क्रमबद्धता को उलझा दिया है और इन आधारों पर ही पुराणों में कपोल-कल्पना का आक्षेप किया जाता है। ऐसे सन्दर्भ भी संभवतः परवर्ती भाष्यक इतिहासकारों के स्वकल्पित उद्गारों के ही परिणाम हो सकते हैं। पुराणों में बहुधा पुनरुक्तियों का समावेश देखने को मिलता है। एक ही प्रसंग को अनेक स्थलों पर बार-बार दोहराये जाने का कारण भी विभिन्न लेखनियों का योगदान हो सकता है।

पुराणों में प्रक्षेपों का एक कारण विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के प्रयास भी हो सकते हैं। पुराणों की जो वर्तमान स्थिति है, उसको दृष्टि में रखकर कहा जा सकता है कि उन पर विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों तथा मतावलम्बियों का प्रभाव है। उनके 'ब्राह्म', 'शैव', 'वैष्णव' तथा 'भागवत' आदि नामों से ही स्पष्ट होता है कि वे उन-उन धार्मिक सम्प्रदायों से सम्बद्ध हैं। इस सम्बन्ध में यह भी कहना कठिन है कि जिन जिन धार्मिक सम्प्रदायों के नाम पर कतिपय पुराण रूढ़ हैं, वे सम्प्रदाय पहले से ही प्रचलित थे और व्यास की शिष्य-परम्परा ने उनको अपने पूर्व से ग्रहण किया, अथवा कालान्तर में समय-समय पर सम्प्रदाय के अनुयायी आचार्यों ने उनको योजित किया।

पुराणों में प्रक्षेपों का एक कारण यह भी हो सकता है कि शैव तथा वैष्णव अपनी-अपनी विशेषताओं एवं सम-सामयिक परम्पराओं की सामग्री को समय-समय पर उसमें जोड़ते गये। जिन पुराणों के एकाधिक संस्करण प्रकाश में आ चुके हैं, उनमें पारस्परिक पाठभेद का कारण सम्प्रदायों का पक्षपात हो सकता है। पुराणों की जो हस्तलिखित प्रतियाँ विभिन्न सग्रहालयों में विद्यमान हैं, उनमें पाठान्तर की बहुलता का कारण प्रक्षेप ही हो सकते हैं, जो कि समय-समय पर जोड़े गये।

इस प्रकार पुराणों की मूल विषय-सामग्री में परिवर्तन-परिवर्द्धन की प्रक्रिया निरन्तर होती गई। उसमें समय-समय पर नई सामग्री जुड़ती रही और पुरानी सामग्री को विच्छिन्न किया जाता रहा। पुराणों की विषय-

सामग्री की इस जटिलता को मुलझा कर उसकी मौलिकता तथा ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता को प्रतिपादित करने वाले विद्वानों में पाजिटर, डा० लूडर्स, डा० हजारा और विल्सन तथा स्मिथ आदि अन्यान्य अनुशीलनकर्ताओं के प्रयास नि सन्देह पुराण साहित्य के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं।

पुराणों की अनादिता

भारत के धार्मिक इतिहास में यद्यपि पुराण-साहित्य को धर्म-सहिता के रूप में नहीं माना गया है, तथापि धर्म की स्थापना और धर्म के उत्थान में पुराणों का अपना विशिष्ट योगदान रहा है। यहाँ तक कि धर्मशास्त्रकारों ने पुराणों की मान्यता को प्रमाण रूप में उद्धृत कर धर्म-स्थापना में उनके महत्त्व को स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। पुराणों के निर्माण का अपना एक विशेष उद्देश्य था। जैनधर्म और बौद्धधर्म के आलोचकों द्वारा परम्परागत वैदिक धर्म का विरोध होता आ रहा था। उनके द्वारा जिन नये सामाजिक परिवर्तन का अभियान चलाया जा रहा था, पुराणकारों ने उसका प्रतिवाद करके एक नये सार्वभौम धर्म की स्थापना की, जिसके कारण वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ऐसे सर्वमग्नकारी धर्म के प्रभाव से न केवल भारत का सामान्य जनमानस, अपितु बहुसंख्यक जैन बौद्ध-धर्मानुरागी भी पुराण धर्म को ग्रहण-स्वर्ण करने की ओर उन्मुख हुए।

यहाँ तक पुराणों की प्राचीनता का प्रश्न है, यद्यपि उनमें वेदोत्तर धर्म का प्रतिपादन हुआ है, तथापि उनकी स्थिति वेदों के परिपार्श्व में मिथ्या होती है। अथर्ववेद (१५।६।१२, ७१।७।२४) में कहा गया है कि ऋक्, साम, छन्द, पुराण और यजु —सभी का एक माय आविर्भाव हुआ। 'शतपथ ब्राह्मण' (१३।४।३।१३) में पुराणों को वेद कहा गया है (पुराण वेद)। इसी प्रकार 'तैत्तिरीय आरण्यक' (२।१०) में पुराणों, इतिहासों, ब्राह्मणों और नारायणी गायत्रा का उल्लेख हुआ है। 'शतपथ ब्राह्मण' (१।६।१०।६) और 'बृहदारण्यकोपनिषद्' (२।४।१०) में कहा गया है कि जैसे जलती हुई गौली लकड़ी में धुआँ निकलता है, उसी प्रकार महाभूत के निश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान आदि उत्पन्न हुए। 'छान्दोग्योपनिषद्' (७।१।२) में इतिहास, पुराण को पाँचवाँ वेद कहा गया है। पुराणों के अस्तित्व का उल्लेख 'सामायन' (अधो७ १५।११९) और 'महाभारत' (आदि७ ६२।६३) में भी हुआ है। स्मृतिकार ने लिखा है कि पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, चार वेद और छ वेदांग—ये चौदह विद्याएँ धर्म का स्थान हैं। 'ब्रह्माण्ड-पुराण' (१।५६, १।५८) में तो यहाँ तक कहा गया है कि गायोपांग वेद

का अध्ययन करने पर भी जो पुराण-ज्ञान से शून्य है, उसे तत्त्वज्ञ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद का वास्तविक स्वरूप पुराणों में ही दर्शित है।

इस दृष्टि से पुराणानुशीलन करने वाले विद्वानों का अभिमत है कि पुराण मूलतः वेदों के परिपार्श्व की रचनाएँ हैं और जिस प्रकार वेदों की अनादिता है, उसी प्रकार पुराण-विद्या भी अनादि है। वेदों में जो बातें संक्षेप में कही गई हैं, पुराणों में उनको व्यापक एवं विस्तृत ढंग से कहा गया है।

पुराणों में आर्ययुगीन भारत से लेकर नितान्त परवर्ती युगों, अर्थात् १९वीं शती (आंग्ल-शासन) तक की घटनाओं का वर्णन है। इसलिए यह निश्चित है कि समय-समय पर, युग की परम्पराओं एवं निष्ठाओं के अनुरूप उनमें परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन एवं संक्षेप होता गया। इस प्रकार बहुत-कुछ पुराणा छूटता गया और बहुत-कुछ नया जुड़ता गया। 'देवी-भागवत' (१।३।२४) में कहा गया है कि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने पाण्डवों के राज्यकाल में पुराणों का २८वीं बार सम्पादन किया। इस दृष्टि से स्पष्ट होता है कि 'महाभारत' के वेदव्यास के समय तक पुराणों का २७ बार सम्पादन हो चुका था। इसलिए सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज उनके जो संस्करण प्राप्त हैं, उनमें कितने प्रक्षेप जुड़े होंगे ? किन्तु इन प्रक्षेपों के कारण पुराणों के महत्त्व में कोई न्यूनता नहीं आई और इस आधार पर उनकी प्राचीनता पर सन्देह करना समीचीन नहीं है।

पुराणों के आख्यान-उपाख्यानो का आधार लोकविश्वास

पुराण पुरातन कथाओं तथा आख्यायिकाओं के संग्रह हैं। 'वामनपुराण' (१।२।५) में कहा गया है कि पुरातन परम्परा से संचित घटना-चक्रों का व्याख्यान करना ही पुराणों का लक्ष्य है (पुरा परम्परा वक्ति पुराण तेन वै स्मृतम्)। न केवल भारतीय साहित्य में, अपितु विश्व साहित्य में इस प्रकार की पुरातन कथाओं का समावेश सर्वत्र पाया जाता है।

इस दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि आदिम मानव-जीवन के विकास-क्रम का इतिहास उसके आन्तरिक विश्वासों से अरम्भ होता है। अपनी सभ्यता की आरम्भभावस्था में जब वह दर्शन तथा चिन्तन की दुरुहताओं से अपरिचित था, प्राकृतिक रहस्यों के प्रति उसमें उत्सुकताओं का स्फुरण हो चुका था। ये उत्सुकताएँ ही उसने विश्वास में। कुछ विश्वास उसमें परम्परा से थे और कुछ उसके अपने अनुभवों पर आधारित थे। उसने एक ऐसी अदृष्ट शक्ति को स्वीकार कर लिया था, जो कि इन दृश्यमान क्रिया-कलापों के मूल में निहित थी। आदिम मानव के इन विश्वासों को सजीकर

ज्ञान-सम्पन्न ऋषियो ने उन्हें कथाओं में निबद्ध किया। ये कथाएँ ही पौराणिक गाथाओं के रूप में विश्रुत हुईं। मौलिक रूप में परम्परागत ये पौराणिक गाथाएँ ही मानव समुदाय की प्रथम या आदिम सम्पदा हैं। ये गाथाएँ ससार, ईश्वर, जीव, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक और लौकिक-पारलौकिक आदि अनेक विषयों से सम्बद्ध थीं। उन्हें पुराणकार ऋषि महर्षियों ने सरस, सरल तथा सहज ढंग से प्रस्तुत किया और उन्हीं का सग्रह पुराण-सहिताओं के रूप में निबद्ध हुआ। विश्व के सभी धर्मों के उदय में इन पुराण-गाथाओं की प्रेरणा रही है।

इन पुराण-गाथाओं की अपनी विशेषता यह रही है कि मनुष्य जीवन के क्रिया-कलापों के जितने भी पक्ष हैं, उन सबमें ईश्वर के अस्तित्व को अनिवार्य रूप से माना गया है। प्रत्येक कार्य तथा कार्यफल को किसी देवताविशेष पर निर्भर किया गया और दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक कार्य का सुफल तथा कुफल उसकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता पर निर्भर है।

आधुनिक विश्व के विचारकों ने परम्परागत पौराणिक विश्वासों के दो परस्पर विरोधी मूल आधार माने हैं। एक मत के अनुसार वे विश्वास आदिमानव के सभ्यता सक्रमण काल में वैज्ञानिक चिन्तन का फल है, और दूसरे मत से वे मानव समुदाय की काल्पनिक उद्धान हैं, दिवा स्वप्नों की भाँति हैं और कालान्तर में जब उन्हें लोक-मान्यता प्राप्त हुई तो वे अपने पौराणिक परिवेश के रूप में प्रकाश में आये।

इसमें सन्देह नहीं है कि पुराण कथाएँ मानव मस्तिष्क की प्रथम साहित्यिक उपज हैं और उनके आधार लोक विश्वास थे। उनके ग्रथन तथा कथन की भाषा में परिवर्तन अवश्य होता रहा। किन्तु उनके मौलिक भावनात्मक आधारों में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ।

पुराणों का विषय

पुराण वस्तुतः भारतीय जीवन के विश्वकोश हैं। विभिन्न धर्मों, विचारों, विश्वासों तथा मान्यताओं के इस देश में सबकी आकाशाओं का समन्वय पुराणों में देखने को मिलता है। उसमें आर्यों तथा आर्योत्तर जातियों की सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्पराओं का समन्वय है। आस्तिक तथा नास्तिक विचारधाराओं का समन्वय है और साथ ही ऐसी उदार एवं सहिष्णु सार्व-भौम परम्पराओं का सन्निवेश है जो कि आज भी सभ्यत मानव जाति की एकता के लिए उपादेय है।

पुराणो को पञ्चलक्षण कहा गया है। उनमे १ सर्ग (सृष्टि का आरम्भ), २ प्रतिसर्ग (सृष्टि का विलय), ३ वश (सृष्टि के आदिम काल की वशावली), ४ मन्वन्तर (विभिन्न मनुओं द्वारा शासित युगो तथा उन युगो मे घटित विशिष्ट घटनाओ का वर्णन), ५ वशानुचरित (भारतीय राज-वशो का वर्णन)—इन पाँच विषयो का विशेष रूप से व्याख्यान किया गया है—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च ।

वशानुचरित चैव पुराण पञ्चलक्षणम् ॥

पुराणो का मुख्य विषय सृष्टि का विस्तार निरूपित करना है। यह सृष्टि-प्रक्रिया प्रायः समस्त पुराणो मे एक ही ढंग से प्रतिपादित है। यहाँ तक कि उनके भावाभिव्यञ्जन मे ही नही, आशय मे ही नही, अपितु शब्द-रचना तथा श्लोक शैली मे भी एकता है।

भिन्न भिन्न पुराणो पर जो सम्प्रदायविशेष का प्रभाव देखने को मिलता है, उसके सम्बन्ध मे कहा जा सकता है कि अपने-अपने सम्प्रदायो के अनुसार समय-समय पर उनमे नई विषय-सामग्री जोड़ी गई। जैन-बौद्ध धर्मों के बढ़ते हुए प्रभाव को दृष्टि मे रखकर वैदिक धर्मानुयायी वर्ग ने अपने-अपने सिद्धान्तो की विषय-सामग्री जोड़कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

पुराणों की धर्मविषयक प्रामाणिकता

पुराणो तथा धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थो का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उसका कारण यह है कि पुराणो मे धर्म, आचार तथा व्यवहार सम्बन्धी अनेक विषयो का उल्लेख हुआ है। अपराक, बल्लालसेन, हेमाद्रि तथा कुल्लुक भट्ट प्रभृति भाष्यकारो तथा टीकाकारो ने पुराणो के धर्म विषयक कथनो को उसी प्रामाणिकता से उद्धृत किया है, जैसे धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थो के। इस दृष्टि से इन निबन्धकारों ने पुराणो को धर्म का अग माना है। जैसे कि पुराणो का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनमे परम्परा-प्राप्त वैदिक धर्म को नये परिप्रेक्ष्य मे प्रस्थापित किया गया है। इस दृष्टि से पुराण न केवल पौराणिक कथाओ, आख्यान उपख्यानो के सग्रह मात्र हैं, अपितु धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ भी हैं। धर्मसहिताओ तथा धर्मसूत्रो और स्मृतियो की भाँति पुराण भी अपने मूलरूप मे सहिताओ मे निबद्ध होकर उत्तरोत्तर अपने नये स्वरूपो मे परिवर्तित, परिवर्द्धित होते रहे। किन्तु उनके धर्म विषयक मन्तव्य उतने ही प्रामाणिक एव मान्य हैं, जितने कि धर्मसूत्रो या स्मृतियो के। इस दृष्टि से पुराणशास्त्र की मान्यताओ को परवर्ती धर्मशास्त्रकारा ने प्रमाण रूप मे उद्धृत कर अपने मतों को मण्डित किया है।

पुराणों की श्रुति तथा स्मृति के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। जो पवित्रता, श्रेष्ठता एवं प्रामाणिकता श्रुति तथा स्मृति को प्राप्त है, वही पुराणों की भी मानी गई है। हिन्दुत्व की प्रत्येक धार्मिक प्रक्रिया के सम्पादन के लिए आरम्भ में जो सक्त्प किया जाता है, उसमें 'श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त' तीनों के महत्त्व को समान रूप में माना गया है।

पुराणों का ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व

पुराण-वाङ्मय पर अब तक पाश्चात्य तथा पौराणिक विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टियों से व्यापक एवं गभीर अध्ययन-अनुशीलन हो चुका है। उनमें जो परिवर्तन-परिवर्द्धन होते गये तथा समय-समय पर नई सामग्री जुड़ती गई और जिन कल्पनाओं, अतिशयोक्तियों तथा अत्युक्तियों का समावेश देखने को मिलता है, उन सबका परिशीलन करने के पश्चात् जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वे अध्ययनीय हैं और उनसे पुराण-साहित्य की प्रयोजनीयता एवं उपयोगिता प्रमाणित होती है।

पुराणों का सृष्टि-वर्णन इतिहास की दृष्टि से सत्य है। उसमें जो घटनाएँ दी गई हैं, वे अकल्पित हैं। पुरातत्त्व तथा विज्ञान की किसी भी प्रामाणिक खोज की तुलना में पुराणों का सृष्टि-वर्णन किसी भी प्रकार अप्रामाणिक एवं व्यातिक्रमिक नहीं है। विकासवाद, आधुनिक विज्ञान की जो नई खोज है, उसके तथ्य, दृष्टान्त एवं विपुल विषय-सामग्री पुराणों में वर्तमान है। पृथ्वी, पर्वत, नदी आदि की सृष्टि, पौराणिक एवं दार्शनिक परमाणुवाद, महत्तत्त्व से भूतत्त्व की सृष्टि, जलचर, भूचर, खेचर तथा मनुष्य आदि प्राणियों की रचना और मानव जगत की नई योजनाओं के उद्भव का इतिहास पुराणों में विस्तार से प्रतिपादित है।

पुराणों में ऐसी अपूर्व उद्भावनाएँ हैं, जिन पर विज्ञान ने अब तक कुछ नहीं कहा है। सुदूर भूत और सुदूर भविष्य की जो बातें पुराणों में कही गई हैं, युग-परिणाम की दृष्टि से उनकी गणना अब तक हुई ही नहीं। पुराणों में सभी विषय कथोपकथन की शैली में कहे गये हैं। प्रत्येक सन्दर्भ-गत विषय को सुगमता से हृदयगम कराने वाले इस प्रकार के ग्रन्थ विश्व की किसी भी भाषा में नहीं मिल सकते। एक ऋषि ने किसी दूसरे ऋषि से सुना, उसने भी किसी देवता से सुना, देवता ने भी ब्रह्मा से सुना, इस प्रकार समस्त पौराणिक ज्ञान-यात्री शिष्य-परम्परा द्वारा मौखिक रूप में युग-युगों को प्रवर्तित होती रही। विज्ञान को भले ही इसमें तर्क प्रतीत हो, किन्तु भारतीय आचार विचारों, सस्वारों, विश्वासों और भाव्यताओं का यह चिर पुरातन इतिहास अपना मौलिक महत्त्व रखता है।

पुराणो मे कल्प-कल्पान्तरो और अनेक सृष्टियो के उत्थान पतन की कथाएँ वर्णित हैं। उनमे अनेक द्वीप-द्वीपान्तरो तथा विभिन्न समुद्रो, देशो, राजधानियो का क्रमबद्ध इतिहास है। किन्तु उनमे कही भी यह नही कहा गया है कि आर्यजन कही बाहर से भारत आये। तब यदि कतिपय विद्वान् यह कहे कि आर्यों का मूल निवास भारत से बाहर था तो उसका कोई आधार नही है। पुराणो मे स्पष्टरूप से कहा गया है कि शक तथा मग आदि जातियाँ बाहरी थी और उन्होंने भारत मे कब तथा किस प्रयोजन से प्रवेश किया। साथ ही भारत के लोग बाहर के किन किन देशो मे जाकर बसने लगे।

इस प्रकार पुराणो मे अनेक ऐसे सन्दर्भ हैं, जो विज्ञान की पहुँच से बाहर और इतिहास की नई खोजो का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पुराणो के अध्ययन-अनुशीलन से न केवल भारतीय इतिहास के गौरवमय अतीत का दिग्दर्शन होता है, अपितु व्यापक विश्व-मानव समुदाय के इतिहास का भी उद्घाटन होता है।

पुराण भारतीय साहित्य के विश्वकोश

पुराण भारतीय साहित्य के विश्वकोश हैं। उनमे इतिहास, धर्म, दर्शन, नाट्य, कला, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजधर्म, सैन्यविद्या, ज्योतिष, कर्म-काण्ड और समाजशास्त्र आदि अनेक विषयो का समावेश देखने को मिलता है। भारत की परम्परागत सस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, दौर्त्य, नैतिकता, तीर्थ, व्रत, तप, दान, श्राद्ध, वर्ण, आश्रम, देवता, श्रष्टि, महर्षि, राजा, राजर्षि, सागर, द्वीप, द्वीपान्तर, लोकाचार तथा देशाचार आदि असंख्य विषयो का सारगर्भित वर्णन हुआ है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर लय तक मानव जगत के जितने भी क्रिया-कलाप हैं, उन सबका वर्णन पुराणो मे हुआ है।

भारत का जितना भी प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य है, वह पुराणो से प्रभावित है। सस्कृत साहित्य के तो वे उपजीव्य हैं। उनमे विषय की ही नही, रचना-शैली की भी विविधता है। उनमे जहाँ एक ओर धर्म-दर्शन विषयक मूढ-गभीर तात्त्विक विवेचन देखने को मिलता है, वही दूसरी ओर काव्यात्मकता के उच्च प्रेरणाप्रद सन्दर्भ भी विद्यमान हैं। पुराणो के निर्माण का प्रयोजन जनतामान्य मे वैदिक धर्म की प्रस्थापना करना था। इस कारण उनकी भाषा शैली मे सहजता, सरलता एवं रोचकता का समावेश देखने को मिलता है। उनके आख्यानो-उपाख्यानो को पढते समय ऐसा प्रतीत होता है

कि वे किसी कवि की रचनाएँ हों। पुराणों के इस काव्य-सौन्दर्य की विद्वानों ने बड़ी सराहना की है। पुराणों के काव्य-सौष्टव को आधार बनाकर भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट तथा दण्डी आदि काव्यकारों एवं कथाकारों ने अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं का मृजन किया। परवर्ती संस्कृत साहित्य की गद्य तथा पद्य, दोनों विधाओं को पुराणों की विषय वस्तु तथा रचना-शैली ने प्रभावित किया।

पुराणों ने काव्यकारों को ही नहीं, अपितु कला-आचार्यों को भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए 'विष्णुधर्मोत्तरपुराण' के 'चित्रसूत्र' नामक प्रकरण में चित्रकला-सम्बन्धी विधि विधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। शिल्प और कला के विभिन्न अंग पर 'हरिवंशपुराण', 'मत्स्यपुराण', 'स्कन्दपुराण', 'गण्डपुराण' और 'पद्मपुराण' आदि में विपुल कला सामग्री देखने को मिलती है।

इस प्रकार पुराण भारतीय साहित्य, ज्ञान-विज्ञान और कला-कौशल के उद्गम हैं और उनके अध्ययन के बिना भारतीय जीवन-दर्शन का परिचय प्राप्त करना प्रायः असंभव है।

पुराणों की सख्या

पुराणों की वास्तविक सख्या कितनी थी और किस क्रम में वे रचे गये, इस सम्बन्ध में स्पष्टरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः आरम्भ में एक पुराणसहिता थी, जिसका संवलन-सम्पादन वेदव्यास ने किया था। तत्पश्चात् उनके विभिन्न शिष्य प्रशिष्यों द्वारा उनका अलग-अलग निर्माण हुआ। अन्ततः प्रमुख पुराणों की सख्या अठारह निर्धारित हुई। ये अठारह पुराण वस्तुतः भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की परम्पराओं के अनुसार रचे गये। विभिन्न पुराणों में अठारह महापुराणों की सख्या इस प्रकार दी गई है—

- १ ब्रह्म, २ पद्म, ३ वायु, ४ भागवत, ५ नारद, ६ मार्कण्डेय,
- ७ अग्नि, ८ भविष्य, ९ ब्रह्मवैवर्त, १० लिंग, ११ वराह, १२ स्कन्द,
- १३ वामन, १४ कूर्म, १५ मत्स्य, १६ गण्ड, १७ शिव और १८ ब्रह्माण्ड।

इस प्रकार पुराणों के प्रयोजन का एकमात्र लक्ष्य वेदविहित धर्म की पुनः स्थापना करना था और इस दृष्टि से पुराणों की रचना के बाद भारत में जिसने विभिन्न धर्म-शाखाएँ थीं, उन सबका समावेश पौराणिक धर्म के रूप में प्रतिफलित हुआ। इस बृहत्तर देश के व्यापक जनमानस की निष्ठाओं और आकांक्षाओं को समाहित कर पुराणों ने धर्म का जो सार्वभौम स्वरूप प्रस्तुत किया, उसको सच्चे ग्रहण एवं वरण किया।

सौर सम्प्रदाय

भारत की प्राचीनतम धर्मशाखाओं में सौर सम्प्रदाय का विशेष स्थान रहा है। वैष्णव, शैव, शाक्त तथा गाणपत्य मतों की भाँति सौरमत भी भारतीय जनमानस में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। यद्यपि आज इस मत के अनुयायियों की संख्या न्यूनतम है, तथापि भारत के पुरातत्त्व तथा कला-संग्रहालयों और मन्दिरों में सुरक्षित सूर्य-प्रतिमाएँ अपने भारत-व्यापी बहुसंख्यक भक्त-जनों का द्योतन करती हैं।

सूर्य देवतामण्डल का प्रधान देवता है और ब्राह्म आदित्यों में उसका एक स्थान है। सूर्य-पूजा करने वाले सम्प्रदाय को 'सौर सम्प्रदाय' के नाम से जाना जाता है। भारत के तीन मुख्य देवताओं—ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आधार मानकर तीन प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों—ब्राह्म, वैष्णव और शैव का पुरातन काल में ही उदय हो चुका था। कालान्तर में इन तीन प्रमुख धर्म-पन्थों की अनेक उपशाखाएँ पल्लवित हुईं। विष्णु तथा सूर्य दोनों आदित्य वर्ग के देवताओं में परिगणित हैं। अतः वैष्णव सम्प्रदाय की एक उपशाखा स्वतंत्ररूप से सौर सम्प्रदाय के नाम से प्रकाश में आयी, किन्तु उसने अपनी इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी कि परम्परागत प्रमुख सम्प्रदायों—वैष्णव, शैव, गाणपत्य और शाक्त में उसको जगहों के समकक्ष स्थान दिया जाने लगा। 'महानिर्वाणतंत्र' (१११४०) में उल्लेख हुआ है—'शाक्त शैवा वैष्णवाश्च सौरगाणपतास्तथा'।

सूर्योपासना की प्राचीनता के प्रमाण पुरातात्विक उत्खननों और साहित्य, दोनों में उपलब्ध होते हैं। सिन्धुसभ्यता के उत्खनन में कुछ मूर्तियाँ और अनेक रेखांकित कला-कृतियाँ ऐसी प्राप्त हुई हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि भारत सहित एशिया की अनेक आदिम जातियों में सूर्य की उपासना प्रचलित थी।

सूर्य वास्तव में जन-सामान्य का एक ऐसा देवता है, मानव घरातल पर जिसके अस्तित्व एवं प्रभाव के प्रमाण निरन्तर अनादि हैं। मानव ने अपनी आदिम अवस्था में ही सूर्य के अस्तित्व को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया था। उसके सम्बन्ध में आदिम मानव समाज में विभिन्न विज्ञानज्ञाएँ तथा कल्पनाएँ की जाने लगी थीं। एशिया, योरोप तथा अमेरिका आदि विश्व के मानव समाज ने अपने-अपने विश्वासों एवं कल्पनाओं से आधार पर सूर्य के प्रत्यक्ष प्रभाव को स्वीकार कर लिया था और उसकी दृष्ट-अदृष्ट शक्तियों पर अपना अद्विग विश्वास बना लिया था।

वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में सूर्य का बहुविध उल्लेख हुआ है। उसमें मरुत्व विवस्वत् तथा पूषन् आदि विभिन्न नाम बड़े गये हैं। वैदिक साहित्य में सूर्य को पृथ्वी का उत्पादक एवं विश्व का आत्मा एवं पिता कहा गया है (ऋग्वेद, १।१।१५।१)। इसी कल्पना के आधार पर सूर्य-पत्नी अदिति तथा दिति विश्व की माता उल्लिखित है। दोनों को क्रमशः दिन तथा रात्रि का प्रतीक माना गया है। इन दोनों का पुत्र अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार सूर्यकुल के देवताओं का मृष्टि की उत्पत्ति तथा उसके संचालन में विशेष सम्बन्ध प्रतीत होता है। ऋग्वेद के उक्त प्रसंग में सूर्य को देवताओं का मुख और दूसरे प्रसंग में मित्र तथा वरुण का चक्षु कहा गया है (ऋग्वेद, ६।५।१११-१२)। विराट् पुरुष का वह चक्षु है। उसकी तेजस्विता एवं उसने प्रभाव से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। वह रोगों का नाशक है। उसके दर्शन से नेत्रों के असाध्य रोग निवृत्त हो जाते हैं (ऋग्वेद, १।१०।१११-१२)। बुद्धि रोग की निवृत्ति का एकमात्र आराध्य देव सूर्य है। ऋग्वेद (७।६२।२) में सूर्य की उपासना की कल्पना अभिव्यक्त हुई है। विश्वामित्र ऋषि द्वारा रचित 'गायत्रीमंत्र' सूर्योपासना से सम्बद्ध है।

अथर्ववेद (१३।३।१०) में 'सप्तसूर्या' नाम से सूर्य की प्रतीकात्मक सप्तराशियों का उल्लेख हुआ है। सूर्य के स्वरूप के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह एक या बहुसंख्यक घोड़ों से खोचा जाता है। ये घोड़े वस्तुतः प्रकाश-किरणों के प्रतीक हैं। वह अग्निस्वरूप का आकाशीय रूप और अन्धकार तथा अन्धकार में रहने वाले राक्षसों का विनाशक है। उसके मार्ग आदि का निर्माण वरुण तथा आदित्य आदि देवता करते हैं।

वैदिक साहित्य में सूर्य का जो स्वरूप वर्णित हुआ है, उसने परवर्ती 'महाभारत' तथा पुराणों में अपेक्षाकृत व्यापक एवं विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। सूर्योपासना का प्रचलन बहुत प्राचीन प्रतीत होता है। सूर्य की गति, उपासना एवं उसके एक ही आठ नामों का जप भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। इसी उपासना का उपदेश सर्वप्रथम धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को दिया था (महाभारत, वन० ३।१६-२३, १६०।२४-३७)। 'महाभारत' (आदि० १।४०) में सूर्य के बारह नामों का उल्लेख हुआ है।

इस प्रकार सूर्योपासना की परम्परा अद्यपि प्रकीर्ण है, किन्तु सम्प्रदाय के रूप में उसका आरम्भ कब से हुआ इसका निश्चय करना कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत काल में ही सौरमतानुयायियों का एक अलग सम्प्रदाय विश्रुत हो चुका था। 'महाभारत' (७।८२।१४-१६) में ऐसा उल्लेख है कि जब महाराज युधिष्ठिर प्रातःकाल अपने शयनकक्ष से निकले

तो उन्होंने एक सहस्र सूर्योपासक ब्राह्मणों को उपस्थित पाया। इन एक सहस्र ब्राह्मणों के भी आठ सहस्र अनुयायी थे।

सूर्योपासना की यह परम्परा पौराणिक युग में अधिक प्रचलित एवं लोकव्यापी हुई। उसी के परिणामस्वरूप उमके उपासकों ने सूर्य के सहस्र नामों की कल्पना की। धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को सूर्योपासना का जो उपदेश दिया था, आगे के युगों में उमकी परम्परा किस रूप में प्रचलित हुई, पद्यपि इगका क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं होता, तथापि निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पौराणिक महाकाव्यों तथा काव्यों के परवर्ती युगों में वह बहुव्यापी रही।

ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणकाल में सूर्य-पूजा का व्यापक प्रचार-प्रसार हो चुका था। प्रायः सभी प्रमुख पुराणों में सूर्यदेव को विशेष स्थान दिया गया है। उमको प्रमुख देवताओं की कोटि में स्थान दिया गया है। 'ब्रह्मपुराण' (३३।९-१२, १५, २२, २३) के विभिन्न स्थलों पर सर्व-शक्तिमान् परमेश्वर के रूप में सूर्यदेव की आराधना की गई है। इसी पुराण के अन्य सन्दर्भ (३३।३४-४५) में सूर्य के १०८ नामों का उल्लेख हुआ है तथा उसकी आराधना पूजा का माहात्म्य वर्णित है। 'भार्गवपुराण' में सूर्य की चार पत्नियों का उल्लेख हुआ है, जिनके नाम थे सज्ञा, राज्ञी, प्रभा और छाया। सज्ञा से मुनि, राज्ञी से यम-यमुना रेवन्त, प्रभा से प्रभात और छाया से सावर्णि शनि, तपती का जन्म हुआ।

'भविष्यपुराण' (स० १, अ० ४८) में श्रीकृष्ण के पुनः साम्ब की कथा में बताया गया है कि कुष्ठ रोग के निवारण के लिये उन्होंने चन्द्र-भागा नदी के तट पर सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया था और उसकी पूजा-प्रतिष्ठा के लिये शाकद्वीपीय भग्न ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। श्रीकृष्ण तथा जाम्बवती से उत्पन्न पादव राजकुमार साम्ब प्रबल सूर्योपासक था। अत्यन्त स्वराचारी (स्त्री-लोलुप) होने के कारण श्रीकृष्ण ने साम्ब को कुष्ठ रोगी होने का शाप दिया था। नारदमुनि के परामर्श पर कुष्ठरोग से मुक्त होने के लिये साम्ब ने सूर्य की उपासना की थी और उससे मुक्ति प्राप्त की थी। यह सूर्योपासना उमने अपनी उत्तरावस्था में की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यनारायण ने साम्ब को अपनी तेजोमयी प्रतिभा प्रदान की थी। 'ब्रह्मपुराण' (६६।७२-७३, ७५, १२७) तथा 'स्कन्दपुराण' (४।१। ४८, ६।२।१३) में कहा गया है कि साम्ब ने चन्द्रभागा नदी के तट पर साम्बपुर (मूलस्थान) नाम की नयी नगरी बसाई थी। आगे कहा गया है कि सूर्योपासना के विधि-विधान के लिए उमने शाकद्वीप में भग्न ब्राह्मणों को

बुलाया था, जो स्थायी रूप से साम्बपुर (मूलस्थान) में बस गया था । 'महाभारत' (भीष्म० १२।३४) में मग को 'मग' नाम से कहा गया है । वे वेद वेत्ता थे । 'भविष्यपुराण' (ब्राह्म० १२७, साम्ब २६) में कहा गया है कि साम्ब के आमंत्रण पर मग ब्राह्मणों के अठारह कुल चन्द्रभागा नदी के तट पर उपस्थित हुए थे और वही साम्बनगर में बस गये थे । आज भी भारत में मगों के वंशज विद्यमान हैं ।

साम्ब द्वारा निमित्त मूलस्थान का यह सूर्य मन्दिर आज भी विद्यमान है और वहाँ पर मगों के वंशज भी वर्तमान हैं । यह मूलस्थानपुर वर्तमान मुल्तान है और शाकद्वीप का वर्तमान ईरान का सीमान्त भाग है । ईरान में प्रचलित मित्र पूजा और सूर्य पूजा में साम्य है । ये सूर्योपासक वेद वेत्ता मग ब्राह्मण सम्भवतः फारसी धर्म के अनुयायी थे । एक पौराणिक आख्यान से ज्ञात होता है कि मिहिर गोत्रीय मुजिह्व नामक एक ब्राह्मण की कन्या निक्षुमा पर सूर्य मोहित हो गया था । उस कन्या से सूर्य का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 'जरथुस्त्र' या 'जरथस्त्र' या और जो 'जरथुस्त्र' के नाम से कहा गया । मग ब्राह्मण उसी के वंशज थे और फारसी धर्म का प्रवर्तक भी उन्हीं के वंशपुरुष जरथुस्त्र को माना गया है । उनका मूल स्थान पश्चिम भारत मुल्तान में था । मुल्तान (या मूलस्थानपुर) में स्थापित सूर्य मन्दिर के अस्तित्व के सम्बन्ध में चीनी यात्री ह्वेनत्सांग तथा अरब इतिहासकार अल् इन्द्रिसी ने भी किया है । ह्वेनत्सांग ने उस सूर्य मन्दिर को देखा था । वह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन तथा विशाल था । साम्ब ने एक सूर्य मन्दिर का निर्माण मयुरा में भी कराया था, जिसका नाम साम्बप्रिय था ।

सूर्य मन्दिरों का निर्माण तथा सूर्य-पूजा का प्रचलन धीरे-धीरे सारे भारत में हुआ । गुप्तसम्राटों के समय (५वीं शती ई०) से ही सूर्य मन्दिरों का निर्माण होना आरम्भ हो गया था । उनके अभिलेखों से पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम (५वीं शती ई०) के समकालीन दशपुर (मन्दसौर) के बुनकरो के एक वर्ग ने भव्य सूर्य मन्दिर का निर्माण कराया था । स्कन्दगुप्त (५वीं शती ई०) के इन्द्रपुर (इन्दौर-बुलन्दशहर) स्थित एक स्मारक में सूर्य मन्दिर के निर्माण का उल्लेख हुआ है । मिहिरकुल (८वीं शती ई०) के शालियर स्थित अभिलेख में कवि मातृचेट द्वारा शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख हुआ है । इसी प्रकार बलभी का मंत्रक राजा (८वीं शती ई०) सूर्योपासक था । पुष्यभूति राजा (८वीं शती ई०) के अभिलेखों तथा ताम्रपत्रों से विदित होता है कि वे परम आदित्य भक्त थे । गुप्तसम्राट् जीवितगुप्त (६ठी शती ई०) के शासन-काल में आरा जिले में स्थित

मगध नामक स्थान में सूर्य-मन्दिर का निर्माण हुआ था (गुप्त अभिलेख ८०, १६२, २१८) । इसी प्रकार वालादित्य (६ठी शती ई०) ने बहुराइन में विशाल सूर्य मन्दिर का निर्माण कराया था, जिसको भग्न तथा छूट कराने का अपकार्य मीपद मालार मसउद्दी गाजी ने किया ।

चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग के यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है कि कान्यकुब्ज (कन्नौज) के अधिपति सम्राट् हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन (६ठी शती ई०) सूर्योपासक थे । मुगलों के भारत प्रवेश के समय तक कान्यकुब्जेश्वर द्वारा स्थापित सूर्य मन्दिर में अनेक भव्य सूर्य प्रतिमाएँ स्थापित थी, जिनमें से अधिकांश को मुगलों ने ध्वस्त एवं छूट कर दिया था ।

कोणार्क (उड़ीसा) की खुदाई में एक सूर्य मन्दिर के अवशेष मिले हैं, जिसकी प्राचीनता अस्पष्ट है । धर्म ब्रोहियो द्वारा यह एक बार ध्वस्त किया गया था । इस मन्दिर का नाम 'कोणादित्य' था । कोणार्क का सूर्य-मन्दिर भारत में अपनी भव्यता एवं कलाकारिता के लिये प्रसिद्ध है । इसी प्रकार कश्मीर के अनेक स्थलों पर उपलब्ध खण्डित सूर्य प्रतिमाओं से ज्ञात होता है कि वहाँ भी सूर्योपासना का प्रचलन था । इतना ही नहीं, अपितु द्वीपान्तर भारत आवा में रथारूढ सूर्य प्रतिमा के प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ भी सूर्योपासना का प्रचलन था ।

सूर्योपासना के अन्य अनेक प्रमाण परवर्ती समय में भी प्राप्त होते हैं । माधवाचार्य (१२वीं शती) के 'शंकरदिग्विजय' नामक ग्रन्थ में जिस सौर सम्प्रदाय का उल्लेख हुआ है, निश्चित ही वह परम्परागत था और शंकराचार्य (८वीं शती ई०) तक वह लोकव्यापी स्वरूप में विद्यमान था ।

इस सम्प्रदाय के अनुयायी ब्रह्म जाति के लोग थे । वे गौडा के अक्षह्यण पुरोहित थे और नारायण (सूर्य) को अपना नुरुदेवता मानते थे । वे सूर्य (अपर नाम नारायण) को जगदात्मा तथा आराधनीय मानते थे । ये लोग विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर अपने कुलदेवता का यज्ञ तथा उत्सव आयोजित करते थे, जिनमें सूत्रों की बलि दी जाती थी । उनमें यह प्रचलन था कि वे बलिपशु को पहले बहुत कष्ट देते थे और बाद में गहूतीर के नीचे दबाकर उसका वध करते थे । देवता की प्रसन्नता के लिये यही विधि प्रचलित थी । इस रूप में सूर्योपासना एवं सूर्य देवता की आराधना-पूजा परम्परा से आदिम जातियों में प्रचलित थी । प्रत्येक धार्मिक पर्व पर कुलदेवता सूर्य की पूजा में पशुबलि का प्रचलन परम्परागत था और इसीलिये आदिम जातियों में सूर्योपासना की प्रथा प्राचीन प्रतीत होती है ।

इस सम्प्रदाय के परम्परागत इतिहास का अन्वेषण करने पर विदित होता है कि जिस क्रम एवं गति से वैष्णव तथा शैव धर्मों का उत्तरोत्तर विकास होता गया, उसकी तुलना में सौर सम्प्रदाय शिथिल पड़ता गया। शंकराचार्य (८वीं शती ई०) के उदय के बाद यद्यपि परम्परागत सगुणोपासक धार्मिक सम्प्रदायों के विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ, किन्तु सौर सम्प्रदाय मध्ययुग तक सर्वथा क्षीण हो गया। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वैष्णवमत के बढ़ते हुए प्रभाव से सूर्योपासक समाज उसी में समाविष्ट हो गया। उसका आगे स्वतंत्र विकास न हो सका और उसके अनुयायी मध्ययुगीन मुगल धर्मद्रोहियों के आतंक से वैष्णव धर्मानुयायियों में समा गये।

आधारसंहिता

अपने वैभव-काल में सौर सम्प्रदाय का प्रभाव काश्मीर से लेकर कन्या-कुमारी अर्थात् हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण तक व्याप्त था। आज भी उपास्य देवताओं में सूर्य का जनमानस पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसीलिये भारत के विभिन्न अंचलों में आज भी न्यूनाधिक रूप में सूर्योपासकों का अस्तित्व बना हुआ है। जो वर्तमान हैं वे गले में स्फटिक की माला और ललाट पर रक्तचन्दन का तिलक धारण करते हैं। अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं और रविवार तथा सक्रान्ति तिथि को नमक नहीं खाते। वर्षाश्रुतु में जब सूर्य मेघाच्छन्न रहता है, सौरमतानुयायी कट्टर भक्त सूर्य दर्शन न होने के कारण निराहार ही रहते हैं।

त्रिकाल सन्ध्योपासना और गायत्री जप, स्नानोपरान्त सूर्य-अर्घ्य प्रत्येक घमनिष्ठ हिन्दू का आज भी नियमित कर्म है। नवग्रहों में सूर्यपूजा का विधान है। आज भी कार्तिक शुक्ल पष्टी तिथि को सप्तमी तिथि के सूर्योदय तक व्रत धारण किया जाता है और सूर्योदय के बाद अर्घ्यदान के समय उनका अर्चन किया जाता है—

नमो नम कारणकारणाय नमो नम पापविमोचनाय ।

नमो नमस्ते दितिजार्दनाय नमो नम रोगविमोचनाय ॥

अथवा

नमो विवस्वते ब्रह्मन् भस्वते विष्णुतेजसे ।

जगत्सवित्रे शुचये नमस्ते धर्मदायिने ॥

वर्तमान हिन्दू समाज में सौर सम्बन्ध ज्योतिष्शास्त्र का आधार है और प्रत्येक शुभाशुभ कार्य-सम्पादन में सौर गणना का आश्रय लिया जाता है।

साहित्य निर्माण

सौर सम्प्रदाय पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है। विश्वामित्र ऋषि द्वारा विरचित गायत्री मंत्र तथा अनेक सौरसूक्त ऋग्वेद में विद्यमान हैं, जिन्हें सूर्यदेवता विषयक प्राचीनतम साहित्य कहा जा सकता है। उपनिषद् ग्रन्थों में 'सूर्योपनिषद्' सूर्योपासना से ही सम्बद्ध है। इस सम्प्रदाय का सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ 'सौरसहिता' है, जो नेपाल के राजपुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में सुरक्षित बताया जाता है। उसका लिपिकाल ९४१ वि० है। इसमें साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड एवं आचार-पद्धति वर्णित है। 'गुरुज्ञानवसिष्ठ-सत्यनाराण' नामक ग्रन्थ में अन्तर्भूत 'शिवगीता' में सूर्योपासना का ही निरूपण हुआ है। इनके अतिरिक्त 'ब्रह्मवैवर्तपुराण' तथा 'भविष्यपुराण' सौर सम्प्रदाय से ही सम्बन्धित हैं। 'सूर्यशतक' के रचयिता महाराज हर्ष के राजकवि मयूर ७वीं शती ई० में हुए। उनके समकालीन वाणभट्ट ने अपने 'हर्षचरित' के आरम्भ में सूर्य की वन्दना की है। इससे सौरमत की तत्कालीन व्यापकता का पता चलता है। जैनकवि मानसुग रचित 'भक्ता-भरस्तोत्र' सूर्योपासना से सम्बन्धित कृति है। इसी समय विरचित 'साम्ब-पुराण' सौर सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

इन साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त अभिलेखों तथा प्रशस्तियों में उत्कीर्ण एवं अभिलिखित सूर्य की स्तुतियाँ उल्लेखनीय हैं।

सूर्य-प्रतिमाओं का निर्माण

वेदों तथा पुराणों में वर्णित सूर्य के शब्दचित्रों के आधार पर सूर्य प्रतिमाओं का भारत में व्यापक रूप से निर्माण हुआ। ये प्रतिमाएँ विशेष रूप से दो प्रकार की शैलियों में बनी—दाक्षिणात्य और औदीच्य। औदीच्य प्रतिमा शैली में विद्येय रूप से वेश का बाह्य प्रभाव लक्षित होता है। उसमें अधिक कलात्मकता है, किन्तु दाक्षिणात्य प्रतिमाओं में सूर्य के प्रभा-मण्डल को दर्शाने में विद्येय बल दिया गया है। दोनों शैलियों में मुख्यतः भारतीयता की है और प्रतिमा विज्ञान के भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है। यद्यपि सूर्योपासना के विधि विधानों के प्रथम कर्ता शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण थे और यह स्वाभाविक था कि सूर्य की प्रतिमाओं पर ईरानी शैली का प्रभाव परिलक्षित होता, किन्तु जिस प्रकार सूर्योपासना पर वैदिक प्रभाव था उसी प्रकार सूर्य प्रतिमाओं का निर्माण भी वैदिक तथा पौराणिक आख्यानों से अनुकूल हुआ।

सूर्य-प्रतिमाएँ जो विभिन्न मन्दिरों में स्थापित हैं, मुख्यतः उनकी दो विधाएँ हैं—रथारूढ और खड़ी। रथारूढ प्रतिमाओं में सात अश्व जुते हैं। रथ का चालक सारथी अरुण है, जिसे पाँव से रहित दर्शाया गया है। सूर्य के दोनों पाश्र्वों में ऊषा तथा प्रत्युषा उत्कीर्ण हैं, जो आकाश की ओर धनुष सन्धान किये हुए हैं। सूर्य-प्रतिमा के दोनों ओर दो पार्षद दण्ड धारण किये हुए हैं। मसिपात्र धारण किये हुए पिगल या कुण्डी अंकित है। यह रूप-विधान दाक्षिणात्य शैली की प्रतिमाओं का है। उनमें कमलस्थ नगे पाँव धोती धारण किये हुए और शरीर खुला है।

औदीच्य प्रतिमाओं का रूप-विधान कुछ भिन्न है। उनमें उँची एडी के उपानह (जूते) दिखाये गये हैं। चुस्त पायजामा, भारी अंगा, चौड़ी मेखला, शिर पर किर्रीट और पीठ की ओर प्रभा-मण्डल दर्शित है। वैदिक गहरमान के प्रतीकस्वरूप सूर्यमूर्ति के दोनों ओर दो पक्ष भी दर्शाये गये हैं।

सिद्धान्त-निरूपण

सौरमत का सिद्धान्तिक दृष्टिकोण अद्वैतवादी है, किन्तु भक्तिमार्ग से सम्बन्धित है। 'महाभारत' तथा पुराणों में सूर्य को सनातन ब्रह्म, परमात्मा स्वयम्भू, अज, अनन्त, सर्वात्मा और जगत् का मूलकारण बताया गया है। मोक्षार्थी उसकी उपासना करते हैं। वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का प्रभु है। फिर भी जैसा कि लोक प्रचलित है, सूर्योपामना या सौर सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदाय की एक शाखा होने के कारण उसमें सिद्धान्तिक आधार सगुण भक्ति जैसे हैं।

स्कन्द सम्प्रदाय

प्राचीन धर्मशास्त्राओं में स्कन्द सम्प्रदाय का भी एक नाम है। शिव के पुत्र स्कन्द या कार्तिकेय अथवा कुमार की व्यापक साहित्य-वर्चाएँ तथा लोक-व्यापी पूजा प्रतिष्ठा के महत्त्व को देखते हुए यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि महाभारतकालीन समाज से लेकर मध्ययुग तक स्कन्द के उपासक धर्मानुयायियों का एक अलग वर्ग था। स्कन्द की यह उपासना सात्वित धर्म का ही एक अंग थी। इस सात्वित धर्म का प्रथम उपदेष्टा आचार्य सनत्कुमार था, जिसको इस धर्म का उपदेश ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था।

पुराणों (ब्रह्माण्ड ३।१०।२२-६०, वायु १।१।२०-४९) तथा 'महाभारत' (वनपर्व २१३-२१४) में स्कन्द को शिव पार्वती अथवा अग्नि का पुत्र कहा गया है। स्कन्द के सम्बन्ध में 'ब्रह्मपुराण' (८१) की एक कथा में ऐसा उल्लेख है कि वह देवस्त्रियों पर बहुत आसक्त हो गया था। देवस्त्रियों द्वारा स्कन्द की स्वैराचार की शिकायत पर पार्वती ने ऐसी लीला व्याप्त की कि सृष्टि की समस्त स्त्रियों में स्कन्द को पार्वती का ही रूप दिखाई देने लगा। इस बात से स्कन्द को अपने कृतकर्म के प्रति बड़ा पश्चात्ताप हुआ और माता पार्वती के पास जाकर उसने प्रतिज्ञा की कि आज से सत्तार की सारी स्त्रियाँ मेरे लिये माता के समान हैं।

मराठी के 'शिवलीलामृत' (शिवलीला १३) में एक परम्परागत जनश्रुति के आधार पर कहा गया है कि स्त्रियों के प्रति अत्यधिक विरक्त-वृत्ति के कारण स्त्रियाँ उनके दर्शन नहीं करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कन्द की मूर्ति के दर्शन से स्त्री को सात जन्म तक का वैधव्य प्राप्त होता है। यह जनश्रुति केवल उक्त ग्रन्थ में है। पुराणों आदि में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं मिलता।

कृष्णयजुर्वेद की मंत्रायणी शाखा से स्कन्द का सम्बन्ध था। 'छान्दोग्योपनिषद्' में स्कन्द की ज्ञान-गरिभा का समन्वय सनत्कुमार से क्रिया गया है। सनत्कुमार एक सुविख्यात तत्त्ववेत्ता, आचार्य और विष्णु के साक्षात् अवतार थे। वे ब्रह्मज्ञानी, निवृत्तिमार्गी, योगवेत्ता, धर्मशास्त्रज्ञ और मोक्षधर्म के प्रवर्तक थे। उनके ब्रह्मज्ञान का उल्लेख 'छान्दोग्योपनिषद्' (७।१७-२२) में किया गया है। स्कन्द स्वयं ब्रह्मनिष्ठ एवं ज्ञान-गुण-सम्पन्न उपनिषद्कालीन आचार्य थे। अतः उक्त उपनिषद् में सनत्कुमार के साथ उनका समन्वय बताया गया है। वैसे भी सनत्कुमार स्कन्द का नामान्तर है। किन्तु दोनों

तत्त्ववेत्ता भिन्न भिन्न थे और दोनों की भिन्नता को दशित करनेवाले बहुविध पुष्ट प्रमाण विद्यमान हैं ।

शृह्यसूत्रों में उनके शौर्यपूर्ण घोर उग्र रूप का वर्णन हुआ है । उनके उग्र स्वभाव तथा शौर्य का प्रमाण इसी से मिलता है कि केवल सात दिनों की अल्प वय में ही उसने तारकासुर का वध कर दिया था । बाणासुर को भी उसी ने मारा था । तारकासुर के वध के बाद ही स्कन्द को देवों का सेनापति होने का गौरव प्राप्त हुआ था ।

'स्कन्दपुराण' उन्हीं के नाम पर है और उनकी पूजा-प्रतिष्ठा तथा उनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है । अष्टादश महापुराणों में यह सबसे बृहत् है । इस पुराण के उपदेष्टा स्वयं स्कन्द या कुमार हैं । उसमें मुख्य रूप से शिवतत्त्व का निरूपण किया गया है । इस पुराण की 'सूतसंहिता' में शैव उपासना, वैदिक तथा तान्त्रिक पूजाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है । 'महाभारत', 'स्कन्दपुराण', 'शिवपुराण', 'वामनपुराण और 'कालिकापुराण' आदि में स्कन्द की कथा तथा पूजा-प्रतिष्ठा का वर्णन है । इन्हीं पौराणिक आख्यानों के आधार पर महाकवि कालिदास ने 'कुमारसम्भव' नामक महाकाव्य की रचना की । उसमें कालिदास ने स्कन्द या कुमार के संपूर्ण देवत्व रूप, उनके प्रति प्रचलित लोकभक्ति का वर्णन किया है । सृष्टि-विज्ञान में स्कन्द सूर्य की वह शक्ति है, जो वायुमंडल के ऊपर स्थिर है और जिससे वर्षा करनेवाली अग्नि (सवत्सराग्नि) उत्पन्न होती है ।

इस प्रकार स्कन्द के देवत्व रूप का उल्लेख यद्यपि प्राचीन है, किन्तु उनके नाम से प्रतिष्ठित स्कन्द सम्प्रदाय का प्रचलन बहुत बाद में हुआ । स्कन्द के आराधक समाज का पता कुपाण काल (प्रथम शती ई० पूर्व) से पूर्व का है । कुपाण राजा स्कन्दपूजक थे, क्योंकि उनकी मुद्राओं पर स्कन्द का नाम अंकित हुआ है । गुप्तकाल (पाँचवीं शती ई०) में स्कन्द पूजा का विशेष रूप से उत्तर भारत में व्यापक प्रचलन था । दक्षिण में भी स्कन्द की पूजा प्रतिष्ठा का प्रचार-प्रसार हो चुका था । चालुक्य राजाओं (१०वीं शती ई०) के उपास्य देव या कुलदेवता थे । चालुक्यों के प्रभाव से दक्षिण भारत में स्कन्द की पूजा के विभिन्न स्वरूप प्रचलित हो चुके थे । दक्षिण में मुहगन (बालक), वेल्न (शक्तिधर) और शेग्यान (रक्तवर्ण) आदि विभिन्न रूपों में स्कन्द की पूजा की जाने लगी थी । पुराण प्रचलित उनके विभिन्न नाम-रूप, कुमार, कार्तिकेय, ग्रह, रुद्रसूनु, सुब्रह्मण्य, महासेन, सेनापति, सिद्धसेन, शक्तिधर, गोपुत्र, शरभू, तारकजित्, पण्डुख, पडानन और पायकि आदि समाज में पूजे जाने लगे थे ।

सनातन ब्रह्मचारी होने के कारण उन्हें कुमार कहा गया और उनके इस रूप की उपासना ब्रह्मनिष्ठ समाज द्वारा अधिक अपनाई गई। उनकी मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि उन्हें एक या छह शिर तथा दो या बारह हाथों वाला दर्शाया गया है। उनके रक्तवर्ण वस्त्र, हाथ में धनुषधारण, अन्यान्य हाथों में खड्ग, शक्ति, वज्र तथा परशु आदि से सम्पन्न उत्कीर्ण किया गया है। उनका वाहन मयूर है, ध्वज-चिह्न मुर्गा और ध्वज का रंग लाल है।

योगमार्ग की साधना में स्कन्द को पवित्र शक्ति का प्रतीक माना गया है। तपस्या तथा योग-साधना द्वारा अर्जित ब्रह्मवर्चस्व का प्रतीक भी स्कन्द को ही माना गया है। वे शक्ति के महापुत्र हैं।

इस प्रकार स्कन्द सम्प्रदाय यद्यपि आज अपने अस्तित्व में स्मृति शेष है, किन्तु इस राष्ट्र की पुरातन धर्मचेतना को उजागर करने में उसका योगदान अति स्मरणीय है।



गाणपत्य मत

प्राचीन धार्मिक सम्प्रदायो मे गाणपत्य मत का भी उल्लेख देखने को मिलता है। प्राचीन काल मे गणपति के उपासको का अपना अलग वर्ग था; किन्तु यह निश्चित है कि सम्प्रति इस मत का कोई अपना स्वतंत्र धार्मिक सम्प्रदाय नहीं है।

विभिन्न पुराणो, 'महाभारत' तथा उपनिषदो और परवर्ती काव्य-नाटको मे गणपति से सम्बन्धित उल्लेख देखने को मिलते हैं। पौराणिक उल्लेखो के अनुसार शंकर-पार्वती के पुत्र होने पर भी गणपति अयोनिज थे, क्योंकि पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से मूर्ति बनाकर उसमे सजीवता का संचार कर गणपति या गणेश को जन्म दिया था। उनके विनायक, मयूरेश्वर, गजानन, घूमकेतु, निष्कुम्भ, एकदन्त और गणेश आदि विभिन्न नाम हैं। 'शिवपुराण' (कु० १६) मे कहा गया है कि एक बार शिव के साथ गणेश का युद्ध हो गया था। उसमे शिव ने उनका मस्तक तोड़ दिया था, किन्तु पार्वती के अनुरोध पर शिव ने श्मश्रु के हाथी का मस्तक लाकर जोड़ दिया था। तभी से वे गजानन कहे गये। गणेश की सिद्धि और बुद्धि दो पत्नियाँ और विनायक नामक एक पुत्र था। उनके चार हाथ और वाहन भूषक हैं।

'महाभारत' की रचना मे व्यासजी ने गणेश की सहायता प्राप्त की थी। गणेश ने यह शर्त रखी थी कि वे बीच मे अपनी लेखनी नहीं रोकेंगे। इसी प्रकार व्यास ने शर्त रखी थी कि अर्थ समझे बिना गणपति आगे नहीं लिखेंगे। गणपति को अर्थ समझने के लिये समय मिले और व्यास को भी लिखवाने में अबकाश प्राप्त हो, इसीलिये व्यास 'महाभारत' मे स्थान-स्थान पर 'कूट' सम्मिलित करते गये (महाभारत, आ० १, परि० १, ऋ० १)।

गणपति के बहुव्यापी स्वरूप को दृष्टि मे रखकर, जहाँ तक गाणपत्य मत की प्राचीनता का प्रश्न है, उसके लिये आधारे एवं प्रमाणो की कमी है। गाणपत्यो के प्राचीन अस्तित्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनके आराध्य देव गणपति की अनेक भव्य एवं विदाल मूर्तियाँ विभिन्न पुरातात्विक उत्खननो से प्राप्त हुई हैं। भारत के अनेक पुरातत्व एवं कला संग्रहालयों मे गणपति की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध मूर्तियो के आधार पर यह माना जा सकता है कि पुरातन काल में गणपति के उपासको

का अपना अलग वर्ग था, किन्तु सभ्यत जो अपनी वामाचारी क्रियाओं के कारण लोकनिन्दित होने से क्षीण हो गया।

जहाँ तक गणपति-पूजन तथा देवतागण में गणपति के उल्लेख का प्रश्न है, 'वरदतापनीयोपनिषद्', 'गणपतितापनीयोपनिषद्' तथा 'वृसिंह-तापनीयोपनिषद्' आदि में गणपति के विभिन्न स्वरूपों का अनन्त ब्रह्मरूप में व्यापक वर्णन हुआ है। वैष्णव संहिताओं में 'गणेशसंहिता' का भी उल्लेख पाया जाता है। 'अग्निपुराण', 'वायुपुराण', 'शिवपुराण', 'गणपतिपुराण' और 'महाभारत' आदि ग्रन्थों में गणपति की महनीयता का बहुविध उल्लेख हुआ है। परवर्ती साहित्यकारों में महाकवि कालिदास ने गणेश के 'निष्कुम्भ' नाम का उल्लेख किया है। नाटककार भवभूति के 'मालतीमाधव' नाटक और 'यानवल्क्यस्मृति' में गणपति गणेश का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है और उनसे यह भी ध्वनित होता है कि भवभूति के समय (७वीं शती ई०) तक गाणपत्यो का स्वतन्त्र धार्मिक संगठन बन चुका था। गणपति की जो भूतियाँ मिली हैं, वे भी ५वीं शती ई० के बाद की हैं।

इन आधारों पर इतिहासवेत्ता विद्वानों का अभिमत है कि भारत के गाणपत्य सम्प्रदाय का आरम्भ ७वीं शती ई० के लगभग हो चुका था, किन्तु उसकी समृद्ध एवं लोकव्यापी स्वरूप १०वीं शती ई० में प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। भारत में गणपति के विभिन्न रूपों की पूजा-उपासना प्रचलित होने के कारण गाणपत्यो की अनेक शाखाएँ प्रकाश में आ चुकी थी। उपासना की इस विभिन्नता के कारण इस मत की लगभग ६ शाखाओं का पता चलता है। 'शंकरदिग्विजय' ग्रन्थ में गणपति के ६ रूपों का वर्णन हुआ है, जिनके नाम हैं—१ महागणपति, २ हरिद्रागणपति, ३ उच्छिष्ट-गणपति, ४ नवनीतगणपति, ५ स्वर्णगणपति और ६ सन्तानगणपति। इन ६ रूपों की उपासना को लेकर गाणपत्य सम्प्रदाय की ६ उपशाखाओं का प्रचलन हुआ। उनमें उच्छिष्टगणपति की उपासना का आधार तानिक था और उसकी उपासना-पद्धति लगभग शाक्तों के वामाचार मत के समान थी, जिसके कारण गाणपत्य मत का ह्रास हुआ।

आज के भारत में भले ही गाणपत्यो का कोई स्वतन्त्र सम्प्रदाय नहीं, किन्तु हिन्दू जन-जीवन में गणपति की पूजा-प्रतिष्ठा का महत्त्व सर्वत्र व्याप्त है, किसी भी देवता से कम नहीं है। गणपति ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, जो प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में अपना प्रथम स्थान रखते हैं। कर्मकाण्ठी हिन्दुओं में आदिदेव के रूप में सर्वप्रथम गणपति की ही प्रतिष्ठा की जाती है।

वे विघ्नविनाशक एव मंगल-श्रेय-समृद्धि के अधिदेवता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में ही नहीं, अपितु परम्परानुसार लेखन के आरम्भ में उन्हीं का स्मरण किया जाता है। गणपति 'ओकारस्वरूप' हैं। अतः गणपति की उपासना ब्रह्म की उपासना है। वे समस्त विद्याओं तथा कलाओं के अधिपति हैं। सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी हैं। ओकार में ही गजमुख गणेश का स्वरूप विकसित हुआ, क्योंकि ओकार के लेखन और गणेश के स्वरूप में एकरूपता है। गणपति को महाब्रह्म का स्वरूप माना गया है। वे स्वयं स्रष्टा हैं और प्रलय महाकाल के बाद वे ही शेष रहते हैं तथा पुनः सृष्टि की रचना करते हैं।

गणपति का जैसा स्वरूप है, तदनुसार हिन्दू जनमानस की उनके प्रति अत्यन्त हार्दिक आस्था है। हिन्दू धर्मानुयायियों में परम्परा से घरों के प्रवेश द्वारों की चौखटों के शीर्ष भाग पर विघ्नविनाशक ऋद्धि सिद्धि एव सुख-आरोग्य के दाता गणेश की आकृति उत्कीर्ण करने की प्रथा आज भी विद्यमान है।

भारत के विभिन्न अंचलों में गणपति के १२० मन्दिर बताये गये हैं, जिनमें से ५६ विनायकों की स्थापना अकेले वाराणसी में बतायी जाती है। इनके अतिरिक्त अष्ट गणपति प्रमुख माने जाते हैं, यथा—१ मोरगाँव में मोरेश्वर, २ राजनगाँव में गणपति, ३. धेऊर में चिन्तामणि, ४ जुन्नर लेण्याद्रि में गिरिजात्मक, ५ मुहड, पाली में बल्लालेश्वर, ६. सिद्धटेक में गजमुख, ७ ओझर में विघ्नेश्वर और ८ मड में विनायक। ये आठो गणपति अधिष्ठान पूना के आस-पास विद्यमान हैं। उनके अनुयायी 'श्रीगणेशाय नमः' मंत्र का जप करते हैं और ललाट पर लाल तिलक का गोल चिह्न धारण करते हैं।

परम्परा से गणपति की पूजा-उपासना का अनुमान इमी में लगाया जा सकता है कि भारत के प्रायः सभी अंचलों की धर्मप्राण जनता उनको अपने आराध्यदेव के रूप में पूजती आयी है। इसी निष्ठा के फलस्वरूप प्रत्येक घर तथा गली-कूचों में आज भी गणपति के मन्दिर तथा उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। भारत में गणपति का प्रसिद्ध एव विशाल मन्दिर श्रीरगम् पर्वत के ऊपर स्वर्णशिला (गोल्डन रॉक) पर स्थित है, जहाँ गुदूर अंचलों की जनता उनके दर्शनार्थ जाती है।

लोकानुराध्य गणपति की वर्तमान भारत में बहुमान्यता को दृष्टि में रखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परम्परा से गाणपत्य मत का बहुत प्रचार प्रसार रहा है। न केवल भारत में, अपितु द्वीपान्तर

बृहद् भारत में भी गणपति के लोकानुग्रही स्वरूप के प्रति जनमानस का व्यापक प्रचलन बौद्धानुयायी समाज में भी देखने को मिलता है। महायान बौद्धों ने भारत के लोकाराध्य आदिदेव, विनायक को बुद्ध के साथ स्थान देकर बुद्ध की भाँति उन्हें प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार बौद्ध देशों में तिब्बत, नेपाल, खोतान, चीनी तुकिस्तान, बाली द्वीप और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे अबौद्ध देशों में भी गणपति की मूर्तियाँ मिली हैं और उनकी पूजा-प्रतिष्ठा की परम्पराओं का भी पता चला है। तिब्बत और चीन के मठों में आज भी लोकपाल आदिदेव के रूप में गणपति की पूजा की जाती है। चीन में गणपति को विनायक तथा कागीवेन के नामों से कहा जाता है।

यद्यपि आज के भारत में गणपत्यो का कोई वर्ग, मत या सम्प्रदाय नहीं है, तथापि यह स्पष्ट है कि गणपति का स्थान आज लोकमान्य है। इस प्रकार गणपति के इस व्यापक लोकानुग्रही स्वरूप को देखकर यह सम्भावना करनी सर्वथा युक्तिसंगत प्रतीत होती है कि प्राचीन भारत में गणपत्य मत का व्यापक अस्तित्व था, किन्तु धीरे-धीरे एक वर्ग विशेष से सम्बद्ध न रहकर गणपति का देवरूप लोकव्यापी हो गया।



दत्तात्रेय मत

दत्तात्रेय मत का समावेश वैष्णव धर्म के अन्तर्गत किया गया है। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख शाखा भागवत सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी भी आगे चल कर तीन उपशाखाएँ हुईं, जिन्होंने स्वतन्त्ररूप से अपना विकास किया। ये तीन उपशाखाएँ हैं—बारकरी, रामदासी, और दत्तपंथ। इन तीनों वैष्णव उपशाखाओं का उदय महाराष्ट्र में हुआ और वही उनको लोकप्रियता एवं सम्मान भी प्राप्त हुआ। इन तीनों शाखाओं में अनेक उच्च-कोटि के सन्त, महात्मा तथा भक्त हुए। उनमें दत्तपंथ या दत्तात्रेय मत, दोनों शाखाओं से प्राचीन है। इस सम्प्रदाय के आराध्यदेव अवधूत भगवान् दत्तात्रेय को माना जाता है।

प्राचीन काल में महर्षि वसिष्ठ द्वारा एक योगी पत्न्य का प्रवर्तन हुआ था। किन्तु कालान्तर में उसके अनुयायियों में मतभेद हो जाने के कारण लगभग ५वीं शती ई० में किसी अज्ञातनामा योगी ने दत्तात्रेय पत्न्य की स्थापना की थी। दत्तात्रेय स्वयं एक ब्रह्मनिष्ठ महामुनि हुए। महर्षि अत्रि उनके पिता और महासती अनुसूया उनकी माता थी।

उनके 'दत्त' नाम का भी एक आधार है। महर्षि अत्रि की सतीसाध्वी पत्नी भगवती अनुसूया के गर्भ से स्वेच्छा से भगवान् ने जन्म धारण किया था। इसीलिए उन्हें 'दत्त' नाम दिया गया। मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को महाराष्ट्र में दत्तात्रेय के जन्म-दिन को व्रतोत्सव के रूप में आज भी मनाया जाता है। सोम तथा दुर्वासस उनके दो भाई थे। उनमें दत्त विष्णु का, सोम ब्रह्मा का और दुर्वासस शंकर का अवतार माना जाता है।

भगवान् दत्तात्रेय की पूजा-प्रतिष्ठा का विस्तृत विधान 'दत्तात्रेय संहिता' में वर्णित है। इसके अतिरिक्त 'नारदपुराण' में भी उनका वर्णन हुआ है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि दत्तात्रेय का जन्म महाराष्ट्र के यादवगिरि (भेलकोट) में हुआ था। 'दत्त' उनका नाम था और 'अत्रि' उनके पिता का। इस प्रकार पिता के नाम से योजित होकर परम्परा में उन्हें दत्तात्रेय कहा गया।

तीन मस्तिष्क वाली एक मूर्ति को दत्तात्रेय का प्रतीक माना गया है। ये तीन मस्तिष्क ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर के प्रतीक हैं। वे पद्महस्त उत्कीर्णित हैं। उनके पीछे एक गाय और समुद्र चार कुत्ते दिखाये गये हैं। इन पाँचों

को चारो देवों तथा पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। इस त्रिमुख मूर्ति का पुराणों में कोई उल्लेख नहीं मिलता। महाकवि माघ (७ वीं शती ई०) के 'शिशुपालवध' में दत्त को विष्णु का अवतार कहा गया है। महाराष्ट्र में सम्प्रति प्रचलित उक्त दत्तमूर्ति की उपासना के सम्बन्ध में भी ममाधर विरचित 'गुरुचरित्र' (१५५० ई०) में उल्लेख हुआ है। दत्तात्रेय को क्षमा का मुख्य देवता माना गया है।

एक बार दत्त ने अपने पिता अत्रि से ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा से प्रश्न किया। उन्होंने दत्त से गोदावरी तट पर महेश्वर की आराधना करने के लिए कहा। इस प्रकार महेश्वर की आराधना करने पर उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ। गोदावरी के तट में जिस स्थान पर उन्होंने महेश्वर की आराधना की थी उसे 'ब्रह्मपीथं' कहा जाता है। उनकी ब्रह्मवर्चस्विता के कारण धर्म ने उन्हें साक्षात् दर्शन दिया था। जहाँ पर उन्होंने अपने शिष्यों जलकं, प्रह्लाद, यदुराज तथा सहस्राजुंन प्रभृति को ब्रह्मज्ञान दिया था, वहाँ पर नरसीवा बाड़ी में दत्तात्रेय भगवान् का भव्य मन्दिर आज भी वर्तमान है। 'महाभारत' (वनपर्व ११५।१२) के अनुसार राजा कार्तवीर्य को दत्तात्रेय ने वरदान दिया था।

गिरिनार स्थित पश्चिमी घाट मल्लिकी ग्राम (माहूर) में भी दत्तात्रेय का आश्रम था, जहाँ पर परशुराम ने जमदग्नि को अग्नि दी थी और रेणुका सती हुई थी। अन्तिम समय वे सह्याद्रि पर्वत पर रहे।

ग्रन्थ-निर्माण

भगवान् दत्तात्रेय के नाम से विभिन्न ग्रन्थों में उनके द्वारा विरचित ८ कृतियों के नाम उल्लिखित हैं, जो इस प्रकार हैं—१ 'अवधूतोपनिषद्', २ 'जावालोपनिषद्', ३ 'दत्तात्रियोपनिषद्', ४ 'भिक्षुकोपनिषद्', ५ 'शाण्डिल्योपनिषद्', ६ 'अवधूतगीता', ७ 'त्रिपुटोपास्ति-पद्धति' और ८. 'परशुराम-कल्पसूत्र' (दत्ततन्त्रसार-विज्ञान)। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कुछ कृतियाँ उनके परवर्ती अनुयायियों ने लिखी या सकलित की।

आचार-संहिता

इस प्रकार दत्तात्रेय एक ऐतिहासिक, ऋषिकुल के महान् तत्त्ववेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ महामुनि हुए। किन्तु उनके नाम से जो 'दत्तात्रेय मत' प्रचलित हुआ, वह बहुत बाद का है। ऐसा प्रतीत होता है कि दत्तात्रेय के सिद्धान्तों को आधार बनाकर किसी परवर्ती योगी द्वारा, जिसका नाम-धाम अज्ञात

है, दत्तात्रेय मत का प्रवर्तन किया गया। इस मत की आचार-संहिता के अनुसार कोई भी अनुयायी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास, तीनों आश्रमों के आचारा का प्रतिपालन कर आत्मोद्धार कर सकता है। गृहस्थ के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है क्योंकि गृहस्थगी एव जगत् प्रपञ्च से उदासीन योगियों के लिए ही इस मत में प्रवेश करने की आज्ञा है। वे योगी, मुनि तथा साधु बनकर उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस मत में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रवण ही सम्मिलित होने के अधिकारी हैं।

सिद्धान्त निरूपण

महामुनि दत्तात्रेय स्वयं ब्रह्मज्ञानी, महान् शास्त्रज्ञ और तत्त्ववेत्ता थे। माया का विच्छेद करने के लिए उन्होंने चौबीस तत्त्वों को वरण करने का निर्देश किया है। वे चौबीस तत्त्व हैं—१ पृथ्वी, २ वायु, ३ आकाश, ४ जल, ५ अग्नि, ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ८ कपोत, ९ अजगर, १० समुद्र, ११ पतंग, १२ घमर, १३ हस्ति, १४ व्याघ्र, १५ हरिण, १६ मत्स्य, १७ पिगला, १८ शील, १९ बालक, २० कुमरिका, २१ लुहार, २२ सर्प, २३ मकड़ी और २४ घमरी। उन्होंने स्वयं इन चौबीस तत्त्वों के गुणों को ग्रहण किया और उन्हें ही अपना गुह माना है।

आत्मा की परमोच्चता प्राप्त करने के लिए इस मत में सर्वाधिक बल दिया गया है और उनके लिए अष्टांग योग-माधना आवश्यक बताई गई है। अहिंसा और जीवदया इस मत के मान्य सिद्धान्त हैं। गुह की आज्ञा का परिपालन, मत्पनिष्ठा और शास्त्र चिन्तन उनके प्रमुख लक्ष्य हैं।

दत्तात्रेय मत की सिद्धान्तिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर निराकार है, परात्पर परब्रह्म ही एकमात्र कारण, कार्य और साधन है। मन की अनेकान्तता या चञ्चलता से आत्मा में भ्रान्ति उत्पन्न होती है और उस दशा में जगत्प्रपञ्च की रचना होती है। आत्मा की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि प्रकृति के धर्मों की उपेक्षा की जाये और निवृत्तिपरक धर्मों को अपनाया जाये। इन निवृत्तिपरक धर्मों को वरण करने के लिए सत्य, तप, अपरिग्रह, दया, धर्म, अर्थ, मोक्ष और वैराग्य को वरण करना चाहिए। जितन भी कुमार्ग प्रेरक मादक द्रव्य हैं, उनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। यही दत्तात्रेय मत का ज्ञान मार्ग है और यह ज्ञान प्राप्ति ही साधक का परम लक्ष्य है।

आरम्भ में दत्तात्रेय मत का अच्छा प्रचार प्रसार रहा, यद्यपि विशेषरूप से वह महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा। मध्ययुग की तान्त्रिक (शाक्त-वापार्लिक) उपासना के प्रभाव से उसमें मद्य मांस का प्रयोग होने लगा और इस

प्रकार वह दोगियों का धर्म बन गया। अपनी उच्च योग-साधना से च्युत होकर वह तांत्रिक गुह्य-साधना का एक अंग बन गया।

यद्यपि उत्तर-मध्य युग में दत्तात्रेय मत का ह्रास होता गया किन्तु महाराष्ट्र तथा आंध्र में कतिपय धर्मानुयायियों द्वारा उसके उच्चादर्यों एवं उदात्त सिद्धान्तों का परिपालन होता रहा। इस प्रकार के अनुयायियों में श्रीपाद श्रीवल्लभ (पीठापुर, आंध्र) और श्रीनरसिंह सरस्वती (महाराष्ट्र) ने परम्परा को उजागर बनाये रखा और अपने सदाचरण तथा सद्गुणों के कारण समाज में दत्तात्रेय के अवतार माने गये। इसी परम्परा में श्रीवानुदेवानन्द सरस्वती (१८५४-१९१४ ई०) हुए, जो कि दत्तात्रेय के परम भक्त थे। उन्होंने दत्तात्रेय मत पर सस्कृत तथा मराठी अनेक ग्रन्थों की रचना की। उन्होंने भारत के विभिन्न अंचलों को पैदल यात्रा की और स्थान-स्थान पर भगवान् दत्तात्रेय के मन्दिरों का निर्माण कराया। अपने एकाकी प्रयास से उस धर्मनिष्ठ, तत्त्ववेत्ता एवं विद्वान् मनस्वी ने आजीवन दत्तात्रेय मत का प्रचार-प्रसार किया।

इस सम्प्रदाय के अनुयायी भूरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तुलसी की कण्ठी तथा तथा कुण्डल पहनते हैं। दीक्षित अधिकारी को ही अपने गोपनीय मंत्र का उपदेश देने हैं। उनमें मंत्र की गोपनीयता परमावश्यक बताई गई है।

इस प्रकार भारत में दत्तात्रेय मत का यद्यपि अधिक प्रचार प्रसार नहीं रहा, किन्तु महाराष्ट्र तथा आंध्र में उसके छिट-पुट अनुयायी आज भी इस मत की परम्परा को जीवित बनाये हुए हैं।



(चार)

अवैदिक धर्म-शाखाएँ

१. लोकायतिक मत
२. आजीवक सम्प्रदाय
३. जैनधर्म और उसके तीर्थंकर
४. बौद्धधर्म और उसके प्रवर्तक

लोकायतिक मत

भारत में परम्परा से धार्मिक तथा वैचारिक दृष्टि से जिन मतों एवं पन्थों का उदय हुआ और भारतीय इतिहास पर जिनके अस्तित्व की अभिष्ट छाप है, उनमें लोकायतिकों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस लोकव्यापी जन-समादृत विचारधारा ने पुरातन अतीत में कई शताब्दियों तक भारत में नई विचार क्रान्ति का सूत्रपात किया और लोकजीवन को अतिशय रूप में प्रभावित किया।

योरप, अमेरिका और एशिया के देशों में जब मानव-सभ्यता का अरुणोदय हो रहा था, भारत में वैचारिक प्रगति अपनी पराकाष्ठा पर थी। यह वैचारिक पराकाष्ठा मुख्यतः दो रूपों में देखने को मिलती है—आध्यात्मवादी और भौतिकवादी। इन भौतिकवादी या प्रत्यक्षवादी विचारकों को नास्तिकों में परिगणित किया गया। इन नास्तिक विचारकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी के विचारक वे थे, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। इस दृष्टि से लोकायतिकों, जैनो तथा बौद्धों को नास्तिक कहा गया। दूसरी कोटि के विचारक वे थे, जिनका न तो परलोक में विश्वास था और जो न जन्मान्तर को मानते थे। जो प्रत्यक्ष है, वही उनकी दृष्टि से सत्य है। इस श्रेणी में केवल लोकायतिकों को रखा जा सकता है। तीसरी श्रेणी के विचारक वे थे, जो वेदों की प्रामाणिकता को तो स्वीकार करते थे, किन्तु ईश्वर का उल्लेख न करते हुए भी अदृष्ट विशेष की कल्पना करने से नास्तिक नहीं कहे गए। इस कोटि में साख्य, योग, वैशेषिक और भीमासा मत के विचारकों को रखा जा सकता है।

वैचारिक दृष्टि से लोकायतिक विमुक्त भौतिकवादी हैं। इस भौतिकवादो विचारधारा का इतिहास बहुत पुरातन है। मानव जाति की अद्यतन प्रगति के इतिहास के साथ भौतिकवाद का अदृष्ट एवं महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। भौतिकवाद भारत की व्यापक धर्म भावना का ही एक अंग है, क्योंकि उसमें मानव ममानता का भाव निहित है। मनुष्य को उसकी आदिम अनुग्रतावस्था से उत्तरोत्तर उन्नतावस्था में लाने में भौतिकवाद का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और डब्लिन जैसे विश्व विख्यात तत्त्ववेत्ताओं ने भौतिकवाद के सिद्धान्त पर व्यापक प्रकाश डाला है।

इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वप्रथम मनुष्य की खाने, पीने, वस्त्र और आवास की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तभी उसकी राजनीति, विज्ञान, कला और धर्म की अन्यान्य अपेक्षाओं में अभिरुचि हो सकती है। जीवन-धारण के आवश्यक भौतिक साधनों के सुलभ होने के अनन्तर ही मनुष्य राष्ट्रीय तथा आर्थिक विकास की परिस्थितियों में सलग्न हो सकता है। यह धारणा उन सारी व्यवस्थाओं के प्रति अपना तीव्र विरोध प्रकट करती है, जिनके अनुसार इतिहास निर्माण के मूल में प्रगति के स्वाभाविक परिस्थितियों के मूल में भाग्य, ईश्वर तथा आदर्श जैसे भावात्मक विषयों को कारण माना जाता रहा है। मार्क्स की स्थापना है कि प्रत्येक सिद्धान्त की अपनी नियत अवधि रही है, जिसमें कि उसका जन्म हुआ। उनके मत से समय या युगविशेष सिद्धान्त का अनुवर्ती रहा है, न कि सिद्धान्त युगविशेष का अनुवर्ती। इसलिए यह मन्तव्य अपने-आप में नितान्त मृत्यु एव प्रकृत है कि सिद्धान्त इतिहास का निर्माण करता है, न कि इतिहास सिद्धान्त का जनक है। जब हम अपने आदिम मूलस्थान की खोज करते हैं, तब हम अपने शाश्वत सिद्धान्त पर निर्भर होने हैं।

मानव प्रगति के इतिहास का निर्माण निश्चित क्रम से हुआ। आरम्भ में मनुष्य पत्थरों के औजारों से काम चलाता था, किन्तु शनैः शनैः उसने धनुष-बाण का आविष्कार किया। तदनन्तर उसने लोहे की कुल्हाड़ी तथा लोहे का फाल आदि धातु के औजारों के साथ-साथ तकड़ी के हल का निर्माण किया। यह उसकी कृषि युग की उपलब्धि थी। उसने अपने उपयोगी एव कार्यक्षम हथियारों की उन्नति के साथ-साथ कृषि के उन्नत साधनों का भी विकास किया। कालान्तर में उसने दस्तकारी की उन्नति के साथ-साथ मशीनों और आधुनिक वृहत् पैमाने के उद्योगों को जन्म दिया। इस प्रकार प्राचीन काल से अब तक मनुष्य ने अपनी उत्पादक शक्तियों का क्रमशः विकास किया और स्वयं को उन्नत बनाया। इन परिवर्तित परिस्थितियों का प्रभाव उसके आर्थिक जीवन पर भी लक्षित हुआ। उसका सामाजिक स्तर भी परिवर्तित होता गया और उसने धीरे-धीरे जातिवाद, दासप्रथा, सामन्तवाद तथा पूँजीवाद के अनन्तर समाजवाद की स्थापना की। इस प्रकार उसने एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था के परिवर्तन द्वारा ऐतिहासिक क्रम को जन्म दिया।

एग्रेस का अभिमत है कि मनुष्य ने ही निश्चित रूप से इतिहास का निर्माण किया, किन्तु मनमाने ढंग से नहीं। उसकी इच्छा मात्र ही उसको उन्नत नहीं कर सकती थी, अपितु परम्परागत भौतिक नियमों का रहस्य समझ कर ही वह अपना विकास करता आया है। मनुष्य-कल्पना का स्वयं-

लोक अपने आप निर्मित नहीं हो जाता, अपितु उसका निर्माण परिस्थितियों की क्रमिक श्रृंखला से होता है। इतिहास के रूप को निश्चित करनेवाले तत्त्व ही उत्पादन और पुनरुत्पादन हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तनों के अन्तिम कारणों को दर्शन में नहीं, अपितु युग-विशेष के अर्थशास्त्र में ढूँढना होगा। इसी सोच ने समाजवादी क्रान्ति को जन्म दिया।

पश्चिम में जिस समय कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और डब्लिन की भौतिकवादी विचारधारा के आधार पर सामाजिक विकास के इतिहास का पुनर्मूल्यांकन हो रहा था, भारत में भौतिकवादी विचारधारा अपनी पराकाष्ठा पर थी।

पश्चिम में भौतिकवाद का विकास नितान्त पार्थिव तत्त्वों के आधार पर हुआ, किन्तु भारत में जिस लोकायतिक विचारधारा का उदय हुआ, वह परम्परा के विरुद्ध एक वैचारिक क्रान्ति थी। वैदिक युग में ही इस वैचारिक विभिन्नता के सूत्र प्रकाश में आने लगे थे। ऋग्वेद (१।१।२) में ऋषियों की दो परम्पराओं का स्पष्ट उल्लेख हुआ है—पुरातन और नूतन। किन्तु वैचारिक भिन्नता के फलस्वरूप दोनों परम्पराओं के ऋषि अग्नि को स्तवनीय मानते थे (अग्नि पूर्वोभी ऋषिभिरीड्यो नूतनैस्त)। उनमें नूतन ऋषियों की परम्परा के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे। वे वैदिक ऋषियों की परम्परा में अपना प्रतिष्ठित स्थान रखते थे। बृहस्पति मूलतः परम्परागत ब्राह्मण धर्म के अनुयायी आचार्य थे, किन्तु ब्राह्मण धर्म के कर्मकाण्ड, हिंसा तथा पुरोहितवाद की सकीर्णताओं और वर्गविरोध की अममानताओं से असहमत होकर उन्होंने सर्वथा नये धर्म-मार्ग का प्रवर्तन किया। उन्होंने एकांगी ब्राह्मण परम्पराओं के विरोध में सर्वजनानु-प्राप्त जिस नये पन्थ या मत का प्रवर्तन किया, उसे 'लोकायतिक' (जन साधारण में व्याप्त) नाम से कहा।

आचार्य बृहस्पति ने जिन विचारधारा का प्रवर्तन किया, आचार्य चार्वाक ने उसका लोक में व्यापक प्रचार-प्रसार किया। 'चार्वाक' वस्तुतः एक कल्पित या उपाधि नाम प्रतीत होता है, जो कि अतिशय विचरणाशील होने के कारण दिया गया। चार्वाक के विचारों का आधार, अनुभव तथा प्रत्यक्ष दृष्ट सत्य पर प्रतिष्ठित है। उनका कहना है कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु—ये चार तत्त्व सर्वत्र व्याप्त और सबको दिखाई देते हैं। इन्हीं चारों की समष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति तथा जीव-अजीव, जितने भी पदार्थ हैं, उन सबका निर्माण हुआ। इन चारों तत्त्वों या भूतों का अलग-अलग कोई अस्तित्व नहीं, किन्तु जब उनमें ऐक्य स्थापित हो जाता है, तब चैतन्यविशिष्ट आत्मा और शरीर की सृष्टि होती है। आत्मा से भिन्न शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है अर्थात् आत्मा के नष्ट हो जाने पर शरीर भी नष्ट हो जाता है।

अप्रत्यक्ष, परलोक या स्वर्ग, ईश्वर नाम की कोई भी वस्तु नहीं है, वह कल्पनामात्र है। पुनर्जन्म की कल्पना सर्वथा निराधार है। अस्मीभूत शरीर पुनः उत्पन्न नहीं होता है। मृत्यु या शरीर-त्याग ही मोक्ष है। इसलिए जब तक जीवन है, तब तक मनुष्य को स्त्री, पुत्रादि, धन-सम्पत्ति का जितना भी अधिक उपयोग हो सके, करना चाहिए। आनन्द और सुख की उपलब्धि ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सुखोपलब्धि के लिए यदि अपने पास साधन नहीं है, तो श्रम लेकर भी उनको सुलभ करना चाहिए। प्राप्त-सुख का परित्याग करने वाला निरा मूर्ख है।

चार्वाक के जीवन-दरान की यह मान्यता आज भी लोक-विद्युत है—

यावज्जीवेत् सुख जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
 भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥
 पशुश्चेन्निहितं स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।
 स्वपिता यजमानेन तत्र वस्मान् हिंस्यते ॥
 मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेतुस्तिकारणम् ।
 गच्छतामिह जन्तूनां व्ययं पाथेयकल्पनम् ॥

चार्वाक की दृष्टि से यज्ञादि कर्म सब पाखण्ड हैं। 'यदि यज्ञ में मारे गये पशु को स्वर्ग-प्राप्ति होती है, तो यज्ञ करने वाला यजमान उसकी जगह अपने पिता की बलि देकर क्यों नहीं उसे अद्वितीय स्वर्ग के सुखोपभोगो की प्राप्ति कराता? यदि श्राद्ध और तर्पण द्वारा मृत मनुष्य को वृत्त किया जा सकता है, तो प्रवास में गये मनुष्य को आने पास पाथेय रखने की आवश्यकता ही क्या है?'

चार्वाक की दृष्टि से वर्णाश्रम धर्म, होनादि वर्तव्य तथा सन्यास आदि बुद्धिहीनो के जीविका के साधनमात्र हैं। इन लोक में दिये गये दान से यदि परलोक के मनुष्य वृत्त होते हैं, तो भूकान की छत पर बैठे हुए मनुष्यों को उसका फल क्यों नहीं पहुँचता है? इस देह से निकल कर प्राण यदि स्वर्ग को जाता है, तो स्वजनो के विरह से पीड़ित होकर वह वापस क्यों नहीं आता? इन तथ्यों के विद्वलेपण से यह सिद्ध होता है कि मृत मनुष्यों के क्रिया-कलापों की सृष्टि द्वाहाणो के जीविकोपार्जन का साधनमात्र है। उसमें कोई सच्चाई नहीं। चार्वाक के मत से वेदो के रचयिता ऋषि और निशाचर थे। उनमें कही गई सब बातें बेबल पाखण्ड हैं।

इन तर्कों को प्रस्तुत कर चार्वाक ने लोगों को साने-पीने, भोज उड़ाने का अपना नया पन्थ प्रचलित किया।

जाबालि की भौतिकवादी विचारधारा

लोकायतिक विचारधारा का प्रभाव 'रामायण' में भी देखने को मिलता है। जयोध्याकाण्ड (१०९।३४) में यद्यपि लोकायतिको, बौद्धो तथा नास्तिको की घोर निन्दा की गई है, तथापि इसी काण्ड (सर्ग १०८) में प्रत्यक्षवादी या भौतिकवादी विचारधारा का उल्लेख भी देखने को मिलता है। इस सर्ग में 'जाबालि-राम' का एक संवाद वर्णित है। उसमें जाबालि का उपदेश लोकायतिक विचारधारा को परिपुष्ट करता है। राम को सम्बोधित कर जाबालि ने कहा है—'हे राम कौन किसका बन्धु है और किससे किसने क्या प्राप्त किया है? मनुष्य अकेला जन्म धारण करता है और अकेला ही मरता है। अतः माता-पिता समझकर जो मनुष्य व्यक्ति विशेष से प्रेम करता है, उसे उन्नत ही समझना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। जिस प्रकार दूसरे गाँव को जाता हुआ कोई मनुष्य मार्ग में थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए माता-पिता, घर-बार आदि केवल आश्रय-स्थान हैं। उनमें बिकेकवान् पुरुष कभी भी अनुराग नहीं करता है। प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़कर जो लोग धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं, मैं उन्हीं के लिए शोक करता हूँ, दूसरा के लिए नहीं, क्योंकि वे इस लोक में नष्ट उठाते ही हैं, परलोक में भी नष्ट हो जाते हैं। पितरों के उद्देश्य से लोक में श्राद्धादि करने का जो विधान प्रचलित है, उसमें केवल अन्न को नष्ट किया जाता है, क्योंकि मृत मनुष्य उसे कैसे खा सकता है? यदि एक खाया हुआ अन्न दूसरे के उदर में जाता हो, तो प्रवास में गये मनुष्य का भी श्राद्ध किया जा सकता है, जिससे कि उसे मार्ग में भोजन प्राप्त हो सके। यज्ञ करो, दान करो, यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो, सन्यास धारण करो—आदि बातों का निर्देश करने वाले ग्रन्थ उनके बुद्धिमान् निर्माताओं के स्वार्थ साधन हैं। हे राम, इस लोक के अतिरिक्त दूसरा लोक नहीं है। यह तुम समझो। जो प्रत्यक्ष है, उसी को सत्य मानो और जो परोक्ष है, उसका परित्याग करो।'

किन्तु राम ने जाबालि मुनि के इन भौतिकवादी अभिनत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मत्स्य की महिमा को सर्वोपरि बताया और लोक-परलोक के लिए उमकी क्षेपिता का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा—'हे महामुनि, चार्वाक मत के अनुकूल बुद्धि रखकर सगार के नास के लिए घमण करने वाले और वेद विरुद्ध मार्ग में आस्था रखने वाले आप नास्तिक की मेरे पिता ने जो याज्ञक बनाया है, मैं पिता के उन कार्य की निन्दा करता हूँ, क्योंकि

आप वैदिक धर्म से च्युत हैं। जैसे चोर दण्डनीय है, वैसे ही आपकी यह बुद्धि भी दण्डनीय है' (अयोध्याकाण्ड, ११२।१८)।

लोकायतिक मत का उच्छेद

चार्वाक के बाद भी उसके अनेक अनुयायियों ने इस लोकायतिक मत का प्रचार-प्रसार किया। इस मत का प्रसार लम्बे समय तक होता गया। चार्वाक मत के अनुयायियों में क्षपणक नामक एक आचार्य का पता चलता है। लगभग ८वीं शती तक इस मत के मानने वालों का अस्तित्व बना रहा। किन्तु शंकराचार्य के उदय के बाद लोकायतिको का प्रायः मूलोच्छेद हो गया। शंकराचार्य ने जैन-बौद्धों सहित लोकायतिको के नास्तिकवाद का घोर विरोध किया और भौतिकवादी विचारधारा का देशव्यापी विखण्डन कर वैदिक मत को मण्डित किया। शंको ने भी लोकायतिको का तीव्र विरोध किया।

इस प्रकार ८ वीं शती के पश्चात् भौतिकवादी विचारधारा का उच्छेद होकर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हुई और अवैदिक मतों का निरन्तर ह्रास होता गया।



आजीवक सम्प्रदाय

भारत के पुरातन धार्मिक पन्थों में आजीवको का भी एक वर्ग था। यह धार्मिक पन्थ सभ्यत महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध से भी पहले का था। वैदिक मान्यताओं के विरोध में जिन अनेक श्रमण पन्थों का उदय हुआ और जिनका समय बुद्धपूर्व था, उनमें आजीवक सम्प्रदाय भी एक था। वैयाकरण पाणिनि ने परिब्राजको के एक 'मस्करी सम्प्रदाय' का उल्लेख किया है। बौद्ध-साहित्य में आजीवको के जो वैचारिक एवं व्यावहारिक क्रिया कलाप वर्णित हैं, पाणिनि द्वारा वर्णित मस्करियों के आचार-विचारों से उनका पर्याप्त साम्य है। सम्राट अशोक के सातवें स्तम्भ-लेख से विदित होता है कि उस समय ब्राह्मणों तथा जैनो (निग्रन्थो) के साथ-साथ आजीवको का भी एक पृथक् सम्प्रदाय था, जिसको आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

बौद्ध-ग्रन्थों में भी मस्करियों का उल्लेख हुआ है। वहाँ उन्हें हठयोगी और तपस्वी कहा गया है, जो पचाम्नि-माघन द्वारा शरीर को कृप करते थे और अपने शरीर को धूल तथा विभूति से चर्चित रखते थे। उनके सम्बन्ध में जो अन्यान्य उल्लेख मिलते हैं, उनके आधार पर उनकी उदात्त परम्परा का पता चलता है।

बुद्ध ने अपने समकालीन जिन छह तीर्थकारों का उल्लेख किया है, उनमें मक्खलि गोशाल का भी एक नाम है। मक्खलि सभ्यत 'मस्करि' का ही पालि रूप है। गोशाल का उल्लेख जैन-ग्रन्थों में भी हुआ है। कुमारदास (७ वीं शती) के महाकाव्य 'जानकीहरणम्' में कहा गया है जिस समय रावण सीता-हरण के लिए आया था, उस समय उसने मस्करि वेश धारण किया था—

दम्याजीवकमुत्तुल्लुजटामण्डितमस्तकम् ।

कश्चिन्मस्करिण सीता ददर्शाश्रममाणम् ॥

इस धार्मिक पन्थ का प्रवर्तक आचार्य उदासी कुण्डियानन था। विन्ध्य उसने सम्बन्ध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस परम्परा को आगे मक्खलि गोशाल ने बढ़ाया और सभ्यत उसी ने इस पन्थ को लोक में प्रचारित प्रसारित किया।

‘आजीवक’ या ‘आजीविक’ शब्द का सामान्य अर्थ है—‘जीविकोपाजन के लिए ध्रमण करने वाला’। इस पन्थ में दो प्रकार के अनुयायी थे— भिक्षु और गृहस्थ। भिक्षु चीतराग सन्यासी होते थे। वे ज्योतिषशास्त्र (निमित्तविद्या) के पारंगत विद्वान् हुआ करते थे। उनका एक कार्य यह भी था कि घूम घूम कर लोगों को मुहूर्त बताना या भविष्य फल कथन करना। इस रूप में उनका जन-सामान्य में अत्यधिक प्रचार प्रसार तथा लोकप्रियता थी। इन भिक्षुओं के भी दो वर्ग थे। एक वर्ग निर्वस्त्र था और सुदूर निजंन बनो में रहता हुआ कठिन तप करता था। इस वर्ग के भिक्षुओं का नियम था दूगरे, तीसरे और सातवें घर से भिक्षाटन करके जीविकोपाजन करना और कभी-कभी भिक्षा प्राप्त न होने पर उपवास करना या निराहार ही रह जाना। उनका यह भी नियम था कि देहली पर रखा हुआ, ओखली पर कूटा हुआ और चूल्हे पर पका हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना। जीवन को कठोर तप में लगाये रखना उनके पन्थ का प्रमुख उद्देश्य था।

दूसरी श्रेणी के गृहस्थ आजीवक भी सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। माता पिता की सेवा करना उनका मुख्य कर्तव्य था। अहिंसा धर्म का पालन करते हुए वे जीवहत्या से दूर रहते थे। वे वृषि-कर्म भी करते थे। बिना दागे या नाभे बैलें से हठ चलाते थे। भोजन में वे शूलर, बड, बेर, शहतूत, प्याज, लहसुन और कन्दमूल आदि आहारों का कट्टरता से परहेज करते थे। इस दृष्टि से यद्यपि आजीवकों के आचार दिगम्बर जैनियों से मिलते जुलते हैं, तथापि मूलतः दोनों सम्प्रदाय अलग-अलग हैं। दोनों की आचार विधियाँ भिन्न भिन्न हैं।

यह सम्प्रदाय लम्बे समय तक समस्त भारत में प्रचलित रहा। शकराचार्य के उदय के पश्चात् आजीवकों का प्रभाव कम होने लगा। लगभग ९वीं शती में उसका स्वतंत्र अस्तित्व क्षीण हो गया और उसके अनुयायी वैष्णवों तथा शैवों में मिल गये। इन दोनों धर्म शाखाओं के उदार आचारों में अपने सिद्धान्तों का उन्होंने समन्वय कर लिया।

यह आजीवक सम्प्रदाय जब तक अपने अलग अस्तित्व को बनाये रखा, लोक मान्य बना रहा। जैन-बौद्ध-ग्रन्थों में आजीवक सम्प्रदाय के सम्बन्ध में जो सामग्री मिलती है, उससे स्पष्ट होता है कि समाज में वह लम्बे समय तक समादृत रहा और उसके आदर्श एवं पवित्र आचार लोकनिष्ठ बने रहे।

आचार और सिद्धान्त

इस सम्प्रदाय का अपना कोई स्वतंत्र साहित्य तथा सिद्धान्तिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित सन्दर्भों से ही इस धार्मिक

पंच के आचार-विचारों का पता चलता है। इन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि आजीवक सम्प्रदाय के अनुयायी नियतिवादी थे और एकमात्र भाग्य पर विश्वास करते थे। वे आत्मवादी थे और पुनर्जन्म तथा मोक्ष को मानते थे। ईश्वर तथा कर्म में उनका विश्वास नहीं था। फिर भी वे कठिन तपश्चर्या और पवित्र कर्माचरण करते थे। उनके मतानुसार सत्कार की कोई भी घटना पुरुष प्रयत्न पर नहीं, अपितु नियति के अधीन है। पुरुष का कोई भी पराक्रम, उपाय, इच्छा कोई महत्त्व नहीं रखते। सभी भूत एव समस्त जीव परवरा, निर्जीव, तथा निर्वीर्य हैं। भाग्य तथा समय के अधीन होकर वे सुख-दुःख, समोग विमोग का भोग करते हैं।

इस प्रकार आजीवक सम्प्रदाय की स्वतंत्र मता को प्रगट करने वाले साहित्यिक सैद्धान्तिक नामग्रो का सम्प्रति अभाव है। किन्तु अन्यान्य ग्रन्थों में उनके सम्बन्ध में जो कुछ उल्लेख मिलते हैं, उनसे यही विश्वास होता है कि अपने समय में इस सम्प्रदाय का बड़ा महत्त्व था और लोक-जीवन में उसको प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था।

जैनधर्म और बौद्धधर्म का उदय

अनादि काल से ही भारतीय विचारधारा दो रूपों में विभक्त हुई मिलती है। प्रथम परम्परामूलक ब्राह्मण्य या ब्रह्मवादी, जिसका विकास वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों, श्रौतसूत्रों, उपनिषदों तथा पुराणों के रूप में हुआ, और द्वितीय पुरुषार्थ-मूलक, प्रगतिशील, श्रामण्य या श्रमणप्रधान, जिसने आचार को प्राथमिकता दी गई थी। ये दोनों विचारधाराएँ एक-दूसरे की पूरक भी रही और पारस्परिक विरोधी भी। जहाँ सामंजस्य के आधार पर इन दोनों विचारधाराओं में आदान प्रदान हुआ और राष्ट्र की बौद्धिक एकता में तथा उत्थिति में उनका योगदान रहा, वहीं दूसरी ओर वे एक-दूसरे की आलोचक-प्रत्यालोचक भी बनीं रहीं। पहली ब्रह्मवादी विचारधारा के संस्थापक एव प्रवर्तक यज्ञों के अधिष्ठाता ऋषि महर्षि थे और दूसरी श्रामण्यप्रधान विचारधारा के जन्मदाता जैन थे। जैन अर्थात् जिन्होंने काम, क्रोध आदि बँटारह प्रकार के दोषों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिन्होंने ज्ञान द्वारा हर्षण करे आन्धकारित कर देने वाले और पापों को उभारने वाले दुर्भावों या कर्मशत्रुओं को जीत लिया था, उन्हें 'जिन' कहा जाता है। जो उन पवित्र जिनों के इच्छुक (उपासक या अनुयायी) हैं, वे ही 'जैन' कहे जाते हैं (रागद्वेषादि दोषान् वा कर्मशत्रु-ञ्जयतीति जिन, तस्यानुयायिनो जैना)।

जैनधर्म और बौद्धधर्म, जिन्होंने वैदिक यज्ञ तथा कर्मकाण्ड के विरोध

मे अपनी अलग-अलग परम्पराएँ स्थापित की, उनके उदय की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इन दोनों धर्म शाखाओं के प्रवर्तक महावीर और बुद्ध के समय भारत की सामाजिक तथा प्रशासनिक स्थिति अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी। धर्म तथा दर्शन की मान्यताओं को लेकर अनेक मत तथा सिद्धान्त अपनी-अपनी स्थिति को प्रतिष्ठित करने की दिशा में अग्रसर थे। कभी कभी उनमें पारस्परिक टकराव भी हो जाया करता था। वे एक दूसरे की कटु आलोचना भी करते रहे। खण्डन-मण्डन की यह स्थिति लम्बे समय तक बनी रही।

परम्परागत धर्मों के प्रवर्तकों में ब्राह्मणवादी भीमामको की प्रधानता थी, किन्तु समाज का एक विचारप्रधान वर्ग ऐसा भी था, जो वैदिक यज्ञों में की जाने वाली पशुबलि तथा कर्मकाण्ड के क्रिया-कलापों को पाखण्ड समझता था। यज्ञों में की जाने वाली हिंसा को, हिंसा न समझ कर उसे देवताओं की मन्तुष्टि का प्रयोजन माना जाता था। भगवद्गुह प्राप्त करने के लिए हिंसा को सामान्य रूप दिया जाने लगा था। श्रौतसूत्रों तथा गृह्यसूत्रों में परम्परागत वर्ण-व्यवस्था को जन्मजात माना जाने लगा था और समाज में ब्राह्मणों ने स्वयं को सर्वोच्च धर्म प्रतिनिधि घोषित कर दिया था। ब्राह्मणातिरिक्त वर्णों को प्रायः उपेक्षित कर दिया गया था। शासक उनके सकेतों पर चलते थे और कर्मकाण्ड की अतिवादिता ने ज्ञान, उपासना तथा चिन्तन की उदात्त परम्पराओं को निष्प्रभावी बना दिया था। इस प्रकार समाज कर्मकाण्ड के पाखण्डों तथा वर्णभेद की विपमताओं से प्रभावित होकर निरन्तर बिखरता जा रहा था। वर्गों तथा वर्णों की असमानता के कारण राष्ट्र की एकता विकेन्द्रित होती जा रही थी।

धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला अल्प वर्ग स्वयं को वीतराग, त्यागी, सन्यासी घोषित कर परम्परागत प्रकृत ज्ञान, तप, पवित्रता और ईश्वर-चिन्तन की आध्यात्मिक परिपाटी को त्याग कर केवल बाह्याचारों में ही रत रहने लगा था। धर्म के नाम पर परलोक, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा के सम्बन्ध में ऐसा भ्रमजाल फैलाया जा रहा था, जो कि सर्वसामान्य के लिए दुर्गम एवं आश्चर्यकारी था। स्त्रियों तथा शूद्रों को निकृष्ट मान कर उनको अधिकारच्युत किया जा रहा था। पारित्रिक शुद्धता के लिए जिन शुद्धाचारों की व्यवस्था एवं अपेक्षा थी, वे अब प्रदर्शनमात्र, आडम्बरो तक ही सीमित हो गये थे। इस प्रकार समस्त आर्य-परम्पराएँ प्रायः क्षीणोन्मुख थीं और इन परिस्थितियों में प्रभावित समाज भीतर-ही भीतर परिवर्तन की प्रतीक्षा में था।

इसी समय महावीर और बुद्धदेव का उदय हुआ। उन्होंने समाज में व्याप्त अनीति, अन्याय, वर्ग-स्वार्थ और आचारभ्रष्टता के प्रति सामाजिक चेतना की अपेक्षाओं को हृदयंगम करके धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने के उद्देश्य से विचारों का नया अभियान चलाया। इन दोनों महात्माओं ने परम्परागत ब्राह्मण धर्म की सार्वभौम महानताओं एवं उदारताओं को ग्रहण कर वर्गभेद, पशुबलि तथा कर्मकाण्ड की सजीवताओं का विरोध किया। जिस वर्ग-विशेष ने इन धर्माचारों को अपने स्वार्थ-साधन एवं अपनी वरिष्ठता का साधन बनाया हुआ था, उनकी वास्तविकता को समाज के सामने रखा।

इन दोनों युगविप्लवक महापुरुषों ने निरीश्वरवादी अकर्मण्य मीमांसकों द्वारा फैलाये गये जटिल दार्शनिक विचारों और सामाजिक आचार-संहिता को नया रूप दिया। उन्होंने आत्मा-परमात्मा के दिनभ्रमित करने वाले दार्शनिक जञ्जालों से समाज को सचेत कर एक ऐसा मार्ग प्रदत्त किया, जिसमें सर्वमान्य के लिए आचार की शुद्धता तथा आत्मोद्धार के महज उपाय निहित थे। उन्होंने जीव-दया और धर्माचरण के समानाधिकार का नया अभियान चलाया। ये दोनों धर्म-शास्त्राणें इसी सामाजिक और धार्मिक चेतना के प्रेरक एवं उद्गायक हैं, और इसी रूप में उन्होंने अपना भावी विकास-विस्तार किया।

समाज में आचारप्रधान नयी धर्म-संहिता की प्रस्थापना करने वाला जैन-धर्म उतना ही प्राचीन है, जितना कि वैदिक धर्म। वह बौद्धधर्म से भी प्राचीन है। जैनमत की विचारधारा का जन्म वैदिक परिपार्श्व में ही हो चुका था। मोहन-जो-दारो की उपलब्ध ध्यानस्थ भग्न योगियों की मूर्तियों से जैनधर्म की अति प्राचीनता सिद्ध होती है। ऋग्वेद (केसीमूक्त १०।१३६) में बात्यों एवं श्रमण योगियों की परम्परा का प्रतिनिधित्व भी जैनधर्म ही करता है।

जैनधर्म में आचारों की शुद्धता पर बल दिया गया है। उनमें जातिभेद एवं वर्गभेद को स्वीकार नहीं किया गया है। उसमें जन्म से नहीं, अपितु कर्म के अनुसार समाज की वर्ग-व्यवस्था मानी गई है। वहाँ कहा गया है कि ब्राह्मण वह है, जो राग-द्वेष से रहित और इन्द्रियत्रयी है। इसी प्रकार अन्य वर्गों के सम्बन्ध में भी कहा गया है। इन नये विचारों के प्रवर्तक एवं उद्गायक तीर्थंकर हुए, जिन्होंने समाज को आचारों की नई पद्धति दी और चिन्तन को नहीं विचारधारा को जन्म दिया।

जैनधर्म और उसके तीर्थंकर

ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म को अनादि धर्मों की परम्परा में माना गया है। जैनियों के मत से अपसर्पिणी तथा उपसर्पिणी नाम से कालचक्र के दो विभाग माने गये हैं, जिनकी काल गणना अनन्त है। अपसर्पिणी अर्ध-चक्र के चतुर्थ काल में चौबीस तीर्थंकर उत्पन्न हुए, जिन्होंने सद्धर्म का उपदेश देकर लोक के लिए मोक्ष या आत्मोद्धार का नया मार्ग प्रशस्त किया और धर्म की दिशा में नयी मान्यताएँ स्थापित की।

‘तीर्थंकर’ शब्द का अपना विशेष पारिभाषिक अर्थ है। तीर्थ-स्थानों में जो साधु ममाज (सध्नोति शुभान् नामात् इति साधु), तपस्वी तथा विद्वान् निवास करते हैं वे ही तीर्थंकर हैं। ‘तीर्थ’ उसे कहते हैं, जो शोक का निवारण करे (तरति शोक येन सहाय्येन स तीर्थं)। अथवा धर्मरूपी तीर्थ का निर्माण करनेवाले ज्ञानमना मुनिजन ही तीर्थंकर थे (तरति ससारमहर्णव येन निमित्तेन तत्तीर्थमिति)। इसीलिए ‘भागवत’ में कहा गया है कि जल से तीर्थ नहीं बनते और न ही मिट्टी तथा पत्थर से देवता बनते हैं। सच्चे साधुओं के दर्शन तथा सत्संग से चित्त शुद्धि होती है। ये ही सच्चे साधु ‘तीर्थंकर’ थे।

कर्मों के नाश करने वाले ‘जिन’ भगवान् के जितने भी अनुयायी हुए, उन सबको जैन कहा गया है। जैनधर्म की अनन्त-अनादि सत्ता स्वीकार की गई है। उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिए युगजीवी अनेक तीर्थंकर समय समय पर उत्पन्न होते गये, जिन्होंने सार्वभौम मानव महत्त्व पर बल दिया और जीवों को ससार सागर से पार उतरने के लिए उपाय सुझाये। उनकी संख्या २४ है। उनमें ऋषभदेव प्रथम और महावीर स्वामी अन्तिम हुए। शेष २२ तीर्थंकरों के नाम ब्रह्मण्डल इस प्रकार हैं—१ अजितनाथ, २ सभवनाथ ३ अभिनन्दन, ४ सुमतिनाथ ५ प्रदमप्रभु ६ सुपाश्वनाथ, ७ चन्द्रप्रभ, ८ सुविधिनाथ, ९ शीतलनाथ, १० श्रेयासनाथ, ११ वामु-पूज्य, १२ त्रिमलनाथ, १३ अनन्तनाथ १४ धर्मनाथ, १५ शान्तिनाथ, १६ कुन्धुनाथ, १७ अरनाथ १८ मल्लिनाथ, (मल्लिदेवी) १९ मुनि सुव्रत, २० नमिनाथ २१ नेमिनाथ और २२ पाश्वनाथ।

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ भगवान की चर्चाएँ ऋग्वेद (१०।१६६।१), अथर्ववेद (१।१।२४ २६), ‘गोपथब्राह्मण’ (पूर्व २।८)

और 'भागवत' (५१२८) आदि में हुई हैं, जिससे उनकी अति प्राचीनता और उनके ज्ञानी व्यक्तित्व का पता चलता है। उनकी माता का नाम महदेवी और पिता का नाम नाभिराय था। चक्रवर्ती भरत उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे। पुराणों में उन्हें अवतार माना गया है। उन्होंने लोको को सत्यमार्ग का उपदेश दिया। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ वैदिक युग के महापुरुष प्रतीत होते हैं। ११ वें तीर्थंकर श्रेयासनाथ के पिता का नाम विष्णु तथा माता का नाम विष्णुश्री था। उनका जन्म मिहपुर (सारनाथ) में और निर्वाण समेदरगिर (पार्श्वनाथ पर्वत, जिला हजारीबाग) में हुआ था। उनके नाम पर सारनाथ (वाराणसी) की पवित्र-स्मृति आज भी एक महान् तीर्थ के रूप में विद्यमान है।

इस चौबीस तीर्थंकर महात्माओं में अन्तिम पार्श्वनाथ और महावीर ही ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में कुछ विस्तार से जानने को मिलता है। शेष तीर्थंकरों के सम्बन्ध में जैन पुराणों के अनुवक्ष्य प्रसंगों तथा ब्राह्मण पुराणों में जो उल्लेख मिलते हैं, वे अपर्याप्त हैं और उनमें अतिरजना अधिक है।

स्वामी पार्श्वनाथ

तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बड़े ही प्रतिभाशाली महात्मा हुए। उन्हें पुरुषो में श्रेष्ठ (पुरिमादरणीय) कहा गया है। वे ऐतिहासिक पुरुष थे। उनका जन्म महावीर स्वामी से लगभग २५० वर्ष पूर्व ८०० ई० पूर्व में धन्त्रिय कुल के इक्ष्वाकुवंश में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन या अश्वपति और माता का नाम वामा था। तीस वर्ष की युवावस्था में ही राज-याट त्यागकर बनारस को चल दिये थे। घोर तपस्या के ८३ वें दिन उन्हें ज्ञानोपलब्धि हुई। लगभग ७० वर्ष तक धर्म प्रचार करने के उपरान्त १०० वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ पर्वत (समेदर गिर) पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।

पार्श्वनाथ स्वामी ने ही सर्वप्रथम आर्य-आयिका तथा धावक-धाविका नाम से चतुर्विध सभ की स्थापना की थी। उनके शिष्य पादपत्य नाम से बड़े जाने थे। उनके अनुयायी उपाध्यो, चौराहो, सून्यगृहो तथा श्मशानो में तपस्या करते थे। इन्हीं पार्श्वनाथ के समय सर्वप्रथम आयिकाओं तथा धाविकाओं का सभ में प्रवेश हुआ और इस प्रकार स्त्रियों को धर्म में दीक्षित किया जाने लगा।

स्वामी पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य तथा अपरिग्रह—इस चातुर्वर्ण्य धर्म का उपदेश दिया था, जबकि महावीर स्वामी ने उसमें ब्रह्मचर्य का भी समावेश कर पाँच महाभ्रतों के पालन का प्रचलन किया। पार्श्वनाथ

ने सचेल (वस्त्रसहित) और महावीर ने अचेल (वस्त्ररहित) धर्म का उपदेश किया था। यही से वस्तुतः श्वेताम्बरो तथा दिगम्बरो के विभेद का पता चलता है। धम्मण सम्प्रदाय के वे ही प्रतिष्ठापक थे। पादर्वनाथ 'जिन' के नाम से लोक में विद्वान हुए और तभी से उनके अनुयायी जैन कहे जाने लगे।

उन्होंने साकेत (अयोध्या), धावस्ती (गोडा जिला), कोशाम्बी (इलाहाबाद जिला) और अहिच्छत्रा (मुरादाबाद जिला) आदि विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर वहाँ अपना उपदेश दिया था। ये सभी स्थान आज धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व के माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की आर्येतर जातियों में भी उन्होंने जैनधर्म का प्रचार किया। वहाँ की आदिवासी जातियाँ आज भी पादर्वनाथ स्वामी की उपासक हैं।

महावीर स्वामी

जैनधर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं उद्घाटक चौबीस तीर्थंकर महात्माओं में मानव जगत् के श्रेष्ठ के लिये जो प्रयत्न किये उनका इतिहास लम्बा है। और उनमें से कुछ के सम्बन्ध में ही आज विदित होता है। वर्तमान जैनधर्म आज जिन आचार-विचारों पर आधारित है, उनके स्रष्टा एवं उपदेष्टा के रूप में अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने एक ऐसे धर्म-मार्ग का प्रवर्तन किया जिसमें सर्वसामान्य को समान अधिकार है।

महावीर स्वामी की जीवनी जैनधर्म के अनेक पुराणों में उल्लिखित है। समस्त महावीर पुराण उन्हीं पर लिखा गया है। महावीर स्वामी के माता-पिता का नाम क्रमशः त्रिशला देवी और सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक पराक्रमी क्षत्रिय राजा हुए जो महाज्ञानी, जैनधर्म के परम भक्त और दानी थे। वे कुण्डलपुर (बिहार) के शासक और गणराज्य के नेता थे।

चैत्र सुक्ला त्रयोदशी ५३९ वि० पूर्वं वे महावीर स्वामी का जन्म हुआ। उनका नाम वर्द्धमान रखा गया। अपने पूर्व सत्कारों के कारण वर्द्धमान सब शास्त्रों में पारंगत होकर पैदा हुए थे। अतः उन्हें किसी भी गुरु के पास अध्ययन करने के लिये न जाना पड़ा। जब वे आठ वर्ष के हुए तो उन्होंने गृहस्थों के आट्ट ऋतुओं को अह्ण किया, ब्रह्मोक्ति कुमार को भाति, श्रुति और अविधि तीनों प्रकार का ज्ञान पहले से ही प्राप्त था, अतः मनुष्य योनि में जन्म घाटण कर भी सत्कार के आकषणों ने उनके मन को न मोह सका। वे जल में कमल की भाँति समार में निलिप्त बने रहे। इसी उदासीन एवं विरक्तावस्था में वे ३० वर्षों तक राज्य का भार संभाले रहे। विवाह की

और उनका सर्वथा ध्यान नहीं था। उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहकर ही पवित्र जीवन बिताया।

एक दिन सहसा मन में तीव्र वैराग्य का उदय हुआ। इसके पश्चात् उनके मन में मत्तार के प्रति, घर परिवार एवं राज्य के प्रति उदासीनता बढ़ती ही गयी। गृहत्याग के सम्बन्ध में उन्होंने विचार किया और तत्काल ही राज-पाट, माता पिता, कुटुम्ब और सर्वस्व त्यागकर तप द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से वन की ओर चल दिये। मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी को बच्चो की तरह नग्न होकर वे मुनि बन गये। तत्पश्चात् इधर-उधर आत्म चिन्तन में भटकते भटकते वे उज्जयिनी के श्मशान में पहुँचे और वही बैठकर तप में लीन हो गये। उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया था और शरीर को सर्वथा अलग करके उसके कण्टो को जीत लिया था।

उज्जयिनी से वे कौशाम्बी गये। वहाँ उन्होंने वृषभसेन नामक एक धर्मात्मा सेठ के यहाँ आहार लिया। उसके पश्चात् वे घूमते-घूमते 'जृम्भिका' नामक गाँव के बाहर 'ऋजुकूला' नामक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ 'शालमू' वृक्ष के नीचे उपयुक्त स्थान जानकर वे ध्यान में लगे गये। उस वृक्ष के नीचे १२ वर्ष तक तपस्वराज्य होकर स्वामी जी ने 'धातिया' कर्मों को नष्टकर 'केवल ज्ञान' या 'प्रत्यक्ष ज्ञान' प्राप्त किया। वे पूर्ण ज्ञानी हो गये थे।

स्वामीजी ने भीतराग होकर वन में एकान्त जीवन बिताने की अपेक्षा लोकसेवा का व्रत धारण किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने 'मप' की स्थापना की, जिसको चार अंगों में विभाजित किया गया—मुनि (साधु), अर्थिका (साध्वी), धावक और श्राविका। उनका संचालन उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्यों को सौंपा। इनमें से सबसे मुख्य इन्द्रभूति थे, जिनका नया नाम गौतम स्वामी हुआ। सुघर्मा, वायुभूति तथा अग्निभूति आदि ११ गणधर हुए। आयिकाओं में मुख्य स्थान सति अजना का था।

पीडित मानवता का दुःख दूर करने के लिये, जीवों के लाभ के लिये भगवान् दिन-रात चार बार उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेश को देव, देवी, मनुष्य और यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि सभी जीव अपनी-अपनी भाषा में सुना करते थे। श्रोताओं में मुख्य श्रोता राजगृह के अधिपति राजा श्रेणिक थे। उन्होंने ध्यान के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया उसे 'केवलज्ञान' (प्रत्यक्ष ज्ञान) कहा जाता है। ज्ञानी हो जाने के उपरान्त अपने शिष्यों एवं अनुयायियों को उन्होंने जो ज्ञानोपदेश किया, उसे 'श्रुतिज्ञान' (परोक्ष ज्ञान) कहा गया।

निरंतर ३० वर्षों तक भगवान् ने देश के विभिन्न अंचलो का पैदल भ्रमण कर अपने उपदेशों द्वारा धर्म का प्रचार-प्रसार किया। उनके उपदेशों को उनके बाद गौतम स्वामी ने 'आचाराग' आदि बारह अंग-ग्रन्थों में निबद्ध किया।

कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रातः काल ४६७ वि० पूर्व में ७२ वर्ष की आयु-भोग के उपरान्त बिहार के पावापुरी वन में मुक्तिधाम को सिधारे। यह स्थान बिहार स्टेशन से लगभग ६ मील की दूरी पर स्थित है। जैन-धर्म का यह परम पवित्र तीर्थ है। गाँव के बाहर सरोवर के बीच में एक जैन-मन्दिर है। उसमें भगवान की चरण-पादुकाएँ शोभित हैं। वहाँ प्रति वर्ष भगवान की निर्वाण तिथि (कार्तिक कृष्णा अमावस्या) की उनकी पुण्य-स्मृति में मेला लगता है।

महावीर स्वामी के उपदेशों में दो बातों पर विशेष बल दिया गया है। वे हैं त्याग और सत्य। सत्य की उपलब्धि के लिये उन्होंने कयायो (मलिन-ताओ) की निवृत्ति को आवश्यक बताया। यह सत्य ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब जीवन में त्याग का उदय होता है। वीतराग (त्यागी) होने पर ही 'समदर्शिता' की उपलब्धि होती है।

महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को बहुधा लोकोपाया प्राकृत में अभिव्यक्त किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को 'त्रिपदी' की शिक्षा दी। जिनके नाम हैं—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु सदा उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और स्थिर भी बनी रहती है।

यद्यपि उनके अनुयायियों ने उनके सम्बन्ध में अत्युक्तियों तथा अति-शयोक्तियों का जाल बिछाकर अनेक प्रकार की कल्पित घटनाओं को प्रचलित किया, किन्तु उनके सम्बन्ध में सामान्यतः जो भी जानने को मिलता है, उससे उनके विलक्षण महापुरुष होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है।

महावीर स्वामी की जीवनी से ज्ञात होता है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ही भाँति उन्होंने भी चतुर्विध संध का संचालन किया। पार्श्वनाथ के चतुर्विध शिष्यों में आर्य और आर्यिका, धावक और धाविका सम्मिलित थे, किन्तु महावीर स्वामी के चतुर्विध शिष्यों में मुनि, आर्यिका, धावक और धाविका सम्मिलित थे। पार्श्वनाथ ने सचेल (वस्त्रसहित, श्वेताम्बर) धर्म का उपदेश दिया और महावीर स्वामी ने अचेल (वस्त्ररहित, दिगम्बर) धर्म का उपदेश दिया। पार्श्वनाथ स्वामी ने संध में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया। महावीर स्वामी ने भी पार्श्वनाथ स्वामी के समान संध के नियमों में स्त्रियों को सम्मिलित किया और उन्हें समानता का

अधिकार दिया। यद्यपि वैदिक धर्म में भी स्त्रियाँ मन्त्रद्रष्टा थी, किन्तु उनका अधिकार अध्ययन तक ही सीमित था। महावीर स्वामी ने स्त्री समाज को भी पुरुष समाज के समान समस्त अधिकार प्रदान किये।

महावीर और बुद्ध के जीवन-चरितों में समानता

महावीर स्वामी और बुद्धदेव के जीवन-चरितों में आश्चर्यजनक समानता देखने को मिलती है। दोनों महापुरुषों के जन्मधारण की घटनाएँ, उनके गृहत्याग, तप, ज्ञानोपलब्धि और लोक कल्याण-सम्बन्धी सभी प्रसंग एक जैसे हैं। दोनों के धर्म-कर्म-विषयक विचारों और तात्त्विक सिद्धान्तों, जीवन-जगत् सम्बन्धी मान्यताओं में सर्वत्र एकता लक्षित होती है। दोनों का उदय भी एक ही लक्ष्य एव उद्देश्य को लेकर हुआ और दोनों के परमपद, मोक्ष या निर्वाण का स्वरूप भी एक जैसा है। दोनों ने क्षत्रिय कुलों में जन्म धारण किया और दोनों का सम्बन्ध अपने-अपने समय के उच्च राजकुलों से था। दोनों महापुरुषों की जीवनी की यह रहस्यमय एकता स्वतन्त्र चिन्तन का विषय है।

जैनधर्म के सम्प्रदाय

जैनधर्म के मुख्य दो सम्प्रदाय हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर। एक ही धर्म की ये दो शाखाएँ कब और क्यों हुईं, इस सम्बन्ध में मत-मतान्तर है। किन्तु सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि ७५वीं अवधि से चले आ रहे पारस्परिक मतभेदों के कारण यह विभाजन हुआ होगा।

महावीर स्वामी जीवन्मुक्त सन्त थे। जत नाममात्र का वस्त्र धारण करने पर भी प्रायः वे दिगम्बर ही थे। किन्तु श्रावक-श्राविकाएँ अवश्य वस्त्र रहते होंगे। भिक्षुओं का एक वर्ग सर्वथा त्यागमय जीवन व्यतीत करता था। अतः प्रायः वस्त्रहीन रहता था। किन्तु दूसरा वर्ग ऐसा था, जो वस्त्र धारण करना आवश्यक समझता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार त्यागत बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के पश्चात् बौद्धधर्म के क्षेत्र में आचार-संहिता को लेकर मतभेद प्रारम्भ हो गये थे, उसी प्रकार महावीर स्वामी के पश्चात् सिद्धान्तिक मतभेदों के कारण जैनधर्म का विभाजन हुआ। महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग ६८ वर्ष बाद यह विभाजन हुआ और उनका यह मतभेद विचारभेद के रूप में बढ़ता ही गया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, दिगम्बर जैन भी वस्त्र धारण की ओर प्रवृत्त होने लगे। उसका एक कारण यह भी था कि धर्म प्रचार, जनसेवा और राजसभाओं में जाने के लिए निर्वस्त्र रहना संभव नहीं था। अधिक उचित यह प्रतीत होता है कि वस्त्ररहित वा वस्त्रधारण करना संभव है। किन्तु

वस्त्रधारण के बाद निर्वस्त्र हो जाना, ऐसा सभ्य प्रतीत नहीं होता। यदि वस्त्रधारी वस्त्रों का परित्याग कर दे, तो लोक में उसकी अवमानना होती है और लोक-प्रतिष्ठा से यह च्युत हो जाता है। इसलिए यह मानना सर्वथा युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि जीयन्मुक्त तीर्थंकरों को वस्त्रधारण की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु जब धर्म का विकास हुआ और उसमें श्रावकों के अतिरिक्त श्राविकाओं का भी प्रवेश हुआ, तो उनका वस्त्ररहित रहना सभ्य नहीं था।

महावीर स्वामी के नौ प्रकार के शिष्य थे, जिन्हें 'स्थविरावली' में 'गण' कहा गया है। गणों के निरीक्षक को 'गणधर' कहा गया है। इस प्रकार के ११ गणधर (प्रमुख शिष्य) थे, जिन्होंने महावीर स्वामी के बाद जैनधर्म का प्रवर्तन किया। उनके नाम थे—१. गौतम इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ आर्यं व्यक्त, ५ आर्यं सुधर्मा, ६. मण्डितपुत्र, ७ मौर्यपुत्र, ८ अकम्पित, ९ अचलघ्राता, १० मेलार्य और ११. प्रभाम। इनके अतिरिक्त गोशाल और जमालि भी महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों में से थे। किन्तु वे 'गणधर' नहीं थे। यह शिष्य-परम्परा ३१७ ई० पूर्व तक अटूट रूप में बनी रही।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि महावीर स्वामी सहित पूर्ववर्ती सभी तीर्थंकरों को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताया जाता है। इसलिए पुराकाल में यह क्षत्रियों का धर्म था। किन्तु उक्त सभी ११ गणधर ब्राह्मण कुल से सम्बन्धित थे। शनैः शनैः मामान्यत सभी वर्णों के लोग जैनधर्म को वरण करने लग गये थे और आज भी यही स्थिति है।

महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद सुधर्मा ने सघ का संचालन किया। तदनन्तर जम्बूस्वामी उनके उत्तराधिकारी हुए। तत्पश्चात् महावीर स्वामी की शिष्य परम्परा में जिन शिष्यों ने सघ का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया, और अपने प्रशस्त कार्यों के कारण लोकप्रियता प्राप्त की उनमें आर्यं भद्रबाहु का नाम उल्लेखनीय है। ३१७ ई० पूर्व में सघ का कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया। ३१० ई० पूर्व में सात वर्ष के बाद सघ का कार्य अपने शिष्य आर्यं स्थूलभद्र को सौंप कर भद्रबाहु दक्षिण यात्रा पर चले गये। ये दोनों जैनधर्म के नन्द राजाओं के समकालीन हुए। भद्रबाहु की अनुपस्थिति में स्थूलभद्र ने पाटलीपुत्र (पटना) में साधुओं की एक वृहत् सभा का आयोजन किया, जिसमें जैनधर्म के अग ग्रन्थों का सकलन करने का निश्चय किया गया।

कुछ वर्षों के पश्चात् जब भद्रबाहु दक्षिण यात्रा से लौटे तो उनके समक्ष पाटलिपुत्र की विज्ञ-सभा में पारित प्रस्तावों को स्वीकृत्यर्थ रखा गया, किन्तु

भद्रबाहु ने उन पर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया। भद्रबाहु की अनुपस्थिति में स्थूलभद्र द्वारा घोषित नयी आचार-संहिता के अनुसार जैन साधुओं ने वस्त्र धारण करना आरम्भ कर दिया था। भद्रबाहु को यह आचार-परिवर्तन भी स्वीकार नहीं था। फलतः विवाद बढ़ता ही गया। अन्ततः भद्रबाहु अपने पक्ष की शिष्य-मण्डली के साथ अलग हो गये और अपनी पुरानी परम्परा पर ही अडिग बने रहे। इस प्रकार जैन साधुओं के दो वर्ग बन गये—एक श्वेताम्बर और दूसरा दिगम्बर। दिगम्बर दक्षिण की ओर एवं श्वेताम्बर उत्तर की ओर अग्रसर हुए। भद्रबाहु का परलोकवास २९७ ई० पूर्व में और स्थूलभद्र का २५२ ई० पूर्व में हुआ। इस प्रकार दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के विभाजन का समय लगभग ३०० ई० पूर्व में रखा जा सकता है।

स्थूलभद्र की परम्परा की उनके शिष्य महागिरि ने और तत्पश्चात् उनके शिष्य सुहास्ति ने प्रवर्तित किया। इस परम्परा के परवर्ती सप्त-संचालको में पादलिप्त, वज्रस्वामी, आर्यरक्षित, उमास्वाति और कुन्दकुन्दाचार्य का नाम उल्लेखनीय है। इसी प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों एवं ग्रन्थ-कारों में स्थूलभद्र के अतिरिक्त मल्लवादि, धनपाल (द्वितीय), पद्मसेन, पद्मसुन्दर और हीरयिजय का नाम उल्लेखनीय है।

बौद्धधर्म की भांति जैनधर्म का उदय भी यद्यपि एक ही उद्देश्य को लेकर हुआ था, किन्तु आचार-विचारों की विविधता के कारण दिगम्बरों और श्वेताम्बरों की भी आगे चल कर अनेक शाखाएँ बन गईं। उनकी संख्या ८४ तक बताई जाती है। उन सबकी नामावली प्रस्तुत करना इसलिए संभव नहीं है कि उनमें से अधिकतर समय के साथ ही समाप्त हो गईं। लगभग १२वीं शताब्दी तक जैनधर्म अनेक शाखा-उपशाखाओं में पल्लवित होता रहा।

दोनों सम्प्रदायों की आचार-पद्धति

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर, दोनों सम्प्रदायों के सत्त्वदर्शन में प्रायः कम अन्तर है, किन्तु उनके आचारों में पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। दोनों में प्रथम अन्तर तो यह है कि जहाँ दिगम्बर केवल नग्न भूर्तियों का पूजन करते हैं, और उनके साधु नग्न रहते हैं, वहाँ श्वेताम्बर साधु वस्त्रसहित भूर्तियों का पूजन करते हैं और स्वयं भी वस्त्र धारण करते हैं।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी स्त्रियों तथा शूद्रों को भी मोक्ष-लाभ का अधिकारी मानते हैं, जब कि दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी इस नियम को नहीं मानते। श्वेताम्बर आगम-ग्रन्थों को प्रमाण मानते हैं, जिनकी संख्या

४५ है। किन्तु दिगम्बर आगम-साहित्य को कालदोष से युक्त मानते हैं और उनकी जगह पक्ष्ण्डागमों को स्वीकार करते हैं। दिगम्बर मोक्षत्व के लिए नग्नता को मुख्य आचार मानते हैं, जब कि श्वेताम्बर उसे आवश्यक नहीं मानते।

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर, दोनों सम्प्रदायों के अनुयायी आचार्यों ने समस्त आर्यदेश का घ्रमण किया और अपने उपदेश लोकभाषा में दिये, जो कि सर्व-सामान्य के अनुरूप थे और जिसके कारण धर्म-प्रचार में पर्याप्त प्रगति हुई। दिगम्बरो ने अपने उपदेशों के लिए शीरसेनी अपघ्नश को अपनाया और श्वेताम्बरो ने अर्धमागधी को। जैनाचार्यों का यह लोकभाषा-अनुराग इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

वर्तमान समय में दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदायों की आचार-पद्धति में सामान्यतया अन्तर देखने को मिलता है। दिगम्बर साधु कमण्डलु तथा मोरपक्षों की पच्छि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखते। वे केशों का बपन नहीं करते, अग्नि में उन्हें हाथ से उलाड़ कर फेंक देते हैं। आहार के समय पात्र के स्थान पर लड़े-लड़े हाथों पर खाते हैं। आचार-पालन में वे कट्टर होते हैं और तप-त्याग का सहिष्णु जीवन व्यतीत करते हैं। श्वेताम्बरी साधु लंगोटी और चादर धारण करते हैं। उनके अन्य नियम प्रायः दिगम्बरियों जैसे हैं।

जैनधर्म के अनुयायी प्रायः समस्त भारत में हैं। उनकी परम्परा आज भी अपनी उन्नतावस्था में है। वैसे प्रायः सभी धर्मों के लोग जैनधर्मानुयायी हैं, किन्तु उनमें व्यापारी वर्ग की अश्रिकता है। उनके मुस्तक भण्डार और बला-मग्नहृ वडे महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान् हैं। जैनधर्म की ये उपलक्ष्यार्थ अनुलनीय हैं।

जैनधर्म का मुख्य प्रार्थना मन्त्र, जिसे 'नामोकार मन्त्र' कहा जाता है, इस प्रकार है—

'णमो अरहताण'

'णमो सिद्धाण'

'णमो आक्षरियाण'

'णमो उपज्जायाण'

'णमो ओए सच्च साहूण'

जैनधर्म और बौद्धधर्म की एकता

जैनधर्म और बौद्धधर्म भारत के धार्मिक इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों के सर्वांगीण निर्माण में इन दोनों धर्मों का समान

योगदात रहा है। बौद्धधर्म यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत में ही प्रारंभ हुआ है, किन्तु मारे देश में व्याप्त उसके स्मारक आज भी उसकी वैभवपूर्ण पुष्प-स्मृति को उज्जीवित बनाये हुए हैं। आज भी विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रधर्म के रूप में विद्यमान भारत के नाम को यह सहस्राब्दियों के पूर्व से आज तक गौरवान्वित विषय है। उसने मंगलकारी सन्देश आज भी मानवता का पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं। जैनधर्म की परम्परा आज तक भारत में बनी हुई है और उसकी अपने पुरातन की भाँति, वर्तमान में भी समान आदर तथा लोकप्रियता प्राप्त है।

इन दोनों धर्मों का अपने मूल रूप में प्रायः एक ही उद्देश्य था। अतः उनके मौलिक एकराई होती स्वाभाविक है। एक-दूसरे पर उनके प्रभाव की छाप आज भी विद्यमान है और वे उनकी पारस्परिक एकराई को प्रकट करते हैं। 'जि' और 'वीर' जो महावीर स्वामी तथा उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के लिए आदरसूचक सम्बोधन प्रकट विषय गये हैं, पालि साहित्य (विनय-विट्ठ, महावग्ग, मज्झिम० १।३।६, 'वेरीयाया', गाथा १५७) में बुद्ध के विशेषणों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार महाप्रजापति योतमी ने भगवान् बुद्ध की वीर महत्तर वन्दना की है। बौद्धभिक्षु अपना परिचय 'श्रमण' महत्तर दिमा करते थे (मज्झिम० १।४।९-१०)। इसलिए उन्हें भी लोक 'श्रवण' कह कर पुकारते थे।

पालि साहित्य में जैनधर्म के अनुयायियों को 'निगण्ठ' (निर्ग्रन्थ) और इसलिए महावीर स्वामी को 'निगण्ठ नाटपुत्त' (निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र) कहा जाता था। उनके मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख भी पालि साहित्य में देशों को मिलता है (धम्मपट्टणया, जित्द २, पृ० ४८९)। श्रमणप्रघात जैनधर्म से बौद्धधर्म की इस मौलिक एकराई के कारण बहुत समय तक योरोप में इन दोनों धर्मों को एक ही धर्म माना जाता रहा और इसी कारण कुछ विद्वानों ने आरम्भ में महावीर और बुद्ध को एक ही व्यक्ति समझने का भ्रम किया (मार्थ दि रिलिजन्स आफ इंडिया, पृ० १४, १५०)।

'मज्झिमनिकाय' (भाग १) में एक कथा उल्लिखित है। बुद्ध एक समय राजगृह के घुटघुट पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह देखा कि राजगिरि के बालनिलया नामक पर्वत पर कुछ निर्ग्रन्थ (मुनि-जन्) तीव्र तपस्या में लीन हैं। उनके पास जाकर बुद्ध ने पूछा—'अहो निर्ग्रन्थ, तुम आसन छोड़ उपव्रत कर क्यों ऐसी घोर तपस्या की वेदना अनुभव कर रहे हो? इस पर निर्ग्रन्थ बोले—'अहो निर्ग्रन्थ, ज्ञातपुत्र, सर्वज्ञ और दूरदर्शी हैं। अनेक ज्ञान तथा दर्शन के ज्ञाता हैं। हमारे चलते, ठहरते,

सोते, जागते—समस्त अवस्थाओं में मदैव उनका ज्ञान और दर्शन अवस्थित रहता है।' इस पर बुद्ध ने कहा—'हे निर्ग्रन्थों, तुमने पूर्वजन्म में पापकर्म किये हैं। उनकी इस घोर दुस्तर तपस्या से निर्जरा कर डालो। मन, बचन और काय की समवृत्ति से नये पापों का उदय नहीं होता और तपस्या से पुराने पापों का व्यय हो जाता है। इस प्रकार नये पापों के रूक जाने और पुराने पापों के व्यय से आयति रूक जाती है। आयति रूक जाने से कर्मों का क्षय हो जाता है, कर्मक्षय से दुःखक्षय होना है, दुःखक्षय से वेदनाक्षय और वेदनाक्षय से समस्त दुःखों की निर्जरा हो जाती है।' बुद्ध ने आगे कहा—'यह बचन हमारे लिए रचिकर प्रतीत होता है और हमें ठीक लगना है।'

इसी प्रकार की अन्य भी अनेक गाथाएँ हैं, जिनके अध्ययन से दोनों धर्मों के समान उद्देश्यों, तपस्या के समान प्रयोजनों का पता चलता है।

पालि साहित्य और जैन साहित्य, दोनों में समान विचार तथा उद्देश्य निहित होने पर भी दोनों धर्मों की दार्शनिक दृष्टि में मतान्तर है। इसी प्रकार आचार की दृष्टि से भी कुछ भिन्नताएँ हैं। उदाहरण के रूप में मुख्य अन्तर रहन-सहन का है। गृहस्थ रहकर जैनधर्म का वरण एवं पालन किया जा सकता है और सम्प्रति जैनों की अधिकतर सख्या गृहस्था की ही है। किन्तु बौद्धधर्म को वरण करने का सर्वप्रथम तप्य गृहत्याग का है। उसमें स्त्रियाँ भी भिक्षुणी पद प्राप्त कर सकती हैं, किन्तु उन्हें भी गृहत्याग करना होता है। व्रतारण्य और सन्यास बौद्धधर्म का मुख्य आधार है, जब कि जैनधर्म में सामारिक जीवन में रहकर भी धर्म का पालन किया जा सकता है।

इस प्रकार दोनों धर्मों में एकता भी है और भिन्नता भी। महावीर और बुद्ध, दोनों की जीवनी, उनके जन्म, गृहत्याग, तप, व्रत तथा ज्ञान-प्राप्ति के वृत्तान्तों में आश्चर्यजनक एकता देखने को मिलती है। महावीर स्वामी की जीवनी पढ़ते समय सहसा बुद्धदेव की जीवनी की एकरूपता उभर आती है। इसी प्रकार बुद्धदेव की जीवनी का तारतम्य महावीर स्वामी की जीवनी में देखने को मिलता है।

जैनधर्म और ब्राह्मणधर्म की एकता

आज जैनधर्म तथा ब्राह्मणधर्म के अनुयायियों में किसी की श्रृंखला का अन्तर तथा मतभेद देखने को नहीं मिलता है। परम्परा से भी दोनों धर्मों में कोई विशेष भिन्नता नहीं रही है। दोनों धर्मों में मौलिक मतभेद यह रहा है कि जैनधर्म वैदिक कर्मकाण्ड के प्रतिबन्धों तथा उसके हिमा-गम्बन्धी

निधनो को स्वीकार नहीं करता है, जबकि ब्राह्मणधर्म वैदिक निर्दोषो को ही अन्तिम प्रमाण मानता है। समाज में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए जैनधर्म में वैदिक मान्यताओं का घोर विरोध किया गया। सत्वाणीन समाज संभवतः पुरोहितवाद के बड़े हुए प्रभाव को स्वीकार भी करता, किन्तु वेदों के प्रति उसनी जो निष्ठा थी, उसनी मिटाने के लिए जैनधर्म में अहिंसा का आधार किया गया, जिसके प्रति समाज पूर्णतया निष्ठावान् था। इसके साथ ही जैनधर्म में वैदिक तपश्चर्या को पमानत् अपनाना गया और साधना तथा वैराग्य के सिद्धान्त उसने वेदान्त से ग्रहण किये।

जैनधर्म का वि-रल-सिद्धान्त—सम्पक् दशनं, सम्पक् ज्ञान और सम्पक् पारिश्य—ब्राह्मणधर्म के भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग का रूपान्तर है। आचार-विचार की समानता की दृष्टि से, बौद्धधर्म की अपेक्षा, जैनधर्म, ब्राह्मणधर्म के अधिक निकट है। जैनधर्म मूलतः ब्राह्मणधर्म और विशेषतः वैष्णवधर्म से अधिक समानता रखता है।

दार्शनिक दृष्टिनील से भी सांख्य, योग तथा मीमांसा दर्शनों के निरीश्वर-वादी सिद्धान्तों से जैनधर्म की पर्याप्त एतता है। सृष्टि तथा ब्रह्म की पृथक् सत्ता का जितना समर्थक सांख्यदर्शन है, उतना ही जैनधर्म का अहंत् दर्शन भी। वेदान्त का मुमुक्षु या जीवन्मुक्त ही जैनदर्शन का अहंत् या सिद्धजीव है। दोनों दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। आत्मा और मोक्ष के स्वरूप सम्बन्धों को दृष्टि में रखकर विचार किया जाने तो जैनदर्शन उतना ही आस्तिक है, जितना कि ब्राह्मण दर्शन।

सिद्धान्त-निरूपण

परमात्मा या ईश्वर

जैनधर्म निरीश्वरवादी है। जैनमत में परमात्मा (परम आत्मा) या जिनेश्वर ही ईश्वर है। तीर्थंकर परमात्मा के रूप हैं। ये जीवन्मुक्त तीर्थंकर तथापि हुए सुवर्ण की भाँति त्रिगुण एवं पूज्य हैं और वे ही ईश्वर हैं। ये तीर्थंकर जन्म-जमान्तरो के सत्कार-पङ्क से त्रिमुक्त और देवी आत्मा-सम्पन्न होने के कारण पूज्य हैं। उस परमात्मा के मुख्य चार गुण हैं—१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दर्शन, ३ अनन्त बीर्य और ४ अनन्त सुख। यह परमात्मा अपने ही अनन्त गुणों में विराजमान है। उसको इस संसार की किसी भी वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है। यह इस जगत् के विषयो तथा कर्मों से ऊपर है। पाप तथा पुण्य से अदूष्य है। यह तत्सो कर्मों का फल भोगना है और न मनुष्यों को उनके कर्मों का फल देता है। यह सर्वज्ञ है, अजर है, अमर है।

पुनर्जन्म और मोक्ष

जैनधर्म कर्मवादी तथा पुनर्जन्मवादी है। जैन मतानुसार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अपने द्वारा अज्ञित कर्मों के अनुसार ही उसकी दूसरा जन्म मिलता है। ब्राह्मण दर्शनों के अनुसार जैनधर्म में भी यही माना गया है कि पुण्यार्जन से स्वर्ग और पापार्जन से नरक प्राप्त होता है। पुण्यों के निरन्तर करते रहने से सम्यक् दृष्टि प्राप्त होनी है और उस स्थिति में मनुष्य देवतास्वरूप हो जाता है। मोक्ष का मूल कारण ज्ञान है। सदाचार (सम्यक् चारित्र्य), सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दृष्टि और सम्यक् चारित्र्य से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 'तत्त्वार्थसूत्र' में सम्यक् दृष्टि, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को मोक्ष-साधन के तीन रत्न या उद्देश्य बताये गये हैं (सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग)।

सदाचार (सम्यक् चारित्र्य)

शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए रागद्वेषादि दुर्व्यसनो का परित्याग करने के लिए जो आचरण किया जाता है, उसी को सदाचार, सयम या सम्यक् चारित्र्य कहते हैं। पाँच प्रकार के पापों—हिंसा, अमत्य, चोरी, दुष्चारित्र्य और आसक्ति—का परित्याग करना ही सम्यक् चारित्र्य है। वह दो प्रकार का है—शाकल और विकल। पहला मुनियों के लिए और दूसरा गृहस्थों के लिए है। अहिंसा, सत्य भाषण, दी गई वस्तु को न लेना, क्रोध न करना और किसी भी वस्तु के प्रति अनासक्ति (अपरिग्रह)—ये पाँच महाव्रत हैं। सदाचार का आधार दया है। दया के चार रूप हैं—१ प्रतिफल की भावना न करके दूसरे की भलाई करना, २ दूसरे के उत्कर्ष पर प्रसन्न होना, ३ दुखियों के प्रति सहानुभूति और ४ पापियों के प्रति करुणा।

सम्यक् दृष्टि

सम्यक् दृष्टि मनुष्य के लिए सत्य तथा बल्योग का निर्माण करती है। वह श्रद्धा की जननी है और असत्य ज्ञान को निराकृत करनेवाली तथा सत्य ज्ञान की ओर प्रवृत्त करनेवाली सद्बुद्धि है। उससे सद्बिचार, स्थिरता और विवेक का उदय होता है तथा भ्रम और अग्न्य विद्वार्यों का ध्वंस होता है। उसमें मोहवृद्धि नहीं होती। उसकी विद्वग्प्रेम में निष्ठा होती है। उसमें स्वदेश, स्वजाति तथा स्वधर्म की सकीर्णताएँ नहीं होतीं। उसमें समभाव का उदय होता है। सम्यक् दृष्टि जीव सात प्रकार के पापों से विमुक्त होता है। वे सात प्रकार के पाप हैं—१. इन्द्रियभय, २. परलोक-

दिये वियाहिए तिवेमि) । जो प्रज्ञा (मुनि या ज्ञान) की आँखों से लोक के स्वरूप को अच्छी तरह से देखता है, या जानता है, वही 'मुनि' या 'यति' है ।

जो जीव मुनिपद को प्राप्त करना चाहता है, वह सर्वप्रथम अपने परिवार या कुटुम्ब के लोगों से अपना पीछा छुड़ा ले । एक गाथा में कहा गया है—'हे भव्य जीवों, समझो, समझते क्यों नहीं ? परलोक में धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है । धीता समय फिर हाथ नहीं आता ।...क्षणिक सुखाभास के लिए सागर के समान दुःख को क्यों अपनाते हो ?...जिस कुटुम्ब के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, वह तुम्हारे साथ चलनेवाला नहीं है "यह ससार सागर की तरह अनन्त है और जीवों को चौरासी लाख योनियों में भटकाने वाला है ।'

यति व्रत को धारण करनेवाला मनुष्य समस्त सांसारिक क्लेशों से छुटकारा पा सकता है । तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा है—जो भिक्षु, १ भिक्षा के समय को जानने वाला (कालज्ञ), २ भिक्षा देने वाले की शक्ति को जानने वाला (शक्तिज्ञ), ३ भिक्षा की मात्रा को जानने वाला (मात्रज्ञ), भिक्षा के अवसर को जानने वाला (क्षणज्ञ), ५ भिक्षा के नियमों को जानने वाला (विनयज्ञ), ६ अपने सिद्धान्त और दूसरे के सिद्धान्त को जानने वाला (स्व-समयज्ञ, पर-समयज्ञ), ७ दूसरे के अभिप्राय को जानने वाला (भावज्ञ), ८ भोगोपभोग की सामग्री (परिग्रह) में ममता न रखने वाला, ९ समय से अनुष्ठान करने वाला और १० प्रतिज्ञा को जानने वाला होता है, वह राग-द्वेष का छेदन कर मोक्ष-मार्ग में आगे बढ़ता है ।

भिक्षुक को चाहिए कि वह वस्त्र, पात्र (परिग्रह), कम्बल, रजोहरण (पादपृष्ठनक), स्थान (अवग्रह), शय्या (कटासन) और आसन आदि सामग्री गृहस्थों से माँग ले । भिक्षुक को चाहिए कि भिक्षा मिल जाने पर वह गर्व न करे । न मिलने पर शोक न करे । अधिक मिलने पर उसका सग्रह न करे । भोगों से अपने को दूर रखे ।

इस प्रकार जैनधर्मानुयायी समाज में आचारों के नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है । यति-जीवन के अभ्युदय के लिए उक्त नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।

अहिंसा का स्वरूप

जैनधर्म का अहिंसा-व्रत जीवन का सर्वोत्तम आदर्श एव कर्तव्य माना गया है । प्रत्येक ससारी व्यक्ति और यतिधर्म में दीक्षित यति या विरक्त, दोनों के लिए अहिंसा का परिपालन करना अनिवार्य है ।

यद्यपि अन्य धर्मों में भी, विशेष रूप से बौद्धधर्म में, अहिंसा के परिपालन पर बड़ा बल दिया गया है, किन्तु जैनधर्म में अहिंसा का विचार सर्वथा नये ढंग का है। महावीर स्वामी का तो यहाँ तक कहना है कि अन्य धर्मों तथा शास्त्रों में हिंसा के पक्ष पर जो विचार किया गया है, वह भ्रामक है।

जैनधर्म के अपकाय, जलकाय तथा वनस्पतिकाय आदि छ प्रकार के जीव बताये गये हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, जितने भी चेतन प्राणी हैं, और राई से लेकर पर्वत तक, जितने भी जड़ या अचेतन पदार्थ हैं, जैनधर्म में उन सबको 'जीव' माना गया है। इन अचेतन पदार्थों का स्वरूप वैसा ही है, जैसा मनुष्य आदि चेतन प्राणियों का।

उदाहरण के रूप में जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, वैसे ही वनस्पति (पेड़-पौधे) पैदा होते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर बढ़ता है, वैसे ही वनस्पतियाँ भी बढ़ती हैं। जैसे मनुष्य का शरीर काट देने से वह सूख जाता है, वैसे ही वनस्पतियों को काट देने से वे कुम्हला जाती हैं। जैसे मनुष्य अनित्य है, वैसे ही वनस्पतियाँ भी अनित्य हैं।

वनस्पतियों की ही भाँति पाँच प्रकार के अन्य जीवों की भी यही स्थिति है। जब कि रासार की प्रत्येक वस्तु (चेतन-जड़) में प्राण है, तो निश्चित ही जाने या अनजाने में निरन्तर हमारे द्वारा हिंसा होती रहती है। इस हिंसा से बचने के लिए जैन तीर्थंकरों, विशेषरूप से महावीर स्वामी ने कुछ उपाय बताये हैं।

इन अनेक प्रकार की हिंसाओं से बचने के लिए पहली आवश्यकता है इन्द्रिय निग्रह की। जिसकी इन्द्रियाँ बश में नहीं हैं, ऐसा विषयो में फँसा हुआ मनुष्य हर किसी को कष्ट पहुँचाता है। ये हिंसाएँ हमारे द्वारा अनजाने में भी हो जाती हैं। उसका कारण यह है कि जीव इतने सूक्ष्म हैं कि वे पलक मारते ही मर जाते हैं। इन जीवों को हम अर्घ के लिए भी मारते हैं और बिना अर्घ के लिए भी। इन सूक्ष्म जीवों की हम अनेक उद्देश्यों से हिंसा करते हैं, यथा—

१. इसने मुझे कभी मारा था, अतः इसको भी मारना चाहिए—इस भावना से।

२. यह मुझे मारता है, अतः इसको भी मैं मारता हूँ—इस भावना से।

३. यह मुझे आगे चलकर मारेगा, अतः इसको अभी मारना चाहिए—इस भावना से।

ये अनेक प्रकार की भावनाएँ हैं, जो हमें अनेक प्रकार की हिंसाओं की ओर प्रवृत्त करती हैं ।

महावीर स्वामी ने जीवों की हत्या को चोरी (अदत्तावदान) कहा है । जो व्यक्ति अपने सुख की तरह दूसरों के सुख का भी ध्यान रखता है, वह हिंसा के कुकर्म से बच जाता है । इन हिंसाओं से बचने के लिए बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि वह उक्त सभी प्रकार की हिंसाओं का परित्याग कर दे । इस लोक में जो व्यक्ति प्रयोजन या बिना प्रयोजन के लिए पट्काय (छ प्रकार के) जीवों की हिंसा करता है, वह उन्हीं जीव-योनियों में बार-बार जन्म लेकर पुन-पुन मारा जाता है ।

अहिंसा ही एकमात्र उपाय है, जिस पर चलकर सभी रास्तों का पता लग जाता है । मोक्ष की इच्छा रखनेवाले पुरुष को चाहिए, चाहे वह यति हो या गृहस्थ, वह किसी भी जीव की हिंसा न करे, न कराये और न करने वाले का साथ दे ।

यह ससार (नर भव) एक अवसर है, ऐसे अवसर को पा जाने के बाद प्रमाद नहीं करना चाहिए । दूसरे प्राणियों को अपने ही समान देखना चाहिए । किसी भी प्राणी की सभी तरह की हिंसा से दूर रहना चाहिए ।

अहिंसा, सदाचार या सम्यक् चारित्र्य प्रमुख उपादान हैं । स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर, किसी भी जीव की मन, वाणी तथा शरीर से हिंसा नहीं करनी चाहिए ।

साहित्य-निर्माण

जैनधर्म की भाँति उसकी साहित्य-परम्परा भी प्राचीनतम एवं व्यापक है । जैन तीर्थंकरों में अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ग्रन्थ-निर्माण की दृष्टि से कुछ नहीं लिखा । उन्होंने तथा उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने केवल उपदेश दिये और प्रवचन किये । उनका सकलन-सम्पादन परवर्ती आचार्यों ने किया । यद्यपि जैनधर्म के सिद्धान्तों तथा आचारों से सम्बन्धित सामग्री वेदों जितनी प्राचीन है, तथापि उसको ग्रन्थ रूप में निबद्ध करने का समय बाद का है । वैदिक युग के ब्राह्मणों तथा श्रमणज्ञानियों की परम्परा से ज्ञात होता है कि जैनधर्म की विचारधारा अतिप्राचीन है । आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ की चर्चाएँ 'ऋग्वेद', 'अथर्ववेद', 'गोपथब्राह्मण' और 'भागवत' आदि पुरातन वाङ्मय में बिलखी हुई हैं । दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भी वैदिकयुग के और २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ निश्चित ही महाभारतकालीन अथवा उससे पूर्व के हैं ।

साहित्य निर्माण की परम्परा का जहाँ तक सम्बन्ध है, ईसा की प्रथम शती से उसका आरम्भ माना जा सकता है, जो कि अब तक निरन्तर रूप से हो रहा है। फिर भी एक ऐसे सर्वांगीण इतिहास का अभाव आज भी बना हुआ है, जिसमें जैन साहित्य की क्रमबद्ध परम्परा का उल्लेख हो। जैन साहित्य की उपलब्ध सामग्री को देखकर ज्ञात होता है कि उसमें संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती तथा कन्नड़ी आदि अनेक भाषाओं में ग्रन्थ-रचना हुई। तत्कालीन प्रचलित मागधी और शौरसेनी लोक-बोलियों में उल्लिखित साहित्य जैनधर्म की विशेषता का परिचायक है। लोकभाषा पालि को यद्यपि बुद्ध तथा बौद्धधर्म के ग्रन्थकारों ने भी अपनाया, किन्तु जैन साहित्यकारों ने उसमें विशेष रुचि दिखालाई।

विषय-वस्तु की दृष्टि से जैन-साहित्य सर्वांगीण है। उसके अपने वेद, पुराण हैं और उसमें दर्शन, धर्म, कला, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, महाकाव्य, काव्य, नाटक तथा कथा आदि समस्त विषयों पर ग्रन्थों की रचना हुई। जैन साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में विभिन्न हस्तलेख सग्रहों में पड़ा हुआ अभी तक अप्रकाशितावस्था में है। जैन चित्रकला अपना अनन्य स्थान रखती है। ऐसे सहस्रों सचित्र हस्तलिखित ग्रन्थ अभी प्रकाश में नहीं आये हैं, जो बहुमूल्य तो हैं ही विषय की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं।

बौद्धधर्म के क्षेत्र में जिस प्रकार समय-समय पर आयोजित चार बौद्ध सगीतियों (परिषदों) में विद्वान् बौद्ध भिक्षुओं द्वारा त्रिपिटको और उनके अग्र-ग्रन्थों का सकलन सम्पादन हुआ, उसी प्रकार जैन धर्मानुयायी विद्वान् आचार्यों एवं मुनियों द्वारा जैन वाङ्मय के अग्र ग्रन्थों तथा प्रकीर्ण-ग्रन्थों के सकलन-सम्पादन के लिए समय-समय पर बृहत् परिषदों का आयोजन किया गया। इस प्रकार की सर्वप्रथम विद्वत् परिषद का आयोजन आचार्य स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र (पटना) में किया था। यह परिषद् ३०० ई० पूर्व के लगभग आयोजित हुई थी। उसमें अग्र ग्रन्थों का सग्रह-सम्पादन हुआ और सघ के लिये नये नियम बने। जब आचार्य भद्रबाहु दक्षिण-वार्ता पर थे, उस समय उनके शिष्य आचार्य स्थूलभद्र ने इस परिषद् का आयोजन किया था। किन्तु यात्रा से लौट आने पर जब परिषद् के निर्णयों को आचार्य भद्रबाहु के सामने रखा गया तो उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया। तभी से सघ दिगम्बर तथा श्वेताम्बर, दो सम्प्रदायों में विभक्त हुआ।

उक्त परिषद् के लगभग साढ़े सात सौ वर्ष पश्चात् ४५४ ई० में आचार्य देवघर्मा की अध्यक्षता में जैन मुनि समाज की दूसरी परिषद् का आयोजन

हुआ। यह परिषद् भावनगर (गुजरात) के समीप बलभी नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। इस परिषद् में आचार्य स्थूलभद्र द्वारा आयोजित परिषद् के अंग-ग्रन्थों तथा नियमों को पुनः विचारार्थ रखा गया। इसी परिषद् से श्वेताम्बर के १२ आगमों या अंग-ग्रन्थों के संग्रह-सम्पादन को अन्तिम रूप दिया गया।

बारह अंग-ग्रन्थ

श्वेताम्बरों के मुनि समाज द्वारा सर्वतन्मत निर्णय पर जिन १२ अंग-ग्रन्थों को स्वीकार किया गया, उनके नाम हैं—१. आचारारामसुत (आचारामसूत्र), २. सूयगण्डक (सूत्रकृतांग) ३. धाणग (स्थाभाग), ४. समवायाग, ५. भगवतीसूत्र, ६. नायाघम्मकहाओ (ज्ञातधर्मकथा), ७. उवास-कदसाओ (उपासकदशा), ८. अन्तगडदसाओ (अन्तकृतदशा), ९. अणु-त्तरोववाइपदस्यओ (अनुत्तरोपपादिकदशा), १०. पव्हावागरिणिआइ (प्रश्न-व्याकरणदि), ११. विवागमुय (विपाकश्रुत) और १२. विट्ठिवाय (दृष्टि-वाद)। ये अंग-ग्रन्थ दो को छोड़कर शेष १० लोकवाणी प्राकृत में हैं। दो संस्कृत में हैं। इन बारह अंग-ग्रन्थों में आज कुछ ही उपलब्ध हैं। किन्तु समस्त जैनधर्मनुयायियों में उनको एकमत से मान्य समझा जाता है।

बारह उपांग-ग्रन्थ

उक्त १२ अंग-ग्रन्थों के उतने ही उपांग-ग्रन्थ भी हैं। उनके नाम हैं—१. औपपतिक, २. राजप्रश्नीय, ३. जीवाभिमग, ४. प्रज्ञापणा, ५. सूर्य-प्रज्ञप्ति, ६. जम्बूदीपप्रज्ञप्ति, ७. चन्द्रप्रज्ञप्ति, ८. निर्यावलिका, ९. कल्पा-वतमिका, १०. पुष्पिका, ११. पुष्पचूलिका और १२. वृष्णिदशा।

दस प्रकीर्ण ग्रन्थ

श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अंग-उपांग-ग्रन्थों के अतिरिक्त दस प्रकीर्ण ग्रन्थ भी हैं। जैनो के धार्मिक तथा दार्शनिक साहित्य में इन ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये प्रकीर्ण ग्रन्थ हैं—१. चतुशरण, २. आतुरप्रत्याख्यान, ३. भक्ति-परिज्ञा, ४. सस्तार, ५. ताण्डुलवैतालिका, ६. चन्द्रवेध्यक, ७. देवेन्द्रस्तव, ८. गणितविद्या, ९. महाप्रत्याख्यान और १०. वीरस्तव।

तीन सूत्र

इनके अतिरिक्त जैनधर्म के पुरातन प्रामाणिक साहित्य में—१. छेदकसूत्र, २. मूलसूत्र और ३. भूलिकासूत्र नाम से तीन सूत्र-ग्रन्थ भी हैं।

चार वेद

जैनधर्म के अपने पृथक् वेद भी हैं, जो सख्या में चार हैं और जिनके नाम हैं—१ प्रथमानुयोग, २. चरणानुयोग, ३ करणानुयोग और ४. द्रव्यानुयोग ।

चौबीस पुराण

जैनधर्म के चार वेदों की भांति अपने पुराण भी हैं, जिनकी सख्या चौबीस है और जिनमें चौबीस तीर्थंकर महात्माओं की दिव्य कथाओं का वर्णन है । इन चौबीस पुराणों में सम्प्रति कुछ ही उपलब्ध हैं । उनमें चार पुराणों का विशेष महत्त्व माना जाता है । उनके नाम हैं—१ 'आदिपुराण', २. 'उत्तरपुराण' तथा ३ 'अरिष्टनेमिपुराण' और रविपेण कृत ४ पद्म-पुराण ।

राजधर्म के रूप में सम्मानित जैनधर्म

बौद्धधर्म की ही भांति जैनधर्म को भी लोक और शासक, दोनों ने अपनाया । महावीर स्वामी के समकालीन मगध के विम्बिसार (श्रेणिक) और अजातशत्रु (कूणिक) ने महावीर स्वामी के दर्शन किये थे और उनसे प्रश्न पूछे थे । पाटलिपुत्र पर जब मौर्य चन्द्रगुप्त का शासन था, उस समय जैन आगमा की प्रथम पाचना हुई थी । स्वयं चन्द्रगुप्त ने जैनधर्म की दीक्षा ली थी । चन्द्रगुप्त के प्रपौत्र और अशोक ने गौतम सम्प्रति (२२०-२११ ई० पूर्व) का जैन-ग्रन्थों में उल्लेख है । आचार्य सुहस्ति ने उन्हें जैनधर्म में दीक्षित किया था । सम्प्रति ने दक्षिण भारत में अपने सुभटों को भेजकर जैनधर्म सभ की प्रगति में विशेष योगदान किया था ।

कलिगराज खारवेल (२०० ई० पूर्व) स्वयमेव जैन था और उसने जैनधर्म के संरक्षण तथा प्रवर्तन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया था । उसने जैन साधुओं के निवाम के लिए उदयगिरि की कलात्मक भव्य गुफाओं का निर्माण कराया । गुप्तों के समय अन्य धर्म-ग्रन्थों की भांति जैनधर्म का भी उल्लेखनीय विकास हुआ । गुजरात में गिरनार और शबुजय में प्रसिद्ध जैन तीर्थ इसी समय निमित्त हुए । जैन मुनि शीलगुणमूर्ति के उपदेशों से प्रभावित होकर राजा यनराज ने गुजरात के प्रसिद्ध अणहिल्लपुर पाटण नाम के नगर को बसाया । गुजरात से जैनधर्म का परम्परा से गहरा एवं अटूट सम्बन्ध रहा है । चालुक्य मूलराज (९६१-९९६ ई०), सिद्धराज जयमिह (११ वीं शती) और उनका भतीजा कुमारपाल जैनधर्म के परम अनुरागी एवं

संरक्षक रहे हैं। इस धर्मानुराग के कारण बहुसंख्यक विशाल जैन मन्दिरों का निर्माण हुआ और उनमें बृहदाकार बलाशक्त जिन मूर्तियाँ स्थापित की गयीं। दक्षिण के चोल, चेर, गंग और राष्ट्रकूट राजवंशों के अनेक शासकों ने जैनधर्म को प्रथम देकर उसके प्रति अपने अनुराग को व्यक्त किया। न केवल हिन्दू शासकों ने, अपितु मुगल शाहशाहों ने भी जैनधर्म के प्रति अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करके उसकी परम्परा को बढ़ाया। शाहशाह अब्दुर ने हीरविजय मूर्ति को सम्मानित किया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी जैन साधुओं के प्रति सम्माननीय व्यवहार किया।

इस प्रकार जैनधर्म अपनी महनीयता तथा लोकप्रियता के कारण निरन्तर अपना महत्त्व बनाये रहा। उसका सम्बन्ध लोक और लोकवाणी, दोनों से बना रहा और इसलिए उसकी परम्परा कभी भी क्षीण नहीं हुई। आज भी जैनधर्म का अस्तित्व पूर्ववत् बना हुआ है।

बौद्धधर्म और उसके प्रवर्तक

तयागत बुद्ध

भारत के धार्मिक इतिहास में बौद्धधर्म का अपना विशिष्ट स्थान है। ईसा के लगभग ६००-५०० वर्ष पूर्व भारत में इतिहास प्रसिद्ध प्रतापी मगध साम्राज्य का प्रभाव था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। इस साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक गणतंत्र थे जिनमें लिच्छवी गणतंत्र का नाम उल्लेखनीय है। उसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली गंगा के उत्तर में स्थित थी। गंगा के उत्तर में ही अंगराज्य और उत्तर-पश्चिम में कोसल राज्य अवस्थित थे। कोसल राज्य की राजधानी बयोध्या थी, किन्तु बाद में वह ध्वस्त हो गयी थी और श्रावस्ती को नयी राजधानी बनाया गया था। कोसल राज्य के पूर्व शाक्य और कोलिय नाम के दो स्वतंत्र जातियों का शासन था। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु और कोलियों की राजधानी रामगाँव थी। इस शाक्य राजवंश में यदास्वी एव धर्मप्राण राजा शुद्धोदन हुए। उनकी दो रानियाँ थी, जो कि कोलिय-कुल की थीं। उनका नाम था माया-देवी और प्रजापति गौतमी। ऐसा कहा जाता है कि जन्म-ग्रहण करने से पूर्व ही बुद्ध ने यह विचार कर लिया था कि उन्हें किस देव में किस माता-पिता के घर जन्म लेना है। वे यह सुनिश्चित कर चुके थे कि मध्यदेश के कपिलवस्तु नामक नगर में क्षत्रिय राजा शुद्धोदन की सदाशरणीला पत्नी मायादेवी की कोख से जन्म लेना है। उस समय कपिलवस्तु में लोग जापाठ का उत्सव मना रहे थे। उत्सव की अन्तिम रात्रि पूर्णिमा को मायादेवी ने स्वप्न देखा कि कोई दिव्य ज्योति उनकी कोख (कुक्षि) में प्रविष्ट हुई है। गर्भ धारण के दसवें मास वे अपने मायके (नैहर) देवदह चली गयीं।

कपिलवस्तु और देवदह नगर के बीच लुम्बिनी नामक एक सुन्दर वन था। वहाँ शाल (साधू) वृक्ष के नीचे ५०५ वि० पूर्व (५६३ ई० पूर्व) में बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी नामक वन के जिस पवित्र स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ, बाद में वहाँ पर सम्राट् असोक ने बुद्ध-जन्म की पवित्र स्मृति में एक पाषाण स्तम्भ का निर्माण करवाया था।

जन्म के पाँचों दिन वेद-वेदांग-पारंगत एव भविष्यफलवेत्ता देवतो (ज्योतिषियों) को बुलाकर जब शकुन विचारता गया, तो उनमें से सात ने कहा—'ऐसे शुभ लक्षणों वाला ग्रहस्प चक्रवर्ती राजा होता है, और साधु

होने पर बुद्ध ।' उनमें कम उम्रवाले कौण्डिन्य नामक तरुण दैवज्ञ ने कहा— 'इसके घर में रहने का कोई कारण नहीं है। अवश्य ही यह महाज्ञानी होगा।' यथासमय बालक का नामकरण हुआ—सिद्धार्थ । सिद्धार्थ के पैदा होने के कुछ दिन बाद उनकी माता मायादेवी का निधन हो गया । उसके बाद उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने उनका लालन-पालन किया ।

सिद्धार्थ जब मुबक हुए, तो युवकोचित उल्लास के विपरीत उनकी गम्भीर एवं चिन्तायुक्त मन स्थिति से आश्चर्य होकर महाराज शुद्धोदन ने १८ वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह कोलिय प्रजातंत्र की कन्या यशोधरा (कपिलायनी) से कर दिया । इस विवाह की रोचक चर्चा 'ललितविस्तर' में विस्तार से वर्णित है ।

आगे चलकर यथासमय यशोधरा ने राहुल को जन्म दिया । युवराज के जन्म की खुशी में सारे राज्य में हर्ष मनाया गया । किन्तु सिद्धार्थ उदास बने रहे । उनके मन में वैराग्य के बढ़ते हुए प्रभाव को न तो विवाह और न ही पुत्ररत्न की प्राप्ति दूर करने में सफल हो सके ।

एक एकान्त रात्रि को सिद्धार्थ ने महाभिनिक्रमण (गृहत्याग) कर दिया । कुछ दिनों के ब्रह्मचारी वेप धारण कर वैशाली में रहे और तदनन्तर पैदल चलकर राजगृह पहुँचे । राजगृह में वे उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् एवं योगी आलार कालाम तथा उदक रामपुत्र से मिले । उदक रामपुत्र से कुछ दिनों तक उन्होंने तन्त्रविद्या के विषय में ज्ञान प्राप्त किया । तत्पश्चात् अपने पाँच साथियों को लेकर वे बोधगया के निकट उरुवेला के रमणीय अरण्य प्रदेश में जा पहुँचे । वहाँ ६ वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया । किन्तु उन्हें सन्तोष न हुआ । फलस्वरूप देह-कष्ट के प्रयोजन को व्यर्थ समझ उन्होंने उसे भी त्याग दिया । उनके पाँच साथियों ने उनकी इस दुर्बलता से असहमत होकर उनका साथ त्याग दिया । पुन वहाँ से वे बोधगया गये और वहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गये । आत्मकेन्द्रित होकर उन्होंने अपने जन्मान्तर की अनुभूतियों का साक्षात्कार किया । उन्हें स्वतः ही यह अनुभूति हुई कि आत्मज्ञान की खोज के लिये उनके समस्त विगत प्रयत्न और अधीत शास्त्र कोई भी सहायक नहीं बन सकते हैं ।

इसके पश्चात् वे बोधिवृक्ष (बोधगया का प्रसिद्ध पीपल का पेड़) के पास गये । उन्होंने उसकी परिक्रमा की और यह प्रतिज्ञा कर उसके नीचे बैठ गये कि 'चाहे मेरा चर्म मांसपेशियाँ और अस्थि मात्र ही शेष रह जायें, चाहे मांस तथा रक्त बयो न मूख जायें, किन्तु 'सम्यक् सम्बोधि' प्राप्त किये बिना इस आसन में नहीं उठूँगा' । सिद्धार्थ उस बोधिवृक्ष के भीचे एक सप्ताह तक मोक्ष

का आनन्द लेते हुए वे ध्यानस्थ बैठे रहे। सातवीं रात के प्रथम यान में उन्हें ससार की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि अज्ञान, वेदना, तृष्णा, उपादान, जन्म, जरा, मरण, शोक और दुःख आदि अतियों का रहस्य क्या है।

दूसरे दिन बोधिवृक्ष की समाधि से उठकर वे पुनः वरगद वृक्ष के नीचे गये और वहाँ एक सप्ताह तक चिन्तन में बैठे रहे। वैशाखी पूर्णिमा की दिव्य निशा में उन्होंने अखि खोली, तो उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। वे आत्म-ज्ञानी बन गये थे। 'बुद्धत्व' प्राप्त कर लिया था। प्रातः उन्होंने करुणामयी दृष्टि से प्राणियों को देखा। प्राणियों पर दया करके वे धर्मोपदेश के लिये उद्यत हुए। इस समय उनकी आयु ३६ वर्ष (५२८ ई० पूर्व) की थी।

बोधगया से वे वाराणसी गये। रास्ते में उन्हें उदय भी मिला। उसने बुद्ध से अनेक प्रश्न किये। वाराणसी में उन्हें उनके विद्युडे हुए पाँच साथी मिले। उन्होंने अपना पहला उपदेश पाँचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। बुद्ध ने कहा—'हे भिक्षुओं, इन दो अन्तों (अतियों) का प्रव्राजितो (भिक्षुओं) को सेवन नहीं करना चाहिये—एक तो मनोविकार उत्पन्न करने वाली काम-वासनाओं में कामसुख-लित होना और दूसरा अनर्थों से युक्त पीडा से आत्मा को सतत करना, अर्थात् दुःखदायी तपश्चर्या से विरत रहना। भिक्षुओं, इन दोनों का परित्याग कर मैंने मध्यम मार्ग को खोज निकाला है। यह मध्यम मार्ग आँसू देनेवाले, ज्ञान करानेवाले निर्वाण का है।' उन्होंने 'निर्वाण' के कल्याणकारी परिणामों को विस्तार से समझाया। वाराणसी में वे पाँच मास तक रहे। वहाँ उन्होंने साठ शिष्यों को पूर्णतया शिक्षित-दीक्षित किया। उन्हें जनता के बीच भेजा। बहुत समय तक उन्होंने स्त्रियों को दीक्षित नहीं किया। उसके बाद वे उरुवेला, उत्तर कुरु (मेरु पर्वत की उत्तर दिशा में) और अनवत्त सरोवर (मानसरोवर) तक उपदेश करने के लिये गये।

उत्तर दिशा का भ्रमण करने के पश्चात् बुद्ध बोधगया गये। वहाँ उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनके अनेक शिष्य बन गये। उन शिष्यों में काश्यप का नाम अग्रणी है। महाराज बिम्बिसार ने भी बुद्ध का शिष्यत्व वरण किया। राजगृह में उनका शिष्यत्व ग्रहण करनेवाले अनुयायियों में सारिपुत्र तथा मोद्गलानन का नाम उल्लेखनीय है।

बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु भी गये। वहाँ घर-घर जाकर उन्होंने भिक्षाटन किया। अन्त में अपने पिता महाराज शुद्धोदन की दण्डावस्था का ममाधार मुनवर वे कपिलवस्तु गये और उन्होंने पिता की समुचित सेवा की। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी छोटी माता प्रजापति गोतमी और पत्नी

यशोधरा ने भिक्षु सम्पदा प्राप्त की। ये दोनों प्रथम महिलाएँ थी, जिन्हें बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द के अनुरोध पर भिक्षुणी बनने की अनुज्ञा दी, किन्तु साथ ही यह नियम भी बनाया कि भिक्षुपद ग्रहण करनेवाली भिक्षुणियाँ, भिक्षुओं के नियन्त्रण में रहनी।

अन्त में ४२५-२४ वि० पूर्व (४८३ ८२ ई० पूर्व) में तथागत ने ८० वर्ष की अवस्था व्यतीत कर यह कहते हुए परिनिर्वाण प्राप्त किया—'आश्रयं भन्ते, अद्भुतं भन्ते, मैं भगवान की चरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षुसंघ के भी। भन्ते, मुझे भगवान् के पास से प्रव्रज्या मिले उपसम्पदा मिले !'

बुद्ध ने जन्म तथा निर्वाण के सम्बन्ध में मतमतान्तर है। सिंहली (श्रीलंका) परम्परा के अनुसार बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४ वि० पूर्व में माना जाता है। इसी परम्परा को मान्य समझ कर भारत में मई १९५६ को बुद्ध की २५०० वीं जयन्ती मनाई गई। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर बुद्ध राजगृह के शासक बिम्बसार और उनके पुत्र अजातशत्रु के समकालीन थे। उनके परिनिर्वाण के २१८ वर्ष पश्चात् सम्राट् अशोक का राज्याभिषेक हुआ था।

बुद्ध के उपदेशों के प्रवर्तक प्रमुख शिष्य

बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनका शवदाह किया गया और उनका भस्मी को आठ भागों में विभाजित किया गया। उसको लेकर मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवियों कपिलवस्तु के शाक्यों, अलकम्पा के बुल्लियों, रामगवि के कोलियों, बड़े द्वीप के ब्राह्मणों पावा के मल्लों और कुशीनगर के मल्लों ने अलग अलग स्तूप बनाये। पिप्पलीवन के मौर्यों ने शवदाह के स्थान से कोयला तथा भस्म का संग्रह कर नवीं स्तूप बनाकर तथागत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

बुद्ध के प्रमुख शिष्या में सारिपुत्र, मौद्गलायन, आनन्द, देवदत्त, उपालि और अनिन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। उनमें से आनन्द का नाम अग्रणी है। बुद्ध के पश्चात् आनन्द ने ही संघ का संचालन किया। एक बार बुद्ध ने आनन्द को लक्ष्य कर कहा था— हे आनन्द, तुम स्वयं अपने लिए प्रकाश हो। मेरे बाद तुम किसी अन्य की शरण न लेना। (संघ के) रक्षक की भाँति सत्य में दृढ़ रहना।' जब बुद्ध के निर्वाण की घेरा निकट आई तो आनन्द खूँटी पकड़ कर विलाप करने लगा। तब बुद्ध ने पास बुलाकर उससे कहा—'आनन्द, अब दुःख न करो। क्या मैंने तुमसे यह बात नहीं कही थी कि यह स्वाभाविक है कि प्रियजन पृथक् हो जाते हैं। जो वस्तु उत्पन्न हुई है, वह नाशवान् है। यह जैसे संभव है कि नाश न हो? तुमने मेरे प्रति प्रेम व्यवहार रखा।

तुम्हारा प्रेम कभी न्यून नहीं हुआ। तुम आगे भी अपने प्रयत्न में रत रहो। बुराई से शून्य हो जाओ। तुम्हें भी निर्वाण प्राप्त होगा। सत्कार में मैं पहला बुद्ध नहीं हूँ और न अन्तिम होऊँगा। (मेरे बाद) सध के नियम तथा सिद्धान्त ही तुम्हारे गुरु होंगे ।'

इस प्रकार आनन्द ने आजीवन बुद्ध की शिक्षाओं का परिपालन करते हुए उनके बताये हुए मार्ग का अनुसरण किया और सध' के प्रचार प्रसार में लगा रहा। उसने राजगृह में ५०० भिक्षुओं की एक सभा का (जिसे प्रथम संगीति कहा जाता है) आयोजन किया और उसमें बुद्ध की शिक्षाओं तथा उनके सिद्धान्तों का संकलन कर उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया। उनके प्रचार-प्रसार के लिए योजना तैयार की। आनन्द को 'सुत्तपिटक' का संप्रह-कर्ता माना जाता है। बुद्ध का दूसरा शिष्य उपालि हुआ, जो जाति से नापित था, किन्तु एक विख्यात आत्मज्ञानी के रूप में वह सध का नेता बना। उसने 'विनयपिटक' का संप्रह कर उसको क्रमबद्ध स्वरूप दिया। अनिरुद्ध बौद्धधर्म का विलक्षण विद्वान् हुआ। बुद्ध के बाद उसने बौद्धधर्म के सिद्धान्तों का विद्वत्तापूर्ण ढंग में व्याख्यान किया। देवदत्त बुद्ध के आत्मीयजनों में से था। किन्तु वह बुद्ध से परोक्ष रूप में ईर्ष्या करता था। उसने बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका विरोध करना, उनके उपदेशों की आलोचना करना आरम्भ कर दिया था, जो कि बुद्ध की विदित था। वह राजगृह गया और महाराज विम्ब-सार के पुत्र अजातशत्रु से मिलकर बुद्ध के विरुद्ध पड्यन रचने लगा। जब बुद्ध राजगृह गये तो देवदत्त ने अपने द्वारा बनाये गये सध के कठोर नियमों की एक तालिका बुद्ध के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की, किन्तु बुद्ध ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देवदत्त से कहा कि अपने द्वारा निर्मित कठोर नियमों के धारण-पालन करने के लिए वह स्वतंत्र है। जन-सामान्य के लिए उनको अनिवार्य बनाना श्रेयस्कर न होगा। इस पर देवदत्त ने अजातशत्रु से मिलकर बुद्ध की हत्या करने का पड्यन रचा, किन्तु उसको कार्यान्वित करने में विफल रहा। कुछ समय पश्चात् एकाएक देवदत्त भयकर रूप से रोगग्रस्त हुआ और उस अवस्था में उसने अपने कुटुम्बों पर घोर पश्चात्ताप का अनुभव किया। वह बुद्ध की शरण में जाने के लिए व्याकुल ही उठा। इच्छा-वस्था में ही पाल्की पर बैठकर वह बुद्ध से मिलने के लिए चल दिया। किन्तु दैवयोग से रास्ते में ही बुद्ध का स्मरण करते हुए उसने शरीर त्याग कर दिया। देवदत्त की इस दुःखद मृत्यु से बुद्ध ने पीडा का अनुभव किया।

एक बार बुद्ध शृङ्गकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। वहाँ उन्होंने राजगिरि के भागसिला पर्वत पर कठोर तप करते हुए कुछ 'निर्ग्रन्थ' जैन साधुओं की देखा

और उनसे इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। इसी समय अजातशत्रु वंशाली पर आक्रमण करना चाहता था। तब बुद्ध की अनुमति प्राप्त करने के लिए वहाँ गया। किन्तु बुद्ध ने अजातशत्रु को आक्रमण करने के लिए रोक दिया। देवदत्त की मृत्यु के बाद अजातशत्रु बुद्ध का भक्त बन गया था और अपने पिता बिम्बसार की भाँति बौद्धधर्म के प्रचार प्रसार में तल्लीन हो गया था।

चार बौद्धधर्म परिषदों का आयोजन

बौद्धकालीन भारत में आयोजित चार परिषदें, जिन्हें 'संगीति' भी कहा जाता है, वैचारिक एवं आचारिक सन्नान्ति की परिचायिका हैं। धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, ज्ञान तथा अधिकारों के क्षेत्र में जो पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो गये थे, उनके समाधान के लिए समय समय पर इन परिषदों का आयोजन हुआ था। समाज की व्यवस्था का दायित्व शासकों पर था और वे शासक विद्वानों के अधीन थे। जब भी राष्ट्र में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होते थे, चाहे उनका सम्बन्ध धर्म या राजनीति अथवा ज्ञान विज्ञान से रहा हो, उनके समाधान के लिए शासक विद्वानों को आमन्त्रित कर उनका अधिवेशन आयोजित करते थे। बौद्ध भारत में इस प्रकार की विधुत चार परिषदों का आयोजन हुआ था। वस्तुतः ये चार धर्म-परिषदें थी, जिनमें सामूहिकरूप से बौद्धधर्म के सर्वांगीण विकास पर विचार विनिमय होता रहा।

प्रथम परिषद्

बुद्ध निर्वाण के लगभग चौथे मास ही प्रथम परिषद् का आयोजन राजगृह के कुशीनगर में हुआ था। महाराज अजातशत्रु इसके आयोजक और महा-कस्सप सभापति थे। इस परिषद् में लगभग पाँच सौ विद्वान् भिक्षु सम्मिलित हुए थे, जिससे कि इस परिषद् को 'पञ्चशतिका' नाम दिया गया है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनन्द और उपालि इसके प्रमुख विद्वानों में से थे। इस परिषद् का प्रमुख उद्देश्य बुद्ध के वचनों का सम्पादन तथा प्रामाणिक सङ्कलन तैयार करना था। इसमें चार बातों का निर्णय किया गया था—१ उपालि के नेतृत्व में विनय का निश्चय २ आनन्द के नेतृत्व में धम्मपाठ का निश्चय, ३ आनन्द पर किये गये आक्षेपों तथा उनका समाधान और ४ चन्द्र की स्रष्ट्यदण्ड की व्यवस्था।

द्वितीय परिषद्

द्वितीय परिषद् का आयोजन बुद्ध निर्वाण के लगभग सौ वर्ष पश्चात् हुआ। इस परिषद् में सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुए थे, जिससे कि उसको

'सप्तसतिका' नाम से कहा जाता है। यह परिषद् अजातशत्रु के वंशज कालाशोक के समय वंशाली में आयोजित हुई थी और इसने सभापति आचार्य सब्बकामी और प्रधान भिक्षु अजित थे। इस परिषद् में कुछ विवादग्रस्त प्रश्नों का समाधान करना तथा प्रथम परिषद् के नियमों को पुनः सशोधित करना था। इस परिषद् में करण्डकपुत्र भदन्त यश और वज्जी के भिक्षुओं के पारस्परिक विवाद पर विचार-विनिमय हुआ और भदन्त यश के पक्ष का समर्थन करते हुए वज्जियों के आचरणों को अधर्मयुक्त घोषित किया गया।

इस परिषद् में 'विनय' तथा 'धम्म' का सशोधित पाठ निर्धारित किया गया। धम्म के सपादन और पुनः सकलम के फलस्वरूप बुद्धवाणी के तीन पिटक, पाँच निकाय, नव अंग और अठतालीस हजार धर्मस्कन्धों का वर्गीकरण हुआ।

तृतीय परिषद्

बौद्धधर्म की तृतीय परिषद्, बुद्ध-निर्वाण के २२६ वर्ष पश्चात् मगधात् अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इस परिषद् के अध्यक्ष प्रियदर्शी अशोक के गुप्त तिरस भोगलिपुत्र थे। इस परिषद् में अशोक ने विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित कर उन्हें उनके सम्प्रदायों की सापेक्षता का प्रतिपादन करने का आग्रह किया था। यह अधिवेशन निरन्तर नौ मास तक चलता रहा। इस परिषद् में त्रिपिटकों का अन्तिम रूप से संवलन तैयार किया गया और 'क्यावत्युप्रकरण' का भी निराकरण हुआ।

इस परिषद् में निर्णीत विनय के नियमों के प्रचारार्थ अशोक ने अपने धर्मोपदेशक भिक्षुओं को यवन, कम्बोज, गान्धार, राष्ट्रिय, पितनिम, भोज, आंध्र, पुलिन्द, केरलपुत्र, सरयपुत्र, चोल, पाण्ड्य तथा सिंहल आदि प्रदेशों तथा देशों को भेजा।

चतुर्थ परिषद्

तुरुष्क साम्राज्य के संस्थापक सम्राट् कनिष्क के समय प्रथम शती ई० में चतुर्थ परिषद् का आयोजन हुआ। कुछ विद्वानों ने इसे जालंधर (पंजाब) में निम्नु अधिकतर विद्वानों ने काश्मीर में आयोजित होना सिद्ध किया है। आचार्य पादवं इसके सभापति थे और इसमें पाँच सौ भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस परिषद् में प्रथम बार पिटकों पर भाष्य लिखने का निर्णय किया गया। इसी परिषद् में संस्कृत भाषा को मान्यता प्राप्त हुई और उसे बौद्ध-न्याय तथा धर्म नियमों पर ग्रन्थों के निर्माण की अनुशा दी गई। इससे पूर्व पालि ही ग्रन्थ-रचना की भाषा रही।

बौद्धधर्म की दो मुख्य शाखाएँ

बुद्ध अपने जीवनकाल में विवादों तथा मतभेदों से सदा दूर रहे और अपने अनुयायियों को भी उन्होंने तर्क वितर्क के जाल में न उलझने के लिए निर्देश दिये। उन्होंने धर्म के शाश्वत मार्ग से अलग होकर दार्शनिक मत-भेदों में विभाजित होने की कल्पना ही नहीं की थी। किन्तु बुद्ध के जीवनकाल में ही धर्मसभ के सम्बन्ध में वाद-विवाद उठ खड़े हुए थे। बुद्ध का भतीजा देवदत्त उनके सिद्धान्तों का प्रबल प्रतिद्वन्दी था। उपनन्द, चन्द्र, भैतिय भुम्मज्जक और पट्वर्गीय भिक्षु बुद्ध के जीवनकाल में ही विनय के नियमों की कटु आलोचना करने लगे थे। देवदत्त ने अजातशत्रु से मिलकर विनय के नियमों में संशोधन कर उन्हें स्वीकृति के लिए राजगृह में बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत किया। किन्तु बुद्ध ने उन कठोर नियमों को मानना अस्वीकार कर दिया था। समुद्र जैसे उदृण्ड मति के लोग भी उस समय विवाद के विषय बने हुए थे, जिन्हें जीवन की स्वच्छन्दता में नियमों की हथकड़ी पसन्द न थी। जब बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया तो वह प्रसन्न ही हुआ।

जिस प्रकार आचार विचारों के मतभेदों के कारण महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग सौ वर्षों के बाद जैनधर्म अनेक मतों तथा पन्थों में विभाजित हो गया था, उसी प्रकार बुद्ध के निर्वाण (४८२ ई० पूर्व) के लगभग सौ वर्ष बाद ही भिक्षुओं के एक वर्ग ने बुद्ध की शिक्षाओं तथा विचारों के विरोध में नये मतों को प्रचलित करने का प्रचार किया। वैशाली के वज्जियों का उसमें प्रमुख योगदान रहा। महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित राजगृह की पाँच सौ भिक्षुओं की उपस्थिति में प्रथम सगीति का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें सम्मिलित पुराणपन्थी या गर्वापन्थी भिक्षुओं ने निर्णीत नियमों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने, उसमें बुद्ध की वाणियों का जो संकलन किया था, उसको अप्रामाणिक एवं अमौलिक घोषित कर दिया। यह सगीति आनन्द के प्रयास से आयोजित हुई थी।

सभ के प्रधान महादेव नामक विद्वान् भिक्षु ने जो नियम बनाये थे, उनका विरोध किया गया। उसके फलस्वरूप वैशाली में दूसरा सभ आयोजित किया गया और उसमें नये नियम बनाये गये। इन मतभेदों के कारण बौद्ध भिक्षुओं में दो वर्ग बन गये—एक कट्टर पुराणपन्थी और दूसरा उदार मतावलम्बी। पुराणपन्थी भिक्षुओं का वर्ग थेरवादिन् (स्थविरवादिन्) और उदार मतावलम्बी वर्ग महासाधिके (महासाधिके) कहलाये। स्थविरवादी आगे चलकर हीनयानी और महासाधिके महायानी कहलाये।

बैसाली में स्वविरवादियों की जो दूसरी परिषद् आयोजित हुई थी, उसमें विरोध में महासाधिकों ने तीसरी परिषद् का अधिवेशन बुटाया, जिसमें दस हजार भिक्षु सम्मिलित हुए। इस परिषद् में सघ के नये नियमों को अन्तिम रूप दिया गया।

आगे चलकर उक्त हीनयान तथा महायान मतावलम्बियों में भी एकता स्थिर न रह सकी और ईसा की दूसरी-तीसरी शती तक हीनयानियों की प्यारह तथा महायानियों की सात उपशाखाएँ हो गयीं। इस समय के जो शिलालेख उपलब्ध होते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि बौद्धधर्म की अनेक शाखाएँ प्रकाश में आ गई थीं। उनके नाम थे—सर्वास्तिवादिन्, महासाधिके धेरवादिन्, चैत्यक, साम्भिलीय, धर्मोत्तरीय, भद्रयानीय, महाज्ञानकीय, पूर्व-शैलीय, बहुश्रुतीय, काश्यपीय, राजगिरिक, सिद्धत्यक, पुष्यसेन्द्रिय, वाजिरिय उत्तरापथ, वेतुन्व, हेतुवादिन्, एकव्याहारिक, लोकोत्तरयादिक, कवकुरिक (गोकुलिक) और प्रज्ञातिवादी।

हीनयान

यद्यपि बौद्धधर्म अनेक शाखा उपशाखाओं में विभाजित होता रहा, किन्तु मूलरूप में उसकी दो प्रधान शाखाएँ ही प्रचलित रही। हीनयान भी प्रमुख दो शाखाओं में विभक्त हुआ—स्वविरवाद (सौथ्रान्तिक) और वैभाषिक। बैसाली में सर्वास्तिवादी दार्शनिकों की चौथी बौद्ध-संगीति में भारतीय बौद्धसघ धेरवाद (स्वविरवाद) सब्वात्थिववाद (सर्वास्तिवाद) और महासाधिक (महासाधिक)—इन तीन शाखाओं में विभाजित हुआ।

स्वविरवाद बौद्धधर्म का सर्वाधिक प्राचीन सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के प्रवचनकार स्वयं बुद्ध थे। स्वविरवादी, अर्थात् बुद्ध ज्ञानी पुण्यो एव तत्त्व-दर्शियों का मत। बुद्ध के प्रथम शिष्यों ने लिए 'स्वविर' शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्ध-मन्तव्य के विषय में उन स्वविरो का मत ही अन्तिम प्रमाण है। स्वविरवादी भिक्षु विभज्यवाद के अनुयायी थे। विभज्यवाद का अर्थ है—विभाग कर, विश्लेषण कर प्रत्येक वस्तु के अच्छे बंश को अच्छा और बुरे बंश को बुरा बतलाना।

सौथ्रान्तिक

हीनयान की स्वविरवादी विचारधारा को 'सौथ्रान्तिक' कहा गया है। बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा द्वारा मन को पवित्र करने, अच्छी बातों का सग्रह करने और पापों से अलग रहने का उपदेश दिया है। बुद्ध का कथन है कि यहूदय को चाहिए कि वह हिंसा, चोरी, असत्य, ध्वंशिचार और मादक वस्तुओं का परित्याग कर दें। उनमें दस अक्षुशल कर्मपथ हैं—हिंसा,

चोरी, व्यभिचार, निम्बाचार, निन्दा, बठोर वापों, अहमन्ता (अभिमान), लोभ, अनूपा और अनरय दार्शनिक विचार । इन दस अकुशल कर्मों से प्रत्येक दृष्ट्य को पृथक् रहने के लिए कहा है ।

ध्यान के चारों प्रकारों द्वारा समाधि प्राप्त की जा सकती है । उनसे मन संतुलित तथा एकाग्र बना रहता है । ऐहिक पदार्थों की निःसारता, अनिःसृता और दुःख से मुक्ति के लिए यह चेतनाओं, बारह आयुजनों से बनी अष्टादाशविध ध्यानुजों का ज्ञान आवश्यक है । इन सभी विचारों को सैद्धान्तिक रूप पाटलिपुत्र की परिपद् में दिया गया था ।

सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य कुमारलाल हुए और आचार्य बुद्धशोय, बुद्धदत्त तथा धम्मपाल ने इस परम्परा को अपनी गभीर कृतियों द्वारा परिपुष्ट किया ।

सौत्रान्तिकों का दार्शनिक अभिमत है कि सत्ता सत्य है और निर्वाण भी सत्य है । अर्थात् वित्त और वाह्य पदार्थ, दोनों सत्य हैं । यदि वाह्य पदार्थों की मत्स्यता को नहीं माना जाता तो वाह्य वस्तुओं की प्रतीति नहीं हो सकती है । विज्ञानवाद का समर्थन करते हुए सौत्रान्तिक कहते हैं कि वस्तु और उसका ज्ञान समकालीन नहीं है । जब हम घट को देखते हैं, तो वह बाहर विद्यमान रहता है, किन्तु उसका ज्ञान हमारे अन्दर निहित है । इसलिए वस्तु का अलग स्थान है और उसके ज्ञान का अलग । जिस प्रकार वाह्य वस्तुओं की निश्चित मत्स्यता नहीं है, उसी प्रकार उनके ज्ञान की श्रेणियाँ अनन्त हैं । सौत्रान्तिकों ने ज्ञान के चार कारण बताये हैं—आलम्बन, समनन्तर, अधिकारी और सहकार्य । ज्ञान के इन्हीं चार प्रत्ययों या कारणों के आधार पर समस्त वस्तुओं को चार कोटियों में निर्धारित किया गया है ।

वैभाषिक

हीनयान सम्प्रदाय की दूसरी शाखा वैभाषिक के नाम से प्रचलित है । यह मत सर्वान्तिवादी है । सम्राट् अशोक के संरक्षण और आचार्य दनुमित्र की अध्यक्षता में पाँच सौ भिक्षुओं की बौद्ध मंगीति ने आर्य कात्यायनीपुत्र विरचित 'ज्ञानप्रस्थानशास्त्र' पर एक टीका लिखी थी, जिसका नाम 'विभाषा' रखा गया । इसी टीका के आधार पर इस सम्प्रदाय का नामकरण 'वैभाषिक' हुआ । सम्राट् कनिष्क ने इस सम्प्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था । आर्य कात्यायनीपुत्र बुद्ध के शिष्य माने जाते हैं । इस सम्प्रदाय की समस्त ग्रन्थ-सम्पदा, संस्कृत तथा पालि में न होकर चीनी तिब्बती अनुवादों के रूप में उपलब्ध है । इस सम्प्रदाय के आचार्यों में मनोरथ तथा सधम्म का नाम प्रमुख है ।

वैभाषिकों के मतानुसार प्रत्येक सांसारिक वस्तु में अनन्तसत्ता विद्यमान है। इसलिए प्रत्येक सांसारिक वस्तु सत्य है और निर्वाण भी सत्य है। प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब प्रत्यक्ष उपाय से काम लें। यह ठीक है कि धुआँ को देखकर हम आग के होने का अनुमान लगा लेते हैं। यह इसलिए मभव है, क्योंकि धुआँ और आग के सांनिध्य का हमारा सस्कार अनादि है। इसके विपरीत यह भी सभावना की जा सकती है कि जिस व्यक्ति ने आग और धुआँ को कभी भी एक साथ नहीं देखा है, वह धुआँ मात्र को देखकर आग का अनुमान कैसे लगा सकता है? इसलिए यह सिद्ध होता है कि जिसने वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, वह कल्पना या अनुमान के आधार पर उसका स्वरूप निश्चित नहीं कर सकता है। अतः हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि वस्तु के प्रत्यक्ष हुए बिना उसका ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतः वैभाषिक मत प्रत्यक्षवादी है।

महायान

महासाधिकों ने ही महायान-सम्प्रदाय को जन्म दिया। महासाधिक भिक्षुओं ने विनय के नियमों को सुसम्बद्ध करके बौद्धधर्म की लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्होंने धर्म तथा सध के तीन नये आदर्शों को स्थापित किया, नये सूत्रों का निर्माण किया और प्रथम संगीति में निर्णीत सूत्रों के साथ उनको योजित किया। इस प्रकार सूत्रपादों का पाठ निश्चित किया। धेरवाद से अलग करने के लिए महासाधिकों ने अपने सूत्रपादों के नये संकलन को 'आचारिकवाद' नाम से प्रचलित किया।

महासाधिकों का एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ 'महावस्तु-अवदान' है। अन्य ग्रन्थ तिब्बती-चीनी अनुवादों के रूप में मिलते हैं। यद्यपि इस सम्प्रदाय की अनेक शाखाएँ हुईं, किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से दो प्रमुख हैं, जिनके नाम हैं योगाचार और नाग्यमिक।

योगाचार

महायान-सम्प्रदाय की एक शाखा योगाचार नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके संस्थापक आर्य मैत्रेय या आचार्य मैत्रेयनाथ (३०० ई०) थे। इस शाखा के अनुयायी प्रथमवारों में असग, वसुबन्धु, स्थिरमति, दिङ्नाग, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, शातरक्षित और कमलशील आदि का नाम उल्लेखनीय है। असग ने इस शाखा को 'योगाचार' नाम दिया और वसुबन्धु ने 'विज्ञानवाद'।

योग द्वारा बोधि (ज्ञान) प्राप्त करने के कारण इस सम्प्रदाय को 'योगाचार' नाम से कहा गया। योगाचार नाम के विचारकों ने दर्शन के

व्यावहारिक पक्ष की व्याख्या की, जबकि विज्ञानवाद नाम के अनुयायियों ने उसके वैचारिक पक्ष की व्याख्या की।

योगाचार मत के सैद्धान्तिक या वैचारिक दृष्टिकोण को 'विज्ञानवाद' कहा जाता है। विज्ञानवाद के अनुसार, प्रतिबिम्ब के द्वारा बिम्ब का आनुमानिक ज्ञान असत्य एवं मिथ्या है। चित्त ही एकमात्र सत्ता है, जिसके अभाव को हम जगत् के नाम से कहते हैं। चित्त ही विज्ञान है।

चित्त की सत्ता को सर्वोपरि मानने के कारण विज्ञानवादी आचार्यों का कहना है कि शरीर तथा जितने भी अन्य पदार्थ हैं, वे सभी हमारे चित्त या मन के भीतर विद्यमान हैं। जिस प्रकार हम स्वप्न तथा मतिभ्रम के कारण वस्तुओं को बाह्य समझ बैठते हैं, उसी प्रकार मन की साधारण अवस्था में हमें जो पदार्थ बाहरी प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में वैसे नहीं हैं। दृष्टिविकार के कारण हम वस्तुओं को बाह्य समझ बैठते हैं। उदाहरण के रूप में यदि भ्रमवश हम एक चन्द्रमा को दो देखते हैं, तो वह हमारे वस्तुज्ञान की न्यूनता है। जो वस्तु वास्तव प्रतीत होती है, वह मन के विकार के कारण है, यथार्थ में वह वैसी नहीं है। इसलिए ज्ञान से वस्तु को भिन्न मानने का कोई कारण नहीं है। इस मत के अनुसार समार असत्य और निर्वाण सत्य है।

माध्यमिक

महायान सम्प्रदाय की दूसरी शाखा माध्यमिक है। भगवान् तथागत ने वाराणसी में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था, वह मध्यममार्ग से सम्बन्धित था, जिसके आधार पर आगे चलकर माध्यमिक मत का प्रवर्तन हुआ। इस सम्प्रदाय की स्थापना यद्यपि नागार्जुन से पहले हो चुकी थी, किन्तु उसको सैद्धान्तिक रूप देकर स्वतंत्र रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य आचार्य नागार्जुन (२०० ई०) ने किया। नागार्जुन का प्रज्ञापारमिता-सूत्र या 'माध्यमिककारिका' इस सम्प्रदाय का प्रौढ ग्रन्थ है। नागार्जुन के बाद आर्यदेव, बुद्धचालित, भावविवेक, चन्द्रकीर्ति और शान्तिदेव आदि विद्वानों ने मौलिक कृतियों तथा भाष्यों का निर्माण कर इस मत को परिपुष्ट किया। बुद्धचालित ने माध्यमिक मत की 'प्रासंगिक' और भावविवेक ने 'स्वातन्त्र', दो उपशाखाओं की स्थापना की। चीन, तिब्बत और जापान आदि में माध्यमिक मत का पूर्ण विकास हुआ।

माध्यमिक मत का दार्शनिक सिद्धान्त 'शून्यवाद' के नाम से कहा जाता है। शून्यवाद के अनुसार चित्त अस्वतन्त्र पदार्थ है, उसी प्रकार विज्ञान भी क्षणिक है। 'शून्य' ही परमार्थ है। जगत् की सत्ता व्यावहारिक और शून्य की सत्ता पारमार्थिक है, जो कि अन्तिम सत्य है। 'निर्वाण' भाव तथा

अभाव से पृथक् एक अनिर्वचनीय तत्त्व है। नागार्जुन ने 'शून्यवाद' की 'प्रतीत्यसमुत्पाद' के नाम से व्याख्या की है।

महायान की लोकप्रियता

बौद्धधर्म नैतिक नियमों पर आधारित धर्म है। उसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है और न ही ईश्वर को मनुष्य का भाग्यविधाता माना गया है। बुद्ध ने कर्म द्वारा मुक्ति (निर्वाण) प्राप्त करने का सहज मार्ग बताया है। किन्तु बुद्ध-निर्वाण के तीन-चार सौ वर्ष बाद महायानी बौद्धों ने बुद्ध को मनुष्य के भाग्य का शासक और वरदान देनेवाला बताया। बौद्धधर्म भक्ति पर आधारित धर्म बन गया और मुक्ति भक्ति एवं भावनामय प्रार्थना पर आधारित हो गई। महायान के इस ईश्वरवादी दृष्टिकोण ने ब्राह्मण-परम्परा के धर्म-सम्प्रदायों को भी प्रभावित किया। इससे महायान की लोकप्रियता को बल मिला। महायान के अनुयायी बोधिसत्वों की स्वाजित पुण्यकर्मों को पराप्त करने की यह उदार भावना वस्तुतः परम्परागत वामुदेव भक्ति के आत्मसमर्पण की भावना से प्रभावित हुई। उधर पौराणिक धर्म में बुद्ध को अवतारों की श्रेणी में परिगणित कर उन्हें देवत्व का स्थान दिया गया और विष्णु के नारायण, कृष्ण तथा राम के अवतारों की भाँति पूजा गया। वैदिक धर्म और बौद्धधर्म में एकता स्थापित करने का यह लोकप्रिय प्रयास महायानी बौद्धों की देन है। बौद्धधर्म की इस लोकप्रियता का प्रसार चीन, तिब्बत जापान तथा एशिया के विभिन्न देशों में हुआ।

बौद्धधर्म और ब्राह्मण-धर्म

परम्परागत वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक युग में कर्मकाण्ड की जटिल क्रिया-पद्धतियों से समाप्त होकर एक वर्ग विशेष का धर्म बन गया था और उसी के विरोध में जैन-बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। फिर भी हिन्दुत्व (भारतीयता) की जिस उदात्त परम्पराओं एवं सनातन मान्यताओं की रक्षा तथा उनके सवर्द्धन और विकास के लिए जिस प्रकार वैदिक एवं पौराणिक परम्परा के विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों का योगदान रहा है, ठीक उसी प्रकार जैन तथा बौद्ध धर्मों का भी योगदान रहा। इन रूप में भारत-मूल के जितने भी धर्म-सम्प्रदायों का उदय हुआ, उन सबका एक ही उद्देश्य या लक्ष्य रहा—हिन्दुत्व या भारतीयता की उन्नत परम्पराओं एवं आस्थाओं को परिपुष्ट तथा सशक्त करना।

बृहत्तर वैदिक भारत में आर्य तथा आर्येतर जातियों के समन्वित आचार-विचारों के समन्वय से जिन सार्वभौम एवं व्यापक हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा हुई

धी, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्धधर्म आदि जितनी भी धर्म शाखाओं का समय-समय पर उदय हुआ, वे सब उसी मूल सार्वभौम धर्म के अंग थे। जिस प्रकार जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायी ब्राह्मण तथा ब्राह्मणपंथर जातियों के लोग रहते आये हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण धर्म के विकास में भी समाज के सभी जाति-वर्गों के लोगों का समान योगदान रहा है।

उत्तर वैदिक युग में जिस वर्णाश्रम व्यवस्था का उदय हुआ, वह कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित थी। सामाजिक व्यवस्था का एकाधिकार का स्वामित्व एक वर्गविरोध में केन्द्रित हो गया था। समस्त सामाजिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का सार्वभौम स्वरूप अवरुद्ध हो गया था। इस अवरोध तथा एकाधिकार का विलक्षण कर बुद्ध ने राष्ट्र में सामाजिक सामंजस्य की स्थापना की। 'भगवद्गीता' (१।२१) में वैदिक यज्ञों की विनश्वरता का उपनिषदों में भी समर्थन किया गया। साख्यदर्शन में (साख्यकारिका, कारिका २) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैदिक यज्ञ पशुहिंसा के कारण अपवित्र हैं, वे विनाशायुक्त हैं और उनमें वर्णगत भेद भाव हैं। 'भगवद्गीता' (२।५७, १।२६-२७) में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कर्म भक्ति तथा वैराग्य की भावना से किये जायें, तो वे अनुकूल फलदायी होते हैं।

बुद्ध ने वैदिक यज्ञों में विहित पुण्यो में दान को श्रेष्ठतर यज्ञ कहा है। धर्म तथा सध के शरणागत हो जाना और नियमित होकर शिला-पदों का पालन करना ही श्रेष्ठ यज्ञ है (थामस लाइफ ऑफ बुद्धा, पृ० १७६)। दान करने से पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा दान द्वेष-मुक्त और प्रसन्नचित्त होकर किया जाना चाहिए (अगुत्तर० ३।३३७)। बौद्धधर्म में जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा सर्वभूतानुकम्पा के नीति नियम एवं आचार धर्म हैं, उनका आधार धर्मसूत्र तथा स्मृतियाँ हैं। इस दृष्टि से 'मनुस्मृति' तथा 'धम्मपद', दोनों में एकममानता देखने को मिलती है (मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म, पृ० ६८)।

यद्यपि जीवन तथा जगत् के प्रति वैराग्य एवं निरपेक्षता का प्रतिपादन उपनिषदों में हो चुका था। किन्तु उनको व्यावहारिक रूप में लोक प्रचारित करने का प्रयास बुद्ध की शिक्षाओं से हुआ। बुद्ध ने समाज के समस्त वैराग्य के दृष्टिकोण को बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जीवन का वास्तविक मुख जीवित रहकर सासारिक उपभोगों में नहीं, अपितु मरणा-परान्त पुन जीवन धारण न करने में है। बुद्ध का यह निवृत्तिवादी दृष्टिकोण था, जिसने ब्राह्मण धर्म-शाखाओं तथा दर्शनकारों को प्रभावित किया।

बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया, उसमें आचार की श्रेष्ठता थी। उन्होंने बताया कि मनुष्य इसलिए इतनी बेचाराओं दुःखों तथा पीड़ाओं से सतत एवं

आक्रान्त है, क्योंकि यह आचारो का पालन नहीं करता । कर्मों के अभ्यास से आचारो के सम्पादन में अभ्यास होता है और आचारनिष्ठ जीवन में निर्मलता तथा शान्ति का आधान होता है ।

बुद्ध ने उपनिषदों (ईश ६) के 'सर्वभूतहिते रत' की भावना को प्राणि-मात्र की दया भावना के रूप में अपनाया । 'भगवद्गीता' में 'स्थितप्रज्ञ' का जो स्वरूप है वही स्वरूप बौद्धधर्म में 'निर्वाण' का है ।

इस प्रकार कर्मों के सम्पादन और आचारो के प्रतिपालन की दृष्टि से बौद्धधर्म तथा ब्राह्मण-धर्म की मूल मान्यताओं में पूर्ण सामञ्जस्य है और इस दृष्टि से दोनों धर्मों की मूल प्रवृत्तियाँ एक दूसरे से प्रभावित हैं ।

सिद्धान्त-निरूपण

चार आर्य सत्य

तथागत बुद्ध ने चार आर्य (सनातन) सत्यो के अन्तर्गत जगत् के मूल में जो महान् अभाव दुःख है, उसको भली भाँति समझाया है । उसको बुद्ध न सत्कार की अशान्ति तथा उत्पीडन का मूल कारण बताया है । बुद्ध ने दुःख, दुःख का कारण, दुःख का अन्त और दुःख के अन्त का उपाय—इन चार आर्यसत्यो की विस्तार से व्याख्या की है । बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दुःख और दुःख-क्षय के सिद्धान्त को समस्त भारतीय दर्शनों में अपने-अपने ढंग से प्रतिपादित किया गया है ।

१. दुःख का स्वरूप

मानवमात्र की सुख-शान्ति के लिए भगवान् बुद्ध ने जिस सरल उपाय को सोज निकाला था, उसकी प्रेरणा उन्हें 'दुःख' से मिली थी । जरा, मरण, शोक और रोग की विभीषिकाओं के कारण उन्होंने गृह-त्याग किया था । बोधि प्राप्त करने के बाद सबसे पहले उन्होंने इन्हीं विभीषिकाओं पर विचार किया । दुःख-सत्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा—'यह जन्म भी दुःख है, यह बुढ़ापा भी दुःख है, मरण, शोक, हृदन, अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग और इच्छित वस्तु की अप्राप्ति—ये सभी दुःख हैं । रूप, वेदना, सज्ञा, सस्वार और विज्ञान इन पाँचों उपादान रूपायों को उन्होंने 'दुःख' कहा है ।

पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों महाभूत ही 'रूप' हैं । वस्तुओं से हमारा सम्बन्ध स्थापित होकर उनके कारण जब हम सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, उस स्थिति का नाम 'वेदना' है । पूर्व सत्कारों के कारण हमारे हृदय में जो 'यह वही वस्तु है' ऐसा भावोदय होता है, उसी को 'सज्ञा' कहते हैं । रूपों तथा सज्ञाओं की जो छाया तथा स्मृति हमारे मस्तिष्क में बनी

रहती है और जिनकी सहायता में हम विभी वस्तु को पहचानते हैं, उसी का नाम 'सस्वार' है। चेतना या मन को 'विज्ञान' कहते हैं।

ये पाँच 'उपादान स्कन्ध' हैं जो तृष्णा का स्वरूप धारण करके दुःख का कारण बनते हैं।

२. दुःख का कारण

दुःख समुदय (हेतु) दूसरा आर्यसत्य कहा गया है। जिन पाँच उपादान स्कन्धों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे ही दुःख के कारण हैं। दुःख को यद्यपि सभी दार्शनिक मानते हैं किन्तु उनके कारणों के सम्बन्ध में मत-मतान्तर है। दुःख का प्रबल कारण तृष्णा है। भोग की तृष्णा, भव की तृष्णा और विभव की तृष्णा—ये अनेक रूप तृष्णा के हैं। इन्द्रियों के जितने विषय हैं, उनकी स्मृति तृष्णा को जन्म देती है। इसी 'तृष्णा' के लिए पारस्परिक द्वन्द्व तथा सघर्ष होते हैं।

बुद्ध ने 'प्रतीत्यसमुत्पाद' के सिद्धान्त में बतलाया है कि द्वादश निदान दुःख के मूल कारण हैं। वे त्रिकालजीवी हैं और उनकी शृंखला ऐसी बनी है, जो निरन्तर उत्पन्न होती रहती है। इस शृंखला को 'भवचक्र' कहा गया है।

३. दुःख का अन्त

ऊपर दुःख का कारण जिम तृष्णा का उल्लेख किया गया है, उसी के निरोध से ही दुःख का अन्त बताया गया है। इस तृष्णा का परित्याग तथा विनाश तब होता है, जब कि मन को अत्यन्त प्रिय लगने वाले विषयों से विमोह हो जाता है। विषयों की ओर से जब मन विमुक्त हो जाता है, तब भव (लोक) का निरोध होता है। भव के निरोध से पुनर्जन्म की आशकाएँ मिट जाती हैं, और जब जन्म-मरण पर नियंत्रण पाया जाता है, तब शोक, विषण्णता, दुःख, तथा कष्ट आदि सब भयों का नाश हो जाता है, अर्थात् इन सब का उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इसी को 'दुःखो का अन्त' कहा गया है। यह दुःख निरोध समस्त बौद्ध-दर्शन और तथागत के उपदेशों का सार है। इस दुःख निरोध की अवस्था को प्राप्त करने मनुष्य जीवित्वावस्था में ही निर्वाण का सुख प्राप्त कर सकता है।

४. दुःखों के अन्त का उपाय

दुःख क्या है, वह क्यों होता है और उसके अन्त कर देने से क्या लाभ है—बुद्ध के इन तीन आर्यसत्त्वों के अनन्तर चौथा आर्यसत्य है—दुःखों के अन्त करने का उपाय। जिन कारणों से दुःख का उदय होता है, उनके नष्ट

करने के उपायो को ही निर्वाण-मार्ग कहा गया है। इस दुःखनिरोध के उपायो या निर्वाण-मार्ग को 'अष्टांगिक' कहा गया है। गृहस्थ हो या सन्यासी, इन आठ मार्गों पर चल कर अपना अभ्युदय कर सकता है। इन आठ मार्गों के नाम हैं—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका, सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि।

अनात्मवाद

तथागत बुद्ध अनात्मवादी विचारक थे। बुद्ध के मतानुसार इस दुःखमान जगत् की सभी वस्तुएँ विनाशशील, अतएव अनित्य हैं। उनमें एक क्षण के लिए भी स्थिरता नहीं है। इसलिए जीव के भीतर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसको आत्मा कहा जा सके। रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार और विज्ञान—इन पाँचों का तत्पात ही यह जीवन (शरीर) है। जगत् की ये सार-स्वरूप पाँचों श्रेष्ठ वस्तुएँ अनित्य हैं, और अनित्य होने के कारण दुःखप्रद हैं। यदि वे दुःखप्रद हैं तो उनके सम्बन्ध में यह सोचना है कि 'यह मेरा है', 'यह मैं हूँ' या 'यह मेरी आत्मा है', सर्वथा अयुक्त है।

बुद्ध की मान्यता है कि इस क्षणभंगुर ससार में निर्वाण को छोड़कर सभी वस्तुएँ विनाशशील तथा परिवर्तनशील हैं। हमारी यह काया ही जब विनाशशील है, तो आत्मा जैसी स्थिर वस्तु उसमें रह ही कैसे सकती है? जन्म मरण के सम्बन्ध में जब किमी ने बुद्ध से प्रश्न किया, तो उस जिज्ञासु को बुद्ध ने समझाया कि 'शरीर ही आत्मा है'—ऐसा मानना एक अन्त है और 'शरीर से भिन्न आत्मा है'—ऐसा मानना दूसरा अन्त है। मैं इन दोनों को छोड़कर मध्यमार्ग का उपदेश देता हूँ।

बुद्ध को केवल 'शरीरात्मवाद' ही अमान्य नहीं, अपितु सर्वान्तर्यामी, नित्य, ध्रुव तथा शाश्वत ऐसा अनात्मवाद भी उन्हें अमान्य है। उनके मत से न तो आत्मा शरीर से अत्यन्त भिन्न ही है और न आत्मा शरीर से अत्यन्त अभिन्न है। ससार में सुख, दुःख, कर्म, जन्म, मरण, बन्ध, मोक्ष आदि सब हैं, किन्तु इन सबका कोई स्थिर आधार नहीं आया है। ये अवस्थाएँ एक नई अवस्था को उत्पन्न कर फिर नष्ट हो जाती हैं। पूर्व का न तो मर्त्या उच्छेद होता है और न यह नित्य ही है। इसलिए 'आत्मा' नाम से कोई स्थिर, नित्य एवं शाश्वत वस्तु नहीं है।

पुनर्जन्म

बुद्ध अनात्मवादी थे, किन्तु पुनर्जन्म को मानते थे। बुद्ध का कथन है कि जीव का इससे पहले कोई जन्म अवश्य था, जिसके कारण वह अनादि

काल से अज्ञान (अविद्या) के अन्धकार में पड़ा हुआ है। ये जन्मांतर के बुरे कर्म ही 'संस्कार' हैं। उन कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य इस जन्म में आया इसका रहस्य विज्ञान' बताता है। जन्म धारण करने के बाद मनुष्य को नाना 'नामरूप' अर्थात् भौतिक तथा मानसिक स्वरूप मिला। उनके बाद उसमें छ इन्द्रियो का समावेश हुआ और तब उसको 'षडायतन' कहा गया। इन्द्रियो के प्राप्त हो जाने के बाद जीव में बाह्य जगत् के 'स्पर्श' का आधान हुआ, जिसके फलस्वरूप उसको 'वेदना' का अनुभव हुआ। इन्द्रिय तथा विषयो का संयोग होने पर उसमें 'तृष्णा' का आविर्भाव हुआ, जिससे उनकी सुखप्रद वस्तुओं के प्रति अभिरुचि हुई। इसी अभिरुचि को 'उपादान' (ग्रहण करना) या आसक्ति कहा जाता है। इस प्रकार वह 'भव' (संसार) के अच्छे-बुरे कार्यों की ओर प्रवृत्त हुआ। इन कर्मों के परिणाम-स्वरूप उसको दूसरे जन्म (जाति) में लिप्त होना पड़ा, जिसका कारण मृत्यु, अर्थात् जरा-मरण है।

इस दृष्टि से पूर्वजन्म का सम्बन्ध भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से है। यह 'भवचक्र' मनोवैज्ञानिक है। किन्तु बुद्ध का कहना है कि मनुष्य या जीव जब तक इस 'भवचक्र' में घूमता रहता है तब तक उसका यह अज्ञान नष्ट नहीं होता है, जो कि तृष्णा का कारण है। इस प्रकार बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और उससे मुक्ति पाने के लिए अविद्या से लेकर जरा मरण के बारह कारणों की शृंखला को विच्छिन्न करने के लिए ज्ञान को एकमात्र साधन बताया है।

जीव का वर्तमान जीवन, उसके पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का परिणाम है। और उसके वर्तमान जीवन के कर्म उसके भावी जीवन का फल निर्धारित करते हैं। यह कर्मफल जीव के चरित्र के अनुसार मिलता है। जैसा कर्म जो करेगा, वैसा ही फल उसको मिलेगा। किन्तु यह समझना भूल है कि जीव कर्मों के अधीन है। वह कर्मों से नहीं बँधा है। उसके वर्तमान चरित्र पर निर्भर है कि वह अपना भविष्य पापमय बनाये या पुण्यमय। कर्मों को करने के लिए मनुष्य धार्मिक जीवन बिताता है। दुःखों से छुटकारा पाने के लिए वह अच्छे कर्म करता है। 'भवचक्र' के अनुसार कारण कार्य तथा कर्म-कर्मफल की शृंखला अटूट रूप से बनी रहती है। जन्म और मरण उसी के फल हैं। इस 'भवचक्र' से, आध्यात्मिक जीवन बिताते हुए पूर्व कर्मों का नाश और पर कर्मों का संचय करके मुक्ति पाई जा सकती है।

जन्म मरण का आत्यन्तिक अभाव ही मुक्ति या निर्वाण है। निर्वाण ज्ञान की अन्तिम अवस्था है। उससे पूर्व कर्मों की शृंखला अज्ञान और

वासनाओं का कारण है। निर्वाण के बाद वह (श्रृंखला) विच्छिन्न हो जाती है।

इस प्रकार बुद्ध ने पुनर्जन्म का कारण कर्मों की श्रृंखला बताई है और सत्त्वमों के द्वारा पुण्यो का संचय करने के उपरान्त ज्ञान का उदय होता है और तब वह भवत्रन्ध से मुक्त होकर 'निर्वाण' की सदाशाय अवस्था को प्राप्त करता है।

निर्वाण और उसका स्वरूप

बौद्धधर्म दर्शन में निर्वाण का सिद्धान्त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष ही निर्वाण है। निर्वाण, अर्थात् जीव के मर जाने के बाद क्या होता है, इस सम्बन्ध में बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति अनात्मवाद को जान लेता है, उसके लिए निर्वाण की अवस्था का जानना शेष नहीं रह जाता है। इस सम्बन्ध में अधिक कहना उन्होंने वैसे ही व्यर्थ समझा, जैसे कि अज्ञानी बालक के सामने रहस्यात्मक गूढ़ बातों को व्याख्या करके उसे चीका दिया जाये। इसको उन्होंने 'अव्याहृत' (अकथनीय) कहा है। लोक, अनित्य, जीव, शरीर, पुनर्जन्म और निर्वाण के सम्बन्ध में बुद्ध ने कहा कि उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'मैं इन दस अव्याहृतों (अकथनीयों) के सम्बन्ध में कुछ कहना इसलिए उपयुक्त नहीं समझता हूँ, क्योंकि न तो ये ब्रह्मचर्य के लिए उपयुक्त हैं और न वैराग्य, न शान्ति तथा न निर्वाण के लिए ही।'

बुद्ध की विचारदृष्टि में 'सर्वथा बुझ जाने' की अवस्था ही निर्वाण है। विच्छिन्न प्रवाह के रूप में उत्पन्न नाम रूप तृष्णा के बसीभूत होकर जो एक जीवन का रूप धारण कर सतत गतिशील है, इसी गति या प्रवाह का सर्वथा विच्छेद हो जाता ही निर्वाण है। दीपक में डाले गये तेल के समाप्त हो जाने पर जैसे दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार काम, भोग, पुनर्जन्म और आत्मा के नित्यत्व आदि आस्रवों के क्षीण हो जाने पर आवागमन नष्ट हो जाता है। बुद्ध ने उस अवस्था को निर्वाण की अवस्था कहा है, जहाँ तृष्णा नष्ट हो जाती है और भोगादि आस्रवों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है।

भोगादि आस्रवों के सम्बन्ध में बुद्ध ने कहा है—'जिनके पापों का संचय नहीं रहा, या जिनका भोजन मात्र परिग्रह शेष रह गया है, तथा आस्रव क्षीण हो गये हैं, उन्हें यह शून्यात्मक या अग्निमित्तक भोक्ष गोबर के समान है. (धम्मपद, गाथा ९२-९३)। 'जो पापकर्मों मनुष्ययोनि या पशुयोनि में उत्पन्न होते हैं। कोई तरक और कोई मुमति से स्वयं को जाते हैं। किन्तु जिनमें आस्रव नहीं रहा वे परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अन्तरिक्ष, समुद्र,

पवंतशिखर आदि ससार भर में कोई ऐसा स्थान नहीं, जहाँ जाकर पापी कर्मफल पाने से छूट सके' (धम्मपद, गाथा १२६-२७) ।

राग, द्वेष, घृणा और कर्म—ये सब बन्धन के बीज हैं । इन्हीं से पूर्वजन्म परजन्म का चक्र चलता है । किन्तु बीज का निरोध कर देने से वह अकुरित तथा फलवित नहीं हो पाता । जैसे भूँजे हुए बीज को धरती में बोने से वह उग नहीं पाता, उसी प्रकार कर्म-बन्धनों के बीजों को निरुद्ध कर देने से वे फिर फलते नहीं हैं ।

निर्वाण का आशय जीवन की समाप्ति नहीं है, अपितु वह जीवन की अनन्त शान्ति की अवस्था है । निर्वाण का आशय है मृत्यु के बाद सर्वथा अस्तित्वरहित हो जाना । निर्वाण से जो 'बुझने' का अर्थ लिया जाता है, उसका आशय जीवन का अन्त न होकर लोभ, घृणा तथा हिंसा आदि प्रवृत्तियों का युद्ध जाना है । जब वासनाएँ बुझ जाती हैं, तो भूत जीवन, वर्तमान जीवन और भावी जीवन के जो द्वादश 'भवचक्र' हैं, उनकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है । जीवन में इन आसवों (नशों) का ठण्डा पड़ जाना ही निर्वाण है । इसलिए निर्वाण को 'शितिभाव की अवस्था' कहा गया है । जीवन की यह पवित्रता, शान्ति, शिवत्व और प्रज्ञा की अवस्था है ।

निर्वाण वस्तुतः नि श्रेयस, मुक्ति, अमृत, परमानन्द और परमशान्ति की अन्तिम अवस्था है । वह वर्णनातीत है । वह तर्क और प्रमाण से रहित अकथनीय एवं अलौकिकावस्था है । उस अवस्था तक पहुँचने के लिए बौद्ध दर्शन में आठ मार्ग (अष्टांगिक) बताये गये हैं । बौद्धधर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ, 'धम्मपद' (गाथा १२८) में कहा गया है कि 'स्वास्थ्य की प्राप्ति का बड़ा लाभ है, सन्तोष ही सबसे बड़ा धन है, विश्वास ही सबसे बड़ा सम्बन्धी है, और निर्माण ही परम सुख है ।'

आरोग्या परमा लाभा सनुट्ठि परम धन ।

विस्ताम परमा जाति निब्बाण परम सुख ॥

निर्वाण की अवस्था के सम्बन्ध में बुद्ध ने कई तरह से कहा है । जन्म-मरण की परम दुःखदायी व्याधि से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने कहा है—'मैं अनेक जन्मों रूप ससार में लगातार दौड़ता रहा, और उस गृहकारक शरीर के निर्माता को दूँडता रहा, क्योंकि यह बार-बार का जन्म-मरण दुःखदायी है । ये गृहकारक, अब मैंने तुझे देख लिया है । अब तू पुनः घर न बना पायेगा । मैंने तेरी सब बड़ियों को भग्न कर डाला है । गृहभूट विलय हो गया है, चित्त सस्काररहित हो गया है और मेरी तृष्णा क्षीण हो गई है' (धम्म-पद, गाथा १५३-५४) । यही अवस्था निर्वाण की है ।

साहित्य निर्माण

बौद्ध साहित्य की सम्पदा बहुत समृद्ध एवं सर्वांगीण है। उसकी विपुल ग्रन्थ सामग्री को तीन भागों में विभक्त किया सकता है। उसके प्राचीनतम ग्रन्थ पालि भाषा में लिखे गये। उसके अतिरिक्त दूसरे विभाग के अन्तर्गत उन ग्रन्थों को रखा जा सकता है, जिनका निर्माण संस्कृत में हुआ। तीसरे प्रकार की ग्रन्थ-सम्पदा वह है, जो कि तिब्बती, चीनी तथा सिंहली भाषाओं में सुरक्षित है। बहुधा अनुवादों के रूप में उपलब्ध हैं और वस्तुतः बहुसंख्यक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ऐसे हैं जो अपनी मूल भाषा पालि तथा संस्कृत में प्राप्त न होकर अनुवादों के रूप में या तिब्बती, चीनी, सिंहली आदि लिपियों के रूपान्तरों के रूप में प्राप्त हुई है। उसके प्राचीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ त्रिपिटक है, जो कि पालि में उल्लिखित है।

त्रिपिटक

तथागत बुद्ध के बुद्धत्व (ज्ञान) प्राप्त करने से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका सग्रह-सकलन त्रिपिटको में है। त्रिपिटको में है। त्रिपिटक, अर्थात् बौद्ध ज्ञान-सम्पदा की तीन पिढारियाँ। बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के उपरान्त उनके शिष्यों तथा अनुयायी भिक्षुओं ने समय-समय पर बृहत् परिषदों का आयोजन कर उनका सग्रह-सकलन-सम्पादन कर प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया। त्रिपिटक वस्तुतः अनुश्रुति ग्रन्थ हैं और बहुत समय तक वे श्रुतजीवी रहकर लिपिबद्ध हुए। इन त्रिपिटकों के नाम हैं—मुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिघम्मपिटक। 'मुत्तपिटक' में अनुशासन (नियम-आचार) विषयक उपदेश संकलित हैं, 'विनयपिटक' में उपदेशात्मक वाक्यांशों का सग्रह है और 'अभिघम्मपिटक' में अध्यात्म तथा नीतियों का सकलन है। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र की विद्वत्परिषदों में इनको अन्तिम रूप दिया गया। ३०० ई० पूर्व से लेकर प्रथम शती ई० पूर्व तक इस त्रिपिटक साहित्य का पाठ निर्धारित होता रहा। इन त्रिपिटकों के अन्तर्गत ३४ विभिन्न ग्रन्थ संगृहीत हैं। 'मुत्तपिटक' के अन्तर्गत 'पेरयाणा' 'पेरीयाणा' और 'जातको' का विशेष स्थान है।

अनुपिटक

पिटकों के पश्चात् पालिभाषा में लिखे गये ग्रन्थों को अनुपिटक कहा जाता है। इस अनुपिटक साहित्य के अन्तर्गत 'नेतिप्रकरण', 'पेटकोपदान', 'मुत्तसग्रह', 'मिलिन्दपञ्च', 'विनुद्धिमग्ग', 'अट्टकपाएँ' और 'अभिघम्मत्पत्तसग्रह' का नाम

उल्लेखनीय है। 'मिलिन्दपञ्च' (मिलिन्दप्रश्न) का विशेष स्थान है। नागसेन ने उसको सकलित किया था। त्रिपिटको के बाद उसका स्थान है।

वशग्रन्थ

इनके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य के वशग्रन्थों का नाम उल्लेखनीय है, जो कि सस्या में १२ हैं। ये वशग्रन्थ वस्तुतः महापुराणों की कोटि के हैं। ये भी पालि में उल्लिखित हैं। इनमें 'दीपवश' 'महावश' और 'धूपवश' का नाम विशेष प्रसिद्ध है। इनमें ऐतिहासिक तथा धार्मिक वधाएँ सकलित हैं और उनकी रचना शैली तथा विषय-प्रतिपादन महापुराणों जैसा है।

पुराण

यद्यपि बौद्ध साहित्य में पुराणों का कोई अलग विभाजन नहीं हुआ है, तथापि जातक ही ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें बुद्ध के पूर्वजन्मों के वृत्तान्त दिये गये हैं। उनकी उपकथाओं में दशरथ, राम तथा शृष्ण की जीवन घटनाएँ भी वर्णित हैं। किन्तु नेपाली बौद्ध साहित्य में 'नवधर्म' के नाम से नौ पुराणों का उल्लेख हुआ है। उनके नाम हैं—'प्रज्ञापारमिता', 'गण्डव्यूह', 'समाधिराज', 'लकावतार', 'तयागतगुह्यक', 'सद्धर्मपुण्डरीक', 'ललितविस्तर' 'सद्धर्मप्रभा' और 'दशभूमीश्वर'। इनके अतिरिक्त 'बृहत्स्वयम्भुपुराण' और 'मध्यम-स्वयम्भुपुराण' नामक दो पुराण भी हैं।

पुराणों के नाम में कहे जाने वाले उक्त 'नवधर्म' ग्रन्थों में ब्राह्मण पुराणों की भाँति कथाएँ तथा उपाख्यान आदि सम्मिलित नहीं हैं। किन्तु परम्परा से उनको पुराण ही कहा जाता है।

अन्यान्य ग्रन्थ

पालि भाषा में उल्लिखित प्राचीन ग्रन्थों में काव्यों का उल्लेखनीय स्थान है। इस प्रकार वर्णनात्मक पालि काव्यों में कस्सप का 'अनागतवश', भिक्षु कल्याणप्रिय की 'तेलकटाहयाया' तथा मेघवर का 'जिनचरित' प्रमुख है। इसी प्रकार आख्यानात्मक काव्यों में स्वविर रट्टपाल तथा स्वविर चंदेह की 'रसवाहिनी', शीलवश का 'बुद्धालकार' और सकलित कृतियों में 'सहस्रवत्सुष्पकरण' तथा 'राजाधिराजविलासिनी' मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं।

पालि भाषा में व्याकरण ग्रन्थों की लम्बी परम्परा है। उसमें 'अञ्चायन व्याकरण', 'मोगलान व्याकरण', 'सहनीति व्याकरण', और 'वक्कवाचक' आदि बहुसंख्यक ग्रन्थों का नाम लिया जा सकता है। श्रीलंका और बरमा की बौद्ध परम्परा में विपुल व्याकरण-ग्रन्थों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार

'अभिधानस्पदीपिरा' कोश-ग्रन्थ और 'वृत्तोदय' नामक छन्द-ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

संस्कृत के ग्रन्थकार

बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा में विभिन्न विषयों पर उच्चकोटि की कृतियों का निर्माण हुआ । वस्तुतः बौद्ध साहित्य का व्यापक विस्तार और तत्कालीन ब्राह्मण, जैन आदि प्रतियोगी धर्म-दर्शनो की समक्षता में बौद्धधर्म तथा दर्शन का सर्वांगीण विवेचन संस्कृत के ग्रन्थकारों ने ही किया । जिस प्रकार बौद्धधर्म की स्वविरवादी शाखा का साहित्य पालि में लिखा गया, उसी प्रकार सर्वास्तिवादी शाखा का समग्र साहित्य संस्कृत में उल्लिखित है ।

इस प्रकार के संस्कृतानुरागी बौद्ध विद्वानों में अश्वघोष का नाम प्रथम है । वे सगीतज्ञ, कवि और दार्शनिक थे । उन्होंने 'बुद्धचरित' तथा सौन्दर-नन्द महाकाव्यों के अतिरिक्त 'सूत्रालंकार' तथा 'महायान अष्टोत्पाद' आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की । वे प्रथम शती ई० में हुए और काश्मीर में आयोजित चतुर्थ 'बौद्ध-सगीति' के अध्यक्ष थे । आचार्य नागार्जुन (२री शती ई०) का नाम बौद्ध-जगत् में सुप्रसिद्ध है । वे बौद्ध तत्त्वज्ञान तथा ब्राह्मण दर्शनो के समान रूप से ज्ञाता थे । उन्होंने लगभग १२ कृतियों का प्रणयन किया, जो कि अधिकतर चीनी तथा तिब्बती अनुवादों के रूप में मिलती हैं । उनकी 'माध्यमिककारिका' और 'दशभूमिविभाषाशाखा' बौद्ध-दर्शन की प्रामाणिक कृतियाँ हैं । उनका 'सुहृल्लेख', जो गोतमीपुत्र को सम्बोधित करके लिखा गया है, नीति तथा सदाचार विषयक लोकप्रिय कृति है । आर्य असग और वसुबन्धु दोनों सहोदर भाइयों (५ वी शती ई०) ने योगाचार एवं विज्ञानवाद पर उच्चतम कृतियों का निर्माण किया । वे दोनों विद्वान् बौद्ध दर्शन में 'शास्त्रीय युग' के संस्थापक माने जाते हैं । उनके द्वारा विरचित ग्रन्थों में 'योगाचार भूमिशास्त्र' और 'महायानसूत्रालंकार' का विशेष महत्त्व है । इसी प्रकार वसुबन्धु की श्रेष्ठ कृतियों में 'परमार्थसप्तति', 'अभिधर्मकोश', और 'त्रिजतिमानसार्तिर्त्ति' का विशेष स्थान है ।

आचार्य दिङ्नाग (५ वी शती ई०) को बौद्धन्याय का पिता कहा गया है । उन्होंने बौद्धन्याय पर लगभग सौ ग्रन्थों का प्रणयन किया, जो कि अधिकतर चीनी तथा तिब्बती अनुवादों के रूप में सुरक्षित रहकर आज तक पहुँचे हैं । उनकी प्रसिद्ध कृतियों में 'प्रमाणसमुच्चय', 'न्यायप्रवेश' 'हेतुचङ्-निर्णय' और 'प्रमाणसाम्प्रन्यायप्रवेश' का नाम उल्लेखनीय है । इस परम्परा

मे आचार्य धर्मकीर्ति (६ ठी शती ई०) विज्ञानवादी दार्शनिकों मे प्रमुख स्थान रखते हैं। वे वसुबन्धु के शिष्य थे। उनके ग्रन्थो मे 'प्रमाणवातिक', 'प्रमाणविनिश्चय' और 'न्यायविन्दु' का विशेष स्थान है। तिब्बती भाषा मे धर्मकीर्ति के ग्रन्थो की बड़ी लोकप्रियता रही है।

इनके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य के निर्माता अनेक संस्कृतज्ञ ग्रन्थकार हुए, जिन्होंने विभिन्न विषयो पर उच्चतम कृतियो का प्रणयन कर उसकी स्थाति को बढाया। किन्तु यह एक आश्चर्यजनक बात देखने को मिलती है कि भारत मे बौद्धधर्म जिस प्रकार प्रभावहीन होता गया उसी प्रकार उसका साहित्य भी क्षीण होता गया। आज बौद्ध साहित्य की जो कृतियाँ उपलब्ध हैं, वे अधिकतर तिब्बती, चीनी तथा सिंहली भाषाओ मे सुरक्षित रहकर अब तक पहुँची हैं।

(पाँच)

शैव-सम्प्रदाय और शाक्त-सम्प्रदाय

१. शैवमत

२. शाक्तमत

शैवमत

भारत के धार्मिक इतिहास में शैव तथा वैष्णव, दो मुख्य तथा प्राचीनतम धर्म-शाखाएँ हैं। अपने मूलरूप में दोनों का स्वरूप अभिन्न है, किन्तु क्योंकि वैदिक युग में शिव (रुद्र) और विष्णु, दोनों वैदिक देवताओं के रूप में अलग-अलग उल्लिखित हैं, अतः दोनों की उपामनाओं के मार्ग भी पृथक्-पृथक् रूप से प्रसस्त हुए। फिर भी यह कहना सहज तथा अतर्क्य नहीं है कि दोनों में से प्राचीन कौन है। उपनिषदों में ब्रह्म का तादात्म्य शिव और विष्णु, दोनों में पाया जाता है। इस रूप में भारत की धर्मप्राण जनता ने मुख्य रूप से शैव होने पर भी विष्णु के प्रति देवत्व की निष्ठा बनाये रखी और इसी प्रकार वैष्णव होने पर भी शिव के प्रति भ्रद्धा का भाव बनाये रखा। भारत की यह सन्तन्वयात्मक धर्म-भावना उसकी विशेषता रही है।

शिव का स्वरूप

शैवमत में शिव की आराधना-उपामना का विधान है। यह शैव-साधना कब से प्रचलित हुई और उसका स्वरूप क्या था, इस ऐतिहासिक पक्ष पर विचार करने से पूर्व भारत के मनीषी शास्त्रकारों ने शिव के स्वरूप को किंग रूप में प्रतिपादित किया और लोक में उसकी मान्यता किस रूप में थी, इस मन्तव्य पर विचार करने के उपरान्त ही शिव-साधना की परम्परा पर विचार करना समीचीन होगा।

शास्त्रों में एक ही परमतत्त्व के तीन रूप बताये गये हैं—'ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि-रचना, विष्णु का कार्य सृष्टि-पालन (स्थिति) और महेश या शिव का कार्य सृष्टि-लय है। किन्तु शैव धर्म-दर्शन में शिव को स्वयमेव परमतत्त्व माना गया है और सृष्टि, स्थिति तथा लय, तीनों का वर्तनी माना गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में शिव ब्रह्मस्वरूप हैं और हरिहर के रूप में विष्णुस्वरूप भी।

शिव परम कारुणिक हैं। उनमें अनुग्रह तथा प्रसादगुणों का समन्वय है। उनका उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना है। वे शुभ, कल्याण, मंगल, तथा श्रेय के पर्याय हैं। वे विभिन्न कलाओं तथा सिद्धियों में अधिष्ठाता हैं। योगविद्या, व्याकरण और भ्रंषज्य के प्रवर्तक भी शिव ही हैं। नाट्यशास्त्र के जनक होने के कारण वे 'नाटराज' कहलाते हैं और उनके द्वारा संगीत, नृत्य (लास्य तथा ताण्डव) एवं १०८ प्रकार की नाट्य-मुद्राओं की सृष्टि

हुई। समस्त जीवधारियों के स्वामी होने के कारण उन्हें पशुपति, भूतनाथ एवं भूतपति आदि विभिन्न नामों से स्मरण किया जाता है। वे महाशक्ति से सम्पन्न हैं, अतः 'मायापति' कहे जाते हैं। उमा के पति होने के कारण उन्हें 'उमापति' भी कहा जाता है। कण्ठ में गरल धारण करने से उन्हें 'नीलकण्ठ' कहा जाता है।

पुराणों तथा परवर्ती साहित्य में शिव की योगिराज के रूप में वन्दना की गई है। वे कैलासवासी हैं और व्याघ्रचर्म पर ध्यानलीन हैं। उनके शिर पर जटा-जूट है, जिसमें द्वितीया का नवचन्द्र मुशोभित है। उनकी इसी जटा से जगत्पावनी भगवती गंगा का उद्गम हुआ है। उनके ललाट पर स्थित तृतीय नेत्र ज्ञानलोक का प्रतीक है। इसी से उन्होंने कामदेव का दहन किया था। समस्त अनिष्टों के प्रतीक विष को समाहित करने के कारण वे 'विषपायी' कहे जाते हैं। कण्ठ तथा भुजाओं में वे रुद्राक्ष धारण करते हैं। उनके बायं भाग में पार्वती और समुद्र नन्दी विराजमान हैं। कर में वे त्रिशूल धारण किये हुए हैं।

उनका मूर्त स्वरूप लिंग है, जो कि उनके अविचल स्वभाव, अपरम्पार ज्ञान तथा अनन्य तेज-बल का प्रतीक है, और जनमानस की उपासना-भक्ति का अधिष्ठान है। उनका एक रूप (रुद्र) प्रलयकारी है। अपने इस रूप में वे श्मशान, रणक्षेत्र तथा मृत्यु-स्थानों पर निवास करते हैं और मुण्डमाला धारण किये हुए भूत-प्रेत-गणों से घिरे रहते हैं। वे साक्षात् महाकाल हैं और उन्हीं के भू-विक्षेपमात्र से महाप्रलय की विनाशलीला होती है।

शिव अष्टमूर्ति है, अर्थात् पंचमहाभूत, सूर्य, चन्द्र तथा पुरुष उन्हीं के स्वरूप हैं। बन्धन तथा प्रपञ्च में जीवन्मुक्ति के वे ही एकमात्र आधार हैं। गृहस्थ जीवन की जितनी समस्याएँ-विषमताएँ हैं, जितने अनन्त क्रिया-कलाप, जो सम्बन्ध तथा व्यवहार, जितनी मान्यताएँ तथा परम्पराएँ और भारतीय ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र है, उन सब का यदि एकत्र समन्वय देखने को मिलता है तो वह एकमात्र शिव के स्वरूप में सन्निहित है। भारत की जितनी आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक मान्यताएँ हैं, उन सब का सपुञ्ज यदि किसी एक स्वरूप में देखने को मिलता है, तो वह सर्वांगीणता, सार्व-भौमिकता में ही समाहित है। इसलिए शिव समस्त भारतीय जनमानस के, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी-न-किसी रूप में उनका अस्तित्व या उनकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है।

इस प्रकार शिव समस्त सृष्टि के सार्वभौम क्रिया-कलापों के अधिष्ठान और इस जीव-जगत के अधिपति है।

शैवमत की प्राचीनता

पुराण साहित्य ही एकमात्र ऐसी विपुल ज्ञान-सागरी है, जिसमें विभिन्न देवी-देवताओं तथा धर्म शाखाओं का विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। पुराणों में वर्णित जिन अनेक धर्म शाखाओं का भारत में उदय हुआ उनमें शैवमत का प्रमुख स्थान है। शिव की उपासना आराधना से सम्बन्धित वर्तमान में प्रचलित शैवमत कितना प्राचीन है, इसका निर्धारण करना नितान्त दुष्कर है। यद्यपि ह्रद महाशिव की उपासना-पूजा (लिंगपूजा) का पुरातन अस्तित्व सिन्धु सभ्यता के पुरावोंसे ही सिद्ध होता है, यद्यपि जहाँ तक वर्तमान में शैवमत के प्रचार का प्रश्न है, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वह पौराणिक धर्म के उदय के बाद ही लोकप्रिय हुआ।

लिंगपूजा एवं शिरनपूजा

इतिहासकार विद्वानों का अभिमत है कि समाज में जिस सुदूर पुरातन से मूर्तिपूजा का आरम्भ हुआ, तभी से लिंगपूजा का अस्तित्व विद्यमान था। आर्यों की अपेक्षा आर्योत्तर समुदाय में लिंगपूजा का अधिक प्रचलन था और इसलिए यदि कहा जाये कि लिंगपूजा आर्योत्तर जातियों की देन है, तो अनुपयुक्त न होगा। मोहेन-जो-दड़ो की खुदाई में योगमुद्रा में ध्यानस्थ एक मूर्ति और उसके निचट ही नन्दी अवस्थित हुआ मिला है। इस ध्यानस्थ मूर्ति को शिवमूर्ति कहा गया है और इस आधार पर यह माना गया है कि सिन्धु देशवासी शिव के उपासक थे।

इतिहासकारों और पुरातत्त्वविदों का यह भी अभिमत है कि ईसा से कई शताब्दियों पूर्व न केवल भारत में, अपितु समस्त विश्व में लिंगपूजा का प्रचलन था। पुरातत्त्व के उत्खननों से जो सामग्री प्राप्त हुई है, उससे यह सिद्ध होता है कि मिथ्र, यूनान, काबुल आदि असुरोपासक देशों में और इटली, फ्रांस, अमेरिका तथा पालिनेशिया आदि द्वीपों में परम्परा से लिंगपूजा का व्यापक प्रचलन था। मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद में लिगात्मक प्रस्तर स्वयं मुहम्मद साहिब द्वारा स्थापित बताया जाता है, जिसका प्रत्येक यात्री थका से चुम्बन करता है।

लिंगपूजा के अस्तित्व को बताने वाली जो प्रमाण-सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसकी आदिप्रवर्तक आर्योत्तर जातियाँ थीं। कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के दो मंत्रों (७।२।१।५, १०।१९।३) में उल्लिखित 'शिरनदेव' शब्द के आधार पर आर्यों को शिवोपासक माना है, किन्तु निरुत्तर शिरनदेव (७०० ई०-पूर्व) ने उसका अर्थ 'अब्रह्मचर्य आसक्त'

किया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद में उल्लिखित उक्त शब्द का सम्बन्ध शिवलिंग से स्थापित करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होगा।

लिंगपूजा और शिश्नपूजा में व्यापक अन्तर है। ऋग्वेद का उक्त शिश्नदेव हिन्दुओं की लिंगपूजा का प्रतीक नहीं है, अपितु शिश्नपूजा हिन्दूधर्म में निम्नतम कार्य माना जाता था। हिन्दू परम्परा में शिश्न कामेन्द्रिय का चोत्क है, जब कि लिंग को ज्ञानस्कन्ध का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार के प्रधान एवं सर्व संपूज्य लिंगों की संख्या द्वादश (बारह) मानी जाती है।

पुरातन पुरातात्विक उत्खननों से भी भारत में शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जिनसे लिंगपूजा की प्रसिद्धि का पता चलता है। उदाहरण के लिए बसाठ (वैशाली) और भारनाथ स्थित धामेक स्तूप की खुदाइयों में शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार मोटा ग्राम गुडीमालम (मद्रास) से भी शिवलिंग मिले हैं। रानीगुटा स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित गुडीमालम स्थान से जो लिंग मिला है, उसकी लम्बाई लगभग ५ फुट है और उसका समय पुरातत्वविदों ने २०० ई० पूर्वं निर्धारित किया है (टी० एन० राव हिन्दू इकनोमिस्ट्री, पृ० ६३)।

रुद्र और शिव

पौराणिक आर्य देवता शिव से आर्येतर देवता रुद्र का तारतम्य स्थापित करने से अनेक नये तथ्य प्रकाश में आये हैं। पुरातन आर्य तथा आर्येतर सम्प्रदायों में रुद्र की पूजा उपासना के पुरातात्विक तथा साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध हैं। वेदमंत्रों में रुद्र का अनेक बार उल्लेख हुआ है। एशिया के विभिन्न अंचलों में बिखरी हुई आर्येतर जातियों के उपास्यदेव रुद्र ही रहे हैं। देवताओं में रुद्र का जो स्वरूप, स्वभाव एवं वैभव प्रकाश में आया है, उससे प्रतीत होता है कि रुद्र भयकर क्रोधी तथा सहारक देवता हैं। आर्यमंत्रों में आर्य तथा आर्येतर जातियों के पारस्परिक झुट्टों के कारण रुद्र जैसे शक्ति-सम्पन्न सहारक देवता की आवश्यकता हुई। यही प्रभाव रुद्र का आगे भी बना रहा। उत्तर वैदिक युग, विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों के समय, अश्वमेधादि यज्ञों की सम्पन्नता के लिए विजिगीषु राजाओं ने रुद्र को अपना उपास्यदेव वरण किया और उसके अनुग्रह से शक्तिशाली शत्रु पर विजय प्राप्त की।

शिव, जो कि पुरातन रुद्र हैं, अपने विभिन्न नाम रूपों में मूलतः वे आर्येतर जातियों के आराध्यदेव थे। पुराणों से ज्ञात होता है कि हिरण्यकशिपु, रावण, बाणासुर तथा भस्मासुर आदि जितने भी प्रभावशाली आर्येतर प्रतिनिधि हुए, वे सब शिवोपासक थे और उन्हें शिव का वरदान प्राप्त था। इन वर-प्राप्त आर्यभिन्न प्रतिनिधियों को पराजित करने के लिए आर्यजनों ने इन्द्र

तथा विष्णु का आश्रय लिया था और उनसे सहयोग से लम्बे युद्ध के बाद किसी प्रकार उन पर विजय प्राप्त की। इन्हीं विजयों का परिणाम था कि रावण के भाई मिथीपण और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद ने विष्णु भक्ति में अपनी निष्ठा व्यक्त की।

शैव मतानुयायियों में शिवोपासना का जो स्वरूप वर्तमान समय में प्रचलित है, उसका सम्बन्ध पुरातन रुद्र से है। इस सम्बन्ध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। मूल मन्त्र संहिताओं में बहुत बाद तक, लगभग पुराणों के समय तक, शिवभक्ति का प्रचार नहीं हुआ था। प्रमुख एकादशोपनिषदों में 'श्वेताश्वतरोपनिषद्' के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपनिषद् में शिव का उल्लेख नहीं हुआ है। इस उपनिषद् के एक स्थान (३।२) पर 'अद्वितीय रुद्र' का उल्लेख हुआ है, जिसका सम्बन्ध शिव से स्थापित किया जा सकता है। इसी उपनिषद् के एक दूसरे स्थल (४।१०) पर स्पष्टतः 'महेश्वर' शिव का उल्लेख हुआ है—'माया तु प्रकृति विद्याग्मायिनं तु महेश्वरम्'।

उक्त उपनिषद् ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य उपनिषदों में शिव के अद्वैत, अनादि, परब्रह्म स्वरूप को ही ग्रहण किया गया। उनके आराधनीय स्वरूप को नहीं। पुराणों के समय तक शिवोपासना प्रायः आर्योत्तर जातियों में ही प्रचलित थी। आर्यों के शिवोपासना के प्रचलन के मूल में सभ्यत सती का प्राणत्याग था। प्रजापति दक्ष ने यद्यपि अपनी कन्या सती का विवाह शंकर से किया था, किन्तु शंकर के प्रति दक्ष की अनिच्छा तब भी बनी हुई थी। परम्परा से आर्यों तथा आर्योत्तर जातियों में जो तर्पण चला आ रहा था, इस पारंपरिक विरोध को समाप्त करने के लिए सती ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। तभी से आर्य-सभ्यता में शिव को आराध्यदेव के रूप में अपनाया गया।

पशुपति और शिव

'महाभारत' के समय जिस प्रकार रुद्र के साथ शिव की अभिन्नता स्थापित हुई, वही प्रकार पशुपति को भी शिव का स्वरूप माना जाने लगा। अर्जुन ने शंकर की उपासना करके उनसे अविजये पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। 'महाभारत' (भा० १८४) के एक सन्दर्भ में दक्ष प्रजापति द्वारा शंकर की गद्गद हृदय में स्तुति करने का वर्णन हुआ है, जिसके फलस्वरूप शंकर ने दक्ष को पशुपत व्रत धारण करने के लिए कहा था। महाभारत काल में पांचरात्र मत के मनान पशुपत मत को भी मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 'महाभारत' (भा० १८०-१८४) में पांचरात्र तथा पशुपत, दोनों धर्मों के उपाख्यान वर्णित हैं। इसी सन्दर्भ में पशुपत व्रत के महात्म्य का वर्णन करते हुए उसे समस्त बर्णों तथा जातियों के लिए भोक्षप्रद बताया गया है।

अतएव यह मानना समीचीन प्रतीत होता है कि महाभारत काल में ही पाशुपत मत अथवा शिवभक्ति का प्रचार हो चुका था, जिसको पुराणकार सूतो तथा मुनियो ने व्यापकता प्रदान की।

शैवमत के पुराण-साहित्य से ज्ञात होता है कि पाशुपत मत का अस्तित्व बहुत पुरातन है। अनेक ऋषि-महर्षियो ने इस मत को वरण किया था और तब से लेकर परवर्ती युगो तक उसकी परम्परा लोक में उत्तरोत्तर विकसित होती रही। पुराण-साहित्य से ज्ञात होता है कि अगस्त्य, दधीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यशृङ्ग, उपमन्यु और बादरायण व्यास शिवोपासक थे। बादरायण व्यास ने केदारखण्ड की दिव्य तपोभूमि में महाज्ञानी योगी घण्टाकर्ण से पाशुपत धर्म की दीक्षा ली थी। घण्टाकर्ण उनका नाम इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि उनके दोनों कानों के पाम दो घण्टे बंधे हुए थे। वे इतने कट्टर शिवभक्त थे कि अन्य शब्द कानों में पड़ते ही अपना शिर हिला देते थे, जिससे कि घण्टों की ध्वनि से शिव नाम के अतिरिक्त दूसरा शब्द न सुनाई दे।

परम शिवज्ञानी घण्टाकर्ण से दीक्षा प्राप्त कर बादरायण व्यास काशी में आकर बस गये थे। महाज्ञानी घण्टाकर्ण के काशीवास के अनेक स्मारक आज भी वर्तमान हैं। वर्तमान काशी के नीचीबाग मुहल्ले में (जो सम्प्रति घण्टाकर्ण के नाम से कहा जाता है), घण्टाकर्ण (वर्ण घण्टा) नामक तालाब आज भी विद्यमान है, जिसके एक किनारे पर व्यास जी का मन्दिर स्थापित है। इस मन्दिर की एक मूर्ति में घण्टाकर्ण हाथ में शिर्वालिग धारण किये हुए है। इस दृष्टि से यह मन्दिर और तालाब अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं।

पाशुपत मत का प्राचीन ग्रन्थ 'अथर्वी गिरस उपनिषद्' है। उसमें पशुपति रुद्र को प्रथम तत्त्व माना गया है। उसमें 'ओम्' के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान करने की यौगिक पद्धति का निरूपण किया गया है। इस मत में दारोद पर भस्माबलेपन करना आवश्यक बताया गया है। इन मत में तात्त्विक दृष्टि से परम शिव (पशुपति) ही पति हैं, मनुष्यमान पशु है, जो कि पाश, अर्थात् सासारिक माया-जाल से बंधा हुआ है। वे पाश चार प्रकार के हैं—मल, कर्म, माया और रोधशक्ति। स्वभावजन्य अपवित्रता का नाम 'मल' है। धर्माधर्म का नाम 'कर्म' है। प्रलय काल में जिसके भीतर समस्त विश्व समाहित हो जाता है, और सृष्टिकाल में जिससे समस्त विश्व का विस्तार होता है, वह 'माया' है। साधक की गति में अवरोध उत्पन्न करने वाले कर्म ही 'रोधशक्ति' हैं। इस प्रकार पति, अर्थात् शिव के अनुग्रह से ही पशु अर्थात् मनुष्य, पाश अर्थात् सासारिक बन्धनों से मुक्त हो सकता है।

पाशुपत मत के साधनों के लिए पाँच तत्त्व बताये गये हैं, जिनके नाम हैं—पति (कारण), पशु (कार्य), योगाभ्यास, विधि और दुःखमन्त्र । धर्मार्थ साधना के लिए जो क्रियाएँ निमत हैं, उन्हें 'विधि' कहा गया है । वह दो प्रकार की है—'व्रत' और 'द्वार' । भस्मरगान, भस्मसामन, जप, प्रदक्षिणा और उपवास आदि व्रत हैं । शिवनाम का उच्चारण कर हँसना, गाल बजाना, गाना, नाचना, बबकार करना तथा जप आदि उपद्वार हैं । द्वार के अन्तर्गत प्रायन (जागृतावस्था में प्रायन मुद्रा), 'स्पन्दन' (वायुवेगों की भाँति झूमना), 'मन्दन' (उन्मत्त की भाँति आन्दरण करना), 'शृंगारण' (कामातुरों जैसा व्यवहार करना), 'अवित्करण' (अविवेकियों जैसा निपिद्ध व्यवहार करना) 'अविद्व्रापण' (अर्थहीन तथा व्याहृत शब्दों का व्यवहार करना), ये छ क्रियाएँ हैं ।

शिवोपासना का प्रचलन

ऊपर शिवोपासना की प्राचीन परम्परा के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है । 'महाभारत' की रचना के समय तक रुद्र के अनेक रूप प्रचलित हो चुके थे और शिव के साथ उनकी अभिन्नता स्थापित हो चुकी थी । 'भगवद्गीता' (१०।२३) में श्रीकृष्ण ने स्वयं ही कहा है—“रुद्रो मे मी शंकर ह्ये (रुद्राणां शङ्करास्मि) ।” महाभारत (भा० अ० ३४९) में नारायणीय विष्णु के आन्तर शिव का माहात्म्य वर्णित है । शिव का महत्त्व विष्णु से भी पुरातन है । उनकी सगुणोपासना का प्रचलन पुराण काल में ही हो चुका था । इसी सगुणोपासक शिव आराधना में पाशुपत मत का प्रवर्तन हुआ । पुराणों में शिवोपासना या शिवभक्ति का विस्तार से उल्लेख हुआ है । अधिकतर पुराणों में शिव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है । यहाँ शिव को सृष्टि-विधायक बताया गया है और शिव-पार्वती के साथ ही पारमात्मिक विषयों का वर्णन किया गया है । 'शिवपुराण' तथा 'लिंगपुराण' शिव की व्यापक महिमा को वर्णित करने वाले प्रमुख पुराण-ग्रन्थ हैं । 'लिंगपुराण' में कहा गया है कि शिव ने स्वैच्छाशक्ति से सर्वप्रथम नारायण को तथा ब्रह्मा को उत्पन्न किया और तत्पश्चात् सृष्टि का विस्तार हुआ । 'विष्णुपुराण' विमुद्ध शैवपुराण है । उसके 'रुद्रमाहात्म्य' में शिव शक्ति द्वारा सृष्टि रचना का विस्तार से उल्लेख हुआ है । उगमें पाशुपत योग का भी गभीर विवेचन हुआ है, जो अन्य पुराणों में नहीं है ।

यद्यपि पुराण युग में भी परम्परा के अनुकरण पर श्रायत देवता रुद्र या शिव के प्रति लिंग की पूजा-अर्चना का विरोध किया जाता रहा है, किन्तु 'कामापुराण' (४३।५१-६९) के दो मन्त्रों में ज्ञात होता है कि श्रवियों के पौर प्रतिरोध के बावजूद श्रवण पत्नियों ने लिंगपूजा की निष्ठा का परित्याग

नहीं किया। ठीक यही धारणा 'ब्रह्मपुराण' (४७।२२) में भी देखने को मिलती है। 'शिवपुराण' (१०।१८७-२०७) में कहा गया है कि ऋषि-पत्नियों का अनुकरण कर अन्ततः ऋषियों ने भी लिंगपूजा को वरण किया।

उक्त पुराणों में मुनि पत्नियों द्वारा शिव के प्रति जो आभक्ति भाव देखने को मिलता है विद्वानों का कहना है कि उससे वह सिद्ध होता है कि पुराण-युगीन आर्यों ने लिंगपूजा को व्यापकता से ग्रहण एवं अंगीकार कर लिया था। जो ऋषि-पत्नियाँ लिंगपूजा के प्रति आभक्त दिखाई देती हैं, समवत वे आर्यतर कुलो से आई थीं और आर्यकुलो में आकर भी उन्होंने अपने मातृ-पितृ-कुल के आराध्यदेव रुद्र या शिव की लिंगपूजा का परित्याग नहीं किया था (धितिमोहन सेन भारतवर्ष में जातिभेद, पृ० ६७)।

पुराणों में शिव के सर्वव्यापी स्वरूप का जो दिग्दर्शन हुआ है, पञ्चात्कालीन समाज तथा साहित्य पर उसका व्यापक प्रभाव लक्षित हुआ। साहित्य के साथ साथ कला के क्षेत्र को भी उसने अतिशयता से प्रभावित किया। सस्कृत के ग्रन्थकार भास, कालिदास, भूद्रक तथा भवभूति से लेकर परवर्ती कवियों तथा नाटककारों ने शिव को ही एवमात्र बन्दनीय एवं आराध्य माना।

ऐसा प्रतीत होता है कि शंकराचार्य के उदय से पूर्व ही गारे भारत में शिव के प्रति जन निष्ठा व्याप्त हो चुकी थी। ७ वीं शती ई० में भारत के अन्तिम सम्राट् हर्षवर्द्धन के शासन काल में भारत भ्रमण के लिए आये चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने अपने यात्रा वृत्तान्त में काशी, कन्नौज, काशी, मालावार और गान्धार आदि विभिन्न प्रदेशों में स्थापित बहुसंख्यक शिव-मन्दिरों तथा शिवोपासकों का उल्लेख किया है। काशी में उस महाजानी ने अनेक शिव-मन्दिरों को देखा था और वहाँ के एक मन्दिर में स्थापित पीतल की शिवमूर्ति की कलात्मकता की भूरि भूरि प्रशंसा की थी। उसने यह भी लिखा है कि उस समय देश के अनेक भागों में पाशुपत, विषय, जटाधारी तथा निशंभ्य आदि अन्याय शिवमतानुयायी लोग विद्यमान थे।

शंकराचार्य की दिग्विजय के पश्चात् ८ वीं शती ई० में समस्त भारत के धार्मिक तथा धैचारिक क्षेत्रों में शिव की मत्ता को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाने लगा था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, गाँवों से लेकर नगरों तक शिव मन्दिरों की स्थापना होकर शिवमत का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ।

मेवाड़ (राजस्थान) में मिराही के अर्बुदगिरि पर स्थापित शिव-मन्दिरों पर ८ वीं शती से लेकर १९ वीं शती तक के अनेक शैव धर्मावलम्बी शासकों के नाम शिलालेखों पर उत्कीर्णित हैं, जो कि आज भी सुरक्षित हैं।

देवताओं के प्रति भी उनकी पूर्णतः श्रद्धा-निष्ठा है। शिव के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं के प्रति समान पूजाभाव होने के कारण ही उनको मिश्र शैव कहा गया है।

३ कापालिक शैव

मध्ययुगीन साधना एवं उपासना की भिन्नता को लेकर जो विविध धर्म-शाखाएँ प्रचलित हुए, उनमें कापालिक शैवमत का भी उल्लेखनीय स्थान है। इस मत या पन्थ का मूल स्रोत पाशुपत शाखा है। पाशुपत मत के सस्थापक का नाम लकुलीश या लकुलीश था। लकुलीश (जिसके हाथ में लकुड़ हो) एक ऐतिहासिक व्यक्ति था या उसका यह प्रतीकात्मक नाम था, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है। कुछ विद्वानों का कथन है कि वह दक्षिणात्य था, क्योंकि दक्षिण में ही विरोप रूप से इस पन्थ के बहुसंख्यक अनुयायी पाये जाते हैं। या यह भी हो सकता है कि पाशुपत मत से सम्बन्धित जो लकुड़धारी मूर्तियाँ पाई जाती हैं, सम्भव है कि इसलिए भी उसके प्रवर्तक का लकुलीश नामकरण किया गया हो। इस मत के सस्थापक ने एक सूत्र-ग्रन्थ की भी रचना की थी, जो कि सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। उनका लिखा हुआ 'पचाध्यायी' नामक ग्रन्थ उपलब्ध है, जिसमें कि सर्वप्रथम शैव-सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है।

पाशुपत मत की प्राचीनता २०० ई० पूर्व से भी पहले मानी जाती है। 'महाभारत' में माहेश्वरो के चार सम्प्रदाय बताये जाते हैं—शैव, पाशुपत, कालदमन और कालमुख। याधुनाचार्य ने कालदमन को कालमुप नाम से कहा है। आगे चलकर इस धार्मिक पन्थ से कालमुख तथा कापालिक मतों का प्रचलन हुआ। कालमुख का प्रचलन नगरो तथा राजदरवारों तक ही सीमित रहा, किन्तु कापालिकों का प्रचार अपेक्षाकृत व्यापक जन समाज में हुआ।

पाशुपत मत के जो मूल सिद्धान्त हैं, कालमुख तथा कापालिकों के सिद्धान्तों से उनकी स्पष्ट भिन्नता है। पाशुपत मत की मूल साधना-पद्धति हठयोग से सम्बन्धित है। उनके योगी कापालिक तथा अघोरी क्रियाओं के अनुयायी हैं। उनकी योग-साधना के—१ लाभ, २ मल, ३ उपाय, ४ देह, ५ अवस्था, ६ विद्युद्धि, ७ हीक्षावाह्य और ८ बल—के आठ पंचक कहलाते हैं। इसी प्रकार उनकी तीन चृतियों के नाम हैं—भेदय, उत्सृष्ट और उपलब्ध। इस सिद्धान्त के अनुसार मिथ्या-अज्ञानादि जो पंच मल हैं, वे जीवत्व (पशुत्व) के मूल हैं, जिनका उन्मूलन गुह से ज्ञान प्राप्ति के अनंतर सम्भव ही सकता है। इन मिथ्या अज्ञानादि मत्तों की क्षीणता

के लिए भिक्षाटन, पथ में विकीर्ण अन्नाहार तथा जूठन-भक्षण करना बताया गया है। आत्मा की उन्नति के लिए जप तथा ध्यानादि उपाय बताये गये हैं। उनके नैसर्गिक व्रत हैं—भस्म-शयन और भस्म-स्नान। उनकी योग-साधना के अन्तिम लक्ष्य हैं—दुःख-निवृत्ति तथा ऐश्वर्य-प्राप्ति। यही उनका मोक्ष है। पाशुपत मतानुयायी ललाट, हृदय, नाभि आदि पर शिवलिङ्ग का चिह्न अंकित करते हैं। उनके प्रतीक चिह्न हैं—कण्ठहार, आभूषण, चूडामणि, और यज्ञोपवीत। बाद में इस धर्म-शाखा का लक्ष्य परिवर्तित हो गया।

कालमुख अनुयायियों की परम्परा उत्तरोत्तर क्षीण होती गई, किन्तु कापालिकों का प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में हुआ। कापालिकों की गुह्यसाधना, उनके रहस्यमय क्रियाकलापों का प्रभाव जन-सामान्य में प्रत्यक्ष रूप से कम, किन्तु परोक्ष रूप से अधिक व्यापक होता गया।

कापालिकों के उदय तथा नामकरण के सम्बन्ध में 'गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह' में कहा गया है कि श्रीनाथ के दूतों के रूप में विष्णु के चौबीस अवतारों के कपाल (शिर) काट देनेवाले इस नये मत के प्रवर्तकों को ही कापालिक कहा जाने लगा। उनका अधिष्ठाता एव आराध्य देवता माहेश्वर है। शिवोपासक होने के कारण कापालिकों तथा वैष्णवों में परम्परा से पौर सैद्धान्तिक मतभेद तथा विरोध रहा है।

कापालिक मत शैव-सम्प्रदाय तथा पाशुपत मत की वह शाखा है, जिसमें विलासी तथा धीर क्रिया-कलापों से सम्बद्ध शिव की गुह्य-साधना प्रचलित थी और जिसमें वामाचार चरम रूप में पाया जाता है।

इस शाखा के शैव गृहस्थ नहीं हैं। वे वाममार्गी साधु हैं और महाकाली के उपासक हैं। वे मद्य-मातादि का सेवन करते हैं और श्मशान में रहकर मृतकों की खोपड़ी से तान्त्रिक साधना द्वारा विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। उनमें नखलि की प्रथा भी प्रचलित थी। साधना के क्षेत्र में कापालिकों की वज्रयानियों से समानता है। इस दृष्टि से उनका सम्बन्ध वज्रयानियों से भी रहा है। बौद्ध सम्प्रदाय के सहजयान वज्रयान में भी स्त्री साहचर्य की अनिवार्यता स्वीकार की गई है और इस मत के बौद्ध साधक स्वयं को 'कपाली' कहते हैं। 'चर्याचर्य-विनिश्चय' में स्त्रियों को कपालवनिता (कापालिनी) कहा गया है। स्त्री सर्व-जन-मुलभ होने के कारण ही संभवतः इस गुह्य-साधना को कापालिक नाम से कहा गया।

कापालिकों की गुह्य-साधना का बहुत-कुछ तारतम्य नाथ सम्प्रदाय एवं षडयोगियों के योगाभ्यास में भी देखने को मिलता है, विशेष रूप से पद्-

चक्र क्रिया के आधार पर। वापार्लिक साधना में शिव से जीव की अभिप्राता मानी गई है और योगाम्याम द्वारा ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। शिव के शक्तिमयुक्त रूप को चहू प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। शिवशक्ति का जो मिलन-सुख है, उसे वापार्लिक अपनी कापार्लिकी के माध्यम में प्राप्त करता है और उसको महामुख या परममुख की मत्ता से अभिहित करता है। सोम (स+उमा) को भी वापार्लिक शक्तिसयुक्त शिव का प्रतीक मानकर उनके पान से अभिभूत हो योगिनी के साथ विहार करता हुआ वैलासवामी शिव-उमा की भाँति स्वयं को आनन्दनिमग्न हुआ अनुभव करता है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वापार्लिक, सात्त्वो, सहजयानियो तथा वज्रयानियो का मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मँधुन-इन पाँच मकारों से घनिष्ट सम्बन्ध था। उनकी स्थूल उपासना के ये पाँच प्रतीकात्मक साधन थे।

४. वीर शैव

भगवान् शिव की अनन्य भक्ति करनेवाले वीर शैव या वीर माहेश्वर कहलाते हैं। यद्यपि ये लोग स्वयं को माहेश्वर कहते हैं, पाशुपत नहीं, तथापि उनकी समस्त धार्मिक परम्पराएँ 'महाभारत' के पाशुपत सिद्धान्त पर आधारित हैं। शैव मत के अन्तर्गत जिन सात शाखाओं का उदय हुआ, उनमें वीर शैव मत का विशेष स्थान है। वस्तुतः शैव मत की परम्परा को अन्य शाखाओं की अपेक्षा, वीर शैव शाखा ने प्रभावी ढंग से प्रवर्धित किया। वीर शैव मत को 'त्रिगायत' या 'जगम' भी कहते हैं। त्रिगायत के भी दो वर्ग हैं—एक तो त्रिगायरी और दूसरे अलिंगी। त्रिगायरी ही त्रिगायत कहलाते हैं, जो मद्य मास आदि का सवन करते हैं। उनमें वीर, नन्दी, भृगी वृषण वीर स्कन्ध नाम से पाँच गण या गोत्र हैं। इस मत के अनुयायियों के एकमात्र उपास्यदेव परम शिव हैं। मृष्टि को वे शिवमय कहते हैं और त्रिगायत त्रिगायत धारण करते हैं। शिव ही मृष्टि के निमित्त और उपादान कारण हैं।

वीर शैव शाखा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मतान्तर है। परम्परानुसार यह सम्प्रदाय पाँच सन्यासियों द्वारा स्थापित हुआ, जो त्रिभुज युगों में शिव के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए थे। कुछ विद्वानों का मत है कि वीर शैव शाखा के संस्थापक का नाम यशव था, जो कि वनटिण (वसुधा) के राजा विज्जल (१२ वीं शती ई०) का प्रधान आमात्य था। पुरातत्त्वज्ञ विद्वान् डा० फ्लोट का कथन है कि चालुक्य के राजा विज्जल का आमात्य या प्रधानमंत्री वसव न होकर अच्युत एवम्पद रामाय्य था, जिसकी पुष्टि

उपलब्ध लिखालेख में होती है। वे ही दक्षिण में वीर शैव मत के मस्थापक थे। वसव उसका पुनरुद्धारक ही मन्ता है।

वीर शैव मत का उद्भव कर्नाटक के समुद्र तट पर १२ वीं शती ई० में हुआ, इसमें कोई मन्देह या द्विभिधा नहीं है। उसके प्रवर्तन में वसव का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। उसी के नाम से लिगायतों की यह वीर शैव शाखा 'वसव' के नाम से प्रचलित हुई। कर्नाटक की पुरातन धार्मिक परम्परा वीर शैवों तथा दिग्भ्वर जैनों में आरम्भ होती है।

वीर शैवों की इस वसव शाखा के सम्बन्ध में 'वसवेश्वर पुराण' में कहा गया है कि जब द्रुग पृथ्वी पर वीर शैव मत का हास हो रहा था, तब देवर्षि नारद की प्रार्थना पर स्वयं परमेश्वर शिव ने अपने गण नन्दीश्वर को पृथ्वी पर भेजा। नन्दीश्वर ने वागेशास्त्री में जन्म-धारण किया और वसव नाम से बड़े जाने लगे। 'वसव' अर्थात् वसह या 'वृषभ' (नन्दी)। उन्हें मूर्त की उपासना स्वीकार नहीं थी। अतः उन्होंने पञ्चोपवीत धारण नहीं किया। वे कुछ समय बाद वागेशास्त्री में कल्याण आये। उस समय वहाँ निज्जल नामक चालुक्य राजा राज्य कर रहा था, जिसका प्रधान आमात्य वसवेश्वर का मामा बलदेव था। जब मामा की मृत्यु हो गई तो उस प्रधान आमात्य पद पर वसवेश्वर नियुक्त हुआ।

उक्त प्रकरण में आगे कहा गया है कि वसवेश्वर वीर शैवों का पक्षपाती तो था ही। अतः उसने वीर शैवों को पक्षीय मुविधाएँ प्रदान की और उनके उत्थान पर राज्य का राजस्व व्यय किया। वसवेश्वर के इन पक्षपातपूर्ण कार्यों से राजा अगन्तुष्ट हो गया। पञ्चमरूप राजा-मन्त्री का युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा की पराजय हुई और दोनों की मर्ति हो गई। पुनः मन्त्रिपद पर अविष्टित होने के बाद वसवेश्वर ने राज्य में वर्षोंतर विवाह-सम्बन्धों का प्रचार किया और ब्राह्मण तथा चमार परिवारों में विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये। इस पर राजा ने हुरलाइया चमार और मधुवइया ब्राह्मण की आँसु निकवा शी। वसव ने इस घटना को अगह्य अनुभव किया और अवगर पाते ही गया का वध करवा दिया।

'वसवेश्वर पुराण' के इस वर्णन पर विद्वानों का मतभेद है। इस पुराण-ग्रन्थ की मूल रचना तेलुगु में हुई है और पुनः उसका अनुवाद वज्रड में हुआ। इसका मूल रचयिता पाल्दुकी मोमनाथ १२वीं शती ई० में हुआ। उसने वज्रड अनुवाद का नाम 'भीमचन्द्र' था। आधुनिक विद्वानों ने इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता पर सन्देह किया है। किन्तु वसव वीर शैव लिगायतों का मूल आचार्य एवं इस मत का संस्थापक तथा प्रवर्तक था, इसमें मन्देह नहीं है।

वसव वस्तुतः विख्यात सघटनकर्ता, परम योगी और मिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने एक ऐसे सार्वभौम धर्ममार्ग का प्रवर्तन किया, जिसके द्वारा सामाजिक सुधार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य हुए। उन्होंने एक ऐसे सामाजिक सगठन को जन्म दिया, जिसमें समानता तथा बन्धुत्व की भावना निहित थी। उनके इस धर्म-सगठन में ऊँच-नीच, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग तथा सम्प्रदाय और यहाँ तक कि स्त्री-पुरुषों की वैषम्य-भावना का भेद-भाव नहीं था। उन्होंने आचार-विचारों की पवित्रता पर बल दिया।

उदार एवं सार्वभौम आचार-पद्धति

वसव द्वारा प्रवर्तित आचार-पद्धति के सम्बन्ध में 'वसवेश्वर पुराण' में जो उल्लेख हुआ है, तदनुसार इस मत में लिंगधारण परम्परा को अधिक पुष्ट किया गया और शैव मत-परम्परा के विपरीत वर्णाश्रम धर्म का खण्डन किया गया, ब्राह्मणों, वेदों तथा देवी-देवताओं को नहीं माना गया। प्रायश्चित्त, तीर्थयात्रा, अन्त्येष्टि-कर्म तथा शौचाशौच आदि कर्मकाण्ड के सकीर्ण आडम्बरो को मिथ्या घोषित किया गया। सगोत्र तथा वर्णोत्तर विवाहों को विहित बताकर विधवा विवाह को उचित ठहराया गया।

सामाजिक समुदाय के लिए उनके द्वारा किये गये कार्य विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। वसव द्वारा प्रवर्तित 'धर्म मार्ग' में सवर्ण तथा असवर्ण जाति के बहुसंख्यक लोग अनुयायी बने और उनके समय में दक्षिण भारत में इस उदारतावादी धर्म शाखा का अत्यधिक प्रचार-प्रसार रहा।

वसव के बाद यद्यपि उनके अनुयायियों ने स्वयं को वीर शैव लिंगायत कहा, किन्तु आचार-विचार तथा धार्मिक परम्पराओं की दृष्टि से वीर शैवों या पाशुपत शैवों से लिंगायत शैवों की मान्यताओं में बहुत अन्तर-दृष्टि-गोचर हुआ।

वसव मत के अनुयायियों को 'वचनकार' कहा गया है। उन्होंने परम्परागत समाज-सुधार की उदार मान्यताओं को तो ग्रहण किया, किन्तु आचार-विचार सम्बन्धी नियमों की नयी परिपाटी को प्रचलित किया। इन वचनकारों ने वेद, उपनिषद्, गीता और अष्टादश शैवाण्डों का सार लेकर सर्वप्रथम कन्नड़ी भाषा में उनका सग्रह किया और अपनी धार्मिक सहिष्णुता से समाज में अपना सामान्य स्थान बनाये रखा। परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्ति के लिए उन्होंने भक्तिपरक सरल पूजा-अर्चना तथा ध्यान-आराधना की नयी पद्धति का प्रचलन किया। ईश्वर-प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान तथा कर्म की आवश्यकता पर तो बल दिया, किन्तु भक्ति को सर्वोपरि स्थान पर माना। इस प्रकार

१२वीं शती से १६वीं शती तक 'नार्पाटक' महाराष्ट्र, आंध्र तथा तमिल क्षेत्रों में विनायक शैवों का निरंतर प्रचार प्रसार बना रहा ।

इस प्रकार वीर शैव मत वास्तव में उदार सहिष्णु तथा सार्वभौम धर्म बन गया और उसमें व्यक्ति के अन्तःकरण की पवित्रता तथा सद्ब्यवहार और उन्नत आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रशस्त किया । उसमें सामाजिक सुधारवादी भावना की भी प्रधानता रही और एनता तथा बहिष्कार के उद्भव पर बड़ा दिया गया । इस रूप में वीर शैव मत के अनुयायियों द्वारा धार्मिक सामाजिक तथा नैतिक एनता स्थापित करने का सारप्रयास किया गया । उनके साहित्य और सिद्धांतों का व्यापक प्रचार प्रसार वर्तमान भारत के सामाजिक जीवन के वरदान थ्य तथा संकट के लिए आज भी आवश्यक है ।

वीर शैवों के मठ मन्दिर-स्थान

वीर शैवों के समस्त धर्मानुयायियों को समान धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं । सभी का सम्बन्ध मठों एवं मठोध्यक्ष गुरुओं से होता है । वीर शैवों के भारत में पाँच प्रधान मठ हैं और प्राचीनता की दृष्टि से उनका अपना महत्त्व है । इन पाँच मठों के अलग अलग पाँच प्रधान महत्त, गुरु या आचार्य हुआ करते हैं । इन आचार्यों की परम्परा के सम्बन्ध में 'सुप्रबोधधामम्' आदि ग्रन्थों में कहा गया है कि ऋषियुग के आरम्भ में पाँच शिवाचार्य हुए तथा प्रत्येक मठ के निर्वाह से एक एक गुरु या आचार्य का आविर्भाव हुआ और उन्हीं की विध्य परम्परा में उन उन मठों के अधिष्ठाता होते गये । इन प्रमुख पाँच मठों का विवरण इस प्रकार है—

मठ	प्रदेश	प्रथम आचार्य
वेदारनाथ	मड़वाल (उ० प्र०)	एषोराम
धीरीत	तैलंग प्रदेश (दक्षिण)	पण्डिताराध्य
मोहली	पश्चिम मैसूर	देवनाथ्य
उज्जयिनी	केराल (म० प्र०)	महत्त
वाराणसी	उत्तर प्रदेश	विश्वाराध्य

इन पाँच प्रमुख मठों के अतिरिक्त विभिन्न शैवों तथा तमिलों में विनायक वीर शैवों ने मठों की स्थापना की । किन्तु उन समस्त उप मठों का सम्बन्ध किसी न किसी प्रधान मठ से होता है । मठों तथा मंदिरों की स्थापना का यह प्रयत्न बहुत प्राचीन काळ से चलता आ रहा है । इन मठ मंदिरों की प्राचीनता की दृष्टि से रसावर भारत में सहज ही शैव सम्प्रदाय की प्राचीनता

का पता चलता है। उनमें से अनेक प्राचीन शैव मठ विनष्ट हो चुके हैं, किन्तु अनेक अभी भी वर्तमान हैं और प्रत्येक के साथ परम्परागत लोक-अनुश्रुतियाँ जुड़ी हुई हैं।

इसी प्रकार का एक प्राचीन मठ या शैव तीर्थ कर्नाटक प्रदेश में गोवा के निकट स्थित है जिसे गारुण क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। यह शैव तीर्थ लक्ष्मण रावण द्वारा स्थापित बताया जाता है। इस क्षेत्र के आस पास अनेक अन्य तीर्थ स्थान हैं। गोकर्णनाथ को मिलाकर इस क्षेत्र में आज भी पचत्तियों का महत्त्व बना हुआ है। दोष चार शैव तीर्थ हैं—देवगी के पास सरोवर के तट पर देवेश्वर महादेव, भीटा स्थान के पास गणेश्वर महादेव, चारर गाँव में बटेश्वर महादेव और गुनेश्वर गाँव में पश्चिम में मूर्णेश्वर महादेव।

इसी प्रकार उज्जैन या अवन्तिवा (म० प्र०) में ज्योतिर्लिंग महाकाल का मन्दिर भारत के प्रसिद्ध शैव तीर्थों में से एक है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंग और पाँच शाक्तपीठों में गिना जाता है। दक्षिण भारत चिदम्बरम् में शिव के पबतत्त्व लिंगों में से आकाश लिंग विराजमान है। इस मन्दिर में ताण्डव नृत्य करती हुई नटराज की भव्य एवं बहुमूर्त्य स्वर्ण-प्रतिमा स्थापित है। इस मन्दिर को धर्म तथा कला का अनन्य सगम माना जाता है। पतितपावनी नर्मदा नदी के मध्य में मान्धाताद्वीप पर आकारेश्वर भगवान का लिंग स्थापित है। इस शैव तीर्थ की गणना द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है। पश्चिम भारत के सौराष्ट्र प्रदेश में प्रभास नामक पौराणिक पवित्र तीर्थ है, जो कि शैवों तथा वैष्णवों का धार्मिक समन्वय का सगम-स्थल है। यहाँ पर भगवान सोमनाथ का भव्य मन्दिर है, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम गिना जाता है। यह लकुलीश पाशुपता का महातीर्थ है। धर्मद्वैतियों द्वारा इसे कई बार नष्ट किया गया।

इसी प्रकार राजस्थान में उदयपुर—नाथद्वारा के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी के निकट घोर जंगल में चतुर्भुज ऐतिहासिक महादेव का मन्दिर है। काशी में भगवान विश्वनाथ का मन्दिर भारत के सभी धर्मानुयायियों का प्रमुख तीर्थ है। वीर शैवों का एक मठ जगमनाडी के नाम से भी कहा जाता है। शैवों के एक महान् तीर्थ काठमाण्डू (नेपाल) में स्थित भगवान् पशुपतिनाथ का मन्दिर है। इसकी गणना द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है।

भारत में जहाँ भी वीर शैवों के मठ-मन्दिर और देवी-देवता हैं, उनका पूजन अर्चन दर्शन का प्रकार सगुणोपासनों के समान है। किन्तु उनमें शिवलिंग का सर्वाधिक महत्त्व है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा तमिलनाडु (आंध्र प्रदेश) में शैव मन्दिरों के प्रति जन भावना अधिक व्यापक है। वहाँ के शिव मन्दिर स्मार्त, वैष्णव, शैव, लिंगायत आदि सभी धर्मावलम्बियों के पवित्र स्थल हैं।

यहाँ के मन्दिरों के पुजारी प्रायः ब्राह्मण हुआ करते हैं। किन्तु कुछ मन्दिरों में अब्राह्मण पुजारी भी हैं जिन्हें पन्दरम् कहा जाता है।

गुरुपद की मान्यता और दीक्षा

बोरसैवा में प्रत्येक लिगायत का सम्बन्ध किसी एक मठ से होता है और प्रत्येक मठ का एक गुरु होता है। यह गुरुपद सभी को प्राप्त नहीं होता है। जगम जाति के लिगायत ही उस पर अभिषिक्त होते हैं। जगमाभ्यास करने वाला व्यक्ति ही गुरुपद का अधिकारी होता है। अभ्यासी जगम आजीवन ब्रह्मचारी का बठिन व्रत धारण करता है और किसी प्रधान मठ की आचार-पद्धति के अनुसार उसकी विधिवत् शिक्षा दीक्षा होती है। गुरुपद प्राप्त जगमों की दो श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी के अभ्यासी जगम वे हैं, जो गुरुस्थल (गुरुस्थ मठ) से पारिवारिक सन्तानों को सम्पादित कराने की शिक्षा दीक्षा लेकर गुरुपद धारण करते हैं और दूसरी श्रेणी के विरक्त जगम वे हैं, जिनके लिए विशेष मठ होते हैं और जिन्हें मठा या अन्त्यासी बनकर सम्प्रदाय की तार्त्विक दीक्षा दी जाती है। ये गुरुपद जगम ही तत्त्वचिन्तक एवं एवं प्रचार के आध्यात्मिक गुरु हैं। इस तार्त्विक शिक्षा में उन्हें शिवतत्त्व से एकता स्थापित करने हेतु षडंगिय साधना का उन्देश दिया जाता है। साधना के ये षडंग हैं—भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिंग, धारण और ऐश्वर्य। अन्तिम ऐश्वर्य साधना शिव के साथ भक्त या आराधक की सादात्म्य या मोक्ष की अवस्था है। गुरुदीक्षा के समय उक्त छ अवस्थाओं का नियमित पालन करना बताया गया है। भक्ति, जो प्रथम आचार है, उसका बड़ा महत्त्व बताया गया है। विरक्त या सन्यासी जगमों में यह प्रथा प्रचलित है कि जब बालक आठ वर्ष का होता है, तभी उसको शिवदीक्षा दी जाती है।

इन दो श्रेणियों के अभ्यासी या गुरुपद जगमों में अतिरिक्त कुछ साधारण जगम होते हैं, जो विवाह करके साधारण गृहस्था की भाँति जीवन व्यतित करते हैं। ये गृहस्थ जगम वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी होते हैं और अपने गौत्र या गण के अन्तर्गत विवाह सम्बन्ध स्थापित करते हैं। दीक्षा के समय उन्हें जो शिवलिंग दिया जाता है, उसकी वे त्रिकाल पूजा करते हैं।

प्रत्येक लिगायत परिवार में बाल्यकाल में ही बालक को सम्प्रदाय में दीक्षित कर लिया जाता है। जब किसी गृहस्थ के घर में बालक का जन्म होता है तो गुरु को आमंत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम गुरु नवजात शिशु पर शिवलिंग बाँधता है, रक्षा की माँग पढ़ाता है और क्षीर पर विभूति लगाता है तथा अन्त में उससे गान में 'ओम् नम शिवाय' दण्डपदारी मंत्र का उच्चारण कराता है।

दीक्षानुष्ठान प्रत्येक दीक्षित वीर शैव को 'ओम् नमः शिवाय' इस पदमय मन्त्र को और इष्टलिंग को अर्पित करता है। दीक्षा के समय उक्त इष्टलिंग को हथेली पर रखकर प्रत्येक वीर शैव चिन्तन, ध्यान तथा धाराधना करता हुआ सत्य, अहिंसा तथा सावंधीन मैत्रीभाव जैसे उच्च नैतिक गुणों के वर्धन के लिए मन्त्रेष्ट रहने की प्रतिज्ञा करता है। गुरुदीक्षा के समय उक्त सादा निरामिष जीवन व्यतीत करने और किसी भी भावक वस्तु के प्रति निरपेक्ष रहने तथा अपने इष्ट को प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहने की दीक्षा दी जाती है। चोरी न करना, हिंसा से विरत रहना, अल्प भक्षण न करना, अपनी प्रशंसा तथा दूसरों की निन्दा न करना और अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य सब स्त्रियों की माता के समान मानना, इन आचारणों का पालन करना प्रत्येक शैव की दीक्षा के अनिवार्य अंग है।

इन सावंधीम उच्च आचारों तथा आदर्शों के कारण ही वीर शैव मत की समाज में आज भी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बनी हुई है।

सिद्धान्त-निर्हण

वीर शैवों के अपने स्वतंत्र दार्शनिक सिद्धान्त हैं। वे परम चैतन्य या परम सविद को मानते हैं, जो देवकालातीन है। उनका दार्शनिक मत 'शक्ति विशिष्टाद्वैत' कहलाता है। उनके अनुसार परम चैतन्य या परम सविद ही विश्व की उत्पत्ति का कारण है। विश्व निष्पा या घनमात्र है। मनुष्य उन्हीं परम चैतन्य का विशिष्टीकरण है। साधना या भक्ति द्वारा आनन्दतन्त्र का परम चैतन्य के साथ समरसता या पुनर्निष्कलन होना है। यही मोक्ष या परमानन्द की स्थिति है। उसमें आत्मसमर्पण पर बल दिया गया है और भक्त या उपासक का शिवभारण्यत हो जाना ही अन्तिम लक्ष्य माना गया है।

इस दृष्टि से वस्तुतः वीर शैव दर्शन अद्वैतवादी है; किन्तु उक्त परम सत्ता से ऐक्य स्थापित करने के लिए इच्छा, क्रिया और ज्ञान की आवश्यकता है। इस ऐक्य-स्थापना के लिए शिव में शक्ति सिद्धान्त की कल्पना की गई है। प्रेमशक्ति (भक्तियोग), चिन्तनशक्ति (ज्ञानयोग) और कर्मशक्ति (कर्मयोग) के तत्त्व प्रवाह से ही परमेश्वर के साथ एकता स्थापित की जा सकती है।

५ तामिल शैव

शैव सम्प्रदाय समय-समय पर अनेक शाखाओं में पल्लवित होकर अपनी लोकप्रियता को समाज में निरन्तर बढ़ाता रहा। दो प्रमुख रूपों में वह विकसित हुआ। उसका एक रूप तो भारतव्यापी था और दूसरा क्षेत्रीय या

आचलिक। तामिल शैव मत, शैव सम्प्रदाय की एक ऐसी ही शाखा है, जो क्षेत्रविशेष में ही पनपी और वहीं तक सीमित भी रही। प्राचीनता की दृष्टि से तामिल शैवमत अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वीर शैवमत की अपेक्षा वह प्राचीन है और दक्षिण भारत में उसकी परम्परा आज तक बनी हुई है।

दक्षिण भारतीय तामिल नमाज में प्राचीन काल से ही स्मार्तों, वैष्णवों तथा शैवों के अलग-अलग वर्गों या सम्प्रदाय अपनी अपनी धार्मिक परम्पराओं का बड़ी निष्ठा से विकास करते आ रहे हैं। जिस प्रकार तामिल वैष्णवों को 'आलवार' कहा जाता है उसी प्रकार तामिल शैवों को 'नयनार' कहा जाता है। तामिल शैवभक्तों में लगभग ५वीं-६ठी शती में वर्तमान भक्त-कवि नक्कीरदेव का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 'तिरुमुरुत्तुप्पदइ' नाम से सुब्रह्मण्य या मुरुद देवता की आराधना पर एक ग्रन्थ लिखा था। नयनार शिवभक्तों में सम्बन्धर, अप्पर और सुन्दरमूर्ति का नाम उल्लेखनीय है। ये तीनों व्यक्ति भक्त होने के साथ-साथ कवि भी थे और आलवार भक्तों की भाँति स्वरचित भजनों को गा गा कर जन-सामान्य को अपने भक्तिमार्ग से सहज ही मोह लेते थे। भक्त सम्बन्धर तथा अप्पर ७वीं शती ई० में और भक्त सुन्दरमूर्ति ९वीं शती ई० में हुए। ये भक्तकवि अपने अनुयायियों के साथ मन्दिर-मन्दिर में जाते थे और नटराज तथा उमा की मूर्तियों के चारों ओर बैठकर अपने भजनों को गाकर भाव विह्वल होकर नाचते थे। उनके पीछे भक्तजनों की ताँता लगा रहता था। चैतन्य सम्प्रदाय के भक्तों की भाँति ये नयनार तामिल शिवभक्त टोली बाँधकर 'नगर सकीर्तन' करते थे।

सुन्दरमूर्ति से लगभग सौ वर्ष पूर्व ८वीं शती ई० में कविभक्त तिरु-मूलर हुए। उन्होंने आगमों के धार्मिक नियमों के अनुरूप 'तिरुमत्रम्' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसका बड़ा सम्मान हुआ। उनके बाद शैवमत पर सुन्दरमूर्ति के समकालीन माणिकवचकर ने ९वीं शती ई० में 'तिरुवाचकम्' (पवित्र भजनावली) नामक बहुमहत्वक भजनों एवं गेय पदों की रचना की। वे मदुरा के निवासी थे। बाद में उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था। उनके पदों में तिरुमूलर भक्तकवि की भाँति परम्परागत पुराणों तथा आगमों का प्रभाव था।

तामिल शैवमत की इस परम्परा को आगे बढ़ाने वाले आचार्यों, भक्तों, कवियों एवं सन्तों ने १०वीं से १४वीं शती के बीच तामिल शैवों की उपासना-विधि को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया और १२ सिद्धान्तिक ग्रन्थों की रचना कर तामिल शैवमत को व्यवस्थित किया। १३वीं शती ई० में पर्याप्त भक्तकवि मेयकण्ड तामिल शैव-परम्परा के आधार माने जाते हैं।

उत्तर भाग भारत के उत्तर पेशाब नदी के तट पर एक सूत्रुल में हुआ था। ये एक भव्यवन के और उन्होंने मूल मरुतन संवातम के १२ सूत्रों का तामिल भाषा में अनुवाद किया था। गद्य ही उस पर अपनी टिप्पणियाँ भी लिखीं। उनके गिण्यों में असात्मन्दीदेव और भाववाचयम् बंदखान हुए। अमलकन्दी के गिण्य सुरद्विज्ञान सम्बन्ध थे, जो कि सूत्रुल में पैदा हुए थे। उनसे गिण्य उमापति सिद्धाचार्य हुए, जो कि साहाय्यवर्गीय थे। इन चारों को तामिल शैव परम्परा के चार सनातन आचार्य कहा जाता है। उमापति सिद्धाचार्य इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य हुए जिन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की और तामिल शैवमत को अधिक परिपुष्ट बनाया।

उक्त आचार्यों के बाद तामिल शैवमत की परम्परा को प्रवर्तित करने वाले आचार्यों तथा कवियों का लम्बे समय तक अभाव बना रहा। १८वीं शती में इस मत के प्रवर्तकों में शिवज्ञानयोगी, काजी अप्पर, परज्योति और तामुमानथर हुए। इस शैवमत का शिवज्ञानबोध प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। उस पर शिवज्ञानयोगी ने दो भाष्य लिखे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। बड़े भाष्य का नाम 'द्राविड महाभाष्य' और छोटे का नाम 'लघुटीका' है। अपने शिष्य काजी अप्पर के साथ उमापति ने एक अन्य ग्रन्थ भी लिखा, जिसका नाम है—'काजीपुराणम्'। आचार्य परज्योति रचित कथा संग्रह 'तिरुविल्लुआसपुराणम्' का नाम भी उल्लेखनीय है।

इन १८वीं शती के भक्तकवियों ने अपने भजनो में इस ग्रन्थ की लुप्तप्राय प्रतिष्ठा को पुनरुज्जीवित किया। किन्तु उनके बाद नयनार शिवभक्तों की परम्परा उनके धार्मिक मठों तक ही सीमित हो गई। नित्य परम्परा को अनेक कवियों तथा आचार्यों ने प्रतिष्ठित तथा प्रवर्तित किया था, सुयोग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में वह अचरझ हो गई। यद्यपि तमिलनाडु में आज भी शिवभक्तों तथा अनेक मठ मन्दिरों का अस्तित्व बना हुआ है, तथापि परम्परा का वह रिक्तमात्र है। अपनी प्राचीन परम्परा में तामिल शैवमत गरिमानय ऐतिहासिक महत्त्व रखता है।

इस प्रकार दक्षिण भारत में तामिल शैवों ने शिवोपासना एवं शिवभक्ति को अनेक शताब्दियों तक अक्षुण्ण बनाये रखा और उदार तथा सौवर्धीय आचारों का प्रचार-प्रसार कर समाज में एकता तथा समन्वय की भावना को मुद्दत बनाने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया।

६ काश्मीर शैवमत

शैवमत में सम्बन्धित भारत के विभिन्न अंशों में, वहाँ के जन-मानस की निष्ठाओं, विश्वासों तथा मान्यताओं के अनुसार जो अनेक साधारण

लखित हुई, उनमें काश्मीर शैवमत का भी अपना अलग महत्त्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में काश्मीर शैवमत अद्वैतवादी था। किन्तु ८वीं शती ई० में ज्ञानाचार्य शंकर द्विविजय के लिए काश्मीर गये तब उनके प्रभाव में शैव आचार्य अद्वैतवादी हो गये। किन्तु शंकर अद्वैतवाद से काश्मीर प्रत्यभिज्ञादर्शन भिन्न है। अद्वैतवेदान्त में जगत् को ब्रह्म का विवर्त (ध्रम) माना गया है जब कि काश्मीर अद्वैतवादी में जगत् को ब्रह्म का आभास बताया गया है।

काश्मीर शैव शाखा के प्रवर्तक आचार्य वसुगुप्त (९वीं शती) को माना जाता है। उन्होंने ९०७ वि० में 'शिवसूत्र' की रचना कर शैवागमों की द्वैतवादी सिद्धांतों के स्थान पर अद्वैतवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपनी इस कृति में काश्मीर शैवमत पर द्वैतवादी आगमों के प्रभाव को पूर्णतया समाप्त किया और अद्वैतवादी मत का मण्डन किया। उनके बाद कल्लटाचार्य ने 'स्पन्दसूत्र' या 'स्पन्दकारिका' नाम से एक दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की और उसमें आचार्य वसुगुप्त के सिद्धान्त को परिपुष्ट किया। 'स्पन्दकारिका' काश्मीर शैवमत की इतनी महत्त्वपूर्ण कृति सिद्ध हुई कि उसी के नाम से काश्मीर शैवमत को 'स्पन्दशास्त्र' के नाम से कहा गया। उसमें प्रत्यभिज्ञा पर विशेष बल दिया है जिसमें मृष्टि की शक्ति के माध्यम से शिव का आभास बताया गया। उन्होंने त्रिक के सिद्धान्त का विद्वत्पूर्ण ढंग से प्रतिपादन किया। त्रिक शिव, शक्ति एवं अष्ट अथवा पति, पाप एवं पशु। द्वाय त्रिक के अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का साधन है और त्रिक सिद्धान्त द्वारा जीव तथा ईश्वर में ऐक्य स्थापित हो सकता है।

काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार महेश्वर ही जगत् के कार्य और कारण, दोषा है, वही ज्ञाता तथा ज्ञानस्वरूप है। यह समस्त जगत् शिवमय है। घट-पटादि का ज्ञान भी शिवमय है। पूजा, पाठ, जप, तप आदि सब व्यर्थ हैं। शिव के साथ साक्षात्कृत्य स्थापित करना, अर्थात् प्रत्यभिज्ञा या ज्ञान मुख्य है। प्रत्यभिज्ञा की स्थिति ही मोक्ष है। जीवात्मा-परमात्मा में जो भेद है, वह वास्तविक नहीं, ध्रमत्रयित है। भक्त का ध्यान में शिव की अनुभूति करना ही जीव तथा ब्रह्म के साक्षात्कृत्य की चरम स्थिति है।

इस धर्मशास्त्रा के सिद्धान्तों के अनुसार कठोर योगिक साधना द्वारा परम शिवतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। परम शिव का अनुभव ही मोक्ष है। काश्मीर शैवमत पर सोमानन्द की 'शिवदृष्टि', उत्तराचार्य की 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञासागरिका' और अभिनवगुप्त का 'तन्त्रलोक' द्रष्टव्य है।

७ लकुलीश शैवमत

शैवमत की विभिन्न शाखाओं में लकुलीश का भी एक नाम है। इस शाखा के सम्बन्ध में गुराण ग्रन्थों में चर्चा की गई है। वहाँ कहा गया है कि एक समय भगवान् शंकर योगबल से किसी मृतक के शरीर में प्रवेश कर गये थे और वह जीवित हो उठा। उसे शिव का लकुलीश अवतार कहा गया। 'वायुपुराण' में पाशुपतो की लकुलीश शाखा का उल्लेख हुआ है। उसमें कहा गया है कि अट्टाईस युगों में प्रत्येक युग में शिव स्वयं अवतार धारण करेंगे। जब कृष्ण वामुदेव अवतार लेंगे, तब शिव अपनी योगशक्ति से कायारोहण नामक स्थान पर किसी मृतक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लकुलीश नामक सन्यासी के रूप में उनका प्रादुर्भाव होगा। उनके चार शिष्य होंगे—कुशिक, गार्ग्य, मिन या मैत्रेय और कौह्य्य। वे भस्म धारण कर पृथ्वी पर पाशुपत योग की स्थापना करेंगे। इस पुराण-कथा में कितनी सत्यता है, कहा नहीं जा सकता है।

इस कायारोहण, कारोहण या करजण नामक स्थान के सम्बन्ध में मत-मतान्तर देखने को मिलते हैं। उदयपुर (राजस्थान) से नाथद्वारा जाते समय ऐतिहासिक हल्दीघाटी के पास घोर जंगल में एकलिंग भगवान का शिव मन्दिर है। उसमें प्राप्त एक शिलालेख में ऐसा उल्लेख हुआ है कि परम शिव भडोच (गुजरात) में अवतरित होकर हाथ में लकुलीश (लाठी) धारण करेंगे। जिस स्थान पर उन्होंने अवतार धारण किया उसे कायारोहण कहा जाता है। 'चित्रप्रशस्ति' के अनुसार शिव लाटदेश के कारोहण (काया-वरोहण या कर्जण) नामक स्थान में पाशुपत मत के प्रचारार्थ अवतरित हुए। वही उनके उक्त चार शिष्यों का आविर्भाव हुआ। भूतपूर्व बडोदा राज्य के करजण नामक स्थान पर आज भी शिवावतार लकुलीश भगवान का एक मन्दिर स्थित है। इस प्रकार भडोच, लाटदेश तथा बडोदा में पारस्परिक भौगोलिक तारतम्य स्थापित करने और कारोहण, कायारोहण या करजण अथवा कर्जण नामक स्थान की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाने के उपरान्त ही उक्त उल्लेखों की ऐतिहासिक सत्यता का पता लगाया जा सकता है।

विद्वानों का अभिमत है कि 'पञ्चाध्यायी' के निर्माता आचार्य लकुलीश प्रथम शती ई० म हुए। उन्होंने ही शैव सिद्धान्तों का सर्वप्रथम विवेचन किया।

माधवाचार्य (१४वीं शती ई०) के 'सर्वदर्शनसंग्रह' में शैव सम्प्रदाय की तीन शाखाओं का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम हैं—नकुलीश, पाशुपत और प्रत्यभिज्ञा (शैव गिद्धान्त)। नकुलीश या लकुलीश शाखा के मस्थापक आचार्य लकुलीश थे, जिन्होंने शंकर भगवान से पाँच तत्त्वों का

द्वारा परमतत्त्व का साक्षात्कार कर सकता है और इस विधि में मोक्ष का अधिकारी बन सकता है।

शरीर की अमरता के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का आधार बताया गया है। इस मत के अनुयायियों का सिद्धान्त है कि पारदादि रसायनों के विधिवन् सेवन से शरीर को अमर बनाया जा सकता है। पारद से मारण, मूर्च्छाकरण और बन्धनादि क्रियाएँ मिट्टी की जा सकती हैं। पारद का शिर्वालिंग ही इस मत के अनुयायियों का आराध्यदेव है। उनके मत से पारद एक ऐसा रसायन है जिससे रममय ब्रह्म से साधक तारतम्य स्थापित कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कहना है कि जीवन रूप जड़ धातु को ज्ञानरूप रसायन से ब्रह्मरूप गुणों में परिवर्तित किया जा सकता है।

इस प्रकार शैवमत में रमेश्वर शैवों का अपना अलग सिद्धान्त और साधना की संस्था निराली प्रक्रियाएँ रही हैं। इस रममय सिद्धान्त के द्वारा उन्हें किस सीमा तक सफलता मिली, कहा नहीं जा सकता है। किन्तु अपनी विभिन्न स्थापनाओं के कारण उनका अस्तित्व अधिक समय तक नहीं बना रहा।

साहित्य-निर्माण

शैवमत से सम्बन्धित धार्मिक तथा दार्शनिक साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है। धार्मिक साहित्य के निर्माण में लिगायत शैवों का विशेष योगदान रहा। यद्यपि यह ग्रन्थ निर्माण बहुत प्राचीन समय से ही होता रहा, किन्तु १३वीं शती के बाद उसकी अधिकता देखने को मिलती है। आगे निरन्तर १८वीं शती तक उसका निर्माण होता गया।

लिगायत शैवों का साहित्य निर्माण विशेष रूप से दक्षिण भारत में हुआ। उसकी भाषा या तो संस्कृत है या कन्नड अथवा तेलुगु। शैवमत पर लिखी हुई प्राचीनतम कृति 'सूतमहिता' है, जो कि संस्कृत में है और जिसकी रचना पुराणों से पहले हुई। उनके प्रमुख ग्रन्थों में 'पण्डिताराध्य का जीवन' बड़े महत्त्व का है, जिसे आचार्य पाण्डुर्की सोमनाथ ने लिखा। उसकी भाषा संस्कृत-तेलुगु मिश्रित है। इन्हीं आचार्यों ने 'वमन्तपुराण' नाम से विरचित तेलुगु रचना वीरशैव सम्प्रदाय की प्राचीनतम कृतियाँ में से है। इन ग्रन्थों की रचना आचार्य सोमनाथ ने १३वीं शती में की। 'वमन्तपुराण' का आचार्य भीमचन्द्र ने कन्नड में अनुवाद किया। कन्नड में इस सम्प्रदाय पर अनेक ग्रन्थों की रममय पर रचना हुई। कन्नड भाषा में रचित 'गिशाएँ', जिन्हें 'बधन' कहा जाता है, का शैवमत जनता में व्यापक प्रचार प्रसार है।

वीर शैवमत के एक आचार्य राघवाक नाम से १४वीं शती में हुए। उनके गुह का नाम हरिहर था। 'मिद्धराय' नाम से उनका लिखा हुआ कन्नड

भाषा का पुराण प्रतिष्ठ है। इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित प्राचीन ग्रन्थों में 'महावगवपुराण' या 'वसवपुराण' उल्लेखनीय है। इस पुराण ग्रन्थ का इसलिए भी महत्त्व है कि उसमें शैवमत का और विशेष रूप से १२वीं शती के बाद प्रचलित एव प्रसिद्ध शैवधर्म का व्यापक विवेचन हुआ है। शैवधर्म सम्बन्धी आचार तथा दर्शन का भी उसमें समावेश है। इन पुराण के रचयिता आचार्य निगीराज ने १४५० वि० में उसकी रचना की। इस पुराण के तेलुगु तथा तमिल, दो भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। इन्हीं से उसकी लोकप्रियता तथा मान्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। माधवाचार्य के 'सर्वदर्शन-संग्रह' में शैवदर्शन के प्रसंग में अधोर शिवाचार्य के मत को उद्धृत किया गया है। श्रीकण्ठ ने ५वीं शती में जिस शैवमत का पुनरुत्थान किया, उसको अधोर शिवाचार्य ने ११वीं-१२वीं शती में पुनरुज्जीवित किया। उसकी 'मृगेन्द्रसहिताख्या' शैवमत का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है।

१५वीं शती में आचार्य तोण्ड सिद्धेश्वर ने 'वीरशैवप्रदीपिका' लिख कर सम्प्रदाय की आचारिक एव वैचारिक परम्परा को अधिक शास्त्रीय ढंग से प्रतिपादित किया। लगायत शैव शाखा से सम्बन्धित एक ग्रन्थ 'प्रभुलिङ्गलेखा' नाम से आचार्य चामरस ने १५१७ वि० में लिखा। उसका तमिल १६शती में शिवप्रकाश स्वामी ने किया। यह ग्रन्थ वसव के सहयोगी मन्न अरननाम प्रभु के जीवन से सम्बन्धित है। किन्तु समस्त शैवानुयायियों में उसका समान रूप से सम्मान है। १६वीं शती में षडक्षरदेव ने कन्नड भाषा में 'राजेश्वरविलाम' नाम से एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की। 'नरसिंह आगम' भी शैव आगम का एक प्राचीन ग्रन्थ है जिसके अन्य नाम 'शर्वोक्ति' या 'सर्वेतिर' है।

आगमिक शैवों ने आचार्य नीलकण्ठ १७वीं शती में हुए। उन्होंने 'वेदान्तसूत्र' के 'श्रीवैशम्पाय' पर 'क्रियामार' नाम से सशिक्ष टिप्पण लिखा। यह ग्रन्थ यस्तुत लगायती से सम्बन्धित है। किन्तु शैवतत्त्व सम्बन्धी सिद्धान्तों को उतने सरल ढंग से प्रतिपादित किया गया है। और शैव सम्प्रदाय के एक विश्वकोशात्मक ग्रन्थ 'विवेकचिन्तामणि' की रचना आचार्य निजगुण शिवयोगी ने १७वीं शती में की थी। इन विशाल ग्रन्थ में सम्प्रदाय की गरिमा-महिमा तथा निर्देश-उपदेश विस्तार से वर्णित हैं। वीरशैवों का एक अन्य ग्रन्थ 'वेदमार-वीरशैवचिन्तामणि' है, जो कि १८वीं शती में रचा गया और जिसके रचनाकार का नाम नन्ननाचार्य था।

इन प्रकार शैवमत पर संस्कृत, कन्नड, तमिल, तेलुगु आदि अनेक भाषाओं में हमने समय तक ग्रन्थ-रचना होती रही और उन अमर एव

गभीर ज्ञान-सम्पन्न कृतियों में सजीवित तथा पल्लवित होता हुआ शैवमत व्यापक समाज में अपनी लोकप्रियता एवं महत्त्व को बनाये रखा। भारत की धार्मिक परम्परा में शैवमत का इस दृष्टि से भी महत्त्व है कि उसने द्वारा सामाजिक सुधारों पर भी नया प्रकाश पड़ा। समाज को नया प्रगतिशील जीवन-दर्शन मिला।

शैवों का प्रतीक चिह्न त्रिपुण्ड्ररेखा

शैव सम्प्रदाय के अनुयायियों की विशेष पहचान उनकी तिलक-रचना से परिलक्षित होती है। शैवों में सम्प्रति उदासीन मत के लोग अधिक हैं। उन्हें सन्यासी और गोसाईं या गुसाईं कहा जाता है। वैष्णवों में भी गोसाईं होते हैं, किन्तु दोनों की पहचान उनके ललाट पर अंकित तिलक द्वारा स्पष्ट हो जाती है। वैष्णव गोसाईं नासामूल से लेकर केशपर्यन्त, ललाट पर खड़ा तिलक धारण करते हैं, जब कि शैव गोसाईं ललाट के वाम पार्श्व से दक्षिण पार्श्व पर्यन्त समानान्तर भस्म की तीन पट्टी रेखाएँ अंकित करते हैं। शैव वैष्णवों की तिलक रेखा ऊर्ध्वपुण्ड्र होती है और शैवों की लम्बायन त्रिपुण्ड्र रेखा। ललाट के अतिरिक्त वक्षस्थल, भुजाओं तथा शरीर पर और अन्य अंगों पर भी त्रिपुण्ड्र भस्म रेखाएँ अंकित होती हैं। इन रेखाओं को शिवभक्ति के सायुज्य (एकत्व) का प्रतीक माना जाता है।

शाक्तमत

भारत के धार्मिक इतिहास में शाक्तमत जितना प्राचीन है, उतना ही उगका व्यापक प्रचार-प्रसार भी देखने को मिलता है। शाक्तमत का आधार श्रुति और स्मृति रही है। आदिम महाशक्ति के रूप में जगद्विधायिनी महाकला की उपासना-पूजा-प्रतिष्ठा एवं स्तवन-अर्धन मानव जाति के अम्बुदय के साथ ही जुड़ा हुआ मिलता है। वैदिक युग की आर्य-आर्येतर जातियों की पुरातन संस्कृति एवं अस्थाओं में शक्ति की उपासना के बीज अंकुरित हुए मिलते हैं, जो परवर्ती युगों में अधिकाधिक व्यापक तथा अनेक रूप-रूपान्तरो में पल्लवित एवं विकसित होते गये। भारत में आदिकाल से जितने भी सम्प्रदाय, मत या पन्थ प्रकाश में आये, उन सबकी आस्थाओं के मूल में एक शक्ति या महाशक्ति का अस्तित्व सन्निहित रहा है। प्रत्येक सम्प्रदाय के उपासक की एक आराध्या शक्ति रही है और इसलिए प्रत्येक सम्प्रदाय किसी-न-किसी रूप में शक्ति का उपासक रहता आया है। इसी शाश्वत, पुरातन एवं सार्वजनीन भावना से जन-सामान्य में अनादि आराध्या शक्ति को प्रथम संपूजित माना गया है।

सृष्टि की आद्याशक्ति की उपासना के सूत्र वेदों में लेकर उपनिषदों, 'रामायण', 'महाभारत', 'गीता', पुराणों और जैन-बौद्धों के साहित्य में सर्वत्र प्रचुर रूप में बिखरे हुए हैं। वेदों में वाक्, सरस्वती, थद्धा, महालक्ष्मी, महाशक्ति, पृथ्वी, अदिनि आदि स्त्री-शक्तियों की कल्पना की गई है। समस्त देवी तथा सहस्ररी देवियों का आधान भी वेदों में ही वर्णित है। ऋग्वेद के अष्टम अष्टक में 'इयं शुष्मेभि' कह कर महाशक्ति सरस्वती की वन्दना की गई है। ऋग्वेद के एक मंत्र (६।६१) में कहा गया है कि 'हे इन्द्र, मे अग्नि और अभिनीद्वय का अवलम्बन करती हूँ। मेरा आश्रय-स्थान विराल है। मैं समस्त प्राणियों में आबिष्ट हूँ। जो मुझे नहीं मानते हैं, वे क्षीण हो जाते हैं। जिन पर मेरा अनुग्रह हो जाता है, उसे मैं बलवान् स्तोता, श्रुति या बुद्धिमान् बना सबती हूँ...'। सामवेद के 'वाचंस्य मूक्त' में 'ह-वाह वाचम्' तथा 'ज्योतिष्टोम सूक्त' के 'वाक् विसर्जनं स्तोत्र' में वाणी की अधिष्ठा देवी सरस्वती के बहुविध रूपों की बल्पना की गई है। यजुर्वेद (अ० २।२) में 'सरस्वत्यै स्वाहा' मंत्र में सरस्वती को आहुति-दान का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद (अ० ५।१६) में ही पृथ्वी तथा अदिनि आदि देवियों का स्तुरय वर्णन हुआ है।

इसी वेद (अ० १७।५५) में पाँच दिशाओं के विघ्न-बाधा-निवारक इन्द्र, वरुण, यम, सोम तथा ब्रह्मा आदि देवों की रक्षारमक पाँच शक्तियों का आवाहन किया गया है। अथर्ववेद (४।३०) में वर्णन हुआ है कि 'मैं सभी रुद्रों, वसुओं तथा आदित्यों और समस्त देवों के साथ सचरण करती हूँ।' इसी वेद (१०।१२५) में भुवन्मोहिनी आद्याशक्ति कहती हैं—'मैं समस्त देवों के साथ उनमें व्याप्त हूँ।' इसी प्रकार अथर्वशीर्ष, 'श्रीसूक्त', 'देवीसूक्त' आदि सन्दर्भों में शक्ति के विराट् स्वरूप, सृष्टि का एकमात्र आधार सर्वव्यापिनी महाशक्ति का स्तवन किया गया है।

वेदों की अपेक्षा उपनिषदों में सृष्टि की सर्जनात्मक आद्याशक्ति का अधिक स्पष्ट तथा प्रभावकारी वर्णन देखने को मिलता है। 'केनोपनिषद्' में कहा गया है कि हैमवती (पार्वती) में महाशक्ति के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मात्मक का उपदेश दिया था। दस प्रमुख उपनिषदों में दस महाविद्याएँ दस महाशक्तियों की प्रतीक हैं। उपनिषदों की ब्रह्मप्रतिरोधिनी माया एव अविद्या जगत्प्रपञ्च में विमोहित करने वाली ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं, जो द्वन्द्वात्मक एव ध्रमजनित मिथ्यात्व की विधायिनी हैं, किन्तु जो ब्रह्मरूप में ही पर्यवसित है। उपनिषदों की कलाएँ-विकलाएँ, जो सृष्टि-रचना की अपरिहार्य साधन हैं, वस्तुतः शक्ति के ही सर्वव्यापी स्वरूप की प्रतीक हैं।

वेदों तथा उपनिषदों के ऋषि-महर्षियों के कार्य-कारण रूप जिस माया शक्ति का वर्चस्व स्वीकार किया है और जिसकी अपराजेय, अपरम्पार सत्ता को बार-बार नमन किया है। आदिकवि वाल्मीकि और पुराणकार व्यास ने भी उसकी सर्वव्यापकता के प्रति विनम्र धन्दनाभाव व्यक्त किये हैं। 'रामायण' तथा 'महाभारत' में सृष्टि समोहिनी जगद्धात्री की स्तुति वर्णित है। 'रामायण' की सीता 'महाभारत' की द्रौपदी देहधारी भगवत् की ऐसी महाशक्तियाँ हैं, जिनके चरित्रों में दिव्यता एव भव्यता परिव्याप्त है और जिनके उदात्त, सर्वगुणोपेत आदर्शों की पूजा आज भी प्रत्येक भारतीय करता है। 'भगवद्-गीता' में भगवान् ने अपनी द्विधा प्रकृति और माया का जो विस्तार, स्वरूप एव प्रभाव बताया है, वह महाशक्ति का ही व्युत्पन्न स्वरूप है।

परवर्ती पौराणिक युग में जगद्विधायिनी आद्याशक्ति ने अनन्त रूपों को लेकर जिन बहुविध तन्त्र-ग्रन्थों का निर्माण हुआ और कई युगों तक भारत के वेद-वेदान्त-विद् यनोपियों ने तानिक उपासना के सर्वव्यापी प्रभाव को वरण किया, उसके स्वरूप एव अस्तित्व के मूल बहुत पहले प्रकार में आने लगे थे। 'रामायण' में बला और अतिबला नामक विद्याओं का उल्लेख हुआ है, जो कि तानिक महाविद्याओं की भाँति हैं और जिनकी उपासना का

प्रकार तांत्रिक है। इसी प्रकार 'महाभारत' (शा०, अ० २५९) में कहा गया है कि सर्वतोमुखी वेदतंत्र द्वारा समान रूप से सभी वर्णों को मोक्ष प्राप्ति का समान अधिकार है। उन अन्वयत्रो को भी, जिन्हें वेदो तथा स्मृतियों के अध्ययन-आचरण से वंचित किया गया है। इस प्रकार महाभारतकार ने तन्त्र-विद्या को स्वतंत्र वेद मानकर उसकी सार्वभौमिकता और सर्वजनोपर्यागिता को प्रमाणित किया है।

वेदो तथा उपनिषदो और 'रामायण', 'महाभारत' की अपेक्षा पुराणों में शक्ति के स्वरूप और उसकी उपासना पद्धति पर विस्तार से चर्चाएँ हुई हैं। 'मार्कण्डेय', 'देवीभागवत', 'कालिकापुराण' तथा 'भागवत' आदि पुराणों में महाशक्ति के विराट् स्वरूप की कल्पना की गई है और उसके विभिन्न स्वरूपों की साधना उपासना की विधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वेदो तथा उपनिषदो में आद्या महाशक्ति के स्वरूप की सूत्ररूप में जो चर्चाएँ वर्णित हैं, पुराणों में उनका व्यापक व्याख्यान किया गया है। 'मार्कण्डेय-पुराण' का 'दुर्गासप्तशतीस्तोत्र' यह स्थापित करता है कि विश्वरूपारत्मक आद्याशक्ति भगवती दुर्गा समस्त देवताओं की अधिष्ठातृ है। भगवद्गीता की ही भाँति 'दुर्गासप्तशती' भी प्रत्येक धर्मप्राण भारतीय परिवार की पवित्र पुस्तक है। वर्ष में दो बार चैत्र और आश्विन मास में प्रत्येक शक्तिपीठ और परिवार में भगवती दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा-अर्चना की परम्परा आज भी विद्यमान है। 'भागवत' (स्क० ३, अ० ४) में शिव को साय देते हुए भृगु ऋषि ने जिस शिवदीक्षा का वर्णन किया है उसका सम्बन्ध स्पष्टतः तांत्रिक शाक्तमत से है। इसी पुराण के ग्यारहवें स्कन्ध में केशव की पूजा तांत्रिक विधि में करने का उल्लेख है।

पुराणों पर आधारित 'नारद पाचरात्र' में शिव के साय शक्ति और महाशक्तिरूपा दस महाविद्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों ने युग में प्रथम देवता ने साय उसकी शक्तिरूपासहचरी का उल्लेख हुआ मिलता है, यथा—नारायण के साय लक्ष्मी, शिव के साय शिवा, सूर्य के साय मावित्री और गणेश के साय अम्बिका आदि। सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मी-नारायण, उमानहेश्वर और गौरीगणेश के युगल पति-पत्नी-सम्बन्धों में शक्ति-स्वरूपा स्त्रीतत्त्व का उल्लेख पहले हुआ है।

परवर्ती साहित्य में शाक्तमत से सम्बन्धित, विरोपरूप से तांत्रिक वाम-मार्ग के सम्बन्ध में, बहुविध नामों से देखने को मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों शती ई० तक तन्त्रविद्या का पर्याप्त प्रचार हो चुका था और ऐसे तांत्रिक उपासकों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाने लगा था।

बौद्ध महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थ 'ललितविस्तर' (३०० ई०) में कहा गया है कि 'कुछ लोग श्मशानों तथा चौराहों पर बैठकर साधना करते थे । वे अपनी पूजा में मद्य-मांस का प्रयोग करते थे । इसी में विदित होता है कि सषागत बुद्ध के समय में ही वाममार्गियों का प्रभाव प्रकाश में आ गया था । बुद्ध ने ऐसे उपासकों को निरा पाषण्डी बताया है । जैन-साहित्य में बुद्धकीर्ति नामक एक ऐसे मुनि का उल्लेख हुआ है जो कि समस्त शास्त्रों में विख्यात था, किन्तु मछलियों का आहार करता था । अपने उस आचरण के कारण वह उच्च जैनाचार से भ्रष्ट होकर रक्ताम्बर धारण करने लग गया था और एकान्त मत का अनुयायी एवं प्रचारक हो गया था ।

इस प्रकार न केवल शाक्तमतानुयायियों में, अपितु जैन-बौद्धों में भी वाममार्गी उपासना-पद्धति का प्रचार प्रसार हो चुका था और उनमें आचार की स्वतंत्र, उन्मुक्त एवं स्वेच्छाचारी परम्पराएँ प्रचलित हो चुकी थी । लगभग ७ वीं शती ई० तक इन वाममार्गी उपासकों में नरबलि की प्रथा भी व्याप्त हो चुकी थी । सम्राट् हर्षवर्द्धन के समय भारत-यात्रा पर आये चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में लिखा है कि एक बार अयोध्या में पूर्व दिशा में वे शक्ति-उपासकों के एक ऐसे सगठन से घिर गये थे, जो उनकी नरबलि देना चाहता था । किन्तु वे किसी प्रकार वहाँ से भाग निकले थे ।

उपर्युक्त बहुविध सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक परिपात्रवर्ष में ही शाक्तमत का अस्तित्व प्रकाश में आ चुका था । वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों की सृष्टि प्रक्रिया में सर्वत्र ही कहा गया है कि एकमेव परमतत्त्व परमेश्वर की इच्छा या वासना के फलस्वरूप इन ब्रह्माण्ड की रचना हुई । परमेश्वर की इच्छारूपी बीजशक्ति ही सृष्टि के उदय का कारण बनी । इस इच्छा से उसने स्वयं को दो भागों में विभक्त किया—एक से पुरुष तत्त्व और दूसरे से स्त्री तत्त्व का आविर्भाव हुआ । इन्हीं दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ।

सृष्टि-विधायक इस स्त्री तत्त्व को आद्याशक्ति, महामाया या प्रकृति आदि विभिन्न नामों से कहा गया । उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता की भाँति अनादि, अनन्त एवं अपरिमित है । परब्रह्म के समस्त गुणों एवं विभूतियों का उसमें स्वतः आधार है । इस आद्याशक्ति का मूल सृष्टि का विस्तार सर्वथा स्वतन्त्र रूप में हुआ । उसके द्वारा सृष्टि-रचना का विस्तार असा, कला, कलास और अशास आदि विभिन्न रूपों हुआ । उसके कल्परूप से स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, स्वस्ति, पुष्टि, तुष्टि, दिति और अदिति की उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार कलास तथा अशास से विभिन्न देवियाँ, अप्सराएँ, मानव देहधारी स्त्रियाँ तथा

पशु शरीरधारी स्त्रीलिङ्गों की सृष्टि हुई। उसी आद्याशक्ति से लक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री तथा पावती आदि का आविर्भाव हुआ, जिनके महनीय वरदानों तथा कृपाओं से देवताओं तथा मानव-जाति के सकटों का निवारण होता रहा।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व के मूल में आद्याशक्ति ही विद्यमान रही है और उससे आविर्भूत विभिन्न शक्तिरूपों की आराधना-उपासना के फलस्वरूप शाक्तमत का जन्म हुआ। इस मत के अनुनायियों द्वारा दस महाविद्याएँ परम आराध्या मानी जाती हैं। 'त्रिगमो' में जिते विराट् विद्या' कहा गया है, 'आगमो' में उने महाविद्या' नाम दिया गया है। दक्षिण तथा वाम, दोनों मार्गों के शाक्त समान रूप से इन दस महाविद्याओं की उपासना और साधना करते हैं। ये दस महाविद्याएँ हैं—१ महाकाली, २. उग्रतारा, ३. पोडसी, ४. भुवनेश्वरी, ५. छिन्नमस्ता, ६ भैरवी, ७ धूम्रावली, ८ वगुलामुखी, ९ मातंगी और १० कमला।

तांत्रिक दीक्षा

शाक्तमत की तांत्रिक दीक्षा बड़ी जटिल और ऊहापोहमयी है। उसमें विधिवत् दीक्षा प्राप्त करने वाले विरले ही अधिकारी होते हैं। दीक्षा के समय सर्वप्रथम शिष्य को देवता का गूढ़ अर्थ एवं रहस्य समझाया जाता है और साथ ही उसे सुगोपित रखने के बख़्त निर्देश दिये जाते हैं। गोपनीयता के ये निर्देश नितान्त माकेतिक होते हैं और उनके अर्थ भी सर्वथा काल्पनिक होते हैं। बीजमन्त्र एवाक्षरी और अर्थहीन होते हैं, यथा—ह्रीं, ग्लीं, श्रीं, ह्रूं आदि। इन बीजमन्त्रों की गोपनीयता के सम्बन्ध में कहा गया है कि घन, स्त्री और यहाँ तक कि स्वयं को भी अपित करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। दीक्षित एवं अभिविक्त व्यक्ति के अतिरिक्त मन्त्रों के रहस्य को किसी अन्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए।

दीक्षित साधक की अन्तर्वाह्य मलिनताओं के पवित्रीकरण के लिए पाँच प्रकार की शुद्धियाँ बताई गई हैं, जिनके नाम हैं—१. आत्मशुद्धि, २. स्थान-शुद्धि, ३. मन्त्रशुद्धि, ४. दृष्यशुद्धि और ५. देयताशुद्धि। इन शुद्धियों से परिरुद्ध भाव्य देवता के पूजन का अधिकारी होता है।

साधना के समय साधक अनेक दिव्य नामों तथा बीजाक्षर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए माथ ही तदनुसार अनेक प्रकार के अग्न्यासी तथा वर-ग्यामों का प्रयोग करता है। मन्त्राक्षरों के उच्चारण के माथ शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करते जाते हैं, जिससे कि शरीर के उन-उन अंग में दिव्य शक्ति का आधान हो।

उपासना पद्धति

शाक्तमत की उपासना-पद्धति भी, तान्त्रिक दीक्षा की भाँति, नितान्त सुगोपित एव निजी है। उपासना के लिए तीन भावों और सात आचारों का विधिवत् पालन करना होता है। भाव साधक की आन्तरिक मानसिक अवस्थाओं के परिष्कार से सम्बन्धित है, जब कि आचारों का सम्बन्ध बाह्य-वस्तुओं से है।

भास तीन प्रकार के हैं—१ पशुभाव, २ वीरभाव, और ३ दिव्य-भाव। उन्हे क्रमशः पश्चात्चार, वीराचार और दिव्याचार भी कहा जाता है। मन की वह अवस्था, जिससे अविद्याजनित अद्वैतभाव सर्वथा विलुप्त हो जाता है, 'पशुभाव' कहलाता है। साधक की वह मन स्थिति, जिसमें स्थिर या एकनिष्ठ रहता हुआ वह भ्रान्तिजनित अज्ञान का ध्वंस करने में सतत प्रयत्नशील रहते हुए सफ़ाता की ओर अग्रसर रहता है, 'वीरभाव' कहलाता है। साधक के मन की वह अवस्था, जिसमें अवस्थित रहता हुआ वह अद्वैतानन्द का अनुभव करता है, 'दिव्यभाव' कहलाती है। इस प्रकार पशु-भाव से ज्ञानसिद्धि, वीरभाव से त्रियासिद्धि और दिव्यभाव से देवता का साक्षात्कार होता है। साधक पशुभाव से ज्ञानोपलब्धि करके वीरभाव से साक्षात् स्वरूप प्राप्त करता है और दिव्यभाव से देवता की भाँति त्रियाशील हो जाता है।

सप्तविध आचार

साधक के अन्तर्मन से सम्बन्धित उक्त तीन प्रकार के भावों की सिद्धि के लिए बाह्यशुद्धि से सम्बन्धित सात प्रकार के आचारों का विधिवत् आचरण या परिपालन करना आवश्यक बताया गया है। 'कुलाणंवतत्र' के अनुसार शाक्तमत के प्रमुख दो वर्ग हैं—पश्चात्चारी और वीराचारी। पश्चात्चारी मन के अनुयायी शाक्त मद्य मांस का भक्षण नहीं करते हैं, किन्तु वीराचारी मत के अनुयायी मद्य-मांसादि का अनिवायंरूप में सेवन करते हैं। दोनों वर्गों के शाक्तों की साधना में पशु-पक्षी मनुष्य की बलि द्वारा देवी को शान्त करने का विधान है।

इन दोनों वर्गों के अनुयायियों के लिए सप्तविध आचारों का परिष्कार करने का निर्देश तत्रग्रन्थों में वर्णित है। ये सप्तविध आचार हैं—१ वेदाचार, २ वंशवाचार, ३ दंडाचार, ४ दक्षिणाचार, ५ वामाचार, ६ मिद्वान्ता-चार और ७ कौशाचार। तत्रग्रन्थों में ये आचार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताये गये हैं। प्रथम चार आचार पशुभाव के साधक हैं। वामाचार तथा मिद्वान्ताचार

वीरभाव के साधक हैं और इसी प्रकार अन्तिम कौलाचार दिव्यभाव का साधक है। कौलाचार से साधित दिव्यभाव अद्वैतावस्था की चरम स्थिति है और आरम्भिक दोनों भावों की साधना के अनन्तर ही इस अन्तिम भाव की प्राप्ति होती है। कौल की अन्तिम स्थिति को प्राप्त करना ही साधक का एकमात्र लक्ष्य होता है। इन सप्तविध आचारों का निरूपण इस प्रकार है—

१ वेदाचार—शाक्तों के इस आचार का सम्बन्ध कर्मकाण्ड से है। प्रत्येक साधक को आचारनिष्ठ होकर वैदिक कर्मों का निरत्य अनुष्ठान करना होता है, जिससे कि बाल्यशुद्धि के साथ ही धर्म में आस्था बनी रहे और मन को निर्मल किया जा सके।

२ वैष्णवाचार—साधक के मन में जो अन्धविश्वास और सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं, इस आचार के अनुपालन से वे निर्मल हो जाते हैं। उस स्थिति में साधक का मन ब्रह्मजिज्ञाना की ओर प्रवृत्त होता है।

३ शैवाचार—इस आचार के परिपालन से साधक के मन में अधर्म के प्रति अहनि और धर्मचरण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती है। उसके अन्तस् में ज्ञान का प्रकाश होकर उसकी प्रवृत्ति ब्रह्मसाक्षात्कार के प्रति उन्मुख होती है।

४. दक्षिणाचार—इस आचार के अनुष्ठान से साधक की इच्छा, क्रिया और ज्ञान की शक्तियाँ उजागर होती हैं। वह ब्रह्ममानीप्यता की ओर अग्रसर होता है। इस उच्च अवस्था में पहुँच कर साधक वामाचार की दीक्षा ग्रहण करने का अधिकारी हो जाता है।

निगम-ग्रन्थों में जब शाक्तमत का व्यापकता में व्याख्यान हुआ, तब शाक्त मत को दक्षिणाचार या दक्षिण धर्म अथवा वैदिक शाक्तमत के नाम से कहा जाने लगा। शंकराचार्य के अनुयायी दक्षिण भारत के दार्शनिक विद्वान् दक्षिणाचारी शैव हैं।

वामाचार की अपेक्षा दक्षिणाचार की उपासना-पद्धति में अन्तर है। दक्षिणाचार की उपासना पद्धति अद्वैतपरव है। दक्षिणाचारी साधक स्वयं को शिव मानकर पंचतत्त्वों में शिवा (शक्ति) का पूजन करता है। योगिक साधना द्वारा शक्ति तथा शक्तिमान् की अभिप्राय की अनुभूति की जाती है। दक्षिणाचार का दूसरा नाम समयाचार भी है। इसलिए उसकी योगसाधना में समय का बड़ा महत्त्व है। समय ही शिव है, जो हृदयाकाश में स्थित है और जिससे माधक या योगी अधिष्ठान, अनुष्ठान तथा अवस्थान, नाम तथा रूपभेद से पाँच प्रकार का साम्य स्थापित करता है। समय ही शिव तथा शक्ति के नामरस्य का प्रतीक है। समयाचार (दक्षिणाचार) की साधना में

मूलाधार में सुप्त कुण्डलिनी को जागृत कर सहस्रधारचक्र में अधिष्ठित किया जाता है और मदाशिव के साथ ऐक्य स्थापित किया जाता है ।

सात्त्विक ग्रन्थों के अनुसार मनुष्य शरीर में अनेक क्षूद्र प्रणवियों या रहस्यमय शक्तिमूत्र विद्यमान हैं, जिन्हें नाडी कहा जाता है । उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण शक्तिमूत्र 'मुपुम्ना' है । उससे सम्बन्धित छ केन्द्र या चक्र हैं । उस चक्र को 'कमल' कहा जाता है । ये छ चक्र एक के ऊपर दूसरा स्थित है । सबसे नीचे का चक्र 'मूलाधार' कटि के नीचे स्थित है । उसके चारों ओर साढ़े तीन घेरो में सर्पाकार शक्ति सुसुप्तावस्था में विद्यमान रहती है । उसे 'कुण्डलिनी' कहा जाता है । शक्ति साधना में इसी कुण्डलिनी को जागृत किया जाता है और सबसे ऊपरी चक्र 'सहस्रधार' में ले जाया जाता है । उसी अवस्था में साधक स्वयं को सिद्धि के निकट पहुँचा अनुभव करता है ।

५. वामाचार—यह अवस्था निवृत्ति-मार्ग की है । इस अवस्था में साधक समस्त भोगेच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और समस्त मोह बन्धनों को विच्छिन्न कर डालता है । इस अवस्था में पहुँच कर साधक परम शिवत्व को प्राप्त करता है ।

६ सिद्धान्ताचार—इस अवस्था में पहुँच कर साधक ममस्त सात्त्विक क्रिया-कलापों से विमुक्त होकर दिव्य आलोक का दर्शन करता है । यह पूर्ण अध्यात्म की स्थिति है, जिसमें साधक शिव-सान्निध्य का अनुभव करता है ।

७ कौलाचार—जब साधक उक्त छ आचारों का विधिवत् पालन एवं आचरण करने के उपरान्त सातवीं अग्निम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह स्वयं को अनन्त विराट् सत्ता में विलयित कर लेता है । आत्मा-परमात्मा के ऐक्य की यह स्थिति 'कौल' कही जाती है ।

शाक्तों के प्रामाणिक एवं मान्य ग्रन्थ 'परशुरामभार्यवसून' में कहा गया है कि दिव्यभाव में लीन ब्रह्मज्ञानी 'कौल' है । 'कुलार्णवतत्र' में कहा गया है कि 'दिव्यभाव में अभिरत, सर्वत्र समान रूप से देखने वाला साधक कौल कहलाता है'—

दिव्यभावरत कौलसर्वत्र समदर्शिन ।

तत्र-ग्रन्थों के निर्देशानुसार उक्त सात प्रकार के आचारों का क्रमशः उत्तरोत्तर परिपालन एवं आचरण करना उन साधकों के लिए आवश्यक है, जो प्रथम बार नये रूप में दीक्षित हुए हैं । विन्तु जिस साधक का सम्बन्ध विधिवत् दीक्षित वामाचारी परम्परा से है, वह सीधे वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार का अधिकारी हो सकता है । उसे उपासना मार्गों का क्रमशः

अनुसरण या आचरण करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् वह विराट् सत्ता से ऐक्य स्थापित करने का पूरा अधिकारी है ।

इस प्रकार उक्त सप्तविध आचारों का परिपालन करता हुआ निष्ठावान् शाक्त साधक परमगति को प्राप्त करता है । ये आचार पवित्र जीवन धारण करने और विषय-वासनाओं का दमन के लिए आवश्यक बताये गये हैं । किन्तु कालान्तर में शास्त्रीय निर्देशों की अवहेलना करके वाममार्गी शाक्तों तथा कौलाचारियों ने शाक्त-साधना को आचरनिष्ठ परम्परा को स्वेच्छाचार में परिवर्तित कर उसे लोकनिन्दा का विषय बना दिया ।

कौलाचार की विकृतावस्था

शाक्तमत में तन्त्र-साधना की अन्तिम एवं सर्वोच्च स्थिति कौलाचार को कालान्तर में पाक्षण्डी साधको ने स्वेच्छाचार में परिवर्तित कर दिया । इस स्वेच्छाचार पर स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना की गई और उसे शास्त्रसम्मत बनाने का प्रयास किया गया । परम्परागत तन्त्रशास्त्र की दुर्गम एवं कठिन साधना-पद्धति में प्रक्षेप जोड़ कर उन्हें बौद्धों के बज्रयान या वाममार्ग का अंग बना दिया गया । कौलाचार के इस भ्रष्ट रूप के सम्बन्ध में 'नित्यातत्र' नामक ग्रन्थ में ऐसे निर्देश जोड़े गये, जो कि शर्चया शास्त्र विसर्गत थे । इस प्रकार नियमों से विमुक्त एवं अनुशासनहीन स्वर्ण-वृष का भेदज्ञान न रखने वाले कौल भीतर से शाक्त, बाहर से शैव और समाज में वैष्णव—इन नाना रूपों को धारण कर पृथ्वी में विचरण करने लगे ।

इस प्रकार तन्त्र-साधना की एक नई आचार-पद्धति का प्रचलन हुआ और 'कौलोपनिषद्' जैसे ग्रन्थों का निर्माण किया गया । उसमें कहा गया है कि 'पूजा-याठ तथा यज्ञादि से मुक्ति संभव नहीं है । उसे प्राप्त करने के लिए परम्परागत सामाजिक बन्धनों को तोड़ना चाहिए । कौल धर्म का यही बीरोबित मार्ग है ।' सामाजिक बन्धनों, अर्थात् परम्परागत शास्त्रीय मान्यताओं, नियमों और आदशों को तिलाजलि देकर मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन—इन पक्ष मकारों का स्वच्छन्द भाव से सेवन करना ही प्रत्येक कौलाचारी का धर्म है । इस प्रकार वामपन्थी गालों के प्रभाव से कौलाचारियों ने पाक्षण्डी तथा अमामाजिक, अनैतिक आचरणों के कारण शाक्त मार्ग की उज्ज्वल परम्परा लोकनिन्दा के कारण क्षीणोन्मुख हुई और उसको घृणा की दृष्टि में देखा जाने लगा । उसने प्रति समाज में अविश्राम की भावना उत्पन्न हुई ।

वाममार्ग (अभारतीय मूल)

भारत की धार्मिक परम्परा में शाक्तमत का इतिहास अनेक प्रकार की विसंगतियों से भरा हुआ है। भारत में शाक्तमत दो मुख्य भागों में विभक्त हुआ मिलता है—दक्षिण, जिसे 'सग्ल' भी कहा गया है, और वाम, जिसे 'मधुर' नाम से भी कहा गया है। इन्हें क्रमशः दक्षिणाचार और वामाचार भी कहा जाता है। दक्षिणाचार को समयाचार और वामाचार को कौलाचार नाम दिया गया है। दक्षिणाचार वेदानुमोदित, अतः भारतीय मूल का है, और वामाचार वेदवाह्य होने से अभारतीय मूल का है और अवैदिक तंत्रों पर आधारित है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय वैदिक शाक्तमत की परम्परा जैसे समय-समय पर अनेक बाहरी देशों में फैली, ठीक उसी प्रकार वामाचार की शाखा बाहरी देशों से भारत में प्रविष्ट हुई। एशिया के विभिन्न देशों में शक्ति की उपासना के विभिन्न रूप प्राचीन काल से ही प्रचलित थे। 'चीनाचार' नामक तान्त्रिक ग्रन्थ में कहा गया है कि बुद्ध के उपदेश से वसिष्ठ ने चीन जाकर तारा के दर्शन किये थे। भारतीय शाक्तमत में तारा की उपासना का जो स्वरूप देखने को मिलता है, उस पर चीन का प्रभाव है। स्पष्ट है कि भारत से पूर्व चीन में देवी तारा की उपासना-पद्धति प्रचलित थी और वहाँ से वह भाग्य में आई।

शक्ति की वामाचार पद्धति की उपासना के मूल प्रतिनिधि सभवतः मग जाति के लोग थे। यह मग जाति मूलतः अभारतीय थी। किन्तु भारत में आकर स्थायी रूप से बस गई थी। वह स्थापत्य और भवन-निर्माण की कला में अत्यन्त बुराल थी। 'महाभारत' के पाण्डवों ने इन मगों से ही उस चक्रव्यूह भवन का निर्माण कराया था, जिसमें युद्ध करते हुए अभिमन्यु फँस गया था। 'कुलालिकाम्नायतन' में मगों को ब्राह्मण बताया गया है। 'भविष्यपुराण' में सूर्योपासक मगों का तथा उनके वरिष्ठ व्यक्ति साम्ब का पुरोहिती करना वर्णित है। पश्चिमी धर्म में 'पीरे मगों' मगाचार्य का ही बोधक है। इसलिए उनका मूल देश पश्चिम ही प्रतीत होता है। उनकी उपासना-पद्धति में मद्यमासादि का सेवन प्रचलित था। उनमें पंच भकार सेवन की वही विधि वर्तमान थी, जो भारत में बज्रयानी बौद्ध तथा वाममार्गी शाक्तों में प्रचलित थी। इन आधारों पर यह अनुमान लगाना अनुचित न होगा कि बृहत्तर एशिया के देशों में वाममार्ग की उपासना-पद्धति प्रचलित थी।

भारत में वाममार्गी उपासना-पद्धति का प्रचलन, शाक्तों में पूर्व बज्रयानी बौद्धों की आचार-पद्धति में बहुदूर हो चुका था। बौद्ध धर्म के बज्रयान

सम्प्रदाय का उदय कुपाण सम्राट् कनिष्क के समय (प्रथम शती ई०) में ही हो चुका था और वाममार्गी शाक्तों में प्रचलित पंच मकार की उपासना-पद्धति विशेष रूप से बंगाल तथा असम में प्रकाश में आ चुकी थी। दक्षिणाचार के अनुयायी वैदिक परम्पराओं का अनुसरण करते थे और वामाचारी बौद्ध अवैदिक ब्रह्मवादी मान्यताओं के अनुयायी थे। ये वामाचारी विभिन्न जातियों तथा वर्गों के थे और अवसर तथा परिस्थिति के अनुसार स्वेच्छा में द्विज या ब्राह्मण बन जाते थे।

इस प्रकार मध्य शक्ति-उपासक वाममार्ग की उपज अभारतीय थी, और भारत में प्रविष्ट होने के बाद शाक्त-उपासकों के एक वर्ग को उसने अपनी आचार-पद्धति से प्रभावित कर लिया था, तथापि कालान्तर में उसका भारतीय-करण हो गया। भारत में उसका विकास ल्कुलीश और कापालिक वाममार्गी शाक्त शाखाओं के रूप में हुआ।

पंच मकारात्मक वामाचार साधना

वाममार्ग में अभिषिक्त या दीक्षित पूर्ण ज्ञानी साधक के लिए पंच मकारों के परिपालन का विधान किया गया है। तत्र-ग्रन्थों में पंच मकार की महिमा विस्तार से वर्णित है। वहाँ यह निर्देश किया गया है कि पंच मकारों को सम्पन्न किये बिना साधक को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। महामाया जगदम्बिका की पूजा-उपासना के लिए मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन—इन साधनरूप पंच मकारों का विधि-विहित उपयोग प्रयोग करना चाहिए। इन पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त साधक पूर्ण शिवत्व को प्राप्त करता है। तदुपरान्त वह अभेद-भाव की परमोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में 'नित्यातत्र' नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि उस परमायस्या को प्राप्त करने के उपरान्त साधक के लिए देह-काष्ठ-तिथि, शत्रु मित्र आदि का कोई नियम तथा भेद नहीं रह जाता है—हे देवेनि, महामत्र साधना का भी कोई नियम नहीं है। वह वदंम-चन्दन, मित्र शत्रु, दमनान-ग्रह और स्वर्ण-सृण के भेद भाव से मुक्त हो जाता है। साधक की यह विमुक्तावस्था ही 'कौशचार' के नाम से कही जाती है।

कौशचार साधना में पंच मकार प्रतीकात्मक तत्त्व हैं। वस्तुतः मद्य एक शैवित्वात्मक मन्दिर न होकर ब्रह्मरन्ध्र में स्थित महत्प्रदल कमल से आवृत 'अमृत' या 'मधु' है। योगशक्ति के द्वारा साधक इसे ज्ञानरूपी सङ्घ में वामनारूपी पशुओं (अनिष्टों) को मारता (दमन करता) है। इन वामनाओं का दमन कर मन को सशान्ति में सम्मिल कर देना ही 'मांस' मैथुन है। शरीर में स्थित

इडा तथा त्रिगुला नाडियो में प्रवाहित होने वाले श्वास प्रश्वास ही 'मत्स्य' है। मत्स्य-सेवन के द्वारा साधक प्राणायाम की प्रक्रिया से श्वास-प्रश्वास को अवरुद्ध कर प्राणवायु को सुषुम्ना नाडी के भीतर संचालित करता है। अस्व-सर्प का परिव्याग तथा सत्सर्प का सेवन ही 'मुद्रा' है। साधक की अन्तिम या परम स्थिति सहस्राधारचक्र में स्थित कुण्डलिनी का मिलन ही 'मैथुन' है।

'महानिर्वाणतत्र' के ग्यारहवें अध्याय में पंच मकारों की विधि तथा फल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मद्यपान से अष्ट ऐश्वर्य तथा परा मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। मास-भक्षण से साक्षात् नारायण का स्वरूप-दर्शन होता है। मत्स्य-आहार से महाबाली के दर्शन होते हैं। मुद्रा के सेवन से भगवान् विष्णु का वर प्राप्त होता है। अन्तिम मैथुन के सेवन से साधक परम शिवत्व को प्राप्त करता है। पंच मकारों के सेवन के ये प्रतीकात्मक संकेत हैं। तन्त्रशास्त्र में पंच मकारों को मानसिक वृत्तियों का सवेतात्मक प्रतीक माना गया है और उनकी मिद्धि के लिए सूक्ष्म तात्त्विक स्वरूप की साधना करनी बतलाई गई है।

पंच मकार वस्तुतः आन्तरिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित हैं और इसीलिए उन्हें महापातकों का विनाशक माना गया है। 'श्यामारहस्य' नामक तन्त्र ग्रन्थ में कहा गया कि 'पंच मकारों का शास्त्रोक्त विधि से सेवन करने पर महापातक नष्ट हो जाते हैं'—

मद्य मास च मत्स्य च मुद्रा-मैथुनमेव च ।

मकारपञ्चकञ्चैव महापातकनाशनम् ॥

पाण्डवी वामाचारियों ने इन पंच मकारों की प्रतीकात्मकता को विस्मृत कर उन्हें स्थूल भौतिकता का साधन बनाया और इस प्रकार समाज में वामाचार के प्रति घृणा एवं विवृष्णा बढ़ती गई। उन्होंने परम्परागत साधना की गरिमा को क्षीण कर दिया। फलस्वरूप वामाचार की साधना पद्यद्वय अर्थात् लोगों का एक गोपनीय सगठन बन गया। पंचत्व का यह पतनोन्मुखी आचार इस सीमा तक पहुँचा कि 'हृद्योगप्रदीपिका' में कहा गया है कि 'जो नित्य गोमाम भक्षण और अमर वारणि का प्रयोग करता है, उसको मैं कुलीन मानता हूँ। ऐसा न करने वाला कुलघातक है।' (३।४७ ४८)

आगे चलकर इस पन्थ के अनुयायियों ने मैथुनादि के अतिरिक्त वसीकरण, स्तम्भन, विद्वेष, उच्चाटन, मारण और मोहन आदि षट् क्रियाओं का प्रयोग किया। इस प्रकार वामाचार की उदात्त परम्परा 'कामाचार' तथा चरित्र-हीनता, अनैतिकता और सारीरिक आनन्द का द्योतक बन गया और बुरी तरह बदनाम होकर अस्तित्वहीन हो गया।

वाममार्ग के विभिन्न पन्थों का उदय

वाममार्गी शाक्तों के समय-समय पर विभिन्न पन्थों का उदय होता रहा और समाज द्वारा उपेक्षित तथा तिरस्कृत होने के कारण अल्प समय में ही विकसित होते रहे। इस प्रकार के पन्थों के नाम थे—बोलीपन्थ, करारीपन्थ, वीलापन्थ, मार्गोपन्थ, मातापन्थ, कुँडापन्थ, बुद्धिवापन्थ, गुह्यपन्थ और अघोरपन्थ या सुरभंगपन्थ।

इन नये वाममार्गी पन्थों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं है। बुद्धिवापन्थ के सम्बन्ध में 'नित्यात्मिक तिल मंत्र' नामक ग्रन्थ में उल्लेख हुआ है, जिसकी रचना १२९४ वि० में हुई थी। इस प्रकार प्राचीनता की दृष्टि से इसका महत्त्व है; किन्तु अल्प समय में ही यह कथावस्तु ही गया। गुह्यपन्थ तांत्रिक शाक्तों की गुह्यशास्त्रों से सम्बन्धित था। विधिवत् दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त ही इस पन्थ में प्रवेश होता था। बन्दराओ, शुद्धाओं तथा नितान्त गोपनीय स्थानों में इस पन्थ का कुछ समय तक अस्तित्व बना रहा।

वाममार्गी शाक्तों का अघोरपन्थ या सरभंगपन्थ, ऐसा प्रतीत होता है कि ७वीं शती ई० में वर्तमान था, क्योंकि नाट्यकार भक्तभूति के 'माछसीमाधर' नाटक में देवी घामुण्डा के पुजारी अघोरपण्ड तथा उनकी शिष्या कपालकुण्डला का उल्लेख हुआ है। ये दोनों नरमेघ के अनुयायी थे। इस पन्थ के अनुयायी तांत्रिक साधु मनुष्य की शोषणों लिए मद्य-मांसादि का सेवन करते थे। भैरव तथा घामुण्डा देवी उनके उपास्यदेव थे। अपने उपास्य को ये नरबलि चढ़ाते थे और इमसान में रहकर बीमारों को उपशान्त कराने द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। इन्हें अवधूत या भौषड कहा जाता था और क्योंकि नरबलि के अनुयायी थे, अतः समाज में उनका नाम भयप्रद बना हुआ था। मूर्तिपूजा पर उनका विश्वास नहीं था।

सम्प्रति अघोरपन्थ का सम्बन्ध नाथपन्थ के हठयोगियों तथा तांत्रिक वाममार्गियों से है और नरबलि की प्रथा उनमें समाप्त हो गई है। किसी समय बड़ोदा स्थित अघोरेश्वर मठ और बाराही में श्री-कुण्ड मठ उनके बहुमान्य केन्द्र थे। सैद्धांतिक दृष्टि से वे अद्वैतवादी हैं। साधना की दृष्टि से उन्हें हठयोगी या सद्योगी कहा जाता है। उनमें कोई स्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो कोई रंगीन वस्त्र। सम्प्रति उनके दो वर्ग हैं—अवधूत (निर्वाणी) और वृद्धाथ। इन पन्थ पर भी मद्यपि ग्रन्थ-रचना हुई, किन्तु यह उपलब्ध नहीं है। बीनाराम का 'त्रिभिन्नतार' और टीकमनाराय की 'रागमांग' आदि इतनी ही पन्थ से सम्बन्धित हैं।

प्रमुख शाक्तपीठ

तत्र-ग्रन्थों में निरूपित शक्ति-उपासना के जो विधि-विधान हैं, उनके अनुरूप शक्ति के उपासकों की संख्या भले ही आज न्यून हो गई है, तथापि शक्ति-पूजकों एवं आराधकों, भक्तों का प्रसार प्रायः समस्त भारत में देखने को मिलता है। सुदूर अतीत में शिव और शक्ति ने प्रति भारत के जन-मानस में जो श्रद्धा भक्ति विद्यमान रही, उसकी परम्परा निरन्तर विकसित होती रही और भारत के नगरो से लेकर गाँवों तक प्रतिष्ठित शिव तथा देवी के असंख्य मठ, मन्दिर एवं पीठ आज भी इस देश की धर्मनिष्ठ जनता के विश्वासों के प्रतीक हैं।

शाक्तमत के तांत्रिक ग्रन्थों (कुलालिक तत्र) में पाँच वेदों, पाँच योगियों और पाँच पीठों का उल्लेख हुआ है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और अर्ध्व—ये पाँच आम्नाय (वेद) हैं। महेश्वर, शिवयोगी आदि पाँच योगी हैं। उत्कल में उड्डियान, पंजाब में जालंधर, महाराष्ट्र में पूर्ण, श्रीशैली में मतंग और कामरूप (असम) में कामाख्या—ये पाँच प्रमुख पीठ हैं। किन्तु कालान्तर में इन सिद्धपीठों की संख्या ५१ हो गई।

भारत के कुछ प्रमुख शाक्तपीठ ऐसे हैं, जो प्राचीनता की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्त्व के हैं और जिनकी ख्याति आज भी पवित्र सिद्ध तीर्थों के रूप में बनी हुई है। दक्षिण भारत में श्रीशैल पर्वत पर 'ब्रह्मरम्भा' नाम से एक प्रसिद्ध शाक्तपीठ उल्लेखनीय है। उसे बौद्धधर्मानुयायी मल्लिकार्जुन द्वारा बनाया हुआ बताया है। ४०० ई० पूर्व में चन्द्रगुप्त मौर्य की पुत्री इम शक्तिपीठ की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन मल्लिका पुष्पा से देवता की अर्चना करती थी। यह पहले बौद्ध भिक्षुओं का तीर्थ-स्थल था, किन्तु कालान्तर में हिन्दू मन्दिर के रूप में परिवर्तित एवं विश्रुत हो गया। इस मन्दिर में शिव तथा शक्ति (ब्रह्मरम्भा) की पूजा-अर्चना की परम्परा आज भी वर्तमान है और उसका धार्मिक महत्त्व बना हुआ है।

इस मन्दिर की अपनी विशेषता है। समस्त भारत में यह एकमात्र ऐमा मन्दिर है, जहाँ समस्त धर्मों तथा जातियों के लोग निर्विरोध प्रवेश कर सकते हैं। वे अपनी निष्ठाओं, विश्वासों के अनुसार देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं और भगवान् के दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। इस रूप में यह मन्दिर धार्मिक सद्भाव का भी अनूठा उदाहरण है।

समृद्ध के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति (७वीं शती ई०) के 'मालती-माधव' नाटक में वापालिक सन्यासी अघोरधष्ट का उल्लेख हुआ है, जो देवी चामुण्डा का पुजारी था उपासक था। उसका सम्बन्ध उक्त श्रीशैल

शाक्तपीठ से था। उसकी शिष्या सन्यामिनी कपालकुण्डला भी देवी चामुण्डा की अनन्य उपासिका थी। दोनों ने योगाभ्यास द्वारा आश्चर्यजनक सिद्धि प्राप्त की थी। नरमेघ यज्ञ उनकी साधना की मुख्य क्रिया थी।

इसी प्रकार सहरमा स्टेशन (दरभंगा, बिहार) के निकट वनगामहिंसी नामक गाँव के पास उग्रतारा देवी का एक प्रसिद्ध शाक्तपीठ है। कहा जाता है कि सतीदेह का यहाँ पर नेत्रभाग गिरा था। यहाँ एक यज्ञ पर तारा, एकजटा तथा नील सरस्वती की मूर्तियाँ उत्कीर्णित हैं। इनके अतिरिक्त मन्दिर में दुर्गा, काली, त्रिपुसुन्दरी और तारकेश्वर तथा तारानाथ की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। इस सिद्ध शाक्तपीठ में देवी के दर्शनो का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आज भी देश के सुदूर अंचलो से बहुसंख्यक धर्मनिष्ठ जनता आती है।

शाक्तपीठों की परम्परा में एक प्रसिद्ध शाक्तपीठ आमेर (अम्बा नगर) में स्थित है। यह स्थान जयपुर (राजस्थान) से लगभग सात कि० मी० दूर है। यहाँ पर काली माता का प्रसिद्ध मन्दिर है। इस स्थान को गालव ऋषि की तपोभूमि बताया जाता है। निकट ही शंकर का भी मन्दिर है। इस प्राचीन शाक्तपीठ में भी सुदूर स्थानों से यात्री दर्शनार्थ आते हैं।

एक समय शाक्तमत का समस्त भारत में प्रचार-प्रसार हो चुका था। किन्तु कालान्तर में उसका अस्तित्व विशेष रूप से असम, बंगाल और गौण रूप में बिहार तथा नेपाल में सीमित हो गया था। इस मत का प्रधान तीर्थ असम स्थिति कामाख्या देवी का सिद्धपीठ है। कोच राजा नरनारायण के शासन काल (१६४१-१६९१ वि०) में दीव्य धर्म को बड़ा बल मिला। यह राजा स्वयं बड़ा शास्त्रज्ञ था। हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार में उसका उल्लेखनीय योगदान रहा। वह शाक्तमतानुयायी था और मुगल बादशाहों द्वारा ध्वस्त कामाख्या देवी के मन्दिर का उसने पुनरुद्धार किया था। उसने बंगाल से धर्मनिष्ठ शाक्तदर्शन के ज्ञाता विद्वान् ब्राह्मणों को अपने राज्य में आमन्त्रित किया और उन्हें मन्दिर की पूजा प्रतिष्ठा के लिए नियुक्त किया था। वही परम्परा आज भी वर्तमान है। आज भी कामाख्या देवी का पुजारी नवद्वीप का ब्राह्मण हुआ करता है। इस मन्दिर में देवी के अतिरिक्त राजा नरनारायण और उनके भाई (जो कि उनका सेनापति था) सिलाराम की प्रस्तर मूर्तियाँ दर्शनो की प्रेरणा और श्रद्धा के स्रोत हैं।

प्रमुख शाक्तपीठों में काठमाण्डू (नेपाल) में गुह्येश्वरी देवी का मन्दिर भी एक है। नेपाल में भारत की ही भाँति देवी के अनेक छोटे-बड़े मन्दिर विद्यमान हैं, जिसे ज्ञात होता है कि नेपाल में किसी समय शाक्तमत का व्यापक

प्रचार प्रसार था। शक्ति के उपासकों के ज्वालामुखी, विन्ध्यवासिनी, बाला, बगुलामुखी तथा काली, चामुण्ड आदि देवियों के प्रसिद्ध पीठ हैं और उन पीठों में भैरव, उन्मत्त भैरव तथा कालभैरव की भी पूजा प्रतिष्ठा होती है।

शाक्तमत का साहित्य

शाक्तमत का अस्तित्व बहुत प्राचीन होने के कारण और उसका प्रसार भारत के सभी अंचलों में होने के कारण उस पर प्राचीन समय से ही ग्रन्थों की रचना होने लग गई थी। शाक्तमत यद्यपि भारत की मूल धर्म शाखा है, तथापि कालान्तर में उसका प्रसार नेपाल तथा तिब्बत में भी बहुप्रचलित धर्म के रूप में हुआ। इसलिए शाक्तमत का अधिकतर साहित्य या तो तिब्बत में पाया जाता है अथवा हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में अप्रकाशितावस्था में ही कालक्रम से वह निरन्तर नष्ट होता रहा। साहित्य रचना की दृष्टि से शाक्त धर्म की ग्रन्थ सामग्री को प्रमुख दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—श्रीकुल और कालीकुल। श्रीकुल से सम्बन्धित प्रमुख ग्रन्थ हैं—अगस्त्य कृत 'शक्तिमूत्र', तथा 'शक्तिमहिम्नस्तोत्र', 'सुबोधामृत', 'त्रिपुरारहस्य', गौड-पाद कृत 'विद्यारत्नसूत्र' शंकराचार्य कृत 'सौन्दर्यलहरी' तथा 'प्रपञ्चमार', श्रीहर्ष कृत 'शिवशक्तिसिद्धि' और अभिनवगुप्त कृत 'तत्रालोक'। इसी प्रकार कालीकुल से सम्बन्धित ग्रन्थों के नाम हैं—'कालज्ञान', 'कालोत्तर' तथा 'महाकालसहिता' आदि।

इस धर्म शाखा से सम्बन्धित अधिकतर ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी जिस क्षेत्र या प्रदेश में रचना हुई, प्रायः वही उनका प्रचलन भी रहा। उदाहरण के लिए मुख्यतः तमिल, असम और बंगाल और गौणतः काश्मीर में शाक्तमत का प्रचार अधिक रहा। अतः वहाँ के आचार्यों तथा सत्तों ने अधिकतर ग्रन्थों की रचना की। किन्तु वह ग्रन्थ सामग्री बहुत कुछ अशोभ विलुप्त होती रही।

शाक्तमत के सर्वांगीण नियमों पर एक विशाल ग्रन्थ 'निश्वाततत्त्व-भीमासा' नाम से लिखा गया, जिसका निर्माण ११वीं शती ई० में हुआ। शाक्तमत के क्षेत्र में दक्षिण भारतीय शाक्ता की परम्परा बहुत प्राचीन रही है। सर्वांगीण प्रतिभा के विद्वान् अप्पयदीक्षित (१६०८-१६८० वि०) मूलरूप में शाक्तमत के अनुयायी थे। उनसे भी पूर्व ११वीं शती के अन्तिम चरण में वर्तमान वाराणस (आन्ध्र) निवासी आचार्य लक्ष्मीधर इस मत के प्रसिद्ध विद्वान् हुए। उनका दीक्ष्य नाम विद्याधर था। उन्होंने 'सौन्दर्यलहरीभाष्य' की रचना की। इसने अतिरिक्त 'वामकेश्वरतंत्र' में उन्होंने ६४ तंत्रों की सूची का निर्माण किया। 'मिथ' तथा 'समय' नामक

तत्रो का भी उन्होंने निर्माण किया। उनके उपरान्त तजौर के तीन विद्वानों ने गुरु परम्परा से इस मत का अनुसरण किया। उनके नाम थे—तृप्तिहा-नन्दनाथ, भास्करानन्दनाथ और उमानन्दनाथ। १८वीं शती ई० में वर्तमान भास्करानन्दनाथ दक्षिणमार्गी शाक्त तथा देवी के परम उपासक थे। तृप्तिहा नन्दनाथ उनके गुरु और भास्करानन्दनाथ उनके शिष्य थे। इन तीनों में भास्करानन्दनाथ उच्चकोटि के विद्वान् हुए। वे तजौर नरेश के सभा-मण्डित थे। उन्होंने 'वरिवस्यारहस्य' नाम से सभाप्य आर्या छन्दों में शाक्त-साधना पर विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ की रचना की। शाक्तमत विषयक अनेक ग्रन्थों पर उन्होंने टीकाएँ तथा भाष्य लिखकर इस परम्परा को आगे बढ़ाया।

इसी प्रकार वाममार्गी शाक्त शाखा का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'देवीयामलत्र' है, जिसकी रचना १०वीं शती के लगभग काश्मीर में हुई। उसमें वाममार्गी शाक्तों के धार्मिक अनुष्ठान वर्णित हैं। शाक्तमत की अन्य शाखाओं पर भी अनेक ग्रन्थों की रचना हुई, जिनमें तत्र विषयक ग्रन्थों का विशेष नाम है।

तत्र विषयक ग्रन्थ

तत्रशास्त्र की परम्परा बहुत प्राचीन है। तत्रशास्त्रीय ग्रन्थों में 'तत्र' शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग हुआ है। यहाँ तक कि सास्य, न्याय, धर्मशास्त्र और योगशास्त्र आदि अनेक विषयों को भी तत्र कहा गया है। तत्र का दूसरा नाम आगम है। तत्रशास्त्र के प्रणेता स्वयं शिव हैं। उन्होंने इस शास्त्र का उपदेश सर्वप्रथम भगवती पार्वती को दिया था। यद्यपि अथर्ववेद में तत्र-विहित क्रियाओं, यथा—मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि का उल्लेख हुआ है, तथापि उन वेदविहित क्रियाओं को भगवान् शंकर ने कीलित कर दिया था, और भगवती उमा के कहने पर कल्पियुग के लिए नयी तत्रविद्या का वचन किया था। इस प्रकार तत्रशास्त्र का आधार शिव-पार्वती को माना जाता है। कुछ तत्र-ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें वेदों को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है और इसी प्रकार कुछ वैदिक मतानुयायी आचार्यों जैसे हुए हैं, जिन्होंने तत्र को अवैदिक माना है। फिर भी, क्योंकि आगम का मूल आधार निगम (वेद) है इसलिए तत्रशास्त्र का सम्बन्ध आगम निगम, दोनों से जुड़ा है। कल्पियुग के लिए तत्रशास्त्र को एकमात्र सिद्धिदायक बताया गया है।

तत्रशास्त्र अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है और उसका साहित्य बहुत विशाल है। इन विषय पर अधिकतर ग्रन्थों की रचना १०वीं शती के बाद हुई। अथर्ववेदीय 'तृप्तिहातपनीयोपनिषद्' में सर्वप्रथम तान्त्रिक महामन्त्र का उल्लेख किया गया है। इस उपनिषद् पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इसलिए उसका निर्माण ८वीं शती ई० से पहले हुआ। तत्रशास्त्र के उपलब्ध

प्राचीन ग्रन्थों में लक्ष्मणदेशिक (११वीं शती) द्वारा लिखित 'सारदानिष्क' नामक ग्रन्थ तांत्रिक शास्त्रों में बहुत प्राचीन माना जाता है । १०वीं से १२वीं शती के बीच बौद्धतंत्रों का तिथ्येती अनुवाद हो चुका था । अत स्पष्ट है कि बौद्धतंत्रों की निर्माण-परम्परा ८वीं शती ई० के पहले की है । माय ही यह भी सुनिश्चित है कि हिन्दूतंत्रों के बाद ही बौद्धतंत्रों का निर्माण हुआ । इसलिए तत्रशास्त्रीय ग्रन्थों की निर्माण-परम्परा की प्राचीनता अमन्दिग्ध है ।

विषय-वस्तु की दृष्टि से समस्त तत्रशास्त्र तीन भागों में विभक्त हैं—आगम, यामल तथा मुख्यतत्र । तत्रशास्त्र के जिस भाग में मृष्टि, प्रत्य, देव-पूजा, पट्टकमंसाशन, पुरश्चरण और चतुर्विध ध्यानयोग का वर्णन है, उसे आगम कहा गया है । तत्रशास्त्र के जिस भाग में मृष्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्यकर्म, वर्णभेद और युगधर्म का वर्णन है, उसे 'यामल' कहा गया है । इसी प्रकार जिस भाग में मृष्टि, प्रलय, देव सस्यान, मन्त्र-यत्र निर्णय, तीर्थ, आधमधर्म, कल्प, शोचाशौच, राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यवहार और आध्यात्मिक नियमों का वर्णन है, उसे 'मुख्यतत्र' कहा गया है । इस शास्त्र की उपयोगिता तथा लोकप्रियता इतनी बड़ी कि भारत में जितने भी धार्मिक मत प्रचलित हुए, उनके अलग-अलग तत्र ग्रन्थों का निर्माण हुआ । ब्राह्मणतत्र, बौद्धतत्र और जैनतत्र के रूप में तत्रशास्त्र की परम्परा निरन्तर विकसित होती गई ।

उपामना-पद्धति और उपास्य देव की भिन्नता के कारण एक ही तत्रशास्त्र के अनेक वर्ग या भेद हुए । उदाहरण के लिए एक ही ब्राह्मणतत्र में सौरतत्र, गणपततत्र, वैष्णवतत्र, शैवतत्र तथा शाक्ततत्र आदि अनेक शाखाएँ विकसित हुईं । सौरमत और गणपत्य मत यद्यपि प्राचीन हैं, तथापि उनका प्रचार-प्रसार एक समयवधि के अन्तर्गत रहा । वैष्णवतत्र, शैवतत्र और शाक्ततत्र की परम्पराएँ अधिक विकसित हुईं और उन पर विपुल साहित्य की रचना हुई ।

वैष्णवतत्र—वैष्णवतत्र के आगम-ग्रन्थों को 'पांचरात्र' के नाम से कहा जाता है । उसका मन्वन्ध वेद की एकायन शाखा से स्थापित किया गया है । भगवान की शरणागति के प्रति नितान्त एकान्तिक भाव में तन्मयता के कारण ही इसे 'एकायन' कहा गया है । इस तत्र में चारों वेद, माध्य योग और इन पाँचों का समन्वय होने में उनका 'पांचरात्र' नाम पड़ा । आगे इसे भागवतधर्म भी कहा गया । उत्पलमठ (१०वीं शती) की 'स्कन्दकारिका' में ज्ञात होता है कि पांचरात्र मत तीन शाखाओं में पल्लवित हुआ—पांचरात्र श्रुति, पांचरात्र-उपनिषद् और पांचरात्र-महिता ।

वैष्णवतत्र या पांचरात्र मत पर विपुल साहित्य उपलब्ध है, जिसका विश्लेषण भी प्रकाश में नहीं आ पाया है । 'कारिकालसहिता' में पांचरात्र

की अभिन्नता का निरूपण यद्यपि वेदान्त दर्शन में भी प्रतिपादित है, तथापि शाक्तमत की दार्शनिक दृष्टि उससे कुछ भिन्न है। शाक्त-दृष्टि से उपासना के लिए सर्वप्रथम उपास्य की स्थापना की जाती है और तदनन्तर मन्त्र द्वारा उसमें प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है। फिर उसमें सजीवता का आधान कर उपास्यदेव का आवाहन किया जाता है। शाक्तों की उपास्य देवियों में मुख्यतः काली, तारा, सिंहबाहिनी तथा जगद्धात्री हैं। इन आराध्य शक्तियों के बीजमन्त्र भिन्न भिन्न हैं।

शाक्त दर्शन में शक्ति-गाधना के छद्मीय तत्त्वों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। उनके नाम हैं—शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व और आत्मतत्त्व। शिवतत्त्व के अन्तर्गत शिव तथा शक्ति का समावेश किया गया है। विद्यातत्त्व के अन्तर्गत सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या का समावेश है। तीसरे आत्मतत्त्व के अन्तर्गत इक्कीस तत्त्वों के नाम हैं—माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच कर्मेन्द्रियाँ (श्रोत्र, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ), पाँच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) और पाँच महाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश)।

सृष्टि-उत्पत्ति के सम्बन्ध में शाक्तमत की दार्शनिक दृष्टि सर्वथा निजी है। वहाँ कहा गया है कि सृष्टि-उत्पत्ति के द्वितीय चरण में शक्ति के भूतिरूप का सामूहिक प्रकटीकरण कूटस्थ पुरुष तथा माया शक्ति के रूप में हुआ। कूटस्थ पुरुष विभिन्न आत्माओं का पिण्ड या सामूहिक रूप है और माया शक्ति विश्व का अभीतिक उपादान। माया शक्ति से नियति की उत्पत्ति हुई, जिससे द्वारा जगत् अनुशासित तथा नियमित है। नियति से काल का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि इस जगत का संचालक है।

महाकवि एव दार्शनिक श्रीहर्ष (१२वीं शती ई०) द्वारा विरचित 'शिवभक्तिसिद्धि' नामक ग्रन्थ में शिव-शक्ति के अद्वयवाद का विस्तार से विवेचन किया गया है। उसमें शाक्तमतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा गया है कि सर्वप्रथम अद्वैत परम पुरुष के हृदय में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई और उस इच्छा से वह शिव तथा शक्ति के रूप में विभाजित हुआ। उसमें शिव प्रकाशरूप है और शक्ति विमर्शरूपा। विमर्शरूपा शक्ति के पूर्ण तथा शुद्ध अहंकार की स्फूर्ति, चित्, चैतन्य, स्वगत्य, कर्तृत्व तथा स्फुरण आदि अनेक नाम हैं। प्रकाश को 'सविद्' और विमर्श को 'सुक्ति' कहा गया है। दोनों का अस्तित्व युग्मत्, परस्परारोपित है। शिव-शक्ति के अन्तर्निमेष को 'सदाशिव' और बाह्यनिमेष को 'ईश्वर' कहा गया है। जब शिव तथा शक्ति का सगम होता है, तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है।

(छः)

अद्वैतमत, योगमत और नाथसम्प्रदाय

१. शाकरमत
२. योगीमार्ग
३. नाथपन्थ

शांकरमत

भारतीय इतिहास में शंकराचार्य का नाम युगप्रवर्तक महापुरुषों एवं विचारकों में है। उनका जन्म वर्तमान बेरल के ब्राह्मण परिवार में वैशाख शुक्ल पंचमी को (६८८ ७२० ई०) हुआ था। उनका पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा देवी था। जब वे केवल तीन वर्ष के थे, उनका पिता का स्वर्गवास हो गया था। माता द्वारा ही उनका लालन पालन हुआ। वे बड़े प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि के थे। सात वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने वेद वेदांगों, शास्त्रों और तत्त्वविद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी।

स्वतः प्रेरणा से माता की अनुमति प्राप्त कर वे ८ वर्ष की अवस्था में ही सन्यास धारण करने की अभिलाषा से नमदा तट पर निवास कर रहे गोविन्द भगवत्पाद के पास गये। वे बड़े धर्मनिष्ठ तपस्वी एवं तत्त्ववेत्ता विद्वान् थे। उनसे उन्होंने 'परमहंस' की दीक्षा ली और शंकराचार्य के नाम से कहे जाने लगे। भारतीय वर्णाश्रम में चार आश्रमों का विधान है। उनमें अन्तिम आश्रम सन्यास कहा गया है। उसकी चार कोटियाँ हैं—बुटीघर, बाहूदक, सन्यास एवं परमहंस। ये कोटियाँ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ब्रह्मणी गयी हैं और वैराग्य तथा ज्ञान की उत्तरोत्तर तीव्रता के कारण उनको प्राप्त किया जा सकता है। उनमें परमहंस अन्तिम एवं श्रेष्ठतम स्थिति है। सदसत्त्व विवेक की परिपूर्ण दक्षि अर्जित करने के उपरान्त आत्मबोध होता है। जिस पुरुष में आत्मा का पूर्ण विश्वास हो चुका है, उसे 'परमहंस' कहा जाता है। शंकराचार्य ने इसी परमहंस की दीक्षा ली थी। दीक्षा के उपरान्त गुरु के द्वारा निदिष्ट मार्ग पर चलकर अल्पकाल में ही वे वेद शास्त्रों के गभीर ज्ञान के निष्णात हो गये। गुरु के आदेश से ही वे वासी गये और वहाँ उनके अगाध ज्ञान तथा श्रेष्ठत्व की रूपाति निरन्तर बढ़ती गई।

वासी से वे गुरुशेखर और तदनन्तर बदरिकाश्रम गये। वहाँ से वे प्रयाग लौट आये। इस बीच उनके अनेक शिष्य बनते गये। उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मण ब्रह्मचारी सनदन को दीक्षित किया और उसका नामकरण किया पञ्चनाभाचार्य। दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर उन्होंने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर सारे भारत में अपने 'अद्वैतमत' की प्रतिष्ठा की। उन्होंने मीमांसकों, शौंडो, शंभो, वापतिकों, पाण्डितों, शास्त्रों और शाण्डो के मतों का शण्डन

कर अपने अद्वैतमत का प्रचार प्रसार किया। अन्त में वे माहिष्मती के तत्कालीन भारत-प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् मण्डनमिथ से शास्त्रार्थ के लिये गये। कहा जाता कि शंकराचार्य ने माहिष्मती ग्राम के निम्न पनपट पर एक पनिहारिन या दासी से मण्डनमिथ के घर का पता जानना चाहा, तो उन्होंने सस्त्रुत में उत्तर दिया 'जिस घर पर पिंजरस्थ मैनाएँ स्वतः प्रमाण और परत प्रमाण पर चर्चा करती हुईं दिखाई दें, वही मण्डनमिथ का घर है—

स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण किराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति ।

द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनमिथग्राम ॥

दासी के इस उत्तर को सुनकर शंकराचार्य आश्चर्यचकित हुए और तदनुसार वे मण्डनमिथ के घर पर पहुँचे। वहाँ मीमांसादर्शन के दिग्गज विद्वान् मण्डनमिथ से उनका घोर शास्त्रार्थ हुआ, जिसकी मध्यस्थता मण्डनमिथ की विदुषी पत्नी भारती या शारदादेवी ने की। अन्त में मण्डनमिथ ने शंकराचार्य के मत को स्वीकार किया और वे उनके शिष्य हो गये। उन्होंने सन्यास धारण कर लिया और सुरेश्वराचार्य के नये नाम से विख्यात हुए।

जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है कि देश में धर्म स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण की यात्रा की। वहाँ उन्होंने अनेक विद्वानों को शिष्य रूप में दीक्षित किया और देश के चारों दिशाओं में अपना मत स्थापित कर वहाँ अपने दीक्षित शिष्यों को बैठाया। उनके द्वारा स्थापित प्रमुख चार मठों के नाम हैं—

१ शृंगेरी मठ—तुंगभद्रा नदी के पवित्र तट पर मसूर में शृंगेरी मठ स्थापित कर उसके प्रथम अधिष्ठाता उन्होंने सुरेश्वराचार्य (मण्डनमिथ) को नियुक्त किया।

२ शारदा मठ—द्वारका में शारदामठ स्थापित कर, वहाँ उसके प्रथम अधिष्ठाता आचार्य हस्तामलक नियुक्त हुए।

३ गोवर्द्धन मठ—जगन्नाथपुरी में गोवर्द्धन मठ की स्थापना कर वहाँ उन्होंने आचार्य पद्मनाभ को अधिष्ठाता नियुक्त किया।

४ ज्योतिर्मठ—ददरिकाश्रम में उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना कर वहाँ के अधिष्ठाता बेंकटाचार्य को नियुक्त किया।

इन चारों प्रमुख मठों के अतिरिक्त काची में कामकोटिमठ और काशी के मुमैरु मठ का संस्थापक भी शंकराचार्य को बताया जाता है। उन्होंने आठ अखाड़े और वाचन कुटियों की भी स्थापना की और वहाँ अपने सुयोग्य शिष्यों को धर्म प्रचारार्थ नियुक्त किया।

देश-भ्रमण के साथ उन्होंने छोटे-बड़े लगभग २७२ ग्रन्थों का निर्माण किया, जिनमें 'ब्रह्मसूत्रभाष्य', 'दशोपनिषद्भाष्य', 'गीताभाष्य' और विवेक-चूडामणि' का नाम प्रमुख है।

शंकराचार्य के बाद शांकरमत अनेक पन्थों में विकसित हुआ, जिनमें दशनामी सन्यासी प्रमुख हैं। उनके नाम हैं—गिरी, पुरी, भारती, सागर, आश्रम, पर्वत, तीर्थ, सरस्वती, वन और आचार्य। ये दशनामी सन्यासी ब्राह्मण होते हैं और त्रिदण्ड, कमण्डल, रुद्राक्ष तथा भस्म धारण करते हैं।

इन दशनामी सन्यासियों के भी अनेक पन्थ हुए, जिनमें खाकी, नागा, उपतीत, बलसनामी, अवधूत, कुटीवर बहुद्रुक, कडालिपी, ऊर्ध्वबाहु, आकाशमुखी, नखी, रुखरस और मुखरस आदि का नाम उल्लेखनीय है।

शंकराचार्य के देशव्यापी भ्रमण का लक्ष्य यद्यपि वैचारिक अभिप्राय या और तत्कालीन विभिन्न धर्म-दर्शनों, मतों-सम्प्रदायों पन्थों का खण्डन कर अपने अद्वैतमत की प्रतिष्ठा करना था, किन्तु इसके साथ ही हिन्दूधर्म और हिन्दू-संस्कृति की रक्षा तथा उनका पुनर्जागरण करना भी था। ७वीं-८वीं शती ई० में देश के बाहर-भीतर धार्मिक सकीर्णताओं के कारण, विरोधी विद्रोह हो रहे थे। उनके फलस्वरूप हिन्दू मठ-मन्दिरों के ध्वस्त को रोकने के लिए, हिन्दुत्व की एकता तथा देशव्यापी धर्मप्रतिष्ठा के लिये शंकराचार्य ने एक नयी वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात किया। कुछ विद्वानों का मत है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों का उद्देश्य विद्रोहियों से सशस्त्र प्रतिरोध करना भी था। निर्वाणी और निरजनी आदि अखाड़े इसी हिन्दूधर्म की रक्षा के लिए बनाये गये थे। उनकी वर्तमान रीति-नीति एव वस्तुस्थिति को देखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी समय वे सशस्त्र सैन्यदल थे, जिन्होंने हिन्दुत्व की रक्षा के लिए देशव्यापी सगठन तैयार किये होंगे। उन्होंने बलात् मुसलमान हुए हिन्दुओं को पुनः हिन्दुत्व में परिवर्तित किया।

शंकराचार्य को अद्वैतवेदान्ती के रूप में जाना जाता है, किन्तु उनकी आचार-पद्धति बड़ी व्यापक एव बहुश्रुत थी। उन्होंने भक्ति को भगवत्प्राप्ति का साधन बताया है। अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही उनकी दृष्टि में 'भक्ति' है।

शंकराचार्य वस्तुतः स्मार्तमत के प्रमुख एव प्रबल समर्थक थे। उनके समय तथा उनके पूर्व भी ऐसे अनेक भक्ति-मत प्रचलित हो चुके थे, जो वर्णाश्रम धर्म के घोर निन्दक थे। शंकराचार्य के उदय के कारण इन वर्णाश्रम विरोधी मतों की परम्परा क्षीण पड़ने लगी थी। उनके प्रौढ़ शास्त्रीय प्रभाव से जब,

तप, उपवाम, व्रत, यज्ञ, दान, सस्कार, उत्सव, प्रायश्चित्त आदि परम्परागत आचार-संस्कारों की पुनः स्थापना हुई। उन्होंने विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति इन पंचदेवों की उपासना को प्रचलित किया। पंचदेव उपासना पर आस्था रखने वाला मत ही 'स्मार्त' कहलाया, जो कि स्मृतियों पर आधारित था। उन्होंने बहुव्यापी सनातनधर्मों समाज की आस्थाओं तथा परम्पराओं को पुनरुज्जीवित किया। इस प्रकार शंकराचार्य को सनातनधर्म का आधारस्तम्भ माना जाता है।

प्राणवायु और अपानवायु में समन्वय स्थापित किया जाता है। इस योग के ध्यान को 'ज्योतिर्ध्यान' और समाधि को 'महायोगसमाधि' कहा गया है।

३ लययोग—इस योग का सम्बन्ध कुण्डलिनी शक्ति के उद्बोधन से है। योग की वह स्थिति, जिसमें साधक सम्पूर्ण विसृष्टियों को एकाग्र करके कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करता है और उसे ब्रह्म में तन्मय कर देता है, उस स्थिति का नाम 'लययोग' है। इस योग के ध्यान को 'विन्दुध्यान' और समाधि को 'महालय-समाधि' कहते हैं। इस योग में मन समस्त बाह्य पदार्थों से उदासीन होकर अन्तर्मुखी हो जाता है। इसमें साधक को निश्चल नासाग्र दृष्टि का अभ्यास करना होता है। निद्रा-तन्द्रा का परित्याग कर अन्तर्बुद्धियों को उद्बोधित किया जाता है। साधक की दृष्टि में समस्त दृश्य पदार्थ नष्ट होकर उनमें दृष्टा व्याप्त हो जाता है। शेष तीनों योग साधनावस्था के हैं, किन्तु लययोग सिद्धावस्था की स्थिति है।

४ राजयोग—राजयोग पूर्वोक्त तीनों योगों में श्रेष्ठ है। उसका सम्बन्ध मन शक्ति को सबल एवं तीव्र करना है। मन की इच्छाशक्ति को इतना प्रदीप्त कर देना है कि वह ब्रह्म-सामीप्यता की ओर अग्रसर हो और अन्त में साधक को अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाये—'राजयोग' कहलाता है। निर्विकल्प ब्रह्म की प्राप्ति इस योग का लक्ष्य है। इसके ध्यान को 'ब्रह्मध्यान' और समाधि को 'निर्विकल्प-समाधि' कहते हैं। शेष तीनों योग साधनावस्था के हैं, किन्तु राजयोग सिद्धावस्था की स्थिति है।

योगमत की उक्त चार शाखाओं में 'हठयोग' की साधना का अधिक विकास हुआ। उसका प्रभाव भारत के सभी अंचलों में और द्वीपान्तर भारत में भी पहुँचा। योगी मार्ग के अनुयायी इसी हठयोग साधना के साधक हैं। योगमार्ग की साधना के लिए यम, नियम आदि आठ साधन आवश्यक बताये गये हैं। इन्हें 'अष्टांगयोग' कहा गया है। उनमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पाँच बहिरंग और धारणा, ध्यान तथा समाधि, ये तीनों अन्तरंग साधन बताये गये हैं। 'योगसूत्र' के साधनपाद में इन आठों साधनों का निरूपण इस प्रकार किया गया है—

१ यम—सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का सम्मिलित नाम ही 'यम' है।

किसी भी प्राणि को मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचाना ही 'अहिंसा' है। हित की कामना से कपटरहित अन्तःकरण के द्वारा किया गया, प्रिय शब्दों का प्रयोग ही 'सत्य' है। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार का अपहरण न करना

ही 'अस्तेय' है। मन, वचन और इन्द्रियो के काम विकारो का सर्वथा परित्याग करना ही 'ब्रह्मचर्य' है। इसी प्रकार दण्ड, स्पर्श आदि किसी भी प्रकार की भोग-सामग्री का संचय न करना 'अपरिग्रह' कहलाता है।

इस पचावयव यम को 'सार्वभौम महाव्रत' कहा गया है। किसी देश काल तथा जीव के साथ व किसी भी उद्देश्य से हिंसा, असत्य भाषण, चोरी तथा व्यभिचार आदि का आचरण न करना और परिग्रह (आसक्ति) से विलग रहना 'सार्वभौम महाव्रत' है।

२ नियम—पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान मे एकचित्त रहना ही 'नियम' है।

बाह्य व्यवहार तथा आचरण मे सात्त्विक पदार्थों का पवित्रतापूर्वक आचरण करना और मगता, राग-द्वेष आदि भीतरी अबगुणो का परित्याग करना ही 'पवित्रता' है। सुख-दुःख, लाभ हानि की स्थितियों मे भी सर्वदा प्रसन्नचित्त बने रहना ही 'सन्तोष' है। मन तथा इन्द्रियो के निग्रह के लिये जो धर्माचरण तथा व्रत किये जाते हैं, उन्ही को 'तप' कहते हैं। कल्याणकारी शास्त्रो मे प्रवृत्ति और एकान्त मन से इष्टदेव का गुणानुवाद करना ही 'स्वाध्याय' है। इसी प्रकार मन, वचन तथा कर्म से ईश्वर की भक्ति करने का नाम ही 'ईश्वर प्रणिधान' है।

३, आसन—आसन अनेक प्रकार के होते हैं, किन्तु आत्मसयमी के लिये सिंहासन, पद्यासन और स्वस्तिकासन—ये तीन आसन प्रमुक्त वताये गये हैं। प्रत्येक आसन का प्रयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि मेरुदण्ड, मस्तक तथा ग्रीवा सीधी रहे और दृष्टि नासिकाग्र भाग या भृकुटि पर अवस्थित रहे। जिस आसन से सुखपूर्वक अधिक-से-अधिक समय तक अवस्थित रहा जा सके, वही 'आसन' है।

मन की प्रवृत्त उत्कण्ठाओं के नाश करने और मन को परमेश्वर में लगा देने से ही आसन की सिद्धि होती है।

४ प्राणायाम—आसन-सिद्धि के बाद श्वास प्रश्वास की गति का विच्छिन्न हो जाना ही 'प्राणायाम' है। बाहरी वायु का अन्तःप्रवेश ही 'श्वास' और भीतरी वायु का बहिर्गमन ही 'प्रश्वास' है। इन दोनों को जब अवरुद्ध किया जाता है, तभी प्राणायाम की सिद्धि होती है। बाह्य, आभ्यन्तर और स्तम्भ, अथवा पूरक, कुम्भक और रेचक, इनके तीन प्रकार हैं।

५ प्रत्याहार—इन्द्रियो द्वारा अपने-अपने विषयो का परित्याग कर चित्त मे अवस्थित हो जाने का नाम ही 'प्रत्याहार' है। इन्द्रियो द्वारा विषयों का साथ छोड़ने के कारण साधक बाह्य ज्ञान से विरत हो जाता है। इन्द्रियो को

अपने वस्त्र में कर लेने के बाद माघक 'प्रयाहार' की स्थिति में स्वयं ही पहुँच जाता है।

६. धारणा—चित्त को किसी एक देश में स्थिर कर देने का नाम ही 'धारणा' है। सूत्र, मूढम, भीतर, बाहर किसी भी एक ध्येय में चित्त को एकनिष्ठ कर देना ही 'धारणा' है।

७. ध्यान—ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति की एकाग्रता को तैंग्यारा या गगन-प्रवाह की भाँति अचिच्छिन्न रूप में अनवरत लगाये रखना ही 'ध्यान' है।

८. समाधि—जब ध्यान ध्येय के रूप में भासित होने लगता है, या ध्यान ध्येय में लय हो जाता है, उस अवस्था का नाम 'समाधि' है। उक्त चारों योगों में समाधि को प्रमुखता दी गई है। "त्रिम प्रकार जलदिन्दु समुद्र में गिरकर तद्भव हो जाता है, उसी प्रकार ध्येयस्वरूप परमात्मा में मग्न हुआ अन्तःकरण ध्येय परमेश्वर में अभिन्न हो जाता है। अथवा त्रिम प्रकार जल में निक्षिप्त लवणखण्ड जल में ही घुल-मिल जाता है, उसी प्रकार विषपरहित मन निरन्तर ध्यान द्वारा त्रिमय ध्येय परमेश्वर से युक्त होकर अन्त में परमात्मा के स्वरूप में विलय हो जाता है।" यही समाधि है। उसके दो भेद हैं—निर्विकल्प और निर्विचार।

इस प्रकार योगी मार्ग के अनुयायी माघक उक्त आठ यम-नियमादि साधनों का अभ्यास करते हैं। इस मत में गुरु को ज्ञान का आगार बताया गया है और सिद्धि प्राप्त करने के लिये धीरि, नेत्रि, वस्ति तथा नीरि आदि त्रियात्रों का अनुमर्ण करना आवश्यक है। वस्तुतः पात्रत्रययोगदर्शन ही योगीमत का आधार रहा है। इस मत में गुरु ज्ञान की महिमा का आधार लेकर परवर्ती मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य के भक्तियुगीन मन्त्रों में अपने-अपने स्वतंत्र पन्थों का प्रचलन किया।

योगीमार्ग के मूल सिद्धान्तों का विकास नाथपन्थ में देसन का मिश्रण है। त्रिमके प्रवर्तक विशेष रूप में भक्त्येन्द्रनाथ तथा गोरक्षनाथ हुए। त्याग तथा मौनव्रत योगीमार्ग के अनुयायी माघकों के अनिवार्य आचार थे। काग्यन्तर में योगीमत की बनफटा, कनिया, जोगी, काग्येलिया और अदधून आदि अनेक शाखाएँ हुईं, किन्तु वे सभी अल्पजीवी रहीं। अबधूत बाटि के मन्थाना कठोर जीवन विताते थे। वे वम-म-कम वस्त्र धारण करते थे और वस्त्रों की पूर्ति भस्मावर्णन में करते थे। जटा धारण करते थे। प्रायः मौनव्रत रहते थे। केशरूप जीवन अपनाते थे।

योगीमत के एक वर्ष माघु 'बाकागमुनी' कहलाते हैं, जो घोषा का पीछे मोड़कर दृष्टि को आकाश में तब तक स्थिर बनाये रखते हैं, जब तक

मामपेतिपाँ मूख न जायें । आकाश की ओर मुस करने की साधना के कारण उनका यह नामकरण हुआ ।

योगीमार्ग की अति कठिन तपश्चर्या ने कारण इस मत का प्रचार-प्रसार बेवल् सन्धासियो एव परमहसो तक ही सीमित रहा । जैन-बौद्धधर्मों के अनुयायियों का योगमार्गी ज्ञानियो एव सन्तो ने प्रबल प्रतिरोध किया । किन्तु पौराणिक धर्म के प्रसार के बाद इस विचुद्ध साधनाप्रधान योगमार्ग में देवी-देवताओं की सगुणोपासना का प्रभाव प्रविष्ट हुआ और उसके फलस्वरूप योगीमत की मूलभूत प्रवृत्तियों का परम्परागत स्वरूप क्षीण हो गया । योगी मार्ग की साधना पद्धति को नायपन्य के योगियों ने अपनाया और अपने सिद्धान्तों की स्वतन्त्र सत्ता प्रतिष्ठित की ।

योगीमार्ग का पुनरुद्धार

योगीमार्ग का १०वीं शती ई० में पुनरुद्धार हुआ । उसके पुनरुद्धारक गोरखनाथ हुए । उन्होंने योगीमार्ग को स्वतन्त्र सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया । उसकी साधना प्रतिष्ठा हठयोग की है । उसे ऊँचा योग कहा जाता है, जो कि पातजलयोगदर्शन से कुछ भिन्न है । उनके समय योगीमार्ग १२ शाखाओं में पल्लवित हुआ । जिस कारण इस मत का एक नाम 'बारहमत' भी प्रचलित हुआ । योगी मार्ग के सिद्ध कान फडवाकर कुण्डल धारण करते हैं । इसलिए उन्हें 'कनफडा' या 'कनफटा' योगी भी कहते हैं । उक्त १२ पन्थों में छः पन्थों के प्रवर्तक स्वयं शिव को कहा जाता है । शेष छः पन्थ गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित हुए । पहले पन्थ के योगियों में चाँदनाथ, कपिलानी, गगनाथ, आपनाथ, नामनाथ तथा पारसनाथ का नाम उल्लेखनीय है । दूसरे पन्थ के अनुयायियों में हेठनाथ, रुम्पणनाथ, बालनाथ, नाटेतारी तथा जाफर-पीर प्रमुख हैं । 'दरियापन्य' इसी के अन्तर्गत है । तीसरे पन्थ को 'आई पन्थ' के नाम से कहा गया । इसी पन्थ के अनुयायी सिद्ध चोलीनाथ हुए । चौथे वैराग्य पन्थ की परम्परा में मारिनाथ, प्रेमनाथ, रतननाथ, कायानाथ या बायामुद्दीन तथा मस्तनाथ हुए । पाँचवें पन्थ के प्रवर्तक जयपुर के पावनाथ हुए । छठे पन्थ को शन्ननाथ के प्रचलित किया । इन पन्थों के साधुओं एवं उपासकों में पुरातन कपिल मत, योगमार्ग, लकुलीश मत, कापालिक मत और वाममार्ग आदि भी सम्मिलित होते गये ।

इस प्रकार योगीमार्ग का विकास अवच्छेद हो गया ।

नाथ-सम्प्रदाय

भारत के धार्मिक इतिहास में ६ठी से ९वीं शती का अन्तराल बड़ी प्रति-स्पर्धा, अस्तित्वरक्षा और संघर्ष का समय रहा है। इस अवधि में जैन बौद्ध आदि वेदविरोधी नास्तिक धर्मानुयायियों द्वारा वैदिक धर्म का प्रबल विरोध हुआ। हिन्दू धर्म के अन्तर्गत तत्रमार्ग की एक नयी शाखा का उदय हो चुका था, जिसमें शक्ति की उपासना को प्रमुखता दी गई थी। उसकी वाम-मार्गी प्रवृत्तियों में मद्य-मांस के भक्षण आदि अनाचारों तथा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि अभिचारों का प्रबल प्रचार-प्रसार हो रहा था। धर्म के क्षेत्र में इन अनैतिक आचरणों के कारण तत्र-साधना का परम्परागत उच्चादर्श एवं उसकी साधना-पद्धति का महत्त्व क्षीण पड़ता जा रहा था।

शक्ति मार्ग में विकार उत्पन्न कर एवं अनैतिक आचारों को धर्म की ओट में प्रथम देकर बौद्धधर्म अपने परम्परागत उच्चादर्शों को विस्तृत कर चुका था। बौद्धधर्म की उदात्त परम्पराओं में विकार उत्पन्न हो गया था। उसकी वज्रयानी शाखा इन अनैतिकताओं तथा विकारों के लिए उत्तरदायी थी। बौद्ध भिक्षुसंघों में चामत्कारिक सिद्धियों का प्राबल्य हो गया था। धर्म प्रज्ञा, समाधि, नीति तथा औचित्य, जो कि बौद्धधर्म के आदर्श थे, उनको तिरस्कृत कर दिया गया था। अनेक जातियों तथा वर्गों के लोग स्वेच्छापूर्वक उसमें सम्मिलित होने लगे थे। राजकी, भिल्लिनी तथा डोमिनी जैसी साधिकाएँ उनमें प्रवेश पाने लगी थीं। मांस, मदिरा, स्त्री-गमन को सहज आचरणों में गिना जाने लगा था। स्वयं को सिद्ध बनाने वाले अनाचारी साधक किसी साधिका को लक्ष्य बना कर यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी तथा कर्मपिशाचिनी साधना के माध्यम बना लिया था। वज्रयानी बौद्धों द्वारा धर्म के नाम पर इन असामयिक आचारों का प्रचार-प्रसार हो रहा था।

वज्रयानी नफटों के अतिरिक्त वामाचारी तांत्रिकों, शाक्तों, शैवों ने परम्परागत बौद्ध धर्म को विकृत कर दिया था। तांत्रिकों के स्त्री समागम अभिचारों, शैवों के चामत्कारिक प्रदर्शनों और शाक्तों के मद्य मांस भक्षण के कारण योगमार्ग के प्रति लोकदृष्टि की मान्यता गिर चुकी थी और समाज उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा।

इन परिस्थितियों में भी योगमार्ग की भारतीय परम्परा शर्वथा विलुप्त नहीं हो पाई थी। परम्परागत योगविद्या पर आधारित साधना पद्धति के

उद्धार हेतु जिन धर्मशास्त्रियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वेद विरोधी धर्मों एवं आचारधर्मों का जोरदार विखण्डन किया, उनमें 'नाथ-सम्प्रदाय' का नाम उल्लेखनीय है। वैदिक धर्म की परम्पराओं की रक्षा के लिए बृहस्पति चौरासी सिद्धों का एक प्रभावशाली वर्ग पुरातन आदर्शों एवं मान्यताओं को पुनरुज्जीवित करने की दिशा में अग्रसर था। इस प्रकार के सिद्धों में नारोपा, तिलोपा, मीनपा तथा बाल्यग्रपा आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन्हीं सिद्ध महापुरुषों द्वारा 'नाथ-सम्प्रदाय' के रूप में भारतीय योगविद्या की स्वस्थ परम्परा आगे बढ़ी।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से नाथ-सम्प्रदाय कितना प्राचीन है, इसका सर्वप्रथम एवं निश्चिन्त उत्तर खोज पाना दुष्कर है। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि महाभारत काल में योगविद्या का जो स्वरूप प्रचलित हो चुका था, उसको कालान्तर में नाथ-सम्प्रदाय ने उपागर किया। नाथ-सम्प्रदाय के सिद्ध शाक्तों तथा शैवों की भाँति शिव तथा शक्ति के उपासक हैं। किन्तु शाक्तों और शैवों से नाथों की उपासना पद्धति सर्वथा भिन्न है। यद्यपि साधना की दृष्टि से नाथस्य भी सिद्ध शैवों के निकट है, तथापि न तो वे लिंगार्पण करते हैं और न ही शिवोपासक हैं। वे तीर्थों और देवताओं में विश्वास करते हैं और शिव-मन्दिरों तथा देव-मन्दिरों को पवित्र मानकर उनके दर्शनों में निगूढ रहते हैं। इसी प्रकार कंठादेवी तथा हिमालय देवियों के प्रति उनकी असाध्य भक्ति है। किन्तु शाक्तों से नाथों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है।

नाथ-सम्प्रदाय के आदिगुरु चार महायोगी हुए। उनमें आदिनाथ को साक्षात् शिव का अवतार माना जाता है। नाथस्य भी अन्तर् परम्परा को शिव अर्थात् आदिनाथ से स्थापित करते हैं। किञ्चिन्त ही कि महादेव ने सर्वप्रथम योगदान का उन्देश पर्वणों को दिया था। इस उन्देश को मत्स्येन्द्र या मत्स्येन्द्र ने महत्त्व का रूप धारण कर छिपे तौर से सुन लिया था। जब महादेव की यह पना चला तो उन्होंने मत्स्येन्द्रनाथ को साध दे दिया। इस क्षण से उनका उद्धार उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने किया। गोरक्षनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के दो शिष्य हुए—बाल्यग्रनाथ और मत्स्येन्द्रनाथ। उन दोनों के भी दो शिष्य हुए। बाल्यग्रनाथ के शिष्य का नाम कृष्णनाथ (कान्हार, कान्हवा या कान्हा) और मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य का नाम गोरक्षनाथ था। उनमें बाल्यग्रनाथ और उनके शिष्य कृष्णनाथ का सम्बन्ध साधना-मदति बाल्यग्रनाथ तथा कृष्णनाथ की साधना-मदति से भिन्न थी।

मत्स्येन्द्रनाथ एक समय कौलमत के ऐसे साधना-मार्ग में जा भटके थे, जहाँ स्त्रियों का अबाध ससर्ग आवश्यक माना जाना था। किन्तु गोरखनाथ ने गुरु का उस विमार्ग से उद्धार कर उन्हें सन्मार्ग पर लगाया था। उन्होंने अपने गुरु को विलासमय जीवन से छुटकारा देकर ब्रह्मचर्योचित योगमार्ग की ओर प्रवृत्त किया था। ये चारों सिद्ध प्रायः सम-सामयिक थे।

मध्ययुगीन धर्म साधना के क्षेत्र में गोरखनाथ या गोरक्षनाथ एक ऐसे प्रभावशाली महापुरुष हुए जिनका अद्भुत योगबल तथा सिद्धियों की चामत्कारिक कहानियाँ समस्त देशवासियों में प्रचलित हैं। नेपाल की बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार गोरखनाथ, राजा नरेन्द्रदेव के समय (६९५ ई०) में मत्स्येन्द्रनाथ के दर्शन के लिए नेपाल गये थे। किन्तु यह अनुश्रुति इतिहास से मेल नहीं खाती है। वास्तविकता यह है कि गोरखनाथ तथा मत्स्येन्द्रनाथ शकराचार्य (८ वीं शती ई०) के बाद हुए और शाकरमत के आधार पर ही गोरखनाथ ने अपने योगमत को प्रचलित किया। इस दृष्टि से यह निश्चित है कि गोरखनाथ शकराचार्य के बाद हुए और उनके सम्बन्ध में प्रचलित उक्त लोकश्रुति इतिहास-समत प्रतीत नहीं होती है। इन दोनों महा-पुरुषों के सम्बन्ध में प्रचारित लोकश्रुतियों तथा साहित्यिक एवं ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनके अनुसार गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ९वीं शती ई० के पूर्वार्द्ध में और गुरु गोरखनाथ ९वीं शती ई० के उत्तरार्द्ध में या १०वीं शती ई० के आरम्भ में हुए। गोडा जिला स्थित पाटन या देवीपाटन नामक स्थान में गुरु मत्स्येन्द्रनाथ का प्राचीन मन्दिर आज भी उनकी स्मृति को उज्जीवित किये हुए है।

योगिराज आदिनाथ तथा मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा प्रवर्तित योगमार्ग को उजागर करने वाले नाथ सम्प्रदाय के नौ सिद्ध प्रमुख हैं, जिनके नाम हैं— १ गोरखनाथ, २ ज्वालेन्द्रनाथ, ३. कारिणनाथ, ४ गहनीनाथ, ५. चर्मट नाथ, ६ रेवणनाथ, ७ नागनाथ, ८. भर्तृनाथ, (या भर्तृहरि) और ९ गोपीचन्दनाथ (या गोपीचन्द)। कहा जाता है कि मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ भर्तृनाथ और गोपीचन्दनाथ अमर योगी हैं। वे चिरजीवी ही नहीं, चिरयुवा भी कहे जाते हैं। योगबल से सनकादि ऋषियों की भाँति बाल, घोवन आदि इच्छित अवस्थाओं को प्राप्त करने में मक्षम हैं। गुरु गहनीनाथ की पुस्तक 'गहनी' से विदित होता है कि उनके शिष्य का नाम निवृत्तिनाथ था। निवृत्तिनाथ का समय १३३० वि० (११९५ शक) निर्धारित है। एक अनुश्रुति ऐसी भी है कि गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ के पितामह गोविन्द को भी दीक्षित किया था।

गुरु गोख्यनाथ का नाम उक्त नौ सिद्धों में अग्रिम प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। उनका मुख्य प्रतिष्ठान गोरखपुर स्थित गोरखनाथ का मन्दिर है। इस मन्दिर के परम्परागत महन्त स्वयं भी सिद्ध पुरुष होने हैं और भारत में आज भी उनकी प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा बनी हुई है। इस मन्दिर में नाथपन्थी कनकटे नाथ रहते हैं, जो कि ब्रह्मचर्यव्रती हैं। उनकी गद्दी का उत्तराधिकार शिष्य-परम्परा से प्रवर्तित होना आया है। नेपालवासी गोरखनाथ को पद्मनाभनाथ का अवतार मानते हैं। नेपाल में भोगमनी, भानगाँव, मृगस्थली, चौशरी, त्वारीकोट और पिण्डपान आदि विभिन्न स्थानों पर गोरखनाथ के छोटे-बड़े मन्दिर स्थित हैं। गोरखपुर में उन्होंने तपस्या की थी और वही वे नमाधिस्य भी हुए। गोरखा जाति उन्हें अपना परम आराध्यदेव मानती है। गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही गोरखपुर गोरखा जाति, पवित्र तीर्थ गोरखापुहा, गोरखागाँव आदि का नामकरण हुआ बनाते हैं।

साहित्य निर्माण

नाथपन्थ के मूल पुरुष गोरखनाथ परम साधक या सिद्ध योगी ही नहीं, अरिस्तु साधक एव प्रगाढ़ विद्वान् भी थे। उनके नाम से सस्कृत, हिन्दी तथा अन्धान्य भारतीय भाषाओं में लगभग ६८ ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। उनकी कतिपय कृतियों में जो प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव देखने की मिलता है उनका कारण विद्वानों ने यह बताया है कि उनके अनुयायी देश के जिन-जिन भागों में गये, उन्होंने गुरु गोरखनाथ की कृतियों को लोकमुल्य बनाने के लिए देश-काल के अनुसार उनमें फेर-बदल भी किया। उनके प्रमुख ग्रन्थों के नाम हैं—'अवधूतगीता', 'गोरखवाक्य', 'ज्ञानमन्त्र' ज्ञानामृतयोग', 'योगशास्त्र', 'हठयोग' योगचिन्तामणि', 'योग-मार्गण्ड' योगनिदान्तपद्धति' विवेकमार्गण्ड', 'निद्धनिदान्तपद्धति', आदि मस्कृत के और 'आत्मबोध', 'गोरखबोध', 'दयाबोध', 'निरञ्जनपुराण', 'काफिरबोध', 'दत्त गोरख-सम्वाद', 'गोरखनाथ जी रा पद', 'ज्ञानेश्वरी सावी', 'नरबोध' और 'विरहपुराण' आदि हिन्दी के हैं। इस पन्थ के प्राचीन ग्रन्थों में घेरण्डमहिता' का नाम उल्लेखनीय है, जिसको घेरण्ड ऋषि ने रिया। यह महिम्न ग्रन्थ परम्परा से हठयोग की शिक्षा तथा साधना-पद्धतियों के लिए उपयोगी माना जाता है। हठयोग पर शिव-महिता और 'हठयोगप्रदीपिका' उपयोगी हैं।

आचार और सिद्धान्त-निरूपण

गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध एवं शास्त्रज्ञ विद्वान् हुए। उन्होंने योगमार्ग की कठिन साधना-पद्धति का मार्ग प्रगस्त किया और संवदगम के आधार पर

योगिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया। अपने समय में प्रचलित वाम-मार्गी उपासना की असामाजिक रुढ़ियों का तिरस्कार-बहिष्कार कर उन्होंने अब्राह्मण आचारों का खण्डन कर योगदर्शन की भारतीय परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित किया। उनके विशुद्ध योग साधना-ग्रन्थ में अद्वैत शिव की साधना पर बल दिया गया। वे यद्यपि शिवलिंग के पूजन के अनुयायी नहीं थे, तथापि शरीर शुद्धि के लिए तीर्थ व्रत आदि आचारों को मानते थे। मास-मदिरा, स्त्री-सेवन आदि को अनाचार मानकर उनको निषिद्ध मानते थे। आबाल ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते हुए उन्होंने इन्द्रियजय के महत्त्व को सर्वोपरि माना है।

गोरक्षपन्थ में यम तथा नियम गौण और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि छ साधनों की महत्ता पर बल दिया है। इस अष्टांग साधना को उन्होंने काम शुद्धि के लिए आवश्यक बताया है। योग-साधना के षट्कर्म—धौति, वस्ति, नेति, श्राटक, नौलि और कपालभाति उनके हठयोग के मूल तत्त्व हैं। उनके साधना-मक्ष या प्रक्रिया-अंग को 'हठयोग' कहा गया है। हठयोग के अनुसार जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में भी है। इसलिए पिण्ड को केन्द्र बनाकर विश्व ब्रह्माण्ड में व्याप्त पराशक्ति को प्राप्त करना ही उनकी साधना का लक्ष्य है। गोरक्षनाथ ने वेदान्तियों, मीमांसकों, कौलो, वज्रयानियों और तान्त्रिक शाक्तों के मोक्ष सम्बन्धी विचारों को मूल्य-पूर्ण कहा है। (अमरोग्य शासन, पृ० ८९)। उनके मत से वास्तविक मोक्ष 'सहज समाधि' है। यह समाधि साधक की वह अवस्था है, जिसमें मन स्वयं ही मत को देखने लगता है। 'स्व-सवेदन ज्ञान' की अवस्था ही सहज समाधि है।

नाथपन्थी साधना और सिद्धान्त-निरूपण

नाथपन्थ की योगसाधना और उसके सिद्धान्तों का निरूपण गोरक्षनाथ के सन्दर्भ में किया जा चुका है। नाथपन्थी योगियों ने पातंजलयोगदर्शन की प्रक्रियाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया था। उनकी यह साधना भिद्धि पुरातन परम्परा से लेकर अब तक अपनी एकाग्रता, योगसाधना, अनासक्ति और आत्मचिन्तन की अपनी मान्यता एवं प्रतिष्ठा बनाये हुए है। यद्यपि कापालिकों तथा योगाचारियों ने गोरक्षपन्थियों की योगसाधना को अपनाते का प्रयास किया किन्तु उनकी पहुँच योग की विज्ञानियों तक ही सीमित रही। वे पूर्ण दक्षता प्राप्त करने में असफल हो रहे।

नाथपन्थी योगियों में प्राणायाम की महिमा को प्रमुखता दी गई है। वस्तुतः प्राणायाम ही उनकी योग-साधना का एकमात्र आधार है। उनकी यह

साधना बड़ी विकट है। वे भस्मावलेपन करके रोमरूनों को बन्द कर देते हैं और श्वात-प्रश्वात की गति को रोक लेते हैं। अक्षय्य द्रव्याचर्य धारण करते हुए ऊर्ध्वरेता पद को प्राप्त करना वे अपना परम लक्ष्य मानते हैं।

शुद्ध हठयोग तथा राजयोग नाथों की साधना के मुख्य अंग हैं। योगान्त, नाडी विज्ञान, पट् चक्र-नाशन तथा प्राणापान द्वारा इन्द्रियों का निरोध करना, पंचमहाभूतों पर विजय प्राप्त करना ही साधना का आरम्भिक लक्ष्य है। नाथपन्थ के तात्त्विक निदान्तों की बेदों तथा उपनिषदों के 'प्रपद' (परम पुरुष) से समानता है। उनकी दृष्टि से परमात्मा 'केवल' है और उनकी प्राप्ति ही साधना का अन्तिम लक्ष्य है, जिसे मोक्ष भी कहा गया है। इस दुर्गम, दुर्बल मोक्ष तत्त्व का प्राप्त करने के लिए काया का निग्रह अनिवार्य है। काया को परमेश्वर का आवाम मानकर सर्वप्रथम उसी को साधना जाता है। काया पर निद्रि प्राप्त कर जरा, मरण, व्याधि तथा काल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। काया के वशीकरण करने के उपरान्त साधक तब ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। काया को निर्मल बनाने के लिए यम-नियमादि अष्टांगों तथा नेत्रि श्रोत्रि जादि पट्कर्मों की साधना की जाती है।

आचार-पद्धति

नाथपन्थी नागुआ की अपनी आचार-पद्धति है। उन्हें प्राय 'कनफटा' बोली कहा जाता है। वे दोनों कानों पर मोटे छिद्र करके उन पर मींग के बड़े-बड़े कुन्डल, गले में काले ऊन के डोरे पर आवद्ध मींग की एक मीठी और हाथ में नारियल का छप्पर धारण करते हैं। शरीर को भस्माचित करते हैं। भस्म से ही मर्वांग स्नान करते हैं। उनका अग्निदाह नहीं किया जाता। वे या तो जीवित समाधि ले लेते हैं अथवा शरीर-त्याग के उपरान्त समाधित्य किये जाते हैं। क्योंकि योग-साधना द्वारा उनकी देह विमुक्त हो जाती है, इसलिए उन्हें अग्निदाह की आवश्यकता नहीं होती है। वे 'अलक्ष' (अलक्ष्य, अदृष्ट ब्रह्म) को जगते हैं और अपने इष्टदेव का ध्यान करते हैं। भिक्षाटन में भी वे 'अलक्ष' का उच्चारण करते हैं। 'अलक्ष शील दे पत्क, देख ले इत्क' यही उनका मंत्र है और इसी का उच्चारण कर वे द्वार-द्वार पर भिक्षाटन करते हैं। कुछ के ममस वे 'आदेस' शब्द का प्रयोग करते हैं।

देसध्यायी धर्म-प्रचार और परम्परा का प्रवर्तन

शकराचार्य के बाद हिन्दू धर्म की मानरक्षा तथा मानवृद्धि के लिए कुछ शारसनाथ ने देसन्तानी धार्मिक अभियान चलाया। शकराचार्य के पश्चात् समस्त भारत के जन-मानस को प्रभावित करने वाले महानुरूप गोरखनाथ ही

हुए। उन्होंने स्वयं इतनी लोकप्रियता प्राप्त की कि भारत के प्रायः समस्त जनमानस और उसकी विभिन्न भाषाओं तथा बोधियों में उनके बहुमुक्त व्यक्तित्व पर अनेक प्रकार की कथा-कहानियाँ-अनुभूतियाँ एवं किंवदन्तियाँ गढ़ी गईं, जो कि आज भी उतनी ही लोकप्रिय एवं प्रेरणाप्रद हैं, जितनी कि अपने अतीत काल में रहीं।

धर्म-प्रचार के लिए उनके निपट प्रसिद्धों ने देश के विभिन्न अंचलों का घूमना किया तथा वहाँ अपने बहुमूल्य अनुपायियों को तैयार किया। महाराष्ट्र, गुजरात समस्त उत्तरी-पूर्वी भारत और पश्चात् क अतिरिक्त भारत के उत्तरी सीमान्त देशों—नेपाळ, तिब्बत तथा चीन तक उनके धार्मिक आन्दोलन का प्रसार हुआ। उन्होंने तथा उनके अनुपायियों ने हिन्दू धर्म की क्षीण एवं विभ्रम परम्पराओं को पुनरुज्जीवित किया और इस रूप में राष्ट्रीय एकता एवं मुक्ति का स्थापित करने में अविस्मरणीय कार्य किया। गोरखनाथ ने मकराचार्य की भाँति देश तथा देशान्तर में हिन्दुत्व तथा उसके उच्चादमों की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

नाथ-सम्प्रदाय के उन्नयन एवं प्रचार-प्रसार में गुरु गोरखनाथ के पश्चात् जिन मन्तों तथा आचार्यों का अविस्मरणीय योगदान रहा, उनमें महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मन्त ज्ञानदेव (१४वीं शती ई०) का नाम उल्लेखनीय है। 'भगवद्-गीता' पर लिखी उनकी मराठी व्याख्या 'ज्ञानेश्वरी' आज भी 'भगवद्-गीता' के अध्येताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है। अपने वेदान्त ग्रन्थ 'अमृतानुभव' में उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन और अपनी गुरु-परम्परा का विशद वर्णन किया है। प्रज्ञाचक्षु प्रसिद्ध विद्वान् एवं आत्मज्ञानी मन्त गुणान सिंह उन्हीं की निपट-परम्परा में हुए। मन्त ज्ञानदेव के कारण महाराष्ट्र में आगामी अनेक शताब्दियों तक नाथपरम्परा योगियों का बड़ा आदर एवं समान रहा।

गुरु गोरखनाथ के एक प्रसिद्ध निपट ब्रह्मगिरि हुए, जो कि गुजराती थे। गुजरात में उन्होंने दैव योगियों (नाथों) की पाँच शाखाओं का प्रचलन किया, जिनके नाम थे—१ रुम्हड, २ सूम्हड, ३ भूम्हड, ४ कूम्हड और ५ गूम्हड। प्रथम दो शाखाओं का प्रचार वहाँ अधिक है। भूपड तथा कूम्हड शाखाओं के अनुयायी अपने भिक्षाचार्यों में सुगन्धित द्रव्य नहीं रखते हैं, जब कि अन्य तीनों शाखाओं के योगी उनका प्रयोग करते हैं। गूम्हड मन्थारों महाभारत धारण करते हैं और भिक्षाटन करने समय 'अन्न' शब्द का प्रयोग करते हैं।

नाथ-परम्परा में चौपड़ों का भी एक अल्प वर्ग है, जिन्हें अम्हड या अथोरी भी कहते हैं। प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय यक्षि सम्प्रति स्तुतपाय है,

किन्तु उनके अनुयायी कुछ अधोरी अवश्य दिखाई देने हैं। वे आचारग्रन्थ हो गये हैं और प्राचीन कापालिक मत में प्रभावित हैं। किन्तु गोरखनाथ तथा कबीर का बाना धारण करते हैं। उनकी चर्मा में तात्रिकों तथा कापालिकों की साधना का मिश्रण है। स्वभाव से वे बड़े मस्त एवं फक्कड़ होने हैं और इसीलिए 'बीषड' कहलाने हैं।

अधोरी मत के एक प्रसिद्ध महात्मा किनाराम बाबा हुए। उनका जन्म वाराणसी के पास १६५८ वि० में हुआ था। उन्होंने गाजीपुर के सन्त शिवदाम से दीक्षा ग्रहण की थी। तदनन्तर वे गिरनार पर्वत पर गये और वहाँ उन्हें भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए। भगवान दत्तात्रेय की प्रेरणा से वे फासी आये और वहाँ बाबा कानूराम से अधोर पन्थ का उपदेश ग्रहण किया। उनके आचार-विचार और निश्चान्तों में बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है। वे मून्व वंशव रीति के रामोनात्मक थे। किन्तु अधोर पन्थ की रीति-नीति पर चल कर मद्य-मांस के सेवन का कोई परहेज नहीं करते थे। उनकी उपासना-भक्ति सगुण निर्गुण मिश्रित थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों उनके शिष्य हुए। वे मूर्तिपूजक नहीं थे। उनकी उपासना के केन्द्र राम थे। उन्होंने वैष्णव मन की चार गढ़ियाँ स्थापित कीं—माहफपुर, नई डीह, परानापुर, और महरपुर में। इसी प्रकार अधोरी मत के भी चार मठ स्थापित किये—रायगड (वाराणसी), देवल (गाजीपुर), हरिगिरपुर (जौनपुर) और त्री-कुण्ड (वाराणसी)। उनमें प्रधान पीठ वाराणसी के त्री-कुण्ड पर है। मीना-राम का विशाल मठ गाजीपुर में है। मईनी (कागी) के त्री-कुण्ड मठ में वे स्वयं रहते थे और वही उनकी प्रधान गढ़ी है। उनके अनुयायी तीर्थयात्रा को महत्त्व देते हैं। सबों को वे बलाते नहीं, बल्कि समाधि देते हैं। सन्त किनाराम बाबा ने १८०० वि० में १४२ वर्ष की उम्र में आसु प्राण कर समाधि ग्रहण की।

गढ़वाल में नाथपन्थ

नाथपन्थ के प्रसिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ का अनेक वर्षों तक उत्तराखण्ड में परिचित सम्बन्ध बना रहा। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं के योगियों में उत्तराखण्ड के योगी को ही वास्तविक सिद्ध कहा है (सिद्ध योगी उत्तराष्ट्र)। त्रिम गुफा में वर्षों तक धोर तप करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, वह आज भी धोन्ना उट्टारी (धवल गुफा) के नाम से कही जाती है। वह दक्षिण गढ़वाल में आज भी वर्तमान है। इनके अतिरिक्त अल्मोड़ा के तट पर स्थित ऐतिहासिक नगरी श्रीनगर में भी उनके नाम से 'गोरख गुफा'

सुरक्षित है। उनके नाम पर श्रीनगर के एक मुहल्ले को परम्परा से 'नाथो का मुहल्ला' कहा जाता है।

नाथो की परम्परा गढ़वाल में आज भी बनी हुई है। देवलगढ़ का मत्स्यनाथ मन्दिर गढ़वाल में नाथा की परम्परा एवं प्रभाव का ऐतिहासिक प्रमाण आज भी विद्यमान है, जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने १५वीं शती वि० के लगभग कराया था। नाथो की मिद्धि की अनेक परम्पराएँ आज भी वहाँ के ममाज में प्रचलित हैं। ऐम मिद्धो का गढ़वाल में होना बताया जाता है, जो अपने योगबल से आँधी-तूफानों की राह को बदल देने में सक्षम थे।

नाथ-साहित्य के उद्धारकर्ता त्रिद्वान् हा० पीताम्बरदत्त बटव्याल ने अपने एक निबन्ध (उत्तराखण्ड में सन्तमत और मन्त साहित्य, पृ० ८७-९६) में साधुओं को प्रस्तुत करते हुए यह स्थापित किया है कि नाथ लोग न केवल निस्पृह प्रवृत्ति के साधु थे, अपितु नेपाल, कुमाऊँ और गढ़वाल में तबीन राजवशा के भी सत्पापक थे। व स्वयं राज्यकर्ता एवं शासक नहीं थे, किन्तु राजा और शासकों के सचालक थे। गढ़वाल में शासक स्वयमेवकों के रूप में 'दीवान' के पदों पर रहकर शासन-व्यवस्था का संचालन करते थे और राजगृहियों के अधिष्ठाता गोरखनाथ को ही माना जाता था। यह अनन्य परम्परा केवल गढ़वाल में ही देखने को मिलती है। गढ़वाल के अनेक गाँवों में गोरक्ष आदि मिद्धा को ग्राम देवताओं के रूप में पूजे जान की परम्परा है। गढ़वाल के मन्त्र-साहित्य में गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गरीबनाथ तथा कबीरनाथ आदि की 'जागरे' तथा 'आँठे' आज भी गढ़वाल के धामियों, औजिया तथा लोक-कथाओं एवं वार्ताओं में प्रचलित हैं। बालका पर भूत भय की निवृत्ति के लिए भ्रमून् को मन्त्रित करने से सम्बन्धित मन्त्र गोरखनाथ, कबीर आदि सिद्धों के नाम से उच्चरित होने हैं। गोरखनाथ आदि में सम्बन्धित सिद्धिमतों का उच्चारण आज भी गढ़वाली समाज में प्रचलित है। गणेशचन्द्र और भरवरी को उदार गाथाएँ आज भी यहाँ के 'औजी' ममाज में 'ढोल दमाऊ' के साथ चैत्रमास का भिक्षाटन करत समय घघरो पर गाई जाती हैं। इसी प्रकार की अनेक कथाएँ, जनश्रुतिपाँ और परम्पराएँ गढ़वाल के लोक मानस में नाथपन्थी मिद्धों के प्रबल प्रभाव एवं सम्बन्ध को ध्वनित करती हैं।

इस प्रकार नाथपन्थ की परम्पराएँ अनेक रूपों में विकसित एवं पल्लवित होकर देश के कई बँचलों में फैलीं और कई शताब्दियों बाद आज भी ममाज तथा साहित्य में अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं।

(सात)

निर्गुणोपामक सुधारवादी धर्मशाखाएँ

१. सन्तमत
२. बारकरी सम्प्रदाय
३. निरजनी सम्प्रदाय
४. इमामशाही पीरानापन्य
५. यचीरपन्य
६. नानकपन्य या निक्कतपन्य
७. दादूपन्य
८. प्रणामीपन्य
९. राधास्वामीमत

सन्त-मत

मध्ययुगीन धार्मिक इतिहास में सन्तमत का उल्लेखनीय स्थान है। उपनिषदा तथा वेदान्त दर्शन में जिस अद्वैत ब्रह्म का निष्पण किया गया है, उसका सामयिक लोकभाषना में सामञ्जस्य करके सन्त कवियों एवं साधकों ने धर्म के जिस सार्वभौम स्वरूप का प्रवर्तन किया उसे 'सन्त-मत' के नाम से कहा जाता है। व्यक्ति-स्वार्थों और एकाग्रता की सकुचित सीमाओं में निराला कर धर्म को उदार एवं व्यापक स्वरूप देने में सन्त-मत का विशेष योगदान रहा है। धर्म के उदारतावादी विचारों को लेकर इस धार्मिक पन्थ का उदय हुआ।

इस निवृत्तिमार्गीय सन्त मत के मूल आचार्य सनत्कुमार थे। सनत्कुमार ने इस धर्म का उपदेश नारद मुनि को दिया और यही परम्परा कबीर आदि सन्तों ने ग्रहण की। 'महाभारत' के 'नारदोपाख्यान' के अनुसार नारद मुनि अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकान्तिकों से पास श्वेतद्वीप गये थे। यह श्वेतद्वीप गुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में था। कुछ विद्वानों ने हिमगिरि को ही श्वेतद्वीप कहा है और गढ़वाल को सनत्कुमार की साधना भूमि बताया है। गुमेरु के निकट नारायणीय धर्म का प्रमुख तीर्थ बदरिकाश्रम है। इसी नारायणाश्रम में बादरायण व्यास ने 'ब्रह्मसूत्र' की रचना की थी। यही पर अनेक ऋषि मुनियों के ज्ञान तथा तप से आत्मानुभव प्राप्त किया था। एक मुक्तिदायी पवित्र तीर्थ के रूप में बदरिकाश्रम आज भी धर्मप्राण भारतीय जनता का पुण्य तीर्थ बना हुआ है। यही से सन्त मत के साथ साथ भारत के मरत्यु धर्मों की गंगा का उद्गम हुआ था।

'सन्त' शब्द वस्तुतः एक व्यापक अर्थ का परिचायक है। किसी भी माधु या मज्जन पुरण, धार्मिक प्रवृत्ति के सात्त्विक स्वभावयुक्त व्यक्ति को सन्त कहा जाता है। लोकमगल की भावना से जीवन को समर्पित एवं समर्पित रखना हुआ जन-जीवन को सद्विचारों एवं लोकहित के लिए प्रवृत्त करने वाला प्रत्येक महापुरुष सन्त है। जिनमें जीव-जगत् की निःसारता के दर्शन कर लिए हैं और जो यह अवधारित कर चुके हैं कि मानव-जीवन का निःश्रेयस् क्या है, ऐसा आत्मदर्शी महामानव ही सन्त की गरिमा को धारण करता है। किन्तु यह व्यापक अर्थबोध का परिचायक 'सन्त' शब्द हिन्दी साहित्य में एक विशेष वर्ग के सन्तों एवं साधकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिन्दी साहित्य के मध्ययुगीन भक्तियुग में निर्गुण निराकार की उपासना एवं

चिन्तन पद्धति को लेकर जिन भक्त कवियों ने अपनी लोकहितकारी वाणियों का अभिव्यजन किया, उन्हीं के लिए सन्त शब्द रूढ़ बन गया।

ये सन्त अधिकतर ऐसे हुए, जो अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे, या सर्वथा अनपढ़ थे। किन्तु वे स्वतः सिद्ध थे, आत्मदर्शी थे और अपने अनुभवों को उन्होंने अपनी वाणियों में अभिव्यजित कर लोक को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त किया। इनकी भाषा अतगढ़ है, किन्तु भावाभिव्यक्ति प्रौढ़ एवं गभीर तथा मौलिक है।

हिन्दी साहित्य में इस प्रकार के सन्तों की परम्परा नाथपन्थी योगियों और जैन मुनियों से स्थापित की जा सकती है, जिसका समय ९वीं शती ई० में रखा जा सकता है। सन्त-मत का यह आरम्भिक साहित्य प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में है। सन्तों की जो परम्परा व्यापक रूप में प्रकाश में आई, उसका समय १५वीं शती ई० से निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार के सन्तों का उदय भारत के प्रायः सभी अंचलों में हुआ। उत्तर भारत में लगभग १३वीं शती ई० में आचार्य रामानन्द 'रामायत सम्प्रदाय' की स्थापना कर श्रीराम के लोकोत्तर स्वरूप की व्याख्या कर चुके थे और आराधना-उपासना की एक ऐसी पद्धति का प्रवर्तन कर चुके थे, जिसमें वर्ग-वर्ण की विषमताओं के विपरीत धर्म के सहज मार्ग का निरूपण था। इसी प्रकार उत्कल में जयदेव, महाराष्ट्र में नामदेव, ज्ञानदेव, पंजाब में सन्त सघना तथा बेनी और काश्मीर में लालदेव आदि सन्तों ने अपनी वाणियों में भक्ति एवं उपासना के नये मार्ग का सूत्रपात किया।

सन्तों की यह परम्परा लगभग १९वीं शती ई० तक अविच्छिन्न रूप में बनी रही। इस बीच अनेक सन्त, कवि, भक्त एवं आचार्य हुए, जिन्होंने अपने-अपने नये पन्थों एवं सम्प्रदायों की स्थापना कर सन्त-मत को व्यापक रूप दिया। इस प्रकार के सन्तमार्गीय पन्थों में नानकदेव (१५वीं शती) का नानक पन्थ, दादूदयाल (१५वीं शती) का दादू पन्थ, कबीरदास (१५वीं शती) का कबीर पन्थ, सन्त पुण्डरीक आदि (१३-१५वीं शती) का पीराना पन्थ, हरिदास (१५वीं शती) का निरंजनी पन्थ और मल्लूकदास (१६वीं शती) का मूलक पन्थ आदि का प्रचलन हुआ। इसी प्रकार धामी सम्प्रदाय, साध सम्प्रदाय, घरनीश्वरी सम्प्रदाय, दरियादासी सम्प्रदाय, बाबा लाली सम्प्रदाय, दरिया पन्थ, शिवनारायणी सम्प्रदाय, गरीब पन्थ, नारायण सम्प्रदाय और रामसनेही सम्प्रदाय आदि के संस्थापक एवं प्रवर्तक सन्तों ने अपनी वाणियों में सन्त-मत को व्यापक लोक-जीवन में फैलाया।

सन्त-मत के जनक तथा उन्नायक सन्तों और उनके द्वारा प्रवर्तित पन्थों एवं सम्प्रदायों का उल्लेख विस्तार से आगे किया गया है।

वारकरी-सम्प्रदाय

दक्षिण भारत में उदार विचार वाले कुछ ऐसे धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलित हुए, जिनके अनुयायी भागवत मत को मानते हैं और शिव तथा विष्णु की समान रूप से आराधना-उपासना करते हैं। ऐसे तीन सम्प्रदाय या पन्थ हैं—वारकरी, रामदासी और दत्त या दत्तात्रेय। मूलतः ये तीनों उपशाखाएँ भागवत सम्प्रदाय की हैं। इन तीनों वैष्णव शाखाओं का उदय महाराष्ट्र में हुआ और वही उनको व्यापक लोक-मम्मान भी प्राप्त हुआ। इन तीनों धर्म-शाखाओं में उच्चकोटि के सन्त, महात्मा तथा भक्त हुए।

भारत के धार्मिक इतिहास में महाराष्ट्र के सन्तों का उल्लेखनीय स्थान है। मध्ययुगीन भारत में शक्ति तथा ज्ञान की जिस धारा को उन्होंने चहाया, देश के कोने कोने तक उसका प्रसार हुआ। 'वारकरी पन्थ' का अस्तित्व महाराष्ट्रीय सन्तों की भगवद्-भक्ति के परिणामस्वरूप प्रकाश में आया। इस पन्थ के अनुयायी यद्यपि अनेक प्रसिद्ध सन्त हुए, किन्तु इसके प्रवर्तक एव मस्थापक के सम्बन्ध में आज भी असन्दिग्ध तथा विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वारकरी पन्थ के प्रवर्तक किसी पुण्डरीक नामक सन्त को बताया जाता है, जिनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध में मत मतान्तर है। भारत के धार्मिक पन्थों के प्रामाणिक खोजकर्ता विद्वान् डाक्टर भडारकर ने १२४९ ई० के एक ताम्रलेख के आधार पर लिखा है कि देवगिरि के यादववंशीय शासक कृष्ण के सेनापति ने बैलगाँव जिले के पौण्डरीक पवित्र क्षेत्र को दान किया था, जो कि भीमा नदी के तट पर था और जिसका समीकरण वर्तमान पण्डरपुर से किया जा सकता है। यदि प्राचीन पौण्डरीक शब्द का सम्बन्ध किसी पुण्डरीक नामक व्यक्ति से स्थापित किया जा सकता है तो उसका स्थितिकाल १३वीं शती में आस-पास रखा जा सकता है और वर्तमान पण्डरपुर उसका जन्मस्थान माना जा सकता है।

इस सम्बन्ध में डाक्टर भडारकर ने एक परम्परागत अनुश्रुति का हवाला देते हुए लिखा है कि पण्डरपुर के निकट डिडीरवन नामक एक जगल में मातृ-पितृ-भक्त कोई पुण्डरीक नामक रात-स्वभाव का भक्त-हृदय व्यक्ति रहा करता था। दन्तकथा में कहा गया है कि एक बार कृष्ण स्वामी को मनाने के लिए पण्डरपुर वन में गये थे। उस समय वे भक्त पुण्डरीक से भी

मिले थे। मातृ पितृ-भक्त पुण्डरीक ने श्रीकृष्ण को बँटने के लिए एक इंट दी थी। इस पुरातन दन्तकथा का सम्बन्ध आधुनिक भक्तहृदय जनता पण्डरपुर के मन्दिर में स्थापित विठ्ठलनाथ की प्रतिमा से करते हैं। उनका विश्वास है कि मन्दिर में स्थापित इंट की मूर्ति पर उत्कीर्णित विठ्ठलनाथ श्रीकृष्ण के साथ रुक्मिणी की छवि अंकित है, जो कि उसी पुरातन कथा से सम्बन्धित है। महाराष्ट्र के बारकरी वैष्णवों का पण्डरपुर एक पवित्र स्थान है और वहाँ के मन्दिर में स्थापित विठ्ठलनाथ रुक्मिणी की प्रतिमा उनकी एकमात्र उपास्यदेव है।

महाराष्ट्र के बारकरी पन्थ के वैष्णव भक्त आज भी वर्ष में कम-से-कम दो बार पण्डरपुर की यात्रा करते हैं और भगवान विठ्ठलनाथ के दर्शन कर अपने को धन्य समझते हैं। विठ्ठलनाथ जी के प्रति उनकी जो अगाध धार्मिक निष्ठा है, वही निष्ठा उनके भक्त पुण्डरीक के प्रति भी है और आज भी उन्हें वे अपने इस धर्म पन्थ के प्रवर्तक महापुरुष मानते हैं।

इस प्रकार सन्त पुण्डरीक के सम्बन्ध में उक्त दन्तकथा का ऐतिहासिक दृष्टि से जो भी महत्त्व हो; किन्तु यह निश्चित है कि महाराष्ट्र में बारकरी वैष्णव पन्थ से अनेक पुरातन सन्तों का नाम जुड़ा हुआ है और अतीत की अनेक शताब्दियों तक इस पन्थ का महाराष्ट्र जनमानस में व्यापक प्रभाव रहा है।

बारकरी वैष्णव पन्थ के उन्नायक सन्तों में सन्त ज्ञानदेव, सन्त नामदेव, सन्त एकनाथ और सन्त तुकाराम का नाम उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त सन्त रीका-वाँका और सन्त नरहरि भी इसी परम्परा में हुए। इन सन्तों की अमर वाणियाँ आज भी न केवल महाराष्ट्र में, अपितु समस्त भारत की धर्मप्राण जनता के हृदय में थढ़ा एव निष्ठा के साथ सम्पूजित हैं।

सन्त ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर

सन्त ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर (१२७५-१२९६ ई०) अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान् और ज्ञानी महापुरुष थे। महाराष्ट्र स्थित नेवास नाम गाँव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता ने पहले ही सन्यास धारण कर लिया था और उसके बाद सन्यास त्याग कर उन्होंने गृहस्थाश्रम में पुनः प्रवेश किया। उनके इस आचरण से अमन्तुष्ट होकर नेवास के आसन्दी ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया। इस कारण उनको अपना गाँव छोड़ना पड़ा और वे पाटण में जा बसे। वही पर ज्ञानदेव का उपनयन संस्कार हुआ। वाल्यकाल से ही वे भगवद् अनुरागी और दैवी प्रतिभा से सम्पन्न थे। पाटण में ही उन्होंने भजन, कीर्तन, सत्संग और कथा वाचन का आयोजन किया। उनकी वाणी से मोहित होकर

जन-समाज उनके निकट आता गया और वे सहज में ही जनमानस के थड़ा के पात्र बन गये ।

कुछ समय पाठन में रहकर उन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों से शुद्धिपत्र प्राप्त किया और वे अपने गाँव नेवास लौट आये । अपने गाँव में ही उन्होंने 'भगवद्-गीता' पर अपनी प्रसिद्ध 'भावार्थदीपिका' टीका का प्रणयन किया । यह टीका 'ज्ञानेश्वरी' के नाम से प्रसिद्ध है और 'भगवद्गीता' पर प्रामाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है । बारकरी सम्प्रदाय की यह सम्पूज्य एवं ममस्त संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है । इस टीका का उन्होंने जन-समाज के समक्ष व्याख्यान किया, जिसकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती गई । इस समय उनकी अवस्था केवल १५ वर्ष की थी । 'ज्ञानेश्वरी' के अनिरिक्त उन्होंने 'अमृतानुभव', 'हरिपाठ', 'अभंग' और 'चाणदेवपासडो' आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की ।

उनका सारा परिवार भगवद् भक्ति में निमग्न हो गया था । उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ, छोटे भाई सोपानदेव और छोटी बहिन मुक्ताबाई सभी मिल कर भजन कीर्तन तथा सत्संग में तल्लीन रहने लगे । भारत के विभिन्न अंचलों का भ्रमण कर सन्त ज्ञानेश्वर ने 'गीता' का उपदेश देकर बहुसंख्यक जनता को अपना अनुयायी बना लिया था ।

सन्त ज्ञानेश्वर मूक्त नाथपन्थी योगी थे । अपने 'अमृतानुभव' तथा 'ज्ञानेश्वरी' में उन्होंने अपनी गुरु-परम्परा इस प्रकार दी है—आदिनाथ-भारत्येन्द्रनाथ गोरखनाथ गृहीनाथ निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर । इस प्रकार नाथ पन्थी योगियों की परम्परा को उज्जीवित रखते हुए उन्होंने बारकरी पन्थ को भी उजागर किया ।

अल्पायु में ही इन महान् सन्त ने शरीर त्याग किया । २१ वर्ष, तीन मास और पाँच दिन की अल्पायु में ही उन्होंने जीवित समाधि धारण कर परमधाम को प्राप्त किया ।

सन्त नामदेव

महाराष्ट्र के बारकरी पन्थ के सन्तों में सन्त नामदेव (१२७०-१३५० ई०) का नाम उल्लेखनीय है । वे सन्त ज्ञानेश्वर के समकालीन और सन्त बिसोवा खेपर के शिष्य थे । महाराष्ट्र के नरसी ब्राह्मणों नामक स्थान में उनका जन्म एक दर्जी (छीपी) परिवार में हुआ था । बाल्यकाल में ही किसी अपरोक्ष की प्रेरणा से वे बिठ्ठलनाथ के परम भक्त हो गये थे । उनकी विराग-मम भावना को जानकर उनके माता-पिता ने बाल्यावस्था में ही उनका

विवाह कर दिया था, किन्तु गृहस्थ-जीवन के प्रति उनकी कभी भी आसक्ति नहीं रही।

सन्त नामदेव की अगाध भक्ति-भावना की अनेक अद्भुत एवं रोचक कथाएँ आज भी लोकप्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार शिवरात्रि के दिन वे औदिया नामक स्थान पर नागनाथ महादेव के दर्शन करने गये। वहाँ भगवान् शंकर के आगे भजन-कीर्तन करने में वे इतने तल्लीन हो गये कि उन्हें कुछ भी सुघ-बुघ न रही। अभिप्रेक करने वाले ब्राह्मणों ने बलात् उन्हें बाहर निकाल दिया और पट वन्द कर दिये। सन्त नामदेव उमी अति-बिह्वलावस्था में मन्दिर के पीछे जाकर खड़े हो गये और वही भजन-कीर्तन करने लगे। कहा जाता है कि जिस ओर से नामदेव भजन-कीर्तन करने में तल्लीन थे, वकर भगवान् ने उसी ओर अपना मुँह मोड़ लिया। तभी से उक्त मन्दिर की शंकर-मूर्ति का मुँह पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। नन्दी उनके आगे न होकर पीछे हैं। आज भी यह शिव मूर्ति इसी रूप में विद्यमान है।

भगवद्-भक्ति का मन्देश लेकर वे देशाटन को निकल पडे और स्वान-स्थान पर सत्सग जुटा कर भजन-पूजन-सकीर्तन करने लगे। अन्त में वे उत्तर भारत आये और श्रीकृष्ण की लीलाभूमि मधुरा, वृन्दावन में रहने लगे। वहाँ से वे पश्चिम में पजाब पहुँचे और अपने मोहक पदों का गायन करते हुए जनता में अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने लगे। पजाब की भक्तहृदय जनता पर उनका व्यापक प्रभाव पडा। लगभग अठारह वर्ष तक वे पजाब में रहे। बाद में सिख गुरुओं ने जब 'गुरुग्रन्थसाहिब' का सकलन किया तो उसमें लगभग साठ पद नामदेव जी के भी सकलित किये गये।

वृद्धावस्था में वे पण्डरपुर (महाराष्ट्र) लौट आये। महाराष्ट्र की जनता में उनके पदों की इतनी लोकप्रियता बढी कि आवाल-वृद्ध के मुँह में उनका सकीर्तन होने लगा। अपने सम्प्रदाय के लिए उन्होंने 'अमृतानुभव' नामक ग्रन्थ की रचना की। ८० वर्ष की आयु बिता कर पण्डरपुर के विद्वल मन्दिर के द्वार पर भगवान् का लीलागान करते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया।

सन्त एकनाथ

महाराष्ट्रीय सन्तों की इस परम्परा में सन्त एकनाथ (१५२८-१५९९ ई०) का भी एक नाम है। उन्हें सन्त ज्ञानेश्वर का अवतार बताया जाता है। बाल्यकाल से ही उनकी भगवद्-भक्ति में स्वाभाविक आसक्ति हो गई थी। जब उनकी आयु केवल १२ वर्ष की थी, एक प्रसिद्ध भक्त के रूप में उनका नाम लोक-प्रचलित हो गया था। भगवत्-प्रेरणा से वे देवगा (दौलताबाद) गये और वहाँ उन्होंने तत्कालीन सन्त पुरुष एव प्रसिद्ध विद्वान् जर्नादन स्वामी

को अपना गुरु बना लिया। निरन्तर छ वर्ष तक वे गुरु के पास रहे और बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा करते रहे। गुरु-अनुग्रह से उनको भगवान् दत्तात्रेय के दर्शन हुए। गुरु-आज्ञा से वे शूलभजन पर्वत पर गये और वहाँ उन्होंने घोर तप किया। वहाँ से पुन वे गुरु के पास आय और गुरु-आज्ञा से तीर्थाटन के लिए निकल पडे। तीर्थाटन के बाद वे गुरु के समीप आये। गुरु-आज्ञा से उन्होंने गृहस्थ जीवन को वरण किया। उनकी पत्नी गिरिजावाई परम धर्म-परायणा महिला थी, जिमके साथ रहकर सन्त एकनाथ बडे सन्तोष एव आनन्द से भगवान् का भजन-कीर्तन-सत्सग करते हुए गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते रहे।

गृहस्थ जीवन मे रहते हुए वे अन-भानस को अपनी वाणी से भगवद् रसामृत का पान कराते रहे। वे दान, परोपकार तथा भगवन्नाम सकीर्तन मे तल्लीन रहे और एक सदगृहस्थ एव उच्च सन्त का जीवन व्यतीत कर पेशण मे गोदावरी के पवित्र तट पर समाधि धारण कर चैत्र कृष्णा पक्षे तिथि को परलोकवासी हुए।

उन्होंने अनेक ग्रन्था की रचना की। उनमे 'भागवत एकादशस्कन्ध' का नाम उल्लेखनीय है। उसे 'एकनाथी भागवत' भी कहा जाता है और सम्प्रदाय के अनुयायियों का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'हविमणी-स्वयम्बर' और 'भावार्य रामायण' की भी रचना की। एक उच्च सन्त के रूप मे आज भी उनको बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया जाता है।

सन्त तुकाराम

भारतीय सन्तो की परम्परा मे सन्त तुकाराम (१६०८-१६४९ ई०) का नाम आज भी उनके जभगो के रूप मे अमर है। उन्हे सन्त नामदेव का अवतार माना जाता है। उनका जन्म दक्षिण भारत मे देहू नामक गाँव मे हुआ था। जाति के वे वैश्य थे। जब वे बालक ही थे, अतमय मे ही उनके पिता का देहान्त हो चुका था। इसलिए दाल्यकाल से ही उन्हे विकट कष्टो का सामना करना पडा। किन्तु उनके हृदय मे भगवान् की प्रेरणा जागी और वे पारि-वारिक कष्टो के बीच रहकर भी भगवान् की निष्ठा मे एकाग्र सत्सग तथा हरिकीर्तन मे तल्लीन रहने लगे। भगवत्-कृपा से अनायास ही उनकी वाणी से भगवद्-भक्ति मन्वन्धी गुल्लित कविताओ का अभिव्यजन हुआ। उनकी इस भगवत् प्रदत्त प्रतिमा से प्रभावित होकर अनेक विद्वान् और श्रद्धान् लोग तथा साधु सन्त उनके भक्त हो गये।

भारत के दूराचलो तक उनके नाम तथा उनकी सरल वाणी का प्रचार-प्रसार होता गया और बड़ी सरुखा मे लोग उनके दर्शन करने आने लगे।

उनकी मधुर एव विमोहित कर देने वाली वाणी का रसास्वादन करने के लिए दूराचलो के लोग वहाँ आने लगे ।

सन्त तुकाराम के सम्बन्ध में जनमानस में परम्परा से एक दन्तकथा प्रचलित है । कहा जाता है कि जात-पात, ऊँच-नीच, विद्वान्-अपढ, सभी वर्गों एव धर्मों की जनता सन्त तुकाराम के अभगो का सकीर्तन करते हुए उनकी ओर व्यापक रूप से आकर्षित होती जा रही थी । इसी बीच एक घटना घटी । पूना से नौ मील की दूरी पर वाघोरी नामक स्थान में रामेश्वर भट्ट नाम के एक वेद-वेदान्त वित् कर्मकाण्डी ब्राह्मण रहते थे । उन्होंने जब सन्त तुकाराम की ख्याति और समाज में उनके अभगो की लोकप्रियता सुनी और उन्हें पता लगा कि ब्राह्मण वर्ग के लोग भी निम्न जाति तुकाराम के अनुयायी बनते जा रहे हैं, तो उन्हें यह असह्य प्रतीत हुआ । वे देह के तत्कालीन राज्याधिकारी को मिले और ऐसी राजाज्ञा निकलवाई कि जिससे सन्त तुकाराम को विवश होकर देह छोड़ना पडा । वहाँ से निकल कर सन्त ने भगवद्-भक्ति में लीन होकर विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और सरसग में तल्लीन रहने लगे ।

इधर रामेश्वर भट्ट सन्तुष्ट थे कि उन्होंने सन्त तुकाराम को देश निकाला कर दिया । कुछ दिन बीतने पर रामेश्वर भट्ट नागनाथ जी के दर्शन हेतु पूना गये । रास्ते में उन्होंने एक कुण्ड में स्नान किया । स्नान करने पर उनके शरीर में इतनी जलन हुई कि वे बैचैन होकर चिल्लाने लगे । अनेक उपचार किये गये, किन्तु उन्हें कोई लाभ न हुआ । बहुत कष्ट भोगने के बाद एक रात्रि को सप्त ज्ञानेश्वर ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिये और सन्त तुकाराम की शरण में जाने के लिए कहा । रामेश्वर भट्ट प्रात होते ही सन्त तुकाराम की खोज में निकल पडे । उन्हें पाकर वे सन्त की शरण में ही गये । इस घटना से सन्त के देवी प्रभाव से जनता की थ्रडा उन पर और भी बढ गई । यहाँ तक कि उनकी महानता से प्रभावित होकर छत्रपति शिवाजी उनके पाम आये और उनके थ्रडालु भक्त बन गये । इसी प्रकार की अन्य भी विस्मय-कारी बातें उनके सम्बन्ध में प्रचलित हैं ।

सन्त तुकाराम ने भगवान् की भक्ति में लीन रहते हुए चंद्र वृष्णा सप्तमी को शरीर त्याग किया । किन्तु उन्होंने जन-मानस में भक्ति और प्रेम की जो गंगा बहाई वह उनके बाद भी निरन्तर रूप से प्रवाहित होती रही ।

सन्त तुकाराम के भगवद् रसामृत से अभिसिंचित 'अभग' आज भी थ्रडालु भक्तों की वाणी में समाहित हैं और उनकी नाम महिमा आज भी लोक में व्याप्त है । इस प्रकार वारकरी सम्प्रदाय के इन महान् सन्तों

की वाणी ने भारत की भक्तहृदय जनता में अपना चिरस्मरणीय स्थान बनाया।

सिद्धान्त-निरूपण

वारकरी तीर्थयात्रा को बहुत महत्त्व देते हैं। उनके एकमात्र उपास्य देव पण्डरपुर के भगवान विठ्ठल या विठोबा है। पण्डरपुर ही वारकरियों का प्रमुख तीर्थ है। यहाँ भगवान विष्णु का भव्य मन्दिर है। कहा जाता है कि परम भक्त गुण्डरीक की भक्ति से प्रमत्त होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। भक्त ने तब उनको बैठने के लिए ईंट (विट) रख दी थी। इसी कारण भगवान का नाम विठ्ठल पड़ा। देवोन्धानी और देवगायिनी एकादशी को पण्डरपुर में विशाल मेला लगता है। यह स्थान भीमा या चन्द्रभागा नदी के पवित्र तट पर स्थित है।

वारकरी पन्थ की सन्त-परम्परा निर्गुणोपासक रही है। उनकी अद्वैत भक्ति पर नाथपन्थ का प्रभाव बताया जाता है। वारकरी वैष्णवों की अराधना-उपासना में भक्ति तथा ज्ञान का जड़भूत समन्वय देखने को मिलता है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। उनके सिद्धान्तिक पक्ष में भक्ति मूल और ज्ञान उभका फल है। उनके मन से भक्ति-रूप मूल के बिना ज्ञान-रूप फल की उपलब्धि संभव ही नहीं है। इस पन्थ के अनुयायियों के कृष्णरूप विठ्ठलनाथ एकमात्र उपास्य हैं, किन्तु त्रिवोपासना के प्रति भी उनकी निष्ठा है। वे हरि (कृष्ण) और हर (शिव) की समन्वित उपासना पद्धति के अनुयायी हैं। इस दृष्टि से वारकरी पन्थ वैष्णवों तथा शैवों का समन्वित पन्थ कहा जाना है।

भक्ति की विभिन्न अवस्थाओं को लेकर वारकरी पन्थ से बाद में चार प्रमुख शाखाओं का उदय हुआ, जिनके नाम हैं—चैतन्य सम्प्रदाय, आनन्द सम्प्रदाय और प्रकाश सम्प्रदाय। चैतन्य सम्प्रदाय के जप-भजन का आधार 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' या 'रामकृष्णहरि' है। स्वरूप सम्प्रदाय के अनुयायी 'जय राम, जय राम' का भजन-कीर्तन करते हैं। आनन्द सम्प्रदाय वाले 'श्रीराम' या 'राम' का जप करते हैं। प्रकाश सम्प्रदाय के भक्त 'ओम् नमो नारायण' का जप-कीर्तन करते हैं। भजन-कीर्तन-जप की इस भिन्नता से ही ये चारों पन्थ अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं, किन्तु सभी के जाराध्य विठ्ठलनाथ एव शिव हैं।

निरंजनी-सम्प्रदाय

पूर्व-मध्ययुगीन धर्म सम्प्रदायो मे सन्तमत के समर्थक पन्थों मे 'निरंजनी सम्प्रदाय' का भी एक नाम है। साधना तथा उपासना की दृष्टि से इस निर्गुणवादी सम्प्रदाय का सम्बन्ध नाथपन्थ से स्थापित किया जाता है। उसकी आध्यात्मिक विचारधारा सिद्धो तथा नाथो के समान है। इस धार्मिक मत के संस्थापक स्वामी निरंजन भगवान को माना जाता है, जिनके सम्बन्ध मे यद्यपि अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किन्तु जिनका स्थितिकाल १४वीं शती वि० बताया जाता है। इस मत का मूल उद्गम उड़ीसा क्षेत्र रहा है, जहाँ से बाद मे यह उत्तर-पश्चिम तथा पूर्वी भारत मे प्रवर्तित तथा प्रचारित हुआ।

दादूपन्थी बाबा राघोदास ने (१७७० वि० या १७३० ई०) 'भक्तमाल' नाम से एक जीवनी ग्रन्थ की रचना की थी। उसमे विदोष रूप से उन सन्तों की जीवनियाँ दी गई हैं, जिनका समावेश नाभादास के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भक्तमाल' मे नहीं हो पाया था। अपने इस ग्रन्थ मे जहाँ बाबा राघोदास ने कबीर, नानक तथा दादू आदि को विभिन्न निर्गुण पन्थो का संस्थापक एवं प्रवर्तक बताया है, वही जगन या जगन्नाथदास को निरंजनी पन्थ का प्रवर्तक माना है। इस पन्थ के अन्य प्रवर्तक सन्तो मे श्यामदास, बान्हडदास, ध्यानदास, खेमदास, नाथदास, जगजीवनदास, तुरसीदास, आनन्ददास, पूरनदास, मोहनदास, भगवानदास, निपटनिरंजनदास और हरिदास आदि तेरह सन्तो के नाम उल्लेखनीय हैं। जगन्नाथदास सहित ये चौदह सन्त सभी राजस्थान के मूल निवासी थे और संभवत इनकी अपनी अपनी अलग-अलग गहियाँ थी। इस प्रकार राजस्थान ही एकमात्र 'निरंजनी सम्प्रदाय' का प्रमुख केन्द्र रहा है।

उक्त चौदह सन्तो की गहियों की ऐतिहासिक परम्परा क्या रही है इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। उनमे सन्त हरिदास को अधिक प्रभावशाली बताया जाता है। अन्य सन्तो की अपेक्षा उन्होने निरंजनी पन्थ का अधिक प्रचार प्रसार किया। उनमे परवर्ती मुन्दरदास, रामसनेहीदास तथा रामदास आदि सन्तो ने अपनी-अपनी वाणियों मे हरिदास को ही निरंजनी सम्प्रदाय का मूल पुद्गल बताया है। हरिदासजी दादूपन्थी प्रागदासजी के शिष्य थे। उनमे ग्रन्थो का निर्माण-काल, उनके अन्तरंग साध्यों के आधार पर, विद्वानो

ने १५२०-१५४० ई० के बीच रखा है। अतः उनका स्थितिकाल १५वीं सदी ई० के उत्तरार्द्ध में रखा जा सकता है। जाति के वे क्षत्रिय थे और उनका जन्म डीडवाणा परगने के कापडोल (राजस्थान) नामक गाँव में हुआ था। कहा जाता है कि आरम्भ में वे लूटमार कर आजीविका चलाते थे, किन्तु किसी महात्मा के सदुपदेश एवं सत्संग से उन्होंने यह अनैतिक मार्ग त्याग कर विरक्तों का जीवन धारण कर लिया था।

हरिदास के नाम से हिन्दी साहित्य में अनेक वचिमत सन्तों का उल्लेख हुआ है। किन्तु ये निरंजनी हरिदास, हरिदास नरहरितीर्थ तथा निम्बार्क सम्प्रदाय के अन्तर्गत 'टट्टी सम्प्रदाय' के संस्थापक एवं प्रसिद्ध सगीतज्ञ जानचक्षु स्वामी हरिदास से भिन्न थे। ऐसा प्रतीत होता है कि निरंजनी सम्प्रदाय के संस्थापक हरिदास प्रसिद्ध सन्त हुए और अनेक कृतिषो के रचनाकार होने के साथ धार्मिक क्षेत्र में भी उनका बड़ा आदर-सम्मान था।

सन्त हरिदास की वाणियों में गोरखनाथ और कबीर, दोनों के प्रति समान्य भाव प्रकट किये गये हैं। गुरु गोरखनाथ को तो उन्होंने अपना प्रत्यक्ष गुरु माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि बालान्तर में उन्होंने गोरख पन्थ वरण कर लिया था। इसलिए सन्त सुन्दरदास ने उन्हें गोरखनाथ आदि सन्तों की कोटि में रखकर समानित स्थान दिया है। उनकी वाणियों में गोरखनाथ तथा कबीर आदि सन्तों की निराकारवादी विचारधारा का अभिव्यजन देखने को मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने गोपीचन्द, नामा, पीपा और रैदास आदि दादूपन्थी सन्तों के प्रति भी अपना श्रद्धाभाव प्रकट किया है। सन्त हरिदास के वास्तविक गुरु कौन थे, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ सम्प्रदाय और सन्त सम्प्रदाय, दोनों से उनका सम्बन्ध था। अपनी वाणियों में उन्होंने उस नाथ निरंजन की शरण में जाने का उल्लेख किया है, जो सब सन्तों का उपास्य रहा है और जिसकी कृपा से उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कबीर के उल्टे मार्ग को अपनाये जाने का उल्लेख किया है।

उनकी वाणियों से पता चलता है कि एक ओर तो उन्होंने नाथों के योगमार्ग और दूसरी ओर सन्तों के निर्गुण पन्थ को अपना कर अपना धार्मिक मत प्रतिपादित किया। उनकी साधना-पद्धति रामनिरंजन तथा हरिनिरंजन के अल्पस्वरूप के प्रति अधिक थी। डॉ० पीताम्बर दत्त बटुवाल ने निरंजनी सम्प्रदाय की साधना-पद्धति को वेदान्त मत से प्रभावित माना है। उसमें एक ओर तो नाथपन्थ का और दूसरी ओर राधास्वामी मत तथा कबीर मत का प्रभाव बताया है। उनके मत से 'निरंजन' को 'कालपुत्र' मानने की परम्परा

नाथपन्थ से ली गई है और उनके निर्गुण, निराकार का आधार मन्त मत है। ('कुछ निरजनी सन्तो की वाणियाँ', डा० पीताम्बर दत्त के बड़धवाल के श्रेष्ठ निबन्ध, पृ० ४९-६२)

सन्त हरिदास ने छोटे-बड़े नौ ग्रन्थों की रचना की, जिनका उल्लेख डा० बड़धवाल ने अपने उक्त निबन्ध में किया है। उनकी वाणियों का संग्रह उनके अनुयायियों ने किया। उन्होंने लगभग ८८ वर्ष की अवस्था में १६वीं शताब्दी के मध्य शरीर त्याग किया। उनके लगभग ५२ शिष्य बताये जाते हैं, जिनमें तुरसीदास, मोहनदास, ध्यानदास, कल्याणदास, सेवादास, नारीदास तथा आत्मारामदास आदि का नाम उनकी वाणियों में उल्लिखित है। उनकी इस शिष्य-परम्परा ने निरजनी सम्प्रदाय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया। सन्त हरिदास की बड़ी लोक-व्याप्ति थी। उनकी स्मृति में आज डीडवाणी के निकट प्रति वर्ष एक मेला लगता है और वहाँ जनता उनकी पवित्र 'गूदड़ी' का दर्शन करती है।

सन्त हरिदास के शिष्य मन्त तुलसीदास शेरपुर (राजस्थान) के निवासी थे। वे १७वीं शती ई० के उत्तरार्द्ध में हुए। डा० बड़धवाल ने उनके चार छोटे ग्रन्थों के अतिरिक्त उनकी विपुल वाणियों के वर्तमान होने का उल्लेख किया है। उनकी वाणियों में भक्ति, ज्ञान तथा योग, तीनों विषयों का तार्त्विक विवेचन हुआ है। निरजनी पन्थ को सशक्त एवं लोकप्रचलित करने में उनका सर्वाधिक योगदान रहा है। राघोदास ने अपने 'भक्तमाल' में तुलसीदास का उल्लेख एक महान् सन्त के रूप में किया है और कहा है कि उन्हें सत्यज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। डा० बड़धवाल के अनुसार 'निरजन पन्थ के लिए तुरसीदास ने वही काम किया, जो दादूपन्थ के लिए सुन्दरदास ने।'

निरजनी सम्प्रदाय की परम्परा में मोहनदास, कान्हडदास तथा सेमदास आदि सन्तों का नाम भी उल्लेखनीय है। ये तीनों मन्तपुरुष १७वीं शती ई० के उत्तरार्द्ध में हुए। तीनों ही महन्त थे। मोहनदास की गद्दी देवपुरा में, कान्हडदास की गद्दी चाटमू में और सेमदास की गद्दी शिवहडी में थी। मन्त सेमदास बड़े साधक और सिद्ध पुरुष थे, जिन्हें कि राघोदास ने अशा-वतार' के रूप में कहा है। अपने समय के प्रख्यात मन्त एवं भजनीक थे।

सन्त सेवादास के सम्बन्ध में उनकी जीवनी पुस्तिका 'सेवादास परची' से कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिसको कि रूपदास ने लिखा था। रूपदास, अमरदास के शिष्य और अमरदास, सेवादास के शिष्य थे। कश्मीर की सेवादास ने अपना गुरु माना है। उनका स्थितिवाल १८वीं शती ई० था। उनके द्वारा विरचित अनेक गाथियाँ, पद, कृण्डलियाँ, रेखता तथा

कवित्त आदि सम्प्रति उपलब्ध है। निरजनी सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा एव ह्याति मे उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

निरजनियो ने अपनी साधना की सिद्धि के लिए योगमार्ग ने साथ-साथ प्रेममार्ग को भी अपनाया है और उसे भी उतना ही महत्त्व दिया है। उनकी साधना पद्धति में इन्द्रियो को दमन करने की अपेक्षा उनका शमन करना बताया गया है। यही उनका 'प्रेमतत्त्व' है। उन्होने प्रिय के विरह मे आकुल पिया की भांति अपने हृदय की व्यथा को अपनी प्रेमरसपूर्ण कविताओ मे अभिव्यजित किया है। जीव (पत्नी) आत्मा या परमात्मा (पति) को प्रेम की विह्वलता से ही प्राप्त कर सकता है।

यद्यपि साधना-पद्धति की दृष्टि से निरजनियो ने निर्गुणी सन्तो कबीर, दादू, नानक आदि की भांति मूर्तिपूजा, अवतारवाद तथा कर्मकाण्ड को स्वीकार नहीं किया है, तथापि उन्होने कबीर आदि की भांति हिन्दुओ की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था का भी कटु खण्डन नहीं किया है। उन्होने जन-सामान्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए उनकी भावनाओ का निषेध नहीं किया है। उन्होने मूर्त से अमूर्त की प्राप्ति के लिए मूर्त के माध्यम को अस्वीकार नहीं किया है। मन्दिर मे भगवान के समक्ष वैर तथा प्रीति, दोनो का अवलम्बन किये बिना निरपेक्ष भाव से निरन्तर गोविन्द का गुणगान करते रहने पर बल दिया है। निरजनी सन्तो की यह भावना नामदेव आदि सन्तो के समान है। सन्त नामदेव स्वयं भगवान विठोवा की मूर्ति के समुख बैठकर निराकार परमात्मा का गुणगान किया करते थे। इसी प्रकार स्वामी रामानन्द भी शालिग्राम की पूजा के अनुयायी थे। निरजनियो की प्रेम तथा योग सम्बन्धी वाणियाँ कबीर, रैदास तथा पीपा की वाणियो के समान हैं।

कबीर मत मे वर्णाश्रम की कटु आलोचना की गई है। किन्तु निरजनियो ने वर्णाश्रम धर्म को शरीर का धर्म माना है, आत्मा का नहीं। उन्होने परम्परागत लोकमान्यताओ की अवहेलना न करके वर्णाश्रम धर्म का विरोध किया है। वे सत्सार को एक परिवार के समान मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि वर्णभेद, तथा ऊँच-नीच के भेद-भाव को उसका आधार न माना जाये।

निरजनी सम्प्रदाय की सन्त परम्परा मे भगवानदास निरजनी का भी एक नाम है। वे नागा अर्जुनदास के शिष्य थे। उनके लिखे लगभग ६ ग्रन्थो के नाम प्रकाश मे आये हैं। उनमे उल्लिखित रचना-काल के आधार पर सन्त भगवानदास का स्थितिकाल १७वीं शती ई० का उत्तरार्द्ध प्रतीत होता है।

सन्त निपटनिरजन की भी कुछ वाणियाँ उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर उनका स्थितिकाल १६वीं शती ई० के उत्तरार्द्ध में बैठता है। सभवत वे सन्त हरिदास के समकालीन थे। इसी प्रकार मनोहरदास निरजनी भी, उनकी उपलब्ध कृतियों के आधार पर, १७वीं शती के उत्तरार्द्ध में वर्तमान थे।

साधना मार्ग

निरजनी सम्प्रदाय के सन्तो एव योगियों में साधना-मार्ग के सम्बन्ध में उनकी उपलब्ध रचनाओं के आधार पर डा० बड्यवाल ने विस्तार से लिखा है (उक्त निबन्ध ग्रन्थ, पृ० ५७-६२)। उन्होंने लिखा है कि ये सन्त साधना की धरम सीमा तक पहुँच चुके थे और उन्हें आत्मदर्शन हो चुके थे।

निरजनी पन्थ का साधना मार्ग निर्गुणी सन्तो की भाँति उल्टा है। सासारिक मोह बन्धनों से ग्रस्त बाह्य प्रवृत्तियों को अन्तर्मुखी करके ही आत्मदर्शन हो सकता है। उसे उन्होंने उल्टी गंगा बहाना, उल्टा घोता लगाना, बिना हाथ की बजने वाली बीणा, बिना बादलों के होने वाली अखण्ड वर्षा, बहरे को सुनाई देने वाली गुप्त वार्ता, अन्धों को प्रकाश दर्शन और लगड़े का पैर पर चढ़ना, आदि कहा है। साधना की इन स्थितियों का अनुसरण करने पर ही बाह्य-इन्द्रियों को अन्तर्मुखी किया जा सकता है। जिस प्रकार कबीर की परम्परा के निर्गुणी भक्तों ने इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना आदि नाडियों को योग-साधना द्वारा जागरित साधना के अन्तिम लक्ष्य में परिणत करने का निर्देश किया है, उसी प्रकार निरजनी सन्तो ने भी अपनी साधना के लिए उन्हीं का अनुसरण किया है। निरजनियों की 'सहजानुभूति' की अन्तिम स्थिति 'जरणा' है, जिसमें साधक को 'जिलमिलाती ज्योति' के दर्शन होने लग जाते हैं।

निरजनी सम्प्रदाय के सन्तो में सन्त तुरसीदास ने दशधा भक्ति को अपनाते पर विशेष बल दिया है। उन्होंने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सस्य, आत्मनिवेदन और प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग बताया है। उनका कहना है कि नवधा भक्ति के उपरान्त जीव को प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने वाली सर्वश्रेष्ठ भक्ति 'प्रेमा' या 'प्रेमलक्षणा' है। किन्तु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सगुण नवधा भक्ति से प्रेमा भक्ति सर्वथा भिन्न है।

इस प्रकार निरजनी मत का इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है कि उसमें सगुणोपासना तथा मूर्तिपूजा के प्रति कोई प्रत्यक्ष तथा तीव्र विरोध प्रतीत नहीं होता है और न उसमें सन्त मत की कट्टरता का बोध होता है। वास्तव

मे निरजनी सम्प्रदाय सगुण निर्गुण मिश्रित एक ऐसा मध्यमार्गी धर्म है, जिसमें विरोध तथा आलोचना प्रत्यालोचना की अपेक्षा समन्वय, एकता तथा सद्भाव का दृष्टिकोण निहित है। उनका यह निरजन अनन्त, अखण्ड सत्ता है, वह सर्वत्र सर्वव्यापी है और उसके स्वरूप की व्याख्या नहीं की जा सकती है। वह वंसा ही अखण्ड तत्त्व है, जैसे कि जलती हुई लकड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी अग्नि के टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं।

आचार-पद्धति

इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की बेरा भूषा प्रायः सादी हुआ करती है। वे एक पात्र और एक गुदड़ी धारण करते हैं। वे निहंग तथा गृहस्थ, दो वर्गों में विभाजित हैं। निहंग भिक्षा-वृत्ति करके आजीविका यापन करते हैं और गृहस्थी गृहस्थ जीवन धारण करते और अपने मठों के महन्त भी होते हैं। भारत भर में केवल राजस्थान में ही इस सम्प्रदाय के अधिसंख्य अनुयायी वर्तमान हैं।

निरजनी मत का प्रभाव मन्त मत तथा नानक पर भी परिलक्षित हुआ। उसका प्रभाव एक समय उड़ीसा से लेकर पश्चिम में पंजाब तक और राजस्थान, मध्यभारत एवं उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। निरजनी सम्प्रदाय का सारा साहित्य हिन्दी में है और यद्यपि उसका उदय उड़ीसा और विस्तार राजस्थान में हुआ, तथापि उसकी परम्परा को प्रशस्त करने वाले भगवानन्दाम, मनोहरदास आदि सन्त उत्तर भारत से ही सम्बन्धित थे। उत्तर भारत में उसके प्रभाव के प्रमाण आज भी विद्यमान हैं।

इमामशाही पीराना पन्थ

हिन्दू सस्कृति ने समय समय पर जिन अनेक जातियों तथा धर्मों के आदर्शों को अपने अचल में समेट कर स्वयं को परिपुष्ट एवं सर्वोद्धृत किया और अपनी समन्वयात्मक उदात्तता के लिए जो आज भी स्थिर धरती पर लामो है, उसका परिचायक तथा प्रमाण 'इमामशाही पीराना पन्थ' है। इस पन्थ के संस्थापक मुसलमान फकीर इमामशाह थे। उनका जन्म ईरान में हुआ था किंतु संयोग की बात है कि उनकी साधना उपासना भूमि अहमदाबाद (गुजरात) बनी। उनके सम्बन्ध में अनेक रोचक सन्दर्भ देखने सुनने को मिलते हैं।

कहा जाता है कि १४४९ ई० में गुजरात निवासी लेउवा कुर्मी लोग एक वार सामूहिक रूप से काशी यात्रा के लिए निकले। उन्होंने अपना पहला विधाम अहमदाबाद स्थित गरमघा घाट में किया। वहाँ उस समय इमामशाह नामक एक फकीर रुके हुए थे। फकीर ने यात्रियों से भेंट की और उनसे कहा कि वे काशी व्यर्थ ही जा रहे हैं। मेरे उपदेश सुनने के बाद उन्हें काशी जाने का पुण्यफल यही मिल जायेगा। जो यात्री उस फकीर की वाणी से प्रभावित होकर वहीं रुक गये थे, वे इस धर्मशाखा 'पीराना पन्थ' के प्रथम अनुयायी बने।

उत्तर मध्ययुगीन भारतीय सन्तो एवं सिद्धों में फकीर इमामशाह का प्रतिष्ठित स्थान है। उनके सिद्ध-साधक व्यक्तित्व का ही परिणाम था कि मुसलमानों की अपेक्षा उनके अनुयायी हिन्दू अधिक हुए। इस धर्म पन्थ के आचार विचारों से ज्ञात होता है कि उसके मानने वाले सभी धर्मों एवं वर्गों के लोग थे। इस पन्थ के आचार विचारों का निर्धारण हिन्दू मुसलमान धर्मों के आचार विचारों के समन्वय से हुआ। सत इमामशाह के प्रमुख शिष्यों में भामाराम, नागाकाका, साराकाका और जीजीबाई, सब हिन्दू ही थे। उनके बाद ये शिष्य गुरुपद या आचार्यपद के अधिकारी बने। सत इमामशाह के जीवन काल में उनके इन शिष्यों ने पन्थ के प्रचारार्थ और गुरुसेवा में विशेष रुचि दिखाई। वर्ण-सकीर्णता से अलग रह कर उन्होंने गुरु द्वारा निर्दिष्ट सत्यधर्म का प्रचार प्रसार किया। इस कारण 'पीराना पन्थ' को 'सत्य पन्थ' भी कहा जाता है।

आचार-पद्धति

पीराना मत व अनुयायियों का परम्परागत विश्वास है कि फकीर इमाम-शाह कल्की अवतार धारण कर मनुष्य जाति का इस दुःखदायी समार-सगर से उद्धार करेंगे। वही उनके गुरु हैं और देवदूत के रूप में अवतरित हुए हैं। इस मत के अनुयायी मुस्लिम लोग अपने अवतारी गुरु की स्मृति में प्रत्येक गुरुवार को और प्रत्येक रमजान के महीने रोजा (उपवास) रखते हैं और मानसिक तथा नारीरिक मलिनताओं का उपसमन करते हैं। वे हिन्दुओं के देवाचन की भांति ताजिया तथा कब्र की पूजा करते हैं। ताजिया और कब्र ही उनके सर्वोच्च पूजा प्रतिष्ठा के केन्द्र हैं। चन्द्र द्वितीया तिथि को वे पवित्र मानते हैं।

इस मत के अनुयायी होली और दीपावली आदि तिथियों को हिन्दुओं की भांति बड़े उत्साह से मनाते हैं और इस प्रकार साम्प्रदायिक सद्भाव का परिचय देकर अपने अवतारी गुरु के आदेश पर चलते हैं। उनके मृतक व्यक्ति की अनेक क्रियाएँ हिन्दुओं जैसी हैं। उनमें अनुकरणीय आचार-निष्ठा देखने को मिलती है। वे मत्स्य, मास, तथा मंदिरा आदि दुर्व्यसनो का बहिष्कार करते हैं और मत्सा, गादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। इस मत के अनुयायी हिन्दू मुसलमान, दोनों जातियों के लोग हैं, किन्तु जहाँ मुसलमान सुन्नत करते हैं, वहाँ हिन्दू उनको नहीं करते हैं। वे दाढ़ी भी नहीं रखते हैं।

इमामशाही पीराना पन्थ के अनुयायी धर्माचार्यों या गुरुओं को 'काका' कहा जाता है, जो कि हिन्दू-मुसलमान, दोनों होते हैं। वे गेरुवा वस्त्र धारण करते हैं और मातात्मिक क्रिया-कलापों से दूर रहते हैं।

इस मत के हिन्दू अनुयायी शिवोपासक हैं। इस दृष्टि से यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से वे अद्वैतवादी हैं, किन्तु 'भगवद्गीता,' 'रामायण,' 'भागवत,' 'सन्तवचन' और 'ब्रह्मसूत्र' आदि ग्रन्थों में उनकी परम निष्ठा है। महात्मा इमामशाह की स्फुट वाणियों भी उनका धार्मिक साहित्य है और इस धार्मिक साहित्य का पारायण करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं।

पीराना पन्थ की समस्त धार्मिक बातें गोपनीय रखी जाती हैं। उनके धर्मग्रन्थ भी परम्परा से हस्तलेखों के रूप में सुरक्षित रहते आये हैं। ये गोपनीय धर्मवाणियाँ न तो किंगी अन्य को दिखाई जाती हैं और न पढ़ाई जाती हैं। जो इस धर्म-मार्ग में शपथपूर्वक निष्ठा व्यक्त करते हैं, वे ही उन वाणियों एवं धार्मिक निर्देशों को पढ़ने के अधिकारी हैं। दीक्षा के समय उनके कानों में सम्प्रदाय का गोपनीय धर्ममंत्र बहा जाता है।

इस मत के अनुयायियों की प्रधान गढ़ियाँ पीराना, भाभेराम और सीनोर में वर्तमान हैं। इन गढ़ियों के आचार्य या गुरु परम्परागत होते हैं और उन्हीं के द्वारा वे संचालित होती हैं। प्रधान गढ़दी पीराना में है, जिसके उत्तराधिकारी केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही होते हैं। उनके अनुयायियों में यद्यपि विरक्त, फकीर और गृहस्थ, दोनों प्रकार के लोग होते हैं, तथापि गृहस्थों की संख्या अधिक है।

इस मत के वर्तमान अनुयायी बनिया, कुनबी तथा नोनिया आदि निम्न जातियों के लोग हैं, जो मूरत, खानदेश (गुजरात), बुरहानपुर, बडौदा, खम्बात महाराष्ट्र और कच्छ काठियावाड़ तक फैले हुए हैं। इस पन्थ को 'मतिया पन्थ' के नाम से भी कहा जाता है।

इस प्रकार यद्यपि पुण्यात्मा सन्त इमामशाह के तथा उनके द्वारा प्रचलित धर्म पन्थ के सम्बन्ध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तथापि जो यत्किञ्चित् सामग्री उपलब्ध है उसको देखते हुए सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने समाज को सन्मार्ग पर चलने और मनुष्य जाति में, विशेष रूप से हिन्दू मुस्लिम जनता में एकता, सद्भाव, सामंजस्य तथा पवित्र जीवन धिताने हेतु जो कार्य किया, उसके कारण भारत के धार्मिक इतिहास में उनके सिद्धान्त आज भी ताजे और प्रेरणादायी हैं।

कवीर पन्थ और उसकी परम्परा

मध्ययुगीन धार्मिक इतिहास को जिन महान् सन्तो ने अपनी मानवतावादी उदार वाणियो से स्वर्णिम युग का समान प्रदान किया, उनमें सन्त कवीर का नाम प्रमुख है। उन्हें भक्तियुगीन धार्मिक साहित्य में निर्गुण धारा के प्रवर्तक और धार्मिक स्वतंत्रता के सस्थापक मुगपुष्ट्य के रूप में माना जाता है। वे अपने जीवन-काल में ही एक प्रगिद्ध भक्त, समाजसुधारक और स्वतंत्र धार्मिक मत के सस्थापक के रूप में लोकमान्य हो चुके थे।

कवीर के सम्बन्ध में अनेक चामत्कारिक घटनाएँ तथा परम्पराएँ समाज में प्रचलित हैं। उनका कोई प्रामाणिक जीवनी-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। 'कवीर परिचयों' में उनके ऐतिहासिक पक्ष की बातें कम और सैद्धान्तिक पक्ष की बातें अधिक कही गई हैं। समाज में उनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की कथाएँ एवं कियदन्तियाँ प्रचलित हैं। विद्वानों का एक वर्ग उन्हें कोरी जाति का हिन्दू तो दूसरा वर्ग मुसलमान बताता है। उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि किसी विधवा ब्राह्मणी से उनका जन्म हुआ, जो कि लोक लाज के भय से उन्हें वासी के निकट लहरी या लहरावा, अबया लहरतारा नामक तालाब के तट पर फेंक आई थी। कवीरपन्थियों का कहना है कि वहाँ से उम नवजात शिशु को नूरी या नीर नामक जुलाहा उठा कर अपने घर ले आया। उनकी पत्नी नीरा या नीमा ने बालक का लालन पालन किया। कवीरपन्थी उन्हें अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। क्योंकि जुलाहा जीवन के क्रिया-कलापों से उनका दाल्यकाल से ही परिचय था, अतः अपनी वाणियों में उन्होंने स्थान-स्थान पर प्रतीकात्मक रूप में उनका उल्लेख भी किया है। इन्हीं आधारों पर उन्हें जुलाहा कहा जाता है। विद्वानों का एक वर्ग उन्हें मुसलमान बताता है और इस वर्ग का कहना है कि स्वामी रामानन्द के प्रभाव से उन्होंने हिन्दुत्व परण किया था। इस सम्बन्ध में रैदास आदि भक्त कवियों के कथनों की भी प्रमाण रूप में उद्धृत किया जाता है।

कवीर गृहस्थ थे या नहीं, इस सम्बन्ध में भी मत-भेदान्तर प्रचलित हैं। उनकी रचनाओं के अन्त साक्ष्यों पर माना जाने लगा है कि वे गृहस्थ थे। संभवतः जुलाहा दम्पति ने ही उनका विवाह भी किया। उनकी पत्नी का नाम लोई था, जिसमें उनके कमाल तथा कमाली या निहाल तथा निहाली नामक एक पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुए थे। उनका पैतृक व्यवसाय जुलाहा था, जिस पर सभी विद्वान् एकमत हैं।

उनके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जन्म से ही उनमें विलक्षणताएँ प्रकट होने लगी थी। उनके मन में ससार की नि सारता और वैराग्य का बोध स्वतः ही उदित हो चुका। उन्हें समार के, गृहस्थ के मायाजालो से वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे किसी सद्गुरु की शरण की आकांक्षा से घर से निवृत्त पड़े। उन दिनों काशी में प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के नाम की बहुत चर्चा थी। वे पचगगा घाट पर रहते थे। कबीर उनके मठ में गये और वहाँ रहने वाले वैष्णव साधुओं से उन्होंने स्वामी जी को गुरु रूप में वरण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, किन्तु साधुओं ने उनकी निरुत्साहित कर दिया।

कहा जाता है कि स्वामी रामानन्द को गुरु रूप में वरण करने के लिए कबीर के मन में एक युक्ति का उदय हुआ। स्वामीजी प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा-स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन कबीर अन्धेरे में ही जाकर सीढ़ी पर लेट गये। स्वामीजी ज्योंही सीढ़ी उतरे, कि उनका पैर कबीर के ऊपर जा पड़ा। इस पादाघात के पश्चात्ताप से अनायास ही उनके मुँह से राम शब्द का उच्चारण हुआ। उन्होंने कबीर की पीठ पर हाथ फेर कर उन्हें राम नाम का उच्चारण करने को कहा। कबीर ने बड़ी श्रद्धा से राम नाम का उच्चारण किया और उसे गुरुमंत्र के रूप में ग्रहण कर अपने मन की साध को पूरा किया। तब से उन्होंने राम नाम का जाप करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इस प्रकार उन्होंने गुरु तथा गुरुमंत्र को प्राप्त किया। किन्तु गुरुमंत्र देने वाले गुरु को इस रहस्य का ज्ञान बहुत बाद में हुआ।

अपनी वाणियों में कबीर ने किसी पीर के प्रति भी श्रद्धा प्रकट की है। किन्तु वह पीर कौन थे, और कबीर का उनसे क्या सम्बन्ध था, इसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में संभावनाएँ अवश्य प्रकट की गई हैं।

अपने मनोरथ को पूरा कर कबीर रामानन्दी वैष्णव साधुओं की भाँति तिलक तथा माला धारण करने लगे और गुरु रूप में स्वामी रामानन्द का नाम लेकर घूम-घूम कर हरिकीर्तन करने लगे। स्वामीजी के कानों में जब इस अज्ञात शिष्य के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें सुनने को मिली तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी नाधुननडली ने भी इस विचित्र शिष्य के सम्बन्ध में कौतूहल हुआ। एक दिन कबीरदास स्वामी रामानन्द के नाम का स्कीर्तन करते हुए बाजार में घूम रहे थे कि मयोगवश स्वामीजी का उनसे सामना हो गया। स्वामीजी ने क्रोध में जाकर कबीर पर अपनी खडाऊ से प्रहार किया। चरणपादुका के प्रहार को कबीर ने गुरु-प्रसाद के रूप

में अहोभाग्य के रूप में वरण किया। स्वामीजी ने उन्हें फटकारा और अपने नाम का उच्चारण न करने को कहा। किन्तु कबीर ने विनम्र भाव से रामानन्दजी को गुरु रूप में वरण करने की सारी घटना सुना दी। उन्होंने स्वामीजी से यह भी प्रार्थना की कि उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लें। स्वामीजी ने जब घटना को सुना और उसका स्मरण किया तो उनका मन कबीरदामजी के प्रति सदय हो गया। ऐसे परममत्त एव श्रद्धालु शिष्य का गद्गद होकर उन्होंने गले लगा लिया। इस प्रकार कबीर की गुरु प्राप्ति की यह कथा परम्परा से लोकजीवन में प्रचलित होती हुई आज तक पहुँची है।

कबीर की जीवन घटनाओं की भाँति उनके जन्म-स्थान के सम्बन्ध में भी मत-मतान्तर प्रचलित हैं। किन्तु इतना स्पष्ट है कि वे अधिकतर काशी में ही रहे। और लहराता या लहरतारा नामक स्थान से उनका सम्बन्ध था। मगहर को भी उनके जन्म-स्थान होने का प्रमाण दिया जाता है। उनका जन्म जहाँ भी हुआ हो, किन्तु शरीर-त्याग उन्होंने मगहर में ही किया।

उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में भी मत-मतान्तर हैं। कबीरपन्थी परम्परा उनका जन्म १२०५ वि० और शरीर-त्याग १५०५ वि० निर्धारित करती है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं है। उन पर जो खोजकार्य हुए हैं, तदनुसार उनका जन्म १४५६ वि० और शरीर-त्याग १५७५ वि० में स्थिर किया गया है। इस आधार पर उन्होंने लगभग ११९ वर्ष की दीर्घानु प्राप्त की।

उनके स्थितिकाल के निर्धारण के लिए उनके समय के दो शासकों के नामों का प्रमाण उपलब्ध है। वे सिकन्दर लोदी और काशीनरेश बीरसिंह देव के समय वर्तमान थे। कहा जाता है कि एक बार अपने अनुचरों के उकसाने पर सिकन्दर लोदी ने कबीर को अपने दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया था। कबीर दरबार में उपस्थित हुए, किन्तु उन्होंने सिकन्दर लोदी को सलाम नहीं किया। इससे अपमानित होकर लोदी ने उनका हाथ-पैर बँधवा कर उन्हें जमुना में डुबो दिया। किन्तु कुछ दूर जाकर वे किनारे लग गये। सिकन्दर ने उन्हें पुनः पकड़वा कर दरबार में उपस्थित किया। उन्हें प्रज्वलित अग्निकुण्ड में डाल दिया गया, उनको मारने के लिए उन्मत्त हाथी छोड़ा गया। किन्तु कबीर का कुछ न बिगड़ा। इस प्रकार सिकन्दर को उस दैवी पुरुष को यातनाएँ देने के लिए पश्चात्ताप करना पड़ा। अन्त में उसने क्षमा-याचना की और उन्हें छोड़ दिया गया।

कबीर के जीवन-सन्दर्भों में वासीनरेश वीरसिंह देव का भी नाम जुड़ा हुआ है। जब कबीर को यह अनुभव हुआ कि उनके जीवन का अन्तिम समय आ गया है तो वे काशी छोड़कर गोरखपुर के निकट मगहर या मगर (उत्तर प्रदेश) नामक गाँव में चले गये। वहाँ एक निर्जंत स्थान पर शिर से पैर तक चादर लपेट कर उन्होंने इस पार्थिव शरीर से विदा ली। उनके शव को अन्त्येष्टि के लिए उनके हिन्दू-मुसलमान अनुयायियों में विवाद उत्पन्न हो गया। हिन्दू अनुयायी उनकी दाह-क्रिया करना चाहते थे और मुसलमान अनुयायी उन्हें दफनाना चाहते थे। किन्तु जब उनके शव से चादर उठाई गई तो वहाँ फूलों का ढेर मिला। उन फूलों के दो भाग किये गये। आधा फूल लाकर काशी नरेश वीरसिंह देव ने मणिकर्णिका घाट पर उनका दाह सस्कार किया और उनकी भस्मी को एक स्थान पर गाड़कर वहाँ कबीर चौरा बनवाया। फूलों के दूसरे भाग को लेकर मुसलमान अनुयायियों ने उन्हें मगहर में ही दफना दिया। इस स्थान पर कबीर पन्थ के परम अनुयायी विजलीखान पठान ने एक समाधि का निर्माण कराया। कबीरचौरा (वाराणसी) और मगहर के ये दोनों स्मारक आज भी विद्यमान हैं और कबीरपन्थियों और धार्मिक सद्भाव की समर्थक जनता के लिए पवित्र तीर्थों के रूप में पूजे जाते हैं। इन तीनों स्मारकों के पुनरुद्धार के लिए प्रयास हो रहे हैं।

इस प्रकार कबीर के स्थितिकाल के सम्बन्ध में वासीनरेश वीरसिंह देव की वर्तमानता उल्लेखनीय है। उक्त दोनों धामों के स्थितिकाल के आधार पर कबीरदास का समय निर्णय किया जा सकता है।

ग्रन्थ निर्माण

कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किन्तु जन्म से ही देवी प्रतिभा-सम्पन्न और बहुधृत थे। उनका अन्तःकरण इतना निर्मल और बुद्धि इतनी प्रखर थी कि जीव जगत्, लोक-भरलोक की जो भी वास्तविकताएँ थी, उनका उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था। उन्होंने न तो विधिवत् दीक्षा ली थी और न ही विधिवत् दीक्षा देने के लिए किसी मठ या धर्मस्थान की स्थापना की। उन्होंने किसी प्रकार की ग्रन्थ रचना नहीं की। मौखिक रूप में जन सामान्य के लिए कहा। इसलिए उन्होंने जो भी उपदेश दिये, जो कुछ भी कहा, शोल-चाल की भाषा में कहा।

कबीर ने समय-समय पर जो भी कहा, उनके वे उपदेश बहुत समय तक उनके शिष्यों तथा अनुयायियों में, थडालू भक्तों के कण्ठ में मौखिक रूप में

विद्यमान रहे। वे भक्त या शिष्य शिक्षित भी थे और असिखित (अनपठ) भी। लोकभाषा में होने के कारण कबीर की मूल वाणियों को तोड़ा-मरोड़ा भी गया और महजता-मरलता लाने के लिए उनमें सशोधन-परिवर्तन भी किया गया। यही कारण है कि सम्प्रति उपलब्ध उनके वाणी-संग्रहों में पाठभेद देखने को मिलता है।

कबीर के शरीरान्त के बहुत समय तक उनके उपदेश मच्छगत रहने के उपरान्त उनके अनुयायियों ने उनका संग्रह-सकलन कर उन्हें वर्गीकृत करके लिपिवद्ध किया। कबीर के नाम से उनकी शिक्षाओं तथा उनके उपदेशों के जो सकलन सम्प्रति ग्रन्थरूप में उपलब्ध हैं, उनके नाम हैं—'मुखनिधान', 'कबीर गोरखनाथ-गोष्ठी', 'रामानन्द-गोष्ठी', 'आनन्दगार', 'शब्दावली', 'जगल', 'बसन्त', 'होली', 'रेखता', 'झूलना', 'बहार', 'हिण्डोला', 'साखी', 'रमैती', और 'बीजक'। कबीरदास ने काशीनरेश वीरसिंह देव को जो उपदेश दिया था, वह 'बीजक' के रूप में सङ्गृहीत है। यह लगभग सात सौ अध्यायों का बृहद् ग्रन्थ है। 'शब्दावली' में उनके लगभग एक हजार वचन सकलित हैं। उनका तीसरा महत्त्वपूर्ण संग्रह 'मुखनिधान' है, जो कि उनके प्रमुख शिष्य घमंडास को दिये गये उपदेशों से सम्बन्धित है। उसको उनके शिष्य श्रुतगोपाल ने सकलित किया था।

कबीर की वाणियों के उक्त संग्रह सम्प्रति अनेक संग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी साहित्य के सबर्द्धन में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अनेक विद्वानों द्वारा उन पर टीकाओं तथा शोध ग्रन्थों का निर्माण हो चुका है।

सुधारवादी दृष्टिकोण

कबीर सुधारवादी दृष्टिकोण के सन्त थे। उन्होंने धार्मिक पाखण्डों, मिथ्याडम्बरो, बाह्याधारों, अन्धविश्वासों का बहिष्कार किया। वे भूतिपूजा, कीर्तन, कर्मकाण्ड, हिमा, मासाहार तथा असयमित जीवन विताने के विरुद्ध थे। यद्यपि उनके उपदेशों में वैष्णवों तथा सूफियों के सद्विचारों का समन्वय था, तथापि दोनों को धार्मिक रुद्धियों के वे कटु आलोचक थे। हिन्दू तथा मुस्लिम, दोनों धर्मों के शाश्वत सत्यो पर उनकी निष्ठा थी। इसलिए मनुष्य को सत्य की खोज के लिए उन्होंने प्रेरित किया। जितने भी बाह्या-डम्बर हैं, उनको उन्होंने जीवन को सन्मार्ग से भटकाने वाले व्यर्थ के पाखण्ड कहा है। वे मनुष्य के भीतर उमी में विद्यमान हैं, जैसे वायु के भीतर अग्नि। इसलिए सद्गति के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को उनकी सूक्ष्मता को पहचानना चाहिए और उनके जाल से अपने को दवाना चाहिए।

उनके विचारों में समस्त जीव-जगत् की अभिन्नता या एकता अथवा समानता का सार्वभौम भाव निहित है। उन्होंने ऊँच-नीच, छुआछूत आदि को व्यर्थ बताया है। वर्ण-धर्म-जाति के मिथ्याडम्बरो को उन्होंने हेय एवं त्याज्य कहा। वे यह मानते थे कि हिन्दू हो या मुसलमान, सब एक ही सर्वशक्तिमान् ईश्वर की सन्तान हैं। अल्लाह-अलख, राम-रहीम, केशव, हरि-हजरत में कोई भेद नहीं। सारा मानव-समाज एक परिवार है और उसका पोषणकर्ता एक ही परमपिता परमात्मा है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय या साधना प्रेममार्ग है, पूर्ण आत्म समर्पण। यही सार्वभौम सहिष्णुता कबीर की वाणियों की विशेषता है। उन्होंने साम्प्रदायिक विषमताओं का खण्डन कर ऐक्य एवं समभाव, सर्व-धर्म समन्वय एवं विश्ववन्द्यत्व का महान् आदर्श स्थापित किया। उनके श्रद्धापूरित, कारुणिक, परोपकारी, उदार, त्यागी एवं निःस्पृही हृदय में मानवमात्र के प्रति सत्कामना थी।

कबीर सत्य, अहिंसा, सदाचार और दया का आचरण एवं परिपालन करना जीवन का श्रेष्ठ धर्म समझते थे। मासाहार और पशुहत्या के लिए उन्होंने पण्डितों और मुल्लाओं, दोनों को फटकारा। भोख माँगना तथा दूसरों के दिव्य पर जीवित रहना उनकी दृष्टि से अवर्तव्यता है। भिक्षा-वृत्ति को उन्होंने महापाप कहा है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करके जीविकोपाजन करना ही उनकी दृष्टि से परम पुरुषार्थ है। उनका कहना था कि सन्मार्ग पर चलते हुए अपने अभावों को यथासम्भव पूरा करते हुए गरीबी तथा सत्यता का जीवन बिताने से ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है।

मनुष्य द्वारा मनुष्य के प्रति असद्भाव पैदा करने वाली प्रवृत्तियों के प्रति उन्होंने सभी धर्मों के अनुयायियों को सचेत किया है। उनका अभिमत था कि जो अपने लिए हितकर है, दूसरे के हित को दृष्टि में रखकर आचरण-व्यवहार करने तथा समान रूप से सबको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

सिद्धान्त-निरूपण

कबीर के जीवन तथा उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में आज भी विद्वानों में द्विदिष्ट की स्थिति बनी हुई है। किन्तु उनके विचारों तथा सिद्धान्तों के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति नहीं है। उनकी स्पष्टवादिता उनकी वाणियों में सर्वत्र विद्यमान है।

उनका आराध्य भगम, अकथ, अनुपम, अविगत तथा धून्य है। इस दृष्टि से उसके सम्बन्ध में कुछ कहना, आदि-अन्त का पता लगाना सर्वथा

असंभव है। किन्तु कहीं-कहीं उन्होंने उसे गुणातीत, निर्गुण या गुणविहीन भी कहा है। यह करता भी है और सिरजनहार भी। यह जगत् उसकी लीला है। उसके साम सांगिनी एव डाकिनी रूपा माया भी विद्यमान है, जो जीवा को भ्रम में भटकाने रहती है, जीवों को बेचैन दिये रहती है। वह सर्वशक्तिमान् परमेश्वर सहज (दयालु) है और अवतारी होने के कारण सगुण भी है।

इस प्रकार कबीर का ब्रह्म अनिर्वचनीय होने पर भी जीवात्मस्वरूप है। किन्तु जीव भ्रमजाल में भटकने के कारण आत्मा को अपने से भिन्न समझ बैठा है। इसी जीव तथा आत्मा के विभेद को दूर करने के लिए कबीर ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का गुणगान किया है और उसे अपने ही भीतर खोजने का निर्देश किया है। उन्होंने बताया है कि जन्मान्तर के दुःखों से छुटकारा पाने के लिए इन्द्रियों की एकाग्रता और आत्मशुद्धि आवश्यक है।

उन्होंने जो आध्यात्मिक प्रकाश पाया, उसकी विरोधीक्तियों या उल्ट-वाँसियों में अभिव्यक्त किया है। बिना मुँह के खाना, बिना जिह्वा के प्रभुगुण गाना और बिना पैरों के चलना आदि उनकी अनुभूतियाँ उसी आध्यात्मिक अतिरेक की परिचायक हैं। उन्होंने अपन आराध्य को कहीं निर्गुण तो कहीं सगुण कहा है। इसी कारण विद्वानों का एक वर्ग जहाँ कबीर को अद्वैतवादी सिद्ध करता है तो वही दूसरा वर्ग उनकी वैष्णवों में गणना करता है। यहाँ तक कि कुछ उन्हें शून्यवादी बौद्ध, तो कुछ गिद्धों, नाथों तथा सूफियों में उनकी गणना करते हैं। उनके व्यक्तित्व की यह भिन्नता वस्तुतः उनके व्यापक सार्वभौम विचारों के कारण दृष्टिगत होती है।

भक्ति के लिए उन्होंने एकमात्र नामस्मरण को उत्तम साधन स्वीकार किया है। उनके राम, साहिव अथवा सगुणातीत एव निर्गुणातीत होने पर भी अपने भक्तों के उद्धारक एव पालक हैं। कबीर की साधना पद्धति द्वैताद्वैत-परक थी। आत्मचिन्तन तथा सत्संग से उन्हें स्वतः आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। उन्होंने स्थापित किया कि ईश्वर सार्वभौम एव शाश्वत है, सर्वव्यापी है। वह निर्गुण और निरजन है। आत्मज्ञान, सदाचार और पवित्र भावना से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। मानवमात्र का सेवा करना, हिंसा से दूर रहना और मास, मदिरा तथा व्यभिचार का परित्याग करना उनके आधारनिष्ठ जीवन के आदर्श थे।

कबीर पन्थ और उसकी शाखाएँ

कबीर ने अपने जीवन-काल में किसी सम्प्रदाय, मत या पन्थ का प्रचलन नहीं किया। वे किसी धार्मिक वर्गवाद के पक्षपाती नहीं थे। वे अपने मत

एव सिद्धान्त की श्रेष्ठता में दूसरे मतों एव सिद्धान्तों की हेयता को भी पसन्द नहीं करते थे। अपितु वे सभी मतों एव सिद्धान्तों की श्रेष्ठ, उपयोगी बातों को ग्रहण करने के पक्षपाती थे। उनकी खण्डन-प्रवृत्ति का एक ही उद्देश्य था कि धर्म तथा ईश्वर को एकागी न बनाया जायें। फिर भी उनके बाद उनके अनुयायियों ने 'कबीर पन्थ' के नाम से एक अलग धार्मिक मत का प्रचलन किया।

कबीर ने अपना सारा जीवन गुरु-गोविन्द के गुण-गात तथा नाम-सकीर्तन में व्यतीत किया। अन्य धर्मगुरुओं एव आचार्यों की भाँति उनका यह उद्देश्य नहीं रहा कि एक धर्मनेता के रूप में गुरुपद प्राप्त करें। उन्होंने काशी को ही एकमात्र अपना धर्मक्षेत्र बनाये रखा, किन्तु उनके उदार एव सच्चे हृदय से निकली वाणी से प्रभावित होकर अनेक हिन्दू तथा मुसलमान उनके अनुयायी हो गये। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने कबीर पन्थ का प्रचार-प्रसार सुदूर दक्षिण भारत तथा पश्चिम भारत तक किया। उत्तर भारत तथा पूर्वी भारत उनके मत का प्रमुख केन्द्र बना रहा। उत्तर भारत की मध्य-युगीन सन्त-परम्परा में कबीर का वही स्थान है, जो महाराष्ट्र में सन्त ज्ञानेश्वर तथा सन्त तुकाराम आदि का रहा। स्वामी रामानन्द को गुरुरूप में वरण कर उन्होंने स्वामीजी के उदार विचारों को व्यापकता प्रदान की।

कबीर पन्थ के अनुकरण पर रविदासी या रैदासी, धर्मदासी, गरीबदासी तथा पल्लूदासी आदि विभिन्न नामों से अनेक धर्म शाखाओं का प्रवर्तन हुआ। इन शाखाओं के संस्थापकों, प्रवर्तकों एव अनुयायियों ने कबीर के अनुकरण पर निराकार उपासना का निरूपण किया, किन्तु कबीर की अपेक्षा उनके परवर्ती उक्त मतों में सगुण भक्तिमार्गीय भावना का सामंजस्य देखने को मिलता है। कबीर के ब्रह्म की दुर्गमता उनमें नहीं है।

हिन्दी साहित्य में कबीरपन्थी परम्परा के भक्तियुगीन सन्तों में रैदाम (१९वीं शती) का नाम उल्लेखनीय है। उनका जन्म फारों में हुआ था। वे जाति के चमार थे और स्वामी रामानन्द की शिष्य-परम्परा में हुए। भक्त-कवि मीराबाई ने उनके दर्शन किये थे और गुरुरूप में उनका वरण किया था। अपने पदों में मीराबाई ने उनके महिषामय सन्त जीवन का समान-पूर्वक उल्लेख किया है। सन्त ईद्रास के भी कुछ स्पष्ट पद विभिन्न श्रष्टों में मिलते हैं। कबीर की परम्परा में रैदास ने भी १५७० ई० में एन धामिब पन्थ की स्थापना की थी।

उनके सम्बन्ध में एक विवदन्ती प्रचलित है कि उन्हें भगवान ने साक्षात् दर्शन दिये थे और उनकी दीनता में द्रवित होकर उन्हें पारम पत्थर दिया था,

जिसका उन्होंने कभी भी उपयोग नहीं किया। 'रैदासी पन्थ' के अनुयायी सम्प्रति उत्तर भारत, गुजरात तथा बिहार में वर्तमान हैं। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष रैदास जयन्ती मनाई जाती है और उनके प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व के प्रति समान प्रकट किया जाता है।

कबीर की नाम-स्मरण उपासना-पद्धति को उनके अनुयायियों ने विभिन्न पन्थों के रूप में प्रचलित किया। उनके बारह प्रमुख शिष्य थे, जिनमें धर्मदान, धृतगोपाल, भागूदास, जीवनदास, ज्ञानी, साहेबदास और नित्यानन्द का नाम उल्लेखनीय है। इन बारह शिष्यों ने कबीर पन्थ की बारह शाखाओं का प्रवर्तन किया। कबीर पन्थी महन्तों की प्रमुख दो गद्दियाँ हैं, जिनके द्वारा वे दीक्षित तथा अनुशासित होते हैं। एक गद्दी कबीरचौरा (वाराणसी) और दूसरी गद्दी छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में है। वर्तमान कबीरचौरा मठ, मगहर मठ, द्वारिका मठ तथा जगन्नाथ मठ के महन्त या अध्यक्ष धृतगोपाल की परम्परा के शिष्यों के अधीन हैं। काशी के कबीरचौरा मठ के रहने वाले साधुओं तथा बाहर से आने वाले सन्तों के लिए आज भी निवास-स्थान तथा भोजन आदि की नियमित व्यवस्था है। इस मठ के व्यय के लिए धर्मप्राण बलवन्त सिंह तथा चैतसिंह नामक थडालू भक्तों ने मासिक वृत्ति निर्धारित कर दी थी, जिसका संचालन सम्प्रति एक ट्रस्ट के रूप में होता है। चैतसिंह ने एक बार कबीरचौरा मठ में सन्तों का वृहत् सत्संग आयोजित किया था, जिसमें देश के विभिन्न भागों से लगभग तीस हजार कबीर पन्थी साधुओं-सन्तों विद्वानों ने भाग लिया था।

छत्तीसगढ़ गद्दी के साधु अपनी परम्परा को धर्मदान से स्थापित करते हैं। धर्मदास पहले निम्बार्क वैष्णव थे, किन्तु कबीर के उपदेशों से प्रभावित होकर वे कबीर पन्थी बन गये थे। उन्होंने मध्यप्रदेश में जिन निर्गुणोपासक धार्मिक पन्थ की स्थापना की थी, उनके अनुयायियों ने उसे 'धर्मदानी पन्थ' के नाम में प्रचारित किया। इस पन्थ के अनुयायी सन्तों की मह विशेषता है कि वे वैष्णवों की भाँति तिलक तथा कण्ठी धारण करते हैं।

धर्मदास ने नारायण तथा चूडावणि नामक दो पुत्रों ने जबलपुर के निकट एक गाँव में अपना स्वतंत्र मठ स्थापित किया था, किन्तु उनके बाद उसकी परम्परा समाप्त हो गई। धनीली मठ का उत्तराधिकार भागूदास की शिष्य-परम्परा को प्राप्त है। जगूदास के अनुयायियों का एक मठ बटक में है, किन्तु वे अपने को मूलपन्थी कहते हैं। सतनामी मठ के उत्तराधिकारी जीवनदास की शिष्य-परम्परा के मन्त हैं। नित्यानन्द और कमलानन्द ने

दक्षिण भारत में अपना एक स्वतंत्र मठ स्थापित किया था, जिसकी परम्परा अल्पकाल में ही समाप्त हो गई।

कबीर की निर्गुण निराकार उपासना से प्रभावित होकर महात्मा गरीब-दास ने अपना अलग धार्मिक पन्थ प्रचलित किया। उनका जन्म छिडानी या चुरनी (जिला रोहतक, पंजाब) नामक गाँव में हुआ था। उन्होंने 'गुरु-ग्रन्थ' के नाम से एक ग्रन्थ की रचना की थी। उनके पन्थ के साधुओं की यह विशेषता थी कि उनमें द्विजमात्र ही दीक्षित हुआ करते थे, असवर्णों को उसमें दीक्षित नहीं किया जाता था। इसलिए इस पन्थ के अनुयायियों की संख्या सीमित रही और उसकी परम्परा भी आगे नहीं बढ़ने पायी। कबीर के उदारतावादी सिद्धान्तों से प्रभावित होकर सन्त पलटूदास ने भी एक नये धार्मिक पन्थ की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख मठ अयोध्या में है। उन्होंने मूर्तिपूजा का खण्डन किया और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। वे राम-नाम की महिमा गाया करते थे। सम्प्रति उत्तर प्रदेश तथा नेपाल में इस धार्मिक शाखा के उत्तराधिकारी वर्तमान हैं।

कबीर पन्थ का प्रचार प्रसार उनके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा भारत के विभिन्न अंचलों में निरन्तर होता रहा। यह परम्परा उनके धरिारान्त के लगभग तीन सौ वर्षों तक बनी रही। इस परम्परा के प्रवर्तक सन्तों में अनेक के नाम उल्लेखनीय हैं। उनमें नानकदेव का नाम प्रमुख है। उन्होंने पंजाब में 'नानक पन्थ' की स्थापना की। इसी प्रकार राजस्थान, जयपुर में दादू दयाल का 'दादू पन्थ' अलवर में लालदासी का 'लालदासी पन्थ' पूर्वी उत्तर प्रदेश में मलूकदास का 'मलूक पन्थ' बिहार में धरणीदास का 'धरणीधरणी पन्थ' गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में शिवनारायण का 'शिवनारायणी पन्थ', दिल्ली में चरणदास का 'चरणदासी पन्थ', मरहिनद में बाबालाली का 'बाबालाली पन्थ', दक्षिण-पूर्व दिल्ली में बीरमान का 'साध पन्थ', राजस्थान में रामसनेही का 'रामसनेही पन्थ' और जगजीवनदास का 'सतनामी पन्थ' उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कबीर द्वारा निरूपित सर्व धर्म-समभाव का सन्देश जन-जन तक पहुँचाया।

सन्त कबीर की निर्गुणवादी परम्परा में अनेक निरीश्वरवादी विरक्त सन्तों ने अपने अपने अलग अलग पन्थ चलाये। उनमें सन्त धीरमान द्वारा प्रवर्तित 'साध पन्थ' का उल्लेख ऊपर हो चुका है। यह पन्थ लगभग १७१५ वि० में स्थापित हुआ। इस पन्थ के बारह आदेश प्रसिद्ध हैं। उनमें इस पन्थ के अनुयायियों की सदाचार-सहिता वर्णित है। इस पन्थ के अनुयायी

सन्त दक्षिण-पूर्व दिल्ली में पाये जाते हैं। वे दोहरो तथा साखियों में अपना उपदेश देते हैं। इनका अधिकतर साहित्य अलिखित ही है।

कबीर की निराकारोपासना के अनुयायी फकीरों में सन्त बाबालाल का नाम उल्लेखनीय है, उनका 'बाबालाली पन्थ' सरहिन्द में प्रचारित हुआ। बाबालाल निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इतिहासकारों का मत है कि १७०६ वि० में इस सन्त ने अध्यात्मवादी विचारों के अनुयायी शाहजादा दारा-शिकोह से सात बार भेंट की थी। शाहजादा ने उन्हें गुरुरूप में धारण किया था। शाहशाह शाहजहाँ ने अपने हिन्दी दरबारी विद्वानों से बाबालाल के उपदेश फारसी में अनुवाद करवाये थे। इस अनुवाद का नाम 'नादिहनुकात' रखा गया। इस पन्थ में मूर्तिपूजा वर्जित है। उसमें गुरु की उपासना पर बल दिया गया है। बाबालाल का बड़ोदा के निकट एक मठ आज भी विद्यमान है, जिसका नाम लालबाबा शैल है।

सन्त शिवनारायण द्वारा एक सुधारवादी पन्थ की स्थापना १७९० वि० (१७३४ ई०) में की गई थी, जो 'शिवनारायणी पन्थ' के नाम से प्रचलित है और जिसमें कबीर की परम्परा में निराकारोपासना पर बल दिया गया है। सन्त शिवनारायण का जन्म गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के भलेसरी गाँव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पन्थ में सभी वर्गों, धर्मों तथा जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी। उनका पन्थ महात्मा गरीबदास से सर्वथा विपरीत था, जिसमें असवर्णों को कोई स्थान नहीं दिया गया। सन्त शिवनारायण ने जहाँ असवर्णों तथा निम्न जाति के लोगों को सम्मिलित किया, वहाँ गरीबदास ने अपने पन्थ में केवल द्विज वर्णों को ही सम्मिलित किया। कहा जाता है कि उनके इस सुधारवादी एवं सर्व-धर्म-समन्वयी पन्थ को साहित्य प्रेमी एवं बिद्वान् मुगल बादशाह मुहम्मद शाह (१७७६-१८०५ वि०, १७१९-१७४८ ई०) ने भी धरण किया था। सन्त शिवनारायण ने अपने पन्थ के प्रचार प्रसार के लिए गाजीपुर जिले में चार मठों की स्थापना की थी। यद्यपि आज इस मत के अनुयायियों की संख्या न्यून है, तथापि उनमें भी सन्त शिवनारायण को ईश्वर के अवतार के रूप माना जाता है।

सन्त चरणदास द्वारा 'चरणदासी पन्थ' की सैद्धान्तिक मान्यताएँ सर्वथा निजी हैं। जिस प्रकार नाथ-सम्प्रदाय वाले स्वयं को शैव मानते हैं, उसी प्रकार चरणदासी पन्थ के अनुयायी अपने को वैष्णव मानते हैं, किन्तु उनकी उपासना-पद्धति हठयोग के निकट है। उनकी उपासना के आधार राधा-कृष्ण हैं। इस धार्मिक पन्थ का प्रथम आचार्य शुक्रदेव जी को बताया जाता

जाता है। स्वामी चरणदास ने लिखा है कि उन्हें शुकदेव जी के दर्शन हुए थे और उन्हीं से चरणदास को योगमार्गी पन्थ की दीक्षा प्राप्त हुई थी।

कबीर की परम्परा में सन्त रामचरणदास ने १८वीं शती वि० में राम-सनेही पन्थ' का प्रवर्तन किया। इस पन्थ के तीसरे गुरु इल्हाराम हुए, जो कि प्रसिद्ध भक्त-कवि थे और उन्होंने दस हजार छन्दो तथा चार हजार दोहो की रचना कर इस सम्प्रदाय को प्रतिष्ठित किया। स्वामी रामचरण दास की शिक्षाओं का संग्रह 'बानी' नाम से कहा जाता है। रामसनेही पन्थ के मन्दिरों को रामद्वार नाम से कहा जाता है, जो अधिकतर राजस्थान में है। उनका मुख्य केन्द्र शाहपुर है। किन्तु अधिकतर अनुयायी जयपुर, उदयपुर आदि नगरों में रहते हैं। इस पन्थ के अनुयायी केवल साधु ही होते हैं, गृहस्थ नहीं। इसके कारण उनके प्रचार-प्रसार को अधिव्यव्यापकता नहीं प्राप्त हुई है।

सतनामी सम्प्रदाय

सन्त कबीर की निर्गुणोपासना का आधार लेकर जिन अनेक धार्मिक पन्थों का उदय हुआ, उनमें 'सतनामी सम्प्रदाय' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस पन्थ की अपनी प्रौढ़ परम्परा और विशेष गरिमा है।

नाम की महिमा या रामोपासना पर आधारित इस निर्गुणधारा के धार्मिक पन्थ का उदय कब हुआ और उसका स्थापक तथा प्रवर्तक कौन था, इस सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर की नाम-महिमा की अद्वैत भावना को लेकर लगभग १६वीं शती में इस पन्थ का प्रचलन हो गया था।

सत्यनाम (एकमेव परम सत्य) की आराधना-उपासना को लेकर इस धार्मिक पन्थ को 'सतनाम' से कहा गया। जिस समय दिल्ली तख्त पर शाहशाह औरगजेव आसीन था, १६७२ ई० के दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में ७५ भौल की दूरी पर स्थित नारनौल नामक स्थान में एक साधारण-भी बात पर सतनामियों का सत्तनत से कुछ विवाद हो गया था। उसके कारण परस्पर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। उस युद्ध में बड़ी सख्या में सतनामियों को मार दिया गया था। इस घटना से ज्ञात होता है कि उस समय तक सतनामियों का एक ऐसा मगठन बन चुका था जिसको शासन के विरोध में विद्रोह करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। किन्तु दूसरी ओर इस अवधि तक सतनामियों के मगठन या सम्प्रदाय का कोई ऐसा प्रमाण या ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है, जिससे आधार पर उनसे इतने मशक्त अस्तित्व पर प्रकाश पड़ता हो। उनका कोई ग्रन्थ इतिहास भी नहीं मिलता है।

१८वीं शती ई० में मतनामी सम्प्रदाय का पुनरुद्धार हुआ। उनके पुनरुद्धारक थे मन्त जगजीवनदाम। उनका जन्म बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) जिले के कोरवा नामक गांव में हुआ था। वे बड़े योगाभ्यासी निष्ठ और प्रसिद्ध कवि हुए। उन्होंने हिन्दी पदा में अपनी शिक्षाओं को अभिव्यक्त किया। उनके एक सिष्य इन्दरदाम हुए। वे रायबरेली के निवासी थे और उनके भी हिन्दी में स्पष्ट पद उपलब्ध हैं। इन्दरदाम के बाद इस पन्थ के प्रवर्तकों में गाजीदाम का नाम उल्लेखनीय है। वे छत्तीसगढ़ के निवासी और जाति के चमार थे। उन्होंने १८२०-१८३० ई० के लगभग असवर्गों, विशेष रूप से चमार जाति के समाज में इस धर्म-पन्थ का प्रचार-प्रसार किया। अपने इस धर्म-पन्थ को समाज सुधार का अंग बनाकर उन्होंने उसे बड़े प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया।

इस सम्प्रदाय के आचार-विचारों के सम्बन्ध में विस्तार से लिखित रूप में कुछ भी नहीं मिलता है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह निर्गुण, निराकार अद्वैत-मतावलम्बियों का एक पन्थ था। उसमें जातीय उत्थान का उद्देश्य भी निहित था। इस मत के अनुयायी अवतारवाद तथा मूर्तिपूजा के विरोधी हैं और आचारों के कट्टर परिपालक हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और मदिरा, मांस आदि को वर्जित मानते हैं।

छत्तीसगढ़ अंचल में ही इस मत के मानने वालों का अस्तित्व देखने को मिलता है। यद्यपि मन्त गाजीदाम के बाद ऐसा कोई महात्मा नहीं हुआ, जिसका इस परम्परा में उल्लेख किया जाये, किन्तु एक वर्गविशेष के साधारण गृहस्थों में आज भी सतनाम मत की परम्परा जीवित है। किन्तु उनके आचारों में उतनी कट्टरता नहीं रही। कुछ धार्मिक प्रथाएँ उनमें ऐसी प्रचलित हो गयी थीं, जिनका सम्बन्ध निम्नस्तरीय था। किन्तु अब वे नहीं दिखाई देती हैं। अब तो सतनामियों में यह भी परिवर्तन देखने को मिलता है कि मूर्तिपूजा का भी उनमें प्रचलन हो रहा है।

मतनामियों के अपने गुरु हैं, जिनके महन्त तथा मठाप्रिपति होते हैं। इन मतनामियों की पहचान यह है कि उनके महन्त लोगों हाथों की कलाइयों में और साधारण अनुयायियों एक हाथ की कलाई में सफेद या लाल धागा बाँधते हैं।

मतनामियों की उपासना-पद्धति को सिखों ने उजागर किया। सिख भी सतनाम के अनुयायी हैं और उन्होंने सन्तों की दिव्य वाणियों का आधार लेकर उनकी लोकविश्रुत करने में उल्लेखनीय योगदान किया। सत्यनाम की महिमा को अपनी आराधना का एकमात्र लक्ष्य बनाकर उन्होंने सन्त मत को पुनः प्रतिष्ठित किया।

इस प्रकार कबीर की विचारधारा का प्रभाव लम्बी अवधि तक सारे भारत के जन-मानस पर लक्षित हुआ और उसने भारत के धार्मिक इतिहास में बहुव्यापी सगठन का स्वरूप ग्रहण किया। यही भारतव्यापी धार्मिक सगठन मत या सन्त सम्प्रदाय के नाम से कहा जाता है। उसने धर्मप्राण भारतीय जनता को उदारता और आत्मबोध का नया जीवन-दर्शन दिया।

भारत में आज भी लगभग आठ नौ लाख मनुष्य कबीर पन्थी हैं जिनमें मुसलमान कम और हिन्दू अधिक हैं। वे सभी अपने सामाजिक तथा उदार धार्मिक जीवन में पूणतः हिन्दू हैं। उनके प्रमुख दो वर्ग हैं। एक वर्ग के विरक्त साधु हैं और दूसरे वर्ग के गृहस्थ। वे तुलसी काष्ठ की माला पहनते हैं और ललाट पर विष्णु का चिह्न अंकित करते हैं। वैष्णवों और कबीर पन्थियों के तिलकधारण में प्रायः समानता है। कबीरपन्थी साधु सतनाम का जप एवं उच्चारण करते हुए भिक्षाटन करते हैं। इस पथ के भ्रमणशील साधु उत्तर भारत के सभी अंचलों में पर्याप्त संख्या में विद्यमान हैं। वे अपने सामान्य, सरल एवं पवित्र जीवन के लिए लोकश्रद्धा के पात्र हैं।

गढ़वाल में कबीर पन्थ का प्रभाव

नाथपन्थ एवं सन्तमत के सौजी विद्वान् स्व० डा० पीताम्बर दत्त बडधवाल ने अपने एक निबन्ध (उत्तराखण्ड में भक्तमत और सन्त-साहित्य, देखिए—डा० पीताम्बर दत्त बडधवाल के श्रेष्ठ निबन्ध, पृ० ८७ ९६) में यह प्रतिपादित किया है कि परम्परा से अब तक गढ़वाल के सामाजिक रीति रिवाजों में सन्त मत के आचार विचारों का व्यापक प्रभाव रहा है। गढ़वाल में कबीरनाथ को सिद्धों की परम्परा का सन्त माना जाता है। उनके नाम से असद्वर्ण समाज में आज भी निरकार भगवान की पूजा का प्रचलन है। इस समाज में निरकार भगवान को सर्वोच्च देवता माना जाता है और प्रायः प्रत्येक घर में उसकी स्थापना होती है। तब उसका उत्सव मनाया जाता है तो कई दिनों तक सुबह-साय बाजा (घड़ेला) रखने के बाद अन्तिम पूजा (पुजाई) के दिन बड़े समारोह के साथ शूअरों की बलि दी जाती है। यह शूअर वस्तुतः नारियल या शीकल का प्रतीक है और उससे सम्बन्धित कथा एक 'फाणर' में कही जाती है।

यह जागर कबीरनाथ से सम्बन्धित है। उसमें कहा गया है कि एक बार निरकार भगवान अपना रूप बदल कर कबीरदाम के घर पर भिक्षाटन के लिए आये। कबीरदाम घर पर नहीं थे। उनकी स्त्री ने भिक्षुक के सत्वर में जम 'अग्याल' (भूमि भेंट) को डाल दिया, जो कि निरकार

भगवान् वे निमित्त रखी हुई थी। उनके घर पर देने के लिए उस 'अग्याल' के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जब भिक्षा देकर वह भीतर गई तो उसका मारा कमरा अन्न म भरा हुआ था। वह आश्चर्यचकित जब बाहर भिक्षुक के दर्शन करने आई तो तब तक भिक्षुक जा चुका था। भिक्षुक के क्षण पर जो नारियल था, वह वही कही किसी मँले कुर्बले स्थान पर गिर गया था। वह नारियल या श्रीफल शूकरो के रूप में उत्पन्न हुआ। इस आस्था पर शूकरो का नारियल या श्रीफल का प्रतीक मानकर उसकी बलि निरकार भगवान् को दी जाने की प्रथा प्रचलित हुई। यह देवता घोर रुद्ररूप माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि शत्रुतावश वह जिस पर भी 'धोपा' जाता है, उसका भारी अनिष्ट हो जाता है।

गढ़वाल में इस निरकारी मत को मानने वाला समाज कबीरनाथ का अनुयायी है। यद्यपि जीवहत्या या बलिदान का विधान कही भी देखने को नहीं मिलता है, किन्तु गढ़वाल में यह विचित्र प्रथा आज भी कबीरदास के साथ जुड़ी हुई है। कबीरदास के 'जागर' आज भी वहाँ के समाज में प्रचलित है।

डा० बडवाल का कहना है कि 'गुरुमहिमा' नामक एक कबीरपन्थी ग्रन्थ में तो कबीर का गढ़वाल में आना भी लिखा है। इस ग्रन्थ के अनुसार उस समय श्रीनगर (गढ़वाल) में राममोहन नाम का राजा राज्य करता था। कबीर के सम्बन्ध में यह भी प्रचलित है कि वे बदरीनाथ घाम को भये थे और उन्होंने भगवान् के प्रतिमा-पद को सुवर्ण में परिवर्तित कर दिया था। इस चमत्कार को देखकर राजा राममोहन वे स्वयं कबीर मत को वरण कर लिया था और अपने सारे परिवार तथा अपनी प्रजा को कबीर मत का वरण करने के लिए प्रेरित किया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि गढ़वाल में कबीर मत का प्रभाव आगे की अनेक शताब्दियों तक बना रहा। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार, कवि एवं इतिहासकार मोलाराम (१८वीं शती ई०) का 'मनमय पन्थ' वस्तुतः योग मार्ग का ही एक अंग है, जिसमें इन्द्रिय निग्रह द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का उल्लेख हुआ है। इस पन्थ का आधार भी कबीर मत ही है। इन आधारों पर सन्त कबीर का गढ़वाल से सम्बन्धित होना प्रमाणित होता है।

मल्लूकदासी पन्थ

सन्त कबीर की परम्परा निर्गुण भक्ति को आधार मानकर रामभक्त कवि मल्लूकदास ने अपना अलग ही पन्थ चलाया, जिसे 'मल्लूकदासी' नाम

दिया। मन्त मथुरादाम ने 'ग्रन्थ परिचयी' में मल्लूकदाम की जीवनी लिखी है और तत्कालीन परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मन्त मल्लूकदाम का जन्म १६३१ वि० (१५७८ ई०) को प्रवागराज से ३६ मील उत्तर-पश्चिम गंगा तट पर अवस्थित कटा में हुआ। उनके पिता का नाम मुन्दरदाम था। वे जानि के ब्राह्मण थे या गौरी, इसमें मतान्तर है। उनके दोलागुरु का नाम स्वामी पुरुषोत्तम था। किन्तु उन्हें भगवद्भक्ति की ओर प्रेरित करने का श्रेय मुरारीम्हामी को है।

वातपकाल में ही उनमें सत्ता, परोपकार, दान तथा जीवदया के भाव प्रस्फुटित हो चुके थे। इस सम्बन्ध में मल्लूकदाम जी के उदार स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब उनकी आयु लगभग ७० वर्ष की थी, उन्होंने जगन्नाथ घाम की यात्रा की थी और तत्पश्चात् वे विरक्त हो गये थे। लगभग १७०७ वि० में उन्होंने अपने धार्मिक ग्रन्थ के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक शिष्यों को दीक्षित किया। उनके उदारतावादी धार्मिक विचारा के कारण अनेक हिन्दू तथा मुसलमान उनके शिष्य बन गये। उनके प्रमुख शिष्यों के नाम थे—दयालदाम, मुन्दरदाम, उदयराम, केशवदाम, हृदयराम, गरीबदास, हाथीराम, रामदाम, पूरणदाम और लालदाम।

मल्लूकदाम के अनुयायियों में किसी प्रकार के भेद-भाव का विचार नहीं था। अन्त्यजों को भी सम्मिलित होने की पूरी स्वेच्छता थी। उन्होंने सभी के लिए भगवान् के दर्शनों का समान अधिकार बताया और सबके लिए मन्दिरों में प्रवेश की अनुमति दी। वे निराकार परब्रह्म व उपासक थे और भगवान् से एकनिष्ठ होकर सर्वस्व समर्पण कर देना ही उनके उपदेशों का मार है।

मल्लूकदाम ने अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया। उनमें उनके धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तों का, त्याग, वैराग्य, मज्जाव और निश्च-वशुत्व के उदार विचार निहित हैं। उनके ग्रन्थों के नाम हैं—'रतनछान', 'भक्तवच्छा-वली', 'भक्तिविवेक', 'ज्ञानपरिच्छि', 'बारहखड़ी', 'रामावतार-गीता', 'ब्रज लीला', 'ध्रुवचरित', 'विभयविभूति' और 'सुखमागरी'।

मन्त मल्लूकदाम ने १७३९ वि० (१६८२ ई०) में शरीर त्याग किया। इस प्रकार १०८ वर्ष की दीर्घायु प्राप्त कर उन्होंने जीवन के अनेक उत्तर-चक्र देखे। अपने इस लम्बे जीवन-यात्र में उन्होंने भारत के चार मुगल-शासकों की सत्तनत को देखा—अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। अर्थात् कहना चाहिए कि उन्होंने मुगल सत्तनत का उत्थान और पतन, दोनों देखा।

नानक पन्थ या सिक्ख पन्थ

उत्तर-मध्ययुगीन भारत में अनेक धार्मिक पन्थों का उदय हुआ, जिनमें अधिकतर अपने उत्तराधिकारियों के अभाव में थोड़े ही समय में समाप्त भी हो गये। इस युग की धर्मशाखाओं में जिनका अस्तित्व निरन्तर उजागर होता रहा, उनमें 'नानक पन्थ' या 'सिक्ख पन्थ' का नाम उल्लेखनीय है। इस धर्मशाखा के संस्थापक महात्मा नानकदेव थे, जिनका जन्म छाहौर जिला के राइमोड़की तलवड़ी (पाकिस्तान) नामक स्थान में वैशाख सुदी तृतीया १५२६ वि० (१४६९ ई०) में हुआ था। इस स्थान को आज उन्हीं के पवित्र नाम से 'नानकाना साहिब' कहा जाता है। जाति से वे रात्री थे। उनके पिता का नाम वैशे पालूचन्द या कालूराम था, जो पेशा से पटवारी थे।

नानक बाल्यकाल से ही सात्त्विक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे भगवान् की भक्ति में तल्लीन रहा करते थे और एकान्तवास में अधिकतर समय व्यतीत करते थे। उनमें जन्मत ही अद्भुत प्रतिभा के अद्भुत पृष्ठ निकले थे। जब उनकी विशोरायस्था थी, उन्होंने संस्कृत, हिन्दी और फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

उनकी मगार-विमुक्तता की आशंका से उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई-लिखाई से हटाकर व्यापार में लगा दिया था। एक बार पिता ने चालीस रुपये देकर वाला नामक एक तिन्धी जाट के साथ व्यापार-व्यवसाय करने के उद्देश्य से परदेश भेजा। मार्ग में (सरासोदा नामक स्थान पर) उन्हें कुछ सन्यासी मिले और उनका संसाधन पाकर नानक ने प्रभावित होकर वे चालीस रुपये उन्हें देने चाहे, किन्तु सन्यासियों ने रुपये लेने से इन्कार कर दिया। उन रूपयों का अन्न खरीद कर उन्होंने सन्यासियों तथा साधु-सन्तों को भोजन करा दिया। रातली हाथ घर आकर पिता ने जब मारा वृत्तान्त सुना तो उन्होंने उन्हें मारा-बीटा। किन्तु कहा जाता है कि रायभोराली नामक एक व्यक्ति ने बीच बचाव कर दिया।

नाम की ५) दशा से हुआ होकर उनकी बहिन नानकी उन्हें अपने रामुराल मुन्तानपुर ले आई। वहाँ पर कुछ दिनों उन्होंने दौड़त राँ लोदी के यहाँ नौकरी की। इसी बीच बहनोई के सम्मान बुझाने पर उन्होंने विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम सुलशणी था। तत्पश्चात् उनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे—श्रीचन्द और लक्षणीदास या लक्ष्मीदास।

यद्यपि नानक गृहस्थ बन गये थे किन्तु उनका मन हरिनाम स्मरण में तल्लीन रहता और गृहस्थ तथा सामाजिक प्रपञ्चों से उदासीन। इसी उदासीनता के कारण उनकी नौकरी भी छूट गई। उन्होंने पहले अपने परिवार, वाद की समाज में, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में धैर-विरोध ईर्ष्या-द्वेष, घृणा, पाखण्ड और अन्याय अत्याचार का वातावरण देखकर, उनसे तग आकर १५१४ वि० में घर छोड़ दिया और सत्तार के विभिन्न प्रपञ्चों तथा पीडाकर प्रवृत्तियों को दूर करने के उद्देश्य से, मानवता में शाश्वत शान्ति तथा सद्भाव स्थापित करने के उद्देश्य से देशाटन को निकल पड़े।

नानक ने एक त्यागी, निस्पृह पुरुष के रूप में देश-देशान्तर का भ्रमण किया। वे भारत के विभिन्न अंचलों में घूमे। धर्म-अभियान के लिए पहली यात्रा उन्होंने एमनामाद की। वहाँ एक बड़ई के यहाँ उन्होंने अपना निवास-स्थान बनाया। तदनन्तर वे हरिद्वार, दिल्ली, काशी, प्रयाग और गया आदि धार्मिक नगरों तथा तीर्थ स्थानों को गये। वहाँ उन्होंने पाखण्डों, पुरोहितों तथा पुजारियों द्वारा फैलाये गये बमकाण्ड के मिथ्याजाल का विरोध किया। जगन्नाथपुरी जाकर उन्होंने भगवान् के दर्शन किये और धर्मजिज्ञासुओं को उपदेश दिये।

सत नानकदेव के निद्वन्द्वरूप और दीवीनाणी का प्रभाव देशभर में फैलने लगा। जगन्नाथपुरी से वे सुदूर दक्षिण आन्ध्र प्रदेश, रामेश्वरम् और श्रीलंका तक धर्मप्रचार के लिए गये। वहाँ से लौटकर उन्होंने उत्तर-पश्चिम भारत का भ्रमण किया। वे सिरमौर, उत्तराखण्ड में हेमकूट और पूर्व में गोरखपुर होते हुए सिन्धु, भूटान और तिब्बत तक गये। वहाँ उन्होंने भगवान् बुद्ध की मानव मंगलकारी वाणियों का श्रवण तथा उन पर मनन किया। तिब्बत से नानकदेव बलूचिस्तान होते हुए अरब तथा मक्का, मदीना, रोम, बगदाद, ईरान, बन्दार और काबुल आदि मुस्लिम देशों की यात्रा पर गये। मक्का-मदीना में उन्होंने अनेक फकीरों तथा विद्वान् सन्तों का सत्संग किया। उन्होंने मुस्लिमों द्वारा नमाज पढ़ने के डब की आलोचना की। इतना भ्रमण करने के पश्चात् भी उनके मन को कहीं भी शान्ति एवं समाधान प्राप्त नहीं हुआ।

वे सुदूर पश्चिमी देशों की यात्रा कर कीर्तिपुर लौट आये। वहाँ स्थायी रूप से धर्मशाळा में एकांतवास करके चिन्तन मनन द्वारा उन्होंने आत्मानुभूति प्राप्त की। वे अब पूर्णप्रज्ञ एवं आत्मदर्शी बन चुके थे।

गुरु नानक के समय भारत में मुसलमानों का शासन था। मुगल शाहशाहों की असहिष्णुता के कारण हिन्दू समाज में भय तथा आतंक व्याप्त था, हिन्दुत्व के अस्तित्व पर सन्देह की काठी छाया मडरा रही थी। हिन्दू धर्म का अपमान

हो रहा था और हिन्दुओं के धर्मस्थला को ध्वस्त किया जा रहा था। ऐसे समय नानकदेव जैसे भविष्यद्रष्टा सन्त पुरुष का सर्वप्रथम कर्तव्य था आत्म-रक्षा। देशव्यापी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने समन्वय का मध्यमार्ग अपना कर प्रचलित लोकभाषा में धर्म के उदार स्वरूप को समाज के समुख प्रस्तुत किया। उन्होंने पारस्परिक धार्मिक समन्वय तथा सामाजिक सद्भाव के उद्देश्य से हिन्दू मुस्लिम महात्माओं, सन्तों तथा फकीरों का सत्संग किया। सर्वप्रथम उत्तर भारत में जाकर उन्होंने पंजाबी मिश्रित हिन्दी में अपने उपदेश दिये। इस धर्मयात्रा में उनके साथ उनका आत्मीय शिष्य भर्दाना ने तीन तारों वाला बाजा लेकर नानकदेव की वाणियों के भजन गा गाकर जनता को उदबोधित किया। उनका यह शिष्य उनकी सेवा में निरत रहता था और मधुर एवं विमुग्धकारी, हृदयकर्पक वाणी में नानकदेव के उपदेशों को जन मानस में पहुँचाता रहा। वह स्वयं स्वभाव से सन्त एवं महात्मा था।

ग्रन्थ रचना

नानक सन्त, साधक एवं सिद्ध पुरुष होने के साथ-साथ तरववेत्ता विद्वान् भी थे। पंजाबी के अतिरिक्त संस्कृत, पारसी और हिन्दी आदि भाषाओं तथा उनमें रचित सत्साहित्य का उन्हें मौलिक ज्ञान था। अन्य धर्माचार्यों की भाँति उन्होंने सम्प्रदाय के आचार विचारों पर किसी ग्रन्थविशेष का निर्माण नहीं किया। उन्होंने 'उपजी' नाम से एक भजन-संग्रह तैयार किया और उन्हीं का स्थान स्थान पर जाकर भजन कीर्तन करने लगे। उनके भजनों में सरलता एवं सुगमता थी। उनकी भाषा लोकप्रचलित भाषा थी। इसलिए समाज ने उनकी वाणी को सहज ही हृदयगम किया और बहुसंख्यक लोग उनके अनुयायी हो गये।

'उपजी' के अतिरिक्त नानकदेव द्वारा विरचित दो संस्कृत-ग्रन्थों का विद्वानों ने उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं—'निराकार भीमासा' और 'अद्भुत गीता'। इन दोनों ग्रन्थों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके रचयिता नानकदेव ही थे। ग्रन्थ-रचना की दृष्टि से कम, किन्तु एक उपदेशक, सत्यान्वेषी और मानव उपकारक की दृष्टि से नानकदेव का अधिक महत्त्व है।

सिद्धान्त निरूपण

नानकदेव ने समय समय पर अपने उपदेशों में जो उद्गार प्रकट किये, वे ही उनके सिद्धान्त हैं। उन्होंने न तो किसी में दीक्षा ग्रहण की और न

विधिवत् शास्त्रों का अध्ययन ही किया। अपने स्वतंत्र चिन्तन से उन्हें जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई, और साथ ही समाज के जीवन-दर्शन का उन्होंने जिस रूप में अध्ययन किया, उसी के अनुरूप अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्शन, सिद्धान्त तथा आचार आदि विषयों पर ग्रन्थ के रूप में कुछ नहीं लिखा।

नानकदेव ने यह प्रचारित किया कि धर्म के नाम पर तथा जाति एवं वर्ग के नाम पर ऊँच-नीच, छोटे-बड़े के आधार पर समाज में जो विषमता व्याप्त है, वह पाखण्ड एवं आत्मछलना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मूर्तिपूजा यज्ञ, हवन सब व्यर्थ है। उन्होंने नैतिक जीवन बिताने पर बल दिया और गृहस्थ जीवन को सन्यास से उत्तम बताया।

गुरु नानक ने आत्मशुद्धि को जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य माना है। उन्होंने बताया है कि सत्यवादिता का व्यवहार करना और ज्ञान को उजागर करना, मास-भदिरा आदि दुष्यंसनों का त्याग करना, गुरु-आदेश का पालन करना और धारणा-ध्यान-ममाधि में अभ्यास रखना, इन आचारों से आत्मशुद्धि होती है। शुद्ध, अर्थात् निर्मल आत्मा को सहज ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। उदारता, शान्ति, अहिंसा, परोपकार, इन शाश्वत सद्गुणों के आचरण से जीवन को उन्नत किया जा सकता है। चित्तशुद्धि के लिए उन्होंने मिताहार और उपवास को अपनाने पर बल दिया है।

यह वाया ही गोविन्द का मन्दिर है, इसकी शुद्धता से उस परात्पर के दर्शन किये जा सकते हैं। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सत्कार्य, सदाचार, त्याग, वैराग्य और पवित्रता की आवश्यकता है। ऐसे सदाचरणों से आत्मा में निर्वलता आती है। इस प्रकार का पवित्र जीवन बिताने वाला मनुष्य ही वास्तविक ज्ञानी है। उन्होंने गुरुवाणी को उत्तम साधन बताया है और गुरुवाणी को ही वेदवाक्य माना है।

गुरु नानक ने अपने उपदेशों में बताया है कि ईश्वर एक है, शाश्वत, अनन्त और वनादि है। उसको प्राप्त करने के रास्ते भले ही अलग-अलग हैं, किन्तु सबका लक्ष्य एक ही है। उन्होंने अद्वैत-वेदान्त के मतानुसार माया को भ्रमजनित भ्रान्ति बताया है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए माया पर विजय प्राप्त करने का निदेश दिया है। एवमेव ईश्वर में आत्मा को विलय कर देना ही उनकी दृष्टि से, उपासक का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है।

'गुरुग्रन्थ साहिब' का आरम्भिक प्रकरण 'जपजी' नाम से है। उसकी प्रथम वाणी इस प्रकार है—'ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है। वह वर्ता है और भय तथा द्वेष से अतीत है। वह असीम, अपार, अजन्मा, निराकार

और स्वयम्भू है। गुरु कृपा ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। वह सृष्टि से पूर्व था और युगारम्भ से पहले। वह इस समय भी वर्तमान है और नानक कहते हैं, वह सब कालों में वर्तमान रहेगा।'

नानकदेव की गुरुता एवं महानता उनके उन उपदेशों में देखने को मिलती है, जिनमें उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया है और स्वयं को लघुमानव बताया गया है। भगवान् को उन्होंने एकमात्र उच्चारकर्ता बताया है। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का अवतार बताने का मिथ्यावाद प्रकट नहीं किया है। नानकदेव ने इस प्रकार के सार्वभौम मानव हितकारी सिद्धान्तों के समन्वय से जिस स्वतंत्र पन्थ का प्रवर्तन किया, उसे ही 'नानक पन्थ' या 'सिक्ख धर्म' या 'सिक्ख पन्थ' के नाम से कहा जाता है।

इस प्रकार नानकदेव ने आजीवन सत्तनाम की महिमा का व्याख्यान करते हुए, मानवता की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। वे ७० वर्ष की आयु विताकर १५३९ वि० (१५९६ ई०) में परमधाम को सिधारे।

नानक पन्थ

नानकदेव ने जिस धार्मिक पन्थ का प्रवर्तन किया, उसका नामकरण किया 'नानक पन्थ'। उनके अनुयायी 'नानक पन्थी' कहलाये। ये नानक पन्थी स्वयं को सनातनी हिन्दू कहते थे और इस पन्थ में हिन्दू सिक्ख, दोनों समान रूप से सम्मिलित थे। सिक्ख मत के जन्मदाता दसवें गुरु गोविन्द-सिंह हुए। उन्होंने नानकदेव द्वारा सस्थापित नानक पन्थ के समन्वयात्मक एवं उदार सिद्धान्तों को एक जातिविशेष में सीमित कर उसे सिक्ख धर्म या सिक्ख सम्प्रदाय नाम दिया। तब से यह धर्मशाखा अन्य जाति-वर्गों से अलग होकर केवल सिक्खों के नाम में ही रूढ हो गई।

परम्परा का प्रवर्तन

गुरु नानक के बाद सिक्ख धर्म के प्रवर्तक दस गुरु हुए, जिन्होंने नानकदेव की मानवकल्याणकारी शिक्षाओं का अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रचार-प्रसार किया और हिन्दू समाज के भयभीत एवं आतंकित मनो को शान्ति एवं धैर्य प्रदान किया। गुरु नानक के बाद उनकी परम्परा को क्रमशः गुरु अगददेव, गुरु अमरदाम, गुरु रामदास और गुरु अर्जुनदेव ने आगे बढ़ाया।

गुरु नानकदेव का मत था कि परम्परा की गद्दी का उत्तराधिकार सुयोग्य व्यक्ति को ही सौंपा जाये। इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्रों श्रीचन्द तथा लक्ष्मीदास को न बनाकर अपने सुयोग्य शिष्य अगददेव को बनाया। अपने जीवन-काल में ही, शरीर त्यागने से पूर्व ही, उन्होंने अगददेव

को गुरु-गद्दी का उत्तराधिकार सौंप दिया था और उन्हें यह आदेश दिया था कि वे निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करते हुए धर्म-मार्ग को प्रवर्तित करें। गुरु नानक ने गद्दी के उत्तराधिकार को योग्यता के आधार पर स्थित किया था, किन्तु गुरु अर्जुनदेव के समय से यह उत्तराधिकार पैतृक-परम्परा बन गई।

सिक्ख सम्प्रदाय के दूसरे गुरु, अगददेव के उत्तराधिकारी नियुक्त होने पर उन्होंने धर्म की बागडोर को बड़ी योग्यता से संभाले रखा। उनके जीवनकाल के दो उल्लेखनीय कार्य हैं। उन्होंने उत्तराधिकार संभालते ही सर्वप्रथम कार्य यह किया कि गुरु नानक के जो उपदेश और शिक्षाएँ अब तक उनके अनुयायियों की वाणी में सुरक्षित थे, जो केवल मौखिक रूप में प्रचलित थे, उन्हें सकलित किया और एक ग्रन्थ के रूप में निबद्ध किया। समस्त वाणियों को लिपिबद्ध करके उन्हें सुरक्षित किया। उनके जीवन-काल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अमृतसर में गुरुद्वारे का निर्माण करना। यह विशाल स्वर्ण मन्दिर आज भी समस्त सिक्ख धर्मानुयायियों का सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है और उसके भव्य, विशाल एवं दर्शनीय स्वरूप में गुरु अगददेव की पुण्य-स्मृति अब तक जीवित है।

सिक्ख गुरुओं की इस परम्परा में उनके पाँचवें गुरु अर्जुनदेव का नाम उल्लेखनीय है। उनके जीवन-काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय कार्य था गुरु 'ग्रन्थ साहिब' का सकलन। गुरु अर्जुनदेव ने एक ओर तो धर्म की बागडोर को योग्यतापूर्वक संभाले रखा और दूसरी ओर अपने पूर्ववर्ती चारों सिक्ख गुरुओं की तथा अन्यान्य सन्त पुरुषों की सद्वाणियों का सकलन कर 'गुरु ग्रन्थ साहिब' का निर्माण किया। उन्होंने पन्थ या सम्प्रदाय की स्थिरता एवं व्यापकता को दृष्टि में रखकर एक सर्वमान्य ग्रन्थ को प्रस्तुत किया, जो कि आज भी उसी रूप में मोहनीय है।

इसी बीच ऐसा कुसयोग हुआ कि चन्द्रशाह और स्वयं गुरु अर्जुनदेव का भाई उनके घोर विरोधी बन गये। वे गुरु साहिब की आलोचना करने लगे। उन्होंने तत्कालीन शाहशाह अकबर तक उनकी निन्दा की और जिस ग्रन्थ का उन्होंने सकलन किया था, उसके विषय में शाहशाह से शिकायत की। उनकी शिकायत पर शाहशाह ने 'ग्रन्थ साहिब' को मँगाया और उसे स्वयं सुना। सहिष्णु प्रकृति के शाहशाह अकबर ने जब उन वाणियों को सुना तो वे बड़े प्रभावित हुए। वे गुरु अर्जुनदेव के दर्शन के लिए अमृतसर गये और उन्होंने गुरुदेव के मुँह से श्रद्धापूर्वक उन वाणियों का श्रवण किया।

शाहशाह अकबर के समय सिक्ख धर्म अपना विकास करता रहा । किन्तु उनके बाद शाहशाह जहाँगीर के उत्तराधिकारी होने पर बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ । उसका एक कारण तो यह था कि सिक्ख पन्थ के भीतर ही ऐसे तरव उभरने लगे थे, जो अपनी अस्तित्वरक्षा के लिए विधर्मी सरतनत से जा मिले थे । दूसरा कारण यह था कि सिक्ख धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर मुगल शाहशाह जहाँगीर चिन्तित होने लगा । सिक्खों के बढ़ते हुए प्रभाव और उनके शक्तिशाली संगठन की वस्तुस्थिति को देखकर उसको ध्वस्त तथा क्षीण करने के उद्देश्य से सिक्ख गुरुओं को उत्पीड़ित किया जाने लगा । शाहशाह को प्रभावित कर चन्द्रशाह जैसे घर भेदियों ने गुरु अर्जुनदेव को मरवा डाला । सिक्ख पन्थ के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ।

गुरु अर्जुनदेव के बाद उनका पुत्र गुरु हरगोविन्द सिंह गद्दी पर बैठे । उन्होंने धर्म के आसन्न सकट को दृष्टि में रखकर सिक्ख समुदाय को पुनर्गठित किया । उन्हें शस्त्र धारण की आज्ञा दी । उन्हीं के कार्यकाल में प्रत्येक सिक्ख के लिए पञ्चकारात्मक पाँच चिह्नों को धारण करने का धर्मदेश हुआ । वे थे—केश, कधी, कृपाण, कड़ा और कच्छ । ये ऐसे प्रतीक चिह्न थे, जिनका अपना गभीर आशय था और जिनका शक्ति से पालन करने के कारण सिक्ख धर्म सकट के समय अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका ।

गुरु हरगोविन्द सिंह ने सुरक्षात्मक सैनिक दृष्टि से अमृतसर में लोहपट्ट विला बनवाया । जिस समय गुरु साहिब ग्वालियर में थे, चन्द्रशाह आदि विरोधियों ने शाहशाह जहाँगीर से उन्हें बन्दी बना लिया । किन्तु मुसलमान साधुओं एवं फकीरों के कहने पर शाहशाह ने उन्हें कुछ समय बाद मुक्त कर दिया । धर्मभ्रान्त मुस्लिम महात्माओं के कहने पर शाहशाह ने बन्दी बनाये गये अनेक हिन्दू राजाओं, कवियों तथा पण्डितों को भी मुक्त कर दिया ।

गुरु हरगोविन्द सिंह ने आजीवन संगठन को सशक्त बनाये रखा और सम्प्रदाय के प्रति एकनिष्ठ बने रहने के उपरान्त ३ मार्च, १६४४ ई० को उन्होंने शरीर त्याग किया । उनके बाद गुरु हरिराय उत्तराधिकारी बने ।

गुरु हरिराय के समय मुगल सरतनत का उत्तराधिकारी शाहशाह शाहजहाँ था । उसके शासन काल में मुगल सेना ने सात सिक्खों का तीन बार युद्ध हुआ और तीनों बार सिक्खों की विजय हुई । गुरु हरिराय ने अपने कार्यकाल के लगभग सोलह-सत्रह वर्ष निरन्तर सधर्मों में व्यतीत किये । ६ अक्टूबर, १६६१ ई० में उनका निधन हुआ और उनके स्थान पर उनके कनिष्ठ पुत्र हरिकृष्ण आठवें गुरु नियुक्त हुए । उनके लगभग ढाई वर्ष गद्दी संभालने के बाद गुरु तेगबहादुर नवें उत्तराधिकारी बने ।

गुरु तेगबहादुर के समय मुगल सल्तनत का उत्तराधिकारी शाहशाह औरंगजेब तहत का स्वामी बना। उसके अत्याचारों से हिन्दू धर्म का अस्तित्व टोलने लगा था। उसने निर्मगता से हिन्दुओं के देवस्थानों तथा स्मारकों का ध्वंस करवाया और हिन्दुओं को बलात् धर्म-परिवर्तन के लिए विवश किया। देश में व्याप्त भय एव जातक से रक्षा करने के उद्देश्य से गुरु साहब ने असम तथा काश्मीर की यात्राएँ की। उन्हें भी धर्म-परिवर्तन के लिए कहा गया। उन्हें दिल्ली बुलाया गया। प्रलोभन तथा भय की बातें कही गयीं। किन्तु उन्होंने धर्म-परिवर्तन करने से साफ इन्कार कर दिया। ११ नवम्बर, १६७५ ई० को उनकी हत्या करवा दी गई।

उक्त दोनों गुरुओं के वलिदानों से सिक्ख धर्मानुयायियों में विद्वेष तथा क्रान्ति की भावना व्याप्त हो गई। जिस समय गुरु तेगबहादुर की हत्या की गई, उस समय उनके पुत्र गुरु गोविन्द सिंह की उम्र केवल नौ वर्ष की थी। इसी अवस्था में उन्हें दसवाँ गुरु बनाया गया। उन्होंने सगठन को सशक्त बनाया और पन्थ के परम्परागत नियमों में भी परिवर्तन किया। उन्होंने गुरु नानकदेव के समन्वयात्मक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया और अन्याय धर्मों, विशेष रूप से हिन्दू धर्म और हिन्दुओं के देवालयों के प्रति निष्ठा तथा श्रद्धा रखने का नियम बनाया। उसका कारण यह था कि शाहशाह औरंगजेब का हिन्दुओं के प्रति भी उतना ही कट्टर रवैया था, जितना कि सिक्खों के प्रति।

गुरु गोविन्द सिंह को भी विधर्मी मुगल सल्तनत के घोर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उनके दोनों बालकों को जीवित ही दफना दिया गया। अमानवीयता का यह अनूठा उदाहरण था। किन्तु गुरु साहब अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनके महान् त्याग को सिक्ख धर्म के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है।

अपने देह-त्याग के कुछ समय पूर्व उन्होंने यह नियम घोषित कर दिया था कि मेरे बाद कोई भी व्यक्ति गुरूपद प्राप्त नहीं करेगा, केवल 'गुरुवाणी' (गुरु ग्रन्थ साहिब) ही गुरूपद के रूप में मान्य होगी। इस प्रकार तब से गुरूपद पर 'गुरु ग्रन्थ साहिब' को ही मान्यता प्राप्त है, जो आज तक उसी रूप में बनी हुई है।

विभिन्न धर्म शाखाओं का उदय

गुरु गोविन्द सिंह के बाद सिक्ख पन्थ अनेक शाखाओं में विभाजित हुआ। सर्वप्रथम उसकी दो शाखाएँ हुईं—सहजधारी और सिंह। सहजधारी

कोई प्रतीक या चिह्न धारण नहीं करते हैं। इस पन्थ का विकास ५ उपशाखाओं में हुआ, जिनके नाम हैं—१. नानकपन्थी, २. उदासी, ३. हुन्दाली, ४. मीन, ५. रामरज और ६. सेवापन्थी। इसी प्रकार सिहपन्थ की भी तीन उपशाखाएँ हुईं, जिनके नाम हैं—१. खालसा, २. निर्मल और ३. अकाली। इनके अतिरिक्त कृपापन्थ, गाँजाभक्षीपन्थ, सुथीग्राहीपन्थ और रामरायीपन्थ आदि अन्य उपशाखाएँ भी हुईं। किन्तु अपनी समृद्ध एवं स्वतंत्र परम्परा बनाने में कुछ को छोड़कर प्रायः सभी अमफल ही रही।

इन सब धार्मिक शाखा-उपशाखाओं के अनुयायियों के आचारों में सामान्य असमानता हो सकती है। किन्तु विचारों में गुरु गानक द्वारा निदिष्ट उपदेशों एवं नियमों की एकता सभी को मान्य है। उक्त प्रमुख नौ शाखाएँ भजन तथा आराधना की दृष्टि से 'पंचग्रन्थी' हैं। पंचग्रन्थी के अन्तर्गत प्रार्थना के पाँच प्रकार हैं, जिनके नाम हैं—'उपजी', 'रहरास', 'सोहिला', 'मुखमनो' और 'आसा दीवार'।

नानकपन्थी

वर्तमान सिक्ख समुदाय की 'नानकपन्थी' सर्वप्रथम धर्म शाखा है, जिसका नामकरण स्वयं गुरु नानक ने किया था। नानकपन्थी एक उदार उपशाखा है, जिसमें सनातनी हिन्दुओं के आचारों को मान्यता दी गई थी। नानकदेव स्वयं को सनातनी हिन्दू कहते थे। उनके इन उदार एवं सहिष्णु विचारों के कारण उनके पन्थ में हिन्दू और सिक्ख समान रूप से सम्मिलित थे और उनका पारस्परिक सामंजस्य था। उन्होंने अपने पन्थ को किसी प्रकार की जातिविशेष की सीमाओं में नहीं बाँधा।

उदासीपन्थ (नानकपुत्रा)

इस पन्थ के जन्मदाता गुरु नानकदेव के पुत्र श्रीचन्द थे। उन्होंने १४३९ ई० में अपने इस नये पन्थ की स्थापना की थी। स्मरणीय है कि गुरु नानकदेव ने अपना उत्तराधिकार अपने दोनों पुत्रों में से किसी को भी न देकर अपन शिष्य अग्रदेव को दिया था। श्रीचन्द ने अपना अलग ही पन्थ चलाया। इस पन्थ के अनुयायियों को 'नानकसाही' या 'नानकपुत्रा' भी कहा जाता है। 'नानकपुत्रा' अर्थात् गुरु नानक के आदेशों के अनुरूप उनके पुत्रों द्वारा सस्थापित पन्थ।

इस उदासी पन्थ के अनुयायी लोक-सम्पर्क की अपेक्षा वैराग्य तथा एकान्त साधना पर अधिक परिनिष्ठित थे। वे स्वयं को सिक्ख धर्म से अलग ही परिगणित करते थे। इस पन्थ के सिद्धान्त 'खालसा पन्थ' से भिन्न हैं। खालसा

पन्थ की भाँति उदासी पन्थ के भी अपने स्वतंत्र मठ हैं। वहाँ 'गुरु ग्रन्थ साहिब' के साथ-साथ हिन्दू देवताओं की भी पूजा-प्रतिष्ठा होती है। यहाँ की गदियों के उत्तराधिकारी महन्थ होते हैं, जिनमें पैतृक परम्परा नहीं है। वे त्यागमय जीवन धारण करते हैं और स्वयं को सिक्ख सम्प्रदाय में नहीं मानते हैं। श्रीचन्द के बाद इस पन्थ के इतिहास का कुछ भी पता नहीं चलता है।

मीन पन्थ

महजधारियों की कतिपय अन्य उपशाखाओं की भाँति 'मीन पन्थ' के सम्बन्ध में भी इससे अधिक कोई जानकारी प्राप्त नहीं होनी है कि उसके सस्थापक गुरु रामदास के पुत्र पृथ्वीचन्द हुए। उन्होंने १७३८ ई० में इस पन्थ की स्थापना की थी। इस पन्थ का प्रवर्तन आगे किस रूप में हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

खालसा पन्थ

'सिंह' या 'सिख' शाखा की उपशाखा 'खालसा पन्थ' के सस्थापक स्वयं गुरु गोविन्द सिंह थे। उन्होंने सामयिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर वैशाख प्रतिपदा १७५६ वि० की खालसा पन्थ' के नाम से एक नये सगठन को जन्म दिया। इस सगठन को उन्होंने शक्तिशाली रूप देने के साथ-साथ उदार भी बनाया। उन्होंने 'नानक पन्थ' की भाँति अपने पन्थ के अनुयायियों को यह निर्देश दिया कि वे 'गुरु ग्रन्थ साहिब' की भाँति हिन्दू देवालयों तथा देवताओं के प्रति अपना समान श्रद्धाभाव रखें। उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को भी इस पन्थ में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया। पन्थ के नियमों में भी परिवर्तन किया। उन्हें सरल एवं सर्वोपयोगी बनाया।

'खालसा पन्थ' एक क्रान्तिकारी विद्रोही भावना को लेकर आगे बढ़ा। गुरु गोविन्द सिंह और उनके अनुयायियों के साथ मुगल शासक औरगजेब ने जो अमानवीय व्यवहार किया, उसका बदला लेने के उद्देश्य से गुरु गोविन्द सिंह ने सगठन की कार्य-मदति को नया रूप दिया। धर्मरक्षा के लिए अपने दोनो पुत्रों को जीवित दफनाये जाने का महान् त्याग उन्होंने किया। इन घटनाओं से सिक्ख धर्मानुयायी मुसलमानों के विद्रोही बन पड़े और उन पर जितने भी अत्याचार तथा अन्याय हुए, खालसा पन्थ उतनी ही द्विगुणित शक्ति से ऊपर उभरता एवं फैलता गया।

गुरु साहिब के बाद 'खालसा पन्थ' का भावी स्वरूप क्या रहा, इसका क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है, किन्तु आज भी वह अपना स्वतंत्र स्थान बनाये हुए है। वह अपनी नैतिकताओं तथा मर्यादाओं पर अडिग है।

निर्मल पन्थ

इस पन्थ के संस्थापक सन्त वीर सिंह हुए। उन्होंने १७४७ वि० में इस धर्म-पन्थ की स्थापना की। यह विरक्त सन्यासियों की एक शाखा है, जिसके अपने स्वतंत्र मठ तथा महान्य हैं। निर्मल सन्यासियों के अखाड़े प्रसिद्ध हैं। अपनी कर्मठता एवं परिनिष्ठित जीवन-पद्धति से उन्होंने अपने धर्म को अधिक स्थिरता प्रदान की। निर्मल पन्थ, मिस्त्रो का समृद्ध एवं शक्तिशाली सगठन के रूप में आज भी अपने अस्तित्व को बनाये हुए है।

अकाली पन्थ

सिंह शाखा की 'अकाली' उपशाखा सिक्ख धर्म के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पन्थ के प्रवर्तक मानसिंह थे। किन्तु इस पन्थ की स्थापना उनसे पूर्व १६९० ई० के लगभग ही चुकी थी। यह पन्थ, मिस्त्रो के अन्य पन्थों से अपनी कुछ भिन्नता रखता है। यह सैनिक आधुओं के एक सगठन के रूप में उभरा। इस सगठन के प्रेरणा-स्रोत स्वयं गुरु गोविन्द सिंह थे। उनके बाद उसको सुदृढ़ तथा सगठित स्वरूप मानसिंह ने दिया और उसे सक्रम रूप में आगे बढ़ाया। अकाली स्वयं को 'निहंग' कहते हैं, जिसका अर्थ है 'निःसर्ग'। वे आसक्तिरहित या सगरहित हैं।

इस तेजस्वी एवं शक्तिशाली सगठन के शौर्य एवं पराक्रम के इतिहास में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। १८१८ ई० में अकालियों के शक्तिशाली एवं युद्धबुद्धि सगठन ने मुल्तान पर घेरा डाल दिया था और उसको अपने अधिकार में कर लिया था। मानसिंह के बाद फूलसिंह ने इस सगठन का संचालन किया। उसने लार्ड मैट्टकाफ के अग्रदूतों पर हथला बोल दिया था। जब फूलसिंह ने महाराज रणजीत सिंह के शौर्य का समाचार सुना और उन पर उपस्थित सकट की बातें सुनीं तो वह अपने सगठन के साथ महाराज रणजीत सिंह की सेवा में उपस्थित हो गया। उसने १८२३ ई० में पठान युद्धों पर आक्रमण करके रणजीत सिंह को विजय दिलाई थी। इसी युद्ध में फूलसिंह ने वीरगति प्राप्त की थी। नौशेरा में स्थापित उनकी स्मारक आज भी उनके शौर्य का स्मरण दिलाता है और हिन्दू तथा मुसलमान, दोनों धर्मों के तीर्थयात्री जिसको थड़ा-निष्ठा का पवित्र स्थल मानते हैं।

अकाली पन्थ आज भी अपनी उन्नत परम्परा को बनाये हुए है। इस पन्थ का प्रमुख सिंहासन अमृतसर के अकालबुगा में स्थित है। महाराज रणजीत सिंह के समय प्रधान सिंहासन आनन्दपुर में था। अकालियों के

धार्मिक नीति निर्देश अब भी आनन्दपुर या अकालबुग सिंहासन में संचालित होते हैं ।

आचार विचार की दृष्टि से अकालिया की अपनी अलग परम्परा है । वे मास मंदिरा का सेवन नहीं करते हैं । वे जिसको गुरुरूप में वरण करते हैं, उसकी आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं । अकाली पन्थ के अनुयायी प्रायः धारीदार पोशाक धारण करते हैं, कलाई पर लोहे का बड़ा, गिर पर ऊँची तिकोनी नीली पगड़ी, और तेज धारवाला लोहचक्र, बटार, छुरी तथा लोहे की जंजीर धारण करने हैं । अकाली अपना सम्बन्ध अकाल पुरुष (अनादि-अनन्त-अद्वैत ब्रह्म) से स्थापित करते हैं ।

प्रमुख तीर्थ

सिक्ख सम्प्रदाय का सर्वमान्य प्रथम तीर्थ गुरु नानक का जन्म-स्थान नानकाना माहेव है, जो कि रोखूपुरा में है । इसके अतिरिक्त अमृतसर का स्वर्ण-मन्दिर, खालसा पन्थ का जन्म-स्थान आनन्दपुर, गुरुगोविन्द सिंह का जन्म-स्थान पटना सिटी, गुरु गोविन्द सिंह का निधन-स्थान हजीरी साहेब (जिला नादेर, दक्षिण हैदराबाद) आदि सिक्खों के धार्मिक तीर्थ हैं ।

उनके प्रमुख तीर्थों में पंजा साहेब का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह स्थान पेसावर मार्ग पर तक्षसिला से एक स्टेशन आगे हुसन अब्दाल नामक स्थान से दो मील दक्षिण में स्थित है । इस तीर्थस्थल के सम्बन्ध में एक परम्परागत अनुश्रुति ऐसी है कि किसी समय बली कघारी नामक एक फकीर ने तपोबल से आस-प्यास का सारा जल पहाड़ के ऊपर खींचकर अपने अधिकार में कर लिया था, जिससे जन-मानस्य की जलाभाव के कारण बड़ा कष्ट अनुभव हो रहा था । गुरु नानक ने जब इस जन-पीडा का समाचार सुना तो उन्होंने अपनी शक्ति से पर्वत पर केन्द्रित सारा जल नीचे खींच लिया । इस पर फकीर ने जल के अवरोध के लिए एक पर्वत-खण्ड नीचे गिरा दिया, किन्तु गुरुनानक ने उस पर्वत-खण्ड को अपने पंजों पर ऊपर ही रोक लिया ।

गुरु नानक के हाथ के पंजों का निशान आज भी उक्त तीर्थ में विद्यमान है और इस कारण इस तीर्थ का नामकरण 'पंजा साहेब' के नाम से प्रचलित हुआ । प्रति वर्ष वैशाखी प्रतिपदा को यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें सिक्ख समुदाय के लोग बड़ी सख्या में सम्मिलित होते हैं ।

इन तीर्थों के अतिरिक्त भारत तथा विदेशों में निर्मित गुरुद्वारे सिक्खों के पवित्र धार्मिक स्थल हैं ।

ग्रन्थ साहित्य

सिक्खों के धार्मिक सम्प्रदाय पर यद्यपि कम साहित्य लिखा गया, तथापि उनके कुछ विशिष्ट ग्रन्थ हैं, जो उनके धार्मिक सर्वस्व माने जाते हैं। 'गुरु ग्रन्थ साहिब' सिक्ख-समुदाय का सर्वोच्च धार्मिक ग्रन्थ है, जिसकी पूजा-प्रतिष्ठा गुरुमूर्ति की भाँति होती है। इसमें सिक्खों के दस गुरुओं की वाणियाँ तथा कवीर, नामदेव, रविदास, भीरा और तुलसी आदि हिन्दी भक्त-कवियों के पद संकलित हैं। यह ग्रन्थ गुरुमुखी लिपि में है। इसका अखण्ड पाठ सिक्ख-समुदाय में बहुप्रचलित है।

इसके अतिरिक्त 'जनमसाखी', 'जप साहिब', तथा 'उपजी' सिक्खों की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकें हैं। 'जपजी' उनका नियमित पाठ का ग्रन्थ है। इसमें पद तथा भजन संकलित हैं। इसे गुरु अजुंन सिंह ने संकलित किया था। सिक्खों के पाँच प्रार्थना पुस्तकों में से यह एक है। उसके भजन प्रातः-कालीन प्रार्थना में उच्चरित होते हैं। शेष चार प्रार्थना-पुस्तकों के नाम हैं— 'रहनास', 'सोहिला', 'सुखमनी', और 'आमा दीवार'।

गुरु गोविन्द सिंह की निष्ठा हिन्दू धर्म के प्रति आजन्म बनी रही। अपन नये खालसा पन्थ की स्थापना से पूर्व उन्होंने दुर्गा की स्तुति की थी। 'भारुण्डेय पुराण' के अन्तर्गत समाविष्ट 'दुर्गा सप्तशती' का उन्होंने अपने हिन्दू विद्वानों से पंजाबी में अनुवाद करवाया था। खालसा पन्थ के अनुयायी इस ग्रन्थ को वरणीय मानते हैं। 'दुर्गा सप्तशती' में शक्ति के परात्पर अजेय स्वरूप का वर्णन है, जिसने आतङ्कारी उत्पीड़क दानव जाति का सहार किया था।

गुरु गोविन्द सिंह के शरीरान्त के बाद उनके अनुयायी शिष्य भाई मणि सिंह ने गुरु गोविन्द सिंह द्वारा अपने दरबारी कवियों, लेखकों तथा विद्वानों द्वारा तैयार कराये गये हिन्दी तथा फारसी की रचनाओं को एक जिल्द में संकलित किया। उसका नाम रखा— 'दसवें गुरु का ग्रन्थ'। यद्यपि कट्टर पन्थी सिक्ख समुदाय इसे प्रामाणिक नहीं मानता, तथापि साहित्य की दृष्टि से उसके महत्त्व को सभी स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार भारतीय धर्म शाखाओं के इतिहास में सिक्ख धर्म की अपना उपलब्धियाँ तथा विशेषताएँ रही हैं और उसने भारत की धर्मप्राण जनता को आकाशाओं की रक्षा के लिए सदा ही समर्पण होकर योगदान किया।

दादू पन्थ

भारत की धर्म और सस्कृति की सार्वभौम गरिमा को लोक-प्रचलित करने वाले सन्तों में महात्मा दादू या दादूदयाल का नाम उल्लेखनीय है। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि उनका वास्तविक नाम क्या था, यह विदित नहीं है। दादू या दादूदयाल उनके गुणों का पर्यायवाची नाम है। समाज में आदरणीय होने के कारण उन्हें 'दादू-दादू' कहा जाने लगा और दयामय शान्त स्वभाव होने के कारण उसके आगे 'दयाल' जोड़ दिया गया। इस प्रकार दादूदयाल उनका वास्तविक नाम था या आदरमूचक गुण-नाम था, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सन्त दादू के सम्बन्ध में सम्प्रति जो जानकारी उपलब्ध है, वह उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा नहीं गई बातों पर आधारित है।

कुछ विद्वानों का अभिमत है कि दादूदयाल का जन्म अहमदाबाद (गुजरात) में हुआ था, तो अन्य विद्वानों का कहना है कि जौनपुर (उत्तर प्रदेश) अथवा नारायणा (राजस्थान) के मूल निवासी थे। इन तीनों में अधिक उपयुक्त यह जान पड़ता है कि वे नारायणा या नराणे में पैदा हुए थे। आज भी वहाँ एक दादूद्वार (मठ) में उनकी चरण-पादुकाएँ तथा चस्त्र रखे हुए हैं, जिनकी आज भी पूजा-प्रतिष्ठा होती है। नारायणा, जयपुर से लगभग ४० मील की दूरी पर है। उनका जन्म १६०१ वि० (१५४४ ई०) और निधन १६६० वि० (१६०२ ई०) को हुआ था। उनके ग्रन्थों तथा शिष्य-प्रशिष्यों के उल्लेखानुसार ये तिथियाँ असन्दिग्ध हैं।

सम्प्रदाय के ग्रन्थों में उन्हें सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है, किन्तु अन्यान्य उपलब्ध ग्रन्थों से विदित है कि वे 'धुनियाँ' (कोरी) जाति के थे। कतिपय विद्वान् उन्हें मोची बताते हैं। उनके पिता का नाम लोधी या लोधीराम था, जो कि सम्भवत एक सौदागर (व्यापारी) थे। उनके दो पुत्र तथा दो कन्याएँ हुईं। पुत्रों के नाम थे गरीबदास तथा मिस्कीदास और कन्याओं के नाम थे नानोवाई तथा मानावाई।

उनके गृह कौन थे, इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं कुछ नहीं कहा है। किन्तु ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी आयु केवल ग्यारह वर्ष की थी, एक अज्ञातनाम साधु के प्रभाव एवं ससर्ग से उनके मन में भगवत्प्रेम का उदय हो चुका था। लगभग तीस वर्ष की आयु तक वे देशाटन, साधना तथा

साधु मन्तो की सगति में रहे। तत्पश्चात् वे साँभर (राजस्थान) में रहने लगे थे। वहाँ पर वे लगभग चौदह वर्षों तक रहे। इसी अवधि में उनकी भेंट शाहशाह अकबर से हुई। संभवतः वे १५८० ई० में शाहशाह से मिले। उनका यह मिलन सीकरी में हुआ था। शाहशाह उनके सन्त जीवन और धार्मिक सद्भाव से प्रभावित हुए थे। साँभर में ही रहकर उन्होंने अपनी अधिकतर वाणियों का सृजन किया था। यही पर उन्होंने 'ब्रह्म सम्प्रदाय' की स्थापना की थी, जो बाद में 'दादू पन्थ' के नाम से प्रचलित हुआ। राजस्थान के अनेक नगरों का उन्होंने भ्रमण किया और अपने अनेक अनुयायी बनाये। ऐसा कहा जाता है कि साँभर के निकट नारायणा (नराणे) की एक गुफा में रहते हुए उन्होंने शरीर-त्याग किया था।

दादूदयाल अपने समय के प्रसिद्ध सन्त हुए। उनके प्रमुख वाचन शिष्य थे, जिनमें निश्चलदाम, गरीबदास, सुन्दरदास, जगन्नाथदास और रज्जबदास आदि भक्तकवि तथा दार्शनिक उन्हीं के शिष्य थे। इन वाचन शिष्यों में प्रत्येक ने एक एक मन्दिर (पूजा स्थान) बनाया था, जिन्हे 'दादूद्वार' कहा जाता है। इन मठों की स्थापना कर उन्होंने अपने अलग-अलग दादूपन्थी मतों का प्रचलन किया था। उन सबका मुख्य केन्द्र नारायण ही था। इन दादूद्वारों के उत्तराधिकारी एकमात्र साधु हुआ करते थे।

सन्त दादूदयाल के पश्चात् नारायणा की मुख्य गद्दी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र एव शिष्य गरीबदास हुए। दादू के जीवन काल तक उनकी वाणियाँ प्रायः मौखिक रूप में विद्यमान रही। इन वाणियों का प्रथम संग्रह उनके शिष्य सन्तदास तथा जगन्नाथदास ने 'दादूवाणी' के नाम से किया। किन्तु उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय रज्जबदास को है। उन्होंने उन वाणियों को 'अगवधू' के नाम से प्रचलित किया। उन्हे बाद में 'दादूवाणी' के नाम से प्रकाशित किया गया।

परम्परा का प्रवर्तन

दादू के पश्चात् उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने उनकी जन कल्याणकारी वाणियों का, उनके पन्थ का आगे प्रवर्तन किया। इस पन्थ के अनुयायियों की मुख्य दो श्रेणियाँ हैं—साधु और सेवक। साधु श्रेणी के सन्त ब्रह्मचारी और सेवक श्रेणी के गृहस्थ होते हैं। साधुओं की भी पाँच कोटियाँ हैं—उनके नाम हैं—१. खालसा, २. नागा, ३. उत्तराडी, ४. विरक्त और ५. खाकी। प्रथम कोटि के खालसा साधुओं का मूल नारायणा है, जो कि राजस्थान में अधिक होते हैं। नागा साधु एक प्रकार के सैनिक होते थे और जयपुर दरबार की सीमाओं की रक्षा

म तत्पर होते थे। दरबार की आर से उन्हें ... । पाल । ... । य
नामा साधु सन्त सुन्दरदास की परम्परा में हुए। उत्तराड़ी साधु सन्त बनवारी-
दास की परम्परा में हुए, जिनका मूल-स्थान पंजाब था। ये साधु विद्वान् तथा
सिद्धहस्त वैद्य हुआ करते थे। विरक्त साधुओं का कोई एक स्थान नहीं होता
था। वे भी विद्वान् होते थे और अध्ययन-अध्यापन एवं शास्त्र-चिन्तन में
जीवन व्यतीत करते थे। अन्तिम छाकी साधु भग्नावलेपन करते थे और तप
तथा साधना में एकान्त जीवन बिताते थे।

प्रथम तीन श्रेणी के साधु जो व्यवसाय चाहे, कर सकते थे। किन्तु
'विरक्त' तथा 'खाकी' साधुओं का कोई पेसा नहीं होता था और न वे द्रव्य
छूते थे।

दादू पन्थी सन्तों में निश्चलदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
वे कवि भी थे और प्रौढ दार्शनिक भी। उन्होंने दादू पन्थ का अद्वैतवादी
दार्शनिक मत का विस्तार से प्रतिपादन किया। इसी प्रकार सन्त रज्जवदास
ने लोकप्रिय उपदेशात्मक भजनों को लिख कर दादू पन्थ का व्यापक प्रचार-
प्रसार किया।

दादू पन्थ का अधिकतर साहित्य हस्तलेखों के रूप में विभिन्न हस्तलेख-
सग्रहों में पड़ा हुआ है। अब तक उसका जितना साहित्य प्रकाश में आया है,
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक वह अप्रकाशितावस्था में है। यह साहित्य न केवल
धार्मिक दृष्टि से, अपितु दार्शनिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

सिद्धान्त-निरूपण

सन्त दादूदयाल ने जिस भक्तिमार्ग की 'ब्रह्म सम्प्रदाय' के नाम से स्थापना
की थी, उसको 'दादू पन्थ' के नाम से कहा गया। उनकी साधना-पद्धति सन्त
कबीर के अनुरूप थी और इसीलिए 'दादू पन्थ' को 'कबीर पन्थ' की ही
एक शाखा कहा जाता है। कबीर की अपेक्षा दादू ने अपनी वाणियों में खण्डन-
मण्डन की पद्धति न अपना कर सहजमार्ग का अनुसरण किया। उनकी साधना-
पद्धति में सगुण-निर्गुण का अद्भुत समन्वय है। इसलिए समाज में सगुण निर्गुण
की अनुयायी बहु-संख्यक जनता पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने
भगवान् के प्रति एकान्तिक आत्मसमर्पण को अधिक बल दिया। भगवान् की
सेवा और सुमिरण के द्वारा ही आत्मसमर्पण किया जा सकता है। उनके
'सबदों' में ससार की निःसारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। पवित्र
जीवन बिताने और जन-मानस के प्रति करुणा, दया तथा उदारता का व्यवहार
करना उनके उपदेशों की विशेषता है। उनके विचार सार्वभौम थे। सबके

प्रति समान भाव अपनाते भ ही उन्होंने धार्मिक जीवन का सदुद्देश्य बताया है। उनकी वाणी में हिन्दू मुस्लिम एकता तथा सद्भाव स्थापित करनेवाली सार्वजनीन भावना विद्यमान है। यद्यपि कबीर आदि सन्तो ने भी जाति, वर्ण, धर्म की एकता पर बल दिया है, किन्तु दादू ने जिस सहज प्रेममय मार्ग का प्रवर्तन किया, वह उनके पन्थ एव मत की विशेषता है।

इस प्रकार सन्त दादूदयाल ने जन सामान्य में धर्म की चेतना जागृत करके और समाज के सभी वर्गों में एकता की भावना स्थापित करने में जो योगदान किया, वह अविस्मरणीय है। उनकी वाणियों में माधुर्य के साथ-साथ सहजता और भक्ति के प्रेममय स्वरूप का हृदयग्राही वर्णन हुआ है और इसलिए आज भी समाज में उनकी उपादेयता पूर्ववत् बनी हुई है।



प्रणामी पन्थ

भारत में उत्तर-मध्य युग के धार्मिक पन्थों में 'प्रणामी पन्थ' का भी एक महत्त्वपूर्ण नाम है। विद्वानों ने इस मत या पन्थ को अनेक नामों से कहा है, यथा—प्रणामी, परनामी, परिणामी, निजानन्दी, धामी, मेहराज, चाकला, खिजडा और प्राणनाथी आदि। इस पन्थ को सैद्धान्तिक रूप देने और उसे जन-भावना के अनुरूप ग्राह्य बनाकर उसका प्रचार-प्रसार करने का श्रेय स्वामी प्राणनाथ को है। उस धर्मशाखा के प्रमुख केन्द्र नौतनपुरी (जामनगर), मागलपुरी (सूरत) और पन्ना (मध्यप्रदेश) रहे हैं। स्वामी प्राणनाथ के गुरु का नाम देवचन्द था और वेसुत प्रणामी पन्थ के संस्थापक भी वही थे।

सम्प्रदाय के ग्रन्थों में गुरु देवचन्द के जन्म धारण करने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की अलौकिक धारणाएँ प्रकट की गई हैं (प्राणनाथ कुलजन्म-स्वरूप, प्रकाश प्र० ३७, चौ० ६१)। उनका जन्म १६५८ वि० को अमरकोट गाँव (सूरत) में हुआ था। जाति के वे कायस्थ थे। उनके पिता का नाम मत्तु मेहता तथा माता का नाम कुँवरबाई था। उनकी पत्नी का नाम लीलाबाई था।

बाल्यकाल में ही देवचन्द के हृदय में भक्ति का उदय हो चुका था और भगवत् प्राप्ति की उत्कट उत्कण्ठा से वे घर छोड़कर देशाटन को निकल चुके थे। वे पहले कच्छ गये और वहाँ उन्होंने प्रचलित धर्मपन्थों तथा धर्माचार्यों का संस्मरण किया। किन्तु उनकी जिज्ञासा पूरी न हुई। वे सन्यासी बन गये और कुछ समय तक उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। तत्पश्चात् वे भुज तथा जामनगर के मन्दिरों में गये। वहाँ जप-स्तप में मन लगाने पर भी वे अपनी मानसिक उलझन का समाधान न कर पाये। उनके दीक्षा गुरु 'विष्णु सम्प्रदाय' के अनुयायी हरिदास थे। उन्हीं से उन्होंने श्रीकृष्ण की उपासना का उपदेश ग्रहण किया। उन्होंने विशेष रूप से 'भागवत' का अध्ययन किया और साथ ही अनेक शास्त्रों का तत्त्व ग्रहण किया। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् वे अपने नये नाम स्वामी निजानन्द से प्रसिद्ध हुए।

गुरु देवचन्द के प्रथम शिष्य गांग हुए, जिन्होंने स्वामी प्राणनाथ को उनसे मिलाया। जामनगर में १६७५ वि० को गुरु देवचन्द की भेंट स्वामी प्राणनाथ से हुई।

स्वामी प्राणनाथ विलक्षण प्रतिभा के सन्त थे। सम्प्रदाय के ग्रन्थों में उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। इस सम्प्रदाय के लगभग सबहू 'बीजक' ग्रन्थ हैं, जिनमें स्वामीजी का पद्यबद्ध जीवन चरित उल्लिखित है। इन 'बीजक' ग्रन्थों का अनुशीलन करने पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पन्ना (मध्यप्रदेश) में उनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि वे काठियावाड़ (जामनगर) के मूल निवासी थे। स्वामीजी के शिष्य स्वामी लालदास ने उन्हें सौराष्ट्र (गुजरात) स्थित हलार जनपद के जामनगर नामक स्थान का मूल निवासी बताया है (बीजक, प्र० ११, छा० ३६)। जामनगर का एक नाम नूतनपुरी भी था। वर्तमान जामनगर के प्रणामी मन्दिर नूतनपुरी में उनका जन्म धारण करना बताया जाता है। किन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीजक में तरह-तरह की मामूली विखरी हुई है और उनके आघार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच पाना दुस्तर कार्य है। डा० पीताम्बर दत्त बडयवाल ने बीजक की सामग्री का विस्तार से विश्लेषण किया है और यह मन्तव्य व्यक्त किया है—स्वामी प्राणनाथ का जन्म जामनगर में आश्विन शुक्ल १४, रविवार १६७५ वि० (७ अक्टूबर, १६१८ ई०) को हुआ था (हिन्दी वाक्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० १३३, डा० रामदुमार गुप्त हिन्दी साहित्य की गुजरात के सन्त कवियों की देन, पृ० ४१ आदि)।

लालवशीम ठक्कर (क्षत्रिय) परिवार में स्वामी प्राणनाथ का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम केशवराय और माता का नाम घनवाई था। उनके पिता जामनगर के राजा सत्ताजी के दरबार से सम्बन्धित थे। सम्भवतः उनके दीवान थे। जाम सत्ताजी का शासन-काल १५६९-१६०८ ई० (१६२५-१६६२ वि०) था। उनकी दो पत्नियाँ थीं, जिसमें पहली पत्नी का नाम फूलवाई और दूसरी का नाम तेजवाई था।

स्वामीजी का पितृ प्रदत्त बाल नाम मिहिरराज या मेहराज था। 'मिहिर' यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ सूर्य होता है। इस सम्प्रदाय के ग्रन्थों में, (यथा मुरलीदास घामी धर्म अभियान, पृ० १०) ज्योतिषियों की एक भविष्यवाणी के आघार पर ब्रह्मा गया है कि बड़ा होकर बालक मिहिरराज सूर्य के समान ओजस्वी होगा। इस दृष्टि में उनके मिहिरराज नाम की सार्थकता सिद्ध होती है, क्योंकि उनका भावी जीवन वस्तुतः एक दिव्य ज्योति के समान प्रकाशित हुआ।

प्राणनाथजी के माता-पिता राधावल्लभ मत के थे। अतः बाल्यकाल में ही उन पर धार्मिक वातावरण का प्रभाव पड़ा। बड़े होकर जाम सत्ताजी

के राज दरवार से भी सम्भवतः उनका सम्बन्ध रहा। गुरु देवचन्दजी के सत्संग के कारण उनके मन में त्याग तथा वैराग्य की भावना प्रबल होती गई। देवचन्दजी के प्रभाव से मिहिरराज ने सुख-सम्पन्नता के जीवन को त्याग कर वैराग्य तथा ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाया। गृहस्थ से गृहत्याग की प्रवृत्ति के मूल में उनके वे बाल्यकालीन धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी कारण थी, जो कि उनके धर्म-प्राण एव भगवद्भक्त माता पिता से प्राप्त हुई थी। उन्होंने विधिवत् देवचन्दजी से दीक्षा ग्रहण की और प्राणनाथ, इस नये नाम से कहे जाने लगे।

देवचन्द और प्राणनाथ ने मिलकर देश की तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर एक ऐसे भक्तिमार्ग का सृजन किया, जिसमें वैष्णव धर्म तथा इस्लाम धर्म, दोनों के उच्च विचारों का समन्वय था। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, १७१२ वि० (५ सितम्बर, १६५५ ई०) को गुरु देवचन्दजी (निजानन्दजी) ने स्वामी प्राणनाथ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

गुरु देवचन्दजी के शरीर-त्याग के बाद उनके उत्तराधिकार को उनके पुत्र बिहारीजी और प्राणनाथजी ने संभाला। बिहारीजी ने भी उनसे विधिवत् शिष्यत्व ग्रहण किया था। बिहारीजी को जामनगर की गद्दी सौंप कर प्राणनाथजी स्वयं सम्प्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। समस्त काठियावाड़ तथा गुजरात में शीघ्र ही उनके विचारों का प्रचार हो गया। वे पहले दिल्ली और तदनन्तर मध्यप्रदेश गये और अपनी विद्वत्ता, प्रतिभा तथा धर्मवृत्ति से उन्होंने तत्कालीन प्रचलित धर्म सम्प्रदायों में अपने सम्प्रदाय के नाम को प्रतिष्ठित किया।

धर्म प्रचार के लिए उन्होंने अन्य भी अनेक स्थानों का भ्रमण किया। उस समय प्रसिद्ध धर्मप्रिय व्यक्ति मुल्तान इमाम से मिलने के लिए और मुस्लिम धर्म तथा सस्कृति का मौलिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वामीजी बगदाद तथा बसरा गये। उनके इस्लाम धर्म सम्बन्धी ज्ञान तथा विचारों से मुल्तान बड़े प्रभावित हुए। कहा जाता है कि अपने 'किरस्तान' ग्रन्थ का अधिकतर निर्माण उन्होंने अपनी इमी अरब यात्रा के समय किया था।

भारत वापस आकर उन्होंने अन्यान्य धर्म-सम्प्रदाय के आचार्यों से धर्म-चर्चाएँ कीं। वे एक प्रौढ़ एव तार्किक विद्वान् के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। अपने मत के सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उनका अनेक धर्माचार्यों से गभीर वाद-विवाद एव शास्त्रार्थ हुए। धार्मिक ग्रन्थों से विदित होता है कि स्वामी प्राणनाथजी का हरिजी व्यास से गभीर शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की (ब्रजभूषण वृत्तान्त मुक्तावली, प्र० ४३,

चौ० २३, ५३) चिन्तामणि नामक 'कबीरपन्थी' महन्त से भी उनका वाद-विवाद हुआ था। उस समय के बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों से उनका निरन्तर वाद-विवाद होता रहा। गुरुपुत्र बिहारीजी से भी उनका मतभेद हो गया था। बिहारीजी चाहते थे कि उनका धर्म-पन्थ विरोध तथा आलोचना की अपेक्षा समन्वयात्मक अधिक हो। स्वामीजी की तर्कबुद्धि से वे असहमत थे और उसके फलस्वरूप दोनों गुरु-भाइयों में लम्बे समय तक पारस्परिक मतभेद बना रहा। बिहारीजी के सकीर्ण तथा रुढ़िवादी विचार स्वामीजी को पसन्द नहीं थे।

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव

स्वामी प्राणनाथ ने जिस समन्वयात्मक धर्म-मार्ग का प्रवर्तन किया, वस्तुतः वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। वह एक ऐसा समय था, जब कि हिन्दुत्व की रक्षा के लिए एक ऐसे धर्म-मार्ग की आवश्यकता थी, जो कि हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता की भावना का प्रतिनिधित्व करे। स्वामीजी के समय देश की धार्मिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। हिन्दुत्व के उन्मूलन के लिए तत्कालीन मुगल शाहशाह औरंगजेब ने देशव्यापी आन्दोलन छेड़ा हुआ था। औरंगजेब की इस हिन्दू-विरोधी नीति ने हिन्दुओं के धार्मिक आचार्यों तथा राजाओं की शक्ति-सचय तथा सगठन की भावना को उत्प्रेरित करने के लिए विवश किया। आत्मरक्षा के लिए वे एक मंच पर आने के लिए बाध्य हुए।

हिन्दुओं के प्रति साम्प्रदायिक असद्भाव का वातावरण वस्तुतः शाहशाह शाहजहाँ के शासनकाल में ही आरम्भ हो चुका था। यद्यपि शाहजहाँ में औरंगजेब जैसी कट्टर धर्मान्धता नहीं थी, तथापि उसने गुजरात, उत्तर प्रदेश और काश्मीर में अपनी अतिवादी नीतियों से भय का वातावरण फैला दिया था। उसने हिन्दू मन्दिरों को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया था और यह ऐलान कर दिया था कि हिन्दू जनता इस्लाम को स्वीकार करे (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग ४, पृ० २१७, मुगल गवर्नमेंट एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १६५, १७९ आदि)। इतिहास की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि अपने पिता तथा पितामह की अपेक्षा शाहजहाँ ने धार्मिक सहिष्णुता को कमरी थी, अन्तिक जीवन ने अन्तिक दिनों में वह धार्मिक सकीर्णता में प्रवृत्त हो गया था।

औरंगजेब के शासक होते ही देशव्यापी धार्मिक असहिष्णुता वा उदय हुआ। उसने खुलकर हिन्दू मन्दिरों, धर्माचार्यों और शास्त्रों के विह्वल घना

का प्रचार-प्रसार किया। ज्ञान के क्षेत्र में हिन्दुओं की जो परम्परागत ख्याति एवं अभिरुचि थी, उसके प्रति भी उनमें ईर्ष्या के भाव व्यक्त किये। उसने हिन्दू मन्दिरों तथा विद्यापीठों के साथ ही ज्ञान के भण्डार पुस्तकालयों को भी नष्ट-भ्रष्ट करवाया। सर्वप्रथम उसने हिन्दुओं के प्रमुख धर्म-तीर्थ काशी को अपना लक्ष्य बनाया। १६६९ ई० में उसने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ और गोपीनाथ मन्दिरों और १६७० ई० में मथुरा के विख्यात केशवराय मन्दिर को ध्वस्त किया। केशवराय मन्दिर की मूर्तियों को उठवाकर उसने आगरा मंगवाया और उन्हें जहाँनारा मस्जिद की सीढ़ियों पर चुनवा दिया, जिससे कि उन्हें पैरों से रोदा जा सके (सर यदुनाथ सरकार औरगजेब, पृ० ६-१०)। उसने हिन्दुत्व का प्रबल समर्थक राजस्थान को विशेष रूप से अपनी क्रूर नीतियों का लक्ष्य बनाया। मेवाड़ के लगभग ढाई सौ मन्दिरों, जिनमें उदयपुर, जयपुर और चित्तौड़ के विशाल मन्दिरों का नाम उल्लेखनीय है, ध्वस्त एवं नष्ट करा दिया। द्वारिका तथा अहमदाबाद के मन्दिरों को भी अपनी क्रूरता का लक्ष्य बनाया। प्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिर को उसने कई बार ध्वस्त किया। हिन्दुओं के प्रति उसका सबसे निन्दनीय तथा क्रूर कार्य था, हिन्दुओं के धार्मिक उत्सवों तथा मन्दिर-निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाना। यह घटना १६६५ ई० की है। उसके बाद १२ अप्रैल, १६७९ ई० को उसने हिन्दुओं पर 'अनिया कर' लगाया और उसे बढ़ाने करने पर हिन्दुओं को मुसलमान बना दिया। हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का उसने विशेष रूप से व्यापक अभियान चलाया।

औरगजेब की इस धर्मद्रोही कूटनीति से समस्त हिन्दू समाज में भय तथा अरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। गारा हिन्दू समाज अपने को निराश्रित अनुभव करने लगा और प्रत्येक हिन्दू परिवार अपनी सुरक्षा तथा मर्यादा की रक्षा के लिए चिन्तित हो उठा। किन्तु औरगजेब के इस घोर अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जहाँ एक ओर जयसिंह तथा शिवाजी जैसे हिन्दू सपूतों ने स्वयं को सर्वस्व बलिदान करने की प्रतिज्ञा की, वही दूसरी ओर तत्कालीन धर्मप्राण सन्तों, महात्माओं, फकीरों और सिद्ध महापुरुषों ने धार्मिक समन्वय का देशव्यापी तीव्र अभियान चलाया।

इस धार्मिक अभियान में जिन हिन्दू तथा हिन्दू-इतर सन्तों, महात्माओं तथा फकीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें स्वामी प्राणनाथ का नाम अग्रणी है। उन्होंने एक ऐसे उदार एवं सहिष्णु धर्मपन्थ का निर्माण किया, जिस पर चलने के लिए हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अन्यान्य धर्मानुयायियों का स्वागत किया। उन्होंने राम-रहीम की एकता पर बल दिया और

तत्कालीन मुगल शाहशाह औरगजेव द्वारा व्याप्त धर्मान्धता के आतक को शान्त करने के लिए हिन्दुओं तथा मुसलमानों में एकता स्थापित करने का सराहनीय प्रयत्न किया। स्वामीजी ने हिन्दुओं के वेद, उपनिषद्, 'गीता', 'भागवत', मुसलमानों के 'कुरान', ईसाइयों के 'इजील', यहूदियों के 'जम्बूर', और दाऊद पैगम्बर के 'तौरत' आदि धर्म-ग्रन्थों से मानव मंगलकारी धर्माज्ञाओं का सार लेकर उन्हें समाज में प्रचलित किया। इस कारण मुसलमान उन्हें मेहदी, ईसाई मसीहा और हिन्दू कल्कि अवतार मानते थे। सर्व-धर्म-समन्वय उनका लक्ष्य था। मत्ता के स्वार्थों की रक्षा के लिए जिन धर्मान्ध शासकों ने स्वार्थसिद्धिबल धर्म की आड़ में समाज को द्रोह, वैमनस्य तथा असद्भाव के कोहरे में भ्रमित कर दिया था, उनमें पारस्परिक वैर-विरोध उत्पन्न कर दिया था, उनके समाधान तथा उनकी एकता के लिए स्वामीजी ने धर्म के सार्वभौम स्वरूप को प्रस्तुत किया।

देश में धर्म के नाम पर जो घोर अर्थात्मिक सघर्ष छिड़ा हुआ था और जिसके लिए एकमात्र उत्तरदायी शाहशाह औरगजेव था, स्वामीजी ने दिल्ली जाकर उससे सीधे बात-चीत का निश्चय किया। अपने लगभग २५० अनुयायियों के साथ स्वामीजी १७२५ वि० (१६७८ ई०) को दिल्ली पहुँचे। वहाँ लम्बे समय तक स्थान-स्थान पर सत्संग स्थापित करते उन्होंने लोगों को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाया। उन्होंने शाहशाह से भेंट करने के उद्देश्य से उन्हें एक पत्र लिखा।

इसी बीच हरिद्वार में कुम्भ पर्व का समय आ गया। वे उसमें सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार चले गये। वहाँ उन्होंने समस्त देश से आये हुए धर्मवेत्ताओं की सभाओं में अपने उदार विचारों की शास्त्र-समस्त व्याख्या की। स्वामीजी ने पुराणों तथा उपनिषदों को आधार मानकर ब्रह्मतत्त्व पर अपने विचार प्रस्तुत किये। उनकी विद्वत्ता, शास्त्रज्ञान की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर विद्वत्समाज ने सर्व-समति से स्वामीजी को 'विजयाभि-नन्द निष्कलक बुद्ध' की उपाधि से सम्मानित किया।

कुम्भ पर्व की समाप्ति पर पुन दिल्ली लौट आये। उन्होंने शेर बंदल की सहायता से और विद्वान् मौज्जियों का सत्संग कर 'कुरान' का अध्ययन किया और 'कुरान' के आधार पर हिन्दी में कुछ सनदें लिखीं। तदनन्तर कायम नामक एक मौलवी से उन सनदों का फारसी में अनुवाद कराके उन्हें बादशाह के पास भेजा। बादशाह को प्रभावित करने और धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के उद्देश्य से उन्होंने अनेक प्रयास किये। किन्तु उनका कोई प्रभाव बादशाह पर न पड़ा। अन्त में प्राणों को सकट

मे डालकर वे निर्भय होकर जुमा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गये और ऊँचे स्वर में 'कुरान' की स्वरचित सनदो को गाने लगे। बादशाह तक परियाद पहुँचाने के अपने प्रयासों को उगहोने जारी रखा। किन्तु परिणाम विपरीत ही हुआ। एक दिन बादशाह के काजियों ने स्वामीजी सहित उनके १२ अनुयायियों को कारागार में बन्द कर दिया। कुछ समय बाद वे कारागार से मुक्त हुए।

बादशाह औरगजेब की कट्टर अमहिष्णुता और हिन्दू धर्म के प्रति उसकी कुनीति में किसी प्रकार की आशा से निरास होकर स्वामीजी ने हिन्दू राजाओं को संगठित करने का अभियान चलाया। अपने ५००० अनुयायियों को लेकर वे १७३९ वि० (१६८३ ई०) को बुन्देला वीर छत्रसाल को मिलने के लिए पन्ना (म० प्र०) आये। बुन्देलखण्ड के व्यापक क्षेत्र में छत्रसाल ने अपने असामाजिक कार्यों से आतक मचाया हुआ था। स्वामीजी के सदुपदेशों से वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने अपनी कुप्रवृत्तियों का परित्याग कर दिया। उसने उनके धर्म-मांगों को स्वीकार कर लिया।

उधर बादशाह औरगजेब से मिलने के लिए स्वामीजी ने अपने प्रयासों को निरन्तर जारी रखा। उन्होंने अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से बादशाह को आतंकित कर दिया। बादशाह ने अन्त में स्वामीजी की महानता को स्वीकार किया और उन्हें दरबार में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की। स्वामीजी दरबार में गये और अपने वातालाप में उन्होंने बादशाह को प्रभावित किया। स्वामी प्राणनाथ के जीवन का यह सर्वाधिक स्मरणीय कार्य है कि उन्होंने अपने सदुपदेशों से औरगजेब के कठोर हृदय को धर्म की ज्योति से आलोकित करने में सफलता प्राप्त की।

आजीवन धार्मिक सधर्म में जूझते रहने और हिन्दुत्व की रक्षा करने तथा समाज को धर्म की वास्तविकता का सन्देश देते हुए स्वामीजी अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। जीवन के अन्तिम दिनों में वे नितान्त एकान्तवासी ही गये थे। धर्म-मार्ग का सारा दायित्व उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्यों स्वामी कस्तूरदास और स्वामी केशोदास को सौंप दिया था।

परम्परा का प्रवर्तन

स्वामीजी का निधन पन्ना में श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, १७५१ वि० (१६९४ ई०) में हुआ (डॉ० नरेश पाण्ड्या : प्राणनाथ सम्प्रदाय एवं साहित्य, पृ० ५६-५७)। उनके निधन के बाद स्वामी केशोदास ने सम्प्रदाय

के पूज्य ग्रन्थ का प्रामाणिक सबलन तैयार किया। स्वामीजी के अनेक शिष्य प्रशिष्यो ने उनके कल्याणकारी धर्म के सदुपदेश नेपाल, दार्जिलिंग, सिलीगुडी, काशी प्रयाग, बधेलखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार और पंजाब आदि सुदूर अंचलो में प्रचारित-प्रसारित किये। इन शिष्य-प्रशिष्यो के नाम थे— नवरग स्वामी, ब्रजभूषण, बहरी हमराज, लल्लूजी महाराज (लालसती), महाराज छत्रसाल, पंचमसिंह, भट्टाचार्य, मुकुन्द स्वामी, जुगलदाम, चेतनदास, जीवन मस्ताना, गोपालदास, मोहनदास और ज्ञानदास आदि।

इस सम्प्रदाय की उन्नत परम्परा लगभग १८वीं शती तक बनी रही। आज भी पन्ना में इस सम्प्रदाय के भक्त निवास करते हैं, किन्तु वर्तमान में सामान्यतः धर्म की परम्परा शिथिल पड़ गई।

साहित्य निर्माण

आजीवन धर्म के कार्य में व्यस्त रहते हुए भी स्वामीजी ने सम्प्रदाय सम्बन्धी साहित्य के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया। सखी सम्प्रदाय से संबद्ध होने के कारण स्वामीजी ने इन्द्रामति तथा महामति, इन दो स्त्रीवाचक नामों से भी ग्रन्थ-निर्माण किया। विद्वानों का अभिमत है कि उन्होंने अपनी आरम्भिक रचनाएँ प्राणनाथ (प्राणनो नाथ), मध्यकालीन रचनाएँ इन्द्रामति के नाम से और अन्त की रचनाएँ महामति के नाम से की (डा० नरेश पाण्ड्या प्राणनाथ सम्प्रदाय एवं साहित्य, पृ० ११-१२)। स्वामीजी की १६ रचनाओं का विद्वानों ने पता लगाया है, जिनके नाम हैं— १ 'रास', २ 'प्रकाश' (गुजराती), ३. 'पद्मस्तु', ४. 'बलस' (गुजराती), ५. 'प्रकाश', ६ 'बलस', ७. 'सनन्ध', ८. 'किरन्तन', ९ 'पुलासा', १०. 'पिलवत', ११. 'परकरमा', १२ 'सागर', १३. 'सिनगार', १४. 'सिन्धी', १५ मारफतसागर' और १६. 'बधामतनामा'। मध्यप्रदेश स्थित पन्ना नामक एक छोटे-से नगर में स्वामी प्राणनाथ का एक विशाल मन्दिर है, जहाँ उनकी वाणियाँ हस्तलेखों के रूप में सुरक्षित हैं।

सिद्धान्त-निरूपण

स्वामीजी वेदान्त के प्रकाण्ड विद्वान् थे, जो उनकी रचनाओं से ज्ञात होता है। उनके मत के अनुसार ईश्वर निराकार है। उसे भूतिपूजा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वामीजी ने अपने धार्मिक सिद्धान्तों को 'कुलज्जम' के नाम से प्रचारित किया। उनके इस मत का सग्रह-ग्रन्थ 'कुलज्जम-स्वरूप' है, जो कि १८वीं शती में निबद्ध किया गया। उनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि समस्त प्रचलित धर्म-दर्शन 'कुलज्जम मत' में समाहित हो

जाते हैं। स्वामीजी ने घोषित किया— मैं ईश्वरमो का मसीहा मुसलमानों का महदो और हिन्दुओं का निष्परायवावतार हूँ।

प्रणामी सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों के मुख्य आधार भगवद्गीता' और 'भागवत' रहे हैं। भगवद्गीता' में ब्रह्म के शर, अक्षर और अक्षरातीत, तीन रूप माने गये हैं। शर अर्थात् नरवर, अक्षर अर्थात् नित्य अविनाशी और अक्षरातीत अर्थात् परात्पर नित्य अलच्छ। इन तीनों तत्वों के द्वारा ब्रह्म जीवात्मक, ईश्वरीय तथा ब्रह्मात्मक विधा सृष्टि है। जो परात्पर अक्षरातीत ब्रह्मस्वरूप है वही प्रणामी सम्प्रदाय का आराध्य है। उसी को 'श्रीराज' कहा गया है और उसी से शर तथा अक्षर प्रवासित है। सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म को यहाँ 'स्वतीर्याङ्गित' कहा गया है। 'इस सुवर्ण के समान प्रकाशित स्वेच्छा से लीला करनेवाले और जगत् के कारणभूत अक्षरातीत परब्रह्म को जो विद्वान् जान लेता है, वह शीघ्र सुख-दुःखों का परित्याग कर सच्चिदानन्द परब्रह्म में लीन होकर परम शांति को प्राप्त करता है' (गिण्यार्थ-प्रदीप, पृ० ४६)। यही सच्चिदानन्द ब्रह्म इस जगत् में प्रतिबिम्बित है। जगत् में वह अपनी दस भूमिकाओं (लीलाओं द्वारा प्रतिबिम्बित है (कुलज-मस्वरूप, प्र० ३७, श्लो० २)।

प्रणामी सम्प्रदाय में कृष्ण के तीन स्वरूप माने गये हैं—वासुदेव कृष्ण, विष्णुस्वरूप द्वारिकाधीश और ब्रजविहारी नन्दनन्दन। इन तीनों रूपों में वे अपनी तीन लीलाओं द्वारा प्रतिभासित हैं। वे तीनों लीलाएँ हैं—वास्तवी, व्यावहारी और आध्यात्मिकी। अन्य भक्तों की भाँति इस सम्प्रदाय के अनुयायियों ने भगवान् को पतितोद्धारक माना है और विभिन्न भावों का आश्रय लेकर अपने उद्धार के लिए भगवान् का अनुग्रह प्राप्त करने का निवेदन किया है।

इस सम्प्रदाय के अनुयायी सुलसी मात्र धारण करते हैं और वैष्णवों की भाँति सड़ी तिलक रचना करने की प्रथा में कुबुध की विन्दी लगते हैं।

राधास्वामी मत

भारत के मध्ययुगीन धार्मिक पन्था में राधास्वामी मत का भी अपना एक प्रतिष्ठित स्थान है। इस धार्मिक पन्थ के सस्थापक राधारवामी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, १८७५ वि० (१८१८ ई०) में मुहल्ला गजी गली, कानपुर में हुआ था। उनका पैतृक नाम लाला शिवदयाल सिंह साहब था। वे जाति के खत्री तथा सद्गृहस्थ थे और अध्यापन कार्य से आजीविका चलाते थे। अपने घर पर बैठ कर ही वे निरन्तर १५ वर्षों तक 'सुरति शब्द योग' का योगाभ्यास करते रहे। वे चिन्तनशील और एकान्तवास के अभ्यासी थे। योगसाधना में निदिष्ट प्राप्त कर उन्होंने १८६० ई० को वसन्त पंचमी की तिथि से अपने घर ही सत्सग तथा धर्मवर्चा करनी आरम्भ की। उनके सदुपदेशों से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके भक्त हो गये और उन्हें गुरु, स्वामी या महाराज कहकर पुकारने लगे। जीवन के लगभग १७ वर्षों तक उन्होंने देश के विभिन्न अंचलों में जाकर सत्सग का लाभ प्राप्त किया। उनकी अद्वैत धार्मिक निष्ठा से जनता में उनका प्रभाव निरन्तर बढ़ता ही गया और विशेष रूप से गृहस्थ समाज उनके सत्सग में योगसाधना तथा चिन्तन के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते गये। भक्तजनो के भजन-कीर्तन के लिए उन्होंने 'सारवचन' नाम से एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे कि आज भी राधास्वामी मत का एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। भक्ति में लीन भगवदाराधन करते हुए १९३५ वि० (१८७८ ई०) को आपाठ कृष्ण प्रतिपदा को उन्होंने समाधि ग्रहण की। उनकी समाधि आज भी आगरा के स्वामी बाग में वर्तमान है, जो कि राधास्वामी सम्प्रदाय के भक्तजनो का एकमात्र तीर्थ है।

स्वामीजी के बाद उनके द्वारा सस्थापित इस धर्म-मार्ग का प्रवर्तन उनके उत्तराधिकारियों ने किया। उनके उत्तराधिकारी राय शालग्राम सिंह हुए, जिन्हें कि 'गुरु शंभू साहब' के नाम से कहा जाता था। वे भी एक सद्गृहस्थ थे और ऐसे प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने पोस्टमास्टर जनरल का उच्च पद प्राप्त किया था। उन्होंने ही परम गुरु स्वामी महाराज का राधा-स्वामी नामकरण किया और तभी से उनके नाम से इस धर्मशाखा को 'राधास्वामी मत' से कहा जाने लगा। एक भक्तजन के रूप में उन्होंने जीवन-यापन किया और गुरु द्वारा प्रवर्तित धर्ममार्ग को प्रशस्त किया। इस मत पर उन्होंने लगभग ११ ग्रन्थों की रचना की। तीस वर्ष तक वे गुरुपद पर बने रहे। ६ दिसम्बर १८९५ ई० को वे परलोकवासी हुए। उनके गुरुभार्द, अर्थात् राधास्वामी दयालु के शिष्य बाबा जयमंगल सिंह, बाबा

बाबा सिंह और बाबा गरीबदास हुए। इन तीनों ने राधास्वामी मत की तीन अलग अलग गढ़ियाँ या मठों की स्थापना की। बाबा जयमंगल सिंह ने ध्यास (पनास) में बाबा बाबा सिंह ने राधास्वामी में और बाबा गरीबदास ने दिल्ली में तीन गढ़ियाँ की स्थापना की। ये तीनों मठ इन तीनों गढ़ियाँ के प्रथम गढ़न थे। इन तीनों गढ़ियाँ की परम्परा भी आगे बढ़ती गई। अब तक इस मत की गणत गढ़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं। प्रथम गढ़ी आगरा के दयालबाग में है।

आगरा की प्रमुख गढ़ी के उत्तराधिकारी हज़ूर महाराज सालिग्राम के बाद श्रीब्रह्मचर मिश्र तीसरे गुरु हुए जो कि महाराज नाम से कहे जाते थे। इस परम्परा में आगे भी अनेक उत्तराधिकारी गुरु हुए। उनमें काता-प्रसाद सिंह (उपनाम सरकार गार्ह्य) उत्तराधिकारी बने। उनके पश्चात् आठवें गुरु सर आनन्दरथ हुए, जिनको 'गार्ह्यजी' के नाम से कहा जाता था। उन्हीं आगरा के चिन्ट दयाल बाग में एक भव्य मठ की स्थापना की थी, जहाँ आज भी निरन्तर पाठ और सारसंग होता है।

राधास्वामी मत की अपनी यह विशेषता रही है कि उसकी गुरु परम्परा में सभी गृहस्थ हुए जिन्होंने सारसंग आयोजित कर ध्यास तथा भिन्नता द्वारा आत्मोन्नति तथा भगवद्भक्ति का प्रसार प्रसार किया।

सिद्धान्त निरूपण

राधास्वामी मत मुख्यतः योगसाधना का है। यद्यपि सद्गुरु के रूप में स्वामीजी की पूजा तथा ध्यास भिन्नता का नियम है तथापि उनका स्थापन परमासीत है। यस्तुतः इस मत की त्रिभुज साधना का ही एक अंग माना जा सकता है। उगने योग विज्ञान ध्यास के चार अंग हैं—सद्गुरु, सन्नाम, सारसंग और अनुराग। इस मत में सीध, सत मन्दिर प्रतिपूजा, जप, तप, नर्म-बाण्ड और वर्णाश्रम आदि को कोई मायता नहीं दी गई है।

इस सम्प्रदाय के अपने नियम और सिद्धान्त हैं। उगने परमात्मा को सर्वोन्नतिमान्, सर्वज्ञ आनन्दरथ और भैरव माना गया है। 'ध्यास' उनकी मूल शक्ति है जो कि उलट कर राधा उच्चारण में परिवर्तित हो जाती है। राधास्वामी उग सर्वोन्नतिमान् परमात्मा का नाम है जो कि श्रीकृष्ण से भी अतीत है और निगने द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। संसार में जय अधर्म, अत्याचार और अन्याय होता है तब परमात्मा स्वयं अवतार का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होता है और धर्म, आचार तथा न्याय की स्थापना कर लोग की श्रद्धा करता है। जीव की भुक्ति मुक्ति का एक ही मार्ग या साधन है—योगसाधना द्वारा राधास्वामी का सामीप्य प्राप्त करना। राधास्वामी परब्रह्म है और जीवतमा उनका अंश। साधना द्वारा जीवतमा को आदिकर्ता (स्वामी) की उपलब्धि होती है।

इस मत में मुक्ति के तीन साधन बनाये गये हैं—राधास्वामी का नाम-स्मरण, राधास्वामी स्वरूप दर्शन और आत्मधारा शब्द का निरन्तर चिन्तन। प्रथमावस्था में साधक के मन में सासारिक विषयों की प्रधानता रहती है, जिन पर निरन्तर नामस्मरण से विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरी अवस्था में धार्मिक विषयों की प्रधानता रहती है, जिसमें गुरु-सत्सग का विधान किया गया है। तीसरी अवस्था में शुद्ध तत्त्व की अनुभूति होती है, जिसके लिए गुरु-उपदेश श्रवण करना, गुरु चरणों में नत होना, उनके वस्त्र, जूठन तथा पादारभ्य को पवित्र मान कर ग्रहण करना और उनके प्रसाद को पवित्रता से प्राप्त करना बताया गया है। इस तीसरी अवस्था में गुरु की दृष्टि में अपनी दृष्टि को निहित करना और भक्तिपूर्वक आत्मशक्ति को द्योतित करना है। इन तीनों प्रकार के साधनों का रहस्य गुरु से ही ग्रहण किया जा सकता है। गुरुमुख से प्राप्त इस रहस्यमय ज्ञान को सर्वथा गोपित रखने का विधान है।

सम्प्रदाय के ममस्त अनुयायियों को पवित्र जीवन धारण करना आवश्यक है। उन्हें विनय, क्षमा तथा शान्ति का वरण करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे मांस, मदिरा, हिंसा आदि अनाचरणों से विरत रहे और सादा जीवन व्यतीत करें।

इस पन्थ में गृहस्थों के अतिरिक्त साधु जीवन व्यतीत करनेवाले अनुयायियों के लिए ग्यारह प्रकार के नियमों का निर्देश किया गया है। वे नियम हैं—१ व्यर्थ भ्रमण न करना, २ सत्सग की अनुमति होने पर ही बाहर भ्रमण करना, ३ आश्रम से बाहर जाने के लिए निर्धारित आज्ञापत्र प्राप्त करना, ४ किसी से भी धन संग्रह न करना, ५ किसी अन्य सत्सग में सम्मिलित होने के लिए केवल मार्गव्यय और भोजन प्राप्त करना, ६ प्रतिदिन सत्सग में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना, ७ सत्सग के लिए सतत कार्यरत रहना, ८ सत्सगों में अभिरुचि तथा उत्साह रखना, ९ परोपकार के निमित्त ही वहिर्गमन करना, १० युवक-युवतियों से सदा दूर रहना और ११ गेहवा वस्त्र धारण करना। यदि कोई साधु इन नियमों का नियमित रूप से पालन नहीं करता तथा दो से अधिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सत्सग से पृथक् कर देने का विधान है। वृद्धा स्त्रियाँ भिक्षुणियों की वृत्ति का वरण कर सकती हैं। किन्तु भिक्षाटन नहीं करना होता है। सभी प्रकार के साधु सन्तों के लिए भोजन-वस्त्र की व्यवस्था सम्प्रदाय की ओर से होती है।

राधास्वामी सम्प्रदाय आचार विचारों की दृष्टि से उदार एवं सार्वभौम है। उसके लिए भी जाति धर्म का व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, किन्तु सभी को सत्सग में आने के लिए आवश्यक है। इस पन्थ के अनुयायी जात-पात का भेद भाव नहीं रखते और सुधारवादी हैं। गृहस्थ हो या त्यागी, सभी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इस मत की साधना पद्धति निर्गुण योगमार्ग की है।

(आठ)

रामोपासक धर्मशाखाएँ

- १ रामानन्दी रामावत सम्प्रदाय
- २ रामदासी सम्प्रदाय
- ३ सहजिया नारायण सम्प्रदाय
४. रामभक्ति रसिक सम्प्रदाय

रामानन्दी रामावत सम्प्रदाय

वैष्णव धर्म के इतिहास में 'रामावत सम्प्रदाय' का अनेक दृष्टियों से अपना गहत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्प्रदाय के सत्पापक स्वामी रामानन्द थे। वैष्णव धर्म के अनुयायियों में आराधना उपासना की भिन्नता के कारण मुख्यतः तीन धर्मशास्त्राणें प्रकाश में आईं। एक शाखा राधाकृष्ण की उपासक, दूसरी विष्णु की उपासक और तीसरी राम-सीता की उपासक थी। यद्यपि ये तीनों शाखाएँ उपास्य की दृष्टि से पारस्परिक भिन्नता रखती हैं, तथापि तीनों का आधार सगुण भक्ति होने के कारण उनमें पारस्परिक समानता भी है। भगवान् राम और माता सीता को अपनी धार्मिक निष्ठाओं का हेतु एव आधार मान कर और उन्हें जगत् का सर्जक, पालक तथा सहारक मान कर जिस लोक-संपूजित वैष्णव शाखा का उदय हुआ, उसे ही 'रामानन्दी सम्प्रदाय' या 'रामावत सम्प्रदाय' के नाम से कहा जाता है।

पुराणों में वर्णित दशावतारों की परम्परा में विष्णु के अनेक अवतारों में दो अवतार मुख्य माने गये हैं, जिनके नाम हैं—रामावतार और कृष्णावतार। इन दोनों अवतारों महापुरुषों ने प्रति देवत्व की निष्ठा रखनेवाला समाज आज भी समस्त भारत में व्याप्त है। रामकथा की व्यापकता यद्यपि 'रामायण' में पूर्ण की है तथापि राम को आराध्य-उपास्य के रूप में कब से माना जाने लगा, इसका सही ऐतिहासिक आधार खोज निकालना प्रायः कठिन है। विष्णु के राम तथा कृष्ण अवतारों में रामावतार प्रथम एव प्राचीन है। जहाँ तक राम की प्राचीनता का प्रश्न है, उसका उल्लेख ऋग्वेद (१०।६०।४) और ब्राह्मण-ग्रन्थों (सतपथ ४।६।१।७) तथा ऐतरेय (७।२७।३४ आदि) में हुआ है। किन्तु इन उल्लेखों का सम्बन्ध दासरायी राम से नहीं है। राम-नाम के इन उल्लेखों से इतना ही आशय निकलता है कि राम-नाम का कोई प्रसिद्ध राना हुआ। राम के अवतारी स्वरूप का स्पष्ट एव व्यापक उल्लेख सर्वप्रथम 'रामायण' तथा 'महाभारत' में ही देखने को मिलता है। यद्यपि इन दोनों ग्रन्थों में जो रामकथा दी गई है, उसका मूल आधार क्या है, यह कहना कठिन है, तथापि उसका अनुशीलन करने पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जैन बौद्धों के साहित्य में उल्लिखित रामकथाओं से वह भिन्न है। डा० याकोबी के मत को सारगर्भित मान कर फादर कार्मिल बुल्के (रामकथा, पृ० २८, १०४) का कहना है कि वेदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में

उल्लिखित दाशरथि राम वैदिक देवता इन्द्र के रूपान्तर मात्र है। उनका कहना है कि कालान्तर में वही राम पश्चिम भारत में बलराम की उपासना के रूप में और पूर्वी भारत में दाशरथि राम की उपासना के रूप में प्रचलित हुए। वैदिक प्रसंगा में इन्द्रपत्नी कही जानेवाली सीता, रामपत्नी सीता ही हैं।

पुराणों में विष्णु के विभिन्न अवतारों में कृष्णावतार को ही प्राथमिकता प्राप्त हुई और कृष्ण की आराधना उपासना-भक्ति के अनेक स्वरूपों के आधार पर वैष्णव धर्म के क्षेत्र में अनेक धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलित हुए। किन्तु जब बामन बराह, नृसिंह, परशुराम तथा राम आदि अवतारों को आधार माना गया, तो उपासना के क्षेत्र में भी विभिन्नता लक्षित हुई। उन अवस्था में कृष्ण के अतिरिक्त राम का महत्त्व भी प्रकाश में आया। कृष्ण तथा राम के अवतारों के अतिरिक्त अन्य अवतारों की आराधना का क्षेत्र सीमित एवं आचलिक रहा। किन्तु कृष्ण की भाँति राम की उपासना का आधार व्यापक रूप में लोकमान्य हुआ और रामभक्ति को भी व्यापकता से अपनाया जाने लगा। यद्यपि राम के नाम पर विभिन्न ग्रन्थों में बलराम, भार्गवराम तथा दाशरथि राम की विभिन्नता पाई जाती है, तथापि दाशरथि राम को ही उसमें श्रेष्ठता प्राप्त है। दाशरथि राम की इस श्रेष्ठता या प्रमुखता का आधार वाल्मीकि मुनि की 'रामायण' है। 'रामायण' से ही राम के व्यापक स्वरूप का दिग्दर्शन हुआ।

राम के नैतिक तथा आध्यात्मिक ऐश्वर्यमय स्वरूप का सर्वांगीण निरूपण 'रामायण' में ही सर्वप्रथम देखने को मिलता है। राम और वाल्मीकि, क्योंकि समकालीन थे, अतः ऐसा प्रतीत होता है राम के उपासकों का एक वर्ग उनके समय में आ चुका था, जो उनके अवतारों के स्वरूप की और अलौकिक ऐश्वर्य की महिमा का गुणगान करने लग गया था। तत्पश्चात् उपनिषदों, पुराणों, काव्यों और नाटकों आदि साहित्य के विभिन्न अंगों में राम के उदात्त, लोकमगलकारी एवं सर्वगुणोपेत चरित का व्यापक वर्णन लोकप्रिय हुआ।

यद्यपि इसका पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि राम को विष्णु के अवतार के रूप में कब से लोकभक्ति का स्वरूप प्राप्त हुआ, किन्तु 'वाल्मीकि रामायण' के बाद ई० पूर्वं प्रथम शती में वर्तमान महाकवि बालिदास की कृतियों से, विशेष रूप से 'रघुवंश' महाकाव्य से, विदित होता है कि राम को अवतारों महापुरुष एवं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लोकख्याति प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें देवत्व के रूप में वरण किया जाने लगा था। फिर भी इस आशय का

प्रमाण नहीं मिलता है कि भारत के धार्मिक इतिहास में राम की अराधना-उपासना के आधार पर रामोपासको का सम्प्रदाय कब से प्रचलित हुआ था ।

‘रामावत सम्प्रदाय’ द्वारा उपास्य भगवान् राम सातवें अवतार थे । ‘तारकोपनिषद्’ (२।२-५) में रामावतार की महिमा के सम्बन्ध में कहा गया है कि ‘राम’ ‘ओम्’ शब्द का वाचक है । इस वैदिक व्याहृति ‘ओम्’ में रामावतार की समस्त महिमा समाहित है । ‘अ’ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जो रामावतार में जाम्बवान् (ऋषो के राजा) हुए । ‘उ’ से विष्णु (उपेन्द्र) की उत्पत्ति हुई, जो सुषोम (वानरो के राजा) कहलाये । ‘म’ से शिव का प्रादुर्भाव हुआ, जो हनुमान हुए । ‘सानुनासिक विन्दु’ से शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई । ‘ओम्’ के नाद से भरत का जन्म हुआ । इस शब्द की ‘कला’ से लक्ष्मण उत्पन्न हुए । उसके ‘कलातीत ध्यान’ से लक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो कि सीता कहलाई । इन सबके अनुशासक परमात्मा विश्वरूप स्वयं श्रीराम के रूप में अवतरित हुए । इस प्रकार राम का अवतरण विश्वनिपन्ता के रूप में हुआ, जिन्होंने एक सद्गृहस्थ के रूप में जन्म धारण कर अपने आदर्श चरित से पारिवारिक सम्बन्धों और लोक-व्यवहारों की उदात्त एवं अनुकरणीय परम्परा को स्थापित किया ।

इस घरेली पर राम के अवतरण का एक महान् लक्ष्य था । उनसे पूर्व परशुरामावतार के द्वारा क्षात्र तथा ब्राह्मण शक्तियों का सामंजस्य और उनके पारस्परिक सम्बन्ध विच्छिन्न हो गये थे । इस कारण भारत की परम्परागत धार्मिक व्यवस्था विकेन्द्रित हो गई थी । ब्राह्मण वंश में रावण जैसे अत्याचारी सत्कारो वाले व्यक्ति का जन्म होने लगा था । राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और सार्विक प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि क्षीण होते जा रहे थे । इस वैषम्य तथा अनाचार को समाप्त करने के लिए रामावतार की आवश्यकता हुई । यह अवतार क्षत्रिय कुल में इसलिए उत्पन्न हुआ, जिससे क्षात्र-शक्ति के साथ ब्राह्मण-शक्ति का सामंजस्य पुनः स्थापित हो सके । यही एकमात्र उपाय था, जिसके द्वारा विखण्डित एवं विच्छिन्न राष्ट्र की विकेन्द्रित शक्तियों में समन्वय स्थापित किया जा सके । इसलिए भगवान् ने क्षत्रिय वंश में जन्म धारण किया और आदर्श पातितव्रत्य धर्म एवं सतीत्व की रक्षा के लिए भगवान् की आद्याशक्ति महामाया भगवती सीता को सहचरी के रूप में वरण किया ।

जहाँ तक राम और कृष्ण के अवतारी स्वरूपों की लोकप्रियता एवं महत्त्व का सम्बन्ध है, राम का जीवन मर्यादा, वीरता तथा आदर्श पालन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । कृष्ण की भाँति राम ने किसी सिद्धान्त या मत की

स्थापना नहीं की और न ही वैसे उपदेश दिये। राम एक आदर्श एव प्रगल्भ प्रतापी राजवंश से सम्बन्धित होने के कारण लोक में अनुकरणीय, अक्षय, उदात्त आदर्श की स्थापना की दृष्टि से कृष्ण की तुलना में भिन्नता रखते हैं। कृष्ण की अपेक्षा उनका अवतारी स्वरूप किसी प्रकार भी न्यून नहीं ठहरता है। दाशरथि राम, जो अपनी वंश परम्परा में प्रशस्त एव महान् थे, विष्णु के अवतार के रूप में लोकभक्ति के सहज माध्यम बन गये। लोक में उनका अलौकिक दैवी विभूतियों में सम्पन्न स्वरूप लोक की आराधना उपायना का विषय बन गया। यद्यपि कृष्णावतार की अपेक्षा रामावतार की पुराणों में उतनी प्रशस्ति देखने को नहीं मिलती है, तथापि जहाँ तक उनकी लोक-प्रियता का सम्बन्ध है कृष्णावतार की अपेक्षा उनका किसी भी प्रकार का कम महत्त्व नहीं है। उनके इस अवतारी स्वरूप को जैन-बौद्धों के साहित्य में भी धरणीय माना गया है। इस दृष्टि से भारतीय जन मानस में रामावतार को वही श्रद्धा-निष्ठा प्राप्त हुई, जो कृष्णावतार में देखने को मिलती है।

इस प्रकार रामावतार का एक सोद्देश्य आधार था। रामावतार के युग में राष्ट्र की जो स्थिति थी, रामानन्द के समय भी राष्ट्र की वही स्थिति थी। देश की विवेन्द्रित शक्तियों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से रामानन्द ने राम को आधार बनाया। किन्तु 'रामावत सम्प्रदाय' की अपेक्षा रामभक्ति की परम्परा अधिक प्राचीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव धर्म के प्रचलित सम्प्रदायों से प्रभावित होकर अलग से राम सम्प्रदाय का प्रचलन हुआ। इस दृष्टि से इस सम्प्रदाय का आरम्भ ११वीं १२वीं शती ई० के बाद ही माना जा सकता है। यद्यपि इससे पूर्व ७वीं-८वीं शती में कुलशेखर आदि आलवार भक्तों ने रामभक्ति की महिमा को पहले ही लोक प्रचारित कर दिया था, तथापि रामभक्ति का जो स्वरूप लोक प्रचलित हुआ, ११वीं शती के बाद का ही है। १३वीं शती ई० में वैष्णव सम्प्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य ने बदरिकाश्रम हिमालय से भगवान् राम की प्रतिमा को लाकर उसे अपने शिष्य नरहरितीर्थ को दिया था और उन्होंने उस मूर्ति को उड़ीसा के जगन्नाथ मन्दिर में स्थापित किया था। इस प्रकार मध्वाचार्य द्वारा रामभक्ति की पुनः स्थापना हुई और उसकी लोकमगलकारी धाती उत्तर से दक्षिण की पहुँची। रामभक्ति की इस धाती को राष्ट्रव्यापी बनाने का श्रेय स्वामी रामानन्द को है। यद्यपि रामानन्द से पूर्व नरमदेव तथा त्रिलोचन आदि वैष्णव भक्त कवियों ने महाराष्ट्र में और सदन तथा बेनी आदि भक्तों ने उत्तर भारत में रामोपासना का पहले ही प्रचलन कर दिया था, तथापि उसको व्यापक जनाराध्य बनाने का श्रेय स्वामी रामानन्द को है।

स्वामी रामानन्द का जन्म प्रयाग (इलाहाबाद) के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में १२९९ ई० (१३५६ वि०) को हुआ था । उनका पैतृक नाम रामदत्त था । प्रयाग में ही अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे काशी गये । वहाँ उनकी भेंट विशिष्टाद्वैतवादी विद्वान् स्वामी राघवानन्द से हुई । उनसे रामानन्द ने सम्प्रदाय की विधिवत् दीक्षा ग्रहण की और तब से वे रामानन्द के नाम से कहे जाने लगे । स्वामी रामानन्द की गुरु-परम्परा इस प्रकार है—रामानुज-देवानन्द हरिचन्द-राघवानन्द और रामानन्द । इस प्रकार जिन विद्वानों ने स्वामी रामानन्द को स्वामी रामानुज का प्रथम शिष्य बताया है, उनका अभिमत मुक्तिसंगत नहीं है ।

शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद स्वामी रामानन्द देशाटन को निकले । उन्होंने देश के विभिन्न अण्डलों का एक तीर्थों का भ्रमण किया, अनेक विद्वानों तथा धर्मानुयायी जाचार्यों का सत्संग प्राप्त किया । अन्त में वे काशी लौट आये । किन्तु इस बीच धार्मिक विवाद उत्पन्न हो गया । रामानन्द के सम्प्रदाय में परम्परा से यह नियम प्रचलित था कि भोजन के समय भोज्य पदार्थों पर किसी अन्य की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए । ऐसा होने पर वह भोजन आप्रहा एव अपवित्र समझ कर फेंक दिया जाता था । स्वामी रामानन्द ने देशाटन के समय इस नियम का पालन नहीं किया था और इसे वे व्यर्थ का आडम्बर भी मानते थे । अतः वे काशी में अपने गुरु-बन्धुओं के पास लौट आये, तो उन्होंने स्वामी रामानन्द का बहिष्कार कर दिया । साथ ही यह भी प्रचारित कर दिया कि सम्प्रदाय के नियमों का पालन न करने के कारण वे पतितों की श्रेणी में जा गिरे हैं । उनके दीक्षा गुरु स्वामी राघवानन्द ने भी सम्प्रदाय के अनुयायियों की इन आपत्ति का समर्थन किया । फलस्वरूप खान-दान, वर्ण-व्यवस्था, जात पात तथा ऊँच-नीच के विवादों को लेकर अपने गुरु तथा गुरु-बन्धुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया । स्वामी रामानन्द धर्म की इस सकीर्णता को अमान्य समझकर स्वयं ही अलग हो गये । उन्होंने अपने नये धर्म सम्प्रदाय को प्रचलित किया, जो कि 'रामावत सम्प्रदाय' के नाम से कहा गया ।

काशी में वे पणपणा घाट पर रहने लगे । स्वामीनों के धार्मिक विचार बड़े उदार और साधुभीम थे । वे देश के विभिन्न तीर्थों तथा धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर चुके थे और भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायियों के सम्पर्क में रह चुके थे । इस्लाम धर्मानुयायियों का भी उन्होंने सगर्भ किया । उन्होंने तत्कालीन समय में प्रचलित सभी धर्म पन्थों के उच्च विचारों को ग्रहण कर उनमें समन्वय स्थापित किया और भगवद्-भक्ति के नये पन्थ का प्रचलन

किया। यद्यपि स्वामी रामानन्द ने पूर्व शठकोप, मयुर कवि और कुलशेखर आदि आन्दवार भक्त कवियों द्वारा राम नाम की महिमा का रोक में व्यापक प्रचार हो चुका था और तत्पश्चात् रामानुजाचार्य जैसे वैष्णवाचार्य ने राम की भक्ति तथा उपासना को मन्थक् आधार बना लिया था, तथापि रामोपासना को एकमात्र आधार बनाकर स्वतंत्र रामोपासक सम्प्रदाय की स्थापना करने का श्रेय स्वामी रामानन्द को ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने ही वैष्णव-भाषना के इतिहास में सर्वप्रथम 'पठझर राममंत्र' को 'बीजमंत्र' के रूप में स्वतंत्र रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने परम्परा से चली आ रही वैष्णवाचार्यों की सीमित एवं सकीर्ण मर्यादाओं से अपने मत को मुक्त कर मनुष्यमात्र के लिए रामनामजप का अधिकार घोषित किया। रामानन्द की इस उदार धार्मिक स्थापना का प्रभाव निर्गुणपन्थी निराकारवादी सन्तों पर भी पड़ा। सन्त कबीर ने निर्गुण ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर रामानन्द द्वारा प्रवर्तित नाम-भाषना को नया मोड़ दिया। उनके परवर्ती नानक, दादू, गुलाल तथा जगजीवन आदि तत्त्ववेत्ता सन्तों ने भी रामनाम को निर्गुण पन्थ का आधार स्वीकार किया। रामानन्द के रामभक्ति मार्ग के मगुण, साकारवादी भक्तों ने भक्ति तथा प्रेम के भाव से और निर्गुण निराकारवादी सन्तों ने ज्ञान तथा योग के द्वारा उमका मामीप्य प्राप्त किया। इस प्रकार रामानन्द के प्रभाव से रामभक्ति का विभिन्न रूपों में विकास हुआ।

स्वामी रामानन्द द्वारा स्थापित एवं प्रवर्तित उम उदारतावादी धर्म-शाखा के मूठ में एक दूरदर्शी उद्देश्य निहित था। उनके समय १३वीं-१४वीं शती का वह युग हिन्दू धर्म तथा सस्कृति के लिए एक आसन्न सङ्कट में आच्छन्न था। देश में बढ़ते हुए इस्लाम प्रभाव के कारण हिन्दू जनता के समक्ष धर्मरक्षा का एक नया सङ्कट उपस्थित हो गया था। ऐसे समय धर्म की सकीर्णता, एकागिता तथा अनुदारता को आधार बनाकर धर्म-प्रचार के लिए समाज में प्रवेश करना निरापद नहीं था। इसके अनिश्चित धर्मान्यता और कट्टरपन्थी विचारों के प-स्वरूप जो पारस्परिक क-हू एवं द्वन्द्व चल रहे थे, उनमें सामञ्जस्य स्थापित करने की समयोचित आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर स्वामीजी ने अपने नये धर्म-पन्थ को अधिक लोकानुबूढ बनाने की कोशिश की। उन्होंने तत्कालीन हिन्दू-मुस्लिम जनता के समक्ष एक ऐसे सर्वग्राह्य धर्म मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसमें सभी धर्मों तथा जातियों के लोगों के लिए समान स्थान था। स्वामीजी की इस उदार धर्मभावना में प्रभावित होकर जिस निष्ठा एवं उन्मुक्तता से उमको हिन्दुओं ने अपनाया, उभी उन्मुक्तता एवं श्रद्धा से उसमें मुगलमान भी सम्मिलित हुए।

वस्तुतः स्वामीजी ने इस नये धर्म-पन्थ की स्थापना इसलिए की थी कि उस समय बढ़ते हुए मुस्लिम आतंक को कम किया जा सके और हिन्दुत्व की रक्षा के माध्यम-एक ऐसे अवतारी आराध्य को धर्म-प्राण जनता की आराधना का केन्द्र बनाया जा सके, जो स्वयं प्रजातुरागी हो और जिसके चरित्र में सार्वभौम महनीयता विद्यमान हो। ऐसा नैतिक चरित्र राम का ही था। स्वामीजी ने सभी धर्मों, जातियों तथा वर्गों के लोगों को इस नये धर्माचक्र में ममेटा। उनको विधिवत् दीक्षित किया। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, जुलाहा, चमार, शूद्र, जाति-बहिष्कृत, जाट, लखिय, यहाँ तक कि सिक्खों ने भी स्वेच्छा से स्वामीजी के धर्म-सम्प्रदाय को वरण किया। निखों ने भी उसको आदर-समान दिया। इस प्रकार स्वामी रामानन्द द्वारा मस्यानिन 'रामायतार सम्प्रदाय' बड़ी खरित गति में नारे देग में फँला और माय ही उनके प्रभाव से बहूनस्पक मुस्लिम समुदाय, और विरोध रूप में तत्कालीन मुगल शासक भी अछूना न रहा।

युग की प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने एक ऐसे धर्म-मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसमें मायता-उपासना की शाश्वतीय जटिलताएँ, यौगिक क्रियाएँ और कर्मकाण्ड की रुद्धियाँ नहीं थीं। जिसको वरण करने से मत्त को भगवान् की कृपा-दया-प्रीति सहज में ही प्राप्त हो सकती थी। उनके इन उदार धर्म-पन्थ में विचोकीनाय भगवान् राम और जगज्जननी माता सीता की लोकभाळकारी दयामय नीलापो का अभिव्यजन था।

अपने मत के प्रचार-प्रसार के लिए स्वामीजी ने वीतराग वीरगियों का मण्डन तैयार किया। उन्होंने नये धार्मिक जागरण का मूननात किया जिनमें हिन्दुत्व की वो रक्षा हुई ही, हिन्दुओं के प्रति धार्मिक विरोध भी सिमित हुआ।

सिद्धान्त-निरूपण

सैद्धान्तिक दृष्टि में स्वामी रामानन्द विशिष्टाईत वेदान्त मत के अनुयायी थे। उनके सिद्धान्तों में सगुण-निर्गुण, दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। स्वामीजी ने ब्रह्म शब्द काव्य श्रीराम के सगुण-निर्गुण रूपों का सम्बन्ध निरूपण करते हुए उनकी अतन्म्य भक्ति को मोक्ष का अव्यवहितोपाय स्वीकार किया है। उनके मतानुसार राम के माय मीता की उपासना की प्रमुत्तता है। सीता यद्यपि राम की पत्नी हैं, किन्तु स्वामीजी ने उन्हें आध्यात्मिक के रूप में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया। वे दिव्य-श्री एव स्वर्न-श्री हैं, जो तन से प्राप्त हुई हैं। वे ही विश्व की चेतनाचेतन प्रहृति हैं।

श्रीराम को उन्होंने ब्रह्म माना है और इस प्रकार सीता-राम की युगल उपासना आराधना पर बल दिया है। भगवान् शेषी और जीव उनका शेष है। भगवान् ही समस्त जीवों के स्वामी हैं। जीव परतत्र है और भगवान् की निहंतुक कृपा को प्राप्त किये बिना उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान् और जीव के पारस्परिक वही सम्बन्ध हैं, जो पिता-पुत्र, रक्षक-रक्ष्य, सेव्य-सेवक और आत्मा-आत्मी का है। राम ही जगत् के स्रष्टा एवं पालक हैं। उन्हीं में वह विलीन हो जाता है।

त्रेता युग में आविर्भूत श्रीराम अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र और विष्णु के साक्षात् अवतार हुए। उन्होंने लोक में धर्म, नीति तथा मर्यादा की स्थापना की। अतः वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये। वे न्याय, सुख तथा शान्ति से सम्पन्न रामराज्य के प्रतिष्ठाता थे और आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक विभिन्न तापो से रहित परब्रह्म परमेश्वर थे। राम अर्थात् 'रमण करने वाला', विश्व को अपने सौन्दर्य में विमोहित करने वाला, पुरुषोत्तम, साक्षात् विष्णुस्वरूप एवं सर्वव्यापी हैं। इस दिव्यरूप को स्वामीजी ने जीवों का इष्ट बताया।

सीतापति भगवान् श्रीराम समस्त गुणों के आकर, सत्यस्वरूप, आनन्दमय एवं चित्स्वरूप हैं। वे लोकोत्तर बलशाली, अद्भुत दिव्य धनुषधारी एवं आजानुबाहु हैं। परम पुरुषोत्तम स्वरूप श्रीराम, भीता तथा लक्ष्मण के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। वे जीवों के स्वामी हैं और जीवों के मनोवाञ्छित धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देनेवाले कल्पतरु हैं। राम साक्षात् ब्रह्म हैं और सीताराम के उपासकों के आराध्य।

स्वामी रामानन्द ने भगवान् श्रीराम के अर्चावतार (प्रतिभावतार) के चार रूपों—व्यक्त, सैद्ध, द्वैत और मानुष—की पूजा षोडशोपचारपूर्वक करने का निर्देश दिया है। सीताजी ही श्रीराम की प्राप्ति का एकमात्र उपाय हैं। स्वामीजी के अनुसार जीव शेष है और भगवान् जीवों के स्वामी हैं। जीव मुमुक्षु और धुमुक्षु, दो प्रकार का है। इन दोनों की भी अनेक कोटियाँ या श्रेणियाँ हैं। सत्त्व रज-तम गुणों से युक्त, ईश्वराधीन रहने वाली और अहंकारादि उत्पन्न करने वाली सत्ता ही प्रकृति है।

स्वामीजी के मतानुसार भगवान् की कृपा से सामारिक बन्धनों से मुक्त होकर साकेत लोक को प्राप्त कर परब्रह्म भगवान् राम के साथ नित्य ब्रीहार्त होना ही मुक्ति है। साकेत भगवान् का दिव्य लोक है।

इस प्रकार लीवभगलकारी, उदार, सार्वभौम धर्म का संदेश देते हुए आजीवन श्रीराम की भक्ति में अवगाहित, लोक के बरणावतार स्वामी

रामानन्द ने अपने साधना स्थान काशीजी के पचगगा घाट पर १४६७ वि० को मोक्षत्व प्राप्त किया ।

उनके शरीरान्त के बाद उनके शिष्यो ने पचगगा घाट पर एक मठ की स्थापना की थी, जिसको धर्मद्वोहियो ने नष्ट कर दिया था । आज भी उनकी स्मृति में वहाँ एक पापाप वेदी निर्मित है, जिस पर स्वामीजी के पदचिह्न अंकित हैं ।

आचार-पद्धति

धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से रामानन्दी वैष्णव विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं । किन्तु राम को अपना अनन्य इष्टदेव मानते हैं । रामानुजी वैष्णवों की भाँति वे राम-सीता की युगल मूर्ति की आराधना करते हैं । शालिग्राम और तुलसी पर भी उनकी आस्था है । 'रामपूर्वता-पनीयोपनिषद्' (४।७।१०) में कहा गया है कि रामावत-गुजा पद्धति में सीता तथा राम की युगल मूर्तियाँ पधराई जाती हैं । राम श्यामवर्ण, पीताम्बर धारण किये हुए, जूटाहृदिनेत्र आंगानु भुजाएँ, नर्ण-कुण्डलधारी, गले में वनमाला, धनुष-बाण धारण किये हुए, अष्टसिद्धियों से सम्पन्न, प्रसन्न एवं दम्पुक्त मुद्रा, बाँई ओर स्वतंत्र या जघा पर आधृत माता सीता की प्रतिमा, दिव्य रत्नों से विभूषित हाथ में दिव्य कमल धारण किये हुए माता सीता साथ में बाई जघा पर हाथ टेके हुए एवं हाथ जोड़े हुए हनुमान् और इस युगल मूर्ति के पीछे लक्ष्मण सड़े दिखाये गये हैं । रामपचायतन में चारों भाई, सीता और पार्षद हनुमान् अंकित होते हैं । 'रामावत सम्प्रदाय' में हनुमान् को आदरणीय पद दिया गया है ।

'रामावत सम्प्रदाय' के अनुयायियों का ध्येयमन्त्र 'ओम् रामाय नमः' है और तांत्रिक उपासना का मन्त्र 'रा रामाय नमः' है । यद्यपि आचार-विचारों की दृष्टि से रामानन्दी भक्त रामानुजी भक्तों से भिन्नता रखते हैं, किन्तु वे श्री-सम्प्रदाय का चिह्न धारण करते हैं । इस दृष्टि से रामानुजियो और रामानन्दियो में कोई विशेष अन्तर नहीं है । रामानन्दियों का तिलक कुछ छोटा होता है और उनकी पुङ्ग की अन्तर्वर्ती रेखा में भी कुछ अन्तर होता है । इस सम्प्रदाय में शुक्लश्री, बिन्दुश्री, रक्तश्री और लक्ष्मी आदि अनेक प्रकार के तिलक प्रचलित हैं । जय राम, जय सीताराम या सीताराम उनके अभिवादन वाक्य होते हैं ।

साहित्य-निर्माण

स्वामीजी अपने युग के महापुरुष तो थे ही, अपितु प्रकाण्ड विद्वान् भी थे । वे वेद, उपनिषद्, दर्शन, पुराण और तत्त्वविद्या के उद्भूट आचार्य्य थे ।

रामानुज के 'श्रीभाष्य' और 'वाल्मीकि रामायण' के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी और इन दोनों ग्रन्थों का उन्होंने अध्ययन किया था। अन्य सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्यों की भाँति उन्होंने भी अपने सम्प्रदाय के अनुरूप 'ब्रह्मसूत्र', 'भगवद्गीता' और उपनिषद्, इन प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा था। उनके भाष्य का नाम आनन्दभाष्य है। यह भाष्य-ग्रन्थ उनके तत्त्व-विद्याविषयक गभीर ज्ञान का परिचायक है।

इस प्रकार स्वामी रामानन्द ने ग्रन्थ-रचना के प्रति कम और धर्म-प्रचार के प्रति अधिक ध्यान दिया है। वास्तव में उस युग की जो परिस्थितियाँ थीं और स्वामीजी को अपने उदार विचारों के कारण पग-पग पर जिन विरोधों तथा सभयों का सामना करना पड़ा, उनके कारण मभवतः उन्हें ग्रन्थ-निर्माण के लिए एकान्त एवं स्वस्थ वातावरण प्राप्त नहीं हो सका। उनके विरोधियों का एक वर्ग ऐसा बन गया था, जो उनका प्रत्यक्ष-परोक्ष में कटु आलोचना करने लगा था और उनके पन्थ के प्रति द्वेष रखता था।

स्वामीजी के बाद उनके अनुयायियों ने व्यापक रूप से साहित्य का निर्माण कर उनकी परम्परा को प्रशस्त किया। जिस प्रकार रामानुजी सम्प्रदाय का साहित्य बहुधा हिन्दी में है, उसी प्रकार रामानन्दी सम्प्रदाय का साहित्य भी बहुधा हिन्दी में है। यही कारण है कि जनसामान्य में आज भी रामानन्दी रामभक्तों की परम्परा बनी हुई है। उनकी इन परम्परा का प्रवर्तन एवं समर्थन सन्त सम्प्रदाय के बहुसंख्यक भक्तों, महात्माओं और सन्तों ने किया।

नये सम्प्रदाय की स्थापना और शिष्य परम्परा

स्वामी रामानन्द आरम्भ में स्वामी रामानुजाचार्य के शी-सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने शी-सम्प्रदाय की दीक्षा विशिष्टाद्वैतवादी आचार्य स्वामी राघवानन्द से ग्रहण की थी। किन्तु जब वे देसायन से लौटे और उनके गुरु तथा गुरुभाइयों ने स्नान-पान के नियमों की अवहेलना करने के अपराध में उन्हें पतितों की श्रेणी में जा गिराया, तो उन्होंने शी-सम्प्रदाय से अपना सम्बन्ध तोड़ दिया। स्वामी रामानन्द तथा उनके अनुयायियों ने रामानुजी वैष्णव तिलक धारण नहीं किया और जात-पात, स्नान-पान सम्बन्धी आचार भी उनके शी-वैष्णवों से भिन्न थे। यह सम्भव है कि अपने दक्षिण निवास के समय वे शी-सम्प्रदाय से सम्बन्धित रहे हों, किन्तु उत्तर भारत में आकर उन्होंने अपना नया रामावत मत स्थापित किया और राम-भक्ति पर बल दिया।

शैव सम्प्रदाय की भाँति वैष्णव सम्प्रदाय में भी 'अवधूत' कहे जाने हैं। जब स्वामी रामानन्द ने सर्वसामान्य को जाति-वर्ग धर्म के भेद-भाव के बिना अपने सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण करन का अधिकार दे दिया था, तब उन्होंने अपने शिष्यों को 'अवधूत' यह नया नाम दिया। उसका अर्थ यह था कि उन शिष्यों ने अपने पुराने पूर्ववर्ती स्वेच्छाचार के रूप को त्याग दिया था। उन्होंने श्रेष्ठ धार्मिक जीवन वरण कर अपनी व्यक्तिगत चर्चा को समाप्त कर दिया था और समाज तथा प्रकृति के बन्धनों को तोड़ दिया था। ऐसे रामानन्दी साधु शरकरनानुयायी दशनामी सन्यासियों से अधिक कठोर होते हैं और अनुशासनात्मक तथा त्यागमय जीवन बिताते हैं।

स्वामी रामानन्द के इन सामयिक धार्मिक उपदेशों का व्यापक प्रभाव पडा और बड़ी सतना में समाज उनका अनुयायी बना। नाभादास के 'भक्तमाल' में स्वामी रामानन्द के बारह शिष्यों का उल्लेख हुआ है, जिनके नाम थे— १. कबीर, २. रैदास, ३. पीपा, ४. सुरसुरानन्द, ५. सखानन्द, ६. भवानन्द, ७. घना, ८. सेन, ९. महानन्द, १०. परमानन्द, ११. श्रियानन्द और १२. अनन्तानन्द। इन शिष्यों में स्वामी रामानन्द के रामनाम को जनसामान्य की निष्ठा का विषय बनाया। जैसे उनका ये शिष्य दार्शनिक विचारों में उदार थे, वैसे ही धार्मिक जात्याओं की दृष्टि से भी समन्वयवादी थे।

स्वामीजी के अनुयायियों में अनेक ऐसे विद्वान्, कवि और सन्त हुए, जिन्होंने अपने विचारों, अपनी कृतियों तथा दिव्य कानियों में धर्मप्राण भारतीय जनता को उसके उदात्त एवं भावसंगमय चरित्र को बनावे रखने के लिए प्रेरित किया। ऐसे सन्तों में सन्त कौल्दास का नाम उल्लेखनीय है। वे स्वामी रामानन्द के समकालीन (१४वीं शती ई०) में वर्तमान थे और 'रामावत सम्प्रदाय' के अनुयायी थे। किन्तु कित्ती मतभेद के कारण बाद में वे रामानन्दी मतानुयायियों से अलग हो गये थे और उन्होंने अपने स्वतन्त्र 'साफी मत' की प्रतिष्ठा की। इन नये धार्मिक मन का आगे विस्तार विस्तार हुआ, इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है।

रामानन्दी सम्प्रदाय के अनुयायी रामोदासक वैष्णव कवियों में स्वामी अग्रदास का नाम उल्लेखनीय है। नाभादास इन्हीं के शिष्य थे और इन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने 'भक्तमाल' की रचना की थी। इनका जन्म १६६२ वि० के लगभग माना जाता है। जयपुर (राजस्थान) की गल्ला नामक प्रसिद्ध गद्दी के ये सस्यदास थे। उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है—रामानन्द, अनन्तानन्द, कृष्णदास (अष्टछाप के कृष्णदास से भिन्न) और अग्रदास।

वर्तमान रामानन्दी सम्प्रदाय के अनुयायियों के सात प्रमुख अखाड़े हैं, जिनके नाम हैं—१ निर्वाणी, २ खाकी, ३ सन्तोपी, ४. निर्मोही, ५ बल-भद्री, ६ टाटम्बरी और ७ दिगम्बरी। इनमें से अधिकतर अखाड़े सम्प्रति त्याग, सेवा, भगवद्भक्ति की परम्परा का निर्वाह करने की अपेक्षा वैभव, सम्पत्ति तथा प्रभुत्व की ओर अधिक आकर्षित हैं। अपनी वैभवपूर्ण महिमा को प्रदर्शित करने की दिशा में उनकी अधिक अभिरुचि दिखाई देती है। उनकी अपनी पचामर्तें हैं। उनके महन्त एव मठाधीश लोग व्यवसाय तथा धनोपार्जन करने में प्रवृत्त हैं। धर्माचरण की मूल भावना तथा परम्परा को उन्होंने लगभग उपेक्षित कर दिया है।

रामदासी सम्प्रदाय

वैष्णव धर्म की मध्यकालीन शाखाओं में 'रामदासी सम्प्रदाय' का भी एक नाम है। स्वामी रामानन्द ने वैष्णव धर्म की जिम रामोपासना का निरूपण अपने 'रामावत सम्प्रदाय' में किया, उसका प्रभाव आगे के अनेक धर्मप्रवर्तक आचार्यों तथा सन्तों पर परिलक्षित हुआ। 'रामदासी सम्प्रदाय' उगी का परिणाम है। इस सम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य स्वामी रामदास या समर्थ रामदास का जन्म गोदावरी नदी के तट पर स्थित जामगांव (या जम्मू) नामक स्थान में रामनवमी तिथि को १५३० शक (१६०८ ई०) को हुआ। उनका पैतृक बाल्य नाम नारायण था। उनके जीवन के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारी प्रसंग इतिहास में देखने को मिलते हैं।

कहा जाता है कि रामभक्ति में उनकी बाल्यकाल से ही स्वाभाविक अभि-
ह्वि उत्पन्न हो गई थी। वे स्वभाव से एकान्तप्रिय थे और प्रायः अपने-
आप में विचारमग्न रहा करते थे। उनके सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है
कि माता के मनाने पर किसी तरह वे विवाह के लिए तैयार हुए थे और
बड़े आग्रह करने पर विवाह-वेदी तक गये थे। किन्तु एकाएक आन्तरिक
प्रेरणा से वे सजग हुए और विवाह-मण्डप से भाग गये थे। वहाँ से चलकर
वे नासिक के नमीप पंचवटी में एक गुफा में छिप गये थे। तब से उन्होंने
घोर वैगम्य का जीवन व्यतीत किया।

योगी रामदास के साधनात्मक कठोर जीवन के अनेक प्रेरणादायी प्रसंग
देखने को मिलते हैं। पंचवटी के निकट हावली नामक स्थान पर गोदावरी
नदी के जल में आकृष्ट डूब कर उन्होंने निरन्तर बारह वर्षों की लम्बी
अवधि में गायत्रीजप तथा रामजप किया। अपने इसी साधना-काल में उन्होंने
पवित्र धार्मिक एवं विद्या की नगरी नासिक में मुयोग्य विद्वानों का सस्वग
प्राप्त कर उनसे वेद शास्त्रों तथा धार्मिक विषयों का विधिवत् अध्ययन किया।
अपने कठोरतम तपस्वी एवं विद्याभ्यासी के रूप में वे एक सिद्ध सन्त एवं
विद्वान् पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए।

शंकराचार्य की परम्परा का अनुसरण करते हुए समर्थ रामदास ने
भारत के चारों ओर एवं चारों प्रतिष्ठित प्रसिद्ध पुरातन तीर्थों का दर्शन-
भ्रमण किया। तीर्थ भ्रमण की इस यात्रा को प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने
अपनी तपस्यली राक्षी में महाबली हनुमान् की मूर्ति की प्रतिष्ठा करके

उसके समक्ष देशोद्धार का सक्त्प किया। देश के विभिन्न अंचलो तथा तीर्थ-स्थानो का भ्रमण करते हुए उन्होने देश की तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया। उन्होने अनुभव किया कि देशवासी अनेक प्रकार के सकटो से घिरे हुए हैं और जन-मानस का आत्मबल क्षीण होता जा रहा है तथा परम्पराएँ विस्मृत होती जा रही हैं। उन्होने समाज में कर्मयोग की स्थापना कर उसे उद्बोधित करने का सक्त्प किया। कृष्णा नदी के पवित्र तट पर समर्थ रामदास ने अपने कर्मप्रधान धर्ममत की प्रतिष्ठा की, जिसको कि 'रामदासी सम्प्रदाय' के नाम से कहा गया। उनका यह सम्प्रदाय राष्ट्रीय पुनर्जागरण का शखनाद था।

स्वामीजी ने एक सुगठित शिष्य-मण्डली तैयार की और धर्म-प्रचारार्थ उसे देश के कोने-कोने में भेजा। उनका धर्म-सन्देश महाराष्ट्र के घर घर तक पहुँचा। उनकी कर्मठ शिष्य-मण्डली ने निरुत्साहित, विपन्न एवं उदासीन जनता को धर्म-मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुयायियों ने जन-मानस में उसके परम्परागत मूल स्वत्वो तथा गौरवान्वित जीवन की ओर सचेत किया।

निरन्तर ईश्वर चिन्तन और तीर्थाटन के कारण उनकी प्रजा स्वतः प्रस्फुटित हुई और उनके सिद्ध एवं चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव समाज पर इतना अधिक् परिलक्षित हुआ कि कहा जाता है महाराज शिवाजी स्वयं उनके पास आये और उन्हें गुरु के रूप में वरण किया। यह घटना १६५० ई० की है। सभवतः तभी से उनके नाम के आगे समर्थ शब्द योजित हुआ। शिवाजी को शीर्ष तथा गौरव प्राप्त कराने में उन्ही का योगदान रहा है।

यद्यपि समर्थ रामदास की प्रेरणा से शिवाजी ने सत्कार त्याग दिया था, तथापि स्वामीजी ने ऐसे कर्मठ एवं त्यागी व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्थान की ओर प्रवृत्त कर उन्हें तत्कालीन हिन्दुत्व के सकट को दूर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होने झोली लेकर भिक्षाटन तथा सन्यास धारण करने की अपेक्षा शिवाजी को हिन्दू धर्म तथा सस्कृति पर छाये आसन्न सकट को दूर करने के उद्देश्य से कर्ममार्ग पर लगाया। स्वामीजी के प्रोत्साहन से शिवाजी ने हिन्दुत्व के उत्थान के लिए जो कार्य किया, इतिहास में वह अविस्मरणीय है।

समस्त देश में, और विशेष रूप से महाराष्ट्र में हिन्दू सस्कृति के पुनरुत्थान के लिए स्वामीजी ने जो कार्य किया, वह स्वर्णाक्षरो में लिखा गया। दोनो महापुरुषो ने मिलकर धर्म संरक्षण एवं धर्म-जागरण के लिए जनता को उद्बोधित किया। हिन्दू साम्राज्य की स्थापना के महान् कार्य

में महाराज शिवाजी को समर्थ रामदास का सहयोग सहायक मिष्ट हुआ। स्वामीजी के आदेश निर्देशों पर महाराज शिवाजी ने राष्ट्रीय संगठन का अपना सकल्प पूरा किया।

जीवन का उत्तरार्द्ध

अपने समस्त जीवन काल में स्वामी समर्थ रामदास लोकहितकारी कार्यों में लगे रहे। उनसे शिवाजी ने आशीर्ष प्राप्त कर हिन्दू साम्राज्य की स्थापना का अपना सकल्प साकार किया। जीवन के अन्तिम समय शक १५७२ को स्वामीजी ने सतारा के समीप सज्जनगढ़ को अपना स्थायी निवास बना लिया था। अपनी शिष्य मण्डली द्वारा वे देशवासियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागृतक करते रहे। छत्रपति शिवाजी को राज्य-संचालन में उनका पथ प्रदर्शन करते रहे। शिवाजी के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी सभाजी को उन्होंने परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रोत्साहित किया। किन्तु शिवाजी की वर्ष-स्वी परम्परा को आगे बढ़ाने में तथा उसे सुरक्षित रखने में सभाजी सफल न हो सके।

अपने सुयोग्य शिष्य हिन्दुत्व तथा राष्ट्रप्रेम की अवलम्बित दीपशिखा के बुझ जाने के कारण, शिवाजी के निधन के आघात से स्वामीजी ने १६८९ ई० को शरीर त्याग दिया। सज्जनगढ़ में उन्होंने शरीर छोड़ा। वहाँ पर आज भी रामदासी मन्दिर तथा रामदासी मठ विद्यमान है। उनकी पवित्र समाधि भी यहीं पर बनी है। इसी कारण सम्प्रदाय का यह सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थान है। हिन्दुत्व के प्रति गर्व करने वाले प्रत्येक देशवासी के लिए यह पुण्य स्थान है।

परम्परा का प्रवर्तन

स्वामी समर्थ रामदास ने जिस धर्म शाखा की स्थापना की थी, उनके जीवन काल में ही उसको देशव्यापी लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्द्ध में ऐसे सुयोग्य उत्तराधिकारी को सम्प्रदाय के उत्तम का कार्यभार सौंप दिया था, जो उनका प्रमुख शिष्य और अभिन सहयोगी था। किन्तु असमय में ही शिवाजी का निधन हो जाने के कारण स्वामीजी को बड़ा आघात लगा। महाराज शिवाजी ने सभाजी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किन्तु वे सफल न हो सके। फिर भी सभाजी ने जीवन के अन्तिम समय में जिस साहस, शौर्य और परम्परा की गरिमा का परिचय दिया, उससे उनकी पिछली अपकीर्ति धुल गई। उन्होंने अपने निकटतम मित्र एव सडाहकार कविकलश के सहयोग से अपनी गौरवरक्षा के लिए बौरगजेव की शक्तिशाली मुगल सेना से लोहा लिया और अन्त में मुगलों द्वारा बन्दी बनाये जाने पर ११ मार्च, १६८९ ई० को दोनों को मृत्युदण्ड दिया गया। देशरक्षा के लिए बलिदान की उनकी जीवन-आहुति ने, निरास महाराष्ट्र ने

जन-मानस में नई स्फूर्ति का संचार किया। यद्यपि 'रामदामी सम्प्रदाय' की ब्रम्हचर्य शिष्य-परम्परा स्थापित न हो सकी, तथापि उनके आत्मगौरव के जो बीज स्वामीजी ने बोये थे, ममस्त हिन्दू समाज के हृदयों में वे उग चुके थे। व्यापक हिन्दू समाज में स्वामी रामदास और छत्रपति शिवाजी के गौरवशाली व्यक्तित्वों की गहरी छाप आज भी अमिट है।

सिद्धान्त-निष्पन्न

स्वामी समर्थ रामदास एक महान् सगठनकर्ता थे। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता और समाजोद्धार बनाया था। इसलिए दार्शनिक या सैद्धान्तिक विषयों के प्रतिपादन की ओर उनका ध्यान नहीं रहा। उन्होंने अन्य सम-ग्रामयिक आचार्यों की भाँति अपने सम्प्रदाय की, अपने मत की पुष्टि के लिए न तो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य-टीका लिखी और न कोई ऐसा ग्रन्थ लिखा, जिसमें सम्प्रदाय की आचारिक तथा वैचारिक विशिष्टता का प्रतिपादन हो। अपने 'दासबोध' में उन्होंने अवश्य दार्शनिक विषयों पर प्रकाश डाला है, किन्तु उनके ये विचार सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने की अपेक्षा सामान्य दार्शनिक विषयों से मबद्ध हैं। 'दासबोध' का पूर्वोक्त इम दृष्टि से अवलोकनीय है।

स्वामीजी ने अपना उपास्यदेव श्रीराम और महाबली मादति को बनाया है। उनसे पूर्व 'रामावत सम्प्रदाय' के मध्यापक यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य श्रीराम की महिमा का प्रतिपादन कर चुके थे। अवतारी श्रीराम को परब्रह्म और जीवा के एकमात्र आधार मान चुके थे। स्वामी समर्थ रामदास ने भी उसी परम्परा में श्रीराम के परम पुरुषोत्तम स्वरूप को अपनी आराधना उपासना का विषय बनाया। किन्तु उन्होंने विशेष रूप से श्रीराम के लोकमंगलकारी, लोकमर्षादासम्पन्न पक्ष पर बल दिया। गाय ही उनके गरिमामय, ओजस्वी, लोकरक्षक, मर्षादित और धीरता के उच्च आदर्शों को वरीयता से ग्रहण किया। उन्हीं उदात्त गुणों को समाज में भी प्रचलित किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रामजन्मोत्सव का आयोजन किया और साथ ही राम के मन्दिरों का निर्माण कराया। उनमें श्रीराम की मूर्तियाँ स्थापित कीं। राम के आदर्शमय चरित को वे राष्ट्र के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के लिए अनुकरणीय मानते थे। इम दृष्टि में उनके द्वारा प्रवर्तित मत धर्मोन्नति के साथ-साथ सांस्कृतिक अम्पुन्नति का भी प्रेरक मिद्ध हुआ। उसमें जातीय स्वाभिमान का भी आदर्श निहित था। जीवन के ऐहिक तथा पारलौकिक, दोनों पक्षों के उन्नयन के लिए उन्होंने 'मगवदधीता' के कर्मयोग को अपनाया और उसी को एकमात्र साध्य माना।

स्वामीजी परम रामभक्त थे और इसलिए रामभक्त हनुमान् को भी उन्होंने अपना आराध्यदेव माना। उनके महाबलशाली स्वरूप की स्वामीजी ने

वाराणसी की। उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में ग्यारह हनुमान् मन्दिरों का निर्माण कराया। वे हनुमान् मन्दिर न केवल पूजा-प्रतिष्ठा के स्थल थे, एक प्रकार से स्वामीजी के सगठनात्मक धर्म-प्रचार के भी केन्द्र थे।

स्वामीजी के आध्यात्मिक विचारों पर महाराष्ट्र के पूर्ववर्ती कविमत्तों एवं सन्तों की वाणियों का प्रभाव था। ऐसे भक्तकवियों में मुकुन्दराज, दासोपन्त, त्र्यम्बकराज, एकनाथ और ज्ञानेश्वर का नाम उल्लेखनीय है। उन सन्तों की भाँति स्वामी रामदास के अभग भी लोकवाणी में समाहित हैं और उनकी लोकप्रियता आज तक बनी हुई है।

आचार-पद्धति

‘रामदासी सम्प्रदाय’ के अनुयायियों की आचार परम्परा का विशेष उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। इस सम्प्रदाय में सनातनी हिन्दुओं की आचार परम्परा देखने को मिलती है। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का गोपनीय महामन्त्र है, जो कि दीक्षा के समय प्रत्येक दीक्षित भक्त को दिया जाता है। वे अपना स्वतंत्र विद्व धारण करते हैं।

ग्रन्थ निर्माण

स्वामी रामदास ब्रह्म विद्व एव साधक थे, उतने ही विलक्षण विद्वान् एव तत्त्ववेत्ता भी थे। वे मस्कृत, मराठी, गुजराती और हिन्दी के पूर्ण ज्ञाता थे। समाज में व्यापक प्रचार-प्रसार की इच्छा से उन्होंने अपने धर्म-दर्शन विषयक विचारों को ग्रन्थ रूप में निबद्ध किया। उन्होंने फुटकर अभग, भजन, मनाचे श्लोक, ‘करुणाष्टक’ और ‘दासबोध’ आदि अनेक ग्रन्थों का प्रणयन कर मराठी साहित्य का सवर्द्धन किया और समाज को धर्म में प्रवृत्त किया। उनका कृतित्व ‘भगवद्गीता’, ‘उपनिषद्’ ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ आदि श्रेष्ठतम ग्रन्थों से प्रभावित है। ‘दासबोध’ उनका सर्वोच्च ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की रचना एक समय में न होकर अनेक वर्षों के अन्तराल में समय-समय पर हुई। उसके पूर्वार्द्ध में दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। उसके उत्तरार्द्ध में राजकारण, समाजकारण, व्यवहारधातुर्य तथा लोकसंग्रह आदि ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जो राष्ट्रधर्म से सम्बन्धित है। उनका यह ग्रन्थ धार्मिक कर्म, किन्तु दार्शनिक अधिक है। उसमें अद्वैत तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है।

स्वामी रामदास की वाणी में ओजस्विता, कदगा और पार-मायिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। चारित्रिक एवं राष्ट्रीय गुणों से ओत-प्रोत उनका साहित्य हिन्दुत्व की गरिमा का रक्षक एवं उन्नायक होने के कारण अपना विशेष महत्त्व रक्षता है।

सहजिया नारायण सम्प्रदाय

भारत के उत्तर-मध्ययुगीन धर्म-शास्त्राओं में 'सहजिया नारायण सम्प्रदाय' का भी एक नाम है। इस सम्प्रदाय में विष्णु के पर्याय नारायण की उपासना-आराधना की गई है। नारायण का नाम वेदों में लेकर पुराणों तक व्यापक रूप में उल्लिखित है। ऋग्वेद (२।११।२०) के एक स्थल पर कहा गया है कि 'आकाश पृथ्वी और देवताओं में भी पहले वह गर्भाण्डम्पी वस्तु क्या थी, जो सर्वप्रथम जलपर ठहरी थी और जिसमें सभी देवताओं का अस्तित्व था, जिसके भीतर सभी विद्यमान थे ? इस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि सृष्टि का आरम्भ होने के समय जल का अस्तित्व सर्वप्रथम था। इस आधार पर नारायण (जल) को जगत्स्रष्टा माना जा सकता है। 'नारायण', यह शब्द वस्तुतः सृष्टि-विषयक भावना का प्रतीक है। 'शतपथ ब्राह्मण' के अनेक स्थलों पर (यथा—१२।३।४, १३।६ आदि) और 'तैत्तिरीय आरण्यक' (१०।११, १२।११) में नारायण अथवा पुरुषनारायण का सर्वव्यापी, श्रेष्ठतम, परमदेव परमात्मा के रूप में उल्लेख हुआ है। वे ही हरि हैं और उन्होंने ही ऋग्वेद के 'पुरुषसूक्त' का प्रणयन किया।

ऊपर ऋग्वेद में जिस नारायण का उल्लेख हुआ है, उसका सम्बन्ध वैष्णव शक्ति के उपासक से जोड़ना उचित नहीं है। आरण्यकों में विष्णु तथा नारायण को भिन्न भिन्न माना गया है, किन्तु जहाँ विष्णु का सम्बन्ध है, वह केवल यज्ञों तक ही सीमित था, वहाँ नारायण का महत्त्व शक्तिमान परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया था। 'महाभारत' (स्व० ५।२४) में श्रीविष्णु के वाराह, नृसिंह आदि अवतार नारायण के ही अवतार कहे गये हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि महाभारत काल में विष्णु तथा नारायण की अभिन्नता स्थापित हो चुकी थी। 'महाभारत' के शान्ति पर्व (मोक्ष-धर्म) में स्वतंत्र रूप से 'नारायणीय उपाख्यान' वर्णित है। उसमें नारायण धर्म का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि एक बार महर्षि नारद उत्तर दिशा में क्षीरसागर तट पर स्थित श्वेतद्वीप में गये। उस द्वीप के श्वेतपुरुष भगवान् नारायण की पूजा करते थे। महाभारत काल में नारायण अपने भाई नर के साथ सुवर्णमय रथ पर बैठकर तपस्या करता था (महाभारत, पा० १२।२४)।

नारायण की उपासना-आराधना कब से आरम्भ हुई और उसकी परम्परा किस रूप में आगे बढ़ी, इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं होता

है। लगभग १८वीं शती में वैष्णव धर्म की एक शाखा के रूप में नारायण सम्प्रदाय का उदय हुआ। इस सम्प्रदाय के मूल सस्थापक का नाम स्वामी सहजानन्द था। उनका जन्म सरवारिया स्थित छर्पया नामक गाँव में १७८१ ई० को हुआ था। उनका बाल्यनाम हरिकृष्ण या घनश्याम था। उनके पिता का नाम कर्मदेव और माता का नाम भक्तिदेवी था। जाति से वे सरद्वूपारीण ब्राह्मण थे। बालक के जन्म के लगभग दो-ढाई वर्ष पश्चात् पिता कर्मदेव ने छर्पया छोड़कर अयोध्या में आकर स्थायी रूप से निवास कर लिया था। इस प्रकार अयोध्या ही उनका निवास बना रहा।

जब घनश्याम की आयु केवल ग्यारह वर्ष की थी, वे माता पिता, दोनों की साया से वंचित हो चुके थे। यद्यपि अभी वे केवल बालक थे, किन्तु अपनी प्रत्युपपन्नता और अपने जन्माजित सत्कारों के कारण उनके मन में अलौकिक प्रेरणा जागी। ससार की नि सारता और मनुष्यजीवन की क्षणभंगुरता ने उनको उद्वेलित कर दिया। वे विरक्तों की भाँति घर छोड़कर शान्ति तथा मन के समाधान के लिए वेशाटन की निकल पड़े।

अपनी यात्रा का प्रथम लक्ष्य उन्होंने उत्तराखण्ड की बनाया। वे सुदूर अयोध्या से चलकर दुर्गम तथा घोर वनाच्छादित पर्वतों को लाघकर बदरिकाश्रम पहुँचे। जोशीमठ में उन्होंने शकराचार्य द्वारा स्थापित धाम के दर्शन किये, भगवान् वादरायण व्यास के पवित्र पीठ के प्रति नमन किया और तत्पश्चात् साधकों के परम आराध्य योगीश्वर नारायण के दर्शनों की उत्कण्ठा पूरी की। उस साधना-भूमि में आत्मदर्शी दिव्य विभूतियों की कमी नहीं थी। यहाँ कुछ दिन ठहर कर उन्होंने गोपाल नामक एक विद्वान् सन्यासी का सत्संग प्राप्त किया। उनसे सन्यासधर्म में दीक्षा प्राप्त कर उनके सदुपदेशों को ग्रहण किया। उनसे परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त किया।

उत्तराखण्ड से वे सीधे दक्षिण भारत की यात्रा पर गये। वे परम धाम रामेश्वरम् गये और वहाँ भगवान् के दर्शन कर पण्डरपुर तथा कच्छ (भुज) की यात्रा पर गये।

जिन दिनों बह्मचारी-वेष में वे दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, उन दिनों वहाँ स्वामी रामानन्द का 'रामावत सम्प्रदाय' का व्यापक प्रभाव था। उससे प्रभावित होकर वे किसी रामानन्दी या रामानन्द नामक रामावती साधु के सम्पर्क में आये। वे उनके आश्रम में रुक गये। उन्होंने उस साधु से रामानन्दी वैष्णव सम्प्रदाय की विधिवत् दीक्षा प्राप्त की और सम्प्रदाय के नये नाम सहजानन्द से प्रसिद्ध हुए। वे वही गुरु के सहजाम में रहने लगे।

कालान्तर में १८०२ ई० को दीक्षा गुरु के समाधि ग्रहण करने पर वे उनके उत्तराधिकारी बने। वे वहाँ की गद्दी के उत्तराधिकारी बने अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं होता है, किन्तु दक्षिण भारत में वह कोई प्रसिद्ध गद्दी थी, जिसके वे आचार्य बने। उनके दीक्षा-गुरु का नाम भी सम्भवतः रामानन्द ही था। गुष्पाद के शरीरत्याग के उपरान्त स्वामी सहजानन्द ने सम्प्रदाय की परम्परा को अधिक प्रभावशाली एवं व्यवस्थित ढंग से प्रवर्तित किया। उन्होंने सत्सगों का आयोजन किया और उममे भजन, कीर्तन तथा उपदेश प्रवचन की नियमित व्यवस्था की। कुछ ही समय में उनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई। बहुसंख्यक जनता उनकी अनुयायी हो गई। १८०४ ई० में स्वामीजी ने भक्ति और भगवदाराधन का अपना नया पन्थ प्रचलित किया, जो कि रामानन्दी वैष्णवों से अपेक्षया भिन्न था। उन्होंने अपनी इस नयी धर्म-शाखा का नामकरण किया 'नारायणी सम्प्रदाय' या 'उद्धवी सम्प्रदाय'। इस कारण वे स्वामी नारायण के नाम से भी कहे जाने लगे।

अपने नये धार्मिक पन्थ की नींव डालकर स्वामीजी ने गुजरात-काठियावाड़ की यात्रा की। वहाँ जाकर उन्होंने अनुभव किया कि धर्म के नाम पर बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी ऐसी दोषपूर्ण प्रथाओं को प्रचलित कर रहे हैं, जो धर्मानुकूल नहीं है। वहाँ की जनता में स्वामी सहजानन्द ने चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया और प्रचलित कुप्रथाओं को दूर किया। उन्होंने उस समाज के समुल्ल धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया और पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए परमेश्वर की चरणारगति में जाने के लिए जन-सामान्य को प्रेरित किया। धर्म के विषय को लेकर बल्लभ सम्प्रदाय से उनके घोर विरोध रहे।

स्वामीजी स्वयं अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किन्तु अनेक तीर्थों तथा आत्मदर्शी महात्माओं का दर्शन-लाभ प्राप्त कर चुके थे। उनके सम्पर्क में रहकर आत्मज्ञानी हो चुके थे। अतः वे एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मानव मात्र को एक माना और समस्त धर्मानुयायियों को अपने मत में सम्मिलित होने का आमन्त्रण दिया। उनकी देवोपम वाणी से प्रभावित होकर क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, सभी जातियों और ऊँच नीच के धर्म भेद को भुलाकर सभी क्षेत्रों के लोग उनकी शरण में आये।

परम्परा का प्रवर्तन

स्वामी सहजानन्द ने केवल ४८ वर्ष की अल्पायु बिता कर १८२९ ई० में शरीर त्याग किया। उनके बाद उनके प्रमुख सात शिष्यों ने इस सम्प्रदाय

का प्रचार-प्रसार किया। उनका अधिक प्रचार गुजरात में हुआ। स्वामीजी के सात शिष्यों के नाम थे—१. स्वामी गुणातीतानन्द, २ स्वामी गोपालानन्द, ३ स्वामी नित्यानन्द, ४ स्वामी शतानन्द, ५ स्वामी निष्कुलानन्द, ६ स्वामी मुक्तानन्द और ७ स्वामी ब्रह्मानन्द। स्वामी प्रेमानन्द ने नारायणी सम्प्रदाय का उल्लेखनीय प्रचार-प्रसार किया।

उत्तर-मध्ययुगीन भक्तकवियों में स्वामी परमानन्द की गुजरात-लोकजीवन तथा गुजरात साहित्य में बहुत ख्याति है। उनका मूल स्थान बड़ोदा था और वहाँ से समय-मसय पर दूसरे अंचलों की यात्रा कर वे अन्त में स्वामी सहजानन्द के ससर्ग से वैष्णव धर्मानुयायी हो गये थे। वे बड़े विद्वान् थे और उन्होंने 'दशमस्कन्ध', 'रुक्मिणीहरण', 'बाललीला', 'भ्रमर-गीता' 'दानलीला' आदि तीस से अधिक कृतियों का प्रणयन किया। उनकी रचनाओं पर 'रामायण', 'महाभारत', 'भागवत' और विपुल पुराण-साहित्य का प्रभाव है। अपनी कृतियों में उन्होंने कृष्ण और राम की लीलाओं का गायन किया है। यद्यपि उन्होंने श्रीकृष्ण के विभिन्न स्वरूपों और लीलाओं पर अनेक ग्रन्थों की रचना की, किन्तु रामभक्ति के प्रति उनका विशेष रक्षान रहा। उन्होंने उपदेश, भजन, कीर्तन आदि की अपेक्षा ग्रन्थ-रचना पर विशेष बल दिया। उनकी भक्ति-रचनाओं पर गुजरात के मालण तथा नाकर आदि गुजराती आख्यानकारों का प्रभाव है।

उन्होंने स्वामी सहजानन्द द्वारा स्थापित 'नारायण सम्प्रदाय' को परम्परानुसार प्रवर्तित करने की अपेक्षा उसे राम-कृष्ण की संयुक्त भक्ति का स्वरूप देकर बहुमुखी बनाया। गुजरात के लोक-जीवन में आज भी ऋतु-उत्सवों, विभिन्न धार्मिक आयोजनों के समय उनकी रचनाओं को बड़े उल्लास से गाया जाता है।

साहित्य-निर्माण

नारायण सम्प्रदाय का प्रमुख ग्रन्थ 'शिक्षापत्री' है, जो कि संस्कृत में है। उसमें केवल २१ श्लोक हैं। इसे कुछ विद्वान् किसी अज्ञातनामा ब्राह्मण की रचना मानते हैं, किन्तु सम्प्रदाय के अनुयायियों का मत है कि उसका प्रणयन स्वयं स्वामी सहजानन्द ने किया। सम्प्रदाय के अनुयायियों ने उन श्लोकों का सकलन कर 'शिक्षापत्री' के नाम से उनका सम्पादन किया। अनुयायी स्वामीजी को नारायण का साक्षात् स्वरूप परब्रह्म प्रकट पुरपोत्तम श्रीकृष्ण के रूप में मानते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी चतुर्मुखी विष्णु के स्थान पर त्रिमुखी विष्णु की पूजा करते हैं और उसे स्वामीजी का प्रतीक चिह्न मानते हैं।

उक्त 'शिक्षापत्री' के अतिरिक्त परम्परा के विद्वान् आचार्यों ने समय-समय पर अन्यान्य महत्त्वपूर्ण कृतियों का निर्माण कर साहित्य की अभिवृद्धि की। इस प्रकार की कृतियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है।

सिद्धान्त-निरूपण

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त उदार और लोभोपयोगी है। उनमें जात-पात तथा छुआछूत को कोई स्थान नहीं है। स्वामीजी ने सभी जाति तथा धर्मों के लोगों को समान रूप से अपने सम्प्रदाय में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया। स्वामीजी, जैसा कि कहा जा चुका है, अधिष्ठ पढ़े गिने नहीं थे, किन्तु आत्मदर्शी थे। अन्य धर्माचार्यों की भाँति उन्होंने सम्प्रदाय के दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक पक्ष पर कम कहा है, बल्कि जिसका अनुसरण-आचरण सर्वसामान्य कर सके, ऐसे सरल धर्ममार्ग पर चलने का निर्देश किया है। उन्होंने अपनी स्फुट शिक्षाओं में, जिनका संकलन उनके उत्तराधिकारियों ने किया, कृष्णभक्ति को वरीय माना है। उन्होंने भगवान् नारायण (विष्णु) के अवतार श्रीकृष्ण को सेव्य सेवक-भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। भूतिपूजा को स्वीकार किया। यह उल्लेखनीय है कि नारायण सम्प्रदाय की साधना-मदति बल्लभ सम्प्रदाय के अनुरूप है। भक्ति का स्वरूप भी पुष्टिमार्गीय है। सत्सग की महिमा पर बल दिया गया है। किन्तु आचार की दृष्टि से उनका बल्लभ सम्प्रदाय से मतभेद है।

आचार एवं वीक्षा

इस सम्प्रदाय के कुछ विशिष्ट आचार हैं, जो कि किसी अन्य धर्म-शाखा में देखने को नहीं मिलते हैं। उदाहरणस्वरूप उनके मन्दिरों में स्त्री पुरुषों का स्पर्श सर्वथा वर्जित है। वही वही तो स्त्री-पुरुषों के लिए अलग-अलग मन्दिर है। मन्दिरों में मूर्तियों की अपेक्षा चित्रों की ही आराधना उपासना-पूजा होती है। धर्माचार्य उन्हीं स्त्रियों से वार्तालाप करते हैं, जिनमें कोई सम्बन्ध है, शेष स्त्रियों से वे वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं। स्त्रियों को चरणस्पर्श नहीं करने दिया जाता, जैसा कि बल्लभ सम्प्रदाय में विशेष रूप में किया जाता है। यदि किसी धर्माचार्य का सयोगवश किसी स्त्री से स्पर्श हो गया तो पूरे दिन निराहार रहकर उमका प्रायश्चित्त किया जाता है। सम्प्रदाय के स्त्री-समाज को मन्त्रोपदेश देने के लिए आचार्यों की पत्नियाँ या उन घरों की स्त्रियाँ नियत होती हैं। आचार्य-परिवारों की स्त्रियों की अपनी मर्यादाएँ होती हैं। इस सम्प्रदाय का वीक्षा महामन्त्र—'ओम् नमो नारायणाय' है।

नारायण सम्प्रदाय के अनुयायी गृहत्यागी साधु और गृहस्थ, दोनों प्रकार के हैं। ब्राह्मण, वैश्य तथा राजपूत जो भी साधुत्व के जीवन को धारण करने की दीक्षा लेता है, उसे ब्रह्मचारी का पद दिया जाता है। अन्य जाति के लोगों को साधु-सेवा तथा मन्दिरों की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। उन्हें 'पाला' (पाव-रक्षक) कहा जाता है।

साधु सन्यासी गेरुया वस्त्र धारण करते हैं और 'पाला' सफेद वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ब्रह्मचारी वर्ग दाढ़ी मूछ रखता है और शिखा, सूत्र (जनेऊ) तथा दोहरी बण्ठी धारण करता है। साधु सन्यासी तथा पाला जनेऊ छोड़कर अन्य सभी प्रकार का वेप धारण करते हैं। वे सड़ा ऊर्ध्वपुङ्ख तिलक धारण करते हैं और उमने मध्य कुटुम की बिन्दु अंकित करते हैं।

इस सम्प्रदाय की प्रमुख गढ़ियाँ गढ़डा, अहमदाबाद और बडताल में हैं। ये ही उनके प्रमुख तीर्थ भी हैं। गुजरात में इस सम्प्रदाय के अनुयायी अधिका हैं। वहीं से इस सम्प्रदाय का उदय भी हुआ और वही के जन जीवन में आज तक उसकी परम्परा भी बनी हुई है।



रामभक्ति रसिक सम्प्रदाय

हिन्दी के मध्यकालीन भक्ति-साहित्य में रामभक्ति के 'रसिक सम्प्रदाय' का विशेष महत्त्व है। रामभक्ति का प्रसार यद्यपि आठवार वैष्णव भक्त कवि शङ्कराचार्य, मयूर कवि तथा कुञ्जेश्वर आदि कर चुके थे, और तत्पश्चात् वैष्णवाचार्यों में रामानुज ने भी रामावतार में अपनी विशेष निष्ठा दर्शित की, तथापि रामोपासना को स्वतंत्र सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय स्वामी रामानन्द को है। उन्होंने ईश्वर-जीव के विभिन्न भाव-सम्बन्धों की व्याख्या कर इस रसमयी धारा में मर्यादा और मर्यादा-विहीन नयी प्रतिष्ठा की। इन नयी स्थापनाओं को गोस्वामी तुलसीदास ने पल्लविन एव प्रतिष्ठाित किया। उन्होंने स्वामी तथा मन्दा के रूप में आराध्य राम के साक्षर स्वप्न की व्याख्या की। उनके पश्चाद्गत वैष्णव भक्तों ने राम की ऐश्वर्य-सम्पन्न लीलाओं की विभिन्नताओं को प्रदर्शित किया। उनके इन रसिकभक्त वैष्णवों ने उन्हें मोन्दर्य, मायुर्य आदि दिव्य गुणों से विभूषित कर परम्परागत रामभक्ति के क्षेत्र में उपामना की नयी भाव धारा को बहाया। राम को माकेतविहारी तथा युगल सरकार के रूप में अभिव्यक्ति कर और ब्रज के सारे उपमनों को अयोध्या में नवाकुरित कर रामभक्तों की नयी रसमयी शाखा का सूत्रपात किया।

रामभक्ति में इन नयी रस धारा के प्रवर्तक भक्त-कवियों में ब्रह्मदास आदि भक्तों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने अयोध्या के रामघाट पर निरन्तर चौदह वर्षों तक नाम-रूप करके अपने आराध्य के माझात् दर्शन किये। इन मयुरोपासक रसिक भक्तों ने अपने आराध्य के शोभित मोन्दर्य तथा लीला-मायुरी का अभिव्यञ्जन किया। रामभक्ति में रसिक उपामना की इस नयी परम्परा का आधार कृष्णभक्ति की राम-लीलाएँ रहीं हैं। कृष्णभक्तों की भाँति रामभक्तों ने भी रामलीला की नयी रसमयी परम्परा को प्रवर्तित किया, जिसे मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य और लोक-जीवन में व्यापक रूप से अपनाया गया।

रामोपासना की परम्परा में रसिक भक्ति के प्रवर्तक स्वामी अग्रदास (१७वीं शताब्दी) हुए। उन्होंने परम्परागत रसिक भक्ति को एक स्वतंत्र सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसे 'रसिक सम्प्रदाय' के नाम से कहा जाता है। स्वामी अग्रदास स्वामी रामानन्द की निष्प-परम्परा में हुए।

उनके शिष्य नामादान हुए, जिन्होंने अपने प्रतिष्ठ ग्रन्थ 'भक्तमाल' में गोस्वामी तुलसीदास की परम्परा में रामभक्ति की माधुर्मीपातना को अधिक लोक-प्रिय बनाया।

स्वामी अग्रदाम ने अपनी कृतियों में ऐसे भक्तों को रतिक सजा से अभिहित किया है, जो राम की रसमय लीलाओं का अभिव्यंजन एवं उद्गादन करते हैं और राम की अन्तरंग सेवा में निहित रहते हैं। लोक-व्यवहार में रतिक शब्द विषय-वाचनाओं में लित प्रेमी जीवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। किन्तु आध्यात्मिक नायता में उनको सगुण ब्रह्म की लीलाओं का रसगान करनेवाले भक्तों के अर्थ में ग्रहण किया गया है। इन रतिक भक्ति-रस में माधुर्य, हार्म्य, वाचस्पत्य, सख्य और शान्त भाव समन्वित है। राम की रतिक भक्ति के इन विभिन्न भावों को रतिक सम्प्रदाय के रामभक्त कवियों ने विभिन्नता से अभिव्यक्त किया है। इन सम्प्रदाय की परम्परा को नामादास के बाद भातदास, मुरारोदास तथा प्रयागदास, रामचरणदास आदि भक्त कवियों ने प्रवर्धित किया।

मुगल काल में इन भक्ति-परम्परा में कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ। कतिपय अचक्षु मुगल शासकों के कारण और दशनामी शैवों के प्रतिरोध ने फलस्वरूप रतिक सम्प्रदाय के अनुयायी एवं भक्त काशी, बसोष्पा, प्रयाग आदि नगरों को छोड़कर मुस्लिम आतकों से रहित मुद्गर नगरों को चले गये। मुस्लिम आतक के कारण अन्यान्य धर्म-सम्प्रदायों की भाँति, यह सम्प्रदाय भी किसी प्रकार अपने अस्तित्व को सुरक्षित बनाये रखा। रतिक सम्प्रदाय के भक्तों ने स्वन को शक्ति-गन्धन 'अनी' तथा 'असाठों' के रूप में विभक्त कर अपनी परम्परा को बनाये रखा। १८वीं शती में हिन्दू पुनर्जागरण के फलस्वरूप अग्न हिन्दू धर्म-सम्प्रदायों के साथ, रामोपासक सम्प्रदाय भी पुनर्जागृत हुआ। इन समय रामभक्तों तथा कृष्णभक्तों का घनिष्ठ सम्पर्क बड़ा। १९वीं शती में दोनों धर्म-सम्प्रदायों का प्रचार-प्रसार तीव्र गति से हुआ। इन शती में रतिक भक्ति ने अपना अपूर्व विकास किया और साथ ही उसके साहित्य में भी अभिवृद्धि हुई।

सिद्धान्त निरूपण

रतिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तिक पक्ष पर उपा-कृष्ण की लीलाओं का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। इन सम्प्रदाय के राम-भोक्ता लीला-रस के आस्वादन की तीन कोटियाँ बताई गई हैं—मनस्संभोग, दृष्टिसंभोग और स्पर्श-संभोग या स्पर्शभोग। प्रथम दो कोटियों में तन्मुख और तीसरी कोटि में

स्वमुख की अनुभूति बताई गई है। प्रिया-प्रियतम की दिव्य श्रीडा में सीता द्वारा अनुभूत सुख को तत्सुख और अपना सुख, स्वसुख मानना ही इस भक्तिमार्ग का चरम लक्ष्य है। वास्तव में इन दोनों प्रकार के सुखों में प्रतीति-मात्र की भिन्नता है, वास्तविकता नहीं। इस भक्ति-सम्प्रदाय की विशेषता यह है कि माधुर्य-भाव का आश्रय लेते हुए भी इस शाखा के भक्तों ने राम के एकपत्नीत्व व्रत को अक्षुण्ण बनाये रखा, राम की मर्यादा को सुरक्षित रखा। इस प्रकार अन्य शृंगारी भक्त कवियों की अपेक्षा रामोपासक रतिक सम्प्रदाय के भक्तों ने सामाजिक सदाचार की रक्षा को भी दृष्टि में रखा। उनमें रुढ़िवादिता तथा ओछी शृंगारिकता नहीं दिखाई देती, अपितु अपने उपास्य राम-सीता के आदर्शों की सीमा में रहकर शृंगार की एकरसता में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। इस सम्प्रदाय के भक्त कवियों की रचनाओं में ऐसे समयपूर्ण शृंगार की मृष्टि की गई है, जो कि लोकाचार की दृष्टि से भी वरणीय है।

इस प्रकार रामभक्ति की परम्परागत धर्म-शाखाओं में रतिक सम्प्रदाय अपनी लोकप्रियता एवं सहजगम्यता के कारण, मध्ययुगीन धार्मिक इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।



(नौ)

वैष्णव धर्मशास्त्राँ

- १ वैष्णवधर्म
- २ आलवार वैष्णव सम्प्रदाय
- ३ श्रीवैष्णव सम्प्रदाय
- ४ महानुभाव पन्थ
- ५ निम्बार्क मत या सनक सम्प्रदाय
- ६ विष्णुस्वामी सम्प्रदाय
- ७ माध्वमत या ब्रह्म सम्प्रदाय
- ८ महापुरुषिया सम्प्रदाय
- ९ वल्लभ सम्प्रदाय या पुष्टिमागं
१०. चैतन्य मत या गौडीय सम्प्रदाय
- ११ राधावल्लभ सम्प्रदाय
- १२ मीराबाई

वैष्णव धर्म

भारत की पुरातन धर्म-परम्परा में सात्वत एवं पाश्चात्त धर्मों का समन्वय भागवत धर्म में हुआ और भागवत धर्म की पूर्णता वैष्णव धर्म के रूप में प्रतिफलित हुई। इस रूप में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म तथा उसकी साक्षा-उपसाक्षाओं का उपाजीव्य रहा है।

वैष्णव धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने के लिए तत्कालीन प्रचलित जैन, बौद्ध धर्मों और संन्यास-शाक्त आदि अन्यान्य धर्मों का अध्ययन आवश्यक है। जैन और बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी होने के साथ-साथ वैदिक परम्पराओं के भी आलोचक रहे हैं। इन दोनों धर्मों को, विशेष रूप से बौद्ध धर्म को अशोक जैसे प्रतापी सम्राट् का संरक्षण मिला, जिसके प्रयासों के कारण उसका प्रसार न केवल बृहत्तर भारत में, अपितु एशिया के अनेक देशों तक हुआ। इसी प्रकार जैन धर्म ने भी निरन्तर अपना विकास किया। इन दोनों निरीश्वरवादी अवैदिक धर्मों की प्रतिद्वन्द्विता में परम्परागत वैदिक धर्म की साक्षाओं ने अपने उत्तराधिकार को पुनः स्थापना में जिस धर्मसाक्षा को जन्म दिया, उसे 'वैष्णव धर्म' के नाम से कहा गया।

विद्वानों के अभिमत से वैष्णव धर्म के जन्म एवं उत्थान के मूल में चार विचारधाराओं का योगदान रहा। प्रथम विचारधारा के मूल स्रोत वैदिक देवता विष्णु थे, दूसरी विचारधारा के आधार दार्शनिक देवता नारायण थे, तीसरी विचारधारा के अधिष्ठान ऐतिहासिक देवता वामुदेव थे और चौथी विचारधारा के स्रोत आभीर देवता बालगोपाल थे। इन चारों विचारधाराओं में वैदिक देवता विष्णु को ही अधिक अपनाया गया। अन्य अनेक देवताओं के होते हुए भी विष्णु को ही एकमात्र आराध्यदेव मानने की आवश्यकता इसलिए भी हुई कि वे ही एकमात्र ऐसे देवता थे, जिनकी स्मृति गीर्जित मानवों के रक्षक के रूप में प्रचलित थी। इसलिए वैदिक धर्मानुपायियों ने विष्णु को ही अपना आराध्य बनाया और वैष्णव मत के अनुयायी को इतनी अधिक मान्यता प्रदान की कि उसके सम्बन्ध में 'महाभारत' (१८।६।९७) में कहा गया है कि 'इसमें सन्देह नहीं कि अठारह पुराणों का रचयण करने का जो फल प्राप्त होता है, उसे मनुष्य केवल वैष्णव बनने से ही प्राप्त कर लेता है।'

वैष्णव धर्म का जो नया रूप प्रकाश में आया, वह परम्परागत सात्वत, पाश्चात्त और भागवत धर्मों का रूपान्तर था। उसको वैष्णवत्व का व्यापक

स्वरूप पौराणिक युग न प्रदान किया। पुराणों द्वारा विष्णु के विभिन्न अवतारों का प्रबलन हुआ और उनसे वैष्णव धर्म का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत हुआ। इसलिए वैष्णव धर्म को वस्तुतः पौराणिक धर्म कहना चाहिए, क्योंकि पुराणों में ही उसकी पूर्णता प्राप्त हुई। वैष्णव मात्र बन जाने से अनन्त महिमा-मण्डित पुराणों का पुण्य महज में ही प्राप्त हो जाने की यह धारणा वैष्णव धर्म की मान्यता तथा गरिमा को ही प्रकट करती है।

वैष्णव धर्म की इस महत्ता के कारण जहाँ एक ओर उसका उत्तरोत्तर प्रसार होता गया, वहीं दूसरी ओर अनेक धर्माचार्यों, तत्त्ववेत्ताओं, दार्शनिकों तथा विद्वान् मन्त्रों ने ज्ञानयुक्त एवं भक्तिपूर्ण बहुमध्यक कृतियों का निर्माण कर सैकड़ों एक शक्ति धर्मों के विरोध को परास्त कर अपने प्रभाव का प्रसार किया (परशुराम चतुर्वेदी वैष्णव धर्म, पृ० ८६-४७)।

यद्यपि भागवत धर्म के रूप में वैष्णव धर्म की परम्परा बहुत प्राचीन है, तथापि उसका इतिहास तीसरी चौथी शताब्दी तक ब्रह्मवद्ध रूप में नहीं मिलता है। यद्यपि दक्षिण व अनेक अंचलों—द्रविड, तैलंग, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उसका प्रचार प्रसार हो चुका था, किन्तु उत्तर भारत में उसका केन्द्र केवल मथुरा तक ही सीमित रहा। भारत में गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ ही तीसरी-चौथी शती ई० के लगभग साम्राज्य की सीमाओं के साथ ही वैष्णव धर्म का प्रभाव भी बढ़ता गया। 'परम भागवत' का वीरुद धारण करने वाले गुप्त सम्राटों की सरलवृत्ता में वैष्णव धर्म का उल्लेखनीय विकास-विस्तार हुआ। उन्होंने वैष्णव धर्म को उदात्त सार्वभौम धर्म के रूप में विकसित किया। गुप्त युग में भागवत धर्म का पुनरुत्थान हुआ। उसका प्रभाव हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के विस्तृत भू-भाग में व्याप्त हुआ। गुप्तों के प्रथम के कारण धर्म का यह अभिमान बृहत्तर भारत में फैला। भारत पर गुप्तों ने २७५-५९० ई० तक राज्य किया और इस अवधि में वैष्णव धर्म का जितना विकास हुआ, वह अमूर्तपूर्व था।

गुप्तकालीन भारत का साहित्य निर्माण की दृष्टि से भी उल्लेखनीय योगदान रहा। इस समय संस्कृत साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ तथा हिन्दू धर्म अपनी उन्नतावस्था को पहुँचा। हिन्दू धर्म के आचार, विचार तथा कर्म संस्कारों के प्रतिपादक बहुमध्यक ग्रन्थों का निर्माण भी इसी समय हुआ। धर्म के व्यापक स्वरूप को प्रतिपादित करनेवाले धर्मशास्त्रीय साहित्य के निर्माण का भी यह उल्लेखनीय समय रहा। इसी युग में अनेक पुराण-ग्रन्थों के प्रामाणिक संस्करण प्रकाश में आये। श्लोकवद्ध स्मृति-ग्रन्थ भी इसी युग में

निमित्त हुए। उनमें मुख्य हैं— मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, 'पराशरस्मृति', 'बृहस्पतिस्मृति' और 'वात्स्यायनश्रौतसूत्र'।

गुप्तों ने बाद हर्षवर्द्धन (७वीं शती) भारत का अन्तिम चक्रवर्ती सम्राट् हुआ। वह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान् था और उससे भी बढ़कर विद्वानों का आश्रयदाता। उसके शासन-काल में सस्वृत की उल्लेखनीय उन्नति हुई। उसके पूर्वज सूर्य (आदित्य) के उपासक थे। किन्तु वह बौद्ध-धर्मानुयायी था। उसके शासन-काल में बौद्ध धर्म को प्रभय मिला और वैष्णव धर्म की परम्परा तथा लोकप्रतिष्ठा की क्षति हुई।

८वीं शती ई० में शंकराचार्य के उदय के बाद वैष्णव धर्म का ह्रास और शैव मत का अभ्युदय हुआ। शंकराचार्य ने भारत के चारों धामों की यात्रा कर धार्मिक दिग्बिजय प्राप्त की। उन्होंने वैचारिक तथा धार्मिक, दोनों क्षेत्रों में शिव की सत्ता का सर्वोपरि महत्त्व स्थापित किया। उन्होंने परम्परागत वैष्णव धर्म को पाचरात्र धर्म कह कर उसकी अनेक बातों को अपूर्ण और धैरिक सिद्धान्तों के विपरीत बताया। उन्होंने वैश्वदेवत्व की आलोचना कर शिवत्व की महनीयता को प्रस्थापित किया। उनके प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में गाँवों में लेकर नगरों तक शिव मन्दिर स्थापित हुए और शैव मत को व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। आगे चल कर शैव मत सामान्य शैव, मिश्रशैव, कापालिक शैव, वीर शैव, लकुलीश शैव, तामिल शैव, रसेश्वर शैव और काश्मीर शैव आदि विभिन्न शाखा उपशाखाओं में पल्लवित हुआ। यद्यपि कुछ शैव शाखाओं ने शैव मत की महनीयता को क्षीण भी किया, तथापि जहाँ तक वैष्णव धर्म का सम्बन्ध है, उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। वैष्णव धर्म के अवरोध के अन्य भी अनेक कारण थे। योगी मार्ग तथा नायपन्थ ने भी वैष्णव धर्म की लोकप्रियता को कम किया।

इन विपरीत परिस्थितियों में भी वैष्णव धर्म का अपना प्रभाव बना रहा। शंकराचार्य के कारण यद्यपि वैष्णव धर्म की प्रगति में अनेक बाधाएँ आईं, किन्तु जन मानस पर उसका इतना अधिक प्रभाव व्याप्त हो चुका था कि उसका सर्वथा उन्मूलन नहीं हो सका, अपितु मन्यर गति से उसकी परम्परा आगे बढ़ती रही। 'शैव सम्प्रदाय' तथा 'गणपत्य सम्प्रदाय' के रूप में उसका अस्तित्व तब भी बना रहा।

भारत में अनेक धर्म शाखाओं के प्रचलन के फलस्वरूप वैष्णव धर्म ने अपनी लोकप्रियता को बनाये रखा। १०वीं शती में वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान हुआ और तब से उसकी परम्परा आगे निरन्तर प्रगस्त होती गई। उदाहरण स्वरूप श्री-सम्प्रदाय, विष्णुस्वामी सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, रामावत सम्प्रदाय,

बल्लभ सम्प्रदाय, गौडीय सम्प्रदाय (चैतन्य मत), राधावल्लभ सम्प्रदाय, नारायण सम्प्रदाय दत्तात्रेय मत, महापुरुषपिया सम्प्रदाय और वारकरी सम्प्रदाय आदि शाखाओं-उपशाखाओं के रूप में वैष्णव धर्म अपने अस्तित्व एवं महत्त्व को अधिक लोकव्यापी बनाने में सफल रहा। उसकी यह विकासावस्था लगभग १९वीं शती तक बनी रही। इन धार्मिक सम्प्रदायों के वैष्णवाचार्यों ने 'प्रस्थानत्रयी', अर्थात् 'भगवद्गीता', 'ब्रह्मसूत्र' और 'उपनिषदों' पर भाष्य टीकाएँ तथा व्याख्यान लिख कर अपने अपने सम्प्रदायों की वैदिक धर्मनिरूपण वेदान्तपरक व्याख्या करके उनको अधिक व्यवस्थित रूप में प्रतिष्ठित किया।

भक्ति को भगवान् के साक्षिण्य का सर्वोत्तम साध्य-साधन मान कर जिन भक्तों, सन्तों एवं महात्माओं ने व्यापक भारतीय जन-समाज में धर्म की परम्परा को प्रशस्त किया, उनमें १५वीं शती के भक्तकवियों का नाम प्रमुख हैं। सामान्यतः सभी वैष्णव सम्प्रदायों के भक्तकवियों ने इस अवधि में कृष्ण-भक्ति को अधिक प्रशस्त किया। उनकी वाणियाँ जन-जन की जिह्वा में गमाहित होकर वैष्णव धर्म का देशव्यापी प्रसार हुआ। वैष्णव भक्तों की यह परम्परा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सुदूर दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्वोत्तर भारत में प्रवर्तित हुई।

भारतीय साहित्य का भक्ति युग, जिसकी अवधि १३वीं से १७वीं शती ई० के बीच मानी जाती है, रामभक्ति और कृष्णभक्ति की भाव-धाराएँ लोक-मानस का कण्ठहार बनीं। भारत के लोक-जीवन में धर्म के प्रति इतनी अगाध निष्ठा इमसे पूर्व कभी भी जागरित नहीं हुई। इतनी आसक्ति तथा एव सात्विकता इतिहास में किसी भी युग में देखने को नहीं मिलती है।

इस भक्तियुग में उपासना पद्धति को लेकर वैष्णव धर्म की दो प्रमुख शाखाएँ प्रकाश में आईं। एक शाखा के भक्तों ने सगुणोपासना की परम्परा को प्रवर्तित किया और दूसरी शाखा के सन्तों ने निर्गुणोपासना की नई परम्परा को स्थापित किया। उपासना की इस द्विरूपता के कारण भक्तियुग को सगुण और निर्गुण, इन दो भागों में विभक्त किया गया। उनमें भी सगुणोपासकों की दो उपशाखाएँ—रामभक्ति शाखा और कृष्णभक्ति शाखा, प्रकाश में आईं। इसी प्रकार निर्गुणोपासना की भी दो उपशाखाएँ पल्लवित हुईं—ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी। सगुण रामभक्ति शाखा के आचार्यों, कवियों में रामानुजाचार्य, स्वामी रामानन्द और गोस्वामी तुलसीदास प्रमुख हुए। इसी प्रकार कृष्णभक्ति शाखा को बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग ने प्रशस्त किया। उसको सूरदास, मीराबाई सहित अष्टछाप के कवियों की वाणियों में अधिक

व्यापकता मिली। निर्गुणोपासक ज्ञानमार्गी सन्तो में दक्षिण के आलवार भक्तों सहित कबीर, नानक, दादू आदि हुए। उनमें अनेक मुसलमान फकीरों का भी योगदान रहा। इसी प्रकार प्रेममार्गी सूफी सन्तो में जामली, कुतुबन, मसन, उसमान, शेखशादी तथा नूर मुहम्मद आदि का नाम उल्लेखनीय है।

परम्परागत वैष्णवों की सगुणोपासक शाखा अवतारवाद तथा मूर्तिपूजा की समर्थक रही। इस शाखा के अनुयायियों ने सम्प्रदायगत शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों को भी अपनाये रखा। किन्तु दूसरी निर्गुणोपासक शाखा ने अद्वैतवादी उपासना-पद्धति को अपनाया और अवतारवाद, मूर्तिपूजा तथा प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों की कटु आलोचना की। इस निर्गुणोपासक सन्त-परम्परा की उपासना-पद्धति पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा बौद्धों के शून्यवाद का प्रभाव रहा। सामाजिक एवं साधना की दृष्टि से उन पर बौद्धधर्म तथा नायपन्य का प्रभाव था। इन सन्तों एवं फकीरों ने जात-धर्म तथा वर्ण-धर्म आदि सामाजिक असमानताओं का भी बहिष्कार किया। उन्होंने वैष्णवाचार्यों की शास्त्रीय पद्धति को नहीं अपनाया। उनके उपास्य निर्गुण, निराकार, निरंजन, और निस्पृह एकमेव ब्रह्म था। नायपन्य के प्रभाव से इन सन्तों ने कठिन शारीरिक एवं मानसिक नियमों पर बल देकर ज्ञानाचार्यों की सन्ध्याम-पद्धति को भी अपनी उपासना का विषय बनाया।

इन प्रकार वैष्णव धर्म के क्षेत्र में भक्ति और उपासना की विभिन्न पद्धतियों को अपना कर भक्तों एवं उपासकों के विभिन्न वर्ग बने। किन्तु मूल रूप में उन सब की अन्तर्वृत्तियों में वैष्णव धर्म की प्रेरणाएँ विद्यमान थीं। अपने इन विभिन्न रूपों में इतिहास के उदयान-पवनो को झेलती हुई वैष्णव धर्म की परम्परा उत्तरोत्तर प्रगस्त एवं समृद्ध होती हुई आज तक पहुँची। आज के भारतीय जन-मानस पर उनका व्यापक प्रभाव है। उनका अपना विशाल माहित्य है, जिसमें उसके दया, प्रेम, समानता तथा सार्वभौम एवं सामान्य मिद्धान्त निहित हैं।

विष्णु का स्वरूप

वैष्णव धर्म विष्णु की भक्ति-उपासना पर आधारित है। उनमें विष्णु के व्यापक स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है। भारत की धार्मिक परम्परा में विष्णु को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। उन्हें जगत्पालक कहा गया है और जगत्संहारक सदाशिव के साथ आद्यदेवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। ये दोनों देवता ऐसे हैं, जिनके प्रति भारतीयों में आदि काल से

अब तक ममान श्रद्धा एव भक्ति रही हैं। भारतीय सस्कृति भी उनसे प्रभावित है। विष्णु एव सदाशिव, दोनों का उत्तर वैदिक युग में मानवीकरण हुआ और इस रूप में उनकी देवोपासना प्रारम्भ हुई। शिव का मानवीरूप शिवोपासना के रूप में और विष्णु का मानवीस्वरूप वैष्णवोपासना के रूप में प्रचलित हुआ। इस प्रकार भारत के धार्मिक इतिहास में शैव सम्प्रदाय और वैष्णव सम्प्रदाय परवर्तीकालीन ममरत धार्मिक सम्प्रदायों के मूल उत्स या उद्गम स्रोत बनें।

वैदिक साहित्य में विष्णु को सात्वत लीगो ने वामुदेव भक्ति के रूप में और ब्राह्मणादि ग्रन्थों ने नारायण भक्ति के रूप में प्रचलित किया। आगे चलकर पुराणों में विष्णु के अनेक अवतारों की कल्पना हुई, जिनमें कृष्ण और राम प्रमुख हैं, और इस प्रकार इन अवतारों के भी नये धार्मिक सम्प्रदाय बने। पुराणों में विष्णु को प्रथम स्थान का देवता माना गया है, जब कि वैदिक साहित्य में विष्णु का स्थान इन्द्र, वरुण, अग्नि के बाद चतुर्थ है। ऋग्वेद के एक मंत्र (१।२२।१९) में विष्णु को इन्द्र का योग्य सहायक बताया गया है।

'विष्णु' शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों ने दो प्रकार से की है। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार 'सतत त्रियारील (विप) रहनेवाले तथा मोर स्वरूप' होने के कारण उन्हें 'विष्णु' कहा गया, और दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार 'विश्व की उत्पत्ति (विश) करने के बाद उसको व्यापक करने' के कारण 'विष्णु' कहलाये, जैसा कि 'विष्णुमहत्तनाम' की टीका में भी लिखा गया है—

चराचरेषु भूतेषु वशनात् विष्णुरूप्यते।

ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख हुआ है कि (१।२२।१८) अपने तीन पगों से विष्णु ने पृथ्वीलोक, द्यूलोक और अन्तरिक्षलोक को नाप लिया था। ऋग्वेद के अन्य मंत्रों (१।१५।५।५, १।२२।२० आदि) में कहा गया है कि तृतीय पद विष्णु का परम पद है। उसे विद्वज्जन आकाश में सदा दृष्टि लगाकर देखा करते हैं। विष्णु के उस परम पद में आनन्द रम का स्रोत विश्चमान है।

ऋग्वेद के अन्य मन्त्रों (१।१५।५।५, १६।५।१) में कहा गया है कि विष्णु अत्यन्त पराक्रमी, विधि नियमों के पालनकर्ता और उन नियमों के प्रेरक भी है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में विष्णु को इन्द्र तथा अग्नि से बढकर माना गया है (अग्निर्वै देवानामवमो विष्णु परम, 'ऐतरेय ब्राह्मण' १।१।१)। इसी प्रकार 'शतपथ ब्राह्मण' (१।४।१।१, १।२।५) में विष्णु की यज्ञ में अन्य देवताओं में बढकर काम करनेवाला बताया गया है। वे समस्त भूलोक में विचरण करनेवाले अलौकिक शक्ति-सम्पन्न देवता हैं।

ऋग्वेद और ब्राह्मण-ग्रन्थों के उक्त सन्दर्भों की समीक्षा करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण काल में इन्द्र से देवराज का पद विष्णु को प्राप्त हो गया था और विष्णु की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए 'इन्द्रसूक्त' की भाँति 'विष्णुसूक्त' की भी रचना की गई। इतना ही नहीं, अपितु अनेक सन्दर्भों से यह भी विदित होता है कि हरि, केतव, वामुदेव, कृष्णीपति, वृषभ तथा बैकुण्ठ आदि जो पर्याय इन्द्र के थे, वे विष्णु के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होने लगे थे (वैष्णव धर्म, पृ० १४ १५)।

विष्णु के अवतारों के मन्त्रग्रन्थ में वेदा में प्रायः कुछ नहीं कहा गया है। किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ और पुराणों में विष्णु के विभिन्न अवतारों का उल्लेख किया गया है। 'महाभारत' (शा० ३२६।८२५) में विष्णु दस अवतारों का उल्लेख हुआ है। उनके नाम हैं—१. वाराह, २. नारसिंह, ३. वामन, ४. परशुराम, ५. राम दशरथि, ६. वामुदेव कृष्ण, ७. हंस, ८. कूर्म, ९. मत्स्य और १०. कल्कि। 'वायुपुराण' तथा 'वाराहपुराण' में विष्णु के दस ही अवतार बताये गये हैं। किन्तु उनमें कुछ नामान्तर है। महाभारत काल में देवताओं में विष्णु का सर्वाधिक महत्त्व बताया गया है। उन्हें सृष्टि का नियन्ता एवं शास्ता माना गया है। इस युग में नारायण, विष्णु और वामुदेव, तीनों देवता एकरूप हो गये थे और उनकी उपासना सम्मिलित रूप में की जाती थी। 'महाभारत' (शा० ४३) में विष्णु को बहुधा परमात्मा के रूप में माना गया है और नारायण तथा वामुदेव उन्हीं के स्वरूप बताये गये हैं।

'महाभारत' के 'नारायणीय उपाख्यान' में नारायण की उपासना का विस्तार से उल्लेख हुआ है। नारायण ने अपने एकान्तिक धर्म का वचन सर्वप्रथम महर्षि नारद का दिया था। उसी को नारायण ने राजा जनमेजय को उपदेश देते समय 'हरिगीता' में कहा था। यह उपदेश इससे पूर्व कृष्ण-रूपधारी नारायण ने भारतीय युद्ध के समय अर्जुन को दिया था। वह उपदेश सात्वत धर्म का था। इस सात्वत धर्म के उपदेश में भ्रमामं और तपस्या-मामं का परित्याग कर निर्लक्ष्य भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। इसी सम्प्रदाय के अधिष्ठान श्रीकृष्ण थे, जो कि नारायण अथवा वामुदेव के अवतार कहलाये। नारायण के इसी कृष्ण अवतार ने 'भगवद्गीता' का प्रणयन कर वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान किया।

पुराणों में सत्वगुणप्रधान देवता विष्णु को जगत् का संचालक एवं शासक बताया गया है। विभिन्न युगों में नानाविध अवतार धारण कर उसने दुष्टों का राहार किया और पृथ्वी की रक्षा की। वह विश्वात्मा का विश्वरूप सात्विक सत्त्व है। उसका मुख्य कार्य स्योजन, धारण, केन्द्रीकरण तथा

सरक्षण है। वह सर्वत्र व्याप्त है। समस्त पृथ्वी का स्वामी है और विध्वंसक शक्तियों का दमन करता है। सभी शक्तियों पर उमका प्रभुत्व है, इसीलिए वह 'विष्णु' है।

जब विष्णु देवता शयन करता है, तो सम्पूर्ण विश्व अपनी अव्यक्तावस्था में पहुँच जाता है। व्यक्त मृष्टि के अवशेष का नाम ही 'शेष' है, जो कुण्डली मार के अनन्त जलराशि पर तैरता रहता है। शेषशायी विष्णु ही नारायण कहलाते हैं, जिसका अर्थ है 'नार', जल पर आवास करनेवाला, अथवा जिसमें समस्त मनुष्यों का अगधान (आवास) है। विष्णु चतुर्हस्त है और चारों हाथों में शस्त्र, चक्र, पद्म तथा गदा धारण किये हुए हैं।

विष्णु सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थ

विष्णु सम्प्रदाय के पाँच ग्रन्थ प्रमुख हैं, जिन्हें 'पंचरत्न' सामूहिक नाम से कहा जाता है। उनके नाम हैं—१ 'भगवद्गीता', २ 'विष्णुसहस्रनाम', ३ 'अनुगीता', ४. 'भीष्मस्तवराजस्तोत्र' और ५ 'गजेन्द्रमोक्ष'। इनके अतिरिक्त 'गण्डपुराण', 'नारदपुराण', 'भागवत' और 'विष्णुपुराण' आदि अनेक ग्रन्थ विष्णु सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं।

आलवार वैष्णव सम्प्रदाय

भारत की धर्म गंगा का मूल उद्गम वेद है। वेदों की धर्म महिमा का व्याख्यान पुराणों और 'महाभारत' में हुआ है। पुराणों में भागवत धर्म की परम्परा का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारत की समस्त पुरातन धर्म-संस्कृतियों पर भागवत धर्म का व्यापक प्रभाव रहा है। वैष्णव धर्म की जो अनेक शाखाएँ प्रकाश में आईं, उनके उद्गम तथा विकास में भागवत धर्म का ही प्रभाव रहा है।

दक्षिण भारत में भागवत धर्म की परम्परा को प्रवास में लाने और उसे लोकप्रचलित करने का श्रेय आलवार भक्तों को है। 'आलवार' का शाब्दिक अर्थ है—'ज्ञान-समुद्र में गहरे गीते रुगानेवाला'। ये आलवार भक्त वास्तव में ऐसे ही थे, जिनकी बाणियों में ज्ञान तथा कर्म की परिष्कृत भक्ति में दिखलाई गई है। इन भक्तों द्वारा प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत में हरिभक्ति (वैष्णव धर्म) का प्रचार-प्रसार हुआ। एक परम्परागत अनुश्रुति में कहा गया है कि कल्पियुग के उदय के माघ ही दक्षिण में आलवार भक्तों का जन्म हुआ। उनके प्रथम या आदिम तीन आचार्य हुए, जिनके नाम थे—पोहिये, पुदुत्त और पे। पोहिये की ध्यानावस्थित भूति आज भी कांची के प्रसिद्ध मन्दिर में विराजमान है। इन तीन आचार्यों के पश्चात् दो आचार्यों के नामों का उल्लेख हुआ है—तिक्मिडिसि और शठारि। उनको इन्नग शठरिषु तथा शठकोप नामों से भी कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम तीन आचार्यों से इन दोनों आचार्यों का कालक्रम की दृष्टि से पर्याप्त अन्तर था।

भक्त शठकोप पाण्ड्य राजाओं के शासन काल में हुए। उनके द्वारा तमिल भाषा में रचित कविता-संग्रह का नाम 'निरुवाय मोलि' है। इस संग्रह में लगभग एक हजार कविताएँ मन्थलित हैं। इनकी कविताओं में प्रभु प्रेम तथा सौन्दर्य का सुन्दर समन्वय हुआ है और इसलिए आज भी उन्हें आलवार भक्तों की परम्परा में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त है। प्रसिद्ध मयूर कवि इन्हीं के शिष्य थे। उनकी कविताएँ तमिल क्षेत्र की भक्त हृदय जनता में बड़ी श्रद्धा-निष्ठा से गाई जाती हैं। 'कुन्दमान्ज स्तोत्र' के रचयिता कुलसेखर श्रावणकोर के नरेय थे, जिन्होंने रामनाम की महिमा का उद्गायन कर स्वयं को आलवार भक्तों की परम्परा में प्रविष्ट किया।

दक्षिण भारत में आलवार वैष्णव मत की ऐतिहासिक प्राचीनता के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के प्रचार-प्रसार का प्राचीनतम साक्ष्य सातवाहन राजा का नानाघाट शिलालेख है, जो कि ई० पूर्वं प्रथम शती का है। उसके पश्चात् इस धर्म की परम्परा किस रूप में आगे बढ़ी, इसका क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त (३३५-३७५ ई०) की प्रसिद्ध 'प्रयाग प्रशस्ति' से भी दक्षिण में भागवत धर्म के अस्तित्व का पता चलता है। इन दोनों अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दक्षिण में वैष्णव भक्ति का उदय ई० पूर्वं प्रथम शती से भी पहले हो चुका था और उसकी परम्परा को गुप्त सम्राटों ने पुनरुत्थापित किया।

दक्षिण में विष्णुभक्ति का क्रमबद्ध इतिहास बारह आलवार भक्तों से आरम्भ होता है। उनके नाम ये—१ पोरिये आलवार, २ भूतल्लालवार, ३ पैयालवार, ४ तिरुमिलिसै आलवार, ५ नम्मालवार, ६ मधुरकवि आलवार, ७. कुलशेखरालवार, ८ पेरियालवार, ९. अण्डाल, १०. तोण्डर-डिप्पोडियालवार, ११ तिरुपाणोलवार और १२ तिरुमर्गयालवार। इन बारह भक्त कवियों का समय ईसा की तीसरी शती से लेकर नवी शती के बीच था। उन्होंने अपने भजनों तथा गीतों में भागवत धर्म की महिमा का उद्गायन करके उसे लोक-प्रचारित किया।

ये धर्मानुरागी जन भगवत्प्रेम में निमग्न, दुनियादारी से विमुक्त, सीधा-सादा जीवन बिताने वाले, कबिहृदय और परम भक्त थे। उन्होंने परमेश्वर के नारायण (विष्णु), राम, कृष्ण आदि लोक-प्रतिष्ठित प्रेममय, भक्तवत्सल एव परम कृपालु स्वरूपों का गुणगान करते हुए उनके चिन्तन-मनन में ही एकाग्रतापूर्वक जीवन बिताया।

'श्रीवैष्णव सम्प्रदाय' के संस्थापक नाथमुनि (१०वीं शती ई०) ने उक्त आलवार भक्तों की श्रुति-परम्परा में जीवित वाणियों का सकलन किया और उन्हें एक एक हजार के चार भागों में सकलित किया। चार हजार स्तुतियों एव भजनों का यह वृहत्संग्रह 'नालाभिर प्रबन्धम्' (दिव्य प्रबन्ध) नाम से कहा जाता है। अपनी महानता एव पवित्रता के कारण वह 'वैष्णववेद' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन पदों का प्रचार-प्रसार यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य ने किया।

आलवार भक्तों की इस परम्परा में पेरिया आलवार (सर्वश्रेष्ठ भक्त) या विष्णुचित और उनकी पुत्री आण्डाल या गोदा का नाम उल्लेखनीय है। दक्षिण भारत की आलवार भक्त-परम्परा के अनुसार पेरिया का जन्म कलि स० ४५ और उनकी पुत्री आण्डाल का जन्म कलि स० ९६ में हुआ। इन

सवतो की ऐतिहासिक प्रागणिकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आण्डाल वही प्रसिद्ध भक्त हुई। मधुरभाषिणी होने के कारण वह गोदा नाम से भी कही गई। उनकी तीन शी श्लोको (पद्य) की तमिल रचना 'स्तोत्ररत्नावली' तमिल भक्तों में आज भी आदर एवं श्रद्धा के साथ गाई जाती है। उन्हें दक्षिण की मीराबाई कहा जाता है। उनकी कविताओं में इष्टदेव की पतिरूप में आराधना की गई है।

प्रसिद्ध वारह आलवार भक्तों में नम्मालवार का भी एक नाम है। वे ८वीं शती ई० में हुए। उन्हें द्रविड वेदों का रचयिता कहा जाता है। उनकी भक्ति-तन्मयता के सम्बन्ध में प्रचलित है कि वे अपने इष्टदेव के सामने इतने भाव-विह्वल हो जाते थे कि उन्हें स्वयं की सुष तक नहीं रह जाती थी। उनका समान आज भी जन-मानस में सुजीवित है।

दक्षिण भारत में विष्णुभक्ति का प्रचार-प्रसार करनेवाले ये वारह भक्त-कवि आज भी वहाँ के जन-मानस में लोकप्रिय एवं श्रद्धास्पद हैं। उन्होंने समस्त दक्षिण भारत में पैदल यात्रा कर जन-जन में भगवद् भक्ति की ज्योति को जगाया। ये आचार्य एवं कवि जन मानस से जुड़े हुये थे। उन्होंने जन सामान्य में उनकी भाषा तथा समझ के अनुरूप भक्ति का प्रचार किया। तमिल भाषा उनके भजनो तथा उपदेशों का माध्यम रही है। आलवार भक्तों का सम्पूर्ण साहित्य तमिल में है। इसलिए आलवार वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को 'उभय वेदान्त' के नाम से कहा जाता है। उसमें संस्कृत के 'प्रस्थानत्रयी' (गीता, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र) और तमिल प्रबन्धों को समान रूप से प्रमाण माना जाता है।

सार्वभौम उदारता

आलवार वैष्णव सम्प्रदाय की सार्वभौम उदारता का दृष्टिकोण सराहनीय है। उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं है। किसी भी जाति, धर्म, मत, वर्ग का व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो सकता है। इस सम्प्रदाय में जाति-बहिष्कृत लोगों को भी सम्मिलित किया जाता था। समस्त मानवता में एक ही भाव की अनुभूति का उच्चारण ही आलवार भक्तों की लोकप्रियता का कारण था।

विशिष्टाद्वैत भक्तिमार्ग

आचार्य रामानुज और प्रौढ दार्शनिक वेदान्तदेशिक के ग्रन्थों में इन आलवार भक्तों की रचनाओं के महत्त्व पर तथा उनके सिद्धान्तों पर तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला गया है। रामानुजाचार्य (११वीं शती ई०) इस

परम्परा के सर्वोच्च आचार्य हुए, जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त का खण्डन करके भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया। आचार्य रामानुज ने शंकरपूर्व वेदान्तियों बोधायन आदि के तात्त्विक विचारों का परिशीलन कर और उपनिषदों, पुराणों, वैष्णव निगमों तथा आल्वार तमिल प्रबन्धों में समन्वय स्थापित कर अपने नये भक्तिमार्ग 'विशिष्टाद्वैत' का प्रवर्तन किया।

रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित धर्म परम्परा अत्यन्त ही लोकप्रिय सिद्ध हुई। भागवत धर्म पर आधारित जिन अनेक वैष्णव शाखाओं का उदय हुआ, उनमें रामानुजीय शाखा का व्यापक प्रचार प्रसार है। दक्षिण भारत में आलवारों की परम्परा को पुनरुज्जीवित करके आज भी तमिल समाज में भक्तिभाव की स्थापना में रामानुजीय सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा बनी हुई है। 'श्रीवैष्णव सम्प्रदाय' के रूप में उनका 'विशिष्टाद्वैत मत' स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रचलित है।

श्रीवैष्णव सम्प्रदाय

भारत के धार्मिक इतिहास में पुरातन वैष्णव धर्म की एक शाखा 'श्रीवैष्णव सम्प्रदाय' के नाम से कही जाती है। इस सम्प्रदाय के आचार्यों की परम्परा बहुत प्राचीन है। इस मत के शास्त्रीय ग्रन्थों में कहा गया है कि श्रीवैष्णव (विशिष्टाद्वैत) सम्प्रदाय का उपदेश सर्वप्रथम भगवान् श्रीनारायण ने जगज्जननी महालक्ष्मी को दिया था। उन्होंने प्रमत्त होकर वह उपदेश वैकुण्ठपापद विश्वरतेन को प्रदान किया। उपदेश की यह परम्परा शठकोप स्वामी, नाथमुनि, पुण्डरीकाक्ष स्वामी और राममिथ स्वामी को प्राप्त हुई। राममिथ स्वामी ने यामुनाचार्य को उसमें दीक्षित किया।

नाथमुनि

इस आचार्य परम्परा में नाथमुनि बड़े प्रतिष्ठ हुए। उनका पारिवारिक नाम रघुनाथाचार्य या योगीन्द्र था। उनका जन्म त्रिचनापल्ली के निकट श्रीरगम् में हुआ था। किन्तु उनके पूर्वजों का मूल स्थान वीरनारायणपुर था। उनका स्थितिकाल १०वीं शती वि० का उत्तरार्द्ध माना जाता है। नाथमुनि के पुत्र ईश्वरमुनि हुए, जो कि अल्पायु में ही परलोकवासी हो गये थे। पुत्र की असाध्यिक मृत्यु के कारण नाथमुनि के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपना जीवन उन्होंने सन्यासियों एवं मुनियों की भक्ति बना लिया। इसी कारण उन्हें नाथमुनि के नाम से कहा जाने लगा। उन्होंने योगभ्यास द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी, जिससे उन्हें योगीन्द्र नाम से भी कहा जाने लगा।

नाथमुनि ही 'श्रीसम्प्रदाय' के वास्तविक संस्थापक थे। उन्होंने सर्वप्रथम आलवार भक्तों की श्रुति-परम्परा में जीवित वाणियों का सकलन किया और उन्हें एक-एक सहस्रात्मक चार भागों में सम्पादित किया। चार हजार स्तुतियों का यह विसाल सकलन ग्रन्थ 'नालाभिर प्रबन्धम्' के नाम से कहा जाता है। उन्होंने स्वयं भी स्तुतियों की रचना की। उनके द्वारा रचित स्तुतियाँ त्रिचनापल्ली के प्रसिद्ध श्रीरगम् मन्दिर में नियमित रूप से गायी जाने लगीं और धीरे धीरे उनकी स्तुतियाँ समस्त वैष्णव मन्दिरों में प्रचलित हो गईं। उनके उक्त ग्रन्थ पर अनेक भाष्य लिखे गये। आज भी दक्षिण के भक्त-समाज में उनकी लोकप्रियता पूर्ववत् बनी हुई है। उनके नाम से 'न्यायतत्त्व' तथा 'योगरहस्य' नामक दो ग्रन्थ बताये जाते हैं, जो सशुद्ध हैं।

नाथमुनि दक्षिण भारत से उत्तर भारत आये और व्रज में आकर स्थायी रूप से रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपने मत का प्रचार-प्रसार किया। उनकी परम्परा को पुण्डरीकाक्ष तथा राममिश्र स्वामी ने आगे प्रवर्तित किया। उन्होंने नाथमुनि के सिद्धान्तों की सरल व्याख्या की और समस्त उत्तर भारत तथा पूर्व पश्चिम भारत तक श्रौतप्रदाय का प्रचार-प्रसार किया।

यामुनाचार्य

श्रौतप्रदाय के चौथे प्रभावशाली आचार्य यामुनाचार्य हुए। वे ईश्वर-मुनि के पुत्र तथा नाथमुनि के पौत्र थे। राममिश्र उनके गुरु थे। उनका जन्म १०१० वि० को वीरनारायणपुर (मडुरा) में हुआ। जब उनके पिता ईश्वरमुनि का निधन हुआ तो उनकी आयु केवल १० वर्ष की थी। नाथमुनि यद्यपि सन्यासी हो गये थे, किन्तु अपने पौत्र यामुनाचार्य के प्रति वे आशावान् बने रहे। अपने अन्तिम दिनों में उन्होंने यामुनाचार्य का सारा दायित्व अपने शिष्य राममिश्र पर छोड़ दिया। उन्हीं की देख-रेख तथा अनुभासन में रहकर यामुनाचार्य ने शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही वे वेद-शास्त्रों में पारंगत हो गये थे। जब उनकी आयु केवल १२ वर्ष की थी, उन्होंने पण्डितराज की विद्वत्सभा के दिग्विजयी विद्वान् आचार्य कोलाहल को शास्त्रार्थ में पराजित कर आधा राज्य प्राप्त किया था। शास्त्रार्थ विजय में प्राप्त राज्य का उन्होंने लगभग स्यारह वर्षों तक बड़ी योग्यता से संचालन किया। चोलवंश के तत्कालीन राजा और रानी ने यामुनाचार्य की विद्वत्ता का बड़ा समान किया था। महारानी ने उनके अद्भुत पाण्डित्य के कारण उन्हें 'आलवन्दार' (विजेता) की उपाधि से विभूषित किया था। तबसे भारत के विद्वत्समाज में उनका नाम प्रतिष्ठ हो गया।

जब उनकी अवस्था २३ वर्ष की थी, एकाएक एक दिन उनके गुरु राममिश्र उनके पास आये। राज-काज में निमग्न, विद्योपासनों की कुल-परम्परा के प्रति उदासीन, यामुनाचार्य की स्थिति को देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने यामुनाचार्य को उनकी परम्परा के प्रति सचेत किया और पाण्डित्य के प्रति उद्बोधित किया। राममिश्र उन्हें यह कहकर श्रीरामगुजी के मन्दिर में ले गये कि वहाँ उनके पितामह नाथमुनि ने उनके लिए अपार धन-राशि एवम् की हुई है। वे उनके साथ चले गये। राममिश्र के उपदेशों का यामुनाचार्य पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्होंने अपनी राजसी वृत्ति का सर्वथा परित्याग कर दिया और वैराग्य वृत्ति धारण कर ली। वे

रगनायजी के मन्दिर में ही रहने लगे और अपना शेष जीवन उन्होंने शास्त्र-चिन्तन तथा भगवद्भक्ति में ही समर्पित कर दिया। वही रहकर उन्होंने अपने अधिकतर ग्रन्थों का प्रणयन किया। ब्रजक्षेत्र में भी उन्होंने कुछ ग्रन्थ लिखे। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम हैं—'आगमप्रामाण्य', 'सिद्धिप्रय', 'गीतार्थसंग्रह', 'बतु श्लोकी' और 'स्तोत्ररत्न'। अपने 'आगमप्रामाण्य' में उन्होंने भागवत धर्म की विष्णुपुरुष व्याख्या की और शंकराचार्य के मायावाद का खण्डन किया। ११३४ वि० के लगभग उन्होंने शरीर-त्याग किया।

सिद्धान्त-निरूपण

यामुनाचार्य 'विशिष्टाद्वैत मत' के स्रष्टा थे। विशिष्टाद्वैत में चेतना-चेतन विभाग विशिष्ट ब्रह्म के अभेद या एकत्व का निरूपण किया गया है। यामुनाचार्य ने जिन विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उसका अपना बलक्षण है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त में सगुण ईश्वर और अवतारवाद को कोई स्थान नहीं है। इस दृष्टि से शंकर का अद्वैतवाद या मायावाद सर्व-सामान्य को ग्राह्य एव ज्ञातव्य न होकर केवल ज्ञानियों तथा विचारकों के चिन्तन-मनन तक ही सीमित है। जन-सामान्य की धारणा के अनुरूप ज्ञानगम्य ब्रह्म में परम पिता, कृपालु, दुःखहर्ता एव करुणामय ईश्वर का भाव ग्रहण करना और उसके अनुग्रह वा पात्र बनना संभव नहीं था। भक्ति द्वारा भगवद्-अनुग्रह प्राप्त करने के उद्देश्य से यामुनाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ईश्वर परिवर्तन करके उसे महाभारतकालीन भागवत धर्म के साथ संयुक्त किया और 'विशिष्टाद्वैत' नाम से सरल, सुगम दार्शनिक मत का प्रवर्तन किया। उन्होंने ज्ञान और कर्म, दोनों को भक्ति का उपादान मिश्र किया और भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। उन्होंने ब्रह्म की सर्वोपरि सत्ता को तो स्वीकार किया, किन्तु उसे सगुण, सविशेष और विशिष्ट सिद्ध किया। उन्होंने जीव, ब्रह्म और शरीर को कृष्ण, रक्त एव श्वेत तन्तुओं के सघात से बने हुए वस्त्र के समान बताया है। उसी प्रकार यह जगत जड़, चेतन तथा ईश्वर के सघात से बना हुआ सिद्ध किया। जैसे कृष्ण, रक्त तथा श्वेत तन्तु एक नहीं हैं, उसी प्रकार ब्रह्म, जीव और जड़ भी भिन्न भिन्न हैं।

शंकर मत के अनुसार ज्ञान ही आत्मा है, किन्तु यामुनाचार्य ज्ञान को आत्मा का धर्म मानते हैं। वह स्वस्वरूप, स्वतः प्रकाश न होकर ज्ञाता है। ज्ञान सविशेष तथा सक्रिय है, आपेक्षिक है। ईश्वर पुरुषोत्तम है और जीव से श्रेष्ठ है। ईश्वर सदा सत्यसकल्प और असीम सुख-सागर है। ईश्वर पूर्ण तथा जीव अणु है। ईश्वर अभी और जीव अश है। यह जगत् ब्रह्म का

परिणाम है। ब्रह्म ही जगत् के रूप में दृष्टिगत होता है। यह जगत् ब्रह्मात्मक है।

रामानुजाचार्य

यामुनाचार्य के पश्चात् 'श्रीवैष्णव सम्प्रदाय' का अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रचार-प्रसार किया एक लोचप्रिय बनाया उनके उत्तराधिकारी रामानुजाचार्य ने। एक वैष्णव परम्परा रामानुजाचार्य को यामुनाचार्य का शिष्य बताती है। उनका जन्म १०७४ वि० को दक्षिण भारत के वर्तमान पेरेम्बुपुरम् (पूतपुरी) नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता केशवाचार्य और माता कान्तिमती आदर्श एवं धार्मिक गृहस्थ थे। रामानुज का लालन-पालन उनके मामा यादवप्रकाश ने यहाँ हुआ। वे काँची निवासी और अपने समय के प्रतिष्ठित वेदान्ती विद्वान् थे। उन्हीं से रामानुज ने वेद-वेदान्त और शास्त्रों का अध्ययन किया। कुछ विद्वानों के मत से रामानुजाचार्य थे दीक्षागुरु गोष्ठीपूर्ण थे। उन्हीं से रामानुजाचार्य ने अष्टाक्षरयुक्त गोपनीय मन्त्र 'ओम् नमो नारायणाय' की दीक्षा ग्रहण की थी। आचार्य यादवप्रकाश अद्वैतवेदान्ती थे। अतः कुछ समय बाद रामानुजाचार्य का अपने विद्यागुरु से मतभेद हो गया। उन्होंने स्वतन्त्र रूप से शाल्वारों के 'सम्बन्ध' का गहन अनुशीलन किया और यामुनाचार्य के सुयोग्य उत्तराधिकारी बने।

रामानुजाचार्य की प्रतिभा का इतना अधिक विकास हुआ कि वे शास्त्राध्ययन करते समय अपने गुरु के दोष निकाल लिया करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने गृहत्याग कर सन्यास धारण किया और तत्पश्चात् काँची के महापूर्ण स्वामी से 'वेदान्तसूत्र' का विधिवत् अध्ययन किया। धीरे-धीरे उनके पाण्डित्य का प्रभाव फैलने लगा और बड़े-बड़े विद्वान् उनका शिष्यत्व स्वीकार करने लगे। यहाँ तक कि वैचारिक मतभेद के बावजूद शिष्य ने अद्भुत पाण्डित्य से प्रभावित होकर उनके आदि विद्यागुरु यादवप्रकाश ने भी उनसे यतिधर्म को ग्रहण किया।

इसी बीच यामुनाचार्य के पुत्र वरदरग स्वामी काँची आये और उन्होंने रामानुज से श्रीरगम् पीठ का आचार्यत्व ग्रहण करने का अनुरोध किया। वे अनुरोध को मान गये और श्रीरगम् आकर उन्होंने पीठ के तत्कालीन आचार्यवाद गोष्ठीपूर्ण से विधिवत् मन्त्र-रहस्य की शिक्षा ग्रहण की। दीक्षा प्रदान करते हुए आचार्यवाद ने यह भी निर्देश दिया कि विष्णुधाम को देनेवाले अष्टाक्षरी मन्त्र के गोपनीय रहस्य को वे किसी के समक्ष प्रकट न करें। इस सम्बन्ध में परम्परागत श्रुति में कहा गया है कि मनुष्यमात्र

को मुक्ति और विष्णुधाम प्रदान करनेवाले गोपनीय मंत्र को, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर, मन्दिर की छत पर चढ़कर वे उच्च स्वर से मंत्र का उच्चारण करने लगे, जिसमें कि उनको बहुमूल्यक जनता सुन सके। गुरु ने असन्तुष्ट होकर रामानुज को नरकगामी होने का अभिशाप दिया। उन्होंने विगम्रता-पूर्वक गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया और कहा कि यदि सहस्रो नर-नारी मंत्र के श्रवण से सहज ही मुक्त हो सकती हैं, तो मुझ एकाकी को नरकगामी होना सहज ही स्वीकार है। इस पर गुरु गोष्ठीपूर्ण रामानुज की सार्वभौम मानव मंगलकारी भावना में अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुज को गले लगा लिया। साथ ही उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से 'विशिष्टा-द्वैत मत' 'रामानुज दर्शन' के नाम से कहा जायगा। इस अनुश्रुति में कितना सत्य है, कहा नहीं जा सकता है।

आचार्य रामानुज की विद्वत्ता और उनके द्वारा प्रवर्तित श्रीसम्प्रदाय का उत्तरोत्तर प्रसार होता गया, जिससे यामुनाचार्य भी प्रभावित हुए। उन्हें इस बात की प्रमत्तता थी कि रामानुज जैसे विद्वान् उत्तराधिकारी द्वारा धर्म-मार्ग का निरन्तर प्रसार हो रहा है। उनकी इच्छा थी कि अपने सकल्प की तीन कामनाओं को वे रामानुज से पूरी करायेंगे। उनकी तीन अन्तिम इच्छाएँ थी—१ सम्प्रदाय के अनुरूप 'ब्रह्ममूत्र' का भाष्य लेखन, २ दिल्ली के तत्कालीन शाहशाह से राममूर्ति का उद्धार और ३ दिग्विजय करके विशिष्टा-द्वैत मत की प्रतिष्ठा करना।

किन्तु रामानुज के श्रीरगम् पहुँचने से पूर्व ही यामुनाचार्य का शरीरान्त हो चुका था। अन्तिम आकांक्षा पूरी न होने के कारण यामुनाचार्य के पार्श्व शरीर के हाथ की तीन उँगलियाँ मुड़ी ही रह गई। रामानुज ने यामुनाचार्य के मृत शरीर के समक्ष उनकी तीन इच्छाओं को पूरी करने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि यामुनाचार्य की तीनो मुड़ी हुई उँगलियाँ सीधी हो गईं। यामुनाचार्य का अन्तिम संस्कार कर रामानुज काँची लौट आये। तत्पश्चात् यामुनाचार्य के पुत्र वरदरग के आग्रह पर वे श्रीरगम् चले गये।

रामानुजाचार्य महान् वेदान्ती एवं शास्त्रवेत्ता होने के साथ-साथ विलक्षण योगी भी थे। योगविद्या की माधना से उन्होंने अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि एक बार योगबल से उन्होंने काँची की राजकुमारी की प्रेतबाधा को दूर कर दिया था।

आचार्य रामानुज के समय ११वीं शती में देश की धार्मिक स्थिति बड़ी अस्थिर एवं सपथमय बन गई थी। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रभाव के कारण विष्णुस्वामी के उत्तराधिकारियों का प्रभाव क्षीण पड़ता जा रहा था

और स्वामी त्रिलोकमल के बाद उनकी परम्परागत गद्दी की गरिमा मन्द पड़ती जा रही थी। वैष्णवधर्म की अपेक्षा शैवधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सगुणोपासना का स्थान निर्गुणोपासना ने ले लिया था। किन्तु यह स्थिति उच्च विद्वद्गण तथा त्रिचारका तक ही सीमित थी। जन-सामान्य की निष्ठा सगुण भक्ति में ही अधिष्ठ थी। किन्तु किसी समय एव प्रभावशाली आचार्य के अभाव में सगुणोपासना की परम्परा शिथिल पड़ती जा रही थी।

देश जिस समय इस धार्मिक स्थिति से गुजर रहा था, ऐसी परिस्थितियों में रामानुजाचार्य का उदय हुआ। उनके कारण एक ओर तो दक्षिण तथा उत्तर भारत में धार्मिक मगन्वय स्थापित हुआ और दूसरी ओर उनकी प्रेरणा तथा विद्वत्ता से सगुण भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। धार्मिक रूढ़ियों को लेकर तत्कालीन भारतीय सामको में जो सामाजिक विघटन तथा वैमनस्य उत्पन्न हो गया था, उसमें भी सामंजस्य उपस्थित हुआ और इस प्रकार सगुण भक्ति की धारा द्विगुणित वेग में आगे बढ़ी।

जिस समय रामानुज श्रीरगम् में रहकर भक्तप्रवण जनता को भक्ति का उपदेश दे रहे थे, उन दिनों वहाँ चोल शासकों का शासन था। वे कट्टर शैव थे। चोल राजा ने श्रीरगम् मन्दिर की ध्वजा पर यह अंकित करा दिया था कि शिव में बड़कर अन्य देव नहीं है (शिवात्पुत्रो नास्ति)। राजा ने रामानुज से शैव धर्म वरण करने का आग्रह किया किन्तु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। राजा की इस शैव प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर रामानुज श्रीरगम् का छोड़कर मैसूर राज्य में शालग्राम में रहने लगे। कुछ दिन बाद वे वैष्णवधर्मानुयायी हयमात्र वशीय राजा की राजधानी द्वारसमुद्र में चले गये। वहाँ उन्होंने निरन्तर बारह वर्षों तक अपने मत का प्रचार किया। उन्होंने राजदरवार के प्रभावशाली व्यक्ति विट्ठलदेव या विट्टिदेव को १०९८ वि० में वैष्णव धर्म में दीक्षित कर उसका विष्णुवर्द्धन नामकरण किया। उसकी सहायता से ७४ शिष्यों को विशिष्टाद्वैत के प्रचारार्थ देश के विभिन्न अंचलों में भेजा। तदनन्तर वे स्वयं भी धर्म प्रचारार्थ यात्रा पर निकले और उत्तर भारत आकर उन्होंने जन-जन में वैष्णव धर्म वरण करने का उपदेश दिया। शिव-भक्त चोलराज की मृत्यु हो जाने के बाद वे पुनः श्रीरगम् लौट आये। वहाँ उन्होंने मन्दिर का विस्तार किया और पूजा-सेवा की उचित व्यवस्था कर पुनः धर्म प्रचारार्थ वे देश भ्रमण के लिए निकल पड़े।

आचार्य रामानुज के शिष्य एव सहकर्मि विद्वान् श्रीवत्साक मिथ्य धर्म-प्रचारार्थ उनके साथ रहे। श्रीवत्साक मिथ्य का जन्म कांचीपुर के समीप कूरम नामक गाँव में हुआ था। वे आजीवन आचार्य की सेवा में रहे। कहा

जाता है कि 'ब्रह्मसूत्र' पर 'बोधायनाचार्य वृत्ति' प्राप्त करने के लिए श्रीवत्साक मिश्र रामानुज के साथ काश्मीर गये थे। किन्तु उस वृत्ति को देने तथा प्रतिलिपि करने से काश्मीर के विद्वानों ने इन्कार कर दिया। उन्हें वह पढ़ने मात्र को मिली। श्रीवत्साक मिश्र ने उसको पढ़ा और अपनी अद्भुत दैवी स्मरण शक्ति से उन्होंने रामानुज को 'बोधायन वृत्ति' आगुपूर्वी सुना दी। तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर दी। इसी वृत्ति के आधार पर रामानुज ने 'ब्रह्मसूत्र' पर श्रीभाष्य की रचना की।

सिद्धान्त-निरूपण

आत्म-चिन्तन की प्रेरणा से रामानुज आजीवन भ्रमण करते रहे। उन्होंने स्थिरचित्त होकर निश्चय किया कि मनुष्य तृष्णा और सासारिक बन्धनों से घिरा हुआ है और जीवन के मूल लक्ष्य से भ्रमित हो गया है। उन्होंने अनुभव किया कि मार्गभ्रमित जन-मानस को उद्बोधित किये बिना उसका उद्धार होना सम्भव नहीं है। वे समझते थे कि त्याग, सन्यास और वैराग्य की दुर्गम राह का अनुसरण करना जन-सामान्य के लिए सम्भव नहीं है। अतः ऐसे प्रवृत्तिमय धर्म का उपदेश देना उपयुक्त है, जिसे जन-सामान्य सहज रूप में ग्रहण कर सके और उसका अनुसरण तथा पालन कर सके।

रामानुजाचार्य ने भक्ति के सरल मार्ग का निरूपण किया। उन्होंने वात्सल्य भाव की भक्ति को भगवान्-प्राप्ति का साधन बताया। वात्सल्य-भाव भी दो प्रकार से निरूपित किया—एक तो पितृ-भाव और दूसरा मातृ-भाव। पितृ-भाव की अपेक्षा मातृ-भाव अधिक स्नेहिल होता है। पिता के प्रति सन्तान के हृदय में जहाँ आत्मीयता, समान तथा श्रद्धा के भाव होते हैं, वही भय का भी आतंक विद्यमान रहता है। किन्तु माता का तो अपनी सन्तान के प्रति सदा ही स्नेह तथा ममता का भाव बना रहता है। इस सहज मानव-भावना ने वात्सल्य भक्ति को जन्म दिया। किन्तु वात्सल्य का क्षेत्र केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों तथा जीव-जन्तुओं में भी पाया जाता है। रामानुजाचार्य ने इस वात्सल्य-भक्ति का आश्रय लिया और इस आधार पर वैष्णव धर्म की लोकभावना को व्यापक किया। आगे चलकर हिन्दी के अमर भक्त-कवि मुरदास ने इस वात्सल्य-भक्ति को पराकाष्ठा पर पहुँचाया।

इस उद्देश्य से उन्होंने वेद-उपनिषद् के समन्वय से एक नयी विचार-पद्धति को जन्म दिया, जिसे उन्होंने 'विशिष्टाद्वैत' नाम से प्रचलित किया। यद्यपि इस सैद्धान्तिक विचारधारा का निरूपण उनके पूर्ववर्ती वैष्णव विद्वान् यामुनाचार्य कर चुके थे, तथापि उसको अधिक विस्तृत तथा लोकव्यापी बनाने

और सुबोध, सुगम रूप देने का नया प्रयास रामानुज ने ही किया। अपने इस नये विचारवाद की प्रतिष्ठा के लिए एक ओर तो उन्होंने सम-सामयिक अद्वैतवादी विचारकों के अद्वैत सम्बन्धी जटिल विचारों का खण्डन कर जीव-ईश्वर की भेदात्मक सत्ता का प्रतिपादन किया और दूसरी ओर आद्य विष्णु के राम तथा कृष्ण अवतारों का महत्त्व प्रतिपादित कर भक्ति की नवीन भावधारा को बहाया।

जन सामान्य और तत्कालीन विद्वत्समूहों के मध्य उन्होंने अनेक तर्कों एवं युक्तियों को प्रस्तुत कर यह स्थापित किया कि ब्रह्म अद्वितीय तो है, किन्तु केवल नहीं। जीवात्मा और परमात्मा में स्पष्ट भिन्नता है। परमात्मा एक है, जो व्यापक है और उसे विष्णु के आद्य नाम से कहा गया है। वही जगत् का स्रष्टा, पालक और संहारक है। उसकी सत्ता सगुण है और अपने भक्तों पर अनुग्रह कर वह उनका उद्धार करता है।

यामुनाचार्य के ब्रह्म, जीव तथा जगत् सम्बन्धी मन्तव्यों की रामानुजाचार्य ने विस्तार से व्याख्या की। शंकराचार्य ने अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, तो रामानुज ने अद्वैतविशिष्ट ब्रह्म का। शंकराचार्य का ब्रह्म अद्वैत है, उसमें भिन्न कुछ नहीं है। किन्तु रामानुज के मत से ब्रह्म वह है, जिसमें अन्य पदार्थ भी हैं और जो उन्हीं के द्वारा बृहत् होते हैं। रामानुज के मतानुसार ब्रह्म, चिन्मय आत्मा और जड़ प्रकृति, दोनों में विद्यमान है, किन्तु वह उन दोनों से विशिष्ट है। आत्मा (जीव) और प्रकृति, इन दोनों पदार्थों से अद्वैत, किन्तु दोनों से विशिष्ट होने के कारण रामानुज ब्रह्म को 'विशिष्टाद्वैत' स्वीकार करते हैं। वह अपनी इच्छा-शक्ति से मोक्षद्वय जगत् को उत्पन्न करता है।

रामानुज के मत में ब्रह्म एक है, और उसमें ईश्वर, आत्मा (चैतन्य) और प्रकृति (जड़), ये तीनों पदार्थ विद्यमान हैं। इन तीनों का अभिन्न सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। इस शरीर को धारण करने वाला आत्मा है और आत्मा को धारण करनेवाला ईश्वर। जगत् सत्य है, नित्य है और प्रपञ्चरहित है।

उन्होंने तीन मूल पदार्थ माने हैं—चित् (जीव), अचित् (जड़-समूह) और ईश्वर या पुरुषोत्तम। उन्होंने प्रतिपादित किया कि स्थूल-सूक्ष्म, चैतन-अचैतन विशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म सगुण एवं सन्निवेश है। वही अशेष कल्याणकारी गुणों का आलय है। सूक्ष्म चिदादि-विशेष रूप से वह जगत् का उपादान कारण है और सकल्पविशिष्ट रूप से वह जगत् का निमित्त कारण है। जीव-जगत् उसका स्वरूप है। ब्रह्म तथा जीव, दोनों चैतन्य हैं।

ब्रह्म विभु है, जीव अणु । ब्रह्म पूर्ण है, जीव खण्डित । प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न भिन्न है । वही सृष्टि, स्थिति, संहार का कर्ता है ।

ब्रह्म पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार भेद से पाँच प्रकार का है । वह सख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किये हुये चतुर्भुज है । वह श्री-भू-स्त्रीला से सम्पन्न है और किरीटादि आभूषणों से अलङ्कृत ।

पुष्पकर्मों के फलोदय से जीव की धर्म में प्रवृत्ति होती है और वह शास्त्रों की ओर उन्मुख होकर अपने आचरणों को सुधारता है । ऐसा करने से उसका अज्ञान दूर होकर उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है । उसके बाद वह परमात्मा की ओर उन्मुख होता है । प्रेमपूर्वक उपासना करते हुए जब उपासक अपने उपास्य का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है, तब वह अविद्याजनित ससार के जाल से छूटकर अपने स्वरूप को पहचान लेता है । इसी को 'मुक्ति' कहते हैं । उपासना और ध्यान मुक्ति के साधन हैं । परम भक्ति-भाव से भगवदर्पित होकर अपने मदाचरणों द्वारा भगवान् को प्रसन्न करना ही इस मत का एकमात्र लक्ष्य है । रामानुज के मत से उपासना के पाँच प्रकार हैं— अभिगमन, उपादान, इव्या, स्वाध्याय और योग । इसी को 'पञ्चा भक्ति' कहते हैं और उसमें सन्निविष्ट भक्त ईश्वर-प्राप्ति या अधिकारी बनता है ।

रामानुज के मतानुसार ईश्वर सगुण है और मनुष्य (जीव) भी सगुण है । मुक्त होने पर वह ईश्वर की समानता प्राप्त कर लेता है । जीव में केवल इतनी ही न्यूनता है कि वह जगत् को उत्पन्न नहीं कर सकता है । जीव मुक्त होकर निरन्तर हरि के स्वर्ग में वास करता है । राम और कृष्ण, दोनों ब्रह्म के अवतार हैं और वे करुणामय तथा शक्तवत्सल होने के कारण भक्तों के उद्धार हेतु अवतार धारण करते हैं । अत आराधना-उपासना द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए ।

सर्वतोभावेन भगवान् की शरण में जाना ही प्रपत्ति (शरणागति) का लक्षण है । नारायण भूमा, विभु है । उनके चरणों में आत्म-समर्पण करने से जीव को परम शान्ति प्राप्त होती है । समस्त विषयों को त्याग कर उनके प्रति सर्वस्व समर्पण ही शरणागति है ।

धार्मिक समन्वय की स्थापना

आचार्य रामानुज ने अपने मत का प्रचार करते समय अनेक प्रकार के विरोधों और सधयों का सामना किया । वे शैवों, शाक्तों तथा उनके अनुयायों शासकों के कोषभाजन बने । किन्तु, क्योंकि बहुसंख्यक समाज उनके विचारों का अनुयायी था, इसलिए वे अपने मार्ग से विरत एवं विचलित नहीं हुए ।

उन्होंने दक्षिण तथा उत्तर भारत की जनता में धार्मिक समन्वय स्थापित किया। दक्षिण के मल्लवेत, चोल तथा कर्नाटक आदि विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर जगन्नाथ होने हुए वे काशी तथा जयपुर पहुँचे। तदनन्तर उत्तर भारत की ओर अग्रसर हुए। भारत के विशाल जन-मानस को अपने धार्मिक प्रवचनों द्वारा प्रभावित करते हुए अन्त में वे उत्तराखण्ड के महान् तीर्थ बदरिकाश्रम पहुँचे। वहाँ भगवान् नारायण के दर्शन-लाभ प्राप्त कर वे दक्षिण लौट गये। अपने जन्मस्थान वीरनारायणपुर में रहकर उन्होंने अपनी यशस्वी कालजयी कृतियों का प्रणयन किया। अन्त में अपने जन्मस्थान में १२० वर्ष की दीर्घायु पूरी कर ११९४ वि० को उन्होंने शरीर त्याग किया। उनके जन्मस्थान वीरनारायणपुर में आज भी उनका मठ वर्तमान है, जहाँ उनकी भव्य मूर्ति स्थापित है।

ग्रन्थ-निर्माण

आचार्य रामानुज ने लगभग ४९ कृतियों का निर्माण किया। इतनी अधिक कृतियों का निर्माण सम्भवतः किसी भी अन्य सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्य ने नहीं किया। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं—'ब्रह्मसूत्रभाष्य', 'गीताभाष्य', 'न्यायामृत', 'वेदान्तप्रदीप', 'तर्कभाष्य', 'वेदार्थसंग्रह', 'वेदान्ततत्त्वसार', 'श्रीनभाष्य', 'शतश्लोकी', 'नारदीय पंचरात्र', 'त्रिसात् ध्यान', 'चण्डमारुति', 'विष्णुपूजन', 'विष्णुसहस्रनाम' और 'विशिष्टाद्वैत' आदि। 'ब्रह्मसूत्र' पर लिखा हुआ 'श्रीभाष्य' श्रीसम्प्रदाय का एकमेव मान्य एवं लोकविख्यात ग्रन्थ है। उनके 'गीताभाष्य' पर वेदान्तदेशिक (१२६८-१३६९ ई०) ने 'तात्पर्यचन्द्रिका' नामक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी।

उत्तरवर्ती परम्परा

आचार्य रामानुज और उनके शिष्य प्रशिष्यों ने भारत के सभी अंचलों में अपने मत का प्रचार-प्रसार किया। दक्षिण भारत की जनता ने उसकी अधिन अभिगच्छि में अपनाया। कहा जाता है कि अकेले दक्षिण में उन्होंने अपने सम्प्रदाय के लगभग आठ सौ मठों की स्थापना की थी। उनमें दस समय उननवे (८९) गृहियाँ वर्तमान हैं। उनमें भी मालकोटन की गृही प्रमुख मानी जाती है। श्रीरगम्, वैकटाचलम् और कांजीवरम् में दस सम्प्रदाय के प्रधान मन्दिर हैं। भगवान् रगनाथ का मन्दिर १३वीं-१४वीं शती में मुगलमानों द्वारा ध्वस्त तथा अपवित्र कर दिया गया था। उनमें स्थापित भगवान् की मुख्य प्रतिमा को भी वे ले गये थे। किन्तु हिन्दू राज्य की स्थापना

ने बाद बेंकटनाथ वेदान्ताचार्य (१७वीं शती) के मुख्य अग्रिष्ठाता बनने पर उन मूर्ति को पुन स्थापना की गई तथा मन्दिर का पुननिर्माण हुआ ।

यामुनाचार्य तथा रामानुजाचार्य न भक्ति-समन्वित जिम विशिष्टाद्वैत' या 'श्रीमत्प्रदाय' की स्थापना एवं प्रवर्तन किया, उसक बाद लगभग १४वीं शती ई० में कुछ सैद्धान्तिक मतभेदा को लेकर उनके परवर्ती अनुयायियों के दो वर्ग बन गये । यह मतभेद मुख्यत 'प्रपत्ति' (शरणागति) न प्रश्न को लेकर प्रकट हुआ । इन दो वर्गों या शाखाओं के नाम हैं—वडककलइ या चाडकडाई और तेन्कलइ या टेकडाई । पहली शाखा के प्रवर्तक आचार्य वेदान्तदेशिक (१२६८-१३६९ ई०) और दूसरी शाखा के प्रवर्तक मनवल महामुनि या राम्य जामातृमुनि (१३७०-१४४३ ई०) हुए । पहली शाखा का सम्बन्ध कांजीवरम् का उत्तरी भाग और दूसरी शाखा का सम्बन्ध दक्षिणी भाग था । श्रीरगम् की वैष्णव शाखा के अग्रपक्ष वेदान्तदेशिक थे । उनके बाद जामातृमुनि प्रधान उपदेशक नियुक्त हुए । उनके 'तत्त्वनिर्णयण' तथा 'उपदेशरत्नमाला' नामक दो ग्रन्थ इस सम्प्रदाय के मान्य ग्रन्थ हैं । वडककलइ (उत्तरी ज्ञानी) भक्तों का अभिमत था कि भक्त ईश्वर की शरण में आकर प्रसन्न हो जाता है । किन्तु दूसरी तेन्कलइ (दक्षिण ज्ञानी) भक्तों का कहना था कि भक्त को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है । उस ईश्वर स्वय ही अपनी शरण में ले लेते हैं । प्रथम मतावलम्बी भक्तों ने यह नियम बताया कि शुद्धादि निम्न जाति के लोगों से विचार विनिमय करने तक का सीमित सम्बन्ध रखा जाये, जब कि दूसरे गत के भक्तों ने उनके साथ समान भाचार विचार रखने का पक्ष प्रस्तुत किया ।

उत्तर ज्ञानी शाखा में भक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया है । भक्ति, अर्थात् भगवान् के प्रति क्रियात्मक प्रेम या तल्लीनता । दक्षिण ज्ञानी शाखा में प्रपत्ति पर, अर्थात् सम्पूर्ण आत्म-समर्पण पर, अधिक बल दिया गया है । उत्तर ज्ञानी शाखा के भक्तों की तुलना एक ऐसे नपिशिशु से की गई है, जो अपनी माँ को पकड़े सक्रिय रहता है और वह उसको लेकर कूदती रहती है । दूसरी दक्षिण ज्ञानी शाखा के भक्तों की तुलना एक ऐसे मार्जार-शिशु से की गई है, जो सर्वथा निष्क्रिय रहता है और उसकी माँ उसको अपने मुँह में दबाकर चली है ।

मार्जारात्मक भक्ति यह है, जिसमें जीवात्मा भगवान् की कृपा पर निर्भर रहता है । यह भक्ति निष्क्रिय कहलाती है । अत उसे अजम कोटि का माना गया है । उसमें आत्मा स्वय अकर्मण्य बनकर देवकृपा पर निर्भर रहता है । दूसरी प्रकार की मार्जारात्मक भक्ति में भक्त स्वय तादात्म्य स्थापित

करने का प्रयास करता है। यह सन्निय भक्ति है। उसमें पूर्ण प्रपत्ति होने से उसे उत्तम कोटि की भक्ति माना जाता है। किन्तु श्रीसम्प्रदाय में मार्जारत्मक भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसमें भक्त स्वयं को भगवान् पर निर्भर कर देता है, जब कि मर्कटात्मक भक्ति में भक्त स्वयं भी अभिमान भावना रखता हुआ भगवान् पर आधा ही भरोसा करता है। एक शाखा का स्वरूप 'वानरी वृत्ति' और दूसरी शाखा का स्वरूप 'बँडाली वृत्ति' है। इन दोनों शाखाओं के अनुयायियों को 'मर्कट न्याय' तथा 'मार्जार न्याय' इन हास्यात्मक नामों से कहा जाता है। एक तो भगवान् के सहेतुक वृषा के और दूसरे निर्हेतुक वृषा के अनुयायी है।

दक्षिण भारत के तमिल वैष्णवाचार्यों में नाथमुनि के समकालीन नाम्बि आण्डार भक्त-कवि ने तमिल स्तुतियों के तीन सग्रहों का सङ्कलन किया, जिनका नाम 'तेवाराम' या 'देवाराम' अथवा 'देवीमाला' है। इस मत के प्रबल अनुयायी वीर राघवाचार्य, नरसिंहगुरु के पुत्र तथा वरदाचार्य के शिष्य थे। वे वाधूलवशीय थे और उन्होंने वरदाचार्य के 'तत्त्वसार' पर 'रत्न-प्रसारिणी' नामक टीका लिखी थी। रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैत-परम्परा में लोकाचार्य (१५वीं शती ई०) हुए। वे दक्षिणात्य थे और उनके पिता का नाम कृष्णपाद था। उन्होंने रामानुज मत पर 'तत्त्वत्रय' तथा 'तत्त्वशेषर' नामक दो प्रौढ ग्रन्थों की रचना की थी। उनके प्रथम ग्रन्थ पर बर्वरमुनि का भाष्य है। इसी प्रकार अनन्ताचार्य (१६वीं शती) ने भी रामानुज मत पर विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों का निर्माण किया।

आचार-पद्धति

श्रीसम्प्रदाय के वैष्णवों की परम्परा आज तक जीवित है। वे दक्षिण तथा उत्तर, दोनों अंचलों में पाये जाते हैं और अपने मन्दिरों में परम्परा के अनुसार भगवान् का आराधना भजन करते हैं। इस सम्प्रदाय में केवल ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने का नियम है। शृङ्खल और सन्यासी, दोनों इस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। वे नासिका मूल से केशपर्यन्त ललाट पर गोपीचन्दन का खड़ा तिलक और उसके बीच पीली या लाल रेखा अंकित करते हैं। कण्ठ में तुलसीमाला धारण करते हैं। शरीर के द्वादशांगों (ललाट, कण्ठ, दोनों बाहु, दोनों पाश्र्व, हृदय, नाभि शिरोमध्य, पीठ और दोनों कर्णमूलों) में शङ्ख, चक्र या राम नाम का भगवद्-प्रतीक अंकित करते हैं। इन आचारों के परिपालन में उनकी अगाध निष्ठा देखने को मिलती है।

सतानी पन्थ

वैष्णव धर्म से सम्बन्धित यह सतानी पन्थ या सम्प्रदाय लगभग रामानुजाचार्य का समकालीन है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भक्तों को भी 'श्रीवैष्णव' कहा जाता है। संभवतः इस शाखा का सम्बन्ध तेनूकलड्ड (दक्षिण शानी) भक्तों से था। इस मत के अनुयायी शूद्र या शूद्रवत् हैं, जो कि शिखा-मूत्र नहीं रखते। किन्तु ब्राह्मण आचार्यों से शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करते हैं। दक्षिण में वे अनेक मन्दिरों के पुजारी हैं। किन्तु उनमें मन्दिरों में ब्राह्मण पूजा-प्रतिष्ठा नहीं करते। ब्राह्मण आचार्यों से जब वे दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस समय उनके शरीर को तप्त शलधर से दागकर चिह्न अंकित किया जाता है। तमिल वेद उनका मान्य साहित्य है। मैसूर, आन्ध्र तथा तमिलनाडु में सतानी मत के अनुयायियों की अधिपत्या है।

महानुभाव पन्थ

भारत के धार्मिक इतिहास में परम्परागत उदात्त मान्यताओं तथा लोकहितकारी आदर्शों को लेकर जिन धर्म मार्गों का उदय हुआ, उनमें 'महानुभाव पन्थ' का भी एक नाम है। इस पन्थ को 'मानभाऊ', 'महानुभाव' या 'मुनिमार्ग' और कोई-कोई 'दत्तात्रेय' भी कहते हैं। किन्तु 'दत्तात्रेय मत', 'महानुभाव पन्थ' से पृथक् शाखा है। महानुभाव पन्थ के अनुयायियों का उपास्य भी दत्तात्रेय भगवान् ही रहे हैं। इससे साथ ही दोनों धर्म-पन्थों का उदय महाराष्ट्र में होने के कारण दोनों को एक समझने का भ्रम हुआ है। किन्तु वस्तुतः 'महानुभाव पन्थ' और 'दत्तात्रेय मत' का उदय तथा विकास अलग-अलग ढंग से हुआ।

इस धर्मशाखा के संस्थापक का नाम कृष्णभट्ट जोशी था, जिनका जन्म दक्षिण भारत में शेम्बे नामक गाँव में १०४७ ई० को हुआ था। उनके पिता का नाम कुलकर्णी गोपालराव पन्त था। कृष्णभट्ट जोशी का पैतृक व्यवसाय व्यापार था। किन्तु उन्होंने जादूगरी में निपुणता प्राप्त कर ली थी। रूप परिवर्तित करने स्वाग्र रचने या बहुरूपिया वेश धारण करने में वे सिद्धहस्त थे। जन सामान्य में उन्होंने यह प्रचलित कर दिया था कि वे कृष्ण के साक्षात् स्वरूप हैं। उनके इस देवत्व प्रचार के कारण अनेक व्यक्ति उनके अनुयायी हो गये थे और फलतः वे एक देव प्रतीक दर्शनीय या अवतारी पुरुष के रूप में प्रचलित हो गये थे। उनके अनुयायियों ने उन्हें कृष्णावतार के रूप में प्रचारित कर दिया था।

कृष्णभट्ट जोशी के इस अवतारी अलौकिक व्यक्तित्व और प्रभाव की चर्चा पैठण के तत्कालीन राजा चन्द्रसेन के मंत्री हेमाद्रि पन्त के कानों तक पहुँची। उन्होंने वास्तविकता का पता लगाने के उद्देश्य से कृष्णभट्ट जोशी को पैठण आमन्त्रित किया। साक्षात्कार होने पर उनके कृष्णस्वरूप वेश को देखकर मंत्री बड़े प्रभावित हुए। मंत्री ने कृष्णावतार जोशीजी से स्नान तथा भोजन के लिए प्रार्थना की। किन्तु जोशीजी ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। उनके इस व्यवहार से मंत्री हेमाद्रि पन्त की श्रद्धा निष्ठा जाती रही। उन्हें जोशी एक ढोंगी व्यक्ति प्रतीत हुआ। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया और उसने कृष्णभट्ट जोशी के कपड़े उतार दिये। निरावरण हो जाने के बाद जोशीजी का वास्तविक रूप प्रकट हुआ। उनकी वास्त-

विकृता का रहस्योद्घाटन हो जाने के बाद उन्हें जनता में सर्वथा पाखण्डी घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप उन्हें कारागार में बन्द कर दिया गया और खोज-खोज कर उनके अनुयायियों का पता लगाया गया और उन्हें काले बस्त्र पहनाकर राज्य से निष्कामित कर दिया गया। उनके अवतारी स्वरूप की बड़ी दुर्दशा हुई।

धर्म-संस्थापक आचार्य की इस प्रकार दुर्गति तथा अपमान हो जाने के बाद भी महानुभाव पन्थ का सर्वथा उन्मूलन नहीं हो पाया। उसका प्रचार देश के अनेक अंचलो में हो चुका था। उसका उदय यद्यपि गुजरात में हुआ था, किंतु अल्प समय में ही वह महाराष्ट्र, पंजाब तथा बिहार तक प्रसारित हो गया। गुजरात में वह 'अच्युत पन्थ', महाराष्ट्र में 'मानभाव पन्थ' और पंजाब तथा बिहार में 'जयकृष्ण पन्थ' के नाम से प्रचलित हो चुका था। भारत के उत्तर पश्चिम अंचलो में भी वह फैल चुका था। इस प्रकार उसके अनुयायियों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही गई। महाराष्ट्र और बिहार में महानुभाव पन्थ का आज भी अस्तित्व एव महत्त्व बना हुआ है। महाराष्ट्र स्थित बरार के ऋद्धिपुर नामक स्थान में इस मत का प्रधान मठ है।

परम्परा का प्रवर्तन

इस धर्मशास्त्र की ऐतिहासिक परम्परा के सम्बन्ध में जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, उनके अनुसार कृष्णभट्ट जोशी के बाद भडोच (गुजरात) के राजा हरपालदेव उसका प्रमुख आश्रयदाता और अनुयायी हुआ। उसने इस धर्म के प्रचार-प्रसार में बड़ी अभिरुचि दिखाई। उसने अपना सर्वस्व त्याग कर संन्यास धारण किया और समाज में चक्रधर के नये नाम से कहे जाने लगे। मन्त चक्रधर १३वीं शती ई० में हुए। उन्होंने इस धर्मपन्थ को पुनरुज्जीवित किया। 'चक्रधरचरित' नामक ग्रन्थ में उनकी जीवनी उल्लिखित है जो कि मराठी में है। इस मन्त ने मानभाऊ मत की परम्परागत धार्मिक प्रक्रियाओं को लोकसंगत बनाया। इस मत के प्रमुख अनुयायियों में यादवराजा रामचन्द्र (१२७१-१३०९ ई०) के समकालीन नामेश्वर भट्ट या नागदेव भट्ट और 'ज्ञानेश्वरी' के रचयिता प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर का नाम उल्लेखनीय है। इन स्याति प्राप्त एव लोक-समान्य सन्तो के कारण महानुभाव पन्थ को पर्याप्त लोक-समान प्राप्त हुआ। उसकी गिरती हुई लोकप्रतिष्ठा को पुनरुज्जीवित होने का सुयोग मिला।

मठ और महन्त

इस पन्थ के वर्तमान उत्तराधिकारी महन्त बहे जाते हैं, जिनकी अपनी गद्दियाँ हैं। रुद्रपुर, कारज, दरियापुर, फल्टन और पैठन में इस मत की प्रमुख पाँच गद्दियाँ हैं। इनके अतिरिक्त नरमठ, नारायणमठ, प्रवरमठ, ऋषिमठ और प्रशान्तमठ नाम से उनके पाँच उपमठ हैं।

उक्त मठों के स्वामी छत्र चामरधारी महन्त राजसी टाट-वाट से जीवन यापन करते हैं। गृहस्थ तथा सन्यासी, दोनों प्रकार के वर्ग इस पन्थ के अनुयायी हैं। सन्यासियों को विवाह करने की अनुमति नहीं है। गृहस्थों को 'उपदेशी' कहा जाता है। उक्त गद्दियाँ परम्परा से वशानुगत हैं। गृहस्थ और सन्यासी, दोनों मद्य-मास का सेवन नहीं करते हैं और हिंसा से अपने को विरत रखते हैं।

आचार-सहिता

महानुभाव पन्थ की अपनी आचार पद्धति है। मूलरूप से यह धार्मिक पन्थ उदारतावादी था। उसमें वर्णाश्रम, जात पात, ऊँच-नीच का भेद भाव नहीं था। सहभोज का आज भी रिवाज है। मद्य मास वर्जित है। प्रत्येक दीक्षित भक्त आचार्य होता है और सन्यासियों की भाँति अपनी दिनचर्या रखता है। उनमें समाधि धारण करने का प्रचलन है। उनके मन्दिरों या मठों का वृत्ताकार या वर्गाकार सौष को ही भगवान् का प्रतीक माना जाता है।

इस धर्म पन्थ के उदारतावादी दृष्टिकोण के कारण रुढ़िवादी समाज द्वारा उसका विरोध किया गया। किन्तु अपने मूलरूप में उसमें कोई दोष नहीं था। उसके मूल संस्थापक सन्त चन्द्रधर स्वयं करडाह ब्राह्मण थे और उनके उदात्त धर्मनिष्ठ चरित के कारण इस सम्प्रदाय के अनुयायी उन्हें भगवान् के दत्तात्रेय का अवतार मानते थे।

यद्यपि इस पन्थ के आदि आराध्यदेव दत्तात्रेय भगवान् हैं, तथापि अब तक इन पन्थ के पाँच अवतारी महापुरुष ही चुके हैं। इन पाँचों के अलग-अलग पाँच मन्त्र हैं, जो कि दीक्षा के समय दिय जाते हैं। त्रिमूर्ति दत्तात्रेय के अग्रस्थ हैं।

सिद्धान्त-निरूपण

महानुभाव पन्थ के अपने ग्रन्थ और सिद्धान्त हैं। उनका अपना गोपनीय और सीमित सगठन है। इस धर्म-शास्त्रा के अनुयायियों के उपारयदेव दत्तात्रेय

भगवान् हैं, जो कृष्णावतार माने जाते हैं। यद्यपि प्रचलित द्वादशावतारो मे दत्तात्रेय अवतार का कही भी नाम नहीं है, तथापि इस मत के अनुयायी उनको कृष्णस्वरूप मानते हैं। दत्तात्रेय स्वयं बड़े विद्वान्, तपस्वी तरववेत्ता और महामुनि थे। महर्षि आत्रेय और महासती अनुसूया उनके पिता माता थे। गोदावरी के तट पर शिव की घोर साधना करने पर उन्हें ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार दत्तात्रेय ऋषिकुलीन महामुनि थे।

महानुभाव पन्थ के अनुयायी स्वरचित भजनो को गाते हैं और कृष्ण-लीला का प्रदर्शन करते हैं। वे वर्णभेद तथा मूर्तिपूजा के विरोधी हैं। सिद्धान्तिक दृष्टि से वे अद्वैतवादी हैं। यद्यपि कृष्ण की लीलाओ को रचकर वे अपने उपास्यदेव दत्तात्रेय का गुणगान करते हैं, तथापि मूलरूप में वे निर्गुणोपासक हैं। उनके परमेश्वर निर्गुण, निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुग्रह के लिए समय-समय पर सगुण रूप धारण करते हैं, क्योंकि वे अवतारी हैं।

अपने धर्म या सम्प्रदाय के रहस्य को वे नितान्त गूढ तथा गोपनीय रखते हैं। उसे सर्व-सामान्य पर प्रकट नहीं करते हैं। उनकी अपनी साकेतिक लिपि और उसमें लिखा हुआ स्वतंत्र साहित्य है। इस लिपि तथा साहित्य को वे उगी को बताते हैं, जो उनके पन्थ की दीक्षा ग्रहण कर लेता है।

'भगवद्गीता' इस पन्थ के अनुयायियों का प्रमुख ग्रन्थ है। उसके अतिरिक्त उनके जो अन्य ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं, उनमें 'ज्ञानेश्वरी', 'भागवत एकादशस्कन्ध', 'दत्तात्रेयोपनिषद्', 'कृष्णचरित', और 'सिद्धान्त सूत्रपाठ' उल्लेखनीय हैं। उनके अपने स्वतंत्र पुराण भी हैं। मराठी में इस मत का विपुल साहित्य बताया जाता है।

पन्थ की रहस्यात्मकता का उद्घाटन

इस पन्थ की विधेयता उसकी रहस्यात्मकता में निहित है, जिसके अनुसार उसके मूल सिद्धान्त तथा सिद्धान्तिक ग्रन्थ नितान्त गोपनीय तथा उन्की लिपि साकेतिक है। उन्की यह साकेतिक लिपि, जिसमें उन्के धार्मिक तथा सिद्धान्तिक ग्रन्थ उल्लिखित हैं, लगभग २६ प्रकार की बतार्दी जाती है। इसीसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके धर्म-रहस्य की जानकारी प्राप्त करना सहज नहीं है। इस पन्थ की रहस्यात्मकता का उद्घाटन सर्व-प्रथम लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने १८९९ ई० में किया। 'केशरी' में लेख लिखकर उन्होंने महानुभाव पन्थ की मान्यताओं पर मौलिक प्रकाश डाला और सारी रहस्यात्मकता स्पष्ट की। उनके प्रयास से इस पन्थ के प्रति

जो अज्ञानता, भ्रान्ति तथा गोपनीयता बनी हुई थी, उसका समाधान हो गया। वास्तविकता यह है कि महानुभाव पन्थ के नितान्त गोपनीय आचारों के कारण जन-सामान्य में उनके प्रति श्रद्धा-निष्ठा होने की अपेक्षा घृणा-उपेक्षा एवं भ्रम-सन्देह ही अधिक उजागर हुआ।

१९वीं शती के मध्य में मानभाऊ पन्थ के प्रति महाराष्ट्रीय समाज में बड़ी घृणा उत्पन्न हो गई थी। जिस महाराष्ट्र में उसको व्यापक लोकमान्यता प्राप्त हुई, वही उमका घोर विरोध भी हुआ। महाराष्ट्र के सन्त कवि एकनाथ तथा गिरधर ने अपनी कविताओं में इस पन्थ को हेय बताकर उसकी निन्दा की है। महाराज माधवराव पेजवा ने १८३९ ई० में एक फरमान निवाला कर यह घोषित किया था कि मानभाऊ मत सर्वथा निन्दनीय है। उसके अनुयायियों को वर्णवाह्य माना जाये। जो भी हिन्दू उनका उपदेश सुने, उसे भी जातिच्छुत किया जाय। इस प्रकार १९वीं शती में महाराष्ट्र की जनता इस धार्मिक पन्थ की घोर निन्दा करने लगी थी।

ऐसा कहा जाता है कि इस पन्थ के प्रति जन-सामान्य की उपेक्षा तथा अनिष्ठा का एक कारण यह भी था कि इसके अनुयायी निर्धन परिवारों की अवयस्क बालिकाओं का क्रय कर उन्हें देवदासी बनाते थे, जो कि दक्षिण भारत के वैभवशाली मन्दिरों में नर्तकियों का कार्य करती थीं और धर्म के नाम पर दुराचार तथा अनैतिकता का कारण बनी हुई थीं। इस कारण शासन ने इस देवदासी प्रथा को अवैध घोषित कर उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

इन सब कारणों से महानुभाव पन्थ की हीनता का द्योतक माने जाने लगा। आरम्भ में इस पन्थ का जो उच्च ध्येय था, बाद में वह विकृत हो गया। उसमें सामाजिक असमानता, विशेष रूप से वर्णभेद की गुरादियों को दूर करने, समानता स्थापित करने और स्वान्त मुख्याय धर्मार्जन करने के जो उदात्त एवं लोकहितकारी उद्देश्य थे बाद के उत्तराधिचारियों में उनका अभाव होने से उनके प्रति लोकनिष्ठा क्षीण हो गई।

निम्बार्क मत या सनक सम्प्रदाय

भारत के धार्मिक इतिहास में 'निम्बार्क मत' या 'सनक सम्प्रदाय' का अपना विशिष्ट स्थान है। यह धार्मिक पन्थ वैष्णव धर्म के अन्तर्गत है, जिसका आधार कृष्ण भक्ति है। इस सम्प्रदाय के साहित्य में कहा गया है कि सनक सम्प्रदाय के आदि या प्रथम उपदेष्टा स्वयं श्रीहंस भगवान् थे। उनसे सनक-सनकादि ऋषियों ने उपदेश ग्रहण किया। तदुपरान्त इस धर्म की परम्परा को देवर्षि नारद ने प्राप्त किया और उनका उपदेश उन्होंने निम्बार्काचार्य को दिया। निम्बार्काचार्य ने उसे लोक में प्रचारित-प्रसारित किया। उन्होंने इस धर्म-शाखा को लोकमान्य बनाया।

इस धर्मोपदेश का मार 'महाभारत' (शान्ति पर्व—३१६।६) में इस प्रकार वर्णित है 'इस सत्तार में विद्या के समान श्रेष्ठ नेत्र नहीं हैं। साय ही मत्स्य के समान श्रेष्ठ तप, राग के समान महादुःख और त्याग के समान उत्तम सुख इस सत्तार में नहीं है—

नास्ति विद्यामम चक्षुर्नास्ति मत्स्यम तप ।

नास्ति रागमम दुःख नास्ति त्यागमम सुखम् ॥'

'महानारत' के अनुसार सनत्कुमार ने 'मनत्सुजातीय' (मात्वत धर्म) का यह उपदेश महाराज धृतराष्ट्र को दिया था। वह 'भगवद्गीता' के उपदेश की भाँति महत्त्वपूर्ण था। इसलिए आद्य सत्काराचार्य प्रभृति आचार्यों ने 'भगवद्गीता' के ही समान उम पर श्रुततय भाष्यो की रचना की।

इस मत में सनत्कुमार (जीवन-मुक्त) को विष्णु का साक्षात् अवतार माना गया है। वे उपनिषत्कालीन महान् तत्त्ववेत्ता आचार्य थे। 'कुमार' सामूहिक नामान्तर से अभिवाच्य उनकी सत्या भागवत' (२।७।५ आदि) में चार बतलाई गई हैं—सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन। उनका मूल स्थान उत्तरी हिमगिरि था, जहाँ उन्होंने विभाण्डक ऋषि को उपदेश दिया था।

सनत्कुमार का उपदेश

सनत्कुमार ने महर्षि नारद को जो तत्त्वज्ञान दिया था, उसका वर्णन 'छान्दोग्योपनिषद्' (७।१७-२२) में किया गया है। उसमें कहा गया है— 'आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है, जिससे आगे चलकर उसमें श्रद्धा का उदय होता है। इसी श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो

आगे चलकर आत्मज्ञान की उपलब्धि कराता है। आत्मज्ञान (आत्मानुभूति) के अनन्तर साक्षात्कार होता है। आत्मानुभूति, अर्थात् 'सोऽह आत्मा'—यही अन्तिम लक्ष्य है।'

इस प्रकार आत्मा ही इस मृष्टि की उत्पत्ति का कारण है और इसी आत्मा से मानवीय आशा तथा स्मृति का निर्माण होता है। इसी आत्मा से मृष्टि की प्रत्येक वस्तु का विकास होता है और विनाश के पश्चात् मृष्टि की प्रत्येक वस्तु इसी आत्मा में विलीन हो जाती है।

ग्रन्थ निर्माण

आत्मज्ञानी सनत्कुमार को अनेक ग्रन्थों का रचयिता माना गया है। उनके नाम से जो ग्रन्थ तथा उपाख्यान प्राप्त हैं उनके नाम हैं—'सनत्कुमार उपपुराण' (कूर्मपुराण के अन्तर्गत), 'सनत्कुजातीय उपाख्यान' (महा-भारत के अन्तर्गत), जिस पर शांकरभाष्य है, 'सनत्कुमार संहिता' (शिव-पुराण), 'सनत्कुमार वास्तुशास्त्र, 'सनत्कुमार तंत्र' और 'सनत्कुमारकल्प'। इन ग्रन्थों में कुछ तो प्रकाशित हैं और कुछ हस्तलेखों के रूप में हस्तलेख-संग्रहों में सुरक्षित हैं।

निम्बार्काचार्य (सम्प्रदाय संस्थापक)

इस प्रकार सनत्कुमार से अथवा उनकी परम्परा के किसी अज्ञातनाम आचार्य से आत्मविद्या का दिव्य उपदेश ग्रहण कर निम्बार्काचार्य ने जिस धर्म-मार्ग की प्रतिष्ठा की, उसको 'मनक सम्प्रदाय' के नाम से कहा गया। इस सम्प्रदाय के आचार्यों का यह अभिमत है कि निम्बार्काचार्य बादरायण व्यास के समकालीन थे। देवर्षि नारद और बादरायण व्यास के समकालीन निम्बार्काचार्य का स्थितिकाल मानने की इस कल्पना का आधार उनके प्रति श्रद्धा एवं पूजाभाव हो सकता है। किन्तु इस कल्पना का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है।

इसी प्रकार कुछ विद्वानों का अभिमत है कि 'मिदान्तशिरोमणि' तथा 'लीलावती' के रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् भास्कराचार्य तथा निम्बार्काचार्य एक ही थे और उनका जन्म दक्षिण हैदराबाद (भूतपूर्व निजाम राज्य) में स्थित वेदर नामक गाँव में हुआ था, किन्तु यह धारणा भी नितान्त कपोल-कल्पित सिद्ध हो चुकी है।

वास्तविकता यह है कि शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त के विरोध में 'ग्रह-ग्रन्थ' की विष्णुपरक व्याख्या करनेवाले और जैन-बौद्धों के बढ़ते हुए प्रभाव को क्षीण करने के उद्देश्य से वैष्णव धर्म के सपोषक, संस्थापक एवं प्रवर्तक धर्मा-

चार्यों ने अपने-अपने धार्मिक तथा दार्शनिक मतों का स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन किया, उनमें यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्कचार्य का नाम प्रमुख है। यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य ने 'श्रीवैष्णव सम्प्रदाय' का प्रचलन कर 'भागवत' की सगुण भक्ति की परम्परा को प्रतिष्ठित किया और निम्बार्क-चार्य ने श्रीराधा की उपासना-भक्ति की नयी परम्परा को प्रतिष्ठित किया।

निम्बार्कचार्य का जन्म १०३६ शकाब्द (११७१ वि०), अर्थात् १११४ ई० में मैसूर राज्य के धेल्लारी जिले के निम्बपुर नगर में हुआ था। उनका पैतृक नाम नियमानन्द था। वे तैलंग ब्राह्मण थे और दक्षिण से चलकर उत्तर भारत घुन्दावन में बस गये थे। 'सनक सम्प्रदाय' के नाम से उन्होंने नया धार्मिक पन्थ चलाया, जो कि वैष्णव धर्म की ही एक शाखा है। यद्यपि वे दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, किन्तु उनके मत का प्रचार-प्रसार दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक हुआ और तत्पश्चात् उनके दिव्य सन्देश दक्षिण तथा बंगाल में प्रचारित हुए। जैन-बौद्धों के बगते हुए नास्तिकवाद को निरस्त एवं निष्प्रभावी मिद्ध कर उन्होंने अनेक वैष्णव देवालयों की स्थापना की और उनमें राधा-कृष्ण की प्रतिमाएँ स्थापित कर जन-गामान्य में वैष्णव धर्म की उदात्त भक्ति-परम्परा को उजागर किया।

उन्हे द्वारा वैष्णव धर्म के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, उसके कारण 'सनक सम्प्रदाय' बाद में उनके नाम से 'निम्बार्क सम्प्रदाय' के रूप में विद्युत हुआ। 'निम्बार्क सम्प्रदाय' के अनुयायी भक्त-जन उन्हें सूर्य भगवान् या श्रीकृष्ण के मुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यन्त सुन्दर होने के कारण उनको शैशव काल में मुदर्शन नाम से कहा जाता था। किन्तु उनके सूर्यावतार होने के कुछ रोचक प्रसंग आज भी प्रचलित हैं। नाभादास के 'भक्तमाल' में निम्बार्कचार्य के अलौकिक प्रभाव के सम्बन्ध में एक रोचक कथा बर्णित है। उसमें कहा गया है कि एक बार कोई जैन अहंत् उनसे पास आया। दोनों विद्वान् जैन धर्म के तत्त्वज्ञान पर विचार विनिमय करते हुए इतने तन्मय हो गये कि उन्हें सूर्यास्त हो जाने का ध्यान ही न रहा। इसी समय निम्बार्कचार्य को आभाम हुआ कि अतिथि निराहार है और सूर्यास्त होने के बाद आहार नहीं करेंगे। अतिथि के लिए उन्होंने भोजन सामग्री उपस्थित की। किन्तु सूर्यास्त हो जाने के कारण जैनाचार्य ने भोजन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इस पर आचार्य को अतिथि के रात भर निराहार रहने का घोर पश्चात्ताप हुआ। इस कथा में आगे कहा गया है कि उसी समय निम्बार्कचार्य ने भगवान् भाष्कर की आराधना की। सूर्य भगवान् आकाश में दिखाई देने लगे। अतिथि उनके इस

चामत्कारिक अलौकिक व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने भोजन किया। जब तक वे भोजन करते रहे, तब तक पाम ही में स्थित नीम के वृक्ष पर मूर्य का प्रकाश विद्यमान रहा। उनके भोजन समाप्त करते ही मूर्य का प्रकाश विलुप्त हो गया। कहा जाता है, तब से उन्हें निम्बार्क या निम्बादित्य (नीम के वृक्ष पर मूर्य के दर्शन करने वाले), इस नये नाम में कहा जाने लगा।

निम्बार्काचार्य के इस अलौकिक प्रभाव की कथा कहीं तक सत्य है, कहा नहीं जा सकता है। किन्तु उनके धर्मावतारी व्यक्तित्व की महिमा से इनकार नहीं किया जा सकता है। वृन्दावन उनका साधना-क्षेत्र रहा। वृन्दावन के अतिरिक्त मथुरा, गोवर्द्धन और नीमगाँव आदि ब्रज क्षेत्र में भ्रमण कर उन्होंने अपने मत को प्रतिष्ठित किया।

ग्रन्थ-निर्माण

निम्बार्काचार्य प्रभावशाली उपदेशक तथा तांत्रिक होने के साथ-साथ प्रख्यात विद्वान् भी थे। उन्होंने अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा एवं स्थिरता के लिए अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया। अन्य सम्प्रदाय-संस्थापकों की भाँति उन्होंने भी 'ब्रह्मसूत्र' पर स्वतंत्र भाष्य-ग्रन्थ की रचना की, जिसे 'वेदान्त पारिभाषा मौरभ' नाम में कहा जाता है। द्वैताद्वैत मत पर उन्होंने 'दशस्तोत्री' नाम में एक लघु रचना का निर्माण किया, जिसमें कि भूत-रूप में सम्प्रदाय के सैद्धान्तिक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'श्रीकृष्णस्मरणार्ज', 'मत्तपोहन्त्री' और 'प्रपन्न कल्पवल्ली' नाम से सम्प्रदाय में सम्बन्धित ग्रन्थ लिखे। अपने ग्रन्थों में उन्होंने अवतारी श्रीकृष्ण की सगुण भक्ति का प्रतिपादन करने हुए दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ बताया है।

सिद्धान्त निरूपण

निम्बार्काचार्य ने दार्शनिक जगत् में अपने स्वतंत्र 'द्वैताद्वैत मत' की स्थापना की, जिसके अनुसार द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी सत्य है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वैष्णवाचार्य रामानुज द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म की विशिष्टता को स्वीकार नहीं किया। उनके मत में ईश्वर, जीव और जगत्, तीनों तत्त्व एकमेव ब्रह्म में पर्यवसित हैं। उन्होंने स्थापित किया कि यद्यपि ईश्वर, जीव और जगत् भिन्न भिन्न हैं, तथापि जीव तथा जगत् परतन्त्र हैं और उनका ममस्त क्रिया-व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलम्बित है। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म ही जगत् रूप में परिणत हुआ है और जगद्रूप में परिणत होने पर भी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इस दृष्टि से द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी सत्य है। उनके मतानुसार

श्रीकृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं, जिन्हें उपासना तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

निम्बार्क मत में भक्ति को ईश्वर-प्राप्ति तथा मुक्ति का एकमात्र साधन बताया गया है। भक्ति के उन्होंने दो रूप बताये हैं—साधनारूपा और सिद्धि-रूपा। साधनारूपा भक्ति जन्म-जन्मान्तर के पुण्यों से प्राप्त होती है। उसके वैदिक तथा पौराणिक, दो भेद हैं। साधनारूपा वैदिक भक्ति का अधिकार द्विजातियों और साधनारूपा पौराणिक भक्ति का अधिकार अन्त्यजों को है। इस भक्ति के आधार राधा-कृष्ण हैं।

निम्बार्क मत में राधा-कृष्ण के युगल भाव की भक्ति की गई है। वाम भाग में शृषभानुजा राधा के साथ विराजमान श्रीकृष्ण इस मत में भक्तों के उपास्य हैं। श्रीकृष्ण लीलावतारी हैं। अतः 'श्री' तथा 'लक्ष्मी', दोनों रूपों में वह कृष्ण के साथ प्रकट होती है। इस सम्प्रदाय में राधा को स्वकीया के रूप में स्वीकार किया गया है और उज्ज्वल या दाम्पत्य भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। महिमायुगी राधा श्रीकृष्ण की शाश्वत पत्नी है। श्रीकृष्ण की ही भाँति राधाजी भी वृन्दावन में अवतरित हुईं और उनकी विवाहिता पत्नी बनीं। वैष्णव धर्म में राधा-कृष्ण सम्बन्धी भक्ति का प्रतिपादन सर्व-प्रथम निम्बार्कचार्य ने किया।

इन सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि निम्बार्कचार्य तथा उनके अनुयायी आचार्यों ने धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में अन्य वैष्णव मतों के साथ समन्वय का दृष्टिकोण अपनाया, आलोचनात्मक तथा खण्डनात्मक नहीं। यही कारण है कि राधावल्लभ, प्रणामी, चैतन्य, धर्मदासी, रामानन्दी, कबीरपन्थी तथा खालसा आदि पन्थों के साथ उनकी समदृष्टि एवं सहयोग देखने को मिलता है।

इस प्रकार धर्म, सदाचार तथा सन्मार्ग का उपदेश देकर १०८४ शकान्त (११६२ ई०) को ४८ वर्ष की अल्पायु में ही निम्बार्कचार्य ने परम धाम को प्राप्त किया।

परम्परा का प्रवर्तन

निम्बार्कचार्य के पश्चात् उनके अनुयायी शिष्य-प्रशिष्यों ने सनक सम्प्रदाय की परम्परा को आगे बढ़ाया। सनक सम्प्रदाय के द्वैताद्वैतवादी वैष्णव दार्शनिकों में देवाचार्य का नाम प्रसिद्ध है। वे बहुत प्राचीन, अर्थात् निम्बार्कचार्य के समकालीन १२वीं शती में हुए। वे तैलंग थे। उनके गुरु वेदान्ती कृपाचार्य को बताया जाता है। इस सम्प्रदाय के दार्शनिक पक्ष पर उन्होंने 'वेदान्तजाह्नवी' तथा भक्तिमार्ग पर 'भक्तरत्नावली' नामक दो ग्रन्थों का

प्रणयन किया। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि देवाचार्य विष्णु की नाभि में स्थित कमल के अवतार थे।

१३वीं शती में वर्तमान संस्कृत के गीतकार एवं 'गीतगोविन्द' के रचयिता जयदेव निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वे राधामत के थे और उनके गीतों को प्रायः सभी वैष्णव मतानुयायियों ने, विशेष रूप से चैतन्य तथा निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायियों ने बड़े भक्तिभाव से गायन किया।

निम्बार्क सम्प्रदाय के अन्य अनुयायियों में श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बराचार्य, गोरमुखाचार्य, लक्ष्मणभट्ट, पुरुषोत्तमाचार्य, मुन्दराचार्य और केशवाचार्य प्रभृति आचार्यों का नाम उल्लेखनीय है। श्रीनिवासाचार्य ने निम्बार्काचार्य के 'वेदान्त पारिजात कौस्तुभ' पर प्रामाणिक भाष्य लिखा, जिनका नाम 'वेदान्त कौस्तुभ' है और जो इस सम्प्रदाय का मान्य ग्रन्थ माना जाता है। उनके शिष्य पुरुषोत्तमाचार्य ने निम्बार्काचार्य की 'दशश्लोकी' पर 'वेदान्तरत्न-मजूपा' नाम से एक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी। श्रीनिवासाचार्य के दूसरे शिष्य केशवाचार्य (१५वीं शती) ने श्रीनिवासाचार्य द्वारा विरचित 'वेदान्त-कौस्तुभ' पर व्याख्यान लिखा।

इस परम्परा में आगे अनेक शिष्य-प्रशिष्य हुए। उन्होंने संस्कृत तथा ब्रजभाषा हिन्दी में अनेक ग्रन्थों का प्रणयन कर सम्प्रदाय की परम्परा को सुस्थिर एवं लोक प्रचलित किया। इस परम्परा में हरिव्यासदेव, परशुरामदेव, रूपरामिकदेव तथा कृन्दावनदेव प्रभृति विद्वानों ने ब्रजभाषा के ग्रन्थों की रचना कर द्वैताद्वैत मत के सिद्धान्तों तथा आचारों का समर्थ प्रतिपादन किया।

निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रवर्तक ब्रजभाषा के हिन्दी कवियों में श्रीभट्ट का नाम उल्लेखनीय है। उनका जन्म लगभग १६३० वि० माना जाता है। उनके पूर्वज हिसार (हरियाणा) के निवासी थे जो बाद में कृन्दावन में आकर बस गये थे। उनकी एकमात्र उपलब्ध रचना 'जुगलशतक' है, जिसको सम्प्रदाय में आदि वाणी भी कहा जाता है। इस ग्रन्थ के रचना काल को लेकर बड़ा विवाद है। उसमें १०० पद हैं। श्रीभट्ट ने राधाकृष्ण के गोपी भाव या मन्त्री भाव की भक्ति को अभिव्यजित किया है। प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता विद्वान् एवं भक्त हरिव्यासदेव उनके शिष्य थे। आचार्य श्रीभट्ट प्रसिद्ध सगीत-कार भी थे। उनके रचे हुए पद सगीतशास्त्र की दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखते हैं।

निम्बार्क सम्प्रदाय को सुप्रतिष्ठित करने और उसका देशव्यापी प्रचार-प्रसार करने में हरिव्यासदेव का नाम उल्लेखनीय है। निम्बार्क सम्प्रदाय के धर्माचार्यों एवं ग्रन्थकारों में उनका प्रमुख स्थान है।

निम्बार्कआचार्य के शरीर-त्याग के लगभग साठे तीन सौ वर्ष बाद १५वीं शती ई० में इस सम्प्रदाय में 'गृहस्थ' और 'त्यागी' नाम से दो अलग-अलग शाखाएँ बनीं। गृहस्थ शाखा के प्रवर्तक उक्त वेशव काश्मीरी थे और त्यागी शाखा का प्रवर्तन आचार्य हरिव्यासदेव ने किया। इसी समय इस सम्प्रदाय का पुनरुत्थान हुआ। वेशव काश्मीरी के हरिव्यासदेव भागिनेय थे। किन्तु गृहस्थ त्याग कर वे सन्यासी हो गये थे।

इस सम्प्रदाय के पुनरुत्थापक वेशव काश्मीरी ने लगभग आठे दर्जन ग्रन्थों का प्रणयन किया। उनके विषय में प्रसिद्ध है कि सरस्वती उनके कण्ठ में विराजमान रहती थी। वे बड़े तार्किक थे और उन्होंने अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने सम्प्रदाय के मत को प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठित किया था। मुसलमान सूफ़ी सन्तों से भी उनका तर्क बितर्क हुआ था, जिसमें उन्हें सफलता मिली। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम हैं—'तत्त्वप्रकाशिका', 'कोस्तुमप्रमा' और 'भागवतटीका'। उनकी चौथी वृत्ति 'ब्रह्मदीपिका' में निम्बार्क सम्प्रदाय के दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक पक्ष का गभीर दिवेचन किया गया है।

इस सम्प्रदाय के आचार्य हरिव्यास देव को (१५वीं शती ई०) को 'हरिप्रिया' नाम से भी कहा गया है। सम्प्रदाय की संगठित करने और भारत के विभिन्न अंशों में भजन-कीर्तन एवं उपदेशों का आयोजन कर उन्होंने सम्प्रदाय को व्यापक लोकमान्य बनाया। उनकी उपासना का केन्द्र दक्षिण वृन्दावन था, किन्तु मथुरा स्थित ध्रुवघाट का प्रसिद्ध नारदलीला मठ उनका गुरुस्थल था। उसका महत्व आज भी विद्यमान है।

वे संस्कृत तथा हिन्दी, दोनों भाषाओं के प्रौढ़ विद्वान् थे। उन्होंने हरिकीर्तन सम्बन्धी पदों का संग्रह 'महावाणी' के नाम से किया। निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य पुरुषोत्तमदेव की 'बैदान्तरत्नमञ्जूषा' पर उन्होंने विस्तृत सरकृत व्याख्या लिखी। उनका 'महावाणी' ग्रन्थ आचार्य श्रीभट्ट (गुरु) के 'जुगलशातक' का व्याख्यान है। सम्प्रदाय की परम्परागत अनुश्रुति है कि स्फुरिकदेव ने इस ग्रन्थ को हरिप्रिया (श्रीराधा) को भेंटस्वरूप दिया था। किन्तु हरिव्यासदेव की ही रचना माना जाता है। यह ग्रन्थ पाँच सुखों (अघ्यायों) में विभक्त है, जिनके नाम हैं—सेवासुख, उत्साहसुख, मुरासुख, सहजसुख और सिद्धान्तसुख। यह ग्रन्थ रस-तत्त्व पर है, जिसमें श्रीराधा तथा श्रीकृष्ण की रस-लीलाएँ वर्णित हैं। ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है।

सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार के लिए हरिव्यासदेव ने उल्लेखनीय कार्य किये। राजस्थान में सूफ़ी फकीरों के आतंक को शान्त कर उन्होंने सलीम-

साह मूरी को अपना शिष्य बनाया। हिमाचल के प्रसिद्ध देवीपीठ में पशु-बलि प्रथा प्रचलित थी। उन्होंने उसको बन्द किया। सभी से यह देवीपीठ वैष्णव (वैष्णो) देवी के नाम से कहा जाता है। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों तिरुपति, जगन्नाथपुरी, किन्दुविल्व (बगाल) आदि स्थानों में मठ-मन्दिर स्थापित किये और सम्प्रदाय के प्रति जन-भावना को उजागर किया।

सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने अपने प्रसिद्ध बारह शिष्यों को धर्मप्रचारार्थ देश के विभिन्न अंचलो में भेजा और सम्प्रदाय के बारह अखाड़े स्थापित करवाये। उन्होंने स्वयम्भूराम को पञ्जाब और परशुरामदेव को राजस्थान भेजा। बाद में स्वयम्भूराम के अनुयायियों का प्रसार बगाल तक हुआ। बगवासी आचार्य माधव मुकुन्द ने अपने न्याय-दर्शन के ग्रन्थ 'परपथ निरिग्रज' में उक्त दास्ता का उल्लेख किया है। माधव मुकुन्द १७वीं शती के लगभग हुए।

हरिव्यासदेव के दूसरे शिष्य परशुरामदेव ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। उनका जन्म जयपुर राज्य के अन्तर्गत नारनोल नामक नगर में गौड ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाभादास के 'भक्तमाल' में उनके चमत्कारी व्यक्तित्व का उल्लेख हुआ है। १६वीं शती के मध्य में राजस्थान में कुछ अंचलो में सूफी सन्तों के एक वर्ग ने धर्मोन्माद का वातावरण फैलाया हुआ था और उमके प्रभाव से राजस्थान के कतिपय राजा सूफी फकीरों के अनुयायी बनते जा रहे थे। हरिव्यासदेव भी स्वयं इस धर्मोन्माद को दान्त करने के लिए राजस्थान गये थे। किन्तु उमका पूरा उन्मूलन करने में सन्त परशुरामदेव ही सफल हो सके थे। उन्होंने अपने मुरिचर वैष्णव विचारों के प्रभाव से सूफी फकीरों के हिन्दू-धर्म-विरोध का प्रबल प्रतिरोध किया। जन-सामान्य तथा प्रभावित राजाओं को पुनः हिन्दुत्व की ओर आकर्षित किया। सन्त परशुरामदेव, हरिव्यासदेव के द्वादश शिष्यों में से छठे थे।

उनके नाम से विभिन्न हस्तलिखित ग्रन्थ सग्रहों में लगभग २२ ग्रन्थों का उल्लेख पाया जाता है। उनमें 'परशुरामसागर' उनकी उपदेशात्मक रचनाओं का विशाल सग्रह है। तीर्थराज पुष्कर उनकी तपोभूमि थी। किशनगढ़ राज्य के सलीमाबाद नामक स्थान पर उनकी प्रधान गद्दी है। वे इस गद्दी को ग्रजमण्डल से उठाकर सलीमाबाद ले गये थे। यहाँ पर परशुरामभक्तों का पवित्र तीर्थ है। किसी हिन्दू धर्म विरोधी सूफी फकीर को प्रभावहीन करके वहाँ उन्होंने अपना बर्चस्व स्थापित किया था। इस गद्दी के उत्तराधिकारी वैष्णव सन्त आज भी धर्म प्रचार में अभिरत हैं। उन्होंने

समस्त राजस्थान में निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार किया और सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए अनेक शिष्य नियुक्त किये ।

जयपुर से आगे आमेर मार्ग पर स्थित 'परशुरामद्वारा' आज राजकीय स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है, जो उनकी पवित्र स्मृति को अक्षुण्ण बनाये दिये हैं ।

महान् सन्त हरिव्यासदेव के बारह प्रमुख शिष्यों में रूपरसिकदेव का भी एक नाम है । उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने 'महावाणी' नामक ग्रन्थ की श्रीराधा (हरिप्रिया) को भेंटस्वरूप प्रदान किया था । उनके सम्बन्ध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है । किन्तु उनकी उपलब्ध रचनाओं से ज्ञात होता है कि वे सम्प्रदाय की गृहस्थ शाखा से सम्बन्धित थे । अपने ग्रन्थ 'लीलाविशति' की पुष्पिका में उन्होंने उसका रचना काल १७८७ वि० दिया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे १८वीं शती के मध्य हुए होंगे । ब्रजभाषा में उल्लिखित उनके चार प्रमुख ग्रन्थ हैं, जिनके नाम हैं—'बृहत् सुख मणिमाल', 'हरिव्यासामृत', 'नित्यविहारपदावली' और 'लीलाविशति' । उनका 'बृहत् सुख मणिमाल' तीन हजार छन्दों का विशालतम ग्रन्थ है । उसमें वर्ष भर में आयोजित होने वाले सम्प्रदाय के उत्सवों का क्रम और उनकी प्रक्रिया-विधि विस्तार से वर्णित है । वे भी रस-तत्त्व के विद्वान् दार्शनिक थे और उन्होंने श्रीकृष्ण की नित्य विहार लीलाओं के भक्तिरसामृत स्वरूप का रसभावपेशल वर्णन किया है ।

इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में सगीताचार्यों की प्रधानता है । प्राचीन भारत के सगीतशास्त्र के क्षेत्र में हरिदास स्वामी का नाम प्रसिद्ध है, जिनकी जयन्ती सगीत महोत्सव के रूप में आज भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है । वे प्रसिद्ध सगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे । उन्होंने निम्बार्क सम्प्रदाय से सम्बन्धित 'टट्टी सम्प्रदाय' के नाम से एक उपशाखा का प्रवर्तन किया था । १७वीं शती में वर्तमान रसिक भक्त विहारीदाम हुए, जो सगीत के प्रसिद्ध आचार्य थे । वे हरिदास स्वामी की परम्परा में हुए । वे स्वरचित सगीतपरक मधुर पदों को गाकर बाँके विहारी श्रीकृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे । उन्होंने हरिदास स्वामी के 'टट्टी सम्प्रदाय' को आगे बढ़ाया । यमुना तट पर स्थित 'टट्टिया यान' उनका उपासना स्थल था, जो कि आज भी वर्तमान है ।

आचार-संहिता

निम्बार्क मत के वैष्णवों की अपनी आचार-परम्परा है । उनके मन्दिरों में नियमित सेवा-पूजा होती है और कीर्तन-गायन होता है । वे ललाट पर

गोपीचन्दन के दो ऊर्ध्व तिलक और उसके मध्य में कृष्ण वर्ण की बिन्दु अंकित करते हैं। तुलसी की माला धारण करते हैं और उसी को जपते हैं। 'भागवत', 'भक्तमाल', 'रामायण' और पुराण उनके प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ हैं। भजन-कीर्तन में उनकी विशेष अभिरुचि है। सगीत की परम्परा आज भी उनके मन्दिरों में आयोजित समारोहों में उज्जीवित है।

धार्मिक गद्दियाँ

निम्बार्क सम्प्रदाय की प्रमुख गद्दी मथुरा के निकट यमुना के पवित्र तट पर ध्रुवक्षेत्र में विद्यमान है। दूसरी प्रमुख गद्दी अजमेर (राजस्थान) के निकट सलीमाबाद में है। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख केन्द्र ब्रजक्षेत्र में है। वृन्दावन में श्रीजी की बड़ी कुज वाला स्थान तथा राधाकुण्ड, गोवर्द्धन और नीमगाँव आदि में निम्बार्कीय मन्दिर हैं। ब्रजमण्डल के अतिरिक्त प्रयाग, काशी, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, द्वारिका और नेपाल तक इस सम्प्रदाय की गुरु-गद्दियाँ स्थापित हैं। इन गुरु-गद्दियों के उत्तराधिकारी गृहस्थ तथा विरक्त या त्यागी, दोनों कोटियों के वैष्णव हैं। दोनों की उपासना के आधार राधा-कृष्ण की युगल मूर्तियाँ हैं।

विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय

भारत के धार्मिक इतिहास में वैष्णव धर्म का अपना विशेष महत्त्व है। वैष्णव धर्म के वट-वृक्ष की जितनी भी शाखाएँ पल्लवित हुईं, उनमें 'विष्णु-स्वामी सम्प्रदाय' का नाम उल्लेखनीय है। इस धर्म शाखा के संस्थापक एवं प्रवर्तक विष्णुस्वामी के जीवन-चरित एवं स्थितिकाल के सम्बन्ध में अभी तक मतभेद बना हुआ है। विष्णुस्वामी और उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय के सम्बन्ध में अन्यान्य ग्रन्थों में जो उल्लेख देखने को मिलते हैं, उन्हें भी असन्दिग्ध नहीं कहा जा सकता है। उनका स्थितिकाल तीसरी शती ईसवी से लेकर तेरहवीं शती ईसवी तक विभिन्न तिथियों में रखा गया है।

उनके जन्म-स्थान के सम्बन्ध में प्रायः निश्चित है कि वे दक्षिणार्ण्य में थे। कहा जाता है कि उनके पिता किमी द्रविड राजा के मंत्री थे और अपने पुत्र को भी वे किसी उच्चाधिकार पद पर रखना चाहते थे। किन्तु पुत्र राज्य-पद की अपेक्षा भगवद् भक्ति की ओर प्रवृत्त थे। उनके सम्बन्ध में यह भी परम्परागत अनुश्रुति है कि दक्षिण के पाण्ड्य राजा के गुरु देवेश्वर के घर विष्णुस्वामी प्रकट हुए थे। वे आदि विष्णुस्वामी थे। उनके अतिरिक्त दो विष्णुस्वामी और हुए, जो उनके परवर्ती थे। कहा जाता है कि वे देवी प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे और समस्त शास्त्र तथा विद्याएँ उन्हें जन्मसिद्ध थीं। उनके शुद्ध-बुद्ध अन्तःकरण में स्वतः ही आत्मानुभूति हो गई थी और उन्होंने आत्म चिन्तन द्वारा एक ऐसे सरल, सुगम सहज एवं पवित्र धर्म-मार्ग का प्रचलन किया, जिसे जन-सामान्य ने बड़ी निष्ठा से वरण किया।

उनके समय अनेक धर्मों का प्रचलन हो चुका था। उन्होंने शैव, शाक्त और बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों की समाज-विरोधी, अनैतिक एवं अलोकप्रिय उपासना-पद्धति को अग्राह्य घोषित कर धर्म के एक ऐसे सार्वभौम स्वरूप की स्थापना की, जिसमें सत्यनिष्ठा में भगवान् का नामस्मरण करने मात्र से ही सहज में मोक्षलाभ हो जाता है।

भक्त-कवि नाभादास ने अपने 'भक्तमाल' में जो कथा कही है, उसके आधार पर डॉ० भाण्डारकर ने विष्णुस्वामी को ज्ञानदेव का गुरु बताया है और उनका समय १३वीं शती ई० में निर्धारित किया है। किन्तु नाभादास की कथा भी अनुश्रुतियों पर आधारित है, जिससे कि उसकी सत्यता को असन्दिग्ध नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया जाता

है कि ज्ञानदेव ने अपनी गुरु-परम्परा में कहीं भी विष्णुस्वामी का उल्लेख नहीं किया है।

प्रसिद्ध विद्वान् श्रीरामदास गोड ने 'हिन्दुत्व' (पृ० ६७४-६७५) में विष्णुस्वामी नाम के तीन आचार्यों का उल्लेख किया है। उनमें प्रथम विष्णुस्वामी दक्षिण भारत के पाण्ड्य विजय राज्य के राजगुरु और प्रथम वेद-भाष्यकार थे। उन्होंने 'ब्रह्मसूत्र' पर 'सर्वज्ञसूक्त' नामक भाष्य की रचना की थी। द्वितीय विष्णुस्वामी ८वीं शती ई० में हुए। उन्होंने कांची में श्रीवरद-राज की ओर से श्रीगोपालदेव की स्थापना की थी और द्वारिकापुरी में रण-छोडजी को स्थापित किया था; वे भी दक्षिणार्ण्य थे। 'कृष्णकर्णामृत' के रचयिता लीलाशुक बिल्वमगल इन्हीं के शिष्य थे। तीसरे विष्णुस्वामी आंध्र-प्रदेश के निवासी थे, जिनकी शिष्य-परम्परा में लक्ष्मण भट्ट हुए। ये लक्ष्मण भट्ट वामनाचार्य के पिता थे। इस प्रकार विष्णुस्वामी के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलते हैं, उनके आधार पर यह स्थिर करना कठिन है कि वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णुस्वामी उनमें कौन थे और वे किस समय हुए। किन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है कि वे प्राचीन आचार्य थे और श्रीधरस्वामी जैसे प्रख्यात विद्वानों ने उनकी परम्परा का अनुसरण कर उसे समृद्ध किया।

विष्णुस्वामी के ग्रन्थों के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। श्रीधर-स्वामी ने उनके 'सर्वज्ञसूत्र' नामक ग्रन्थ का उल्लेख अपनी 'भागवत तत्त्वार्थ दीपिका' में किया है, जो कि समवत 'ब्रह्मसूत्र' पर लिखा गया भाष्य था। उन्होंने समवत 'भगवद्गीता' पर भी भाष्य लिखा था, जो कि उपलब्ध नहीं है।

विष्णुस्वामी के समय की धार्मिक स्थिति बड़ी सघर्षमय थी। समाज में अनेक धार्मिक पन्थों का उदय हो चुका था और अपनी-अपनी प्रतिष्ठा तथा लोकप्रियता के लिए उनमें पारस्परिक होड़ लगी हुई थी। इस प्रकार की धर्म-शाखाओं में जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त प्रमुख थे। किन्तु समाज में इनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। जहाँ एक ओर शाक्तमत के अनाचारों तथा असामाजिक प्रवृत्तियों से जन-मानस में उसके प्रति हेयता की धारणा व्याप्त हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर शैवों तथा बौद्धों की कठिन साधना-पद्धति और सन्यास-वैराग्य से समाज ऊबता जा रहा था। जन-सामान्य को प्रभावित करने से ये धार्मिक पन्थ उपादेय सिद्ध नहीं हुए। ऐसे समय विष्णुस्वामी ने एक ऐसे जन सुलभ एव सर्वग्राह्य धर्म-मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसमें न तो सामाजिक अनाचारों की मनमानी थी और न ही कठिन एव दुर्गम साधना-

पद्धति का प्राबल्य था। उन्होंने जन-सामान्य के समक्ष सर्वव्यापी, भक्त-वत्सल एवं कृपालु भगवान् विष्णु की समुपभक्ति का सरल मार्ग प्रस्तुत किया, उसमें न तो किसी प्रकार की जीव हत्या का भाव था और न नियम-अनुष्ठानों का प्रतिबन्ध ही। उन्होंने प्रतिपादित किया कि लोकव्यापी भगवान् विष्णु आदि देव है और विश्व के लिए कल्याणकारी तथा जीवों के प्रति करुणामय है। वे श्रद्धालु भक्ता के उद्धार के लिए समय-समय पर विभिन्न नाम रूपों में अवतार धारण करते हैं। वे विश्व के पालक रक्षक, शान्त उदार, अनादि, अविनाशी और सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म हैं। निष्ठापूर्वक उनका नाम-स्मरण करने मात्र से ही वे अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं।

परम्परा का प्रवर्तन

‘रुद्र सम्प्रदाय’ के ग्रन्थों में कहा गया है कि आदिदेव रुद्र ने बालगित्य ऋषियों को जो उपदेश दिया था, शिष्य-परम्परा से प्रवर्तित होता हुआ वह विष्णुस्वामी को प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से वैष्णव-परम्परा में शुद्धाद्वैत के प्रथम आचार्य विष्णुस्वामी ही हुए। उनके शिष्य ज्ञानदेव और अनिदेव के शिष्य नामदेव तथा त्रिलोचन हुए। इसी परम्परा में आचार्य वल्लभ हुए।

शंकराचार्य के बाद वेदान्त मत के प्रतिपादक जितने भी वैष्णवाचार्य हुए, उनमें अग्रणी होने के कारण विष्णुस्वामी का परवर्ती, धर्माचार्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत-मत पर विष्णुस्वामी मत का स्पष्ट प्रभाव है। विद्वानों की धारणा है कि वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। अतः वल्लभाचार्य ने उस सम्प्रदाय का तदनु रूप धरण तो नहीं किया किन्तु उसके सिद्धान्तों से अवश्य प्रभावित हुए।

विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के परवर्ती आचार्यों में बिल्वमंगल तथा श्रीधर-स्वामी के अतिरिक्त ज्ञानदेव, नामदेव, केसव, त्रिलोचन, हीरालाल और रामाचार्य प्रभृति आचार्यों, भक्तों तथा कवियों ने विष्णुस्वामी की परम्परा को आगे बढ़ाया। इन प्रवर्तकों में बिल्वमंगल (१२वीं शती ई०) का नाम उनके ‘कृष्णकूर्णामृत’ के कारण प्रसिद्ध है। राधा-कृष्ण की लीलाओं से सम्बद्ध मधुर भक्तिरस का भावग्राही वर्णन इस काव्य में हुआ है। कृष्णभक्त सयाज में इस कृति की बड़ी लोकप्रियता है। भक्तकवि बिल्वमंगल का सम्बन्ध श्रावणकोर के निकट भगवान् पद्मनाभ मन्दिर से बताया जाता है। वे दर्शन, व्याकरण, काव्य तथा काव्यशास्त्र आदि अनेक विषयों के प्रगाढ़

विद्वान् थे। उनका १२ सर्गों का महाकाव्य 'गोविन्दाभिनवेश' या 'श्रीचिह्न-काव्य' वृष्णभक्ति से सम्बन्धित ग्रन्थ है। शंकराचार्य के किसी प्रशिष्य से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। इस परम्परा में श्रीधरस्वामी प्रसिद्ध विद्वान् हुए। उन्होंने 'भागवत' पर 'भावार्थदीपिका' नामक टीका लिखी, जो कि 'श्रीधरी टीका' के नाम से भी प्रसिद्ध है और आधुनिक विद्वत्समाज में बड़ी लोकप्रिय है।

शंकराचार्य के उदय के बाद, अर्थात् ८वीं-९वीं शती पश्चात्, वैष्णव धर्म की सगुण साकार उपासना-पद्धति का प्रभाव शिथिल पड़ गया था। उसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। उसको रामानुज, विष्णुस्वामी तथा बल्लभाचार्य आदि वैष्णवाचार्यों ने पुनः प्रतिष्ठित कर लोकव्यापी बनाया।

वैष्णव धर्म का विष्णुस्वामी मत प्राचीनता के साथ ही बहुप्रचलित भी रहा है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में उसका प्रचार प्रसार अधिक रहा है। किन्तु उत्तर भारत में उसका प्रसार बाद में हुआ। ब्रजक्षेत्र में उसका प्रभाव आज भी न्यूनाधिक रूप में बना हुआ है। विद्वानों ने विष्णुस्वामी मत के दो मठों का पता लगाया है। एक रामवन में और दूसरा काकरोली में। ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णुस्वामी मत सरल, सहज होते हुए भी उसे उतनी व्यापकता नहीं मिली। उसका कारण यह था कि उसमें केवल ब्राह्मण वर्ण को ही दीक्षित किया जाता था।

विष्णुस्वामी मत के अनुयायियों में नृसिंह तथा गोपाल, दोनों देवों की उपासना प्रचलित थी। ईश्वर को वहाँ सत्-चित् नित्य, पूर्ण आनन्दमय विग्रहधारी नृसिंह माना जाता है। नृसिंह भगवान् को विष्णु का चौदहवाँ अवतार माना जाता है, जिसका आधा शरीर सिंह तथा आधा शरीर मनुष्य का है। हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का नाश करने के लिए देवों तथा ऋषियों की प्रार्थना पर विष्णु ने नृसिंह का अवतार धारण किया था। अतः इस मत में प्रमुख इष्ट विष्णु अवतार नृसिंह सिद्ध होते हैं।

नृसिंहावतार की उपासना का एक पृथक् सम्प्रदाय भी प्रचलित हुआ था, जिसके प्रवर्तक आचार्य नरसिंह नाम से कहे जाते हैं। उन्होंने इस सम्प्रदाय पर अनुष्टुप् छन्द में 'मन्त्रराज' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था। किन्तु आचार्य नरसिंह तथा उनके द्वारा प्रवर्तित नृसिंह सम्प्रदाय प्रायः विलुप्त हो चुका है। इस सम्प्रदाय के अस्तित्व को बताने वाले कुछ ग्रन्थ और आधुनिक लोक-जीवन में वर्तमान विभिन्न मन्दिर उसके प्रमाण हैं। नृसिंह सम्प्रदाय से सम्बन्धित ग्रन्थों में नृसिंह पूर्व तापनीयोपनिषद्, नृसिंह उत्तर तापनीयोपनिषद्, नृसिंहपुराण और नृसिंहसहिता का नाम उल्लेखनीय है।

भारत में नृसिंह के अनेक मन्दिर और प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विजय-नगर में नृसिंह की एक भव्य विशाल प्रतिमा की उपलब्धि से ऐसा ज्ञात होता है कि वहाँ का राजवंश नृसिंह सम्प्रदाय का संरक्षक एवं अनुयायी था। इस मत के अनुयायियों का प्रसार काश्मीर, पंजाब तथा मुल्तान तक रहा है।

यद्यपि नृसिंह सम्प्रदाय सम्प्रति विलुप्तप्राय है, तथापि नृसिंह की उपासना का प्रचलन आज भी सारे भारत में है। नृसिंह के लगभग ६५ मन्दिर आज भी भारत के विभिन्न अंचलों में वर्तमान हैं और उसकी ये प्रतिमाएँ विभिन्न स्थानीय नामों से सम्पूजित होती हैं।

इस प्रकार यदि विष्णुस्वामी सम्प्रदाय नृसिंहावतार का उपासक रहा है, तो निश्चित ही उसका प्रभाव सारे भारत में व्याप्त हुआ। विष्णुस्वामी मत ने परवर्ती वैष्णव धर्म की शाखाओं को प्रभावित किया और सगुण-साकार उपासना-पद्धति को लोकव्यापी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस दृष्टि से वैष्णव धर्म के इतिहास में विष्णुस्वामी मत का उल्लेखनीय स्थान रहा है।



माध्वमत या ब्रह्म सम्प्रदाय

वैष्णव सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यों की परम्परा में मध्वाचार्य का भी एक प्रतिष्ठित स्थान है। उन्होंने भी अपने पृथक् धार्मिक मत की प्रस्थापना की और अपने विलक्षण तर्कों के आधार पर परब्रह्म श्रीकृष्ण के द्वैतस्वरूप का प्रतिपादन किया। उनका जन्म दक्षिणी कर्नाटक में उडीपी या उदीपी नामक नगर (मालावार) के निकट बेलिग्राम में १२३९ ई० में हुआ था। उनके पिता का नाम मोघिजी भट्ट था, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के गृहस्थ थे। मध्वाचार्य का परिवार-नाम वामुदेव था। दक्षिण के अनन्तेश्वर मठ में उन्होंने अध्ययन किया। कहा जाता है कि बाल्यकाल से ही वे असामान्य प्रतिभाशाली थे। अल्पवय में ही उन्होंने वेद-शास्त्रों को हृदयगत कर लिया था। जब वे केवल ११ वर्ष के थे, उन्होंने सांसारिक मोह-बन्धनों को विच्छिन्न कर लिया था। वे इतने आत्मज्ञानी हो गये थे कि स्वतः प्रेरणा से उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था। उनके दीक्षा-गुरु का नाम अच्युतप्रेक्ष या अच्युतपक्षाचार्य अथवा शुद्धानन्द था, जो शाकरमत के अनुयायी थे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे 'पूर्णप्रज्ञ' के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्युतपक्षाचार्य से ही उन्होंने वेद-वेदान्त तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। अपने बाद अच्युतपक्षाचार्य ने पूर्णप्रज्ञ को 'आनन्दतीर्थ' नया नाम देकर मठ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनके द्वारा प्रचलित भक्तिमार्ग 'ब्रह्म सम्प्रदाय' या 'पूर्णप्रज्ञ सम्प्रदाय' के नाम से कहा गया।

सन्यास धारण करने तथा मठ का स्वामित्व प्राप्त करने के उपरान्त मध्वाचार्य पहले दक्षिणाचल और उसके बाद उत्तराचल में अनेक तीर्थों में गये। वे उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध तीर्थ बदरिकाश्रम तक गये और यात्रा पूरी कर उडीपी में आकर स्थिर रूप में रहने लगे। वहाँ उन्होंने उडीपी, सुब्रह्मण्यम् और मध्यतल में तीन मठ स्थापित किये। उनके द्वारा स्थापित इन तीनों मठों में राम, सीता, लक्ष्मण, वाली, वाराह और नृसिंह आदि देवी-देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हुईं। उडीपी (मालावार) का मठ मध्व सम्प्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। उसमें विष्णु, सीता, राम, कालियमर्दन, वाराह और नृसिंह आदि विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं।

इस सम्प्रदाय का प्रचार विशेष रूप से कर्नाटक और मैसूर में है। अकेले कर्नाटक में मध्व मत के आठ मठ हैं। इनके अतिरिक्त व्रजक्षेत्र में, विशेष

रूप से वृन्दावन तथा उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में इस सम्प्रदाय के मठ तथा बहुसंख्यक अनुयायी हैं। सम्प्रदाय-परम्परा के अनुसार इन मठों के उत्तराधिकारी दीक्षापुक्त ब्राह्मण तथा मन्यागो हुआ करते हैं।

मध्वाचार्य समाजसुधारक भी थे। पशुबलि के विरोध में उन्होंने एक आन्दोलन चलाया था। नारायणाचार्य कृत 'मध्वविजय' और 'मणिमञ्जरी' नामक ग्रन्थों में उनकी जीवनी उल्लिखित है। किन्तु उनमें तथ्यात्मक कम और थद्दात्मक अधिक लिखा गया है। उनमें अतिरजना अधिक होने के कारण वास्तविक जीवनी-अंशों का पता नहीं चलता है।

ग्रन्थ-निर्माण

अन्य सम्प्रदाय आचार्यों की भांति मध्वाचार्य ने भी अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए प्रौढ़ ग्रन्थों की रचना की। उन्होंने लगभग ३७ ग्रन्थों की रचना की और प्रायः सभी ग्रन्थों की रचना उड़ीषी में हुई। उनमें 'ऋग्भाष्य', 'ब्रह्मसूत्रभाष्य', 'ईशोपनिषद्भाष्य', 'अनुवाकानुनय विवरण', 'अनुवेदान्तरस प्रकरण', 'भारततात्पर्यनिर्णय', 'भागवततात्पर्य', 'गीतातात्पर्य', 'तन्सारसंग्रह' और 'कृष्णामृत महाणंद' आदि का नाम प्रमुख है। सम्प्रदाय में ये ग्रन्थ अधिक प्रचलित हैं।

सिद्धान्त-निरूपण

मध्वाचार्य मत में सर्वत्र आनन्दस्वरूप भगवान् नारायण को एकमात्र परमेश्वर माना गया है। मध्वाचार्य वेद, शास्त्र एवं उपनिषदों की तत्त्वविद्या के प्रकाण्ड विद्वान् थे। अपने 'गीताभाष्य' में उन्होंने जिस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है, उसे 'द्वैतवाद' के नाम से कहा गया है। उन्होंने विष्णु को परमेश्वर निश्चिन्त किया है और अपनी सिद्धान्त-स्थापना के लिए उपनिषदों के प्रमाणों को उद्धृत किया है। उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि आरम्भ में परमेश्वररूप एकमात्र नारायण ही विद्यमान थे, न ब्रह्मा थे और न शंकर। वे नारायण सर्व-गुण-सम्पन्न, स्वतन्त्र और आनन्दस्वरूप हैं। उन्हीं से ब्रह्मादि देवताओं और मृष्टि का सृजन हुआ—

'एको नारायणो ह्यासीत् न ब्रह्मा न च शंकर ।

आनन्द एक एवाग्र आसीन्नारायण प्रभु ॥'

मध्वाचार्य आरम्भ में शंकर मत के अनुयायी थे। उनके दीक्षा-गुरु अच्युतप्रेक्ष या अच्युतप्रेक्षाचार्य स्वयं शांकर मत के सत्याप्ती थे। अपने गुरु से उनका शास्त्रार्थ हुआ था और उनसे मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना अलग 'द्वैतमत' चलाया। 'भागवत' के अध्ययन के बाद उन्होंने शांकर मत

को त्यागकर वैष्णव मत अपना लिया था। उनके दर्शन को उनके दीक्षानाम से 'पूर्णप्रज्ञ दर्शन' भी कहा जाता है।

मध्वाचार्य के पूर्णप्रज्ञ दर्शन या द्वैतमत को 'स्वतत्रास्वतत्रवाद' भी कहा जाता है। उसके अनुसार जीव तथा ब्रह्म, दोनों नित्य हैं और दोनों स्वतत्र पदार्थ हैं। ब्रह्म भी स्वतत्र है और जीव भी स्वतत्र है। दोनों में सेव्य-सेवक-भाव-सम्बन्ध है। सेवक कभी भी सेव्य वस्तु से अभिन्न नहीं हो सकता है। ब्रह्म सगुण एव सविशेष है। जीवों की सख्या अनन्त है और वे अणु परिणाम हैं, भगवान् के दास हैं। मूलतः वे चेतन और आनन्दरूप नित्य तत्त्व हैं। किन्तु भौतिक शरीर के ससर्ग एव कर्मबन्ध के कारण दुःख भोगते हैं। ईश्वर जीवों का अन्तर्यामी रूप से नियन्ता है। किन्तु वास्तविक कर्ता, भोक्ता और कर्म का उत्तरदायी जीव ही है।

उनके मत से परमात्मा और जीवात्मा, दोनों अनादि हैं। ईश्वर और जीव का सम्बन्ध वैसे ही है, जैसे पक्षि मूत्र, वृक्ष रस, नदी-समुद्र और इन्द्रिय-विषय का। समस्त पदार्थों की दो कोटियाँ हैं—स्वतत्र और अस्वतत्र। अशेष सद्गुणयुक्त परमात्मा या भगवान् विष्णु स्वतत्र तत्त्व हैं, जड़ तथा जड़ जगत् अस्वतत्र तत्त्व हैं। भगवान् का दाम जीव यदि स्वामी से साम्य का बोध करे तो भगवान् जीव को नीचे गिरा देते हैं। परम सेव्य भगवान् की सेवा के अतिरिक्त जीव का कोई अधिवार नहीं है। भगवान् का अनुग्रह प्राप्त करना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। भगवान् का अकन भजन तथा नाम स्कीर्तन के द्वारा ही जीव को पुरुषार्थ प्राप्त होता है। भगवान् के दिव्य गुणों का स्मरण चिन्तन ही सारूप्य एव सालोक्य मुक्ति के साधन हैं। कैवल्य या मुक्ति के समय जीवात्मा चैतन्य परमात्मा के सम्मुख उसी प्रकार नहीं दिखाई देता, जैसे सूर्य के प्रकाश में तारे।

माध्वमत में सृष्टि प्रक्रिया का स्वतत्र सिद्धान्त है। उनके मतानुसार ईश्वर को जब सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो मूल प्रकृति नाना भौतिक पदार्थों के रूप में अपना विकास करती है। सृष्टि का अर्थ है सूक्ष्म का स्थूल रूप में विस्तार या परिणाम और जीवों को कर्मानुरूप फल प्राप्त करने के लिए शरीर रूप में परिणत होना। नारायण यद्यपि गुणातीत है, तथापि माया-सयुक्त होकर उनके सत्त्व, रज, तम अंश से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा शम्भु का आविर्भाव हुआ और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया निष्पादित हुई। ससार सत्य है और उसमें होने वाले भेद भी सत्य हैं। वस्तु का स्वरूप ही भेदमय है। उनके अनुसार यह जगत्प्रवाह पाँच भेदों से समन्वित है—१ जीव ईश्वर का भेद, २ जीव जीव का भेद, ३ जीव-

का साभिध्य प्राप्त होता है। मुक्त जीव ईश्वर की समानता नहीं कर सकते, अपितु साभिध्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की तीव्रता के अनुसार मुक्ति चार प्रकार की मानी गई है—सालोक्य, मामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सायुज्य मुक्ति सर्वोत्तम मानी गई है।

इस प्रकार मध्वाचार्य ने भारतीय तत्त्वविद्या एवं चिन्तन के क्षेत्र में ब्रह्म-जीव की स्पष्ट भिन्नता का प्रतिपादन कर 'द्वैतवाद' के नाम से एक नये दार्शनिक मत की प्रतिष्ठा की और वेद, उपनिषद्, पुराणों में अनेक प्रकार के तर्कों, प्रमाणों तथा युक्तियों से उनका मण्डन किया।

आज से लगभग तेरह सौ वर्ष पूर्व भारतीय धर्म और तत्त्वविद्या के क्षेत्र में अपने ओजस्वी दिव्य प्रतिभा एवं अद्भुत पाण्डित्य से एक नये दार्शनिक-धार्मिक मत का प्रौढ प्रतिपादन कर आचार्य मध्व ७९ वर्ष की आयु वितारकर १३१८ ई० में वैकुण्ठ-धाम को मिधारे।

परम्परा का प्रवर्तन

माध्वमत की परवर्ती परम्परा को उजागर करनेवाले अनेक विद्वानों एवं दार्शनिकों ने द्वैतमत पर उच्च कीटि के ग्रन्थों का प्रणयन किया। आचार्य मध्व के बाद उनके शिष्य पद्मनाभाचार्य (१३वीं शती) ने माध्वमत का व्यापक प्रचार-प्रसार किया। पद्मनाभ का मूल नाम शोभन भट्ट था। वे बड़े विद्वान् धे और चाटुक्वों की राजधानी कल्याण में रहते थे। एक बार मध्वाचार्य से उनका शास्त्रार्थ हुआ और उसमें वे पराजित हो गये। तब से उन्होंने आचार्य मध्व का शिष्यत्व वरण कर वैष्णव मत में दीक्षा ले ली थी। मध्वाचार्य ने देह-त्याग करते समय अपने सुयोग्य शिष्य पद्मनाभाचार्य को रामचन्द्र की प्रतिमा तथा शालिग्राम की शिला देकर उन्हें यह निर्देश किया था कि वे आजीवन माध्वमत का प्रचार करते रहें। पद्मनाभ ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया और अपनी कृतियों तथा अपन उपदेशों शिलालोको में माध्वमत का आजीवन प्रचार करते रहे। उन्होंने माध्वमत के चार पीठ स्थापित किये। तथा आचार्यपाद के ग्रन्थों पर विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ लिखीं। मध्व के बाद वे ही पीठ के प्रधान नियुक्त हुए। उनका 'काल्यायन श्रौतमूत्र' पर लिखा गया भाष्य प्रमुख है। उनका 'पदार्यधर्मग्रह' और उस पर लिखी गई टीका 'मध्वमिद्वान्तसार' उल्लेखनीय है।

मध्वाचार्य के निरोधान के लगभग ५० वर्ष पश्चात् पद्मनाभाचार्य के उपरान्त आचार्य जयतीर्थ सम्प्रदाय के आचार्य नियुक्त हुए। उन्होंने आचार्य-पाद की कृतियों पर विद्वत्तापूर्ण भाष्य की रचना की, जिन्हें व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। मध्वाचार्य के 'ब्रह्ममूत्रभाष्य' पर उन्होंने 'तत्त्वप्रकाशिका' और

'न्यायसुधा' नाम से अनुव्याख्यान लिखे। उन्होंने 'पदावली' के नाम से एक अन्य ग्रन्थ की भी रचना की, जिसमें श्रीहर्ष के टीकाकार चित्तुखाचार्य के सिद्धान्तों की कटु आलोचना की गई है। इसी परम्परा में व्यासदास ने 'भेदो-ज्जीवन' और 'न्यायामृत' ग्रन्थों की रचना की। मधुसूदन सरस्वती ने अपनी 'अद्वैततिद्धि' में 'न्यायामृत' की आलोचना की है, जिसका उत्तर रामाचार्य ने अपनी 'न्यायामृततरंगिणी' में दिया। रामाचार्य (१७वीं शती) बड़े विद्वान् थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ था। उनका जन्म व्यासकुल में गोदावरी के तट पर स्थित अन्धपुर नामक गाँव में हुआ था। अपने गुरु व्यास दास के कहने पर रामाचार्य ने शाकर वेदान्त के आचार्य मधुसूदन सरस्वती से गुरुत्व प्राप्त कर विद्याध्ययन किया था। तत्पश्चात् ही उन्होंने अपनी 'न्यायामृततरंगिणी' में अद्वैत मत का खण्डन कर माध्वमत का मण्डन किया था। उनके भाई नारायणाचार्य बड़े विद्वान् हुए। उन्होंने 'मणिमञ्जरी' तथा 'माध्वविजय' लिखकर सम्प्रदाय की परम्परा को परिपुष्ट किया। वे मध्वाचार्य के प्रशिष्य थे।

माध्वमत की धार्मिक तथा दार्शनिक परम्परा को प्रवर्तित करने वाले विद्वानों में १४वीं शती में वर्तमान आचार्य विष्णुपुरी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 'भागवत' के चुने हुए भक्तिरस त्रिपयक स्थलों पर 'भक्तिररना-वली' की रचना की। माध्वमत के सन्त ईश्वरपुरी ने चैतन्यदेव को माध्वमत में दीक्षित किया। उन्होंने १५०९-१५११ वि० में दक्षिण भारत में माध्व मत का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत में माध्वमत का प्रचार-प्रसार करने वाले भक्त-कवियों में महात्मा ईश्वरपुरी का नाम विशेष रूप से उल्लेख-नीय है। उन्होंने चैतन्यदेव के अनुकरण पर माध्वमत के प्रचार के लिए 'नगर सकीर्तन' का प्रचलन किया। विभिन्न वाद्ययंत्रों के साथ भक्त-मण्डली जुटाकर उन्होंने सामूहिक रूप से नगर-नगर का परिभ्रमण किया और जनता को अपने मत का अनुयायी बनाया। प्रचार का यह माध्यम बड़ा सफल सिद्ध हुआ।

इसी प्रकार के भजन-कीर्तन करने वाले भक्तों में पुरन्दरदास का नाम अग्रणी है। उन्होंने कन्नड़ी भाषा में सुललित भक्तिगीतों की रचना की। उनके भक्तिगीत बड़े लोक प्रचलित हुए। कन्नड़ी भाषा में 'रामायण' के अनुवादक कुमार वाल्मीकि ने भी कर्नाटक में माध्वमत का प्रचार किया।

१७वीं शती में राघवेन्द्र यति या राघवेन्द्रस्वामी माध्वश्वेदान्त के प्रौढ़ विद्वान् हुए। उन्होंने आचार्य जयतीर्थ की 'तत्त्वप्रकाशिका' पर 'तत्त्वोद्योतवृत्ति' लिखी। अन्य अनेक ग्रन्थों का भी उन्होंने प्रणयन किया। सरलता की दृष्टि

से उनकी कृतियों का अधिक प्रचलन है। इसी परम्परा को १८वीं शती में चम्भयदास, मध्वदास और चिदानन्ददास ने आगे बढ़ाया। ये तीनों विद्वान् भक्त कर्नाटकवासी थे। सन्त चिदानन्ददास ने कन्नड़ी भाषा में 'हरिभक्ति-रसायन' तथा 'हरिकथासार' नामक दो लोकप्रिय ग्रन्थों का निर्माण किया।

आचार-संहिता

माध्व सम्प्रदाय की अपनी अलग आचार संहिता है। उसमें उपामना के तीन अंग बताये गये हैं—अकन, नामकरण और भजन। नारायण (विष्णु) के शल, चक्र, गदा, पद्मादि चिह्नों को शरीर में दाग (अंकित) करना और तप्तमुद्रा धारण करना ही 'अकन' उपासना है। अपनी सन्तति का तथा शिष्य का नाम विष्णुपर्याय नामों के अनुरूप रखना ही 'नामकरण' है। इसी प्रकार काया, मनसा, वाच विष्णु के नाम का स्वीकृत करना ही 'भजन' है। दान, परित्राण तथा परिरक्षण, ये तीन 'कायिक भजन' हैं। सत्यवचन, हितवचन, प्रियभाषण तथा शास्त्रानुशीलन, ये चार 'वाचिक भजन' हैं और दया, अस्पृहा तथा श्रद्धा, ये तीन 'मानसिक भजन' हैं। इनके साथ ही भक्ति से दस अंगों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। भक्ति के दस अंगों के नाम हैं—सत्यवादिता, हितकर वाणी, धरणावतरक्षा, दरिद्र का दुःख-हरण, स्वाध्याय, विपन्न की सहायता भस्पात्र को दान, प्रिय भाषण, केवल भगवान् के दासत्व की इच्छा और शास्त्रों में विश्वास।

इस सम्प्रदाय के आचार्य दण्डी सन्यासियों की भाँति नैतिक वस्त्र धारण करते हैं। दण्ड, कमण्डलु रखते हैं, शिर मुँडाते हैं और यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं। वे स्वेच्छा से ही बाल्यकाल में सन्यास धारण कर सकते हैं।

माध्व सम्प्रदाय के अनुयायियों की तिलक धारण करने की अपनी पृथक् विधि है। वे नामिका में वैद्यपर्यन्त ललाट पर लडा तिलक गोपीचन्दन की दो ऊर्ध्व रेखा और उसके बीच नारायण निवेदित गन्धद्रव्य की भस्म की कृष्णरेखा और उसके शिरोभाग पर हरिद्रा की गोठ बिन्दु अंकित करते हैं।

माध्व सम्प्रदाय की आचार-पद्धति रामानुजी वैष्णवों के अधिक निकट है। रामानुज के अनुरूप मध्व ने भी श्रीविष्णु के आयुधों शल, चक्र, गदा और पद्म से अपने अंगों को अलंकृत करने की प्रथा को अपनाया। माध्व सम्प्रदाय के अनुयायी आज भी ज़मी नियम का निर्वाह करते हैं।

माध्व मतानुयायी सन्यासी शाकर मत के दशनामी सन्यासियों की कोटि में गिने जाते हैं। स्वयं मध्वाचार्य तीर्थ शाखा के सन्यासी थे। माध्वमत के परवर्ती अनेक आचार्य एवं 'पुरी' तथा 'भारती' शाखाओं से सम्बन्धित थे।

महापुरुषिया सम्प्रदाय

वैष्णव सम्प्रदाय के धार्मिक ग्रन्थों की सख्या गणनातीत है। विष्णु, राम, कृष्ण, सीता, राधा आदि अवतारी देवी-देवताओं को उपास्य-आराध्य मानकर समय-समय पर भारत के धर्म-प्रवर्तक वैष्णव आचार्यों, सन्तों, महापुरुषों और भक्तों ने अपने आराध्यदेव की आराधना-उपासना की विभिन्नता को लेकर अपने अलग-अलग मत-पन्थ प्रचलित किये। कुछ धार्मिक मत तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जो अपने सस्थापक तक ही सीमित रहे और उसके साथ ही विलुप्त भी हो गये। कुछ का इतना सीमित प्रचार हुआ कि अल्पकाल में ही उनकी परम्परा क्षीण पड़ गई। इस प्रकार विभिन्न धर्म-शाखाओं का उल्लेख तो मिलता है, किन्तु उनकी परम्परा आगे किस रूप में बटी, इसका इतिहास अज्ञात है। 'महापुरुषिया सम्प्रदाय' भी ऐसी ही एक वैष्णव धर्मशाखा है, जिसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस सम्प्रदाय के सस्थापक का नाम आचार्य शंकरदेव था। उनका जन्म कामरूप (असम) के एक भूयन परिवार में १४४९ ई० (१३७१ शक सं०) में हुआ था। उनके पिता का नाम कुसुमवर और माता का नाम सत्यसन्ध्या था। कुछ दिन बाद यह परिवार नवगाँव जिले के अलिपुरबुरी नामक स्थान में आकर बस गया था, जो कि असम का ही अंग है। बाल्यावस्था में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण उनका लालन-पालन उनकी दादी ने किया। उन्हीं के संरक्षण में वे पढ़े-लिखे और थोड़े ही समय में विद्वानों की कोटि में गिने जाने लगे। उन्होंने दो विवाह किये थे। उनकी एक पत्नी का नाम सूर्यवती और दूसरी का नाम कालिन्दी था। उनका पहला विवाह २१ वर्ष की अवस्था में और दूसरा ५४ वर्ष की अवस्था में हुआ था। पहली पत्नी के निधन के कारण उन्होंने दूसरा विवाह किया था।

बाल्यकाल से ही शंकरदेव धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। अध्ययन पूरा करने और गृहस्थ जीवन को बरण करने के पश्चात् उन्होंने अपने लिए कुछ नियम तथा निदान्त लिख कर दिये थे और अपने दो-एक सुयोग्य माधियों को साथ लेकर जन-सामान्य के बीच अपना सम्पर्क स्थापित करने पर लग गये। उनसे कुछ समय पूर्व बंगाल में चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य भक्ति का प्रचार-प्रसार हो चुका था, जिसमें वे स्वयं भी प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं अपना स्वतंत्र भक्तिमार्ग निश्चित किया और उसको 'सनातन भगवती धर्म' के

नाम से प्रचारित किया। किन्तु कुछ समय बाद उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन किया और उसको 'महापुरुषिया सम्प्रदाय' के नाम से अभिहित किया। इस सम्प्रदाय के आराध्यदेव श्रीकृष्ण थे।

अन्य सम्प्रदाय-प्रवर्तकों की भांति शंकरदेव भी उत्तर भारत की यात्रा पर आये और श्रीकृष्ण की लीलाभूमि ब्रजमण्डल के सहित उन्होंने उत्तराखण्ड के अनेक तीर्थों तथा धर्मस्थलों का दर्शन किया। वृन्दावन में चैतन्य मत के प्रख्यात आचार्य रूप गोस्वामी और सनातन गोरवामी का भी उन्होंने सत्संग किया। तत्पश्चात् वे वहाँ से लौट आये और वरदोवा में रहने लगे। वहाँ तिरहुतिया निवामी ब्राह्मण जगदीश मिश्र से शंकरदेव ने 'भागवत' का श्रवण किया और अन्त में उन्हें 'भागवत' भेंटस्वरूप दे दिया। 'भागवत' के विद्वान् जगदीश मिश्र के स्वागत मत्कार हेतु शंकरदेव ने 'महानाट' के अभिनय का आयोजन किया।

कुछ वर्षों तक भुइयों राज्य में रहकर वे अहोम राज्य में जाकर बस गये। वहाँ भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। किन्तु वहाँ के कर्मकाण्डी ब्राह्मणों ने शंकरदेव के भक्तिमार्ग का घोर विरोध किया। उसका कारण यह था कि शंकरदेव द्वारा प्रचलित धर्म-मार्ग उदार एवं उदात्त था और उसमें किसी भी जाति, सम्प्रदाय तथा वर्ग का कोई भेद-भाव नहीं था। कर्मकाण्डी ब्राह्मणों ने दिहिगिया राजा से शंकरदेव के अवैदिक मत की शिकायत की। इस पर राजा ने शंकरदेव को दरवार में बुलाया और पण्डित मण्डली के समक्ष उनसे कतिपय धार्मिक प्रश्न किये। किन्तु राजा को उनके अवैदिक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, अतः विरोधी लोग मौन हो गये। अन्ततः उन्होंने अहोम राज्य का परित्याग कर दिया।

ग्रन्थ-निर्माण

वहाँ से वे पाटवाउमी में आकर बस गये। वहाँ वे पूरे १८ वर्षों तक रहे और वही पर उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थों का निर्माण किया। वे परम भक्त होने के साथ साथ अपने समय के सर्वोच्च विद्वानों में से थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान् थे और उन्होंने सस्कृत तथा असमिया में बहुसंख्यक ग्रन्थों का प्रणयन किया। उनके द्वारा विरचित ग्रन्थों के नाम हैं—'हरिश्चन्द्र उपाख्यान', 'भक्तिप्रदीप', 'रत्नमणीहरणकाव्य', 'कीर्तनघोषा', 'अनादिपत्तनम्', 'अजामिलोपाख्यान', 'अमृतमन्थन', 'वल्लिल्लन', 'आदिदशम्', 'कुरक्षेत्र', 'निम्नवसिष्ठमवाद', 'गुणमाला', 'रामायण अनुवाद', 'विप्रपत्नीप्रसाद', 'कालिदमनयात्रा', 'कैलियोगपाल', 'रत्नमणीहरण नाटक', 'पारिजातहरण नाटक' और 'रामविजय नाटक' आदि।

उन्होंने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा के लिए 'भक्तिरत्नाकर' नाम से रास्वृत में एक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखा। असमिया वैष्णवों में यह ग्रन्थ बड़ा पवित्र एवं सम्पूज्य माना जाता है। इस ग्रन्थ में शंकरदेव ने सम्प्रदाय की उदात्त आचार-वृद्धि सर्वजनानुग्राह्य सरल सिद्धान्तों का विस्तार से निरूपण किया है। उनकी अधिकतर कृतियाँ पुराण-व्याख्यान पर आधारित हैं और असमिया वैष्णव धर्मानुयायियों तथा साहित्य के इतिहास में उनको बड़ा समान प्राप्त है।

सिद्धान्त-निरूपण

आचार्य शंकरदेव ने जिस 'पुरुषिया सम्प्रदाय' की स्थापना की, उसको दार्शनिक सिद्धान्तों या वादों में उलझाने की अपेक्षा सरल, सुगम रूप में प्रस्तुत किया। 'राधावल्लभ सम्प्रदाय' के मस्थापक गोस्वामी हितहरिवंश की भाँति शंकरदेव ने भी भगवत्प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के आडम्बर को अपेक्षित नहीं समझा। उनका अभिमत था कि चाहे गृहस्थाश्रम हो या सन्यास-त्याग हो, भगवान् की आराधना-उपासना तथा भजन-कीर्तन करके उस परम दयालु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। श्रीकृष्ण के प्रति एकात्मिक भक्ति का उन्होंने निरूपण किया। उनके मत से भक्ति के चार प्रकार हैं—परब्रह्मज्ञान, एकशरणागतभक्ति, सत्संग और भगवत्सेवा। उन्होंने 'एकशरणागतभक्ति' को उत्तम माना है। उसे उन्होंने 'सेव्य-सेवक-भाव-विशिष्ट-भक्ति' के नाम से कहा है। उसके एकमात्र आधार श्रीकृष्ण हैं। उन्होंने अपनी भक्ति भावना एकमात्र श्रीकृष्ण पर आधारित की है, उसमें राधाजी को कोई स्थान नहीं दिया गया है। उनके मतानुसार उद्धव श्रीकृष्ण के बादर्शन भक्त थे। उद्धव की भाँति भक्त को दार्शनिक अमरत्व प्रदान करने वाली श्रीकृष्ण की एकात्मिक भक्ति ही जीव के उद्धार का एकमात्र साधन है।

महापुरुषपिया मत की अपनी विशेषता यह है कि जहाँ अन्य वैष्णव सम्प्रदायों में, राधावल्लभ सम्प्रदाय के अतिरिक्त, श्रीकृष्ण और राधा, दोनों की उपासना पर बल दिया गया है, वहाँ इस सम्प्रदाय में एकमात्र श्रीकृष्ण को ही उपास्य माना गया है। राधावल्लभ सम्प्रदाय में, ठीक इसके विपरीत राधाजी को सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में माना गया है और उन्हीं को श्रीकृष्ण की वशावतिनी बताया गया है। आचार्य शंकरदेव ने भी स्वामी हितहरिवंश की भाँति सेव्य-सेवक-भाव की विशिष्टता पर बल दिया है। उनके मत से श्रीकृष्ण ही परास्पर ब्रह्म है और जीव-जगत् के वर्ता, धर्ता एवं स्वामी है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के वे ही एकमात्र कारण हैं।

आचार-पद्धति

आचार्य शंकरदेव ने अपने 'भक्तिरत्नाकर' में सम्प्रदाय की आचार-पद्धति पर भी प्रकाश डाला है। उनके मत से शिष्यत्व प्राप्त करने या सम्प्रदाय का अनुयायी बनने के लिए किसी प्रकार की दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी भक्ति-भाव से श्रीकृष्ण की भक्ति का अभिलाषी हो, किसी आचार-प्रक्रिया की दीक्षा लिए बिना ही वह सम्प्रदाय का अनुयायी बन सकता है।

'महापुरुषिया सम्प्रदाय' में मूर्तिपूजा की कोई स्थान नहीं है। 'भागवत' उनका भगवान् का प्रतीक ग्रन्थ है। धार्मिक उत्सवों के अवसर पर इस सम्प्रदाय के अनुयायी 'भागवत' को चौकी पर रखते हैं और उसकी पूजा-प्रतिष्ठा करते हैं, उसे नैवेद्य, अर्घ्य आदि अर्पित करते हैं। 'भागवत' का इस सम्प्रदाय में वही स्थान है, जो सिक्खों में 'गुरुग्रन्थ साहिब' का। वे 'भागवत' को भगवत्स्वरूप मानते हैं और अपने मन्दिरों में उसको प्रतिष्ठित करते हैं। इस ग्रन्थ में उनकी परम श्रद्धा निष्ठा है। उनके मन्दिरों में नित्य प्रति 'भागवत' का अखण्ड पारायण होता रहता है। ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन-यापन करना इस सम्प्रदाय का मुख्य उद्देश्य है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी गृहस्थ और गृहत्यागी, दोनों श्रेणियों के लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सम्प्रदाय के अविवाहित ब्रह्मचारी अनुयायियों को 'बेवली' कहा जाता है।

धार्मिक उदारता

महापुरुषिया सम्प्रदाय में धार्मिक उदारता देखने को मिलती है। उसमें कोई भी श्रद्धालु सम्मिलित हो सकता है। उसमें समाज-सुधार की लोकहितकारी भावना निहित है। आचार्य शंकरदेव ने परम्परा और वर्ण-व्यवस्था की सर्कीर्णताओं का घोर विरोध किया है। यही कारण था कि कर्मकाण्डी ब्राह्मणों के जाति एवं वर्णगत भेद-भाव और ऊँच-नीच को नहीं माना है। मनुष्यमात्र को एकसमान समझ कर उन्होंने सबके उद्धार के लिए श्रीकृष्ण की शरण में जाने का निर्देश किया है और अपने धर्मक्षेत्र में सबको समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार दिया है। उनके द्वारा 'सत्र' नाम से एक संस्था की स्थापना की गई, जो कि समाज में नाटकों का आयोजन कर अपनी धर्म-नीति एवं अपने आचार-विचारों का प्रचार करती रही है। इस संस्था द्वारा विशेष रूप से धार्मिक उत्सवों के समय अपने मन्दिरों में नाटकों का आयोजन होता है। वैसे वे समय-समय पर अपने मत के प्रचार हेतु विभिन्न स्थलों पर अपना आयोजन करते रहे हैं।

आचार्य शकरदेव जब ९७ वर्ष के थे, उन्होंने पुन उत्तर भारत, विशेष रूप से श्रीकृष्ण की लीला-भूमि ब्रज-मण्डल की पुन यात्रा की। इस काल में उन्होंने समाज-मुधारक विचारों के महान् सन्त कबीर ने मठ के दर्शन किये। यात्रा समाप्त कर वे बरपेटा (असम) लौट आये। तत्कालीन कोच राजा नरभारायण ने आचार्य शकरदेव को ब्रूचविहार आमन्त्रित किया और उनके पुष्प दर्शनों से लाभान्वित हुए। उनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि अनेक राजा उनके देवतुल्य व्यक्तित्व के प्रति थढ़ावनत थे। निमंत्रण प्राप्त होने पर भी वे राजदरबारों में कम जाते थे।

इस प्रकार सत्यनिष्ठ भगवद्भक्त के रूप में धर्म और समाज की सेवा करते हुए और संस्कृत तथा असमिया साहित्य को बहुसंख्यक उत्तम कृतियों से समृद्ध कर आचार्यदेव ने ११९ वर्ष की लम्बी आयु वित्ताकर ब्रूचविहार में १५६८ ई० (१४९० शक) को शरीर त्यागकर वैकुण्ठधाम को प्राप्त किया।

परम्परा का प्रवर्तन

आचार्य शकरदेव के बाद उनके शिष्य माधवदेव ने धर्म की परम्परा को प्रवर्तित किया। उन्होंने बड़ी लोकनिष्ठा प्राप्त की। सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार उन्हें 'महापुरुष' की उपाधि से समानित किया गया था। वे आजीवन वैष्णव ब्रह्मचारी रहे और अपने गुरु द्वारा सस्थापित धर्म-ज्योति से उन्होंने लोक-मानस को थालोकित किया।

स्वामी माधवदेव भी अपने गुरु शकरदेव की भांति वेद-शास्त्रों के ज्ञाता एवं तत्त्वविद्या में पारंगत थे। उन्हें असमिया साहित्य के श्रेष्ठतम भक्तकवियों में गिना जाता है। उनका जन्म उत्तरी असम के लखीमपुर जनपद के अन्तर्गत नारायणपुर के समीप १४११ वि० को हुआ था। उनके पिता बाहुका राज्य में कर्मचारी थे। वहाँ से वे बाद में वाणिज्य-व्यवसाय के लिए पूर्वे असम चले गये थे। महाराष्ट्र में जब अकाल पडा था, तो उनके पिता उन्हें साथ लेकर पुन बाहुका लौट आये थे। वही पर माधव ने वेद शास्त्र शास्त्रों तथा दर्शन आदि अनेक विषयों का अध्ययन किया। उनके विद्यागुरु आचार्य राजेन्द्र थे, जो कि एक शिक्षक थे। पिता के निधन के उपरान्त वे वाणिज्य-व्यवसाय में लग गये और उमीसे जीविकोपार्जन करने लगे।

माधवदेव आरम्भ में शक्ति के उपासक थे। किन्तु आचार्य शकरदेव से प्रवृत्ति निवृत्ति पर शास्त्रार्थ में पराजित होकर वे उन्हीं के शिष्य बन गये थे। उन्होंने घर सम्पत्ति का परित्याग कर एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य जीवन धारण किया और गुरु के धर्म-भार्य के प्रचार प्रसार में लग गये। आचार्य शकरदेव की

आज्ञा से माधवदेव ने 'कीर्तनघोषा' नामक ग्रन्थ का सकलन कार्य पूरा किया। उन्होंने भी गुरु प्रदर्शित श्रीकृष्ण की एकान्तिक भक्ति को ग्रहण किया और उसी को जनता में प्रचारित किया। आचार्य शंकरदेव ने जब दो बार उत्तर भारत विशेष रूप से ब्रज मण्डल की यात्रा की, तो माधवदेव उनके साथ थे। अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ भाव से रहकर उन्होंने उनकी सेवा की।

ग्रन्थ-निर्माण

अपने गुरु आचार्य शंकरदेव की ही भाँति स्वामी माधवदेव भी विद्वान् और विभिन्न विषयों पर अनेक उच्च कोटि के ग्रन्थों के निर्माता थे। उन्होंने 'भक्तिरत्नावली', 'आदिकाण्ड', 'नामघोषा', 'जन्म रहस्य', 'राजसूययज्ञ', 'अर्जुनभजन', 'चोपधरा' 'पिपरागुचुना', 'भूमिलोटावा', 'रासजूमरा', 'भूपणहेरोवा', 'ब्रह्ममोहन' और 'कटोरा खेलावा' नाम से अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया। उनके द्वारा सकलित एवं पूर्ण 'नामघोषा' नामक ग्रन्थ में एक सहस्र घोषाएँ हैं, जिनमें सम्पूर्ण शास्त्रों, आचारों तथा मतों का वर्णन हुआ है। स्वामी माधवदेव की कृतियों पर 'भगवद्गीता', 'उपनिषद्', 'रामायण' आदि का प्रभाव है। उनके रचे हुए लगभग दो सौ 'वरगीतों' को सम्प्रदाय के 'नामसेवा' प्रसंग में गाया जाता है। उनकी बड़ी लोकप्रियता है।

इस प्रकार सम्प्रदाय की सेवा और उसके प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर स्वामी माधवदेव ने गुरुस्थान कूचविहार में ही दीर्घायु प्राप्त कर शरीर त्याग किया।

आचार्य माधवदेव के उपरान्त इस सम्प्रदाय का विकास प्रायः अवरुद्ध हो गया और उनके अनुयायियों की संख्या क्षीण होती गई। आज असम के विभिन्न अंचलों में छिटपुट रूप से 'महापुरुषिया सम्प्रदाय' के अनुयायी देखने को मिलते हैं।

वल्लभ सम्प्रदाय या पुष्टिमार्ग

भारत के धार्मिक इतिहास में वैष्णव धर्म की एक शाखा 'वल्लभ सम्प्रदाय' या 'पुष्टिमार्ग' अथवा 'रुद्र सम्प्रदाय' के नाम से कही गई है। इस शाखा के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम अल्मागीर था। वे मोमयाजी तैलग ब्राह्मण थे। लक्ष्मण भट्ट का मूल स्थान आन्ध्रप्रदेश स्थित काकरव या काकरवाड ग्राम था, जो कि सम्प्रति एक नगर के रूप में वर्तमान है। वल्लभाचार्य का जन्म नाम वदन्नम था।

वल्लभाचार्य के उक्त जन्मस्थान के सम्बन्ध में मत-मतान्तर है। कुछ विद्वानों का कहना है कि उनसे जन्म से पूर्व उनके माता पिता तीर्थार्थन के उद्देश्य से काशी आ गये थे। उन दिनों काशी में हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक मनमुटाब चल रहा था। इस वातावरण से खिन्न होकर लक्ष्मण भट्ट सपत्नीक काशी से चम्पारन चले गये थे। वही पर १५३५ वि० (१४७९ ई०) को वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। उनके जन्मकाल के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की रहस्यात्मक बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि वे अग्निदेव के साक्षात् अवतार थे और अपने मत का उपदेश उन्होंने सीधे श्रीकृष्ण से प्राप्त किया था।

उनके उक्त स्थितिकाल को वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी प्रामाणिक मानते हैं। इसी तिथि को सम्प्रदाय के अनुयायी 'वल्लभोत्सव' के रूप में मनाते हैं। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उपनयन-संस्कार के बाद जब वे कुछ बड़े हुए तो उन्हें काशी में स्वामी राघवेन्द्र पुरी के पास अध्ययन के लिए भेजा गया। तत्पश्चात् नारायण भट्ट नामक विद्वान् से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि वे बड़े मेधावी थे और अल्पकाल में ही उन्होंने वेद-शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। जब उनकी अवस्था केवल ग्यारह वर्ष की थी, उनके पिता का निधन हो गया था। किन्तु पितृ-हीन होकर भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा और काशी में रहकर तत्त्व-विद्या का गहन ज्ञान प्राप्त करते रहे। बाल्यकाल से उनकी रुचि तीर्थार्थन और विद्वानों के ससर्ग में रहने की हो गई थी। वे जहाँ भी उपयुक्त समझते, वही रहकर विशोषार्जन करते रहे और अपनी शास्त्र-जिज्ञासा को उत्तरोत्तर सर्वाधिक करते रहे।

वेद-शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त वे अपनी माता की आज्ञा प्राप्त कर दक्षिण भारत की यात्रा पर गये। वहाँ उन्होंने दामोदरदास नामक एक धनिक को अपना शिष्य बनाया और उसे साथ लेकर वे विजयनगर चले गये। विजयनगर पर उन दिनों कृष्णदेव (१५०९-१५२९ ई०) का शासन था। उसकी विद्वत्प्रभा में वैष्णवों और स्मार्तों का समय-समय पर शास्त्रार्थ होता रहता था। वल्लभाचार्य भी राजदरवार में पहुँचे। उम समय वहाँ महाचार्य के शिष्य व्यासतीर्थ स्मार्त मत का खण्डन कर रहे थे। वल्लभाचार्य ने भी शास्त्रार्थ में भाग लिया और व्यासतीर्थ के मत की प्रबल युक्तियाँ प्रस्तुत कर मण्डन किया तथा स्मार्त मत की बटु आलोचना की। तदनन्तर उन्होंने स्वतंत्र रूप में अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और सर्वत्र ही अपने पुष्टिमार्ग की स्थापना कर विद्वानों को पराजित किया। इस प्रकार समस्त दक्षिण भारत में वल्लभाचार्य की विद्वत्ता का प्रचार प्रसार हो गया।

वल्लभाचार्य के सम्बन्ध में सम्प्रदाय प्रदीप नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनकी अद्भुत प्रतिभा तथा विलक्षण शास्त्रज्ञान से प्रभावित होकर विजयनगर के वैष्णव विद्वानों ने विष्णुस्वामी के उच्छिन्न मठ की पुनः प्रतिष्ठा की और उसमें वल्लभाचार्य को प्रमुख धर्माचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया।

दक्षिण भारत से उन्होंने उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने गोकुल में अपनी प्रमुख गद्दी स्थापित की और स्वयं को 'गोस्वामी' या 'गोसाई' अभिधान से प्रचलित किया। अपने धर्म-मार्ग के प्रचार के लिए उन्होंने मथुरा, वृन्दावन तथा काशी का भ्रमण किया। जिस स्थान पर वे प्रवचन करने के लिए गये, उसे 'बैठक' नाम से कहा गया और उनकी स्मृतिस्वरूप मठ-मन्दिरों की स्थापना की गई। उन्हीं दिनों गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथजी के रूप में गोपालकृष्ण का आविर्भाव हुआ। इसकी सूचना वल्लभाचार्य को स्वप्न में प्राप्त हुई। वे वहाँ गये और गोवर्द्धन पर्वत पर उन्होंने श्रीनाथजी की प्रतिष्ठा की तथा गोवर्द्धन पर्वत को प्रमुख तीर्थस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की। १५७५ वि० में वे गोवर्द्धनपर्वत से श्रीनाथजी को उठाकर नाथद्वारा ले गये और वहाँ उनको प्रतिष्ठित किया। उनकी पूजा-सभा में ही उन्होंने अपने जीवन का शेष भाग बिताया। नाथद्वारा (राजस्थान) वल्लभ सम्प्रदाय का भारत प्रसिद्ध मुख्य पीठ है। वहाँ पर श्रीनाथजी का भव्य एवं विशाल मन्दिर है। साथ ही हरिरायजी की बैठक भी है। नाथद्वारा स्थित अन्य वैष्णव मन्दिरों में नवनीतलालजी, विट्ठल-नाथजी, कल्याणरायजी, मदनमोहनलालजी, वनमालीजी और मीराबाई के

मन्दिर उल्लेखनीय है। इन मन्दिरों के दर्शन करने प्रति वर्ष हजारों वैष्णव भक्त तथा थडालु छोप नाथद्वारा आते हैं।

अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए वल्लभाचार्य विरन्तर भ्रमण करते रहे। चौरासी लक्ष्य योनियों के उद्धार के लिए देश के विभिन्न अपठों में वल्लभाचार्य ने 'चौरासी बँठकों' स्थापित की और प्रत्येक बँठक में एक सप्ताह बैठकर 'भागवत' का पाठायण किया। इन चौरासी बँठकों के उत्तराधिकारी उनके चौरासी शिष्य निरुक्त हुए। इन चौरासी वैष्णवों की भक्तिरस से आप्लावित प्रेरणाप्रद कथाएँ ब्रजभाषा गद्य में उल्लिखित हैं, जिसे 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' के नाम से कहा जाता है। अपने धर्म एवं सम्प्रदाय को लोकव्यापी बनाकर वल्लभाचार्य १५८७ वि० में गोलोकवासी हुए।

ग्रन्थ-निर्माण

वल्लभाचार्य अद्भुत तार्किक और अनेक विषयों के गभीर एवं मौलिक विद्वान् थे। उन्होंने अनेक प्रौढ ग्रन्थों की रचना की। अपनी समस्त कृतियों का निर्माण उन्होंने कानी में किया। उनकी रचनाओं में 'ब्रह्मसूत्र' पर लिखा हुआ उनका 'अष्टुभाष्य' उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'भागवतलीलारहस्य', (सुबोधिनी) 'एवान्तरहस्य', 'तत्त्वप्रदीप निबन्ध', 'पुष्टिप्रवाह मर्यादा' और 'नवरत्न' नामक अनेक विद्वत्तापूर्ण, तत्त्वज्ञान-सम्पन्न एवं सम्प्रदाय समर्पित ग्रन्थों का निर्माण किया। वल्लभाचार्य और उनके सम्प्रदाय-अनुयायियों का 'भागवत' एकमात्र प्रेरणाप्रद तथा अध्ययनशील ग्रन्थ रहा है। वल्लभाचार्य ने अपने द्वारा प्रतिष्ठित चौरासी पीठों या बँठकों में 'भागवत' के महत्त्व को सर्वोपरि मान्य घोषित किया।

पुष्टिमार्ग का महत्त्व एवं वैशिष्ट्य

सम्प्रदाय-संस्थापक एवं प्रवर्तक अन्य धर्माचार्यों की भाँति वल्लभाचार्य ने भी अपने मत का स्वतंत्र रूप से तार्किक विवेचन किया है। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट विष्णुस्वामी मत के अनुयायी थे। अतः यह असाध्य नहीं कि उनके प्रभाव से वल्लभाचार्य भी आरम्भ में विष्णुस्वामी मत के अनुयायी रहे हों। किन्तु बाद में उन्होंने अपने मत की स्वतंत्र प्रतिस्थापना की। निम्बार्क मत का भी उन पर प्रभाव रहा। भक्तिमार्ग के क्षेत्र में उन्होंने 'पुष्टिमार्ग' का और दार्शनिक क्षेत्र में 'शुद्धाद्वैत सिद्धान्त' की प्रतिष्ठा की। उनके मत में यह विशेषता देखने की मिलती है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वैष्णवाचार्यों यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य तथा निम्बार्काचार्य प्रभृति के मतों का कहीं भी सण्डन नहीं किया है। उन्होंने अपने अनुयायी बहूतस्यक भक्त-

समाज के लिए भगवद्-अनुग्रह का जो नया उपाय या मार्ग खोज निकाला है, उसे ही 'पुष्टिमार्ग' के नाम से कहा गया है। 'पुष्टि का अपना व्यापक एव मौलिक महत्त्व है।

'भागवत' के अनुसार भगवान् का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। वैष्णव विद्वान् बालकृष्ण भट्ट ने अपने 'प्रमेयरत्नार्णव' (२० १६५७ वि०) में लिखा है कि 'जीव द्वारा सर्वतोभावेन समस्त विषयों का परित्याग और सर्वस्व समर्पण का भाव ही पुष्टिमार्ग है'—

‘समस्तविषयत्याग सर्वभावेन यत्र हि ।

समर्पणं च देहादे पुष्टिमार्गं स वक्ष्यते ॥’

पुष्टिमार्ग वस्तुतः 'वेद', 'गीता', 'ब्रह्मसूत्र' और 'भागवत' इस प्रस्थान-चतुष्टय का समन्वित स्वरूप है, जिसमें ईश्वर के प्रति जीव का सेव्य-सेवक-भाव-सम्बन्ध या पति-पत्नी-भाव सम्बन्ध से अनन्य आसक्ति का निरूपण है। बल्लभाचार्य ने भगवान् की प्राप्ति के लिए भक्ति को अग्रश्यक बताया है। उनका भक्तिमार्ग मधुर तथा वात्सल्य भाव का है। जीव में भक्ति का उदय भगवान् की कृपा से होता है। ईश्वर की कृपा ही 'पुष्टि' है। इसलिए बल्लभ सम्प्रदाय को 'पुष्टिमार्ग' कहा गया है। पुष्टिमार्ग के अनुसार भक्ति साध्य है, साध्य नहीं, क्योंकि भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। सच्चा भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, अपितु भगवान् का सायुज्य चाहता है, जिसमें कि वह सर्वोच्च स्वर्ग गोलोक में उनकी लीला के साथ एकरूप बना रहे।

पुष्टिमार्गीय भक्ति में गोलोक का विशेष महत्त्व माना गया है। विष्णु, शिव और ब्रह्मा के स्वर्गों से भी ऊपर गोलोक है। मुक्त आत्मा इसी गोलोक (कृष्णलोक) को प्राप्त करता है। कृष्ण स्वयं परब्रह्म हैं। राधा उनकी सहधर्मिणी है। राधा कृष्ण सर्वोच्च स्वर्ग गोलोक में लीलारत रहते हैं। इसी गोलोक को प्राप्त करना ही श्रीकृष्ण के विशुद्ध देवी स्वरूप को प्राप्त करना है।

बल्लभाचार्य ने भक्ति के दो प्रकार बताये हैं—मर्यादा और पुष्टि। मर्यादा-भक्ति में शास्त्रविहित ज्ञान तथा कर्म की आवश्यकता होती है। पुष्टि-भक्ति उसे कहते हैं, जो भगवान् के अनुग्रह से प्राप्त होती है। ऐसा भक्त भगवान् में अनुग्रह के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है। इसे 'प्रेमलक्षणा भक्ति' भी कहते हैं। उसमें भक्त भगवान् के प्रति सर्वस्व समर्पण कर देता है। यह प्रेमलक्षणा भक्ति स्वतः ही फलरूपा है और कर्म, ज्ञान तथा योग से भी श्रेष्ठ है। बल्लभाचार्य ने अपने 'अणुभाष्य' में कहा है कि 'मर्यादा-भक्ति' के द्वारा जीव कर्मानुरूप फल के बन्धन में रहता है।

अर्थात् जैसा कार्य करना है, तदनुग्रह फल प्राप्त करता है। किन्तु पुष्टिमार्ग में भगवान् को जीवकृत शुभाशुभ कर्मों को परसने की आवश्यकता नहीं होती है। 'पुष्टि-भक्ति' में ज्ञान-कर्म की निरपेक्षता परमावश्यक होने से जीव का लक्ष्य केवल विरहाकाशा होती है। मर्यादा-भक्ति में शास्त्रविहित ज्ञान-कर्म के अनुसार चतुष्टय-रूप मुक्ति-फल प्राप्त होता है। अतः पुष्टिमार्ग निराश्रित जीवों के मोक्ष का ही साधन नहीं, अपितु उनके उद्धार का भी उपाय है।

पुष्टिमार्ग के अनुसार एकाकी परमेश्वर ने स्वयं को प्रकृति, जीवात्मा और आत्मा के रूप में त्रिधा विभक्त किया। प्रकृति में सत् (चित् और आनन्द तिरोहित) और आनन्द, जीवात्मा में सत् और चित् (आनन्द तिरोहित) तथा ब्रह्म में सत् चित्-आनन्द—तीनों विद्यमान रहते हैं। सच्चिदानन्द की समवेत शक्ति का नाम माया है, जिससे विमुक्त हो जाने पर जीवात्मा और परब्रह्म में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। परमात्मा या ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुए बिना मायाधीन जीवात्मा को मोक्ष-लाभ नहीं हो सकता है। इसी भगवदनुग्रह को वल्लभाचार्य ने पुष्टि या पोषण के नाम से कहा है। 'भागवत' (३।२।११) में कहा गया है कि 'प्रभु की ओर उन्मुख मन की उस गति का नाम 'भक्ति' है, जो समुद्र की ओर प्रवाहित होनेवाली गंगा की गति के समान है।' इस भक्ति के वहाँ चार प्रकार बताये गये हैं—मर्यादापुष्टि, प्रवाहपुष्टि, पुष्टिपुष्टि और शुद्धपुष्टि। इसी प्रकार उपासना के वहाँ तीन प्रकार बताये गये हैं—भोग, रग्य और सेवा। इन तीनों साधनों के द्वारा भगवान् का जो अनुग्रह प्राप्त किया जाता है, उसे ही पुष्टि (पोषण तदनुग्रह) कहा गया है।

वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित एवं प्रवर्तित पुष्टिमार्ग सरल, सुगम और सब के लिए ग्राह्य एवं उपादेय है। इस सार्वभौम मार्ग में किसी भी प्रवार के जात-पात, ऊँच नीच तथा जाति-वर्ग का भेद-भाव नहीं है। वह सबके लिए समान रूप से दरणीय है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि भगवान् की अपने भक्त के प्रति वय, विद्या, बुद्धि, वैभव, आचरण, कुल, पराक्रम, सौन्दर्य और स्त्री-पु-भाव की भेद-दृष्टि नहीं होती है। भक्तवत्सल भगवान् ने ध्रुव की वय, गजेन्द्र की विद्या बुद्धि, पारधी का आचरण, कुब्जा का सौन्दर्य, विदूर का कुल, उग्रसेन का पराक्रम और शबरी की जाति का कोई भेद-भाव नहीं देखा। भगवान् अपने इन भक्तों की प्रेमलक्षणा मधुर भक्ति से द्रवित होकर तथा उनके दीनतापूर्वक निरन्तर विलाप एवं विरहजनित आसक्ति से कण्ठघट्ट होकर उन पर सहज ही अनुग्रह किया।

सिद्धान्त निरूपण

वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टिमार्ग की प्रस्थापना के लिए 'शुद्धाद्वैत' नाम से एक नये दार्शनिक सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने रामानुज के विशिष्टाद्वैत तथा निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत से भिन्न शुद्धाद्वैत मत की स्थापना की। शंकर, रामानुज और निम्बार्क आदि आचार्यों ने जहाँ 'गीता', 'उपनिषद्' और 'ब्रह्मसूत्र'—इस प्रस्थान-त्रयी के आधार पर अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, वहाँ वल्लभाचार्य ने 'भागवत' को भी अपने सिद्धान्तों का आधार बनाया। उन्होंने उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म की अद्वैतता को तो स्वीकार किया, किन्तु शंकर के निर्विशेष ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उनके मत से मायारहित शुद्ध जीव और परब्रह्म में कोई भेद नहीं है। उन्होंने माया का कोई अस्तित्व स्वीकार ही नहीं किया है। उनका अभिमत है कि यह ममस्त ससार विशुद्ध ब्रह्म की लीला का विस्तार है। ससार उसका लीलास्वरूप होने के कारण प्रत्येक जीव में वह अदृश्य रूप में विद्यमान है। उन्होंने कारण रूप ब्रह्म से कार्य रूप जगत् की अभिन्नता का प्रतिपादन किया और ब्रह्म की गुणवत्ता को माना है। यह उनके मत की विशिष्टता है।

उनके मत के अनुसार सृष्टि के दो आधार हैं—चैतन्य और जड। इन दोनों के आविर्भाव और तिरोभाव में सृष्टि का क्रम चलता है। उनके अणु-सिद्धान्त के अनुसार जो नहीं दिखाई देता या जिसे लोप होना अथवा तिरोहित होना कहा जाता है, वह वास्तव में नष्ट नहीं होता, अपितु परमाणु रूप में ब्रह्माण्ड में बना रहता है। उसका परमाणुओं में रूपान्तर हो जाता है। वस्तुओं का एक रूप से दूसरे रूप में परिणत हो जाना ही 'आविर्भाव' और 'तिरोभाव' है।

उन्होंने इस ममस्त जगत् को श्रीकृष्ण का सत्स्वरूप माना है, जिसमें चिद् और आनन्द तिरोहित है। सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण ही साक्षात् परब्रह्म है। निष्काम भाव से प्रेमपूर्वक भगवान् को भजने तथा उनकी सेवा में जीवनीत्सर्ग कर देने पर भक्त को श्रीकृष्ण की प्राप्ति होती है।

इस नये दार्शनिक मत की स्थापना के साथ ही उन्होंने समय, परिस्थिति और लोकनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए एक सहज, सर्वग्राह्य और राधा कृष्ण की अलौकिक लीलाओं को उसका आलम्बन बनाया। 'भागवत' तथा 'ब्रह्म-वैवर्त' आदि पुराणों में प्रतिपादित श्रीकृष्ण को परम पुरुष, मायातीत, नित्य और सच्चिदानन्दस्वरूप पूर्ण ब्रह्म माना गया है। वहाँ श्रीकृष्ण को कौतुकपूर्ण यौवन लीलाओं में सम्पन्न, नाना रत्नविभूषित, मुरझीधर एवं गोलोकनिवासी बताया गया है। ब्रह्मादि देवताओं और इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के वे ही एष-

मान स्रष्टा और पात्रक हैं। उनकी बाल-लीलाएँ और यौवन-लीलाएँ अलौकिक एवं अद्भुत हैं। इस आधार पर वल्लभाचार्य ने यह प्रतिपादित किया है कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए मन्थन, उपवास या तपस्या की आवश्यकता नहीं है, अपितु आनन्दमय जीवन व्यतीत करते हुए उस आनन्दमय को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रवृत्तिपरक निष्ठा में गृहस्थ-जीवन में रहकर नियमों का परिपालन किया जा सकता है। श्रीकृष्ण गोलोक में राधादि के साथ आनन्दभोग में नित्य लीलालीन रहा करते हैं। अतः भक्तों को मत्वा-भाव या सख्य-भाव में उनकी उपामना कर उनके निकट मदा विलासित रहकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए।

भक्ति का एक साधन मत्वा-भाव भी है। इस भाव के अनुसार जीव, ईश्वर का शाश्वत सखा है। दोनों एक माय प्रकृतिरूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। जीव प्रकृति वृक्ष के फलों का आश्वादन कर लेता है और ईश्वर में अलग हो जाता है। जब वह साधनारत होता है, तो दास्य, वात्सल्य तथा दाम्पत्य भक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति अपना नैकट्य स्थापित कर पुनः अपना मत्वा भाव प्राप्त करता है। उसमें न तो स्वामी-दास का वैषम्य है और न माता-पुत्र का सक्नेष और न पति पत्नी की आधीनता। ईश्वर का मत्वा जीव सर्वथा स्वतन्त्र है, मर्यादाओं से भी अतीत। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने प्रवाह, मर्यादा, शुद्ध तथा पुष्ट, इन चारों भक्तियों में अन्तिम पुष्ट-भाव ही सख्य-भाव माना है।

वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत को शुद्धाद्वैत कहा गया है, जिसके अनुसार श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं, सत्ता, ज्ञान और आनन्द के पुत्र हैं। जिस प्रकार अग्नि में स्फुल्लिंगों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उम परब्रह्म में समस्त भौतिक जगत्, जीवात्माएँ तथा देवों की उत्पत्ति हुई है। जीव ब्रह्मानुसृत्य है, जब सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणों में प्रत्यावर्तन होता है, तब आनन्द तिरोहित हो जाता है और मत्ता तथा अल्पज्ञता ही शेष रह जाते हैं।

उनके मत में जीव अणु और परमात्मा सेवक है। यह प्रपंचभेद (जगत्) सत्य है। ब्रह्म ही जगत् का निमित्त तथा उपादान कारण है। गोलोकाधिपति श्रीकृष्ण ही परब्रह्म तथा जीव के सख्य हैं। जीवात्मा तथा परमात्मा—दोनों शुद्ध हैं। इसलिए इस दार्शनिक मत को 'शुद्धाद्वैत' नाम से कहा गया है।

वल्लभाचार्य सगुण भक्ति के उपामक हैं। उनके मत से ईश्वर सगुण है, जो कि गोलोक या वैकुण्ठ में निवास करता है। राधा तथा लक्ष्मी प्रभृति देवियाँ उसकी पत्नियाँ हैं। उनके साथ वे नाना प्रकार के सुख-भोग किया करते हैं। मानव-कल्याण के लिए वे अवतार धारण करते हैं और उनका

उद्धार करते हैं। ईश्वर का यह सुख-भोग सर्वथा निर्दोष और निर्गुण है। जिस प्रकार अग्नि में डाले गये पदार्थ अग्नि को दूषित नहीं कर पाते, उसी प्रकार ईश्वर भोगों से निर्लिप्त और कर्मों से अतीत है। वृष्णावतार पुष्टि-पुरुषोत्तम है।

इस प्रकार समाज को धर्मनिष्ठ जीवन बिताने और सम्मान पर चलने का उदात्त उपदेश देने के उपरान्त बल्लभाचार्य ने अपनी साधना-भूमि वाशीजी में १५३१ ई० को ५२ वर्ष की अल्पायु में ही परम गति गोलोक को प्राप्त किया। उनके पश्चात् उनकी धर्म-परम्परा को उनके पुत्रों तथा बहुसरयक शिष्यों एवं अनुयायियों ने प्रवर्तित किया।

परम्परा का प्रवर्तन

बल्लभाचार्य के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने पुष्टिमार्ग की परम्परा को आगे बढ़ाया। इस सम्प्रदाय की यह परम्परा रही है कि गृहस्थ जीवन धारण करते हुए आचार्य पद प्राप्त किया जा सकता है। बल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र गो० विट्ठलनाथ और तदनन्तर उनके वंशजों को ही गुरुपद या आचार्यपद प्राप्त होता रहा। बल्लभ सम्प्रदाय की यह उत्तराधिकार-परम्परा पतृक चली आ रही है।

आचार्य बल्लभ स्वयं गृहस्थ थे। उनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। बल्लभाचार्य के गोलोकवाम के पश्चात् इन दोनों भाइयों में कुछ समय तक उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए विवाद चलता रहा, जिसके निर्णय के लिए ये दोनों भाई तत्कालीन मुगल शाहंशाह अकबर के पास गये। इसी पारम्परिक विवाद की स्थिति में कुछ दिनों बाद गो० गोपीनाथ का शरीरान्त हो गया और गो० विट्ठलनाथ को एकाकी उत्तराधिकार प्राप्त हो गया।

गो० विट्ठलनाथ अपने पिता की भाँति विद्वान्, सुवक्त्र एवं प्रभावशाली उपदेशक थे। अपने सम्प्रदाय के उन्नयन और प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने पुष्टिमार्गीय मत को अत्यन्त सरल एवं हृदयग्राही रूप में परिवर्तित किया। उन्होंने श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं तथा राधा के साथ युगल लीलाओं की रचना कर सम्प्रदाय को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया। सम्प्रदाय की परम्पराओं को अधिक आकर्षक बनाने एवं उनकी लोकरुचि में ढालने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के व्रतोत्सवों तथा त्यौहारों को मनाने की प्रथा को प्रचलित किया। बल्लभाचार्य द्वारा स्थापित जो बैठकें थी, उनका भी विस्तार किया। काशी, मथुरा, वृन्ध, द्वारिका, मारवाड, मेवाड और पण्डरपुर आदि देश के विभिन्न अंचलों में उन्होंने मन्दिरों का निर्माण किया और वहाँ अपने सम्प्रदाय के

भजन-कीर्तन आदि के रोचक कार्यक्रम आयोजित किये । इस प्रकार उनके इन नये प्रयासों से जनता उनके भक्तिमार्ग में अधिकाधिक रुचि प्रदर्शित करने लगी । वे जहाँ भी गये, अपने प्रभावपूर्ण उपदेशों से जनता को विमोहित कर देते ।

उन्होंने पुष्टिमार्ग के उच्च मानवीय आदर्शों एवं सार्वभौम सिद्धान्तों को लोकव्यापी बनाने का सराहनीय प्रयास किया । प्रेमलक्षणा मधुर भक्ति द्वारा उन्होंने अधिक लोकरजन एवं लोकाकर्षण के निमित्त सुष्ठु भाषा में सुमधुर साहित्य, संगीत तथा ललित कलाओं का धर्म के साथ सन्निवेश किया । उनके प्रभाव से भक्तकवि सूरदास तथा अष्टछाप के कीर्तनकलाविद् भक्तहृदय व्रज-भाषा के कवियों ने अपने कीर्तन-गायन द्वारा जन-जन के हृदयों में व्रजनन्दन श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी को प्रतिष्ठित किया ।

गो० विट्ठलनाथ के सात पुत्र, चार कन्याएँ और २५२ प्रमुख शिष्य हुए । उनकी दो पत्नियाँ थी—रुक्मिणी और पद्मावती । उनसे उनकी शोभा, कमला, यमुना और देवकी नामक चार कन्याएँ हुईं । उनके सात पुत्रों के नाम थे—१ गिरिधर, २. गोविन्दराम, ३. बालकृष्ण, ४ गोकुलनाथ, ५. घनश्याम, ६. रघुनाथ और ७ यदुनाथ । इन सातों पुत्रों ने अपने-अपने विस्तार के लिए गोवर्द्धन पर्वत पर अपने-अपने सात भव्य मन्दिरों की स्थापना की और ठाकुर बालकृष्ण की सात मूर्तियाँ स्थापित कीं । उनकी सेवा-पूजा का नियमित कार्यक्रम प्रचलित किया । कहा जाता है कि एक बार रात्रि के समय शाहूशाह अकबर ने आगरा के ताजमहल के युर्ज पर चढ़कर गोवर्द्धन पर्वत पर स्थित सात मन्दिरों की जगमगाहट देखी तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या एवं आश्चर्य उत्पन्न हुई और उन्होंने उन मन्दिरों को नष्ट करने का आदेश दिया । शाहूशाह की इस निषेध का मोस्वामियों को पता चल गया और भयभीत होकर उन्होंने अपने-अपने मन्दिर में स्थापित भगवान् की सातों मूर्तियों को अग्न्याग्न्य स्थानों में स्थानान्तरित कर दिया । इस प्रकार नाथद्वारा में श्रीनाथजी की, काकराली में द्वारिकानाथजी की, फोटा में मधुरेशजी की, मूरत में बालकृष्णजी की, जयपुर में भद्रमोहनजी की, गोकुल में गोकुलनाथजी की और अहमदाबाद में नटवरजी की मूर्तियाँ स्थापित कीं ।

गो० विट्ठलनाथजी के सात पुत्रों द्वारा उक्त प्रकार से अपने-अपने ठाकुरों की सेवा तथा पूजा की विधियों का अलग-अलग प्रवर्तन हुआ । उनके अनुयायियों की भी सात श्रेणियाँ बन गईं । छ श्रेणी वालों की आचार संहिता प्रायः समान थी, किन्तु गो० गोकुलनाथजी की परम्परा में कुछ भिन्नता

दक्षित हुई। उन्होंने स्वयं को ही भगवान् का प्रतीक मानकर अपने में ही सर्वस्व समर्पण की नई सेवा-पद्धति प्रचलित की।

वल्लभाचार्य के चौरामी प्रमुख शिष्यों की भाँति गो० विट्ठलदासजी के दो सौ बावन शिष्यों ने अपने सम्प्रदाय के प्रसार के लिए व्यापक कार्य-क्रमों का आयोजन किया। भगवान् श्रीकृष्ण के विभिन्न गुणगान, कीर्तन-भजन के लिए उन्होंने 'दो सौ वैष्णवों की वार्ता' नाम से अलग-अलग वार्ताएँ प्रचलित की। इन वार्ताओं में श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का समायोजन कर उन्होंने भजन-कीर्तन, सेवा-पूजन का ऐसा आडम्बर बनाया कि उत्तरोत्तर बहुमूल्यक जनता उसमें सम्मिलित होती गई और वल्लभ सम्प्रदाय का भारत के कोने-कोने में विस्तार होता गया। इस सम्प्रदाय का अधिकाधिक प्रचार गुजरात तथा काठियावाड़ में हुआ, जो कि आज भी वर्तमान है। जन-सामान्य से लेकर बड़े-बड़े धनी-मानी वैष्णव-वर्ग उसके अनुयायी हैं। राजक्षेत्र में भी उसके अनुयायियों भक्तों की संख्या अधिक है।

यद्यपि गोस्वामी विट्ठलनाथ सम्प्रदाय की परम्परागत मर्यादाओं को उदात्त एवं उदार बनाने और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आजीवन प्रयत्नशील बने रहे, किन्तु सम्प्रदाय के मगधन की एकता को स्थिर न रख सके। उनके जीवनकाल में ही सम्प्रदाय के अनुयायियों के दो दल बन गये। एक दल के प्रवर्तक उनके चौथे पुत्र गो० गोकुलनाथ थे। उन्होंने पुष्टिमार्ग की सृष्टि प्रेमामुर भक्ति-भाजना को विलम्बमय वातावरण में प्रवर्तित कर दिया। उसका कारण उनका मुगल सम्पर्क था। मुगल सस्कृति की उत्कट भोगेच्छा और शृंगार विलास की भाजना के कारण इस सम्प्रदाय में एक सर्वथा नया पन्थ प्रचलित किया, जो कि 'गोकुलनाथ पन्थ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें मध्ययुगीन तत्रसाधना का समावेश था और ध्याने चलाकर वह 'भङ्गों' तथा 'जंगोपाल' पन्थों में विभाजित हो गया। इन दोनों पन्थों के अनुयायियों ने परम्परा के विपरीत वल्लभ सम्प्रदाय की पवित्र ईश्वरीय भक्ति को मानव भोग-वृत्ति तथा विलास का केन्द्र बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप सम्प्रदाय में जन-सामान्य की निष्ठा क्षीण होती गई। वस्तुतः इन विवृत पन्थों ने वल्लभ सम्प्रदाय की उदात्त परम्परा को पतनोन्मुख स्थिति में परिणत कर दिया।

साहित्य-निर्माण

वल्लभ सम्प्रदाय के प्रचार प्रसार में उसके जिन तत्त्ववेत्ता विद्वान् अनुयायियों का विशेष योगदान रहा, उनमें गो० गिरिधरजी का नाम उल्लेखनीय

है। उन्होंने सम्प्रदाय के सैद्धान्तिक पक्ष पर 'शुद्धाद्वैतमार्तण्ड', नाम से उच्च दार्शनिक ग्रन्थ का निर्माण किया। इसी प्रकार आचार्य बालकृष्ण भट्ट ने 'प्रमेयरत्नाणव' तथा 'सुबोधिनी' पर 'गोमना' टीका नाम से एक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ की रचना की। ये दोनों ग्रन्थ इस सम्प्रदाय के दार्शनिक आधार माने जाते हैं। उनके अतिरिक्त गो० पुरुषोत्तम आदि ने भी सम्प्रदाय के प्रवर्तन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उनकी 'अणुभाष्य व्याख्या', 'सुबोधिनी टीका' और 'प्रस्थानरत्नाकर' प्रमुख हैं। गो० हरिवंश के (१६वीं शती) के 'चौरासी पद' और गो० गोकुलनाथ (१७वीं शती) की 'चौरासी वृष्णवों की वार्ता' भी इस सम्प्रदाय की बहुप्रचलित कृतियाँ हैं। इन पदों तथा वार्ताओं का एक ओर तो साम्प्रदायिक दृष्टि से महत्त्व है और दूसरी ओर वार्ताकार भक्त-कवियों का काल-निर्धारण के लिए उनका ऐतिहासिक महत्त्व है। साहित्यिक महत्त्व की दृष्टि से भी वे उल्लेखनीय हैं। गो० विट्ठलनाथ की वल्लभाचार्य की 'सुबोधिनी टीका' पर टिप्पणी उल्लेखनीय है।

वल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक एव लोक-प्रचार में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान ब्रजभाषा के भक्त-कवियों का रहा है। इन भक्त-कवियों की संख्या बहुत है। किन्तु उनमें प्रमुख आठ हैं। आचार्य वल्लभ तथा उनके पुत्र गो० विट्ठलनाथ के पार-पार शिष्यों को मिलाकर, ब्रजभाषा के इतिहास में 'अष्टछाप' के नाम से कहा जाता है। उनके नाम हैं—१. कुम्भनदास (१४६८-१५६२ ई०), २. सूरदास (१४७८-१५८० ई०), ३. कृष्णदास (१४९५-१५७५ ई०), ४. परमानन्ददास (१४९९-१५८३ ई०), ५. गोविन्ददास (१५०५-१५८५ ई०), ६. छीतस्वामी (१४८९-१५८५ ई०), ७. नन्ददास (१५३३-१५८६ ई०) और ८. चतुर्भुजदास (१५९८-१५८५ ई०)।

अष्टछाप के इन भक्त-कवियों में सूरदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके जीवन पर प्रकाश डालनेवाले अनेक ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हैं। उनमें विदित होता है कि उनका जन्म १५३५ वि० में सीहो नामक ग्राम के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे जन्मान्त ये, किन्तु उन्हें अलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। उनका आरम्भिक भक्त-जीवन आगरा के पास रेणुका क्षेत्र (रुक्ता) के गोघाट पर व्यतीत हुआ। बाद में वे वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर उनके साथ गोपबंदन चले गये और वहाँ पारसौली नामक ग्राम में रहने लगे थे। वहीं १६४० वि० को वे गोलोकवासी हुए।

वल्लभ सम्प्रदाय के पुष्टिमार्गीय भक्त-कवियों में, अपितु समस्त ब्रज-भाषा कवियों में, सूरदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने छोटी-बड़ी अनेक

रचनाओं का मूजन किया था, किन्तु उनकी अमर स्मृति का परिचायक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 'सूरसागर' है। यह ग्रन्थ कृष्णभक्ति साहित्य में अपना अनन्य स्थान रखता है।

सूरदास की मूल प्रेरणा साहित्य-रचना नहीं, अपितु भक्ति है। वे भगवान् के द्वार पर बैठकर प्रेम विह्वल होकर नित्य नई रचना करते और प्रभु के सामने उसका उद्गायन करते थे। उन्होने श्रीकृष्ण की चालीलाओ, राधा तथा गोपियों के साथ अनेक चेट्टाओ और गोपियों के असह्य विरह का मार्मिक वर्णन किया है। पुष्टि-सम्प्रदाय के मन्दिरों में भगवान् की दर्शन-झोंकी के आयोजन में बाल-भावना का ही प्राधान्य है। अतः सूरदास ने श्रीकृष्ण के बाल भाव को ही विशेष रूप से अपनाया है।

उनके जीवन काल में ही उनके पद कवियों, कीर्तनकारों, गायकों तथा भगवद्भक्तों में बहु-प्रचलित हो गये थे। कहा जाता है कि एक बार जब तानसेन द्वारा सम्राट् अकबर ने सूरदास के एक पद का गायन सुना तो वे सूरदास से मिलने के लिए उत्कण्ठित हो उठे थे। सूरदास एक आत्मदर्शी महान् भक्त थे और उनके पदों में कृष्णभक्ति ने अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त किया।

आचार-सहिता

अन्यान्य धार्मिक सम्प्रदायों की भाँति बल्लभ सम्प्रदाय की भी अपनी आचार परम्पराएँ हैं। इस सम्प्रदाय में सन्यास और गृहत्याग को कोई स्थान नहीं दिया गया है। गुरु ही ईश्वर है और उनकी मेवा पूजा ही ईश्वर भक्ति है। वही मोक्ष का साधन है। ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' या 'श्रीकृष्ण शरण मम' यह अष्टाक्षरी मंत्र ही गुरुदीक्षा है। भगवदनुग्रह के अधिकारी जीव के लिए बल्लभाचार्य ने इस मन्त्रोपदेश का विधान किया है। उनके ब्रह्म-सम्बन्ध का बीजमंत्र है—'श्रीगोपीजनबल्लभ भगवान् श्रीकृष्ण को देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण तथा इनके धर्म—स्त्री, वृद्ध, परिवार, वित्त और आत्मा, सभी कुछ को समर्पण कर देना।'

बल्लभ सम्प्रदाय के प्रत्येक मन्दिर में प्रतिदिन जाठ प्रकार की पूजा होती है। उसे 'सेवा' कहा जाता है। सेवा दो प्रकार की कही गई है—*फलरूपा और साधनरूपा। सर्वदा ही श्रीकृष्ण की भक्षण-विज्ञान रूपी मंगली सेवा 'फलरूपा' कहलाती है और द्रव्यार्चन तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा' है। इन दोनों प्रकार की सेवाओं का क्रम इस प्रकार है—मंगलारति, शृंगार, गोपाल, राजभाग, उत्थान, भोग, सन्ध्या और शयन। इस अष्टप्रकारी सेवा के समय वैष्णव भक्तों द्वारा रचे गये व्रजभाषा के पदों को रागवद्ध रूप में*

गाया जाता है। इस सम्प्रदाय के आचार्यों एवं अनुयायियों द्वारा भारतीय संगीत के संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वहाँ यह परम्परा रही है कि प्रत्येक उत्तराधिकारी आचार्य संगीतज्ञ होता है और उनके मन्दिरो में समय-समय पर बड़े वैभवपूर्ण ढंग से उत्सवों के समय संगीत का भव्य आयोजन होता आया है।

सम्प्रदाय के आचार-नियमों के अनुसार प्रत्येक वैष्णव स्वयं को वृष्णापित करता है। वहाँ यह नियम है कि ग्यारह वर्ष की आयु में प्रत्येक वैष्णव अपने पुत्र को और विवाह के समय अपनी कन्या को गुरु के पास ले जाता है। उससे दीक्षा ग्रहण कराता है। उस दिन वे गुरु से अष्टाशरी मन्त्र की दीक्षा लेते हैं और गले में तुलसी की कण्ठी धारण करते हैं। इस सम्प्रदाय के वैष्णवों के तिलक धारण की अपनी वृषक् विधि है।

चैतन्य मत या गौड़ीय सम्प्रदाय

भारतीय वैष्णव मत की परम्परा में गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के सस्थापक चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण चैतन्य हुए। इस मत के अनुयायियों ने उन्हें श्रीकृष्ण का पूर्णावतार माना है और इसी रूप में उनका गुण-कीर्तन किया है। इसी प्रकार शैब मतानुयायियों ने उन्हें त्रिपुरासुर का अवतार माना है और उन्हें शैब मत का उच्छेदक कहा है। किन्तु जहाँ तक उनकी लौकिक-अलौकिक जीवन-सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होती है, उसको देखते हुए उनके सम्बन्ध में कही गई उक्त बातें कपोल-कल्पित एवं निराधार सिद्ध होती हैं। वे धर्म-प्रवर्तक महापुरुष हुए और अन्य धर्माचार्यों की भाँति उनमें भी असाधारण अलौकिक गुण विद्यमान थे।

गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के विद्वानों तथा भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु पर बगला तथा अन्य भाषाओं में जीवनी ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें उनके दो शिष्यों—मुरारिगुप्त और दामोदर ने सर्वप्रथम उनकी प्रामाणिक जीवनी लिखी। मुरारिगुप्त के ग्रन्थ का नाम (आदिलीला) और दामोदर के ग्रन्थ का नाम 'शेषलीला' है। ये दोनों ग्रन्थ वस्तुतः उनके पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध जीवन से सम्बन्धित हैं और उनमें किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं है। प्रथम ग्रन्थ में उनके गृहस्थ जीवन पर्यन्त का और दूसरे ग्रन्थ में उसके उपरान्त की घटनाओं का वर्णन है। इन दोनों जीवनी-ग्रन्थों के आधार पर वृन्दायनदास ने 'चैतन्यचरित' की रचना की, जो कि अधिक प्रामाणिक एवं उपादेय मानी जाती है। उसका मार लेकर कृष्णदेव ने १५३७ शकाब्द (१६१५ ई०) में 'चैतन्य चरितामृत' नाम से बगला में एक बृहत् ग्रन्थ का निर्माण किया, जिसमें महाप्रभु चैतन्य से लेकर उनके दो अन्तरंग शिष्यों—नित्यानन्द तथा अद्वैतानन्द की जीवनी तथा इस सम्प्रदाय के धार्मिक क्रिया-कलापों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

उक्त जीवनी ग्रन्थों ने अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म बगला के प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं बौद्धिक केन्द्र नवद्वीप (नदिया) में १४०७ शकाब्द (१४८५ ई०) को हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। उनका मूल पैतृक स्थान श्रीभट्ट नामक गाँव था, किन्तु बाद में वे नवद्वीप में आकर बस गये थे। चैतन्य का पारिवारिक नाम निर्माई या विश्वम्भर था और गौरवर्ण होने के कारण उन्हें गौरांग भी कहा

जाता था। उनके माता-पिता ने वे बनिष्ठ पुत्र थे। वासुदेव सार्वभौम से उन्होंने वेद-शास्त्रों, विशेष रूप से नव्य न्याय का अध्ययन किया था। वासुदेव सार्वभौम अपने समय के विख्यात नैयायिक थे। समस्त नवद्वीप और भारत में उनकी विद्वत्ता का वचस्व व्याप्त था। मुगलकालीन भारत में नवद्वीप, बंगाल की राजधानी थी। वहाँ मध्ययुगीन भारत का सुप्रसिद्ध विद्या-केन्द्र भी था। वेद-शास्त्रों के साथ-साथ नवद्वीप में ही चैतन्य ने 'भाषवत' का भी विशेष अध्ययन किया था जिमने कि उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही चैतन्य में असाधारण मेधाशक्ति का उदय हो चुका था।

जब उनकी अवस्था केवल १८ वर्ष की थी, उनका विवाह लक्ष्मी देवी नामक एक नद्गुणमम्पन्न सुशील स्वभाव की बन्धा से हो गया था, किन्तु देवी सयोग, कुछ दिन बाद ही उसका निधन हो गया। उन्होंने पुनर्विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम बिष्णुप्रिया था। किन्तु जीवन की नि मारता और गृहस्थ के प्रति उदासीनता की उनकी प्रवृत्ति तीर्यटन तथा भगवत्प्रेम के प्रति उत्तरोत्तर सर्वाधिक होती रही।

एक बार वे पितरो का श्राद्ध करने के लिए गयाजी गये। वहाँ के वातावरण और कर्मकाण्डी ब्राह्मणों, विशेष रूप से पण्डा समाज के आचरण को देखकर उनके मन में कर्मकाण्ड के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। उसका प्रभाव यह हुआ कि वर्ण-व्यवस्था के वे कटु आलोचक और सर्ववर्ण-समन्वय के पक्षपाती हो गये। उनके बड़े भाई नित्यानन्द भी उनके इन विचारों से सहमत हो गये। दोनों भाइयों ने वर्ण-सर्बीर्णताओं तथा धार्मिक आडम्बरो से ऊर्ध्व कर भगवद्भजन एवं हरिकीर्तन का आश्रय लिया। वे मण्डली बनाकर कीर्तन-भजन में तल्लीन रहने लगे।

चैतन्य के बड़े भाई नित्यानन्द ने कुछ दिनों बाद सन्यास धारण कर लिया। उनका सन्यासी नाम विश्वरूप पडा। उनके वैदुष्य की ख्याति उत्तरोत्तर बढने लगी। बड़े भाई के सन्यास धारण करने के उपरान्त परिवार तथा माता के भरण-पोषण का भार भी चैतन्य पर अबलम्बित हो गया। किन्तु गृहस्थावस्था का निर्वाह करने हुए भी वे श्रीकृष्ण के लीला सकीर्तन में तल्लीन रहने लगे।

जब उनकी अवस्था २४ वर्ष की थी, उन्होंने स्वेच्छा से सन्यास धारण कर लिया। सभवत तबतक उनकी माता का दारीरान्त हो चुका था। उममें गृहस्थ जीवन के प्रति उन्होंने निवृत्ति पा ली। १५०९ ई० में स्वामी वेशव भारती से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और 'कृष्ण चैतन्य' का नया

सन्यास नाम ग्रहण किया। वे शंकराचार्य के दसनामी सन्यासियों में से 'भारती' शाखा के थे। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को उत्प्रेरित करने में माध्व सन्यासी ईश्वरपुरी का योगदान रहा। सन्यास धारण करने के पश्चात् गृहत्याग कर वे भगवद्भजन एवं तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। भगवदाराधन में वे इतन तल्लीन हो गये कि उनका बाह्य ज्ञान सर्वथा विलुप्त हो गया और भक्ति के भावावेश में वे उन्मत्तो की भाँति प्रलाप करने लगे। स्वयंसिद्ध होकर लोगों को उपदेश करना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया।

देशाटन करने के पश्चात् उन्होंने जगन्नाथ पुरी को अपना स्थायी केन्द्र बनाया और लगभग १८ वर्षों तक वही रहे। समस्त सांसारिक भोगों और वाधा-बन्धनों का परित्याग कर वे लोगों को धर्म-मार्ग में प्रवृत्त होने का उपदेश देते रहे और कर्षणाद्रं भाव से जन-जन के कष्टों एवं दुखों को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवारत बने रहे। साधारण भिक्षुक की भाँति वे स्थान-स्थान पर जाकर जन-सामान्य को ईश्वर-भक्ति के प्रति उद्बोधित करते रहे। समाज में दया, सदाचार, परोपकार और समानता तथा सद्भाव स्थापित करते रहे। हरिकीर्तन उनके जीवन का एकमात्र आधार बन गया। उनके हृदय में कृष्णभक्ति का ऐसा अद्भुत उदय हुआ कि वे सब कुछ भूलकर हाथों में छटताल लिए भगवान् के गुण सकीर्तन में निमग्न रहने लगे। लोग जब उन्हें पागलों की भाँति प्रलाप करते हुए देखते तो द्रवित होकर उनकी आँखों में आँसू निकल आते। कृष्ण चैतन्य की विलक्षण भक्ति-भावना को देखकर जन-सामान्य में उनके अवतारी महापुरुष होने का विश्वास फैलता गया और विद्वान्, योगी, अनपढ़, सभी क्षेत्रों का व्यापक जन-समाज उनका अनुयायी बन गया। वे जिन क्षेत्र में जाते, वही उनके भक्तों एवं अनुयायियों का समूह जुट जाता।

कहा जाता है कि एक चाँदनीयुक्त स्वच्छ धवल रात्रि में उन्हें एकाएक यह आभास हुआ कि समुद्र की उत्ताल तरंगों में श्रीकृष्ण अटखेलियाँ कर रहे हैं। वे भक्ति के भावावेश में उफनते हुए समुद्र में कूद पड़े और परब्रह्म की ज्योति में विलीन हो गये। यह घटना १५३३ ई० की है, जब कि उनकी आयु केवल ४८ वर्ष की थी। इस प्रकार दिव्य महापुरुष कृष्ण चैतन्य ने अल्प आयु में ही लोक-जीवन को भक्ति-रसामृत का पान कराकर वैकुण्ठ-लोक को प्रस्थान किया।

सम्प्रदाय का प्रवर्तन

चैतन्य महाप्रभु के शरीर-त्याग के बाद समस्त बंगाल और विभिन्न जंगलों में निवास करने वाले भक्तजन आगामी लगभग तीस वर्षों तक शोका-

बुल रहे। महाप्रभु के उत्तराधिकारी शिष्यो मे नित्यानन्द, उनके पुत्र वीर-चन्द और अद्वैतानन्द ने गौडीय सम्प्रदाय की परम्परा को आगे बढ़ाया। सम्प्रदाय के अनुयायियो ने नित्यानन्द और अद्वैतानन्द को महाप्रभु की भाँति आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और उनको वही समान दिया, तथा उनके अनुशासन मे रहकर सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार किया। कहा जाता है कि नित्यानन्द के पुत्र वीरचन्द ने एक ही दिन मे २५०० बौद्ध भिक्षुओ एव सन्यासियो को चैतन्य सम्प्रदाय मे दीक्षित कर दिया था। नित्यानन्द ने सम्प्रदाय की गरिमा महिमा को बढ़ाया और अनुयायियो को अनुशासनबद्ध किया।

नित्यानन्द स्वामी के उपरान्त उनके पुत्र वीरचन्द ने इस सम्प्रदाय के विस्तार मे बहुत बड़ा योगदान किया। उन्होंने सम्प्रदाय की परम्परा को अनुशासनबद्ध करने के लिए विशेष बल दिया। उनके समय सम्प्रदाय मे वैरागियो तथा महिला वैरागियो का प्रचलन हुआ। उन्होने सम्प्रदाय के अनुयायियो को सरल, सादा, किन्तु आचारनिष्ठ जीवन-यापन करने का निर्देश किया। साधुओ के लिए भी उन्होंने अनुशासन की व्यवस्था की। साधुओ की एक श्रेणी 'भारती' कहलाई।

१६वीं-१७वीं शती मे चैतन्य सम्प्रदाय की लोकप्रियता बंगाल के अति-रिक्त देश के अन्य अंचलो मे भी फैली। इस कीर्ति को फैलाने वाले आचार्यों मे महाप्रभु के छ शिष्यो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके नाम है—रूप, सनातन, जीव, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथदाम और गोपात् भट्ट। ये सभी आचार्य 'गोस्वामी' कहे जाते थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओ तथा अपने उपदेशो से जनता की प्रभावित किया और सम्प्रदाय के महत्त्व को प्रतिपादित करने के उद्देश्य मे नियम तथा अनुशासन बनाये।

इन आचार्यों मे रूपगोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूपगोस्वामी के सनातन गोस्वामी भतीजे एव शिष्य थे। इन दोनो आचार्यों ने एक ओर तो सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियो का प्रणयन किया और दूसरी ओर अपने प्रचारको को दीक्षण तथा उत्तर भारत मे भेजा।

रूप गोस्वामी आरम्भ मे बंगाल के किसी मुसलमान मूवेदार के यहाँ कार्य करते थे। किन्तु महाप्रभु के देवोपम प्रभाव से प्रेरित एव आकर्षित होकर वे घर-बार त्याग कर उनके शिष्य बन गये। वे अनेक विषयो के गभीर विद्वान् थे और महाप्रभु के जीवन-काल मे ही उन्होंने अनेक ग्रन्थो का प्रणयन कर अपनी असहज प्रतिभा का परिचय दिया। जीवन के अन्तिम समय मे वे

वृन्दावन में बस गये थे। सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने आजीवन निरन्तर कार्य किया।

रूप गोस्वामी के भतीजे सनातन गोस्वामी हुए। उन्होंने सम्प्रदाय के प्रचार प्रसार और उसमें स्थिरता तथा व्यापकता लाने में उल्लेखनीय योगदान किया। उनका जीवन बड़ी विडम्बनाओं से भरा हुआ था। वे आरम्भ में बंगाल के किमी नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि अपने इमी सेवाकाल में वे एक दिन किमी सरकारी कार्य से वही जा रहे थे। इसी बीच आकाश धिर गया और भयकर आँधी चलने लगी। इसी बीच उन्हें रास्ते में किसी मेहतर-दम्पती का वार्तालाप सुनाई दिया। वे कह रहे थे— 'ऐस झझावात के समय या तो दुर्भाग्य का मारा कोई नौकर ही बाहर निकल सकता है या कोई सन्त ही।' इस वार्तालाप से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नौकरी त्यागने का निश्चय कर लिया। किन्तु जब नवाब के कानों तक यह बात पहुँची तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को कारागार में बन्द कर दिया। किन्तु उनके मन में ससारत्याग एवं वैराग्य का जो भाव उदय हो चुका था, वह अडिग बना रहा। उन्होंने कारागाराध्यक्ष को किमी प्रकार प्रभावित किया और एक कम्बल साथ लेकर वे कारागार से निकल पड़े। वे आत्म-समर्पण के लिए सीधे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उपस्थित हुए। किन्तु कम्बल धारण किये हुये उनको देखकर महाप्रभु के मन में कुछ उदासीनता प्रकट हुई। उन्होंने उस कम्बल का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपना भक्तिप्रवण वैराग्यमय जीवन उन्होंने महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। वे बंगाल छोड़कर वृन्दावन में जा बसे और वहाँ आजीवन भगवान् के भक्ति कीर्तन तथा प्रचार प्रसार में तल्लीन हो गये। वहीं उन्होंने अपनी यशस्वी कृतियों का निर्माण किया।

गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय की इस परम्परा में तीसरा नाम जीव गोस्वामी का है। वे सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी के शिष्य थे। चैतन्यदेव के अन्तर्धान के बाद वे भी बंगाल छोड़कर वृन्दावन चले गये थे। वृन्दावन का प्रसिद्ध राधा दामोदर का मन्दिर जीव गोस्वामी ने ही बनवाया था। बंगाल में चैतन्य मत के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने वृन्दावन से श्रीनिवासाचार्य आदि प्रचारक भक्तों को बंगाल भेजा। वृन्दावन में रहकर सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियों का निर्माण किया। वे आजीवन चैतन्य-मत के प्रचार एवं उत्थान के लिए समर्पित रहे।

इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बाद भी उनके उत्तराधिकारियों द्वारा निरन्तर गौड़ीय सम्प्रदाय का प्रचार होता रहा। ऐसे अनुयायियों में महाप्रभु

के प्रमुख छ शिष्यों में रघुनाथदास का नाम उल्लेखनीय है। वे भी वृन्दावन में रहते थे। उन्होंने सम्प्रदाय के आचारों को चरितार्थ करने की विशेष व्यवस्था की।

उक्त छहों आचार्यों ने ब्रज में 'यात्रापथ' का निम्नय किया और राधा-कृष्ण की लीलाओं को जनव्यापी बनाया। रघुनाथदास के 'मथुरामाहात्म्य' में ब्रज-यात्रा के नियम और उसका महत्त्व विस्तार से वर्णित है। चैतन्य सम्प्रदाय के अनुयायियों ने ही सर्वप्रथम 'वनयात्रा' का भी प्रचलन किया। तत्पश्चात् वैष्णव सम्प्रदाय के अन्य मतावलम्बियों, विशेष रूप से बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों, ने उसको अधिकाधिक अपनाया। सर्वप्रथम चैतन्य-मत के आचार्यों एवं भक्तों ने मथुरा-वृन्दावन के तीर्थस्थानों के परिभ्रमण की परम्परा प्रचलित की। ब्रज-मण्डल में कृष्णलीला से सम्बन्धित पवित्र तीर्थों की परिक्रमा का भी निर्धारण किया। इस परिक्रमा को सम्प्रति 'वनयात्रा' के नाम से कहा जाता है, जो कि ८४ कोस की है।

वनयात्रा के अतिरिक्त रामलीला के द्वारा भी चैतन्य मत का जन-सामान्य में अधिकाधिक प्रचलन हुआ। ये रामलीलाएँ इतनी लोकप्रिय सिद्ध हुईं कि उनका आयोजन उत्तर भारत से लेकर बंगाल तक व्यापक रूप में होने लगा। ब्रजक्षेत्र से लेकर समस्त भारत में आज भी रामलीला का प्रचलन चैतन्य-मत के अनुयायियों की ही देन है।

१७वीं शती के पश्चात् चैतन्य सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार बंगाल के अतिरिक्त उत्तर भारत के विभिन्न अंचलों में व्याप्त हुआ। उनके भक्तों एवं अनुयायियों की सख्या निरन्तर बढ़ती गई। मगध-सकीर्तन, रासलीला और ८४ कोसी यात्रा आदि के आयोजन इतने लोक प्रचारित हुए कि उनके प्रभाव में चैतन्य का भक्तिमार्ग निरन्तर प्रशस्त होता गया। इस प्रसार में उन भक्त कवियों का योगदान भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने मुल्लित भक्तिगीतों से जनता को विमोहित कर दिया था। ऐसे गीतकार भक्तों में गोविन्ददास, ज्ञानदास, बलरामदास और वीर हम्मीर आदि का नाम उल्लेखनीय है। चण्डीबाबू बलरामदास ने प्रशस्तियों के रूप में अच्छी स्तुतियों का निर्माण किया है। उनका लोक-प्रचलन भी अधिक है।

गोड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में यद्यपि अनेक विद्वान्, तत्त्ववेत्ता, तथा ग्रन्थकार हुए, सम्प्रदाय के आचारों एवं शासन प्रक्रियाओं पर भी अनेक ग्रन्थ निमित्त हुए और नियमों एवं संस्कारों से सुसंबद्ध होकर यह सम्प्रदाय आगे बढ़ता गया, किन्तु उसकी दार्शनिक तथा सैदान्तिक स्वरूप देने का कार्य आचार्य बन्धुदेव विद्याभूषण ने किया। आचार्यपाद का जन्म उड़ीसा स्थित बालेश्वर

जिले के रेनुका के निकट एक गाँव में हुआ था। उनका स्थिति-बाल १७५०-१८४० वि० के बीच निर्धारित किया गया है। वही उन्होंने आरम्भिक शिक्षा प्राप्त की और वेद दर्शन के अध्ययन के लिए महीशुर गये। अध्ययन के समय ही उन्होंने माध्वमत की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। न्यायम धारण कर वे पुरी गये और उन्होंने वहाँ शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों को पराजित किया। रगिवा-नन्द के प्रशिष्य राधा दामोदर जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। पुरी से वे नवद्वीप होते हुए वृन्दावन पहुँचे। वहाँ उन्होंने 'भागवत' का अध्ययन किया और विशेष रूप से भक्ति-रस-तत्त्व में निष्णात हुए। 'भागवत' के प्रभाव से उन्होंने चैतन्य सम्प्रदाय को अपनाया और 'ब्रह्मसूत्र' पर 'बलदेव भाष्य' लिखकर गौडीय सम्प्रदाय को मुप्रतिष्ठित किया। तभी से उन्हें बलदेव विद्याभूषण के नाम से कहा जाने लगा। उससे पूर्व माध्व मतानुयायी होने से उन्हें गोविन्ददाम के नाम से कहा जाता था। उनका दार्शनिक मत 'अचिन्त्य भेदाभेद' के नाम से कहा जाता है।

जिस समय आचार्य विद्याभूषण अपने उपदेशों, व्याख्याओं तथा शास्त्रार्थों में चैतन्य सम्प्रदाय के दार्शनिक मत का मण्डन कर रहे थे, उन दिनों वृन्दावन क्षेत्र जयपुर नरेश जयसिंह के अधीन था। जयपुर नरेश को किसी ने यह धर्मित कर दिया कि गौडीय मत अवैदिक है। इस शका के समाधान के लिए जयपुर में विभिन्न मतों के आचार्यों एवं विद्वानों को बुलाया गया। आचार्य विद्याभूषण ने बड़ी विद्वत्ता के साथ गौडीय मत एवं परकीयावाद को वेदानुसूल सिद्ध किया और उसके साक्ष्य में अपने दर्शन को प्रस्तुत किया। इस प्रकार विद्वत्सभा को निरुत्तर कर उन्होंने गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय की गरिमा को प्रतिष्ठित किया। मरुता में उन्होंने गोपाल मन्दिर को स्थापित किया जो कि आज भी उनकी पुण्य स्मृति को जीवित बनाये हुए है।

इस प्रकार चैतन्य मत की यह परम्परा परिपुष्ट होती हुई आगे बढ़ी। किन्तु १९वीं शती ई० में उसमें कुछ क्षीणता तथा शिथिलता आई। उसका कारण सम्प्रदाय के एक वर्ग की आचारहीनता थी। यद्यपि आचार्य वीरचन्द ने सम्प्रदाय में वैरागी तथा वैरागिनियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी, साथ ही आचार के बड़े नियमों के पालन का भी निर्देश कर दिया था, किन्तु उसके बाद वैरागी-वैरागिनियों के आगमन से अनुशासन तथा नियमों का पक्ष शिथिल होता गया और उसके कारण चारित्रिक दोषों का प्रभाव बढ़ता गया। उससे समाज में सम्प्रदाय की उदात्त परम्पराएँ सन्देह एवं अनिष्टा की दृष्टि से देखी जाने लगी। इस सम्प्रदाय की लोकप्रियता को जानकर खाने पीने तथा मौज उड़ाने की इच्छा में हजारों शाक्त तथा बौद्ध उसमें दीक्षित हुए।

उनके कारण सम्प्रदाय की लोकप्रियता एवं पवित्रता कम हो गई। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, इस सम्प्रदाय में माधुओं की कमी होती गई और वर्तमान में यह सचया नगण्य-सी हो गई।

इस सम्प्रदाय के परवर्ती गुरुओं ने परम्परा से हटकर भाचारों के कुछ नये नियम बनाये, जिनमें स्वार्थपरता, पक्षपात और स्वेच्छाचार को प्रमुखता दी गई। इन नियमों के अन्तर्गत सम्प्रति सम्प्रदाय के गुरुओं द्वारा शिष्यों के प्रति अनेक प्रकार के अत्याचारों तथा दण्डित करने की बातें समाज में फैलती जा रही हैं। सम्प्रदाय के इन उत्तराधिकारियों की स्वार्थपरता के बावजूद आज भी समस्त भारत में, विदोय रूप से बंगाल और उड़ीसा में इस सम्प्रदाय का विदोय प्रचार है।

सम्प्रदाय की शाखाएँ

१९वीं शती के लगभग इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में आचार के नियमों को लेकर प्रमुख दो वर्ग बन गये और उनकी भी अनेक शाखाएँ हुईं। सम्प्रदाय की गोस्वामी, गृहस्थ, वैरागी और जातवैरागी नाम से चार प्रमुख शाखाएँ हुईं। किन्तु उनमें भी समय-समय पर मतभेद बढ़ते गये। इन मतभेदों के परिणामस्वरूप स्पष्टदायक, बाउल, न्याडा, महजी, गौरामैवक, दरवेश, वर्ताभक्त (या कर्तृभज) और राधावल्लभी आदि अनेक शाखाएँ सम्प्रति चैतन्य मत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वर्ताभक्त या कर्तृभज के पन्थ की मानने वाले हिन्दू तथा मुसलमान, दोनों हैं। इस पन्थ पर इस्लाम का भी प्रभाव है। किन्तु सभी अनुयायी अपने को चैतन्य-मत से जोड़ते हैं।

चैतन्य-मत की जिन मुधारवादी धार्मिक शाखाओं का उदय हुआ, उनमें 'बाउल' मत का भी एक नाम है। इस शाखा का उदय बंगाल में हुआ और वही उसका प्रचार-प्रसार भी है। 'बाउल' का अर्थ है 'विमुक्त'। इस मत के अनुसार समार में रहते हुए भी मनुष्य को सर्वथा निरपेक्ष एवं उदासीन बना रहना चाहिए। निष्काम भाव से कार्य करते रहने में ही मुक्तिलाभ हो सकता है।

बाउल-मत के कोई अपने मन्दिर नहीं हैं। वे मूर्तिपूजा के विरोधी हैं। जात-पात का भेद भाव नहीं मानते हैं। वे न तो कट्टरपन्थी हिन्दू हैं और न कट्टरपन्थी मुसलमान ही। सभी धर्मों के लोग उनमें सम्मिलित हो सकते हैं। बाउल मतानुयायी बड़े भजनीक होते हैं। वे गा-गाकर अपने मत का प्रचार करते हैं। उनके गीतों में बंगाल के लोक-जीवन का सजीव, वास्तविक एवं मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। वे संगीत में पारंगत होते हैं और भगवान्

श्रीकृष्ण के माधुर्य भाव के भक्ति गीतो को गाते हैं। गृहस्थ और विरक्त, दोनों ही इस मत के अनुयायी हैं।

उत्तर भारत की अपेक्षा, जहाँ चैतन्य मत का जन्म तथा सर्वद्वन्द्व हुआ, बंगाल तथा उड़ीसा में उक्त शाखा उपशाखाओं के अनुयायी आज भी न्यूनाधिक रूप में विद्यमान हैं। इन अनेक शाखा-उपशाखाओं के विभाजन के कारण सम्प्रदाय की मर्यादा प्रतिष्ठा का उत्कर्ष होने की अपेक्षा अपरूप ही अधिक हुआ।

साहित्य-निर्माण

गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय का अपना प्रचुर साहित्य है। इस सम्प्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयमेव बड़े विद्वान्, अलौकिक प्रतिभा-सम्पन्न, शास्त्रज्ञ तथा दर्शन के ज्ञाता थे, तथापि अपने विचारों तथा सिद्धान्तों को उन्होंने किसी ग्रन्थविशेष में निबद्ध नहीं किया। उनके द्वारा विरचित कोई भी कृति सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। स्वयमेव वे विशुद्ध भक्त मात्र थे और इसलिए ग्रन्थ रचना की अपेक्षा उन्होंने भगवद्-भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। बड़े बड़े विख्यात विद्वान् उनके शिष्य एवं अनुयायी बने। इन्हीं विद्वानों एवं तत्त्ववेत्ताओं द्वारा जिन कृतियों का प्रणयन हुआ, वे ही सम्प्रति इस सम्प्रदाय के आचारों तथा सिद्धान्तों के ज्ञान के आधार हैं।

इस सम्प्रदाय का साहित्य कुछ तो प्रकाशित हो चुका है और कुछ विभिन्न हस्तलेख संग्रहों में अप्रकाशित अवस्था में ही है। सम्प्रदाय के आदि आचार्य चैतन्य, नित्यानन्द और अद्वैतानन्द—तीनों ने किसी भी प्रकार की ग्रन्थ रचना नहीं की। चैतन्य महाप्रभु के बाद नित्यानन्द स्वामी और अद्वैतानन्द स्वामी ने अपने धर्ममार्ग को व्यावहारिक दृष्टि से प्रशस्त किया, उसकी लोक-प्रतिष्ठा की। वे दोनों चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उनके अतिरिक्त महाप्रभु के छ शिष्य और हुए, जिनके नाम थे—रूप गोस्वामी, मनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथदास और गोपाल भट्ट। ये सभी आचार्य एवं विद्वान् १६वीं शती में हुए और सभी 'गोस्वामी' बड़े जाते थे।

महाप्रभु के उक्त शिष्यों में रूप गोस्वामी और मनातन गोस्वामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के जीवन काल में ही 'विदग्ध भाधव' नामक नाटक की रचना कर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। यद्यपि उन्होंने कुल मिलाकर लगभग १४ ग्रन्थों की रचना की थी, तथापि उनमें से 'उज्ज्वल नीलमणि' तथा 'भक्तिरसामृतमिथु' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला ग्रन्थ काव्यशास्त्र पर और दूसरा स्तुतियों का

संग्रह है। बाध्यशास्त्रीय क्षेत्र में उनका 'उज्ज्वल नीलमणि' और गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय पर 'भक्तिरसामृतसिन्धु' का बड़ा समान तथा लोकप्रचलन है। वे बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान् थे।

रूप गोस्वामी के भतीजे एनातन गोस्वामी ने सम्प्रदाय पर अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया। उनके ग्रन्थों में 'गीतावली', 'वैष्णवतोषिणी', 'भगवतामृत', 'मिद्धान्तमार' और 'हरिभक्तिविलास' प्रमुख हैं। वे सभी ग्रन्थ सस्कृत में हैं। उन्होंने रूप गोस्वामी के ग्रन्थ 'भक्तिरसामृतसिन्धु' पर 'हरिभक्तिविलास' नाम से एक व्याख्या लिखी। उनके 'भगवतामृत' ग्रन्थ की चैतन्य सम्प्रदाय में बहुत मान्यता है। इन मस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने 'रसमय-कलिका' नाम से बंगला में भक्ति-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा। जीवन के अन्तिम दिनों में वे बंगाल को छोड़कर श्रीकृष्ण की लीलाभूमि चून्दावन में आ बसे थे। वहीं उन्होंने उक्त ग्रन्थों का प्रणयन किया।

इस सम्प्रदाय के ग्रन्थ-निर्माताओं की पराम्परा में तीसरा नाम जीव गोस्वामी का है। वे मनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के शिष्य थे। उन्होंने सम्प्रदाय पर अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया। उनके प्रमुख ग्रन्थों के नाम हैं—'ब्रमसन्दर्भ' (भागवत टीका), 'पट्कर्म', 'भक्तिसिद्धान्त', 'गोपालचम्पू' और 'उपदेशामृत'। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने रूप गोस्वामी के 'भक्तिरसामृतसिन्धु' पर भी पाण्डित्यपूर्ण टीका लिखी। उनका 'पट्कर्म' (छ निवन्ध) चैतन्य सम्प्रदाय के वैष्णवों का ममान्य ग्रन्थ है।

चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छ शिष्यों में रघुनाथदान का भी एक नाम है। उन्होंने चैतन्य-मत पर अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया और सम्प्रदाय के आचार्यों को सुव्यवस्थित रूप दिया। उनका 'मधुरामाहात्म्य' सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसमें सम्प्रदाय के आचार्यों एवं नियमों का विस्तार से प्रतिपादन किया है।

चैतन्य सम्प्रदाय के प्रसिद्ध भक्त-कवि लोचनदास १६वीं शती में हुए, जिन्होंने 'चैतन्यमंगल' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। १७वीं शती से १८वीं शती के बीच बंगाल में अनेक गीतकार हुए। उन्होंने अपने भक्तिपूर्ण गीतों से एक ओर तो जनता में चैतन्य-मत को लोकप्रिय बनाने में योगदान किया और दूसरी ओर बंगला के भक्ति-साहित्य का सर्वर्द्धन किया। इस प्रकार के गीतकारों में गोविन्ददास, ज्ञानदाम, बलरामदास, यदुनन्दनदास और वीर हम्मीर का नाम उल्लेखनीय है। १७वीं शती में उल्लिखित नित्यानन्ददास का 'प्रेमविलास' चैतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रथम बार प्रकाश डालने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसी १७वीं शती में विरचित स्वामी हरिदास का

‘भरपरी बैराग्य’ चैतन्य मत के भक्तों में बड़ा लोकप्रिय रहा है। इसी प्रकार १८वीं शती में नरहरि चक्रवर्ती ने ‘भक्तिरत्नाकर’ की रचना कर सम्प्रदाय के इतिहास को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया। यह ग्रन्थ नित्यानन्ददास के ‘प्रेमविलास’ की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा सुसंगत है।

चैतन्य सम्प्रदाय के प्रौढ दार्शनिक एव विद्वान् बलदेव विद्याभूषण हुए। वे रामानन्द महाप्रभु के प्रशिष्य तथा राधा दामोदर के शिष्य थे। उन्होंने ‘ब्रह्मसूत्र’ पर ‘गाविन्दभाष्य’ लिखकर गौडीय सम्प्रदाय की स्वतंत्र प्रतिष्ठा की और अपने विरोधियों का युक्तिमुक्त विखण्डन किया। इस ग्रन्थ में गौडीय वैष्णव दर्शन के सिद्धान्तों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है।

संस्कृत और बंगला के अनिरीक्त हिन्दी में भी चैतन्य-मत पर अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ। नाभादास के ‘भक्तमाल’ के प्रसिद्ध टीकाकार प्रियादास, गो० मनोहरराम के शिष्य थे। उनकी ‘भक्तिरसबोधिनी’ नामक टीका सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। उनके अन्य ग्रन्थों के नाम हैं—‘रसिकमोहिनी’, ‘अनन्यमोहिनी’ और ‘भक्तमुमिरनी’ आदि।

हिन्दी के अन्यान्य वैष्णव कवियों ने भी चैतन्य-मत पर अनेक भक्तिपूर्ण रचनाओं का निर्माण कर परम्परा को समृद्ध किया।

सिद्धान्त-निरूपण

चैतन्य महाप्रभु ने जिस धर्ममार्ग की प्रतिष्ठा की और जन-सामान्य को उस पर चलने का निर्देश किया, उसमें वैदिक या दार्शनिक निर्देशों एव ऊहापोहों की अपेक्षा सामाजिक तथा व्यावहारिक उदारता और सर्व-सामान्य द्वारा ग्राह्य भगवान् श्रीकृष्ण की भक्ति का उपदेश निहित था। उन्होंने अपने धर्म-मत में ऊँच-नीच, धनी-निर्धन, छोटा-बड़ा, जात-पात और वर्ण वर्ग का कोई भेदभाव नहीं माना। समानता एव सत्प्रेरणा से जो भक्त उनका अनुयायी बनने का इच्छुक हुआ, उसी को उन्होंने दीक्षित किया। उनका मत था कि—‘भक्ति की विस्तृत दीपाग्नि में पड़कर जिसके दुर्जातिजन्य दोष भस्म हो गये, वह चाण्डाल होने पर भी, उस वेदज्ञ से कहीं अधिक श्लाघ्य है, जो भक्तिशून्य और नास्तिक है—

‘शुचिसद्भक्तिदीपाग्नि दग्धदुर्जातिवल्गवः ।
स्वपाकोऽपि वर्धे श्लाघ्यो न वेदज्ञोऽपि नास्तिक ॥’

समस्त वैष्णव सम्प्रदायों एव मतों के आचार्यों तथा सिद्धान्तों का अनु-शीलन करने पर कहा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचलित गौडीय सम्प्रदाय में जितनी उदार एव सार्वभौम दृष्टि देखने को मिलती है, उतनी

अन्य किसी भी सम्प्रदाय में नहीं है। उनकी इस उदात्त एवं उदार दृष्टि के फलस्वरूप हिन्दू-इतर अन्य जाति वर्गों के लोग भी गौडीय सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। इस उदार धर्मदृष्टि के कारण महाप्रभु पर उनके आलोचकों ने 'पठान वैष्णव' होने का आरोप लगाया और हिन्दुत्व की ओट में उनकी निन्दा एवं अवमानना की। किन्तु वह वास्तविक नहीं थी।

चैतन्य सम्प्रदाय में भक्तिमार्ग की अपनी विशेषताएँ हैं। श्रीकृष्ण उनमें एकमात्र उपास्य हैं, जो कि अपने-आप में पूर्णब्रह्म हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के रूप में जगत् की उत्पत्ति पालन तथा सहार करते हैं। ब्रह्म सगुण एवं सविकल्प है। यह जगत् सत्य है और ब्रह्म का परिणाम है।

गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के सर्वाधिक प्रौढ विद्वान् आचार्य बलदेव विद्याभूषण हुए। उन्होंने इस सम्प्रदाय के दार्शनिक पक्ष का समर्थ प्रतिपादन किया। वे १८वीं शती के आरम्भ में हुए। अपने 'गोविन्दभाष्य' में उन्होंने गौडीय वैष्णव मत के दार्शनिक सिद्धान्त 'अचिन्त्य भेदाभेद' का प्रतिपादन किया है। इस मत के अनुसार ईश्वर तथा आत्मा का सम्बन्ध अचिन्त्य, अर्थात् कल्पना-सिद्ध है। यह कहना कठिन है कि ईश्वर तथा आत्मा या प्रकृति का भेद सत्य है या वस्तुतः। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान तथा जीव, जगत् उनकी शक्तियाँ हैं। शक्तिमान और शक्ति, दोनों अचिन्त्य हैं। ब्रह्म तथा जीव, गुण तथा गुणी भाव से भिन्नाभिन्न हैं। ब्रह्म-जीव की इस भिन्नाभिन्नता के कारण ही इस सम्प्रदाय के दार्शनिक मत को 'भेदाभेद' नाम से भी कहा गया है।

आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने चैतन्य भगवान् की श्रीकृष्ण का प्रेमावतार बताया है और भक्ति द्वारा उसकी प्राप्ति करने का उपाय बताया है। उनके मतानुसार ब्रह्म परात्पर है, किन्तु जीवों के कल्याण हेतु वह पूर्णवतार, असावतार रूप धारण कर अपनी लीलाओं का विस्तार करता है। चैतन्य महाप्रभु उन्नीसवीं शती का असावतार है। हरि (भगवान्) ही परम तत्त्व एवं अन्तिम सत्य हैं। उनमें षट् ऐश्वर्य विद्यमान हैं—१ पूर्णश्री, २ पूर्ण ऐश्वर्य, ३ पूर्ण वीर्य, ४ पूर्ण यश, ५. पूर्ण ज्ञान और ६ पूर्ण वैराग्य।

सभी वैष्णव सम्प्रदायों की भाँति चैतन्य मत में भी 'भागवत' को एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इस मत के अनुयायी 'भागवत' (स्कन्ध ११, अध्याय १०) उल्लिखित इस भगवद्वाणी को अपना आधार मानते हैं। उसमें कहा गया है—' कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग और अन्याय्य शुभानुष्ठानों द्वारा जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, उसे मेरे भक्त,

भक्तियोग के अनुष्ठान द्वारा महज ही प्राप्त कर लेते हैं। यदि वे चाहें तो स्वर्ग, मुक्ति और मेरा वैकुण्ठधाम भी प्राप्त कर सकते हैं।”

अतः भक्ति को ही भगवान् ने मोक्ष का उत्तम साधन बताया है। ज्ञान और वैराग्य तो उसके सहायक हैं, साधन हैं। भक्ति माध्य है और वही एकमात्र भगवत्प्राप्ति का लक्ष्य है। भक्ति द्वारा भगवान् से सम्बन्ध स्थापित करके मुक्ति लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के वहाँ पाँच प्रकार बताये गये हैं—१. शान्त, २. दास्य, ३. सख्य, ४ वात्सल्य और ५ माधुर्य। सनक-सनकादि पुरातन ऋषि-मुनियो ने जिस भाव से भगवान् की आराधना-उपासना की, उस भाव को शान्त’ कहा गया है। साधारण जन जिस भाव से भगवदाराधन करते हैं, उस भाव को दास्य’ कहते हैं। अर्जुन तथा भीम आदि ने इसी भाव से भगवान् को प्राप्त किया था। सखावत् समभाव से भगवत्प्राप्ति के लिए जो आराधन किया जाता है, उस भाव को ‘सख्य’ बहते हैं। माता पिता का अपनी सन्तान के लिए जो स्नेह भाव होता है, उस भाव को ‘वात्सल्य’ कहते हैं। नन्द और यशोदा ने इसी भाव से श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। राधा आदि गोपागनाओं ने जिस भाव से श्रीकृष्ण की आराधना-उपासना-सेवा की थी, उस भाव को ‘माधुर्य’ कहते हैं। यह माधुर्य-भाव ही पंचधा भक्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है और इसी भाव से चैतन्य महाप्रभु ने भगवत् सान्निध्य प्राप्त किया था।

इस प्रकार गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय में माधुर्य-भाव में भक्ति की अन्तिम परिणति बताई गई है। बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में भी माधुर्य-भाव को भक्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन बताया गया है। किन्तु चैतन्य के माधुर्य-भाव और बल्लभ के माधुर्य-भाव में अन्तर है। बल्लभ सम्प्रदाय में माधुर्य-भाव की भक्ति के लिए अष्टप्रकारों की सेवा का नियम बताया गया है। वह चैतन्य सम्प्रदाय में नहीं है। हरिनाम स्मरण एवं सकीर्तन ही इन सम्प्रदाय के अनुयायियों की ‘माधुर्य भाव भक्ति’ है।

‘हरेनामि हरेनामि हरेनामैव केवलम्।’

श्रीकृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करनेवाली श्रीराधा आदि व्रजागनाओं ने जिस माधुर्य-भाव-भक्ति को सबल बनाया था, चैतन्य ने भी केवल हरिनाम स्मरण एवं सकीर्तन द्वारा ही भगवान् का सान्निध्य प्राप्त किया। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की रट लगाते हुए बाबलों की भाँति अपने परम आराध्य की खोज में भटकते फिरते रहे।

महाप्रभु के बाद उनके अनुयायी भक्तजन जयदेव, विद्यापति और चण्डी दास के पदों को गाकर नगर में निकलते थे और हरिनाम का सकीर्तन करके

अपने आराध्य की खोज करते थे। उन्हीं चैतन्य भक्तों द्वारा 'नगर सकीर्तन' की परम्परा स्थापित हुई। ये भक्तजन राधा-वृष्ण के कीर्तन-गीत इस तन्मयता से गाते थे कि सुनने वाले आत्मविभोर होकर आंसू बहाने लग जाते थे। इस नगर सकीर्तन के कारण चैतन्य-मत का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। बाद के अनेक धार्मिक पन्थों ने अपने मत के प्रचार के लिए सामूहिक 'नगर सकीर्तन' का अनुसरण किया।

भक्त में भक्तिभाव की जातुरता तो होनी ही चाहिए, साथ ही चारित्रिक सद्गुणों की सम्पन्नता भी होनी चाहिए। भक्त को निर्लिप्त, निष्काम, सत्मगी, श्रद्धालु और-शम-दमादि गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे गुण-सम्पन्न भक्त के हृदय में ही ब्रह्म त्रिजामा का उदय होता है और माधुर्य-भाव से भक्तिपरायण होकर वह परम गति मोक्ष का अधिकारी बनता है।

महाप्रभु चैतन्य ऐसे ही भक्त थे। उन्होंने राधा-वृष्ण की कथा को अपने जीवन की आराधना एवं अभिव्यक्ति का एवमात्र साधन बनाया। सामान्यतः समस्त बंष्णव समाज में और विशेष रूप से बंगाल तथा बंगला माहिल्य में चैतन्य की भक्तिप्रवणता की व्यापक रूप से अपनाया गया।

महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित गौड़ीय बंष्णव मत में मुक्ति के दो भेद माने गये हैं—ऐश्वर्यलाभ (स्वयंप्राप्ति) और वैकुण्ठवाम। जो भक्त, या उपासक अपने मत्कर्मों द्वारा वैकुण्ठवाम प्राप्त करता है, उन्हें पुन आवागमन के चक्र में नहीं पडना पडता। वे शालोन्मय, सामीप्य, साधुज्य और सारूप्य—इस चतुर्विध मुक्ति का लाभ प्राप्त कर वैकुण्ठ का अक्षय, अखण्ड सुखोपभोग करते हैं।

मन्दिरों का निर्माण

चैतन्य सम्प्रदाय की भव्य एवं श्लाघ्य परम्परा के स्मारक उसके बहुसंख्यक एवं विशाल मन्दिर हैं। ये मन्दिर इतने दर्शनीय हैं कि उनके द्वारा भारत में इस मत के सर्वांगीण प्रभाव का पता चलता है। वस्तुतः जिस समय महाप्रभु चैतन्य का आविर्भाव हुआ, और उनके प्रभाव से धर्मप्राण जनना ने अपने इष्टदेव के मन्दिरों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया, उस समय भारत पर इस्लाम धर्म का शासन था। अकबर, बाबर तथा हुमायूँ जैसे धार्मिक, सहिष्णु बादशाहों के शासन-काल में मन्दिरों का व्यापक रूप से निर्माण हुआ। गोस्वामी आचार्यों ने विशेष रूप से वृन्दावन में सम्प्रदाय के मन्दिरों का निर्माण कराया। न केवल मुगल शाहंशाहों का, अपितु राजपूत राजाओं के योगदान से भी मन्दिरों के निर्माण की परम्परा एवं निष्ठा को बल मिला। मवाई मानसिंह तथा महाराजा जयसिंह जैसे धर्मवीर एवं साहित्य-कला के

सरदाक श्यामको ने वैष्णव आचार्यों की इच्छाओं के अनुरूप मन्दिरों के निर्माण में विशेष रुचि ली ।

चैतन्य सम्प्रदाय के मन्दिरों में मुख्यता राधा-कृष्ण की मूर्तियों की है । कुछ मन्दिरों में राधा-कृष्ण की मूर्तियों के अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु, अद्वैतानन्द और नित्यानन्द की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं । उनकी पूजा में नियमित रूप में सकीर्तन होता है । व्यक्तिगत घरों में भी सकीर्तन का आयोजन होता है ।

प्रमुख गढ़ियाँ

चैतन्य सम्प्रदाय के अनुयायियों की प्रमुख गढ़ियाँ नवद्वीप (नदिया), मथुरा, बृन्दावन और श्रीहृदपुरी में स्थित हैं । नवद्वीप घाम बंगाल का प्रसिद्ध तीर्थ एवं विद्या-केन्द्र है । चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होने के कारण समस्त गौडीय वैष्णवों का यह सबसे बड़ा तीर्थ है । वैष्णव समाज के समागम का भी यह प्रसिद्ध धर्मस्थान है । यहाँ पर अनेक धर्मशालाएँ और मन्दिर हैं । कुछ मन्दिर अत्यन्त दर्शनीय हैं ।

आचार-परम्परा

गौडीय वैष्णव धर्मानुयायियों की अपनी अलग आचार-परम्पराएँ हैं । अविवाहित ब्रह्मचारी और साधु सन्यासी, गृहस्त्री आदि सभी क्षेत्रों के लोग उनके अनुयायी हैं । किन्तु गुरुपद प्राप्त करने के अधिकारी केवल गृहस्थ (गृहस्थ) ही होते हैं । गुरुपद ग्रहण करते समय दीक्षा दी जाती है । जो वैराग्य या सन्यास धारण कर दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनका पहले मुण्डन किया जाता है और उन्हें कटिमूत्र, कोपीन, बट्टिर्वाम, तिलक, मुद्रा, जपपात्र, जपमाला और त्रि कण्डिका देकर दीक्षित किया जाता है । उनमें आचार में परिनिष्ठता, पवित्रता और सदाचरण आदि पर विशेष बल दिया जाता है । अधिकतर अनुयायी गृहस्थ होते हैं । जब गृहस्थ शिष्यों के घर विवाह होते हैं तो उस समय आदिम तीन प्रभुओं (चैतन्य, नित्यानन्द और अद्वैतानन्द) को नैवेद्य दान किया जाता है । नवब्रह्म को माला (कण्ठी) और मन्दिर दिया जाता है । प्रतिदान के रूप में गुरु को उपहार तथा दक्षिणा आदि से समानित किया जाता है ।

इस सम्प्रदाय के सभी अनुयायी गोपीचन्दन का खड़ा तिलक धारण करते हैं और शरीर के द्वादशगो पर राधा-कृष्ण का नामांकन करते हैं । जपमाला पहनते हैं ।

राधावल्लभ सम्प्रदाय

मध्ययुगीन वैष्णव धर्म की जो अनेक शाखाएँ प्रजास में आईं, उनमें 'राधावल्लभ सम्प्रदाय' का भी एक नाम है। इस सम्प्रदाय के प्रेरणा-स्रोत माध्वमत और चैतन्य मत हैं। राधा-कृष्ण की भक्ति एवं उपासना के विभिन्न रूपों का आधार बनाकर अनेक सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्यों ने अपने-अपने अलग मत प्रचलित किये। किसी ने सत्त्वभाव की भक्ति को अपनाया, तो किसी ने दाम्पत्य-भक्ति को अपना आधार बनाया और किसी ने रमयय माधुर्य एवं प्रेमपरक स्वरूप की उपासना की। भक्ति और उपासना के ये विभिन्न मार्ग एक ही परम लक्ष्य भगवान् की कृपा को प्राप्त करने के हैं।

राधा-कृष्ण की अनन्त दिव्य लीलाओं की ब्रीडाभूमि ब्रजमण्डल रहा है। भारत के सभी अवलोकों की धर्मप्राण जनता और धर्म-प्रवर्तक आचार्यों एवं विद्वानों ने ब्रजमण्डल में आकर ही अपने इष्ट को पूर्णता प्राप्त की। ब्रजमण्डल में भी कृन्दावन को ही सभी धर्माचार्यों ने अपना साधना-केन्द्र बनाया और अपने-अपने मतों तथा सिद्धान्तों के अनुरूप उपास्यदेवों की मूर्तियाँ स्थापित की और उनके लिए विशाल मन्दिरों का निर्माण किया।

राधावल्लभ सम्प्रदाय के संस्थापक भक्तकवि स्वामी हितहरिवर ने कृन्दावन को अपनी साधना-भूमि बनाकर वही विशाल मन्दिर की स्थापना की और अपने इष्टदेव राधा-कृष्ण की प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपने मत में त्रिनिष्ट आचार-प्रक्रियाओं का समावेश न कर उसे सर्वसाधारण के लिए उन्मुक्त रखा। स्वामीजी वस्तुतः एक सद्गृहस्थ थे और उनके मत से भगवत्प्राप्ति के लिए गृहत्याग एवं वैराग्य धारण कर विरक्तों की भाँति विचरण करना अभिप्रेत नहीं था। मनुष्यमात्र के हृदय में जब भी, जिस समय भगवान् की दिव्य भक्ति का उदय हो जायें, तभी वह भगवान् की दया-कृपा का अधिकारी बन जाता है। उनके मत से लौकिक क्रिया कलाओं में एकनिष्ठ एवं आस्थावान् बने रह कर भी अलौकिक प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। पुण्यकर्मों के फलोदय से मनुष्य के हृदय में भक्ति का उदय होता है और अनन्त समृद्धियों एवं परम सुख की प्रदात्री श्रीराधाजी के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देने से भक्त को सहज ही में वह आनन्दलोक प्राप्त हो जाता है, जहाँ अपनी अनन्त शक्ति श्रीराधा के साथ श्रीकृष्ण विराजमान हैं।

हितहरिवंश

गोस्वामी हितहरिवंश का जन्म सहारनपुर जिले (उत्तरप्रदेश) के अन्त-गंत देववन (या देववन्द) नगर में १५५९ वि० (१५०२ ई०) को हुआ था । उनकी आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा अपने पैतृक स्थान पर ही सम्पन्न हुई । जब वे सोन्हे वर्ष के थे, उनका विवाह रक्षिमणी देवी से हुआ । उसने उन्हें एक कन्या और तीन पुत्र उत्पन्न हुए । तीस वर्ष की अवस्था में वे अन्त प्रेरणा से ब्रजयात्रा को गये । जब वे चिरयावल गाँव में गये, तो एक धर्मपरायण ब्राह्मण आत्मदेव ने हरिवंशजी के साथ अपनी दो कन्याओं का विवाह करके का आग्रह किया । कहा जाता है कि इस विवाह के सम्बन्ध में आत्मदेव और हरिवंशजी को एक स्वप्न हुआ । दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर हरिवंशजी ने दोनों कन्याओं के साथ विवाह कर लिया और उन्हें साथ लेकर वे वृन्दावन पहुँचे । उनकी मधुर वाणी और दिव्य शरीर पर मुग्ध होकर जनता उनकी ओर आकर्षित होने लगी । उनके महनीय व्यक्तित्व की ख्याति निरन्तर फैलती गई । वे स्थाई रूप से वृन्दावन में ही बस गये ।

वृन्दावन के चातावरण में उनका मन भगवत्प्रेम में रम गया । उन्होंने मानसरोवर, वगीवट, मेवाकुञ्ज और राममण्डल नामक ब्रजमण्डल के चारों स्थानों में भगवान् की लीलाओं का आयोजन किया । १५९१ वि० (१५३४ ई०) को उन्होंने सेवाकुञ्ज में अपने उपाम्यदेव का विग्रह स्थापित किया और 'राधावल्लभ सम्प्रदाय' के नाम से वैष्णव धर्म की एक नई शाखा की स्थापना की । उन्होंने मानुस्य-भक्ति का पुनरुत्थान किया और अपने मन की नई उपामना-भक्ति प्रचलित की ।

धन्य-निर्माण

गोस्वामी हितहरिवंश एक आचार्य तथा दार्शनिक होने की अपेक्षा एक भक्त थे । उनकी कृतियाँ उनके आचार्यत्व की अपेक्षा भक्तहृदय की भाव-विह्वलता को अधिक प्रकट करती हैं । वे मन्वृत तथा ब्रह्मभाषा व निपुण विद्वान् थे । 'राधामुधानिधि' और 'यमुनाष्टक' नाम में उन्होंने मन्वृत में दो कृतियों का प्रणयन किया । उनका अतिरिक्त 'हितचौरामी' और 'स्तुतवाणी' उनकी दो कृतियाँ ब्रह्मभाषा की हैं । अपनी इन कृतियों में उन्होंने श्रीराधा की भक्तवत्सलता का शरीर गुणगान किया । उन्हीं की उपामना-आराधना को अपने जीवन का अपरिहार्य अंग बनाया । स्वामीजी द्वारा विरचित उक्त कृतियाँ ही इस सम्प्रदाय का एकमात्र साहित्य है ।

सिद्धान्त-निरूपण

भक्तप्रवर हितहरिवंश ने अन्य सम्प्रदाय के आचार्यों तथा तत्त्ववेत्ताओं की भाँति न तो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा और न किसी दार्शनिक सिद्धान्त या वाद का प्रतिपादन किया। उनका अभिमत था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए वैराग्य धारण या गृहत्याग की आवश्यकता नहीं है। एक मद्गृहस्थ का जीवन बिताते हुए अपने आराध्य की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने गृहस्थाश्रम को नहीं छोड़ा। पार्थिव दाम्पत्य प्रेम को अपार्थिव दाम्पत्य प्रेम में परिणत करके भव-बन्धन का उन्मूलन किया जा सकता है और उपास्यदेव का मानिष्य प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने जिम उपासना-मदति को प्रचलित किया, वह अन्य वैष्णव मतों से सर्वथा भिन्न है। वे माधुर्योपासना न अनुयायी थे। उनके मतानुसार प्रेमतरव या 'हिततत्त्व' ही सर्वोपरि है। यह प्रेम या हित' ही जीवात्मा को परम आराध्य का मानिष्य प्राप्त कराता है। राधा-कृष्ण की उपासना या भक्ति का यही प्रेममार्ग एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। उनकी इष्टदेवी श्रीराधा हैं, जो कि श्रीकृष्ण की सहचरी होते हुए भी अपनी महिमा में महीयसी एवं सर्वोपरि हैं।

राधावल्लभ सम्प्रदाय वस्तुतः प्रेममार्गी मत है। हितहरिवंश ने इस प्रेम-मार्ग को सरलतम तथा सर्वोत्तम कहा है। आरम्भ में उन्होंने माधव तथा निम्बाकं मत का गभीरता से अनुसरण तथा अनुशीलन किया और अन्त में श्रीराधा की उपासना का अत्यन्त सरल मार्ग खोज निकाला। उन्होंने राधाजी को श्रीकृष्ण से उच्च स्थान दिया और राधाजी की पूजा उपासना से श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करने का नया दृष्टिकोण स्थापित किया। उनके राधावल्लभ मत के अनुसार श्रीकृष्ण, श्रीराधा के दाम या सेवक हैं। श्रीकृष्ण सत्कार की सुरक्षा का कार्य करते हैं, उसका संचालन करते हैं, जब कि राधारानी बँठे-वैठे मणिव का कार्य करती हैं। राधारानी ही एकमात्र महाशक्ति हैं, श्रीकृष्ण जिनके अनुवर्ती हैं। जगत् की मृष्टि, स्थिति और लय में वही महाशक्ति मूल रूप में अविष्टित है।

इस सम्प्रदाय में प्रेम को ही भक्ति का एकमात्र मूलाधार माना गया है। इस सम्प्रदाय के अनुसार अनन्त भावों तथा अनन्त रूपों में नित्य क्रीडा करने वाला प्रेम ही परात्पर तत्त्व है। वहाँ न तो मुक्ति को कोई स्थान दिया गया है, और न उसकी कामना की गई है। सहचरी (जीवात्मा) का नित्य विहार-दर्शन ही उपास्य भाव है, जिसकी प्राप्ति का साधन प्रेम है। नित्य

बिहार-लीला में कृष्ण, राधा, सहचरी और वृन्दावन, ये चार तत्व हैं। उन्हीं का सायुज्य सम्बन्ध ही प्रेम है। प्रेम में नित्य मिलन और विरह की विभिन्न परिस्थितियों को हितहरिवंश ने चकवा-चकवी के प्रणय-सम्बन्ध द्वारा स्पष्ट किया है। राधा स्वयं आनन्दस्वरूप नित्य भाव है। वही उपासना आराधना, पूजा प्रतिष्ठा की एव एक मात्र अधिकारिणी है।

इस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय की परम्परा में 'राधावल्लभ मत' के नाम से नये प्रेममार्गी पन्थ की स्थापना कर गोस्वामी हितहरिवंश ने राधा-भक्ति का नया रूप प्रस्तुत किया। केवल ५० वर्ष की अल्पायु प्राप्त कर १६०९ वि० (१५५२ ई०) में उन्होंने वृन्दावन में ही शरीर त्याग किया।

परम्परा का प्रवर्तन

स्वामी हितहरिवंश अपने सम्प्रदाय के एकमात्र सस्थापक एव प्रवर्तक भी थे। उनके बाद भी यद्यपि यह मत लगभग १८वीं शती तक बना रहा, किन्तु उसका वैभव-काल उनके शरीर-त्याग के बाद ही क्षीण होता गया। स्वामीजी के बाद राधावल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों में हरिराम व्यास, दामोदरदास (सेवक कवि) और ध्रुवदास का नाम प्रमुख है।

हरिराम व्यास का जन्म सनाढ्य ब्राह्मण वंश में १५६७ वि० को ओडछा (मध्यप्रदेश) में हुआ था। उनके पिता का नाम सुखोमन शुक्ल था। ओडछा-नरेश मधुकरशाह के वे दीक्षा गुरु थे। पिता के वैष्णव सत्कारों का प्रभाव हरिराम व्यास पर भी पडा और युवावस्था में ही वे राधा कृष्ण की भक्ति में विभोर होकर वृन्दावन में आकर बस गये थे। उस समय वृन्दावन में हितहरिवंश के नाम का बड़ा प्रचार था। हरिराम व्यास उनके सम्पर्क में गये और उनके देवोपम प्रभाव से राधावल्लभ सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गये। वे नित्य किशोर श्रीकृष्ण और नित्य किशोरी श्रीराधा के लीलागायन में इतने तल्लीन हुए कि घर-बार का स्मरण ही नहीं रहा। ओडछा नरेश के बार-बार वे आग्रह पर भी वे वृन्दावन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए।

जिन दिनों स्वामी हितहरिवंश राधाभाव की प्रेमपरक भक्ति के प्रचार में तल्लीन थे, उन्हीं दिनों चैतन्य सम्प्रदाय के प्रख्यात विद्वान् एव दार्शनिक रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृन्दावन में थे। हरिराम व्यास ने उनसे भी सम्पर्क स्थापित किया और वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होने लगे।

हरिराम व्यास का धार्मिक दृष्टिकोण उदार एव व्यापक था। दार्शनिक मतभेदों से दूर रहकर वे राधावल्लभीय मत की नित्यबिहारलीलाओं के

प्रचार-प्रसार में लगे रहे। उनकी वाणी में मधुरता एवं भाव विह्वलता थी। उन्होंने राधा-कृष्ण की शृंगारमयी नित्यलीलाओं का गुणगान किया।

उनकी लिखी भक्तिपूर्ण रचनाओं का सग्रह 'व्यासवाणी' के नाम से प्रतिष्ठ है। वे एक भक्त होने के साथ-साथ उच्च कोटि के कवि भी थे। 'राधावल्लभ सम्प्रदाय' के उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया और इसीलिए 'हरिवंश' में उनको सम्प्रदाय का समानजनक पद प्राप्त हुआ।

भगवान का भजन-कीर्तन करते हुए और सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए १२२ वर्ष की लम्बी आयु बिताकर उन्होंने १९८९ वि० में वृन्दावन में शरीर-त्याग किया।

आचार-पद्धति

राधावल्लभ सम्प्रदाय की आचार प्रक्रिया भास्व तथा चैतन्य सम्प्रदायों से मिलती-जुलती है। किन्तु कुछ बातों में भिन्नता भी है। इस सम्प्रदाय के आचारों में पहली बात तो यह देखने को मिलती है कि उनमें मन्दिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं दिखाया गया है। कृष्ण के वामभाग में सन-निमित्त गद्दी के ऊपर स्वर्णपत्र पर 'श्रीराधा' शब्द का उल्लेख होता है। इसे सम्प्रदाय में गद्दी-सेवा कहा जाता है।

राधावल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी नाशिका भाग से ऊर्ध्व त्रिपुटी तक गोपीचन्दन की तिलक-रचना करते हैं और उसके बीच में वाली बिन्दु अंकित करते हैं। सीधी ऊर्ध्व रेखाएँ श्रीकृष्ण की और काली बिन्दु श्रीराधा की प्रतीक हैं।

यद्यपि इस सम्प्रदाय का उद्गम वृन्दावन में हुआ, तथापि कालान्तर में वह देश के अनेक अंचलों में प्रचारित हुआ। सम्प्रदाय का सबसे बड़ा एवं भव्य राधावल्लभ भगवान् का मन्दिर वृन्दावन में है। किन्तु उसके अनुयायी गुजरात, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान आदि के दूर-दूर तक फैले हुए हैं। वहाँ पर उनके अपने-अपने सम्प्रदाय के मन्दिर भी हैं।

मीराबाई

मध्ययुगीन कृष्णभक्तों में मीराबाई का भी एक नाम है। यद्यपि उन्होंने अपना कोई सम्प्रदाय प्रचलित नहीं किया, तथापि कृष्णभक्ति की परम्परा में उनका नाम ही एक सम्प्रदाय के रूप में संपूजित है। श्रीकृष्ण के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर देने वाले भक्तजनों में प्रेमवियोगिनी मीराबाई का नाम समस्त हिन्दू समाज में, और विशेष रूप से हिन्दी साहित्य के भक्तियुग में बड़े समान के साथ स्मरण किया जाता है। मेड़ता (राजस्थान) के राठौर परिवार में १५५५ वि० में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गतनसिंह था। उदयपुर के राणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज के साथ १५७३ वि० में उनका विवाह हुआ था।

बाल्यावस्था में ही वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और स्वतः ही जन्मत उनके अन्तःकरण में श्रीकृष्ण की भक्ति का उदय हो चुका था। दाम्पत्य जीवन में रहते हुए भी वे उससे सर्वथा उदासीन रहा करती थी। साधु-सन्तों, भक्त-भजनोंको के सत्संग ससर्ग में रहना उनको अधिक पसन्द था। भगवत्प्रेम में वाद्यक लोकलाज को एक आडम्बर एवं अवरोध मानकर उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था और श्रीकृष्ण की मूर्ति के आगे भाव-विभोर होकर नाचने-गाने लगती थी। उनके पति और स्वजनो ने उन्हें इस प्रकार के अमर्यादित आचरणों को करने से वाधित किया। किन्तु उन पर इस प्रकार की बातों का कोई असर न हुआ। उनकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उन्हें विष दिया गया और विषधर में डेंसवाने का प्रयत्न किया गया, किन्तु भगवत्कृपा से विष अमृत बन गया और विषधर ने भगवान् की मूर्ति का रूप धारण कर लिया।

१५७५ वि० में वे विधवा हो गईं। परिवार जनों द्वारा निरन्तर विरोध तथा अपमान किये जाने के कारण उन्होंने राजमहल का परित्याग कर दिया और श्रीकृष्ण की लीलाभूमि वृन्दावन में जा पहुँची। वहाँ भक्तजनों के बीच उनका बड़ा समान हुआ। वृन्दावन में वे द्वारका पहुँची। वहाँ श्रीरण-छोडजी के मन्दिर में पैरो में घुघरू बाँध और हाथों में करताल लेकर श्रीकृष्ण के ध्यान में तल्लीन होकर गाने नाचने लगी। वृन्दावन में ही वे १६०३ वि० को कृष्णलोकधामी हुईं।

ग्रन्थ-निर्माण

मीराबाई श्रीकृष्ण की परम भक्त थी। कबीर, मृगदास आदि सन्तों की भाँति न तो उन्होंने किसी ग्रन्थ का निर्माण किया और न कवि की दृष्टि से कुछ लिखा। वे भक्ति की भावधारा में विभोर होकर जो कुछ कहती गई, वह स्वतः ही लोक प्रचारित होता गया, और बाद में भक्तजनो द्वारा उनके भजनो या पदों का संग्रह किया गया। आधुनिक विद्वानों ने मीराबाई के नाम से उनकी चार कृतियों का उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं—'नरसीजी का माधरा', 'गीतगोविन्दटीका' 'रामगोविन्द' और 'राग मोरठ'।

सिद्धान्त-निरूपण

मीराबाई उदार, सहिष्णु एवं मर्यादित धार्मिक प्रवृत्ति की भक्त थी। श्रीकृष्ण के प्रति उनकी भक्ति की आतुरता बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्गीय भक्ति भावना की अपेक्षा कबीर की निर्गुण भावना से अधिक तारतम्य एवं निकटता रखती है। दोनों की भक्ति-भावना में अन्तर यह है कि मीराबाई मूर्तिपूजक थी, जब कि कबीरदास मूर्तिपूजा विरोधी थे। यही कारण है कि मीराबाई ने स्वामी रामानन्द के शिष्य और अपने गुरुभाई सन्त रैदास को गुरु रूप में वरण किया तथा उनकी वाणी को आध्यात्मिक प्रेरणा का आधार बनाया। यही कारण है कि मीरा की भक्ति निर्गुण भावना का प्रभाव है। उनकी सगुण भावना में भी वस्तुतः निर्गुण या गुणातीत के ही दर्शन होते हैं। उमने बल्लभ अनुयायियों को भाँति कृष्ण की लीलाओं का नहीं, अपितु अपनी अनुभूतियों का, अपने अन्तरतम की वृत्तियों का बखान किया। सन्त रैदास ने राम का नाम लेकर जो भावोद्गार प्रकट किये हैं, वे ही भावोद्गार मीरा ने श्रीकृष्ण के लिए प्रकट किये हैं। उसने निर्गुण भक्तों की भाँति प्रेमलक्षणा भक्ति का आश्रय लिया। उसकी भक्ति के आधार एकमात्र श्रीकृष्ण थे, जो कि परम परमेश्वर थे और जिनको उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था।

मीराबाई की अनन्य भक्ति भावना के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि गोडीय सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् जीव गोस्वामी ने स्त्रियों का मुख न देखने का व्रत लिया था। किन्तु जब मीराबाई वृन्दावन में थी, उन्होंने उनके दर्शन करने के लिए अपना व्रत भंग कर दिया। ऐसी भी अनुभूति है कि गोरबामी तुलसीदास के साथ मीराबाई का पत्र-व्यवहार हुआ था। बल्लभाचार्य से भी मीराबाई का साक्षात्कार हुआ था। 'बोरासी वैष्णवों की वार्ता' (वार्ता-४१) से ज्ञात होता है कि बल्लभाचार्य के

शिष्यो एव अनुयायियो द्वारा मीराबाई को बल्लभाचार्य की सेवक बनाने हेतु बहुत प्रयास किये गये । किन्तु वह उनकी अनुयायी नहीं बनी । विद्ठलदास के प्रयासो से भी मीराबाई ने उनका अनुसरण नहीं किया ।

इस प्रकार मीराबाई ने न तो सैद्धान्तिक स्थापना के अभिप्राय से कुछ कहा है और न ही अपना कोई धार्मिक मत या पन्थ प्रचलित किया । वे एवान्त मन से, सब-कुछ त्याग कर, लोकताज की चिन्ता किये बिना, एव-मात्र श्रीकृष्ण के भजन कीर्तन में तल्लीन रही और अपना सब कुछ उन्होने भगवान् को अर्पित कर दिया था ।

परम भक्त मीराबाई की इन विशेषताओ को दृष्टि में रखकर भारत के धार्मिक इतिहास में, विशेष रूप से वैष्णव धर्म की परम्परा में उनका उल्लेख होना आवश्यक है ।

(दत्त)

आधुनिक नवोत्थान युग

१. बाह्य समाज
२. आर्य समाज
३. ब्रह्मविद्या समाज
४. रामकृष्ण मिशन
५. सत्यशोधक समाज

आधुनिक नवोत्थान युग

भारतीय इतिहास में आधुनिक युग, भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के साथ आरम्भ होता है। अपने शासन की सुदृढ़ता एवं व्यापकता के लिये अंग्रेजों ने जिन कूटनीतिक प्रयत्नों का आश्रय लिया, उनमें से एक उद्देश्य यह भी था कि विभिन्न धर्मों तथा मत पन्थों के केन्द्र भारत में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जायें, जिनमें साम्प्रदायिक विषमता तथा पारस्परिक भेद-भाव का वातावरण बना रहे। इसके बीज मुगलशासन और विशेष रूप में औरंगजेब के समय में ही अंकुरित हो चुके थे। शाहजहाँ औरंगजेब के शासन काल में यद्यपि साम्प्रदायिक विद्वेष अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था, किन्तु उसके निघ्न के पश्चात् विषम धार्मिक परिस्थितियों में कुछ सामंजस्य हुआ। उसका श्रेय उन विभिन्न सन्तों, फकीरों, शैखों, प्रवचकों वियों को दिया जा सकता है, जिन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के धार्मिक असहिष्णुता को दूर करने और उनमें परस्पर सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया।

स्वामी रामानन्द (१३वीं शती ई०) ने जिस धार्मिक सद्भाव का अभियान चलाया, उसका प्रभाव देश के समस्त धार्मिक विद्वियों पर समान रूप से परिलक्षित हुआ। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों तथा जाति-पाँव, अंध-नीच, की विषमताओं को मिटाया और एक ऐसे धर्म की स्थापना की, जो सबके लिये समान रूप में ग्राह्य एवं वरणीय था। स्वामीजी के उत्तराधिकारी एवं अनुयायी धर्म-नेताओं तथा सन्तों-फकीरों ने हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मों में समन्वय स्थापित किया। मुसलमानों के सहित हिन्दू शूद्रों और अछूतों को भी उन्होंने समान अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान की। इन सत्प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि जहाँ एक ओर धार्मिक कट्टरता में शिथिलता आयी, वहीं दूसरी ओर इस्लाम भारतीय धर्म का एक अंग बना और अनेक मुसल-मानों में स्वेच्छया हिन्दुत्व के प्रति आस्था उत्पन्न हुई।

मुगल शासन के बाद भारत के शासन का स्वागित्व जब अंग्रेजों के हाथ में आया तो उन्होंने शिथिल हुई धार्मिक विषमताओं एवं जाति वर्ग के भेद-भावों को पुन उभारा। यह कार्य ईसाई मिशनरियों ने किया। जिस प्रकार मुहम्मद साहब ने काबा में एक हाथ पर 'कुरान' और दूसरे हाथ पर तलवार लेकर यहूदियों को इस्लाम धर्म-वरण करने के लिये बाध्य किया, उसी प्रकार अंग्रेज मिशनरियों के धर्म-प्रचारकों ने एक हाथ में 'बाइबिल'

और दूसरे हाथ में अधिक तथा बड़े-बड़े पदों ओहदों का प्रलोभन देकर भारतीयों को ईसाई धर्म ग्रहण करने का प्रलोभन दिया। इन मिशनरियों ने अंग्रेजी शासन की उदारताओं तथा ईसाई धर्म की उच्चताओं का प्रचार कर विपन्न एवं अनुप्राप्त भारतीयों को धर्म परिवर्तन के लिये विवश किया। हिन्दुओं को धर्म-परिवर्तन के लिये मुगलों तथा अंग्रेजों के तौर-तरीके यद्यपि भिन्न-भिन्न थे, किन्तु लक्ष्य दोनों का एक ही था।

अंग्रेजों ने 'असभ्य' भारतीयों को 'सभ्यता' का पाठ पढ़ाने के लिये स्त्रियों तथा बालकों की शिक्षा का नया तरीका अपनाया। उन्होंने स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे विद्यालय स्थापित किये। पश्चिम की शिक्षा-सभ्यता से प्रभावित एवं पक्षपाती कुछ भारतीय अंग्रेजों की इस शिक्षानीति से प्रभावित अवश्य हुये, किन्तु बहुसंख्यक समाज की आशकाएँ नहीं मिटी। अंग्रेजों ने अपनी जनसेवा की प्रवृत्ति को जताने के उद्देश्य से नगर-नगर में अस्पताल खोले। अपनी सभ्यता तथा सस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु अल्पमूल्य या निशुल्क माहिल्य जनता में वितरित किया गया।

सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने प्रचार एवं प्रभाव का केन्द्र दक्षिणी भारत को बनाया। उसका कारण यह था कि दक्षिण भारतीय समाज धर्म के प्रति कट्टर आस्थावान् था और इस कारण वहाँ द्विजा द्वारा अन्त्यज समाज अधिक प्रस्त एवं उपेक्षित था। इन अन्त्यजों का अंग्रेज मिशनरी पादरियों ने प्रभावित किया और उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने में कामयाबी हासिल की। यही कारण है कि दक्षिण भारत में आज, देश के अन्य भागों की अपेक्षा, ईसाईयों की संख्या अधिक है। उत्तर भारत में ईसाई मत के लक्ष्य अधिकतर आदिवासी हुये, जो कि अपेक्षातः अनुप्राप्त थे। जहाँ तक समाज के अन्य वर्गों का सम्बन्ध है, अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ भारतीयों ने इस नयी सस्कृति-सभ्यता का विरोध करने की अपेक्षा उसे वर्ण करने में अपने को अधिक प्रबुद्ध एवं प्रगतिशील अनुभव किया।

अंग्रेजों ने भारत का नया सविधान बनाया, जिसमें अपने विशेषाधिकारों की व्यवस्था की। भारतवासियों के मूलाधिकारों को उस सविधान में सर्वथा उपेक्षित कर दिया। इस प्रकार भारत में पैर जमाने के कुछ समय बाद ही क्षुब्ध एवं नीतिज्ञ अंग्रेज जाति ने अपनी स्थिति को अधिक दृढ़ बना दिया। जिन भारतीयों ने आरम्भ में अंग्रेजों की उन्नत सभ्यता का अनुकरण एवं समर्थन किया था और जो विभिन्न व्यक्तिगत स्वार्थों से बंधे हुये थे, अंग्रेजों ने अपने सक्त्यों की सफलता के बाद उनकी भी उपेक्षा करनी आरम्भ कर दी।

भारत में अँग्रेजों के बढ़ने हुये प्रभाव और भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षावृत्ति के प्रति अधिसंख्य जागरूक भारतीय अनभिज्ञ एवं अनपेक्ष नहीं थे। अँग्रेजों द्वारा भारतीय परम्पराओं, सस्कृति, सभ्यता, साहित्य तथा धर्म के प्रति जो उपेक्षावृत्ति अपनाई जा रही थी और जिसके कारण पश्चिमी प्रभाव के आगे उनका ह्रास होता जा रहा था, उसको रोकने के लिये कुछ भारतीयों ने नये प्रयास किये। उन्होंने आत्मवीर्य, स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा के लिये विभिन्न सगठनों की स्थापना की। इस प्रकार के सगठनों में ब्राह्म समाज, आर्य समाज, ब्रह्मविद्या समाज, (दियोसॉफिकल सोसाइटी), प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और सत्य-शोधक समाज आदि का नाम उल्लेखनीय है।

ये सगठन ऐसे थे कि जिन्होंने भारतीय परम्पराओं को नया आलोक दिया और भारतीयता की रक्षा की। इस प्रकार के कुछ सगठन इतने सफल एवं कारगर सिद्ध हुये कि न केवल भारत में, अपितु विश्व के अनेक देशों में उनकी शाखाएँ स्थापित हुईं और आधुनिक विश्व के व्यापक मानव समाज ने उनके उच्चादर्शों को वरण किया।

ब्राह्म समाज

आधुनिक युग की जिन सस्थाओं और समाज-संगठनों ने देशवासियों को अपनी पुरानी परम्पराओं तथा मान्यताओं की पुनः प्रतिष्ठा के लिये, अपने स्वत्व की स्थापना के लिये उजागर किया, उनमें 'ब्राह्म समाज' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। १९वीं शती ई० में भारतवासियों को न केवल पराधीनता की दुर्दन्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, अपितु नई शिक्षा नीति और नये आचार विचारों की आधी ने राष्ट्र के अस्तित्व को घूमिल कर दिया था, उसकी रक्षा के लिये जिन नये सस्थाओं का उदय हुआ, उनमें 'ब्राह्म समाज' का नाम उल्लेखनीय है। इस सस्था के संस्थापक राजा राममोहन राय थे।

राजा राममोहनराय का जन्म हुगली जिले के राधानगर नामक गाँव में एक जमीन्दार ब्राह्मण परिवार में १७७४ ई० को हुआ था। उनके पिता का नाम रामकण्ठ राय था। उनकी प्रथम शिक्षा अरबी फारसी के माध्यम से पटना में हुई और तत्पश्चात् काशी में रहकर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अँग्रेजी, बंगला के अतिरिक्त हिंदू और ग्रीक भाषाओं का भी अध्ययन किया। बाल्यकाल से ही उनमें ज्ञानार्जन की अपरिमित उत्कण्ठा थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने हिन्दू, ईसाई और इस्लाम आदि धर्मों के मूल ग्रन्थों का अध्ययन किया और तत्पश्चात् 'भगवद्-गीता' तथा उपनिषदों के अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुये। उपनिषदों के प्रतिपादित विचारों और सूफी प्रभाव के कारण अवतारवाद, मूर्तिपूजा और बहु-देवतावाद के प्रति उनकी आस्था नहीं थी। उन्होंने शंकर के अद्वैत-वेदान्त को सर्वोपरि मानकर एकेश्वर अद्वैत ब्रह्म का सिद्धान्त स्वीकार किया। जब वे केवल १६ वर्ष के थे, उन्होंने 'मूर्तिपूजा निषेध' नाम से एक पुस्तक लिखकर अपने विचारों को स्पष्ट किया। इस पुस्तक में उन्होंने अवतारवाद, मूर्तिपूजा, पुनर्जन्म तथा कर्मफल आदि विषयों का घोर खण्डन किया।

इस पुस्तक के प्रकाश में आने से उन्हें जाति-बहिष्कृत कर दिया गया और पिता ने भी असन्तुष्ट होकर घर से निकाल दिया। राजा राममोहनराय, परिवार तथा समाज के विरोधों की चिन्ता न करके अपने विचारों एवं सिद्धान्तों पर दृढ़ बने रहे। वे घर से निकल पड़े और देश के विभिन्न अंचलों का भ्रमण कर उन्होंने विभिन्न वर्गों के आचार-विचारों का अनुशीलन किया

तथा विद्वान् पुरुषों के सम्पर्क में रहकर ज्ञानार्जन किया। वे तिब्बत गये और वहाँ उन्होंने बौद्धधर्म की सावंधीम मानवीय महानताओं का अध्ययन किया। इसी बीच उन्हें अपनी माता का पत्र मिला, जिससे द्रवीभूत होकर वे पर लौट आये। घर आकर एक जगह उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने अध्ययन और चिन्तन को बचाये रखा।

१८०३ ई० में उनके पिता का निधन हो गया और १८१४ ई० में नौकरी को तिलाजलि देकर वे पुनः धर्म-प्रचार में लग गये। उन्होंने 'ब्रह्म-सूत्र' तथा उपनिषदों का सार संकलित कर एक पुस्तक की रचना की और प्रचारार्थ उसे निःशुल्क वितरित किया।

देश की तत्कालीन धार्मिक तथा सामाजिक अस्थिरता का अनुभव कर राजा राममोहन राम ने एक ऐसे धर्ममार्ग को खोज निकालने का प्रयास किया, जिसके मूलतत्त्व यद्यपि भारतीय थे, किन्तु जिसकी सम-सामयिक रूप देने के लिये उसमें प्रचलित क्रिश्चियन धर्म के उदात्त सिद्धान्तों का भी समावेश कर दिया गया। उन्होंने अपने नये विचारों को वाणी देने की उत्कण्ठा से १८१८ ई० में 'ब्राह्म समाज' के नाम से एक धार्मिक संस्था की स्थापना की। इन संस्था की स्थापना में उनके प्रमुख सहयोगी थे—बाबू प्रसन्नकुमार और श्रोदारिकानाथ टैगोर।

आचार और सिद्धान्त

इस नयी संस्था की स्थापना के उद्देश्यों की भी उन्होंने घोषणा की। उसके प्रमुख लक्ष्य थे—समाज-सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण। इस धर्म-संस्था में सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों को अपनी-अपनी परम्पराओं एवं आस्थाओं को सुरक्षित रखते हुये सम्मिलित होने के लिये स्वागत किया गया। आचार, खान पान और रहन-सहन सम्बन्धी बातों में उदारता बरती गयी। हिन्दू और ईसाई धर्मनीतियों के समन्वय से एक नवीनतम मत को प्रचलित किया गया। उसको अपनाते के लिये सुशिक्षित हिन्दू समाज उद्यत हुआ। बंगाल के तत्कालीन सम्भ्रान्त एवं शिक्षा-सम्पन्न व्यक्तियों ने राजा राममोहनराय के इस नयी धर्म संस्था का स्वागत किया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन प्रभृति प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें सम्मिलित हुये।

इस धर्मशास्त्रा के उदार सिद्धान्तों को देखते हुये समस्त बंगाल में उसका नाम प्रतिष्ठित हुआ। सर्वसहज एवं सर्वग्राह्य इस धर्मग्रन्थ में किसी पुरोहित, आचार्य अथवा वैश्यावर या देवदूत की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गयी है।

महं व्यापी ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक मानकर उसकी उपासना पर बल दिया गया है। मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी प्रकार के धर्मस्थानों में एकमेव ब्रह्म, को स्थित माना गया है।

सैद्धान्तिक दृष्टि से 'ब्राह्म समाज' में वेदान्त मत के अनुसार ईश्वर की निराकारोपासना पर बल दिया गया है। राजा राममोहनराय ने अपने उपदेशों, व्याख्यानों और निबन्धों में परमात्मा को निरजन, निराकार और जीव से मिश्र बताया है तथा उसकी स्वतंत्र सत्ता का प्रतिपादन किया है। उम अद्वितीय तत्त्व को प्राप्त करने के लिये चिन्तन, ध्यान तथा उपासना का मार्ग निरूपित किया है। समत्व और त्याग की भावना में उमको प्राप्त किया जा सकता है।

ब्राह्म समाज में जात पाँत, वर्ण-व्यवस्था, जप-होम, व्रत-उपवास और धाद आदि कर्मों को कोई मान्यता नहीं दी गयी है। उपनिषदों के सिद्धान्तों एवं महावाक्यों को आधार ता माना है, किन्तु प्रमाण नहीं। वेद, 'कुरान', 'बाइबिल' और 'इजीज' आदि धर्म-ग्रन्थों के प्रति समान थद्दा प्रकट की गयी है। विश्व क समस्त धर्मानुयायियों को समानता की दृष्टि से देखा गया है। उसमें विश्वजनीन व्यापक सास्कृतिक समन्वय पर बल दिया गया है और हिन्दू धर्म को अधिक उदार रूप दिया गया है।

भारत का नवशिक्षित समाज, जो नई पाश्चात्य शिक्षा-सम्पन्ना तथा ईमार्द पादरियों के प्रणेभन पर पयभ्रष्ट एवं विदेशी आचार-विचारों के रग में डूवता जा रहा था, इस धर्मसंस्था का अनुयायी बन गया। ब्राह्म समाज की स्थापना ने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा में भी योगदान किया। जिस प्रकार पश्चिमोत्तर भारत में आर्य समाज ने हिन्दुओं के गिरते हुये अस्तित्व को पुनरुज्जीवित किया, उसी प्रकार विदेशी सभ्यता एवं आचारों की आँधी से प्रभावित आम-अस्तित्व को भुलाये बैठे भारतीयों को, विशेषरूप में थगाल को, ब्राह्म समाज ने विधर्मी होत से बचाया।

समाज-सुधार के क्षेत्र में इस संस्था ने जो कार्य किये, वे भी उल्लेखनीय हैं। तत्कालीन प्रचलित मामाजिक कुप्रथाओं का समाप्त करने के उद्देश्य से राजा राममोहनराय न १८२८ को सती प्रथा को बन्द करने के लिये कानून बनाया और उसे पारित करवाया। समाज-सुधार की दिशा में इस समाज के अभूतपूर्व कार्य किया।

भारत में 'ब्राह्म समाज' की प्रतिष्ठा को देखाव्यापी रूप देकर राजा राममोहनराय १८३१ ई० में लन्दन गये और वहाँ भी उन्होंने अपने मत का प्रचार-प्रसार किया। निरन्तर बौद्धिक और शारीरिक अथक परिश्रम ने

उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया और थोड़े दिनों की बीमारी के बाद ही लन्दन के क्रिस्टल नगर में १८३३ ई० को लगभग ६१ वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। वहाँ पर आज भी राजा राममोहनराय की समाधि विद्यमान है। 'राजा' उनकी उपाधि थी जो कि उन्हें उनके प्रशासकीय कार्यों के कारण अंग्रेजी शासन में प्राप्त हुई थी।

परम्परा का प्रवर्तन

राजा राममोहनराय के निधन के पश्चात् देवेन्द्रनाथ ठाकुर, नेशवचन्द्रसेन और राय महोदय के पुत्र रामप्रसाद राय न ब्राह्म समाज की बागडोर को संभाला। देवेन्द्रनाथ ठाकुर के कार्यकाण्ड को इस धर्मसुधारक-समिति का द्वितीय उत्तरार्ध काल कहा जा सकता है। उन्होंने उपनिषद् विद्या का परिशीलन कर १८५० ई० में 'ब्राह्मधर्म' के नाम से एक ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें अद्वैत दृष्टि से ब्रह्म मिद्धान्त का गभीर एवं विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। उनमें उपनिषदों के उपयोगी सम्प्रदायों का मार देने के साथ ही ब्रह्मोपनिषद् तथा समाज-सेवा की पद्धति पर भी प्रकाश डाला गया है।

राजा राममोहनराय के उपरान्त कई वर्षों तक बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने समाज का अस्तित्व बनाये रखा। उनके आग्रह पर नेशवचन्द्र सेन १८५८ ई० में समाज में सम्मिलित हुये। वे प्रभावशाली विद्वान् और अच्छे वक्ता थे। अपनी सारी शक्ति उन्होंने समाज के उत्थान में लगा दी। सेन महोदय न अपनी पत्नी को भी समाज के उत्थान एवं प्रचार प्रसार के कार्य में लगा दिया। सेन महोदय की अपरु सेवा को देखते हुये देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें समाज के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। अब तक इस गरिमामय प्रतिष्ठित पद पर ब्राह्मण आचार्य ही आर्त्तान हुंझा करते थे। नेशवचन्द्रसेन बड़ी रचि एवं निष्ठा से समाज की सेवा में लग गये और उन्होंने समाज के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया। मद्रास और बम्बई में उन्होंने 'ब्राह्म समाज' की दो शाखाएँ स्थापित कीं। उन्होंने धर्मनिष्ठा तथा समाजोद्धार का उद्देश्य लेकर देश के अनेक भागों का भ्रमण किया। मद्रास तथा बम्बई के अतिरिक्त पूना, अहमदाबाद और राजकोट आदि नगरों में समाज की शाखाएँ स्थापित कीं और उनमें नियमित रूप से व्याख्यान देने का कार्यक्रम बनाया। १८७० ई० में वे लन्दन गये और वहाँ भी अपने भाषणों से जनता को प्रभावित किया। उन्होंने लन्दन में 'ब्राह्म समाज' की स्थापना की और वहाँ के अनुयायियों को उसके सञ्चालन का भार सौंपा। लन्दन में रहकर बाबू नेशवचन्द्रसेन ने महारानी विक्टोरिया और बेदों के व्याख्याता एवं भारतीय दर्शन तथा इतिहास के ज्ञानी प्रसिद्ध विद्वान् मैक्समूलर से भी भेंट की।

लन्दन से लौटकर उन्होंने भारत में 'इंडियन रिफार्म एसोसिएशन' की स्थापना की। जिसकी कार्य-प्रवृत्ति के पाँच विभाग थे—सस्ते साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण, दान की व्यवस्था, स्त्री विकास, शिक्षा प्रचार और आत्मनिग्रह। उनके इस प्रयास से देश-विदेश में 'ब्राह्म समाज' की लगभग १७३ शाखाएँ और १५०० स्थायी सदस्य थे।

अनेक वर्षों तक सेन बाबू का समाज पर एकाधिकार बना रहा। समाज के अनुयायी उन्हें देवतुल्य मानते थे और साष्टांग प्रणाम करते थे तथा उनके प्रभुत्व को एकनिष्ठ होकर स्वीकार करने थे।

समाज का विभाजन

केशवचन्द्र सेन ने समाज की अधिक व्यापक एवं उदार बनाने की दृष्टि से उसमें कुछ सुधार कार्य किये। उन्होंने अन्तरजातीय विवाहों तथा विधवा विवाह को मान्य घोषित किया और समाज की ओर से ऐसे विवाहों के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया। समाज को अधिक उदार एवं सरल बनाने की बात तक तो बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर को केशवचन्द्र सेन से कोई विरोध नहीं था, किन्तु जब उन्होंने अन्तरजातीय तथा विधवा विवाहों को समाज-सम्मत घोषित किया, तो सेन महोदय से उनका घोर मतभेद हो गया। देवेन्द्रनाथ ठाकुर पुरानी आचार पद्धति के पक्षपाती थे, जबकि केशवचन्द्र सेन अपने नये विचारों के नवयुवक साथियों के सहयोग से समाज में आमूल परिवर्तन करना चाहते थे। परिवर्तन के पक्षपाती वर्ग का कहना था कि यज्ञोपवीत-धारण-सस्कार का बहिष्कार किया जाय और जात-पाँत की प्रथा को समाप्त किया जाये। पुरानी पीढ़ी के वर्ग को ये परिवर्तन मान्य नहीं थे। उनका कहना था कि जात-पाँत की प्रथा को समाप्त करने की बात तो उचित है, किन्तु परम्परागत विवाह सस्था के भारतीय आदर्शों की अवहेलना करके विधवा तथा अन्तरजातीय विवाहों का दृष्टिकोण अनुचित है। यज्ञोपवीत, जो कि वैदिक सस्कारों का एक अंग है और जिसकी पृष्ठभूमि में ब्रह्मचर्यपूर्वक रहकर चरित्र निर्माण की भावना निहित है उसको त्याग दिया जाय। वस्तुतः जिस उद्देश्य से 'ब्राह्म समाज' के आदर्शों को महामना राजा राममोहनराय ने अभिव्यक्त किया था और पाश्चात्य सभ्यता एवं आचारों के देश-व्यापी प्रभाव से अछूता रहने का आदर्श जन-सामान्य के समक्ष रखा था, उनकी उपेक्षा करना, धर्मसंस्था के मूल आदर्शों को ही मिटा देना है।

इन मतभेदों के कारण ११ नवम्बर, १९६४-६५ को बाबू केशवचन्द्र सेन के अनुयायी वर्ग ने 'भारतवर्षीय ब्रह्म समाज' या 'प्रार्थना समाज' या

'नव ब्राह्मसमाज' के नाम से समाज का नया नामकरण किया। उधर बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर के अनुयायी वर्ग ने भी अपनी धर्मस्थिति का नया नामकरण किया 'आदि ब्राह्म समाज'। 'आदि ब्राह्म समाज' राजा राममोहनराय तथा बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा निश्चित नियमों का पालन था और दूसरा इतना उदार था कि उनमें सीमा-रेखाओं की बद्धता को नकार दिया गया था। इस दूसरे वर्ग के 'भारतवर्षीय ब्राह्म समाज' के धर्म-चिन्तन के लिये हिन्दू धर्मियों के अतिरिक्त ईसाई, मुस्लिम, जोरोस्ट्रियायी कनफ्यूशियस आदि अन्यान्य धर्मों के धर्मियों का भी पाठ दिया जाने लगा। उसको मानवतावादी धर्म के रूप में प्रचारित किया गया, किन्तु जितना ही वह सुधारवादी हुआ, अपनी मूल-परम्पराओं को छोड़ता गया और इस कारण सेन बाबू के जीवन-काल में ही उसे जन-सामान्य ने अस्वीकार कर दिया।

इस धर्मशास्त्रा के हाथ के अन्य भी कारण थे। जब बाबू केशवचन्द्र सेन लन्दन से लौटकर आये तो उन्होंने १८७८ ई० में स्वयं की ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया, जिससे प्रबुद्ध समाज आशङ्कित हुआ। जिस अवतारवाद को इस समाज में कोई स्थान नहीं दिया गया था, सेन बाबू द्वारा स्वयं को अवतारी पुरुष घोषित करना एक योग्य कल्पना थी। उन्होंने परम्परा के आदर्शों एवं सवैधानिक नियमों की उपेक्षा कर अपनी १३ वर्षीया पुत्री का विवाह कूच बिहार के नवयुवक महाराज के साथ कर दिया। इस घटना से जन-सामान्य ही नहीं, उनके समाज के लोग भी क्षुब्ध हो उठे। इस क्षोभ को व्यक्त करने के लिये १५ मई, १८७८ ई० को कलकत्ता के टाउनहाल में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। उसमें सेनबाबू के समाज का बहिष्कार किया गया और उनके कुछ अनुयायियों ने 'साधारण समाज' के नाम से एक तीसरी धर्मशास्त्रा की स्थापना की। इस नये समाज की स्थापना हो जाने के पश्चात् सेनबाबू का 'भारतवर्षीय ब्राह्म समाज' प्रायः क्षीण पड़ गया। उससे सेन बाबू के समाज को बड़ा आघात लगा। १८८४ ई० में सेन बाबू का निधन हो गया।

बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने भी विज्ञ होकर समाज का कार्यभार बाबू राजनारायण बोस पर सौंपकर स्वयं उससे अलग हो गये।

आगे चलकर १९१४-१५ ई० में इस समाज के कुछ अनुयायियों ने 'आर्यन प्रदरहुड' नाम से एक नयी धर्मशास्त्रा की जन्म दिया। उसमें आचारों तथा जातीय विषयों को अधिक उदार एवं सहज बनाया गया था, किन्तु वह भी विशेष प्रगति न कर सकी।

आर्य समाज

भारत में २०वीं शती के मध्य में जिन समाज सुधार संगठनों एवं धर्मशाखाओं का जन्म हुआ, उनमें 'आर्य समाज' का भी एक नाम है। इस धर्मशाखा के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। उनका जन्म मोरवी राज्य (काठियावाड़) स्थित टकारा नामक गाँव में १८२४ ई० (१८८१ वि०) को हुआ था। उनका पितृप्रदत्त गृहनाम मूलदाकर था। उनके पिता का नाम अम्बादाकर था, जो कि औदिच्य ब्राह्मण और शैवमतानुयायी थे।

उपनयन-संस्कार के बाद ही आठ वर्ष की अवस्था में ही उनकी संस्कृत की शिक्षा आरम्भ कर दी गयी थी। इसी समय उनकी अद्भुत प्रतिभा के लक्षण प्रकट होने लग गये थे। घर पर ही अध्ययन करते हुये उन्होंने कुछ दिन विताये। कहा जाता है कि जब वे बालक ही थे, एक दिन शिवरात्रि के उत्सव पर शिवमन्दिर में पूजा करने के लिये गये। उन्होंने वहाँ देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक चुहिया दौड़ रही है। यह देखकर उनके वात्सुल्य निर्मल मन पर भगवान् की शक्ति एवं महिमा के प्रति अनिष्टा एवं अनिच्छा हो गयी। मूर्तिपूजा से उनकी आस्था समाप्त हो गयी।

समय के साथ ही उनकी वैचारिक वचनी बढ़ती गयी। एक दिन वे चुपचाप घर से निकल पड़े। तब उनकी अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। घर से निकलकर वे साधु-सन्ता की जमात में सम्मिलित हो गये। पिता एवं उनका परिवार उनके एकाएक गृहत्याग से चिन्तित था। उनके पिता को पता चला कि मूलदाकर साधुओं की मण्डली के साथ सिद्धपुर में हैं। उनके पिता वहाँ गये और उन्हें पकड़कर साथ ले आये। उन्होंने पुत्र को भगवा वस्त्र पहनाए और उन्हें उचित वस्त्र पहनाय। मूलदाकर पिता के बलात् कहन पर उनके साथ चले आये, किन्तु उनका मन परिवार से विमुख हो गया था। मार्ग में अवसर देखकर वे पिता के चंगुल से भाग निकले। उसके बाद उनको बहुत खोजा गया, किन्तु वे कहीं नहीं मिले।

कुछ दिन वे उसी प्रकार साधु सन्ता के सत्संग में रहे और तत्पश्चात् उत्तर हिमालय पर बदरिकाश्रम की यात्रा पर चले गये। वहाँ वे कई वर्षों तक घोर तप एवं यागाभ्यास करते रहे। अपनी एकनिष्ठ एकाग्रता के कारण उनके अन्तःकरण में ज्ञान का प्रकाश हुआ और देहाटन करते हुये वे काशी पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रहकर उन्होंने वेदाध्ययन किया। काशी के अनेक वेद-वेदांग-वेत्ता विद्वानों से उन्होंने शास्त्रों का गभीर अध्ययन किया।

इसी बीच चान्दोद (गुजरात) में सन्यासियों का एक बृहत् सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें सम्मिलित होने के लिये वे गुजरात गये। इसी समय ज्वालापुरी के निकट उनकी भेंट स्वामी पूर्णानन्दजी से हुई, जो कि दण्डी सन्यासी थे। उनके आश्रम में रहकर स्वामीजी ने सन्यास की विधिबद्ध शिक्षा ली। शिक्षा के समय उनका दयानन्द सरस्वती के नाम से नया नामकरण हुआ। सन्यास-दीक्षा के समय उनकी आयु २३ वर्ष की थी।

वहाँ से वे सन्यासियों और तत्त्ववेत्ता विद्वानों का सत्संग करते हुये १९१७ वि० के आरम्भ में मथुरा पहुँचे। वहाँ वे प्रजाचक्षु उद्भट दार्शनिक विद्वान् दण्डी स्वामी विरजानन्द के आश्रम में गये। स्वामी विरजानन्द उनके ज्ञानगुरु थे। उनके अन्तर्वासित्व में रहकर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद, वेदांग, उपनिषद्, गीता और दर्शनो का गभीर अध्ययन किया। वहाँ वे सात वर्ष रहे।

जब स्वामीजी पूर्णप्रज्ञ हो चुके थे। गुरुवरणों से दक्षिणात्यरूप वेद-प्रचार और मूर्ति-पूजा के सफ़टन की प्रतिज्ञा कर वे देश-देशान्तर प्रचार-कार्य के लिये निकल पड़े। वे दक्षिण में बम्बई, पूना, दिल्ली, पूर्व में कलकत्ता तथा पश्चिम लाहौर तक अपने उपदेशों के प्रचारार्थ गये। इसी बीच प्रतिष्ठ पण्डितों, मौलवियों तथा पाश्चि्यों से उन्होंने साक्षात्कार किया और साक्षात्कार में अपने मत का सफ़टन किया। जहाँ भी वे गये, उन्होंने 'समाज' की गान्हाएँ स्थापित कीं। मूर्तिपूजा और कर्नकाण्ड के पास्तण्डो तथा जाति-वर्ण की धार्मिक तथा सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध किया और उनकी व्यर्थता मिट्ट करने के लिये शास्त्रीय तर्क दिये। इसी बीच वागी में १७ नवम्बर, १८६० ई० (१९१७ वि०) में आत्मज्ञानी राजा जयचरण के सभापतित्व में एक विद्वत्सभा का आयोजन हुआ। उसमें सुदूर अंचलों के विद्वानों, धर्मवेत्ताओं ने भाग लिया। इस सभा में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मूर्तिपूजा का सफ़टन और वेदधर्म का प्रतिपादन कर अपने विलक्षण पाण्डित्य का परिचय दिया। उनकी नवीन वेदव्याख्या का अनेक विद्वानों ने घोर विरोध किया, किन्तु वे अपने सकल्प पर अडिग बने रहे।

भारत के सभी अंचलों का घ्रमण कर स्वामीजी ने पाया कि समाज में धर्म की जो मान्यताएँ प्रचलित हैं, वे अनित्य करनेवाली हैं और उनकी कुछ बातें वेद धर्मनिष्कूल नहीं हैं। ये उत्पत्ताहीन धर्मचिन्तकों एवं धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं के सरपानक महापुरुषों से मिले। उन्होंने 'ब्राह्म समाज' के देवधि देवेन्द्रनाथ ठाकुर एवं केशवचन्द्र सेन, ब्रह्मविद्या सभान (पियोसाँधिरल सोसाइटी) की र्भंडम इजावात्स्वी एवं कर्नट अल्फोड, प्रार्थनासमाज के

श्रीभोलानाथ साराभाई, रिक्कार्ड इस्लाम के सर सैय्यद और ईसाई पादरी डा० टी० जे० स्काट एव रे० जे० ग्रे आदि युगधर्म प्रवर्तक प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिले। ब्रह्मविद्या समाज के तौ वे सर्वसमत सभापति भी रहे।

अपने युग की इन प्रचलित धर्मशाखाओं के उद्देश्यों का उन्होंने अनुशीलन किया और अन्तत यह निश्चय किया कि भारतीय समाज को एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो परम्परागत है और जिसमें समाज की वास्तविक आस्था एव विश्वास है। अपने दम निश्चय को कार्यरूप देने के लिये उन्होंने १० अप्रैल, १८७५ ई० (५ चैत्र, १९३२ वि०) को बम्बई में 'आर्य समाज' अर्थात् 'भद्रजनो का समाज' या भद्रसभा (आर्य = भद्र, समाज = सभा) की स्थापना की। 'आर्य' शब्द अपने आप में भारत की पुरातन ऐतिहासिक गरिमा और देश-प्रेम का प्रतीक है।

स्वामीजी सभी धर्म दर्शनों के ज्ञाता थे। ऋग्वेद और वेदान्त में उनकी गभीर जानकारी थी। फिर भी उन्होंने इन दोनों विषयों की उपेक्षा कर साख्ययोग को वरण किया। 'भगवद्गीता' के इस योगदर्शन के अनुरूप उन्होंने वेदों का व्याख्यान किया। उन्होंने अपने वेद-भाष्य में वेदधर्म का सर्वोपरि प्रतिपादन किया।

स्वामीजी की इस धर्मसंस्था का लक्ष्य केवल धर्म का मार्ग प्रशस्त करना नहीं था, अपितु उसके आचरण तथा सिद्धान्तों को ग्रहण करने वाले निष्ठावान् समाज की भी आवश्यकता थी। अतः उन्होंने प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिये भी अपने 'समाज' का देशव्यापी अभियान चलाया। बाल-विवाह एव विधवा विवाह और जात पात, वर्ण-वर्ण भेद के वे विरोधी रहे हैं। उन्होंने समाजानुसार शिक्षा, विशेष रूप से स्त्रीशिक्षा, हरिजनोत्थान, अस्पृश्यतानिवारण, अनाथालय, चिकित्सालय, समाजोत्थान और राष्ट्रप्रेम आदि अनेक विषयों को प्रस्थापित किया। ये सभी विषय आज भी समाज के लिये उतने ही आवश्यक हैं। यह स्वामीजी की दूरदर्शिता थी और उनकी धर्म-स्थापना का एक अग समाज में समानता एव एकात्मता को सुदृढ़ करना था। स्वामीजी के मतानुसार यद्यपि पुनर्विवाह निन्द्य है, तथापि विशेष परिस्थितियों में आपद्धर्म समझकर 'नियोग' कर लेना चाहिये।

समाज-सुधार के साथ-साथ स्वामीजी ने हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति और हिन्दी भाषा की रक्षा का भी अभूतपूर्व कार्य किया। समस्त देश में हिन्दुत्व की पताका को फहराते हुये उन्होंने उन लाखों हिन्दुओं को धर्मघ्रष्ट होने से बचाया, जो मुसलमान होने के लिये तैयार थे। उन्होंने ऐसे हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों का हिन्दूकरण किया, जो किसी कारणवश धर्मच्युत हो

गये थे। उन्होंने हिन्दुत्व की रक्षा के साथ ही विदेशी भाषा का बहिष्कार कर हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि की सर्वश्रेष्ठता को प्रस्थापित किया। उन्होंने हिन्दी तथा नागरी में 'सत्यार्थप्रकाश' की रचना कर भाषा तथा लिपि की एकरूपता का सूत्रपात कर देशवासियों को उस ओर प्रेरित किया। उनका राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय लिपि का यह प्रेरणाप्रद कार्य इतिहास की चिरस्मरणीय घटना और आर्य समाज की उल्लेखनीय उपलब्धि है।

स्वामीजी के समाज-सुधार सम्बन्धी विचारों का प्रभाव सारे समाज पर लक्षित हुआ। एक से राजा तक सभी वर्गों और विचारों के लोगों ने 'आर्य समाज' की शिक्षाओं एवं नीति-नियमों को हृदय से अपनाया। मध्य भारत तथा राजस्थान के राज-परिवार स्वामीजी के कट्टर अनुयायी थे। राजस्थान के नरेशों के राजमहलों में वादियों के रूप में वेश्याओं को रखने तथा उनसे वृत्त्य कराने का प्रचलन था। स्वामीजी ने राजमहलों में प्रवेश किया और उन्होंने राजाओं का वेश्यानुराग समाप्त किया। जोधपुर-नरेश उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने दरबार की नन्हीजान नामक वेश्या को बाहर कर दिया। जोधपुर-नरेश उनके पक्के भक्त हो गये।

स्वामीजी के सतत प्रयास से जहाँ एक ओर समाज से पाखण्डों, कुरीतियों तथा आचारों का दमन होकर विशुद्ध वेदधर्म का प्रचार-प्रसार हुआ, वहाँ दूसरी ओर उनके अनेक वट्टर शत्रु भी बन गये। जिन दिनों स्वामीजी जोधपुर-नरेश के यहाँ रह रहे थे, उनके विरोधियों ने एक निन्दनीय पङ्क्त की रचना की। नन्हीजान नामक वेश्या ने स्वामीजी के रमोइया जगन्नाथ को प्रलोभन देकर स्वामीजी को दूध में काँच का चूर्ण खिला दिया। स्वामीजी को इस पङ्क्त का पता चल गया। वे चिक्किता के लिये आबू और अजमेर गये, किन्तु सब व्यर्थ हुआ। दीपावली के दिन ३० अक्टूबर, १८८३ ई० (कार्तिक अमावस्या १९४० वि०) को अजमेर में स्वामीजी ने शरीर त्याग किया।

ग्रन्थ-रचना

स्वामी दयानन्द सरस्वती सर्वांगीण विद्वान् थे। उन्होंने शास्त्र निदोतों को अपने जीवन और जन-जीवन में उतारा। उनका 'वेदभाष्य' उनकी अद्भुत प्रतिभा और गभीर ज्ञान का परिचायक है। महर्षि अरविन्द ने उनके भाष्य को वेदज्ञान की कुजी कहा है। उन्होंने 'सायणभाष्य' का गभीर अध्ययन कर मैक्समूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों के वेदविषयक मन्तव्यों का सफ़टन कर वेद-व्याख्या का नया भारतीय दृष्टिकोण स्थापित किया। उनके द्वारा विरचित

‘सत्यायं प्रकाश’ आधुनिक भारत की धर्म-कर्म संहिता है। उसका भारत के सभी धर्मों के अनुयायियों में प्रचार-प्रसार है। उसका निर्माण उन्होंने हिन्दी में किया।

सिद्धान्त-निरूपण

आर्य समाज का धर्म-विज्ञान वेदों पर आधारित है। स्वामीजी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान और धर्म का अन्तिम प्रमाण माना है। ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण वे पवित्र और पूर्ण हैं। वेद ही एकमात्र सच्चं ज्ञान ग्रन्थ हैं और उनको पढ़ना, सुनना तथा उनका ज्ञान दूसरे को देना, प्रत्येक आर्य का पुनित कर्तव्य है। उन्होंने वेदों के सत्यधर्म का निरूपण करते हुये यह स्थापित किया कि परमात्मा सर्वव्यापी तथा निराकार है और वह अचतार धारण नहीं करता है। मूर्तिपूजा व्यर्थ का पाखण्ड है। बालविवाह पतित और वेदविरुद्ध है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। पुनर्जन्म की प्रक्रिया शाश्वत है। वर्ण-व्यवस्था परम्परागत एवं जातिगत नहीं है, अपितु गुण-कर्मानुसार होती है। द्विजमात्र को नित्यकर्म और सोलह सप्ताहों का पालन करना चाहिये। ‘सत्यायं प्रकाश’ में उन्होंने समस्त धर्मों तथा दर्शनों का समादार करने का निर्देश दिया है।

स्वामीजी के मत से जीव और ईश्वर भिन्न-भिन्न हैं। स्वामीजी का आत्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी दृष्टिकोण उपनिषदों से प्रभावित है। उन्होंने आत्मा को नित्य एवं अविनाशी माना है। एक वृक्ष पर बैठे हुये दो पक्षियों की भाँति जीवात्मा तथा परमात्मा की स्थिति है। जीवात्मा सुस्वादु फलों का भक्षण करता है, जब कि परमात्मा केवल द्रष्टा है। बर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से पुनर्जन्म का बन्धन विच्छिन्न कर मोक्षत्व प्राप्त किया जा सकता है। दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को ही उन्होंने मोक्ष बताया है। समस्त ज्ञान का कारण ईश्वर है। वह सत्य है, सर्वज्ञानमय है, सौन्दर्यमय है, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, अपरिवर्तनशील, अनादि, अतुलनीय सबका पालनकर्ता, स्वामी, सर्वव्याप्त, सर्वज्ञ, अजर-अमर तथा पापरहित है। ईश्वर परम पवित्र और सृष्टि का कारण है। उसी की एकमात्र पूजा करनी चाहिये।

आचार

सत्यविद्या और धर्म का एकमात्र मूल वेद है। अतः सर्वतोभावेन वही मान्य है। वेदविहित सत्यधर्म के सम्बन्ध में मनु ने ‘मनुस्मृति’ में जिन दस लक्षणों का उल्लेख किया है, उनके अनुसार आचार करना चाहिए। वेदानुरूप

आचरण करना ही धर्म है। प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी जाति या मत का हो, मुक्ति-संस्कार करने पर और दसविध विद्यों का पालन-आचरण करने पर वह आर्य समाज में प्रविष्ट हो सकता है।

आर्य समाज की आचार संहिता के अग दसविध आचारों का स्वरूप इस प्रकार है—१. ममस्त पदार्थों का मूल परमेश्वर है। २. परमेश्वर सच्चिदानन्द, निराकार सर्वव्यापी, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करनी चाहिये। ३. वेद मत्त-विद्याशा का भण्डार है। पन्म वर्तव्य तमसकर उसका अध्थयन अध्यापन और श्रवण तथा व्याख्यान करना चाहिये। ४. मत्त का ग्रहण और अमत्त का परित्याग करना चाहिये। ५. ममस्त कर्मों में धर्मानुष्प सद्व्यवहार का विचार कर उन्हें सम्पादित करना चाहिये। ६. समाज का प्रधान उद्देश्य है—सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उत्तम का उपकार करना। ७. सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुष्प व्यवहार करना चाहिये। ८. अधिद्या का नाम और विद्या की उपस्थि करनी चाहिये। ९. प्रत्येक मनुष्य को न केवल अपनी उत्थति में, अपितु सबकी उत्थति में सन्तुष्ट होना चाहिये। १०. सबको सभी प्रकार के सामाजिक अहितकारी नियमों के पालन में परतन और प्रत्येक हितकारी नियमों के पालन में स्वतन्त्र रहना चाहिये।

परम्परा का प्रवर्तन

स्वामीजी के जीवनकाल में ही, उनके निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप आर्य समाज का ममस्त मध्यभारत, उत्तरभारत, राजस्थान और पश्चिम भारत में व्यापक प्रचार-प्रसार हो चुका था। बाहरी देशों में भी उनका सदेश पहुँच चुका था। देश के प्राय सभी क्षेत्रों में उन्होंने आर्य समाज की शाखाएँ स्थापित कीं। उन शाखाओं के प्रचारकों द्वारा आर्य समाज का प्रसार निरन्तर होता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। आर्य समाज की भावी परम्परा का व्यापक प्रचार-प्रसार होने के साथ ही उसमें कुछ विद्यमानताएँ भी उत्पन्न हुईं।

स्वामीजी के शरीरत्याग के कुछ वर्षों बाद ही आषगमाजी मतानुयायियों में सात पान के मतभेदों के कारण दो वर्ग बन गये—भासभाषी वर्ग और साकाहारी वर्ग। इसी प्रकार शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों एवं नीतियों को लेकर दो दल बन गये—कालेजपार्टी और महात्मापार्टी। कालेजपार्टी ने लाहौर में 'दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज' की और महात्मापार्टी ने हरिद्वार में 'शुद्धुल' की स्थापना की।

सगठन की दृष्टि से भी आर्यसमाज के तीन अंग हैं—स्थानीय समाज, प्रान्तीय समाज और सावंदेशिक समाज । इन तीनों समाजों के प्रतिनिधि ही समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का सम्पादन और उसका प्रचार-प्रसार तथा सगठन कार्य करते हैं । प्रचारक और शिक्षक भी दो प्रकार के हैं—एक वेतन-भोगी और दूसरे अवैतनिक । पहला वर्ग शिक्षा और दूसरा उपदेश पर बल देता है ।

आर्यसमाजी लोग सप्ताह में एक दिन रविवार को सत्संग एव हवन करते हैं । हवन के समय वेदमंत्रों का सामूहिक उच्चारण होता है । फिर उपदेश एव शिक्षा विषयक प्रवचन होते हैं । उपदेश के लिये कोई नियत आचार्य या पुरोहित नहीं होता है, अपितु कोई भी सुयोग्य एव विज्ञ व्यक्ति पूजन-हवन-उपदेश का संचालन कर सकता है ।

आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र लाहौर में था, किन्तु लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के कारण आजकल दिल्ली उसका मुख्य केन्द्र है । उसकी शाखाएँ भारत के अतिरिक्त बर्मा, पूर्वी अफ्रीका, मारीशस और फिजी आदि द्वीपों में धर्मप्रचार में कार्यरत हैं ।

आर्यसमाजी विद्वानों ने बौद्धों तथा हिन्दू धर्म-संस्कृति पर अनेक विद्वत्ता-पूर्ण ग्रन्थों की रचना की । इसी प्रकार अनेक अज्ञात ग्रन्थों को प्रकाश में लाकर साहित्य को समृद्ध किया । उन्होंने पुराणों की प्रतीकात्मक कथाओं का इतिहास के आलोक में समालोचित कर उनकी वास्तविकता एव उपयोगिता को प्रतिपादित किया । भारतीय इतिहास की भ्रामक विधियों का भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया और इतिहास को नयी दृष्टि दी ।



ब्रह्मविद्या समाज

(थियोमॉर्फिकल सोसाइटी)

भारतीय धार्मिक इतिहास के आधुनिक युग में जिन सुधारवादी सगठनों ने धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, उनमें 'ब्रह्मविद्या समाज' या थियोमॉर्फिकल सोसाइटी' का नाम महत्वपूर्ण है। समस्त धर्म तथा दर्शन का मूलाधार मत्स्य ही थियोमॉफी' है और सब प्रकार के भेद-भावा से रहित मत्स्यान्वेषियों का समूह ही 'थियोमॉर्फिकल सोसाइटी' है। जिस प्रकार हिन्दू धर्म में 'ब्रह्मविद्या', ईसाई धर्म में 'नोटि-मिज्म' और इस्लाम धर्म में 'सूफीज्म' है, उसी प्रकार प्राचीन अर्वाचीन धर्म-दर्शन विचारधारा का पर्याय 'थियोमॉफी' है।

इस सगठन की संस्थापिका एव रमियन महिला मैडम हेलना पैट्रोपना ब्लावात्स्की (या थ्येवेट्स्की) थी। मन्त स्वभाव की इस महिला ने किसी अज्ञात नाम के महात्मा से 'योगविद्या' का ज्ञान प्राप्त किया और उनमें प्रभावित होकर अपने उद्देश्य की खोज के लिये वह रूस से अमेरिका गई। वहाँ उनकी भेंट एक मद्गृहस्थ सेवानिवृत्त वयोवृद्ध व्यक्ति कर्नल हेनरी स्टील अल्कोट से हुई। कर्नल से उनकी योगविद्या विषय पर विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही उन्होंने योगविद्या-विषयक रहस्यों को प्रकट किया। कर्नल में मैडम ब्लावात्स्की की गभीर मननणा हुई और दोनों ने एकमत होकर एक सुस्थिर सगठन बनाने की योजना को कार्यरूप देने का निश्चय किया। उन्होंने न्यूयार्क (अमेरिका) में १७ नवम्बर, १८७५ ई० को 'थियोमॉर्फिकल सोसाइटी' के नाम से एक संस्था की स्थापना की।

इस सगठन की अधिक प्रभावशाली एव विश्वव्यापी रूप देने के लिये उनका ध्यान योगविद्या की जन्मभूमि भारत की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने यह भी ज्ञात किया कि योगविद्या पर विपुल ज्ञान की उपलब्धि का एकमात्र स्थान भारत ही है। उन दिनों भारत में 'आर्य समाज' के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का नाम विदेशों तक फैल चुका था। अतः १८७८ ई० को उन्होंने स्वामीजी से पत्र-व्यवहार किया और उनका सन्तोषजनक उत्तर पाकर २२ मई, १८७८ ई० को न्यूयार्क में ही सोसाइटी का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया। उस अधिवेशन में सर्वसम्मति से स्वामी दयानन्द सरस्वती को आचार्यपद प्रदान करने का प्रस्ताव पारित

किया। तत्पश्चात् मैडम और कर्नल भारत आये और स्वामीजी ने साथ रहकर धर्मप्रचार में लग गये।

कुछ समय उन्होंने स्वामीजी के साथ रहकर कार्य किया। इसी बीच उन्होंने राजा राममोहनराय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा श्रीकेशवचन्द्र सेन प्रभृति जिज्ञासु ज्ञानी पुरुषों द्वारा सस्थापित 'ब्राह्म समाज' के उद्देश्यों से भी परिचय प्राप्त किया। उन्होंने बड़े मनोयोग से भारत में प्रचलित एवं बहुमह्यक समाज द्वारा वरण किये गये इन दोनों धार्मिक सगठनों के विचारों का अनुशीलन किया। तत्पश्चात् इन पाश्चात्य तत्त्व-जिज्ञासुओं ने यह अनुभव किया कि वे जिस विचारधारा का विकास-विस्तार करने के इच्छुक हैं, उसका सामंजस्य न तो 'आर्य समाज' से और न 'ब्राह्म समाज' से ही वैठता है। 'आर्य समाज' में मूर्तिपूजा, अवतारवाद आदि का खण्डन किया गया है और 'ब्राह्म समाज' एक ऐसे सिद्धान्त की स्थापना की ओर अप्रसर है, जो कि जन-मामान्य की दृष्टि से दुर्बल है।

इन सब सभावनाओं का विश्लेषण कर दोनों पाश्चात्य सन्तों ने स्वतंत्र सगठन की स्थापना का विचार किया। सर्वथा उपयुक्त स्थान देखकर उन्होंने मद्रास से लगभग सात मील की दूरी पर अवस्थित आडियार में १८८२ ई० को 'ब्रह्मविद्या समाज' का प्रधान कार्यालय स्थापित किया। इससे पूर्व १८७९ ई० को सोसाइटी की एक शाखा वे बम्बई में स्थापित कर चुके थे। आडियार की इन राष्ट्रीय शाखा के प्रथम प्रधानमन्त्री वट्टरम कैंटले थे। तत्पश्चात् १८९५ ई० को वाराणसी में भी सोसाइटी की एक शाखा खोली गयी। सोसाइटी का आडियार स्थित प्रधान कार्यालय का अनेक रूपों में निरंतर विस्तार होता गया। उसका हस्तलिखित ग्रन्थ-पुस्तकालय न केवल भारत में, अपितु समस्त विश्व में अपने ढंग का एक अद्भुत ज्ञान-भण्डार है।

इस धर्म समाज को न केवल भारतवासियों ने, अपितु विश्व के बहु-संख्यक धर्मावलम्बियों ने अपनाया। भारत में उसके अनेक अधिवेशन हुये। मैडम ब्लावात्स्की के पश्चात् सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट हुई। २०वीं शती की प्रसिद्ध विदुषी, समाजसेविका एवं दयामयी महिला श्रीमती एनी बेसेंट ने हिन्दुत्व का एक अग मानवर ब्रह्मविद्या समाज' के उदार सिद्धान्तों को अधिक व्यापक बनाने में आजीवन प्रयास किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने भारत में इस संस्था का संचालन किया।

इस उद्देश, उदात्त एवं सामन्वयात्मक विचारधारा के समाज में वे सभी भारतीय सम्मिलित हुये, जो 'आर्य समाज' तथा 'ब्राह्म समाज' के विचारों में महमत नहीं थे। स्वेच्छा से अपने विचारों तथा आचारों का पालन करने

हूये, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किये बिना, आत्मचिन्तन का उचित मार्ग समझकर भारत तथा विश्व का बहुसंख्यक समाज इस सगठन का अनुयायी बना। आज इन सस्या की ५५ देशों में शाखाएँ उपशाखाएँ विद्यमान हैं और लगभग ३५ हजार से अधिक उसके सदस्यों की संख्या है।

कुछ वर्षों तक भारत में इस सस्या का वनेंस्व व्यापक रूप से बना रहा किन्तु जहाँ विश्व का अधिमख्य मानव समाज उतकी ओर उन्मुख होता गया, भारत में उसके प्रचार प्रसार में बाधाएँ उत्पन्न होती गईं। श्रीमती एनी बेसेंट के मन्त्रपासो के फलस्वरूप भी भारत में मोसाइटी की लोकप्रियता कम होती गई। उमरे कई कारण थे। उसमें प्रधान कारण पारस्परिक वैमनस्य एव मतभेद था। मोसाइटी के भीतर कुछ अन्धविश्वासी लोगों का एक समुदाय बन गया था। इस गुप्त समुदाय में ऐसे विवादास्पद तथा अवाञ्छित लोग जुड गये थे कि जनसामान्य में जिनके प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। इन लोगों ने अपना एकाग्रिकार एव प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की नई मान्यताएँ स्थापित की कि राम, कृष्ण, बुद्ध, जरायुश्च, ईसू और मैनेय आदि विभिन्न अवतारी महात्मा एव महापुरुष एक ही मूल आत्मा के रूपान्तर हैं। इनी वर्ग ने यह घोषित किया कि थियोपिस्ट पेजनेर नारायण अय्यर के घर प्रभू रूप में कृष्णामूर्ति नामक एक अवतारी बालक का जन्म हुआ है, जो बड़ा होकर विश्व को उपदेश देगा और मानव समाज के लिये सन्मार्ग का निर्देशन करेगा।

श्रीमती एनी बेसेंट भी उम चमत्कारी बालक में प्रभावित हुई। उन्होंने नारायण अय्यर को समझा बुझाकर कृष्णामूर्ति को अपने साथ १९११ ई० में अष्टयनाथ इंग्लैण्ड ले गईं। वे उस बालक को आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रखना चाहती थी, किन्तु वैसे व्यवस्था न होने के कारण वे उसे साथ लेकर भारत लौट आईं। कुछ दिन बाद उन्होंने पुन लंडी-बीटर के साथ कृष्णामूर्ति को इंग्लैण्ड भेज दिया।

इधर मोसाइटी के भीतर रहस्यमय व्यक्तियों का जो समुदाय बन गया था, उसके कारण मोसाइटी की प्रतिष्ठा एव ख्याति को आपात लगा। पारस्परिक विवाद की स्थिति महाँ तक पहुँची कि विरोधियों के उकसाने पर नारायण अय्यर ने श्रीमती एनी बेसेंट पर मद्रास हाईकोर्ट में इस आशय का एक मुकदमा दायर कर दिया कि उनके पुत्र को लौटा दिया जाये। १९१३ ई० में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि कृष्णामूर्ति को उसके पिता को लौटा दिया जाये।

अवतारी कृष्णामूर्ति विषयक यह विवाद सोसाइटी के विस्फोटन का कारण बना। निष्ठावान् जन-सामान्य उमसे अलग होने लगा। श्रीमती एनी बेसेंट के प्रति भी विवेकशील समाज की धारणा उनकी इस घोषणा से कम हो गई, जब उन्होंने घोषित किया कि वे पूर्वजन्म में भारतीय थीं। इस प्रकार के अन्धविश्वासों का यह परिणाम हुआ कि भारत में 'ब्रह्म विद्या समाज' का प्रभाव एक अस्तित्व निरन्तर क्षीण होता गया।

सिद्धान्त-निरूपण

ब्रह्मविद्या समाज के अपने उदात्त मानवीय सिद्धान्त हैं। उमसे पूर्व तथा पश्चिम के शाश्वत विचारों का समन्वय है। उमसे धर्म के उदात्त मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। उसकी विशेषता यह है कि उमसे सर्व-धर्म समन्वय के उच्च आदर्श निहित हैं। उमके प्रत्येक अनुयायी को यह अधिकार दिया गया है कि सत्य का अन्वेषण करते हुये जिसको जो उपयोगी लगे एक योग्य लगे, उसे ग्रहण करने के लिये वह स्वतन्त्र है। धर्म की शाश्वत, चिरन्तन मान्यताओं को अपनाते हुये प्रत्येक मत्यान्वेषी आचार एक चरित्र की शुद्धता पर निष्ठावान् बना रहे। मत्स्य धर्म का पाठन करते हुये वह पुष्पाञ्जन करे। दूसरों के हित तथा कल्याण की इच्छा से उनके दोषों का इमलिये उनके समक्ष उद्घाटित न करना कि उनको दुःख होगा पाप है। उनको प्रकट करने में पाप नहीं होगा।

भारत में ब्रह्मविद्या पर जो अगाध चिन्तन हुआ है और वहाँ गृह्यविद्या के जो चमत्कारी रहस्य प्रकट हैं, उनकी खोज करना और उन्हें सामान्य मानव बुद्धि के अनुरूप प्रकाशित करना इस सोसाइटी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। सामारिकता से अलग रहकर ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है।

इस समस्या के तत्त्वज्ञानियों का मत है कि वेदमन्त्रों के ध्यान में गति, रग, रूप और शक्ति है। उनका यदि एकाग्रचित्त से यथाविधि अनुष्ठान किया जाये, तो उनकी मिद्धि में, उनसे साक्षात्कार करने में कोई सन्देह नहीं है। धर्मशास्त्र तथा पुराणों में जहाँ तक कथा-विस्तार और रूपक एक प्रतीक रचना का सम्बन्ध है, उनकी उनमें शब्दार्थ तक ही सीमित न रखकर उनके गूढार्थों की खोज करनी चाहिये।

सैद्धान्तिक दृष्टि से इस समस्या के अनुयायी पुनर्जन्म, परलोक और अवतारवाद के समर्थक हैं। इस दृष्टि से यह मत हिन्दुत्व मान्यताओं के अधिक निकट है। इस मत के अनुसार यद्यपि अनादि, अद्वैत ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तथापि जगदुत्पत्ति के प्रयोजन में वह प्रकृति-पुरुष के द्वैतरूप में भी मत्तावान् है। 'भगवद्गीता', धर्मशास्त्र और पुराणों की मान्यताओं को स्वीकार करते

हुये इस मत में कर्मयोग के सिद्धान्त को प्रमुख स्थान दिया गया है। मनुष्य के आचार-विचार के अनुरूप ही उसके कर्म होते हैं और कर्मानुरूप ही उसकी नियति (भाग्य) होती है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है और उसी से परलोक का सुधार होना है। भाग्य के भरोसे अकर्मण्य होकर बैठे रहना मूर्खता है। मनुष्य के जन्मान्तर में उसके कर्मों का लेखा-ओला उसके साथ रहता है। पुरुषार्थ द्वारा कर्मों के दुष्परिणामों को बदला जा सकता है। कर्म-सिद्धान्त मनुष्य को यह बताता है कि भूतकालीन कर्मों का परिणाम वह वर्तमान जीवन में और वर्तमान जीवन के कर्मों का फलोग्रभोग भविष्य जीवन में करता है। इसीलिये भावी सुफल की आकांक्षा से वह वर्तमान जीवन में सत्कर्मों के अर्जन की ओर स्वतः ही प्रवृत्त होता है। पृथ्वीलोक में मनुष्य के जीवन धारण का एकमात्र उद्देश्य है आत्मसयम। जीवन की आत्मसयमी बनाकर जब वह जन्मान्तर प्राप्त करता है तो उसे दुष्प्रवृत्तियों से जूझना नहीं पड़ता है।

इस मत में अवतारवाद को माना गया है और उसकी वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की गयी है। वहाँ यह माना गया है कि दशावतार वस्तुतः मानव-मृष्टि के विकास के प्रतीक हैं। अपनी आरम्भभावस्था से लेकर अब तक मानव ने जिस क्रम एवं रूप में अपने स्वल्प विचार-बुद्धि-बल आदि का विकास किया, तदनु रूप अवतारों की रूपना ली गई है। राम, कृष्ण, ईसा तथा जरासुरज आदि ऐसे ही अवतारों महारत्ना ये। ईश्वर मानव-कल्याण के लिये अवतार लेता है और वे योगी, निष्ठ एवं उदाररु के रूप में मानव की प्राप्ति वन्म लेते हैं।

मृष्टि-प्रक्रिया के सम्बन्ध में, 'ब्रह्मविद्या समाज' के अनुयायियों का अभिमत है कि प्रवृत्ति-पुरुष के संयोग में मृष्टि का उदय हुआ है। दोनों तत्त्व सनातन एवं अनादि हैं। यद्यपि अद्वैत ब्रह्म ही परम सत्य है, तथापि मृष्टि-प्रक्रिया के संचालन के लिये उस अद्वैत को प्रवृत्ति-पुरुष रूप में विभक्त (द्वैत) होना पड़ा। मृत मनुष्य का जीवात्मा तब तक स्व-कर्मबन्धनों से मुक्त नहीं हो पाता, जब तक कि उसका घाट न किया जाये।

गुरु के प्रति श्रद्धा-निष्ठा का इस मत में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस मत के अनुसार वर्तमान जगद्गुरु मैत्रेय हैं, जिनका निवास उत्तरी हिमालय पर है। इस हिमालय जगल में ही ऋषि-सच का आवास है और वही सत्तार के आध्यात्मिक आधार भगवान् सनत्कुमार का निवास है।

इस सस्था का अपना वृहत्माहिस्य है, जो कि प्राय अंग्रेजी में है। उसमें सस्था की सर्वोच्च प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

यद्यपि सम्प्रति भारत में 'यियोसॉफिक्ल मोसाइटी' नाम मात्र के लिये है, किन्तु उसके उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों की महनीयता मानव-समाज के लिये सतत प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय बनी रहेगी। सर्व-धर्म-समन्वय द्वारा विश्व-वन्द्यत्व स्थापित करना इस सगठन का मूल उद्देश्य है। उनमें सभी धर्मों, मतों और जाति वर्गों के स्त्री-पुरुष सम्मिलित होने के लिये स्वतंत्र है। प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म, दर्शन, गुरु तथा संस्था से अपना सम्बन्ध बनाये रख सकता है। उसमें आत पाँच, वर्ष, सम्प्रदाय और यहाँ तक कि किसी राष्ट्रविशेष का भेद-भाव नहीं माना जाता है। कोई भी मतावलम्बी अपने दैनिक नैष्ठिक कर्मों को सम्पादित करते हुये, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक, गुरुभक्ति तथा योगसाधना द्वारा कर सकता है और सगठन का सदस्य बन सकता है। इस सगठन में हिन्दू धर्म के आदर्शों के अनुरूप पूर्वजन्म, कर्मवाद, अवतारवाद, पूजा, उपासना, योगसाधना, तप और व्रत द्वारा आत्मकल्याण कर सकता है।

इस समाज के प्रमुख तीन उद्देश्य इस प्रकार हैं—१. मानवजाति के सावंधीय मातृभाव का एक केन्द्र बिना किसी जाति धर्म स्थापित करना, २ विभिन्न धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, और ३ प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानव में अन्तनिहित शक्ति का विकास करना।

उसका एक सर्वव्यापी मत्ता में विश्वास है, जो कि समस्त सृष्टि का मूल स्रोत और सर्वत्र व्याप्त है। उसका लक्ष्य एक ऐसे मानव समाज का निर्माण करना है, जिसमें सेवा, सहिष्णुता, आत्मविश्वास और समानभाव की प्रतिष्ठा है। उसका आदर्श वाक्य है—'सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है' (मर्यादा-ज्ञास्ति परो धर्म)।

इस सोसाइटी का एक चिह्न या मोहर है, जो कि पदकोणयुक्त है और जिसके प्रत्येक कोण प्रतीकात्मक हैं। उसके द्वारा आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तथा आधिदैविक उन्नति का मार्ग प्रजस्त करना है। वह विष्णु की मुद्रा तथा सुलेमान एवं डेविड की मोहर का प्रतीक है।

रामकृष्ण मिशन

आधुनिक विश्व को ज्ञान के आलोक से प्रकाशित करने वाली धर्मसंस्थाओं में 'रामकृष्ण मिशन' का नाम उल्लेखनीय है। इस धर्मसंस्था के जनक स्वामी विवेकानन्द थे। उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर उसकी स्थापना की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारत के विद्याविदों एवं सिद्ध महापुरुषों में थे। उनका जन्म हुगली जिला (बंगाल) के बामारपुकर (या कामापुर) नामक गाँव में १८३६ ई० में हुआ था। बाल्यकाल में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण उन्हें असह्य बच्चों का सामना करना पड़ा और इन्हीं बच्चों एवं निराशाओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। जब वे केवल दस वर्ष के बालक थे, उनमें धर्मानुराग की ली प्रख्यलित हो चुकी थी और उनके व्यक्तित्व के असाधारण चमत्कारी लक्षण प्रकट होने लग गये थे। जो भी मोगी या सन्यासी उन्हें दिखाई देता, वे उसके पास जा बैठते।

इसी विरहभावस्था में किसी प्रकार उन्हें विवाह-बन्धन में बाँध लिया गया, किन्तु परिवार में उनका मन नहीं लगा। सासारिक क्रिया-कलापों के प्रति उनकी उदासीनता बढ़ती ही गयी। वे विभिन्न देवी-देवताओं के भजन एवं ध्यान में दत्तचित्त रहने लगे। कभी-कभी समाधिस्थ होकर वे भगवत्-चिन्तन में ध्यानमग्न हो जाते थे। उषा-ज्यो उनकी अवस्था बढ़ती गयी, एक जन्मसिद्ध योगी के रूप में उनका नाम प्रचारित होने लगा।

घर की विपन्नावस्था ने उनके चिन्तन की एकाग्रता में विषमता उत्पन्न की और वे आजीविका की खोज में घर से निकल पड़े तथा कलकत्ता के निकट एक मन्दिर में पुजारी हो गये। उन दिनों मन्दिर का पुजारी होना एक ब्राह्मण के लिये निकृष्ट कार्य समझा जाता था, किन्तु उन्होंने उसकी कोई चिन्ता नहीं की। मन्दिर में रहने से उन्हें दो लाभ हुये। एक तो उन्हें भगवान् के आराधन पूजन का सुयोग प्राप्त हो गया और दूसरे में साधु-सन्तों का सम्पर्क प्राप्त होता गया।

जिस मन्दिर के वे पुजारी थे, वहाँ आनन्दमयी जगन्माता की एक मूर्ति थी। उसके समक्ष करुणाद्रं होकर वे इतने विह्वल हो उठते कि उनके हृदय की व्यथा आँसुओं में बहने लगती। जगन्माता के ध्यान में वे इतने तल्लीन हो गये कि उन्हें रात-दिन तक का ज्ञान नहीं रहता। स्वामी विवेकानन्द ने

उनकी इस विधिभावस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि माता के दर्शन के लिये वे बिलखने लग जाते थे ।

जगन्माता के प्रति उनकी भक्ति की तन्मयता यहाँ तक बढ़ी कि वे घर-बार त्यागने के लिये तत्पर हो गये । अपनी पत्नी में उन्होंने जगन्माता का रूप देखने का व्रत धारण कर लिया । उनकी इस स्थिति से दुःखित पत्नी ने उन्हें घर चलने के लिये कहा, किन्तु स्वामीजी उसके चरणों में गिर पड़े और उसे 'जगन्माता' कहकर पुकारने लगे । उन्होंने अपार व्यथा को प्रकट करते हुये अपने सकल्प को अपनी पत्नी के सामने रखा । पति की इस स्थिति को देखकर वह उनकी बात मानने के लिये विवश हो गई, किन्तु उसने पति से निवेदन किया कि निष्ठित जीवन बिताती हुई वह पति-सेवा में ही तन्मय रहकर उन्हीं के समीप रहेगी । स्वामीजी ने पत्नी की बात को मान लिया ।

स्वामीजी के जीवन के उद्देश्यों की ये असाधारण गायार्ण समाज में फैलती गयी और जन-समुदाय उनके दर्शनों एवं उपदेशों को सुनने के लिये उनके पास आने लगा । स्वामीजी के सम्बन्ध में यह ज्ञात नहीं होता है कि उन्होंने विधिवत् सन्यास धारण किया या नहीं । किन्तु शक्तिसाधक स्वामी तोतापुरी को स्वामीजी का गुरु बताया जाता है, जो कि शकरमतानुयायी दशनामी सन्यासियों में से थे और इसलिये उनके मिशन या मठों के सन्यासी दशनामी पुरी दाखा के अनुयायी माने जाते हैं ।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने वेद शास्त्रों की विधिवत् शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की थी और न ही किसी विद्वान् के समक्ष बैठकर उन्होंने दर्शन एवं तत्त्व-विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था । जगन्माता की कृपा से उन्हें समस्त वेद शास्त्र, तत्त्वज्ञान स्वतः सिद्ध हो चुके थे । उन्होंने स्वतः प्रेरणा से प्रचलित धर्मों तथा धर्माचार्यों से परिचय प्राप्त किया । वे विभिन्न धर्मों के तत्त्व को जानने की इच्छा से मुसलमान फकीरों तथा ईसाई पादरियों के पास गये । उन्होंने अनुभव किया कि विभिन्न धर्मों में ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग आदि का विभिन्न रूपों में आधार लिया गया है, किन्तु सबका अन्तिम लक्ष्य एक ही है ।

सत्यज्ञान की प्राप्ति के लिये स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने आत्मसयमी, चरित्रवान् और समभावयुक्त होने का उपदेश दिया । उनके उपदेशों को सुनने के लिये प्रतिदिन लोग आते और आत्मशान्ति प्राप्त कर लौटते थे । उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था । वे बोलचाल की सरल, किन्तु ओजस्वी भाषा में सत्यधर्म का गभीर निरूपण करते और उसको सुनकर श्रोताजन इतने प्रभावित होते कि वे सहसा उनके चरणों में आत्ममर्पण कर देते थे ।

इस प्रकार एक विलक्षण बुद्धि, सिद्ध, आत्मदर्शी महापुरुष के रूप में स्वामीजी का नाम न केवल भारत में, अपितु विदेशों तक फैल गया था। प्रतिदिन सुदूर अचलो से ज्ञान विषामु लोग उनके पास आते और अपनी विषामा को पूर्ण कर लौटते थे। कहा जाता है कि उनकी सिद्धि का कारण भगवती जगन्माता थी। उनकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर आनन्दमयी माँ स्वयं प्रकट हुई थी और स्वामीजी को उन्होंने साक्षात् दर्शन दिया था।

जीवन के उत्तरार्द्ध में स्वामीजी ने एकान्त में रहकर आत्मचिन्तन किया। वे सुदूर बंगाल में चलकर उत्तराखण्ड पहुँचे और वहाँ भगवान् बदरीनाथ तथा वेदारनाथ के दर्शन कर उन्होंने अपनी अग्र्यात्मनिष्ठा को पूरा किया। तत्पश्चात् वे बंगाल लौट आये। १६ अगस्त, १८८६ ई० को उन्होंने परमधाम को प्राप्त किया। उनका प्रसिद्ध मठ कलकत्ता के निक्ट गंगा तट पर विद्यमान है, जो कि 'बेलूर मठ' के नाम से प्रसिद्ध है।

इस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने देश के दक्षिणांचल, पूर्वांचल तथा उत्तरांचल का भ्रमण कर व्यापक जन-समाज को धर्म-गंगा में अभिषिक्त किया और उन्हें आत्मशान्ति का अमर सन्देश दिया।

स्वामी विवेकानन्द

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और 'रामकृष्ण मिशन' के संस्थापक स्वामी विवेकानन्द हुये। उनका जन्म कलकत्ता के ब्राह्मण परिवार में ७ जनवरी, १८६३ ई० को हुआ था। वे महान् योगी, तत्त्ववेत्ता, भक्त, धर्म-प्रचारक, भारतीय-संस्कृति के पुजारी और राष्ट्र-निर्माता के रूप में आधुनिक भारतीय इतिहास के देदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने पौराणिक धर्म-दर्शन को पाश्चात्य धर्म-दर्शन के साथ समन्वित करके व्यापक मानव समाज को उद्बोधित किया।

स्वामी विवेकानन्द का पारिवारिक पितृ-प्रदत्त नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। उनके पिता श्रीविश्वनाथ दत्त विख्यात वैरिस्टर थे और कलकत्ता हाईकोर्ट में बकालत करते थे। सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार के बालक नरेन्द्रनाथ की बाल्यकाल से ही समुचित शिक्षा की सुव्यवस्था थी। अपनी छात्रावस्था में ही बालक नरेन्द्र की विलक्षण प्रतिभा के चमत्कार प्रकाश में आने लग गये थे। वे स्वतः प्रेरणा से शास्त्रीय ग्रन्थों तथा दर्शन के तत्त्वज्ञान की जिज्ञासावश गभीर साहित्य का अध्ययन करने लगे थे। वे इतने प्रत्युत्सह हो चुके थे कि एक बार उन्होंने पाश्चात्य दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर के दार्शनिक विचारों की आलोचना लिखकर उनके पास भेज दी थी, जिसे देखकर हर्बर्ट स्पेन्सर बड़े

प्रभावित हुये। उन्होंने बालक नरेन्द्र का समुचित समाधान कर उन्हें नियमित अध्ययन के लिये प्रोत्साहित किया।

जिस समय बालक नरेन्द्र छात्रावस्था में थे, उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और वे अपनी मस्कृति तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिये निष्ठापूर्वक निरन्तर कार्यरत थे। उच्च शिक्षा प्राप्त बहुसंख्यक भारतीय, भारत की परम्पराओं एवं उच्चादर्शों को पिछड़ा हुआ समझकर, पाश्चात्य आचार-विचारों के रंग में निमग्न होते जा रहे थे। नरेन्द्रनाथ दत्त भारतीयों की इस दशा को देखकर बड़े चिन्तित हुये। उन्होंने राजा राममोहनराय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन द्वारा संचालित 'ब्राह्म समाज' से सम्पर्क स्थापित किया। वे इन महापुरुषों से भी मिले। विचारों का आदान-प्रदान किया, किन्तु इस सस्या से कुछ दिनों के अनुभवों के बाद वे अलग हो गये।

इसी बीच उन्हें एक सिद्ध पुरुष आत्मज्ञानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुनाई दिया। वे उनके दर्शन के लिये उनके आश्रम में गये और पहली ही भेंट से इतने प्रभावित हुये कि अपना सब कुछ उन्होंने स्वामीजी के चरणों में समर्पित कर दिया। १८८१-८६ ई० तक वे निरन्तर स्वामीजी के सम्पर्क में रहे और उनके विचारों को ग्रहण करते रहे। अन्ततः उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर स्वामीजी से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। तब उनकी अवस्था २३ वर्ष की थी। ठीक इसी अवस्था में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी सन्यास धारण कर लिया था। अपने नये दीक्षा नाम स्वामी विवेकानन्द से वे प्रसिद्ध हुये। सुयोग्य शिष्य समझकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी कठिन साधनाओं द्वारा अर्जित सम्पूर्ण आध्यात्मिक अनुभूतियों और स्वतः सिद्ध विभूतियों को उन्हें समर्पित कर दिया। तत्पश्चात् कुछ समय बाद स्वामीजी ने शरीर त्याग कर दिया।

गुरुपाद के निधन के बाद स्वामी विवेकानन्द के समक्ष अनेक उत्तरदायित्वों का गुरुभार उपस्थित हुआ। एक ओर तो मिशन का कार्य था, और दूसरी ओर देश में बढ़ती हुई पाश्चात्य सभ्यता की समस्या थी। उनके सन्यास का उद्देश्य परम्परागत भारत की धर्म तथा सस्कृति का सम्पोषण, प्रचार और देश का उद्धार करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वप्रथम उन्होंने कलकत्ता में बराह नगर के निकट एक मठ की स्थापना की और वहाँ नियमित रूप से धर्म-चर्चा एवं उपदेश भजन की व्यवस्था की। स्वामी विवेकानन्द ने भारत के महान् आत्मवेत्ता महापुरुष एवं अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति को चिरस्थायी बनाने और मानव-व्यवस्था के

लिये उनके द्वारा बताये गये उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना कर उनके उपदेशों का प्रचार-प्रसार किया।

तत्पश्चात् वे मिशन के सिद्धान्तों के प्रचार हेतु देश भ्रमण पर निकले। अपने पूर्ववर्ती महापुरुषों एवं तत्त्वज्ञ महापुरुषों के अनुकरण पर वे उत्तराखण्ड की यात्रा पर निकले। स्वामीजी ने वहाँ भगवान् बदरी-बेदार के दर्शन किये और दिव्य विभूतियों से सम्पन्न आत्मदर्शी मन्त महात्माओं से तत्त्वज्ञान के उपदेश ग्रहण किये। उत्तराखण्ड की तपोभूमि में वे निरन्तर ६ वर्षों तक आत्मचिन्तन में साधनारत रहे। वहाँ से वे निवृत्त गये। वहाँ उन्होंने विद्वान् बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध-धर्म-दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। तिब्बत से उन्होंने पुनः भारत में प्रवेश किया। वे देश के विभिन्न अंचलों में घूमे और उन्होंने वहाँ की परम्पराओं, प्रथाओं तथा रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने देश की तत्कालीन परिस्थितियों का अनुशीलन कर यह अनुभव किया कि अनेक कारणों से देश की उन्नत परम्पराएँ क्षीण होती जा रही हैं और देशवासी एक निराशापूर्ण अन्धकारमय भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। स्वामीजी ने देशवासियों को उनकी उदात्त परम्पराओं, धर्म तथा मस्कृति के महान् आदर्शों की ओर उद्बोधित किया।

देश में वे धर्मप्रचार में लगे ही थे कि उन्होंने समाचारपत्रों में पढ़ा कि शिकागो (अमेरिका) में विश्व-धर्म सम्मेलन होने जा रहा है। सुअवसर देखकर वे अमेरिका गये। वहाँ सम्मेलन में उन्होंने भारतीय धर्म दर्शन पर अपना जो प्रथम भाषण दिया, उससे बड़े-बड़े धर्मवेत्ता एवं तत्त्वज्ञ विद्वानों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके इस भाषण से सम्पूर्ण अमेरिका और विश्व में उनकी ख्याति फैल गयी। उन्होंने भारतीय धर्म के उन्नादशों एवं उद्देश्यों की सार्वभौम व्याख्या करते हुये यह प्रतिपादित किया कि उसका सक्षय विश्व-मानवता का उत्कर्ष एवं श्रेय करना है। उन्होंने भारत के सम्बन्ध में फैलाई गई सकीर्णताओं एवं भ्रान्तियों का भी जोरदार खण्डन किया और दृढ़तापूर्वक यह प्रस्थापित किया कि विश्व-हित तथा मानव-कल्याण के लिये भारतीय धर्मादर्शों का व्यापक समर्थन होना चाहिये। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने भारतीय धर्म की महिमा को परिमण्डित किया।

अमेरिका के समाचारपत्रों में स्वामी विवेकानन्द के सचिव भाषण प्रकाशित हुए और उनकी भारत का महान् पुरुष कहा गया। अमेरिका के अनेक नगरों में उनके अनेक भाषण हुए। उन्होंने अमेरिका में 'वेदान्त सोसाइटी' की स्थापना कर लाखों लोगों को उसका अनुयायी बनाया।

अमेरिकी जन समाज स्वामीजी के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और अनेक पश्चिमी देशों की यात्रा करने के लिये उन्हें आमंत्रित किया गया।

अमेरिका से वे अक्टूबर १८९५ ई० में लन्दन गये। वहाँ निरन्तर तीन महीनों तक उन्होंने भारतीय धर्म तथा वेदान्त मत पर भाषण एवं उपदेश दिये। लन्दन में भी उनके सहस्रो अनुयायी हुए। उनमें भगिनी निवेदिता (मिस मारग्रेट नोबिला) आदि उनकी परम शिष्या बन गयीं। १६ दिसम्बर, १८९६ ई० को स्वामी विवेकानन्द अपने अनेक विदेशी शिष्यों के साथ भारत लौट आये। भारत में उन दिनों विक्ट अकाल पडा हुआ था। स्वामीजी ने सब कुछ छोड़कर पूरी तन्मयता से अकारणपीडितों की सहायता में जुट गये।

इस प्रकार निरन्तर बौद्धिक तथा शारीरिक परिश्रम से स्वामीजी अस्वस्थ हो गये। भारतीय डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सा की और किंचित् स्वस्थता प्राप्त करने के बाद डॉक्टरों के परामर्श से वे विदेश चले गये। पहले वे इंग्लैंड गये और उसके बाद अमेरिका। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते ही उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया और अपने मत तथा सिद्धान्तों के प्रचार प्रसार के लिये प्रत्येक देश में 'वेदान्त सोसाइटी' की स्थापना की। १९०० ई० में जब वे न्यूयार्क में थे, उन्हें पेरिस में आयोजित होने वाले 'कांग्रेस ऑफ टेलिग्राफर्स' में भाषण करने के लिये आमंत्रित किया गया। स्वामीजी वहाँ गये और उनके गभीर विद्वत्तापूर्ण भाषण सुनकर श्रोताओं पर चामत्कारिक प्रभाव हुआ। इस प्रकार समस्त योरप तथा अमेरिका में स्वामी विवेकानन्द ने भारत की धर्मध्वजा फहरा कर भारत के नाम को उज्ज्वल किया।

देश-विदेश में निरन्तर मिशन के कार्यों में दत्तचित्त रहने और बीमारी की अवस्था में भी यथोचित विश्राम न करने से उनका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया और ४ जुलाई, १९०२ ई० को अल्पावस्था में ही आधुनिक भारत के बुद्ध एवं शंकराचार्य के स्वरूप, भारत के संपूर्ण एवं परम्परा के रक्षक स्वामी विवेकानन्द का शरीरान्त हुआ।

सिद्धान्त-निरूपण

स्वामी विवेकानन्द ने देश-विदेश में अपने मिशन के उद्देश्यों को प्रचारित किया। उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुकरण पर अपने धर्म का मुख्य उद्देश्य दुःखियों, पीडितों एवं निराश्रितों की सेवा में निहित किया। इसी सेवा को उन्होंने अपनी सच्ची सेवा स्वीकार की और परोपकार को ही धर्म का निष्कर्ष एवं उद्देश्य समझा। उन्होंने जहाँ-जहाँ अपने भाषण दिये, वहाँ-वहाँ मानव-सेवा के महत्त्व को प्रतिपादित किया और उसे ही धर्म की सज्ञा दी।

वेदों पर आधारित वेदान्त को स्वामीजी भारतीय मनीषियों की सर्वोच्च देन मानते थे। उसमें सार्वभौम मानवता का ऐहिक तथा पारलौकिक हित एव श्रेय निहित है। उन्होंने वेदान्त की मूल परम्परा में प्रस्थापित द्वैतमत तथा अद्वैतमत, दोनों में समन्वय स्थापित किया। किसी दार्शनिक 'वाद' विशेष पर उन्होंने बल नहीं दिया। पुस्तकों के ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने गुरु-ज्ञान को महनीय एव वरणीय बताया। अवतारवाद और मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में उनका मत सर्वथा अपूर्व एव सापेक्ष था। उनका कहना था कि महान् तत्त्ववेत्ता सन्तो एव आत्मज्ञानियों के अतिरिक्त भगवन्नाम का अभिलाषी प्रत्येक जन-साधारण मूर्तिपूजक है, अवतार-वाद पर विश्वास करता है, क्योंकि वह आस्तिक है। वेदधर्म को रद्दीकार करने वाला प्रत्येक भारतीय स्वभावतः प्रकृतित आस्तिक है और इसलिये वह किसी भी मत-मतान्तर को मानने वाला हो, उसका मूर्तिपूजा और अवतारवाद पर विश्वास है।

स्वामीजी केवल धीरे तत्त्ववेत्ता एव धर्मप्रचारक ही नहीं थे, अपितु शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक विषयों के प्रति उतने ही सजग एव सक्रिय थे। भारत की शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में उनके विचार रूढ़िवादी नहीं थे। वे यह मानते थे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तित कर देना उचित नहीं है। छुआछूत की सकीर्ण मनोवृत्तियों के प्रति उनकी अनास्था थी और वे यह मानते थे कि सम्पूर्ण भारतीय समाज में समानता स्थापित हुये बिना देश का उत्थान नहीं हो सकता है।

स्वामीजी विचारों की स्वतंत्रता के पक्षपाती थे और मनुष्य मात्र के लिये उसको जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। देश को पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिये उनका एक ही मूल मंत्र था—'आगे बढ़ो, कर्तव्य पालन करते हुये अपने अधिकारों की रक्षा के लिये तत्पर बने रहो। व्यक्तिगत उन्नति की अपेक्षा राष्ट्र की उन्नति बढ़कर है। राष्ट्र की उन्नति में लगे रहने के अतिरिक्त उससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है।'

इस प्रकार स्वामीजी ने अपने सिद्धान्तों को जटिल, गहन एव दुर्गम बनाने की अपेक्षा उसे सर्वसामान्य की समझ के अनुरूप प्रस्तुत किया। उनका धर्म वस्तुतः मानव-सेवा, राष्ट्र-प्रेम का धर्म था।

स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित 'रामकृष्ण मिशन' के अपने विशिष्ट नियम एव सिद्धान्त हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य बताया गया है। मिशन के सिद्धान्तों को साररूप में इस प्रकार समझा जा सकता है—प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का सदुपदेश देने से पहले स्वयं ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिये। ईश्वर के निराकार साकार, अद्वैत-द्वैत स्वरूपों

के जजाल में पड़न की अपेक्षा भजन तथा चिन्तन द्वारा मन को एकाग्र तथा सम्यमित करने का अभ्यास करना चाहिये। अपने हृदय का द्वार खोलकर सत्यात्म्य का चिन्तन मनन करना चाहिये। किसी अन्य मत-मतान्तर की अलोचना प्रशंसा करने की अपेक्षा उममें जो उपादेय है, उसे ग्रहण करना चाहिये। धर्म का आशय नाम-श्रवण तथा भजन करना मात्र नहीं है, अपितु अपनी आध्यात्मिक स्थिति का अनुशीलन करना चाहिए। वास्तविक धर्म वही है, जो जीवन में निर्मलता एवं पवित्रता का आधान करे।

इस प्रकार 'रामकृष्ण मिशन' के द्वारा विगत अनेक वर्षों से ज्ञान तथा धर्म का प्रचार-प्रसार होता रहा और दीन दुःखियों तथा अकालपीडित लोगों की रक्षा का प्रयास होता रहा। सेवा द्युश्रूपा के इस लक्ष्य से मिशन को न केवल भारत में, अपितु विदेशों में भी समान्य स्थान मिला। इस मिशन के सन्यासी महान् प्रतिभाशाली विद्वान् हुए, जिन्होंने एशिया, अमेरिका और योरोप के विभिन्न देशों में मिशन की शाखाएँ स्थापित की। वे शाखाएँ आज भी अपने परम लक्ष्य को पूरा करके मानवता की उल्लेखनीय सेवा कर रही हैं।

स्वामी रामतीर्थ

स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द ने देश तथा विदेश में भारतीय धर्म दर्शन की मान्यताओं को जन सामान्य की आस्थाओं का विषय बनाया। इस परम्परा को स्वामी रामतीर्थ ने आगे बढ़ाया। उनका जीवन में योग तप-साधना का समन्वय था। जन्मना उन्हें निद्रि प्राप्त थी और इसका परिचय उनके विलक्षण व्यक्तित्व से सहज ही मिल जाता है।

स्वामी रामतीर्थ का जन्म मुरारीवाला (पंजाब) में एक गोस्वामी वैष्णव परिवार में दीपावली की ज्ञानदीप्त पवित्र तिथि को १८७३ ई० में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनकी विलक्षण प्रतिभा के उदाहरण प्रकाश में आने लगे थे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर कुछ दिनों तक उन्होंने मिशन कालेज, लाहौर में अध्यापन कार्य किया। इसी बीच उन्होंने 'भगवद्गीता' तथा उपनिषदों का अनुशीलन किया। वे संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी और फारसी आदि भाषाओं के मर्मज्ञाता थे।

स्वामीजी के हृदय में भगवद् भक्ति का जो उत्ताल वेग उद्देगित हुआ, उसकी शान्ति एवं तृप्ति के लिये उन्होंने मथुरा तथा वृन्दावन की यात्रा की। वहाँ उन्होंने अपने हृदय की चिर साध को पूरा किया। वे कृष्णभक्ति में इतने रमे कि लौटन की सुध तक नहीं रही। उनका मन ब्रज के राधा कृष्ण-मय वातावरण में डूब गया। कृष्णभक्ति में तरंगयित होकर जब वे पंजाब

लौटे तो वे आत्ममग्नित भक्त बन चुके थे। उनके पिता महाप्रभु चैतन्य मत के गोस्वामी थे। अतः उन पर पारिवारिक मस्कारों के कारण वे भी चैतन्य सम्प्रदाय के अनुयायी बन गये।

स्वामीजी का समय अब भजन-कीर्तन तथा उपदेश प्रारम्भ में ही बीतने लगा। पंजाब के अनेक नगरों का भ्रमण कर उन्होंने चैतन्यमत के अनुसृत्य प्रेममय कृष्णभक्ति विषयक व्याख्यान दिये। उनकी वाणी के माधुर्य से श्रोता इतने विमुग्ध एवं प्रभावित हुए कि उनकी आँखों से अश्रुधारा बह निकली। वे भक्ति के उद्गार में विह्वल होकर स्वयं ही आँसू बहने लगते थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे मारे पंजाब में फैल गयी।

शास्त्रों और दर्शनों का अध्ययन उनकी नियमित चर्चा हो गई। उपनिषदों में उनके अन्तर्गत् में आत्मचिन्तन की भावना बलवती हो उठी। उन्होंने भारत के पुरातन सन्तों, साधकों, एक धर्माचार्यों की परम्परा का अनुकरण करते हुये उत्तराखण्ड की यात्रा का निश्चय किया। उत्तराखण्ड जाकर उन्होंने भगवान् बदरी-बेदार के दर्शन किये। वहाँ के अन्य तीर्थस्थलों का भ्रमण किया। साधु-मन्तों, महात्माओं और मिष्ट पुरुषों के दर्शन किये। उनसे माधना और आत्म-चिन्तन का उपदेश ग्रहण किया। वहाँ एकान्तवास में रहकर उन्हें आत्मानुभूति हुई। वे सामाजिकता से वैराग्य की ओर उन्मुख हुए। उत्तराखण्ड में भगवती भागीरथी के पवित्र तट पर किसी मन्थामी से दीक्षा लेकर उन्होंने सत्याम धारण कर लिया और 'शोन्वामी' से केवल 'स्वामी' बने जान लगे।

उत्तराखण्ड से पुनः वे पंजाब लौट आये। वहाँ आकर १९०० ई० में अध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया और अष्टमि, हरिद्वार तथा सपोवन आदि तीर्थस्थानों पर रहकर उन्होंने साधु सन्तों का सत्संग प्राप्त किया। वे पुनः उत्तराखण्ड की यात्रा पर गये और वहाँ एकान्तवास में रहकर साधना करते रहे। इसी समय टिहरी नरेश कीर्तिशाह से उनकी भेंट हुई। महाराज की सार्विक प्रवृत्ति एवं धर्म के प्रति निष्ठा जानकर स्वामीजी ने उन्हें सदुप-देश देकर लाभान्वित किया।

इन्हीं दिनों ममाचार्यजी से विदित हुआ कि जापान में 'सर्वधर्म सम्मेलन' का आयोजन किया जा रहा है। टिहरी नरेश कीर्तिशाह के अनुरोध पर स्वामीजी १९०२ ई० में 'सर्वधर्म सम्मेलन' में भाग लेने के लिये जापान गये, किन्तु घोषणा के अनुसार सम्मेलन बिन्ही कारणों से नहीं हो पाया। जापान पहुँच कर स्वामीजी के लिये विभिन्न नगरों में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया। उन्होंने धर्म का शाश्वत पक्ष जनता के समक्ष रखा और आरमोद्धार एवं विश्व-कल्याण के लिये भक्ति के सुगम मार्ग पर चलने के लिये

निर्देश दिया। जापानी जन-समाज भगवान् बुद्ध की अनुयायी होने के कारण भारतीय साधु सन्तो महात्माओं के प्रति श्रद्धावान् रहता आया था। स्वामी रामतीर्थ को भी ज्ञानी सन्तो की भारतीय परम्परा का महापुरुष मानकर जापान में उनका बड़ा आदर हुआ। जापान से वे अमेरिका गये और वहाँ भी उन्होंने भाषण दिये। अमेरिका में स्थापित 'वेदान्त सोसाइटी' के अनुयायी जनता ने स्वामी रामतीर्थ को एक धर्माचार्य के रूप में समुचित सम्मान दिया। स्वामीजी के भाषण सुनकर अमेरिकावासियों में स्वामी विवेकानन्द की स्मृति ताज़ी हो गई। स्वामी रामतीर्थ के भाषण अमेरिका में इतने लोक-प्रिय हुये कि सैकड़ों गृहस्थ गृहत्याग कर मग्यामी हो गये। श्रीमती वेलमैन जैसी अनेक महिलाएँ अपनी पाश्चात्य वेष भूषा त्याग कर सन्यासिनी बन गईं। जब स्वामीजी भारत लौट आये थे, तो श्रीमती वेलमैन भी महात्माओं की पुण्यभूमि का दर्शन करने के लिये स्वयं भारत आई थी।

अमेरिका से स्वामीजी ने अरब-देशों की यात्रा की। वे मिथ्र पहुँचे और वहाँ उन्होंने फारसी में वेदान्त तथा सूफीमत के समन्वय पर एक सारगर्भित भाषण दिया। उसको सुनकर मिथ्रवामी जनता बड़ी प्रभावित हुई। भारत जानिये एक महापुरुषों का देश कहा जाता था। इस रूप में मिथ्रवामियों ने स्वामीजी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की।

पूरे ढाई वर्षों तक स्वामी रामतीर्थ जापान, अमेरिका तथा अरब आदि देशों का भ्रमण कर वहाँ सत्यधर्म का प्रचार प्रसार किया, भारतीय सत्कृति और उन्नत आचार-परम्पराओं का प्रसार किया। ८ दिसम्बर, १९०४ ई० को वे भारत लौटे। उनके आगमन पर भारत के समस्त धर्मानुयायियों ने उनका हादिक स्वागत किया।

सिद्धान्त-निरूपण

स्वामी रामतीर्थ का जन्म चैतन्य सम्प्रदाय के अनुयायी गोस्वामी परिवार में हुआ था। अतएव जन्मत ही उन पर चैतन्यमत की कृष्णभक्ति का प्रभाव था। मथुरा वृन्दावन की यात्रा से उनका कृष्णभक्ति प्रेम अधिक समृद्ध हुआ। उन्होंने अपने उपदेशों में कृष्णभक्ति की प्रेममय लीलाओं का हृदयग्राही वर्णन किया। तत्पश्चात् उत्तराखण्ड में रहकर वे वेदान्त-दर्शन की ओर उन्मुख हुए और वहाँ उन्होंने सन्यास धारण किया। सन्यासी हो जाने के बाद उन्होंने वेदान्त मत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बुद्ध, मुहम्मद, जराथुश्च और ईसा मसीह आदि अवतारी महापुरुषों के प्रति समान श्रद्धा निष्ठा रखने का उपदेश दिया, किन्तु वेदान्त मत में ही जीवन की सर्वोपयोगिता के दर्शन करने पर बल

दिया। वेदान्त मत को उन्होंने सर्वसुलभ, सर्वजनहितकारी और सर्वव्यापक बताया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि वेदान्त मत के अनुगमन से ही चरित्र, कर्तव्यपालन और अनासक्ति का उदय होता है।

अपने रामस्त जीवन में जनमानस में शान्ति, श्रेय और सन्मार्ग की स्थापना कर स्वामीजी ने १७ अक्टूबर, १९०६ ई० में परम धाम को प्राप्त किया। टिहरी गढ़वाल के सिमलामू गाँव के नीचे भिलगना नदी के तट पर उनकी समाधि है। उनकी इस निर्वाणस्थली से अधिक भव्य एवं उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये स्थानीय जनता ना बड़ा प्रयास है। उनकी इस निर्वाणस्थली पर प्रतिवर्ष, १७ अक्टूबर को उनके निर्वाण की स्मृति में, भव्य आयोजन किया जाता है। टिहरी के डिग्री कालेज का नामकरण 'स्वामी रामतीर्थ महाविद्यालय' किया गया है। अठड गाँव के जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने कई बरों तक समाधिस्थ होकर आत्मचिन्तन किया था, वह वृक्ष आज भी विद्यमान है।

स्वामीजी के शरीर त्याग के पश्चात् उनके अनुयायी शिष्यों में नारायण स्वामी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने गुरुपाद के उपदेशों तथा व्याख्यानो को जन-सामान्य के उपकार हेतु सकलित किया और उन्हें पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया।



सत्यशोधक समाज

आधुनिक भारत के धार्मिक समानता तथा समाज-सुधार आन्दोलनों के इतिहास में 'सत्यशोधक समाज' का भी एक नाम है। इस समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने १८७३ ई० में की थी। इस सगठन ने महात्मा गाँधी के अनुकरण एवं आदर्श पर 'अस्पृश्यता निवारण' के लिये सशक्त एवं व्यापक आन्दोलन चलाया और पिछड़े एवं दलित समाज के प्रति होने वाले अन्यायों का तीव्र विरोध किया। वर्गवाद और जातीय श्रेष्ठता की परम्परागत सामाजिक मान्यताओं के विरोध में उसने अपने समानता तथा एकता और भातृभाव के आदर्शों को स्थापित किया। इस प्रकार वर्गवाद तथा जातिवाद के कारण देश की असङ्गता को जो हानि हो रही थी और समाज की महत्तकता जनता में जो असन्तोष व्याप्त था, 'सत्यशोधक समाज' ने उसके सुधार के लिये तीव्र अभियान चलाया। यद्यपि इस सगठन का अधिकतर प्रभाव महाराष्ट्र में हुआ, किन्तु सुधार-सम्बन्धी कार्यों की ख्याति मारे समाज में फ़ैली। गाँधीजी सर्वव्यंग-समानता के लिये जो कार्य कर रहे थे, ज्योतिबा फुले ने उनको सशक्त बनाया।

सैद्धान्तिक दृष्टि में यह सगठन एकेश्वरवादी था। सभी धर्मों के सन्तो, महापुरुषों, अवतारों तथा पैगम्बरों में समान श्रद्धा उसका ध्येय था। उसमें सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे, किन्तु उपामना की दृष्टि से एकमेव परमेश्वर को ही परम ध्येय माना गया है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर व्यापक विश्व-मानवता में आत्मा की अभिन्नता के रूप में केवल एक है।

इस सगठन ने धार्मिक मकीर्णताओं के कारण, हिन्दू समाज में फ़ैली हुई ऊँच-नीच की विषमताओं की कटु आलोचना की और अज्ञान तथा दरिद्रता के विरुद्ध आवाज उठाकर समानता के जन्मसिद्ध मानवाधिकारों को उजागर करने में उल्लेखनीय कार्य किया। इस आन्दोलन ने जहाँ एक ओर धार्मिक मद्भाव, पारस्परिक घ्रातृभाव तथा राष्ट्रीय एकता की दिशा में प्रथमनीय कार्य किया, वहाँ दूसरी ओर विमानों, कारीगरों तथा मजदूरों के दीर्घकालीन आर्थिक शोषण को भी प्रभावित किया।

(ग्यारह)

गाँधी युग का सर्व-धर्म-समभाव

- १ महात्मा गाँधी
- २ लोकमान्य बालगंगाधर तिलक
- ३ महामना भदतमोहन मालवीय
- ४ योगिराज अरविन्द
- ५ डॉक्टर भगवानदास
- ६ महर्षि रमण
- ७ स्वामी शिवानन्द
- ८ डॉक्टर राधाकृष्णन्

गाँधी युग का सर्व-धर्म-समभाव

मोहनदास कर्मचन्द गाँधी

स्वाधीन भारत के राष्ट्रीय जातिर्मय इतिहास के उन्नायक एवं युग-निर्माता मोहनदास कर्मचन्द गाँधी का जन्म २ अक्टूबर, १८६९ ई० (आश्विन कृष्ण १२, १९२५ वि०) को काठियावाड स्थित पोरबन्दर में हुआ था। उनके पिता कर्मचन्द गाँधी पोरबन्दर के दीवान थे और तत्पश्चात् बीकानेर (राजस्थान) के भी दीवान रहे। गाँधीजी ने हाईस्कूल तक की शिक्षा राजकोट में ही प्राप्त की और बाद में उनकी शिक्षा भावनगर के श्यामलाल कालेज में सम्पन्न हुई। ४ सितम्बर, १८८८ ई० को वे बकावत की शिक्षा के लिए विलायत गये और १० जून, १८९१ ई० को बैरिस्टर बन कर भारत लौटे। भारत में आकर कुछ दिनों तक उन्होंने बकावत की।

दक्षिण अफ्रीका को प्रस्थान

भारत में कुछ समय रहने के पश्चात् गाँधीजी १८९३ ई० में दक्षिण एशिया गये और वहाँ भारतीयों की दुर्दशा देखकर १२ मई, १८९४ ई० को उन्होंने 'नेटाल इंडियन काँग्रेस' का नाम से एक राजनीतिक सङ्गठन को जन्म दिया। गाँधीजी के उग्र आन्दोलन के कारण वहाँ की सरकार को अपना काला कानून वापस लेना पड़ा और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के प्रवासियों भारतीयों को उनके मूल अधिकार दिलाकर गाँधीजी भारत लौट आये।

भारत आकर गाँधीजी ने १९१५ ई० में चम्पारन से स्वाधीनता आन्दोलन का सूत्रपात किया और भारत के जन-मानस को स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए उद्बोधित किया। असहयोग आन्दोलन का सूत्रपाद कर उन्होंने विदेशी शासन के दहिष्कार की घोषणा की। इस असहयोग आन्दोलन के इतिहास में नामधारी मिश्रों के गुरु, गुरु रामसिंह का नाम उल्लेखनीय है। गुरु रामसिंह अहिंसावादी थे और उन्होंने पञ्जाब के नगरों से लेकर गाँवों तक अपने धर्मगुरु की असहयोग का पर्याय बना कर विदेशी शासन के विरोध में घोर आन्दोलन किया। उनके उग्र विरोध के कारण अंग्रेजों का शासन डगमगाने लगा। उन्होंने १८७२ ई० में गुरु रामसिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। कारागार में ही इस देशभक्त महापुरुष की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर सारा भारत आन्दोलन के सग्राम में

बूद पड़ा। अंग्रेजों ने हजारों नामधारी सिखों को भी बन्दी बना लिया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए बहुसंख्यक नामधारी सिखों ने गुरु साहब के बताये मार्ग पर चल कर अपने महान् त्याग, बलिदान तथा देशभक्ति का परिचय दिया। अपार कष्टों को झेलते हुए उन्होंने असहयोग आन्दोलन का मन-बचन-वर्म से पालन किया और उसके लिए उत्सर्ग किया।

महात्मा गांधी पर गुरु साहब की देशभक्ति का अमिट प्रभाव था। उन्होंने गुरु साहब के शान्तिमय आन्दोलन को देशव्यापी बनाया। गांधीजी ने नमक कानून का उल्लंघन कर विदेशी शासनतंत्र को डगमगा दिया। जलियावाला बाग और मीमाप्रान्त में भयंकर नर-संहार हुआ। भारी मार-काट और रक्तपात के बाद १५ अगस्त, १९४७ ई० को आजादी मिली। किन्तु देश पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान, दो टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। उसके बाद देशभर में साम्प्रदायिक दंगों की ज्वाला भड़क उठी। आजादी की खुशी निराशा में बदल गई। इस पर गांधीजी ने आमरण अनशन की घोषणा की। दोनों सम्प्रदायों के अनुनय-विनय पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। २० जनवरी को ब्रिडला भवन में उनकी प्रार्थना-सभा में बम फेंका गया, बिन्तु उससे कोई घायल नहीं हुआ। अन्त में ३० जनवरी को नामूराम गोडसे नामक एक आतताई ने प्रार्थना-सभा में उन पर तीन गोलियाँ चलाई और इस प्रकार देशहित के लिए इस महापुरुष का प्राणोत्सर्ग हुआ।

गांधीजी के जीवनादर्शों के आधार ग्रन्थ

गांधीजी के जीवनादर्शों के आधार-ग्रन्थ 'भगवद्गीता' और 'रामायण' रहे हैं। इन दोनों ग्रन्थों के मानव-मंगलकारी सन्देशों को गांधीजी ने अपने प्रवचनों में बार-बार प्रकट किया है। 'भगवद्गीता' में भगवान् ने अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए बार-बार जन्म धारण करने का सन्देश दिया है। इस सन्देश ने प्रत्येक युग को नई शक्ति एवं प्रेरणा दी और इसी शक्ति को अजित कर गांधीजी ने अपने आन्दोलन को प्रशस्त एवं सशक्त किया। कर्मशक्ति की प्रेरणा उन्होंने उपनिषदों तथा गीता' से ग्रहण की। 'गीता' में फल की इच्छा में प्रेरित कर्म-त्याग को सन्यास कहा गया है। गांधीजी ऐसे ही सन्यासी थे।

'भगवद्गीता' के सम्बन्ध में गांधीजी का यह दृष्टिकोण रहा है कि यथा-सम्भव प्रत्येक व्यक्ति को, और विद्येय रूप से आश्रमवामियों को, उसे कष्टरूप करना चाहिए। 'भगवद्गीता' का अध्ययन, मनन, अनुशीलन उनके जीवन का मुख्य ध्येय रहा और उन्होंने लिखा है कि—'एक बार तो मैं तेरहवें

अध्याय तक उसे कण्ठस्थ कर गया था। अब भी मैं यदि उसमें अधिक गहराई से बैठ सका होता तो हो सकता है, मैंने बहुत अधिक पाया होता।'

'भगवद्गीता' की ही भांति गांधीजी की 'रामायण' तथा 'महाभारत' और 'रामचरितमानस' में गहरी आस्था रही है। उन्होंने अहिंसक साधनों द्वारा रामराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी प्रेरणा उन्हें 'रामायण' से प्राप्त हुई। 'महाभारत' ने जिस परम धर्म अहिंसा की उद्घोषणा की थी, और उपनिषदों, बौद्धों तथा जैनो ने जिसको लोकव्यापी मनुसासन के रूप में फैलाया, एवं परिपुष्ट किया, गांधीजी ने उसे जीवन में चरिताथं किया।

अपनी धर्म-नीति का प्रतिपादन करते हुए गांधीजी ने लिखा है कि— 'जहाँ बुद्धि निरूपाय हो जाती है, वहाँ से धृष्टा का आरम्भ होता है। तुलसीदासजी की धृष्टा अलौकिक थी। उनकी धृष्टा ने हिन्दू-मसाल को 'रामायण' के समान ग्रन्थरत्न भेंट किया। 'रामायण' विद्वत्ता से परिपूर्ण ग्रन्थ है, किन्तु उसकी भक्ति के प्रभाव ने मुकाबले में उसकी विद्वत्ता का कोई महत्त्व नहीं रहता। मनुष्य इस धृष्टा को कैसे प्राप्त करे, इसका उत्तर तथा उपाय 'गीता' तथा 'रामचरित' में खोजा जा सकता है।'

सर्व धर्म समभाव

गांधीजी की जीवनी और उनके जीवन-सिद्धान्तों का अवलोकन करने पर सहज ही यह विश्वास होता है कि वे महावीर स्वामी तथा बुद्धदेव की परम्परा के महापुरुषों में थे। वे कोरे राजनीतिक नेता ही नहीं थे, अपितु धर्म-संस्थापक, संस्कृति-रक्षक, नैतिकता के पुजारी, दलितों के संरक्षक, महान् सन्त और युगविधायक भी थे। उन्होंने इस देश को जो दिया, वह चिर-स्मरणीय है।

उन्होंने इस देश के पुरातन गौरव एवं अस्तित्व का एक मौलिक सूत्र सत्य का आधार लेकर पराधीनता से देश को मुक्त किया और उसी बल पर नव-निर्माण की स्थिर भूमिका को बनाया। उनके सर्व-धर्म-समभाव के साधना पथ का सबल आधार सत्याग्रह था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिस युद्धनीति का अवलम्बन लिया था, उसे ही उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। उनका यह सत्याग्रह अन्याय के प्रति प्रत्यक्ष विरोध था, किन्तु अन्यायी के प्रति बैर-भाव का चोतक नहीं था। अन्याय के प्रति निर्भयतापूर्वक प्रतिरोध करना और अन्यायी के प्रति हिंसाभाव को न अपनाता ही सत्याग्रह है। स्वयं कष्ट उठाकर, अन्यायी के अन्यायों का

प्रतिरोध करते हुए सत्य का, मानव-सहज अधिकारों की रक्षा का, आग्रह करना ही सत्याग्रह है।

सत्याग्रह दर्शन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व 'अहिंसा' है। इसलिए सत्याग्रह एक युद्ध नहीं, अपितु उसकी अन्तर्भावना में प्रेम का समावेश है। सत्याग्रह एक ऐसा आन्दोलन है, जो पूरी तरह सच्चाई पर आधारित है और हिंसारहित होकर चलाया जाता है। आचार्य विनोबा भावे ने सत्याग्रही के लिए एकादश व्रतों का पालन करना अनिवार्य बताया है। सत्याग्रही को चाहिए कि वह उपवास, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, ब्रह्मचर्य और सर्व धर्म-समभाव आदि व्रतों का परिपालन करे। इन्हीं व्रतों के आचरण के बाद सत्याग्रह दर्शन की उपलब्धि होती है।

सत्याग्रह वस्तुतः निःशस्त्र प्रतिकार भी नहीं है। निःशस्त्र प्रतिकार निर्बल शस्त्र का परिचायक है, जिसमें हिंसा वजित नहीं है। किन्तु सत्याग्रह में निर्बलता तथा निष्क्रियता नहीं है। वह तो एक सबल, सशक्त, सक्रिय अहिंसक प्रतिकार है, जिसमें धैर्य, कष्ट सहिष्णुता और आत्म बलिदान की उदात्त एवं ऊँची भावना निहित है। अन्यायी और अन्याय के प्रति जो प्रतिकार बुद्ध तथा ईसा आदि महापुरुषों ने किया था उसी का सबल गाँधीजी ने लिया। उन्होंने अन्याय का तो विरोध किया, किन्तु अन्यायी को उसके द्वारा किये जाने वाले अन्याय के प्रति उसके मन में सद्बिचारों को उजागर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अन्याय के बदले न्याय और बुराई के बदले भलाई का प्रतिकार किया। उनके इस प्रतिकार में प्रेम तथा सद्भावना का आग्रह था। यही उनका सत्याग्रह था और इसी को उन्होंने व्यापक तथा सशक्त बनाया। उनका यह सत्याग्रह लोकतन्त्रात्मक था और गाँधीयुग के धर्म की धुरी थी।

सत्याग्रह की यह नवीन जीवन पद्धति न केवल भारत को स्वतंत्र करने के लिए उपयोगी थी, अपितु वर्तमान अणुयुग में, जब कि शास्त्रास्त्रों की होड़ इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि किसी भी समय समस्त मानव-जाति का विनाश हो सकता है। ऐसी दशा में सत्याग्रह ही एक ऐसा उपाय है, जिसके द्वारा हिंसा को अहिंसा में खपल जा सकता है। अस्त्रशक्ति का अस्त्र द्वारा प्रतिकार करने की दशा में मानव-जाति को युद्ध की विभीषिका में शोक देने के अलावा किसी प्रकार का अन्य हल या हित नहीं हो सकता है। सत्याग्रह ही आज के विश्व के लिए एकमात्र सुरक्षा की गारण्टी है, जिसको आधार बनाकर मानवता का मंगल हो सकता है।

सत्य, अहिंसा, आत्मबल, निर्भयता, चारित्रिक उच्चता, वैचारिक उदारता, प्रेम, दया, सद्भाव और समभाव गांधीजी के आदर्श थे। उनका अभिमत था कि हिंसा का प्रतिहार हिंसा में नहीं हो सकता है, अन्याय को अन्याय से पराजित नहीं किया जा सकता है। उनका कहना था— 'मैं न तो किसी वाद का प्रवर्तक बनना चाहता हूँ, न कोई धर्मगुरु और न किसी मठ का महन्त ही।' गांधीजी उन भारतीय तत्त्वविदों की परम्परा के महात्मा थे, जिनको आत्मदर्शन हो चुका था। वे गभीर विचारक होने के साथ-साथ उच्च साहित्य-निर्माता भी थे। वे पक्के आस्तिक थे, किन्तु रहस्यवादियों तथा वेदान्तियों जैसे विचारों के न होकर ईश्वर भक्त थे। वे उस ईश्वर के आराध्यक थे, जो सर्वजनसुलभ है और विभिन्न धर्मानुयायी बहुसंख्यक समाज का विभिन्न नाम-रूपों में उपास्य-आराध्य है। वे परमेश्वर के उग स्वरूप के आराध्यक थे, जो सितमय, बल्यागमय और शान्तिमय है। वे इस जगत् के मूल में राम को और इस जगत् का आधार रामराज्य को मानते थे। उनकी दृष्टि में असत्य पर सत्य और अपवित्रता पर पवित्रता की विजय ही रामराज्य है।

गांधीजी का अभिमत था कि उत्तम, प्रेम, त्याग, उदारता, निस्वार्थ भावना और विवेक से किया गया प्रत्येक कार्य जैसे अपने लिए, वैसे ही मानवमात्र के लिए हितकर है। यही वास्तव में धर्म या धर्ममूलक सत्य का आचरण है।

गांधीजी के जीवन के राम, कृष्ण, बुद्ध, मूसा, ईसा और मुहम्मद आदि आदर्श महापुरुषों के उच्च ध्येय विद्यमान थे। इन्हीं सभी धर्मों का समन्वय उन्होंने अपने जीवन में किया था।

गांधीजी ने १९२५ ई० में अपने सत्याग्रह के संचालन के लिए एक १८ सूत्री कार्यक्रम बनाया था, जिसमें सारी का उपयोग, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण, राष्ट्रीय शिक्षा, गृहशिल्प का विकास, अछूतोंद्वारा धार्मिक एकता, मादक द्रव्यों का परित्याग, ग्रामोदय, स्वास्थ्यरक्षा, नारी उद्धार, किसान-मजदूरों का हित आदि का समावेश किया गया था। गांधीजी के सर्व धर्म-समभाव के भी यही सूत्र थे, जिनसे राष्ट्रीय चरित का नवनिर्माण किया जा सकता था और समानता की मजबूत स्थापना की जा सकती थी।

गांधीजी के सर्व धर्म-समभाव के सिद्धान्त पर कबीर की वाणी का प्रभाव था। उनकी माता कबीर पन्थ की अनुयायी थी। अतः माता के दुग्ध के रूप में मिले सत्कारों ने स्वभावतः उनको प्रभावित किया। कबीर की वाणियों में निहित सार्वभौम सहिष्णु सिद्धान्तों ने गांधीजी को धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से उदार बनाया। वे उसी परम प्रकाश एवं अनिर्वचनीय ज्योति से

ज्योतिषित थे, जो कबीर को प्राप्त हो चुकी थी। क्योंकि कबीर को यह आध्यात्मिक सम्पदा, जीव सेवा तथा मानव सेवा से मिली थी, अतः गाँधीजी ने भी लोक-कल्याण का रास्ता अपनाया और कबीर के समानता के सिद्धान्त को लेकर आधुनिक विश्व में सर्व धर्म समभाव का उच्चादर्श प्रस्तुत किया।

जीवन की कर्तव्यता को गाँधीजी ने कबीर की भाँति सत्य पर आधारित किया और सत्यधर्म को चरित्र तथा नैतिकता का उदात्त गुण स्वीकार किया। इस सत्यधर्म का परिपालन ही परमात्मा तक पहुँचने का एकमात्र आधार है। इस सत्यधर्म को सर्वप्रथम वैदिक ऋषियों ने खोज निकाला था और उसी को परवर्ती चिन्तकों तथा धर्म प्रवर्तकों ने अपनाया। गाँधीजी ने कबीर की भाँति अज्ञ, अनादि, सर्वव्यापी रामनाम की महिमा को मानव-जगत् की सद्-गति का एकमात्र उपाय स्वीकार किया। उनकी दृष्टि से झूठा स्वामिमान मनुष्य के पापों को छिपाने का आवरण है। अपने में ही प्रत्येक जीव को देखना और प्रत्येक जीव में अपने को ही देखना, यह समदृष्टि गाँधीजी को कबीर से ही मिली थी। पराजय को भी विजय के रूप में वरण करने की अपरिमित आत्मशक्ति गाँधीजी की अपनी विशेषता थी।

सभी धर्मों के प्रति समान आदर

गाँधीजी के मतानुसार शुद्ध, सच्चा व्यवहार ही धर्म का सार है। सत्कार के सब धर्म और समस्त धर्मानुरागी उनकी दृष्टि में ब्रह्मा के पात्र हैं। यही कारण है कि हिन्दू-परिवार में जन्म लेकर भी गाँधीजी मुसलमान होने में गौरव समझते थे। उन्होंने मन-वचन-कर्म में मामजस्य स्थापित कर लिया था, इसलिए उनकी करनी और कथनी में एकरूपता थी। उनके समाज-दर्शन तथा धर्म समभाव की सबसे बड़ी विशेषता यही थी। सभी धर्मों के प्रति उनकी समान निष्ठा थी और सभी का उन्होंने समान आदर किया।

समभाव का आधार

महात्माजी ने अपनी धर्म नीति में सहिष्णुता पर बल दिया है, किन्तु धर्म के जिस स्वरूप को वे सम्पूर्ण मानवता के लिए एक समान उपयोगी समझते थे, उसकी पूर्ति उन्हें सहिष्णुता के भाव में नहीं दिखाई दी। बाबा माहूब वालेलकर ने उन्हें सर्व धर्म-आदर शब्द सुझाया था, किन्तु धर्मों को बहने की व्यापक भावना उन्हें उसमें नहीं दिखाई दी। इस दृष्टि से उन्होंने आदर के स्थान पर 'समभाव' शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझा। समभाव में दूसरे धर्मों के ग्राह्य अंग अपने धर्म में सहज रूप में ग्रहण किये जा सकते हैं। उनकी दृष्टि में सब धर्म ईश्वरप्रदत्त हैं, किन्तु मनुष्य द्वारा

प्रचारित होने के कारण वे अपूर्ण हैं। ईश्वरप्रदत्त धर्म अगम्य है। इसलिए हमें सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती, बल्कि उससे स्वधर्म विषयक प्रेम ज्ञानभय हो जाता है। सब धर्मों के प्रति समभाव रखने पर हमारे दिव्य षड्भु खुल जाते हैं। धर्मज्ञान होने पर समस्त अन्तराय मिट जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने पर ही धर्म के वास्तविक मूल को पाया जा सकता है।

गांधीजी के जीवन और सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि वे किसी पन्थ या सम्प्रदाय के सस्थापक नहीं थे। उनका धर्म सभी धर्मों का समन्वय था। वे यद्यपि धर्मान्तरण के विरुद्ध थे, तथापि माय ही यह भी मानते थे कि यदि कोई किसी अन्य धर्म को उसकी विशेषताओं व कारण परण करना चाहता है तो उसे रोकना उचित नहीं है। बल्कि उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति बिना धर्मान्तरण किये ही, दूसरे धर्मों की अच्छी बातों को अपना सकता है। उदाहरण के लिए जैन धर्म की जीवदया को अपनाने के लिए न तो हिन्दू बनने की आवश्यकता है और न जैन बनने की। इसी प्रकार ईसा महान् के सद्गुणों को अपनाने के लिए ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं है।

गांधीजी का कहना था कि जीवदया में निष्ठा रखने वाले हिन्दू धर्म में मात्साहार वर्जित है। किसी भी प्राणी को मारना हम पाप समझते हैं। किन्तु सारी दुनियाँ वैसा नहीं समझती है। मनुष्य जाति का अधिकतर समुदाय मात्साहारी है। हम उसे माम खाने से कैसे रोक सकते हैं? हम उसके लिए मास नहीं पकायेंगे, किन्तु जहाँ मास मिलता है, वहाँ जाकर उसे माम खाने की अनुमति देंगे। हम उसका न तो बहिष्कार करेंगे और न ही पापी कहकर उसकी निन्दा करेंगे।

उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म एक वर्ग-विरोध या सम्प्रदाय विरोध का धर्म नहीं है। उसमें समय-समय पर अनेक अन्य धर्मों के उच्चादेशों का समावेश-सम्भव्य होता गया और इस तरह जिस प्रकार हमारी निष्ठा 'भगवद्गीता' में है, उसी प्रकार 'कुरान', 'बाइबिल' आदि में भी है। धर्म के तत्त्व सनातन हैं और वे सभी धर्मों में समान रूप में मिलते हैं। गांधीजी स्वयं सर्व-धर्म-समभाव का आचरण करते थे। उनके आश्रम में सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से रहने की अनुमति थी। उनकी प्रार्थना सभा में वेदमंत्र, 'कुरान' की आयतें, ईसाईयों के भजन, बौद्धों तथा पारसियों की गाथाएँ और जापानियों के मंत्र—सभी का सकीर्तन होता था। उनका कहना था कि उन्हें

ऐसा हिन्दू धर्म मान्य एक इष्ट है, जिसमें सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता हो। उनको इष्टि में सब धर्म हमारे हैं और हम सब धर्मों के हैं।

सब धर्मों के लोभों को एक परिवार, एक राष्ट्र बन कर रहना है। यही मन्मन्व्य है। एक-दूसरे के प्रति आत्मोपमा, प्रेम तथा सम्मानता का भाव रखना ही सद्भाव है।

मसूर के किसी भी धर्म को गष्ट नहीं किया जा सकता है। इतिहास इस बात का गवाही है कि ईसाइयों ने तथा मुसलमानों ने अपने अपने धर्मों की स्थापना के लिए अनेक युद्ध लड़े जिनमें मनुष्यों का सहार होता रहा। किन्तु न तो इस्लाम का सम्पूर्ण हूला और न ईसाई मत का। दूसरे को मारकर हम अपने धर्म को स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमारा धर्म सही है, बाकी धर्म गलत हैं, इस भावना ने धर्मों के बीच युद्धों को जन्म दिया।

गौरीजी का अभिमत था कि सर्व और आस्थाओं से धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती है। धर्म एक सहज भावना है, जो सजातन काल से मनुष्य-जीवन में सहज गति से समावृत्त होती आई है। वे धर्म की शाश्वत मान्यताओं को मानते थे और राजनीतिक विवाहों को निटाने के लिए धर्म को मान्य बनाना चाहते थे।

इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गौरी ने धर्म के सार्वभौम स्वरूप की परम्परा को आगे बढ़ाया और उसके द्वारा विश्व में सद्भाव, समन्वय, सान्ति, अहिंसा तथा सह अस्तित्व को फैलाया। धर्मों की अपनी इस अपूर्व मान्यता के कारण उनका नाम विश्व इतिहास की २०वीं शती के महापुरुषों में अग्रणी एवं अग्र है।

गौरी युग के धर्मचेता एवं विचारक

भारत के राष्ट्रीय इतिहास में ही नहीं, अतिलु धार्मिक इतिहास में भी मुसपुत्र महात्मा गौरी ने एक नये युग का प्रवर्तन किया, राष्ट्रीय चेतना के साथ ही धार्मिक चेतना को भी उत्थापर किया। उन्होंने भारतीय सन्तों और विचारकों को सार्वभौम भावना को प्रस्थापित किया और एकता, सद्भाव तथा सामंजस्य की स्थापना करके मुद्ध, हिंसा, सहार तथा विनाश के सवटों से मानवता की रक्षा करने का मत्प्रयास किया। एक कर्मयोगी की भाँति स्थितप्रज्ञ एवं अटल विश्वास के साथ अपने सक्तों की सार्धकता के लिए वे जाबीवन युद्धते रहे। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि इतिहास के पृष्ठों पर 'गौरी युग' को वरण तथा प्रतिष्ठित किया जाये।

इस गौरीयुग को जिन महाप्राण भारतीयों ने सुखियर एवं सर्वव्यापक बनाया, उनमें लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, महाशया मदनमोहन मालवीय,

योगिराज अरविन्द, स्वामी शिवानन्द और डा० राधाकृष्णन् का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि इन महापुरुषों के कर्मपथ की विधाएँ गांधीजी की अपेक्षा भिन्न थी, माधना-पद्धति में भी अन्तर था तथापि धार्मिक तथा वैचारिक दृष्टि से उनमें एकात्मकता थी, विशेष रूप से भारत में धर्म की मान्यताओं के प्रति।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक का जन्म २३ जुलाई, १८५६ ई० को महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश स्थित रत्नागिरि नामक नगर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर राव सस्कृत तथा गणित के प्रसिद्ध विद्वान् थे और रत्नागिरि की एक पाठशाला में अध्यापक का कार्य करते थे। लोकमान्य का पारिवारिक नाम बलवन्त राय था। बाल्यकाल से ही उनमें प्रतिभा तथा राष्ट्रीयता के गुण प्रकाश में आने लगे थे।

लोकमान्य की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई। तत्पश्चात् डेक्कन कालेज, पूना से उन्होंने बी० ए० और एलिफिस्टन कालेज, बम्बई से एल० एल० बी० परीक्षा उत्तीर्ण की। राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन ने उन्हें नौकरी या वकालत की अपेक्षा राष्ट्रोत्थान की ओर प्रवृत्त किया। इसी उद्देश्य से १८८१ ई० में उन्होंने मराठी में 'मराठा' और अंग्रेजी में 'केसरी' नामक साप्ताहिक समाचारपत्रों का प्रकाशन एवं सम्पादन आरम्भ किया। इन समाचारपत्रों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को देशव्यापी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। महाराष्ट्र में शिक्षा तथा राजनीति के प्रसार में उन्होंने पर्याप्त लोकस्याति अर्जित की। ब्रिटिश प्रभुसत्ता के विरोध में भाषण करने और लेख लिखने के अपराध में कई बार उन्हें बन्दी बनाया गया। १९०९ ई० में उन्हें छ वर्षों के कारागार की सजा हुई और भारत से बाहर बर्मा के माण्डेल किले में बन्द कर दिया गया। अनेक प्रकार की यातनाओं के बावजूद उन्होंने राष्ट्रोत्थान के अपने सकल्प को नहीं छोड़ा।

इसी बीच उनका सम्पर्क गांधीजी से हो चुका था। गांधीजी उनकी विद्या-बुद्धि तथा राष्ट्रीय भावना से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे। उनकी इस असाधारण योग्यता के कारण १९१८ ई० में उन्हें भारतीय-राष्ट्रीय-कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का महापति चुना गया, किन्तु एकाएक किसी मुकदमे के सिलसिले में उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, जिससे कि महामना मदन-मोहन मालवीय को महापति का कार्यभार संचालित करना पड़ा।

राजनीति के क्षेत्र में लोकमान्य उग्र विचारधारा के राष्ट्रवादी थे। 'स्वराज्य हमारा जन्मदिन अधिकार है' इस उद्धोषणा के उद्धोषक तथा प्रचारक वे ही थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के प्रलोभन से ब्रिटिश सत्ता से समझौता नहीं किया। लोचमाय तिरुंक उन विशिष्ट व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने सर्वप्रथम हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया था।

राजनीति के साथ वे सामाजिक तथा धार्मिक उन्नयन की दिशा में भी राजग एक मन्त्रिय रहे। वस्तुतः उस समय की राजनीति ही राष्ट्रधर्म था। परम्परागत भारतीय धर्म तथा सस्कृति के उन्नयन के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। राजनीति, धर्म तथा सस्कृति पर उन्होंने अनेक लेख लिखे और ऐसी मानव कृतियों का प्रणयन किया, जिनका सदाशय महत्त्व है तथा भारतीय साहित्य की अभिवृद्धि में जिनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। १८८३-८४ ई० में उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ओरायन' का प्रकाशन हुआ। अपने इस ग्रन्थ में उन्होंने वेदकाल की मर्पाश पर गभीर एवं नवीन विचार प्रस्तुत किये। इस ग्रन्थ के प्रकाश में आने से पाश्चात्य विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त कतिपय भ्रान्तियों का निराकरण हुआ और भारतीय विद्या सभ्यता की प्राचीनता तथा महत्ता पर नये मान-मूल्यों की स्थापना हुई। उन्होंने १९०३ ई० में आर्यों के मूल निवास पर एक खोजपूर्ण कृति का निर्माण किया, जिसका नाम है 'दि आर्कटिक होम इन दि वेदाज'। उनकी सर्वोत्कृष्ट विद्वत्तापूर्ण कृति 'श्रीमद्भगवद्गीता का कर्मयोग या गीतारहस्य' है, जिसकी रचना उन्होंने वर्मा के बाराणगर में रहते हुए की थी।

एक ओर तो महामना मदनमोहन मालवीय हिन्दुत्व के नवोत्थान के लिए चेष्टारत थे और दूसरी ओर आधुनिक भारत के ऋषिपुत्र्य कर्मयोगी लोकमान्य तिलक 'भगवद्गीता' के आदर्शों को प्रस्तुत कर रहे थे। 'भगवद्गीता' के कर्मयोग की उन्होंने नई व्याख्या की और अरस्तू, सुकरात मिल, स्पेन्सर, काण्ट और गीन आदि अध्यात्मवादी एवं आधिभौतिकवादी विचारकों की मान्यताओं की अपेक्षा भारतीय कर्मयोग की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया। उन्होंने समस्त मानव-जाति के नीतिशास्त्र में समानता प्रतिष्ठित कर पौराणिक तथा पाश्चात्य सभ्यताओं में एकता स्थापित की। उन्होंने भारतीय अध्यात्म-वाद का आधुनिक पदार्थविज्ञान, सृष्टिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के साथ तादात्म्य स्थापित करके भारतीय धर्म तथा सस्कृति की युगानुरूप नई व्याख्या की। धर्म की परम्परागत पुरातन भारतीय दृष्टि को आधुनिक विश्व के परिप्रेक्ष्य में समालोचित किया।

महामना मदनमोहन मालवीय

लोकमान्य की परम्परा में गांधीयुग के राष्ट्रीय तथा धार्मिक नव जागरण से लोकचेतना को प्रभावित करने वाले युगपुरुषों में महामना मदनमोहन मालवीय का नाम उल्लेखनीय है। उनका जन्म प्रयागराज के अहियापुर मोहल्ले में २५ दिसम्बर, १८६१ ई० को हुआ था। उनके पिता ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के विद्वान् थे। अतः महामना की आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। तत्पश्चात् प्रयाग के प्रसिद्ध म्योर सेण्ट्रल कालेज से १८८४ ई० में उन्होंने बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिन उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया।

अपने छात्र-जीवन में ही उनका प्रवेश राजनीति में हो चुका था। अपने कर्मठ कार्य-कलापों से थोड़े समय में ही उनकी गणना गिने-चुने भारतीय राजनीतिज्ञों में होने लगी थी। १८८६ ई० को कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उनको भी आमंत्रित किया गया था।

लोकमान्य तिलक की भाँति महामना मालवीय ने भी कालाकाकर से निकलने वाले हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' का सम्पादन किया। हिन्दी का यह प्रथम दैनिक था। इसी प्रकार उनकी प्रेरणा में इलाहाबाद में अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' का प्रकाशन हुआ और लम्बे समय तक उन्होंने उसका सम्पादन किया। इन दोनों समाचारपत्रों के माध्यम में उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के अभियान को देशव्यापी बनाया और साथ ही देशवासियों में धर्म तथा संस्कृति के पुरातन गौरव को जागरित किया।

१९०२ ई० में वे प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा और तदनन्तर केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तदनन्तर बढ़ते हुए प्रभाव तथा अपनी जन-सेवाओं तथा देशप्रेम के फलस्वरूप १९०९ ई० में लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के वे सभापति चुने गये। १९३० ई० में राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप उनको कारावास हुआ। १९३१ ई० में लन्दन में आयोजित गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। गांधीजी में उनका घनिष्ठ सम्पर्क बना रहा और जब १९३२ ई० में गांधीजी ने आरक्षण अनशन का निश्चय किया तो उसे समाप्त कराने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई।

वे जिस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए समर्पित रहे, उसी प्रकार हिन्दी के उन्नयन में राजर्षि पुरोहितमदास टंडन के घनिष्ठ सहयोगी रहे। मालवीयजी ने काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो टंडनजी ने हिन्दी विश्व-

विद्यालय की स्थापना के लिए प्रयाग में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन को जन्म दिया। ये दोनों मनस्वी राष्ट्रीय स्वाधीनता की भाँति हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि बनाने के घोर पक्षपाती थे।

राजनीति के क्षेत्र में मालवीयजी का व्यक्तित्व जितना गरिमामय था, उससे अधिक उनकी देन शिक्षा, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में थी। वे परम्परागत भारतीय संस्कृति के पोषक, उन्नायक एवं संरक्षक थे। आचार-विचार और रहन-सहन की दृष्टि में वे कट्टर हिन्दू थे। वे धर्मशास्त्र के निष्णात विद्वान् और उनके बर्मकाण्ठी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक 'सनातनधर्म' में धर्म के महत्त्व एवं बरण पर मौलिक प्रकाश डाला है। भारतीयता की रक्षा और स्थिरता के लिए उनकी दृष्टि में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अत्यावश्यक है। वे उनके ब्राह्मण थे और कथा-प्रवचन को ब्राह्मणत्व का अंग मानते थे। जब वे 'भगवद्गीता' पर प्रवचन करते या 'भागवत' की कथा सुनाते तो उस समय उनके पाण्डित्य का ही नहीं, उनके नैष्ठिक व्यक्तित्व का भी पता चलता था।

देश के नवयुवकों के लिए वे ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में थे, जिसमें चरित्र-निर्माण के साथ साथ प्राचीन तपोवनो, आश्रमा और गुरुकुलो के आदर्शमय जीवन का उद्देश्य निहित हो। उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसमें इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया था, जिससे हिन्दुत्व के पुरातन गौरव को पुनर्ज्जीवित किया जा सके। अपने उन महान् उद्देश्यों में वे सफल भी रहे, यद्यपि आज की परिस्थितियों में उनके उन महान् उद्देश्यों को सर्वथा विस्मृत कर दिया गया है। हिन्दू-विश्वविद्यालय उनका एक ऐसा कार्य है, जिसका २०वीं शती के राष्ट्रीय इतिहास में अनन्य स्थान है।

मालवीयजी परम गो भक्त भी थे और गो-सेवा को भारतीय धर्म तथा संस्कृति का अभिन्न अंग मानते थे। धर्म-कर्म के क्षेत्र में उनकी अपनी मान्यताएँ थीं और देश के उत्थान के लिए धर्म-कर्म की श्रेष्ठता को वे सर्वोपरि मानते थे।

१२ नवम्बर, १९४६ ई० को, स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ महीनों पूर्व उस देशभक्त एवं धर्मप्राण मनस्वी का निधन हुआ।

योगिराज अरविन्द

योगिराज अरविन्द आधुनिक भारत के उन अध्यात्मवादी साधकों में हुए, जिनके तपोनिष्ठ जीवन की स्थािति विश्व के कोने-कोने तक पहुँची। भारतीय सत्त्व चिन्तन के क्षेत्र में उनकी असामान्य उपलब्धियाँ हैं, जिनका स्थाई महत्त्व है।

योगिराज का जन्म १५ अगस्त १८७२ ई० को कल्कत्ता में हुआ था। स्वदेश में ही आरम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वे १८८७ ई० में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लन्दन गये, जहाँ वे वर्षों तक रहे। १८९० ई० में आई० सी० एस० परीक्षा में घुड़सवारी परीक्षण में अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें अयफल घोषित कर दिया गया था। विदेश में आकर आरम्भ में वे बड़ोदा राज्य की सेवा में रहे। फिर बड़ोदा नेशनल कालेज, कलकत्ता में प्रधानाचार्य बने। १९०५-६ ई० में वग-भग के आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और १९१० ई० में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के सहयोग से एक महात्मा गांधी की प्रेरणा से उन्होंने राष्ट्रीय दल का गठन किया। उससे पूर्व राजद्रोह के अपराध में एक वर्ष तक वे कारागार में बन्द रहे।

१९१० ई० में उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया और वे पाण्डिचेरी में बस गये। धीरे-धीरे सब कुछ त्याग कर वे एकान्त साधक बन गये। योगिराज की साधना से प्रभावित होकर एक बृद्धा फ्रेंच महिला ने पाण्डिचेरी में प्रवेश किया, जो कि स्वयं भी साधिका थी और जिनको बाद में 'माताजी' के श्रद्धेय नाम से कहा गया।

इन दोनों साधकों की विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर पाण्डिचेरी में उनके दर्शनों के लिए लोगों का ताता लगने लगा, जिसमें उनके ठहरने के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई। यह आश्रम धीरे-धीरे एक ऐसा धार्मिक प्रतिष्ठान बन गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग सामिल होते गये। भारत के और भारत के बाहर के तत्त्व-चिन्तकों एवं साधकों का उस आश्रम में गमना-गमन होता गया। थोड़े ही समय में पाण्डिचेरी का यह अरविन्द आश्रम विभिन्न धर्मानुयायियों का सङ्गमस्थल बन गया।

योगिराज के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आश्रम से अंग्रेजी में 'डिवाइन लाइफ', और बंगला तथा हिन्दी में 'अदिति' नाम से तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। उनमें योगिराज के अध्यात्म-चिन्तन विषयक खोजपूर्ण निबन्ध प्रकाशित किये जाने लगे।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने 'गीतारहस्य' में जिम कर्मयोग का प्रतिपादन किया, योगिराज ने जीवन दर्शन में वह मानार दिखाई देने लगा। उन्होंने 'भागवद्गीता' सहित वेदों तथा उपनिषदों के तत्त्वज्ञान की नई व्याख्या की। उनकी तर्कशीली नितान्त जटिल है और उसको हृदयगम करने के लिए गभीर समझ की आवश्यकता है। उन्होंने पौर्यात्य तथा पाश्चात्य विज्ञान दर्शन का समन्वय स्थापित किया। उनके तर्कज्ञान की विशेषता यह है कि उसमें आधुनिक विज्ञान को आध्यात्मिक भूमिका में प्रस्तुत किया गया है।

योगिराज ने 'भगवद्गीता' पर विस्तृत एवं गभीर व्याख्यान लिखे और उनमें यह प्रतिपादित किया कि महसूसो वर्षों से पूर्व के वे चिन्तन आज के जीवन के लिए भी उतन ही उपयोगी एवं प्रेरणाप्रद हैं। उन्होंने यह प्रस्थापित किया कि 'भगवद्गीता' के महान् सन्देश आज के मानव-समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थति के लिए नितान्त आवश्यक हैं। उन्होंने यह प्रस्थापित किया कि 'भगवद्गीता' राष्ट्रीय नवोत्थान और सांस्कृतिक तथा धार्मिक अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकमात्र माध्यम है और इन दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को उनका अध्ययन-अनुशीलन करना चाहिए।

योगिराज मनुष्य की भौतिक तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। उन्होंने मानव और मानव-जाति के पारस्परिक सम्बन्धों में तादात्म्य स्थापित करते हुए यह मन्तव्य प्रकट किया कि उसी अवस्था में मानव में अन्तर्निहित दिव्य सत्ता के दर्शन किये जा सकते हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया जाये। उनका कहना था कि यदि किसी जाति-विरोध का धर्म यह निर्देश करे कि अमुक मार्ग ही श्रेष्ठतम एवं वरिष्ठ है, उसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग है ही नहीं, तो ऐसी नीमा या शक्त के आधार पर वास्तविकता के दर्शन करना या एक सर्वहितकारी व्यवस्था दे सकना, कदाचित् संभव नहीं होगा।

महर्षि ने इस बात पर बल दिया है कि दुःख को सुख में परिवर्तित किया जा सकता है और मनुष्य में ही भगवान् के दर्शन किये जा सकते हैं। योगाभ्यास का लक्ष्य आत्मोपलब्धि है और यह आत्मोपलब्धि ही 'दिव्य जीवन' है, जिसके आलोक में आत्मदर्शन किये जा सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य में जो प्रभुस तेजस्विता, अलौकिक शक्ति या दिव्य चेतना अन्तर्निहित है, उसको प्रकाशित या उजागर करना ही योग का लक्ष्य है। जब यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मनुष्य पूर्णतः निष्काम होकर स्वयं को प्रभु में समर्पित कर देता है। तब वह सर्वत्र, सब में भगवान् के दिव्य दर्शन करता है। ऐसी दिव्य आत्मानुभूति प्राप्त हो जाने पर सब कुछ व्यर्थ, भ्रमजाल, मायामय लगने लगता है। आत्मचेतना का ज्ञान हो जाने पर साधक आत्मा को सब भूतों में और सब भूतों को आत्मा में देखने लग जाता है।

योगिराज का अभिमत है कि ममस्त कर्मों और कर्मफलों को सर्वथा भगवान् में समर्पित करने के पश्चात् भी कर्तव्यावर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। अनात्मिक भाव से सुख-दुःखों को ग्रहण करते हुए भी श्रेय-प्राप्ति की ओर सक्रिय बने रहना साधक या भक्त के लिए आवश्यक है। दृष्टिभाव को समष्टिभाव में सभी परिवर्तित किया जा सकता है, जब साधक

या भक्त मानव-मगल की ओर अभिरत एव अप्रमर रहेगा। समस्त मानव जाति में शान्ति, आनन्द, पवित्रता, निर्मलता और सर्वभौम हित की स्थापना ही महर्षि का मोक्ष है।

डॉक्टर भगवानदास

गाँधीयुग के महान् वासंनिको, योगियो, तत्त्वदर्शी एव धर्मप्राण महापुरुषो में डाक्टर भगवानदास (१८६९ १९५९ ई०) का नाम उल्लेखनीय है। पवित्र काशी नगरी में उनका जन्म हुआ और सारे देश में उनकी स्थापति का विस्तार हुआ। वे भारत की पुरातन परम्पराओं से परिमण्डित आधुनिकता के आधारस्तम्भ थे। उनके महान् व्यक्तित्व में पुरातन और आधुनिकता का अदभुत समन्वय था। उनके इस ममन्वित व्यक्तित्व की राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास पर भी अमिट छाप है। राष्ट्रीय आन्दोलन में उनका सक्रिय योगदान रहा, क्योंकि स्वाधीनता प्राप्ति उस समय का राष्ट्रधर्म था। गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण १९२१ ई० में उन्हें एक वर्ष के वाराणस का दण्ड मिला था। उन्होंने राष्ट्रभक्त चित्तरजनदास के साथ मिलकर १९२३ ई० में स्वराज्य-प्राप्ति की रूपरेखा तैयार की थी, जिसके आधार पर देशव्यापी आन्दोलन छिड़ा और भारत देश एकतन्त्र में बँधा।

हिन्दुत्व के पुनरुत्थान और शैक्षिक पुनर्गठन के उद्देश्य से काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना करके जो प्रयोग किया गया था, उसकी सफलता के भागीदारों में महामना मालवीय के बाद डा० भगवानदास का ही दूसरा स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका महान् योगदान रहा। काशी विद्यापीठ की स्थापना से ही आने के अनेक वर्षों तक वे उसके कुलपति बने रहे।

योगिराज अरविन्द के वैचारिक ऐक्य तथा धर्म-समन्वय के सुचिन्तित सिद्धान्तों का सरलीकरण डॉ० भगवानदास के विचारों में देखने को मिलता है। उनके मत से सभी धर्मों के आदर्श एव उद्देश्य एक हैं। सभी धर्मों में यह माना जाता है कि परमात्मा सबके भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। सभी धर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म पर विश्वास करते हैं। सबके मजहबों में ज्ञानकाण्ड और हकीकत की बातें एक समान हैं। सभी मजहब वाले यह मानते हैं कि खुदा है और वह एक तथा अद्वितीय है। सभी धर्मानुयायी यह स्वीकार करते हैं कि पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुःख होता है। किन्तु डा० भगवानदास ने विशेष बात यह कही है कि मनुष्य की रह सर्वोपरि है। मनुष्य ने ही धर्म को, मजहब को समय-समय पर परिवर्तित किया है।

उनके दार्शनिक विचारों का मार 'अहम् एतद्-न' (मैं-यह-नही)—इस महावाक्य में निहित है, जिसके अनुसार केवल एक, एकाकार, एकरस, अखण्ड और निष्क्रिय सत्त्व के अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनकी दार्शनिक विचारधारा में प्राच्य तथा पाश्चात्य और भूत तथा वर्तमान का ऐक्य समर्पित है। उन्होंने हीगेल और शनराचार्य के दर्शनों के निर्विकार ब्रह्म-मिद्धान्तों का समन्वय किया है।

महर्षि रमण

गांधीयुग के धर्मप्राण एवं अध्यात्मनिष्ठ भारतीय महापुरुषों में महर्षि रमण या महर्षि रामन का नाम स्मरणीय है। अपने तप, त्याग एवं आत्मचिन्तन में उन्होंने भारत के पुरातन आत्मदर्शी तत्त्ववेत्ताओं की परम्परा को पुनरुज्जीवित किया। उनका जन्म ३० दिसम्बर, १८७९ ई० को तिरुचुली (तमिलनाडु) नामक गाँव में हुआ था। कौण्डिन्या नामक नदी तट पर अवस्थित तिरुचुली एवं पवित्र तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। उनका पारिवारिक नाम वेंकटरमन था। पिता सुन्दरमय्यर वकील थे। बालक की आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा तिरुचुली तथा दिदिगुल में हुई। किन्तु पढाई-लिखाई के प्रति उनकी उदासीनता और खेल-नूद, मार-पीट में अधिक रुचि थी। १८९५ ई० में पिता के निधन के उपरान्त उन्होंने अपने बड़े भाई के संरक्षण में मिशन हाईस्कूल में शिक्षा प्राप्त की। अपनी छात्रावस्था में ही 'परिय पुराण' में उल्लिखित शिवभक्तों की कथाओं के अध्ययन से उनका अनुराग भगवद्-भक्ति में बढ़ता ही गया। १८९६ ई० में भयंकर बीमारी से किसी प्रकार उनकी प्राणरक्षा हुई, जिसने कि उनकी जीवन-धारा को ही बदल दिया। पढाई-लिखाई छोड़कर वे एकाग्र चिन्तन में लीन रहने लगे। नियमित रूप से वे मडुरा की मोनाक्षी देवी के दर्शन करने लगे और शान्ति-लाभ प्राप्त करते रहे। उनकी यह दशा परिवारजनों को पसन्द नहीं थी और उसने उनकी उपेक्षा एवं तिरस्कार होता गया। उम्र अपमान से उन्होंने गृह-त्याग कर दिया और शिवा मूत्र का त्याग कर कौपीन वस्त्र धारण कर लिये। वे अरुणाचल गाथा पर निकले और उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान् अरुणाचल को जीवनमूर्धस्व समर्पित कर सन्यास धारण कर लिया तथा उसी मन्दिर में निवास करने लगे। वे केवल १७ वर्ष के थे, तपश्चर्या में लीन हो गये थे। वहाँ से वे उपयुक्त स्थान की खोज में गुरुमूर्तक मन्दिर और तदनन्तर वे अरुणाचल पर्वत की तिरुपाक्षि गुफा में अज्ञातवाम होकर बैठ गये और

निरन्तर ग्यारह वर्षों तक मौन धारण किया। जब उन्होंने मौन तोड़ा तो सर्वप्रथम उपदेश गणपति मुनीन्द्र को दिया।

तदनन्तर महर्षि रमण पाल्नीमें मे निवास करने लगे, जो कि अद्वैत भक्तों का पवित्र आश्रम बन गया। संस्कृत के विख्यात विद्वान् टी० गणपति शास्त्री ने उन्हें 'रामानन्द' तथा 'महर्षि' की उपाधि से विभूषित किया। तब से वे इसी नाम से कहे जान लगे।

महर्षि रमण ने कठिन तप, अध्यात्म अभ्यास और चिन्तन-मनन द्वारा जो अनुभूति एवं दिव्य दृष्टि प्राप्त की वह अनन्य यी और उन्होंने जो विचार और अनुभव व्यक्त किये, वे उनके निजी अन्तःकरण से निःसृत थे। महर्षि के योगसम्बन्धी निदान्तों की विशेषता यह देखने को मिलती है कि यद्यपि भारत और बाहरी देशों में अनेक सन्त, योगाभ्यासी, अध्यात्मवादी एवं ज्ञान-पिपासु उनके सात्त्विक्य में वर्षों तक रहे और लाभान्वित तथा उपकृत हुए, तथापि उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने प्रत्येक जिज्ञासु को आत्मचिन्तन के लिए प्रेरित किया और बताया कि वही अध्यात्म चेतना सब की गुरु है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, उसी वास्तविक गुरु की शोधा करनी चाहिए।

उनके विचार में मौन आत्मा की भाषा है। आत्मस्वरूप में लीन होने से परमेश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति का उदय होता है। उसको पाने के लिए एकान्त साधना की आवश्यकता है। भगवान् में अडिग विश्वास करना ही योगासन है। वित्त का निग्रह करने से ध्यान सिद्ध होती है क्योंकि चित्त ही समस्त विषय-बाननाओं का धर है। सन्तों, सिद्धों, अध्यात्मवेत्ताओं के ससर्ग-सत्पन में रहकर उनका अनुगमन करना चाहिए, व्याख्यान-प्रवचन सुनने मात्र का उतना लाभ नहीं है। उपदेश ज्ञान-प्रसार के साधन हैं, आत्मस्वरूप की उपलब्धि के साधन नहीं हैं। आत्मस्वरूप का साक्षात्कार किये बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है।

जप तथा ध्यान का उद्देश्य चित्त का दमन करना है, जिसके फलस्वरूप आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति ही ज्ञान तथा भक्ति है। आत्मनिष्ठ होकर निरतिशय रूप में स्वयं को भगवान् में समर्पित कर देना ही शरणागति है। ऐसा सन्त, सिद्ध, जिनकी चित्तवृत्तियाँ निगृहीत हैं, आत्मानुभूति से दूसरों को गुलामी बना सकता है। स्वयं सन्तुष्ट हो सकता है। आत्माओं का सर्वतोभावेन परित्याग ही वैराग्य है, यही ज्ञान है। अहंभाव, जो कि चिन्ताग्नि है, मद्विचारों को समूल दग्ध कर देता है। अह (मैं) ही समस्त वासनाओं का

मूल है। वह जब अदृष्ट, विन्दुम, नष्ट हो जाता है, तब विशुद्ध अन्तःकरण में आत्मानुभूति का प्रकाश होना है।

महर्षि अपनी योगसिद्धि से अद्भुत चमत्कारों का प्रदर्शन कर आगन्तुकों को आश्चर्यचकित कर सकते थे, किन्तु उन्होंने तंत्र, मन्त्र, योगसिद्धि, चमत्कार-प्रदर्शन और अलौकिक वाणियों द्वारा जिज्ञासुओं को प्रभावित करना उचित नहीं समझा, अपितु सबको यह सद्बुद्धि दीया कि इस प्रकार के सब त्रिमा-कलाप व्यर्थ हैं।

महर्षि की समस्त प्राणियों के प्रति समदृष्टि थी। वे मनुष्यों के अतिरिक्त गाय, कुत्ता, पक्षी, हिरन तथा गिलहरी आदि प्राणियों से भी सहज प्रेम करते थे। उनका कहना था कि कर्तव्य तथा सदाचार से स्वलित नहीं होना चाहिए। विनयभाव, प्रेम, करुणा, दया और परोपकार आदि सद्गुणों का ग्रहण और राम, द्वेष, विषय वासनाओं का परित्याग करना चाहिए। विनम्रता का व्यवहार ही श्रेय का हेतु है और परहित-भावना ही आत्मोन्नति का साधन है।

इस प्रकार सिद्ध, शुद्ध आत्मानुभूति से लोकमंगल की कामना करते हुए महर्षि ने १४ अप्रैल, १९५० ई० को महाप्रयाण किया। कहा जाता है कि महाप्रयाण की बेला में आकाश में एक तीव्र ज्योति का प्रकाश हुआ और वह पूर्व दिशा में विलीन हो गई। अपने जीवन-काल में महर्षि ने मलयालम्, तेलुगु तथा संस्कृत में जो विचार प्रकट किये, उनके पश्चात् उनके अनुयायियों ने उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके उन्हें लोकप्रचारित किया।

स्वामी शिवानन्द

आधुनिक भारत के धार्मिक पुनरुत्थान में स्वामी शिवानन्द का नाम स्मरणीय है। उनका जन्म ८ दिसम्बर, १८८७ ई० को पट्टामदाई गाँव (मद्रास) में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम कुप्पू आयर था। संस्कृत व्याकरण तथा दर्शन के विद्वान् अप्पय दीक्षित, स्वामीजी के पूर्वज थे। वे परम शैव थे। स्वामीजी के पिता वेंगू आयर भी शैव मतानुयायी एवं मन्त्र स्वभाव के व्यक्ति थे। १९०३ ई० में मैट्रिक पास करने के पश्चात् वे त्रिचना-पल्ली कालेज में प्रविष्ट हुए और वहाँ से डाक्टरी परीक्षा उत्तीर्ण कर एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने जन-जीवन में प्रवेश किया। थोड़े ही दिनों में अपनी समझ और कर्तव्य-परायणता के कारण वे बड़े लोकप्रिय हो गये। उनमें धनोपार्जन करने की अपेक्षा रोगी के प्रति सेवा-भावना की अधिकता थी।

मलाया और सिंगापुर आदि अनेक स्थानों में वे चिकित्सक रहे और सदा ही अपने सेवाभाव के कारण लोकप्रिय बने रह। उन्होंने अनुभव किया कि शारीरिक-सेवा की अपेक्षा मानसिक-सेवा उत्तम है, जिसको अपना कर सारी मानवता को राहत दी जा सकती है। इस उद्देश्य से उन्होंने भक्ति, योग तथा वेदान्त विषयक साहित्य का अध्ययन किया। उनके प्रभाव से उनके मन में सहसा भारी परिवर्तन हुआ और वे परिवार त्याग कर वैराग्य की ओर अग्रसर हुए। वे काशी चले गये और आत्मतान्त्रिक के लिए भगवान् विश्वनाथ की उपासना में तल्लीन हो गये।

काशी के बाद उन्होंने देश के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और धूमते-धूमते वे १९२४ ई० में अफिरका में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने कुछ दिन निवास किया। एक दिन गंगा-स्नान करते समय उन्होंने किमी परम तेजस्वी सन्यासी के दर्शन किये। वे शृंगेरी मठ शाखा के परमहंस स्वामी विश्वानन्दजी थे। उनसे डॉ० कुप्पू आयर ने सन्यास की दीक्षा ली और तभी से उनका नया नामकरण हुआ स्वामी शिवानन्द सरस्वती।

दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् वे लक्ष्मणझूला के निकट स्वर्गाश्रम में रहने लगे। बहुधा वे सुदूर जंगल की ओर झाड़ियों तथा बन्दराओं में चले जाते और वहाँ उच्च स्वर से भगवान् को पुकारते। अपने इस सन्यास जीवन में भी उनके मन में सेवाभाव की सक्रियता यथावत् बनी रही। वे रोगियों का निशुल्क उपचार करते और असमर्थ लोगों के लिए ओषधि का भी प्रबन्ध करते। जीविकोपार्जन के लिए वे भिक्षाटन करते रहे।

तप, त्याग तथा परोपकार की इस अविरत जीवनचर्या के फलस्वरूप उनमें आत्मबल का विकास होता गया। दो वर्ष तक अफिरका में रहने के उपरान्त उन्होंने दक्षिण में रामेश्वरम् तथा पुरी की यात्रा की। वहाँ से वे पुनः उत्तर की ओर अग्रसर हुए और कैलास मानसरोवर जा पहुँचे। वहाँ वे चार वर्षों तक रहे। इस उत्तरायण की यात्रा में उन्हें अतिशय ज्ञान-लाभ हुआ।

तत्पश्चात् वे पुनः स्वर्गाश्रम लौट आये। वहाँ उन्होंने 'आनन्दकुटीर' के नाम से एक स्वतंत्र आश्रम की स्थापना की, जो कि सम्प्रति अपने विकसित स्वरूप में है और जिसे शिवग्राम या शिवानन्द आश्रम के नाम से कहा जाता है। इस आश्रम में उन्होंने विज्ञानसु भक्तों तथा साधु-सन्तों के रहने-सोने की व्यवस्था की हुई है।

अपने इस दिव्य तपोवन में स्वामीजी ने 'डिवाइन तोसाइटी' (दिव्य जीवन तप) के नाम से एक धर्मसंस्था की स्थापना की, कुछ ही समय में जिसकी शाखाएँ योरप, अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका आदि देशों में स्थापित

हुई। आथम से अंग्रेजी में 'डिवाइन लाइफ' और हिन्दी में 'दिव्य जीवन' नाम से दो मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। स्वामीजी ने 'कैलास मान-सरोवर' के अतिरिक्त भक्ति और योग पर अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया।

स्वामी शिवानन्दजी के सदृश इस देश में यद्यपि अनेक सन्त, महात्मा, अध्यात्मवेत्ता महापुरुष हुए, किन्तु जन-जीवन के प्रति सेवा तथा सीद्दार्थ का जो कार्य स्वामीजी द्वारा हुआ, वह चिरस्मरणीय है। उनकी धर्मसंस्था भारत और विदेशों में धर्म-प्रचार के महत्त्वपूर्ण कार्य में लगी हुई हैं और उसका वरण करने वालों की सख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

आधुनिक विश्व की वैज्ञानिक प्रगति के भयावह परिणामों से मानवता को भयमुक्त और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एकमात्र साधन या उपाय धर्म ही है। विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रों की बढ़ती हुई होड़ को शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की परिस्थितियों में परिवर्तित करने के लिए धर्म ही एकमात्र आधार है। आधुनिक विश्व की ध्वसोन्मुख प्रगति को रचनात्मक राह की ओर मोड़ने के लिए विश्व के जिन अनेक विचारकों ने धर्म की लोकमंगलकारी भावना पर बल दिया है, उनमें डॉ० राधाकृष्णन् का भी एक नाम उल्लेखनीय है।

डॉ० राधाकृष्णन् का जन्म दक्षिण भारत के तिरुत्तवी नामक एक गाँव में ५ दिसम्बर, १८८८ ई० को हुआ था। अपनी उच्च शिक्षा तक उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कलकत्ता, आध्र तथा काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय आदि के वे कई वर्षों तक कुलपति रहे। अनेक विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद उपाधियाँ प्रदान कर समानित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में उन्होंने अपने विद्वत्तापूर्ण भाषणों से भारत के गौरव को बढ़ाया। केंब्रिज, आक्सफोर्ड, ब्रिटिश अकादमी आदि प्रतिष्ठानों में अनेक बार उनके भाषण हुए। पौर्वात्य और पाश्चात्य धर्म दर्शन पर उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से अपने विचार प्रकट किये, जो कि पुस्तकाकार में प्रकाशित हैं।

डॉ० राधाकृष्णन् की ख्याति का कारण उनकी विद्वत्ता एवं असाधारण प्रतिभा रही है। वे मूलतः एक साहित्यकार एवं विचारक रहे हैं। यद्यपि अपने देश में वे राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर समानित हुए, किन्तु उनके नाम को सदापय यथा उनकी कृतियों के कारण प्राप्त हुई। उन्होंने विश्व की सम-सामयिक विचारधाराओं का अध्ययन कर दर्शनविद्या पर एक सर्वांगीण

ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिनका नाम है 'दि रेन आफ रिलिजन इन कण्टेम्पोररि फिलसफी'। उनकी अन्य पुस्तको में 'रिलिजन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड ओरिजिनालीटी' (आधुनिक युग में धर्म), 'ईस्ट एण्ड वेस्ट इन रेलिजन' (धर्म तुलनात्मक दृष्टि में), और 'इण्डियन फिलसफी' (भारतीय दर्शन) आदि। उनके कतिपय निबन्ध साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

धर्म-दर्शन के सम्बन्ध में हम महान् विचारक के मन्तव्यों को उनके बृहत् साहित्य के अध्ययन के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। उनकी दृष्टि से 'धर्म एक गति है, एक विकास और सब सच्चे विश्वासी में नूतन, पुरातन के ऊपर टिका होता है। प्रत्येक धर्म में पुरातन के अवशेष विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, यदि हम धर्म के वर्तमान रूपों से मनुष्य न हो तो हम एक अन्य अपेक्षाकृत अच्छे रूप की प्रत्याशा कर सकते हैं।'

'धर्म हमें बताता है कि आमूलभूत पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सृजन-शील ऊर्जा शाश्वत के सयोग से प्राप्त होती है। बन्धुत्व और सेवा की भावना आध्यात्मिक स्रोतों से प्राप्त होती है। परोपकारवाद उस अराधना का स्थान नहीं ले सकता, जिन्से कि वह उत्पन्न होता है।'

'धर्म का अनुशासन यह है कि वह इस सभावना को सकार्य रूप दे। ईश्वरी के साथ अभिन्नता का वह अनुभव इतिहास की बात नहीं है, बल्कि व्यक्ति का निजी अनुभव है। धर्म आदमी को अनुयासित करनेवाली शक्ति रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत-से लोगों के लिए इसने अपना मूल्य और अपनी सार्थकता खो दी है। धार्मिक विश्वास की कठिनाई ही विश्व की वर्तमान दुरवस्था के लिए उत्तरदायी है। हमें एक ऐसी धार्मिक आस्था की आवश्यकता है, जो विवेकशील हो, एक ऐसी आस्था, जिसे हम बौद्धिक व्यक्ति निष्ठा और सौन्दर्यशास्त्रीय विश्वास के साथ अपना सकें। हमें एक ऐसी आस्था की आवश्यकता है, जो समूची मानव जाति में निष्ठा रखे।'

इस प्रकार डॉक्टर रोधाकृष्णन् ने प्राच्य-पश्चात्य, पुरातन-आधुनिक, विभिन्न दृष्टियों में धर्म के सर्वांगीण पक्ष पर विस्तार से, सूक्ष्मतापूर्वक विचार, मनन, चिन्तन किया है और उसकी चरम परिणति, उसका परम ध्येय सांवांभौय शान्तिपूर्ण मह-अस्तित्व में बताया है।

(बारह)

भारत में विलपित भारतेतर धर्म-शाखाएँ

- १ जराधुवत्र (फारसी) धर्म
२. महुदी धर्म
३. ईसाई धर्म
- ५ इस्लाम धर्म

जराथुश्च धर्म

विश्व की प्राचीनतम धर्म शाखाओं में 'जराथुश्च धर्म' शाखा का भी एक नाम है। धर्म के नाम पर शेष विश्व में जब कि अन्ध-विश्वास, भय तथा आश्चर्यचकित कर देने वाली धारणाएँ व्याप्त थी, भारत में महावीर स्वामी तथा बुद्ध और ईरान में जराथुश्च जैसे महात्माओं का उदय हो चुका था, जिन्होंने मानवता को उसने अन्ध-विश्वासों तथा कल्पनाओं से उधार कर उनसे अन्तःकरण को धर्म की ज्योति से आलोकित कर दिया था।

यह भी एक सयोग की बात थी कि ये तीनों महापुरुष लगभग एक ही समय में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और अज्ञान तथा बुराईयों के जजाल में भटके हुए मनुष्यमान के उद्धार के लिए लगभग एक ही तरह के उपायों को खोज निकाला। उनकी जीवन-वाधाओं को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इतने मानवयोनि में जन्म-धारण करने का उनका एक निश्चित प्रयोजन था, और उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान तथा आत्मचिन्तन द्वारा उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया। आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त इस अनन्त भवचक्र के मूल में निहित जिस कारण को उन्होंने खोज निकाला, वह था दुःख-रामुदय।

अनन्तकाल से मनुष्य जन्म-मरण की व्याधियों एवं पीड़ाओं से परिग्रस्त एक ही भव-भँवर में घूमता हुआ अपार कष्टों से पीड़ित था। बार-बार अनन्त जीव-योनियों में जन्म धारण कर पुनः पुनः पीड़ाओं तथा दुःखों को देने वाली यह भव-शृंखला इतनी सुदृढ़ थी कि उससे मुक्ति पाने के सभी प्रयास निष्फल हो चुके थे। इन महापुरुषों ने मनुष्यमान की मुक्ति-लाभ के लिए ऐसा सहज मार्ग खोज निकाला, जिस पर चल कर आत्मोन्नति की अन्तिम मजिल पर पहुँचा जा सकता है, जहाँ से पुनः लौटना नहीं होता।

यद्यपि महावीर तथा बुद्ध और जराथुश्च एक ही लक्ष्य को लेकर अवतरित हुए थे, किन्तु उनके परिणामों के प्रतिफल भिन्न-भिन्न रूप में चरितार्थ हुए। भारत में महावीर तथा बुद्ध से पूर्व आत्मज्ञानी ऋषि-महर्षियों, मुनि-महार्माओं की लम्बी परम्परा से ज्ञान तथा आत्मचिन्तन की दिशाएँ उजागर हो चुकी थी। किन्तु वे सर्वजनमुलभ नहीं थी। समष्टि के लिए सर्वजनमुलभ आत्मोद्धार का मार्ग महावीर तथा बुद्ध ने ही प्रशस्त किया। किन्तु ईरान तथा अरब देशों में महात्मा जराथुश्च ने धर्म की जिस ज्योतिर्विज्ञा को प्रज्वलित

किया था, उसकी प्रकाश-विरणों धार धर्मान्धता से आच्छन्न समाज में मन्दिर गति से फैली। परम्परा से पाखण्डों के चक्रव्यूह में उलझी हुई पश्चिम की बहुसंख्यक जनता ने उनके उपदेशों की अवमानना ही नहीं की, अपितु उनका घोर विरोध भी किया। किन्तु अपन जीवनसर्वस्व का मानव-कल्याण के लिए समर्पित कर महात्मा जराथुश्च न धर्म के जिस दिव्य आलोक को फैलाया, उनके जीवनान्त के बाद, उमन ने केवल ईरान तथा अरब देशों का, अपितु विश्व मानवता का पद आलोकित किया।

महात्मा जराथुश्च

अरब की धरती पर धर्म की मंगलकारी ज्योति का फैलाने वाले जिस महापुरुष के नाम से इतिहास गौरवान्वित है, उसको जराथुश्च, जरथुश्च, जराथोस्न आदि नामों से भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रीक निवामियों तथा पाश्चात्य लेखकों ने उन्हें उनके प्राचीन ग्रीक अभिधान 'जोरोस्टर' नाम से भी कहा है। ग्रीक भाषा में 'जरत' का अर्थ 'सुवर्ण' और 'उश्च' का अर्थ 'प्रभामण्डित' है। इस अर्थ में इस शब्द का अर्थ हुआ 'सुवर्ण प्रभा मण्डित' अर्थात् 'दिव्य पुरुष'।

इस दिव्य पुरुष का जन्म तेहरान (ईरान) के निकट 'रहे' नामक गाँव में हुआ था। वे एक स्पितमा (Spitama) नामक कबीले या वंश में उत्पन्न हुए थे। यह कबीला बड़ा पराक्रमी तथा युद्धप्रिय था। इस वंश-नाम से ही कुछ विद्वानों ने उनका नाम 'स्पितमा' उल्लेख किया है। महात्मा बुद्ध की भाँति महात्मा जराथुश्च ने भी दुःख समुदय की खोज करने के लिए घोर साधना की थी और अनेक वर्षों के आत्मचिन्तन के बाद बुद्धत्व (ज्ञान) प्राप्त किया था।

महात्मा जराथुश्च बच हुए, इस सम्बन्ध में मत-मतान्तर हैं। विश्व के प्राचीन धार्मिक इतिहास में, ईसाई तथा इस्लाम धर्मों में, जहाँ महात्मा जराथुश्च की कीर्तिकथा का व्यापक वर्णन देखने को मिलता है वहाँ उनके स्थितिबाल या जन्मबाल के सम्बन्ध में एक निश्चित बात न कहकर अनेक प्रकार की समाप्तनाएँ प्रकट की गई हैं। एक दन्तकथा के अनुसार पुराणकार वेदव्यास ईरान गये थे और वहाँ उनका जराथुश्च के साथ सास्त्रार्थ हुआ था। किन्तु इस लोकप्रचलित किंवदन्ती का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता है। 'बाइबिल' के अनुसार हिब्रुओं के अब्राहम और जराथुश्च समकालीन थे और एक ही स्थान पर रहते थे। किन्तु यह धारणा भी आधारहीन है। 'जेन्द अवेस्ता' में 'अरियानम् वेइग' उनका जन्मस्थान बताया गया है, किन्तु यह

स्थान कहाँ है, इन सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा गया है। जापुनिक इतिहास-कारों ने उनका स्थितिकाल ६०००-१००० ई० पूर्व के बीच माना है। किन्तु सामान्य मत यह है कि वे २५००-१५०० ई० पूर्व के बीच किसी भी समय हुए। एक हजार वर्षों का यह अन्तराल भी यद्यपि सभ्यताओं पर आधारित है, तथापि उनके सम्बन्ध में जो मध्य प्रयाग में आये हैं, उनको दृष्टि में रख कर इस सम्भावित अन्तराल को ही जब तक उनका स्थितिकाल माना गया है।

त्रिसप्ततम महात्मा जरायुस्त्र का जन्म हुआ था उस समय ईरान में मज्दयामनी धर्म का प्रचार था। वे ही वहाँ के शासक थे और धर्म के अधिकारी भी। धर्म के नाम पर उन्होंने पाखण्डों तथा अन्धविश्वासों में समाज के मन को आतंकित किये हुए थे। उन्होंने धर्म की स्वेच्छाविरता को शंकाप्राप्त हुआ था, जिसने कि मत्पज्ञान (आहूरमज्द) को आच्छादित किया हुआ था। महात्मा जरायुस्त्र ने अनुभव किया कि धर्म के नाम पर अधर्म की भ्रान्ति से जनता कर्तव्यबोध में अपरिचित है और धर्म वस्तुतः कुछ स्वार्थी शासकों तथा पुरोहितों की बपीली बनकर अधर्म का ही पोषण कर रहा है। उन्होंने इस भ्रान्ति को दूर कर धर्म के मूल स्वरूप को जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने का मकल लिया।

जब उनकी आयु केवल १५ वर्ष की थी, उन्होंने आत्मप्रेरणा के ममस्त मोह-बन्धनों का परित्याग कर वैराग्य धारण कर लिया था। निरन्तर सात वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और मानव-रहस्यों की खोज में चिंतित रहे। जीवन की वास्तविकताओं का पता लगाने के लिए उनकी वैध्वनी बढ़ती गई। अपनी समस्त इच्छाओं तथा पार्थिव अभिलाषाओं का उन्होंने दमन कर लिया। घोर तप तथा चिन्तन के अनन्तर उन्हें दिव्यदृष्टि या मद्बिचार (बोहू-महद) प्राप्त हुए। अपनी समाधिस्थ आत्मा में उन्हें आहूर-मज्द (मत्पज्ञान या ईश्वर) की अनुभूति हुई। उन्होंने अपनी इस अनुभूति को इन शब्दों में व्यक्त किया—'हे मज्द, जब मैंने पहले-पहल अपने ध्यान में तेरी कल्पना की तो मैंने कुछ हृदय से तुझे विश्व का प्रथम अभिनेता, प्रविवेक का जनक, मदाचार का जन्मदाता और मनुष्य के बर्तों का निषामक स्वीकार किया है।'

परम परमेश्वर के अपने दिव्यानुभव को समाज में प्रचारित करने के ज्येष्ठ से उन्होंने भ्रमण किया और लोगों को अपनी दिव्य वाणी का सन्देश दिया। इस पर अन्धविश्वासों के प्रचारक तत्कालीन धर्मगुरुओं तथा उनके अनुपायियों ने महात्मा जरायुस्त्र का घोर विरोध किया। उन्हें पाखण्डी तथा धर्म की व्यवमानना करने वाला धर्मद्रोही कहा। किन्तु बहुसंख्यक समाज,

जो कि धर्माधर्म का विवेक रखता था, महात्मा जरायुश्च का तेजस्वी दैवी व्यक्तित्व और उनकी दिव्य वाणी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। उनकी वाणी ने समाज को उसी तरह प्रभावित किया, जिस प्रकार बुद्धवाणी ने। इस प्रकार बुद्धानुयायियों की भाँति जरायुश्च के अनुयायियों की सख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई।

धर्म की नयी ज्वालि को लेकर वे ईरान, वैकिट्रिया और बलख के विभिन्न अंचलों में घूमे। जब उनकी अवस्था ३० वर्ष की थी, वे धर्म का पैगाम लेकर ईरान के तत्कालीन शासक गुस्ताप के पास गये। उनकी वाणी से प्रभावित होकर शाहँशाह ने अपने दरबार के तथा सल्तनत के धर्माचार्यों की एक विद्याल परिषद् का आयोजन किया। उसमें उपस्थित विभिन्न मतवालोंवाली धर्माचार्यों को अपने-अपने मतों का प्रतिपादन करने के लिए कहा गया। वस्तुतः धर्माचार्यों की इस सभा का एक उद्देश्य यह भी था कि महात्मा जरायुश्च ने जिस धर्म को धरण किया था, और जिसे वे लोकहित के लिए उपयोगी मानते थे, और उनके विरोध में जो मन्तव्य प्रकट किये जा रहे थे, वे कहीं तक वास्तविक हैं। राजसभा में जो वाद विवाद और तर्क-वितर्क हुए, उनमें अन्ततः महात्मा जरायुश्च की विजय हुई। उन्होंने धर्म के नाम पर जो पाखण्ड तथा स्वार्थपरता व्याप्त थी, धर्म के नाम पर जो अधामिकता फैलाई जा रही थी, उसका घोर विरोध कर अपने पक्ष में अकाट्य प्रमाण रखे, जिनका उत्तर देने में विपक्ष के धर्माचार्य असफल रहे। किन्तु पराजय के बाद भी पराजितों ने महात्मा जरायुश्च का अनुसरण एवं समर्थन करने की अपेक्षा उनके विरुद्ध एक पद्यत्र की रचना की। अपने पाखण्डों से उन्होंने शाहँशाह को प्रभावित कर दिया और उनके बरीभूत होकर शाहँशाह ने महात्मा जरायुश्च को बन्दी बनाकर कारागार में डाल दिया।

ईसा के लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व एशिया महाद्वीप में जन-मानस को शान्ति तथा कल्याण का दिव्य मन्देश देने वाले इस सन्त ने कारागार में रहकर भी अपने उद्देश्य को शिथिल नहीं किया। वे जहाँ तक बन पड़ा, अपने विचारों से अपने मिलने वालों को सद्बिचारों की यात्री वितरित करते रहे। इसी बीच एक घटना घटी। समयोपपन्न शाहँशाह इतना बीमार पड़ा कि अनेक प्रकार के औषधोपचारों से भी उसको कोई लाभ न हुआ। सन्त को भी कारागार में शाहँशाह की असाध्य बीमारी का समाचार मिला। उन्होंने अनुमति मिलने पर, शाहँशाह का उपचार किया और वह स्वस्थ हो गया। सन्त के इस चमत्कारी व्यक्तित्व का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा

और उसने अपना मोक्षित धर्म का परित्याग कर सन्त जरायुद्वय का शिष्यत्व धरण कर लिया। उसने समस्त ईरान में जरायुद्वय धर्म के प्रचार-प्रसार की गमुचित व्यवस्था कर दी।

इस प्रकार ईरान का राजधर्म बन जाने के कारण जरायुद्वय के विचारों के प्रसार में बड़ी सहायता मिली। वैकिट्रया के तत्कालीन शासक और जनता ने भी उम धर्म को धरण किया। वैकिट्रया उन दिनों सीरिया के शासक के अधीन था और वहाँ भी परम्परागत धर्म का प्रभाव बना हुआ था। वैकिट्रया का शासक इतना प्रभावित हुआ कि उसने सीरिया में शासक को यह कहला भेजा कि यदि वह महात्मा जरायुद्वय द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्वीकार नहीं करता तो वह राज्य कर देना बन्द कर देगा। इसका परिणाम बड़ा घातक सिद्ध हुआ। सीरिया के शासक ने वैकिट्रया पर एकाएक आक्रमण कर दिया और उसको विजित कर महात्मा जरायुद्वय तथा उनके प्रमुख आठ शिष्यों सहित उनको बन्दी बना दिया। बाद में महात्मा जरायुद्वय की हत्या करवा दी। उसके इस अमानवीय जघन्य कार्य की बड़ी लोकनिन्दा हुई। उधर वैकिट्रया के शासक ने शक्ति-संचय कर पराजय तथा अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए कुछ ही दिनों में अपने राज्य को स्वायत्त कर लिया। तत्पश्चात् वहाँ सीधे गति से जरायुद्वय धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ।

इस प्रकार मानवता के इस महान् उपकारक देवदूत का आतताइयों द्वारा प्राणान्त किये जाने के बाद समाज का बहुत बड़ा भाग उनके उपदेशों का पालन करता हुआ अपनी धर्म-आत्मी को उत्तरोत्तर प्रशस्त करता रहा। सन्त की वाणी परमेश्वर की वाणी बन चुकी थी और बहुसहस्रक जन-समुदाय इसी रूप में उमको धरण करता रहा। विश्व के अन्यान्य धर्मों के प्रति सदाशयता तथा सहिष्णुता का भाव रखते हुए महात्मा जरायुद्वय ने पूरे पश्चिम वर्षों तक धर्म तथा सदाचार का सन्देश देते हुए मानवता का क्लेश और ताप उपशमित किया। उन्होंने दुरात्मा के प्रति अनासक्ति और सदात्मा के प्रति आसक्ति की शिक्षा देकर जन-मानस को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अपने जीवन-काल में जिन सकटों और कष्टों को उन्होंने झेला, वे वर्णनार्ह हैं। किन्तु उनके शरीरान्त के प्रशस्त मानव-हितकारी उनके मनोरथ पूरी तरह सफल हुए।

सिद्धान्त-निरूपण

महात्मा जरायुद्वय को 'अवेस्ता' में पैगम्बर या देवदूत का सर्वोच्च एवं सपूज्य स्थान दिया गया है। जरायुद्वय धर्म का सार उनकी वाणी 'अशा' (Asha) के नियमों में निहित है। वे नियम सदाचार, अनुशासन, सत्संगति,

व्यवस्था और एकरूपता में सम्बन्धित है। उन नियमों में पवित्रता, मत्य-वादिता, परोपकार तथा उदारता आदि के महनीय गुण समाविष्ट हैं। पैगम्बर ने लोगों में कहा था—'जिमी भी मन को आँख बन्द करके नहीं, अपितु विवेकशील होकर स्वीकार करो। यह धार्मिक मन अमरत्व के मद्-विचार में मग्नवित है। जो लोग 'बोड़ महूह' (ईश्वर) के शत्रु मुन पाने हैं और तदनुसार आचरण करते हैं, वे स्वयं जीवन तथा अमरत्व का लाभ प्राप्त करते हैं ।'

'अवेस्ता' में उनके तान्त्रिक विचारों का भी दिग्दर्शन हुआ है। उन्होंने सत् (मत्य या अच्छा) और अमत् (असत्य या बुरा) दो मूळ तत्व माने हैं। ये दोनों यद्यपि परस्पर विरोधी हैं, किन्तु दोनों का अस्तित्व और महत्त्व एक समान है। जीवन में मृत (मत्) जितना मत्य है, उतना ही दुःख (अमत्) भी मत्य है। सुख प्राप्ति के लिए दुःख-भोचन आवश्यक है। उनके इस मद्मत् चिन्तन में कुछ यूरापीय विद्वानों ने द्वैतवाद को आरोपित किया है। किन्तु यह धारणा सर्वथा निराधार है। जिस प्रकार बुद्ध ने दुःख-समुदाय के चार आर्य-मत्यो का निरूपण किया है, और सुख-प्राप्ति के लिए दुःख निवृत्ति का उपाय बताया है, उसी प्रकार महात्मा जरायुदत्र ने बुद्धमत्य की अपेक्षा करके मुन-मत्य का समाधान खोज निकाला है। सत् और अमत् वस्तुतः प्रतीकात्मक अभिधान हैं। इन प्रतीकों की अवधारणा इसलिए की गई है कि तात्त्विक जटिलताओं में अपरिचित एवं अनभिज्ञ जन-सामान्य परमेश्वर के मुक्ति-चारों का ग्रहण करने में सक्षम हो सके।

उनके दार्शनिक सिद्धान्त 'शाखा अहूनर्वेनी' में बड़े गुणम भाषा भाषां में अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार अमत् पर सत् की विजय हुई। उन्होंने प्रतिपादित तथा घोषित किया कि 'अहिमान' (अमत् शक्ति) पाप की प्रतीक है और 'अहूर मज्द' (सत् शक्ति) पुण्य की प्रतीक है। प्राणिमात्र का कर्त्तव्य है कि वह अमत् शक्ति के आदेश-निर्देशों का परिपालन न करते हुए जीवन-यापन करे, क्योंकि अन्ततः पाप की पराजय और पुण्य की विजय अवश्य-भावी है। इस प्रकार वे शाखाएँ जरायुदत्र धर्म-तत्त्वज्ञान की कुत्री और जीवन के श्रेयस् के लिए उपादेश एवं ग्रहणीय हैं।

उनका 'उर्वेन' और 'पर्वेनी' वेदों के आत्मा तथा परमात्मा का स्वरूप है। यद्यपि ज्ञान, भक्ति और कर्म—तीनों की मुक्ति का साधन बताया गया है, किन्तु महात्मा जरायुदत्र ने शेष दोनों के सम्बन्ध में मौन-वल्म्बन कर केवल कर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। उनका यह कर्म-सिद्धान्त 'भगवद्गीता' के कर्मयोग में प्रभावित है।

फारसी अध्यात्म विचारधारा एकेश्वरवादी है या अद्वैतवादी है। 'अहुर मज्द' ही उनके एकमात्र उपास्यदेव हैं। जराथुद्र ने अनेक गाथाओं में सर्वशक्तिमान 'अहुर मज्द' के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपास्य देवता को मानने से निषेध किया है। कोई भी देवी-देवता उपासना के योग्य नहीं है। इस एकमेव देव में छ विभिन्न रूपों की कल्पना की गई है, जिसकी एकता या समानता विष्णु के 'पाद्गुण्यविग्रह' में स्थापित की जा सकती है। महात्मा जराथुद्र ने अपने अनुयायियों को इसी पाद्गुण्यसम्पन्न एकमेव देव 'अहुर मज्द' की उपासना-आराधना का उपदेश एवं निर्देश किया है।

ये छ गुण उसके विभिन्न रूपों के परिचायक न होकर वस्तुतः उसकी पवित्र अमर शक्तियाँ (आमेपा स्वेन्ता) हैं। उनके नाम हैं—१. अम (ससार की नियामक शक्ति), २. बोहुमनो (प्रेम तथा पवित्रता), ३. स्पेन्त (आमंजूति (धार्मिक एकनिष्ठा), ४. क्षप्रवहं (प्रभुत्वसम्पन्न), ५. हऊ-वर्ताव् (सर्वांग सम्पूर्ण) और ६. अमृतताव् (अमृतत्व)। ये छ गुण उनमें विद्यमान हैं और इसीलिए वे अपने उपासकों के उद्धारकर्ता तथा पालक हैं। कालान्तर में महात्मा जराथुद्र को ही उनके अनुयायियों ने फरिस्ता या देवदूत के रूप में स्वीकार कर उन्हीं के महान् व्यक्तित्व में इन गुणों का समावेश किया। इस रूप में बाद के विचारकों ने एकेश्वरवाद के स्थान पर विभिन्न देवी-देवताओं का अधिष्ठान किया।

महात्मा जराथुद्र ने अश या आतश, अर्थात् अग्नि की उपासना को भी बड़ा महत्त्व दिया है और उसे परमेश्वर का भौतिक रूप माना है। इसीलिए फारसी अग्निपूजक है। जराथुद्र ने अग्नि को मज्दा की सृष्टि का एक शक्तिसाली उज्ज्वल प्रतीक माना है। फारसियों के परम्परागत अग्निमन्दिर इस धर्मभावना के परिचायक है।

ईश्वर की नियमित आराधना को मानव-जगत् के धेयस् का कारण बताया गया है। ईश्वर (अहुर मज्द) एकमेव, अनादि, निरजन और निराकार है। इस दृष्टि से उनके उपास्यदेव की तुलना अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप सिद्ध होती है।

आचार-दर्शन

जराथुद्र धर्मानुयायी फारसियों की अपनी पृथक् आचार-संहिता है। उनके धर्म ग्रन्थों में उनके इन आचार-विचारों की विस्तार से चर्चा की गई है। 'गाथावाणी' (अवेस्ता) में इन कर्मनिष्ठानों पर प्रकाश डाला गया है। उच्च पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए जैन-बौद्ध धर्मों में जिन श्रेष्ठ आचारों के परिपालन पर बल दिया गया है, जराथुद्र धर्म में भी ठीक

उसी प्रकार के कर्मनिष्ठ जीवन बिताने के लिए निर्देश दिये गये हैं। वहाँ मूर्तिपूजा को व्यर्थ बतलाया गया है। किन्तु अग्निहोत्र को सर्वोपरि कर्तव्य माना गया है। उनके अग्निहोत्र की यह धारणा वैदिक यज्ञों की या 'अग्नि-पटोम' यज्ञ की प्रक्रियाओं से मेल खाती है।

आचार-पालन की सार्थकता दया, सत्य, गौरक्षा, स्नान, दौघ, सन्ध्या, पवित्रता, आर्जव, क्षमा और मत्संग के पालन में बताई गई है। इन आचारों के साथ-साथ बजर भूमि को जोत के उर्वर बनाना, निर्जल भूमि में जल का प्रबन्ध करना तथा छुआछूत से दूर रहना और रजस्वला स्त्री का सयोग न करना—इन कर्मों का परिपालन करना चाहिए।

महात्मा जरायुश्च के आचार-दर्शन के तीन मुख्य आधार हैं—हुमत (उत्तम विचार), हुवत् (उत्तम वचन) और हुवस्त (उत्तम कार्य)। इनके तीन प्रतियोगी हैं—अधम विचार, अधम वचन और अधम कार्य। एक का परिणाम स्वर्ग और दूसरे का परिणाम नरक है। इन स्वर्गदायी सुकर्मों और नरकदायी कुकर्मों का वहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है।

उक्त तीनों वर्णीय आचारों के परिपालन के लिए प्रत्येक पारसी को मुदरेह और कुस्ती धारण करना आवश्यक है। मुदरेह एक उज्ज्वल वस्त्र होता है, जिसकी समानता घबल वर्ण कुरते से की जा सकती है। इसी प्रकार भेडो की ऊन से निर्मित कुस्ती की तीन भावरे कमर में धारण करनी होती हैं। ये तीनों भावरे उत्तम विचार, उत्तम वचन और उत्तम कार्य के प्रतीक हैं। जो कि प्रत्येक पारसी को उसके इन कर्तव्यों के बोध का स्मरण कराते हुए उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उसका एक आशय यह भी है कि वह धर्मरक्षा में अपने सनातन कर्तव्य के पालन के लिए कटिबद्ध रहे। यह ऊन की कुस्ती अरम्भ में गले में धारण की जाती थी। किन्तु मुमलमानों के बलात् धर्म ग्रहण कराने और आक्रमण के भय से उसे बाद में गले से उतार कर कमर में धारण किया जाने लगा, जिससे कि उसकी सुरक्षा बनी रहे।

पारसी लीगो की आचार-पद्धति में टोपी पहनना अनिवार्य है। वे मदा शिर को ढँके रहने के लिए टोपी धारण करते हैं।

पारसियों में दिन रात अनेक बार (अनिवार्यतः तीन बार) प्रार्थना करने का प्रचलन है। प्रार्थना करने में पूर्वे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के समस्त खुले अंगों का जल से प्रक्षालन करना, जिसे हम पच-स्नान कह सकते हैं, अनिवार्य है। वे प्रार्थना के समय भी मंत्रों का पाठ करते हैं, जिनमें समष्टि की तथा व्यष्टि की कल्याण कामना और परमेश्वर की शक्तिमत्ता का भाव निहित है।

सामाजिक सदाचार को बरीयता देने के उद्देश्य से पारसी आचारों में परम्परा से बहू विवाह की प्रथा अमान्य है। इसके साथ ही आजीवन अविवाहित रहना भी निषिद्ध माना गया है। उनके धर्म की ये दोनों बातें अत्यन्त आदर्शपूर्ण एवं अनुकरणीय हैं। विवाह की प्रथा भी बहुत सरल और व्यग्रहित है। पुरोहित के समक्ष वर-कन्या को तीन बार यह घोषणा करनी होती है कि उन दोनों ने स्वेच्छा से विवाह किया है। इस प्रतिज्ञा या सकल्प की अपनी निश्चित शब्दावली होती है। साथ ही विवाह सकल्प के समय उनके अभिभावकों को भी तीन बार अपनी स्वीकृति को बुरहाना होता है। पारसियों के पुरोहित वर-परम्परागत हाते हैं और विधिवत् दीक्षित और शास्त्रज्ञ होने के उपरान्त ही उनको सस्कारों के सम्पादन का अधिकार प्राप्त होना है।

शरीरान्त या मृत्यु के बाद सम्पादित होने वाली अल्पेष्टि क्रिया पारसी समाज में अपने ढंग की अतुलनीय होती है। वह अन्य धर्मानुयायियों के लिए भी अनुकरणीय एवं बरणीय है। उनकी इस क्रिया में लोक और परलोक, दोनों के उदात्त आदर्श निहित हैं। उनके धर्म में अग्नि, जल और भूमि—तीनों को पवित्र माना जाता है इसलिए शव का वे न तो जल प्रवाह करते हैं न उसे भूमि में गाड़ते हैं और न उसका अग्निदाह करते हैं। उसे वे निश्चित घबूतरे, पड या पर्वत शिखर पर रख देते हैं, जिसका कि पशु पक्षी अपना आहार बनाते हैं। उसके यहाँ शव को नये कफन से ढँकना सर्वथा वर्जित है। इसके विपरीत उसको ऐसे वस्त्रों से ढँका जाता है जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने हैं और जो किसी भी प्रयोग तथा उपयोग के नहीं होते हैं। जीवन की निःसरता के प्रति उनकी यह अध्यात्म धारणा वस्तुतः गभीर दार्शनिक निष्ठा की परिचायक है। अशरीरी, निरयक, मृत्तिवावत् देह को सजा घना कर ले जाना व्यर्थ का आडम्बर है। मृत देह के प्रति उनकी यह श्रद्धा उनके गभीर दार्शनिक चिन्तन का फल है।

पुण्यकर्मों का अर्जन

फारसी समुदाय में धर्म पालन के लिए पुण्य कर्मों का उपार्जन आवश्यक बताया गया है। यह पुण्यार्जन परोपकार, दया, प्रेम, त्याग, उदारता और सदाचार—इन सत्कर्मों के आचरण में बताया गया है। सदाचार को यहाँ सर्वोच्च महत्त्व दिया गया है। सदाचारी मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में धार्मिक है और उसी के हृदय में पुण्य के शेष आचारों का उदय होता है। उनकी धर्म-सहिता में श्लोक जाति, या धर्म के वे महान् लोभ सर्वदा बन्धनीय एवं बरणीय हैं, जो घृष्टि तथा समष्टि की भलाई में समर्पित हैं। इस उच्च जीवन को

बिनाने वाले लोग बिरले ही होते हैं। भलाई की राह पर चलने वाले लोगों में ही पृथ्वी पर धर्म का महत्त्व बना हुआ है।

‘अवेस्ता’ की एक गाथा में यह कामना की गई है कि—‘हे मज्द (हे परमेश्वर), मुझे सर्वोत्तम धर्म के शब्द बहो और वाग्यों में निगुल करो, जिसमें कि मैं नैकी के रास्ते पर चलकर तेरी महिमा का पाठन करूँ। तू जिम तरह चाहे, मुझे संचालित कर। मेरी जिन्दगी को ताजगी और स्वर्ग का मुक्त दे।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी सर्व-धर्म-समन्वय की प्रायःसभा में इस मन्त्र-गान का पारायण करते थे। यह सर्वोत्तम धर्म ही विश्व-मानवता का कल्याणकारी धर्म है। वैदिक ऋचाओं में इस धर्म का बार-बार उद्गायन हुआ था।

अवेस्ता की गाथाएँ

फारसियों के धर्म-ग्रन्थ का नाम ‘जेन्द अवेस्ता’ है। जिस भाषा के माध्यम से पैगम्बर जराथुदर के धार्मिक-दार्शनिक विचार और साहित्य प्रकाश में आया, उसे ‘अवेस्ता’ कहा जाता है। ‘अवेस्ता’ या ‘जेन्द अवेस्ता’ धार्मिक भाषा तथा धार्मिक ग्रन्थ, दोनों का परिचायक एक अभिधेय है। ‘अवेस्ता’ (उपस्था) उसका मूल नाम है, जिसका अर्थ होता है मन्त्र या ज्ञान। ‘अवेस्ता’ अविस्तक से व्युत्पन्न बताया जाता है और उसकी प्रनिर्पति ज्ञानार्थक ‘विद्’ धातु में मानी जाती है। उसे मन्त्र, ज्ञान, विवेक, मन्त्रविचार एवं बुद्धि का पर्याय बताया गया है। प्रारम्भ में मूल मन्त्र लिखे गये और बाद में एक गद्यात्मक व्याख्यान लिखा गया। इस गद्यात्मक व्याख्यान को ही ‘जेन्द’ कहा गया है। मूल मन्त्रों और उनके गद्यात्मक व्याख्यान को एक करके उसे जेन्द अवेस्ता नाम दिया गया।

‘अवेस्ता’ की गाथाएँ वैदिक गाथाओं की भाँति गेय हैं। वे सख्या में कुल पाँच हैं, जिनमें केवल १७ मन्त्र संचालित हैं। ‘अवेस्ता’ का गाथा-अंश प्राचीनतम है, जो रचना-काल की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। इस अंश में महात्मा जराथुदर के मानव-रूपधारी ऐतिहासिक स्वरूप की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हुई है। इस गाथा में स्पष्ट होता है कि जराथुदर विशुद्ध मानव के रूप में आशा-निराशा, सुख-दुःख और हर्ष-विषाद आदि मानव जीवन की अनुभूतियों से प्रभावित थे। ऐसे परम प्रभु के प्रति उनकी एकान्त निष्ठा है, जो जीवन के गतिशील परिवर्तनों में भी अपनी एकता तथा सत्ता को स्थिर बनाये हुये हैं।

यह गाथा भाषा, वाक्य-विन्यास और छन्द आदि रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से ‘अवेस्ता’ के अन्य अंशों से अपनी सर्वथा भिन्नता रखती है। विद्वानों में ‘अवेस्ता’ की भाषा को इस दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग में प्राचीन भाषा का प्रयोग किया गया है, जो वैदिक मन्त्रों के समान

है, और दूसरे भाग में नवीन परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जो लौकिक संस्कृत के समान है। उस भाषा का विनास अचान्तक काल में हुआ। इन स्फुट गाथाओं में महात्मा जरायुस्र के वे उपदेश वर्णित हैं, जो उन्होंने अपने शिष्य वाह्वी (वैविट्वा) के शाक्य राजा विस्तारस्य को दिये थे। पैगम्बर की स्वतः वाणी होने के कारण उनकी पवित्रता एवं महत्ता अतर्क्य है। इन गाथाओं में महात्मा जरायुस्र ने अपनी अनुयायी फारसवासी प्रजा को सर्वशक्तिमान ईश्वर, असुर महान् (अहुर मज्द) के आदेशों पर चलने के लिए आज्ञा दी थी। वेद तथा वैदिक भाषा से 'अवेस्ता' तथा उसमें प्रयुक्त भाषा में एकरूपता होने के कारण दोनों देशों की पुरातन संस्कृतियों में समानता के नये आयामों पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है।

केवल भाषा ही नहीं, 'अवेस्ता' के धर्म विधानों से वेद-सहिताओं के विचारों की भी समानता है। न केवल विचारों में, विषयानुबद्धता के रूप में भी दोनों में यत्र-तत्र एकता दृष्टिगत होती है। वेदों की छन्द-मदति तथा गाथाओं के उद्गायन का जो ढंग है, 'जेन्द अवेस्ता' की गाथाओं में उसकी अभिन्नता स्थापित होती है। वेदों और 'जेन्द अवेस्ता' की इस पारस्परिक समानता के आधार पर विद्वानों ने दोनों देशों के मूल निवासियों को एक ही आर्य-परिवार के अन्तर्गत माना है। भाषा-विज्ञान के विद्वानों ने यह आश्चर्य-जनक निष्कर्ष निकाला है कि 'अवेस्ता' के प्रति दस शब्दों में सात शब्द संस्कृत के हैं। कोई भी संस्कृतज्ञ विद्वान् 'अवेस्ता' का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में सक्षम है।

इस प्रकार 'अवेस्ता' की भाषा से आर्य भाषा (वैदिक) का घनिष्ठ सम्बन्ध सिद्ध होता है। जिस प्रकार वैदिक संस्कृत का विकास लौकिक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंस भाषाओं में हुआ और उनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ, उसी प्रकार 'अवेस्ता' की भाषा से पहलवी, सारदी, तथा साका आदि भाषाओं का जन्म होकर आधुनिक फारसी भाषा प्रकाश में आयी। इस प्रकार आर्य भाषा और 'अवेस्ता' की भाषा, दोनों एक ही शाखा से, एक ही आर्य-परिवार से प्रसूत होने के कारण दोनों के प्राचीन रूपों में घनिष्ठ समानता है।

यह ऐतिहासिक सत्य है कि आज से शताब्दियों पूर्व महात्मा बुद्ध और महात्मा जरायुस्र एक ही उद्देश्य को लेकर इस धरती पर अवतरित हुए थे, और विश्व के धार्मिक इतिहास में, मान के जन-मानस में, परम्परा से उन दोनों महापुरुषों की बाणियाँ शान्ति तथा श्रेय-कल्याण की अन्नम स्रोत बनी हुई हैं। इन दोनों युगपुरुषों ने जिन समान उद्देश्यों को लेकर मानवता का उद्धार करने का सकल्पबद्ध अभियान चलाया था, उसका प्रमाण इतिहास है।

न केवल वैचारिक दृष्टि से, अपितु आचारिक दृष्टि से भी दोनों धर्मानुयायियों में पारस्परिक सामंजस्य है। फारसियों के धर्म-ग्रन्थ 'गाथावाणी' (अवेस्ता) तथा कर्मकाण्ड विषयक ग्रन्थ 'बन्दीदाह' में वर्णित धार्मिक क्रिया-कलाप हिन्दू धर्म-ग्रन्थों के विधि-विधानों से एकरूपता रखते हैं। 'गाथावाणी' में युधिष्ठिर सवत् का उल्लेख तक हुआ है। फारसियों की विमूची ऊनी कुस्ती हिन्दुओं के यज्ञोपवीत का रूपान्तर है। उनके विभिन्न सस्वारों तथा धार्मिक पर्वोत्सवों की तुलना हिन्दुओं की आस्थाओं निष्ठाओं के अनुरूप है।

इस दृष्टि से सुदूर अतीत से लेकर अब तक फारसियों और हिन्दुओं में आचारों, विचारों और सस्वारों की एकरूपता बनी हुई है, और इन्हीं कारणों से आज भी दोनों धर्मानुयायियों में पारस्परिक सद्भाव तथा सौमनस्य देखने को मिलता है।

जरायुध्न धर्मानुयायी फारसियों का भारत आगमन

पैगम्बर जरायुध्न के जीवन-काल में ही उनके सदुपदेश एसिया के अनेक देशों में फैल चुके थे। इस धर्म-शाखा की सैद्धान्तिक मान्यताओं ने सर्वप्रथम यहूदी धर्म को और तत्पश्चात् ईसाई तथा इस्लाम धर्म को प्रभावित किया। अपने अतीत के उदय-काल में ही उसने हिमालय पार के देशों के निवासी ग्रीक तथा रोम के तत्त्ववेत्ताओं को अतिसाय रूप में प्रभावित किया। किन्तु धीरे धीरे यह प्रभाव कम होता गया। इस्लाम की आक्रामक प्रवृत्ति के कारण अपनी जन्मभूमि ईरान में वह निस्तेज तथा क्षीण होता गया। आगे चलकर वह गर्बया उन्मूलित हो गया। सम्प्रति वह अपनी जन्मभूमि ईरान में अल्पज जोरोष्टियनों का धर्म रह गया है, जो किसी विवशतावश ईरान में रह रहे हैं।

लगभग ७वीं शती ई० में ईरान पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और वहाँ के मूल निवासियों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। हजरत मुहम्मद ने जब मक्का में पुन मदीना में प्रवेश किया तो धर्म प्रचार के अपने पुराने तौर-तरीकों में भी उन्होंने परिवर्तन कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि सुदाई करमान हुआ है कि लोगों को बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित किया जाये। इस घोषणा को परित्याग करने के लिए उन्होंने एक हाथ में 'कुरान' और दूसरे हाथ में 'तलवार' लेकर धर्म का नया अभियान आरम्भ किया। इस बलप्रयोग से अधिकतर लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। किन्तु जो लोग धर्मरक्षा पर अडिग बने रहे, वे किसी प्रकार ईरान से भाग निकले। उनमें से कुछ लोग पश्चिमी भारत के समुद्र तट सजाण

बन्दरगाह पर उतर कर वही स्थायी रूप में बस गये। अपने आरम्भिक उदय-काल में भी सख्या में वे अधिक नहीं थे और आज भी ससार के विभिन्न देशों में छिट-पुट रूप में बिखरे हुए मिलते हैं। अन्यान्य देशों की अपेक्षा भारत में रह रहे फारसियों की संख्या सर्वाधिक है।

वर्तमान भारत में रह रहे लगभग डेढ़-दो लाख फारसी उन्हीं के वंशज हैं। क्योंकि वे लोग फारस (ईरान) से आये थे, अतः भारत में उन्हें फारसी कहा गया और आज भी उन्हें इसी अभिधान से पुकारा जाता है। भारत में फारसी समुदाय के अधिकतर लोग समानित एवं सम्पन्न जीवन बिता रहे हैं। वे सम्प्रति भारत के मूल निवासी माने जाते हैं और मविधान में उन्हें अन्य देशवासियों की भाँति पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। वे अपनी स्वतन्त्र धार्मिक रीति-नीतियों का परिपालन करते हुए स्वयं भी भारतीय होने का गौरवानुभव करते हैं। भारतीयता ही उनकी राष्ट्रियता है।

भारत में रह रहे फारसियों की यह विशेषता है कि उन्होंने अभी तक धर्म या मजहब के नाम पर किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक बैर-वैमनस्य का भाव प्रकट नहीं किया है। साथ ही भारत में रह रहे अन्य धर्मावलम्बियों की भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। प्रकृति से वे धार्मिक, उदार, दयालु और कर्मनिष्ठ हैं। उनमें अधिकतर सुशिक्षित हैं और बड़े-बड़े व्यापार-व्यवसायों के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं।

भारत में फारसियों के अपने धर्मस्थल हैं। वे अग्निपूजक हैं। जब वे ईरान से चले थे, तो पवित्र अग्निशिखा को अपने साथ लेते आये थे। भारत में प्रवेश कर उन्होंने उस अग्निशिखा या ज्योति को ऊदनाडा के आदिग बहुराम में स्थापित किया था। अतः भारत में उनका यही प्रथम एवं प्रधान धार्मिक स्थल है। उसके बाद नसबारी और सूरत में भी उन्होंने अपने देवालयों की स्थापना की और वहाँ के अग्निकुण्डों में भी उस पवित्र अग्नि को प्रसारित किया। सजाण के तत्कालीन शासक ने फारसियों से एक इकरारनामा लिखा कर उन्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति दी थी। यह अनुबन्ध पत्र सम्प्रति बड़ौदा सरहदालय में सुरक्षित है।

इस प्रकार लगभग १२ सौ वर्षों तक अपने धर्म की रक्षा करते हुए बाद में उनके मूल वंशज ईरान से भागकर भारत में आकर बसे। भारतवासी फारसियों के उपामना-गृह उम परम प्रभु की दिव्य वाणी से सनाथित हैं, उनके अच्छे विचार, अच्छी वाणी और अच्छे कार्य देवदूत जराशुत्र की दिव्यता से ओतप्रोत हैं और समस्त मानवता ने लिए प्रेरणा एवं आदर-समान के विषय हैं।

यहूदी धर्म

यहूदी धर्म की प्रवर्तक यहूदी जाति के सम्बन्ध में इतिहास में अनेक प्रकार के मत व्यक्त किये गये हैं। प्रायः सभी इतिहासकारों की मान्यता है कि यहूदी लोग येरूसलम के आस-पास यूदा नामक प्रदेशों में मूल निवासी थे। यूदा नामक प्रदेश में निवासी होने के कारण इजरायली जाति के लोगों को 'यहूदी' कहा गया। इजराइल का वर्तमान राष्ट्रीय स्वरूप १४ मई, १९४८ ई० को अस्तित्व में आया, जो कि प्राचीन फिलिस्तीन का एक अंग है।

यहूदी जाति के सम्बन्ध में उनके मूल ग्रन्थ 'पुराना अहदनामा' में कहा गया है कि उनका मूल ऐतिहासिक महापुरुष अब्राहम (या अबराहम अथवा इब्राहिम) लगभग १८०० ई० पूर्व में हुआ। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था इसहाक और दूसरे का याकूब। याकूब का ही दूसरा नाम इजरायल था। उसने यहूदियों को बारह विच्छिन्न जातियों को मिलाकर जिस राष्ट्र की नींव डाली, उस राष्ट्र को उसी के नाम से 'इजरायल' कहा गया।

याकूब या इजरायल के एक पुत्र का नाम था यहूदा या जूदा। उसके नाम पर उसके वंशजों को 'यहूदी' नाम से कहा गया और उनका धर्म 'यहूदी धर्म' (जुदाइज्म या यूवाइज्म) के नाम से प्रचलित हुआ। उसने अपने स्वतंत्र धार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा की। यहूदियों का अपना मान्य धर्म-ग्रन्थ है, जिसे 'पुराना अहदनामा' (ओल्ड टेस्टामेंट) कहा जाता है। वह 'बाइबिल' का पूर्वार्द्ध (प्रथम) भाग है। इस धर्म-ग्रन्थ के तीन अंग हैं—'तोरैत' (इब्रानी धोरा), यहूदी पैगम्बरों का जीवन चरित और 'पवित्र लेख'। इन्हीं तीनों ग्रन्थों का सामूहिक नाम 'पुराना अहदनामा' है। इस महान् ग्रन्थ के ३९ खण्ड हैं, जिनमें सृष्टि-रचना, मनुष्य की उत्पत्ति, यहूदी जाति का इतिहास और सदाचार, कर्मकाण्ड तथा पौराणिक गाथाएँ वर्णित हैं।

यहूदी धर्म का इतिहास अनेक प्रकार के सघर्षों और विडम्बनाओं के साथ आगे बढ़ता गया। उसकी पक्षपाती और विरोधी अनेक सल्तनतों के कारण उसका समय-समय पर उत्थान-पतन होता गया। यहूदियों के निरन्तर सघर्षों और प्रतिरोधों के फलस्वरूप उसका अस्तित्व जीवित रहता हुआ आगे बढ़ा। उसके इतिहास की यह परम्परा कभी तो अपने विरोधियों ने

कारण क्षीण पड़ती गई और कमी सदन सुरक्षाय तथा आश्रय के कारण उन्नत होती गई। इन अनेक प्रकार की परिस्थितियों में भी उसको 'बाइबिल' में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ और इस रूप में वह विश्व के प्राचीन धर्मों की परम्परा में आज भी अपने महत्त्व तथा गौरव को वायम किये हुए है। उसके उन्नत एवं उदार सिद्धान्त आज भी धर्मप्राण मानव-समाज में मर्त्यरणा का संचार कर रहे हैं।

हजरत अब्राहम

यहूदी जाति तथा धर्म के मूल संस्थापक का नाम अब्राहम था, जिसे कि महान् पंगम्बर के रूप में माना जाता है। उनका जन्म उर (सुमेर का प्राचीन नगर) में हुआ था। उन्हें यहूदी जाति का पितामह कहा जाता है। 'बाइबिल' (उत्पत्ति ग्रन्थ, अध्याय ११-२५) में उसे बहुत भारी जातियों का जनक कहा गया है। ईश्वर ने उसको बानान देश दिलाने की प्रतिज्ञा की थी। उसके साथ ईश्वर (याह्वेह) का जो ब्याख्यान हुआ था, उसकी स्मृति में यहूदी समाज आज भी सतना करता है। अब्राहम के सबसे बड़े बच्चे ईसा हुए। वे ईश्वर के दास भी हैं और मित्र भी। ईश्वर ने आवेदा पर अब्राहम अपन एकमात्र पुत्र के बलिदान करने पर तत्पर हो गया था। 'बाइबिल' के उक्त सन्दर्भ में कहा गया है कि अब्राहम उन समस्त लोगों के अध्यात्म पिता हैं, जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं।

हजरत अब्राहम स्वतंत्र विचारों के और दृढ़ निश्चय तथा ईश्वर के प्रति अडिग निष्ठावान् थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले और यहूदी जाति तथा धर्म की रक्षा के लिए देग देगान्तरो में घुमते रहे। उन्होंने यहूदियों को उत्तरी अरब तथा उर से फिलिस्तीन की ओर सञ्चरण कराया। जीवन में धर्मरक्षा के लिए अनेक प्रकार के सपनों का सामना करते हुए अपने जन्म-स्थान के सुदूर प्रदेश में उनका शरीरान्त हुआ। धर्म-ग्रन्थों में उनका नाम आज भी आदर के साथ स्मरण किया जाता है और उनकी पवित्र स्मृति जीवित है।

हजरत मूसा

यहूदी धर्म ग्रन्थों में हजरत अब्राहम के बाद हजरत मूसा का नाम आता है। एशिया महाद्वीप में अब तक जितने भी मुगपुरुष हुए, उनमें हजरत मूसा का नाम उल्लेखनीय है। हजरत मूसा (१३५० ई० पूर्व) यहूदी धर्म के प्रवर्तक, महातानी और महापुण्य हुए। मिस्र की सदियों की घोर गुलामी से यहूदियों की मुक्ति दिला कर उन्होंने जन सामान्य की समझ के अनुरूप मानव-

सहज धर्म का उपदेश दिया। स्वयं को पंगम्बर घोषित कर उन्होंने यहूदी धर्म की पुनः स्थापना की। उन्होंने स्वयं को खुदा की ओर से भेजा गया पंगम्बर बताया और रामस्त यहूदियों को अपनी शिक्षाओं तथा उपदेशों का पालन-अनुसरण करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया— 'ईश्वर की ओर से आज्ञा हुई है कि मैं उनके बताये हुए धर्म की स्थापना करूँ। अतः जो ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करेगा, वह दोषी होगा'।

मानव हितकारी प्रत्येक महापुरुष की भाँति हजरत मूसा की जीवन कथा बड़ी बिकट एवं विचित्र परिस्थितियों में आगे बढ़ी। ईसा के लगभग डेढ़-दो हजार वर्ष पहले यहूदियों का एक वर्ग भेसोपोटामिया से चल्वर मिश्र में बस गया था, जिनमें अपने जीवन के लम्बे इतिहास में घोर अमानवीय अत्याचारों को बहन एवं सहन किया। वे अभावग्रस्त होकर अपनी दोन हीन दशा को उन्नत करने के उद्देश्य से मिश्र गये थे, किन्तु भाग्य की विडम्बनाओं ने उनको विपत्तियों के गर्त में जा डकेला। मिश्रवासियों ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किये, उन्हें गुलामों के रूप में अपनाया और उनके लिए ऐसे नियम बनाये, जिनसे न तो उनकी उन्नति हो सके और न उनकी सस्या में वृद्धि हो सके। उनकी जो भी सन्तान होती थी, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। मिश्रवासी ही उनके एकमात्र भाग्यविघाता थे। इस प्रकार यहूदी लोग मिश्र में दयनीय गुलामों का जीवन बिता रहे थे और अमानवीय जुल्मों में जी रहे थे।

लम्बे समय तक, अनेक पीढ़ियों के बाद यहूदियों की इस दुःखद स्थिति का अन्त हुआ। लगभग १३५० ई० पूर्व यहूदियों में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके माता पिता इजरायली थे। उस समय मिश्र पर फराऊन का शासन था। उसने परम्परागत इस नियम को जारी रखा हुआ था कि यहूदियों का जो भी नवजात शिशु हो, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया जाये। यह स्थिति ठीक वैसी ही थी, जैसी कि मधुरा में कम राजा ने देवकी वसुदेव की मन्तानों के बारे में कायम की हुई थी। इस भय से माता पिता ने नवजात शिशु के जन्म को अतिगोपनीय रखा और उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया। उसकी माता ने बालक को एक टोकरी में रखकर उसे एक निर्जन नदी तट पर रख आई। सयोगवश मिश्र की राजकुमारी (फराऊन की पुत्री) स्नान करने के लिए नदी तट के उसी स्थान पर जा पहुँची। वहाँ उसने नवजात सुन्दर तेजस्वी शिशु को टोकरी पर खेलते हुए देखा। बालक पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमारी का मन प्रभावित हुआ। बालक के विलक्षण देवों स्वरूप को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने राज्य भर में यह

ऐलान करा दिया कि तिमका बहू बालक हो, उसके माता पिता उसे उठाने ले जाये। उसे किसी भी प्रकार का मृत्युदण्ड नहीं दिया जायेगा। राजपुत्रों की इस धोपणा को सुनकर उमकी माता नदी तट पर गई और राजकुमारी ने वह शिशु उसे सौंप दिया। जब शिशु कुछ बड़ा हुआ तो राजकुमारी ने उसे अपने पाम रख लिया। वही बालक कालान्तर में महात्मा मूसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने अपनी यहूदी जाति के साथ ही सम्पूर्ण मानव-जाति का उद्धार किया।

महात्मा मूसा का जीवन अनेक विचित्र घटनाओं, रहस्यों का उद्घाटन करता हुआ आगे बढ़ा। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी जाति के लोगों पर मिथ्रधर्मियों के द्वारा किये जा रहे अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। एक बार किसी यहूदी पर हो रहे निर्मम अत्याचारों को देख कर वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने अत्याचारी मिथ्री की मौत के घाट उतार दिया। यह एक आश्चर्यजनक एव अनहोनी घटना थी। राजदण्ड के भय से वे मरुभूमि (अरबिस्तान) भाग गये। वही उन्होंने एक मीडियनाइट स्त्री में विवाह कर लिया। वही रह कर वे यहूदियों के उद्धार के उपाय सोचते रहे और उनकी मुक्ति के लिए चिन्तित बने रहे।

विवाहोपरान्त कुछ दिनों तक वे अपने अशुर-ग्रह में रह कर भेड़ों को चराते रहे। किन्तु यहूदियों के सकटों को वे भुला नहीं पाये। एक दिन भेड़ चराते हुए उन्हें उच्च शिखर पर अग्निरूप में ईश्वर के दर्शन हुए और उन्होंने ईश्वर से अपने मन का उद्देश्य प्रकट किया। ईश्वर ने उन पर कृपा की और ईश्वर के बताये मार्ग का अनुसरण करते हुए वे पुनः यहूदियों के उद्धार-कार्य में तन्मय होकर प्रवृत्त हो गये।

समय और परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर उन्होंने जादू तथा वशीकरण की विद्याएँ सीख लीं। जादूगर का पेश बना कर उन्होंने अपने कौशल दिवाने के लिए मिथ्र के तत्कालीन शासक फराऊन के राजभवन में प्रवेश किया। शासक उनके अद्भुत कला-कौशल को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। मूसा ने मिथ्रधर्मियों की तत्कालीन दस महाविपत्तियों को दूर करने में भी सहायता की। इस पर प्रसन्न होकर शासक ने जादूगर को पदाति धन देना चाहा, किन्तु जादूगर ने उसे लेना अस्वीकार कर दिया। बदले में उसने शासक में यहूदियों की सदियों में चली आ रही गुलामी से मुक्त करने का अनुरोध किया। शासक ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यहूदियों को गुलामी से मुक्ति मिली और वे स्वतंत्रता का वातावरण पाकर प्रसन्न हो गये। मूसा महान् मिथ्र से समस्त यहूदियों को लेकर अरबिस्तान लौट आये और उन्हें

गिनाई पर्वत के पास स्थायी रूप से बसा दिया। वहाँ उन्होंने अपने वंश का विकास किया और कालान्तर में वही से वे विभिन्न प्रदेशों तथा देशों में फैले।

यहूदी समाज की सेवा करते हुए और परम कृपालु परमेश्वर की दयाओं को शिरोधार्य करते हुए महात्मा मूसा लगभग १२० वर्षों तक जीवित रहे। 'बाइबिल' के पूर्वाह्न में मूसा को ईश्वर का दास, नबी, पुरोहित आदि महनीय विशेषणों से अभिहित किया गया है। यहूदियों के वे महागुरु ईश्वर द्वारा प्रदत्त मुक्ति के इतिहास के प्रधान नायक और 'मसीह' जैसे महनीय नामों से स्मरण किये जाते हैं। वे यहूदी 'धर्म-संहिता' के रचयिता और मसीह के अवतरण की घोषणा करने वाले नबी थे।

महात्मा मूसा को 'पैतातुख' का रचयिता बताया जाता है। 'बाइबिल' के प्रथम पाँच ग्रन्थों का समूह 'पैतातुख' या 'मूसा संहिता' के नाम से कहा जाता है। उन ग्रन्थों के नाम हैं—उत्पत्ति, निष्क्रमण, लेपितिकुस, गिनती और विधि विवरण। इन पाँच ग्रन्थों के वर्ध विषय हैं—पृथ्वी तथा मनुष्य की सृष्टि, इजरायली जाति की उत्पत्ति, उस पर ईश्वर की कृपा-दृष्टि तथा नेता मूसा द्वारा विधि-संग्रह की घोषणा। इस ग्रन्थ का अन्तिम लिपिवद्ध संस्करण १०० ६०० ई० पूर्व में पूरा हुआ था।

जिस प्रकार भारत के तत्त्वदृष्टा ऋषि महर्षियों ने वेदमंत्रों के रहस्यों को उपनिषदों तथा पुराणों द्वारा सरल, सुगम तथा रुचिकर कथा शैली में प्रस्तुत किया, उसी प्रकार महापुरुष मूसा (मोसेज) ने 'बाइबिल' पर व्याख्यान लिखा। यहूदी धर्म परम्परा में मूसा का वही स्थान है, जो भारतीय ज्ञानियों की परम्परा में वेदव्यास का है। उन्होंने 'बाइबिल' के गूढ़, गभीर तथा शुद्ध विषयों को अत्यन्त सरल, सरल एवं रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया। उनका व्याख्यान जहाँ एक ओर तात्त्विक दृष्टि से महनीय है, वही दूसरी ओर साहित्यिक दृष्टि से भी उपयोगी एवं लोक-रुचिसम्पन्न है।

हजरत मूसा यहूदियों के मनु भी थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम यहूदियों के लिए विधि (कानून) और व्यवहार (कर्तव्यशास्त्र) का विधान किया। इन विधि विधानों और न्याय नियमों पर पश्चिम के आधुनिक विद्वानों ने अनेक सार गभित ग्रन्थों का प्रणयन किया है। 'बाइबिल' की लोकहितकारी वाणिज्यों को महात्मा मूसा ने व्यापकता प्रदान की। उनके नीति वचन बड़े ही उपादेय हैं। मानव-समाज को कुसार्ग तथा दुर्व्यवहारों से वर्जित कर सुमार्ग और तद्विचारों पर लगाने के लिए इन नीति वचनों का बड़ा महत्त्व है। वे मनुष्य की सजीवता और सचेतमता का बोध करा कर उसे व्यवहार बुद्धि की कुशलता की ओर प्रेरित करते हैं।

महात्मा मूसा के उपदेशों की दो बातें मुख्य हैं—प्रथम यह कि अन्य देवी-देवताओं की पूजा का परित्याग कर एकमेव निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और द्वितीय यह कि सदाचार के दण्ड नियमों का परिपालन करना चाहिए ।

परवर्ती महात्मा और धर्म-संरक्षक

हजरत अब्राहम और हजरत मूसा के पश्चात् यहूदी समुदाय तथा यहूदी धर्म की परम्परा को उत्पापित करने वाले दो परवर्ती महापुरुषों के नाम उल्लेखनीय हैं । वे हैं—दाऊद और उनके पुत्र मुलेमान । दाऊद के 'भजन' यहूदी धर्म-पुस्तक के रूप में समानित हैं । उनके भजनों में भक्ति-भावना का हृदयग्राही वर्णन हुआ है । मुलेमान के समय (१००० ई० पूर्वं) इजराइल ने अभूतपूर्व उन्नति की । वह बड़े उदार विचारों का एक धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था । उसके शासन-काल की विशेषता यह है कि उसने इब्रानी (या इब्रानी) को यहूदियों की राष्ट्रभाषा के रूप में ममानित किया । उसके समय इजरायल के जिन बाहरी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए, उनमें भारत भी एक था । इस दृष्टि से यहूदियों की भारत से सम्बन्धों की परम्परा एक हजार ई० पूर्वं में स्थापित हो चुकी थी, जो कि भविष्य में समय-समय पर प्रवर्तित होती रही । 'मुलेमान की बहावतें' यहूदी धार्मिक परम्पराओं में बहुत प्रसिद्ध हैं और सत्तार के व्यापक जन-समाज में उनकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है ।

दाऊद के बाद हरवामनी वंश के प्रतापी सय्याद् कुरु के शासन-काल (लगभग ५५० ई० पूर्वं) में—यहूदियों की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आदि चतुर्मुखी उन्नति हुई । वह बड़ा उदार तथा न्यायप्रिय शासक था । उसने दासता में पराधीनता का दुःखद जीवन बिताने वाले यहूदियों को स्वतंत्र कर दिया था । यरुसलम के मन्दिर से लूट कर लाई हुई सम्पत्ति को पुनः मन्दिर को लौटा दिया था । उसने माथ ही उस मन्दिर का नव-निर्माण भी कराया । उसी के शासनकाल में 'तोरेत' (थोरा) धर्म-ग्रन्थ का संकलन-कार्य आरम्भ हुआ था, जो कि उसके बाद पूरा हुआ । इस ग्रन्थ का यहूदी समाज में बड़ा महत्त्व माना जाता है । वह ऐसा धर्मप्राण महापुरुष हुआ, जिसने समस्त राज्य के पुरोहितों को अग्निकुण्डों को निरन्तर रूप से प्रज्वलित करने का आदेश दिया था । उसने राज्य के पुरोहितों को अपने नियम-कार्यों पर निष्ठापूर्वक लगे रहने के लिए आदेश दिये थे । उसके समय

धर्म तथा उपासना के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। 'प्रचारक' नामक यहूदी धर्म ग्रन्थ का इसी समय प्रचलन हुआ।

यहूदी धर्म तथा ममुदाय के प्रति द्वेष, घृणा, तथा प्रतिहिमा का भाव रखने वाले शासकों में अन्तियोगस चतुर्थ (१७५ ई० पूर्व) का नाम-स्मरण आज भी यहूदियों में निन्दाजनक माना जाता है। उसके द्वारा यहूदी धर्म को बड़ी क्षति हुई। उस असहिष्णु एवं अनुदार शासक ने समस्त राज्य के लिए कानून बना दिया था कि जो भी यहूदी धर्म का अनुगमन करेगा, वह दण्ड-भागी होगा। उगने राज्य के ममरत यहूदी मन्दिरों में घूमानी मूर्तियाँ स्थापित करवा दी थी और 'तौरेत' की जो भी प्रतियाँ मिली, उन्हें जलवा डाला। उसके अत्याचारों से यहूदी धर्मानुयायियों को सेनापति साइमन ने (१४२ ई० पूर्व) मुक्ति दिलाई थी।

इसी समय यहूदी धर्म के नवियों ने अमुरी सम्राटों की उनसे धर्मद्रोह के लिए कटु भर्त्सना की और अपनी निर्भक्ता का परिचय दिया। इन नवियों ने बाबुल के नेबुलदनेज्जार ने कारागार में 'बाइबिल' के प्रारम्भिक पाँचों खण्डों (पेतुस) को प्रस्तुत किया। इस प्रकार यहूदी नवियों के प्रयास से धर्म की परम्परा को आगे बढ़ने में सहायता मिली।

बाइबिल

यहूदी धर्म की मूल पुस्तक का नाम 'बाइबिल' है, जो कि दो खण्डों में विभाजित है— पुरातन सुसमाचार' (Old Testament) और नूतन सुसमाचार' (New Testament)। इनके प्रथम खण्ड के तीन भाग यहूदी धर्म से सम्बन्धित हैं। इन तीनों भागों को 'यहूदी बाइबिल' भी कहा जाता है। 'बाइबिल' वस्तुतः विश्व के श्रेष्ठतम धर्म ग्रन्थों में से एक है। उसका विषय-निरूपण अन्य धर्मों के मूल पुरातन ग्रन्थों की भाँति सूचात्मक एवं सकेतात्मक शैली में किया गया है। इसलिए उसके अनेक स्थल अर्थ गाम्भीर्य की दृष्टि से बड़े जटिल एवं अस्पष्ट हैं। वैदिक ऋचाओं की भाँति उनके अर्थबोध में सन्दर्भगत विषय की दृष्टि से कोई सहायता नहीं मिलती। इसका सम्भवतः यही कारण हो सकता है कि 'बाइबिल' की धारियों को समग्र करते समय समग्रकारों ने सन्दर्भगत विषयों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया।

आधुनिक मानव समाज में 'बाइबिल' की बड़ी लोकप्रियता है। यहूदियों और ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य धर्मानुयायियों के लिए भी उसमें उपयोगी सामग्री निहित है। उसमें मानव जाति के सावंधीम आदर्शों को बड़े भाषिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसकी गायत्रा तथा उपगाथाओं में जो ईश्वरीय

सन्देश वर्णित है, वे प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यन्त प्रेरणाप्रद एवं आकर्षक हैं । 'बाइबिल' की बाणियाँ अपनी मरलता एवं सहृदयता की दृष्टि से और अपनी मनोरञ्जक शैली के कारण बड़ी रचिवर भी हैं ।

'बाइबिल' का वर्ण्य विषय प्रायः पुराणों और उपनिषदों की भाँति अन्ततः जीवन की मंगल सिद्धि में केन्द्रित है । उसके प्रथम खण्ड में सृष्टि की उत्पत्ति तथा मनुष्य के विकास की कहानी वर्णित है । भारतीय दर्शन में जिस प्रकार प्रकृति पुरुष को सृष्टि का आधार बताया गया है उसी प्रकार आदम और हीवा (ईव) द्वारा सृष्टि का नृपण एवं विकास कहे हुए आ और सतान के प्रभाव में आकर किस तरह उनका स्वर्ग से पतन हुआ, इसकी मार्मिक कथा वर्णित है । 'बाइबिल' के आगे के अन्य परिच्छेदों (ग्रन्थों) में नोह, अब्राहम तथा जोसेफ आदि महामानवों की जीवन-कथाएँ वर्णित हैं ।

सिद्धान्त-निरूपण

विभिन्न धर्मों की भाँति यहूदी धर्म के भी अपने दार्शनिक सिद्धान्त हैं । उनका यह परम्परागत विश्वास है कि मनुष्य की मृतदेह में आत्मा मोहवश तीन दिन तक घूमती रहती है । वे ईश्वर और देवदूत (पैगम्बर) में विश्वास करते हैं । किन्तु वे सतान को भी मानते हैं । ईश्वर ही इस ससार का रचयिता और उसका पालनकर्ता है । वह जीवों के प्रति दयालु और न्यायकारी है । न्याय के दिन वह मनुष्य के नर्तक्यार्तव्या की जाँच करता है, और तदनुसार उनके लिए स्वर्ग-नरक की व्यवस्था करता है ।

यहूदी धर्म दर्शन में ईश्वर ही एकमात्र सर्वशक्तिमान है । वही इतिहास का निर्माता, शासक तथा ससार की समस्त वस्तुओं का सूत्रधार है । वह स्वयं पवित्र है और अपने भक्तों से भी यह अपेक्षा रखता है कि वे भी पवित्र जीवन व्यतीत करें । वह ऐसा न्यायकारी है, जो पापियों और कुकर्मियों को दण्ड और पुण्यात्माओं एवं सुकर्मियों को पुरस्कार देता है । वह दयालु पिता है और उस जाति की रक्षा करता है, जो उसकी कृपा की आकांक्षी है । उसके अनेक नाम हैं—एलोहीन, याह्वे तथा अदोवाई आदि ।

ईश्वर ने अब्राहम के रूप में जन्म धारण किया । वह पृथ्वी का स्वतन्त्र सृष्टिकर्ता है । सृष्टि और सृष्टिकर्ता, दोनों भिन्न हैं । यह सृष्टि, सृष्टिकर्ता का रूपान्तरण है । ईश्वर लोकोत्तर है । उसकी इच्छाशक्ति से ही सृष्टि के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है । किन्तु वह उन सबसे पृथक् है । यहूदी जाति का उदय अब्राहम से हुआ और मूसा के समय ईश्वर तथा यहूदी जाति के बीच का व्यवस्थापन हुआ ।

यहूदी धर्म के इतिहास में यह कल्पना की गई है कि भविष्य में मसीह का अवतरण होगा और वे इस पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करेंगे। मसीह के रूप में अवतरित होकर ईश्वर यहूदियों की प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। किन्तु मसीह का अवतरण कब और कहाँ होगा, 'बाइबिल' में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। ईसाई लोग ईसा को ही प्रतिज्ञात मसीह मानते हैं, किन्तु यहूदी समुदाय आज भी मसीह के अवतरण की राह देख रहा है।

यहूदी धर्म की उपासना का प्रमुख मन्दिर यरुसलम में था। उस मन्दिर की सेवा तथा व्यवस्था के लिए दाजको के अलग अलग वर्ग नियुक्त किये गये थे। यहूदियों का दृढ़ विश्वास था कि यरुसलम के महामन्दिर में स्वयं ईश्वर विराजमान है। इसलिए यहूदी धर्म में उक्त मन्दिर को प्रमुख तीर्थ माना गया है।

यहूदी दर्शन में 'जूदावाद' या 'यूदावाद' के नाम से भी एक दार्शनिक मत प्रचलित हुआ था। इस मत के संस्थापक यात्रुब के पुत्र दहूदा या यजूदा थे। उसके नाम से उसके वंशजों को यहूदी नाम से कहा गया। उसने जिस यूदावाद को प्रचलित किया था, उसमें मूर्तिपूजा का तीव्र विरोध किया गया है। इस मत के अनुयायी अन्य धर्मों के साथ समन्वय स्थापित करने में भी पृथक् करते थे। इस मत के लोग याह्वे (ईश्वर) को अपना दामक मानते हैं और 'बाइबिल' में सृष्टीत मूसा संहिता को धार्मिक जीवन का सविधान मानते थे। यह यूदावाद अपने दृष्टिकोण में अन्त तक सकीण बना रहा।

आचार-दर्शन

यहूदियों का आचार-दर्शन ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्मों से बहुत कुछ समानता रखता है। इस मन्तव्य के अनुसार माता पिता का आदर करना, अहिंसा में प्रवृत्ति रखना, अस्तेय का पालन करना, व्यभिचार में अप्रवृत्ति रखना और अपने पड़ोसी के प्रति ईमानदारी का व्यवहार करना मनुष्य मात्र का मुख्य कर्तव्य है। उनकी प्रार्थना में सार्वभौम भावना निहित है। भगवान् के प्रति उनकी प्रार्थना में निवेदन किया गया है— हे प्रभो, हम लोगों में आपकी आज्ञा और आपसे द्वारा निर्दिष्ट नियमों के पालन करने की क्षमता हो, हम लोग पापा से दूर रहें, लोभ में न पड़े, हमारा अपमान न हो, सब प्रकार की बुराइयों से हम दूर रहें, हमें आप अपनी कृपा का पात्र बनाएँ। हे प्रभो, आप धन्य हैं, एवमस्तु (आमीन) ।'

हिन्दू वैदिक यज्ञों की भाँति यहूदी धर्म में भी पशुबलि सहित यज्ञों के अनुष्ठान का विधान है। इस्लाम धर्म की तरह यहूदी धर्म में मूर्ति निर्माण तथा

स्वर्ग का रूपाकन निषिद्ध है। सातवाँ शनिवार उनका विधाम दिन होता है। ईश्वर के आदेशानुसार वे छ दिनों तक कार्य में सलग्न रहते हैं और सातवें दिन शनिवार को पूर्ण विधाम करते हैं।

भारत के साथ सम्बन्ध

यहूदी धर्म का मूल उद्गम और यहूदियों का मूल निवास पश्चिम एशिया था। प्राचीन काल से ही धार्मिक तथा आर्थिक प्रयोजनों से उसके जिन बाहरी देशों से सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे, उनमें भारत भी एक था। इन सम्बन्धों के इतिहास को ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व में निर्धारित किया जा सकता है। यहूदियों के प्रमुख पुरुष दाऊद के पुत्र सुलेमान के समय (१००० ई० पूर्व) भारत के साथ यहूदियों के व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे। उसके बाद यद्यपि ईरान-इजरायल में सामाजिक तथा धार्मिक क्रान्तियों के कारण इन सम्बन्धों में बाधाएँ उत्पन्न होती गईं, तथापि यहूदियों की दृष्टि में भारत की गणना उन देशों में थी, जहाँ व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाया जा सकता था।

प्राचीन काल में यहूदियों की एक शाखा इजा इजरायल में जा बनी थी, जिसे 'बोने इजरायल' कहा जाता है। उस शाखा के मूल निवासियों का एक वर्ग लगभग ७००-६०० ई० पूर्व में भारत जा रहा था। देवयोग से उनका जहाज समुद्री तूफान के कारण नवगाँव के निकट नष्ट हो गया था। उस दल में से केवल मात्र पुरुष और सात स्त्रियाँ ही बच पाये थे। वे सब वही नवगाँव में बस गये थे। उनकी वंश परम्परा उत्तरोत्तर बढ़ती गई और वे अपनी स्थिति को सुस्थिर बनाते गये। कोकण के समुद्री तट पर अवस्थित अनेक गाँवों में उनकी शाखा के लोग अब तक रह रहे हैं। वे पगड़ी धारण करते हैं और अब्राहम, ईमान तथा जेकब के अनुयायी हैं। सुन्नत (सत्कार) के समय उनके प्रथम हिंडू नाम रत्ने जाते हैं और फिर उन नामों का भारतीय-करण कर दिया जाता है।

बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण भी पश्चिम एशिया से भारत के सम्बन्धों में घनिष्टता बढ़ी। सम्राट् अशोक ने अपने धर्म-प्रचारक भिक्षुओं को पश्चिम एशिया भेजा था। जिस समय मछमलम पर अनियोज्य चतुर्थ का शासन (१७५ ई० पूर्व) था, ईरान तथा इजराइल में बौद्ध भिक्षुओं का प्रवेश हो चुका था। उन्होंने यहूदी धर्म को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया, जिसके कारण यहूदी धर्म को एक शाखा 'एस्नेमी' का उदय हुआ। उसके अनुयायियों ने अपने नये नियम प्रचलित किये। उनमें हिंसा, पशुवलि, मास-

भक्षण तथा मदिरापान वर्जित था । प्रत्येक 'एस्सेमी' धर्म-ग्रहण करते हुए दीक्षा के समय यह प्रतिज्ञा करता था कि—'मैं यहाँ (परमात्मा) का भक्त रहूँगा । मनुष्यमात्र के साथ सदा न्याय का व्यवहार करूँगा । मैं सदा सत्य में प्रेम करूँगा' आदि । इस धर्मशाखा का भविष्य क्या रहा, इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं होता है, किन्तु यह निश्चित है कि प्रथम शती ई० पूर्वे में समाप्त कनिष्क के समय तक एशिया के उत्तरी-पश्चिमी देशों से भारत के सम्बन्ध घनिष्ठ हो चुके थे । इसी समय इजराइल में भारतीय तत्त्वविद्या का प्रवेश हुआ, जिसके प्रभाव से दर्शन की एक नई शाखा 'कब्बालह' के नाम से प्रकाश में आई । वह अद्वैतवादी थी और भारतीय अद्वैतवाद के सिद्धान्तों को उसमें यथावत् अपनाया गया । उसने सिद्धान्त थे—'ईश्वर अनादि, अनन्त, अपरिमित, अधिन्त्य, अभ्यक्त और अनिर्वचनीय है ।' भारतीय योग-दर्शन की साधना का भी उस शाखा पर प्रभाव पड़ा । भारतीय आचारों को भी उगने अपनाया ।

ब्रिटिश भारत में पुन यहूदियों का भारत में प्रवेश हुआ और वे विभिन्न नगरों तथा गाँवों में फैलकर स्थाई रूप से वहीं बस गये । उनमें से अधिकतर अच्छे ध्यापारी हैं । सम्प्रति भारत में रह रहे यहूदियों की संख्या कुल मिलाकर दो हजार के लगभग है । उनमें धार्मिक आदर्य और आस्तिरता है । भारतीयता के प्रति उनकी निष्ठा है और साथ ही भारतीय आचार-विचारों तथा धार्मिक परम्पराओं में उनका गहरा उभाव है । सविधान में उन्हें नागरिकता के पूरे अधिकार हैं ।

इस प्रकार यद्यपि यहूदी धर्म विश्व के पुरातन धर्मों में से है, किन्तु न केवल भारत में अपितु अपनी जन्मभूमि में भी उनके अनुयायियों की संख्या सीमित हो गई है । उनकी यह सीमित संख्या भी इतिहास में इस रूप में भी महनीय एवं स्मरणीय है कि उसमें इस्लाम तथा ईसाई जैसे प्रसिद्ध धर्मों का उदय हुआ । 'कुरान' में स्पष्ट कहा गया है कि मूसा इस्लाम के प्रवर्तक और ईश्वर के भेजे हुए दूत (पैगम्बर) थे । इसी प्रकार 'बाइबिल' में महात्मा मूसा को ईश्वर का दास कहा गया है और उनकी महिमा का सर्वत्र वर्णन किया गया है ।

ईसाई धर्म

विश्व के धार्मिक इतिहास में ईसाई धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। व्यापकता और प्रभाव की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या का ३५ प्रतिशत मानव-समाज ईसाई धर्म का अनुयायी है। इसी तथ्य से उसकी लोकप्रियता का पता लगाया जा सकता है। यद्यपि उनका उद्गम एशिया में हुआ, किन्तु उसका मानने वाला बहुसंख्यक समाज यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका तथा ओशिआनिया आदि विभिन्न देशों में फैला हुआ है। यूरोप की अपेक्षा अमेरिका में ईसाई धर्मानुयायी अधिक हैं। यूरोप में उसके मानने वाले ७८ प्रतिशत हैं, जब कि अमेरिका में ८३ प्रतिशत। भारत में स्थायी रूप से निवास करने वाले ईसाइयों की संख्या लगभग सवा करोड़ है।

इस धर्म-शाखा के प्रवर्तक महान्मा ईसा मसीह हुए। अपने जीवन-काल में लोकमान्यता की दृष्टि से उनकी जो स्थिति रही, शरीरान्त के बाद उस स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ। उनके जीवन-काल में यद्यपि उनके शिष्यों एवं अनुयायियों का दृष्टिकोण निष्ठावान् बना रहा, किन्तु जब उन्हें क्रूम पर चड़ाया गया तो अपने धर्मनेता के इन दुःखद अन्त पर उनके विद्वान् में कुछ शिथिलता आई। यही कारण है कि उनके अनुयायियों की शिथिलता से ईसाई मन का विकास कुछ वर्षों तक बड़ी मन्थर गति से जागे बढ़ा, किन्तु धीरे धीरे उनका पुनरुत्थान हुआ और लोगों में यह विद्वान् बच्यत्तर होता गया कि ईसा ने मानव को मुक्ति और सद्बिबेक का जो सन्देश दिया, वह अनन्य एवं अनुपम था। उनके महान् सन्देश को लेकर उनके शिष्य-प्रशिष्य अनेक देशों में फैल गये और धर्म के व्यापक प्रचार-प्रसार में तत्पर हो गये।

ईसा यहूदी धर्म में अत्यन्त प्रभावित थे और हब्रल मूना के सिद्धान्त को श्रुति-स्मृति के रूप में वरण कर उनका उन्होंने अपने ढंग से प्रवर्तन किया। जब 'बाइबिल' का सकलन-सम्पादन हुआ तो ईसाइयों ने यहूदियों के धर्म-ग्रन्थ को उसके पूर्वार्द्ध में समावेशित किया और उनको ईसाई धर्म के रूप में मान्यता दी। उनके उत्तरार्द्ध भाग में ईसा की जीवनी, उनकी शिक्षा और ईसाई धर्म के इतिहास को जोड़ित किया।

ईसाई धर्म का आधार ईसा मसीह के उपदेश हैं और इन्होंने ईसाई समाज ईसा को ईश्वरत्व का अवतार मानते हैं। वे भक्त भी थे और उनकी आराधना, पूजा तथा साधना के आधार भी। एक ईश्वर-भक्त होने के कारण

उन्होंने घोर दुःख को सहन करते हुए ब्रूस पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया था और पूरे तीस वर्षों तक सपर्यमय जीवन बिताकर अपने भक्तों तथा अनुयायियों को कठिनाइयां पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा दी। उनके भक्तों ने उन्हें मुक्तिदाता परमेश्वर के रूप में वरण किया। उन्होंने मानव-जीवन की दुःखमयता को अपने जीवन में उतारा और मनुष्य की दुःखमुक्ति का मार्ग बताया।

प्रभु ईसा ने मनुष्य की सृष्टि में किसी प्रकार की असमानता नहीं की, अपितु अपने-अपने बृत्यों के कारण कुछ तो पतित होकर नरकगामी हुए और नरकदूत तथा शैतान कहलाये, कुछ अपने सत्कर्मों के कारण स्वर्गवासी हुए और स्वर्गदूत तथा फरिश्ते कहलाये। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की थी कि वह जीवों में सर्वोत्तम मानव जीवन प्राप्त करता हुआ सत्कार में अपने सत्कर्मों का सच्य कर ईश्वर के परमानन्द में विलीन हो जाये, किन्तु विद्रोही एव प्रतिद्वन्दी मनुष्य ने पापाचरण की प्रवृत्ति को अपना लिया और अपने उद्धारक स्वर्गीय मार्ग को भुला दिया। उसकी इस दुष्प्रवृत्ति का प्रायश्चित्त कर ईश्वरीय कृपा का अधिकारी बनाने के लिए और उसे उसकी परम गति का मार्ग दिखाने के लिए ईसा ने अपने जीवन को ब्रूस पर चढ़ाया। 'वाइविल' में वर्णित प्रभु ईसा की जीवनी में ये रहस्य प्रकाश में आये हैं।

ईसाई धर्म का निर्देश है कि जो मनुष्य अपने पापा का प्रायश्चित्त करने से इन्कार करेगा, वह नरकगामी होगा। ईसाई धर्म में इसलिए सदाचरण-शीलता, पवित्रता और सत्कर्मों के सम्पादन के उद्देश्य से कमकाण्ड को स्वीकार किया गया है। ईसाई धर्म में 'ख्रीस्त भाग' (होली मास) का विद्यमान है। इस होली मास में विभिन्न सत्कारों का सम्पादन होता है। 'वपतिम्मा सत्कार' और विभिन्न पर्वोत्सवों की योजना ईसाई धर्म में इसलिए की गई है कि देहसुद्धि विचारसुद्धि और मानसिकसुद्धि का आचरण कर मनुष्य अन्त में ईश्वर के परमानन्दलोक में प्रवेश करने का अधिकारी बन सके। इस धर्म में नैतिकता और मदाचार का बड़ा महत्त्व बताया गया है। महात्मा मूसा द्वारा प्रवृत्त 'मूसा संहिता' में इस प्रकार के आचारों का निरूपण किया गया है जिनमें त्रिविध सुद्धि होती है। ये आचार वैष्णव धर्म के आचारों से साम्य रखते हैं। ईसाई धर्म का मार या तत्व है— 'मनुष्य ईश्वर में सर्वाधिक प्रेम रखे और मनुष्यमात्र से प्रेम करे'।

इस प्रकार ईसाई धर्म के प्रवर्तक एव सस्थापक महात्मा मूसा और प्रेमावतार ईसा मसीह ने सार्वभौम विद्व कल्याण के लिए अवतरण किया। लगभग दो हजार वर्षों में बहुसंख्यक ईश्वरभक्तों ने अपने अवतारी महापुरुषों

की बाणियों को जीवन में उतारा। किन्तु आज के ईसाई जन-समुदाय ने अपनी दौड़िक उन्नति के कारण, धर्म की निष्ठा को शिथिल कर दिया है। न केवल ईसाई समाज में, अपितु आज के विश्व में धर्म-कर्म को दोग माना जा रहा है। आधुनिक आत्मविनाशी वैज्ञानिक उपलब्धियों की उड़ान में मनुष्य धमिल हो गया है।

महात्मा ईसा मसीह

ईसाई धर्म के जन्मदाता ईसा मसीह (जेसस ब्राइस्ट) का जन्म पश्चिम एशिया स्थित यहूदलम (फिलिस्तीन) में २५ दिसम्बर को बथलियम (बेथ लेहम) नामक गाँव में हुआ था। 'ईसा' इब्रानी शब्द 'येशूआ' का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है—'मुक्तिदाता'। यहूदी धर्म-ग्रन्थ में ईश्वर द्वारा प्रेरित मुक्तिदाता को 'मसीअह' (मसीह) कहा गया है। यूनानी भाषा में उसको 'ख्रीस्तोस' नाम से कहा गया है। प्राचीन यूनानी तथा यहूदी इतिहासकारों ने ईसा मसीह तथा उनके द्वारा प्रवर्तित धर्मशाखा के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ नहीं लिखा है। ईसा के सम्बन्ध में विशेष सामग्री 'बाइबिल' के चारों 'सुमनाचारों' में (गास्पेलों) में वर्णित है। उसकी रचना ईसा की प्रथम शती के उत्तरार्द्ध में हुई थी। इन सुमनाचारों के अनुसार उनकी माता का नाम मरिया या मरियम था, जो कि गलीलिमा प्रान्त की नाजरेथ नामक गाँव की थी। यह एक विशेष संयोग की बात है विश्व के प्रायः समस्त धर्मों के जितने भी सस्थापक महापुरुष या देवीपुरुष हुए, उन सबने नगरी की अपेक्षा गाँवों को अधिक अपनाया। मरियम का जब विवाह नहीं हुआ था, बुँवारी कन्या के गर्भ से एक घुड़साल में ईसा का जन्म हुआ। बाद में उनका विवाह जोसेफ नामक एक यहूदी वड्डई से हुआ। कहा जाता है कि विवाह करने से पूर्व एक देवदूत ने दर्शन दिया और कहा कि वह मरियम से विवाह करने की किसी भी प्रकार की शक न करे, क्योंकि मरियम ने जिस पुत्र को जन्म दिया, वह ईश्वर का अवतार है (मैथ्यू १।२०)। ईश्वरी सन् का आरम्भ उन्हीं के जन्म से माना जाता है।

जिस समय महात्मा ईसा का जन्म हुआ, फिलिस्तीन पर हीरोद (Herod) का शासन था। ईसा के जीवनी लेखक मैथ्यू ने लिखा है कि—'ईसा के जन्म का संदेश पाकर पूर्व देश के कतिपय विद्वान् ज्योतिषी बथलियम पहुँचे। उन्होंने माता मरियम सहित बालक के दर्शन किये और उन्हें साष्टांग दण्डवत् करके भेंटें चढ़ाईं'। आगे लिखा है—'देवदूत ने जोसेफ को स्वप्न में समाचार दिया कि वे बालक को लेकर मिस्र देश की ओर भाग जायें, अन्यथा हीरोद उसकी हत्या कर देगा'। देवदूत की आज्ञानुसार जोसेफ, बालक तथा

मरियम को लेकर रातो-रात मिथ्र चले गये। जब तक फिलिस्तीन पर हीरोद का शासन रहा, वे मिथ्र में ही रहे। हीरोद को पूर्व देश के ज्यातिपियो से यह समाचार मिला कि उसके राज्य में ईश्वरावतार का जन्म हो चुका है। इस समाचार को सुनकर उसने अपने सैनिकों को वयलियम भेजा और वहाँ दो वर्ष से नीचे नें जितने भी बालक थे, उन सबको मरवा डाला।

जब हीरोद की मृत्यु हुई तो जोसेफ मरियम तथा ईसा को लेकर यरुसलम लौट आये। उस समय ईसा की आयु बारह वर्ष की थी। उनमें अलौकिक प्रतिभा का उदय हो चुका था। वे पूर्ण ज्ञानी बन चुके थे और अनेक धर्मवेत्ता तथा तत्त्ववेत्ता विद्वानों से उनका गभीर वाद-विवाद हो चुका था। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के साथ व्यापार में सहयोग किया, किन्तु उनका मन अपने उद्देश्य की सिद्धि में वैचैन रहने लगा और समय पाकर वे एकान्त चिन्तन में डूब जाया करते थे। भ्रान्त मनुष्य को उसके कर्मपथ पर लगाने के लिए वे उपाय सोचने लगे। उनकी समस्त जीवन घटनाएँ और दुःखमय सत्सार के प्रति चिन्ता, ठीक तथागत बुद्ध के विचारों तथा जीवन घटनाओं के अनुरूप थी।

उन्हीं दिनों जान दि बैपटिस्ट (Johan The Baptist) नामक एक भविष्यवेत्ता मन्त ने जन-समाज में यह प्रचार किया कि इस धरती पर एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हो चुका है, जो भगवान् की दी हुई शक्ति से लोगों को उद्बोधित करेगा और इस धरती पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना करेगा। ईसा जान दि बैपटिस्ट के पास दीक्षा लेने के लिए गये। उन्होंने ईसा से विनती की—‘आप तो स्वयं दीक्षित एव सुसंस्कृत हैं, आपको सत्सार को दीक्षित एव शुद्ध करना है।’ किन्तु ईसा के अनुरोध पर महात्मा जान ने उनका सस्कार किया। जब इस घटना को वहाँ के शासक टेटाच ने सुना तो उसने महात्मा जान को बन्दी बना लिया और उनकी हत्या करवा दी।

बड़े होने पर महात्मा ईसा ने, तथागत बुद्ध की भाँति सद्धर्म का प्रचार किया और जनमामान्य को ईश्वर-भक्ति एव जीवन के उन्नत मार्ग की ओर प्रवृत्त होने का उपदेश दिया। उनके वे उपदेश इतने प्रभावकारी थे कि थोड़े ही समय में बहुसंख्यक जनता उनकी अनुयायी हो गई। जब समाज में उनके अनुयायियों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी तो वहाँ के लोगी तथा स्वार्थी पुरोहितों का महत्त्व कम होने लगा। अपने अस्तित्वों की रक्षा के लिए उन्होंने ईसा की हत्या का षड्यंत्र रचा, किन्तु ईसा को उसका आभास हो गया। उन्होंने बरी सभा में अपने अनुयायियों के समक्ष एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा—‘पूर्व के दिन, दो दिन बाद भोज होगा। उसमें अपने एक अनुयायी के विश्वासघात के कारण उन्हें घाली पर चढ़ा

दिया जायेगा'। लोगो ने यह सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य एव घोर दुःख हुआ। पर्व के दिन सध्या समय ईसा अपने चारह अन्तरंग शिष्यों के साथ भोजन में भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा—'मैं तुमसे सत्य भाषण कर रहा हूँ कि तुम में कोई एक मुझे पकड़वाओगे'। इस पर एक शिष्य ने उनसे कहा—'हे प्रभो, क्या वह मैं हूँ?' ईसा ने उत्तर दिया—'जितने मेरी थाली में हाथ डाला, वही मुझे पकड़वायेगा'। उन्होंने अपने आज्ञाकारी एव सत्य-निष्ठ शिष्यों से अपने इस अन्तिम भोजन के समय कहा था—'यह मेरा नरीर है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। यह कटोरा मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए अर्पित किया जा रहा है।'

तथागत बुद्ध के जीवन-काल में ही जिस प्रकार देवदत्त आदि उनके चतुर विरोधी बन गये थे और उन्होंने बुद्ध को मरवा देने का पड़्यन रचा था, वही घटना महात्मा ईसा के जीवन में घटित हुई। 'बाइबिल' में ईसा के चारह पट्ट शिष्य कहे गये हैं। उनमें यूदस (Judas) का नाम अन्तिम है। वह बाहर से तो उनका शिष्य बना रहा, किन्तु भीतर से विरोध करता रहा। वह इसलिए शिष्य बना रहता था कि दान का सारा धन उसी के पास रहता था और उसमें से वह चोरी किया करता था। महात्मा ईसा को उसी ने पकड़वाया था। उसने इस क्रूरत्व के लिए तीस सिक्के लिये थे। जब उसने सुना कि ईसा को क्रूस पर लटकाया जाने वाला है तो वह पश्चात्ताप करता हुआ राजको (पुरोहितों) के पास गया और उसने उन सिक्को को उन्हें लौटाना चाहा। किन्तु उन्होंने उन्हें लेने में इन्कार कर दिया। उसको इतना दुःख और आत्मग्लानी हुई कि उन सिक्को को वही छोड़कर उसने स्वयं भी फाँसी लगा के आत्महत्या कर ली।

क्रूस-दण्ड

जिस समय ईसा को क्रूस पर लटकाया गया, उस समय उनकी अवस्था ४४ वर्ष की थी। उस समय जूडिया पर पायलेट नामक शासक का शासन था। उस समय ईसा जब-सामान्य को सत्यज्ञान और सत्यधर्म का सन्देश दे रहे थे। राजा और प्रजा, दोनों यहूदी धर्म के अनुयायी थे। शासक को ईसा का यह धर्मोपदेश पसन्द नहीं था। शासक ने ईसा पर चोरी का झूठा अभियोग लगाकर उन्हें बन्दी बना लिया। महापुरोहित तथा अन्य पुरोहितों ने झूठी गवाही दी। ईसा पर पहले तो कोड़े लगाये गये और उनके कपड़े फाड़ दिये गये। बड़ी बेहदमी से सरे-आम उन्हें घोर यातनाएँ दी गईं। अन्त में उन्हें क्रूस (झूली) से मारने की सजा दी गई। लकड़ी के क्रूस पर

कीलों से जड़कर बड़ी निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई और उनके निर्जीव शरीर को भूमि में दफना दिया गया। धूली पर चढ़ते हुए उन्होंने शान्त वाणी में कहा था—'हे प्रभो, इन्हे क्षमा करना। ये बेचारे यह नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हे पिता, यह आत्मा तुम्हें अर्पित है'। और इस पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया।

क्रूसदण्ड न केवल अत्यन्त पीडाकारक था, अपितु अपमानजनक भी था। यह दण्ड या तो देशद्रोहियों अथवा घोर अपराधी दासों को ही दिया जाता था। इस दण्ड में दण्डित व्यक्ति को पहले कोड़ों से इतना मारा जाता था कि वह चेतनाहीन हो जाये। उसे भूल-भ्यास तथा पीडा से तडपाया जाता था। इस प्रकार असीम, अक्षत्पित वेदना को झेलता हुआ वह प्राण त्याग करता था। मानव सभ्यता के इतिहास में इस प्रकार का कठोरतम दण्ड केवल अतिक्रूर रोमवासियों में ही प्रचलित था।

महात्मा ईसा एक दयालु पिता थे। उनके हृदय में मानवता के प्रति अपार कृपा और दया थी। उन्होंने मनुष्य जाति के अन्तःकरण के अज्ञान तथा दुःख को दूर करने का आजीवन प्रयास किया। वे लोक-कल्याण के लिए सत्कार में अवतरित हुए थे और आजीवन उत्ती में अभिरत रहते हुए उन्होंने स्वयं को आहुत किया।

ईसा के उपदेश

ईसा ने धार्मिक उपदेशों तथा तात्त्विक विचारों को 'बाइबिल' के उत्तरार्द्ध में सकलित किया गया है। 'बाइबिल' मुख्य रूप से यहूदियों की और सामान्य रूप से यूरोप तथा विश्व के अनेक भागों में बसे हुए समस्त ईसाई समाज की एकमात्र धर्म-पुस्तक है। महात्मा ईसा के बाद उनके अनेक शिष्यों ने यहूदी धर्म-ग्रन्थों में उल्लिखित ईसा के धर्म-नियमों तथा ईश्वरीय निर्देशों का सकलन किया। उन प्राचीन सगृहीत पवित्र वाणियों को परिमार्जित, सर्वाङ्गित एवं सुनियोजित कर सन्त पाल और मन्त मैथ्यू ने 'बाइबिल' के वर्तमान मुद्रित संस्करणों को प्रकाशित किया। उमवे आरम्भिक चार ग्रन्थ यहूदी धर्म से सम्बन्धित हैं। उसके अन्तिम चार भाग ईसाई धर्म से सम्बन्धित हैं। सन्त मैथ्यू ने अपनी पुस्तक 'सुसमाचार' के पाँचवें तथा सातवें अध्यायों में ईश्वरगुप्त ईसा के उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया है। ईसा ने कहा है—

'जिस मन में दीन-भाव का उदय हो चुका है, वह धन्य है, क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा।'

'दयालु पुरुष धन्य है, क्योंकि वे ही भगवान् की दया के अधिकारी होंगे।'

'कल की चिन्ता मत करो क्योंकि कल अपनी चिन्ता स्वयं करेगा। आज का दुःख ही आज के लिए पर्याप्त है।'

'सुई के छेद में से जूट भले ही निचल जाये, किन्तु धनी के लिए स्वर्ग पाना संभव नहीं है।'

उन्होंने समानता का उपदेश दिया और सब में आत्मा की एकरता का भाव जगाया। वे पारस्परिक प्रेम, कर्तव्यपालन और ईश्वरभक्ति के प्रति समाज में अपने सद्बचनना का प्रचार करते रहे। वे सत्सार में स्वर्ग का राज्य (Kingdom of Heaven) स्थापित करना चाहते थे। एशिया के देशों में व्याप्त महापान बौद्ध धर्म के आदर्शों से वे सुपरिचित थे। संभव है कि उनके लोक-कल्याणकारी विचारों पर बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव रहा हो।

'बाइबिल' में ईसा को साक्षात् परमेश्वर का पुत्र मानकर उनके नियमों तथा आदेशों का एकान्त मन में ग्रहण एवं पालन करने का निर्देश है। साथ बालना और चोरी न करना—प्रत्येक मनुष्य के आवश्यक कर्तव्य है। ईसा मरकर भी जीवित हैं। उन्होंने लोक-कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति मनुष्य के लिए एकमात्र उद्धार का उपाय है। लोक-कल्याण के लिए मनुष्य को ईसा की भाँति आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। उनके उपदेशों का यही सार है।

सिद्धान्त-निष्पत्ति

'बाइबिल' में अद्वैत, अनादि, अनन्त, निराकार एवं प्रकाशपुत्र सर्व-शक्तिमान परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। ईसा उन्हीं परमेश्वर के पुत्र थे। ईसा, उनके पिता, अर्थात् परमेश्वर और उनकी पवित्र आत्मा, दोनों एक हैं। उनके सिद्धान्तों से ज्ञात होता है कि ईसाई दर्शन अद्वैतवादी है। ईसा ने स्वयं कहा भी है—'मैं ही कर्ता हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही गुनस्त्यान हूँ, जीवन और सच्चाई का मार्ग मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता।'

ईसाई धर्म में पुनर्जन्म की कोई स्थिति नहीं दिया गया है। ईश्वरपुत्र ईसा पर विश्वास करना और उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना ही ईश्वर-भक्ति का परिपालन और ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। ईसाई धर्म में यद्यपि मूर्तिपूजा का निषेध है, तथापि ईसाई समाज में (कैथोलिक चर्चों में) महात्मा ईसा और माता मरियम की पूजा का प्रचलन है।

ईसाई मत में ईश्वर की प्राप्ति का आधार दया, प्रेम, अहिंसा, सत्य-वचन, कर्तव्यपालन और 'बाइबिल' में विश्वास करना बताया गया है। उसके लिए तप, अनुष्ठान, ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को परमेश्वर की भक्ति तथा शरणागति में समर्पित कर देना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है।

ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए महात्मा ईसा ने किसी भी प्रकार के दार्शनिक तथा भौतिक अवलम्बन की आवश्यकता नहीं समझी है। अतः वे तत्त्वचिन्तन की ओर सदा उदासीन रहे। उन्होंने सब में भगवान् की सत्ता को व्याप्त बताया और उस सत्ता के प्रति मनुष्य को प्रेरित एवं उद्बोधित किया। जिस प्रकार बालक अपनी माता के गोद में है, उसी प्रकार वे भी स्वयं को ईश्वर की गोद में मानते थे। वे परमेश्वर के पुत्र और उनकी पवित्र आत्मा थे।

संस्कार

हिन्दू धर्म के अनुसार स्मृतियों तथा पुराणों में प्रतिपादित जिन विधि-विधानों से जीवन को पवित्र एवं शुद्ध किया जाता है, उन्हें 'संस्कार' कहा गया है। द्विजवर्णों के लिए जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त अनिवार्यतः निष्पादित होने वाले ऐसे संस्कारों की सख्या यद्यपि विभिन्न ग्रन्थों में मत्तान्तर से बताई गई है, किन्तु 'मनुस्मृति' के अनुसार वे १६ हैं। इन पंद्रह संस्कारों से परिसुद्ध जीवात्मा मुक्ति का अधिकारी बन जाता है।

ईसाई धर्म में भी अनेक प्रकार के संस्कार बताये गये हैं और उन सबका उद्देश्य भी परिसुद्धि बताया गया है। उनके संक्रामेट, जिनके आचरण से जीवात्माएँ पवित्र एवं निर्मल होती हैं, 'संस्कार' कहे गये हैं। ये संक्रामेट ऐसी धर्म-विधियाँ हैं, जिनको स्वयं ईसा मसीह ने निर्धारित किया है और जिनके सम्पादन से ईश्वर की कृपा का अधिकारी बना जा सकता है। ईसाई चर्चों में जलकुण्ड में 'बपतिस्मा' संस्कार द्वारा जलाभिषेक पापमोचन का संस्कार है, जिसका विधान स्वयं ईसा ने किया था। ऐसे लोग अपने पापों का प्रायश्चित्त कर ईसा के क्षमादान के पात्र बन जाते हैं। ईसाई धर्म में जीवन की पवित्रता के लिए सात प्रकार के संस्कारों (संक्रामेट) का विधान किया गया है, जिनके नाम हैं—१ बपतिस्मा, २. यूखारिस्ट, ३ पाप-स्वीकरण, ४ पीरोहित्य, ५ विवाह, ६. दूढ़ीकरण और ७ तैलमर्दन। प्रोटेस्टेंट धर्मानुयायियों में आरम्भ के दो ही संस्कार माने जाते हैं। समस्त ईसाई समाज इन संस्कारों के सम्पादन को बड़ा महत्त्व देता है।

अपने अन्तिम भोजन के समय ईसा ने 'गुफारिफ्ट मस्कार' निर्धारित किया था। यह सत्कार एक प्रकार से ईसा के क्रूस पर आत्मबलिदान का स्मारक भी है।

पर्वोत्सव

ईसाई समाज में समय समय पर अनेक प्रकार के पर्व मनाये जाने की परम्परा है। उनमें अधिकतर ईसा के जन्म तथा स्वर्गारोहण से सम्बन्धित है। ईसाइयों में इतवार प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध पर्व है। परम्परा से लेकर आज तक ईसाई समाज इतवार को गिरजाघर जाते हैं और अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। ईसाई समाज का विश्वास है कि क्रूस पर देहत्याग करने के तीसरे दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। जिस दिन ईसा का पुनरुत्थान हुआ, यहूदी समाज अपने सबसे बड़े पर्व 'पास्का' मना रहे थे। अतः ईसा ने पुनरुत्थान पर्व को भी 'पास्का' कहा जाने लगा। वसन्त की प्रथम पूर्णिमा तिथि को ईसाई समाज इस पर्व को मनाते हैं। यह पुनरुत्थान पर्व २१ मार्च या उसके बाद पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। उस पूर्णिमा के बाद प्रथम इतवार को यह पर्व मनाया जाता है।

ईसाई धर्म में 'पुनरुत्थान पर्व' की प्रार्थनाओं में ईश्वर के अनुग्रह से यहूदियों की मिश्र की गुलामी से मुक्ति प्राप्त होने और ईसा के बलिदान से ईश्वर की प्रजा पाप की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करने के सन्दर्भ दुहराये जाते हैं। पुनरुत्थान के ठीक धालीस दिन बाद पड़ने वाला पर्व 'स्वर्गारोहण' के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन ईसा ने अपनी पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों के पास भेजा था। इस घटना के उपलक्ष्य या स्मृति में स्वर्गारोहण के दस दिन बाद 'पेंटकोस्त' नामक पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार 'गुड फ्राइडे' (पुनीत शुक्रवार) पुनरुत्थान पर्व के दो दिन पहले मनाया जाता है।

ईसा मसीह की स्मृति में मनाया जाने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्व 'ईस्टर का त्यौहार' है। यह त्यौहार ग्रीक रोमनों, यहूदियों और ईसाइयों में समान उत्साह एवं थ्रद्धा से मनाया जाता है। अधिकतर यह त्यौहार अप्रैल मास में पड़ता है। यह एक प्रकार में वसन्त का त्यौहार है। ग्रीक समाज इस त्यौहार को वसन्त सम्पात के समय २१ मार्च को मनाते थे, जब शीत का अन्त और वसन्त का आरम्भ होता है। यहूदी लोग अपने वर्ष के पहले मास में इस त्यौहार 'पेमा खा' को एक रक्षात्मक भावना की स्मृति में मनाते हैं। कैथोलिक सम्प्रदाय के लोग इस त्यौहार को विशेष महत्त्व देते हैं। यह त्यौहार 'बड़ा दिन' (२५ दिसम्बर) की भाँति उत्साह से मनाया जाता है। प्रत्येक ईस्टर

की तिथि को चान्द्रमास के अनुसार प्रतिवर्ष अलग-अलग तिथियाँ निश्चित की जाती हैं।

ईसाइयों में सर्वप्रथम पर्व या त्यौहार सहीदों की स्मृति में मनाये जाते थे। किन्तु चौथी शती ई० से माता मरियम, योहान् बपतिस्मा और ईसा के पट्ट शिष्यों की स्मृति में भी अनेक त्यौहार मनाये जाने लगे। माता मरियम का सबसे बड़ा त्यौहार प्रति १५ अगस्त को उनके स्वर्गरोहण की स्मृति में मनाया जाता है।

ईसाई समाज में पर्वों तथा त्यौहारों को मनाने की लम्बी परम्परा है। उनमें से अधिक का सम्बन्ध ईसा मसीह से है। उनके निमित्त अपनी पुनीत श्रद्धा को व्यक्त करने के उद्देश्य में ईसाई समाज त्यौहारों का आयोजन करता आ रहा है।

ईश्वर

भारतीय दर्शन शास्त्रों में ईश्वर का व्यापक तात्त्विक विवेचन किया गया है। किन्तु 'बाइबिल' में ईश्वर को दार्शनिक तर्कों बितर्कों से मुक्त रखा गया है। 'बाइबिल' के पूर्वार्द्ध में, जो कि यहूदी धर्म से सम्बन्धित है, ईश्वर को अनादि, अनन्त, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता के रूप में माना गया है। उसने सत्ता की सृष्टि की, किन्तु उसमें व्याप्य होकर भी वह सर्वथा अलग है। किसी प्रकार की मूर्ति अथवा प्रतीक में उसे अवधारित नहीं किया जा सकता है। वह स्वयं परम पावन है और प्रत्येक मनुष्य को पवित्र जीवन बिताने का निर्देश करता है। ईसाई धर्मानुयायी समाज का विश्वास है कि ईश्वर प्रेममय है और वह मनुष्य को अनन्त, आनन्द का मार्ग बताने के लिए सृष्टि का सृजन करता है। किन्तु मनुष्य ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेमभाव को विस्मृत कर दिया और वह पापाचारी में प्रवृत्त हो गया। इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर ने ईसा के रूप में जन्म लिया और उसने मनुष्य जगत् में प्रेम तथा दया की स्थापना की। इसलिए ईश्वर को प्रेममय भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके अनुग्रह प्राप्त किये जा सकते हैं।

ईश्वर ही मनुष्य का न्यायकर्ता है। नियमों को अवहेलना करने वाले मनुष्य के न्यायमें के दिन, जब कर्मकर्मों का हिसाब लगाया जाता है, तब न्यायविता ईश्वर ही स्वर्गपवर्ग का निर्धारण करता है। पापाचारी मनुष्य को मुक्तिमार्ग बताने के लिए ईश्वर ने दया तथा सत्य का आचरण करने का निर्देश दिया है।

'वाइबिल' व उत्तरार्द्ध में, जो कि ईसाई धर्म से सम्बन्धित है, ईसा ने ईश्वर को त्रिविध रूप बताया है। उनमें पिता, पुत्र, तथा पवित्र आत्मा, तीनों का समन्वय है। उसके ये तीन गुण उसी की भाँति अनादि, अनन्त, सत्तिमान और सर्वव्यापी हैं। मनुष्य ईश्वर का अन्तरण अणु है और इसीलिए ईश्वर ने उसे पिता, पुत्र तथा पवित्रात्मा और अनिर्वचनीय प्रेम का भागीदार बनाया। मानव-समाज में इसी प्रेम-विधान की पुनर्स्थापना के लिए ईसा अवतरित हुए।

ईसा ने स्वयं क्रूर पर चढ़कर मनुष्य के पापों का प्रायश्चित्त किया और उसके लिए मुक्ति के द्वार उन्मुक्त किये। जो मनुष्य अपने पाप-कर्मों के प्रति प्रायश्चित्त करता है और उसके लिए क्षमा की याचना करता है। वह पिता, पुत्र तथा पवित्र आत्मा के अभ्यन्तर जीवन का ईश्वरीय वरदान प्राप्त करता है और अनन्त काल तक अनिर्वचनीय प्रेम का भागी बनता है। ईश्वर प्रेममय है और दयालु पिता है। उसके प्रति प्रेमपूर्ण आत्ममर्पण करना ही मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य है।

पाश्चात्य विचारकों ने प्रभु को परम पिता के रूप में वरण किया है। वह ब्रह्माण्ड का नियामक, बीबी का गामक और गायकारी है। मनुष्य क्षुद्र, विवश, अल्पज्ञ और दुःखी है। प्रभु सर्वशक्तिमान और कारुणिक है। इसलिए मनुष्य स्वतः ही उसकी शरण में जाता है। वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग कर प्रभु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानने लगता है। ऐसे आन्वीय भक्त के प्रति ईश्वर का दया का भण्डार खुल रहा है। ऐसी स्थिति में भक्त और भगवान् का पुत्र पिता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

ईसाई धर्म-सहिता में ईश्वर को निर्गुण, अमूर्त, सर्वज्ञ, अनिर्वचनीय, अनन्त, अनादि एवं सर्वशक्तिमान बताया गया है। इस दृष्टि से ईसाई धर्म अद्वैत-वादी मिथ्य होता है। किन्तु मृष्टिकर्ता ईश्वर और मृष्टि में भेद बताया गया है, जिससे दोनों का कार्य-कारण-सम्बन्ध स्थापित होता है। इस दृष्टि से ईसाई मत में ईश्वर का पुत्र अद्वैत प्रतीत नहीं होगा है।

अवतार

विश्व में प्रायः सभी धर्मानुयायियों ने अपने विश्राम तथा परम्पराओं के अनुसार विभिन्न अवतारों की कल्पना की है। अवतारवाद पूर्वी और पश्चिमी धर्मों में मान्य तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अवतार, अर्थात् 'आविर्भाव' या 'अवतरण' अथवा 'प्रकटीकरण'। भगवान् का अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति द्वारा भौतिक जगत् में मूर्त रूप में प्रकट या आविर्भाव होना ही अवतार

है। भगवान् के अवतार धारण करने का प्रयोजन यद्यपि 'भगवद्गीता' में भी कहा गया है—'धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे'। किन्तु उसका वास्तविक वर्णन, जो कि ससार के सभी धर्मों की अवतार-अवधारणा पर चरितार्थ होता है, 'धोमद्भागवत' (१०।२९।१४) में अधिक स्पष्टता से कहा गया है— 'मनुष्य के साधनानिरपेक्ष मुक्ति का दान ही भगवान् के प्राकट्य का मुख्य प्रयोजन है। भगवान् स्वयं ही बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किये, अपने अनुग्रह से अपने साधकों भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से अवतार धारण करते हैं—

'नृणां नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि ।

अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्भुणस्य गुणात्मन ॥'

अवतार का यही प्रयोजन समस्त वैष्णव धर्मों, बौद्ध, जैन तथा फारसी, यहूदी, मिथी, यूनानी, इस्लामी और ईसाई आदि धर्मों में बताया गया है।

ईसाई धर्म में विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के पापों का प्रापञ्चित करने और उसको मुक्ति का मार्ग बताने के लिए ईसा का अवतरण हुआ था। ईसा के जीवन काल में ही ईसाइयों ने उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार किया और उनके मरने के बाद भी उनका यही स्थान बना रहा। 'बाइबिल' में एक ओर तो उन्हें मनुष्य का रूप और दूसरी ओर मुक्तिदाता, परम पिता एवं दयालु कहा गया है। किन्तु मनुष्य के रूप में अवतरित होकर भी वे वास्तविक मनुष्य न होकर मनुष्य के प्रतीयमान रूप थे। उनमें मनुष्यत्व की जो कल्पना की गई है, वह पूर्णतया निष्क्रिय है। उनमें इच्छाशक्ति का भी अभाव है। उनके समस्त बाह्य-कलाप ईश्वरत्व के रूप में प्रतिभासित हैं। ईश्वरीय इच्छाशक्ति के रूप में वे पूर्ण ब्रह्म हैं। जगत् के उत्पत्तिकर्ता होने पर भी वे उससे सर्वथा अलग हैं। किन्तु आन्तरिक रूप में सारे जगत् में व्याप्त हैं।

वे ईश्वर के पुत्र थे और ईश्वर होते हुए भी उन्होंने मानवता के उद्धार के लिए मनुष्य रूप धारण किया। उनमें ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, दोनों का संयोग है। मनुष्य के रूप में वे एक शरीरधारी, सुख दुःखों के अनुभवकर्ता और ईश्वर के रूप में इच्छा-शक्ति-सम्पन्न, आत्मा के अधिष्ठान और निर्गुण, निराकार अनादि, अनन्त एवं सर्वसत्तासम्पन्न हैं। ईसा का मानवरूप में आविर्भाव, उनका अवतारी रूप है और यहूदियों के महात्मा मूसा की भाँति ईसा यमीह भी मानव-जाति के उद्धारार्थ धरती पर अवतरित हुए।

इस प्रकार ईसा महान् एक अवतारी महापुरुष के रूप में हम धरती पर अवतरित हुए और मानवता के उद्धारक के रूप में वे विश्व इतिहास के एक महान्तम विभूति के रूप में संपूजित हैं।

स्वर्ग

मानव जगत् की धार्मिक परम्पराओं में दो प्रकार के लोकों की कल्पना की गई है—इहलोक या मृत्युलोक और परलोक या स्वर्गलोक। स्वर्गलोक को देवलोक भी कहा गया है। इन दोनों लोकों के सम्बन्ध में विभिन्न धर्मानुयायियों के अलग-अलग मत तथा विश्वास हैं।

ईसाई धर्म में स्वर्ग और नरक को बहुत बड़ा महत्त्व दिया गया है, क्योंकि ईसा का मनुष्यरूप में अवतरित होने का एकमात्र प्रयोजन यह था कि मानव जाति को उस मुक्ति मार्ग की ओर उन्मुख किया जाये, जो अनन्त सुखों का आगार है। ईसाई धर्म का विश्वास है कि मनुष्य इस सत्सार में इसलिए पैदा हुआ कि कुछ समय यहाँ रहकर वह ईश्वर के परमानन्द का भागी बन सके। किन्तु ऐसा न हो सका। मनुष्य इस सत्सार में आकर अपना वास्तविक लक्ष्य भूल गया और पापाचरण में लिप्त हो गया। ईसा ने अवतरित होकर मनुष्य जाति को उसका वास्तविक मार्ग मुझाया और उसे अपने पापों का प्रायश्चित्त करने की ओर प्रेरित किया। मनुष्य को मुक्ति का रास्ता बताया। मुक्ति परमानन्द की वह स्थिति है, जहाँ मनुष्य ईश्वर का माक्षात्कार कर स्वर्गदूतों के समान अनन्त काल तक ईश्वर का सेवक बन कर रहता है। स्वर्ग ईश्वर का निवासस्थान है, जहाँ पहुँच कर मनुष्य अनन्त महिमाओं से भण्डित होकर, इन्द्रिय सुखा से ऊपर उठकर और ममस्त भौतिक सुखों को तिलाजलि देकर अनिर्वचनीय आनन्द में लीन हो जाता है।

महात्मा ईसा मसीह ने इसी परमानन्द का मार्ग बताने के लिए अवतरण किया और अपने उत्सर्गमय जीवन के कार्य-कलापों से मनुष्य-जाति को यह विश्वास दिलाया कि अनन्त, अपरिमित दुखों के आगार इस सत्सार से मुक्ति पाने का एकमात्र आधार सत्याचरण तथा सत्कर्मों का अर्जन करना है। सदाचारी और सत्कर्मों मनुष्य ही स्वर्ग के अनन्त सुखों को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है और ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है।

नरक

स्वर्ग का प्रतियोगी नरक है। यह नरक भी परलोक में बताया गया है, जहाँ स्वर्ग है। किन्तु दोनों में सर्वथा भिन्नता है। हिन्दू धर्म में नरक की कल्पना बड़ी भयावह एवं बीभत्स है। यह नरकलोक अनन्त यातनाओं तथा दुखों का आगार है। इसके अधिपति यम हैं। देवदूत चित्रगुप्त के पाप-पुण्य का लेखा-जोखा देखकर यमराज पुण्यात्माओं को स्वर्ग और पापात्माओं को नरक भेजता है। इस रीति में आत्माएँ कोल्हू के गन्ने के समान पेरी जाती हैं।

ईसाई मत के अनुसार ईश्वर की सृष्टि में प्रथम सृष्टि दिव्य रूपधारी जिन देवदूतों ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन न करके कुमार्ग या अनुसरण किया, वे नरकगामी हुए और वे ही नरकदूत कहलाये। उनका नेता 'शीतान' कहलाया। इसी प्रकार पापाचरण करनेवाले मनुष्य भी इस नरक में धकेल दिये जाते हैं। नरकगामी मनुष्य वे हैं, जो अपने जीवन-काल में कुकृत्यों तथा पापों के लिए प्रायश्चित्त किये बिना मर जाते हैं। ऐसी नरकगामी आत्माएँ अनन्त काल तक ईश्वर के दसंगों में बचिन रहकर अपार यातनाओं के घोर दुःख वहन करती हैं।

अनन्त काल तक दुःखोग्रियों की यातनाओं में न पडने के लिए ईसा मसीह ने मनुष्य जाति को पुण्यार्जन करते रहने और जो पापाचारी हैं, वे अपने पापों के प्रति पश्चात्ताप करने के लिए उपदेश दिये हैं और सुमार्ग सुझाया है।

स्वर्गदूत

ईसाई समाज के धार्मिक विश्वासों के अनुसार ईश्वर ने मानव सृष्टि से पूर्व एक ऐसी सृष्टि का सृजन किया था, जिसमें अशरीरक, अशरीरी आत्माओं का निवास था। ये अशरीरी आत्माएँ ही 'स्वर्गदूत', 'देवदूत' या 'फरिश्ते' कहलाये। उन आत्माओं को, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं, उनके विधि-विधानों का उल्लंघन किया, उन्हें स्वर्ग से गिरा कर नरक में फेंक दिया गया, जो नरकदूत कहलाये। इस प्रकार अशरीरी आत्माओं के दो वर्ग बने—स्वर्गदूत और नरकदूत। 'बाइबिल' में तीन स्वर्गदूतों का उल्लेख हुआ है, जिनके नाम हैं— मीकैएल, राफ़ाएल और मिक़ाएल। इन देवदूतों का कार्य विवेक, आज्ञा-पालन और विशेष रूप से ईश्वर का गुण गान करना है, ईश्वर की अपार, अनन्त महिमा का वर्णन करना है। वे ईश्वर द्वारा समार में भेजे जाते हैं और मनुष्य जाति की रक्षा करते हुए वे उनके लिए मुक्तिमार्ग का निर्देश करते हैं। उम पर चलने के लिए उनकी महायत्ना करते हैं। वे मनुष्य के पाप-पुण्यों का भी लेखा रखते हैं और न्यायमत्त के दिन उन लेखा जोखी के अनुसार उनके लिए स्वर्ग या नरक का निर्धारण करता है।

इस प्रकार स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं और उनका कार्य मनुष्य को भलाई के मार्ग पर लाना है तथा ईश्वर के प्रति निष्ठा, विश्वास स्थापित करना है।

सुसमाचार

'बाइबिल' का पूर्वार्द्ध, जिसके चार खण्ड हैं, यहूदी धर्म में सम्बन्धित है। यह यहूदियों की 'धर्म-संहिता' भी है। इसी प्रकार 'बाइबिल' का उत्तरार्द्ध

भाग ईसाई धर्म से सम्बन्धित है। उत्तरार्द्ध के भी चार खण्ड हैं। इसे ईसाइयो की 'धर्म-सहिता' भी कहा जाता है। 'बाइबिल' के इसी उत्तरार्द्ध भाग को 'सुसमाचार' कहा जाता है। उसका अंग्रेजी में गार्स्पेल (Good Spell), यूनानी में 'इजील' और हिन्दी में 'मुक्ति-विधान की खुशखबरी'। 'मुक्तिदाता' के नाम से भी हिन्दी में उसका अनुवाद उपलब्ध है। प्रभु ईसा मसीह ने अपने पुत्रों को पुण्यदायी सत्याचरण पर चलने का मार्ग बताया। उस श्यालु पिता ने मानव-जाति को प्रेम, समता, दया तथा अहिंसा आदि का आचरण-व्यवहार के निर्देश दिये। यह ऐसा निर्देश था, जो मनुष्य के श्रेयस् के लिए सर्वोत्तम था। यह सर्वोत्तम मार्ग था मोक्ष का। उनके भक्तों ने ईसा मसीह द्वारा प्रदत्त मुक्ति की इस खुशखबरी को जीवन में उतारा।

'बाइबिल' के उत्तरार्द्ध के इस 'सुसमाचार' का प्रचलन उनके शिष्यों ने किया। उनके नाम थे—सन्त मत्ती, सन्त मार्क, सन्त लूक और सन्त योहन। मत्ती और योहन उनके प्रमुख बारह शिष्यों में से थे। मार्क, सन्त पीटर तथा सन्त पाल के शिष्य थे और लूक, सन्त पाल की यात्रायों में उनके सहयोगी रहे।

ईसा की मृत्यु के अनेक वर्षों तक ईसा की शिक्षा-बोधाओं का प्रचलन मौखिक रूप में श्रुति-परम्परा में आगे बढ़ता गया। किन्तु जब उसका विस्तार अन्य बाहरी देशों में होने लगा और ये भक्त भी मुक्तिग्राम को सिधारने लगे, जिनके कण्ठ में ये अलिखित ही अंकित थी, तब उनमें अनुयायियों, विशेष रूप से उनके शिष्यों, को यह अनुभव हुआ कि उन जमर वाणियों को लिपिबद्ध कर उनकी रक्षा की जाये, और उन्हें जन-मुलम बनाया जाये। तब वे वाणियाँ चार विभिन्न ग्रन्थों में निबद्ध की गईं। ये चारों ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक माने जाते हैं और ईसाई चर्चों में उनमें पाठ के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रन्थ को ग्रहण नहीं किया जाता। इन चारों सुसमाचारों की रचना विद्वानों ने ५५-१०० ई० के भीतर बताई है।

ईसा के उत्तराधिकारी

ईसा मसीह के बारह प्रमुख शिष्य बताये गये हैं, किन्तु उनकी कोई विशेष उपलब्धियों के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चलता है। ईसा के चार शिष्यों ने उनके उपदेशों तथा शिक्षाओं का, जो कि मौखिक रूप में विद्यमान थे, सग्रह किया और उन्हें लिपिबद्ध किया। उस सग्रह का नाम रखा गया—'न्यू टेस्टामेंट'। उसमें यहूदियों की 'बाइबिल' को भी सम्मिलित किया गया और उसका नामकरण किया—'ओल्ड टेस्टामेंट'। उनके सग्रहकर्ता चार शिष्यों के

नाम थे—मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जान। उन्होंने उक्त दोनों सस्वरणों का सम्मिलित नाम रखा—'वाइविल'। उन्होंने ईसा के मिद्धान्तों को स्थिर किया और ईसाई धर्म की नींव डाली।

ईसा के जीवन काल में जो कठिनाइयाँ थीं, उनके उत्तराधिकारियों ने भी उनका सामना किया और अनेक प्रकार के उत्पीड़न महे। किन्तु धीरे-धीरे समाज में ईसा के उपदेशों का प्रभाव बढ़ने लगा। ३१२ ई० के लगभग प्रबल विरोधी फिलिस्तीन के शासकों ने भी ईसाई धर्म की मान्यताओं को स्वीकार किया। धार्मिक अभियान का यह इतिहास अनेक प्रकार की दुर्दान्त घटनाओं से भरा हुआ है। ईसाई जाति ने अपने धर्म की स्थापना के लिए अनेक सघर्ष किये। उनके सात धर्मयुद्ध इसी सघर्ष के परिचायक हैं। जिस समय यहसलम में ईसा को फाँसी दी गई, उस समय उनके मृत शरीर को वही भूमि में दफना दिया गया था। उनके उम समाधिस्थल पर ईसाइयों द्वारा एक गिरजाघर बनाया गया था। इन गिरजाघरों को मुसलमान शासकों ने मुक्त कराने के लिए ईसाई लोगों के लगभग सात क्रूसयुद्ध हुए। ये युद्ध १०९५-१२९१ ई० के बीच हुए। इन युद्धों में अनेक हत्याकाण्ड तथा अत्याचार हुए। लगभग इसी समय यूरोपवासियों को पूर्व के देशों से वाणिज्य व्यवसाय में प्रोत्साहन मिला और पोप का प्रभुत्व बढ़ा तथा राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई।

ईसाई धर्म का उत्तराधिकार पोप को प्राप्त हुआ। उन्होंने भी अनेक प्रकार के विरोधों तथा उत्पीड़नों का सामना किया, किन्तु वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उसका कारण यह था कि बहुसंख्यक समाज ईसा को वरण कर चुका था। आरम्भ में ईसाई धर्म का अनुयायी ईसा तथा माता मरियम की मूर्तियों का पूजन-अर्चन करते थे, किन्तु ७५४ ई० में पोपों ने एक वृहत् सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें धर्म के नियमों को स्थिर किया गया। तत्पश्चात् मूर्तिपूजा का बहिष्कार किया गया और सर्वसम्मति से इस आशय का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

आगे चलकर पोप का प्रभाव निरन्तर बढ़ने लगा। उसने ऐसी शक्ति अर्जित कर ली कि जिसमें 'पोपसाही' का प्रभुत्व सर्वोपरि माना जाने लगा। शासकों ने भी उसका प्रभाव स्वीकार कर लिया और पोप के अधिकारों का देखने-देखते इतना प्रभाव बढ़ा कि शासकों तक को दण्डित करने तथा पदच्युत करने का स्वामित्व भी उन्हें प्राप्त हो गया। धर्म तथा शासन—दोनों उनके अधीन हो गये। पोप को ईश्वर का पुत्र ईसा का प्रतिनिधि माना जाने लगा और उसके प्रति अन्धभक्ति का विश्वास बढ़ने लगा। लगभग आगे के सात आठ सौ वर्षों तक यूरोप में यही स्थिति बनी रही।

समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे, जो यह अनुभव करते थे कि धर्म के नाम पर पोप पुरोहितों द्वारा जो अनाचार फैलाया जा रहा है, उसकी वास्तविकता समाज के सामने लानी चाहिए। १५वीं शती में, जब कि सारे यूरोप पर पोप की सर्वोपरि सत्ता व्याप्त थी, सन्त मार्टिन ल्यूथर का जन्म हुआ। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों को प्रस्तुत करते हुए पोप का विरोध किया और उनके पाखण्डों को जनता के सामने रखा। उसने जनता को भ्रम में डालने वाले पोप के स्वार्थपूर्ण नियमों पर टिप्पणियाँ लिखकर एक पुस्तक का प्रकाशन किया। उसे पोप ने धर्मघ्रष्ट घोषित कर बहिष्कृत कर दिया। किन्तु सन्त ल्यूथर ने अपना धार्मिक अभियान जारी रखा। उसकी पुस्तक में अभिव्यक्त विचारों का समाज ने स्वागत किया। पोप ने यूरोप के अनेक नगरों में जन-सभाओं का आयोजन कर सन्त ल्यूथर के विचारों का खण्डन किया। किन्तु पोप के विरोध में जो धार्मिक जागरण हुआ, वह बढ़ता ही गया।

सन्त ल्यूथर के विचारों के विरोध में जर्मनी में एक पोप-समर्थक सभा हुई। उसमें ल्यूथर के अनुयायियों को 'प्रोटेस्टेंट' की सजा दी गई। पोप के अनेक प्रयत्नों के बावजूद ल्यूथर के विचारों का प्रभाव बढ़ता ही गया। पोप ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इन्क्यूजिशन (Inquisition) नाम से एक विशेष न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय के निर्णयों पर १४२१-१८८१ ई० के बीच अफेले स्पेन में १०,६५९ व्यक्तियों को जिन्दा जला दिया गया और लगभग तीन लाख व्यक्तियों को कारावास में बन्द कर दिया गया।

पोपशाही के इन दुर्दान्त अमानवीय अत्याचारों एवं उल्टीदनों के बावजूद प्रोटेस्टेंट मत का प्रभाव बढ़ता ही गया। उसके फलस्वरूप १७वीं-१८वीं शती में पोप का प्रभाव क्षीण पड़ता गया और २०वीं शती में वह सर्वथा समाप्त हो गया। इस समय तक ईसाई धर्म का अनुयायी समाज तीन वर्गों में विभाजित हो चुका था। इन तीन धर्म शाखाओं के नाम थे—प्रोटेस्टेंट (पोप-विराधी), रोमन कैथोलिक (पोप-समर्थक) और ग्रीक। कैथोलिक और ग्रीक मतों में समानता है। उनके चर्चों में मूर्तिपूजा तथा चित्रपूजन का प्रचलन है।

ईसाई धर्म के इतिहास में समय-समय पर जो परिवर्तन हुए, उनके परिणामस्वरूप उसमें सत्कार होता गया। सम्प्रति वह किसी प्रकार के मत-मतान्तरों से रहित, सर्वसामान्य ईसाई समाज के लिए प्रायः एक जैसे रूप में बरणीय एवं मान्य है।

गिरजाघर या चर्च

हिन्दुओं के मन्दिरों और मुसलमानों की मस्जिदों की भाँति ईसाइयों के भी गिरजाघर या चर्च हैं, जो कि उपासना और ईश्वराघन के पवित्र स्थल हैं। उनमें प्रस्तर निर्मित एक वेदी होती है, जिसमें चढावा चढाया जाता है। वेदी के मध्य में एक ब्रूस-प्रतिमा होती है और उसके दोनों पार्श्वों में दीपपात्र प्रज्वलित होते हैं। उनमें अखण्ड ज्योति प्रज्वलित रहती है। वेदी के मध्य में एक प्रसादपात्र भी स्थापित होता है। कटघरे के बाहर से प्रसाद ग्रहण किया जाता है। कटघरे के निकट ही प्रवचन-मंच बना होता है, जिसमें धर्माचार्य पुरोहित (पादरी) समय समय पर प्रवचन करते हैं। प्रवेशद्वार के निकट ही एक बपतिस्मा कक्ष होता है, जिसमें एक जलकुण्ड बना होता है। इस कुण्ड के पवित्र जलाभिषेक से दीक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को दीक्षित (बपतिस्मा) किया जाता है।

भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश

भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश कब हुआ, इसका तिथिवद्ध विवरण प्रस्तुत करना शक्य नहीं है। एक प्राचीन परम्परा ऐसी है, जिसे अनुसार यह माना जाता है कि जीवन की आरम्भभावस्था में ही ईसा मसीह का सम्पर्क भारत से हुआ था। जब उनकी अवस्था केवल ग्यारह वर्ष की थी, वे पश्चिम के व्यापारियों के साथ सिन्ध आये थे और उनका सम्पर्क भारतीय आर्यों से हुआ था। वे जगन्नाथ तथा काशी गये थे और वहाँ उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों से धर्म और ज्ञान का उपदेश ग्रहण किया था। नालन्दा महाविहार में उन्होंने बौद्ध तत्त्वज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। यह किंवदन्ती कहाँ तक सत्य है, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

जहाँ तक ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश करने का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पर जब मुगलों का शासन था, १५वीं शती के आरम्भ में ही ईसाई धर्म के प्रचारक भारत में प्रविष्ट हो चुके थे। इस प्रचार-कार्य का आरम्भ दक्षिण भारत में सबसे पहले हुआ। धीरे धीरे ईसाइयों ने भारत में अपने चर्च, स्कूल, कालेज, अस्पताल और इसी प्रकार की धर्म प्रचारक संस्थाओं का जाल फैलाया। उन प्रचार-संस्थाओं ने भारत की अनेक भाषाओं में 'बाइबिल' के अनुवाद और अन्यान्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया। इन मिशनरियों के माध्यम से इस प्रचार सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया।

मुगल साम्राज्य के बाद भारत में जब ब्रिटिश सल्तनत की स्थापना हुई, तो न केवल ईसाई धर्म को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, अपितु आजीविका के प्रलोभन से अनेक भारतीयों ने भी ईसाई धर्म को स्वीकार किया ।

आज भारत में बहुसंख्यक ईसाई समाज भारतीय नागरिक बनकर यहाँ रह रहा है । धर्मनिरपेक्ष भारत में ईसाई समाज को पूर्ण नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं और वे भी भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्वतंत्रतापूर्वक समान का जीवन यापन कर रहे हैं ।

इस्लाम धम

इस्लाम ससार के प्रमुख धर्मों में से एक है। वह भारतेतर शाखा का धम है। उसका उदय पश्चिम एशिया के अरब प्रदेश में हुआ। अपनी जन्मभूमि की अपेक्षा भारत में उमने अधिक अनुकूल वातावरण प्राप्त किया और अत्यन्त तीव्र गति से अपना विकास किया तथा लोकप्रियता प्राप्त की। भारत में उसके अस्तित्व तथा मन्वन्धा की जड़ें इतनी गहरी एवं स्थिर हैं कि भारत में वर्तमान अनेकानेक धर्मों की तुलना में हिन्दू धर्म के बाद उमी का दूसरा स्थान है। भारत में उमका इमी रूप में सम्प्रति आदर-समान है।

इम धर्म-शाखा के जन्मदाता हजरत मुहम्मद साहिब थे। उनके जीवना-दर्शों का इतिहास वस्तुतः इस्लाम धर्म का इतिहास है। इम धर्म के सस्थापक हजरत मुहम्मद साहिब का जन्म ५७० ई० की अरब के मक्का नामक नगर में हुआ था। उनका बाल्यकाल बड़ी विपन्न एवं दुःखद परिस्थितियाँ में बीता। जब वे केवल दो मास के थे, उनके पिता का देहान्तान हो चुका था और वे छ वर्ष के भी नहीं हो सके थे कि माता के साथे से भी वचित हो गये। माता-पिता का निधन हो जाने पर अनाथ बालक का लालन-पालन उनके पितामह तथा फूफा ने किया। जब वे १२ वर्ष के थे, किसी कारणवश उन्हें बमरा जाना पडा। वहाँ उनकी भेंट एक ईसाई मन्त से हुई। उनका नाम बाहिरी था। इससे पूर्व बालक मुहम्मद परम्परागत सस्कारा से प्रभावित ईश्वरवादी एवं मूर्तिपूजक था। किन्तु ईसाई मन्त के सत्सग से उमका मन मूर्तिपूजा के प्रति विमुख हो गया। यद्यपि जीवन की विपरीत परिस्थितियों ने उनकी ऐमा सयोग नहीं दिया था कि वे कुछ पढ़ते लिखते, किन्तु उनमें जन्मजात ईश्वरीय प्रतिभा थी। उनमें अपरिमित स्मरण-शक्ति थी। अपनी व्यावहारिक बुद्धि तथा अन्त प्रतिभा से उनके अन्त करण में ज्ञान का स्वतः प्रकाश हो गया था। सर्वथा विकट परिस्थितियों और विपरीत वातावरण में जीवन-यापन करते हुए और अनेक प्रकार के अनुभवों को समेटते हुए उन्होंने अपना कौशल्य वितामा।

युवावस्था की प्राप्त कर उन्होंने अदृष्ट की प्रेरणा से व्यापार का आश्रय लिया। वे व्यापारिक काफिला के साथ सुदूर बाहरी देशों की यात्रा करने लगे। उनकी व्यापारिक कुशलता एवं दूरदर्शिता से प्रभावित होकर एक समृद्धिसाली विधवा महिला खदीजा ने उन्हें अपना एजेंट नियुक्त कर दिया।

मुहम्मद साहिब ने बड़ी योग्यता, निष्ठा एवं कर्मठता से व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त की, जिससे प्रभावित होकर उस ४० वर्षीया महिला ने मुहम्मद साहिब से विवाह कर लिया। उनकी आयु उस समय केवल २८ वर्ष की थी। विधाता के इस विधान को उन्होंने सिरोधार्प किया। उनके दो पुत्र हुए, जिनका नाम कामिम और इब्राहिम था। दानो पुत्रों का अल्पवय में ही निधन हो गया था। उनकी चार कन्याएँ भी थी, जिनके नाम थे—जेनेब, रुक़इया, आकोबाम और फातिमा।

एक सम्भ्रान्त एवं धनी महिला से सम्बन्ध हा जाने के बाद वे मनका के उच्च घनिकों में गिने जाने लगे। एक सम्पन्न एवं कुशल व्यापारी हान के साथ ही व्यवहार तथा आचरण में वे इतने निष्कपट, पवित्र एवं चरित्रवान् सिद्ध हुए कि प्रख्यात ईमानदार (अल-आमीन) के रूप में उनके नाम की ख्याति सुदूर अचलो तक फैल गई। अब वे कोरे व्यापारी ही नहीं रह गये थे, अपितु एक गुण ज्ञान-सम्पन्न न्यायवादी के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुके थे। यहाँ तक कि लोग अपन विवादी तथा सन्देहों के समाधान एवं निराकरण के लिए भी उनके पास आने लगे थे। व्यापारिक कुशलता के साथ ही वे अपने मिलने-जुलने वाले विभिन्न प्रवृत्ति के लोगों से सद्विचारों की सम्पदा भी अर्जित करते रहे।

मुहम्मद साहिब की ख्याति एक अभूतपूर्व, अतुलनीय ईमानदार एवं सत्यवादी व्यापारी के रूप में पहले ही फैल चुकी थी। ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती गई, त्यों-त्यों उनमें परमार्थ के प्रति अन्तःप्रेरणा जागरित होने लगी। उनका मन सासारिक क्रिया-कलापों के प्रति उदासीन और धर्म, अदृष्ट तथा ईश्वरभक्ति की ओर उन्मुख होता गया। बाल्यकाल में ईसाई सन्त ने उनके मन में मूर्तिपूजा की निरर्थकता के प्रति जो अनास्था उत्पन्न कर दी थी, उससे उनका मन उस अद्वितीय, अदृष्ट सत्ता के प्रति अधिक आसक्त होने लगा। जिसकी असीम छत्र-छाया में जगत् का संरक्षण एवं परिपालन होता आ रहा था, उसको जानने तथा पाने की जिज्ञासा से बहुधा वे नितान्त एगान्त में चले जाते और आत्म-चिन्तन में सो जाते थे।

अनेक वर्षों तक मुहम्मद साहिब साधना में दत्तचित्त रहे और उस सर्व-शक्तिमान को पाने के लिए आत्म-चिन्तन करते रहे। जब उनकी अवस्था ४० वर्ष की थी, उन्हें देवदूत जिब्राइल से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने मुहम्मद साहिब को परमेश्वर का दिव्य सन्देश दिया। उन ईश्वरीय दिव्य आदेशों को उन्होंने आत्मोद्धार का एकमात्र साधन-आधार मानकर उन्हें जन-जन तक फैलाने का कार्य किया।

तत्कालीन सामाजिक स्थिति

जिस समय मुहम्मद साहिब का जन्म हुआ, लगभग ६ठी शती ई० में अरबवासियों की सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति नितान्त पिछड़ी हुई थी। तब तक वहाँ अनेक धर्मों का प्रवेश हो चुका था। समाज में ऊँच-नीच, धनी-निर्धन का भेद-भाव अपनी चरम सीमा पर था। धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने और धर्माचरण करने में जन-सामान्य सक्षम नहीं था। सारा समाज आचारहीन था। अरबवासियों में आदिवासी जीवन की परम्परागत विभिन्न कुप्रथाएँ तथा अन्धविश्वास व्याप्त थे। भूल-प्रेत, नर-बलि, व्यभिचार, तत्र मन्त्र तथा मद्यपान और इसी प्रकार की अनेक कुरीतियों से सारा समाज अभिभूत था। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी और पिता की पत्नियों को, पिता की मृत्यु के बाद, उत्तराधिकार के रूप में पुत्रों में बाँट दिया जाता था और उन्हें पत्नियाँ बना दिया जाता था। यह एक नितान्त पिछड़ा हुआ और साथ ही घोर असामाजिक प्रचलन था।

समाज में बर्बरता व्याप्त थी। युद्ध और रक्तपात सहज सामाजिक प्रक्रिया थी। युद्ध में मारे गये शत्रुओं की स्त्रियों तथा बच्चों का बड़ी निर्दयता से आच्छेद किया जाता था। नवजात शिशुओं को तीर का निशाना बनाया जाता था और मनुष्यों को आग में डालकर जिन्दा ही जला दिया जाता था। शत्रुओं तथा उनके परिवारों को भयकर यातनाएँ दी जाती थी। इतना ही नहीं, मृत मनुष्यों को खा लेना और इसी प्रकार के वृशस कार्यों को करना एक सामान्य-सी बात थी। सारे समाज में पतनोन्मुखी अमानवीय, दुर्दान्त आचरण व्याप्त थे।

अरबवासियों में व्याप्त इन कुरीतियों, अन्धविश्वासों और दुर्दान्त एवं वृशस प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए मुहम्मद साहिब ने उग्र आन्दोलन किया। अरबवासियों में दासप्रथा प्रचलित थी। मूल मानवाधिकारों का हनन हो रहा था और सामाजिक शोषण की परम्पराएँ उग्रतर थी। धनी निर्धन तथा जाति-वर्गों की कुप्रथाएँ व्याप्त थी। इन सब कुरीतियों तथा अत्याचारों के विरुद्ध मुहम्मद साहिब ने जन आन्दोलन चलाया। समाज में प्रचलित मूर्तिपूजा का भी उन्होंने घोर विरोध किया और उसे अभिशाप मानकर जन-सामान्य के मन में उनके प्रति, अपने सद्बिचारों से, घोर विरुष्ण उत्पन्न की।

धर्म के नाम पर रूढ़ियाँ और पाखण्ड व्याप्त थे। समाज में हुक्म, लात, मनात तथा उज्ज आदि घोर अनैतिक देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी। धर्माचार्य पुजारियों ने समाज में इस प्रकार के विश्वास फैलाये हुए थे कि देवी-देवताओं की पूजा से अकाल, व्याधि तथा अनिष्टों से रक्षा और मुद्दों में

विजय प्राप्त होती है। इसी देवतावाद का प्रभाव था कि बाबा के प्रसिद्ध मन्दिर में लगभग ३६० देवमूर्तियों की स्थापना की गई थी और उनका अर्चन-पूजन होता था।

इस्लाम धर्म की स्थापना

समाज में प्रचलित इन अमानवीय बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य में हजरत मुहम्मद ने ६१६ ई० के लगभग मक्का (अरब) में एक मानव-मण्डलकारी सार्वभौम धर्म की स्थापना की, जिसे 'इस्लाम धर्म' के नाम से कहा जाता है। इस्लाम, अर्थात् परित्याग, विमर्जन या आभाकारिता का धर्म। तत्कालीन समाज में जो परिस्थितियाँ वर्तमान थी, उनकी मिटाने के लिए समस्त सामाजिक परम्पराओं में परिवर्तन लाने के लिए ध्यान जन-संहार, रक्तपात की आवश्यकता थी। किन्तु कुछ समय बाद ही मामूली रक्तपात के अनन्तर समस्त अरब में इस्लाम धर्म का प्रसार-प्रसार हो गया। इस नये धार्मिक अभियान की घोषणा करने के पश्चात् हजरत मुहम्मद ने सर्व-प्रथम अपनी पत्नी से कहा—'खुदा के फरिश्ते ने मुझे आदेश दिया है कि मूर्तिपूजा के पाषण्ड को दूर करने के लिए मैं ममाज में मर्यादों का उद्देश्य करूँ। अतः सर्वप्रथम मैं तुम्हें अपनी गिप्पा बनाना चाहता हूँ।' मदावरप-शीला पत्नी ने उनकी बात मान ली। तदनन्तर अपने निवृत्त परिवारजनों की धर्म में दीक्षित किया। धीरे धीरे उनके अनेक अनुयायी बन गये। मुहम्मद साहिब की सत्यनिष्ठ देवी बाणी का उन लोगों पर विशेष प्रभाव पड़ा, जो धर्म की महानताओं के प्रति विश्वास रखते थे।

मुहम्मद साहिब ने परमेश्वरीय बाणी को समाज में प्रचलित करने का सकल्प किया। उन्होंने समाज के कुछ बलवान् अनुयायियों को अपने साथ लिया। क्योंकि समाज जिस प्रभावशाली वर्ग के अधीन था, उसकी प्रतिहिता का अवरोध करने के लिए बलवान् साधियों की आवश्यकता थी। उन्होंने स्वयं को पैगम्बर घोषित किया और लोगों से दोग-भाषण्ड छोटने के लिए कहा। इस पर वहाँ का अधिकार-भ्रमण स्वार्थी पुजारी-वर्ग उग्र हो उठा। पुजारियों ने मुहम्मद साहिब के अनुयायियों का प्रबल विरोध किया और उन्हें पकड़वा कर तामक से घोर यातनाएँ दिलाईं। कुछ विरोधियों ने मुहम्मद साहिब को मारवाना चाहा, किन्तु उनके अनुयायियों ने उन्हें बचा दिया। मक्का के तत्कालीन शासक कुरैशियों तथा यहूदियों ने भी मुहम्मद साहिब तथा उनके अनुयायियों को प्रताड़ित करने, यातनाएँ देनी मुह कर दीं। इन परिस्थितियों में भी वे अपने निश्चित मार्ग से विचलित नहीं हुए।

किन्तु मक्का के एकाधिकार-सम्पन्न शायकों तथा धर्म के अधिकारी पुजारियों के प्रतिरोध के कारण मुहम्मद साहिब का विरोध निरन्तर बढ़ता ही गया। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनकी धार्मिक क्रान्ति के बीज सारे अरब में अकुरित हो गये हैं, किन्तु साथ ही अब अत्याचारियों से प्राण-रक्षा करना असंभव है, तो वे ६२२ ई० में मक्का छोड़कर मदीना चले गये। वही मदीना में उन्होंने ६२२ ई० को हिजरी सवत् का प्रचलन किया, जो कि आज भी वर्तमान है।

मदीना आकर उन्होंने धर्म-प्रचार के अपने पुराने तरीकों में भी परिवर्तन किया और उसका नया मार्ग खोज निकाला। उन्होंने विचार किया कि क्रूर, जगली, असभ्य परम्पराओं के अनुयायी और अन्धविश्वासों में डूबे हुए अरबों में धर्म-विजय के लिए उनकी रुचि एवं भावना के अनुसार ही धर्म का अभियान चलाना चाहिए। वे जानते थे कि क्रूर हृदय अरबों में ईश्वर का दिव्य सन्देश टिक नहीं सकता है। अतः मदीना के जन-मानस में उन्होंने घोषणा की कि—'खुदाई फरमान हुआ है कि लोगों को बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित किया जाये। अतः धर्म-प्रचार के लिए बल प्रयोग आवश्यक है। बल-प्रयोग से जिनके प्राण जायेंगे, खुदा उन्हें जन्नत (स्वर्ग) देगा।' इस घोषणा के अनुसार उनके अनुयायियों ने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार का सहारा लेकर धर्म प्रचार किया। उनके मार्ग में जो भी विरोधी उपस्थित हुआ, उसको ही उन्होंने तलवार से दूर किया। इस घोषणा का क्रूर-स्वभाव एवं लडाकू अरबों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वे धीरे-धीरे इस्लाम को मानने लगे। मुहम्मद साहिब ने अपने अनुयायियों को शस्त्रास्त्र दिये और धर्म के मार्ग में बाधक मक्का के कुरेशी व्यापारियों को लुटवाना आरम्भ किया।

इस प्रकार मदीना में धर्म-विजय प्राप्त कर और अपनी लोकप्रियता एवं दैवी प्रभाव का प्रचार प्रसार करते हुए वे पुनः मक्का लौट आये। मक्का आकर पहला कार्य उन्होंने यह किया कि वहाँ के प्रतिष्ठित काबा मन्दिर में जो मूर्तियाँ स्थापित थी, उनको उखाड़ फेंका और इस प्रकार ममस्त अरब-वासियों में मूर्तिपूजा के अन्धविश्वास को नष्ट करने के लिए नमस्कार दिया। मक्का के तत्कालीन शासक आबुसोफियान, जो कि धर्म-मार्ग में बाधक था, युद्ध में पराजित कर दिया और धर्म मार्ग को प्रशस्त किया। इस प्रकार पुजारियों और प्रभावशाली व्यापारियों का विरोध भी समाप्त हो गया।

इस तरह अनेक प्रकार के प्राणघातक सक्तों को कई वर्षों तक झेलते हुए हजरत मुहम्मद ने अपने धर्म-स्थापना के सक्तों को पूरा किया। अपने मंगलकारी मनुष्यदोषों द्वारा उन्होंने बहुसंख्यक अरब-समाज में धार्मिक सद्भाव

स्थापित करके उनके माध्यम से विभिन्न वर्गों में बिखरे हुए तथा कुरीतियों से प्रस्त अरबवासियों को राष्ट्रीय एकता में निबद्ध किया।

अपना सारा जीवन उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार-प्रसार और दलित अरबवासियों के उद्धार-कार्य में व्यतीत किया। ४० वर्ष की अवस्था से लेकर ६२ वर्ष की अवस्था तक तेदम वर्षों में उन्होंने अरबवासियों के कल्याण के लिए घोर संघर्ष किया। ६३वें वर्ष की अल्पायु में ही उस महान् पुरुष ने मदीना में अपना शरीर त्याग किया।

इस्लाम के उदार सिद्धान्तों तथा सामाजिक सुधारों की वर्तमान स्थिति

हजरत मुहम्मद की जीवनी में इस्लाम धर्म के उदार सिद्धान्तों तथा व्यापक सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी मिलती है, उसको दृष्टि में रखकर यदि आज की परिस्थितियों से उनकी तुलना की जाये तो यही प्रतीत होता है कि वे अधिक व्यापक तथा लोकप्रिय होने की अपेक्षा समय की सीमाओं में बंध कर जातिविशेष के नाम पर रुक हो गये।

इस्लाम धर्म में सामाजिक ममता और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। जितने भी पैगम्बर हुए, उन सब ने जाति प्रथा तथा दास प्रथा की तीव्र भर्त्सना की है। उन्होंने अपने सद्बुपदेशों में कहा है कि किसी भी मुसलमान के लिए दानों को मुक्त करना उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पैगम्बर के इस उपदेश-निर्देश को उनके अनुयायी मुसलमानों ने उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं अपनाया। वे दास-प्रथा का उन्मूलन नहीं कर सके और इसी प्रकार भाई चारे का जो महान् सन्देश था, उसे व्यापक रूप देने की अपेक्षा केवल मुसलमानों की एकता तक ही सीमित रखा।

इन वास्तविकताओं के बावजूद इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है कि ईश्वरीय अवतार पैगम्बर ने दलित एवं शोषित मानव-जाति के उद्धार के लिए आजीवन अनवरत प्रयत्न किया। उन्होंने समाज में व्याप्त गरीबी तथा उत्पीड़न को दूर करने के लिए लोगों को निरन्तर प्रेरित किया। यहाँ तब घनवानों की सम्पत्ति को गरीबों में वितरित कर देने का भी आदेश दिया। 'कुरान' की आयतों में धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई है और साथ ही अमुस्लिम धर्मानुयायियों के प्रति सहृदयता के व्यवहार पर बल दिया गया है।

पैगम्बर ने विवाह तथा उत्तराधिकार के लिए स्त्रियों के विशेषाधिकारों की व्याख्या की है और उन्हें न्यायालय के समक्ष साक्षी रूप में उपस्थित होने का अधिकार दिया है। तत्कालीन समाज के लिए यह एक अभूतपूर्व

बात थी, क्याकि इस प्रकार के स्त्रियों के विशेषाधिकारों की यह व्यवस्था केवल पैगम्बर ने ही की थी। किन्तु मुस्लिम धर्म संहिता में जिन विधिनियमों को, पैगम्बर के बाद, समय-समय पर निर्धारित किया गया, उनमें इन विशेषाधिकारों को उपेक्षित कर दिया गया।

पैगम्बर द्वारा निर्दिष्ट सामाजिक सुधार और धार्मिक स्वतन्त्रता-मन्वही नियमों के पालन में तत्कालीन मुसलमान शासकों द्वारा जो अनियमितताएँ बरती गईं, उनके लिए पैगम्बर को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि अपनी आरम्भावस्था में इस्लाम धर्म जिस त्वरित गति से प्रचारित एवं प्रसारित हुआ, उसके स्वार्थपरक पुराणपन्थी शासकों की अनुदारता और उदात्त सिद्धान्तों की अवहेलना करने के कारण, अपने उदय-काल के लगभग सौ-सवा सौ वर्षों बाद ही (७१५ ई०) उसका विस्तार अवरुद्ध हो गया। इस अवधि में जब कि अरब राष्ट्रों में उसकी गति मन्द पड़ गई थी, यह एक विचित्र संयोग की बात है कि इसी अवधि में उसका प्रवेश भारत में हुआ।

धर्मावतार इमाम

इस्लाम धर्म में इमाम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सुन्नी और शिया, दोनों सम्प्रदायों के मुसलमानों का इमाम पर परम्परा से आस्था एवं विश्वास है। इस प्रकार के इमाम अब तक बारह ही चुके हैं, जिनके नाम हैं— १ हजरत अली, २ हमन, ३ हुसैन, ४ अली जैनुल आब्दीन, ५, मुहम्मद बाकर, ६ जाफर सादिक, ७ मूसर काजिम, ८ अलीरजा, ९ मुहम्मद तकी, १० अली नकी ११ हमन असकरी और १२ मुहम्मद अल मुतजर। इन इमामों को परम्परा से अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वे पैगम्बर के राज्य के अधिकृत उत्तराधिकारी हैं, वे पापरहित पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं और उन्हें समस्त मुस्लिम धर्मानुयायियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार है। इस रूप में वे धर्मगुरु के श्रेष्ठ पद के अधिकारी भी हैं।

इमाम को इस्लाम धर्म में ईश्वरीय अवतार के रूप में माना जाता है। उसको इतना अधिकार है कि यद्यपि वह 'कुरान' के आदेश निर्देशों को अमान्य या उपेक्षित नहीं कर सकता, तथापि उनमें आशिक परिवर्तन कर सकता है। वह एक न्यायकर्ता भी है और देश-काल की परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर परम्परागत कानूनों (विधि निर्देशों) को परिवर्तित कर सकता है। इमाम एक अवतार एवं पैगम्बर है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक इस्लाम धर्मानुयायी का परम कर्तव्य है।

मुसलमान जन-सामान्य का पथ-प्रदर्शन करता, मस्जिद की सामूहिक नवाज में अग्रणी होना, खुत्वा पढ़ना, धार्मिक नियमों एवं सिद्धान्तों की समस्याओं का समाधान करना इमाम के कार्य हैं। मिया सम्प्रदाय में हजरत मुहम्मद के बाद हजरत अली और उनके दो पुत्र हुए, जो कि परम बन्दनीय थे। उन्होंने अपने-अपने स्वत्वों को प्राप्त करने के लिए सघर्ष किये और बलिदान हो गये। उनकी पुनीत स्मृति में मिया सम्प्रदाय के लोग प्रतिवर्ष मुहर्रम के महीने उनके छोड़े 'दुलदुल' के प्रतीक में एक घोड़ा सजाते और उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, ताजिये बनाकर सामूहिक जुलूम निकालते हैं और अपने बलिदानी पवित्र इमामों की स्मृति में शोक मनाते हैं। अन्ततः ताजिये को कर्बला में गाड़ दिया जाता है।

इस्लाम धर्म की शाखाएँ

विश्व के अन्यान्य धर्मों की भाँति एक ही इस्लाम धर्म आगे चलकर अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभाजित हुआ। इस्लाम धर्म के धार्मिक इतिहास यह बताता है कि सुदूर अरब में रहकर भारत तक इसके विकास किन कारणों एवं परिस्थितियों में हुआ और समय-भ्रम पर इसमें कौन-कौन नई विचारधाराएँ समाविष्ट होती गयीं।

हजरत मुहम्मद के जीवन-काल में ही इस्लाम धर्म अनुयायियों में दो वर्ग बँध गये थे, जिनमें से एक वर्ग उनका शिक्षार्थी और अनुपालक और दूसरा वर्ग उनका विरोधी था। उनका यह पारस्परिक विरोध निरन्तर उग्र होता गया और मुहम्मद साहिब के शरीरान्त के बाद अनेक प्रकार के विरोध एवं विचारधाराएँ प्रकाश में आने लगी थीं। इन्हीं मतभेदों तथा विरोधी विचारधाराओं ने आगे चलकर स्वतंत्र धर्मशाखाओं के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। एक ही इस्लाम धर्म की अनेक शाखाओं के उदय के कारण लगभग वैसे ही थे, जैसे कि तथागत बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म की अनेक शाखाएँ विकसित हुईं।

इस्लाम धर्म सर्वप्रथम दो वर्गों या सम्प्रदायों में विभाजित हुआ, मिया और सुन्नी। इन दोनों सम्प्रदायों के उदय के कुछ कारण हैं। हजरत मुहम्मद के शरीरान्त के बाद उनके उत्तराधिकारी के लिए उनके अनुयायियों में कुछ समय तक सघर्ष होता रहा। मुहम्मद साहिब के दो पुत्र थे, जिनके नाम थे—कासिम और इब्राहिम। उनकी चार कन्याएँ थीं, जिनके नाम थे—जेनेब, हक़इया, आकोवाम और फातिमा। दोनों पुत्र बाल्यकाल में ही दिवंगत हो गये थे। इसलिए मुहम्मद साहिब का उत्तराधिकारी उनका भतीजा

नियुक्त हुआ, जिगका नाम अली था। उमका भी अल्पवय में निघन हो गया। उमके बाद उमके दो श्वशुरों अबुबकर और उमर ने उत्तराधिकारों को अपने हस्तगत कर लिया था। कुछ समय बाद इन दोनों इमामों में भी मतभेद हो गया। उनके पुत्रों में भी उत्तराधिकारों के लिए सघर्ष होता रहा। अन्त में इमाम अबुबकर के पुत्र उमर ने खलीफा उसमान को पराजित कर दिया। इन दोनों भाइयों द्वारा दो अलग-अलग धर्म शाखाओं का प्रवर्तन हुआ, जिन्हें गियाओ और मुन्नी कहा जाता है।

इस धार्मिक मतभेद का एक कारण और भी था। जिस समय हजरत मुहम्मद के उत्तराधिकार के लिए सघर्ष हो रहा था, उस समय उमके पक्षपाती लोगों ने उनके दौहित्र (पुत्री का पुत्र) इमाम हुसैन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किन्तु इस घोषणा का बड़ा विरोध किया गया। इस विरोधी वर्ग ने एक पद्य रचा। कुफा के खलीफा ने किसी कारणवश इमाम हुसैन को अपनी राजधानी आगस्तिया और कपट से बगदाद के ममीय कबला नामक स्थान पर उनकी हत्या करवा दी। इस प्रकार इमाम हुसैन के पक्षपाती लोग मियाओ और खलीफा के पक्षपाती लोग मुन्नी कहे जाने लगे। मियाओ सम्प्रदाय के लोग तभी से इमाम हुसैन की पवित्र स्मृति में मुहूर्त (शोकोत्सव) मनाते हैं। गियाओ का मूल स्थान ईरान है। उनकी सहाय ईरान के बाद ईराक में और उमके बाद भारत में है।

मियाओ और मुन्नी—दोना सम्प्रदायों में भी आचार विचारों के मतभेदों के कारण अनेक उपशाखाएँ हुईं। उनमें से अधिकांश तो अपने जन्म के साथ ही, जन-प्रोत्साहन एवं समर्थन न मिलने के कारण समाप्त हो गईं। जो जीवित रही उनके सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनमें कुछ के नाम हैं—बहावी, इनफी, सूफी, दाउदी, बहोरा, हमली, मेघाविया, मोरेसलाम, अत्रामी, इस्माइली (आगाखानी), पीराना, महोदीश, वावी, कादियानी, गरजाई, जाविरि, मोतजली और अशकरी आदि। इनमें से कुछ प्रमुख धर्म-शाखाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है—

बहावी—बहावी लोग मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी हैं। वे कब्र के ऊपर स्मारक या इमारत निर्मित करने के भी विरोधी हैं। इसी विचारधारा के बशीमुत होकर बहावी शासक इबन मरद ने अरब के समस्त कब्रगाहों को तुड़वा डाला था और भविष्य में ऐसा करने पर सख्त प्रतिबन्ध लगा दिया था।

आगाखानी (इस्माइली)—ये लोग आगा खानों को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उन्हीं के प्रति अपनी एकान्त तथा परम श्रद्धा प्रकट करते हैं। उन्हें मेतन भी कहा जाता है। वे अपने प्रभाव-मद्भाव के कारण विभिन्न

देगो में फँसे हुए हैं, किन्तु सर्वत्र ही अल्पमर्याद हैं। किन्तु प्रतिष्ठित एवं अधिकार-सम्पन्न व्यापारी हैं। उनमें एक प्रथा यह प्रचलित है कि वे मृत व्यक्ति की कब्र में जिब्रील के नाम एक रोवका लिखकर उसे भी दवा देते हैं। उनमें यह लिखा होता है कि स्वर्ग में उसे कौन-सा स्थान मिलेगा।

कादियानी—यह धर्म शाखा हिन्दू-धर्म की मान्यताओं के काफी निकट है। ये लोग अवतारवादी हैं और हजरत मुहम्मद को भी एक अवतार मानते हैं। हजरत गुलाम के उपदेशों को भी वे वरणीय मानते हैं। इस धर्म-शाखा के संस्थापक हजरत गुलाम अहमद कादियान थे। जिला गुरुदामपुर (पंजाब) में उनका जन्म हुआ था। अतः पंजाब में कादियानी अधिकतर पाये जाते हैं। वे उदारतावादी हैं और हजरत मुहम्मद तथा हजरत गुलाम की भाँति राम-कृष्ण-बुद्ध-नानक आदि के प्रति पैगम्बर की तरह श्रद्धा-भाव रखते हैं। इस मत के अनुयायी स्वयं को कर्मों के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते हैं।

गरजाई—इस मत के अनुयायी कर्म पर विश्वास करते हैं और मन्त्र-रिचता का आचरण करते हुए परमात्मा के प्रति निष्ठा रखते हैं।

जाबिरी—इस धर्मशाखा के अनुयायियों के आचार-विचार-विश्वास कादिरियों के सर्वथा विपरीत हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य अपने गुण-धर्म कर्मों के लिए उत्तरदायी है और इसलिए उनको कर्मों का उपभोग करना होता है।

मोतजली—ये लोग धर्मशास्त्रीय नीति-नियमों के मानने वाले हैं और धर्मशास्त्रीय न्याय नियमों के समझ भाग्यवाद को कोई महत्त्व नहीं देते हैं।

अनाजरी—ये लोग इस्लाम के पण्डित-पुरोहितवाद के समर्थक हैं और अठ्ठात्मशरी तथा पुराणपन्थी विचारों के अनुयायी हैं।

कुरान

इस्लाम धर्म का आधारभूत एकमात्र ग्रन्थ 'कुरान' है। यह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'प्रवचन या भाषण'। किन्तु सम्प्रति 'कुरान' को अल्लह का कलाम (वचन) माना जाता है और उसके शब्द तथा अर्थ, दोनों को परमात्मा की वाणी के रूप में तिरोधार्य माना जाता है। जैसे 'धृति' और 'स्मृति' शब्दों से परम्परागत श्रवण तथा स्मरण द्वारा सुरक्षित ज्ञान का भाव प्रकट होता है, उसी प्रकार पैगम्बर की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षा एवं उनके उपदेश भी उनके अनुयायियों द्वारा मौखिक रूप से कण्ठस्थ (हिफ्ज) रूप में जीवित रहे। बाद में इन कण्ठस्थ-पाठ को और

लिपिवद्ध रूपों को समन्वित करके एक प्रामाणिक पाठ तैयार किया गया। वही सर्वशुद्ध पाठ सम्प्रति 'कुरान' के नाम से कहा जाता है। इसलिए यही कारण है कि 'कुरान' का दूसरा पाठान्तर प्राप्त ही नहीं होता है।

इस धर्म ग्रन्थ में ११४ अध्याय (सूर) हैं। उतनी ९० सूरतें सपर्य-काल से सम्बन्धित हैं, जिनमें अल्लाह की अद्वैतता और उनके द्वारा मानवोत्थान, सम्मार्गनिर्देशन तथा सद्गुणों का वर्णन किया गया है। शेष २४ सूरतें विजय-काल से सम्बन्धित हैं, जिनमें धार्मिक विश्वासों, व्यावहारिक ज्ञान, सदा-चरण, नैतिकता, पवित्रता तथा आचारों का वर्णन है। 'कुरान' में पुरातन महापुरुषों आदम, सूर, इब्राहीम, मूसा, दाउद, मुलेमान तथा ईसा आदि के उपदेश भी सशुद्ध हैं, जिनका लक्ष्य यह है कि मज्जनों को अल्लाह ने पुरस्कृत और दुर्जनों को दण्डित किया।

'कुरान' की यह विशेषता है कि वह नमाजों के समय पढ़ा जाने वाला धर्म-ग्रन्थ ही नहीं है, अपितु प्रत्येक विद्योपार्जन करने वाले सिद्ध छात्र की आरम्भिक शिक्षा का भी अभिन्न अंग है। उसने शरबी भाषा को एकरूपता में बाँधे रखा और आज जो भाषा 'कुरान' की है, उसी को प्रामाणिक अरबी माना जाता है। 'कुरान' इतना लोकप्रिय ग्रन्थ है कि उसके अब तक लग भग चालीस से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। इस ग्रन्थ पर इस्लाम धर्मनुयायियों की अपार श्रद्धा है।

हदीस

'कुरान' के ही समान इस्लाम धर्म का दूसरा प्रामाणिक धर्म ग्रन्थ 'हदीस' है। यह ग्रन्थ कुरान की ही भाँति पवित्र दिव्य वाणियों का संग्रह है। मुहम्मद साहिब ने समय समय पर जो नसीहतें, कहावतें और रिवायतें अभिव्यक्त की, उनका संग्रह 'हदीस' कहलाता है। वे पवित्र आदेशों की भाँति मान्य होते हुए भी ईश्वरीय (इलाही) नहीं मानी जाती हैं। यही इन दोनों धर्म ग्रन्थों में विशेष अन्तर है।

सिद्धान्त-निरूपण

हजरत मुहम्मद ने ६१२-६२२ ई० के बीच मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। उनके महान् उपदेशों से समस्त अरब उन्नत अनुयायी हो गया था। हजरत मुहम्मद ने त्याग, आत्म समर्पण और आज्ञाकारिता के जो उपदेश दिये पश्चिमी देशों के इतिहास में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

इस्लाम सम्प्रदाय के कुछ धर्म ग्रन्थ हैं, जिनमें पीरो, पैगम्बरो, सन्तो और फकीरो की प्रेरणाप्रद दिव्य वाणिज्याँ एवं कथाएँ संकलित हैं। 'कुरान'

उनका प्रमुख धर्म ग्रन्थ है, जिसको 'किताब', 'मजीदा' या 'कलामुल्ला' भी कहा जाता है। मुहम्मद साहिब द्वारा जनता के उद्बोधन एवं सन्मार्ग निर्देशन के लिए समय-समय पर जो सदुपदेश (इलहाम) दिये गये, वास्तव में उन्हीं का सग्रह 'कुरान' है। उनके ये सदुपदेश अपने मूल रूप में मौखिक थे। उनके अनुयायियों ने उन उपदेशों को प्रस्तर-सिलाओ, तालपत्रों, चर्मपत्रों और काष्ठपट्टिकाओं में अकित-उत्कीर्णित कर उन्हें सुरक्षित रखा। उनके अतिरिक्त अधिसूक्ष्म उपदेश मौखिक रूप में भी सुरक्षित रहे। मुहम्मद साहिब के परवर्ती उनके उत्तराधिकारी खलीफा अबुबकर ने उन लिपिबद्ध तथा कण्ठस्थ उपदेशों का सग्रह किया और सर्वप्रथम उन्हें ११४ सूरो (अध्यायों) में विभक्त एवं क्रमबद्ध किया। 'कुरान' के सग्रह-संरक्षण का यह प्रथम कार्य था। किन्तु इस सग्रह के अतिरिक्त भी विभिन्न अचलो में मुहम्मद साहिब के उपदेशों के सन्देश पहुँच चुके थे और वे उपदेश जन-मानस में विभिन्नता से प्रचलित हो चुके थे। इस कारण कालान्तर में मक्का, मदीना और ईराक आदि विभिन्न अरब अचलो से 'कुरान' के अलग-अलग सग्रह प्रकाश में आये।

इन सग्रहों के आधार, क्रम और विषय-सामग्री में अन्तर था। इसलिए उनमें पारस्परिक भिन्नता होनी स्वाभाविक थी। इस विषयता को दृष्टि में रखकर तीसरे खलीफा उसमान ने खलीफा अबुबकर द्वारा सगृहीत संस्करण को प्रामाणिक मानकर शेष सभी संस्करणों को अमान्य घोषित कर दिया और जो भी मिले, उन्हें जलवा दिया। फिर भी वे पूरी तरह नष्ट न हो सके। उसी का परिणाम है कि सम्प्रति 'कुरान' के लगभग सात संस्करण प्राप्त होते हैं, जिनमें यद्यपि आंशिक पाठ-भेद और आयतों की संख्या में अन्तर है, तथापि बहुत-कुछ समानता भी है।

परमेश्वर

'कुरान' में ईश्वरीय प्रेरणा के क्षणा में पैगम्बर द्वारा कहे गये उपदेशों (इलहाम) का वर्णन है। उसमें परमेश्वर को अल्ला, हुक्ताला, मौला, खुदा और करीम आदि विभिन्न नामों से कहा गया है। सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण करते समय सबको यह कलमा (प्रतिज्ञा) पढाया जाता है—(मैं) स्वीकार करता हूँ कि ईश्वर से भिन्न कोई देव नहीं है और मुहम्मद उसका पैगम्बर (सन्देशवाहक) है—(अशहदो अन्लाइलाहा इल्लल्ला मोहम्मदुन रसूलल्ला)। ईश्वर परम दयालु है (विसमिल्ला रहमाने रहीम)। उसको निमित्त मानकर मनुष्य को प्रत्येक कार्य करना चाहिए।

इस्लाम ईश्वर की एकता पर विश्वास करता है—लाइलाइ इल्लल्लाह (एकमेव ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई देवता नहीं है।) इस दृष्टि से

इस्लाम एवेश्वरवादी धर्म है। वहाँ अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा सर्व-शक्तिमान पिता नहीं है। वह सत् एव सर्वज्ञ है और यह ममस्त चराचर उसी का निवास है। उसकी आज्ञा से ही जगत् का संचालन होता है और उसी की कृपा पर वह अस्तित्ववान् है। उसे न तो किसी ने पैदा किया और न उससे कोई पैदा हुआ है। वह सर्वव्यापी, महान् और उत्तम है (११२। ९।३), किन्तु नास्तिक (काफिर) उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। उसने छ दिनों में पृथ्वी और आकाश को बनाया तथा स्वयं सुदूर मातर्वे आसमान पर, तिहारान (अर्ज) पर विराजमान हुआ (५७।१३-१४ आदि)।

चिन्तन की अनेक विचारधाराओं का उदय

मुस्लिम धर्म दर्शन का उदय यद्यपि अरब में हुआ, किन्तु ७वीं शती ई० के मध्य ग्रीक प्रभावों के कारण वह चिन्तन की अनेक विचारधाराओं में विवसित हुआ। आरम्भ में उसकी तीन विचारधाराएँ प्रकाश में आईं— बुद्धिवाद (मुतजलवाद), पाण्डित्यवाद (अशअरवाद या आशारियावाद) और रहस्यवाद (सूफीवाद)। प्रथम विचारधारा बुद्धिवाद का जन्म लगभग प्रथम शती हिजरी में हुआ। इस धारा के दो मुख्य मिद्धान्त हैं— ईश्वरीय एकत्व और ईश्वरीय न्याय। ईश्वरीय एकत्व के अनुसार ईश्वर एक या अद्वितीय है। वह सर्वज्ञ और शक्तिमान है। उसकी ये विशेषताएँ उसके मूल स्वत्व में निहित हैं। ईश्वरीय न्याय के अनुसार ईश्वर सर्वदा जीवों के प्रति न्यायी और परम कृपालु रहा है। मनुष्य अपने सत्कर्मों के लिए पुरस्कार और दुष्कर्मों के लिए दण्ड पाता है। इस्लाम धर्म की इस प्रगतिशील चिन्तन धारा में 'कुरान' की पुराणपन्थी दैवी उत्पत्ति सम्बन्धी मान्यताओं का भी खण्डन किया गया है। इस विचारधारा के जन्मदाता सन्त वासिल बिन अता (निघन ७४८ ई०) और प्रवर्तक सन्त अबुल हुजैल (निघन ८४० ई०) थे।

दूसरी विचारधारा 'अशअरवाद' उक्त प्रथम विचारधारा के विपरीत है। इस विचारधारा के प्रवर्तक अब्दुल हसन अल् अशअरी (जन्म २६० या २७० हिजरी) थे। आरम्भ में वे मुतल्जी मत के अनुयायी थे, किन्तु बाद में उनके कटु आलोचक हो गये। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु जद्वाह को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। उनका अभिमत था कि धर्म की इमारत विशुद्ध बुद्धिवादी आधार पर खड़ी नहीं की जा सकती है। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय नहीं मानते थे, अपितु उनकी मान्यता थी कि ईश्वर इच्छा शान-क्रिया आदि विविध गुणों से सम्पन्न है, किन्तु वे गुण सामान्य मनुष्य में पाये जाने वाले गुणों से सर्वथा भिन्न हैं। ईश्वर ही एकमात्र स्रष्टा (मिरजनहार) है। उनका यह भी कहना था कि ईश्वर कर्माधीन नहीं

है, अपितु अपनी इच्छा से कितो भी जीव का उसने कर्मानुसार हित-अहित कर सकता है। उनकी दृष्टि से 'कुरान' ईश्वर की दास्यत वाणी है। इस दृष्टि से यह धर्मशाखा मौलिक तात्विक भूमि पर आधारित प्रतीत होती है।

तीसरी रहस्यवाद या सूफीवाद विचारधारा के जन्मदाता मिश्र के निवासी मन्त धुन-नून् (निघन २४५-४६ ई०) थे। इस सूफीवादी परम्परा के प्रवर्तक बगदाद के जुनैद, उनके गिष्य कुर्सी और शेख मुहिउद्दीन इब्न-अब् अरही आदि हुए। शेख साहब मुस्लिम तत्त्वज्ञान के महान् ज्ञाता थे। उन्होंने अपना एक वजुद्दीयह (जीव की इकाई) धर्म-पन्थ का भी प्रवर्तन किया था। उनके बाद इमाम गजाली ने सूफीवाद को पुरातन पन्थी सुन्नी धर्म विज्ञान के साथ समन्वित किया।

सूफीमत का मुख्य लक्ष्य अन्तःकरण की पवित्रता, नैतिकता का उत्थान और आन्तरिक तथा बाह्य जीवन में मदाचार-सद्विचारों की स्थापना करना था। तभी शाश्वत परमानन्द तथा परम कृपा की प्राप्ति हो सकती है। सूफी मत के अनुसार पवित्र ग्रन्थों में निबद्ध ईश्वर द्वारा कहे गये नियमों का पालन आबाल-वृद्ध सबको करना चाहिए। शरित् निर्माण के लिए ईश्वरीय कर्तव्यों, अधिनियमों अनुबन्धों तथा अनिवार्यताओं का पालन करना आवश्यक है। इस रूप में सूफीवाद एक अनुशासनात्मक सिद्धान्त है।

इस मत के अनुसार सूफी वही है, जिसे अपने तथा ईश्वर के बीच के सम्बन्धों की जानकारी है। सूफी एक सृजित प्राणी है, जिसे ईश्वर स्वयं उसकी कार्यक्षमता के अनुसार उसमें ज्ञान तथा शक्ति को प्रकट करता है। ईश्वर की सत्ता से ही उसकी सत्ता है। वह अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता है। 'कुरान' (५७:२) में उसी परम सत्ता के सम्बन्ध में कहा गया है— 'वही प्रथम है और अन्तिम भी। वही बाह्य और आभ्यन्तर भी है। वह सब कुछ जानता है।' इस आयत की व्याख्या करते हुए पैगम्बर ने कहा है— तुम बाह्य हो और तुमसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तुम आभ्यन्तर हो और तुमसे नीचे कुछ भी नहीं है। तुम प्रथम हो और तुमसे पूर्व कुछ भी नहीं है। तुम अन्तिम हो और तुम्हारे बाद कुछ भी नहीं है।'

सूफीमत, क्योकि मुस्लिम दर्शन एवं तत्त्वज्ञान का मुख्य आधार माना जाता है, इसलिए उसका विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है।

सूफीमत

सूफीमत इस्लाम का धार्मिक दर्शन है। हजरत मुहम्मद से लेकर परवर्ती मन्तों, फकीरों और चिन्तकों ने इस्लाम धर्म के सम्बन्ध में समय-समय पर जिन रहस्यात्मक विचारों का प्रतिपादन किया, परमात्मा या अल्लाह के विषय

म अपने-अपने जो विचार प्रकट किये, उन्हीं का निरूपण सूफीमत में किया गया है। इस्लाम धर्म के तत्त्व-चिन्तन के त्रिन गूढ-गमों में विचारों का प्रतिपादन किया गया, त्रिम रहस्यमय सत्ता की शोज की गई, सूफीमत में उन्हीं की व्याख्या वर्णित है। इस्लाम के मूल धार्मिक विचारों को जानने के लिए सूफीमत के सिद्धान्तों में परिचित होना आवश्यक है।

यद्यपि ज़रबी, फारसी और तुर्की भाषाओं में 'सूफी' शब्द का प्रयोग हुआ है और वहाँ में वह यूरोपीय साहित्य में 'मिस्टिक' नाम से कहा गया है, किन्तु वास्तव में त्रिम रूप में उसका व्यवहार तथा प्रचलन देखने को मिलता है, उनका स्वप्न वृद्ध भिन्न है। सामान्यतः सूफी शब्द का प्रयोग उन रहस्यवाद के जय में हुआ है, जिसमें इस्लाम धर्म की ज़ाह्या निहित है। उसे ज़रबी भाषा में 'गफा' धातु से व्युत्पन्न माना गया है, जिसका अर्थ है 'मुद्धता'। अतः सूफी अभिप्राय उन व्यक्ति का हुआ, जो पवित्र हृदय वाला हो। कुछ विद्वानों ने 'सूफ' से 'सूफी' की व्युत्पत्ति बनाई है, 'सूफ' का अर्थ है 'उन'। उस जय में उन मुसलमान तपस्वियों एवं तत्त्वचिन्तकों को 'सूफी' कहा गया, जिन्होंने जीवन की निस्वार्थता के परस्वप्न ऊनी पन्थ का वैराग्यवाना धारण कर लिया था। उन वैराग्य का कारण 'कुरान' का यह मन्त्र था कि मोक्ष-प्राप्ति का एकमात्र अधिकार अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए सर्वनाभावेन स्वयं को परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देने में ही मनुष्य तरक, मृत्यु तथा पापों जादि के समस्त भयों एक भव-वाप्राप्ति में विमुक्त हो सकता है।

मुहम्मद साहिब के अनुयायियों ने 'कुरान' को अल्लाह की वाणी के रूप में वर्णन किया है। 'कुरान' की कुछ आयतों में यह जान होता है कि अल्लाह प्रेम तथा श्रद्धा-भक्ति से अधिक भय तथा एकाधिकारमय निरकृप सत्ता का स्वामी है। वह मनुष्य की भावनाओं तथा आकांक्षाओं से ऊपर, सर्वथा अगम्य है। वह अपने दासों का स्वामी है, न कि अपने बच्चों का पिता (रत्न)। वह एक ऐसा स्थापनाधीन है, जो पापियों को कठोर दण्ड देगा है और अपनी कृपा का पात्र बन्द उन लोगों को बनाता है, जो निरन्तर प्रति-रत, विनम्रता का भाव धारण किये हुए और पश्चान्ताप करने हुए उनके क्रीड में बधन रहने हैं। इसलिए अल्लाह के उस कठोर अनुशासन का परिपादन करने हुए, उनकी कृपाओं को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनमें सामीप्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उस रहस्यमयता की शोज के लिए 'सूफीमत' का उदय हुआ।

बौद्ध धर्म और वेदान्त का प्रभाव

सूफीमत की पृष्ठभूमि के आधारों को खोज निकालने वाले विद्वानों ने अपने जो विचार प्रकट किये हैं, उनका अनुशीलन करने पर सूफीमत के आविर्भाव का एक निश्चित कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विद्वानों की यह धारणा है कि सूफीमत एक मिश्रित आध्यात्मिक प्रक्रिया है और उनका आविर्भाव तथा विकास इस्लामी तथा गैर-इस्लामी धार्मिक प्रभावों के कारण हुआ। इन गैर-इस्लामी धर्मों में ईसाई और बौद्ध प्रमुख हैं। ईसाई धर्म के साधुओं, भिक्षुओं एवं सन्तों और मुसलमान फकीरों एवं तपस्वियों के मौन व्रतों, जप, एकान्तता, उपासना आदि प्रवृत्तियों तथा आचरणों में समानता है। ऊनी वस्त्रधारी सूफी सन्तों का आधार ईसाई सन्तों के वस्त्रधारण की प्रवृत्ति पर निहित है। परमात्मा के प्रति प्रेम-सम्बन्ध की पौराणिक कथाएँ इस्लामी तथा ईसाई साधुओं की लगभग एक समान विद्वानों पर आधारित हैं और उनकी अभिव्यक्ति की शैली में भी तारतम्य है। ईसाइयों तथा इस्लामी सन्तों की आचार-पद्धति के जो मूल नियम एवं अनुशासन के आधार हैं, उनमें भी पारस्परिक एकता है।

इसी प्रकार सूफीमत के मिद्धान्तों, उसकी तात्त्विक प्रवृत्तियों पर बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक विचारों का गभीर प्रभाव देखने को मिलता है। भारत पर यूनानी आक्रमणों से पूर्व लगभग १०वीं शती या इसमें पूर्व एशिया के अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रभाव व्याप्त हो चुका था। सम्राट् असोक तथा कनिष्क के समय धर्म-प्रचारक भिक्षु भारत के बाहर अनेक देशों में फैल चुके थे और भारत आने वाले फाहियान तथा ईत्सिंग आदि बौद्ध भिक्षुओं के यात्रा-वृत्तान्तों से भी स्पष्ट होता है कि बौद्धधर्म का प्रसार सुदूर एशिया के अनेक देशों में हो चुका था। प्राचीन वैक्ट्रिया तथा पूर्वी फारस के मुख्य नगर बल्स में भगवान् बुद्ध के उपदेश व्याप्त हो चुके थे और वहाँ अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण हो चुका था। बौद्धधर्म के प्रभाव के कारण बल्स में सूफी सन्तों की गस्था निरन्तर बढ़ती जा रही थी। इसी प्रभाव का परिणाम था कि बल्स का राजकुमार इब्राहिम-इब्न-आदम राजमिहामन त्याग कर त्यागी सन्त बन गया था। वह वास्तव में अपने नितान्त धर्मनिष्ठ आचरणों के कारण 'द्वितीय बुद्ध' के रूप में प्रचलित हो चुका था।

सूफीमत पर निरन्तर तीस बरसों तक खोज करने वाले विद्वान् रेनाल्ड ए० निकल्सन का अभिमत है कि 'सूफियों ने माला का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं से ही सीखा। जहाँ तक आत्म-निर्वाण, योगिक ध्यान, बुद्धि तथा मन के एकीकरण का सम्बन्ध है, बिना विस्तार में गये, यह बात दावे के साथ

कही जा सकती है कि सूफीमत बहुत-कुछ बौद्धधर्म का ऋणी है।' (इस्लाम के सूफी साधक, पृष्ठ-१३) ।

निकल्सन ने बौद्धधर्म के अतिरिक्त सूफीमत के सिद्धान्तिक पक्ष पर वेदान्त के प्रभाव को भी स्वीकार किया है। उनका कहना है कि 'मेरा विचार है कि सूफियों की 'फना', अर्थात् 'व्यक्तिगत अहम्' को विश्व की सत्ता में लय कर देने की कल्पना का मूल स्रोत निश्चित ही भारतीय है। 'फना' का प्रथम व्याख्याकार ईरानी रहस्यवादी बायजिद बुस्तानी था। उनका कथन है कि 'मैं परमात्मा में परमात्मा में गया, यहाँ तक कि वे मेरे भीतर से चिल्ला उठे तू ही मैं हूँ।' (वही पृष्ठ १३-१४) ।

सूफीमत के अनुसार व्यक्तिगत 'अहम्' का पूर्ण रूप से लोप हो जाना ही 'फना' की अन्तिम स्थिति है, अर्थात् यह अनुभूति कि 'मैं शून्य में मिल गया और विलीन हो गया।' सूफीमत अन्ततः इस निष्कर्ष पर केन्द्रित हो जाता है कि जब व्यक्ति में 'स्व' (अहम्) का लोप हो जाता है, तब विश्वात्मा की प्राप्ति होती है। फना की यह अन्तिम स्थिति 'बफा' कहलाती है। 'बफा' वस्तुतः बौद्धधर्म की निर्वाण की स्थिति है, जिसमें अहम्-अनुभव-जन्य समस्त अहंकारो (दुर्गुणो) का नाश होकर सदगुणो का उदय हो जाता है। सदगुणो के उदय की इस स्थिति को सूफीमत में 'आह्लाद' या ईश्वरीय सौन्दर्य की बीति कहा गया है।

वेदान्त दर्शन का यही विश्वात्मवाद है, जिसको सूफियों ने अविकल रूप में ग्रहण किया है। सूफीमत में व्यक्तिगत सत्ता (अहम्) का परमात्मा में लय करके निःशेष हो जाने की भावना वेदान्त के अद्वैतवाद से प्रभावित है।

सूफीमत की रहस्यवादी भावना पर विचार करते हुए इन गैर-इस्लामी विचारधाराओं के तारतम्य को दृष्टि में रखते हुए यह सर्वथा सगत जान पड़ता है कि बौद्धधर्म तथा वेदान्त के सिद्धान्तों का उस पर प्रभाव है। किन्तु साथ ही इसका आशय यह नहीं है कि 'कुरान' में इस प्रकार के मन्दर्भों तथा विचारों का अभाव है, जिसमें रहस्यवाद का आधार नहीं है। 'कुरान' में एकाधिक ऐसे सन्दर्भ हैं, जिसमें अल्लाह को पृथ्वी और स्वर्ग का प्रकाश माना गया है और एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार किया गया है, जो समस्त मानवात्मा में कार्यरत है। इस विश्वात्मभाव को अभिव्यक्त करने वाली 'कुरान' की उस आयत (२।१८२) को उदाहरणरूप उद्धृत किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है—'यदि मेरे बन्दे मुझसे मेरे बारे में पूछें, तो उनसे कहो कि मैं निकट ही हूँ।' इस प्रकार के अनेक सन्दर्भों को 'कुरान' में देखा जा सकता है।

सूफीमत का स्वरूप

सूफीमत के सम्बन्ध में अरबी तथा फारसी धर्म-ग्रन्थों में अनेक प्रकार का विचार प्रकट किये गये हैं। अपने-अपने ढंग में उनकी परिभाषाएँ भी दी गई हैं। किन्तु उनका अध्ययन करने पर यह कहना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है कि सूफीमत की एक सर्वमान्य परिभाषा स्थिर नहीं की जा सकती है। उदाहरण के रूप में निकल्सन ने जलालुद्दीन रुमी की एक 'मसनवी' अपनी पुस्तक (इस्लाम के सूफी साधक, पृ० २०) में उद्धृत की है। इस मसनवी में हाथी की एक कहानी कही गई है, जिस कुछ हिन्दू एवं अन्धेरे कमरे में प्रदर्शित कर रहे थे। उसको देखने के लिए बहुत लोग आये। किन्तु अन्धेरा होने और पर्याप्त स्थान के अभाव में वे उसे पूरे तौर पर नहीं देख सके। इसलिए हाथी से टटोल कर उन्होंने उसके धारे में जानना चाहा। 'एक ने उसकी सूँड टटोली और कह दिया कि वह जानवर पानी के नल के समान था, दूसरे ने उसके कान टटोल कर यह मत व्यक्त किया कि वह पक्षे के समान था, तीसरे ने उसके पैर टटोले और कहा कि निश्चित ही वह एक खम्भे के समान है, इसी प्रकार चौथे ने उसकी पीठ टटोल कर अपना यह निर्णय दिया कि वह एक बड़े सिंहासन जैसा है।'

इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उक्त व्यापक विश्वात्मा के जिस रूप को भी जिसने ध्याया, उसी को अन्तिम मान लिया। इसीलिए इब्नुल अरबी ने लिखा है—'जो लोग परमात्मा की आराधना मूर्त के रूप में करते हैं, उन्हें वह सूर्यस्वरूप दिखाई देता है। जो लोग उसकी आराधना जीवित वस्तुओं में करते हैं, उन्हें वह जीवधारी वस्तुओं के रूप में दिखाई देता है। जो लोग उसकी आराधना निर्जीव पदार्थों के रूप में करते हैं, उन्हें वह निर्जीव पदार्थों के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार जो लोग उसे विलक्षण और अद्वितीय सत्ता के रूप में पूजते और भजते हैं, उन्हें वह उन्ही रूप में दिखाई देता है।'

यही स्थिति उन अनेक चिन्तकों एवं विचारकों की भी है, जिन्होंने सूफीमत की एक निश्चित परिभाषा में आवद्ध करने का प्रयास किया है। उक्त मसनवी में अभिव्यक्त भावनाओं की भाँति वे विभिन्न परिभाषाएँ भी सूफीमत की अनेकानेक विशेषताओं को प्रकट करती हैं और जिज्ञामु को किसी-न-किसी रूप में उसके युगल पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुँचाती हैं। वस्तुतः देखा जाय तो सूफी साधकों ने जिन अनेक मार्गों या तरीकों से उस अनन्त, असीम, नित्य, अविनाशी परमात्मा को खोजा, उनकी सख्या गणना-योग्य है और इसीलिए सूफी साधकों का न तो कोई एक वर्ग है और न ऐसी

नियमबद्ध निश्चित प्रणाली है, जिससे कि उस अनन्त शक्ति विश्वात्मा को किसी एक लक्षण या परिभंग्या में अभिव्यक्त किया जा सके ।

परम लक्ष्य की प्राप्ति के सात सोपान

उस परम अगोचर की खोज में निकलने वाला सूफी साधक (सात्विक) अपने पथ (तरीकत) पर धीरे-धीरे निरन्तर अग्रसर होते हुए अनेक सोपानों (मकामातो) को लापता हुआ तब तक आगे बढ़ता जाता है, जब तक कि वह अपने एवान्तिक लक्ष्य परब्रह्म (हक) में लीन नहीं हो जाता है । उसके उस लक्ष्य-पथ के सात सोपान (मकामात) या विश्राम-स्थल बताये गये हैं । उनके नाम हैं—१ पश्चात्ताप, २ समय, ३ विराग, ४ दैन्य, ५ धैर्य, ६ खुदा में विश्वास और ७ मन्तोप । लक्ष्य प्राप्ति के ये सात सोपान वस्तुतः सूफीमत की योग-साधना के नैतिक अनुशासन हैं । इन नैतिक अनुशासनो की योगिक प्रक्रियाओं द्वारा साधक की मानसिक दशाओं में परिवर्तन होता रहता है और वह अपने लक्ष्य के निकट जाता हुआ स्वयं को अनुभव करता है । इस प्रकार की मानसिक दशाओं की सख्या दस है, जिनमें क्रमशः उसकी साधना का विकास होता जाता है । ये दस दशाएँ हैं—१. ध्यान, २ खुदा से सामीप्य, ३ प्रेम, ४. भय, ५ आशा, ६. औत्सुक्य, ७ मैत्री, ८. शांति, ९. चिन्तन और १०. निश्चयात्मकता । ये दस भावनाएँ प्रयत्नसाध्य नहीं हैं, अर्थात् उनको प्राप्त करने के लिए किसी साधनविशेष या कर्तव्यविशेष की आवश्यकता नहीं है । वे स्वतः स्फूर्त एव सहज अनुभवगम्य हैं । “वे तो परमात्मा से मनुष्य के हृदय में स्वयं ही अवतरित हाती हैं और वह उन्हें न तो आने से रोक सकता है और न जाने से ही ।”

उक्त सात विश्राम-स्थल सूफी साधक की उत्तरोत्तर उन्नत जीवन की आध्यात्मिक उपलब्धियाँ हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ता हुआ प्रकाश के निकट पहुँच जाता है और तब उसकी अनुभूति ठीक वैसी ही हो जाती है “जैसे कि परिश्रम से श्लथ पथिक गहरी घाटी से निकल कर झिलर पर पहुँचते ही एकाएक सूर्य की झलक पाकर आँसू मूँद लेता है ।”

सूफीमत की दो प्रमुख शाखाएँ

इस्लाम धर्म का सूफीमत उदारतावादी और भावभौम समानता का परिचायक है । उसकी दार्शनिक मान्यता है कि ‘मैं ही वही हूँ’ (अनलहक) । उपरसना-आराधना-भक्ति द्वारा प्रभु में सर्वस्व समर्पित कर देना ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानने वाले सूफी साधक दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हैं— ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी । ये दोनों शाखाएँ साधना तथा भक्ति के दो मार्गों पर चलकर पल्लवित हुई ।

प्रसिद्ध सूफी सन्त ममूर ने ज्ञानमार्ग का और जलालुद्दीन रुमी ने प्रेममार्ग या भक्तिमार्ग का प्रवर्तन किया। प्रभु के चिन्तन-मनन में तल्लीन सन्त ममूर को खलीफा का कोपभाजन बनना पड़ा था। वे 'अनलहक' की रट लगाये इधर-उधर भटकते फिरते रहे और खलीफा व आदम से जब उन्हें अमानुषिय यत्रपाएँ दी जाती रहीं, तब भी वे इमी शब्द का उच्चारण करते हुए समस्त शारीरिक यत्रपाओ पर विजय प्राप्त करते हुए ध्यानमग्न बन रहे। अन्त में उन्हें फाँसी दी गई। उनका चरित्र ठीक वैसा ही था, जैसा कि प्रभु ईमा ममीह का।

सन्त जलालुद्दीन रुमी प्रेममार्गी परम्परा के महान् शायर थे। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को धरण किया और आज भी उनकी मसनवियाँ समस्त काव्य-रसिकों तथा भक्तों में लोकप्रिय हैं। प्रसिद्ध शायर शेखसादी इमी भक्तिमार्ग के अनुयायी थे।

सूफीमत की ये दोनों शाखाएँ ममान रूप से आगे बढ़ीं। बल्कि ज्ञानमार्गी शाखा की अपेक्षा भक्तिमार्गी या प्रेममार्गी शाखा का अधिक विस्तार एवं लोकसमान हुआ। उतका कारण यह था कि ज्ञानमार्ग सबके लिए सहज नहीं था। उसके लिए कठोर त्याग-तप, आत्मसम्य और साधना की अपेक्षा थी, जो कि सर्व-सामान्य के लिए संभव नहीं था। अद्वैत परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ऊसर ज्ञानभूमि को अपनाना विरले साधकों का ही काम था। किन्तु प्रेममार्ग का आश्रय लेकर सर्व-सामान्य के लिए अपनी भक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त करना सहज था। यही कारण है कि सूफीमत के साहित्य में जितने ग्रन्थ लिखे गये, वे प्रेममार्गी शाखा से ही संबद्ध हैं।

सूफियों की ज्ञानमार्गी शाखा की तुलना अद्वैतवेदान्त से की जा सकती है, जब कि प्रेममार्गी शाखा का समन्वय भक्ति द्वारा भगवान् को प्राप्त करने वाली द्वैतपरक वैष्णव शाखाओं से किया जा सकता है। यद्यपि प्रेममार्गी सूफी-साधकों तथा वैष्णव भक्तों की साधना-पद्धति में अन्तर है, तथापि जहाँ तक भावात्मक उद्रेक का सम्बन्ध है, दोनों में पर्याप्त तारतम्य है।

सूफीमत में प्रतीकों का महत्त्व

विश्व के सभी धर्म-दर्शनों में सर्वत्र ही प्रतीकों का आश्रय लिया गया है। न केवल धर्म-दर्शन के क्षेत्र में, अपितु साहित्य की काव्य-नाटक-कथा आदि विधाओं में भी उन्हें अधिक गूढ़ एवं चामत्कारिक बनाने के उद्देश्य से प्रतीकों का बहुविध उपयोग किया गया है। किन्तु सूफीमत में उनकी अधिकता देखने को मिलती है। वास्तव में प्रतीक सूफी-साहित्य की आत्मा है। उनके रहस्यो

को जाने बिना सूफी सन्तों व अन्तर्भावों को हृदयगम करना नितान्त असंभव है। कुछ आलोचका न सूफी रहस्यवाद को 'कामुको का विलास' कहते हुए यह आरोपित किया है कि अपने को रहस्यवादी कहने वाले सूफी वास्तव में पाखण्डी तथा ढोंगी हैं और उनका रहस्यवाद विषय वामनाआ तथा भोग विलासों से बढकर कुछ नहीं है (फाजिर स्टडीज इन इस्लामिक मिस्टिजिगम, पृ० २३२ आदि)। यह धारणा वस्तुतः सूफी-प्रतीक-भावना के प्रति न्याय नहीं है, अपितु सार्वभौम धर्म की आध्यात्मिक निष्ठा के प्रति भी अवमानना का परिचायक है।

सूफी रहस्यवादी सन्तों की प्रेम-पद्धति का अपना दर्शन है। उन्होंने अपने साहित्यिक उद्गारों में प्रियतम (परमात्मा) के प्रति प्रियसी (आत्मा) के मिलन की उत्कट एकता को प्रतीकात्मक संकेतों द्वारा अभिव्यक्त किया है। सूफियों का और वास्तव में समस्त धर्मप्राण समाज का यह परम्परागत विश्वास रहा है कि भगवान् भाव में बसते हैं। उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति के आधार ही 'प्रतीक' हैं। उनके द्वारा ही हम भगवान् को जान और प्राप्त कर सकते हैं।

सूफी रहस्यवाद में आत्मा का परमात्मा के प्रति ठीक वैसी ही प्रेम-भावना व्यक्त की गई है, जैसे सासारिक प्रेमिका तथा प्रेमी की होती है। थोर लौकिक प्रेम में यह समानता प्रायः इतनी निकटतम होती है कि जब तक रहस्यवादी कवि के अन्तर्भाव का ज्ञान न हो, तब तक उसका असन्दिग्ध अर्थ-ग्रहण संभव नहीं है। इस सन्दिग्धता के निराकरण के लिए प्रयुक्त प्रतीकों का ज्ञान आवश्यक है।

सूफियों की रहस्यवादी कविताओं (मसनवियों) को समझने के लिए उनकी प्रतीकात्मक शैली की विशिष्ट विधाओं का ज्ञान आवश्यक है। अन्यथा अर्थ के अनर्थ हो जाने की पूरी संभावना होती है। यद्यपि इस प्रकार की प्रेम भावपूर्ण प्रतीकात्मक रचनाएँ अन्य भाषाओं के साहित्य में भी पर्याप्त रूप में मिलती हैं, किन्तु उनकी पराकाष्ठा इस्लामी रहस्यवादी सूफियों की रचनाओं में ही देखी जा सकती है। सूफियों की प्रेम भावना का यह आधार निश्चित ही 'कुरान' की कतिपय गाथाएँ हैं। उदाहरण के लिए एक पवित्र गाथा में कहा गया है—'मेरा सेवक मेरे निकट पहुँचता है और मैं उसे प्रेम करता हूँ। तब मैं ही उसके बान, आँख, जिह्वा तथा हाथ होता हूँ, ताकि वह मेरे ही द्वारा सुने, देखे, बोले और ग्रहण करे।' इस दृष्टि से एक रहस्यवादी शैवी-चिन्तन के आनन्दातिरेक में अपन जागतिक 'अह' को सर्वथा भुला देता है।" इसलिए लौकिक प्रेम के इस साहचर्यता के विभेद को जानने के लिए उसके

प्रतीकात्मक एव सकेतात्मक सुगोपित एव गूढ सूत्रों का आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है।

प्रतीकों का अस्तित्व एव महत्त्व मनातन है। वे प्रकृति के साथ हृदय के सादात्म्य के परिचायक हैं। प्रकृति के नाना रूपों के भाष्य मनुष्य हृदय के जो रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं, वे ही प्रतीक हैं। उनमें सकल्प-विकल्प, राग विराग एव सुख दुःख आदि का हृदय में साधारणीकरण होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पंचभूतों की एकात्मकता के उदाहरण मनुष्य के मन, बुद्धि, प्राण, हृदय और आत्मा आदि हैं। तात्त्विक समन्वय की दृष्टि से वे एव या अभिन्न हैं। विश्व के सभी युगों के साहित्य में प्रतीकों का समावेश अनायास ही होता आया है। यदि हम प्रतीकों का प्रयोग न करें तो हमारा दिव्य दर्शन किसी के भी हृदय में नहीं उतर सकता और वह सषमुच औरों के लिए एक ऐसी पहेली बन जाता है, जिसका सामान्य बुद्धि, विवेक और विश्वास से कुछ की सम्बन्ध नहीं रह जाता है। (पाण्डेय तसन्वुफ अथवा सूफीमत, पृ० १००)।

सूफी रतिभाव के आराधक हैं। रति का उद्दीपन सुख है और आलम्बन मासूक। मासूक का हृदन ही अल्लाह का प्रतीक है। जब कभी हम किसी हसीन का दर्शन करते हैं, तब स्वत ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह लौकिक आकर्षण जब अलौकिक भाव भूमि से सम्बन्धित हो जाता है, तब प्रतीकात्मक रूप धारण कर लेता है। किन्तु हसीन ने आकर्षण के प्रति दर्शन की वह मूल भावना होनी आवश्यक है कि वह उसके प्रेम का आलम्बन नहीं बल्कि वाहक है।

परमात्मा ही सूफियों के एकमात्र प्रियतम हैं, जो कि सौन्दर्य, माधुर्य, अनुराग तथा प्रेम का अनन्त भागार है। परमात्मा आलम्बन है और जीवात्मा आश्रय। सूफियों की रहस्यवादी दृष्टि से परमात्मा (आलम्बन) ही जीवात्मा (आश्रय) बन जाता है, अर्थात् परमात्मा का प्रेम जीवात्मा से स्वत ही हो जाता है, अन्यथा जीवात्मा परमात्मा के प्रति आकर्षित एव लालायित नहीं होता।

सुरा अमृत का प्रतीक है। लौकिक दृष्टि से उसका पान करने वाला, चाहे क्षण भर के लिए ही क्यों नहीं, स्वयं को भव-बन्धन से मुक्त हुआ अनुभव करता है और एक अपारिधि स्वर्गिक आनन्द एव उल्लास का अनुभव करता है। किन्तु सूफियों का साकी उस मदिरा का पान करता है, जिसमें क्षणिक नहीं, अपितु शाश्वत आनन्द निहित है। इस्लाम के पुरोहितों तथा काजियों के उकसाने पर कट्टर पुराणपन्थी शासकों ने सन्त मसूर जैसे धर्म-

प्राण अनक सूक्तियों को प्राणदण्ड तक द दिया, किन्तु प्रेम तथा साकी से उनका हृदय इतना उल्लसित था कि 'अनहलक' करते हुए उन्होंने फामी को भी गुसी-गुसी वरण कर लिया ।

सूक्तियों में अनक प्रकार के प्रतीकों को कल्पना की है । समस्त नख-सिख अगों के अतिरिक्त बुलबुल, तोता, मीन, तथा बामुरी आदि को भी प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया है । अन्योक्ति (अप्रस्तुत में प्रस्तुत की योजना) द्वारा सूफी अपने प्रियतम का माशात्कार करते हैं और उसके परम प्रेम में निमग्न होकर सर्वस्व समर्पित कर देते हैं । इस दृष्टि से काव्यों, महाकाव्यों (प्रबन्धों) की लम्बी कथाएँ और ममनवियों के कल्पित आख्यान सामारिक प्रतीकात्मक बाने में पिरोकर प्रस्तुत किया गया है । इन कथाओं तथा आख्यानों की द्विरथंक्ता में सारथक पक्ष का ग्रहण प्रतीकों के ही माध्यम से किया जाता है ।

आचार-संहिता

विश्व के सभी धर्मों में ईश्वर-प्राप्ति के लिए सुद्धाचरण का निर्देश किया गया है । वहाँ कहा गया है कि वाह्याभ्यन्तर की निर्मलता एवं पवित्रता के बिना धर्म ग्रन्थों के दिव्य ईश्वरीय सन्देश हृदयगम नहीं हो सकते हैं । अतः सभी धर्मों की भाँति इस्लाम धर्म में भी आचार-संहिता की व्यवस्था की गई है । इस आचार संहिता के प्रमुख चार अंग हैं—सोम रोजा (रमजान मास का उपवास), मलात (नमाज), हज्ज (मक्का-मदीना की यात्रा) और जकात (दान देना) । इन चारों अगों का निष्कर्ष इस प्रकार है ।

१ सोम—पवित्र ग्रन्थ 'कुरान' में सोम के महत्त्व पर विस्तार से विचार किया गया है । कहा गया है कि प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायी को अनिवार्य रूप से रमजान मास में रोजा (उपवास) रखना चाहिए । उपवास स जीवन में सयम, आत्मप्रकाश और दिव्यानुभूति का उदय होता है । इमीलिए 'कुरान' (२।२३।१।३) में कहा गया है कि—'हे अनुयायी-जनो, पूर्वजों के समान तुम्हारे लिए भी उपवास करने का विधान किया गया है, जिसमें तुम सयमी बन सको । इस पवित्र मास में यदि तुम बीमारी में ग्रसित हो, अथवा यात्रा की अवस्था में हो, किसी गरीब को भोजन कराकर अपने उपवास की पूर्ति कर सकते हो ।' उपवास के लिए रमजान मास इसलिए पवित्र माना गया है, क्योंकि इसी मास में महान् 'कुरान' पृथ्वी पर अवतरित हुआ था ।

२ मलात—कुरान' मे (३।२०।३४) मे निर्देश किया गया है कि—
'हे अनुयायियो, सलात (नमाज) पढ़ने समय नम्रतापूर्वक परमेश्वर के लिए
मंडे हो जाओ । जब तक तुम नशे मे, पाप मे या अपवित्र अवस्था मे रहो
स्नान किये बिना नमाज म न पाओ । यदि तुम बीमारी अथवा यात्रा की
स्थिति मे, मलौसर्ग तथा स्त्री-स्पर्श मे अपवित्र हो और स्नान के लिए
तुम्हें जल उपलब्ध न हो, तो उस स्थिति मे तुम मिट्टी को हाथ मुँह मे फेर
कर पवित्र हो सकते हो ।'

इस प्रकार नमाज पढ़ने के लिए स्वच्छ एवं पवित्र हाकर जान का
विधान है । काबा के काबातुल्ला मन्दिर की ओर मुँह करके नमाज अदा
करन का विधान है । नमाज भी दो प्रकार की कही गई है—फर्द (आवश्यक)
और मुजत (सामूहिक) । एकाही ही नमाज पढ़ने की विधि को फर्द और
इमाम (नमाज का प्रमुख) के पीछे खड़े होकर सामूहिक रूप में नमाज
पढ़ने की विधि को मुजत कहा गया है । यद्यपि 'कुरान' मे वही भी यह
निर्देश नहीं है कि नमाज कितनी बार अदा की जाये, तथापि सम्प्रति पाँच
बार नमाज पढ़न का प्रचलन है—प्रातः, एक बजे, चार बजे सन्ध्या समय
और रात्रिकाल मे । शुक़वार (जुमा) को दो बार नमाज पढ़ने का और
शेष तीन बार इमाम का उपदेश ग्रहण करने का नियम है । नमाज पढ़ते
समय काबा की ओर मुँह करके मुआज्जिन ऊँचे एवं लम्बे स्वर मे कहता है—
' परमेश्वर अति महान् है । मैं साक्षी देता हूँ कि परमेश्वर के अतिरिक्त कोई
दूसरा पूज्य नहीं है । मैं साक्षी देता हूँ कि मुहम्मद ईश्वर का दूत है । मैं
कहता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा पूज्य या ईश्वर नहीं है ।'

इस्लामी समाज मे सामूहिक नमाज का बड़ा महत्त्व माना गया है, क्योंकि
उममे किसी भी प्रकार का देश भेद जाति भेद अमीरी-गरीबी तथा ऊँच-नीच
का कोई भेद भाव नहीं माना जाता है । सभी मुसलमान एक पक्ति मे खड़े
होकर ईश्वर के प्रति समान सकल्प को लेकर स्वयं को प्रस्तुत करते हैं । नमाज
की इस एकता, समानता और निष्ठा ने मुस्लिम समाज मे सगठन शक्ति को
स्थापित किया और राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किया ।

३ हज्ज—इस्लाम की आचार-महिता का तीसरा अंग हज्ज (तीर्थयात्रा)
है । अरब देश के मक्का नगर मे काबा का पुनीततम देवालय है । उसका
अस्तित्व मुहम्मद साहब से भी पहले का है । कहा जाता है कि धर्म प्रचार के
समय मूर्तिपूजा के विरोध मे मुहम्मद साहब ने काबा मन्दिर मे स्थापित ३६०
मूर्तियों को तोड़ डाला था और उस मन्दिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता काले
पत्थर को भी खण्डित कर डाला था । काबा आज भी मुस्लिम समाज का

परम्परागत सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और श्रद्धालु भक्त या तीर्थयात्री (हाजी) उसका मात दार चुम्बन (बोगा) लेते हैं और उसके लिए नतमस्तक होते हैं ।

४ दान—हिन्दू धर्म संहिता में दान को जो महत्त्व दिया गया है, मुसलमानों की धर्म संहिता 'कुरान' (३।१०।१) में उसको उतनी ही श्रेष्ठता में अपनाया गया है । दान के महत्त्व को सर्वोपरि मान कर वहाँ कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने सचय का कुछ अंश वह गरीबों-यतीमों फकीरों को अवश्य दे, और दान भी ऐसा दे कि एक हाथ का पता दूसरे हाथ को न चले । जो धर्मप्राण व्यक्ति उपवास, दान और प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, वे ही वास्तविक सयमी (खुदा के प्रिय) हैं ।

इस्लाम धर्म का न्यायशास्त्र

विश्व के सभी धर्मों में न्याय विषयक नीति नियमों की अपनी अपनी परम्पराओं एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवस्था की गई है । इस्लाम धर्म में भी उसकी व्यवस्था है । इन सम्बन्ध में सभी इस्लाम धर्मानुयायी एकमत हैं कि 'कुरान' एक पैगम्बर की अधिष्ठित वाणी (हदीस) ही उनके न्यायशास्त्र के आधार हैं । सर्वप्रथम अब्बासी खलीफ़ाओं के शासनकाल (७५०-८४२ ई०) में जो नियम निर्धारित हुए थे, कालान्तर में उन्हीं का इमाम बुरहानुद्दीन (१२वीं शती) ने स्वीकार कर लिया । किन्तु उनमें कुछ नियम ऐसे भी थे, जिन पर मतभेद नहीं था । अतः जिन नियमों पर कोई मतभेद नहीं था उन्हें लिखित किया गया और प्रायः समस्त इस्लामी समाज ने उनको उमी हूय में स्वीकार कर लिया । जो नियम अलिखित थे, उनके औचित्य-अनीचित्य का निर्णय काजी (न्यायाधीश) पर निर्भर किया गया ।

इस्लाम के विधिशास्त्र (शरीयत) को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है । कुछ नियम प्रार्थना या अभ्यर्थना (इबादत) से सम्बन्धित, कुछ अर्थनिक (मुकामिलात) विषयों में सम्बन्धित और कुछ नियम दण्ड (उकूबात) में सम्बन्धित हैं । इन नियमों के अन्तर्गत् अपनी व्यवस्था देने का एकाधिकार काजी को दिया गया । जो निर्णय किसी काजी ने दिया, उसकी मान्यता सार्वदेशिक होती थी । जहाँ पर भी मुस्लिम शासक थे, उनकी मुस्लिम प्रजा के निर्णयों के लिए भी वे ही नियम चरितार्थ होने थे ।

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तर में इस्लाम विधिशास्त्र की यह पद्धति अविकसित एवं व्यक्तिविशेष (काजी) पर निर्भर होने के कारण सफल न हो सकी और वह अपनी सीमाओं में ही सिमट कर रह गई । उत्तराधिकार और विवाह आदि की नियमावली अभी तक अनिश्चितावस्था में है । मध्ययुगीन इस्लाम शासकों ने, विशेष रूप से मुगलकालीन भारत में

मुमलमान प्रजा के विवाहों को निर्णीत करने के लिए जो विधि-विधान बनाये गये, उनमें यद्यपि 'कुरान' की सर्वथा अपेक्षा की गई, किन्तु उनमें पुरातन रूढ़ियों को नहीं अपनाया गया।

सामान्य धार्मिक नियम

इस्लाम धर्म में धार्मिक नियमों के प्रतिपालन के पाँच स्तम्भ (अरकान) माने जाते हैं—१ ईश्वर में विश्वास, २ नियमित रूप से पाँच वक्त की नमाज, ३ जीवन में एक बार मक्का की यात्रा, ४ रोजा तथा ५ कवात (आय का ढाई प्रतिशत दान)।

व्यवहार-सहिता

इस्लाम धर्म की अपनी व्यवहार-सहिता है। जिसमें उदात्त ध्येय तथा उच्च आचरण निहित हैं। इस्लाम-धर्मानुयायियों में सिद्धान्तों तथा मत पन्थों की भिन्नता भले ही हो, किन्तु जहाँ तक परम्परागत व्यवहारों के परिपालन का सम्बन्ध है, समस्त ममाज में एकात्मकता देखने को मिलती है। उनके धर्म-ग्रन्थों में विशेष रूप से 'कुरान' में, जिन व्यवहारों के पालन का निर्देश किया गया है, उनको मानने में समस्त मुस्लिम समुदाय एकमत है।

अनिवार्य कर्तव्य

विद्व के सभी धर्मों में निन्दित कर्मों का परित्याग और मत्कर्मों के उपाजर्न पर बल दिया गया है। इस्लाम धर्म के कुछ अनिवार्य कर्तव्य हैं, जिनके नाम हैं—न्यायपरायणता क्षमा, मन्तोष, शान्ति, रोजे रखना और दिन में पाँच बार नमाज पढ़ना आदि (कुरान ५२।४।१२-१४)। इस्लाम में दान तथा उदारता के व्यवहार को बड़ा महत्त्व दिया गया है। भिक्षुओं, फकीरों, अपाहिजों और गरीबों को दान देना गृहस्थों का सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है। दान इस तरह दिया जाय कि दान करते हुए दाहिने हाथ को बाँया हाथ न देख सके। अर्थात् जो दिया जाय, उसकी गोपनीयता बनी रहे और उसकी चर्चा न हो। यहाँ तक निर्देश किया गया है कि प्रत्येक मुमलमान को अपनी दैनिक आय में से ढाई प्रतिशत दान कर देना चाहिए। सबके साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए।

दुःख मुख के आचरण के सम्बन्ध में कहा गया है कि दूसरे के दुःख को अपना दुःख और दूसरे के मुख को अपना सुख समझकर व्यवहार करना चाहिए। अन्याय से दूर रहकर सदा न्याय का परिपालन करना चाहिए। एकान्त में बैठकर मन में यह विश्वास स्थिर करना चाहिए कि ईश्वर ही एकमात्र ऐसा दयावान् पिता है, जिसकी शरण में जाने से ही जीवन का

कल्याण हो सकता है। अभिमानी व्यक्ति को ईश्वर प्यार नहीं करता। 'जो ईश्वर के बन्दो को प्यार करता है, ईश्वर उमको प्यार करता है।'

इस्लाम धर्म के मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन कर्तव्यों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए।

निन्दित कर्तव्य

अन्यान्य धर्मों की भांति इस्लाम धर्म में भी व्यक्ति तथा समाज के लिए जो अहितकारी कर्तव्य हैं, उन्हें निन्दित कहा गया है और उनमें दूर रहने का निर्देश किया गया है। हितकारी अनिवार्य कर्तव्यों को अपनाएँ और निन्दित कर्तव्यों से स्वयं को असंपृक्त रखने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप में धार्मिक है और धर्म के प्रति सही रूप में उत्तरदायी तथा निष्ठावान् है।

इस प्रकार के वर्जनीय निन्दित कर्म हैं—मूर्ख लेना, वृषणता का व्यवहार करना, अन्याय में तत्पर बने रहना, धन का अपव्यय करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, व्यभिचार में लिप्त रहना, हिंसा का व्यवहार करना और जुआ खेलना आदि। इस्लाम धर्म में इन्हें महापाप कहा गया है और धर्म-निष्ठ व्यक्ति को उनसे अलग रहने का निर्देश किया गया है।

ऊपर जिन मत्कर्मों तथा दुष्कर्मों का निर्देश किया गया है, प्रायः सभी धर्मनियुयायियों के लिए उनका ममान रूप में व्यवहार करना चाहिए। इन कर्मों के सम्पादन से जीवन की नैतिकता का विकास होता है और ऐसा नैतिक व्यक्ति कल्याण के मार्ग में अग्रसर होता हुआ अपना भौतिक तथा आध्यात्मिक—दोनों प्रकार का उत्थान करता है।

स्वर्ग अपवर्ग

इस्लाम धर्म की यह सामान्य मान्यता रही है कि मुहम्मद साहिब खुदा के पैगम्बर (मन्देशवाहक) हैं। प्रत्येक धर्मनियुयायी के लिए 'कुरान' में जो नीति-निर्देश हैं वे सबको मान्य हैं। अन्य धर्म दर्शनों की भांति इस्लाम का भी स्वर्ग-अपवर्ग के सम्बन्ध में अपना स्वतंत्र धर्म विधान है। वहाँ दक्षिण दिशा में स्वर्ग और उत्तर दिशा में अपवर्ग माना गया है। इन दोनों दिशाओं के बीच मध्य में एक दीवार है, जिसे 'एराफ' कहा गया है। जिस मृतात्मा में स्वर्ग की प्राप्ति करने की योग्यता और अपवर्ग से बचे रहने की मध्यमार्गीय स्थिति होती है, वह खुदा की इच्छा तब इसी दीवार पर निवास करता है।

हिन्दू धर्म-महिता में स्वर्ग-अपवर्ग की प्राप्ति अच्छे-बुरे कर्मों पर निर्भर है, किन्तु 'कुरान' (३१५, ७३, ७३, ७३) के अनुसार जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है क्योंकि कर्म तो ईश्वर के अधीन है। जीव भी ईश्वर

के अधीन है और उसी की प्रेरणा-इच्छा से अच्छे-बुरे कर्मों को सम्पादित करता हुआ मनुष्य स्वर्ग-अपवर्ग के सुख-दुःखों का भागी बनता है ।

‘कुरान’ में स्वर्ग-अपवर्ग की विस्तृत व्याख्या की गई है । वहाँ (३७।२। २०-२६) कहा गया है कि स्वर्ग (बहिस्त) अनन्त सुखों एवं ऐश्वर्य-सम्पदाओं का आगार है, जहाँ सुन्दर लडके नफीस शराब के प्यालों को लिये घूमते रहते हैं और आस-पास नीनी दृष्टि किये हुये विशालाक्षी स्त्रियाँ निवास करती हैं । वहाँ जल, दूध और शराब की सदाशय नहरें बह रही हैं, जिनका स्वाद सदा एकरस बना रहता है । वहाँ सर्वत्र एव सतत आनन्द-ही-आनन्द का साम्राज्य है ।

स्वर्ग के विपरीत अपवर्ग है । वहाँ अपार दुःख, भयंकर विपत्तियाँ और निरतिशय यातनाओं का साम्राज्य है । वहाँ अनिष्टों और व्याधियों की भरमार है । जिन्हें ‘कुरान’ पर विश्वास नहीं है, ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं है और जो कर्मकर्मों के प्रति उदासीन हैं, उन्हें अग्नि की घघकती ज्वाला में झोक दिया जाता है (२।३।४, ४।८।६), और उन्हें घाव को घोंये हुए जल की धूँट पिलाई जाती है, जिसको निगलना कठिन होता है । मृत्यु उसके आस-पास मडारती हुई लौट जाती है (११।४।३।४-५) । उन निकृष्ट जीवों का वहाँ अपना कोई सगा-सम्बन्धी नहीं होता है ।

‘कुरान’ में वर्णित स्वर्ग और अपवर्ग सम्बन्धी सन्दर्भों का अनुशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस्लाम के प्रत्येक अनुयायी को ईश्वर (खुदा) में विश्वास करना चाहिए । पैगम्बर के निर्देशों को ईश्वरीय वाणी समझ कर उनका पालन करना चाहिए और पापों, दुष्कर्मों एवं बुराइयों आदि निन्दित कर्मों से सर्वथा बिरत रहना चाहिए ।

सृष्टि-रचना

सृष्टि-रचना के सम्बन्ध में इस्लाम का अपना सिद्धान्त है । इस्लाम धर्म में खुदा को सर्वव्यापक-सत्ता-सम्पन्न माना गया है । वह निरञ्जन, निराकार, अद्वैत और अनादि है । वह अवतारी नहीं है । उस एकाकी खुदा से सर्व-प्रथम आत्मा का आविर्भाव हुआ । उससे क्रमशः अन्तःकरण, काया और चराचर की सृष्टि हुई । सृष्टि का स्रष्टा खुदा सर्वत्र व्याप्त है । वही एकमात्र पिता है और उसी की कृपा पर समस्त चराचर का उत्थान-मत्तन निर्भर है । उसकी प्रसन्नता के लिए मनुष्य को पवित्रता, शुद्धता, सत्य और नेकी का व्यवहार करना चाहिए ।

पुनर्जन्म

पुनर्जन्म के सम्बन्ध में विभिन्न धर्म शाखाओं में अपनी-अपनी अलग मान्यताएँ हैं। जहाँ हिन्दू धर्म में पुनर्जन्म के अस्तित्व को स्वीकार किया है, वहाँ इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म को नहीं माना गया है। 'कुरान' के अनुसार इस दृश्यमान जगत् में जिनने भी जीव है, उनका यह जन्म प्रथम भी है और अन्तिम भी। जीव के जितने भी कर्मभोग हैं, उनका फलाफल इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। जन्मान्तर के प्रति 'कुरान' की इस अनास्था के बावजूद उसमें (२।२८, २।२४३, २।२५९, ३।२६ आदि) ऐसे भी अनेक सन्दर्भ हैं, जिनमें पुनर्जन्म के अस्तित्व का आभास होता है। उदाहरण के लिए एक अन्य स्थान (५।९।४) पर कहा गया है कि 'जिन पर परमेश्वर क्रुपित होता है, उन्हें सूअर तथा बानर बना दिया जाता है। जन्म और मृत्यु—दोनों परमेश्वर के अधीन हैं। उमने जो लिख दिया, वह अबाटघ, अभिट है' (३।१५।२)।

जन्मान्तर का अस्तित्व स्वीकार न होने के कारण इस्लाम धर्म में कर्मों के सच्य की आवश्यकता नहीं समझी गई है। वहाँ यह माना गया है कि दृश्यमान जगत् में देहधारियों में जो असमानता पाई जाती है, और उसके भागों में जो भिन्नता दृष्टिगत होती है, उसका एकमात्र कारण ईश्वरेच्छा है। ईश्वर की इच्छा में जीवों को विभिन्न शरीर प्राप्त हुए और उनके चाहने पर ही व्यक्ति-व्यक्ति के लिए सुख दुःख की व्यवस्था की गई है। इस जन्म में अपने कर्माकर्मों के लिए मनुष्य ईश्वर इच्छा पर निर्भर है। कयामत (निर्वाण) के दिन जीव को उनके कर्माकर्मों के परिणाम सुनाये जायेंगे। उनसे द्वारा सम्पादित कर्माकर्मों के आधार पर उनके लिए स्वर्ग-नरक का विधान किया जायगा।

कयामत मनुष्य की ऐसी अन्तिमावस्था है, जिसका तारतम्य बौद्धधर्म के 'निर्वाण' से बैठता है। इस अवस्था में प्रत्येक जीव नितान्त एकाकी होता है। उसके साथ कोई सहायक, साथी अथवा मित्र नहीं होता। जैसे वह नितान्त एकाकी आया, वैसे ही कयामत के दिन भी वह नितान्त एकाकी होगा (४।४।२।१४, २५।३।४ आदि)। कयामत की इस स्थिति में किसी की भी कोई करिपाद नहीं सुनी जायगी (२।६।१२) और अपने फलोपभोग के लिए वह एकाकी उत्तरदायी होगा। इस प्रकार इस्लाम धर्म में कयामत ही मनुष्य की अन्तिम स्थिति है।

फरिश्ते और शैतान

गवार के प्राय सभी धर्मों में पाप तथा पुण्य की कल्पना की गई है, और यह निर्देश किया गया है कि प्रत्येक जीव को आत्मोन्नति के लिए पुण्या-

र्जन करना चाहिए। इस पाप और पुण्य के प्रतिनिधि ब्रह्मण फरिस्ते और सैतान हैं। पुण्य मनुष्य के सद्बिचारों तथा पाप दुष्कर्मों, दुर्विचारों, दुराचरणों का प्रतीक है। दोनों की शक्ति और सीमाएँ समान हैं। दोनों एक-दूसरे को पराजित करने पर उसी प्रकार सज्जद रहने हैं, जैसे मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियाँ पारस्परिक विरोध करने पर तत्पर रहती हैं।

इस्लाम धर्म में फरिस्तों (पुण्यात्माओं) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे वहाँ देवताओं तथा देवदूतों की भाँति बरेण्य हैं। उन्हें जीवों का रक्षण-पालक, उनके शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता तथा उन कर्मों को लिपिबद्ध करने वाले हैं, जो कि कयामत के दिन पटोले जाने हैं। फरिस्ते ईश्वर के सन्देश-वाहक या दूत भी हैं, जो ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता के अग्रिष्ठान और उनके उत्तमोत्तम उपदेशों को सुनाने वाले हैं (४१।४।५)।

फरिस्तों के ठीक विपरीत सैतान (पापात्मा) है। 'कुरान' (१६।१३। १९) में कुछ ऐसे प्राणियों का उल्लेख हुआ है, जो फरिस्तों के ही समान सर्वन्यायी हैं। किन्तु फरिस्तों के विपरीत मनुष्यों को पापाचारों की ओर प्रवृत्त करने में लगे रहते हैं। उनके मुखिया या प्रधान को 'कुरान' में 'शैतान' कहा गया है, जिसका सृजन परमेश्वर ने ही किया। किन्तु जिसे ईश्वर ने उसकी दुष्प्रवृत्तियों के कारण स्वर्ग से पदच्युत कर दिया। उसके अनुचर सैतान मनुष्यों के लिए इतना भयप्रद है कि उसके प्रहारों से बचने के लिए ईश्वर की शरणार्थि में जाने को कहा गया है।

पर्वोत्सव

इस्लाम धर्म के अपने पर्वोत्सव हैं, जो कि प्रायः चान्द्रमास पर आधारित होते हैं। इन पर्वोत्सवों में से कुछ का यद्यपि 'कुरान' में उल्लेख नहीं है, तथापि समस्त इस्लाम जगत् में उन्हें परम्परा से मान्यता प्राप्त है। मुख्य पर्वोत्सव केवल तीन हैं—ईद-इ-जुहा, रमजान या ईद-उल-फ़ितर और जुमा या शुक्रवार।

ईद-इ-जुहा—इसका दूसरा नाम 'बकर-ईद' भी है। मिथ तथा तुर्की में इसे 'बैरम' और ईरान में 'ईद-ए-कुरवान' कहते हैं। यह पर्वोत्सव हजरत मुहम्मद से भी प्राचीन है। नबी के निदेशानुसार मक्का के तीर्थयात्री मीना की घाटी में एकत्र होकर बकरों, भेड़ और जैट आदि पवित्र पशुओं की बलि (कुरबानी) चढ़ाते थे, जिसका प्रचलन आज भी कुछ मुस्लिम देशों में है। इस पर्व पर मुस्लिम समाज स्नानोपरान्त स्वच्छ वस्त्र धारण कर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हैं।

रमजान या ईद-उल-फितर—मुस्लिम समाज में इस पर्व का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस्लाम धर्म के उदय-काल से ही इसका प्रचलन है। रमजान के एक मास के दीर्घकालीन एव कठिनतर साधना के उपरान्त यह पर्व पड़ता है। इस पुण्यतिथि को समस्त मुस्लिम जगत् स्वच्छ शरीर एव पवित्र अन्त-करण से ईदगाह में जाकर ईद-उल-फितर की नमाज अदा करते हैं।

जुमा या शुक्रवार—शुक्रवार को इस्लाम धर्मानुयायियों में परम पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए प्रत्येक शुक्रवार को मुसलमान मात्र पवित्र 'कुरान' के निर्देशानुसार मस्जिद में जाकर सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। 'कुरान' में जुमा की नमाज का बड़ा महत्त्व बताया गया है।

उक्त पर्वों के अतिरिक्त इस्लाम के विभिन्न सन्तों तथा सम्प्रदाय प्रवर्तक महापुरुषों द्वारा भी अनेक पर्व प्रचलित किये गये। इस प्रकार के पर्वों में 'मौलद' का नाम उल्लेखनीय है। यह पर्व 'रबी-उल-ओवल' के १२वें दिन पड़ता है और कभी-कभी अन्य तिथियों में भी मनाया जाता है। इसी प्रकार सूफी सन्त अब्दुल कादिर जीलानी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाले 'रबी-उल-अखर' नामक पर्वोत्सव को केवल सुन्नी सम्प्रदाय के लोग मनाते हैं। 'शब ए-बरात' का मुस्लिम जगत् में व्यापक प्रचलन है। यह आठवें अरबी मास के १५वें दिन पड़ता है। इस पर्वोत्सव में दीपावली की भाँति हार्गोल्लास के साथ आतिशवाजी की जाती है। परम्परागत अनुश्रुति है कि रात को बहिस्त (स्वर्ग) में स्थित सिद्दतुलमुनताह का वृक्ष हिलता है और उस समय उसका जो पत्ता टूटता है, उस पर जिसका नाम लिखा होता है, वह व्यक्ति वर्ष के भीतर ही मृत्यु का शास बन जाता है। इस दिन मृत सम्बन्धियों के निमित्त विवध व्यजन बनाये जाते हैं और फातिमा पढ़ने के बाद उन्हें वे वितरित किये जाते हैं।

मुस्लिम समाज में चरशबा का पर्व भी परम्परा से प्रचलित है। यह दूसरे अरबी मास सफर के अन्तिम बुधवार को पड़ता है। यही वह पर्व है, जब कि भकटों, अशुभों और अनिष्टों से श्राण पाने के लिए ताविज धारण किये जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसी दिन नबी ने गभीर बीमारी में मुक्त होकर स्नान किया था। इसके अतिरिक्त 'नौरोजे' का पर्व नये वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। ईराक और ईरान में यह पर्व प्रति वर्ष २१ मार्च से आरम्भ होता है और लगभग १५ दिनों तक चलता है। यह एक प्रकार का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन सूर्य मेष राशि पर आता है और वसन्तोत्सव का आरम्भ होता है।

सर्व-धर्म-समन्वय के संस्थापक

अकबर का दोन इलाही मत

मुगल साम्राज्य के इतिहास में अकबर महान् (१५ अक्टूबर, १५४२-१६ अक्टूबर, १६०५ ई०) का नाम अमर है। मुगल साम्राज्य का इतिहास, भारतीय इतिहास का अग होने के कारण अकबर की गणना अशोक, चन्द्रगुप्त तथा हर्षवर्द्धन जैसे भारत के गौरवशाली एवं यशस्वी शासकों में की जाती है। वह अधिक पढा-लिखा नहीं था, किन्तु उसकी स्मरण-शक्ति बहुत तीव्र थी। उसने केवल मुन कर ही काव्य, दर्शन, इतिहास, कला आदि अनेक विषयों का सूक्ष्मतर ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

अकबर स्वयं निष्पक्ष एवं सहिष्णु धर्म-नीति का शासक था। उसने अपनी सल्तनत के विभिन्न धर्मानुयायी समाज के प्रायः समस्त धर्मों की गभीर जानकारी प्राप्त की थी। वह बड़ा विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति था। वह मनसा धर्मनिष्ठ था, किन्तु उसमें एक कोरे धार्मिक की भाँति भावुकता का बहाव नहीं था। वह धर्मनिष्ठ होने के साथ ही सद्बिचारक और सूक्ष्म समीक्षक भी था। उसने अपने समय के प्रायः सभी धर्मों—हिन्दू, मुसलमान, फारसी, ईसाई और यहूदी आदि धर्मों के आचार्यों तथा विद्वानों को अपने इबादत-खाने में आमंत्रित कर विभिन्न धर्मों के सर्वभौम सिद्धांतों का श्रवण किया था। समय-समय पर वह सास्त्रार्थ भी आयोजित करता था। उसने सभी धर्मों का समान आदर किया और सबको सहायता कर अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया।

धर्म की श्वजा फैलाते हुए उसने विचार किया कि मुसलमानों का हिन्दुओं के प्रति इतना अलगाव क्यों? उनके पारस्परिक द्वेष वैमनस्य को दूर नियो बिना प्रजा में अमन-चैन स्थापित नहीं किया जा सकता था और वह भली-भाँति जानता था कि अमन-चैन की स्थिति में ही सल्तनत की स्थिरता कायम रह सकती है।

अपने इस उद्देश्य की सफलता के लिए अकबर ने १५७५ ई० में 'दीन इलाही' नाम से एक धार्मिक सत्था की स्थापना की, जिसमें प्रचलित सभी धर्म-मन्तव्यों का समन्वय था। उसने यह भी घोषित किया कि किसी भी वर्ण, वर्ण, सम्प्रदाय या जाति का व्यक्ति उसका अनुयायी या सदस्य बन सकता है। जो व्यक्ति इन मत के दीक्षित सदस्य हो जाते थे, वे अपने पास चादगाह

का एक छोटा-सा चित्र रखते थे और जब कोई दूसरा अनुयायी मिलता था तो उस चित्र को निकालकर परस्पर 'अल्लाहो अकबर' तथा उत्तर में 'जल्ले-जलालहू' कह कर अभिवादन करते थे। उसने ऐसा इसलिए किया कि किसी धर्मावलम्बी को कोई आपत्ति तो नहीं है।

उसने जिस 'दीन इलाही' धर्म की स्थापना की थी, उसके कुछ सिद्धान्त भी निर्धारित किये। उनका सार यह था कि ईश्वर एक है। उसकी भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। अपनी विवेक-बुद्धि से जो ज्ञानार्जन हो सके, तदनुसार भक्ति का निश्चय करना चाहिए। यद्यपि किसी प्रकार का आहार अभक्ष्य नहीं है, तथापि मासाहार को अभक्ष्य मानना चाहिए। मानसिक उन्नति के लिए जितेन्द्रिय रहना और उपवास करने आवश्यक है। उपासना और दान में रुचि रखनी चाहिए। धर्म को हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि जाति वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वह सार्वभौम तथा अनादि है और उसका एक ही लक्ष्य है—जीव हित।

अकबर की इस धर्म नीति से हिन्दू, सिख तथा उदार मुसलमान तो प्रसन्न थे, किन्तु कट्टर मुसलमान भीतर ही भीतर रुष्ट एवं असन्तुष्ट थे। किन्तु बाहर कुछ बोलने की उनकी क्षमता न थी। लोगो में इस मत के सम्बन्ध में अलग अलग धारणाएँ थी। कुछ का कहना था कि अकबर स्वयं को एक धर्म-संस्थापक और जगद्गुरु होने का सम्मग्न प्राप्त करना चाहता है। किन्तु सामान्य जनता पर उसका प्रभाव अच्छा ही था। जनता उसके उदार तथा सहिष्णु व्यक्तित्व का समान करती थी।

अकबर धर्म सहिष्णु होने के साथ साथ विद्या-व्यसनी भी था। उसने हिन्दू-मुसलमानों में धर्म-समन्वय तथा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य से जहाँ एक ओर 'कुरान' तथा 'मजमउलबल्दान' और दूसरी ओर यजुर्वेद 'भगवद्गीता', 'महाभारत' तथा 'रामायण' आदि ग्रन्थों का मरल फारसी में अनुवाद करवाकर उन्हें सुलभ बनाया। उसने कुछ ग्रन्थों को सचित्र तैयार करवाया, जो कि आज मुगल-कला की बहुमूल्य कृतियाँ हैं।

अन्य धर्म-सहिष्णु मुगल शासक

अकबर ने जिस उदार एवं सहिष्णु धर्म-नीति का अपने 'दीन इलाही' मत के प्रवर्तन में किया था, कुछ परवर्ती शासकों ने भी उसका अनुसरण किया। इस सन्दर्भ में मुहम्मद रजा का नाम उल्लेखनीय है। वे शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र, शाहजहाँ के समकालीन और द्वितीय खलीफा थे। उनका जन्म १५९८ ई. में हुआ था। १६ वर्ष की अवस्था में ही वे अध्यात्म

ज्ञान की ओर उन्मुख हुए और छोड़े ही समय में सूफी सिद्धान्तों के पूर्ण ज्ञाता बन गये। मृत्यु के समय शेख ने मुहम्मद ख्वाजा को वसीयत के रूप में एक पुरानी गुदड़ी देते हुए यह समझाया था कि उसे ही राजसिंहासन समझते हुए निःप्रिय एवं न्यायपूर्ण जीवन बितायें और धनवानों तथा सामन्तों से कोई सम्पर्क न रखें। उन्होंने धर्मप्राण त्यागी पिता की इस वसीयत की आजीवन रक्षा की तथा उनके बलाये हुए मार्ग पर चलते रहे। कठिन त्याग एवं तप का जीवन बिताते हुए उन्होंने धर्म की रक्षा की।

मुहम्मद ख्वाजा की धर्मप्रियता के कारण मुगल साहेंशाह शाहजहाँ उनके प्रति अपार श्रद्धा रखता था। ख्वाजा साहिब ने अपने भाई तथा पुत्र को सूफी मत के प्रचार के लिए नियुक्त किया था। धर्म-प्रचार के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। उनके शिष्यों की संख्या एक लाख से अधिक बताई जाती है। वे प्रसिद्ध अध्यात्मवादी शासक दाराशिकोह के गुरु थे।

अरब विवाह के समय जब उन्होंने सुना कि दारा सिंहासन पर बैठ गया तो वे भारत लौट आये।

उन्होंने सिया-सुन्नी विवादों को मिटाने में भी भरसक प्रयास किया। ७२ वर्ष की आयु में १६६८ ई० को उनका निधन हुआ। उनकी समाधि सरहिन्द में आज भी सर्वमान है। कहा जाता है कि उनकी समाधि पर साहजहाँ की पुत्री ने एक भव्य भवन का निर्माण कराया था।

दाराशिकोह

अकबर के पौत्र और शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह (१६१५-१६५९ ई०) ने अपने पितामह की ज्ञान पिपासा पुनरुज्जीवित हुई थी। वह बड़ा धर्मप्राण शासक था और सूफीवाद तथा तोहीद का मानने वाला था। अपनी धर्म-अहिष्णुता के कारण आजीवन उसका हिन्दू सन्तों तथा मुसलमान फकीरों से सम्पर्क बना रहा। उनकी कृतियों से विदित होता है कि हिन्दू पुराण तथा उपनिषदों से उनकी गहरी अभिरुचि थी। उनकी मान्यता थी कि वेदान्त और इस्लाम में केवल शब्दिक भिन्नता है सत्यान्वेषण में दोनों में मौलिक एकता है।

सर्व धर्म-समन्वय के अपने सिद्धान्त के कारण दारा के भाई मुराद और कट्टररफ्तारी मुसलमानों ने उसे धर्मद्रोही करार दे दिया था। किन्तु उसने सदा ही आजीवन इस्लाम के उच्चादेशों का पालन किया। उसने हिन्दू-मुसलमानों में एकता तथा सद्भावना स्थापित करने, दोनों धर्मों की अध्यात्म मान्यताओं में सामंजस्य सिद्ध करने और दोनों को ही मानवता के उत्थान में सहभाग्य बनाया।

हिन्दू-मुस्लिम धर्मों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से दाराशिकोह ने 'मजमा-उल बह रैनी' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें वेदान्त-दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। उसका सबसे बड़ा कार्य था—उपनिषदों का फारसी भाषान्तर। 'सीर-ए-अबवर' के नाम से उनका यह फारसी भाषान्तर उपनिषदों के अद्वैत और सूफीमत में एकता स्थापित करने में अपनी मौलिकता के लिए प्रसिद्ध रहा है।

मुहम्मद शाह

धर्म-समन्वय के पक्षपाती शासकों में औरंगजेब का पुत्र बादशाह मुहम्मद शाह (१७१९-१७४८ ई०) का नाम उल्लेखनीय है। उनके समय मुगल साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। वे शिव-नारायणी सम्प्रदाय के सस्थापक स्वामी शिवनारायण के शिष्य थे। उनके शासनकाल की उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उन्होंने हिन्दुओं पर जजिया कर को समाप्त कर दिया था और भेद-भाव को त्याग कर हिन्दुओं को अपने गोपनीय तथा मालगुजारी विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था।

हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक सघर्षों एवं वैमनस्यों को दूर करने में उन्होंने दोनों धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रामाणिक कार्य किया। उन्होंने मारवाड़ तथा जयपुर के हिन्दू राजाओं के प्रति भी उदारता का बरताव किया। कला और साहित्य के अपने पुरखों के प्रेम को उन्होंने उजागर किया। उनके समय उर्दू साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। चिस्ती-परम्परा को उन्होंने पुनरुज्जीवित किया। इस दृष्टि से मुहम्मद शाह सहिष्णु, उदार और सर्व-धर्म-समन्वय के उन्नायक थे।

इस प्रकार अनेक धर्मप्राण मुस्लिम शासकों ने सूफीमत तथा भारतीय ज्ञान-ग्रन्थों का अन्वेषण-प्रणयन कर दोनों धर्मों की एकता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया और इतिहास में अपने यश को विरस्मरणीय बनाया।